उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

की

कार्यवाहियों

की

अनुक्रमणिका

—:०:—

खंड ६१

—:०:—

कार्तिक २६, २७, २८, २९, ३० तथा अग्रहायण ३, ४, ६ तथा ७, शक संवत् १८८०
(नवम्बर १७, १८, १९, २०, २१, २४, २५, २७ तथा २८, सन् १९५८ ई० तक)

मुद्रक :
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री (लखनऊ), उत्तर प्रदेश, भारत।
१९६१

मूल्य : बिना महसूल १२ नये पैसे, महसूल सहित १९ नये पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल ५ रुपये, महसूल सहित ६ रुपये।

विषय–सूची

खंड ६१

सोमवार, २६ कार्तिक, शक संवत् १८८०
(१७ नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

मंगलवार, २७ कार्तिक, शक संवत् १८८०
(१८ नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

बुधवार, कार्तिक २८, शक संवत् १८८०
(१९ नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

गुरुवार, २९ कार्तिक, शक संवत् १८८०
(२० नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

शुक्रवार, ३० कार्तिक, शक संवत् १८८०
(२१ नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

शुक्रवार, ७ अग्रहायण, शाक संवत् १८८०
(२८ नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

सरकार

श्री राज्यपाल
श्री वराहगिरिवेंकट गिरि

मंत्रि परिषद्

मंत्री, जो कि मंत्रि मंडल के सदस्य हैं :

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, नियोजन तथा उद्योग मंत्री।

श्री सैयद अली ज़हीर, बार-एट-ला, वित्त तथा वन मंत्री।

श्री मोहन लाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), सहकारी तथा कृषि मंत्री।

श्री हुकुम सिंह विसेन, बी० ए०, एल-एल० बी०, स्वास्थ्य, सहायता व पुनर्वास तथा न्याय मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, राजस्व, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, स्वशासन मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, गृह, शिक्षा, सूचना व हरिजन सहायक मंत्री।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

राज्य मंत्री, जो कि मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं :

श्री जग मोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य, समाज कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा राज्य मंत्री।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी० एच-डी० (ओहियो), आबकारी व परिवहन राज्य मंत्री।

उप-मंत्री

श्री सुल्तान आलम खां, नियोजन उप-मंत्री।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, उद्योग तथा श्रम उप-मंत्री।

श्री बल्देव सिंह आर्य, स्वास्थ्य, सहायता व पुनर्वास उप-मंत्री।

श्री राम स्वरूप यादव, स्वायत्त शासन उप-मंत्री।

श्री कुंवर महावीर सिंह, सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

के

पदाधिकारी

श्री चेयरमैन

श्री रघनाथ विनायक धुलेकर, एम० ए०, बी० ए० (आनर्स), एल-एल० बी०।

श्री डिप्टी चेयरमैन

श्री निज़ामुद्दीन, बी० ए०, एल-एल० बी०।

सचिव विधान मंडल

श्री रूप चन्द्र, एच० जे० एस०।

सचिव, विधान परिषद्

श्री परमात्मा शरण पचौरी, एम० ए०, एल-एल० बी०।

अधीक्षक

श्री नानक शरण श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एल० बी०।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	अजय कुमार बसु, श्री ..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
२	अब्दुर रऊफ, श्री ..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
३	अब्दुल शकूर नजमी, श्री ..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
४	अब्दुस्सलाम शाह, श्री ..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
५	अलगू राय शास्त्री, श्री ..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
६	इन्द्र सिंह नयाल, श्री ..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
७	इसहाक सम्भली, श्री ..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
८	ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर ..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
९	उमा नाथ बली, श्री ..	नाम निर्देशित
१०	उमा शंकर सिंह, श्री ..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
११	ए० जे० फरीदी, डाक्टर ..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
१२	एम० जे० मुकर्जी, श्री ..	नाम निर्देशित
१३	ओंकार सिंह, श्री ..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
१४	कन्हैया लाल गुप्त, श्री ..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र
१५	कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
१६	केदार नाथ खेतान, श्री ..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
१७	केशव दत्त, श्री	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
१८	कृपा शंकर हजेला, श्री ..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
१९	कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री ..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
२०	कृष्ण देव प्रसाद गौड़, श्री ..	नाम निर्देशित
२१	खुशाल सिंह, श्री ..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
२२	गिरधारी लाल, श्री ..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
२३	गुरु नारायण, श्री कुंवर ..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
२४	चन्द्र मोहन सुखिया, श्री ..	नाम निर्देशित
२५	चिरंजी लाल पालीवाल, श्री ..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
२६	चौधरी शिवनाथ सिंह, श्री ..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
२७	जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री ..	नाम निर्देशित
२८	जगदीश चन्द्र वर्मा, श्री ..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
२९	जगदीश प्रसाद द्विवेदी, श्री ..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
३०	जगन्नाथ आचार्य, श्री ..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
३१	जमीलुर्रहमान क़िदवई, श्री ..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
३२	जय बहादुर सिंह, श्री ..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
३३	ज्योति प्रसाद उपाध्याय, श्री ..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
३४	तारा अग्रवाल, श्रीमती ..	नाम निर्देशित
३५	तेज नारायण त्रिवेदी, श्री ..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
३६	तेलू राम, श्री ..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
३७	दीप नारायण वर्मा, श्री ..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
३८	देवेन्द्र स्वरूप, श्री ..	.. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
३९	नवल किशोर गुरुदेव, श्री	.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
४०	नवाब सिंह यादव, श्री	.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
४१	निजामुद्दीन, श्री (डिप्टी चेयरमैन)	.. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
४२	निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री	.. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
४३	नौरंग सिंह, श्री ..	.. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
४४	पीताम्बर दास, श्री	.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
४५	पुष्कर नाथ भट्ट, श्री	.. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
४६	पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री	.. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
४७	पृथ्वी नाथ, श्री ..	.. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
४८	प्यारे लाल गुप्त, श्री	.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
४९	प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर	.. अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र
५०	प्रताप चन्द्र आजाद, श्री	.. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
५१	प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री ..	.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
५२	बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री	.. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
५३	बनवारी लाल, श्री	.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
५४	बाबू अब्दुल मजीद, श्री	.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
५५	बालक राम वैश्य, श्री	.. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
५६	मदन मोहन, श्री ..	.. अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र
५७	मदन मोहन लाल, श्री	.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
५८	महफूज़ अहमद क़िदवई, श्री	.. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
५९	महमूद अस्लम खां, श्री	.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
६०	महादेवी वर्मा, श्रीमती	.. नाम निर्देशित
६१	महाराज सिंह भारती, श्री	.. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
६२	महावीर सिंह, श्री कुंवर	.. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
६३	माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री	.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
६४	मुहम्मद नसीर, श्री सैयद	.. नाम निर्देशित
६५	मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री	.. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
६६	रणंजय सिंह, श्री कुंवर	.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
६७	राजा राम शास्त्री, श्री	.. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
६८	राम किशोर रस्तोगी, श्री	.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
६९	राम कुमार शास्त्री, श्री	.. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
७०	राम गुलाम, श्री ..	.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
७१	राम धारी पाण्डे, श्री	.. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
७२	राम नन्दन सिंह, श्री	.. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
७३	राम नाथ, श्री ..	.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
७४	राम नारायण पाण्डे, श्री	.. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
७५	राम लखन, श्री ..	.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
७६	राम सूरत सिंह, श्री	.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
७७	रामेश्वर सिंह, श्री	.. अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र
७८	लल्लू राम द्विवेदी, श्री	.. स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
७९	लक्ष्मी नारायण दीक्षित, श्री	.. अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र
८०	लालता प्रसाद सोनकर, श्री	.. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
८१	लाल सुरेश सिंह, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
८२	वंशीधर शुक्ल, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
८३	विद्यावती राठौर, श्रीमती	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
८४	विजय आफ विजयानगरम् महाराजकुमार, डाक्टर	..	नाम निर्देशित
८५	वीन भान भाटिया, डाक्टर	..	नाम निर्देशित
८६	वीरेन्द्र स्वरूप, श्री	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
८७	वृज लाल वर्मन, श्री (हकीम)	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
८८	शंकर राव, श्री ..	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
८९	शकुन्तला श्रीवास्तव, श्रीमती	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
९०	शफीक अहमद खां तातारी, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
९१	श्याम बिहारी विरागी, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र
९२	शान्ति देवी, श्रीमती	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
९३	शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
९४	शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र
९५	शिव नाथ काटजू, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
९६	शिव नारायण, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
९७	शिव प्रसाद सिन्हा, श्री	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
९८	शिवराजवती नेहरू, श्रीमती	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
९९	शुगन चन्द, श्री ..	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
१००	सकटू मल, श्री ..	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
१०१	सरदार बलवन्त सिंह, श्री	..	नाम निर्देशित
१०२	सावित्री श्याम, श्रीमती	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
१०३	हर गोविन्द सिंह, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
१०४	हरि कृष्ण अवस्थी, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र
१०५	हयातुल्ला अन्सारी, श्री	..	नाम निर्देशित
१०६	हृदय नारायण सिंह, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

की

कार्यवाही

खण्ड ६१	सोमवार, २६ कार्तिक, शक संवत् १८८० [१७ नवम्बर, सन् १९५८ ई०]	अंक १

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मूल्य बिना महसूल २ आने, महसूल सहित ३ आने।

वार्षिक चन्दा, बिना महसूल ५ रुपये, महसूल सहित ६ रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

सोमवार, २६ कार्तिक, शक संवत् १८८० (१७ नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (७९)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुर रऊफ, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अब्दुस्सलाम शाह, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
इशहाक सम्भली, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
उमा शंकर सिंह, श्री
ए० जे० फरीदी, डाक्टर
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुद्सिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल), श्रीमती
केशव दत्त, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
कृष्णदेव प्रसाद गौड़, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुरु नारायण, श्री कुंवर
चन्द्र मोहन सुखिया, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री
जगदीश प्रसाद द्विवेदी, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जय बहादुर सिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नवल किशोर गुरुदेव, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
नौरंग सिंह, श्री
पीताम्बर दास, श्री
पुष्कर नाथ भट्ट, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
पृथ्वी नाथ, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा श्री
बनवारी लाल, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
मदन मोहन, श्री
मदन मोहन लाल, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खाँ, श्री
महावीर सिंह, श्री कुंवर
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
रणंजय सिंह, श्री कुंवर
राजा राम शास्त्री, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नाथ, श्री
राम नारायण पाण्डे, श्री
राम लखन, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लक्ष्मी नारायण दीक्षित, श्री

लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विजय आफ विजयानगरम्, महाराजकुमार, डाक्टर
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
शंकर राव, श्री
शकुन्तला श्रीवास्तव, श्रीमती
शफीक अहमद खां तातारी, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री
शिव नाथ काटजू, श्री
शिव नारायण, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शुगन चन्द, श्री
सकटू मल, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरि कृष्ण अवस्थी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री, राज्य मन्त्री व उपमन्त्री, जो कि विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे :--

श्री हुकुम सिंह विसेन (स्वास्थ्य, विद्युत, सहायता व पुनर्वास मन्त्री)।
श्री चरण सिंह (राजस्व तथा वित्त मन्त्री)
श्री सैयद अली जहीर (न्याय, वन, खाद्य व रसद मन्त्री)
श्री विचित्र नारायण शर्मा (स्वशासन मन्त्री)
श्री कमलापति त्रिपाठी (गृह, शिक्षा व सूचना मन्त्री)
डाक्टर सीताराम (आबकारी, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प्स व परिवहन राज्य मन्त्री)।
श्री जगमोहन सिंह नेगी (बृहत् उद्योग उप मन्त्री)
श्री सुल्तान आलम खां (नियोजन उप-मन्त्री)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

गंगा खादर (जिला मेरठ) के किसानों की शिकायतों के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री का नोट।

*१--**श्री पीताम्बर दास** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--(क) क्या गंगा खादर, हस्तनापुर (जिला मेरठ) के किसानों की कुछ शिकायतों के सम्बन्ध में कोई नोट माननीय प्रधान मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले ६ महीनों में प्राप्त हुआ ?

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

(ग) उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरण सिंह (राजस्व व वित्त मंत्री)

(क) जी हाँ। प्रधान मंत्री जी का एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) उक्त पत्र २८ मार्च, १९५८ को प्राप्त हुआ।

(ग) गंगा खादर के ९० परिवारों को दूसरे सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिये उचित भूमि की व्यवस्था की जा रही है।

श्री पीताम्बर दास--वह कौन सा स्थान छांटा गया है ?

श्री चरण सिंह--तराई का, जिला नैनीताल में।

श्री पीताम्बर दास--यह व्यवस्था कब तक होने की आशा की जाती है ?

श्री चरण सिंह--कोई निश्चित तिथि नहीं बतलायी जा सकती है क्योंकि पहले जिस जगह पर इन लोगों के लिये जमीन तय की गयी थी वहां पर ये आये नहीं। लिहाजा कुछ दूसरे लोगों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। अब उन लोगों को बेदखल करने जा रहे हैं और जब वह जमीन खाली हो जायेगी तब इन लोगों को बसाया जायेगा। दूसरी जगह के लिये भी फारेस्ट वालों से मशविरा करके जमीन तय कर रहे हैं। इसलिये कोई निश्चित तारीख नहीं बतला सकते हैं।

श्री पीताम्बर दास--गंगा खादर में कुल कितने परिवार हैं जिनमें से ९० को दूसरी जगह पर बसाया जा रहा है ?

श्री चरण सिंह—वैसे तो वहां पर २००० खानदान हैं। लेकिन जो हटाये जाने वाले हैं या जो हटना चाहते हैं वे गालिबन ३०८ हैं।

विवाहिता महिलाओं को ग्राम सेविका-प्रशिक्षण के लिए भेजने से पूर्व उन के पतियों की सम्मति।

*२--**श्री पीताम्बर दास**--क्या यह सत्य है कि ग्राम सेविकाओं की ट्रेनिंग के लिये विवाहित स्त्रियों को भेजने से पूर्व सरकार द्वारा उनके पति की सम्मति नहीं ली जाती ?

श्री सुल्तान आलम खां (नियोजन उप-मंत्री) जी हां।

*३—(हस्तान्तरित)।

गन्ना मिलों पर गन्ने के उपकर का बकाया धन।

*४—श्री पृथ्वी नाथ—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार बतायेगी कि ३० जून, १९५८ को उत्तर प्रदेश की शुगर मिल्स के ऊपर गन्ने के उप-कर के कारण कितना रुपया बकाया था ?

***4. Sri Prithvi Nath**—(Legislative Assembly Constituency)—Will the Government state the amount of arrears outstanding against the Sugar Mills of Uttar Pradesh on 30 June, 1958 on account of cane cess ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी (वृहत् उद्योग उप मंत्री)—

रु० ३५४.३६ लाख।

Sri Jagmohan Singh Negi (Virhat Udyog Up Mantri)

Rs. 354.36 lakhs.

श्री पृथ्वी नाथ—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि नोटिस दिये जाने के अलावा कोई कार्यवाही रुपया वसूल करने की की गयी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—नियमानुसार उनको ३१ मार्च तक के लिये यह नोटिस दिया जाता है कि अगर इस तारीख तक उन्होंने रुपया जमा नहीं कया तो उनके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज की जायगी। उनको यह लिखा जाता है कि वे कारण बतलायें कि क्यों न उनकी प्रोपर्टी का अटैचमेंट किया जाय अगर उन्होंने ३१ मार्च तक रुपया जमा न किया हो।

श्री पृथ्वी नाथ—क्या उनको ३० सितम्बर तक के लिये नोटिस दिया गया था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—हाँ, दिया गया था। लेकिन ३१ मार्च तक २३ फैक्टरीज ने रुपया अदा कर दिया था और केवल ४३ फैक्टरीज ही डिफाल्टर में रह गये थे। अब उनको नोटिस दिया गया है कि क्यों न उन पर पेनाल्टी इम्पोज की जाय और इसके बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी।

श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—यह जो ३५४.३६ लाख रुपये बाकी है वह एक साल का है या कई साल का है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—कुछ पिछला भी है और कुछ इस साल का है।

*५—**श्री पृथ्वी नाथ**—क्या सरकार बतायेगी कि क्या सरकार ने किसी शुगर फैक्टरी के खिलाफ गन्ने के उप-कर को वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

***5 Sri Prithvi Nath**—Will the Government state the action it has taken against any of the Sugar factories for the recovery of cane cess ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जिन चीनी मिलों ने सेस का भुगतान नहीं किया है उनके विरुद्ध बकाया सेस की वसूली के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न* पत्र में दिया हुआ है।

---

*देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ ३७ पर।

Sri Jagmohan Singh Negi—Action taken against the defaulting sugar factories for the realization of cane cess dues is detailed in the enclosed statement.

श्री तेलू राम--(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यदि वह पिछले साल का बकाया है तो जैसा कि इसके लिये पैनाल्टी सर्टिफिकेट के लिये बिल है उसके मुताबिक किसी से पैनाल्टी ली गई है या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अभी तक तो प्रश्न ही नहीं उठा था इसलिये यह सवाल ही नहीं पैदा हुआ।

श्री अब्दुर रऊफ (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मन्त्री जी यह फरमायेंगे कि इस वक्त का जो बयान है और जुलाई में जो बयान दिया गया है कि शुगर फैक्टरीज के ऊपर किसी किस्म का बकाया नहीं है, दोनों में से कौन सा सही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ऐसा कोई बयान जुलाई में मेरे ख्याल में नहीं दिया गया है।

श्री शिव नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिनको नोटिस दिया गया है, उनसे वसूल हुआ है या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो मैं कह चुका हूँ कि २३ फैक्टरियों ने अपना हिसाब क्लियर आफ कर दिया है और अब ४३ बाकी हैं।

श्री अब्दुर रऊफ—मैंने बरेली शुगर फैक्टरी के बारे में इस सदन में दरियाफ्त किया था और उसका जवाब भी दिया गया था जो कि रिटन प्रोसीडिंग्स में मौजूद है, कि किसी किस्म का टैक्स बाकी नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--बरेली का सवाल इसमें नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है कि एक सवाल आगे आ रहा है, जिसमें एक सूची दी गयी है। मुमकिन है बरेली का नाम भी उसमें हो तो उससे मालूम किया जा सकता है। मुमकिन है कि ऐसा हो लेकिन मैं ठीक तरह से नहीं कह सकता।

श्री मदन मोहन (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—अभी-अभी यह पूछा गया था कि पहले भी ऐसी कोई कार्यवाही की गयी थी या नहीं तो उसका जवाब दिया गया है कि 'पहले यह प्रश्न नहीं था' तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि पहले प्रश्न नहीं था का क्या मतलब है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह असल में बहुत पुरानी हिस्टरी है। इसके बारे में रिट दायर की गयी थी जिसकी वजह से यह अक्यूमुलेट होता रहा और जब हाई कोर्ट का डिसीजन हो गया, तब उसके बाद उसकी वसूली के लिये उनको ३० सितम्बर तक समय दिया गया। अब यह आखिरी मियाद दे दी गयी तो कुछ से वसूल हो गया है और कुछ से नहीं वसूल हो पाया, इसलिये मैंने यह अर्ज किया था।

श्री महमूद अस्लम खां (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—मैं माननीय मन्त्री जी से यह दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि किस तारीख को यह रिट पेटीशन हाई कोर्ट में हुआ था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो पिछले साल की बातें हैं, ठीक तारीख के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

*६-७—(हस्तान्तरित)।

गन्ना मिलों पर किसानों के गन्ने का बकाया धन।

*८—**श्री पृथ्वी नाथ**—क्या सरकार बतायेगी कि १-८-१९५८ को शुगर मिलों के ऊपर कितना रुपया काश्तकारों द्वारा उनको गन्ना सप्लाई करने के कारण बकाया के रूप में बाकी था?

*8. **Sri Prithvi Nath.**—Will the Government state the arrears outstanding on 1st August 1958 against the Sugar Mills on account of the cane supplied to them by the cultivators?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—रु० ७९.२७ लाख।

Sri Jagmohan Singh Negi.—Rs. 79 · 27 lakhs.

*९. **श्री पृथ्वी नाथ**—क्या सरकार बतायेगी कि वह क्या कदम उठाने जा रही है जिससे कि काश्तकारों को उनका रुपया मिल जाय?

*9. **Sri Prithvi Nath**—Will the Government state the steps it proposes to take so that the money may be paid to the tenants?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—गन्ना आयुक्त ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७ (४) के अधीन ४३ चीनी मिलों के विरुद्ध जिन्होंने गन्ने का मूल्य भुगतान नहीं किया है, गन्ने के मूल्य के बकाया की वसूली के लिये रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किये हैं।

Sri Jagmohan Singh Negi.—The Cane Commissioner under section 17 (4) of the U. P. Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, has issued recovery certificates against 43 defaulting sugar factories for realization of cane price dues.

श्री पृथ्वी नाथ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिकवरी सर्टिफिकेट में कब तक की मियाद है रुपया देने की?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो मैंने बताया है कि ३० सितम्बर तक आखिरी मियाद है।

श्री पृथ्वी नाथ—क्या सरकार यह बतायेगी कि ३० सितम्बर के बाद क्या कार्यवाही की गयी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वह तो मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया है कि पैनाल्टी के लिये उनको शो काज नोटिस दिया है कि क्यों तुमने ३० सितम्बर तक रुपया नहीं जमा किया है और इसका कारण बताओ कि क्यों न तुमसे पैनाल्टी ली जाय।

श्री अब्दुर रऊफ—मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि रिकवरी सर्टिफिकेट की मियाद के अन्दर किन मिलों ने रुपया दिया है, उनका नाम बता दिया जाय?

श्री चेयरमैन—इसके लिये आप फिर से नोटिस दीजिये।

श्री शिव नारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगली मार्च तक जिनके ऊपर रिकवरी का रुपया बाकी है, वह वसूल हो जायेगा।

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री इसहाक़ सम्भली (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३६ लाख रुपया बाकी जो बतलाया गया है, वह इस साल का है या इसके पहले साल का है ?

श्री चेयरमैन—इसके लिये भी आप नया नोटिस दीजियेगा।

श्री इसहाक सम्भली—प्रश्न नंबर १० मैं बाद को पूछना चाहता हूँ।

(तारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर तारांकित प्रश्न संख्या ७८ के पश्चात् देखिए।)

*११–२६—(स्थगित)

*२७–२८—(हस्तान्तरित)

(तारांकित प्रश्न संख्या २६ से ३५ तक का उत्तर तारांकित प्रश्न संख्या १० के पश्चात् देखिए।

प्रदेश से बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को सरकारी छात्र-वृत्तियाँ।

*३६—**श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश से बाहर पढ़ने वाले कितने छात्रों को प्रदेश की सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सन् १६५७–५८ में दी गई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ऐसे १८६ छात्रों को राज्य सरकार द्वारा १६५७–५८ में छात्रवृत्ति दी गई।

*३७—**श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**—क्या सरकार उपयुक्त छात्रों की एक सूची छात्रवृत्ति के धन के साथ तथा शिक्षा-संस्था के नाम के साथ सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा उपर्युक्त छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति के धन तथा शिक्षा संस्था के नाम सहित अलग-अलग *सूचियाँ सदन के मेज पर रख दी गई है।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि छात्रवृत्ति जो दी जाती है वह किसी सिद्धान्त पर दी जाती है या आवश्यकता अनुसार दी जाती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सिद्धान्त और आवश्यकता दोनों ही एक चीज हैं। आवश्यकता होती है, तभी सिद्धान्त बन जाता है।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक ही ट्रेनिंग दो छात्र पा रहे हैं, तो उनमें से किसी को ६ सौ मिलता है और किसी को डेढ़ सौ ही मिलता है, तो इस सम्बन्ध में यह जानकारी हासिल करना चाहता हूँ कि

---

*देखिये नत्थी 'ख' पृष्ठ ३६ पर।

यह जो छात्रवृत्ति दी जाती है तो यह आवश्यकतानुसार दी जाती है या इसका कोई और क्राइटेरियन है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके कई क्राइटेरियन हो सकते हैं। उस व्यक्ति की माली हालत को देखा जाता है। जो ऊँचे दर्जे में पढ़ता है उसको ज्यादा दिया जाता है। जो टेकनिकल शिक्षा पाता है उसको ज्यादा दिया जाता है।

श्री महमूद अस्लम खाँ—मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इसमें असलियत क्या है और इसकी पोजीशन क्या है ?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

(तारांकित प्रश्न संख्या ३८-४१ तक का उत्तर तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के पश्चात् देखिए।

रुद्रपुर की भूमि पर अवैधानिक रूप से अधिकार करने वाले व्यक्ति।

*४२—**श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रुद्रपुर तथा उसके पास जो भूमि राजनैतिक पीड़ितों और अन्य व्यक्तियों को एलाट की गयी हैं उनमें से कितनी पर कितने व्यक्तियों ने नाजायज तौर पर अथवा जबरदस्ती अधिकार जमा लिया है ?

श्री चरण सिंह—वांछित सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है और इसको एकत्रित करना जनहित में आवश्यक नहीं जान पड़ता क्योंकि अलाट की हुई जमीन पर नाजायज कब्जे को हटाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अलाटी की है और सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

*४३—**श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों ने सरकार को रिपोर्ट भेजी है कि उपर्युक्त व्यक्तियों को बेदखल किया जाय ?

श्री चरण सिंह—जी हां।

*४४—**श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—प्रार्थियों को सूचना दे दी गई कि वे इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा उचित कार्यवाही करें।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने जबर्दस्ती कब्जा किया है, उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरण सिंह—प्राइवेट आदमियों की जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लेता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार कैसे ले सकती है और उसकी लिस्ट कैसे बना सकती है ?

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जिन लोगों ने जबर्दस्ती कब्जा किया है, उसमें एक व्यक्ति नहीं है बल्कि १००,१०० और २००, २०० व्यक्तियों ने मिल कर कब्जा कर लिया है। उसके बारे में सरकार ने क्या किया है।

(इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया)

ग्राम भैसाहा जिला पीलीभीत में दफ़ीना बरामद ।

*४५ **श्री अब्दुर रऊफ़**—क्या यह ठीक है कि ग्राम भैसाहा, थाना अमरिया, जिला पीलीभीत में कोई दफीना बरामद हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी नहीं ।

श्री अब्दुर रऊफ—मैं माननीय मंत्री जी से इस सिलसिले में यह जानना चाहूँगा कि क्या थाने के अन्दर कोई रिपोर्ट या अखबार के जरिये से इस किस्म की कोई इत्तिला पहुँचाई गई थी या नहीं ?

श्री चेयरमैन—उत्तर आप को मिल चुका है ।

श्री अब्दुर रऊफ—मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि कोई रिपोर्ट दर्ज हुई या अखबार के जरिये से गवर्नमेंट के पास भेजी गई ?

श्री चेयरमैन—उत्तर आपको दिया जा चुका है कि कोई दफीना बरामद नहीं हुआ । इसके बाद आप प्रश्न ४६ पूछिये ।

*४६—**श्री अब्दुर रऊफ**—यदि नहीं, तो क्या कोई रिपोर्ट इस सम्बन्ध में कलक्टर पीलीभीत और सरकार के मुख्य मन्त्री को मिली ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अब्दुर रऊफ—मेरा प्रश्न यह है कि इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट कलेक्टर को दी गई या सरकार व माननीय मंत्री जी को ऐसी कोई रिपोर्ट मिली नहीं ?

श्री चेयरमैन—यह जो जवाब दिया गया है कि "प्रश्न नहीं उठता", तो सरकार को इस बात की कोई इत्तिला है या नहीं और इसमें इस तरह का जवाब क्यों दिया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ऊपर के उत्तर से ही इस तरह का उत्तर दिया गया है कि "प्रश्न नहीं उठता", क्योंकि सरकार के पास इस तरह की कोई इत्तिला नहीं है ।

*४७—**श्री अब्दुर रऊफ**—यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—प्रश्न नहीं उठता ।

*४८-५१—(स्थगित) ।

गवर्नमेंट टैक्निकल इन्सटीट्यूट, झांसी का रेलवे विभाग द्वारा लिया जाना ।

*५२—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित गवर्नमेंट टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट, झांसी को केन्द्रीय सरकार के रेलवे विभाग ने ले लिया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां ।

*५३—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या यह भी ठीक है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस बात की घोषणा की गई थी कि स्थायी स्टाफ राज्य सरकार के अन्तर्गत अपने-अपने स्थानों पर चला जायगा और गैर स्थायी स्टाफ रेलवे विभाग में मिल जायगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी नहीं । इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई थी ।

*५४—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—(क) क्या यह भी ठीक है कि कुछ गैर स्थायी व्यक्तियों को रेलवे विभाग में जाने से रोक लिया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो कितने और क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(तारांकित प्रश्न संख्या ५५ का उत्तर तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के पश्चात् देखिये।)

गांव बसन्तपुर जिला बरेली में भूमि का बन्दोबत

*५६—**श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**—(क) क्या यह सत्य है कि गांव बसन्तपुर, तहसील आंवला, जिला बरेली, में बन्दोबस्त हो रहा है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई सूचना मिली है कि इस बन्दोबस्त में बहुत से किसानों को उनकी भूमि से वंचित कर दिया गया है जो बन्दोबस्त से पूर्व के रिकार्ड में मौजूद है ?

(ग) क्या सरकार को यह भी सूचना मिली है कि बन्दोबस्त के पूर्व के रिकार्ड के विरुद्ध बहुत से किसानों को उनकी भूमि से अधिक भूमि दे दी गई है ?

श्री चरण सिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

*५७—**श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**—(क) क्या यह सत्य है कि उपर्युक्त गांव सभा के प्रधान ने कोई आवेदन पत्र जिलाधीश महोदय को इस सम्बन्ध में दिया था और उसमें गांव के समस्त किसानों की भूमि के नम्बर भी लिख दिये थे ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त आवेदन-पत्र पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५८—**श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**—क्या सरकार ऐसे किसानों की संख्या बतायेगी जिन्हें अपनी पहली भूमि (जो बन्दोबस्त से पूर्व रिकार्ड में थी) से कम भूमि मिली है ?

श्री चरण सिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५९—**श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**—क्या सरकार ऐसे किसानों की भी संख्या बतायेगी जिन्हें अपनी पहली भूमि (जो बन्दोबस्त से पूर्व रिकार्ड में थी) से अधिक भूमि दे दी गई है ?

श्री चरण सिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६०—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—(क) क्या यह भी ठीक है कि उपर्युक्त में जो भूमि गांव सभा के नाम में उपर्युक्त बन्दोबस्त से पूर्व दर्ज थी, वह भी कुछ लोगों को दे दी गई है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उपर्युक्त व्यक्तियों की संख्या बताने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ दिये गये धन के व्यय का विवरण।

*६१—**श्रीमती शिवराजवती नेहरू**—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—केन्द्रीय सरकार ने जो धन पिछले वर्ष बाढ पीड़ित जनता की सहायता के लिये दिया है वह किन-किन कार्यों में खर्च किया गया ?

श्री चरण सिंह—गत वर्ष केन्द्रीय सरकार से बाढ़ के संबंध में ४२,७४,००० रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था। यह अनुदान १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में राज्य सरकार द्वारा बाढ़ पर किये गये व्यय की आंशिक पूर्ति के लिये स्वीकृत हुआ था। अनुदान के पूर्व ही राज्य सरकार व्यय कर चुकी थी, अनुदान की प्राप्ति के बाद व्यय करने का प्रश्न नहीं उठता।

*६२—**श्रीमती शिवराजवती नेहरू**— (क) क्या यह ठीक है कि सरकार ने यह तजवीज किया था कि वह गांव, जो पिछली बाढ़ में वह गये थे, ऊंची जगह पर बसा ये जायं, जहां फिर बाढ़ का खतरा न रहे?

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने गांव २५ जून, १९५८ तक ऊंची भूमि पर बसाये जा चुके हैं?

श्री चरण सिंह—

(क) बाढ़ से वह जाने वाले गांवों के बसाये जाने के सम्बन्ध में सरकारी आदेश पहले ही से जारी है। इन्हीं के अनुसार गत वर्ष भी कार्यवाही की गई। कोई नई तजवीज पिछले वर्ष नहीं बनी।

(ख) २५ जून, १९५८ तक प्रदेश भर में कुल ७० गांव ऊंची भूमि पर बसाये जा चुके हैं।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अटियामुंशीगंज तथा इसके आसपास जो बस्तियां टूट गई हैं, उनके लिये भी ऊंची जमीन की व्यवस्था मकान बनाने के लिये की गई है?

श्री चेयरमैन—आप नया प्रश्न न कीजिये।

सरकारी अधिकारियों से सरकारी कारों की वापसी

*६३—**श्री कुंवर रणञ्जय सिंह** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगी कि अब तक (१–७–५८)—

(क) कितने अधिकारियों से कितनी सरकारी मोटर कारें वापस ली गई हैं और

(ख) उन मोटरकारों का क्या किया गया है?

डाक्टर सीताराम (आबकारी, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प्स व परिवहन राज्य मंत्री)

(क) १५ जुलाई, १९५८, तक वापस की गई गाड़ियां जो कि परिवहन विभाग के पास हैं उनकी संख्या ४५६ हैं।

(ख) उनमें से १६४ गाड़ियां टैक्सी के रूप में चल रही हैं और शेष परिवहन विभाग के पास हैं।

श्री कुंवर रणंजय सिंह—क्या माननीय मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि शेष गाड़ियों का क्या किया जा रहा है। बेची जा रही हैं या खाली रखी हुई हैं। उनका क्या करने का विचार है?

डाक्टर सीताराम--अभी शेष गाड़ियां परिवहन विभाग के पास रखी हुई हैं, बेची नहीं जा रही हैं।

श्री शिव नारायण--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह गाड़ियां गैरेज में बन्द हैं या इस्तेमाल में हैं?

डाक्टर सीताराम--प्रश्नोत्तर में बतला दिया गया है कि १६४ गाड़ियों को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकी गाड़ियों की देख-रेख ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट की ओर से होती है।

विकास क्षेत्र अमेठी जिला सुल्तानपुर के भवन के लिए ली भूमि

*६४--**श्री कुंवर रणञ्जय सिंह**--(क) क्या यह सत्य है कि विकास क्षेत्र अमेठी (जिला सुल्तानपुर) का इमारतें बनाने के लिये श्रवणपुर ग्रामवासियों के खेत लिये गये थे?

(ख) क्या यह सत्य है कि उस पर किसानों ने जो प्रार्थना-पत्र दिये थे उन पर विचार करके अब उक्त इमारतें अन्यत्र बनाने का निर्णय कर दिया गया है?

(ग) यदि हां, तो उक्त इमारत अब कितने व्यय में कहां बनेगी?

श्री सुल्तान आलम खां--(क) जी हां।

(ख) अभी यह मामला विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर के विकास क्षेत्रों को सन् १९५७-५८ में दिया गया धन।

*६५--**श्री कुंवर रणञ्जय सिंह**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि--

(क) १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में सुल्तानपुर जिले के किस विकास क्षेत्र को कितना धन दिया गया, तथा

(ख) उसमें से किस मद में कितना धन इस वर्ष व्यय हुआ?

श्री सुल्तान आलम खां--(क) तथा (ख) : इस सम्बन्ध में दो विवरण* माननीय सदस्य को मेज पर प्रस्तुत हैं।

लखनऊ तथा फैजाबाद कमिश्नरियों के विकास क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या।

*६६--**श्री कुंवर रणञ्जय सिंह**--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि--

(क) लखनऊ तथा फैजाबाद कमिश्नरी के किस विकास क्षेत्र में कितने सरकारी कर्मचारी १ जुलाई, १९५८ को कार्य कर रहे थे और

(ख) प्रत्येक विकास क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों को दिये गये मासिक वेतन की कितनी धनराशि १ जुलाई, १९५८, को थी?

श्री सुल्तान आलम खां--(क) तथा (ख) : इस विषय का विवरण* भी माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

तहसील मौदहा, जिला हमीदपुर में सन् १९५७-५८ के लिए दी गई तकावी।

*६७--**श्री नवल किशोर गुरुदेव**--(स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार यह

---

* देखिये नत्थी 'ग' पृष्ठ ४६ पर।

* देखिये नत्थी 'घ' पृष्ठ ५१ पर।

बताने की कृपा करेगी कि तहसील मौदहा, जिला हमीरपुर में १९५७-५८ में बन्धी की तकावी किस-किस महीने में कितनी बांटी गई है ?

श्री सुल्तान आलम खां—तहसील मौदहा में बन्धी की तकावी सन् १९५७-५८ में निम्न प्रकार वितरित की गई :—

माह दिसम्बर, १९५७ में	१,४०० रु०
माह जनवरी, १९५८ में	१,६५० रु०
माह मार्च, १९५८ में	१२,१२० रु०
	१५,१७० रु०

श्री नवल किशोर गुरुदेव—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मार्च के महीने में ही १२ हजार की तकावी क्यों बांटी गई ?

श्री सुल्तान आलम खां—तकावी के लिए एक लाख रुपया दिया गया और बन्धियां रिपेयर के लिए दस हजार। लेकिन ५० हजार सरेन्डर कर दिया गया, सिर्फ ५० हजार बड़ी मुश्किल से बांटा जा सका। आमतौर से होता यह है कि तकावी के लिए लोग उस वक्त ज्यादा दौड़ते हैं जब मार्च का आखिर आता है।

श्री नवल किशोर गुरुदेव—मेरा सवाल यह है कि मार्च के महीने में ही १२ हजार क्यों बांटा गया ?

श्री चेयरमैन—उत्तर दे दिया गया कि मार्च "एण्ड आफ दि इयर" होता है।

श्री नवल किशोर गुरुदेव—क्या सरकार को यह मालूम है कि नई दरख्वास्तें लेकर तकावी बांटी गई ? तथा महीनों पहले आई दरख्वास्तों पर विचार नहीं किया गया जिन पर कि विभागीय कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी ?

श्री सुल्तान आलम खां—ऐसी सरकार को कोई इत्तला नहीं है। जब लोग आये और तकावी के लिए ख्वाहिश जाहिर की तो उनको तकावी दी गई।

जिला हमीरपुर में शराब की बिक्री

*९८-**श्री नवल किशोर गुरुदेव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौदहा तहसील (जिला हमीरपुर) के अन्तर्गत शराब के ठेकों में १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में माहवारी कितनी बिक्री हुई है ?

श्री चरण सिंह—सूचना संलग्न* है।

भूदान में प्राप्त भूमि तथा उसका वितरण

*९९—**श्री कुंवर रणञ्जय सिंह**—क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि राज्य में ३० जून, १९५८ ई० तक सरकारी भूदान कमेटी को कितनी भूमि भूदान में प्राप्त हुई है और उसमें से कितनी वितरित की जा चुकी है ?

श्री चरण सिंह—इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

आपकी इजाजत से मैं कहना चाहता हूँ कि सवाल के अन्दर माननीय सदस्य ने यह इत्तला मांगी है कि ३० जून, सन् १९५८ तक कितनी जमीन भूदान में दी गई और कितनी तकसीम हुई। ३० जून, सन् १९५८ तक की तो सूचना इस वक्त मेरे पास मौजूद

* देखिये नत्थी 'ङ' पृष्ठ ५५ पर।

नहीं है लेकिन ३१ दिसम्बर, सन् १९५७ तक की मेरे पास सूचना मौजूद है अगर इजाजत हो तो बता दूँ।

*७०—श्री कुंवर रणञ्जय सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सुल्तानपुर जिला की प्रत्येक तहसील में १ जनवरी, १९५८ ई० से ३० जून, १९५८ ई० तक कितनी भूमि दान में प्राप्त हुई है तथा कितने का प्रबन्ध कितने भूमिहीनों के साथ कर दिया गया है?

श्री चरण सिंह—आवश्यक सूचना* सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

*७१—श्री कुंवर रणञ्जय सिंह—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि जो भूमि भूदान में दे दी जाती है उसका राजस्व दान दे देने पर भी तब तक दाता को ही देना पड़ता है जब तक कि भूदान समितियां उक्त भूमि का प्रबन्ध किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं कर देती?

श्री चरण सिंह—भूदान में दान की गई भूमि का राजस्व दाता को तभी तक देना पड़ता है जब तक कि उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५२ की धारा ११ के अधीन तहसीलदार द्वारा भूदान घोषणा पत्र की पुष्टि नहीं हो जाती। इसके पश्चात् जब तक भूदान यज्ञ समिति उस भूमि को भूमिहीन में वितरित नहीं करती, राजस्व देने का उत्तरदायित्व समिति पर रहता है।

सुल्तानपुर ज़िले में बस स्टेशनों के लिए इमारतें।

*७२—श्री कुंवर रणञ्जय सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में सुल्तानपुर जिले में बस स्टेशनों की इमारतें कहां-कहां और कब बनवाई जा रही हैं?

डाक्टर सीताराम—चालू वित्तीय वर्ष में सुल्तानपुर जिले में कादीपुर, सुल्तानपुर और जगदीशपुर में बस स्टेशनों की इमारतें बनाई जा रही हैं। इनका निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाने की आशा है।

*७३—श्री कुंवर रणञ्जय सिंह—क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि रायबरेली तथा प्रतापगढ़ स्टेशनों पर डाक गाड़ियों के यात्रियों की सुविधा का विचार करके रोडवेज की बसों के समय में क्या कोई परिवर्तन किया जा रहा है?

डाक्टर सीताराम—इन स्टेशनों पर डाक गाड़ियों के यात्रियों की सुविधा का ध्यान रख कर के ही रोडवेज की बसों का समय निर्धारित किया गया है। अतः उनके समय में परिवर्तन करने का प्रश्न नहीं उठता।

*७४—श्री कुंवर रणञ्जय सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रोडवेज की बसों को भिन्न मार्ग प्रदर्शन पट्टियां लगाकर चलाये जाने से उत्पन्न होने वाली यात्रियों की असुविधा निवारणार्थ कोई आदेश दिया गया है?

डाक्टर सीता राम—जी हाँ। रोडवेज के समस्त जनरल मैनेजरों को आदेश दिये जा चुके हैं कि रोडवेज की बसों पर उसी मार्ग की प्रदर्शन पट्टी लगाई जाय जिस पर उक्त गाड़ी चलेगी। जो कर्मचारी इन आदेशों का पालन पूर्ण रूप से नहीं करते उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाती है।

---

* देखिये नत्थी 'च' पृष्ठ ५५ पर।

श्री रणञ्जय सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ और रायबरेली की मेल ट्रेनों से पहले बसें छोड़ दी जाती हैं और मेल ट्रेनों से आनेवाले यात्रियों की सुविधा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है ?

डाक्टर सीता राम—अगर ऐसा है तो ठीक किया जा सकता है। ऐसी शिकायत तो हम लोगों के सामने आई नहीं। जहाँ तक ट्रेन टाइमिंग का सम्बन्ध है सुल्तानपुर और रायबरेली की बहुत लम्बी लिस्ट है। माननीय सदस्य इसको बाद में देख सकते हैं।

श्री राम कुमार शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो बस स्टेशन बनाये जा रहे हैं उनकी इमारतों पर कितना खर्च किया जा रहा है ?

डाक्टर सीता राम—कादीपुर बस स्टेशन पर ६,०००, सुल्तानपुर पर १६,००० और जगदीशपुर पर १५,००० खर्च किये जायेंगे।

लखीमपुर-खीरी में रोडवेज़ बस स्टेशन का भवन।

*७५—**श्री तेज नारायण त्रिवेदी**—(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) *(अनुपस्थित) क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि नगर लखीमपुर, जिला खीरी में रोडवेज बस स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस स्टेशन के बनाने के लिये जगह के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

*७६—**श्री तेज नारायण त्रिवेदी**—(*अनुपस्थित) (क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज बस के फी मील किरायों में एकरूपता (uniformity) नहीं है ?

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सीता राम—(क) जी हां।

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों के मार्गों में मैदानी क्षेत्रों के मार्गों की अपेक्षा किराया अधिक है क्योंकि वहां गाड़ी के रखरखाव में अधिक खर्चा होता है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे मार्गों में भी जो रेलवे लाईन के समानान्तर हैं, किराया अनुसूचित किराये की दर से, कम कर दिया गया है।

*७७—**श्री तेज नारायण त्रिवेदी**—(*अनुपस्थित) क्या सरकार को ज्ञात है कि नगर लखीमपुर के बस स्टेशन पर टेलीफोन न होने से जनता को तकलीफ उठानी पड़ती है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है।

*७८—**श्री तेज नारायण त्रिवेदी**—(*अनुपस्थित) (क) सरकार का क्या निकट भविष्य में उपर्युक्त बस स्टेशन पर टेलीफोन लगाने का विचार है ?

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—(क) फिलहाल अभी विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चेयरमैन—प्रश्न समाप्त हुये।

श्री इसहाक़ सम्भली—मैं तो कुछ प्रश्न पूछना चाहता था।

श्री चेयरमैन—आपको पहले खड़े होना चाहिये था। जब समय हो गया और प्रश्न समाप्त हो गये तब आप खड़े हुए। आप किस प्रश्न को पूछना चाहते हैं।

---

* प्रश्न ७५–७६ श्री कुंवर रणञ्जय सिंह ने पूछे।

श्री इसहाक़ सम्भली—मैं प्रश्न संख्या १० पूछना चाहता हूँ।

गोंडा जिला में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का न्यायालय

*१० श्री **नौरंग सिंह** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला में जुडीशल मैजिस्ट्रेट, बलरामपुर की अदालत को गोंडा सदर से बलरामपुर भेजने में कितने रुपये का वार्षिक खर्च बढ़ गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अभी एक वर्ष नहीं बीता जो वार्षिक खर्च बताया जा सके।

श्री नौरंग सिंह—यह खर्च जो प्रविधान हुआ है कि इतना खर्च किया जायेगा। क्या हर साल जोड़ा जायेगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसमें समय है। यदि बचत हो जायेगी तो साल के आखिर में ही पता चलेगा। जहां तक जुडिशियल आफिसर का सवाल है वह गोंडा के बजाय बलरामपुर में काम कर रहे हैं। अगर कोई खास खर्चा होगा तो साल भर बाद मालूम होगा।

श्री नौरंग सिंह—जो कैदी गोंडा से बलरामपुर जाते हैं और वह शाम को लौटते हैं इस पर कोई विशेष खर्चा नहीं पढ़ रहा है।

श्री चेयरमैन—आपका यह प्रश्न मंजूर नहीं हुआ। जो खर्च रोजाना होती है वह विशेष खर्चा नहीं होता है।

श्री नौरंग सिंह—यहां कैदियों के ले जाने का...... ...

श्री चेयरमैन—बहस का सवाल नहीं है। आप दूसरा सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। यह प्रश्न नामंजूर हुआ।

श्री नौरंग सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कैदियों को जो दोपहर का खाना दिया जाता है उसमें क्या दिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

बस्ती जिले के कुछ सहायक चकबन्दी अधिकारियों को नौकरी से हाटाया जाना।

*२९—श्री **हृदय नारायण सिंह** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—(*अनुपस्थित) क्या यह ठीक है कि बस्ती जिले की डोमरियागंज तहसील परगने में काम करने वाले ९ के करीब सहायक चकबन्दी अधिकारी अपने पद से अप्रैल, मई, जून, १९५८ ई० से हटा दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ।

सरकार को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह गई थी।

*३०—श्री **हृदय नारायण सिंह**—(*अनुपस्थित) उपर्युक्त बर्खास्त किये गये कर्मचारी कितने दिनों से काम कर रहे थे और पहले उनके कार्य तथा ईमानदारी के बारे में अधिकारियों की क्या रिपोर्ट थी ?

श्री चरण सिंह—एक सहायक चकबन्दी अधिकारी के सिवाय शेष कर्मचारी लगभग ३ साल पहिले से चकबन्दी विभाग में कार्य कर रहे थे। सरकारी कर्मचारियों के कार्य तथा ईमानदारी विषयक रिपोर्ट गोपनीय होती है।

---

* प्रश्न २९ से ३५, ५५ तथा ३८ से ४१ तक श्री इसहाक सम्भली ने पूछे।

*३१—श्री हृदय नारायण सिंह (*अनुपस्थित)—क्या सच है कि संचालक, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश गत फरवरी, मार्च में डोमरियागंज, जिला बस्ती गये थे और अफसरों ने उन्हें दावत दी ?

श्री चरण सिंह—यह सत्य है कि गत फरवरी, मार्च में संचालक चकबन्दी डोमरियागंज गये थे, किन्तु इस अवसर पर अफसरों ने उन्हें कोई दावत नहीं दी।

*३२—श्री हृदय नारायण सिंह (*अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि इस दावत में एक सहस्त्र के लगभग खर्च किया गया था ?

श्री चरण सिंह—यह प्रश्न नहीं उठता।

*३३—श्री हृदय नारायण सिंह—(अनुपस्थित) क्या सरकार ने उच्च अधिकारियों द्वारा अपने मातहतों से ऐसी दावत लेने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है या नहीं ?

श्री चरण सिंह—सरकारी अधिकारियों के दावत आदि में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश मौजूद है।

गंगा खादर (जिला मेरठ) की अधिकांश भूमि का वर्षा के कारण पानी में डूबा रहना।

*३४—श्री हृदय नारायण सिंह (*अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि मेरठ जिले के गंगा खादर क्षेत्र में प्रायः प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और भूमि वर्ष में अधिकांश समय तक पानी के नीचे रहती है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। वास्तविक स्थिति ऐसी है कि उक्त क्षेत्र में बाढ़ हर साल नहीं पर जब किसी वर्ष वर्षा अत्यधिक होती है तो वहां कुछ भाग में बाढ़ आ जाती है। लेकिन वहां से कुछ थोड़ी सी नीची भूमि को छोड़कर पानी जल्दी ही निकल जाता है और भूमि रबी की फसल बोने के लिये उपलब्ध हो जाती है।

*३५—श्री हृदय नारायण सिंह (*अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ तथा १९५७-१९५८ में मेरठ जिले के गंगा खादर क्षेत्र में बाढ़ कितनी क्षति हुई ?

श्री चरण सिंह—१९५६-५७ में उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाने से फसल व अन्य सामान के ४,११,३०१ रुपये की हानि हुई। कोई जन हानि नहीं हुई। सन् १९५७-५८ में उक्त क्षेत्र में बाढ़ से हानि का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उस वर्ष वहां बाढ़ ही नहीं आई।

विभिन्न सरकारी कार्यालयों में नोटर्स और ड्राफ्टर्स का वेतन क्रम

*५५—श्री हृदय नारायण सिंह (*अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि विभिन्न सरकारी विभागों के दफ्तरों में काम करने वाले नोटर्स और ड्राफ्टर्स को क्या वेतनक्रम प्राप्त है और यह कब से लागू है ?

श्री चरण सिंह—निम्नलिखित वेतन क्रम १ अप्रैल, १९४७ से लागू है।

दफ्तर	वेतन क्रम
	रु०
सचिवालय एवं लोक सेवा आयोग	१६०-१५-२८० (द० अ०) २०-४००
उच्च न्यायालय एवं राजस्व परिषद्	१२०-८-२०० (द० अ०) १०-३००
विभागाध्यक्ष एवं डिवीजनों के आयुक्त	८०-६-११० (द० अ०)-६-१४० (द० अ०)

	१०-२००-(द० अ०)-२०-२४०
जिला न्यायाधीश एवं जिलाधीश	१५०-१८-२०० बड़े जिलों में।
	१००-१०-१५० छोटे जिलों में।
गुप्तचर विभाग	७५-५-१२० (द० अ०)-८-२००
अधीक्षण अभियन्ता	१००-१०-१५० ज्येष्ठ के लिये।
	८५-६-१४५ कनिष्ठ के लिये।
गन्ना आयुक्त	६०-४-१००-५-१५० और २५ रुपये मासिक स्पेशल पे,
कार्यकारी अभियन्ता, सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस और अन्य इन श्रेणी के दफ्तर	८०-५-१००-६-१३०.
निम्न श्रेणी के दफ्तर	६०-३-९०-४-११०.

मेरठ जिले के गंगा खादर में विस्थापित परिवारों की संख्या

*३८--श्री हृदय नारायण सिंह (*अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले के गंगा खादर योजना में कितने विस्थापित परिवारों को अब तक (१५-४-५८) बसाया गया है?

श्री चरण सिंह--१४५२

*३९--श्री हृदय नारायण सिंह (*अनुपस्थित)--यह योजना कब बनी और इस पर अब तक (३१-३-५८) कितना धन व्यय हुआ है?

श्री चरण सिंह--यह योजना सन् १९४७ में बनी और इस पर ३१-३-५८ तक १,६०,७२,०८१ रु० व्यय हुआ।

*४०--श्री हृदय नारायण सिंह (*अनुपस्थित)--क्या विस्थापित परिवारों से जो वहां बसाये गये हैं, कोई किराया या कर भी लिया जाता है?

श्री चरण सिंह--जी हां।

*४१--श्री हृदय नारायण सिंह (*अनुपस्थित)--यदि हां, तो उससे प्रतिवर्ष कितनी औसत आमदनी हो रही है?

श्री चरण सिंह--गंगा खादर में बसाये गये विस्थापित परिवारों से भूमि कर द्वारा प्रति वर्ष ६९,००० रु० की औसत आमदनी होती है।

अतारांकित प्रश्न

१--२--(स्थगित)।

श्री चेयरमैन--प्रश्न समाप्त हुए।

हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज से उत्पन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री चेयरमैन--दो काम रोको प्रस्ताव मेरे पास आये हैं। दोनों का सम्बन्ध हिन्दू यूनिवर्सिटी वाराणसी से है। मैं पहिले डाक्टर फरीदी साहब का प्रस्ताव लेता हूँ। वह यह है:--

"Lathi charge by the U. P. Police on the students of the Banaras Hindu University, Varanasi, on the 8th October, 1958, at 8-30 a. m., causing injury to Sri Satish and Professors of the said University including Sri Radhey Shyam."

दूसरा इसी सम्बन्ध में श्री शफीक अहमद खां तातारी साहब का है वह भी हिन्दू यूनिवर्सिटी वाराणसी के सम्बन्ध में है। उस में दो, तीन, चार-चीजें इकट्ठा मिला दी गयी हैं।

जो पहिली बात मैं जानना चाहता हूँ वह यह है कि चूंकि यह हिन्दू यूनिवर्सिटी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के अधीन विषय है तो डाक्टर फरीदी साहब यह बतलाये कि इस यूनिवर्सिटी जो लाठी चार्ज हुआ है वह इक्जीक्यूटिव कौंसिल ने अगर सहायता मांगी और उसके ऊपर अगर कोई सहायता दी गई तो वह एक चीज है और अगर यू० पी० गवर्नमेंट की पुलिस ने स्वयं कोई कार्यवाही की है तो दूसरी चीज है इस पर पहिले आप बतलायें तो मैं फिर आगे कहूँगा।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) जनाब चेयरमैन साहब, जहां तक लाठी चार्ज का सवाल है यू० पी० के पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। यह प्रश्न तो तब उठता है कि इक्जीक्यूटिव कौंसिल ने करवाया या पुलिस ने स्वयं किया जब कि इस पर डिसकशन होगा। जब इस पर जुडिशियल इन्क्वायरी होगी तब यह बात सामने आयेगी। यह बाद की बात है। मुझे यह मालूम है कि यह यूनिवर्सिटी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के चार्ज में है। यहां पर यू० पी० पुलिस ने हमला किया है मैं इस पर जोर देना चाहता हूँ।

श्री चेयरमैन - यहां पर जोर देने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि हिन्दू यूनिवर्सिटी में जो लाठी चार्ज हुआ है वह यूनिवर्सिटी की अथारिटीज ने कोई सहायता मांगी थी और वह उनकी सहायता के लिये किया गया है या नहीं। पहिले आप इतना बतलायें।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—जनाब वाला, यह सवाल जो इस वक्त जनाब फरमा रहे हैं यह साफ मालूम नहीं होता। हिन्दू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ। यह अखबार में नहीं आया था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने हुक्म दिया है कि बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी के लड़कों को मारो। जनाब वाला, मैं लड़कों से मिला हूँ उनसे भी मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया यह नहीं कहता कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के आर्डर से लाठी चार्ज हुआ है। अगर आप दो-एक मिनट का समय दें तो मैं अपनी बात साफ कर दूं। वहां के जो अखबार हैं उनकी कटिंग मेरे पास है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जाकर वहां पर विद्यार्थियों पर हमला किया है और हल्ला बोला, चढ़ाई की और मारा तथा उत्तर प्रदेश के रहने वालों को मारा। इस बात को मैं यहां पर साबित करना चाहता हूँ।

श्री चेयरमैन—अखबार से मालूम होता है कि लाठी चार्ज हुआ और अभी आपने फरमाया कि मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आर्डर से लाठी चार्ज हुआ है या उत्तर प्रदेश की सरकार के आर्डर से हुआ इसलिये आपकी बात से यह निर्णय हो गया कि यह बात अनिश्चित है।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—इसका जिक्र नहीं है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कम्युनिक में भी इसका जिक्र नहीं है।

श्री चेयरमैन--एक प्रश्न तो खुद आपने अनिश्चित कर दिया। दूसरा प्रश्न यह है कि यह घटना अक्टूबर में हुई लेकिन आज उसकी इम्पारटेन्स क्या है उसके ऊपर आप कुछ कह सकते हैं।

डाक्टर ए० जे० फ़रीदी--जनाब चन्द्रभाल साहब की रूलिंग है :--

"But if the House is not sitting during the period of its occurrence, the requirement of recent occurrence is waived if the notice is given on the first day of the meeting of the House after the event."

पहली मर्तबा हम उसके बाद अब हम मिल रहे हैं और इसकी नोटिस परसों मैंने दी थी। जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि आप लखनऊ आये हैं उसी वक्त मैंने दे दिया है। यह पब्लिक इम्पारटेन्स की चीज है कि उत्तर प्रदेश में लाठी चार्ज हुआ और पी० ए० सी० ने लाठी चार्ज किया और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया और विद्यार्थियों को मारा तथा उस्तादों को भी मारा जिनकी हम इज्जत करते हैं और जिनकी इज्जत हमारी संस्कृति में है। जो हमारे गुरू हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है।

श्री चेयरमैन--श्री तातारी साहब आपको कुछ कहना है तो आप बतलाइये। आपने भी यही प्रश्न रखा है। आपने इसमें कई विषय मिला रखे हैं कि "छात्रों पर अनेक बार लाठी चार्ज हुआ है तथा अध्यापकों को चोटें आयी हैं। शिक्षा संस्थाओं में अपना अधिकार जमाने के लिये सरकारी हस्तक्षेप बराबर बढ़ता चला जा रहा है और स्थानीय घटनाओं से शिक्षा जगत में चिन्ता व्याप्त है।" यह तात्कालिक घटना नहीं है क्योंकि इससे जाहिर होता है कि बहुत जमाने से उत्तर प्रदेश की सरकार हस्तक्षेप करती आ रही है और उनके अधिकार पर कब्जा करती आ रही है, इतने प्वाइंट पर कुछ कहना चाहते हैं तो वह कह सकते हैं।

*__श्री शफ़ीक अहमद खां तातारी__ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--

श्रीमन्! आज उत्तर प्रदेश में सारे प्रान्त में छात्रों की हड़ताल हो रही है यह रीसेंट एकरेन्स है। यह जाहिर करता है कि सारे प्रान्त में रोष व्याप्त है। कारण क्या है हिन्दू यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बनाई गई उसने रिपोर्ट की उस रिपोर्ट में कुछ बातें लिखी हैं--

श्री चेयरमैन--यू० पी० गवर्नमेन्ट ने खुद तो रिपोर्ट नहीं छापी है।

"यू० पी० गवर्नमेंट बहुत अर्से से छात्रालय में अपना आधिपत्य जमाना चाहती है।" इतने के ऊपर यदि आप कुछ कह सकते हैं तो कहें। बाकी का जो प्रश्न है वह डाक्टर फरीदी ने पेश कर दिया है।

श्री शफ़ीक अहमद खां तातारी--श्रीमन्! कहीं यू० पी० गवर्नमेंट नहीं लिखा। सरकार से तात्पर्य है केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार।

श्री कमलापति त्रिपाठी (गृह, शिक्षा व सूचना मन्त्री)--मान्यवर, मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव पर इस सदन में विचार नहीं किया जा सकता और यह आउट आफ आर्डर होना चाहिये आपकी कृपा से। दो बातें मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ यदि आपकी आज्ञा होगी और सदन चाहेगा तो जो रिपोर्ट होगी वह बाद में मैं पेश कर दूंगा। एक

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

तो यह कि इसमें मुकद्दमे चल रहे हैं कई विद्यार्थियों के ऊपर जिनकी गिरफ्तारी हुई है मुकद्दमों का चालान हो चुका है अगर इस विषय में वाद-विवाद करेंगे कि क्यों लाठी चार्ज हुआ तो इस विषय को उससे अलग नहीं कर सकेंगे। यह केस सब्जुडिस है। दूसरी बात यह है कि हिन्दू यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट आफ इंडिया की मातहती में है। उसके ऐक्ट से उसके चार्टर से उसके रेगुलेशन से यूनिवर्सिटी का संचालन होता है और यदि कोई कमेटी बनी कुछ रिपोर्ट हुई कोई एक्जीक्यूटिव कौंसिल बनी तो यू० पी० गवर्नमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन की चीज है। उन्होंने उसको किया और एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने यूनिवर्सिटी को बन्द किया। इन चीजों से कोई मतलब नहीं है केवल इतना ना मतलब है जैसा कि डाक्टर फरीदी साहब ने कहा कि अगर कोई आदमी बीमारी से मर जाय तो हेल्थ आफिसर का काम हो जाता है। अगर ल ऐन्ड आर्डर की कोई सिचुएशन पैदा हुई स्टेट के भीतर तो उसमें हस्तक्षेप करने के जिम्मेदारी पड़ जाती है और इसमें संदेह नहीं कि लाठी चार्ज हुआ लेकिन जो कुछ यूनिवर्सिटी में हुआ या जो कुछ निश्चय किया गया उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जाहिर हो कि हमारा कोई हाथ उसमें रहा है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि इन दोनों बातों को देखते हुए इस प्रस्ताव पर तो विचार नहीं किया जा सकता है और इसके ऊपर आपका फैसला होने के बाद आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही करूँगा।

डाक्टर ए० जे० फ़रीदी--जनाबवाला, जो सवाल आपने उठाया था उसका जवाब तो हमारे बुजुर्ग ने दे दिया है कि लाठी चार्ज के लिए यू० पी० गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने यह भी कहा था कि यह सब जुडिस है।

डाक्टर ए० जे० फ़रीदी--इससे हमारा कोई मतलब नहीं है यहां पर तो लाठी चार्ज का सम्बन्ध है। यहाँ पर आये दिन जो लाठी चार्ज होता है उसके सम्बन्ध में बात हो रही है। टीचर्स पर आज तक दुनिया में कहीं पर भी इस तरह मार नहीं पड़ी है। मैं तो इस प्रिंसपल पर बहस करना चाहता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि यह मामला सब जुडिस है और हम इसको उस तरह से डिसकस भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो बात हम उठाना चाहते हैं वह प्रोफेसरों की पीटने की है। अगर, जनाबवाला, इजाजत देंगे तो मैं उन प्रोफेसरों का नाम भी बतला दूंगा जिनको पीटा गया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--जहाँ तक कानूनी एतराज था वह मैंने बतला दिया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो जो रिपोर्ट इस समय मेरे पास है उसको आपकी आज्ञा से संक्षेप में यहाँ पर आपकी जानकारी तथा सदन की जानकारी के लिये निवेदन कर दूँ।

श्री चेयरमैन—आप उसको कह दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

डाक्टर ए० जे० फ़रीदी—पहले तो मेरे एडजार्नमेंट मोशन पर आपका हुक्म हो जाना चाहिए कि वह रूल आउट हुआ है या एडमिट हुआ। स्टेटमेंट तो इसके बाद दूसरा आईटम है। मैंने तो एक एडजार्नमेंट मोशन मूव किया है। अगर उसको मन्जूर करना है तो मैं कह सकता हूँ कि इससे ज्यादा अच्छा कोई एडजार्नमेंट मोशन नहीं हो सकता है।

श्री चेयरमैन—माननीय मन्त्री महोदय जो स्टेटमेंट देना चाहते हैं वह दे दें और उसके बाद ही मैं अपना निर्णय दूंगा ताकि आप सज्जनों को भी मालूम हो जाय कि परिस्थिति क्या है।

श्री पीताम्बर दास—अध्यक्ष महोदय, क्या उस स्टेटमेंट पर सदन को बहस करने की इजाजत होगी?

श्री चेयरमैन—माननीय सदस्य जब स्टेटमेंट सुन लें और उसके बाद यदि नोटिस दें कि उस स्टेटमेंट के ऊपर आप बहस चाहते हैं तो उसके औचित्य पर बाद में निर्णय दिया जायगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे अनुमति प्रदान की है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कोई स्टेटमेंट की तरह का स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ बल्कि आपकी आज्ञा से इस माननीय सदन को सूचना दे रहा हूँ ताकि इस सूचना को प्राप्त करने के बाद कदाचित् आपको निर्णय करने में सहूलियत हो सके। यह कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिस पर बहस की आवश्यकता हो।

बात यह है कि हिन्दू यूनिवर्सिटी की जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल है उस एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने यूनिवर्सिटी में जो परिस्थिति कई महीनों से चल रही थी उसके फलस्वरूप ८ अक्तूबर को एक नोटिस निकाल कर सूचना दी बल्कि यह कहिये कि ६ अक्तूबर की शाम को ही यह सूचना निकाली कि ८ तारीख से हिन्दू यूनिवर्सिटी अनिश्चित काल के लिए बन्द की जा रही है। यह उनका प्रस्ताव था। उसके साथ-साथ उन्होंने अपने प्रस्ताव में यह भी प्रार्थना की कि यूनिवर्सिटी में जो ला लेसनेस फैला हुआ है और ला एन्ड आर्डर की हालत में गड़बड़ी हो रही है उसकी सुरक्षा और शान्ति के लिए यहां के स्थानीय अधिकारी उचित प्रबन्ध करें। यह उनका प्रस्ताव था और यह प्रस्ताव भी ६ तारीख की शाम को छापा गया था। उन्होंने हमारे स्थानीय अधिकारियों को यह सूचना भेज दी कि हम यूनिवर्सिटी को तो बन्द कर रहे हैं लेकिन अगर शान्ति और व्यवस्था के विरुद्ध कोई परिस्थिति पैदा हो जाय तो उसके लिए आप उचित प्रबन्ध करें।

७ तारीख को एक्जीक्यूटिव कौंसिल के कहने पर उनका जो रेजोल्यूशन था, उस रेजोल्यूशन की मैंने आपसे चर्चा की। ७ तारीख की शाम को बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने इसके विरोध में कि यूनिवर्सिटी ८ तारीख से बन्द हो रही है, एक जलूस निकाला। वाइस-चान्सलर जहाँ टिके हुये थे, यूनिवर्सिटी कम्पेस के बाहर क्योंकि वाइस-चान्सलर को करीब तीन महीने से भीतर नहीं घुसने दिया जा रहा था, एक्जीक्यूटिव कौंसिल की मीटिंग होनेवाली थी, उसको नहीं होने दिया, लिहाजा उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर ही अपनी मीटिंग वगैरह की। तो ७ तारीख की शाम को यूनिवर्सिटी कम्पेस से एक जूलस उठा और उसके पहले उन्होंने एक रेजोल्यूशन वगैरह भी किया कि यूनिवर्सिटी को ८ तारीख से बन्द नहीं होना चाहिये। रेगुलर क्लासेज वगैरह लगती रहें, यूनिवर्सिटी के गेट्स बन्द किये जा रहे हैं, ताकि कोई यहां से बाहर न जाने पाये और वाइस चान्सलर यूनिवर्सिटी के ट्रेजरार के जहाँ टिके हुए थे, बाबू ज्योति भूषण गुप्त जो कि ट्रेजरार हैं, उनके मकान पर, वहाँ लड़के, एक बड़ा भारी जूलस लेकर गये और दो घण्टे तक फाटक के पास रहे, चूँकि फाटक बन्द था, इसलिए वे बाहर ही रहे और वहाँ से स्लोगन वगैरह लगाते रहे। उन्होंने

यह भी माँग की कि वाइसचान्सलर को सरेन्डर करो नहीं तो झगड़ा बढ़ेगा। वहाँ पर स्पीचेज वगैरह भी हुई, गाली वगैरह भी दी गई। दो घण्टे के बाद किसी तरह से वहाँ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी पहुँचे, उन्होंने उनको परसुएड किया कि शहर में आकर इस तरह से न करो। उनका जब जलूस निकला तो चलते हुए भारत अखबार के दफ्तर में भी ढेले वगैरह उन्होंने फेंके क्योंकि उनका ख्याल था कि भारत अखबार स्टूडेंटस मूवमेंट को कन्डेम करता है। बनारस का एक और अखबार निकलता है, उनको भी गालियां वगैरह दी और यह सब कुछ करता हुआ जलूस ७ तारीख की रात को ८, ६ बजे यूनिवर्सिटी के भीतर घुसा, सारे गेट्स वगैरह बन्द कर दिये गये और हर गेट पर पहरा लगा दिया गया कि न कोई यूनिवर्सिटी के भीतर घुसने पाये और न कोई वहाँ से बाहर ही जाने पाये। एक बार पहले भी प्रोवाइस चान्सलर और रजिस्ट्रार के यहाँ पर ढेले फेंके गये थे। किसी तरह से अथारिटीज ने ला एन्ड आर्डर की सिचुएशन को सम्भालने के लिए हमसे नहीं कहा लेकिन पुलिस तक खबर पहुँचा दी तो जब पुलिस वहां पर पहुँची और उसने गेट को खोलने के लिए कोशिश की तो जो लड़के पहरे पर थे उन्होंने गेट को नहीं खोला जिसकी वजह से पुलिस को ताले तोड़ने पड़े और इसमें लड़कों में और पुलिस में कुछ रिसिस्टेंस हुआ, यह इसकी सिचुएशन है। इस सिचुएशन को हमने नहीं पैदा किया और जो कुछ वहां पर हो रहा था उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। जो कुछ भी किया पुलिस ने किया और पुलिस को भी वहां की अथारिटीज ने सहायता के लिए बुलाया कि यूनिवर्सिटी खतरे में है यहाँ की ला ऐन्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ी हुई है और उसमें जितना कार्य किया गया है या जो कुछ भी हुआ है यह सारा केस जो है, यह सब जुडिस है। जितनी बातें मैंने यहां पर बताई है मैं समझता हूँ कि इससे सारी बातें साफ हो गई है कि हम किसी तरह से बहस में अपनी परिधि से बाहर नहीं जा सकते हैं और मेरा विचार यह है कि यह मोशन रूल आउट होना चाहिये।

श्री चेयरमैन—यह जो दो काम रोको प्रस्ताव है उन पर मैंने डाक्टर फरीदी साहब को और तातारी साहब को मौका दिया कि वह इस बात को बतलावें कि हिन्दू यूनिवर्सिटी जो कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, उसमें जो कुछ विघ्न खड़ा हुआ वह किसकी जिम्मेदारी है। डाक्टर फरीदी ने अपने बयान में यह बतलाया कि मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की आज्ञा से यह सहायता पुलिस से मांगी गई। तातारी साहब से पूछने पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय पर कब्जा करके सरकार उसके कामों में हस्तक्षेप कर रही है।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—मैंने तो लाठी चार्ज के बारे में कहा था।

श्री चेयरमैन—जब मैं रूलिंग दे रहा हूँ तो उसके बीच में आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—जो वाकया हुआ है, उसको बयान कर रहा हूँ।

श्री चेयरमैन—आप इस वक्त कुछ नहीं कह सकते हैं।

तातारी साहब ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेशीय सरकार बराबर विश्वविद्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप करने की नीति बहुत दिनों से बरत रही है, यह भी इस काम रोको प्रस्ताव में आ सकता है।

[श्री चेयरमैन]

अब प्रश्न रह गया है कि इस बात का, कि डाक्टर फ़रीदी साहब ने कहा कि लाठी चार्ज हुआ है। लाठी चार्ज जब होता है तो प्रत्येक मनुष्य को उससे तकलीफ होती है, दुख होता है। लेकिन इस सदन के सामने प्रश्न यह है कि वहां पर जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेशीय सरकार पर है या नहीं। सिद्धान्तः बात यह है कि जो परिस्थिति वहां पर उत्पन्न हुई वह है सेन्ट्रेली एडमिनिस्टर्ड यूनिवर्सिटी की कौंसिल द्वारा हुई है। इसकी जिम्मेदारी वहां के विद्यार्थियों और प्रोफेसरों पर है। उत्तर प्रदेशीय सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं है। इसके बारे में उत्तर प्रदेशीय सरकार कुछ नहीं कर सकती है, न तो वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल को आज्ञा दे सकती है कि वह यूनिवर्सिटी को खोल दे और न यह आज्ञा दे सकती है कि उसको बन्द रखा जाय। तो जब यह प्रश्न आता है, तो इस हद में यह प्रस्ताव बिल्कुल अवैध है और यह आउट आफ आर्डर है।

दूसरी बात माननीय मन्त्री जी ने यह बतलायी कि चूंकि कई विद्यार्थी गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो ऐसी हालत में यहां पर उसके बारे में कोई बहस नहीं हो सकती है और न कोई बात ही कही जा सकती है। वहां पर जो लाठी चार्ज हुआ है, उस पर भी कोई विचार प्रकट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि केवल इस बात को कहना कि लाठी चार्ज हुआ या यह कहना कि किसी मनुष्य पर गोली चलायी गयी, इतना कह देना काफी नहीं है और इस बात पर इस सदन में कोई काम रोको प्रस्ताव नहीं आ सकता है। मैं समझता हूँ कि जब तक लाठी चार्ज और गोली चलाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेशीय सरकार पर आयद नहीं होती, तब तक इस प्रकार का कोई काम रोको प्रस्ताव नहीं आ सकता है। ऐसी हालत में यह प्रस्ताव अवैध है।

तीसरी बात जो तातारी साहब ने कही है कि सरकार की बहुत दिनों से यह नीति रही है कि वह विश्वविद्यालय पर कब्जा करे और उसके कामों में हस्तक्षेप करे, तो यह चीज इसके बाहर है। इसलिये मैं इन दोनों प्रस्तावों को नामंजूर करता हूँ।

डाक्टर ए० जे० फ़रीदी--मैं तो हाउस के सामने कहना चाहता हूँ।

श्री चेयरमैन--Order ? Order ?

सन् १९५८ ई० का उत्तर प्रदेश टेम्पोरेरी कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक

सचिव विधान परिषद्--श्रीमान् जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९५८ ई० के उत्तर प्रदेश टेम्पोरेरी कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक पर श्री राष्ट्रपति का अनुमति २२ सितम्बर, १९५८, को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १९५८ का २८वां अधिनियम बना।

सन् १९५८ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्--श्रीमान् जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९५८ ई० के उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक पर श्री राष्ट्रपति की अनुमति २२ सितम्बर, १९५८, को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १९५८ का २९वां अधिनियम बना।

सन् १९५८ ई० का उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी) पावर्स आफ कन्ट्रोल (सशोधन) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन् १६५८ ई० के उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटा (टेम्पोरेरी) पावर्स आफ कन्ट्रोल (संशोधव) विधेयक पर श्री राष्ट्रपतिकी अनुमति २२ सितम्बर, १६५८, को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १६५८ का ३०वां अधिनियम बना ।

सन् १६५८ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ की बढ़तियों का (विनियमन) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन् १६५८ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५४–५५ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति ७ अक्तूबर, १६५८, को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १६५८ का ३१वां अधिनियम बना ।

सन् १९५८ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ का प्रथम पूरक) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन् १६५८ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५८—५६ की का प्रथम पूरक) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति ७ अक्टूबर, १६५८, को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १६५८ का ३२ वां अधिनियम बना ।

सन् १९५८ ई० का उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन् १६५८ ई० के उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति ७ अक्टूबर, १६५८, को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १६५८ का ३३वां अधिनियम बना ।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन् १६५७ ई० के उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक पर श्री राष्ट्रपति की अनुमति ८ अक्तूबर, १६५८, को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १६५८ का ३४वां अधिनियम बना ।

सन् १९५७ ई० का इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन् १६५७ ई० के इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति १५ अक्तूबर, १६५८, को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १६५८ का ३५वां अधिनियम बना ।

सन् १९५८ ई० का लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९५८ ई० के लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति २४ अक्तूबर, १९५८ को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १९५८ का ३६वां अधिनियम बना।

सन् १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में संशोधनों की विज्ञप्ति

श्री हुकुम सिंह विसेन—(स्वास्थ्य, विद्युत, सहायता व पुनर्वास मंत्री)—Sir, I beg to lay on the table the Revenue (A) Department notification no. 3151-RS/I-A Revenue (D) 21-D-55 dated August 28, 1958, amending the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Rules, 1952.

सन् १९५७ ई० की उत्तर प्रदेश बृहत् जोतकर नियमावली में संशोधनों की विज्ञप्ति

श्री हुकुम सिंह विसेन—Sir, I beg to lay on the table the Revenue (C) Department notification no. 5838/IC-519-C 1 58, dated September 0, 1958, amending the U. P. Large Land Holdings Tax Rules, 1957.

यू० पी० पंचायत राज नियमावली में संशोधनों की विज्ञप्ति

श्री कुंवर महावीर सिंह—(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के सभा सचिव)—श्रीमान्, मैं पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६२६४.प.३३—५५२-५७, दिनांक २८ जून, १९५८ तथा संख्या १५४३. प (बी) । ३३—१२-५८, दिनांक २४ जुलाई, १९५८, जिनके द्वारा यू० पी० पंचायत राज नियमावली में संशोधन किये गये हैं, को मेज पर रखता हूँ।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मैं सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, मेज पर रखता हूँ।

सन् १९५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मैं सन् १९५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, मेज पर रखता हूँ।

सदन का कार्यक्रम

श्री चेयरमैन—माननीय सदस्यों को जो हमारे सदन का अगला कार्यक्रम है, वह भेज दिया गया है। बिजिनस एडवाइजरी कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। सदन से आशा है कि वह इसे स्वीकार करेगा।

एक पत्र मुझे माननीय शिक्षा-मन्त्री जी की ओर से मिला है। चूंकि २१ नवम्बर को उनका दूसरा कार्य है, इसलिये वे २१ तारीख को यहां पर उपस्थित नहीं रहेंगे।

इस दिन के लिये प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक रखा गया है। यदि माननीय मन्त्री जी उस दिन इसे यहां पर नहीं रखवाना चाहते हैं, तो इस सम्बन्ध में कुछ कहें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, यदि इस दिन के बाद लेना सम्भव हो, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाय। मुझे २१ तारीख को बाधा दीखती है। यदि इसे बाद में २५ या २६ तारीख को लेना सम्भव हो, तो ज्यादा ठीक होगा।

श्री चेयरमैन—तो अब सवाल यह है कि २१ तारीख को जो शिक्षा-मन्त्री जी का विधेयक रखा गया है, उसे छोड़कर बाकी सदन का कार्यक्रम उसी के अनुसार स्वीकार किया जाय और जब माननीय मन्त्री जी को अपने विधेयक के लिये सुविधा होगी, तब वह रख लिया जायेगा।

श्री महमूद अस्लम खां—यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या लोगों से कन्सल्ट नहीं करती ?

श्री चेयरमैन—बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो निर्माण होता है वह इस प्रकार का है कि जितने दल यहां पर हैं उनके प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहें और उन्हीं की सुविधा देख कर कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जो माननीय मन्त्रीगण हैं उनको उत्तर प्रदेश में कहीं जाने के लिए कोई बड़ा काम आ जाता है। तो उन्होंने सदन के सामने यह प्रार्थना की है कि उस दिन न रखा जाये। मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल उचित है।

स्थायी समितियों पर कार्य करने के लिए एक अतिरिक्त स्थान के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री सैयद अली जहीर (न्याय, बन, खाद्य व रसद मंत्री)—Sir, I beg to move that the Legislative Council do elect on such date and in such manner as the Chairman may direct in accordance with the Rules for election, Constitution and Procedure of the Standing Commitees to advise the Ministers, one additional member for each of the 25 standing Committees for the remaining period.

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि यह विधान परिषद् जिस प्रकार और जिस तिथि को श्री सभापति आदेश दें, मन्त्रियों को परामर्श देने के लिए स्थाई समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि नियमावली के अन्तर्गत २५ स्थाई समितियों में से प्रत्येक के लिए एक अतिरिक्त स्थान पर शेष अवधि के लिए कार्य करने के लिए एक सदस्य चुन लें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—इसके लिए २८ तारीख रख दी जाये।

श्री चेयरमैन—वह बाद को तय हो जायेगा। पहले प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये।

स्टेट हेल्थ बोर्ड में रिक्त स्थानों पर दो सदस्यों का चुनाव

श्री हुकुम सिंह विसेन—Sir, I beg to move that the Legislative Council do elect on such date and in such manner as Sri Chairman may direct two members to serve on the State Health Board for the Seats which fell vacant as the term of previous members has expired on October 18, 1958.

श्री चेयरमैन—अब प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को श्री सभापति आदेश दें, स्टेट हेल्थ बोर्ड में विधान परिषद् द्वारा पूर्व निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल, १८ अक्टूबर, १९५८, को समाप्त हो जाने के कारण रिक्त स्थान पर कार्य करने के लिए दो सदस्य को चुन लें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५८ ई० का उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक

श्री सैयद अली ज़हीर—Sir, I beg to move that the Uttar Pradesh Repealing and Amending Bill, 1958, be taken into consideration.

अध्यक्ष महोदय, इस किस्म के कानून वक्तनफवक्तन, इस गरज से सदन में पेश किए जाते हैं कि जो कानून गैर जरूरी हो गए हैं या जिन कानूनों में कोई मामूली लफ्जी तरमीमें पेश की गई हों उनकी दुरुस्ती हो जाये। चुनान्चे मालूम होगा कि एक नम्बर से लगायत दस कानून ऐसे हैं जिनमें से एक कानून को तो बिल्कुल खत्म करना है और कुछ कानूनों में कुछ अल्फाज इधर से उधर करने हैं और कुछ बदलने हैं। इसी गरज से यह कानून पेश किया गया है। इसमें कोई खास अहमियत नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ जो किया जाता है महज इस वजह से है कि जो कानून लागू नहीं हैं या जिनकी कोई जरूरत नहीं है कि वह स्टेट्यूट बुक पर रहे या मजह लफ्जी तरमीमें हैं उनको कर दिया जाये। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य इसे मंजूर करेंगे।

श्री महमूद अस्लम खां—जो रिपील के लिए अमेन्डिंग बिल हमारे सामने पेश है उसमें कोई मसला ऐसा नहीं है जो काबिले बहस हो। सिर्फ एक बात जानने के लिये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सीरियल नम्बर दो पर यू० पी० डिस्ट्रिक बोर्ड का जो जिक्र है उसकी क्या पोजीशन है। क्योंकि अन्तरिम जिला परिषद् पास हो चुका और उस पर अमलदरामद भी हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट भी अभी तक इन्फोर्स है। इसमें महज एक सेक्शन का हवाला दिया गया है इसमें अमेन्डेमेन्ट होना जरूरी है तो मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के रिपील होने की जरूरत है या नहीं।

श्री सैयद अली जहीर—जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बहैसियत एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कायम रखने का ताल्लुक है वह लागू नहीं है लेकिन उसकी बहुत सी दफात जिला अन्तरिम परिषद् में लागू होती है। इसलिये यह तरमीम रखी गई है कि ऐक्ट में जो लफ्जी तरमीमें रह गई हैं वह कर दी जायं। इन सब पर उस समय गौर किया जायगा जब जिला अन्तरिम परिषद् बिल पर यहां गौर किया जायगा। इससे कोई खास असर कानून के रहने न रहने पर नहीं पड़ता है।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह कि सन् १९५८ ई० के उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत किया गया।)

श्री सैयद अली जहीर—Sir, I beg to move that the Uttar Pradesh Repealing and Amending Bill, 1958, be passed.

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५८ ई० के उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक † पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश पचायत राज नियमावली में किए गए संशोधनों पर विवाद

***श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**--माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८१ प-३३-१९९-५६ दिनांक २४ जनवरी १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों पर विवाद के लिये मैंने कहा था । अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि पंचायत राज ऐक्ट के अनुसार रूल्स पंचायत राज विभाग के बन जाय और यह रूल्स २४ जनवरी को बने हैं । यह जो रूल्स बने हैं इनमें लिखा है कि ऐक्ट जो बना है उसमें यह नहीं बताया है कि रूल्स जो बने हैं वह किस ऐक्ट से सम्बन्धित हैं । यह जो पंचायत राज के रूल्स बनाने गये हैं इनमें दो-तीन पर मुझे कुछ अर्ज करना है ।

पहली बात इन रूल्स में खास यह है कि एक पंचायत चाहे तो दूसरी पंचायत से कर्ज ले सकती है । इसमें लिखा है कि यदि १००० रुपये तक कर्ज लेना है तो वह पञ्चायत राज आफिसर के पास अप्लाई करेगी और यदि इससे ज्यादा कर्ज लेना है तो डाइरेक्टर के पास अप्लाई करेगी, तो इसमें इस तरह का प्रोसीजर है ।

मैंने सेक्शन १३ को देखा जिसमें पञ्चायत की पावर्स का जिक्र है । इसके साथ-साथ जो डिसक्रीमिनेरी पावर्स है वह दूसरे सेक्शन में दी हुई है । इन दोनों सेक्शन्स को मैंने बड़े गौर से देखा और इस नतीजे पर पहुँचा कि रूल्स बनाते समय विभाग ने इन दोनों सेक्शन्स को देखा नहीं । इसमें कहीं भी इस प्रकार की इजाजत नहीं दी गई है कि कोई भी गांव सभा किसी दूसरी गांव सभा को कर्ज दे सके । मैंने यह भी देखा कि किसी गांव सभा को यह भी पावर नहीं है कि अपने एरिया के बाहर वह कोई खर्च भी कर सके । इस प्रकार की कोई भी प्राविजन पञ्चायत राज्य ऐक्ट में नहीं है ।

मैं समझता हूँ कि जब रूल्स बनाये जाते हैं तो वही पावर्स दी जाती है जो ऐक्ट के मुताबिक होती है या ऐक्ट में दी हुई है ।

मैंने फाईनेन्शियल पावर्स को भी देखा उसमें भी कोई ऐसी पावर नहीं है कि कोई गांव सभा किसी दूसरी गांव सभा को उधार दे सके ।

जहां तक पंचायतों की आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, वह तो बहुत ही कमजोर है । माननीय पंचायत राज मंत्री जी को मालूम होगा कि पिछले चुनावों में सैकड़ों पंचायतें इस कारण से डिसक्वालीफाई हुई थी कि पंचायतें और गांव सभा रुपया अदा नहीं कर सकी थीं ।

---

†देखिये नत्थी 'छ' पृष्ठ ५७ पर

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले गांव सभा की यह जिम्मेदारी थी कि वह अपने सेक्रेटरी की पे का खर्च बरदास्त करे लेकिन यह देखा गया कि ६,६ और १२,१२ महीने हो गये सेक्रेट्री का वेतन नहीं मिला और भी गांव सभा के जो रोज के कार्य थे वह भी रुक गये तो सरकार को मजबूर हो कर करना पड़ा कि सेक्रेट्री का वेतन सरकारी फन्ड से दिया जायेगा। तो ऐसी हालत में मुश्किल से कोई गांव सभा मिलेगी जो खुशहाल हो। बल्कि मैं तो यह देखता हूँ कि प्लानिंग के अन्दर गांव सभा के प्रधानों की अप्लीकेशन आती है कि सरकार डेवलपमेन्ट कार्य के लिये आधा खर्चा दे और वह आधा खर्चा मांगते हैं। मैं देखता हूँ कि उनको बड़ी दिक्कत पैदा होती है।

कोई भी बड़ा काम हो वह गाँव पञ्चायत या गांव सभा इसलिये नहीं कर सकती है क्योंकि गांव सभा के पास उस काम के लिये पर्याप्त फंड नहीं होता है। पता नहीं कि सरकार का मकसद क्या है जो इस प्रकार के नियम बना दिया है। दूसरी बात यह है कि एक गाँव सभा दूसरी गांव सभा को रुपया दे देती है और फिर वह रुपया किस प्रकार से वसूल होगा इसके लिए भी कोई नियम नहीं हैं। रुपया देने के बाद वसूल होने में कितनी दिक्कतें होंगी इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये था। आज जो गाँव सभाओं का रुपया है वह कितनी दिक्कतों से वसूल होता है इस सम्बन्ध में कितने इंबैज़िलमेंट्स होते हैं कितने गाँव सभाओं के सभापतियों पर इस प्रकार के मुकदमें चल रहे हैं उनको देखते हुए यह कितना मुनासिब होगा कि एक गांव सभा का रुपया दूसरी गांव सभा को कर्जे में दिया जाय। इसके अलावा चौथी बात इसमें यह है कि यह जो नियम बनाये गये हैं उसमें यह बतलाया गया है कि इस रुपये के मिलने के क्या साधन होंगे। किस तरह से अप्लीकेशन दी जायगी और कहां के रुपया मिलेगा। लेकिन किन कंडीशन्स में रुपया दिया जायगा, इस पर इंटरेस्ट क्या होगा इन बातों के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है। रूल्स जब बनाये जाते हैं तो डिटेल्स उसी में दे दिये जाते हैं। सारी की सारी बातें नियमों में ही रखनी पड़ती हैं। इसलिये इनके देखने पर यह मालूम होता है कि इसमें डिटेल नहीं दिया हुआ है। इन सब बातों की ओर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बातें आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी के पास तक पहुँचाना चाहता हूँ। यह जो पञ्चायत राज ऐक्ट है उसके मातहत जो गाँव सभायें हैं उसके मातहत गांव सभाओं का फाइनेन्स पर पूरा कंट्रोल है। वह रुपया किसी काम में खर्च कर सकती हैं। जो नियम दिये गये हैं उसमें डिप्टी डाइरेक्टर, डाइरेक्टर और इंसपेक्टर सब को अधिकार है लेकिन नियमों के अन्दर यह बात नहीं है कि वह जो रुपया मांगा जायगा उसके लिए कोई रेजोल्यूशन होगा, इस प्रकार के नियम का कोई प्राविजन उसमें नहीं है। इस ऐक्ट के अन्दर साफ़ तौर से यह दिया हुआ है कि गांव सभा अपने रेजोल्यूशन के जरिये से कोई फैसला कर सकता है। इसके अन्दर डाइरेक्टर को पावर है कि वह चाहे जो भी रुपया सैंकशन कर सकता है। इसके जरिये कंडीशन्स नहीं दी हुई है। इसके लिये डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, पञ्चायत राज इंसपेक्टर जो भी चाहेंगे कंडीशन्स बनायेंगे। इसके टर्म्स डाइरेक्टर देखेंगे या और अधिकारी देखेंगे। इन सब बातों का प्राविजन इसमें है लेकिन जिस गांव सभा से रुपया लिया जायगा उसके क्या फंकशन्स होंगे, वह गांव सभा क्या करेगी इस प्रकार

के नियम इसमें नहीं दिये हुये है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें दिक्कतें पड़ सकती हैं। इसके पहिले भी जो रूल्स थे वह इस प्रकार के हैं जिनके सम्बन्ध में दिक्कतें पड़ी थीं। इसीलिए मैं इन बातों की ओर आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा (स्वशासन मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, श्री आज़ाद साहब ने जो इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और उन्होंने जो आज फरमाया उसको मैंने ध्यान से सुना। यह दिक्कत हमारे सामने क्यों पेश हुई? मैं यह सब मानता हूँ कि गांव पञ्चायतों के पास पैसा बहुत कम है और इस सूरत में दूसरे को पैसा देने की सुविधा उनको रहेगी कि नहीं, यह सब दिक्कत की बात है। लेकिन यह बदकिस्मती हुई उस समय जिस समय यह ऐक्ट बना उस समय एक सेक्सन रखा गया था कि :—

Section 36—With the sanction of the prescribed authority and subject to such conditions as may be prescribed, a Goan Sabha may borrow money from the State Government or a Goan Sabha to carry out any of the purpose of this act.

अब यह गलत है या सही, इस पर बहस नहीं है। अगर हमारे काबिल और लायक दोस्त उस स्टेज पर मदद दिये होते तो शायद यह हल हो जाता। ऐक्ट जैसा है उसको मानते हुए प्राविजन करना या रूल्स बनाते वक्त। रूल्स आज से पहले बनाया गया लेकिन श्री आजाद साहब का ध्यान कभी उस तरफ नहीं गया और उस रूल्स के बनाते समय भी एक छोटी सी गल्ती हो गई। सेक्शन २४७ में जो पावर दी गई है कि

"A Goan Sabha shall be entitled to borrow money from the Government or any other Goan Sabha on such conditions as may be laid down by the State Government".

यहां पर वास्तव में प्रोसीजर यह है कि एक गांव सभा दूसरी गांव सभा से पैसा मांग सकती है तो उस सिलसिले में जो सेक्सन है उस पर डिपार्टमेंट का ध्यान गया। यह सब कन्सीड करते हुए कि यह टेक्निकल चीज है और यह प्रेक्टिकल नहीं है तो भी डिपार्टमेंट ने समझा कि कम से कम तो इसको रेगुलराइज कर दिया जाय। उसमें जो रूल्स हैं उसमें यह प्राविजन है और गांव सभाओं से बारो करने का प्राविजन है। गांव सभाओं के पास इस समय पैसा नहीं है तो एक गांव सभा दूसरी गांव सभा को पैसा कैसे दे सकती है। इस तरह से वे कैसे एक दूसरे से मनी बारो कर सकते हैं।

१००० रुपये से नीचे की रकम का निर्णय डिस्ट्रिक्ट आफिसर कर देगा और १००० रुपये से ऊपर की जो रकम होगी उसको डाईरेक्टर पंचायत राज कर देगा। उसके डिटेल्स में क्या होगा उसकी मैं नहीं कहना चाहता हूं। इस पर हमें अपना ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिये। जितना ध्यान आजाद साहब ने दिया है वह भी उनका वेस्ट ही हुआ है क्योंकि न सूत है न कपास और जुलाहे के साथ लट्ठम लट्ठा। इस वास्ते उस पर समय लगाना और माइन्ड खर्च करना कि ६ फी सदी पर लो या ९ फी सदी पर लो यह सब व्यर्थ की बात है। कहीं से पैसा आ जाये और कहीं से पत्थर निकल गया क्योंकि २,१ जगह से मेला लगता है उससे उनको आमदनी हो जाती है तो उसका रेगुलराइज करने के लिये जिससे वह अपना काम चला सके यह प्राविजन किया गया है। उसमें कोई एतराज हो कि १००० रुपये से नीचे और ऊपर की आपने कोई लिमिट नहीं रखी है तो वह इसलिये नहीं रखी कि १००० रुपये से ऊपर कोई नहीं देगा। १००० रुपये से ऊपर की रकम के लिये डाइरेक्टर पंचायत राज का

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]
अधिकार दिया गया है, उसको देखते हुए यह रूल्स बनाये गये हैं। वास्तव में बहुत कम है इसलिये इस सदन को और उस सदन को भी विचार करने का अधिकार होगा। उससे स्थिति साफ हो गई होगी। अगर उस समय कर दिया गया होता तो इस तरफ ध्यान न जाता।

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) नियमावली, १९५८, पर विवाद

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--मैं उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियन्त्रण) नियमावली १९५८ पर विवाद करने के लिये प्रार्थना करता हूँ।

सबसे प्रथम बार इस सम्बन्ध में नियम बने हैं। ये नियम काफी लंबे चौड़े हैं। जो ऐक्ट है वह हम लोगों के सामने रखा गया था और ये नियम जो थे उनके सम्बन्ध में जो लाइसेसिंग अथारिटी है और लाइसेंस के फार्म्स है वे भी रखे गये थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये जो नियम बने हैं उन नियमों में अधिकांश नियम ऐसे हैं जिनसे जो बाल संस्थायें हैं या विधवाओं की संस्थाएँ हैं उनमें काफी सुधार हुआ है। सुधार के साथ ऐसा भी मालूम होता है कि उन संस्थाओं की स्थिति भी काफी अच्छी होगी। साथ ही साथ संस्थाओं में जो रहने वाले जो बालक हैं या विधवायें हैं उनकी स्थिति भी अच्छी होगी। रूल नंबर २२ में काफी बातें ऐसी की गई हैं जिनसे ऐसा मालूम होता है कि इस प्रदेश के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें सरकार की सुधार करने की नीयत है। ऐसा भी मालूम होता है कि इन संस्थाओं के अंदर जो लोग रहते हैं उनको काफी ऐमेनिटीज, काफी सुविधायें देने की सरकार की नीयत है। उनके लिये मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ को भी नियुक्ति की गई है और यह भी किया गया है कि मैरिज या ऐडाप्शंस वगैरः जो लोकल कमेटी होगी बगैर उसकी मंजूरी के नहीं हो सकेंगे। ये सारी बातें बहुत अच्छी रखी गई हैं। एक बात और रखी गई है वह यह कि रूल २८ का जो सबरूल ८ है उसमें यह रखा गया है कि स्टफ रहेगा जो रुपये की वसूली करने के लिये फंड कलेक्ट करने के लिये होगा। साथ ही साथ यह भी रखा गया कि जो विधवायें या बच्चे होंगे वे भीख नहीं मांग सकते। इस बात का भी प्रतिबन्ध लगाया गया है जो बहुत अच्छा है।

इस बात के साथ ही साथ यह भी कहना है कि जो संस्थायें हैं उनके संचालन के लिये धन कहां से आयेगा और किस प्रकार से ये संस्थायें चलायी जायगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है अगर सरकार इस तरह का प्रतिबन्ध लगाती है तो यह बहुत ही अच्छा प्रतिबन्ध है और यह जरूर लगना चाहिए लेकिन साथ ही सरकार को इन संस्थाओं को चलाने के लिये धन का भी प्रबन्ध कहीं न कहीं से अवश्य करना चाहिए। जैसा इसमें लिखा हुआ है कि सरकार अब लाइसेन्स देगी। अब जिन संस्थाओं को लाइसेन्स दिया जायेगा वही रह सकेंगी और बाकी समाप्त हो जायेंगी। यह तो जरूर हो जाय कि सरकार थोड़ी सी ही संस्थाओं को लाइसेन्स दे लेकिन साथ ही सरकार उनको ग्रान्ट भी दे। जिस तरह से सरकार अन्य संस्थाओं को ग्रान्ट देती है उसी तरह से इनको एडेड संस्थायें बना कर ग्रान्ट दे।

आज तक तो ९० प्रतिशत संस्थायें इस ढंग से चल रही हैं कि उनके अन्दर जो बच्चे रहते हैं वे सुबह से शाम तक शहर में जा कर मांग कर लाते हैं और उसको जमा कर देते हैं। ज्यादातर तो इसी तरह से खर्चा चलता है। अब इस पर तो प्रतिबन्ध होगा। इसका यह नतीजा होगा कि बहुत सी संस्थायें तो समाप्त हो जायेंगी क्योंकि शायद ही किसी संस्था के पास धन हो। पहले तो कुछ संस्थाओं के साथ जमींदारियां लगी हुई थी लेकिन अब वह भी समाप्त हो गया है। अब इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगने के बाद सरकार को धन की व्यवस्था करनी होगी। अब जिन संस्थाओं को सरकार एड दे उन्हीं को लाइसेन्स भी दिया जाना चाहिए और तभी ये अच्छी तरह से चल भी सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिन संस्थाओं को सरकार सहायता दे सकती है उन्हीं को लाइसेन्स दिया जाय।

दूसरी बात यह अर्ज करनी है कि ऐक्ट पास हो गया और इसके मातहत रूल्स भी बन गये हैं लेकिन यह ऐक्ट अभी तक कहीं पर भी लागू नहीं हुआ है। इन नियमों को बने हुये भी काफी समय हो गया है और ये भी लागू नहीं हुये हैं। अभी कुछ समय पहले जब माननीय मंत्री जी एक संशोधन इस ऐक्ट में लाये थे उन्होंने यह कहा था कि पहले हम तीन शहरों में इस अधिनियम को लागू करने जा रहे हैं। उन्होंने उस समय बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ का नाम बतलाया था और कहा था कि धीरे-धीरे सारे प्रदेश के शहरों में लागू करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे यह मालूम हुआ है कि यह अधिनियम अभी इन तीन शहरों में भी लागू नहीं हुआ है। नियमों के मुताबिक भी किसी संस्था में काम नहीं हो रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि ऐक्ट भी बन गया है और नियम भी बन गये हैं तो यह ऐक्ट कब से लागू होगा और किन किन शहरों में लागू होगा। क्या कोई समय निर्धारित किया गया है कि कब से यह ऐक्ट और इसके अन्तर्गत बने हुये नियम लागू होंगे। जहां तक नियमों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे हैं और यदि ये सारे के सारे संस्थाओं में लागू हो जाँय तो ये संस्थायें बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर सकती हैं।

इसके अलावा एक बात और मैं माननीय मन्त्री जी को नोटिस में लाना चाहता हूँ और वह यह कि इसमें दो प्रकार के बोर्ड हैं एक तो रहेगा सेन्ट्रल बोर्ड और एक लोकल बोर्ड। इन दोनों को सेक्शन ५ में डिफाइन किया गया है और इनकी डेफिनिशन करने के साथ साथ उसमें यह भी लिखा हुआ है कि यह किस किस प्रकार के होंगे, कौन कौन मेम्बर होंगे तो यह सारी बातें सेक्शन ५ में इस ऐक्ट के दी हुई हैं। यह जो रूल्स बनाये गये हैं इनके अन्दर फिर से यह दिया गया है कि फलां मेम्बर्स होंगे, तीन आदमी गवर्नमेन्ट के द्वारा नामिनेट किये जायेंगे। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब ऐक्ट के अन्दर आलरेडी मेम्बर्स के बारे में प्राविजन है कि इस इस तरह से यह यह मेम्बर होंगे। सोशल वर्कर का जो प्राविजन है उसमें दिया हुआ है कि तीन सोशल वर्कर तक सरकार नामिनेट कर सकती है, जो लोकल हेडस हैं उनका किस तरह से इसमें प्राविजन होगा, इसकी ऐक्ट के अन्दर बाका-यदा डेफिनेशन दी हुई है। यह सब बातें हैं जिनके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से मालूम करना चाहता था और खास करके यह जो रूल्स बना कर रखे गये हैं, यह कब से लागू होंगे और इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है यही मैं जानना चाहता था।

श्री हुकुम सिंह विसेन—चेयरमैन महोदय, मैंने अपने मित्र आजाद साहब की बातों को सुना और मैं उनका बड़ा ही आभारी हूँ कि उन्होंने यह बतलाया कि जो नियम बनाये गये हैं, बड़े सुन्दर हैं, उनसे बड़ा लाभ होगा । अब नियम सुन्दर होने के बावजूद यह बहस उठायी गयी और वह इसलिये उठायी गई कि हमारे बिजनेस आफ प्रोसीजर के रूल्स में यह अधिकार है माननीय सदस्यों को कि ऐसे विवाद के लिये प्रश्न उठा सकें, लिहाजा उन्होंने अपना हक बरता है, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है । हमारे मित्र ने यह पूछा कि यह नियम लागू कब होंगे तो इसके शुरू में अगर देखा जाय क्लाज १ की सब क्लाज (बी) में कि "दे शैल कम इन फोर्स ऐटवन्स ।" तो इन अल्फाज के अलावा मैं और कोई इजाफा नहीं कर सकता और न इसमें कोई कमी ही कर सकता हूँ । जहां तक फाइनेन्सेज का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इन नियमों में इसके बारे में कोई बात लाना जरूरी नहीं है । ऐक्ट बना हुआ है और ऐक्ट के अन्तर्गत यह रूल्स बनाये गये हैं तो उनमें यह संशोधन कम होंगे । फिर जिन इन्स्टीट्यूशन को लाइसेन्स दिया जायेगा, उनका रजिस्ट्रेशन बाकायदा होगा और रजिस्ट्रेशन के मातहत उनका कान्स्टीट्यूशन होगा वह कान्सटीट्यूशन सारी चीजों को प्रोवाइड करेंगे । अगर कोई संस्था ऐसी है जिसको गवर्नमेंट ग्रान्ट या ऐड देती है, जो कि रूल्स में नहीं है ।

श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम ऐज़ाज रसूल) (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) रूल्स में इसका प्राविजन है ।

श्री हुकुम सिंह विसेन—फिर भी अगर रूल्स में न भी हो तो भी हम उनको रुपया देंगे जो अच्छी चीजों के लिये उपयोग किया जायेगा । महिलाओं और बच्चों की जो संस्थायें हैं, उनके प्रति तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उनको आगे बढ़ावें, क्योंकि यह संस्थायें तो अपने देश के लिये उपयोगी हैं, इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है । जैसा कि बेगम साहिबा ने बताया कि फाइनेन्शियल ऐड के लिये भी रूल्स में प्राविजन रखा गया है और मेरे मित्र क्या चाहते हैं, यह मैं नहीं समझ सका । हमारे मंत्री जी ने क्या कहा था, वह बयान मेरे सामने नहीं है । उन्होंने जो वायदे किये थे, वे पूरे किये जायेंगे, इतना ही मैं कह सकता हूँ । अगर आप आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर चलेंगे, तो मामले पर काबू पा लेंगे, जल्दबाजी से काम बिगड़ जाता है । इस सम्बन्ध में इतना ही मुझे कहना है ।

श्री शिव नाथ काटजू (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ एक बात अर्ज करनी है । अगर आप इजाजत दें, तो मैं अपनी बात ५ मिनट में कह दूंगा ।

श्री चेयरमैन—यहां पर ५ मिनट का सवाल नहीं है । रूल के मुताबिक आपका राइट खत्म हो चुका है । अगर माननीय नेता सदन आपकी बातों का जवाब फिर से देने के लिये तैयार हैं, तो आप कह सकते हैं ।

श्री चेयरमैन—मैं माननीय मंत्री जी तथा सदन को एक चीज और बतलाना

चाहता हूँ कि इसका ६ अगस्त को गजट चुका है जिसकी सूची सदस्यों की मेज पर रख दी गई है।

अब हम उठते हैं। यह सदन कल ११ बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

(सदन की बैठक १२ बजकर ५३ मिनट पर दूसरे दिन दिनांक १८ नवम्बर, १९५८ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थागित हो गई)।

दिनांक लखनऊ,
२६ कार्तिक, शक संवत् १८८०,
(१७ नवम्बर सन् १९५८ ई०)

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद् उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पृष्ठ ४ पर।)

Statement

The Sugar factories were asked to clear off their cane cess dues by September 30, 1958, but a number of these factories failed to liquidate arrears by the prescribed date. Under the provisions of clause 8 of the U. P. Sugarcane Cess Rules, 1956, the Ganna Ayukt has issued notices against 43 defaulting sugar factories to show cause as to why a penalty be not imposed against them for non-payment of cess in time. If the default continues after March 31, 1959, the Ganna Ayukt may resort to attachment and sale proceeding in addition to the penalty which he may impose upon the defaulting units.

विवरण पत्र

चीनी मिलों से सितम्बर ३०, १९५८ तक केन सेस के बकाया की अदायगी के लिये लिये कहा गया था किन्तु इनमें से अनेक मिलें निर्धारित तारीख तक बकाया सेस का भुगतान नहीं कर सकीं। यू० पी० शुगर केन सेस रूल्स, १९५६ के वाक्य खंड ८ के आदेशों से अनुसार गन्ना आयुक्त ने ४३ चीनी मिलों के विरूद्ध जिन्होंने बकाया सेस का भुगतान नहीं किया है, नोटिस जारी किये हैं कि वे कारण बतायें कि समय के अन्दर सेस का भुगतान न करने के कारण उन्हें अर्थ दन्डे क्यों न दिये जाय। यदि ३१ मार्च, १९५९ तक बकाया सेस का भुगतान नहीं कर दिया जाता तो गन्ना आयुक्त भुगतान न करने वाली फैक्टरियों को जो अर्थ दन्ड देंगे उसके अतिरिक्त कुर्की और नीलाम की भी कार्यवाही कर सकते हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३७ का उत्तर पृष्ठ ७ पर।)

उद्योग विभाग

सूची नम्बर १

क्रम सं०	छात्र वृत्ति पाने वाले का नाम	छात्र-वृत्ति का धन	शिक्षा संस्था का नाम
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	श्री हरिश्चन्द्र सक्सेना	४००)	इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, खड़गपुर।
२.	श्री चन्द्र कान्त हायारन	४००)	"
३.	श्री डी० वी० तबबार	६००)	"
४.	श्री कौशल किशोर	६००)	"
५.	श्री आर० के० गुप्ता	६००)	"
६.	श्री आशुतोष त्रिपाठी	६००)	"
७.	श्री निर्मल किशोर	३५०)	"
८.	श्री वी० पी० सिंह सारिन	३५०)	इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स, बंगलोर।
९.	श्री रेवती रमन	३२३)	"
१०.	श्री बद्री नाथ आयंगर	६००)	"
११.	श्री आनन्द नारायन माथुर	६००)	"
१२.	श्री अविनाश चन्द्र	६००)	"
१३.	श्री सुघर सिंह तोमर	४००)	"
१४.	श्री निवास शर्मा	४००)	इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स एन्ड अपलाईड ज्योलोजी, धनबाद।
१५.	श्री सरबजीत सिंह	६००)	"
१६.	श्री राधे श्याम	६००)	"
१७.	श्री आर० एस० त्यागी	६००)	"
१८.	श्री एस० के० सिंह	६००)	"
१९.	श्री एम० डी० कौशिक	६००)	"
२०.	श्री टी० एस० आसवाल	६००)	"
२१.	श्री एस० पी० वर्मा	६००)	सर जे० जे० स्कूल आफ आर्ट्स, बम्बई।
			"

सहायता तथा पुनर्वासन विभाग सूची नम्बर—२

क्रम सं०	छात्र वृत्ति पाने वाले का नाम	छात्र-वृत्ति का धन	शिक्षा संस्था का नाम
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	श्री विद्या धर	४००)	गांधीधाम सिविल इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, अदीपुर, कच्छ ।
२.	श्री देवेन्द्र कुमार सोनी	६००)	इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, खरगपुर।
३.	श्री ओम प्रकाश चड्ढा	६००)	"
४.	श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा	६००)	बिरला इन्जीनियरिंग कालेज, पिलानी
५.	श्री केवल कृष्ण जैन	६००)	इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, खरगपुर
६.	श्री सुरेश चन्द्र खेरा	६००)	इन्डियन स्कूल्स आफ माईन्स एन्ड अप्लाईड जियोलोजी, धनबाद ।
७.	श्री सत्य पाल	६००)	देहली पालीटेक्नीक, देहली
८.	श्री विष्णु दास खत्री	४००)	गांधीधाम सिविल इन्जीनियरिंग, इन्स्टीट्यूट, अदीपुर, कच्छ
९.	श्री मोहन लाल एस. क्रिश्नानी	४००)	गांधीधाम सिविल इन्जीनियरिंग, इन्स्टीट्यूट, अदीपुर, कच्छ
१०.	श्री तिलक राज साहनी	६००)	बिरला कालेज आफ इन्जीनियरिंग, पिलानी
११	असरानी गुरबक्स	४००)	गांधी धाम सिविल इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, अदीपुर, कच्छ
१२.	श्री गनेश दास कालरा	६००)	इन्डियन स्कूल आफ माईन्स एन्ड अप्लाईड जियोलीजी, धनबाद
१३.	श्री बलराम जी० वाटियानी	४००)	गांधी धाम सिविल इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, अदीपुर कच्छ,
१४.	श्री कुमारी सावित्री दन्ज	४००)	कला भवन, विश्व भारतीय, शान्ति निकेतन, (वेस्ट बंगाल)
१५.	श्री कृष्ण हीरानन्द अनजानी	४००)	सरदार वल्लभ भाई पालीटेक्नीक, भोपाल ।
१६.	श्री जगजीत सिंह	६००)	बिरला कालेज आफ इन्जीनियरिंग, पिलानी
१७.	श्री गुरशरन सिंह बुटालिया	६००)	टेक्नालीजिकल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्सटाईल्स, वी० ई० टी०, भिवानी ।
१८.	श्री गोयेन्द्र पाल बातरा	६००)	बिरला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, रांची ।
१९.	श्री ओम प्रकाश मेहता	४००)	दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज, जलन्धर ।
२०.	श्री आदर्श कुमार आर्य	४००)	दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज, जलन्धर ।

(१)	(२)	(३)	(४)
२१.	श्री नाम देवी जदालदास	४००)	गांधी धाम सिविल इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, अदीपुर, कच्छ
२२.	श्री शङ्कर लाल तिवारी	६००)	"
२३.	श्री कन्हैयालाल वादवानी	४००)	"
२४.	श्री कोडू डी० घनशाम	४००)	"
२५.	श्री लक्ष्मी चन्द के० अहूजा	६००)	फैकल्टी आफ टेक्नालोजी, एन्ड इन्जीनियरिंग, यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा, बड़ौदा ।
२६.	श्री रघुनन्थ प्रसाद अग्रवाल	६००)	इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, खरगपुर
२७.	श्री नारायन केसरवानी	६००)	"
२८.	श्री राजकुमार जोगिया	६००)	"
२९.	श्री बलदेव राज ठुकराल	६००)	"
३०.	श्री सुरेन्द्र कुमार भाटिया	५४०)	"
३१.	श्री श्याम लाल अडवानी	६००)	टेक्नालोजिकल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्सटाईल, बी० ई० टी० भिवानी ।
३२.	श्री इन्द्र कुमार वर्मा	५००)	"
३३.	श्री जगजीत लाल चोपड़ा	६००)	दि क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना ।
३४.	श्री राजेन्द्र सहानी	६००)	देहली पालीटेक्नीक, देहली ।
३५.	श्री दलजीत सिंह बेदी	६००)	"
३६.	श्री बुद्ध देव	५००)	"
३७.	श्री विजय कुमार	६००)	"
३८.	श्री गुरबक्स सिंह	६००)	"
३९.	श्री बृज किशोर वादवान	५००)	"
४०.	श्री बिशुन दास	४००)	"
४१.	श्री पीताम्बर टेकचन्दानी	६००)	बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय वल्लभ विद्यानगर, वाया आनन्द ।
४२.	श्री रमेश चन्द्र भाटिया	६००)	थापर कालेज आफ इन्जीनियरिंग, पटियाला ।
४३.	श्री शुभाष चन्द्र साहने	६००)	"
४४.	श्री मनोहर लाल मित्तल	६००)	"
४५.	श्री गोपाल कृष्ण चावला	६००)	बिरला कालज, आफ इन्जीनियरिंग, पिलानी ।
४६.	श्री चन्दर प्रकाश कालरा	६००)	"
४७.	श्री इन्दर जीत	६००)	"
४८.	श्री सुरजीत मोहन अवस्थी	६००)	इन्डियन स्कूल्स आफ माईन्स एन्ड अप्लाइड जियालोजी, धनबाद ।

(१)	(२)	(३)	(४)
४९.	श्री बलबीर सिंह	६००)	"
५०.	श्री लल्ला श्यामसुन्दर एम०	४००)	गोविन्दराम सक्सेरिया टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट, इन्दौर।
५१.	श्री कुलभूषण नन्दा	४००)	गवनमेन्ट इन्स्टीट्यूट, अम्बाला।
५२.	श्री हरिश्चन्द्र भाटिया	६००)	बिरला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, रांची।
५३.	श्री सुरेन्द्र कुमार कोहिली	६००)	"
५४.	श्री इन्द्र राज गुप्ता	६००)	इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, खरगपुर।
५५.	श्री तीरथ सिंह	६००)	गलान्सी मेडिकल कालेज, अमृतसर।
५६.	कुमारी वेद चोपड़ा	४००)	देव समाज ट्रेनिंग कालेज फार वीमेन, फीरोजपुर सिटी,
५७.	श्री सुशील कुमार	४००)	पंजाब गवर्नमेंट स्कूल आफ इन्जीनियरिंग, निलोखेरी।
५८.	श्री कृष्ण लाल राजपाल	४००)	"
५९.	श्री जोगेन्द्र कुमार मैनी	४००)	आर्य मेडिकल कालेज, लुधियाना।
६०.	कु. सरोज कुमारी सहगल	४००)	गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल।
६१.	श्री केवल कृष्ण	३६०)	गवर्नमेन्ट पालीटेक्नीक, उज्जैन।
६२.	श्री हरमेश चन्द्र दुआ	४००)	"
६३.	श्री अरुन कपूर	५००)	ट्रेनिंगशिप "डफ्रिन", बाम्बे १०।
६४	श्री यादव चन्द्र फाके	२७०)	मेडिकल कालेज, अमृतसर
६५.	श्री पृथ्वी राज सधाना	४००)	सरदार वल्लभ भाई पालीटेक्नीक, भोपाल।
६६.	कुमारी सुमेष लता	४००)	आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली।
६७.	श्री बलराम मलिक	५००)	मैरिन इन्जीनियरिंग ट्रेनिंग, कलकत्ता।
६८.	श्री देवराज मलिक	५००)	माधव इन्जीनियरिंग कालेज, ग्वालियर।
६९.	श्री जगदीश चन्द्र नाकरा	३४०)	नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग, होशियारपुर।
७०.	श्री भग सिंह अहूजा	५००)	एम० बी० एम० इन्जीनियरिंग कालेज, जोधपुर
७१.	श्री काश्मीरी लाल	४००)	गवर्नमेन्ट पालीटेक्नीक, नीलोखेरी।
७२.	श्री शेर सिंह चोपड़ा	३००)	"
७३.	श्री सुतीन्द्र कुमार	३१५.७०	समरत अशोक टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट, विधिशा।
७४.	श्री स्वरन सिंह	६००)	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, पटियाला।
७५.	श्री राधा कृष्ण चोपड़ा	३००)	सर जे० जे० स्कूल आफ आर्टस, बम्बई।

६

सामान्य प्रशासन विभाग

सूची नम्बर—३

क्रम सं० छात्र-वृत्ति पाने वाले का नाम (कैडेट)	छात्र-वृत्ति का धन	शिक्षा संस्था का नाम
(१) (२)	(३)	(४)
१—श्री इन्द्र मोहन कपूर	५) प्रति मास (अगस्त १९५७ से मार्च १९५८ तक)	किंग जार्जेस स्कूल, नौगांव
२—श्री प्रेम बहादुर थापा	"	"
३— " एच० एस० खुराना	"	"
४— " रुद्र कुमार	"	"
५— " हीरा लाल	५) प्रति मास (अप्रैल १९५७ व अगस्त १९५७ से मार्च १९५८ तक)	"
६—श्री महेन्द्र सिंह	"	"
७— " गनेश बहादुर	"	"
८— " सतीन्द्र कुमार सिंह	"	"
९— " नरेन्द्र सिंह	"	"
१०— " अनूप सिंह	"	"
११— " भूपेन्दर सिंह	"	"
१२— " एच० के० सिंह रावत	"	"
१३— " गुरशरन सिंह	"	"
१४— " कमलाकर तिवारी	"	"
१५— " एन० एस० रावत	"	"
१६— " बाबुर लामा	"	"
१७— " आदर्श कुमार	"	"
१८— " राम नाथ	"	"
१९— " गुरदयाल सिंह	"	"
२०— " धाम सिंह	"	
२१— " सी० पी० मित्तल	"	"
२२— " फौदा सिंह	"	"

१	२	३	४
२३– ,,	सत्य प्रकाश	,,	,,
२४– ,,	केशव देव	,,	,,
२५– ,,	जे० एस० वाल	,,	,,
२६– ,,	फौदा बहादुर	,,	,,
२७– ,,	रोहित कुमार	,,	,,
२८– ,,	शमशेर कुमार	,,	,,
२९– ,,	पी० के० तनेजा	,,	,,
३०– ,,	नोरल प्रेम कुमार	,,	,,
३१– ,,	लक्ष्मन सिंह	५) अप्रैल माह १९५७ के लिये)	,,
३२– ,,	युग प्रसाद	,,	,,
३३– ,,	जी० एस० यादव	७५०)	सैनिक स्कूल, देहरादून
३४– ,,	जे० के० सेन गुप्ता	७५०)	,,
३५– ,,	जे० के० चड्ढा	७५०)	,,
३६– ,,	ए० के० बोस	७५०)	,,
३७– ,,	टी० ए० एस० बेदी	७५०)	,,
३८– ,,	एस० के० गुप्ता	७५०)	,,
३९– ,,	चन्द्र कान्त	७५०)	,,
४०– ,,	दीपक यादव	७५०)	,,
४१– ,,	जीतेन्द्र सिंह	७५०)	,,
४२– ,,	रजबीर यादव	७५०)	,,
४३– ,,	भास्कर प्रकाश रावत	७५०)	,,
४४– ,,	गौतम चंपड़ा	३७५)	,,

चिकित्सा विभाग

सूची ४

क्रम सं०	छात्रवृत्ति पाने वाले का नाम	छात्रवृत्ति का धन	शिक्षा संस्था का नाम
१	२	३	४
१–	डा० पी० एन० बोस	५००)	दो मास
२–	डा० जे० एन० सक्सेना	५००)	सप्ताह का प्रशिक्षण निम्नलिखित प्रत्येक संस्था में
३–	,, जी० एस० जौहरी	५००)	
४–	,, जी० डी० अग्रवाल	५००)	(१) नई दिल्ली टी० बी० सेन्टर

१	२	३	४
५–डा० प्रेम प्रकाश		५००)	(२) आल इन्डिया इन्स्टीट्यूट आफ हाईजीन एन्ड पब्लिक हेल्थ, कलकत्ता ।
६–,, ओ० पी० त्रिहान		५००)	
७–,, के० के० गर्ग		५००)	
८–,, ज्ञान चन्द गुप्ता		५००)	(३) यूनियन मिशन ट्यूबरक्लोसिस सिनाटोरियम, आरोग्यवरम, साउथ इन्डिया ।
९–,, डी० डी० बरात		५००)	
१०–,, एम० सी० श्रीवास्तव		५००)	
११–,, एस० सी० सक्सेना		५००)	
१२–,, आर० भट्टाचार्या		५००)	
१३–,, एस० डी० ओहरी		२०६०)	ग्रान्ट मेडिकल कालेज, बम्बई
१४–,, पी० गुहा		२०६०)	वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट, दिल्ली
१५–(कुमारी) एन० पी० सक्सेना		२०६०)	ग्रान्ट मेडिकल कालेज, बम्बई
१६–(कुमारी) सी० डी० टन्डन		२०६०)	
१७–श्रीमती डी० शू		२०६०)	कालेज आफ नर्सिंग, नई दिल्ली
१८–श्रीमती ई० जैसवाल		२०६०)	,,
१९–श्रीमती ए० एन० के० दान		२०६०)	,,
२०–श्रीमती ई० राजा राम		२०६०)	,,
२१–कुमारी बी० सी० सिंह		२०६०)	,,
२२–कुमारी जे० जोसेफ		२०६०)	,,

पशुपालन विभाग

सूची ५

क्रम सं०	छात्रवृत्ति पाने वाले का नाम	छात्रवृत्ति का धन	शिक्षा संस्था का नाम
१	श्री राजा बहादुर फिशरीज इन्सपेक्टर	७५०) (७५ रु० प्रति मास की दर से १० मास के लिये)	सेन्ट्रल इन्लैन्ड फिशरीज रिसर्च स्टेशन, कलकत्ता ।
२	श्री वंशीधर जोशी, सीनियर फिशरीज इन्सपेक्टर	,,	,,
३	श्री अवधेश नारायण सिंह, सीनियर फिशरीज इन्सपेक्टर	,,	,,
४	श्री प्रताप सिंह प्रताप सीनियर फिशरीज इन्सपेक्टर	,,	,,

श्रम विभाग सूची ६

सन् १९५७-५८ में प्रान्त के बाहर इनप्लान्ट ट्रेनिंग के लिये भेजे गये छात्रों की सूची।

क्रम सं०	छात्रवृत्ति पाने वाले का नाम	छात्रवृत्ति का नाम	शिक्षा संस्था का नाम
१	श्री हर गेन्दर सिंह	२५) रु० प्रति मास	एम/एस मैकेनजीज फिलिप्स इन्डिया : प्राइवेट लि०, रोहतक रोड, नई दिल्ली
२	श्री चन्द्रा सिंह	”	”
३	श्री मोटा सिंह	”	एम/एस नेशनल बेरिंग कं०, जबलपुर, मध्य प्रदेश
४	श्री नौबत सिंह	”	”
५	श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता	”	”
६	श्री थान सिंह	”	एम/एस के० टी० स्टील इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लि०, बम्बई।
७	श्री हरी चन्द	३०) प्रति मास	एम/एस स्टार मोटर रिपेरिंग वर्कस, बरोदा, बम्बई।

शिक्षा विभाग सूची ७

क्रम सं०	छात्र-वृत्ति पाने वाले का नाम	छात्र-वृत्ति का धन	शिक्षा संस्था का नाम
१	श्री बाला दत्त वेलवाल	३० रु० प्रतिमास	जामिया मिलिया इस्लामिया कालेज, नई दिल्ली।
२	कुमारी रमा उपाध्याय	१२ ” ”	बनस्थली विद्यापीठ, जैपुर, (राजस्थान)
३	कुमारी उषा प्रियदर्शनी	३५ ” ”	राबर्टसेन कालेज, जबलपुर, (मध्य भारत)
४	श्री बी० के० शर्मा	५० ” ”	मैरोवीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, कलकत्ता
५	श्री ए० के० बक्शी	२५ ” ”	ट्रेनिंगशिप : डफरिन : बाम्बे-१०
६	श्री पी० पी० सिंह सेंगर	२५ ” ”	”
७	श्री आगा मोहम्मद बाकर	२५ ” ”	”
८	कुमारी प्रबोधिनी अवस्थी	५० ” ”	वनस्थली विद्यापीठ, जैपुर
९	कुमारी सरोजिनी सिंह	४० ” ”	”
१०	कुमारी किरण बाजपेई	४० ” ”	”
११	कुमारी मंजुल दुबे	३० ” ”	”
१२	कुंवर वीरेन्द्र सिंह	३० ” ”	इंडियन स्कूल आफ माईन्स, धनबाद, बिहार
१३	श्री मनेन्द्र मोहन	३० ” ”	देहली स्कूल आफ इक्नामिक्स, देहली विश्वविद्यालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६५ का उत्तर पृष्ठ १२ पर।)

प्रश्न संख्या ६५ (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण—१

सुल्तानपुर जिले में स्थित प्रसार सेवा खण्ड गौरीगंज मुसाफिरखाना, धनपतगंज, चेटा पट्टी, कादीपुर तथा अमेठी के वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के प्राविधान व व्यय का मदवार विवरण :—

मद १	गौरीगंज २ प्राविधान अ	गौरीगंज व्यय ब	मुसाफिरखाना ३ प्राविधान अ	मुसाफिरखाना व्यय ब	धनपतगंज ४ प्राविधान अ	धनपतगंज व्यय ब	चेटा पट्टी ५ प्राविधान अ	चेटा पट्टी व्यय ब	कादीपुर ६ प्राविधान अ	कादीपुर व्यय ब	अमेठी ७ प्राविधान अ	अमेठी व्यय ब	विवरण ८
२—स्टेट एण्ड प्रोजेक्ट हेड क्वार्टर													
(ब) प्रोजेक्ट हैड क्वार्टर													
(स) ब्लाक स्तर													
१—वेतन अधिकारी	२९५०	२९३१	२६४०	२६४०	२६८०	२६७४	२६९०	२६६४	१९८०	१९८०	११००	११००	
२—वेतन कर्मचारी	२०६००	१९९८९	१८३००	१७९९२	२३७००	२३६७९	१८३००	१८२६०	६८००	६५८१	८१००	८०६७	
३—महंगाई एवं यात्रा भत्ता	१२५६५	११८२७	११४००	११३६१	१४०००	१३९३२	१०७००	१०१८२	७१००	६६००	५१००	५०१०	
४—प्रासांगिक व्यय													
१—आवर्त्तक	३५००	३१००	३३२५	३३०५	४८००	४७६२	३५१५	२७४३	१९००	१८८६	१३००	१२८६	
२—अनावर्त्तक									७ ०४	६६५२	७०००	७०००	
योग	३९६१५	३८२४७	३५६६५	३५३२८	४५१८०	४५०४७	३५२०५	३३८७९	२७७८०	२६९९९	२२६००	२२४६३	

१	२ अ	२ ब	३ अ	३ ब	४ अ	४ ब	५ अ	५ ब	६ अ	६ ब	७ अ	७ ब	८
२—कृषि विस्तार एवं पशुपालन													
१—कृषि विस्तार													
४—प्रासांगिक व्यय													
(१) आवर्त्तक	२००	२००	४००	१०२	४००	४००	४००	३६६	४००	४००	४००	३९९	
(२) अनावर्त्तक	२००	२००	४००	३००	७२५	७२५	४३४	४३४	५००	५००	५००	५००	
५—अनुदान	५००		५००		५००		५००		५००		५००		
योग	९००	४००	१३००	४०२	१६२५	११२५	१३३४	८००	१४००	९००	१४००	८९९	अनुदान का धन खण्ड के व्यक्तिगत लेखे रख दिया गया था।
२—पशुपालन													
(४) प्रासांगिक व्यय													
(१) आवर्त्तक	१००	२३	१००	१००	१००	९३	१००	६१	२००	१८०	२००	२००	
(२) अनावर्त्तक	३००	३००	४००	४००	४००	३८८	४६१	४६०	५००	४९६	५००	५००	
५—अनुदान	२००		२००		२००		२००		३००		३००		,,
योग	६००	३२३	७००	५००	७००	४८१	७६१	५२१	१०००	६८५	१०००	७००	
योग	१५००	७२३	२०००	९०२	२३२५	१६०६	२०९५	१३२१	२४००	१५८५	२४००	१५९९	

१	२ अ	२ ब	३ अ	३ ब	४ अ	४ ब	५ अ	५ ब	६ अ	६ ब	७ अ	७ ब	८
३–४ इरीगेसन एवं रिक्लेमेशन													
५–अनुदान निर्माण (राजकीय सिंचाई कार्य)					३००	३००	१७५०				१०००		
	८७०००	७४८८३	४५५००	४५६१०							४५५००	४६१६२	
योग	८७०००	७४८८३	४५५००	४५६१०	३००	३००	१७५०				४६५००	४६१६२	
५–जन स्वास्थ्य एवं ग्रामीण स्वच्छता													
४–प्रासांगिक व्यय													
(१) आवर्त्तक	३००	३००	१०००	१०००	१०००	९८५	१०००	११	८००	७९५	८००	७७७	
(२) अनावर्त्तक	५००	५००	१०००	९९७	१०००	९८१	१०००		८००	७९४	८००	७५२	
५–अनुदान		२३३३६	५०००	५६१२	५०००	७२९४	५०००	५१४०	६९००	१२५	६९००	१०९०	अनुदान का धन खण्ड के व्यक्तिगत लेखे में रख दिया गया था।
योग	८००	२४१३६	७०००	६७०९	७०००	९२६०	७०००	५१५१	८५००	१७१४	८५००	२६१९	
६–शिक्षा													
४–प्रासांगिक व्यय (अनावर्त्तक)													
५–अनुदान		४२१९	५०००		५०००	१३००	५०००		१०००	९८४	१०००	९९९	
									६९००		६९००	३४२५	
योग		४२१९	५०००		५०००	१३००	५०००		७९००	९८४	७९००	४४२४	„

१	२ अ	२ ब	३ अ	३ ब	४ अ	४ ब	५ अ	५ ब	६ अ	६ ब	७ अ	७ ब	८
७—समाज शिक्षा													
४—प्रासंगिक व्यय													
१—आवर्त्त व	२७००	२५४६	४७५०	४७५०	५०००	४३७९	५०००	३७०५	४०००	३९९९	४०००	३९९५	
५—अनुदान										२०००	२०००		
	२७००	२५४६	४७५०	४७५०	५०००	४३७९	५०००	३७०५	६०००	३९९९	६०००	३९९५	अनुदान का धन खंड के व्यक्तिगत लेख में रख दिया गया था।
८—यातायात													
५—अनुदान			५०००	२६३३	५०००	४८००	५०००		४५००		४५००		
योग			५०००	२६३३	५०००	४८००	५०००		४५००		४५००		
१०—गृह निर्माण कार्यालय भवन, निवास व अन्य भवन निर्माण			२५००	२४४७	२०९००	२१७७२			५०००	५००६	१०००	९९६	
योग			२५००	२४४७	२०९००	२१७७२			५०००	५००६	१०००	९९६	
७ कुल योग	१३१६१५	१४४७५४	१०७४१५	९९२७८	९०७०५	८८४६५	९१६५०	४४०५९	९२०८०	४०२८७	९९४००	८२२८८	
पी० लोन्स एन्ड एडवान्सेज	६५००	५५००	७०००	७०००	४०००	४०००	७०००	४०१५	४०००	४०००	४०००	४०००	
योग	१३८११५	१५०२५४	११४४१५	१०६२७८	९४७०५	९२४६४	९८६५०	४८०७१	९६०८०	४४२८७	१०३४००	८६२२८	

प्रश्न संख्या ६५ (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण—२

सुल्तानपुर जिले में स्थित सामान्य विकास खंड (Normalised) कुरेमार
तथा जयसिंगपुर में वित्तीय वर्ष १६५७-५८ में हुये प्रविधान व व्यय का मदवार बिवरण

मद	कुरेमार		जयसिंगपुर		विशेष विवरण
	प्राविधान	व्यय	प्राविधान	व्यय	
१—वेतन अधिकारी	३,०००	२,८७२	३,०००	६,४४४	
२—वेतन कर्मचारी	२२,५००	२१,४२५	२२,५००	२०,२५८	
३—महंगाई एवं यात्रा भत्ता	१४,३८०	१४,३८०	१०,६३२	१०,६३२	
४—प्रासांगिक व्यय	३,५६५	३,५६५	३,५००	३,३३१	
५—समाज शिक्षा	६,१२०	६,१२०	५,०००	३,८४७	
६—अनुदान	२५,०००	१७,२६३	२५,०००	५,३१४	
योग	७४,५६५	६५,६५५	६६,६३२	४५,८२६	

नत्थी 'घ'

देखिए तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पृष्ठ १२ पर।

प्रश्न संख्या ६६ (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

लखनऊ तथा फैजाबाद कमिश्नरी में कार्य करने वाले विकास क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या तथा प्रत्येक क्षेत्र में १ जुलाई, १६५८ को दिये गये मासिक वेतन की क्षेत्रवार धनराशि का विवरण।

क्रम सं०	कमिश्नरी का नाम	कमिश्नरी में सम्मिलित जिले	जिलेवार विकास क्षेत्रों के नाम	१-७-५८ को सरकारी कर्मचारियों की संख्या	१-७-५८ को मासिक वेतन की धनराशि		टिप्पणी
१	२	३	४	५	६		७
					रु०	न० पै०	
१	लखनऊ	लखनऊ	१ बक्शी का तालाब	५६	४,६६६	३०	
			२ सरोजनी नगर	४४	४,८६६	३५	
			३ गुसाईंगंज	३२	२,८०८	६३	
			४ मोहनलालगंज	३४	४,१४३	६२	
			५ माल	१७			बजट की स्वीकृति जून के अंत में दी गई अतः जून माह का वेतन १-७-५८ को नहीं निकाला जा सका।
		२ उन्नाव	१ फतेहपुर	३१	२,३४५	५०	
			२ नवाबगंज	२५	२,७४३	००	
			३ सुमेरपुर	२४	२,२४२	३३	
			४ बिछिया	२३	५,१६७	१६	
			५ असोहा	२३	२,४१३	६७	

१	२	३	४	५	६	७
		६	हसनगंज	११	१,२७६ ६८	
	३ रायबरेली	१	सलोन	२३	२,४६४ २२	
		२	हरचन्दपुर	३२	३,१३५ २६	
		३	महाराजगंज	२३	२,१६७ ००	
		४	डलमऊ	२४	१,६४४ ७४	
		५	नसीराबाद	२३	२,४०५ ७६	
		६	सताब	१८	१,६०२ ३४	
	४ सीतापुर	१	हरगांव	२५	२,३६६ ३६	
		२	ब्रहटा	२८	३,२२८ ५१	
		३	सिधौली	२४	२,०६१ १०	
		४	मिसरीख	२४	२,३५८ ००	
		५	बिसवां	२४	२,११४ ४३	
		६	रामपुर–मथुरा	१५		बजट की स्वीकृति जून के अंत में दी गई अतः जून माह का वेतन १-७-५८ को नहीं निकाला जा सका।
	५ हरदोई	१	बिलग्राम	२३	२,४६८ ००	
		२	बावन	२६	२,६१२ ८५	
		३	संडीला	२२	२,२८३ ५०	
		४	सुरसा	२२	२,०८० ४०	
		५	शाहबाद	२३	२,३३० ००	
		६	कोथावां	२१	१,६१० ५०	
		७	सान्डी	२४	२,३२३ ००	

१	२	३	४	५	६	७
		६ खीरी	१ मितौली	२४	२,२५७	७८
			२ मोहमदी	२३	२,५०४	००
			३ ईसानगर	२५	२,६६३	००
			४ निगाहसन	३०	२,८६६	३०
			५ बेहजम	२४	२,३७२	२८
			६ फूलवहार	११	१,०३०	०२
२	फैजाबाद	१ फैजाबाद				
			१ बीकापुर	२२	१,६३२	००
			२ जलालपुर	४१	२,६७०	००
			३ मसोधा	२४	२,०५१	००
			४ मीटी	२३	१,६०३	००
			५ टांडा	२३	१,८५६	००
			६ बसखारी	२३	१,७६४	००
			७ अकबरपुर	१८	१,५६०	००
		२ गोंडा	१ इन्तायाथोक	४१	४,०१६	१०
			२ मनकापुर	३०	२,६६७	२४
			३ पारहपुर	२५	२,७१५	००
			४ उतरौला	२३	२,३८५	५०
			५ तराबगंज	२३	२,५३६	७०
			६ झल्झारी	२२	२,२८८	६६
			७ हरया	२०	१,६४६	८०
			८ कटरा बाजार	१५	१,६०१	७०
			६ बलरामपुर	३३	२,४६१	५०
		३ बहराइच	१ चितौरा	२२	२,१२६	१६
			२ इकौना	२४	२,४०५	००
			३ जरबल	२१	१,६५३	५०
			४ मिहीनपुरवा	२२	१,५७७	५४

१	२	३	४	५	६	७
			५ केसरगंज	२४	२,२५४	००
			६ हुजरपुर	२२	२,०००	००
			७ सिरसिया	२१	३,०००	००
			८ महसी	८		बजट की स्वीकृति जून के अंत में दी गई अतः जून माह का वेतन १-७-५८ को नहीं निकाला जा सका।
			९ फखरपुर	१६		
		४ सुल्तानपुर	१ कूरेभार	२४	२,३११	८२
			२ जैसिहपुर	२४	२,५९२	५०
			३ गौरीगंज	२३	२,१६३	१०
			४ धनपतगंज	२२	२,१८०	५०
			५ अमेठी	२२	२,२०७	२४
			६ मुसाफिरखाना	२२	२,०५९	५०
			७ कादीपुर	२२	२,०९४	५०
			८ छिते पट्टी	२१	१,७९४	३४
		५ प्रतापगढ़	१ लक्ष्मणपुर	२३	२,७०३	४९
			२ आसपुर देवसरा	२७	२,१३४	५१
			३ सांगीपुर	२३	१,७४८	९१
			४ कालाकंकर	२३	१,७४९	००
			५ भवानीगंज कोटा	२३	१,९६९	९१
			६ कुण्डा	२४	१,८७५	६८
			७ संडवा चन्द्रिका	२३	१,७२५	००
			८ पट्टी	१४	९२७	५०
			९ प्रतापगढ़	२२	१,७०५	००
		६ बाराबंकी	१ रामनगर	३४	३,३२१	७४
			२ मसौली	३२	२,८९६	९३
			३ रुदोली	३८	४,०३३	५२
			४ दरयाबाद	२४	२,२६६	८४
			५ हैदरगढ़	२४	२,३९१	००
			६ बन्की	२३	२,२२०	६३

नत्थी (ङ)

देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६८ का उत्तर पृष्ठ १३ पर।

मौदहा तहसील, जिला हमीरपुर के अन्तर्गत शराब के ठेकों में १६५६–५७ तथा १६५७–५८ के माहवारी बिक्री का विवरण निम्न प्रकार है :—

माह	१६५६–५७	१६५७–५८
	गैलन	गैलन
अप्रैल	३६८	४४७
मई	३७८	३७३
जून	३८३	४७०
जुलाई	४५६	५६७
अगस्त	२८६	३७५
सितम्बर	२५४	३६४
अक्टूबर	२७७	४३६
नवम्बर	३६५	३६८
दिसम्बर	४४०	४५४
जनवरी	५०८	४१०
फरवरी	३७७	४३७
मार्च	३८४	४२२
	४,५०६	५,१५३

नत्थी (च)

देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७० का उत्तर पृष्ठ १४ पर।

जिला सुल्तानपुर की प्रत्येक तहसील में १ जनवरी, सन् १९५८ ई० से ३० जून, १९५८ ई० तक भूदान में प्राप्त तथा भूमिहीनों में वितरित की गई भूमि का ब्योरा।

तहसील का नाम	भूदान में प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल एकड़	प्रबन्ध की गई भूमि का क्षेत्रफल एकड़	भूमिहीनों की संख्या जिनके साथ प्रबन्ध किया गया है।
१. सुल्तानपुर	...	८८.००	४२
२. मुसाफिरखाना	...	...	...
३. कादीपुर	...	...	...
४. अमेठी	१५.६२	१३५.७८	१५१
	१५.६२	२२३.७८	१९३

नोट—सदर तहसील में ८८.०० एकड़ प्रबन्ध की गई भूमि तथा अमेठी तहसील में १५.६२ एकड़ से अधिक प्रबन्ध की गई भूमि १ जनवरी, १९५८ से पहले प्राप्त की गई थी परन्तु इसका प्रबन्ध १ जनवरी, १९५८ तथा ३० जून, १९५८ के बीच हुआ था।

नत्थी (छ)

उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८

एक अधिनियम को निरसित करने तथा कुछ अन्य अधिनियमों को संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि एक अधिनियम जिसका अब प्रायः कोई प्रयोग नहीं रह गया है, स्पष्ट और विशिष्ट रूप से निरसित कर दिया जाय

और यह भी इष्टकर है कि कतिपय अन्य अधिनियमों में कुछ संशोधन किये जायं :

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्ष नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन अधिनियम, १९५८" कहलायेगा;

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

एक अधिनियम का निरसन

२—प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम उस अनुसूची के पांचवें स्तम्भ में वर्णित सीमा तक एतत्द्वारा निरसित किया जाता है।

कतिपय अधिनियमों का संशोधन।

३—द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम उस अनुसूची के पांचवें स्तम्भ में वर्णित सीमा तक तथा उसमें वर्णित रीति से एतत्द्वारा संशोधित किये जाते हैं।

अपवाद

४—इस अधिनियम द्वारा किये गये धारा २ में अभिदिष्ट अधिनियम के निरसन का प्रभाव किसी अन्य ऐसे अधिनियम पर न पड़ेगा जिसके द्वारा निरसित अधिनियम प्रवृत्त, समाविष्ट अथवा अभिदिष्ट किया गया हो;

और यह अधिनियम पहले से की गई या हुई किसी बात की, अथवा पहले से उपार्जित, उत्पन्न या उपागत किसी अधिकार, आगम, आभार या दायित्व की, अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपचार या कार्यवाही की, अथवा किसी ऋण, शास्ति, आभार, दायित्व, दावे या मांग के उत्सर्ग या उससे मुक्ति की, अथवा पहले से स्वीकृत किसी क्षतिपूर्ति (indemnity) की अथवा किसी अतीत कार्य या वस्तु के प्रमाण की मान्यता या अमान्यता, अथवा उसके प्रभाव या परिणाम पर प्रभाव न डालेगा;

और न यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम पर, यह वर्तमान क्षेत्राधिकार पर या वकालत, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप में या क्रम पर या वर्तमान प्रथा रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, विमुक्ति (exemption) पर या पद या नियुक्ति पर ही कोई प्रभाव डालेगा, भले ही वे एतत् द्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा, या उसमें अथवा उससे किसी भी रीति से क्रमशः संस्पुष्ट, अभिज्ञात अथवा व्युत्पन्न हुये हों,

और न इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियम के निरसन के परिणाम स्वरूप किसी भी क्षेत्राधिकार, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, विमुक्ति, प्रथा, व्यवहार, प्रक्रिया अथवा अन्य किसी विषय अथवा वस्तु का, जो सम्प्रति विद्यमान अथवा प्रवृत्त न हो, पुनः प्रचलन अथवा पुनः स्थापन ही होगा।

प्रथम अनुसूची

निरसन

(धारा २ देखिये)

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	निरसन की सीमा
१	२	३	४	५
१	१९४७	१७	यू० पी० रेस्टोरेशन आफ लैंड ऐण्ड हाउसेज ऐक्ट, १९४७	समस्त

द्वितीय अनुसूची

(धारा ३ देखिये)

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	संशोधन
१	२	३	४	५
१	१८८३	१९	दि लैण्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, १८८३	धारा ३ में शब्द "of a district" तथा "or any officer" के बीच में आने वाले शब्द "or the Deputy Commissioner" निकाल दिये जायं।
२	१९२२	१०	दि० यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२	(१) धारा ११ (आई) में:— (क) खंड (जी) के अंत में आने वाला शब्द "and" निकाल दिया जाय, और (ख) खंड (एच) के अंत में आने

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	संशोधन
१	२	३	४	५
				वाले सेमीकोलन के पश्चात् शब्द "and" बढ़ा दिया जाय, (२) धारा १४–डी की उपधारा (१) के खंड (सी) में कोष्ठक तथा अक्षर "(1)" के स्थान पर कोष्ठक तथा अक्षर "(d)" रख दिये जायं।
३	१६३६	१०	दि यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १६३६	(१) धारा ५ की । उपधार (१) के खंड (iii) में शब्द "system of medicine तथा in the manner prescribed" के बीच में शब्द "to be elected" रख दिये जायं। (२) धारा १४ का द्वितीय प्रतिबन्धक निकाल दिया जाय।
४	१६३६	४	दि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १६३६	धारा ११४–ए २७ फरवरी, १६५८ से निकाल दी जायगी और निकाली हुई समझी जायगी।
५	१६४८	७	यू० पी० रिफ्यूजीज रजिस्ट्रेशन ऐण्ड मूवमेन्ट ऐक्ट, १६४७	(१) धारा ४ के द्वितीय प्रतिबंधक में शब्द 'furnish on' तथा 'behalf' के बीच में आये हुये शब्द 'its' के स्थान पर शब्द 'his or her' रख दिये जायं, तथा (२) धारा ५ में शब्द 'as may be authorised' तथा 'this behalf' के बीच में आने वाले शब्द 'on' के स्थान पर शब्द 'in' रख दिया जाय।
६	१६४८	१५	संयुक्त प्रान्तीय विक्री कर ऐक्ट, १६४८	धारा ८–क की उप-धारा (४) में कोष्ठक तथा अक्षर "(च)" के स्थान पर कोष्ठक तथा अक्षर "(ङ)" रख दिये जायं।
७	१६५१	१	१६५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम	(१) अनसूची ५ में— (क) परिच्छेद ४–ख के स्पष्टीकरण के खंड (२) में शब्द और संख्या "डिसप्लेस्ड पर्सन्स कम्पेन्सेशन ऐण्ड

क्रम संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	निरसन की सीमा
१	२	३	४	५
				रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, १९५५" के स्थान पर शब्द और संख्या "डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (कम्पेन्सेशन ऐण्ड रिहैबिलिटेशन) ऐक्ट, १९५४" रख दिये जायं; और (ख) परिच्छेद ८ मे शब्द और संख्या "डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कम्पेन्सेशन ऐण्ड रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, १९५५" के स्थान पर शब्द और संख्या "डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (कम्पन्सेशन ऐण्ड रिहैबिलिटशन) एक्ट, १९५४" रख दिये जायं ।
८	१९५२	३८	उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिरोध अधिनियम, १९५२	(१) धारा १६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— "१६ यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध प्रति रोध आज्ञा या धारा १५ के अधीन किसी बस्ती में आसेध की आज्ञा दी गयी हो, (क) बिना आज्ञा या प्रवेश-पत्र (पास) के, जो नियत किया गया हो, ऐसी बस्ती या ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के जिसके भीतर उसकी गति विधि सीमित की गयी हो, बाहर या ऐसे स्थान में या ऐसे समय पर, जिसके लिये उसके प्रवेश-पत्र (पास) की शर्तों के अनुसार अनुमति न हो, पाया जाय, या (ख) किसी बस्ती से निकल भागे या प्रस्थान करे तो वह बिना किसी वारेन्ट के किसी पुलिस अधिकारी या बस्ती के किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा।

क्रम संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	निरसन की सीमा
१	२	३	४	५
				जो राज्य सरकार की किसी सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस बात के लिये अधिकृत किया गया हो गिरफ्तार किया जा सकता है और किसी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित किया जा सकता है, जो इस अधिनियम के अनुसार उसके विरुद्ध कर्यवाही करने के उद्देश्य से उसे उस क्षेत्र या बस्ती में, जैसी भी स्थिति हो, ले जाये जाने की आज्ञा देगा।"
				(२) अनुसूची में धारा ३६३ के सामने शब्द "अपहरण (kidnapping)" के पश्चात् तथा विराम के पहले शब्द "के लिये दंड" बढ़ा दिये जायं।
६	१६५६	३	उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, १६५५	(१) धारा ६ की उप-धारा (२) में शब्द "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" के पश्चात् आये हुये शब्द "अथवा राज्य सरकार से" भिन्न किसी अन्य लाइसेंस प्राधिकारी निकाल दिये जायं, तथा
				(२) धारा ७ की उपधारा (१) के खंड (घ) में आये हुये शब्द तथा अंक "धारा ८" तथा शब्द "के अधीन" के बीच में शब्द तथा अंक "अथवा सिने-मैटोग्राफ ऐक्ट, १६५२ की धारा ७" रख दिये जायं।
१०	१६५७	२५	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन), अधिनियम १६५७	धारा २ में आये हुये शब्द "विधान मंडल" तथा शब्द "(अनर्हता निवारण)" के बीच में शब्द "सदस्य" रख दिया जाय।

उद्देश्य और कारण

इस विधेयक का अभिप्राय परिनियम पुस्तक (Statute Book) से एक ऐसे अधिनियम को, जिसका अब प्राय: कोई प्रयोग नहीं रह गया है, हटाना तथा द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों में छोटे मोटे संशोधन करना है। इनमें से अनेक संशोधन उन सब गल्तियों को भी ठीक कर देंगे जो उक्त अधिनियमों में पाई गई हैं।

सैयद अली जहीर,

न्याय मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

मंगलवार, २७ कार्तिक, शक संवत् १८८०
(१८ नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (७९)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुर रऊफ, श्री
अब्दुस्सलाम शाह, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
इसहाक सम्भली, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
उमा शंकर सिंह, श्री
ए० जे० फ़रीदी, डाक्टर
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर रणंजय सिंह, श्री
केशव दत्त, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
कृष्णदेव प्रसाद गौड़, श्री
गिरधारी लाल, श्री
चन्द्र मोहन सुखिया, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल श्री
चौधरी शिव नाथ सिंह, श्री
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री
जगदीश प्रसाद द्विवेदी, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेलू राम, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नवल किशोर गुरूदेव, श्री
नवाब सिंह, श्री
निज़ामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
नौरंग सिंह, श्री
पीताम्बर दास, श्री
पुष्कर नाथ भट्ट, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
पृथ्वी नाथ, श्री
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बनवारी लाल, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
मदन मोहन, श्री
मदन मोहन लाल, श्री
महफ़ूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री

मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामधारी पान्डे, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नाथ, श्री
राम नारायण पाण्डे, श्री
राम लखन, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लक्ष्मी नारायण दीक्षित, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
ब्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
शंकर राव, श्री
शकुन्तला श्रीवास्तव, श्रीमती
शफीक अहमद खां, तातरी श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिव नारायण, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शुगन चन्द श्री
सकट्ठ मल, श्री
सरदार बलवन्त सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हरि कृष्ण अवस्थी, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री

निम्नलिखित मन्त्री व उपमन्त्री, जोकि विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे;

श्री हुकुम सिंह विसेन (स्वास्थ्य, न्याय, सहायता व पुनर्वास मन्त्री) ।
श्री चरण सिंह (राजस्व, विद्युत तथा सिंचाई मन्त्री)
श्री बलदेव सिंह आर्य (स्वास्थ्य उप मंत्री)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१-१०—(स्थगित)।

गोविन्द सागर बांध

*११—श्री पीताम्बर दास (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि ललितपुर (झांसी) से लगभग ८ मील पर गोविन्द सागर बांध की नहर १९५८ में तीन बार टूटी?

श्री चरण सिंह—(राजस्व, विद्युत तथा सिंचाई मन्त्री) जी हाँ। तीन बार टूटी।

श्री पीताम्बर दास—यह नहर कब-कब टूटी है?

श्री चरण सिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी। सन् १९५८ में टूटी थी इतना ही आप ने प्रश्न किया था इस लिये तारीख नहीं बतला सकता हूँ।

श्री पीताम्बर दास—महीना ही बतला दीजिये तारीख न सही?

श्री चरण सिंह—महीना भी इस वक्त मालूम नहीं है। आज ही मैंने उन लोगों से कहा है कि महीना और तारीख मुझे तफसील से बतलाओ।

श्री पीताम्बर दास—क्या इसके बारे में सरकार ने तहकीकात की थी कि किस-किस फसल का नुकसान हुआ है और कितने रकबे की आबपाशी होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई?

श्री चरण सिंह—इसका जवाब दिया जा चुका है कि तहकीकात हुई और रिपोर्ट यह आई कि भराव के कारण नहर टूट गयी और जगह-जगह पर सूराख हो गये। भराव की नहर में साल दो साल तो ऐसा होता ही है।

श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार यह नहर टूटी इन तीनों बार के लिये वही उत्तर लिखा हुआ है कि पानी आया जिससे नहर टूट गयी, ऐसा क्यों हुआ?

श्री चरण सिंह—मील तो ८ था लेकिन फरलांग मुख्तलिफ थे।

श्री पीताम्बर दास—अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो नहर टूटी है तो उसके न टूटने से जितने क्षेत्रफल में सिंचाई होती वह कितना क्षेत्रफल था और यदि उसके टूटने के बाद जो पानी फैला है तो उससे कितने क्षेत्रफल की फसल खराब हुई है?

श्री चरण सिंह—सवाल यह था कि नहर टूट जाने के कारण जो नुकसान किसानों की फसल को उठाना पड़ा......यह नहीं था कि अगर न टूटी होती तो कितने क्षेत्रफल की सिंचाई होती।

श्री चेयरमैन—वह क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। वह जानना चाहते हैं कि कितने क्षेत्र को नुकसान पहुँचा है।

श्री चरण सिंह—फसल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तफसील इस वक्त मेरे पास नहीं है कि उस समय फसल थी या नहीं। इसकी इन्क्वायरी मैंने की है। उन्होंने अपनी तहकीकात से बतलाया कि उस समय कोई फसल नहीं थी इसलिये नुकसान नहीं हुआ।

श्री पीताम्बर दास—मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई इन्क्वायरी चल रही है जिसका जवाब अभी स्वेटेड है?

श्री चरण सिंह—यह तो टूटने के वक्त की तहकीकात हुई है और उसका जवाब भी आपको मिल गया है। लेकिन मैं उस तहकीकात से स्वयं संतुष्ट नहीं हूँ इसलिये मैंने आज ही उनको बुलाया है और कितनी ही बातें उनसे पूछी हैं जिनका वे मुझे अभी जवाब देंगे।

श्री बनवारी लाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री जी के पास या सरकार के पास किसानों की शिकायतें या रिप्रेजेन्टेशन किसी की ओर से इस सम्बन्ध में हुआ और उस पर कोई तहकीकात हुई?

श्री चरण सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

*१२—**श्री पीताम्बर दास**—क्या सरकार द्वारा उपर्युक्त नहर के टूटने के कारणों की कोई जाँच की गई?

श्री चरण सिंह—जी हाँ।

*१३—**श्री पीताम्बर दास**—यदि हाँ, तो जांच का क्या परिणाम निकला?

श्री चरण सिंह—इन जगहों पर नहर बहुत भराव से होकर जाती है। पानी नहर में पहली बार चला था, जिससे कि भराव की मिट्टी बैठी और नहर में शोरी हो गई, जिससे कि नहर टूट गई।

*१४—**श्री पीताम्बर दास**—नहर टूट जाने के कारण जो नुकसान किसानों की फसल को उठाना पड़ा क्या सरकार ने उसकी क्षति पूर्ति की?

श्री चरण सिंह—उक्त स्थानों पर नहर के टूटने से किसानों की फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अतः क्षति पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

चीफ इन्जीनियर (सिंचाई) के कार्यालय में ग़बन

*१५—**श्री अब्दुर रऊफ़** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या सरकार को मालूम है कि सरकार के मुहकमे सिंचाई में चीफ इन्जीनियर आफिस लखनऊ में श्री पूरन मल

गुप्ता असिस्टेंट इन्जीनियर के खिलाफ शारदा पावर हाउस का बहुत बड़ी मात्रा में रुपया खुर्द बुर्द करने का इल्जाम लगाया गया था ?

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरण सिंह—(क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अब्दुर रऊफ़—मैं आपकी विसाखत से माननीय मंत्री जी से यह दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि शारदा कैनाल के जो चीफ इन्जीनियर थे, और जिनके बारे में मैंने दरियाफ्त किया था कि कितना रुपया इस सिंचाई के सिलसिले में सैलाव की जद में आने वाले इलाके में कितना रुपया खर्च किया गया और उसका जवाब यह दिया गया है कि एक योजना थी......

श्री चेयरमैन—आप प्रश्न १५ से सम्बन्धित प्रश्न पूछें।

श्री अब्दुर रऊफ़—सिंचाई इन्जीनियर के बारे में मैंने दरियाफ्त किया था कि उनके मुतालिक कोई शारदा पावर हाउस की बहुत बड़ी रकम के सिलसिले में कोई गड़बड़ी हुई या कोई चीज हुई, जैसा कि आपने फरमाया, तो मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि जिन इन्जीनियरों को इस सिलसिले में ट्रांसफर किया गया है वह किन बुनियादों पर किया गया है और अगर यह इल्जाम नहीं है तो यह ट्रांसफर किस सिलसिले में किये गये हैं ?

श्री चरण सिंह—गबन के इल्जाम के अलावा और सैकड़ों वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर ट्रांसफर किये जा सकते हैं।

श्री अब्दुर रऊफ़—जो सैकड़ों वजूहात हैं उनमें से मैं एक दो वजूहात मालूम करना चाहता हूँ कि वह क्या हैं ?

श्री चेयरमैन—यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री अब्दुर रऊफ़—क्या बहगुल नदी पर सैलाव के इलाके से बहेड़ी फार्म को बचाने के लिये एक रकम मंजूर की गई थी और मि० बी० एन० खत्री ने इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं दी ?

श्री चेयरमैन—आप खड़े होकर पहले प्रश्न १६ कहें, तब माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देंगे और फिर आप पूरक प्रश्न कर सकते हैं।

बहगुल नदी की स्कीम पर खर्चा

*१६—**श्री अब्दुर रऊफ़**—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि तहसील बहेड़ी जिला बरेली में बहगुल नदी के नशेवी इलाके में मखसूस फार्मों को सैलाब की जद से बचाने के लिए नहर के अफसरान ने जो स्कीम तैयार की थी उस पर किस कदर अब तक (१–९—५८) खर्च हुआ और किस कदर खर्चा मंजूर किया गया और वह स्कीम किस दर्जे पर है ?

श्री चरण सिंह—जिला बरेली की तहसील बहेड़ी में बहगुल नदी के नशेबी इलाके का सैलाब की जद से बचाने के लिए एक योजना ४३,००,००० रु० की लागत पर Baigul Flood

Detention Reservoir के नाम से बनाई गई है। इस पर अब तक न तो कोई खर्च हुआ है और न कोई खर्च मंजूर किया गया है। इसके बारे में केन्द्रीय जल तथा विद्युत कमीशन से बात चीत चल रही है।

श्री अब्दुर रऊफ़—क्या यह वाकिया है कि बहगुल नदी पर नशेवी इलाकों पर लाखों का सरफा हुआ है?

श्री चरण सिंह—मैंने जो इतिला दी है उसकी बिना पर कह सकता हूँ कि अभी कोई खर्चा नहीं हुआ है।

श्री शफीक अहमद खां तातारी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना कब बनायी गयी थी?

श्री चरण सिंह—इसकी जन्म तिथि का पता लगाना इस वक्त मुश्किल है।

श्री अब्दुर रऊफ़—इस बहगुल नदी की योजना की जो बातचीत हो रही है तो क्या श्री बी० एन० खत्री, असिस्टेंट शारदा कैनाल इन्जीनियर ने कोई रिपोर्ट दी थी?

श्री चेयरमैन—प्रश्नों में किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लें।

श्री अब्दुर रऊफ़—शारदा कैनाल के असिस्टेंट इन्जीनियर ने बहगुल नदी पर कितने लाख रुपये का पुश्ता तैयार किया, क्या उसके सिलसिले में कोई रिपोर्ट की गयी थी?

श्री चरण सिंह—बहगुल फ्लड डिटेन्शन रिज़र्ववायर के सिलसिले में कोई खर्च नहीं हुआ है और न कोई स्कीम ही है। मेरे मित्र को कुछ कंफ्यूज़न हो रहा है। उस के बारे में कोई रिपोर्ट का सवाल ही नहीं उठता है।

श्री अब्दुर रऊफ़—बहगुल नदी के सम्बन्ध में क्या स्कीम है?

श्री चेयरमैन—इसका उत्तर मिल चुका है। आप कोई नया प्रश्न करें।

*१७—३७—(स्थगित)।

वर्षा काल में बांधों का टूटना

*३८—**श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या सिंचाई मन्त्री बतलायेंगे कि इस वर्ष वर्षा काल में मोलाई बांध के अतिरिक्त कितने बाँध जिलेवार इस प्रदेश में टूटे?

(ख) उनका ब्योरा क्या है?

श्री चरण सिंह—(क) सिंचाई विभाग द्वारा जितने बाँध बनाये गये थे उनमें से कोई भी इस वर्ष वर्षाकाल में नहीं टूटा।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

*३९—**श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**—क्या सिंचाई मन्त्री बतलायेंगे कि उपर्युक्त बाँधों के टूटने के क्या कारण थे ?

श्री चरण सिंह—इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

*४०—**श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**—(क) क्या सिंचाई मन्त्री बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई जांच कमेटी बिठाई गई ?

(ख) यदि हां, तो कब ?

श्री चरण सिंह—(क) इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

*४१—**श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**—(क) क्या सिंचाई मंत्री बतलायेंगे कि इन बाँधों के टूटने की जिम्मेदारी किस पर है ?

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—(क) इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं पूछना चाहता था कि सिंचाई विभाग द्वारा जितने बाँध बने थे उनमें से कितने टूटे हैं । मैंने तो यह पूछा था कि इस वर्ष वर्षा काल में कितने बाँध टूटे हैं ?

श्री चरण सिंह—सवाल यह है कि क्या सिंचाई मंत्री जी बतलायेंगे कि इस वर्ष वर्षा-काल में कितने बाँध टूटे हैं । अगर आप ने यह पूछा होता कि क्या सरकार यह बतलायेगी तो उस वक्त पोजीशन दूसरी होती ।

श्री चेयरमैन—सिंचाई मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि आप ने यह कहा कि गर्वनमेन्ट और सिंचाई मंत्री दो अलग चीजें हैं, तो इसको आप जरा एक्सप्लेन कर दें ।

श्री चरण सिंह—गवर्नमेन्ट ज्यादा बड़ी चीज़ है ।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि क्या सिंचाई मन्त्री बतलायेंगे कि इस वर्ष वर्षा काल में मिलाई बाँध के अतिरिक्त कितने बाँध जिलेवार इस प्रदेश में टूटे । तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सवाल के जवाब देने का अधिकार माननीय सिंचाई मंत्री जी को है या नहीं ?

श्री चरण सिंह—कुछ बाँध पी० डब्ल्यु० डी० के मातहत होते हैं, सिंचाई विभाग के मातहत कुछ होते हैं । जैसे मिलाई और गोरखपुर का जो बाँध है यह पी० ड्ब्ल्यु० डी० के मातहत हैं, बनारस में भी कुछ बाँध पी० डब्ल्यु० डी० के मातहत हैं । इसी प्रकार से कुछ बाँध ऐसे हैं जो सिंचाई विभाग द्वारा बनाये गये हैं । माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि क्या सिंचाई मंत्री जी बतलायेंगे कि कितने बाँध टूटे हैं । तो उसका जवाब दे दिया गया है कि सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया कोई बाँध नहीं टूटा है ।

श्री चेयरमैन—मेरी राय यह है कि जब इस तरह के प्रश्न किसी माननीय मंत्री से पूछे जायें तो अगर वे केवल उनके डिपार्टमेन्ट के न हों, तो माननीय मंत्री जी ऐसी हिदायत कर दें कि जो उससे सम्बन्धित डिपार्टमेंट है, वहाँ पर वे भेज दिये जाँय।

श्री चरण सिंह—मैं आपसे इसके बारे में फिर बात कर लूंगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो सिंचाई विभाग से पी० डब्ल्यु० डी० विभाग से तथा बिजली के मुहकमे से ताल्लुक रखती हैं। एक किस्म की चीज इन सब विभागों में बनती हैं। इसलिए माननीय सदस्य के लिए यह मुनासिब होगा कि वह यह पूछे कि क्यां सरकार बतलायेगी, तो आप को जवाब आसानी से मिल सकता है, नहीं तो उसका जवाब आने में ६ महीने लग जायेगें।

श्री चेयरमैन—पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस यह है कि यदि कोई सदस्य प्रश्न करता है तो उसके लिए इतना लिख देना ही काफ़ी होता है कि क्या सरकार बतलायेगी या मंत्री का नाम लिखे तो मिनिस्ट्रीयल खाते का यह कर्त्तव्य होता है कि वह उस प्रश्न की जाँच करे कि वह किस डिपार्टमेंट का है और जाँच करने के बाद उस डिपार्टमेन्ट में भेज दे। हर एक सदस्य यह नहीं जान सकता है कि कौन सा पोर्टफोलियो किसके पास है और कौन सा अधिकार किसके पास है। हमारा बहुत बड़ा प्रान्त है, इसलिये इसकी जिम्मेदारी सदस्य पर नहीं डाली जा सकती है कि वह अमुक शब्द लिखे। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी को सदस्यों की सहायता करनी चाहिये।

[प्रश्न ४२-५३ के उत्तर प्रश्न ५५ के उत्तर के बाद पढ़े गये]

मौदह जिला हमीरपुर में सिंचित क्षेत्र

*५४—**श्री नवल किशोर गुरुदेव** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खरेला तहसील मौदहा (जिला हमीरपुर) में कितना रकबा सिंचाई का है?

श्री चरण सिंह—२९४ एकड़।

*५५—**श्री नवल किशोर गुरुदेव**—क्या सरकार की योजना अर्जुन डैम (जिला हमीरपुर), की माइनरों को आगे बढ़ाने की है?

श्री चरण सिंह—'जी नहीं'।

श्री नवल किशोर गुरुदेव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २९४ एकड़ जमीन की जो सिंचाई हुई है, यह किन साधनों के द्वारा हुई है, नहरों के द्वारा, तालाबों के द्वारा या कुवों के द्वारा?

श्री चरण सिंह—यह तो नहरों के द्वारा हुई है।

श्री नवल किशोर गुरुदेव—क्या माननीय मंत्रीं जी बतलायेंगे कि अलरा पहाड़ी बसवारी, मुरकरा, ऐंभी माइनरों को आगे बढ़ाने के बारे में जनता द्वारा प्रार्थना पत्र आये हैं और स्थानीय अधिकारियों ने इन्हें आगे बढ़ाने की सिफारिश की है, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री चरण सिंह--यहाँ पर १०७ मील नहर बननी थी जिसमें से ६५ मील बन चुकी है, लेकिन किसान इससे पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं। १४,००० जमीन की आवपाशी हो रही है। यदि दो, चार साल में इन्होंने इस नहर से पूरा फायदा उठा लिया तो फिर आगे बढ़ाने के बारे में विचार किया जायेगा।

श्री नवल किशोर गुरुदेव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो नहर वहाँ बन गई है और जहाँ पर सिंचाई से फायदा होना चाहिये, लेकिन वहां पर माइनर नहीं बढ़ाई गई तो क्या इन को आगे बढ़ाने के बारे में सरकार सोच रही है।

श्री चरण सिंह--मैंने कहा आम तौर से नहीं सोच रही है, लेकिन यदि किसी गांव विशेष की बात हो और वहां पर लोग माइनर बनने से फायदा उठा सकते हैं, तो मेरे मित्र मुझ से बातें कर लें।

नलकूप के डिस्चार्ज में कमी

*४२--श्री महाराज सिंह भारती (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिवीजन बुलन्दशहर गाजियाबाद ग्रुप नलकूप नं० २ जो १९३५ में बना था और जिसका डिस्चार्ज पुराना होने के नाते बहुत घट गया है, उसकी बोरिंग कराने की कोई योजना है?

(ख) यदि हाँ, तो कब तक नया बोरिंग हो जायगा?

श्री चरण सिंह (क)--जी नहीं।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शफ़ीक अहमद खांतातारी--क्या सरकार के पास यह सूचना है कि यह नलकूप पुराना हो जाने के कारण कम पानी निकालता है?

श्री चरण सिंह--इसका डिस्चार्ज पहले फ़ी घंटा २८२२६ था, अब २३ हज़ार के करीब है। कुल साढ़े चार हज़ार की कमी हुई है। इतनी कमी होने पर नई बोरिंग नहीं हो सकती।

तहसील हापुड़ में नलकूप

*४३--श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कौल, तहसील हापुड़, जिला मेरठ में नदी से पूरब में जो सैकड़ों एकड़ रकबा खाली पड़ा है इसमें नलकूप लगाने की कोई योजना है?

(ख) यदि हाँ, तो कब तक काम चालू हो जायगा?

श्री चरण सिंह--(क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न हो नहीं उठता।

† प्रश्न संख्या ४२--५३ श्री शफ़ीक अहमद खां तातारी द्वारा पूछे गये।

श्री शफ़ीक़ अहमद खाँ तातारी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितना रक़बा बिला सिंचाई के पड़ा हुआ है ?

श्री चरण सिंह—४२० एकड़ में से ८० एकड़ सिर्फ पड़ा हुआ है और इसका कोई ४० फ़ीसदा काली नदी के खादर में है वहाँ नलकूप कामयाब हो जायेगा ऐसी उम्मीद है ।

ज़िला सहारनपुर का टूटा हुआ बाँध

*४४—**श्री महाराज सिंह भारती** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला सहारनपुर में जमुना नदी के किनारे ग्राम मन्डती से ग्राम छज्जे तक किनारे पर बँधा हुआ जो बाँध १९४७-४८ की बाढ़ में टूट गया था, उसकी मरम्मत की गई या नहीं ?

श्री चरण सिंह—ज़िला सहारनपुर में ताजेवाला हेड वर्क्स के नीचे बायें किनारे पर १४८४ फीट लम्बा गाइड बन्ध था और उसके नीचे १४०० फीट लम्बा छज्जा बन्ध था, दोनों के बीच में १६०० फीट फासला था । सन् १९४७ में यह बन्ध टूट गये इसके बाद गाइड बन्ध १३८६ फीट की लम्बाई में बना दिया गया परन्तु छज्जा बन्ध के बजाय एक चार मील लम्बे बन्ध की योजना वचाराधीन है जो कि ताजेवाला से नीचे बायें तरफ के गाँवों की रक्षा कर सकेगा ।

श्री शफ़ीक़ अहमद खाँ तातारी—छज्जा बन्द न बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह—मुकाबले में पंजाब वाले भी बनाना चाहते थे । जब दोनों तरफ़ बाँध बँध जायेंगे तो जो हमारा नहर का पुल दिल्ली के पास है उस पर डिस्चार्ज ज्यादा हो जायेगा ।

श्री शफ़ीक़ अहमद खाँ तातारी—जो दूसरा बाँध बनाने की कोशिश की जा रही है यह कब तक बनाये जाने की योजना है ।

श्री चरण सिंह—जब गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया राज़ी हो जाये ।

श्री तेलू राम (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार को यह मालूम है कि दोनों बाँध इसलिए टूट गए कि पंजाब सरकार ने अनधिकृत रूप में यमुना के किनारे ऊँचा लम्बा बाँध बाँध कर पानी का बहाव इस तरफ कर दिया है ।

श्री चरण सिंह—मुझे इस की सूचना नहीं है । इसके लिए नोटिस चाहिए ।

श्री शफ़ीक़ अहमद खाँ तातारी—जो भूमि कट गई है, उससे जो नुकसान हुआ है, क्या उसके लिए कुछ मोआवज़ा देने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ।

श्री चेयरमैन—माननीय सिंचाई मंत्री जी ने आज ही ही चार्ज लिया है, इसका ख्याल रखिएगा ।

श्री चरण सिंह—आसमानी आफ़त की वजह से जो नुकसान लोगों का होता है उसका गवर्नमेंन्ट मोआवज़ा नहीं देती है, इसके अलावा यह कोई नेचुरल कलैमिटी भी नहीं

है। अगर यमुना ऐसी नदी से २० गाँवों में ५०० एकड़ ज़मीन कट जाती है तो यह कोई नेचुरल कलैमिटी नहीं कही जा सकती। उतनी निकल भी आती है।

*४५—श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि सहरानपुर जिले के ग्राम बरथी खेड़ी, छज्जा, कन्डी हावाला, लोवी, बास, नगली, नदपुर चौंड़ी, केटडा, गढ़ कौरसी बरथा, बरथा असलमपुर, रसूली, बोलरा, ननियारी, जोधे वाला, आलमपुर, पंचकुवाँ, टोडरपुर, मोकरी, टाम्पू घोड़ो, पीपली में हजारों एकड़ भूमि जमुना द्वारा काट दी गई है?

श्री चरण सिंह—पिछले तीन सालों में सूची में दिये गाँव में करीब ५०० एकड़ भूमि यमुना द्वारा कट गई है।

*४६ श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चरण सिंह—सूची में दिये गये कुछ गांवों की रक्षा तो उपरोक्त कथित बन्ध से सीधे ही हो जायगी और सम्भवतः इस बन्ध के बनने से नीचे के गाँवो में कोई कटान नहीं होगा।

ज़िला मेरठ में तालाब से पानी की निकासी

*४७—श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम किठौड़ा ज़िला मेरठ के पश्चिम के तालाब से पानी निकासी ठीक करने के लिये कोई पक्की नाली सड़क पार के तालाब में डालने की सरकारी योजना है?

श्री चरण सिंह—इस समय ग्राम किठोड़ा ज़िला मेरठ के पश्चिम के तालाब से पानी निकासी की कोई योजना नहीं है।

मेरठ डिवीजन में ग्रीष्म ऋतु में कम पानी

*४८—श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—(क) क्या यह ठीक है कि रजबहा रास्ता सलावा डिवीजन मेरठ के आखिर में ग्राम चौवला ढडरा, बहरामपुर व मौरना में ग्रीष्म ऋतु में बहुत कम पानी जाता है?

(ख) और आख़ीर में पानी पहुँचाने के लिये अधिकारियों को माइनरें बन्द करके कातातील करानी होती है?

श्री चरण सिंह (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

*४९—श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—पानी की उपर्युक्त कमी का क्या कारण है?

श्री चरण सिंह—इसके दो कारण हैं:—

गन्ने की सिंचाई अधिक बढ़ जाना व इन दिनों काश्तकारों का नहर में बन्द आदि लगाकर व कुलाबों को अनधिकृत रूप से नीचा करके सिंचाई करने की कोशिश करना।

*५० श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरण सिंह—इस बात का प्रबन्ध किया जा रहा है कि राजबाहो में हेड से अधिक मात्रा में पानी चलाया जावे और उन कुलाबों को, जिन्हें नीचा कर लिया गया है, फिर इसे ठीक ऊँचाई पर लगा दिया जावे ।

बुलन्दशहर डिवीजन में अव्यवस्थित नलकूप

*५१—श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार बतायेगी कि डिवीजन बुलन्दशहर ग्रुप गाजियाबाद नलकूप नं० २९, ग्राम मोरटी में नलकूप की पूर्वी कूल टूटी पड़ी है ?

(ख) यदि हाँ, सरकार उस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री चरण सिंह— (क) जी हाँ ।

(ख) अब उक्त नाली फिर से बनाई जा रही है ।

*५२—श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि उक्त गाँव वालों ने लगभग एक साल हुआ सम्बन्धित अधिकारियों को उस कूल को ठीक कराने के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र दिया था ।

श्री चरण सिंह—जी हाँ ।

*५३—श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—(क) क्या यह सत्य है कि उस नलकूप का डिस्चार्ज घट गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री चरण सिंह—(क) जी हाँ ।

(ख) चूँकि अभी इस नलकूप का डिस्चार्ज पर्याप्त है, इसलिये इसमें किसी प्रकार की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

डिवीजन मेरठ में पुल का ऊँचा कराया जाना

*५६—श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि माइनर मूनी रजबहा जौली डिवीजन मेरठ मील ४ व ५ के बीच ग्राम पथौली के सामने जो आम रास्ते का पुल बहुत नीचा है उसे ऊँचा करने की योजना है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं ।

*५७—श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त पुल में पेड़ की शाख डालकर पानी रोक लिया जाता है जिससे टेल के किसानों को बहुत हानि होती है ?

श्री चरण सिंह—कभी कभी किसान उक्त साइफन में रोक लगाकर ऊपर के कुलाबों पर अनुचित ढंग से पानी का दबाव बढ़ा लेते हैं परन्तु तत्काल ही सफाई का प्रबन्ध कर दिया जाता है और कृषक गणों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाती है ।

अतारांकित प्रश्न

अमेठी तहसील में नहर (रजबहा का निर्माण)

१—श्री कुँवर रणञ्जय सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि—

(क) अमेठी तहसील में जो नहर (रजबहा) का निर्माण किया जा रहा है उसके लिये किन-किन स्कूलों की कितनी भूमि ली गई है, तथा

(ख) प्रत्येक स्कूल के लिए कितना प्रतिकर निर्धारित किया गया है ?

श्री चरण सिंह—(क) ग्राम राम नगर माफी में स्थित हायर सेकंड्री स्कूल की लगभग ०·१२एकड़ भूमि रजबहा अमेठी के निर्माण के हेतु ली गई है ।

(ख) भूमि का प्रतिकर २००रु० प्रति एकड़ की दर से लगभग २४ रु० होगा ।

२—(स्थगित) ।

अनाथालयों व विधवा-आश्रमों को सहायता

३—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि १९५७-५८ में किन-किन अनाथालयों, विधवाश्रमों तथा यतीमखानों को कितनी सहायता दी गई ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (समाज कल्याण मंत्री) (अनुपस्थित)—यह सूचना संलग्न सूची† में दी हुई है ।

४—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) क्या कुछ ऐसे भी अनाथालय, विधवाश्रम तथा यतीमखाने हैं जो मान्यता प्राप्त न होने पर भी चल रहे हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो वे कौन-कौन सी और कहां-कहां पर स्थित हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (अनुपस्थित)—(क) यू० पी० महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है । जब तक उक्त अधिनियम पूर्णरूप से लागू नहीं हो जाता तब तक मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ डिविज़न में १९४९ व १९५७ में नलकूप द्वारा सिंचन क्षेत्रफल

५—श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिवीजन मेरठ माइनर अब्दुल्लापुर जो नलकूपों के पानी द्वारा चलाई जा रही है, उससे सींचे गये खेतों का क्षेत्रफल ग्राम रजपुरा, सिलारपुर, जलालपुर भूँडपुर में रबी व खरीफ की फसलों के लिये अलग-अलग १९४९ व १९५७ में कितना-कितना था ?

श्री चरण सिंह—ग्राम रजपुरा, सिलारपुर, जलालपुरा और भूँडपुर में वर्ष १९४९ व १९५७ की खरीफ व रबी की फसलों में सींचा गया क्षेत्र संलग्न सूची ‡ में है ।

*६—श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—(क) क्या उक्त माइनर से ग्राम भूँडपुर में सींचे जाने वाले कामान्डिग क्षेत्रफल में कुछ ऐसे किसान भी हैं जो माइनर से पानी नहीं ले रहे हैं ?

---

† देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ १२९ पर ।

‡ देखिये नत्थी 'ख' पृष्ठ १३१ पर ।

(ख) यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह——(क) जी हाँ

(ख) क्योंकि इन कृषकों ने अपने निजी सिंचाई के साधन बना लिए हैं और इसलिए वे इस माइनर से पानी नहीं लेते हैं।

श्री चेयरमैन——प्रश्न समाप्त हुये।

श्री अब्दुर रऊफ द्वारा पूछे गये प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों के उत्तर न दिये जाने की शिकायत

श्री अब्दुर रऊफ——आन ए प्वाइंट आफ इन्फारमेशन। जनाबवाला, मैं आप से कुछ पूछना चाहता हूँ। १५, १६, १७, १८ चार क्वेश्चन्स थे। यह चारों एक ही डिपार्टमेंट के और एक ही जगह के मुतालिक हैं। इनमें से दो का जवाब आ गया है और दो मुल्तवी कर दिये गये हैं। जनाबवाला ने आदेश दिया था कि ३० दिन में सवालों के जवाबात आ जायेंगे लेकिन इस में महीनों हो गये। चूंकि यह सब एक ही विभाग और एक ही जगह से ताल्लुक रखते हैं इसलिये इनका जवाब अब तक आ जाना चाहिये था।

श्री चेयरमैन——बात ऐसी है कि चार सवालात एक ही मुहकमे के हैं लेकिन कुछ सवालों में ऐसा होता है कि सरकार के पास जानकारी होती है और कुछ में जिले और तहसीलों से मँगाई जाती है। विभाग तो एक ही होता है लेकिन जब जानकारी दूसरी जगह से मँगाई जाती है तो समय की पाबन्दी नहीं हो सकती है। चार में से दो के जवाबात आ गये हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि चारों एक साथ लिये जायँ तो १५, १६ को रोक लिया जाय और जब १७, १८ का जवाब आये तब लिये जायँ।

श्री अब्दुर रऊफ——जनाबवाला, व्यवस्था ऐसी है कि एक ही डिपार्टमेंट से और एक ही जगह से यह सब सवालात ताल्लुक रखते हैं। दो का जवाब आ गया है और दो का बाकी हैं। बाहर से कहीं पूछा नहीं गया है।

श्री चेयरमैन——यदि ऐसा है तो आप लिखकर दें मैं पूछूँगा कि सरकार की जानकारी में यह है या जिले और तहसील से मँगाई गई है।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक

†**श्री चरण सिंह**——श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

---

† मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देहाती इलाके में जमीन्दारी प्रायः खत्म हो चुकी है लेकिन गवर्नमेन्ट के पास कुछ ज़मीन आ गई थी, किन्हीं कारणों से वह गवर्नमेन्ट स्टेट कहलाती थी और वह मुखतलिफ जिलों में छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटी हुई थी जैसे नैनीताल तराई स्टेट फार्म है वह तो लाखों एकड़ में है और जिलों में १००-१०० और १०-१० एकड़ में फैली हुई है। इस तरह से ४१ जिलों में गवर्नमेन्ट की मिलकियत थी। वहाँ जमीन्दारी विनाश का सवाल उठता नहीं है लेकिन लैन्ड रिफार्म का सवाल जरूर है।

३२ जिलों में नाटीफिकेशन के ज़रिये हमारा जो मूल अधिनियम जमीन्दारी अबालिशन ऐण्ड लैन्ड रिफार्म ऐक्ट १९५० है उसको संशोधनों के साथ नाफिस कर दिया गया, लेकिन ९ जिले ऐसे थे जहाँ जमीन ठेकेदारों के पास थी। वहाँ लैन्ड रिफार्म तभी किया जा सकता है जब ठेकेदारों का अधिकार समाप्त कर दिया जाय। यही इस बिल का मंशा है कि ठेकेदारों के हकूक हसब कर लिये जायें और उनका मुआविज़ा दे दिया जाय तभी लैन्ड रिफार्म किया जा सकता है।

इस तरह का एक ऐक्ट लैन्ड रिफार्म का रामपुर के सिलसिले में यहाँ पास हुआ था। वहाँ बहुत सी जमीन पुरानी हुकूमत के समय से ठेकेदारों के पास थी। कुछ ठेकेदारों ने संविधान की बिना पर हाई कोर्ट में गवर्नमेन्ट के खिलाफ एक दावा दायर किया था लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला गवर्नमेंट के हक़ में दिया, उसके बाद उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और वह बरसों से पड़ी है। हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला गवर्नमेंट के हक़ में मिलेगा। तो जिस तरह का रामपुर ठेकेदारी ऐन्ड पट्टेदारी अबालिशन ऐक्ट है उन्हीं लाईन्स पर इसमें धारायें रखी गई हैं।

इस वक्त ९ जिलों में गवर्नमेंट स्टेट में ठेकेदारी है। जब यह ऐक्ट यहाँ के लेजिस्लेचर्स से पास हो जायेगा तो ठेकेदारी खत्म हो जायेगी और लैन्ड रिफार्म हो जायेगा। यह जिले हैं: बलिया, वाराणसी, बिजनौर, फरुखाबाद, झाँसी, खीरी, पीलीभीत, उन्नाव और गोंडा और रकबा है ६,१०० एकड़। एक गाँव बलिया है उसका रक़बा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वह खादर में है गंगा के, और वह रक़बा कभी कम हो जाता है और कभी वैसी। वह गाँव पूरा ठेकेदारों के पास है।

इस तरह से जो गवर्नमेंट की आमदनी होती है वह ६७३८ रुपये की होती है और ठेकेदारों की जो आमदनी होती है काश्तकारों से वह २३४६८ रुपये की होती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का १६००० का मुनाफा बढ़ जायगा और इसके लिए जो ठेकेदारों को कम्पनसेशन दिया जायगा वह ६०००० रुपया होगा। इसकी मोटी-मोटी बातें यह हैं। जो पट्टे हैं वह उस वक्त से खतम माने जायेंगे जब से कि गवर्नमेंट का नोटीफिकेशन जारी होगा। वह पट्टे उसी तारीख से खत्म माने जायेंगे। यह दफ़ा ३ में दिया हुआ है। खंड ४ में यह दिया हुआ है कि इन पट्टों के खतम होने के नतायज क्या होंगे। कांसीक्वेंसेज़ क्या होंगे जैसे कि लगान देने का जिम्मेदार कौन होगा बक़ाया वसूल करने के लिए क्या होगा। अगर जमीन ठेकेदार के खुद काश्त में है तो उसका मालिक कौन होगा और आगे वह क्या लगान देगा। और अगर वह जमीन ३० एकड़ से ज्यादा है तो उसका क्या होगा। यह धारा ६ में दिया हुआ है। धारा ९ और १० जो हैं उनमें ज़िक्र इस

[श्री चरण सिंह]

बात का है कि उसमें यह कैसे कूता जायगा कि उसकी नेट इनकम क्या थी। जो कुछ ठेकेदार को मिलता था उसका हिसाब किस तरह से होगा। उसकी इन कमिंग और आउट गोइंग क्या था कितना उसको खर्च करना पड़ता था। सेक्शन ४३ और ४४ जमींदारी अबालीशन के जैसे ही हैं। लेकिन इसमें सरल हैं। सेक्शन १९ में हमने रक्खा है कि जो मुआविजा होगा वह नकद दिया जायगा बजाय इसके कि हम उनका बांड्स दें, हम उनको नक़द देंगे। जमींदारी में तो यह था कि ५० रु० तक तो हम नक़द देते थे लेकिन उसके ऊपर बांड्स होते हैं। इसमें नक़द देंगे और जिस रोज यह पट्टे खतम हो जायेंगे उस रोज से लेकर अदायगी की तारीख तक ढाई फ़ीसदी सूद भी मिलेगा। आगे का सवाल ही क्या होता है क्योंकि हम नकद दे रहे हैं। ३० एकड़ से ज्यादा जमीन अगर किसी ठेकेदार के अपने खुद काश्त में है तो वह जमीन गांव पंचायत के पास जायगी जिस तरह से जमींदारी अबालीशन लैंड रिफार्म ऐक्ट में है। ३० एकड़ तक वह रख सकता है। बस यही मोटी-मोटी उसकी बातें हैं। इसके उसूल वही हैं जिन पर कि यहाँ पर कई बार बहस हो चुकी है। रकबा भी बहुत थोड़ा है, आमदनी भी बहुत कम है और मुआविजा भी कम है। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इस पर अपनी स्वीकृत दे देगा।

श्री बनवारी लाल—श्रीमान जी, यह बिल इनडेफिनिटनेस, इनडिसीजन ऐंड प्रोक्रेस्टीनेशन से सफर करता है यद्यपि रिमूवल आफ़ कैपिटिलिस्ट एन्ड जमींदार्स का है। सन् १९३७ में जब कांग्रेस सरकार आई तब से जमींदारी विनाश की प्रथा शुरू हुई।

आखिर चार पांच साल बीच में विदेशी सरकार की वजह से कहा जाता है कि मौका नहीं मिला लेकिन सन् १९४७ के बाद आज ११ साल हो गये तब से हिन्दुस्तान की खुशकिस्मती या बदकिस्मती चाहे जो कुछ कहें कांग्रेस सरकार ने जमींदारी एबालीशन के कई पहलू कर दिये हैं। पहले देहातों में जमीदारी एबालिश करना शुरू किया तब यह इसकी अक्ल में नहीं आया कि शहरों में भी जमींदारी है उसको भी खतम करने की कोशिश की जाय। उस वक्त यह भी समझ में नहीं आया कि शहरों में भी सल्तनत और जमींदरी है तथा सरकार की भी खुद की जमींदारी है। वहां पर जो लोग ठेकेदार हैं वे नाममात्र को सरकार को रुपया देते रहे हैं और बाकी उसका फायदा वे ठेकेदार उठा रहे हैं। अब कहीं ठेकेदारी समाप्त करने के बाद कोई चीज और न निकले। हमारे मंत्री महोदय ने फरमाया कि इस समय लैंड रिफार्म नहीं हो रहा है सिर्फ ठेकेदारी खतम हो रही है। पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा। आप का कोई डिसिजन और कोई बात भी है कि इसकी अगली शक्ल क्या होगी? कहने के लिए तो कह दिया जाता है हर बात में कि यह किसानों के हित में होगा लेकिन जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की, फायदा किसानों को होता है, वह आखीर में होता है। जब उसकी रूह निकल जाती है तब उसको फायदा होता है। लैंड रिफार्म करने के लिए इस वक्त भी सोच लेना चाहिए था लेकिन आप उनको मौका दे देंगे कि जब तक आप लैंड रिफार्म की बात सोचेंगे तब तक ठेकेदार जिनको आप खुद काश्तकार बनाने जा रहे हैं उसका कहां तक फायदा उठा लेंगे। जब आप ठेकेदारी खतम कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं थी कि उन्ही को उस जमीन का काश्तकार बनाते। बहुत से लोग जो छोटी कौम के हैं, जिनके पास मीन नहीं है और जिनको जमीन की भूख है उनको आप यह जमीन दे सकते हैं लेकिन आपका

रुख उनकी तरफ नहीं गया। बात यह है कि कुछ लोग कांग्रेस सरकार में ऐसे हैं जिनका रुख ज़मींदारों की तरफ प्रेमपूर्ण रहा है। जब सीलिंग की बात आती है और जब यह बात आती है कि जो लैंडलेस लेबर है उनको फायदा पहुँचाया जाय तो उनको फायदा नहीं पहुँचने दिया जाता है और जिनसे उनको किसी भी वक्त चुनाव में मदद मिलने को होती है तो उनका ख्याल वे ज्यादा रखते हैं।

श्री चरण सिंह—प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूँ।

अभी माननीय मित्र यह कह रहे थे कि इस गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो साजवाज ज़मींदारों से रखते हैं ताकि उनको वे चुनाव में मदद दे सकें। वे लोग उनके गाढ़े वक्त में काम आते हैं इसलिए उनकी वजह से नीति पर असर पड़ता है। यह सीधे गवर्नमेंट के मेम्बरों की नीति पर हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस सदन का जो ट्रेडिशन है यह उसके खिलाफ है। इस तरह से वे एक गाली दें और मैं दस दूँ तो इससे लाठी चलेगी।

श्री शफीक अहमद खां तातारी—जो माननीय मंत्री जी ने शब्द प्रयोग किया है वह गलत है।

श्री चेयरमैन—माननीय मंत्री ने यह प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया है। माननीय सदस्य जो बोल रहे थे उनको यह नहीं कहना चाहिए था। पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि गवर्नमेन्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा कार्य करते हैं कि चुनाव के समय वे उनके काम आयें। मंत्री जी ने अपना विचार प्रकट किया कि यह आक्षेप जो है यह मंत्रिमंडल के ऊपर है। वे दलील पेश करते हैं कि यह परसनल अटैक है। बाद में उन्होंने इस बात को कहा कि यदि यह प्रथा चल गई कि लोग एक दूसरे पर वैयक्तिक हमले करने लगे तो ऐसा हो सकता है कि आगे इस सदन में लाठी चल जाय। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं लाठी मारूँगा। मैं बनवारी लाल जी से कहूँगा कि इस प्रकार की जो चीजें हैं उनसे अपका पक्ष निर्बल होता है। अच्छे वक्ता को चाहिए कि इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करें जिससे सदन के ऊपर ऐसा असर पड़े कि आप जो बात कहना चाहते हैं उसको सदन मंजूर करे और सदन की मंजूरी पर कैबिनेट मंजूर करती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि अधिक शब्दों या गलत शब्दों के उपयोग से आप जो तब्दीली लाना चाहते हैं किसी बिल में सदन के ऊपर उनका अच्छा असर न पड़े। इसलिये माननीय सदस्यों से कहूँगा कि चुनाव वगैरः की बातें न लाकर वे बिल पर अपने विचार प्रकट करें। विचार करने का मतलब यह होता है कि बिल के उसूलों पर आप कहें। जैसे ठेकेदारी विनाश करने का यह बिल है यह उसूल ठीक है या नहीं इस पर आप बोलें। अब आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री बनवारी लाल—चेयरमैन जी ने जो फरमाया वह तो हमको शिरोधार्य है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय हम लोगों से यह उम्मीद रखें कि हम उनकी आरती उतारा करें तो हम तो विरोधी लोग हैं, हम लोगों से तो ऐसा हो नहीं सकता।

श्री चेयरमैन—आपको जो बात है उसको समझना चाहिए। कोई कैबिनेट का मेम्बर यह नहीं चाहता कि आप उनकी आरतो उतारें। आरती न उतारी जाय लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो सामने चीज़ है उस पर बहस न की जाय। आपको बहस करने का मौका दिया गया है। आप बिल के ऊपर कहें।

श्री बनवारी लाल—यह जो प्रावीजन है श्रीमान जी, उससे हम लोगों को... ... ।

डाक्टर ए० जे० फरीदी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—अगर बजाय यह कहने के, कि कुछ असखाश कैबिनेट में ऐसे हैं यह कहा जाय कि पूरी गवर्नमेंट साजबाज करती है तो यह मेरी समझ में गलत नहीं होगा। पूरी गवर्नमेंट चुनाव में फायदा उठाती है तो यह अनुचित न होगा।

श्री चेयरमैन—यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री बनवारी लाल—आपकी बात हमको शिरोधार्य है। तातारी साहब ने जो प्रश्न उठाया कि यह जो माननीय मंत्री महोदय ने लाठी चार्ज की धमकी दी क्या यह उचित है ?

श्री चेयरमैन—आपको जो समय दिया गया है वह विचार प्रकट करने के लिए है। आपने कोई बात कही उस पर उन्होंने प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया। अगर आप कीमती समय विचार में लगायें तो अच्छा होगा। आप जो कुछ बोलना चाहते हैं बोलें।

श्री बनवारी लाल—इस बिल में मैं अर्ज कर रहा था कि आखिर अब ठेकेदारी खत्म हो रही है, इस बिल से हैरीडटरी राइट्स एक हो जायेंगी, टिनेंट्स हो जायेंगे और दूसरा बिल लायेंगे, पता नहीं कि इस का क्या मंशा है। खुद माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि ३२ जिलों में लैंड रिफार्म्स ऐक्ट स्यूटेबिल अमेंडमेंटस के साथ लागू कर दिया है लेकिन आखिर जो ९ जिले हैं उनमें क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से ऐक्ट लागू नहीं हो सका। खैर, कहने का मतलब यह है कि हालांकि रकम कोई बड़ी नहीं है लेकिन ६० हजार रुपये कम्पेसेशन देने की जो नीति है वह खुद एक काबिले एतराज की चीज है। यदि किसी भी सरकार की मेन्टालिटी प्रोटेनेन्ट होती है तो वह एक बहुत ही क्रान्तिकारी मनोवृत्ति होती है। मैं तो इस हद तक जाने के लिए तैयार हूँ कि वही सरकार आम जनता की भलाई कर सकती है जो प्रोटेनेन्ट होती है और ऐन्टी जमींदारी होती है। लेकिन अगर मैं ऐसी बातें कहता हूँ तो लोगों को वह बुरी लगती हैं। इसलिए मेरे लिए तो एक ही माप दंड है कि अगर टेनेन्ट्स के फेवर में जाने के लिए हमें मुआविजा न भी देना पड़े तो हर एक गवर्नमेंट जो अपने को प्रोटेनेन्ट कहती है, उसको ऐसा करना चाहिए। इस में कम्पेन्सेशन देने की जरूरत नहीं थी।

दूसरी बात यह थी कि उन को टेनेन्सी राइट्स देने की आवश्यकता नहीं थी जब कि हम देखते हैं कि छोटी कौम के लोग जो कि बेरोजगार हैं उनकी हालत काफी खराब है, इसका तरीका भी काफी काबिले एतराज है और इस तरह का प्राविजन नहीं होना चाहिए था।

तीसरी बात यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने हमें यह नहीं बतलाया कि अन्दाजन कितने ऐसे आदमी होंगे जो इस से एफेक्टेड होंगे। फिर यह भी नहीं बतलाया कि इन ठेकेदारों के नीचे कितने काश्तकार हैं और उनकी हालत क्या है। जो मुनाफा ये ठेकेदार लोग खा रहे हैं वह और जो रकम वे गवर्नमेंट को दे चुके हैं उनमें से कौन ज्यादा है। ये सारी बातें हमारे सामने लानी चाहिए थी तभी हम सोचते कि इसमें कम्पेन्सेशन की जरूरत है या नहीं। लेकिन हमारे मन्त्री महोदय ने इस बात की तकलीफ गवारा नहीं की। फिर मैं कहता हूँ कि जो चीज सन् १९३७

में आनी चाहिए थी और उस के बाद सन् १९४७ में आनी चाहिए थी, वह सन् १९५७ में आई है। फिर हमारे मन्त्री महोदय कहते हैं कि इस ऐक्ट के बाद एक दूसरा ऐक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। इन अल्फाज के साथ मैं इस की मुखालिफत करता हूँ और जो बातें मैंने कही हैं उनका जरूर ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस है कि मन्त्री महोदय ने उनका ख्याल नहीं रखा।

श्री गुरु नारायण कुँवर—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गवर्नमेंट स्टेट ठेकेदारी अबालिशन बिल अभी सदन के सामने रखा गया है उस के सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस सदन में हम लोग यदि कोई पोलिटिकल प्लेटफार्म के तरीके से बातें कहें तो वह उचित नहीं है।

श्री चेयरमैन—आप कृपा करके इस वाद-विवाद में न जाइये।

श्री गुरु नारायण कुँवर—मैं कोई पोलिटिकल तरीके की स्पीच नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन वह जरूर कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर जो इस प्रकार का आक्षेप किया जाता है कि ज़मींदारों से सम्बन्ध है, तो सरकार का ज़मींदारों से सम्बन्ध है या नहीं इन बातों की कम से कम हमारे सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। ज़मींदारी प्रथा खराब थी और समाजवादी व्यवस्था में वह नहीं चल सकती थी। पूँजीवादी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था में नहीं टिक सकती, यह एक उसूल की चीज है और उसकी तहत में कोई इस प्रकार की चीज नहीं रह सकती है। तो अब अगर ज़मींदारी प्रथा खतम हो गयी या पूँजीवादी प्रथा खतम हो जाय तो इसके माने यह हैं कि जो लोग उसके हैं वह बहरहाल किसी-न-किसी पार्टी से सम्बन्धित तो होगें ही, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से, कांग्रेस से, किसी-न-किसी से सम्बन्ध तो रहता ही है। तो मनुष्यों में खराबी नहीं होती है बल्कि जो संस्था उनको ले चलती है, उसकी वजह से उनमें खराबी आती है। इस का एक स्वाभाविक असर पड़ता है कि वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम यह अवश्य चाहते हैं कि जो हाउस का डिकोरम है, इस सम्बन्ध में उसको कायम रखना चाहिए।

जहाँ तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं यह कह सकता हूँ कि यह एक इनएबलिंग मेजर है ज़मींदारी अबालिशन और लैंड रिफार्म को वहाँ पर लागू करने का। मैं सिर्फ दो एक चीजें इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ और जिनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक बात तो यह है कि इसमें च्वाइस होनी चाहिए। जो च्वाइस दी हुई है कि जब कोई पापर्टी गवर्नमेंट में निहित हो जायेगी तो जो ठेकेदार होगा उसको ३० एकड़ की च्वाइस दी हुई है। यदि किसी के पास ३० एकड़ से अधिक ज़मीन हो तो तीस एकड़ ज़मीन को वह रख सकता है और बाकी को गवर्नमेंट ले सकती है। मैं तो वह समझता था कि जो ३० एकड़ की मात्रा है, उसको कम होना चाहिए। अभी आपने एक विधेयक पास किया था जिसमें आपने साढ़े १२ एकड़ ज़मीन आगे आने वाले लोगों के लिए रखी थी, जो कि हमने एक सीलिंग मुकर्रर की है तो अगर हमें यह करना है तो क्यों न साढ़े १२ एकड़ ही रखें, क्योंकि ३० एकड़ का प्राविजन रखें, लेकिन अगर ३० एकड़ ही रखना है तो जिसकी काश्त में वह ज़मीन है जिसने कि उस ज़मीन को जोता बोया है और

[श्रीगुरुनारायण (कुँवर)]

उसको अच्छी से अच्छी बनाया है, उसको च्वाइस होनी चाहिए कि वह जिस तरह से भी चाहता है अपनी ३० एकड़ जमीन रख ले और उसके बाद जो बाकी जमीन होगी उसको गवर्नमेंट जिस तरह से भी चाहे वितरित कर दे। मैं यह चाहता हूँ कि यह सरकार का उत्तरदायित्व हो जाता है कि जिस शख्स ने मेहनत करके और परिश्रम करके जमीन को उपजाऊ बनाया है, अगर खराब जमीन उसके पास जायेगी तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि एक तरह से इसके लिए च्वाइस होनी चाहिए।

दूसरी चीज जो मैं चाहता हूँ वह यह है कि जो ३० एकड़ से अधिक जमीन है वह जमीन भू दान समिति को दे दी जानी चाहिये। क्योंकि भू दान समिति का एक उसूल है कि वह जमीन को केवल लैंडलेस लेबरर्स को ही देती है। अगर गाँव सभा में जमीन दे दी जायेगी तो वह इस तरीके से उसका वितरण नहीं करेगी। और अगर गाँव सभा को ही जमीन को देना है तो उसके लिये यह होना चाहिये कि वह केवल लैंडलेस लेबर्र को ही जमीन उठावे।

इसके अलावा जो दूसरी बात है, जिसको कि मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूँ कि इस में एक क्लाज है जिसके अन्तर्गत जो जमीन डैमेज हो गयी, इन दि बेसेस आफ असेसमेंट, उसका मुआविजा क्या होगा, तो इसमें यह है कि अगर कोई ऐसी जमीन है और वह किसी शख्स की है तो उसको मुआविजा नहीं दिया जायेगा। मैं यह चाहता हूँ कि ऐसी जमीन का जो कुछ भी मुआविजा हो उसूली तौर पर असेसमेंट के बेसिस पर उसको मिलना चाहिये और यही मुनासिब बात है। जहाँ तक कम्पेनसेशन का ताल्लुक है वह सही चीज है कि कम्पेनसेशन इतना कम रखा गया है कि उसको बढ़ाया जाना चाहिये और नहीं तो उसको कैश में मिलना चाहिये, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो सकता है तो मैं यह चाहूँगा कि उसके लिए एक मियाद मुकर्रर कर देनी चाहिए और वह ज्यादा हितकर होगा। इन चन्द शब्दों के साथ जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

†**श्री नौरंग सिंह** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ठेकेदारी विनाश विधेयक आज इस सदन में आया है, उसके बारे में कुछ हमारे साथियों ने यह एतराज किया कि इसके आने में देरी हुई है, मैं समझता हूँ कि यह एतराज होना भी चाहिये। लेकिन आज जिस हालत में वह आया वह ठीक है, अगर कल आया होता तो भी अच्छा था, आज आया है, यह भी ठीक है। हम इसका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारे कुछ मित्रों ने एतराज किया है और मैं भी उसको ठीक समझता हूँ कि दूसरी तरफ भी निगाह होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में जमींदारी विनाश के लिये हम लोग अधीर हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसके बारे में कोई बिल बहुत जल्द आना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जमींदारी समाप्त होने से पहले काश्तकार जमींदारों को पैसा देते थे, अब वही पैसा सीधा सरकार के पास जाता है। तो मेरी राय यह है कि यह अधिक अच्छा होता कि पहले जितना रुपया सरकार जमींदारों से लेती थी, उतना तो सरकार पैसा ले ले और जो पैसा जमींदारों के पास बचा रह जाता था, वह गाँव सभा को दे दिया जाय।

† सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया

इससे गाँव सभाओं की हालत अच्छी हो जायेगी और वे तरक्की भी ठीक से कर सकेंगी। इसके साथ ही साथ एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार इस समय ठेकेदारी खत्म करना चाहती है, तो इसमें भी जो बाकी पैसा बचे वह गाँव सभा के विकास के लिए दे दे जिससे वहाँ पर अच्छी तरह से तरक्की हो सके। इन शब्दों के साथ मैं फिर दोबारा यह कहना चाहता हूँ कि हम को शहर क्षेत्रों की जमींदारी विनाश का इन्तजार है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ।

श्री शिव नाथ काटजू (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--श्रीमान सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। इस विधेयक का आकार और सीमा बहुत छोटी है, लेकिन इसके बारे में बहुत बातें उठायी गयी हैं, जिनके बारे में मेरा ख्याल है कि वे पैदा नहीं होती हैं। हमारे मित्र श्री बनवारी लाल जी ने कुछ ऊँचा सिद्धान्त इसमें देखा है, वह भी मेरे ख्याल में नहीं उठता है। इसमें ऊँचे नीचे और बड़े छोटे का सवाल नहीं उठता है। उनका यह कहना भी ठीक नहीं है कि हम लोगों का जमींदारों से सम्बन्ध है और आप का छोटे काश्तकारों से सम्बन्ध है। मेरा ख्याल है कि यह बात इसमें से पैदा नहीं होती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है मैंने इलाहाबाद जिले में बनवारी लाल जी को देखा है कि जिस वक्त वे जा रहे थे तो उनके चारों तरफ छोटे काश्तकार ही नहीं थे, बल्कि बड़े-बड़े काश्तकार भी थे, लेकिन जब मैं जा रहा था तो मेरे साथ छोटे काश्तकार अधिक थे। तो यह बुनियादी बात यहाँ पर पैदा नहीं होती है। इस विधेयक का आकार जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया बहुत छोटा है। इसका ताल्लुक सिर्फ ६ हज़ार एक सौ एकड़ ज़मीन से है। इस बिल के द्वारा ठेकेदारी खत्म की जा रही है।

अब मैं दो तीन बातें इसके बारे में रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस ठेकेदारी के बाद क्या शक्ल पैदा हो जायगी, कितना मुआविजा दिया जायगा, कितनी जमीन ठेकेदार वहाँ पर रख सकता है और कितनी गाँव सभा को चली जायेगी।

यह छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन इसके अन्दर अभी कुँवर साहब ने बुनियादी बातें उठाईं और उन्होंने एक यह सुझाव दिया है कि इसमें ३० एकड़ की जगह पर साढ़े १२ एकड़ की सीमा होनी चाहिये। मेरे ख्याल में ३० एकड़ नामुनासिब नहीं है। मुझे पता नहीं था कि यह ठेके की ज़मीन किस तरह की है, लेकिन इसमें बहुत सी ज़मीन जंगल की है और बहुत सी ऊसर है। इस तरह से ज़मींदारी और ठेकेदारी में अन्तर आ जाता है। ज़मींदारी तो तीन सौ, चार सौ वर्ष से चल रही थी, लेकिन ठेका तो आपस के मुआहदे की शक्ल में और लीज़ की शक्ल में होता है। अक्सर ऊसर की जमीन या जंगल की जमीन ठेके के अन्दर आ जाती है। यदि इस तरह की ज़मीन की साढ़े १२ एकड़ तक सीमित कर दिया जाय, तो मेरे ख्याल में यह नुकसानदेह हो जाएगा। एक समस्या यह भी है कि फ्रेगमेंटेशन आफ होल्डिंग्स ज्यादा हो रही है। तो मेरे ख्याल में इस बजट से हमारे सूबे में एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जायगी। पिछले ८, १० वर्ष हुये हमारे यहाँ ग्रो मोर फूड कम्पेन शुरु हुई और खाली जमीन पर जुताई हुई। इसके अलावा हमारे यहाँ वाटर लागिंग भी बहुत हो रहा है, हमारे ही जिले में नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी काफी वाटर लागिंग हो रहा है और इसकी वजह यह है कि उस खाली ज़मीन में जिसके ऊपर से

[श्री शिव नाथ काटजू]

पानी बह जाता था, अब पानी बहना बन्द हो गया है और इस तरह से वहाँ का लेविल उठ गया है और वह पानी जो बह जाता था अब जमा होने लग गया है। इस तरह से सारी जमीन का लेविल डिस्टर्ब हो गया है। इसलिए यह बुनयादी बात रखना कि ३० एकड़ की जगह पर साढ़े १२ एकड़ रख दिया जाय, मेरे ख्याल में इससे फायदा नहीं हो सकता। इन बुनियादी बातों को इस छोटे से बिल में लाने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही निवेदन करूँगा कि जिस शक्ल में यह बिल रखा गया है वह काफी दुरुस्त है और इसमें सिर्फ यह कहा गया है कि ठेकेदारी उसी तारीख से खत्म होगी जिस दिन से इसका नोटिफिकेशन निकलेगा।

दूसरी बातें यह हैं कि इसमें ३० एकड़ की सीमा रखी गई है। ३० एकड़ से अधिक जिसके पास होगी वह ३० एकड़ तक खुद रख सकता है और बाकी जमीन गाँव सभा को चली जायगी। कुँवर साहब ने इसके लिये कहा कि इसे गाँव सभा को न देकर भू दान समिति को देना चाहिये। इसमें भी मुमकिन है कि बहुत सी दिक्कतें पैदा हों। मेरे ख्याल में जिस तरह से इस बिल में रखा गया है कि बाकी जमीन गाँव सभा को दी जाए वह नामुनासिब नहीं है।

कम्पेनसेशन भी इसमें दिया गया है जो करीब करीब ६० हजार के आता है। इसमें सुझाव यह है कि बजाय इसको छोटी रकम के बान्ड्स की शकल में देने के, एक मुश्त कर दिया जाय। यह एक छोटा सा बिल है और इसमें ज्यादा बहस की जरूरत भी नहीं है। कम से कम मैं अपने मित्रों निवेदन करूँगा कि वे हमारी हर बात को, सरकार की हर बात को बेइतमिनानी से न देखें। वे समझते हैं कि पता नहीं इसमें भी क्या राज छिपा हुआ है। यह एक छोटा सा बिल है और मैं निवेदन करूँगा कि इसको इसी तरह से पास किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

† **डाक्टर ईश्वरी प्रसाद** (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—श्रीमान्, मैं इस विषय का का ज्ञाता नहीं हूँ, मुझे इसकी ज्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन जो भाषण मैंने अभी सुने, उन्हीं के बिना पर मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूँ।

दो बातें इसके मुताल्लिक कही गई हैं। कुँवर साहब ने पार्लियामेंट डिकोरम के बारे में कहा और बतलाया कि जहाँ तक इस बिल का सम्बन्ध है, हमें इसकी अच्छाइयों को देखकर इस की बुराइयों को दूर करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो प्वाइन्ट आफ आर्डर रखा था, वह भी ठीक नहीं था और कुँवर साहब ने जिस बात की ओर इशारा किया, वह भी हमें सोचना है। अगर कोई अपोजीशन का मेम्बर निर्माण का कार्य करता है, तो सरकार उस कैपिटलिस्ट के साथ हमदर्दी रखती है, यदि वह कैपिटलिस्ट का तर्क उपस्थित करता है, तो इसमें कोई अनपार्लियमेंटरी बात नहीं है, पार्लियामेन्ट की ब्रीच नहीं है। अगर वह व्यक्तिगत आक्षेप करता है या किसी की मान हानि होती है, तो वह बात उचित नहीं है, वह नहीं होनी चाहिए।

लेकिन यह कहना कि गवर्नमेन्ट की हमदर्दी जमीदारों के साथ है या अपोजिशन की हमदर्दी कैपिटलिस्ट्स के साथ है, इसमें कोई मानहानि की बात नहीं है।

† सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

श्री चरण सिंह—यहाँ तक तो ठीक है ।

श्री चेयरमैन—डाक्टर साहब को यह जानना चाहिए कि इस बात पर उन्होंने उज्र नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि "गवर्नमेन्ट में कुछ लोग ऐसे हैं", तो इसका मतलब यह है कि कैबिनेट में कुछ लोग ऐसे हैं ।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—इसको नहीं कहना चाहिए था, किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप नहीं करना चाहिए । कुँवर साहब ने कहा कि हमको सदन का डेकोरम रखना चाहिए ।

श्री पीताम्बर दास—श्रीमन्...... ... ...

श्री चेयरमैन—अगर कोई प्वाइन्ट आफ़ आर्डर हो तो आप कह सकते हैं ।

श्री पीताम्बर दास—एनोयन्स तो जब होता, जब कहते कि सारे के सारे हैं ।

It was a matter of satisfaction that there are only a few members, and was not a matter of annoyance.

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—यह दूसरी बात हो गई, प्वान्ट आफ़ आर्डर नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय कुँवर साहब ने जो कहा कि सदन में डेकोरम रखना चाहिए, अच्छी बात है । कोई बात हमको सदन में ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे सदन का डेकोरम किसी प्रकार से कम हो, या किसी प्रकार से लान्छन लगाया जा सके । परन्तु यह भी हमको मालूम होना चाहिए कि सदन का डेकोरम किस तरह से जाता है । अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेन्ट के सदस्यों का बहुत बड़ा विकार है और इसीलिए भाषण की स्वतन्त्रता सदनों में दी गई है, आप को भाषण देने की स्वतन्त्रता है । मैं आपको हाउस आफ़ कामन्स का एक उदाहरण देता हूँ कि किस तरह से अपोज़ीशन वहाँ पर अपना भाषण देता है । जान ब्राइट का एक वाकया मुझे याद आता है । लार्ड पामर्सटन से कहा था ।

My Rt. Hon'ble friend, the Prime Minister, has advanced in age but he has not acquired the gravity of age.

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से और बहुत से मौक़े हैं... ... ...

श्री कृष्ण देव प्रसाद गौड़ (नाम निर्देशित)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूँगा, आप के द्वारा, कि इस विधेयक पर हम लोग बात चीत कर रहे हैं या पार्लियामेन्ट के सम्बन्ध में कोई लेक्चर सुन रहे हैं ।

श्री चेयरमैन—डाक्टर ईश्वरी प्रसाद ने जो भाषण दिया उसमें कौन सा शब्द अनपार्लियामेंट्री है ।

श्री कृष्ण देव प्रसाद गौड़—जान ब्राइट का जो उदाहरण दिया गया उससे विधेयक का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—यह इस बात का लक्षण है कि पार्लियमेंट्री शासन नहीं चलाया जा सकता । इतनी भी क्षमता नहीं है कि बात सुन सकें । और यह चाहते हैं कि बोलना बन्द कर

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

दिया जाये । मैंने कोई स्पीच नहीं दी, एक शब्द कहा कि डेकोरम हाउस का रखना चाहिए, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि डेकोरम किस तरह से रह सकता है, इसके ऊपर मैंने हाउस आफ कामन्स की एक मिसाल दी, लेकिन वह नागवार हुई । उसको सुनना नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय, आप से प्रार्थना करना चहाता हूँ कि हमको भाषण की स्वतन्त्रता होनी चाहिए अगर आपको अपोज़ीशन रखना है । पार्लियामेन्ट्री फार्म तो हम किसी तरह से जारी रख रहे हैं । अगर आप इतना भी नहीं कहने देंगे तो गौड़ साहब अकेले ही रह जायेंगे और फिर जो कुछ चाहेंगे, कहेंगे और करेंगे ।

श्री चेयरमैन—मैंने तो किसी मेम्बर को रोका नहीं ।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—नहीं, बिल्कुल नहीं । आप तो हमेशा हमको मौका देते हैं ।

श्री चेयरमैन—मैंने तो श्री बनवारी लाल को भी कहने दिया, मिनिस्टर साहब को भी कहने दिया, गौड़ साहब को कहने दिया और आप भी कह रहे हैं ।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—इसके लिए मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आप सदैव सदन के सदस्यों को पूरा मौका बोलने के लिए देते हैं । मैं केवल इतनी प्रार्थना करना चाहता था कि ऐसी बातें नागवार नहीं होनी चाहिए और विरोधी पक्ष को अपने विचार प्रकट करने का मौका होना चाहिए जब तक कि ऐसी बात न हो जिससे किसी की मानहानि होती हो या किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप हो । अब जाने दीजिये इस बहस को । पार्लियामेन्ट्री डेकोरम बहुत कठिनाई से बनेगा । मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि पार्लियामेंट्री शासन चलता रहे लेकिन कोई आसार ऐसे नहीं दिखाई पड़ते जिनसे यह चलता दिखाई पड़े क्योंकि पार्लियामेन्ट्री शासन का सबसे बड़ा लक्षण टालरेन्स हैं और वह दिखाई नहीं पड़ता । यह तो अध्यक्ष महोदय, आपकी दया है कि बोलने का मौका मिलता है, नहीं तो वह भी न मिले ।

अब विधेयक के सम्बन्ध में मुझे दो एक बातें कहनी हैं । जमींदारी की समाप्ति के बाद यह आवश्यक था कि ठेकेदारी भी समाप्त की जाय । सिद्धांत दोनों के पीछे एक ही है और मैं तो यह कहूँगा कि इस विधेयक को लाने में मन्त्री जी ने देर की और यह उन्होंने ठीक नहीं किया। इसको बहुत पहले आ जाना चाहिये था और उन किसानों को जो ठेकेदारी के नीचे हैं सुविधा मिल जानी चाहिए थी । यह विधेयक जो आया है मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छा है और इसमें इस बात का प्रयास किया गया है कि जो काश्तकार जमींदारी में रहते थे और जो काश्तकार ठेकेदारी में रहते हैं उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये और उनमें समानता होनी चाहिए । मैं समझता हूँ कि कोई भी विरोधी दल का सदस्य ऐसा न होगा जो यह न स्वीकार करे कि किसानों का स्तर ऊँचा न किया जाय । किसानों का स्तर दोनों तरह के प्रदेशों में और क्षेत्रों में एक होना चाहिए । जो भूमि व्यवस्था का कानून पास हुआ है उसका उद्देश्य यह है कि हमारे प्रदेश में खेती की उन्नति हो । इसी उद्देश्य को सामने रख कर मन्त्री जी यह बिल लाये हैं । मन्त्री जी ने बतलाया है कि इस विधेयक में जो ठेकेदार हैं उनको भी जमीन दी गई है और उसकी सीमा आपने ३० एकड़ रखी है । कम्पेनसेशन भी दिया गया है और उसका हिसाब किताब किस तरह से होगा यह भी इसमें दिखाया गया है । इस तरह से इसमें जो धारायें हैं वह ऐसी हैं जिनसे किसी को कोई

विशेष नुकसान नहीं होता और काश्तकारों का इससे अहित होने की भी सम्भावना नहीं है। मैं दो एक बातें कुछ धाराओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। धारा ४ को लीजिये। सेक्शन ३ में जो नोटीफिकेशन होगा उसके नतायज क्या होंगे यह धारा ४ में लिखा गया है। धारा ४ में जितने नतायज लिखे गये हैं, ठीक हैं। पर एक बात पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है।

पृष्ठ ४ में मन्त्री जी देखें:—

4(h) All buildings situate on any land included in the lease held by the lessee shall continue to be held by him for the remainder of the period of the lease upon terms and conditions to be prescribed and further that upon the expiry of the period aforesaid the same shall unless a different intention is contained in the lease (and on such a case that intention shall prevail) be vested in the State.

इसमें इमारतों की बाबत है। अगर ठेकेदार का मकान बना-हुआ है तो वह सरकार के पास चला जायेगा। जितना लीज का पीरियड है उस समय तक उसके पास रहेगा और उसके बाद वह सरकार का हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मकान जो बना है उसका भी कम्पेनसेशन मिलेगा या नहीं, या अवधि समाप्त होने के बाद उसको अपना मेटिरियल ले जाने का अधिकार होगा या नहीं या अवधि समाप्त होने के बाद वैसे ही सरकार के पास चला जायेगा।

दूसरी बात सेक्शन ६ में देखें। उसमें यह है कि जो डिटरमिनेशन होगा ठेकेदार का उसमें कलेक्टर को अधिकार होगा कि जमीन पर वह कब्जा करा दें और यह भी लिखा है कि जितनी फोर्स की आवश्यकता होगी वह उसका प्रयोग करेगा। यह निश्चित रूप से नहीं कहा गया है कि कितनी फोर्स यूज़ होगी।

"if the books, accounts and other documents are not produced as required, to enter upon any land, building or other place and seize and, take possession of such books, accounts and other documents-"

अगर कोई किताब या बहीखाता उस जमीन से सम्बन्ध रखता है, वह कलेक्टर के सामने रखा जायेगा और वह जहाँ चाहे इन्टर हो सकता है या अपने किसी अधिकारी को भेज सकता है उन कागज़ात पर कब्जा करने के लिए। अगर वह मकान के अन्दर हैं तो किस तरह से छीने जायेंगे, इसका प्रोसीज़र नहीं दिया गया है।

सेक्शन ७ को आप देखें। १, २ क्लाजेज हैं वह ठीक नहीं मालूम देते हैं।

पहले में हैं:—

Sec- 7 (1) "........shall be entitled to claim or be paid any compensation for loss or damage caused by such determination."

कोई ठेकेदार यह नहीं कह सकेगा कि यह नुकसान हुआ है। यहाँ पर किस प्रकार के डमैज से सरकार की मंशा है।

दूसरे क्लाज़ में कहा गया है :—

Sec. 7 (2) "A lessee referred to in sub-section (1) shall be entitled to receive and be paid compensation as herein after provided."

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

लैसी को कम्पेनसेशन दिया जायेगा, उसको पीछे बताया गया है। अगर डैमेज को कहेगा तो ख्याल नहीं किया जायेगा।

इस डेमेज के बारे में मन्त्री जी व्याख्या करेंगे तो समझ में आ जायेगा।

इस के बाद अध्यक्ष महोदय, पृष्ठ ६ पर ८, ९, १० में बताया गया है कि कम्पेनसेशन किस प्रकार से निश्चित किया जायेगा।

सेक्शन १० का जो तीसरा क्लाज़ है, उसमें कहा गया है :

Sec. 10 (iii) "Cost of management and irrecoverable arrears of rent which shall be deemed to be equal to 25 per cent of the difference between gross income calculated in accordance with the provisions of section 9 and the rent payable by the lessee."

और २५ फीसदी उसमें से काटा जायेगा।

मैं समझता हूँ कि जो ठेकेदारों से लिया जा रहा है कि इतना कम्पेनसेशन दिया जायेगा तो कोई हर्ज की बात नहीं थी।

यह ११ सेक्शन में लिखा है :

"Provided that R. P. shall in no case exceed five",

यह जो ५ वर्ष की अवधि मंत्री जी ने रखी है वह मेरी समझ में नहीं आई कि क्यों रखी है। रिमेनिंग पीरियड के लिये उन्होंने जो यह ५ साल रखे हैं वह क्यों है। सेक्शन १३ में कहा गया है कि अगर किसी को आपत्ति हो तो वह एक महीने के अन्दर एतराज़ कर सकता है और कलेक्टर इस एतराज़ को डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज देगा। मैं इस बात का स्वागत करता हूँ। यह एक अच्छी बात है कि इसके फ़ैसले के लिये डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज दिया जायगा। परन्तु इसमें यह नहीं बतलाया गया है कि प्रासीज्योर क्या होगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट जज क्या कर सकेगा। वह व्यक्ति भी डिस्ट्रिक्ट जज के सामने आ सकेगा या नहीं। क्या इसका प्रासीज्योर होगा। कदाचित ऐसा मालूम होता है कि मंत्री जी इसको नियमों में रखेंगे।

श्री चरण सिंह—क्या आप सेक्शन १४ को पढ़ने की तकलीफ़ फ़र्मायेंगे। उसमें दिया हुआ है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद— इसमें लिखा है The district judge shall, in the manner prescribed.

इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि जब डिस्ट्रिक्ट जज फ़ैसला देगा तब पार्टी भी मौजूद होगी या नहीं। वह अपने आब्जेकशन्स के समर्थन में कुछ कह सकेगा या नहीं, मैं यह जानना चाहता था। पृष्ठ ७ में सेक्शन १७ में है :

Sec. 17" The payment of compensation in accordance with provisions of this Act shall be full discharge of any liability of the State Government to make such payment to the person as may have the rightful claim......"

सरकार प्रतिकर दे देगी, उसके बाद उसको आब्जेक्शन हो, वह दावा कर सकता है।

"......But shall not prejudice any right in respect of such compensation which any other person may be entitled by due process of law to enforce against the person to whom payment is so made."

अगर किसी व्यक्ति को प्रतिकार दे दिया जाय तो मेरा ख्याल है कि ऐसा होना चाहिये कि उसको फिर परेशानी न उठानी पड़े। अगर किसी ने फिर दावा कर दिया कि इसमें तो मेरा भी २५ फ़ीसदी है, इसमें मेरा भी हिस्सा मिलना चाहिये, तो इसमें बड़ी परेशानी होगी। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके लिये नोटिस दे देनी चाहिये कि फलां व्यक्ति को इतना प्रतिकार दिया जायगा, अगर किसी का आब्जेकशन हो तो वह दायर करे और अपना हिस्सा साबित करे। इस से यह होगा कि पैसे मिलने के बाद कोई परेशानी नहीं होगी।

बस इसके बाद और कोई बात ऐसी नहीं है जिसके लिये यह कहा जाय कि उसकी बाबत मंत्री जी प्रकाश डालें। मैं समझता हूँ जब वह अपना अन्तिम भाषण करेंगे तो यह प्रकाश डालेंगे कि इस विधेयक के जो उद्देश्य हैं वह जल्दी कार्यान्वित किये जायेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यह विधेयक सफलता प्राप्त करेगा और मंत्री जी का यह जो ध्येय है कि वह किसानों का हित करें उसमें सफलता होगी।

†**श्री तेलू राम**—माननीय अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार विनाश विधेयक जो कि इस समय सदन में पेश है मैं उसका स्वागत करता हूँ। वैसे तो यह निर्विवाद है लेकिन कुछ लोगों ने जो यह कहा है कि इसमें देरी हो गई तो मैं यह नहीं समझा कि उनके समय नापने का नपना क्या है। किस हिसाब से उन्होंने यह लगाया कि इसमें देरी हो गई है। देश के और स्टेट्स को देखते हुये हमारे प्रदेश में भूमि सुधार और ज़मींदारी अबालीशन सबसे पहिले हुए हैं। जहाँ तक इसमें क्रान्तिकारी परिवर्तनों का संबध है मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के संबध में काफ़ी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुये हैं।

यह भगवान की कृपा और नीति संचालक की बुद्धिमत्ता का सबूत है कि उनमें कोई क्रान्ति नहीं हुई और उसका कोई अनर्थ प्रभाव नहीं हुआ वरना जिस तरह से भूमि की व्यवस्था में परिवर्तन हुये हैं उनका परिणाम बुरा निकल सकता था। इतनी शान्ति से वह लागू हो गया कि उस दिशा को भूलना एक कृतघ्नता होगी। अमली रूप से जिनको इतना अधिकार रहा लेकिन कोई क्रान्ति नहीं हुई इसलिये उनके कामों को भूलना अच्छा नहीं होगा।

जहाँ तक ठेकेदारों के कब्जे का सम्बन्ध है मैं कुंवर साहब के सिद्धान्त से इत्फाक करता हूँ। यह माना कि मंत्री महोदय ने इस कारण ३० एकड़ रखा कि पिछला जो नियम बना है उसमें ३० ही एकड़ की बात रखी गई है क्योंकि जो अधिकार सारे प्रान्त को मिला है, कुछ लोगों को उससे वंचित कर दिया जाय तो यह ठीक नहीं होगा। यह लोग ठेकेदार थे। ठेकेकारों ने उन चीजों को प्रयोग कर लिया है लेकिन जिस समय यह ऐक्ट लागू करने जा रहे हैं तो उस वक्त साढ़े बारह एकड़ वाली बात आती है तो उस नियम को यहाँ पर क्यों नहीं लागू किया जाता है। यह बात मेरी समझ में आती है कि यह बात यहाँ पर लागू हो सकता है। इसमें ठेकेदारों को मुवाविजा भी मिलेगा और यह उनके साथ अन्याय भी नहीं है। ठेकेदारों को

† सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया

[श्री तेलू राम]

मुआविजा नकद मिल रहा है इसलिये यह बात उचित है कि साढ़े बारह एकड़ वाली बात यहाँ पर भी लागू हो जाय। एक फैमली के लिये जो सिद्धान्त माना गया है साढ़े बारह एकड़ जमीन, वह यहाँ पर भी लागू होना चाहिये। उसका औचित्य इस स्थान पर भी हो सकता है। दूसरी बात जो कुंवर गुरु नारायण जी की है उसकी भी ताईद करना चाहता हूँ कि जो जमीन ३० एकड़ से अधिक है वह जमीन उनके क़ब्जे से छूटेगी और वह ग्राम समाज में जायेगी। मुझे ऐसा लगता है कि उसका उपयोग उचित नहीं होगा। इस कारण यह समझ में नहीं आता है कि जहाँ पर ठेकेदारी व्यवस्था है वहाँ पर ठेकेदार इतने प्रभावशाली होंगे कि वहाँ की ग्राम सभा में उनका प्रभाव होगा। ग्राम समाज की जमीनों का जो बटवारा हुआ है उसको देखकर व्यावहारिक रूप में कहा जा सकता है कि उसके सम्बन्ध में जो नियम बने हैं वे लागू नहीं हुये हैं। अमली तौर पर ग्राम सभाओं को अधिकार है कि वे प्रस्ताव पास करके जिसको जमीन देना चाहें दे सकते हैं. लेकिन जो रूल्स थे उनका पालन नहीं हुआ है इसलिये जो जमीन उनसे निकलेगी उसका उपभोग वही करेगा क्यों कि उसका इनफ्यूएन्स ग्राम समाज पर होगा और इस तरह से वह उस जमीन को ले लेगा। भूदान समिति के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। वह ऐसा आरगनाइजेशन है जिसके प्रति सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात को सरकार ने स्वीकार किया और स्टेप भी लिया है। इस छूटी हुई जमीन की व्यवस्था उस तरह से होती तो ठीक था।

यह जो फ्रेग्मैंटेशन की बात कही जाती है कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गये मैं तो समझता हूँ कि चाहे जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हो जायँ लेकिन इन्सान के दिलों के टुकड़े नहीं होने चाहिए। भूमि व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं वे उचित ही हैं। जो परिवर्तन होने चाहिए अगर वे नहीं होते तो कुशल नहीं होती! क्रान्ति का भय होता है, फ्रेग्मैंटेशन की बात करना उचित नहीं है। एक बात डाक्टर साहब ने फरमाई बिल्डिंग्स के बारे में। दो प्रकार की बिल्डिंग्स हो सकती है, एक तो वे जो ठेकेदार को जमींदार से मिली हो या वे बिल्डिंग्स जिनकी जमीन ठेके पर मिली हो। दूसरी बिल्डिंग्स वे हो सकती हैं हालाँकि यह मुश्किल है कि ठेकेदार का अधिकार प्राप्त नहीं था लेकिन अगर ....

श्री चरण सिंह—स्टेट मालिक है।

श्री तेलू राम—हाँ, तो वे बिल्डिंग्स नहीं होगी। जज के बारे में फरमाया कि 'कन्फर्म' शब्द चौथी धारा में आया है। आज भी जो कानून है उसके मातहत उसका यह अधिकार है। जहाँ तक इस विधेयक का ताल्लुक है वह सुधार की ओर है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे हित होगा। इन शब्दों के साथ मैं फिर इस बिल का समर्थन करता हूँ।

†**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—चेयरमैन साहब, आज यह ठेकेदारी अबालीशन का बिल हाउस के सामने मौजूद है। अब तक जितने भी अबालीशन हुए हैं हम उनकी ताईद करते आये हैं और यहाँ से बिल पास कराकर ऐक्ट बनाते आये हैं। जहाँ

†सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

तक उसूल का ताल्लुक था वह तो ठीक है लेकिन ज़मींदारी अबालीशन के बाद हमने देखा कि हमारा तजुर्बा इस स्टेट के अंदर बहुत नाजुक है। अबालीशन करना चाहे वह ज़मींदारी सिस्टम हो या और कोई सिस्टम हो आसान है, लेकिन अबालिश करने के बाद हम उससे अलग हो गये तो यह ठीक नहीं है। हमने अबालीशन का कानून पास कर दिया लेकिन जिन लोगों की ज़मींदारी को अबालिश किया है उनके खानदान अबालिश हो गये, उनकी इज्जत अबालिश हो गई। आज बहुत बड़ा तबक़ा ऐसा है जो अबालीशन का शिकार है। अबालीशन में बड़े २ ज़मींदारी को हम सामने रखते हैं जिनका सिस्टम हमने अबालिश किया एक के बजाय हजारों का फायदा पहुँचाने के लिये, लेकिन यह ख्याल करना पड़ता है कि अबालीशन करने के बाद हम उनको, जिनकी बड़ी बड़ी जायदादें लीं उनके परिवार को, उनके खानदान को किसी किस्म की आसानी नहीं पहुँचा सके।

हमें ज़मींदारों के नाम से कोई नरफत नहीं है और न किसी को होनी चाहिए। अभी हमारे साथियों ने हम पर यह इल्ज़ाम लगाया कि हम लोग ज़मींदारों के साथी हैं। बहरहाल, उन का इल्ज़ाम बुरा नहीं है। वे तो हमको क्रिटिसाइज करने के लिये बैठे ही हैं। हमें तो उनकी बातों को बरदास्त करना चाहिए और उसे बरदास्त करने के लिये हम यहाँ पर बैठे भी हैं। हमको उनकी बातों को बड़े गौर से सोचना चाहिए और अगर उनकी बातें सही हैं तो फिर सोच विचार करके उनकी बातों का जवाब देना चाहिए। आज भी उन्होंने यह बात कही और उसका जवाब भी दिया जा चुका है लेकिन उनसे ज्यादा प्रोपेगन्डा तो हमने ही इस बात का कर दिया।

मैं यह कह रहा था कि दो तरीके हमारे यहाँ चले। एक तो अबालिशन का और दूसरा कम्पेन्सेशन का। इस अबालीशन ने तो बहुत से आदमियों को तबाह ही कर दिया। न तो उन लोगों को पैसा ही मिला जिस तरह से मिलना चाहिए था और न हम लैंड का रिफार्म ही कर सके। मेरा तो अपना यह ख्याल बनता जा रहा है कि इस वक्त तो अब लैंड रिफार्म हो नहीं सकता लेकिन जब हम लोग अल्लामियाँ के यहाँ पहुँच जायेंगे तब हो सकता है कि यहाँ पर लैंड रिफार्म किया जा सके। आज हम लोगों की जो अपोजिशन का क्रिटिसिज्म है उसको सुनना चाहिए। आपने जो कम्पेन्सेशन का तरीका रखा है वह इतना खराब है कि आपकी सरकारी मशीनरी उसको ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। जो तहसीलदार और उनके मातहत रहते हैं वे इस काम को करते हैं और फिर आप जान सकते हैं कि किस तरह से उनका काम होता है। गवर्नमेंट भी जानती है कि उनकी हालत क्या है। आप कोई एक छोटा सा बिल लाते जिसमें यह होता कि इन भाइयों को इतनी बड़ी मुसीबत न उठानी पड़ती। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर किसी का चार रुपया कम्पेन्सेशन है तो उसका एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही चार रुपये से ज्यादा खर्च हो जाता है, फिर यों भी देना पड़ता है और वैसे भी देना पड़ता है तब जाकर वह रूपया उस बेचारे को मिलता है। इसका कोई हल आप ने नहीं निकाला है। मैं आप से दरख्वास्त करूँगा कि कम्पेन्सेशन के सिलसिले में कोई ऐसा बिल लाया जाय जिसके अन्दर इस तरह के प्राविजन हों जिससे उन लोगों के लिये आसानी हो जाय। सरकार को चाहे ६० हजार या चाहे ६० लाख कम्पेन्सेशन देना हो लेकिन देगें तो मुकामी लोग ही। लेकिन आज तक न आप रोक सकें हैं, न हम रोक सकें हैं और न जमाने की फिजा ही इस बात को रोक सकी है कि किस तरह से जो लोग मुवाविजा लेते हैं उनको ज़लील किया जाता है। मैं एक काँग्रेस का मेम्बर हूँ और

[श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री]

रूलिंग पार्टी का मेम्बर भी हूँ। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं तहसीलदार के सामने जा सकूँ और उनसे कहूँ कि मेरा मुआविजा मुझे दे दो। यह एक वाकया है जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। मुझे यह कहने में कोई खौफ भी नहीं है। जब तक जमींदारी थी तो जमींदार एक पार्टी थी। लेकिन सन् १९२२ से बराबर कांग्रेस यह कहती आ रही थी कि हम जमींदारियों का खात्मा कर देंगे फिर भी इन लोगों ने अपने लिये कुछ नहीं किया। मैं तो अब भी उनको रहम का हक़दार समझता हूँ।

हमारे मुहतरिम दोस्त जो यहाँ पर बैठे हुये हैं उन लोगों को मालूम होगा कि किस तरह से अँग्रेजी हुकूमत के समय में इस चीज़ का मुकाबला किया कि लोग रिश्वतों का रुपया लेते हैं, उसके बारे में तक़रीरें की हैं, लेकिन जिस तरह से हम उसका मुकाबला करते थे, उसके बावजूद भी वह हालत नहीं सम्भल सकी, न वे सम्भाल सके और न हम ही सम्भाल सके। अगर आप को इस चीज़ को रोकना है तो इसके लिये जो भी तरीका मुनासिब हो सके, उस तरीके से मुआविजा दिया जाय। आप मनीआर्डर कर दें लेकिन लोगों को दौड़ने से और नाहक परेशान होने से बचाइये।

जहाँ तक ठेकेदारी को अबालिश करने का ताल्लुक है, कब्ल इसके कि आप इसको अबालिश करें, आप अमली निगाह से इसको देख लें कि जिन लोगों के हाथ में इसका कारोबार जाने वाला है वह इसको ईमानदारी से अमल में लावें। वरना जो हालत पैदा होगी उसको न हम रोक सकेंगे और न हमारे अपोजीशन वाले ही रोक पावेंगे। खाली प्वाइन्ट आफ आर्डर से ही आप उसको नहीं रोक सकते। जो चीज उस तरह से कही जाती है उसका हमें भी जवाब देना चाहिये। लेकिन जहाँ तक पार्टियों का ताल्लुक है वह उन लोगों को कुछ नहीं कहते और वह सिर्फ इस ख्याल से कि उनको दुबारा वोट मिलने में कोई दिक्कत न हो। लेकिन यह जो छोटा सा बिल पेश करने जा रहे हैं तो इसको हमें अपने पुराने तजुर्बे के बिना पर गौर करके देखना है। उस ऐनक से देखना है, जिस ऐनक से हमने जमींदारी अबालिशन को देखा, लेकिन उस ऐनक से नहीं देखना है कि जिस ऐनक से कि उसके खात्मे के बाद जो तकलीफें उठानी पड़ी हैं। इसलिये हमें यह अन्दाजा करना है कि जो ठेकेदारों के खात्मे की ताकत हम अपने हाथ में लेने जा रहे हैं, उनके बाल बच्चों का भी कुछ ख्याल रखें। पहले हमको इसके रिफार्म की तरफ तवज्जह करना चाहिये। हमारा तजुर्बा यह बताता है कि हमने एक बड़े तजुर्बे को खतम किया लेकिन उसके साथ ही एक दूसरा बड़ा तबका और पैदा हो गया और इस बिल में हमने उसके लिये कोई इन्तजाम नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि हम एक मिसाल बन करके सामने आयें कि अगर ठेकेदारों को खत्म करना ही है तो उनके बच्चों को तालीम की सहूलियत होनी चाहिये, काश्त की सहूलियत उनको दी जाय और दूसरी जो भी वाजिब सहूलियतें हो सकती हैं उनके परिवार के लोगों को दी जाय ताकि एक और बेकार तबका हमारे सूबे में पैदा न हो जाय। मैं आखीर में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बड़ा तबका हमारे सूबे में ऐसा है जिसकी तादाद को अँगुलियों में नहीं गिना जा सकता है, अगर किसी वजह से वह मुतमइयन है जो आज बहुत ही गलत रास्ते पर जा रहा है। इसलिये कानून के अन्दर एक सीधी सादी चीज रख दी जाय कि हम ठेकेदारी को खत्म करते हैं और उसकी इतनी रकम

मुआविजे में होती है, उस रकम को निकाल करके उनके घरों पर मनी आर्डर के जरिये से भेज दें और आपको उसकी रसीद मिल जायेगी वरना एक और रिश्वत शैतानी और लोगों को तंग करने की हालत आपके मशीनरी में नीचे पैदा हो जायगी जिसको आप बन्द नहीं कर सकते हैं, इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप उसका दरवाजा बन्द कर दीजिये। मैं अपोजीशन के लोगों से भी अपील करता हूँ कि वह भी इस मामले में गवर्नमेंट के साथ हाथ बँटायें और ऐसी फिजा पैदा करें कि जो यह छोटा सा बिल आ रहा है उसका पूरी तरह से वेलकम किया जाय और उसके असरात को लोगों को बताने में पूरे-पूरे अपने ख्यालात का इजहार किया जाय।

† **श्री अब्दुर रऊफ**--जनाब वाला, मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ।

क़ासिद के आते आते एक खत और लिख रखूँ।
मैं जानता हूँ कि वह क्या कहेगा जवाब में ॥

यह एक बहुत छोटा सा बिल है जिसको चौधरी साहब ने सदन के सामने रखा है। इस पर दोनों तरफ से विवाद हुआ है। मैं बहुत मशकूर हूँ कि हमारे मित्र फाखरी साहब ने एक हक़ तरफी बात कही है। इस बिल की खामियों की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया है। इस बिल को पेश करते हुये हमारे मिनिस्टर साहब ने बहुत मुखतसिर सी तकरीर की है। ९ ज़िलों में ९ हजार एक सौ एकड़ जमीन है, जिसका अबालिशन करना चाहते हैं और ठेकेदारी खतम करना चाहते हैं। ग़ालिबन हमारे मिनिस्टर साहब ने मेज़ पर बैठ कर नक्शे को फैला कर यह बिल बनाया है। इसलिये इस में कुछ गरमी पैदा हुई, लेकिन मुझे खुशी है कि उस गरमी का भी इन्तज़ाम हो गया है और ठंडक पैदा करने वाला मोहकमा माननीय चौधरी साहब के पास आ गया है। यह ९ हज़ार और एक सौ एकड़ ज़मीन जो ९ ज़िलों में फैली हुई है जिसको इस बिल के जरिये से खतम किया जा रहा है। इन ९ जिलों के अन्दर बलिया, बनारस, गोंडा, झांसी, पीलीभीत, और रामपुर भी आते हैं। इन के अन्दर जो ज़मीन का रकबा है वह बहुत ही थोड़ा सा है। जनाब वाला, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ जिस पर आप ज़रा ग़ौर फ़रमायें। मैंने अपने ज़िले पीलीभीत में देखा है कि ज़मींदारी अबालिशन के पेश्तर तराई के इलाके में जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी जमीन को कुछ लोगों को बतौर ठेके के दे दिया था, वे लोग उनका किराया दिया करते थे और उन लोगों को उस ज़मीन पर पूरा हक़ हासिल था। ज़मींदारी विनाश के दौरान में वे ज़मीन ज़मींदारों ने उन काश्तकारों को दे दी और वे लोग भूमिधर और सीरदार बन गये और सरकार ने उनसे १० गुना वसूल किया। अब आप भूमिधर और अधिवासी बनाने के बाद ठेकेदारी को खतम करते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि जो भूमिधर और अधिवासी बन चुके हैं, उन से ज़मीन निकल जायेगी। अभी आप ने यह फरमाया कि हजारों एकड़ ज़मीन ऐसी है जो पड़ी हुई है, उसके बारे में यह सुझाव दिया गया कि उसको पंचायतों को दे दिया जाये। जहाँ तक पंचायतों का सवाल है, उनको जो जमीन भूदान में मिली है, इसके बारे में मैं कई मिसालें पेश कर सकता हूँ, कि वह ज़मीन उन लोगों को दी गई है जो सभापति के, सरपंच के रिश्तेदार हैं और जिनको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास काफी ज़मीन है। ऐसी कई मिसालें हैं कि भूदान की ज़मीन उन लोगों को दी गयी है जिन को उस की कोई ज़रूरत नहीं थी।

---

† सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री अब्दुर रऊफ]

अब जो इस वक्त भूमिधर की हैसियत से हैं या अधिवासी हो चुके हैं, उनको यह जमीनें दी गई हैं, ठेकेदारी तो बरायेनाम की चीज रह गई है। यदि इस इलाके के अन्दर इसी तरह की बातें थीं, तो फिर यह कानून बनाने की क्या जरूरत थी और इस कानून के साथ साथ जो और सूरतें आ रही हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। इसमें ३० एकड़ जमीन का मुहाअदा किया जा रहा है और इसके लिये यह डिमान्ड की गई कि साढ़े १२ एकड़ रख दिया जाय। ३० और साढ़े १२ एकड़ का कोई फ़र्क नहीं है ? पहले अगर किसी के पास ५० या १०० एकड़ जमीन थी, तो अब उसके पास मुश्किल से ५, ६ एकड़ रह गई और बाकी जमीन सब तकसीम हो गई है। मैं इसलिये यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इसके अन्दर जो भी जरूरी तरमीमें हैं, उनको हमें अभी कर लेना चाहिए ताकि हाउस के अन्दर इसको दुबारा लाने की जरूरत न पड़े। पहले रामपुर और बनारस अलग स्टेट्स थीं, लेकिन बाद में ये हमारे सूबे के अन्दर मर्ज हुई। तो पहले वहाँ के ठेकेदार को रियासत के अन्दर मुस्ताबिल दिया जाता था, उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े फार्म होल्डर्स को देते हैं। जिसे गवर्नमेंट की तरफ से हजारों बीघे का फार्म चलाने की इजाजत मिल जाती है, तो गवर्नमेंट १० साल तक उससे मालगुजारी भी नहीं लेती है और टैक्स भी नहीं लेती है।

श्री चरण सिंह—आप कहां की बात कर रहे हैं ?

श्री अब्दुर रऊफ—मैं उन्हीं ज़िलों की बाबत कह रहा हूँ जिनका इसमें जिक्र है मैं एक तवारीख बतला रहा हूँ जहाँ पर कि इस तरह की तजवीज थी। आज वे ठेकेदार बरायेनाम कागज के अन्दर ही हैं। आज वे भूमिधर, अधिवासी या काश्तकार हैं जिनके पास न पहले जमींदारी थी, न अब है, लिहाजा इस बिल के अन्दर इस तरह का प्राविजन होना चाहिए जिससे ऐसे लोगों की सेफ्टी हो सके।

श्री शिव नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर ठेकेदारों की तरफ से वकालत करने नहीं आया हूँ। मैं गवर्नमेंट का एक मेम्बर हूँ यानी पार्टी का एक मेम्बर हूँ और मैं आप के सामने सही नक्शा रखना चाहता हूँ। कहा गया कि इस बिल को लाने में बहुत देर की गई। मुझे याद है कि ८ अगस्त, सन् १९४९ में जब रफी अहमद साहब यहाँ पर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जमींदारी का बिल पेश किया था, लेकिन हम लोग इतने सुस्त हैं कि हम ने उसे सन् १९५२ में पास किया। मैं डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी से कहना चाहता हूँ कि हमने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, उसमें तीन वर्ष के अन्दर कितने ही आदमी मौत के घाट उतार दिये गये, लेकिन हम १० वर्ष से राज्य चला रहे हैं, मान्यवर, हमने किसी भी आदमी को गोली नहीं मारी। हम ने अपने यहाँ ६०० रियासतों को खतम किया, जमींदारियां खतम कीं, लेकिन हमने किसी को भी गोली नहीं मारी। डाक्टर साहब को इतमिनान रखना चाहिए, इसमें कोई घबड़ाने की बात नहीं है, हम डेमोक्रेसी के सिद्धान्त को अपनाकर चल रहे हैं। जो भय है, हम भी उसे समझते हैं। देश के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह ठीक तरह से काम करे।

ठेकेदारी है, जमींदारियाँ हैं, हमने मुफ्त में इनको नहीं लिया है। सरकार ने बड़ा उत्तम किया कि जमींदारी खत्म कर दी जिससे किसान और सरकार का डाइरेक्ट सम्बन्ध है, जो पैसा सरकार को डाइरेक्ट मिलना चाहिए वह मिल रहा है और उनको मोआवज़ा मिल रहा है और सही मिल रहा है। सम्विधान में आपने इसका विधान रखा है कि जब किसी की कोई चीज़ लेंगे तो मोआवज़ा देंगे। इसके अलावा ३० एकड़ भी दे रहे हैं, यह कम मोआवज़ा नहीं है।

शाहिद साहब यहाँ नहीं हैं उनको बड़ा दुःख मालूम हुआ ठेकेदारी एवालिश करने से। पर मैं आप को बतादूँ कि सरकार ठेका देती है सड़क बनाने के लिए, लेकिन ठेकेदार ऐसा नक्शा पैदा कर रहे हैं कि सारा अपोज़ीशन हमको कोसता है। यह सारी ठेकेदारी जहां चल रही है वहां आधे से ज्यादा ठेकेदार खा जाते हैं और आधे से कम काम पर खर्च होता है। मैं समझता हूँ कि इसे हाउस के हर मेम्बर को वेकलम करना चाहिए था और अब तक इस विधेयक को पास हो जाना चाहिए था।

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि जो मोआवज़े का सिस्टम है मैंने लोअर हाउस में भी कहा था कि जिनको मोआवज़ा मिल रहा है मनीआर्डर से भेज दिया जाये। मैं आज पुनः इस ओर माल-मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि दफ्तर में बड़ी गड़बड़ियाँ हैं। जनरल शिकायत है, इसे इसकी चेकिंग होनी चाहिए। जहाँ तक गवर्नमेन्ट की नालेज की बात है उसकी चेकिंग हो रही होगी।

श्री चेयरमैन—अब १ बज रहा है... ....

श्री शिव नारायण—मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। इन शब्दों के साथ मैं समर्थन करता हूँ और सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो बिल पेश किया है उस से गरीबों के जो खेत हैं वह उनके पास रह जायेंगे और अधिवासियों को और भूमिधरों को कोई खतरा नहीं है।

श्री चरण सिंह—मैं यह सजेस्ट करना चाहता हूँ कि चूँकि छोटा सा विधेयक है, बजाय २ के हम ढाई बजे मीट करें।

(श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री चेयरमैन—अब हम उठते हैं और ढाई बजे तक के लिए सदन स्थगित किया जाता है। उस समय श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार जी बोलेंगे।

[सदन की बैठक १ बजे अवकाश के लिए स्थगित हो गई और २ बजकर ३० मिनट पर श्री डिप्टी चैयरमैन (श्री निज़ामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।]

स्थायी समितियों तथा स्टेट हेल्थ बोर्ड पर सदस्यों के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन की तिथि

श्री डिप्टी चेयरमैन—मैं विभिन्न स्थाई समितियों पर एक-एक सदस्य और स्टेट हेल्थ बोर्ड पर २ सदस्यों के चुनाव के लिए नाम निर्देशन के लिये २८ नवम्बर को दिन के १२ बजे तक का समय निर्धारित करता हूँ। यदि आवश्यक हुआ तो चुनाव १ दिसम्बर, १९५८ को किया जायगा।

[श्री डिप्टी चेयर मैन]

चुनाव १२ बजे से ४ बजे तक होगा।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो आज इस सदन के सामने है अत्यन्त आवश्यक है और इसको लाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

बहुत पहले जब हमने भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में सोचा तो अन्तर्वर्ती को हटाने की बात भी इसमें सोची गई। उसके बाद से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भूमि व्यवस्था में जो मध्यवर्ती थे उनको हटाने की व्यवस्था समय समय पर की जाती रही है और आगे भी की जायेगी जैसा कि अभी हमारे एजेन्डा में है कुमायूँ जमींदारी उन्मूलन विधेयक। इस नीति के अनुसार आज आपके सामने यह विधेयक लाया गया है। इसमें सरकारी स्थान जो ठेकेदारों के पास थे उनसे लेने की व्यवस्था की गई है और अभी कुछ मित्रों ने जो यह बात कही कि यह विधेयक मुनासिब नहीं है और कुछ पिछड़ा हुआ है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं यह समझता हूँ कि पिछले अनुभव के आधार पर इस विधेयक का प्रविधान किया गया है और यह हर दृष्टि से ठीक है। काश्तकारों को अपना प्रतिकर लेने के लिए इसमें नगदी की व्यवस्था की गई है, यह बिलकुल सत्य बात है। यदि आप पुराने विधेयक को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि काश्तकारों को प्रतिकर लेने में बड़ी दिक्कत होती थी इससे यह अच्छी बात है कि उनकी नगदी मिल जाय, किन्तु इस बात को देखना चाहिए कि आप यदि नगदी में सभी काश्तकारों को ५० रुपये से अधिक की व्यवस्था कर सकें तो वह काश्तकार के लिये लाभप्रद होगा।

दूसरी बात यह है कि इसके अन्दर ३० एकड़ भूमि की व्यवस्था की गई है उस पट्टेदार के लिये जो पट्टे की जमीन को अपने आप जोतता है। यहाँ साढ़े १२ एकड़ की चर्चा आई है किन्तु उन्होंने यह नहीं देखा कि पट्टेदार की परिभाषा के अन्दर धारा २ में लिखा हुआ है पट्टेदार का तात्पर्य पट्टे के अधीन ठेकेदार अथवा पट्टेदार से है उसे चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो तथा इसके अन्तर्गत उसके दायाधिकारो और अभिहस्कांकिती भी हैं। इसका मतलब यह है जैसा कि पहले ३० एकड़ की व्यवस्था ऐक्ट में है, उसके अनुसार यहाँ भी है।

साढ़े बारह एकड़ की जो बात है वह इसलिये है कि कोई भी व्यक्ति जो १८ साल की उम्र से अधिक का हो वह यदि चाहे तो साढ़े बारह एकड़ जमीन खरीद सकता है और इससे एक सीमा बन जाती है। यदि किसी परिवार में आदमी अधिक हैं तो वह अधिक जमीन खरीद सकते हैं। वैसे भूमि की सीमा निर्धारण करना हमारे सूबे के हित में नहीं है क्योंकि यहाँ भूमि वैसे ही लोगों के पास कम है और जिनके पास अधिक है वह बहुत कम परसेन्टेज है। इसलिए इन जमीनों को छीन लेना उचित नहीं है।

यद्यपि आज की नीति यह है कि धीरे-धीरे लोगों के पास भूमि सीमा में ही रहे। बृहत जोतकर से बिना सीमा निर्धारित किए भी बड़ी जोतें, बिना जमीन छीने छोटी हो रही हैं। मैं

समझता हूँ कि इस विधेयक को लाकर हमने उस नियम को जो हमने बनाया था कि मध्यवर्ती का भूमि व्यवस्था से नाश हो जाय, उसी के अनुसार हमने इस कोने को भी भर दिया है। यह कोना छोटा है और करीब ९ जिलों में ९००० एकड़ भूमि है और ६०,००० के करीब मुआविज़ा देना पड़ता है। इतना छोटा होते हुये भी इनका रहना उचित नहीं था इसलिए इसमें से भी मध्यवर्ती को हटा दिया है।

इन शब्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूँ।

† **श्री इसहाक़ सम्भली** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)–जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, यह बिल ठेकेदारी अबालिशन का जो पेश किया गया है, अगर यह कहा जाय तो बेजा न होगा कि कांग्रेस सरकार को ११ साल के बाद इतना ख्याल हुआ और इस तरफ भी तवज्जह हुई। आज से बरसों पहले इस बिल को आ जाना चाहिये था। खैर बहुत देर में आया, मैं इसका तहेदिल से स्वागत करता हूँ।

साथ साथ मैं यह ज़रूर अर्ज़ करूँगा जैसा कि मुझ से पहले कई दोस्तों ने भी कहा है, मैं इस बात पर जोर देकर कहूँगा कि मुआविजा देने के सिलसिले में और ज़मीन छोड़ने के सिलसिले में जो बाई लाज बने उसमें इसका ख्याल रखा जाय कि इन ठेकेदारों को भी उस तबाही, परेशानी और रिश्वतसतानी का मुकाबिला न करना पड़े जो मुआविज़ा वसूल करते वक्त ज़मींदारों को करना पड़ा है। वादे तो हम मुख़तलिफ़ मौक़ों पर सरकार की तरफ से सुनते रहे, लेकिन सवाल है अमल दरामद का।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह कहा जाय तो बेजा न होगा कि हमारे सामने यहाँ लम्बे चौड़े आँकड़े दे कर के बता दिया कि इतने बान्ड दिये गये और इतना मुआविज़ा अदा किया गया। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि कम-से-कम दो ज़िलों की मिसाल सामने रख कर कह सकता हूँ कि सैकड़ों ज़मींदार ऐसे हैं जिनकी हिम्मत नहीं हुई कि तहसील जायें और उनका जो छोटा सा मुआविज़ा है उसको वहाँ से ले लें। पहिले १०, ५ रुपया खर्च करें और तब अपनी छोटी सी रक़म वसूल करें। एक देहात का रहने वाला ज़मींदार जिसको १० रुपया मुआविजा मिलना था, वह यह मुनासिब नहीं समझता था कि तहसील हेडक्वार्टर जाय, सवारी में खर्च करे, तहसील में खर्च करे और इस तरह से १५ रुपया खर्च करके अपना वक्त बर्बाद करके तब १० रुपया वसूल करे।

दूसरी चीज़ जिसकी तरफ मैं वज़ीर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूँ, जनाब वाला, आपके ज़रिये से, वह यह है कि थोड़ी ही तादाद में ठेकेदार सही, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस ठेकेदारी को पहिले ही ख़त्म हो जाना चाहिये था, लेकिन फिर भी सरकार को यह ख्याल रखना चाहिये कि उनका जो रोज़गार लिया जा रहा है, तो उसके लिये कोई आल्टरनेटिव रोज़गार देने की कोशिश की जानी चाहिये। यह सरकार की बड़ी कमज़ोरी है कि आज ११ साल के कांग्रेस राज रहने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक लोगों को रोज़गार दिलाने की जिम्मेदारी नहीं ली है। बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिये उसने कोई रिसपांसबिलिटि नहीं ली है। आम

†सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री इसहाक सम्भली]

लोगों को रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह तो है ही, लेकिन जो लोग रोज़गार से लगे हुये हैं, सही है कि वह रोज़गार ग़लत है, लेकिन उनको खतम करने के बाद सरकार का यह सबसे बड़ा फ़रीज़ा होता है कि उनका रोज़गार ख़तम करने के बाद, उनको आल्टरनेटिव रोज़गार देने की कोशिश करे। आज तरह-तरह के जो रोजगार निकल रहे हैं, आज बड़ी तेजी के साथ कांग्रेस के नेताओं को जो कोल डिपो दिये जा रहे हैं, तो सवाल यह है कि जो बेरोज़गार हो रहे हैं, उनकी तरफ़ भी सरकार की तवज्जह जानी चाहिये। ज़मींदारी ख़त्म की गई, सही किया गया, इसको ख़त्म होना चाहिये था लेकिन ज़मींदारी ख़त्म होने के बाद उनका रोज़गार ख़त्म होने के बाद, बहुत से ज़मींदार बेरोज़गारी की वजह से तबाह हो गये, उनके बच्चे आज अगर टी० बी० से बीमार हैं तो उनके लिये दवा का इंतज़ाम नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिये फ़ीस नहीं है उस सब का सबब यही है कि उनके लिये कोई आल्टरनेटिव रोज़गार दिलाने की कोशिश नहीं की गई। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह उनके लिये किसी रोज़गार का इंतज़ाम करती, क्योंकि सरकार ने उनसे रोज़गार छीना था। दूसरे मुल्कों में जहाँ पर कि कम्युनिस्ट इंक़लाब भी हुये, वहाँ पर भी पहिले ज़मींदारी ख़त्म नहीं की गई। पहले उनके लिये आल्टरनेटिव रोज़गार का इंतज़ाम कर लिया गया, तब ज़मींदारी ख़त्म की गई। चीन में यही हुआ कि ज़मींदारी तब ख़त्म की गई, जब कि उन्होंने बेरोज़गारी की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। मिनिस्टर साहब को ताज्जुब होता है लेकिन पंडित नेहरू ने चीन से लौटने के बाद खुद कहा था कि चीन में बेरोज़गारी का नाम नहीं है। मैं सरकार से अपील करूँगा कि वह अपनी ग़लती को महसूस करे और थोड़े से ही तादाद में सही, इन ठेकेदारों को वह दिक्कत अपना मुआविज़ा वसूल करने में न हो जो ज़मीदारों को तहसील हेडक्वार्टर्स में हुई है। उसी तरह से ठेकेदारी ख़त्म होने के साथ-साथ उनके लिये किसी रोज़गार का बन्दोबस्त करे जिससे कि वह अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकें और सिर्फ यह न कह दिया जाय कि ३० एकड़ की आराज़ी उनको दे दी गई है। यह ३० एकड़ ज़मीन मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ़ क़िस्म की होती है। वह ऐसी भी होती है कि ३० एकड़ से आदमी रईस भी हो सकता है और ऐसी भी होती है कि इन ३० एकड़ में वह अपने बाल बच्चों को रोटी भी नहीं खिला सकता है।

इसलिए मैं आप के ज़रिये यह दरखास्त करूँगा कि सरकार रोज़गार देने की तरफ ध्यान दे और जो बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं उनको रोजगार दे। अगर यह कहा जाय कि इसने गरीबों को गरीब बनाया है, रोज़गार वालों को बेरोजगार बनाया और गरीब को ऊपर उठाकर मालदार नहीं बनाया है, तो इसमें कोई गल्ती नहीं होगी।

श्री जगदीश प्रसाद द्विवेदी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, जो उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक सदन के सम्मुख इस वक्त प्रस्तुत है इसमें अपोजीशन पार्टियों की मुखतलिफ तरफ से मुखतलिफबातें हम लोगों के सामने पेश की गयीं हैं। एक तरफ अपोजीशन की तरह से यह कहा गया कि जिन ठेकेदारों की ठेकेदारी जब्त की जा रही है उनको कोई मुआविज़ा न दिया जाय। दूसरी तरफ अपोजीशन ही से यह कहा गया कि ठेकेदार की निजी जोत में जो ज़मीन है और जिसमें सिर्फ ३० एकड़ ज़मीन दी जा रही है तथा जो मुआविज़ा

दिया जा रहा है वह काफी नहीं है। उनके लिये और उसके परिवार के लिए और भी इन्तजाम किया जाय। जहाँ तक पहली चीज़ का सवाल है हमने अपने कॉंस्टीट्यूसन में तरीका बना लिया है कि जब कोई राइट्स एबालिस करते हैं तो उसके लिये हमने सिद्धान्त बना लिया है कि उसको बिना मुवाविजा दिये हुये ले नहीं सकते, तो ठेकेदारों के हकूक बिला मुवाविजा दिये कैसे खत्म हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम लोगों के सामनेपे श की गयी वह यह पेश की गयी कि जो जमीन ठेकेदारों की निजी जोत की ३० एकड़ मारूसी काश्तकारी पर ठेकेदारों को देने के बाद बचेगी वह ज़मीन ग्राम समाज को न देकर भूदान समिति को दे दी जाय। जिस ज़मीन का इस वक्त हमारे सामने मसला पेश है वह कुल ज़मीन पूरे सूबे में मिलाकर ६००० एकड़ के करीब है। उसमें कुछ ज़मीन इस बात में निकल जायेगी कि जो ठेकेदार ३० एकड़ या ३० एकड़ से ज्यादा काश्त करते हैं उनको उस ज़मीन में से ३० एकड़ मौरूसी हक़ हासिल हो जायेगा। इसके बाद जो जमीन बचेगी और जो किसी शिकमी के काश्त में न होगी वह ली जायेगी और उसको उठाने के लिए ग्राम समाज को अधिकार दिया गया है। सूबे भर में लाखों एकड़ ज़मीन ग्राम समाज उठावे लेकिन यह थोड़ी सी ज़मीन जो है उस पर यह सिद्धान्त पेश किया गया है कि उसको ग्राम समाज को न देकर भूदान समिति को दिया जाय और ग्राम समाज को न दिया जाय यह क्यों? यह भी बतलाया गया है कि जो नियम ज़मीन उठाने के लिये बनाये गये हैं उसकी पाबन्दी ग्राम समाज नहीं कर रही हैं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उस अमेन्डमेन्ट की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो अभी चन्द दिन हुए ज़मींदारी एबालीशन रूल्स में किया गया है और जिसमें यह नियम बनाया गया है कि क़ानूनगो की तरफ़ से पट्टा तस्दीक़ करते वक्त देख लिया जाय कि जो नियम ज़मींदारी एबालिशन रूल्स व ऐक्ट में व ग्राम समाज मेनुवेल में ग्राम समाज की ज़मीन उठाने के मुताल्लिक बनाये गये हैं वह बर्ते गये हैं कि नहीं। अगर वह नियम नहीं बर्ता गया है तो क़ानूनगो को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह पट्टा तस्दीक न करे। ऐसी हालत में ग्राम समाज का ज़मीन उठाने में नियम के न मानने का सवाल ही नहीं उठता है।

दूसरी चीज़ जो हम लोगों के सामने रखी गई है वह यह रखी गई है कि ३० एकड़ जो दिया जा रहा है वह साढ़े बारह एकड़ कर दिया जाय। अभी जो तजवीज साढ़े बारह एकड़ की U. P. Land Reforms Act में पेश हुई थी, वह आइन्दा के लिये थी उसमें और उसके सिलसिले में यह कहा गया था कि ३० एकड़ की जो हद एक परिवार के लिये रखी गई उसका लोगों ने नाजायज़ फायदा उठाया। वह एक फेमली (परिवार) के लिये रखी गई थी, लेकिन लोगों ने रजिस्ट्री नोटिस देकर यह कर लिया कि खानदान के जो मेम्बरान थे, और उसमें हर एक ३० एकड़ तक ज़मीन खरीद सकता था और खरीदी, वे सब अलग-अलग फेमली में शुमार किये जाने लगे। अब यह जो ३० एकड़ की हद ठेकेदारों के लिए रखी गई है यह बहुत उचित है क्योंकि यह उनकी जोत की ज़मीन है। यह तो बहुत मामूली बिल है जो हम लोगों के सामने पेश है। इसमें बहुत बड़ी-बड़ी दलीलें दी गई और बड़े-बड़े सिद्धान्त बतलाये गये। वे सब जब ज़मींदारी अबालीशन अमेन्डमेन्ट बिल पेश था तब मुनासिब हो सकती थीं, लेकिन तब नहीं पेश की गई, अब तो कुछ हजार एकड़ ज़मीन के ठेकेदारी समाप्त करने का सवाल है। यह साधारण बिल है जो बिना किसी वाद-विवाद के पास हो जाना चाहिए। मुझको यही निवेदन करना था। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

†श्री राजा राम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सामने पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। वास्तव में इस बिल का उद्देश्य ठेकेदारी प्रथा का अंत है। मैं ऐसी आशा करता था कि इस बिल के उद्देश्य को पढ़कर आमतौर से सदन के अंदर इस बिल का समर्थन होगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस बिल पर भी जिस ढंग से विचार किया गया, जिस तरीके से दलीलें पेश की गई उनको सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। बिल में कोई ऐसी बात नहीं है, न कोई ऐसा कदम है जिसकी किसी तरीके से आलोचना या निन्दा की जाय। अभी हमने जमींदारी प्रथा का विनाश किया, हम चाहते हैं कि ठेकेदारी का भी विनाश हो। हमने यह निश्चय किया। था कि हम जिनकी जमीन हो उनका मुआविजा दें। हम ठेकेदारी का अंत करने के लिये भी यह कर रहे हैं कि जिनकी जमीन ली जायगी उनका मुआविजा दिया जायगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके बारे में विवाद की कोई गुंजाइश हो यह आलोचना की गई कि देर से बिल आया। यह कहा जा सकता है कि देर से बिल आया, लेकिन जिस समय भी आया उस समय तो उसका स्वागत करना ही चाहिए। कोई अच्छा काम यदि देर से भी होता है तो उसका भी हम स्वागत तो करते ही हैं। उसका समर्थन करते हैं। हाँ, यह कह सकते हैं कि जब कभी इस किस्म के विधेयक आयें तो उनके लाने में तीव्रता की जाय। केवल इस बुनियाद पर कि चूँकि यह बिल देर से आया है इसके ऊपर हम आलोचना करते रहें और विधेयक के उद्देश्य की ओर ध्यान न दें, तो यह मुनासिब बात न होगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि बेचारे जमींदार बहुत से परेशान हैं, मारे-मारे फिर रहे हैं, ये भी बेचारे बेरोजगार हो जायेंगे। इनके लिये कोई काम धंधे की तजवीज नहीं की गई है। जब कभी इस तरह की चीजों पर विचार होता है तो हमेशा यह बात सामने पेश की जाती है कि इस देश में गरीबी है, भुखमरी है। इतना जमाना गुजरगया शासन करते हुए, अभी तक इन चीजों पर सरकार विजय प्राप्त नहीं कर सकी।

मैं समझता हूँ कि जो लोग इस तरह की आलोचना करते हैं वे कुछ इन्साफ की बात नहीं करते हैं। वे मालूम नहीं किस बुनियाद पर बात करते हैं। आज आप दुनिया का कोई भी मुल्क ले लीजिये जो इस बात की गारन्टी करता हो कि हम १०, ११ वर्ष में अपने यहाँ से बे-रोजगारी और गरीबी को दूर कर देंगे और सब में समानता ला देंगे। जब जनता को किसी चीज का विश्वास दिलाना है तो भले ही आप इस तरह की आलोचना करें और लम्बी चौड़ी बातें करें, लेकिन यह एक तथ्य है कि जिस बात का शासन जनता को आश्वासन देगा वह उसे करके दिखलाना पड़ेगा। वह शासन फिर कभी भी इस तरह की लम्बी चौड़ी बातें नहीं करेगा। दुनिया में विरोधी दल कितनी ही सरकारों की आलोचना करें, लेकिन जो दल शासनारूढ़ होता है वह इस तरह की बातें नहीं करता है। हाँ, मैंने अक्सर देखा है और इस प्रकार का प्रचार किया गया है और ऐसी धारणायें पैदा की गयी हैं कि हमारे देश में यह नहीं हुआ और वह नहीं हुआ। यह कहा जाता है कि रूस और चीन में तो बेरोजगारी और भुखमरी दूर हो गयी है। क्या आप यह समझते हैं कि वहाँ पर शासन के कायम होते ही फौरन से ये चीजें दूर हो गयी हैं? मैं समझता हूँ कि जो इस तरह से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं वे कभी भी कायम नहीं रह सकते हैं।

† सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

३० साल तक रूस ने लगातार मेहनत की है और फिर भी क्रुश्चोव साहब कहते हैं कि हमने जो तरीका अपनाया है वह गलत रहा है जिसके कारण उसके गलत परिणाम निकले हैं। जब हम एक चीज पर विचार करने बैठते हैं तो उस समय जरा श्रद्धा और भक्ति को सामने न रखें बल्कि जो वस्तु स्थिति है उसको सामने रखें। आज हमारे दोस्त कहते हैं कि चीन में तो गरीबी और बेकारी बहुत ही जल्दी समाप्त हो गयी।

श्री इसहाक सम्भली—पंडित जवाहर लाल नेहरू तो ऐसा ही कहते हैं।

श्री राजा राम शास्त्री—मैं भी चीन गया हूँ। मैंने भी वहाँ जाकर देखा है। वहाँ पर अभी गरीबी है। हाँ, इस बात की उनकी तारीफ करता हूँ कि वे गरीबी और बेकारी से लड़ रहे हैं। आज भी शंघाई और पेकिंग में आप जाइये तो आपको हजारों बच्चे फटे कपड़े पहिने खड़े दिखाई देंगे। मैंने वहाँ पर देखा कि आज भी वहाँ पर लोग रिक्शा चला रहे हैं जो कि बहुत ही टूटा-फूटा होता है। लेकिन मैं इस बात की तारीफ करूँगा कि कम्युनिस्ट जब शासन करते हैं तो अक्ल से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हम इन लोगों के लिये आलटरनेटिव काम नहीं दे देंगे तब तक इनको इस काम से नहीं छुड़ायेंगे, चाहे इसमें कितना ही बड़ा आदर्श क्यों न हो। यह बात सही है कि वे इस बात को भी दूर करने की हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। वह नहीं चाहते हैं कि एक आदर्श के पीछे वे हजारों आदमियों को बेकार कर दें। वहाँ पर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वे ऐसी बातें नहीं करते हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है वे ही ऐसी बातें करते हैं कि १० वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक देश के अन्दर से गरीबी दूर नहीं हुई। ऐसा मालूम होता है कि अगर आप के हाथ में शासन की बागडोर दे दी जाय तो सन् १९५९ का खात्मा तब होगा जब कि इससे पहले ही देश से गरीबी खत्म हो जायेगी। यह कोई विचार करने का तरीका नहीं है। मैं आपसे यह कहता हूँ कि आपको एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि आप आलोचना कर सकते हैं और मतभेद भी रख सकते हैं, लेकिन जितने भी बिल यहाँ पर आयें और जो भी काम अपने देश में तरक्की का हो, उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि चाहे आप जमींदारी प्रथा को ही ले लीजिये या पूँजीवाद विनाश को ही ले लीजिये, इनके सम्बन्ध में काँग्रेस की एक नीति है और वह यह है कि हम किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम किसी काम को एक दम से पहले ही नहीं करेंगे बल्कि धीरे-धीरे उसके एक एक अंश को ले कर समाजवादी व्यवस्था के ढंग से उस व्यवस्था को अपने देश में कायम करेंगे।

अब इसका आप विरोध कर सकते हैं और आप आलोचक हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जिस क्रान्तिमय ढंग से एक झटके के साथ व्यवस्था कायम करके जिस तरह से और देश चले हैं वैसे ही यहाँ पर भी एक झटके के साथ व्यवस्था हो सकती है। मैं इस चीज को मानने के लिये तैयार हूँ कि हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार की हमारे देश की स्थिति है, जिस तरह से हमारे सामने कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो व्यवस्था हमने मानी है, जिस नीति की घोषणा हमने की है उसको देखते हुये एक झटके के साथ सारे देश में तहस नहस मचा करके हम चाहें की बेकारी दूर हो जाय और समानता देश में पैदा हो जाय, तो यह नहीं हो सकता है। हम जो अच्छी चीज भी करते हैं उसको भी आलोचना की जाती है, तो इन बातों को देखते हुये मेरा तो विश्वास है कि

[श्री राजा राम शास्त्री]

हमने जमीन्दारी प्रथा का विनाश किया तो उसमें भी कमियाँ रह गयी थीं और उनको एक एक करके हमने दूर भी किया। लेकिन अगर आप चाहें कि सारे देश में उथल पुथल मचा करके पूंजीवाद को समाप्त किया जा सकता है, मैं मानता हूँ कि हो सकता है लेकिन अभी हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है। हम उसको भी कर रहें है और धीरे-धीरे कर रहें हैं। हम चाहते हैं कि हमारा काम भी पूरा हो जाय और लोगों में असन्तोष भी न पैदा होने पाये। लेकिन हम आलोचना जिस भावना से करना चाहते हैं कि रूस में कितनी जल्दी कदम उठाया गया तो मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग यह सब पसन्द करेंगे। जिस तरह से वहाँ पर लाठी के जोर पर काम किया जाता है कि किसी को कुछ कहने की भी स्वतंत्रता नहीं है, क्या आप ऐसी व्यवस्था को पसन्द करेंगे? हमने अपनी एक नीति अपनायी है और उस नीति के आधार पर ही हम बराबर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप उसके आलोचक बन सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मौजूदा परिस्थिति में हम जिस ढंग से किसी चीज को कर रहें हैं, उस ढंग से नहीं हो सकता। आप यह भी कह सकते हैं कि आज चूँकि आप गद्दी पर बैठे हैं इसलिये उचित अनुचित सब कर सकते हैं, मुझे खुशी है कि आज सभी पार्टी गद्दी पर बैठी हुई, है कांग्रेस भी गद्दी पर बैठी है, कम्युनिस्ट भी गद्दी पर बैठे हैं, समाजवाद भी गद्दी पर बैठी है और हर एक को मौका मिलता है कि सभी चीजों को सामने रखकर विचारने की कोशिश करे। लेकिन आज की बातों को सुनकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं भी विरोधी पक्ष वालों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जिस वक्त हम सदन के अन्दर किसी भी विधेयक के सिलसिले में किसी चीज पर बहस करते हैं तो हमें एक ही चीज पर बहस करना चाहिये जो कि आदर्श की बहस होगी। कांग्रेस की तरफ बैठनेवाले जो लोग हैं, वे इस बात को मानकर चलें कि जो ईमानदारी और सच्चाई हम में है, जो देश भक्ति हम में है, दूसरों के अन्दर भी वही सच्चाई और देश भक्ति है और अगर उनकी किसी भी नीति की आलोचना होती है। तो उनसे यह उम्मीद करते हैं कि वह उसका जवाब उसी दृष्टि से दें। अपोजीशन से भी यही उम्मीद करते हैं कि वह इस बात को ध्यान में रख कर आलोचना करें कि जो उधर के बैठने वाले लोग हैं, उनमें भी सच्चाई और देश भक्ति है और उसी भावना को लेकर ही तर्क का जवाब तर्क से ही दिया जायेगा। लेकिन अगर हम यह मान कर चलते हैं कि उस तरफ बैठने वाले लोगों में कोई सच्चाई और देश भक्ति नहीं है, जितने लोग बैठे हैं उनमें कोई देश भक्ति नहीं हैं केवल रुपये के ख्याल से बैठे हैं, गरीबों का उनको कोई ख्याल नहीं है, तो इस भावना से एक भेद भाव जो आपको मालूम होगा, उसका नतीजा यह होगा कि इधर के बैठने वाले लोगों में भी यही भावना पैदा होगी कि अपोजीशन के लोगों में कटुता भरी पड़ी है, उनमें देश भक्ति नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं सोचना चाहता है कि जिससे देश का हित साधन हो, तो जब इस तरह की बातें विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष के लोगों के दिलों में पैदा होने लगेंगी, तब एक ऐसा वातावरण पैदा हो जायेगा कि जिससे राष्ट्र के निर्माण में बाधा पड़ सकती है और इस तरह से राष्ट्र का हित नहीं हो सकता है। इसलिये हम उम्मीद करते हैं कि जब हम कोई बात करते हैं तो उसमें किसी के ऊपर लांछन लगाने की बात नहीं होनी चाहिये। हमें किसी की नियत पर हमला नहीं करना चाहिये।

हाँ, यह जरूर है कि डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जब कभी सदन के अन्दर गड़बड़ी होती है, तो वह दूसरे देशों के पार्लियामेंटों का उदाहरण देते हैं और बतलाते हैं कि हमको उन देशों की जो अच्छी चीजें हैं, उनको ग्रहण करना चाहिये। यह ठीक है कि जो दूसरों की अच्छी चीजें हैं उनको हमें ग्रहण करना चाहिये, लेकिन हर वक्त यह बात कहना कि फलां जगह पर ऐसी बात हुई है, इसलिये हमारे देश में भी फलानी बात होनी चाहिये, मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वेस्ट जर्मनी, जापान तथा और अन्य देशों की पार्लियामेंन्ट को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो गम्भीरता मैंने अपने यहाँ की देहली की पार्लियामेन्ट में देखी है वह गम्भीरता किसी भी दूसरे देश की पार्लियामेन्ट में नहीं दिखायी दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो देहली की पार्लियामेन्ट में उठने बैठने का तरीका, स्पीकर के प्रति आदर का भाव जो देखा है वह कहीं भी दूसरे देश में नहीं देखा है। इटली की पार्लियामेंन्ट में जूतेबाजी होती है तो जापान की पार्लियामेन्ट में घूसेबाजी होती है। तो इस तरह का वातावरण वहाँ पर पाया जाता है। मैं समझता हूँ कि यह चीज अच्छी नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब बिल पर बहस शुरू होती है, तो जनरल बहस शुरू हो जाती है और उस बिल का जो उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति हो रही है या नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता है। ऐसी बहस होने लगती है, जैसे पब्लिक मीटिंग में होती है आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगते हैं और उससे ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है, जिससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। मैं विरोधी पक्ष से इस बात की आशा करता हूँ कि यह जरा अपने स्टैन्डर्ड को ऊँचा करें और दूसरों की नियत पर हमला न करें। साथ ही साथ मिनिस्टर साहब से भी यह अपील करूँगा कि अगर आप यह चाहते हैं कि वास्तव में सही बात की ओर ध्यान जाये और सही बात कहीं जायें, तो मेरी समझ में एक ही तरीका नजर आता है और वह यह है कि आप अपनी सही बात को कहते जायें और अपना सही कदम उठाते जायें। आप किसी की अलोचना की परवाह न करें और मजबूती के साथ अपना कदम उठाते जायें। इससे मैं समझता हूँ कि जो अलोचना करने वाले हैं वे सही बात को किसी न किसी दिन जरूर समझ जायेंगे और जो गलत बात की तरफ उनका ध्यान जाता है, वह नहीं जायेगा।

श्री महफूज़ अहमद किदवई (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—जनाब वाला, यह बिल पर बहस नहीं हो रही है। माननीय मन्त्री जी को क्या करना चाहिये, यह नसीहत हम सुनते-सुनते थक गये।

श्री राजा राम शास्त्री—श्रीमान, मैंने यह बात इसलिये कही है क्योंकि इस विधेयक के सम्बन्ध में यह सारी बातें कही गयी हैं। जब माननीय सदस्य हमला करते हैं तो क्या हमको यह हक नहीं है कि हम उनकी बातों का जवाब दें। या तो इस तरह से बात कही न जाय और कही जाती है तो हमें फिर उसके जवाब देने की आवश्यकता पड़ जाती है। मैं विरोधी पक्ष से दरख्वास्त करता हूँ कि वे उस विधेयक का स्वागत करें और जो इसमें अच्छी बातें हैं, उनकी सराहना करें। यह तरीका गलत् है कि सही बात को छिपा दिया जाये। मैं तो कहता हूँ कि सच्ची बात को सामने लाना चाहिये और उसकी ओर लोगों का ध्यान जरूर दिलाना चाहिये।

[श्री राजा राम शास्त्री]

इस विधेयक को हम बढ़ा सकते हैं और दूसरे सुधार भी कर सकते हैं। यह विधेयक पास होने के काबिल है। इससे समाज की उन्नति होगी। इसमें जो कमियाँ हैं, उनको हमें दूर करना चाहिये।

एक बात और कहकर मैं समाप्त कर दूंगा और उस बात की जानकारी मैं माननीय मन्त्री जी से करना चाहता हूँ। इसमें ३० एकड़ की ज़मीन का सवाल है जो कि किसी के पास रह सकती है और उससे अगर ज्यादा ज़मीन होगी, तो वह गाँव समाज को बंटवारे के लिये दे दी जायेगी। अगर हम इस चीज को मान लेते कि बंटवारा तो गाँव समाज ही करेगा, लेकिन उस गाँव के अन्दर जो खेतिहर मज़दूर हैं, उन्हीं में उस ज़मीन का बंटवारा होना चाहिये। मान लीजिये ज़मीन थोड़ी है मगर गाँव समाज के अन्दर बड़े-बड़े लोग भी हैं जो कि उस ज़मीन पर अधिकार कर लेते हैं और इस तरह से जिनको वह ज़मीन मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पाती है, तो ज़मीन तो गाँव समाज को बाँटने के लिये दी जाय, लेकिन इस तरह की व्यवस्था कर दी जाय कि जो भूमिहीन मज़दूर हैं, उन्हीं के अन्दर वह ज़मीन बाँटी जायेगी। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री चरण सिंह---यदि आप ने ज़मींदारी अबालिशन ऐन्ड लैन्ड रिफार्म ऐक्ट की धारा १९८ पढ़ी है, तो इस तरह का एतराज नहीं लाते।

श्री राजा राम शास्त्री---मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर उस ऐक्ट में यह चीज आती है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है और अगर नहीं आती है, तो मुझे इस बात को मानने में कोई एतराज नहीं होगा। इस ज़मीन का बंटवारा कैसे किया जाय, इसके लिए तो एक उसूल की बात होती है। इससे एक भावना पैदा होती है। इस दृष्टि से हमें इसमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम बड़े-बड़े ज़मींदारों से तथा ठेकेदारों से अधिकांश रूप में ज़मीन लें और भूमिहीन मज़दूरों में उस ज़मीन का वितरण करें। इतना ही कहकर मैं इस बिल की ताईद करता हूँ और आशा करता हूँ कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

†**श्री इन्द्र सिंह नयाल** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)---उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल सरकारी भूमि के विषय में है, जो भूमि कि ठेकेदारों को उठा दी गई है। जहाँ तक ठेकेदारों का सम्बन्ध है, जो कि ज़मींदारों द्वारा बनाये गये थे, वे ज़मींदारी अबालिशन ऐक्ट के द्वारा विलीन हो गये। उससे इस बिल का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस बिल का उन ठेकेदारों से सम्बन्ध है, जो सरकारी भूमि पर ठेकेदार हैं। इस बिल के द्वारा ठेकेदारी का उन्मूलन होता है और ठेकेदारों के हकूक समाप्त होते हैं। जब भी उनके हकूक समाप्त हो जायेंगे, सरकार उनकी ज़मीन की मालिक हो जायेगी। यहाँ पर मन्त्री जी द्वारा यह सूचना मिली है कि इस प्रकार की ज़मीन बहुत कम है और इसका असर बहुत कम लोगों पर पड़ेगा। इसमें जहाँ तक ठेकेदारों के तबके का सवाल है, तो ऐसे गाँव भी हैं जहाँ पर कि ठेकेदारी खानदान-दर-खानदान चली आ रही है यानी हैरेडेटरी है, मैं समझता हूँ कि किसी हद तक यह ठीक भी हो सकता है। तो इन सबका

† सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

उन्मूलन इस विधेयक के द्वारा होगा। इसमें कई-कई तो १०, २० वर्षों से ठेकेदार हैं। इसमें जो खाका है, वह यह है कि गजट में प्रकाशित किसी भी तिथि से उनके अधिकार समाप्त हो जायेंगे। और जिस भूमि को वह स्वयं जोतते हैं उसके वह मोरूसी काश्तकार हो जायेंगे और ३० एकड़ से ज्यादा यदि भूमि उनके पास हो तो वह सरकार में विलीन हो जायेगी और उसका उनका मोआवज़ा मिलेगा। उसके अलावा उनको ठेकेदारी का मोआवज़ा इस विधेयक के अन्तर्गत मिलेगा किन्तु नार्मल तरीके से वह दावा वग़ैरा नहीं कर सकेंगे। इसी के अनुसार वह मोआवज़ा पायेंगे। इसके अनुसार मकानात के अन्दर उनको वही पूरे हक़ हासिल हैं जो ज़मींदारी का विनाश न भी होता तो होते। माननीय सदस्य यदि देखेंगे तो उनको ज्ञात होगा कि उसके माने वही हैं, मकान में वही हक़ होंगे जो ठेकेदारी की शर्तों के अनुसार हैं। यदि ठेकेदारी की शर्त उसी समय तक है तो उसी समय तक हक़ रहेगा। और यदि ठेकेदारी की शर्त के अनुसार उनका कोई विशेष हक मकान पर आता है तो वह हक़ सुरक्षित है। यह श्रीमान्, इस ऐक्ट का खाका है जो ध्यान में रखने के क़ाबिल है। इसमें जो एक विशेष बात है और जिसके विषय में मैं बोलना चाहता था वह यह है कि इसमें वह केवल पब्लिक पर्पज़ के लिए ली जा सकती है। कोई सरकार, या हमारी सरकार विधान के अनुसार यह नहीं कर सकती कि ठेकेदारों के सारे हक़ ले लें। पब्लिक पर्पज़ के लिए कोई चीज़ ली जाती है। इसमें जो पब्लिक पर्पज़ दिखलाया गया है वह यह है कि इस भूमि में जो काश्तकार बसे हुए हैं उनको हम वही अधिकार देंगे जो ज़मींदारी एबालीशन बिल के मातहत ज़मींदारी उन्मूलन करके उनको दिए गए हैं, यह इसके अन्दर मालूम होता है। लेकिन इसके अन्दर कोई ऐसा विधान नहीं है कि ज़मींदारी एबालीशन ऐक्ट लागू होगा या कोई विशेष ऐक्ट बनाया जायेगा। पर इसके उद्देश्य में दिया गया है, और चूँकि उद्देश्य में दिया गया है कि जो सरकार के द्वारा दी हुई सम्पत्ति है, या किसी सेवा के प्रतिफल रूप में प्राप्त की गई है, उस सम्पत्ति का जब विनाश किया जा रहा है, उसका यही एक पर्पज़ बतलाया गया है। श्रीमान्, इस सदन पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि जो काश्तकारी भूमि में सरकारी बसे हुए हैं उनको भूमि-धर का हक़ दे। यदि उस विषय में यह सदन सो जाये या यह सरकार सो जाये तो इस ऐक्ट के द्वारा जो सिद्धान्त माना गया है और इस ऐक्ट के द्वारा भूमि लेने का जो पब्लिक पर्पज़ बतलाया गया है वह चला जाता है। यह एक बड़ी आवश्यक बात बिल के अन्दर है, और जैसा कि एक माननीय सदस्य कहते थे बड़ी क्रान्तिकारी है। लेकिन क्रान्तिकारी अभी नहीं है। क्रान्तिकारी तो जब होगी जब कि सरकारी भूमि पर बसे हुये काश्तकारों को विशेषाधिकार दिए जायें। अगर केदारी के अन्दर सरकार विशेषाधिकार देती है तो कोई वजह नहीं कि जो काश्तकार सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं उस पर उनका हक़ न दिया जाये जिससे वह उसे अपनी सम्पत्ति समझ कर उपभोग कर सकें। तो असली क्रान्ति तो तब पैदा होगी जब वह बिल इस सदन के अन्दर आयेगा जिसके द्वारा सरकारी भूमि पर काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार दिए जायेंगे, चाहे वह भूमिधर से कम हों या ज्यादा हों। लेकिन वह दी जायगी जिसके जरिये वह उस चीज़ को अपनी समझेगा और उसको अपनी समझ कर फायदा उठायेगा। तो वह एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके लिये मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ। सरकार ने जब यह निश्चय कर लिया है

[श्री इन्द्र सिंह नयाल]

कि सरकारी जमीन में जो काश्तार हैं उनको भूमिधरी के अधिकार दिये जायं और अगर सरकार का यह निश्चय है तो यह ऐक्ट बे मौके है और या नहीं आ सकता है।

† श्री महफूज अहमद किदवई--जनाब चेयरमैन साहब, इस बिल पर मैंने बहुत गौर किया, मेरी समझ में नहीं आया कि यह लाया क्यों गया है क्योंकि इसमें खास बात यह है कि यह उस आराजी के मुत्तालिक है जिसकी जमींदार खुद गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने जब जमींदारी एबालिशन किया उस वक्त जमींदारी एबालिशन ऐक्ट का प्राविजन इस एरिया में नहीं होने दिया और खुद गवर्नमेंट जमीदारी बनी रही और जमीदार की हैसियत से उन्होंने ठेकेदारों को ठेका दिया, और उनको अन्डरटेकिंग दी, उनको हकूक दिये और उनसे वादा किया कि जो लैन्ड तुम्हारी काश्त में आयेगी वह तुम्हारा ठेका खत्म होने के बाद तुम्हारी काश्त में रहेगी। आज उस अन्डरटेकिंग से बचने के लिये गवर्नमेंट यह बिल लाई है इसके माने यह हैं कि आफिस में तो बैठ कर मिनिस्टर साहब कन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं और अब उस अन्डरटेकिंग से बचते हैं और बचने का तरीका बाई पेमेन्ट आफ कम्पेनसेशन रखा है। तो यह पोजिशन मुझे गवर्नमेंट की शान के खिलाफ नजर आती है। इस पर मैंने बहुत गौर किया, फायदा इससे किसी को नहीं पहुँचता है। इसमें कहीं यह नहीं कहा गया है कि जो ऐक्चुअल टिलर है उसको वह राइट्स दिये जायँगे जो जमींदारी एबालिशन के बाद काश्तकारों को मिले हैं। यह तो सिर्फ उनको हटाने के लिये है जो ठेकेदार हैं और वह ठेकेदार कौन हैं। वह ठेकेदार किसी जमींदार के पैदा किये हुये नहीं हैं खुद गवर्नमेंट के बनाये हुये हैं। जो लीज के राइट्स दिये हैं वह खुद गवर्नमेंट ने दिये हैं और उन राइट्स को एनल करना यह हमारी शान के खिलाफ है। कुल ६ जिलों का मामला है। ज्यादातर इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट के लीजेज दिये हुये हैं। तो यह मेरी समझ में नहीं आता कि उन लीजेज को खत्म करने के लिये बिना टर्म पूरा हुये यह बिल लाने की क्या जरूरत थी।

कितने ठेकेदार होंगे। ६ हजार एकड़ में ६, १०, २० होंगे। क्लेक्टर जिले से कह दिया जाता वह कम्पेनसेशन दे कर ठीक कर देता, इस बिल के लाने की क्या जरूरत थी।

इस बिल के आने से लिटीगेशन का खतरा बढ़ जाता है। अगर थर्ड एजेन्सी अबालिश करती तो डेमेज का ख्याल न पैदा होता। अब कान्ट्रेक्ट सरकार के ही दिये हुये हैं, तो वह कान्ट्रैक्ट कहाँ अप्लाई होंगें, यह देखना होगा।

दूसरी बात ३० एकड़ की है। वह लिमिट यू० पी० में कहीं भी नहीं अप्लाई है। इस हाउस में भी बहुत से ऐसे होगें जिनके पास ३ हजार एकड़ जमीन होगी। अगर सरकार अपने ही ठेकेदारों से ३० एकड़ से ज्यादा जमीन ले रही है तो यह फर्स्ट अप्लीकेशन होगा।

सरकारी जमीन के जोतने वालों का वह राईट्स न हो जो और का हो, तो यह बुराई की बात होगी। आपने जो लार्ज होल्डिंग्स टैक्स की बात रखी है वह इन पर भी अप्लाई करना चाहिये था ताकि वह मजबूर होते अपनी जमीन बेचने के लिये।

आपने उनको जमीन दिया उनको ठेका दिया और अब आप अबालिश करने जा रहे हैं।

यही दो बातें हैं जिनकी तरफ मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता था और कोई खास बात इसमें है नहीं।

---

† सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

† श्री कृष्ण चन्द्र जोशी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस बिल के संबन्ध में यहाँ पर बहस हो रही है उसको मैंने बड़ी गौर से सुना। कुछ गरमागरम बहस भी हुई। ऐसी चीजें भी आई जिनका इससे ताल्लुक नहीं था, मगर मैं उनमें नहीं जाना चाहता।

लेकिन जब हम किसी बिल को हाउस में देखते हैं तो उसका देखने का एक निश्चित दृष्टिकोण होना चाहिये। जो चीज यहाँ पर सरकार की तरफ से लाई जाती है, उसका एक ध्येय होता है।

यू० पी० में कांग्रेस गवर्नमेंट ने भूमि सुधार के सम्बन्ध में यह दृष्टिकोण बनाया हुआ है कि मध्यवर्तियों का सरकार और टेनेन्ट्स के बीच में रहना उचित नहीं है।

दूसरी चीज इसके साथ जो है वह यह है कि मध्यवर्तियों को हमें एक दम से भी नहीं हटाना है। समाजवादी ढंग के समाज में हमें इस प्रकार से बनाना है कि मध्यवर्ती और असली काश्तकार जो हैं उनमें सामन्जस्य पैदा करके गवर्नमेंट के पास ला सकें। इसलिये उनको भी नहीं हटाना है। हमें देखना है कि वह भी समाज के एक अंग हैं। हमको उस प्रथा से विरोध है, उनसे विरोध नहीं है। इस बिल को देखते समय हमें इस आदर्श की ओर देखना चाहिए कि इसकी पूर्ति इसमें होती है या नहीं।

विरोधी पक्ष ने इन बातों के बारे में कोई चीज नहीं बताई। वह कहीं भी इस बात को नहीं कह सके कि इन आदर्शों से वंचित होकर यह काम हो रहा है। बल्कि विरोधी पक्ष की बात कुछ अजीब ढंग की मालूम होती थी कि वह खुद इस बात से घबड़ा रहे हैं कि हम बोलें क्या। उनको यह अन्दाज नहीं आ रहा है। एक तरफ तो यह कहना पड़ता है कि यह ठेकेदारी और जमींदारी अबालीशन होनी चाहिये क्योंकि उन्होंने भी यह आदेश रखा है और इसलिये उनको यह मानना पड़ता है। लेकिन चूँकि वह विरोधी पक्ष में बैठते हैं और इसलिये उनको विरोध करना पड़ता है। जब ऐसी स्थिति आती है तब जो विरोधी पक्ष करते हैं वही यह भी कर रहे हैं यानी संगन्त और असंगत बातें चाहें जो भी हो वह कहनी पड़ती हैं। यह एक छोटा सा बिल है जो कि ऐसे प्रदेश में है जहाँ पर कि जमींदारी खत्म हो चुकी है और कुछ ठेकेदारी बाक़ी रह गई थी, तो उसको भी खत्म करके उनको भी मध्यवर्ती स्थिति से दूर किया जा रहा है। उनका भी ताल्लुक सीधे गवर्नमेंट से किया जा रहा है। यह बात जो गवर्नमेंट ने रखी है उसमें किसी का उज्र नहीं होना चाहिये था।

दूसरी बात कंपेनशेसन के विषय में कही गई है। वहाँ पर मैं भी सरकार से यह कहूँगा कि इसके वसूल करने में जो ६ धाधली होती है वह न होनी चाहिये। लेकिन जहाँ तक कम्पेनसेशन देने का सवाल आता है वहाँ पर हमारी स्टेट की गवर्नमेंट का यह मत है और हमारा कांस्टीट्यूशन भी यह कहता है कि उनको कंपेनसेशन दिया जाना चाहिये? यह दूसरी बात है कि यह कंपेनसेशन कम है या ज्यादा है या इसको किस तरह से दिया जाना चाहिये। इस पर भी किसी ने बहस नहीं की है कि यह ज्यादा है या कम है। ऐसी हालत में यही समझा जाता है कि विरोधी पक्ष भी इसको ठीक समझता है और यह नहीं समझता है कि यह कम है या ज्यादा है। इसमें सिर्फ एक

† सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कृष्ण चन्द्र जोशी]

चीज़ ऐसी है जो मैं नहीं समझा हूँ कि इसमें जो सब टेनेन्ट होंगे उनकी क्या पोज़ीशन होगी। शायद यह भी ज़मींदारी अबालीशन की तरह से कंट्रोल हों। जहाँ पर लीज़ खतम हो गई है वहाँ पर सब टेनेन्ट की क्या है पोज़ीशन होगी, यह नहीं समझ में आया। लेसी की जो पोजीशन है वह क्लियर होनी चाहिये। मान लीजिये अगर किसी लेसी के पास १०० एकड़ है और वह खुद काश्त न करके ३० या ४० एकड़ किसी सब-लेसी को दिये हुये है तो ऐसी हालत में उस सब-लेसी की क्या पोज़ीशन होगी। मान लीजिये कि इसमें से २० या ३० एकड़ खाली भी पड़ी है तो उस खाली ज़मीन को भी वह क्लेम कर सकेगा या नहीं। यह सब बातें क्लियर होनी चाहिये। ऐसा हो सकता है कि सारी ज़मीन उसके कब्ज़े में न हो, वह बंजर हो, तो क्या वह गाँव पंचायत को ही जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि जब मन्त्री जी रूल्स बनायेंगे तब इन बातों का ख्याल अवश्य रखेंगे।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल से जो प्रभाव पड़ेगा वह बहुत थोड़ा होगा लेकिन बहस जो यहाँ पर हुई है उससे ऐसा मालूम होता है कि कोई बहुत बड़ा मसला रहा है, लेकिन दरसल ऐसी बात नहीं है। माननीय बनवारी लाल इस समय यहाँ पर नहीं हैं। मुझे इस बात की शिकायत है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत सी बातें इस किस्म की कहीं थी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। कुछ दोस्तों ने मशवरा देने की कोशिश की है उसी के मुताल्लिक मैं अर्ज करूँगा। इस वक्त मैं शिकायत उन गैर हाजिर दोस्त से कर रहा हूँ जो इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। उन्होंने सब से पहले शिकायत यह की कि इस बिल में इनडेफिनेटनेस, इनडिसिजन और प्रोक्रेस्टीनेट हैं। यह इलजाम उन्होंने लगाया है। इनडेफिनिटनेस की बाबत इस बिल की किसी धारा की ओर संकेत नहीं किया। इनडिसिजन कैसे है इसको भी स्पष्ट नहीं किया। प्रोक्रेस्टीनेट की बात समझ में नहीं आयीं। यों तो जितने काम हम दस साल के बाद करेंगे तो अगले साल जब बिल आयेगा तो उस बिल में यह कहा जा सकता है कि यह सन् १९४६ में आना चाहिये था। २६ हजार प्राइमरी स्कूल हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का मेम्बर एजूकेशन डिपार्टमेन्ट को रिप्रेजेन्ट करते हुये कहें कि इस साल हम १८ हजार प्राइमरी स्कूल और खोल रहें हैं तो यहीं पर कुछ लोग कहेंगे कि इसको पहले ही खुलना चाहिये था क्योंकि जब यहाँ पर अँग्रेजों का राज्य था तो यह वादा किया गया था कि यह हिन्दुस्तान अँग्रेजों के चले जाने के बाद स्वर्ग हो जायेगा और दूध घी की नदियाँ बहने लगेंगी। लेकिन उनके बहाने में १२ साल लग गये। इस वक्त जो बिल है वह सिर्फ ६१०० एकड़ के लिए है और उस पर इलजाम लगाया जा रहा है। इसके पहले जो ज़मींदारी एबालिश हुई वह इससे कहीं ज्यादे थी लेकिन उसके मुताल्लिक कानून सन् १९५२ में नाफिज हो गया, लेकिन इस वक्त ६१०० एकड़ जमीन का मसला है और उसपर इस तरह का इलजाम लगाया जा रहा है।

I plead guilty and every reasonable member of a reasonable Government that may succeed us, for which there is little apprehension, will plead guilty.

जो भी गवर्नमेन्ट आयेगी हमारे बाद लेकिन जिसका अंदेशा अभी कम है बहुत दिनों तक, उस रीजनेबुल गर्नवमेन्ट में रीजनेबुल मेम्बर होंगे। श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदारों के मुताल्लिक डाक्टर साहब ने व्याख्यान दिया, तो यह कहना कि इस गवर्नमेन्ट को जमींदारों से हमदर्दी है,

बिलकुल बजा है, नाजायज़ नहीं है अपोज़ीशन के लिये। मैंने एतराज इस बात पर किया कि ऐसा कहा गया कि गवर्नमेन्ट के कुछ मेम्बर ऐसे हैं जो ज़मींदारों से रुपया लेते हैं इलेक्सन के लिये या दूसरे आड़े वक्त में उनसे मदद लेते हैं। किसी को वह चीज़ दूसरे के लिए नहीं कहनी चाहिये जो दूसरा उसके लिए न कहे। मैं कभी भी माननीय बनवारी लाल जी के लिए ये शब्द न कहता। राजा राम शास्त्री जी और शाहिद फाखरी जी का मशिवरा नेक था कि इन चीज़ों का टच नहीं होना चाहिए। अगर गेंडे का चमड़ा हो तो टच न हो। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि यह आदमी की कमजोरी है। मेरी जिम्मेदारी इस चीज़ के बारे में उतनी ही है जितनी और किसी मिनिस्टर की है। मैं ही बिल पेश कर रहा हूँ और जमींदारी से मेरा ही वास्ता है। अगर कोई बात कही जाती है, यह कहा जाता है कि जमींदारों से रुपया लेते हैं तो अगर मैं उसका यह मतलब निकालूँ कि मैं जमींदारों से रुपया लेता हूँ तो गैर मुनासिब न होगा। कहा गया कि आरती उतारी जायगी। कौन मिनिस्टर ऐसा है जो जनाब की आरती का भूखा है। अगर आप आरती उतारेंगे तो हम देखेंगे कि हमसे कौन सी गलती हो गई है। आखिर किसने आरती की ख्वाहिश जाहिर की थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सुना कि बनवारी लाल जी वकालत भी करते हैं। मुझे सख्त अफसोस हुआ कि जिस पेशे से मेरा ताल्लुक है उस पेशे का एक व्यक्ति और साथ ही लैजिस्लेटर होते हुए ऐसी चीज़ें कहता है। अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हों तो मैं उनको वापस लेता हूँ। आखिर क्या मतलब हुआ इन बातों का। उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब ने कहा कि फ्रीडम आफ स्पीच नहीं रहेगी अगर यहाँ कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर ऐसे मामले में उठाया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय फ्रीडम आफ स्पीच के क्या माने हैं। अंग्रेजी में जो शब्द पार्लियामेंट लिखा जाता है फ्रेंच भाषा में उसको पार्लेमेंट कहते हैं। पार्लेमेंट का मतलब होता है टाकिंग प्लेस। पंचायतों में या संसद में वाद विवाद, बहस मुबाहिसा के बाद मामला तय होता है। बहस मुबाहिसा तभी हो सकता है जब कि एक आदमी दूसरे को उतना ही ईमानदार समझे जितना वह अपने को इमानदार समझता है। माननीय बनवारी लाल जी यह कह सकते हैं कि आपका ख्याल गलत है लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से कहा उस तरीके से तो it becomes a fighting peace बातचीत तो डिमाक्रेसी का बुनायादी सिद्धांत है।

A man who differs from me is either a fool or a naive.

जो आदमी किसी से मतभेद रखता है वह अपने मतभेद को ठीक प्रकार से व्यक्त कर सकता है।क्योंकि फिर वह नहीं चलेगा। तो फ्रीडम आफ स्पीच का बुनियादी सिद्धान्त यह है कि बिना इसके फ्रीडम आफ स्पीच नहीं हो सकती है जब तक कि हममें से हर एक आदमी एक दूसरे को ईमानदार न समझे जैसा कि वह अपने को समझे बैठे हैं। डाक्टर साहब ने फ्रीडम आफ स्पीच की बात कही है। शायद उन के दिमाग में दूसरी बात हो और यह हो कि अगर हम किसी को गाली भी दें तो उसे कहने दिया जाय।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—मैं भी जानता हूँ कि फ्रीडम आफ स्पीच क्या चीज़ है।

श्री चरण सिंह—यह तो मैं पहले से जानता था कि आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि किसी को गाली देने की भी इजाजत दी जाय। यहाँ पर तो ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि अगर

[श्री चरण सिंह]

वे ही बातें बाहर कही जायें तो मुकदमा चल सकता है। लेकिन यहाँ पर कही गयी बातों पर मुकदमा नहीं चल सकता है बल्कि यहाँ पर तों आप की रूलिंग चलती है, यहाँ पर किसी भी आफिसर के लिए आप कुछ कह सकते हैं। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक के बारे में आप यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर इस तरह की बातों को कहने की फ्रीडम आफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम आफ स्पीच के माने यह नहीं हैं कि आप जो चाहें वह कहें।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—यही मेरा कहना है।

श्री चरण सिंह—वही मैं भी कह रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गयी कि लैंड रिफार्म भी सायमल टेनियली नहीं किया गया है और यह कहा गया कि इसके लिये बिल बाद में लाना पड़ेगा। मैं अपने मित्रों को यह बतलाना चाहता हूँ कि इस समय हम केवल इन्टरमीडियरीज जो है, जिस तरह से जमींदार थे, उन को हमने निकाला है। अब किसानों का सीधा ताल्लुक सरकार से हो गया है। यह ज़मीन गवर्नमेंट की थीं लेकिन ये बीच में ठेकेदार थे जब ये ठेकेदार खत्म हो जायेंगे तो कोई बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि हम एक नोटिफिकेशन जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत जारी कर देंगे और यहाँ के काश्तकार भी भूमिधर हो जायेंगे। यह पूरा काम केवल एक नोटिफिकेशन से हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरु में ही अर्ज कर दिया था कि ३२ जिलों में जो सरकार की जमींदारी थी उसमें काश्तकारों को हमने हकूक दे दिये हैं, जैसा जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में जमींदार वाले एरिया में दिया था। वह नोटिफिकेशन तो ३१ मार्च, सन् १९५५ को निकाला गया था। जो जमींदारी विनाश ऐक्ट के शुरु के १ से लेकर ११२ तक सेक्शन थे वे तो केवल जमींदारी अबालिशन करने के लिए थे लेकिन जो लैंड रिफार्म वाले सेक्शन हैं उन में संशोधन करके हम यहाँ पर लागू कर रहे हैं और वह काम एक नोटिफिकेशन से हो जायेगा जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ। कहने का मतलब यह है कि अब किसी प्रकार के बिल की जरूरत यहाँ पर लैंड रिफार्म के लिये नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही जाती है कि यह ज़मीन लैंडलेस लोगों को क्यों नहीं दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, एक मुश्किल तो यह है कि अपोजिशन का हर मेम्बर यह चाहता है कि ज़मीन के सिलसिले में जितनी भी बातें उनके जेहन में भरी पड़ी हैं तो जब कभी कोई बिल आये तो उस समय ये सभी बातें वे कह देना चाहते हैं। हो सकता है कि उनका यह जोश कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ जायेगा।

अब यह ज़मीन जो लैंडलेस लेबरर्स को दी जायेगी, होगी कितनी? यह है ६,१०० एकड़ और २० उसमें ठेकेदार हैं, कुछ लोग आंकड़े जानना चाहते थे, इसलिए मैं उनको बता देता हूँ कि ६६३ काश्तकार हैं, तो अगर यह सारी ज़मीन कल्टीवेटेड होगी और ठेकेदारों के पास कुछ न रहे तब एक के हिस्से में ९ एकड़ आती है। लेकिन इसमें बहुत सी अनकल्टिवेटेड जमीन भी है जिसमें जंगल भी होंगे, फिर यह ज़मीन एक ही जंगल में नहीं है बल्कि हर गांव में किसी में दो एकड़, किसी में दस एकड़ और शायद ही कोई एक आध गांव होगा जिसमें कि पांच सौ एकड़

तक जमीन हो, वरना दस-दस, बीस-बीस एकड़ जमीन हर गाँव में होगी। फिर उसमें भी नॉन-कल्टिवेटेड जमीन भी होगी। अब अगर वह लैंडलेस लेबरर्स को दी जायेगी वह क्या करेगा। अब जैसा कि राजाराम जी को शक है या तेलूराम जी को शक है, वह चले गये हैं, गाँव समाज जमीन को देगा नहीं इसलिये इसको भूदान समिति को दे दिया जाय। कुँवर रणंजय सिंह जी ने एक सवाल भी किया था सुलतानपुर के बारे में कि कितनी जमीन भूदान समिति को दी गयी है तो उसके आंकड़े भी मेरे पास थे लेकिन उन्होंने सवाल पूछा नहीं, अब मैं बता देता हूँ कि ३० सितम्बर तक जो जमीन भूदान समिति को दी गई है वह है ३ लाख १० हजार एकड़ के करीब और यह भूदान समिति की स्कीम शुरू है सन् ५१ से यानी सात साल हो गये, उसने भी ६३-६४ हजार एकड़ जमीन ही तकसीम की है और उस ६४ हजार एकड़ में से भी कुल ४६ हजार एकड़ में काश्त हो रही है।

श्री इशहाक सम्भली—बाकी जमीन कहाँ गयी ?

श्री चरण सिंह—वह रखे हुये हैं अपने पास। मेरा कहना है कि भूदान समिति के पास जितनी जमीन चली गई है, वह सब उन्होंने तकसीम कर दी हो, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि भूदान वाले लैंडलेस को ही जमीन देंगे नहीं। गाँव समाज को जो जमीन दी जायेगी उसके लिये सेक्शन १९८ है, जिसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूँ।

"198. In admitting any person as sirdar or Asami under section 195 or 197, the gaon sabha shall subject to the rules framed or order made by the court under section 178, observe the folowing order of preference...

(i--a) a recognized Educational Institution for a purpose connected with instruction in agriculture, horticulture or animal husbandry;

(a) a landless agricultural labourer on an asami residing in the circle who does not hold any land whether as bhumidar, sirdar or Adhivasi.

उसमें भी यह है कि अगर कोई ऐसा किसान है जिसके पास ६ एकड़ से कम जमीन है, इसके बाद यह है कि जो कोआपरेटिव है उनमें बटवारा होगा लेकिन उससे भी पहला हक जो है वह स्कूल का है कि गाँव समाज पहले उस स्कूल को जमीन देगा जिसमें कि खेती का काम सिखाया जाता हो। अब अगर कोई स्कूल ऐसा है कि जिसमें खेती का काम न सिखाया जाता हो या अगर उसमें सिखाने का इन्तजाम है लेकिन लेना नहीं चाहता है तो उसके बाद जो पहला हक होगा वह लैंडलेस लेबरर्स का होगा। तो यह बात नहीं है, जैसा कि एक साहब ने कहा था कि गाँव समाज जमीन को वितरित करता ही नहीं है। उनका यह ख्याल गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि गाँव समाज ने कितनी जमीन अबतक तकसीम की है, अगर कोई मुझसे यह सवाल करे तो मैं बता सकता हूँ। वैसे मुझे धूमिल सी याद है कि ३० जून सन् १९५७ तक १ लाख १५ हजार एकड़ जमीन गाँव समाज ने तकसीम की है, जिसमें से ६० या ७० हजार एकड़ जमीन लैंडलेस लेबरर्स के पास है और बाकी कोई कोआपरेटिव फार्म के पास है और कुछ स्कूलों को भी दी गयी है उसके आँकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हैं, लेकिन यह कहना कि गाँव समाज जमीन तकसीम करने का काम नहीं कर रहा है, यह गलत है।

[श्री चरण सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि गाँव समाज के लिये नियम है कि १० फीसदी गैर मजरूआ ज़मीन ही काश्त पर उठायी जा सकती है। अगर किसी गाँव का डेढ़ हज़ार का रकबा है तो वहाँ पर जो गैर मजरूआ ज़मीन है, उसमें से १० फीसदी ही काश्त पर उठायी जा सकती है। अगर गाँव की सारी ज़मीन पर हल चला दिया जायेगा तो यह देश के हित में नहीं होगा। गाँव को गैर मजरूआ ज़मीन की भी जरूरत होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को नाक़ाबिल ही कह सकता हूँ कि मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया हूँ कि गाँव समाज के क्या-क्या अधिकार हैं। हमारे कुछ मित्र जैसे राजाराम शास्त्री जी या और दूसरे मित्र हैं वे गाँव में जायें और देखें कि अगर वहाँ पर १० फीसदी से ज्यादा गैर मजरूआ ज़मीन है तो वे उसको काश्त पर उठा दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यहाँ पर सीलिंग के बारे में भी कही गयी थी। मैं समझता हूँ कि इसमें सीलिंग की कोई बात नहीं है। हमारे मित्र श्री बनवारी लाल जी ने पता नहीं किस अखबार में पढ़ लिया है कि चरण सिंह बहुत रिएक्शनरी हैं। ज़मींदारी अबालिशन के वक्त आप ने सीलिंग को स्वीकार किया था।

श्री बनवारी लाल—मैंने सीलिंग का तो ज़िक्र नहीं किया था। आप शायद सीलिंग की बात को लेकर कुछ गलत समझ गये हैं।

श्री चरण सिंह—पता नहीं आप ने वह सब बातें किन कारणों से कहीं थीं। मैं अपने मित्र तातारी साहब से लेकर सम्भली साहब तक सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि सन् १९४२ में मैंने एक किताब लिखी थी। जिस वक्त मैं जेलखाने में था उस वक्त मैंने यह किताब लिखी थी। उस वक्त भी मैं बड़ी होल्डिंग के विरोध में था। मैंने तो बड़ी बड़ी होल्डिंग का हमेशा से विरोध किया है।

It is worth the cost of the land ?

Is the game worth the title ?

'एग्रेरियन रेव्यूलूशन उत्तर प्रदेश' नाम की एक किताब और मैंने लिखी है। उसको आप पढ़ें तो मालूम हो जायेगा कि मेरे पहले भी क्या ख्यालात थे। मैं बड़ी बड़ी होल्डिंग के हमेशा खिलाफ रहा हूँ।

सीलिंग के लिये जैसे हमने लार्ज होल्डिंग टैक्स की बात रखी है, जब छोटी होल्डिंग हो जायेंगी, तब यह बात नहीं रहेगी। आज से ४ साल पहले करीब ९ हज़ार होल्डिंग्स थीं, लेकिन आज इतनी नहीं हैं। इस तरह से पहले ५ लाख ७० हज़ार एकड़ ज़मीन आती थी जब कि आज साढ़े चार लाख एकड़ में खेती हो रही है। हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं है कि हम हर आदमी को तकसीम कर सकें। अगर हम ऐसा करते हैं, तो यह बिलकुल गलत बात होगी। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ ज़मीन उतनी नहीं है जितनी कि किसानों की तादाद है और इसलिये हम अपनी तरफ से ज़मीन को इस तरह से तकसीम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, ईस्ट योरोप में काफी ज़मीन थी और वह ज़मीन लोगों में तकसीम कर दी गई।

वहाँ के लोगों के लिये वह ज़मीन काफी थी, इसलिये वह मेजोरिटी में तकसीम भी हो गई और यह ठीक बात हुई, लेकिन इस मुल्क में या इस प्रदेश में ६० लाख किसानों में से दो तिहाई ऐसे हैं जिनके पास ५ एकड़ से भी कम ज़मीन है। अगर हम ५ एकड़ तकसीम भी करते हैं, तो सिर्फ दो लाख को ही दे सकते हैं। फिर आप २५ एकड़ वालों को ले लीजिये, तो हम कितने लोगों को उसमें से तकसीम कर सकेंगे। हमें इस तरह का गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिये और यदि हम उत्तर प्रदेश में इस तरह से लैन्ड रिडिस्ट्रिब्यूशन करेंगे, तो कभी भी मैजारिटी को ज़मीन नहीं दे सकेंगे। हम इस तरह की आग भड़काना नहीं चाहते हैं जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। हम सीलिंग फिक्स कर रहे हैं, लेकिन लार्ज होल्डिंग्स पर और टैक्स ले रहे हैं। हम ने पानी खोल दिया, लेकिन हम साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो इस प्रकार की सरप्लस लैन्ड के लिये गवर्नमेंट किसी तरह से भी जिम्मेदार नहीं होगी। इसलिये सीलिंग को मैं थ्योरिटिकली मानता हूँ, लेकिन मैं बड़ी होल्डिंग्स के इसीलिये खिलाफ हूँ और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का सम्बन्ध है कि वह ज़मीन को लेकर तकसीम करे तो यह बात कभी नहीं होगी और इस सूबे के इन्ट्रेस्ट के लिये मैं कहता हूँ कि हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेन्ट रहे क्योंकि मैं इसी प्र में विश्वास करता हूँ। आप कभी हम लोगों की इलेक्शन की स्पीच सुनिये, कि हम चाहते हैं कि एक बार हम हार जायें, तो मुझे उसका कोई अफ जिन बातों को आप उधर बैठकर कह देते हैं, यदि एक बार भी इधर बै दारी मिल जाय और इधर बैठने का मौका मिल जाय, तो सब बातें भूल

श्री बनवारी लाल—बहुत जल्दी वक्त आ रहा है।

श्री चरण सिंह—मुझे अफसोस नहीं है। लेकिन एक बात चुनने में ही जूते चल जायेंगे। अगर कांग्रेस इलेक्शन में फिर आती है और हैं, तो यह देश के हित के लिये बुरा नहीं होगा क्योंकि मुझे इस बात कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो कांग्रेस की जगह पर आ सके।

श्री बनवारी लाल—अँग्रेज भी ऐसा ही कहते थे।

श्री चरण सिंह—अगर मेरे दोस्त मेरी बात समझ ले मैं यह बात मानता हूँ कि यह बात थ्योरिटिकली ठीक है लेकिन कोई सिगनिफिकेन्स नहीं है और न कोई सिगनिफिकेन्स रखन

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गई कि है। ३२ तो वे हैं जहाँ ठेकेदार नहीं थे और इन्टर और ठेकेदार थे, तो सरकार इनमें फ़र्क नहीं करती मोटा सा बतला भी दिया था। एक बात यह भी वह कितना ले चुके हैं, उनको मोआवज़ा न दिया ज जाये, एक बड़ी भारी बहस हो जायेगी। कांग्रेस गव लिया जाये उसको मोआवज़ा थोड़ा बहुत दिया जाये जवाब दे दिया। एक यह सवाल कि ३० एकड़ वे की राय है। और माननीय इसहाक साहब इल्मी

श्री इसहाक सम्भली—मैं इल्मी नहीं हूँ।

श्री चरण सिंह—इल्मी कानपुर वाले हैं। माननीय सम्भली जी का यह कहना है कि ३० एकड़ नाकाफ़ी है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्तों से सिम्पेथाइज़ करता हूँ। जैसा कि एक मित्र ने संकेत किया था, शायद माननीय क़िदवई साहब ने, कि दिल तो कुछ और कह रहा है, मैनीफ़ेस्टी में कुछ और कह आये होंगे। दिल तो वहीं के वहीं हैं जहाँ थे, लेकिन पालिटिक्स का तक़ाज़ा है कि गरीब की कुछ बात कही जाये लिहाज़ा खड़े होकर कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, जिसमें कुछ क्यास की बात होती है, और कुछ नहीं तो बेरोज़गारी फैल रही है, और एक मजमून बड़ा अच्छा है कि साहब करप्शन है। उसमें न कुछ पढ़ने की जरूरत है और न कुछ साबित करने की जरूरत है। मतलब यह है कि करप्शन एक ऐसा पेरेनियल सबजेक्ट है जिस पर जो कुछ चाहें कह सकते हैं। और फिर दिल की बात आ गई तो कह दिया कि साहब ३० एकड़ नाकाफ़ी हो सकती है।

श्री इसहाक सम्भली—कहीं कहीं नाकाफ़ी हो सकती है।

श्री चरण सिंह—नाकाफ़ी हो सकती, है, लेकिन जनाबे दोस्त, साढ़े ४ एकड़ ज़मीन एक किसान परिवार के हिस्से में उत्तर प्रदेश में आती है लिहाज़ा जो भी गवर्नमेंन्ट काम करना चाहे उसको इस बात का लिहाज़ रखना होगा। दूसरी बात यह है कि जो ठेकेदार हैं, ठेके की शर्तों में, आमतौर से नहीं होता, मुमकिन है कहीं किसी में हो, कि जो ज़मीन ठेके की अपने पास ले लेगा वह ज़मीन ठेके के एख्तेताम पर उसके पास होगी। तो उसके अनुसार अगर ३० एकड़ छोड़ रहे हैं तो रिआयत कर रहे हैं। अब रही साढ़े १२ एकड़ की बात, माननीय किदवई साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी हुआ नहीं। हुआ है, ज़मींदारी ऐन्ड लैन्ड रिफार्म ऐक्ट में हमने ज़मींदारी के ठेकेदारों का पर्सनल कल्टीवेशन के लिए १३ एकड़ रखा है। साढ़े १२ एकड़ के लिए एक मित्र ने ग़ालिबन जवाब दे दिया है कि वह फ्यूचर एक्यूज़ीशन के सीलिंग के लिए है। अगर किसी ठेकेदार ने किसी काश्तकार को ४५ एकड़ दे रखा है, वह उसे मिल जायेगी। इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता था।

(इस समय ४ बजे श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष महोदय, आप यहाँ तशरीफ़ नहीं रखते थे, आप को भी बड़ी दिल्चस्पी होती, अगर एक बात आप सुनते। माननीय इसहाक सम्भली साहब ने आज हमको यह बतलाया कि रूस और चीन में कम्यूनिस्टों ने सब ज़मींदारों को रोज़गार दिला दिया।

उन्होंने दो तरह के रोज़गार दिलवाये हैं, एक तो यह कि लाखों को राहे आदम भेज दिया और बाकी लाखों को जेल खानेभेज दिया और जो बाकी लाखों बचे उनको कन्सन्ट्रेशन कैम्प में भेज दिया इस तरह के रोजगार दिलवाये हैं। यह यू० एन० ओ० की एक कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट है और ख़ुश्चेव की स्पीच में भी यही था। मेरे पास यह चीजें मौजूद हैं अगर आप

चाहें तो मैं उनको भेज सकता हूँ। इसी तरह की दो एक किताबें जैसे नेकेड गाड वगैरा भी छपी हैं। तो अध्यक्ष महोदय, यदि इसको रोजगार कहते हैं तो ऐसा रोजगार हम अपने जमींदारों को नहीं देंगे। हमारा वसूल यह रहा है कि १.०५ हमारे यहाँ रेन्ट रिसीवर्स थे सन् १९५१ में। यह वह लोग थे जो केवल लगान पर बसर करते थे जिसका मतलब यह है कि एक लाख ३० हजार खान्दान। अब सवाल यह है कि कौन लोग काश्त नहीं करते थे, या तो वह लोग काश्त नहीं करते थे जिनके पास ज़मीन बहुत थी और जिनकी लगान से गुजर हो जाती थी या वह लोग काश्त नहीं करते थे जिनके पास बहुत थोड़ी जमीन थी जिसको वह दूसरों को दे दिया करते थे और खुद शहर में जाकर मजदूरी या कोई रोजगार कर लेते थे। वरना वह नामुमकिन है कि जिसके पास ज़मीन हो वह काश्त न करे। लिहाजा बेरोजगारी इनमें कोई नहीं है। गाजीपुर के एक साहब उठे, बड़ी तमहीद बाँधी, मैं समझा कि ज़मींदारी एबालिशन से कुछ नुकसान हो गया और वे तमहीद बाँधते हुये भ्रष्टाचार पर आकर रुक गये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल का भ्रष्टाचार से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं यह मानता हूँ कि भ्रष्टाचार है, लेकिन हमारी सोसाइटी में है। इसके वजूहात पर गौर किया जाय। मैं क्यों भ्रष्टाचार चाहूँगा। आगे से जो बिल मैं लाया करूँगा उसमें लिख दिया करूँगा कि मैं भ्रष्टाचार नहीं चाहता हूँ। कहा कि भ्रष्टाचार मुआविजे में है। मैं भ्रष्टाचार के लिये इंकार नहीं करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसहाक साहब यह भी कहेंगे कि जो गवर्नमेंट मुलाजिमत में नहीं है भ्रष्टाचार उनके घरों में भी है, दूकानदारों में है, डाक्टरों में है, वकीलों में है, दूध बेचने वालों में है। मैं आपके तबके को छोड़ देता हूँ, वैसे हर जगह भ्रष्टाचार है। यह देश जो सैकड़ों वर्षों से गुलाम रहा है इसका माल लूटा गया है। इस लूट को २०, २५ वर्ष की मेहनत से पूरा किया जा सकता है लेकिन जो चरित्र की लूट हुई है, असली नुकसान वह हुआ है। वह कमी बहुत देर में पूरी होगी। राजकर्मचारी हमारे ही घरों में पैदा हुये हैं, हमारे ही चचा भतीजे हैं, तो केवल राजकर्मचारियों का ही दोष नहीं है, केवल लेखपाल या तहसीलदार हो जाने से भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की बात तो जेनरल कही गई। क्या कोई मेम्बर कह सकता है कि मुआविजे के मामले में भ्रष्टाचार की बात उसने सुनी हो। माननीय कुंवर गुरु नारायण जी जब उस तरफ बैठते थे उन्होंने कानपुर की एक बात कही थी। मैंने उनसे कहा था कि आप लिख कर एक हफ्ते के अन्दर मुझे दें, अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपके पास लिख दूँगा कि आपने लिखा नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मामले को हटा दीजिये और तहकीकात की नौबत ही नहीं आई थी। यह पहले की बात है अब वह ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। यह ३ साल की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकार नहीं करता। भ्रष्टाचार की बाबत अगर आप बतायें और तहकीकात न हो तब आप को शिकायत हो सकती है।

मुआविजे के मामले में सम्भली साहब का बताऊँ कि जितनी कोशिश की जा सकती थी हमने की। ५० से कम की रक़म होती थी तो उसको नक़द लेने जाना पड़ता था और उसमें हमने देखा कि शिकायतें हुई। लोग १० रुपये की रक़म लेने के लिये नहीं जाते थे और सोचते थे कि जब हमारी कोई मुकदमे की तारीख पड़ेगी ले आयेंगे और यह भी सुनने में आया कि ६ रुपये की रकम है और २ रुपये माँगे जा रहे हैं, तो उसमें हमने यह किया कि जो मालगुज़ारी उन भूतपूर्व

ज़मींदारों पर वाजिब थी उसको हमने मुआविज़ा में मुजरा कर दिया, आगे के लिये मालगुज़ारी थी, तो उसके लिये कान्स्टें की जरूरत थी तो हमने फार्म और नामों की लिस्ट भिजवा दी थी कि लेखपाल उनके दस्तखत करवा लें जिन लोगों का ५० रुपये से कम का मुआविज़ा वाजिब था ताकि आइन्दा मालगुज़ारी में मुजरा हो जाय ।

बान्ड्स में भृष्टाचार की बात ही नहीं है ।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद——हमने एग्रीकलचर इनकम टैक्स की बात कही थी ।

श्री चरण सिंह——

अध्यक्ष महोदय, आपके २ पहलू थे, पहला मुआविज़ा का है, उसमें अगर कोई शिकायत हो तो आप लिखें और उसकी तहकीकात हो जायेगी । आपको अगर शिकायत थी तो आपने मुझे लिख कर नहीं दिया था जहाँ तक मुझे याद है ।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद——मैंने तहसीलदार को लिख कर दिया था ।

श्री चरण सिंह——बात तो मेरे देने की थी । आप ने अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार को दिया था । अब आप देना चाहें तो दे सकते हैं, उसकी तहकीकात हो जायेगी ।

श्री नौरंग सिंह जी ने कहा कि शहरी इलाके में ज़मीन्दारी खत्म नहीं हुई । यह गलत-फ़हमी उनको कैसे हो गई ।

३४ टाउन एरियाज़ और १० म्युनिसपेलिटीज़ में सरवे का काम हो रहा है और डिमार्केशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ के रिकार्ड ठीक नहीं हैं । और जब तक डिमार्केशन ठीक तरह से न होगा नोटीफिकेशन किया नहीं जा सकता है । इसलिये यह काम हो रहा है और आइन्दा के लिये हमने ७८ जगहों को और लेने का निश्चय किया है । इसमें कुल ज़मीन १ लाख ४७ हज़ार एकड़ है । अब तो सब काम निपट गया है । हम चाहते हैं कि तस्वीर पूरी हो जाय कोई काला दाग न रहे । इस पर भी एतराज है, काम हो चुका है ।

अध्यक्ष महोदय, फ्रीडम आफ स्पीच के बारे में भी कहा जा चुका है । हाउसेज़ के मुतल्लिक डाक्टर साहब ने कहा कि मकानों का क्या होगा । सेक्सन ४ के सब-सेक्सन एच के मुतल्लिक मकान ठेकेदारों के रहेंगे या नहीं । तो एक बात उसके लिये यह है कि अगर यह शर्त होगी कि वह मकान ठेकेदारों के रहेंगे तो उनके बने रहेंगे और अगर ऐसी कोई शर्त नहीं है तो वह गवर्नमेंट के हो जायेंगे । इसमें यह शब्द हैं कि......

"all buildings situate on any land included in the lease held by the lessee shall continue to be held by him for the remainder of the period of the lease upon terms and conditions to be prescribed and further that upon the expiry of the period aforesaid the same shall, unless a different intention is contained in the lease (and in such a case that intention shall prevail) be vested in the State-"

अगर उसके अन्दर यह नोटेड है कि उसके पास रहें तो रहेंगे और अगर उसमें यह नहीं है तो नहीं

रहेंगे। श्रीमान, एक बात और कही गई। सेक्शन ६ के मुत्तलिक कि जो अख्तियारात कलेक्टर को दिये गये हैं कि अगर वह उचित समझे तो हिसाब किताब और बही खातों पर क़ब्ज़ा कर सकता है। वह अख्तियारात हमने दिया है कि कलेक्टर बही खाते ले सकता है। लेकिन ऐसा ही सेक्शन २५ और २६ है ज़मींदारी अबालीशन का। हू बहू ऐसा ही है। लेकिन उस पर कहीं अमल हुआ नहीं है। कभी इसकी नौबत आई नहीं। अध्यक्ष महोदय, एक बात पेमेंट आफ़ कम्पेनसेशन के बारे में मैं कह चुका हूँ। हाँ, यह भी कहा गया कि दो लाख डाकू पैदा हो गये। मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने एक शेर सुना दी, मौलाना शाहिद फ़ाखरी साहब ने। मालूम होता है किसी पढ़े लिखे ज़मींदार ने वह बनाया है। वह यह नहीं सोचते हैं कि यहाँ पर लाखों पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और वह शेर न पढ़ सकते हैं और न बना सकते हैं। यह जिन्होंने कि वह शेर बनाया है वह भी वैसे ही वातावरण में पले होंगे। मैंने तो कभी मुशायरे की सदारत नहीं किया। एक साहब ने कहा कि ज़मींदारों की हालत ख़राब हो गई है। मैंने तो कह दिया कि ज़मींदारों की हालत खराब नहीं हुई। जिनके पास ज्यादा ज़मींदारी थी उनको मुआविज़ा काफ़ी मिला है और जिनके पास कम थी उनको दूसरे तरीके से भी मदद दी गई। उनमें से बहुत से दूसरे रोज़गारों में लग गये। माननीय कृष्ण चन्द्र जी ने कहा कि सब-लैसी का क्या होगा। लैसी तो ठेकेदार हुआ, उसको काश्त पर ज़मीन उठाने का अख्तियार है। तो जो सब-लैसी होगा उसका कब्ज़ा उस ज़मीन पर बना रहेगा। उनका तो कोई सवाल ही नहीं है। वह बिल तो ठेकेदारों के मुत्तलिक है। इसमें तो यह कहा है कि जिन ठेकेदारों के कल्टीवेशन में ३० एकड़ से ज्यादा ज़मीन होगी वह ले ली जायगी। जिस ज़मीन पर जिसका कब्ज़ा है वह तो बना ही रहेगा। उसका नाम चाहे जहाँ भी लिखा हो, खसरे में या कहीं भी। हमने तो यहाँ तक कर दिया है कि अगर उसका नाम नहीं भी है और वह काबिज रहा है तो वह ज़मीन उसकी हो जायगी। यह बात तो लैंड रिफार्म के सिलसिले की है। ठेकेदारी से इसका क्या ताल्लुक है। इसमें सिर्फ यह है कि ठेकेदारों के पर्सनल कल्टीवेशन में जो ज़मीन होगी वह अगर ३० एकड़ से ज्यादा होगी, तो ले ली जायेगी। वह वेकेन्ट लैंड ग्राम समाज को दे दी जायेगी। जो ज़मीन उन काश्तकारों के पास है वह उनके ही पास रहेगी जैसे ३२ ज़िलों में निकल चुका है ३१ मार्च सन् १९५५ को। मैं इतना समझाने के बाद भी नहीं समझता कि कुछ लोग रह गये। माननीय मित्रों ने जो यहाँ पर अपनी स्पीच दी है उसके लिये उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। खुशी की बात यह है कि मैं समझता था कि इस हाउस के अन्दर ऐसा ऐटमासफेयर है कि जिसमें आनन्द नहीं आता, लेकिन आनन्द आता है। If wishes were horses, every body would ride them. मैं श्री बनवारी लाल जी को धन्यवाद देता हूँ अगर्चे गलत तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। अगर उनको कोई मेरी बात से तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश सरकारी प्रास्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सन् १९५८ ई० का उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक-सचिव,

विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५८ जिसका संशोधित नाम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक हो गया है, इस सदन की मेज पर रखता हूँ।

सदन का कार्यक्रम

श्री चेयरमैन—अब चूँकि कार्य इस बिल के सम्बन्ध में आज नहीं है इसलिये हम अब उठेंगे। इस विधेयक के सम्बन्ध में जो बाकी काम है वह २१ तारीख को लिया जायेगा। सदन की बैठक कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[सदन की बैठक ४ बजकर २७ मिनट पर दूसरे दिन दिनांक १९ नवम्बर, सन् १९५८ ई० को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।]

लखनऊ : दिनांक
मंगलवार, २७ कार्तिक, शक संवत् १८८०
(१८ नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,

पी० एस० यू० पी० ८७ एल० सी०—१९५९—८३५—(प्रो०)

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पृष्ठ ८५ पर ।)

सूची

अनाथालयों अथवा विधवा आश्रमों के नाम	सहायतार्थ स्वीकृत धनराशि
१	२
	रु०
१—सेंट विन्सेन्ट होम, विधवा आश्रम, आगरा	१,०००
२—सेंट जाजेफ्स अनाथालय, आगरा	२,५००
३—श्रीमद्दयानन्द अनाथालय, आगरा	४,०००
४—मिसेज इम्मालक्सटेड एस्टेट, आगरा	३,०००
५—चिल्ड्रेन्स इन्स्टीट्यूट, स्वराज भवन, इलाहाबाद	५,०००
६—मुस्लिम अनाथालय, इलाहाबाद	१,०००
७—स्ट्रेन्जर्स होम इलाहाबाब	३,०००
८—कुमाऊं आर्य अनाथालय अल्मोड़ा	३,०००
९—बुन्देलखंड अनाथालय बान्दा	५००
१०—वैदिक अनाथालय, बलिया	१,०००
११—आर्य समाजअनाथालय, बरेली	३,१४१
१२—मुस्लिम अनाथालय, बरेली	५००
१३—महिला कल्याण केन्द्र, बदायूं	१,०००
१४—मदरसा नबीना, नगीना (बिजनौर)	५००
१५—हिन्दू अनाथालय, बुलन्दशहर	३,०००
१६—श्री श्रद्धानन्द अनाथ वनिता आश्रम, देहरादून	४,०००
१७—अखिल भारतीय महिला आश्रम, देहरादून	२,०००
१८—पुअर हाउस, म्युनिसिपल बोर्ड, फैजाबाद	१,०००
१९—मेकडानेल अनाथालय, गोंडा	५००
२०—हमीदिया अनाथालय, गोरखपुर	५३०
२१—रायबहादुर दुर्गा प्रसाद अनाथालय, गोरखपुर	२,५००
२२—हिन्दू महिला आश्रम, गोरखपुर	२,५००
२३—अन्जुमन इस्लामिया, गोरखपुर	५००
२४—प्रान्तीय अनाथालय, महोबा (हमीरपुर)	१,०००
२५—मुस्लिम हलीम यतीमखाना, हमीरपुर	५००
२६—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अनाथालय, जालौन...	२,०००
२७—मिर्जा यावरबेगमुस्लिम यतीमखाना, जौनपुर	५००

अनाथालयों अथवा विधवा आश्रमों के नाम	सहायतार्थ स्वीकृत धनराशि
१	२
	रु०
२८—हिन्दू अनाथालय, कानपुर	१२,५००
२९—मुस्लिम यतीमखाना, कानपुर	१,५००
३०—विधवा महिला उद्धारक सभा, कानपुर	४,०००
३१—श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम, कानपुर	४,०००
३२—श्रद्धानन्द अनाथालय, कानपुर	१,०००
३३—जयेन्द्र अनाथालय, खीरी	१,०००
३४—अन्जुमन इस्लामिया मोसलमीन, लखनऊ	२,०००
३५—आल इंडिया शिया यतीमखाना, लखनऊ	१,५००
३६—दयानन्द अनाथालय, लखनऊ	२,०००
३७—वीमेन्स सर्विस होम, लखनऊ	२,५००
३८—श्री राम इंडस्ट्रियल आर्फनेज, लखनऊ	२,५००
३९—महिला आश्रम, मोतीनगर, लखनऊ	३,०००
४०—स्ट्रेन्जर्स होम, लखनऊ	२,०००
४१—किशोरीरमण अनाथालय, गोवर्धन (मथुरा)	५००
४२—वैश्य आर्फनेज, मेरठ	१०,०००
४३—आर्य समाज अनाथालय, मिर्जापुर	२००
४४—श्रीमद् दयानन्द अनाथालय, शाहजहाँपुर	१,०००
४५—महिला आश्रम, उन्नाव	१,३००
४६—काशी अनाथालय, वाराणसी	५,०००
४७—काशी सेवा समिति, वाराणसी	६,०००
४८—भिन्गाराज अनाथालय, वाराणसी	४,०००

नत्थी 'ख'

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पृष्ठ ८५ पर।

सूची

ग्राम का नाम		सींचा हुआ क्षेत्र			
		१९४९		१९५७	
		खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
१		२	३	४	५
रजापुर	...	६६	५८	४०	२७
सिलारपुर	....	३०३	१६७	१८८	८७
जलालपुर	...	—	—	—	—
भूंडपुर	...	१०६	७२	४१	४०

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

कार्तिक २८, शक संवत् १८८० (१९ नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (८९)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुर रऊफ, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अब्दुस्सलाम शाह, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
इसहाक सम्भली, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
उमा शंकर सिंह, श्री
ए० जे० फरीदी, डाक्टर
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुद्सिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल), श्रीमती
गुरु नारायण, श्री कुंवर
महाबीर सिंह, श्री कुंवर
रणंजय सिंह, श्री कुंवर
केशव दत्त, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
कृष्णदेव प्रसाद गौड़, श्री
गिरधारी लाल, श्री
चन्द्र मोहन सुखिया, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चौधरी शिव नाथ सिंह, श्री
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री
जगदीश चन्द्र वर्मा, श्री
जगदीश प्रसाद द्विवेदी, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जय बहादुर सिंह, श्री
ज्योति प्रसाद उपाध्याय, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेज नारायण त्रिवेदी श्री
तेलू राम, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नवल किशोर गुरुदेव, श्री
नवाब सिंह, यादव श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
नौरङ्ग सिंह, श्री
पीताम्बर दास, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
पृथ्वी नाथ, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बनवारी लाल, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
मदन मोहन, श्री

मदन मोहन लाल, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नाथ, श्री
राम नारायन पान्डे, श्री
राम लखन, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लक्ष्मी नारायन दीक्षित, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
वीर भान भाटिया, डाक्टर
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
शंकर राम, श्री
शकुन्तला श्रीवास्तव, श्रीमती
शफीक अहमद खां तातारी, श्री
श्याम कुमारी विरागी, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री
शिव नारायण, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शुभान चन्द्र, श्री
सन्तू लाल, श्री
सरदार बलवन्त सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरि कृष्ण अवस्थी, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री

निम्नलिखित मन्त्री, व उपमन्त्री, जो कि विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे

श्री हुकुम सिंह विसेन (स्वास्थ्य, न्याय, सहायता व पुनर्वास मन्त्री) ।
श्री विचित्र नारायण शर्मा—(स्वशासन मन्त्री) ।
श्री कमलापति त्रिपाठी (गृह, शिक्षा व सूचना मन्त्री) ।
श्री बल्देव सिंह आर्य (स्वास्थ्य उप मन्त्री) ।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*(१-२—तारांकित प्रश्न संख्या ७१ के पश्चात् देखिए)

लखनऊ नगरपालिका के आर० आर० विभाग में फर्जी वेतन लेने की शिकायतें।

*३—श्री शंकर राव (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नगरपालिका लखनऊ के आर० आर० विभाग के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध फर्जी-वेतन-निकाल-कर अपने-पास-पैसा रखने-के-सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को मिला है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा (स्व शासन मंत्री)—जी नहीं।

*४—श्री शंकर राव—यदि हाँ, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—प्रश्न ही नहीं उठता।

*५—श्री शंकर राव—उक्त केस में कितने व्यक्ति मुअत्तल किये गये हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—तीन।

*६—श्री शंकर राव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगरपालिका के आर० आर० विभाग के एक हेड मिस्त्री ने २,१४६ रुपये का गबन किया है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—नगरपालिका की आर० आर० वर्कशाप के हेड मिस्त्री ने मोटर के पुराने पुर्जे का हिसाब ठीक तरह से नहीं रखा था। इसके लिए वे जिम्मेदार ठहराये गये थे। पुराने पुर्जों की लागत २११७ रु० लगाई गई है।

*७—श्री शंकर राव—यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह मामला सरकार के पास नहीं भेजा गया है। नगरपालिका ने मिस्त्री को विभागीय दंड दिया है। प्रश्न संख्या ६ में उल्लिखित राशि की वसूली ४० रु० प्रतिमास के हिसाब से उनके वेतन से हो रही है।

श्री शंकर राव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ५-१२-५७ को भ्रष्टाचार निरोधक समिति के सभापति ने उन के पास कोई पत्र भेजा था?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मुझे इस सम्बन्ध में याद नहीं है।

श्री राम कुमार शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) क्या माननीय मन्त्री जी उक्त केस के सम्बन्ध में जिस में तीन व्यक्तियों को मुअत्तिल किया गया है, ब्यौरा देने की कृपा करेंगे कि क्यों उन को मुअत्तिल किया गया है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इस समय इस की मेरे यहां पर सूचना मालूम नहीं होती है।

श्री राम कुमार शास्त्री—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि किस अपराध में ये तीन व्यक्ति मुअत्तिल किये गये हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इस के लिये नोटिस की आवश्यकता है। बात यह है कि यह सारा मुकदमा नगरपालिका ने किया है और हमारे यहाँ इस की फाइल नहीं है। जो

सवाल किया गया था उस की सूचना हम को मिल गयी है। अगर यह मुकदमा हमारे यहाँ डील किया होता तो यह सूचना अवश्य हमारे यहाँ होती।

श्री राम कुमार शास्त्री—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि जो इस में लिखा है कि उक्त केस में तो इस से क्या मतलब है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह एक फर्जी वेतन बनाने की बात है। कुछ लोग जिन्होंने काम नहीं किया था उनका मस्टर रोल पर वेतन लिया जाता था। तीन आदमियों ने पेमेन्ट किया था इस लिये उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया गया था।

श्री शंकर राव—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि जिन तीन आदमियों को मुअत्तिल किया गया था उन के अतिरिक्त भी और आदमी थे जिन को न तो मुअत्तिल ही किया गया और न उन के ऊपर कार्यवाही ही की गयी है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—उसमें यह पूरी तरह से साबित नहीं हो सका कि दूसरों ने भी उसके सिलसिले में कसूर किया, जिससे उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्री बंशीधर शुक्ल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—मन्त्री जी ने बतलाया कि फर्जी वेतन निकालने के सम्बन्ध में यह केस है लेकिन प्रश्न संख्या ३ के उत्तर में लिखा हुआ है कि फर्जी वेतन वाले मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है तो मैं यह जानना चाहूँगा कि इन दोनों जवाबों में कन्ट्रेडिक्शन क्यों है क्या मन्त्री जी इसको साफ करेंगे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—श्रीमन, मैं प्रश्न को समझा नहीं।

श्री बंशीधर शुक्ल—श्रीमन, प्रश्न यह था कि क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नगरपालिका लखनऊ के आर० आर० विभाग के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध फर्जी वेतन निकाल कर अपने पास पैसा रखने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र सरकार को मिला है, तो इसका जवाब है "जी नहीं।" जो प्रश्न संख्या ५ है उसके उत्तर में यह बतलाया कि फर्जी वेतन के सिलसिले में यह चीज़ हुई, तो इन दोनों जवाबों में कन्ट्रेडिक्शन कैसे है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—उसमें तो यह पूछा गया था कि प्रार्थना पत्र आया है या नहीं, तो उसका उत्तर है कि प्रार्थना पत्र नहीं आये, तो इस का यह अर्थ नहीं है कि कोई ऐसा केस हुआ ही नहीं है।

श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़ (नाम निर्देशित) सातवें प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने यह बतलाया कि हेड मिस्त्री से ४० रुपया मासिक वसूल किया जा रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह अब भी अपनी नौकरी पर है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हाँ, अब भी है, इसीलिये उसके वेतन में से ४० रुपया महीना कटता है।

श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि क्या सरकार की यह नीति है कि अगर कोई ऐसा गबन करे तो उसको फिर भी रखा जाय और धीरे-धीरे उससे वसूल किया जाय ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी करके फरमायेंगे कि यह कौन-कौन लोग थे, किस ओहदे पर थे और क्या तनख्वाहें पाते थे, जिन्होंने गबन किया या जो मुअत्तल किये गये ?

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री शंकर राव—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो हेड मिस्त्री पर चार्ज लगाया गया है, जिसके कारण ४० रुपया महीना उसका कटता है तो यह कब से कटता है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री बंशीधर शुक्ल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मामला किस प्रकार से ऐक्शनेबल हुआ, या किस तरह से माननीय मन्त्री जी की इत्तिला में आया, क्या गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से शुरू किया या किसी और तरह से इसका पता लगा?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह शिकायत तो नगर पालिका के अधिकारियों को मालूम हुई और उन्होंने ही इस पर ऐक्शन लिया।

श्री वंशीधर शुक्ल—मैं यह जानना चाहता हूँ कि नगरपालिका के अधिकारीगणों को किस तरह से विदित हुआ कि गबन हो रहा है?

श्री चेयरमैन—अब अगला प्रश्न पूछा जाय।

लखनऊ नगरपालिका के सफ़ाई मजदूरों को मँहगाई भत्ता

*८—**श्री शंकर राव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ म्युनिसिपिल बोर्ड के कितने सफाई मजदूरों को ५ रुपये महंगाई भत्ता अभी तक (१-६-५८) नहीं मिला है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह भत्ता नगरपालिका के सभी सफाई मजदूरों, अल्प कालिक मजदूरों को छोड़ कर, को दिया जा रहा है।

*६—**श्री शंकर राव**—जिन सफाई कर्मचारियों को ५ रुपये महंगाई भत्ता नहीं मिला है उनको कब तक मिलेगा?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—प्रश्न नहीं उठता।

श्री शंकर राव—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिनको नहीं दिया जा रहा है, उनको देने के लिये क्या सरकार विचार कर रही है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

*१०-११—(स्थगित)।

प्रदेश की निकायों में सफ़ाई कर्मचारियों के लिए मकान

*१२—**श्री शंकर राव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की कितनी निकायों में सफाई से सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारियों के लिये मकान बनाये जारहे हैं।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—"Sweepers Housing Scheme" के अन्तर्गत, इस समय प्रदेश के २२ नगर पालिकाओं में उनके मेहतर कर्मचारियों के निवासार्थ मकान बनवाये जा रहे हैं १४ अन्य पालिकाओं में ये मकान बन चुके हैं

*१३—**श्री शंकर राव**—जिन निकायों ने अभी तक मकान नहीं बनवाये हैं क्या सरकार उनको मकान बनाने हेतु आदेश भेजने का विचार कर रही?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हां।

श्रीमती तारा अग्रवाल—(नाम निर्देशित) जिन नगरों में कारपोरेशन बनने वाला है, वहाँ पर यह स्वीपर्स हाउसिंग स्कीम चालू की गयी है या नहीं है।

श्री चेयरमैन—यह तो नया प्रश्न है।

*१४—हस्तान्तरित।

* १५-१६—तारांकित प्रश्न संख्या २ के पश्चात् देखिए

*१७-२५—(स्थगित)।

* २६-३३—तारांकित प्रश्न संख्या १६ के पश्चात् देखिए।

गोमती के पानी में गन्दगी

१ आदि सं० २४ तारीख १०-६-५८ *३४—**श्री प्रेम चन्द्र शर्मा**—(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) क्या सरकार को ज्ञात है कि अभी हाल में लगभग पिछले दो तीन मास के अन्दर लखनऊ में गोमती नदी का पानी गन्दा हो गया था?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह कहना कि गोमती नदी का पानी अभी हाल में या केवल दो चार महीने से अस्वच्छ हुआ है। सर्वथा अनुचित है। लखनऊ नगर के सभी नाले वर्षों से गोमती नदी में गिरते हैं जिसके कारण नदी का पानी दूषित व अस्वच्छ हो जाता है।

२५ १०-६-५८ *३५—**श्री प्रेम चन्द्र शर्मा**—यदि हां, तो उसका कारण क्या था?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—पूर्व कथित कारण के अतिरिक्त अन्य कोई और विशेष कारण नहीं है।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि अभी हाल ही में नदी प्रणाली के स्वीवर्स का निर्माण करते समय तीन स्थान पर गोमती में गन्दा पानी गिरा था, क्या यह बात सही है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हां, सही है।

२६ १०-६-५८ *३६—**श्री प्रेम चन्द्र शर्मा**—(क) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई?

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार पाये गये?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क). जी हां। इस सम्बन्ध में जांच की गई है।

(ख). इस कार्य के लिए किसी का उत्तरदायी होने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि गोमती का पानी वर्षों से दूषित और अस्वच्छ होता चला आया है।

२७ १०-६-५८ *३७—**श्री प्रेम चन्द्र शर्मा**—क्या सरकार इस घटना का संक्षिप्त विवरण देने की कृपा करेगी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सन् १९३७ में एक ड्रेनेज कमेटी बैठी थी। उसमें यह निश्चय किया गया था कि नदी की अस्वच्छता दूर करने के लिए प्रनाला (Sewers) का निर्माण किया जाय परन्तु यह कार्य स्थगित रहा। प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में यह कार्य आरम्भ किया गया परन्तु धनाभाव के कारण यह कार्य पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हो सका है। कार्य समाप्त होने पर गोमती नदी का पानी नालों के गन्दे पानी, मल-मूत्र इत्यादि से अस्वच्छ और दूषित होने से बच जायगा।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—जांच जो की गयी है, वह क्या जांच की गयी है।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—हेल्थ डिपार्टमेन्ट द्वारा जिस पानी की जांच की गयी थी, उसमें कुछ इम्प्यूरिटी (impurity) थी। चीफ इन्जीनियर ने बतलाया कि साधारणतः इतनी गन्दगी क्षम्य है। इस के अलावा सबसे बड़ी बात यह कि पानी जो शहर में पीने के लिये दिया जाता है उसमें कोई खराबी नहीं है और उसका कोई खराब असर नहीं होता है। कुछ पानी ऐसा ज़रूर है जिसका असर अगर हुआ तो नहाने से हो सकता है। इस में कोई खास बात नहीं है।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—अगर हम लोगों के जीवनकाल में भी समाप्त हो गया तो बहुत खुशी की बात है।

झाँसी तथा इलाहाबाद कमिश्नरियों के चार हजार से ऊपर आबादी वाले ग्रामों में डिस्पेन्सरी तथा प्रसूति गृह का होना

*३८—श्री नवल किशोर गुरुदेव—(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) क्या सरकार यह बतायेगी कि निम्नलिखित ज़िलों में कितने ऐसे ग्राम हैं जिनकी आबादी चार हजार या इससे ऊपर है लेकिन वहाँ पर सरकारी एलोपैथिक डिस्पेन्सरीज तथा प्रसूत-गृह नहीं हैं : झाँसी तथा इलाहाबाद कमिश्नरी के ज़िलों में? आदि सं० १ तारीख १०-९-५८

श्री बलदेव सिंह आर्य—(स्वास्थ्य उपमंत्री) अभी आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३९—श्री नवल किशोर गुरुदेव—क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन में डिस्पेन्सरीज और प्रसूत-गृह खोलने की योजना है? १ १०-९-५८

श्री बलदेव सिंह आर्य—संशोधित द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब ग्रामों में एलोपैथिक डिस्पेन्सरीज खोलने के स्थान पर राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड के हेडक्वार्टर पर प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाती है, जिसमें डिस्पेन्सरी तथा प्रसूत-गृह दोनों की व्यवस्था होती है।

श्री नवल किशोर गुरुदेव—जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि अभी इस की सूचना एकत्रित की जा रही है, तो इस सम्बन्ध में मेरा इतना निवेदन है कि उस समय तक के लिये प्रश्न संख्या ३८ तथा ३९ स्थगित रखे जायें।

श्री हुकुम सिंह विसेन—(न्याय, स्वास्थ्य, सहायता तथा पुनर्वास मंत्री) यह तो आप चेयर से कहिये मुझ से न कहिये।

श्री चेयरमैन—इसके लिये माननीय सदस्य को फिर नये प्रश्न करने चाहिये।

श्री शफीक अहमद खाँ तातारी—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कितनी जल्दी मिल जायेगी?

श्री हुकुम सिंह विसेन—इस में तो समय लगेगा क्योंकि १२ ज़िलों में जितने गांव हैं, उन सब के बारे में तफ़सील देना कोई आसान नहीं है, इसलिये इसमें काफी समय लगेगा।

(श्री शफीक अहमद खाँ तातारी बोलने के लिये खड़े हुये।)

श्री चेयरमैन—जब तक किसी सदस्य का नाम न पुकारा जाय, वह खड़े न हों।

श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि जब फेमिली प्लानिंग चलाई जा रही है, तो फिर प्रसूति गृह की क्या ज़रूरत है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—यह तो प्रश्नकर्ता महोदय ज्यादा अच्छी तरह से जान सकते हैं।

श्री शफीक अहमद खाँ तातारी—क्या मंत्री जी इसके लिये साल भर या ६ महीने का कोई समय बतला सकते हैं?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी नहीं, तारीख में नहीं बतला सकता हूँ।

श्री नवल किशोर गुरुदेव--मैं प्रश्न संख्या ३९ के सम्बन्ध में सवाल पूछना चाहता था लेकिन मुझे प्रश्न पूछने का मौका ही नहीं मिला ?

श्री चेयरमैन--अब आप पूछिये ।

श्री नवल किशोर गुरुदेव--मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उन गाँवों में जिनकी आबादी ४ हजार है या कहीं कहीं पर ७ हजार की भी आबादी है, तो क्या वहाँ पर सरकार अस्पताल खोलने की आवश्यकता नहीं समझती है क्योंकि इस तरह से बिना चिकित्सा के वे रह जाते हैं ?

श्री चेयरमैन--आप बैठ जाइये।

हमीरपुर नगरपालिका की आय

आदि सं० ३ तारीख १०-९-५८ *४०--श्री नवल किशोर गुरुदेव--क्या सरकार की जानकारी में है कि हमीरपुर म्युनिसिपैलिटी की आमदनी इस जिले में सबसे कम है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हां

श्री नवल किशोर गुरुदेव--क्या मुझे सप्लीमेंटरी सवाल करने की आज्ञा नहीं मिलेगी ?

श्री चेयरमैन--जब मंत्री जी द्वारा सवाल पढ़ लिये जाते हैं, तो मैं एक मिनट तक देखता हूँ कि कोई खड़ा हो नहीं रहा है, उस के बाद में दूसरे प्रश्न पर आ जाता हूँ । आप खड़े हो कर प्रश्न नहीं करते हैं, आप को खड़े हो कर प्रश्न करना चाहिये ।

श्री नवल किशोर गुरुदेव--हमीरपुर की जो म्युनिसिपैलिटी है, उस की आमदनी क्या है ?

श्री चेयरमैन--यह प्रश्न इस से नहीं उठता है ।

श्री नवल किशोर गुरुदेव--हमीरपुर की एक तरफ से जमुना, दूसरी तरफ से बेतवा नदी और तीसरी तरफ से........

श्री चेयरमैन--आपने प्रश्न किया है कि "क्या सरकार की जानकारी में है कि हमीरपुर म्युनिसिपैलिटी की आमदनी इस जिले में सबसे कम है" और आपको उत्तर मिला है, 'जी हां ।' अब इस उत्तर से कोई प्रश्न उठता हो, तो आप उसे पूछिये ।

४ १०-९-५८ *४१--श्री नवल किशोर गुरुदेव--क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जमुना और बेतवा के दोनों घाट हमीरपुर म्युनिसिपैलिटी के अधिकार में दे दिये जायें ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस सम्बन्ध में नगरपालिका, हमीरपुर से प्रस्ताव आया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया ।

श्री इसहाक सम्भली--(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या वजह थी जिस के कारण यह अस्वीकार किया गया ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस पुल के दोनों तरफ जो सड़क है, वह पी० डब्ल्यू० डी० की है, इसलिए इस पुल का इन्तजाम भी उन्हीं के सुपुर्द है ।

श्री इसहाक सम्भली--क्या सरकार यह बतलाने की मेहरबानी करेगी कि वह पी० डब्ल्यू० डी० को इस बारे में कोई सुझाव देने पर गौर कर रही है ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--किस बात का सुझाव, मैं समझा नहीं ।

श्री इसहाक सम्भली--इस बात के वास्ते, कि चूँकि आपने मजबूरी जाहिर की है कि वह पी० डब्लू० डी के पास है इस लिए आप उसमें कुछ नहीं कर सकते । लेकिन अगर

आप नहीं कर सकते, आपके डिपार्टमेन्ट का नहीं है तो क्या आप उस प्रस्ताव के मुताबिक काम करने के लिए पी० डब्लू० डी० को तवज्जह दिलाने पर गौर करेंगे।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--सवाल यह था कि उसको देना उचित है या नहीं। हमने उचित नहीं समझा। पी० डब्लू० डी० बहुत अच्छी तरह से प्रबन्ध करता है और चूँकि दोनों तरफ़ उनका प्रबन्ध है इस लिए बीच में उनसे प्रबन्ध हमने लेना उचित नहीं समझा।

श्री नवल किशोर गुरुदेव--क्या सरकार हमीरपुर म्युनिसपल बोर्ड की आमदनी बताने की कृपा करेगी।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शिव नारायण--(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) जो प्रस्ताव हमीरपुर से आया है, क्या सरकार उसे म्युनिसपैलटी को देने की कृपा करेगी।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री नवल किशोर गुरुदेव--जैसा कि बताया गया है इसकी आमदनी सबसे कम है, क्या इसके लिए आवश्यक नहीं है......

श्री चेयरमैन--सदस्य महोदय को जानना चाहिए कि ४० प्रश्न के ऊपर सप्लीमेन्ट्री हो चुके, उसके बाद मैंने अगला प्रश्न पुकारा, उसके बाद आप ने ४१पूछा, प्रश्न ४१ पर पूरक प्रश्न हो चुके। माननीय मन्त्री जी ने यह उत्तर दिया कि चूँकि दोनों का प्रबन्ध पी०डब्लू डी० के हाथ में है और वह अधिक अच्छा प्रबन्ध कर सकते हैं इस लिए म्यूनिस्पैलटी का प्रस्ताव नामन्जूर कर दिया गया। यह आपने सुन लिया। इस पर आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं।

श्री नवल किशोर गुरुदेव--जो म्युनिस्पैलिटी की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई है, क्या माननीय मन्त्री जी उस पर पुनः विचार करेंगे क्योंकि म्युनिस्पैलिटी की आमदनी बहुत कम है।

श्री चेयरमैन--आप तो नया प्रश्न कर रहे हैं।

श्री नवल किशोर गुरुदेव--प्रश्न संख्या ४२...।

श्री चेयरमैन--मैं सदस्यों को एक बात बतला दूं। सदस्यों के जितने प्रश्न आते हैं उनका मैंने हेडिंग लगा कर विषयों के अनुसार आप के एक ही विचार पर अलग करने की आज्ञा दे दी है।

अन्तरिम जिला परिषदों के उपाध्यक्षों के अधिकार सौंपने का आदेश

*४२--श्री नवल किशोर गुरुदेव--क्या सरकार ने अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यक्षों के नाम आदेश जारी किया है कि वह कुछ अधिकार उपाध्यक्षों को सौंप दें? आदि सं० ५ तारीख १०-६-५८

श्री विचित्र नारायण शर्मा--उपाध्यक्ष को अधिकारों के हस्तांतरण करने के संबन्ध में अध्यक्षों को यह सुझाव दिया गया है कि वह जो अधिकार उचित समझें उपाध्यक्षों को दें दें।

*४३--श्री नवलकिशोर गुरुदेव--यदि हाँ, तो क्या सरकार उन आदेशों की एक प्रति सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करेगी? ६ १०-६-५८

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इन आदेशों को सदन की मेज़ पर रखना जनहित में उचित नहीं है।

श्री शफ़ीक़ अहमद खां तातारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सब अधिकार दिए गए थे या कुछ अधिकार।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस में लिखा हुआ है कि जो अधिकार वह देना चाहें दे सकते हैं। भाषा बिलकुल साफ है मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती सावित्री श्याम--(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) क्या माननीय मन्त्री जी यह बतला सकेंगे कि यह अधिकार किन किन ज़िलों के अध्यक्षों ने उपाध्याक्षों को सौंपे हैं।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इसके लिए सूचना की ज़रूरत है।

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय--(स्नातक निर्वाचन क्षेत्र) में यह पूछना चाहता हूँ कि इसका जवाब दे देने से जनहित में क्या खतरा पैदा हो जायगा।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री नवल किशोर गुरुदेव--क्या यह आदेश गोपनीय है और इसी लिये मेज़ पर नहीं रखा जाता है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

राठ म्युनिसिपल बोर्ड में बिजली

आदि संख्या ७ ता० १०-९-५८

*४४--**श्री नवल किशोर गुरुदेव**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राठ म्युनिसिपल बोर्ड में बिजली की योजना के अन्तर्गत क्यों नहीं बिजली लगाई गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य--धनाभाव तथा अलाभकारी होने के कारण राठ नगर का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका।

श्री हुकुम सिंह विसेन--यह सवाल गल्ती से मेरे नाम पर लिख दिया गया है। इसको विद्युत मन्त्री के पास जाना चाहिये।

श्री चेयरमैन--मैं तो आपको अभी तक स्वास्थ्य मन्त्री ही समझता था।

श्री हुकुम सिंह विसेन--मेरे पास स्वास्थ्य तो है लेकिन पावर नहीं,

श्री नवल किशोर गुरुदेव--हमीरपुर की म्युनिसिपैल्टी और राठ की दो म्युनिसिपैल्टियाँ हैं इसमें कौन सी लाभकारी है और कौन सी नहीं। यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि राठ की आबादी भी हमीरपुर से ज्यादा है लेकिन फिर भी वहां पर बिजली नहीं लगाई गई। इसको स्पष्ट कर दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह विसेन--समझाना हमारा काम नहीं है लेकिन फिर भी मैं समझाये देता हूँ। ट्रैन्समिशन लाइन में बहुत खर्च होता है। चरखारी में बिजली है वहां से राठ १६ मील है और १६ मील तक बिजली ले जाने में बहुत खर्च होगा इसलिये नहीं लगाई गई।

श्री नवल किशोर गुरुदेव--हमीरपुर और महोबा में लगाई गई......

श्री चेयरमैन--माननीय सदस्यों को चाहिये कि जो नियम हैं उनका थोड़ा बहुत पालन अवश्य करें।

श्री नवल किशोर गुरुदेव--हमीरपुर में बिजली की योजना जारी की गई और महोबा में जारी की गई। यह बिजली जो लगाई गई है वह कहां से लगाई गई।

श्री हुकुम सिंह विसेन--सब स्टेशन से लगाई गई होगी, कौन से सब स्टेशन से लगाई गई होगी इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री इसहाक सम्भली--जनाब वाला मै एक सिस्टम का सवाल करना चाहता हूं। आपने आदेश दिया है कि "की गई होगी या लगाई गई होगी" इस तरह का उत्तर न दिया जाय लेकिन माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि लगाई गई होगी।

श्री हुकुम सिंह विसेन--सब स्टेशन से लगाई गई है, यह नहीं मालूम कि कहां से लगाई गई है इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री शफीक अहमद खां तातारी--यह धनाभाव तथा अलाभकारी के सम्बन्ध में मन्त्री जी की जानकारी है। और है तो कैसे है?

श्री हुकुम सिंह विसेन--बिल्कुल जानकारी है। एक कमेटी नियुक्त की गई थी और सर्वे कराया गया था।

उत्तर प्रदेश टाउन एण्ड विलेज प्लानिंग विभाग

*४५ श्री--राम किशोर रस्तोगी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार की टाउन ऐंड विलेज प्लानिंग विभाग की स्थापना कब की गई और किस प्रकार यह योजना बनायी ? आदि संख्या २४ तारीख १७-६-५८

श्री विचित्र नारायण शर्मा--नगर एवं नियोजन विभाग की स्थापना अगस्त, १९४८ में हुई थी। इस विभाग की स्थापना राज्य के विभिन्न नगरों में अस्त-व्यस्त ढंग से होने वाले विकास को रोकने तथा बाढ़ द्वारा नष्ट-भ्रष्ट ग्रामों के नव-निर्माण हेतु की गई थी।

*४६--श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि उक्त विभाग के स्थापित करने के पूर्व सरकार ने इस विभाग में होने वाले विभिन्न गजटेड पदों की सूची तथा प्रत्येक के लिये टेक्निकल योग्यता निश्चित कर ली थी ? २५ १७-६-५८

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस विभाग के लिये जब लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों को विज्ञापित किया जा रहा था तभी उन पदों के लिए आवश्यक योग्यतायें निश्चित कर ली गई थीं।

*४७--श्री राम किशोर रस्तोगी--यदि हां, तो क्या उक्त विभाग के स्थापित होने पर निश्चित योग्यतानुसार हां प्रत्येक पद पर अफसरों की नियुक्ति हुई है ? २६ १७-६-५८

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हाँ, उन तीन अधिकारियों के अतिरिक्त जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से लिए गए थे, अन्य अधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्ण निश्चित योग्यतानुसार ही हुई थी।

*४८--श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या सरकार बतायेगी कि इन अफसरों की नियुक्ति कैसे की गयी है ? २७ १७-६-५८

श्री विचित्र नारायण शर्मा--पहले ही बताया जा चुका है कि इस विभाग में से तीन अधिकारियों को सार्वजनिक निर्माण विभाग में डेपुटेशन पर बुलाया गया तथा अन्य अधिकारियों को लोक सेवा आयोग ने नियुक्त किया।

*४९--श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या सरकार यह बतलायेगी कि उक्त विभाग में इस समय (१-६-५८) कौन-कौन से गजटेड पद हैं और प्रत्येक के लिये क्या योग्यता तथा बेतन निश्चित है ? २८ १७-६-५८

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस संबंध में पूरी सूची सदन की मेज़ पर रखी हुई है।

*५०--श्री राम किशोर रस्तोगी--इस समय (१-६-५८) कितने अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उक्त विभाग में नियुक्त हैं और उनकी योग्यता तथा वेतन क्या है ? २९ १७-६-५८

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस सम्बन्ध में पूरी सूची सदन की मेज़ पर रखी हुई है।

श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से लिये गये इन तीनों अधिकारियों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह अनावश्यक था।

श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से ये अधिकारी कितने समय के लिये डेपुटेशन पर लाये गये थे ?

---

*देखिए नत्थी 'क' पृष्ठ १७१ पर।
*देखिए नत्थी 'ख' पृष्ठ १७३ पर।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--समय साधारणतः ३ साल के लिये होता है और आवश्यकता होने पर समय एक्सटेन्ड किया जाता है।

श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो टाउन प्लानर नियुक्त किये गये हैं क्या इन्हें नियुक्ति के समय निर्धारित १० वर्ष का तजुर्बा था जो कि टाउन प्लानिंग के लिये सरकार ने रखा है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--क्या १० वर्ष का तजुर्बा होना ज़रूरी है।

(प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

आदि सं० ३० तारीख १७-६-५८ *५१--श्री राम किशोर रस्तोगी--(क) क्या इस विभाग के कुछ आफिसर किसी अन्य विभाग में स्थायी पद पर हैं?

(ख) यदि हाँ, तो ये आफिसर कितने समय से टाउन प्लानिंग विभाग में काम कर रहे हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा-- क) जी हाँ,

(ख)श्री के०एन० मिश्र, नगर एवं ग्राम नियोजन १ जनवरी, १९५० से इस विभाग में कार्य कर रहे हैं। शेष दो अधिकारी श्री जे० एन०बोष तथा श्री एम० जी० अग्रवाल जो क्रमशः १९४९ तथा १९५१ से कार्य कर रहे थे, अब अपने पुराने विभाग अर्थात् सार्वजनिक निर्माण विभाग वापस जा चुके हैं।

३१ १७-६-५८ *५२--श्री राम किशोरी रस्तोगी--(क) क्या इन आफिसरों को उनके विभागों द्वारा वापस बुलाया गया था?

(ख) यदि हाँ, तो उनको क्यों नहीं वापस किया गया?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) जी हाँ।

(ख) दो अधिकारियों को वापस भेज दिया गया है। जहां तक श्री के० एन० मिश्र, नगर एवं ग्राम नियोजन को वापस भेजने का प्रश्न है, श्री मिश्र इस पद के लिए विशेष रूप से उपयोगी एवं उपयुक्त माने गए हैं, इसके अतिरिक्त इस पद के लिए आवश्यक योग्यता वाला कोई अन्य व्यक्ति अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है।

३२ १७-६-५८ *५३--श्री राम किशोर रस्तोगी--(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस विभाग में कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनको काम करते हुए इस विभाग में तीन वर्ष से अधिक समय हो गया है?

(ख) इनके असली जगहों पर क्या अन्य नये अधिकारी नियुक्त किये गये हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) ऐसे अधिकारी अब तक केवल तीन थे किन्तु अब दो वापस भेजे जा चुके हैं।

(ख) जी नहीं, इनके स्थान पर अभी तक नए अधिकारी स्थानापन्न रूप से काम कर रहे थे। अब दो अधिकारी पुनः अपने विभाग में वापस चले गये हैं अतः श्री के० एन० मिश्र के स्थान पर एक अधिकारी स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं।

३३ १७-६-५८ *५४--श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या सरकार को ज्ञात है कि अभी हाल में एक जी० ओ० निकला है, जिस में यह कहा गया है कि कोई भी अधिकारी एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हाँ।

*५५—श्री राम किशोर रस्तोगी—(क) क्या सरकार इस विभाग के आफिसरों को भी उनके अपने स्थायी पदों पर वापस करने का विचार रखती है ? आदि सं० ३४ तारीख १७-९-५८

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस विभाग के एक अधिकारी को अपने स्थायी पद पर वापस भेजा जा चुका है और दूसरे को भेजा जा रहा है।

(ख) शीघ्र ही यह अधिकारी वापस चले जाएंगे।

लखनऊ की महानगर हाउसिंग स्कीम की योजना।

*५६—श्री राम किशोर रस्तोगी—(क) क्या लखनऊ के महानगर हाउसिंग स्कीम का प्लान टाउन प्लानिंग विभाग का बनाया हुआ है ? ३५ १७-९-५८

(ख) यदि हाँ, तो इसमें क्या विशेषता है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा (क) जी हाँ।

(ख) यह सम्पूर्ण योजना नेबरहुड प्लानिंग प्रिंसिपल के आधार पर बनाई गई है। इसमें अधिकतर छोटे प्लाटों को खुले हुए खेलने के स्थानों के चारों ओर रखा गया है। इस योजना में यहां के निवासियों की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखा गया है।

*५७—श्री राम किशोर रस्तोगी—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस स्कीम में कुल कितने "सी" टाइप के प्लाट्स हैं और ३६ १७-९-५८

(ख) उनकी औसत लम्बाई चौड़ाई क्या है और वास्तविक लम्बाई चौड़ाई क्या है ?

(ग) कितने ४० फीट से अधिक चौड़ी सड़क पर हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) इस योजना में कुल ७२८ सी टाइप प्लाट हैं।

(ख) इन प्लाटों की औसत लम्बाई-चौड़ाई ८०×४० है तथा वास्तविक लम्बाई-चौड़ाई ८०×४० एवं ९०×४५।

(ग) १२२ सी टाइप प्लाट ४० फुट से अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित हैं।

*५८—श्री राम किशोर रस्तोगी—(क) क्या यह सही है कि पेड़ केवल ४० फीट से अधिक चौड़ाई की सड़कों पर लगाये गये हैं और एक सड़क पर दोनों ओर पेड़ों के तीन-तीन पंक्तियाँ लगाई गई हैं ? ३७ १७-९-५८

(ख) यदि हाँ, तो ४० फीट की सड़कों पर पेड़ न लगाये जाने का क्या कारण है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) जी नहीं, इस योजना में वृक्ष लगाने का आयोजन सभी सड़कों पर है चाहे वह १०० फीट की हो अथवा ४० फीट की। अधिक चौड़ी सड़कों पर पेड़ों की २,२ पंक्तियाँ लगाई गई हैं तथा कम चौड़ी सड़कों पर केवल एक, एक पंक्ति लगाई गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*५९—श्री राम किशोर रस्तोगी—क्या महानगर के सेक्रेटेरियट क्वार्टर्स के बीच पी० डब्लू० डी० ने भी ४० फीट चौड़ाई की सड़कें बनायी हैं और उन पर पेड़ लगाये हैं ? ३८ १७-९-५८

श्री विचित्र नारायण शर्मा— जी हां।

*६०—श्री राम किशोर रस्तोगी—(क) क्या यह अनिवार्य रखा गया है कि 'सी' टाइप के दो-दो मकान एक में मिला कर बनाये जायं और दोनों एक ही डिजाइन के हों ? ३९ १७-९-५८

(ख) यदि हाँ, तो जितने मकान मिलकर बने हैं उनके डिजाइन प्रायः अन्तर क्यों है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) जहां तक सम्भव है २ सी टाइप प्लाटों पर बने हुए मकानो के बीच में एक ही दीवार होनी चाहिए। किन्तु दोनों मकान एक ही डिजाइन के हो ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। फिर भी भवन-निर्माण सम्बन्धी उप-नियमो के अन्तर्गत इन मकानो की ऊँचाई आदि समान रहे इस का ध्यान रखा गया है।

(ख) जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि महानगर भवन निर्माण उपनियमो में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है जिससे अलग अलग भवनो की डिज़ायनो का अन्तर रोका जा सके।

श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहा पर अधिक संख्या में ऐसे प्लाट्स टाउन प्लानर द्वारा बनाये गये हैं जिनके पांच छः से अधिक कोने हैं और जिनके कारण वहां पर चौकोर मकान नहीं बन पा रहे हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राम किशोर रस्तोगी--जैसा कि उत्तर में यह कहा गया है कि कोई प्रतिबन्ध नहीं है तो इस प्रकार के प्रयोजन से क्या तात्पर्य है कि दो मकानो को मिला कर बनाया गया ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--एकोनामी की दृष्टि उस समय थी ताकि मकान सस्ते बने।

आदि संख्या ४० तारीख १७-६-५८ *६१--श्री राम किशोर रस्तोगी--(क) अब तक कुल कितने मकानों का जोड़ा बन चुका है ?

(ख) उनमें से कितने जोड़ो में एक दूसरे में विभिन्नता है।

(ग) कितने जोड़े में एक मकान दूसरे मकान से आगे पीछे हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) अब तक कुल ६० जोड़े बन चुके हैं।

(ख) २० जोड़ों में विभिन्नता है।

(ग) केवल ३ जोड़ो में एक मकान दूसरे मकान से आगे पीछे है।

४१ १७-६-५८ *६२--श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या यह सही है कि इस स्कीम में बनने वाले मकानों के प्लान पहले टाउन प्लानर द्वारा नियमानुसार स्वीकृत होते हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हां।

४२ १७-६-५८ *६३--श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या यह सही है कि इस स्कीम में मकानो के बनाने पर म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट तथा लखनऊ म्युनिसिपिल बोर्ड बिल्डिंग बाइलाज की पाबन्दी नहीं है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं। इस योजना के अन्तर्गत मकानो के बनाने पर म्यूनिसिपैलटीज़ ऐक्ट तथा लखनऊ म्यूनिसिपल बोर्ड बिल्डिंग बाइ लाज की पाबन्दी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महानगर हाई पावर कमेटी भी समय समय पर अपने आदेश जारी करती रहती है जिनका पालन करना भी आवश्यक होता है।

४३ १७-६-५८ *६४--श्री राम किशोर रस्तोगी--(क) क्या इस स्कीम में मकानो के बनने के सम्बन्ध में कोई विशेष बिल्डिंग बाइलाज बनाये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत बनाये गये हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) जी हाँ। महानगर योजना में मकान बनाने के लिए महानगर हाई पावर कमेटी द्वारा कुछ अन्य आदेश भी जारी किए गए हैं।

(ख) म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट की धारा २९६ के अन्तर्गत निर्मित महानगर स्कीम रूल्स, १९५३ के २४ वें अनुबन्ध में इस बात की व्यवस्था है कि महानगर योजना में बनाए जाने वाले मकानों पर म्युनिसिपल बाइलाज़ के अतिरिक्त वे अन्य आदेश भी लागू होंगे जो समय समय पर महानगर हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित किए गए हों।

*९५—श्री राम किशोर रस्तोगी—(क) क्या यह सही है कि इन विशेष बाइलाज को जनता की सूचनार्थ न तो स्कीम के प्लाटों के बेचने के पूर्व पब्लिश किया गया था और न अब तक पब्लिश किया गया है? आदि सं० ४४ तारीख १७-९-५८

(ख) यदि नहीं, तो क्यों?

(ग) क्या इस कारण जनता ने शिकायतें की हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) महानगर हाई पावर कमेटी द्वारा जारी किए गए आदेशों को नियमानुसार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत इस सम्बन्ध की सूचनाएँ समय समय पर मकान बनवाने वालों को दी जाती रही हैं।

(ख) पहले ही बताया जा चुका है।

(ग) जी नहीं।

*९६—श्री राम किशोर रस्तोगी—क्या यह सही है कि टाउन प्लानिंग विभाग के ड्राफ्ट्समैनों के अतिरिक्त अन्य स्थान से बनवाये गये प्लान जल्दी पास नहीं किये जाते? ४५ १७-९-५८

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

*९७—श्री राम किशोर रस्तोगी—(क) क्या सरकार के पास टाउन प्लानिंग विभाग के विरुद्ध रिश्वत लेकर प्लान पास करने की कोई शिकायतें आयी हैं? ४६ १७-९-५८

(ख) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*९८ श्री राम किशोर रस्तोगी—(क) क्या यह सही है कि स्कीम के "सी" टाइप के मकानों के बनने पर कुछ ऐसे प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं जो न तो सारे शहर में और न उक्त स्कीम के अन्दर ही पी० डब्लू० डी० अथवा म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा बनाये गये मकानों पर लगाये गये हैं? ४७ १७-९-५८

(ख) यदि हाँ, तो क्यों!

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) म्युनिसिपल बोर्ड के बाइलाज़ तथा हाई पावर कमेटी के आदेशों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध सी टाइप के मकानों के निर्माण के सम्बन्ध में नहीं है। जहाँ तक पी० डब्लू० डी० अथवा नगरपालिका द्वारा बनवाए गए मकानों का सम्बन्ध है, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि जहाँ तक सम्भव हो नियमों का उलंघन न हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

*९९—श्री राम किशोर रस्तोगी—क्या सरकार को मालूम है कि "सी" टाइप के चार-चार प्लाटों के पिछले भाग एक दूसरे से मिले हैं? ४८ १७-९-५८

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हां।

श्री राम किशोर रस्तोगी—क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि महानगर नियम २४ में दिये प्रतिबन्धों के अतिरिक्त अन्य प्रतिबन्ध क्यों लगाये जा रहे हैं जिनके कारण वहाँ पर जनता को असुविधा हो रही है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--उनको बहुत आवश्यकता समझ कर लगाया गया था।

श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन आदेशों की सूचना मकान बनाने वालों को किस प्रकार से दी गयी थी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जिस समय प्लाट्स दिये जाते हैं उस समय और बाद में भी दी जाती है।

श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 'सी' टाइप के मकानों में आगे की तरफ मोटर गेरेज और छज्जा क्यों नहीं बनाने दिये जाते हैं।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह सस्ते मकान थे इसलिये अनावश्यक समझा गया।

आदि संख्या ४६ तारीख १७-६-५८ *७०--श्री राम किशोर रस्तोगी--क्या सरकार को मालूम है कि इन विशेष प्रकार के प्रतिबन्धों के कारण जनता में घोर असंतोष है।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं, सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है।

*७१-७२--(स्थगित)।

लखनऊ के जू में मुख्य द्वार प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क

*१-श्री हृदय नारायण सिंह--(अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि लखनऊ जू (Zoological Garden) में मुख्य द्वार प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त किन-किन विभागों तथा जन्तुओं को देखने के लिये अलग-अलग प्रवेश शुल्क लगाया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--मुख्य द्वार प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त निम्नलिखित विभागों में प्रवेश के लिये अलग प्रवेश शुल्क निर्धारित है।

(क) मछली घर...६ नये पैसे बड़ों का
३ नये पैसे बच्चों का

(ब) सांप घर...६ नये पैसे बड़ों का
३ पुराना पैसा बच्चों का

*२--श्री हृदय नारायण सिंह--इनमें विद्यार्थियों के लिये क्या निर्धारित दर है।

श्री बलदेव सिंह आर्य--विद्यार्थियों के मछली घर तथा सांप घर में जाने के लिये उपरोक्त दर ही लागू है।

श्री हृदय नारायण सिंह--विद्यार्थियों के जो दल बाहर से जू देखने के लिये आते हैं, उनके प्रार्थना देने पर क्या उनको फ्री देखने के लिये मिल जाता है।

श्री हुकुम सिंह विसेन--अगर कोई टूरिंग पार्टी बाहर से विद्यार्थियों की आती है और उसके साथ अध्यापक होते हैं तो उनको फ्री ऐडमिशन दिया जाता है। विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों को।

श्रीमती सावित्री श्याम--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के नागरिकों ने कोई ऐसा आवेदन पत्र दिया है कि यहां के विद्यार्थियों को जू देखने के लिये बिना शुल्क के आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री हुकुम सिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। मैंने सुना ज़रूर था लेकिन मुझे ठीक से मालूम नहीं।

श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़--क्या मन्त्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि मछली घर देखने के लिये तो बच्चों से ३ नये पैसे लिये जाते हैं और सांप देखने के लिये तीन पुराने पैसे क्यों लिये जाते हैं ।

श्री हुकुम सिंह विसेन--क्योंकि उस में पुराने पुराने सांप हैं ।

कानपुर में परेड की पानी की टंकी की लागत

*१५--श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित--(अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के परेड की पानी की टंकी की लागत कितनी थी और कितने में बेची गई ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--सम्बन्धित टंकी कानपुर जल विभाग के अन्य कार्यों के साथ लगभग ६० वर्ष पूर्व बनी थी । इस समय उसकी लागत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

टंकी प्रेस में विज्ञापन देने के पश्चात तीस हजार रुपये में बेची गई ।

श्री शफ़ीक अहमद खाँ तातारी--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि इस टन्की के बेचने का कारण क्या है ।

श्री विचित्र नारायणशर्मा--क्योंकि यह अनावश्यक समझी गई इसलिये बेंच दी गई ।

कानपुर में गाँधी मार्ग को चौड़ा करने पर व्यय

*१६--श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में फूलबाग गणेश उद्यान से इलाहाबाद बैंक के चौराहे तक गांधी मार्ग को चौड़ा करने में कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--कानपुर से महात्मा गांधी मार्ग को इलाहाबाद बैंक के चौराहे से फूलबाग तक चौड़ा करने में २,०८,२०७,३९ नये पैसे व्यय हुये हैं ।

शहरों या कस्बों के गन्दी नालियों का नदियों में गिरना

*२६--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की प्रदेश के किन-किन शहरों या कस्बों की गन्दी नालियां नदियों में गिरती हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--प्रदेश के लगभग सभी शहरों व कस्बों में जहाँ-जहां नदियाँ प्राप्त हैं, गन्दी नालियां नदियों में ही गिरती हैं ।

*२७--श्री हृदय नारायण सिंह--(क) क्या गन्दी नालियों को नदियों में न गिरा कर अन्यत्र ले जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन शहरों या कस्बों की गन्दी नालियों के लिये ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--(क) प्रत्येक वैज्ञानिक जल निर्गम प्रणाली (Scientific Drainage System) में मलोपयोग योजना (Sewage utilization Schemes) उसका एक अंश होती है जिसके फलस्वरूप गन्दी नालियों में बहने वाला गन्दा पानी, मल-मूत्र इत्यादि का उपयोग खेतों और फार्मों की सिंचाई में होता है। इससे एक ओर तो नदियों का जल अस्वच्छ व दूषित होने से बच जाता है और दूसरी ओर गन्दा-पानी, मल-मूत्र इत्यादि उपज बढ़ाने में सहायता देता है । इस प्रकार की वैज्ञानिक जल निर्गम प्रणाली योजनाओं का समावेश प्रथम और द्वितीय पंच-वर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय जल सम्भरण एवम् स्वच्छता कार्यक्रम (National water Supply and Sanitation programme) के अन्तर्गत हुआ है । गन्दी नालियों को नदियों में न गिरा कर अन्यत्र ले जाने की योजना अलग से सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में मलोपयोग योजना से सम्बन्धित कार्य कवाल टाउन्स में प्रारम्भ किया गया है। ये योजनायें अभी अपूर्ण हैं और इन के पूर्ण-रुपेण कार्यान्वित हो जाने पर सम्बन्धित नदियों का पानी पूर्णतया स्वच्छ रहेगा। इसके अतिरिक्त इस प्रदेश के और भी स्थानों पर जैसे—गाजियाबाद, उरई, अलीगढ़, वृन्दावन, हरिद्वार, अयोध्या, बहराइच इत्यादि, जहाँ निगम प्रणाली योजनायें बनी हैं, इस बात का प्रयन्त किया गया है कि यदि नदियां वहां पर है तो उन्हें मल-मूत्र से बचाया जाय।

लखनऊ की गन्दी नाली का गोमती नदी में गिराया जाना

आदि संख्या १० तारीख १७-६-५८ *२८—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या लखनऊ के हाल में कोई गन्दी नाली गोमती नदी में गिराई गई है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हां। नये प्रणाली (Sewers) का निर्माण करते समय पुराने प्रणाली को तीन स्थानों पर तोड़ा गया है और उनका गन्दा पानी गोमती नदी में गिराया गया है।

११ १७-६-५८ *२९—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) यदि हाँ, तो क्या इसके विरुद्ध डाक्टरों ने सरकार के पास लिखा है?

(ख) क्या उनके प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सरकार मेज पर रखेगी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(क) इस सम्बन्ध में डाक्टरों की कोई रिपोर्ट सरकार का (जन स्वास्थ्य एवम् चिकित्सा विभाग में) प्राप्त नहीं हुई है परन्तु डा० एम०एम० एस० सिद्धू, सभापति, नगर कांग्रेस कमेटी, लखनऊ ने प्रेस में एक वक्तव्य (Statement) में अवश्य सरकार से गोमती नदी के पानी की गन्दगी का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य विभाग पर अकर्मण्यता का आरोप लगाया था और सरकार से इस मामले पर जाँच करने की अपील की थी।

(ख) पूर्व कथित दशा में यह प्रश्न नहीं उठता।

१२ १०-६-५८ *३०—श्री हृदय नारायण सिंह—इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—स्वास्थ्य सेवा संचालक के निर्देशानुसार गोमती नदी के कुछ स्थानों से पानी लेकर (हाईजीन इन्स्टीट्यूट) में जांच की गई थी और उसमें कुछ हद तक गन्दगी पाई गई किन्तु जहां पीने के पानी का मूल (in take) है और जहां से पानी लखनऊ वाटर वर्क्स में पम्प किया जाता है व जनता के पीने के काम आता है, वह जल प्रवाह के ऊपर की ओर है और वे स्थान जहाँ पर पानी गन्दा पाया गया है, उससे काफी दूर है। इस कारण पीने के पानी के दूषित होने का प्रश्न नहीं उठता। लखनऊ की जल निर्गम प्रणाली योजना के पूर्ण हो जाने पर नालों का गन्दा पानी नदी में प्रवाहित न हो सकेगा।

श्री हृदय नारायण सिंह—जब सरकार इस बात को मानती है कि नदी में दूषित पानी न गिराया जाय। जब पहले नहीं गिर रहा था तो क्यों नाली को तोड़ कर और इस सिद्धान्त को मान लेने के बाद गोमती में गिराया गया?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—श्रीमन्, इसका कारण यह है कि जो नाली डाली जा रही थी तो सिवर उसके रास्ते में आ रहा था तो बिना उसके तोड़े वह नहीं बन सकती थी। जो पुरानी नाली थी वह काफी नहीं थी इसलिये तोड़ना पड़ा।

श्री शिव नारायण—जब सरकार गन्दे पानी को नदी में गिरने से नहीं रोक सकती तो क्या वह ट्यूबवेल से पानी देने की कोशिश करेगी।

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री हृदय नारायण सिंह—जहाँ तक लखनऊ के निवासियों का सम्बन्ध है दूषित जल का उनके स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ता है लेकिन नीचे की तरफ जो गांव हैं उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। क्या इस पर सरकार की कोई राय है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह ऐसी चीज़ है जो प्रत्यक्ष है कि वर्षों से यह पानी पड़ रहा है और जनता नदियों का पानी इस्तेमाल करती है। नेचर ऐसा है कि कुछ मील पानी चलने के बाद वह स्वयं साफ हो जाता है। इसके अलावा हमारे चीफ इंजीनियर ने भी देखा था और कहा था इससे जो नुकसान है वह निग्लीजेबुल है।

श्री हरि कृष्ण अवस्थी (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह ठीक है कि लखनऊ के स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति में लखनऊ के निवासियों से कहा था कि बम्बे का पानी औटा कर पीये।

(प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

डाक्टर ए० जे० फरीदी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—मैं मन्त्री जी से दरियाफ्त करूँगा कि आइन्दा कोई गन्दी नाली दरिया में न डाली जाय ऐसा कोई सरकार का विचार है !

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह हमेशा असम्भव है क्योंकि अगर लोग पानी इस्तेमाल करेंगे तो नाली बहेगी। नेचर के ला को सरकार रोक नहीं सकती है।

डाक्टर ए० जे० फ़रीदी—अभी माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि पानी बहने से प्योरीफाई हो जाता है। प्योरीफ़ाई का जो लफ़्ज़ इस्तेमाल किया वह साइंटिफिकली इस्तेमाल किया या जैसे लेमेन कहते हैं वैसे कहा ?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री इसहाक सम्भली—क्या माननीय मंत्री जी इसके बारे में बतायेंगे कि कानपुर में गंगा में जो गन्दा नाला गिरता है जिसके बारे में पहले तवज्जह दिलाई जा चुकी है क्या उस नाले के पानी को जल्दी रोकने के लिये कोई इंतजाम किया जा रहा है ?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री हरि कृष्ण अवस्थी—यह कहा गया कि लखनऊ में पानी के दूषित होने का प्रश्न नहीं उठता है फिर पानी उबाल कर पीने के लिये क्यों कहा गया था।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—उबाल कर पानी पीने के लिये दूसरे सम्बन्ध में कहा गया था बरसात में प्रकाशन के लिये पानी उबाल कर पीने के लिये कहा गया था।

श्री हरि कृष्ण अवस्थी—हाईजीन इंस्टीट्यूट की जाँच के बाद यह कहा गया !

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या जल निर्गम योजना पूरी बन गई है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—रुपये के अभाव में पूरी नहीं हो रही है। योजना तो बन गई है।

नगरपालिका भवाना जिला मेरठ के चुंगी कर्मचारियों की ड्यूटी के घंटे।

*३१—**श्री महाराज सिंह भारती**—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका भवाना, ज़िला मेरठ की चुंगी कर्मचारियों को कितने घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है ? आदि सं० १३ तारीख १०-६-५३

श्री विचित्र नारायण शर्मा—दिन की शिफ्ट में कार्य करने वालों को १० घंटे तथा रात की शिफ्ट में कार्य करने वालों को १४ घंटे प्रतिदिन ड्यूटी देनी पड़ती है।

(*प्रश्न संख्या ३१ से ३३ तक श्री शफीक अहमद खां तातारी द्वारा पूछे गये।)

आदि संख्या १४ तारीख १७-९-५८ *३२—श्री महाराज सिंह भारती—(अनुपस्थित) क्या यह सच है कि उनको सायं ६ बजे से लेकर ८ बजे सुबह तक काम करना पड़ता और रुपया जमा करते-करते २ भी बज जाते हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—रात की शिफ्ट में काम करने वालों को ६ बजे शाम से लेकर ८ बजे सुबह तक ड्यूटी देनी पड़ती है। इस शिफ्ट वालों को रुपया जमा करते २ दो तो नहीं बजते पर कुछ समय अवश्य लग जाता है। लगभग २ घंटे में सारा रुपया जमा हो जाता हैं।

१६ १७-९-५८ *३३—श्री महाराज सिंह भारती—क्या सरकार नगरपालिकाओं में काम करने वाले चुंगी कर्मचारियों की तीन शिफ्ट चलाने की योजना बना रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

श्री शफीक अहमद खां तातारी—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो रात्रि के शिफ्ट वाले लोग हैं उनको १२ घंटे काम करना पड़ता है उनके सम्बन्ध में कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं बन सकता ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह काम कई वर्षों से चल रहा है। काम भी इतमीनान से हो रहा है। अगर तीन शिफ्ट करना है तो उसके लिये रुपये की ज़रूरत होगी। अगर म्युनिसिपैलिटी खर्च बर्दाश्त करने के लिये तैयार है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री इसहाक सम्भली—जिन साहबान को १४ घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है क्या उनके लिये म्युनिसिपैलिटी को सरकार आदेश देने पर विचार कर रही है कि उनको ओवरटाइम दिया जाय ?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

अतारांकित प्रश्न

झांसी तथा इलाहाबाद डिवीजनों की प्रत्येक तहसील में सरकारी औषधालय, दवाखाने तथा एलोपैथिक डिस्पेन्सरीज।

१ १७-९-५८ १—श्री—नवल किशोर गुरुदेव—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस समय (१५-७-५८) निम्नलिखित ज़िलों में प्रत्येक तहसील के अन्तर्गत कितने सरकारी औषधालय दवाखाने तथा एलोपैथिक डिस्पेन्सरीज हैं।

झांसी, जालौन, बाँदा, हमीरपुर, इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, इटावा और, फर्रुखाबाद ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—अभी केवल सरकारी औषधालय तथा दवाखाने के ही सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो सकी है जो संलग्न *सूची में हैं।

२ १७-९-५८ २—श्री नवल किशोर गुरुदेव—उनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें इस समय वैद्य, हकीम और मेडिकल आफीसर नहीं हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—उक्त सभी राजकीय आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सालयों में वैद्य अथवा हकीम कार्य कर रहे हैं। एलोपैथिक चिकित्सालयों के सम्बन्ध में अभी वांछित सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है।

३ १७-९-५८ ३—श्री नवल किशोर गुरुदेव—उपर्युक्त स्थान रिक्त होने का क्या कारण है ?

*देखिये नत्थी ग पृष्ठ १७५ पर।

श्री हुकुम सिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता।

*४—श्री नवल किशोर गुरुदेव—सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ? आदि सं० ४ तारीख १०-६-५८

श्री हुकुम सिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता।

५—श्री नवल किशोर गुरुदेव—क्या सरकार बतलायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर, इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, इटावा और फर्रुखाबाद ज़िले में कितने औषधालय, दवाखाने और ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरीज खोलने की योजना है तथा किन-किन स्थानों पर ? ५ १०-६-५८

श्री हुकुम सिंह विसेन—प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में यह निर्णय किया जाता है कि उस वर्ष कहां-कहां आयुर्वेदिक, यूनानी अथवा ऐलोपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना की जाय तथा उनकी संख्या क्या हो। अतः इस समय सम्पूर्ण योजना काल में खुलने वाले विविध प्रकार के चिकित्सालयों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना

*श्री बनवारी लाल—(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) मैंने कल सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना पर नोटिस दिया था। मैं उसको प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री चेयरमैन—क्या आप कोई रूलिंग बतायेंगे कि कल के बाद आज इस चीज़ को उठाया जा सकता है।

श्री बनवारी लाल—आप पहले रूल २२३ को पढ़ लें।

Rule 223 : A member may give notice of his intention to draw the attention of the Council, to a matter involving a breach of privilege of the Council, or of a member or of a committee thereof ;

Provided that no notice shall be necessary for drawing attention to a breach of privilege with the view of the Council."

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यह कौंसिल के सामने उपस्थित हुआ था और इसके लिये नोटिस की भी आवश्यकता नहीं थी।

श्री चेयरमैन—आप का "view of the Council" से क्या मतलब है और इस से आप क्या समझते हैं !

श्री बनवारी लाल—सदन में जो भी घटना घटी।

श्री चेयरमैन—इस लिये मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो चीज "view of the Council" में होती है तो पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के मुताबिक उसी समय प्रिविलेज का क्वेश्चन उठाया जा सकता है। आप उस प्रश्न को दूसरे दिन कैसे उठा सकते हैं, यह बात मैं आप से जानना चाहता हूँ।

श्री बनवारी लाल—नियम २२४ में साफ दिया हुआ है कि वह रीसेन्ट अकरेन्स का हो। कोई टाइम लिमिट उस में नहीं दी हुई है। रीसेन्ट के माने जल्द से जल्द जो अवसर प्रदान हो सके उस में सदन की अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सकता है। मैंने कल ही आप की सेवा में नोटिस दे दिया था।

Rule 224 The wordings are "The right to raise a matter of privilege shall be subject to the following limitations, namely ;

(*a*) Not more than one matter shall be raised at the same sitting and

(*b*) The matter shall relate to a specific issue of recent occurrence."

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

श्री चेयरमैन—कल ५ बजे जो चीज़ आयी है उस को आप कल नहीं कह सकते हैं।

श्री बनवारी लाल—मैंने कल शाम को ५ बजे आप के पास नोटिस भेज दिया था।

श्री चेयरमैन—आप ने नियम २२३ और २२४ पढ़ लिये हैं और मैंने भी इस पर गौर कर लिया है।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—जनाब चेयरमैन साहब, कल जब यह वाकया हुआ और जब हमारे माननीय मन्त्री जी ने यह फरमाया कि लाठी चलेगी तो हम लोगों ने इस पर और डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने भी एतराज किया था। लेकिन सवाल यह था कि एक्जैक्ट वर्डस क्या इस्तेमाल किये गये थे वे हम को उसी समय मालूम नहीं हो सके। फिर हम ने मेज़ पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस को कन्सल्ट किया। चौधरी चरण सिंह जी के लफ्ज़ यह थे कि तुम एक गाली दो तो हम दस गाली देंगे और फिर लाठी चलेगी। डाक्टर साहब ने और अपोजीशन के बहुत से मेम्बरों ने उसी समय यह सवाल उठाया था और फिर लिख कर भी दिया है। अब यह जनाब वाला पर है कि इस को चाहें तो हाउस के सामने रखें या चाहें तो प्रिविलेज कमेटी के सामने रखें।

चार बजे चौधरी साहब ने अपना जवाब देते समय भी इस बात को रेफर किया था। कल यह जो बहस हो रही थी कि यहाँ पर सदन की प्रेस्टीज बढ़नी चाहिए और डिबेट का ऊँचा स्टैन्डर्ड होना चाहिए तो इसके लिये सिर्फ अपोजिशन वाले ही जिम्मेदार नहीं हैं। पहली जिम्मदारी तो सरकार की है और बल्कि हम तो एक चौथाई हैं और सरकार तो तीन चौथाई है। यह पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस का इन्टिमिडेशन (Intimidation) में आ जाता है। अगर लाठी की धमकी दी जायेगी तो हम कम हैं, कमज़ोर हैं इस लिये पिटेंगे भी। इस लिये अगर इस प्रस्ताव पर हम लोग बहस करेंगे तो इससे इस हाऊस की प्रेस्टीज बढ़ेगी ही।

श्री पीताम्बर दास (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, फैक्ट्स तो अलग रहे, कि क्या शब्द कहे गये या क्या शब्द नहीं कहे गये, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, परन्तु एक प्रश्न इसमें खड़ा हो गया है और वह कानूनी प्रश्न है। आपने आरम्भ में ही शायद बहस को कम करने के लिये इस बात की ओर इशारा किया था कि कोई रूलिंग दिखायी जा सकती है, जिससे इस बात का परिणाम निकाला जा सके कि कल वाली बात को आज उठाया जा सकता है या नहीं। आपने एक बहुत ही सीधा सा प्रश्न पूछा है तो जो आर्टिकल २२४ का सब क्लाज (बी) है, उसमें 'रीसेंट अकरेन्स' शब्द आए हैं। इसलिए सारी बात "रिसेन्ट अकरेन्स" पर ही डिपेन्ड करती है कि हम उसका क्या इन्टरप्रिटेशन लगायें। किसी तरीके से भी उसको खींचे और चाहे कितना ही रिजिड इन्टरप्रिटेशन उसका लगाया जाय, तो भी २४ घन्टे के अन्दर जो बात पेश की जाय उससे बढ़ कर और क्या 'रिसेन्ट अकरेन्स' हो सकती है और पत्र तो आप के पास चार पांच घन्टे के अन्दर ही पहुँच गया था। इसलिए जो शब्द कहे गये हैं, उनका क्या अर्थ हो सकता है, इस में तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन जो कानूनी बात है कि रिसेन्ट अकरेन्स के क्या माने लगायेंगे तो अगर २४ घन्टे के अन्दर वह प्रश्न सदन के समक्ष आ जाता है तो वह रिसेन्ट अकरेन्स है और वह स्वीकार होना चाहिए।

श्री शफीक अहमद खां तातारी—माननीय चैयरमैन साहब, जिस तरह से माननीय मन्त्री जी ने यहाँ पर शब्द कहे. तो उनको उस वक्त भी मैंने टोक दिया था इसलिये यह रिसेन्ट अकरेन्स का मसला हो जाता है, फिर उसी दिन उसकी सूचना भी दे दी गयी इसलिये मैं यह चाहूँगा कि आप इस मसले पर अवश्य हम लोगों को विचार करने का मौका देंगे।

श्री हरि कृष्ण अवस्थी—श्रीमान्, मैं भी एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

श्री चैयरमैन—आप कल उपस्थित नहीं थे।

श्री हरि कृष्ण अवस्थी—श्रीमान्, इसमें उपस्थिति का सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि इस पर बहस हो सकती है या नहीं और उसी पर मैं भी एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

श्री चैयरमैन—जो शब्द कल कहे गये थे, उसके लिये बनवारी लालजी ने मेरे पास सूचना भेजी है कि मैं इसको प्रिविलेज का प्रश्न समझता हूँ। इस बात को आप समझ लें कि पहले कुछ शब्द कहे गये हैं और इस बात के लिये मुझे लिख कर भी दिया गया तो आपने जो यह पत्र भेजा है वह कल शाम को भेजा है जिसमें मुझे यह कहा गया है कि आप इसको क्वेश्चन आफ प्रिविलेज समझ कर इस पर आगे कार्यवाही करें, तो मेरे लिये यह ज़रूरी हो जाता है कि मैं आप से पूछूँ कि पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस हमारे हाउस में या हाउस आफ कामन्स में क्या है इन शब्दों के सम्बन्ध में इसलिये मैंने पहले ही यह कहा कि जिन शब्दों के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है उसके लिये कोई रूल हो तो वह आप बतायें। इसलिये मैं फिर सदस्यों से इस बात को दोहरा देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के शब्दों के बारे में जो उज्र होता है, तो उसके लिये नियम २२४ में जो कहा गया है, वह इस प्रकार है।

.... "the right to raise a matter of privilege shall be subject to the following limitations namely ;

(a) Not more than one matter shall be raised at the same sitting, and

(b) The matter shall relate to a specific issue of recent occurrence. "......... no specific issue before the House.

मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि There is no specific issue before the House.

I will give the hon'ble member another chance. I am not giving any final decision. The point is that the member has to state before the House that there was a specific issue before the House and that issue was of recent occurrence. If it is an issue and if it is of recent occurrence, then rules, 223 and 224 apply, but when you object to the words spoken by any Hon'ble Member then rule, 223 applies and in that case it is said that no notice shall be necessary for drawing attention to the breach of privilege within the view of the Council. That is, any words that have been spoken, within the view of the Council, have been interpreted by the House of Commons in parliamentary language as the words which were spoken by any Hon'ble Member in the House during the discussion and as you have objected to words, then because the words were "within the view of the House". Therefore the correct interpretation of this question is that you are objecting to the words. Now I have put you a straight question whether you can make it a point of privilege and you can raise that question after sometime and not immediately. The Rule says that you have to immediately do it and the Chair cannot say that you have not given notice because it is within the view of the House and, therefore, I do not object on the ground that no previous notice was given. Only my straight question is whether you can take objection to those words spoken by the Hon'ble Minister yesterday and you can raise the question of privilege now. If you can say anything I shall permit you.

श्री मदन मोहन (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी आप ने यह फरमाया था कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए Specific issue होना चाहिए और Recent occurrence होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न में

[श्री मदन मोहन]

दोनों की बातें उपस्थित हैं, Specific issue है माननीय मंत्री का मेम्बरों को धमका देना कि लाठी चल जायगी उसके साथ ही साथ यह रीसेन्ट अफरेन्ज भी है, क्योंकि कल ही इसका नोटिस आप को दे दिया गया था। निवेदन करता हूँ कि आप इस को मंजूर करें और आगे चलने दें।

श्री बनवारी लाल—मैं आप का ध्यान इस रूल की तरफ दिलाना चाहता हूँ।

श्री चेयरमैन—पहले डाक्टर फरीदी साहब बोल लें, उसके बाद आप कहियेगा।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—जिस वक्त जनाब वाला आप बोल रहे थे तो मैं आप से यह कहना चाहता था।

I Just wanted to catch your eye. जब आप रूलिंग दे देते हैं, तो उसके बाद सारा मामला खतम हो जाता है, लिहाजा मैं यह चाहता था कि मुझको भी कुछ कहने का मौका दिया जाय।

जनाब वाला, यह कहीं नहीं लिखा है कि अगर देरी हो जाती है तो उसको न मंजूर किया जाय। जिस वक्त यह वाकया हुआ तो हम लोगों ने भी मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस को देखा और पढ़ा, और उसी के मुताबिक आप को यह नोटिस दिया गया है। जनाब वाला यह प्रिविलेज का सवाल है। इस पर बहस का मौका दिया जाय।

"If the Chairman of the Council is satisfied that the matter involves a question of privilege or the contempt of the House.

इसमें हुजूरवाला, कहीं लिखा है कि देरी के कारण इसको रूल आउट कर दिया जाये। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को इस पर बहस का मौका दिया जाय।

श्री चेयर मैन—For the convenience of the House I shall read May's Parliamentary Practice, page 466 and then I shall deal with this matter later.

> "*Words taken down*—When disorderly words are used by a Member in debate, notice should be immediately taken of the words objected to; and if a Member desires that the words be taken down, he must repeat the words to which he objects. and state them to the House exactly as he concievee them to have been spoken. Then the Speaker or the Chairman if in his opinion the words are disorderly, or having ascertained the sense of the House or the committee; directs the clerk to take down the words to which objection has been taken. That when any Member had spoken between, no words which had passed before can be taken notice of"

I shall read it again.

> "That when any Member had spoken between, no words which had passed before can be taken notice of, so as to be written down in order to censure."

This means that after the speech if other members have spoken, then those words cannot be taken notice of. If further says:—

> "The Speaker decided that certain words could not be taken down though a Member had immediately risen to order and objected to the words used, because another Member and the Speaker had spoken to the question of order, before the House expressed a wish to have the words taken down."

If a discussion has taken place and if several Members have spoken after that, no Member can raise this question that particular words should be taken down, i. e. they have been objected to.

Now I shall try to formulate my opinion on the question letr.

श्री बनवारी लाल—श्रीमान्, जी आपने जो पेज ४६६ मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस का पढ़ कर सुनाया है, जहाँ तक मेरी नाकिस राय है, यह पावर्स आफ दि चेयर इन्फोर्स आर्डर के सम्बन्ध में है, यह ब्रीच आफ प्रिविलेज आफ हाउस के सम्बन्ध में नहीं है। श्रीमान् जी, माननीय मंत्री जी की शब्दावली के ऊपर उस वक्त श्री शफीक अहमद खाँ द्वारा एतराज उठाया गया। श्रीमान् जी, जो पेज ४६६ में दिया हुआ है, वह उस सम्बन्ध में इस्तेमाल करने के लिये नहीं है। मैंने भी माननीय माल मन्त्री जी के शब्दों पर एतराज करते हुये कहा था कि उन्होंने जो फरमाया क्या यह उचित है ? इस तरह से कल ही दो दफे यह प्रश्न उठाया गया। श्रीमान् जी, यदि इसे मुनासिब नहीं समझते कि अपने अधिकार को बरतें, तो हमें इस में कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस की बात है, तो अगर हमारे कोई रूल्स आफ प्रोसीजर अपने न हों, तो फिर यह होता है जो कि कांस्टीट्यूशन आफ इन्डिया के आर्टिकिल १९४ में दिया हुआ है। इसके सब सेक्सन ३ में यह दिया हुआ है।

Article 194 (3) of the Constitution of India—In other respects, the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of a State, and of the members and the committees of a House of such Legislature, shall be such as may from time to time be defined by the Legislature by law, and, until so defined, shale be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees, at the commencement of this Constitution.

कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी रूल्स इत्यादि दिखला दिये जायें जहाँ कि इस तरह से पार्लियामेंट में या हाउस में उन के रूल्स न लागू होते हों। लेकिन फिर भी मेरा नम्र निवेदन है कि इस सम्बन्ध में हमारे हाउस के रूल्स २२३, २२४ व २२५ बने हुये हैं।

"A member may give notice of his intention to draw the attention of the Council to a matter involving a breach of privilege of the Council, or of a member or of a Committee thereof."

इस में भी शब्द 'मे' है यानी जरूरी नहीं है। इस से यह पता चलता है कि किसी भी हालत में नोटिस की आवश्यकता नहीं है, फिर भी सदन इस तरह के प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है।

"Provided that no notice shall be necessary for drawing attention to a brech of privilege within the view of the Council."

इस में तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। लेकिन पहला शब्द जो 'मे' है, इस में, श्रीमान् जी, को अधिकार है कि किसी भी समय वे आज्ञा दे सकते हैं कि मेम्बर नोटिस दें।

दूसरा रूल २२४ में है,

"The right to raise a matter of privilege shall be subject to the following limitations, namely :

(a) not more than one matter shall be raised at the same sitting, and.

(b) the matter shall relate to a specific issue of recent occurrence.

लिमिटेशन्स रखी गई हैं वर्ना एबसोल्यूट प्रिविलेज है। पहला है "नाट मोर दैन" और दूसरा है "दि मैटर" इमीडिएट शब्द भी नहीं है। कोई टाइम लिमिट भी नहीं है।

[बनवारी लाल]
रीसेन्ट के माने जल्द से जल्द हैं और इस रीसेन्ट शब्द को २२५ के साथ पढ़ने से और भी स्पष्ट हो जाता है।

"If the Chairman holds that the matter involves a prima facie breach of a privilege, he may, soon after the questions and before any other business, including motions for adjournment to discuss a matter of urgent public importance, is taken up, call upon the member giving notice to ask for leave of the Council to raise the matter :

Provided that where the Chairman holds that the matter to be raised is not in order he may read the notice and state his decision before the Council :

Provided further that if a member draws attention to a matter of privilege arising during a sitting of the Council, the Chairman may reserve his decision on the matter or alow it to be raised at the next earliest available opportunity.

तो श्रीमान् इस से खद वह पता चलता है कि क्वैयश्चन आवर के बाद जो सबसे पहला प्रश्न उठाया जायगा यही टेक आप किया जायेगा। कल प्रश्न आवर के बाद यह घटना घटी, तो सिवाय इस के कि आज उपस्थित हो सके और कोई रास्ता नहीं था। इससे जल्द यह मामला पेश नहीं हो सकता। अगर, श्रीमान् यह होल्ड करते हैं कि प्रीइमाफेसी ब्रीच आफ प्रिविलेज का केस नहीं है तो श्रीमन की आज्ञा शिरोधार्य है। इसी लिए श्रीमन्, मैंने एक नोटिस दे दिया था कल और एक प्रतिलिपि माननीय मन्त्री महोदय के पास भी भेज दी थी और उनसे प्रार्थना की थी कि मन्त्री महोदय यहाँ उपस्थित रहें, क्योंकि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह एक स्पेसिफिक इशू है। उन्होंने ऐसे शब्द कहे जिसकी वजह से हम सदस्यों की फीलिंग्स को चोट पहुँची जिस को आपने कल देखा और आज भी देख लें। अगर श्रीमन् आज्ञा देंगे तो मैं मेज़ पार्लियामेन्टी प्रेक्टिस के पृष्ठ १२१, १२३ और १०६ में जो दिया है उसको पढ़ कर सुना सकता हूँ।

"The Commons on April 12, 1733 and the Lords on 17 May, 1765 resolved :

"That the assaulting, insulting, or menacing any Member of this House or upon the account of his behaviour in Parliament, is a high infringement of the privilege of this House a most outrageous and dangerous violation of the rights of Parliament and high crime and misdemeanour."

इतना सीरियस मामला यह समझा जाता है इसलिए मैं आप से प्रार्थना करूँगा कि यह ज़रूर मंज़ूर किया जाय। मेज़ का तो यहां तक कहना है।

"Conduct not amounting to a direct attempt to influence a Members in the discharge of his duties but having a tendency to impair his 'independence in future performance of his duties will also be treated as a breach of privilege."

श्री चेयरमैन—अभी मेरिट्स पर न जायें। मेरिट्स का सवाल अभी नहीं है।

श्री बनवारी लाल—इतना कहने के बाद मैं श्रीमन् की आज्ञा चाहूँगा कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये क्योंकि यह सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला है। इससे ज्यादा और कोई मिसाल नहीं मिल सकती।

श्री हुकुम सिंह विसेन—माननीय सभापति जी, इतनी देर तक इस मसले पर बहस होती रही और बड़ी बड़ी किताबें पेश हुईं, बड़े बड़े पैसेजेज पढ़े गये लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि आया जो लफ्ज़ कहे गये हैं उनसे कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज

होता है या नहीं। जैसा कि रूल २२५ में दिया है कि नोटिस आने पर, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता कि नोटिस कब आया कब नहीं, हमारे मित्र जालौन के जो हैं उनका कहना है कि इस में लफ़्ज़ दिया हुआ है, इसमें 'शैल' होना चाहिये। मान लीजिये हम ब्रीच आफ प्रिविलेजेज करते हैं और इसमें 'मे' का जगह 'शैल' कर दिया जाय तो फिर हम मजबूर हो जायेंगे, उसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। लफ्ज 'मे' में हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं लिहाज़ा लफ्ज़ 'मे' रखा गया।

फिर मैं यह समझता था कि हमारे दोस्त वह अल्फ़ाज़ बतायेंगे जो अल्फाज हमारे भाई चरण सिंह ने इस्तेमाल किये और किस कान्टेक्सट् में किये। अगर उस कान्टेक्सट् में पढ़ने से कोई ब्रीच आफ प्रिविलेजेज का सवाल नहीं पैदा होता है तो फिर किसी नोटिस का सवाल ही नहीं उठता है। पहले श्रीमान् को इत्मीनान होना चाहिये कि उनसे ब्रीच आफ प्रिविलेजेज होता है या नहीं। मैं समझता हूँ कि जिस कान्टेक्सट में वह लफ्ज कहे गये उनका कभी भी यह मंशा नहीं था कि वह किसी मेम्बर को धमकी दें। महज लफ़्ज़ 'लाठी' से इन्टीमिडेशन आ जाता हो तो यह कोई ठीक मानें नहीं है। मैं ठीक तरह से जानता नहीं कि क्या लफ्ज इस्तेमाल किये गये हैं और न नोटिस में ही उन लफ्ज़ों को लिखा गया है, डाक्टर फरीदी साहब ने भी वह लफ्ज़ नहीं बताये........

डाक्टर ए० जे० फरीदी—मैंने कापी मांगी थी वह अब तक नहीं मिली......

श्री हुकुमसिंह विसेन—चूंकि वह लफ्ज नहीं बताये गये और न यह बाताया गया कि वे किसका कान्टेक्सट में इस्तेमाल किये गये, लिहाजा ब्रीच आफ प्रिविलेजेज पैदा नहीं होता। श्रीमान्, को पहले इस पर इत्मीनान कर लेना चाहिये कि कोई स्पेसेफिक लफ्ज़ नोटिस में नहीं बताये गये हैं। डा० फरीदी साहब कहते हैं कि कापी नहीं मिली तो क्या गलत बात पर ही हमें सजा दी जा सकती है। इसलिये मैं कहता हूँ कि जब तक यह सारे वाकयात न आवें कोई ब्रीच आफ प्रिविलेजेज का क्वेशचन पैदा नहीं होता।

श्री चेयरमैन

I have read the letter that has been sent by honourable Sri Banwari Lal. The honourable member's letter does not contain any such words to which he objects. He has said that the words which were used by the Honourable Minister were taken objection to and those words were meant to intimidate the honourable member. Before I take the question on the merits I am quite clear on the point that the rule 223 of the Rules of Procedure of our Legislative Council applies. Rule 224 does not apply at all. The honourable Sri Banwari Lal has sent me a latter saying that on 18th November, 1958, the Hon'ble Minister, Sri Charan Singh, Minister for Revenue, used certain words in the House which were objectionable and so a certain question of privilege has arisen. He has requested that this question of privilege should be considered by me.

The fact is that Sri Banwari Lal, member, while speaking made certain remarks to which objection was taken by the Hon'ble Minister, Sri Charan Singh. Thereupon Sri Banwari Lal, as well as some other members, mentioned that the words used by the Hon'ble Minister should not have been used. But the honourable member Sri Banwari Lal himself, nor any other member, during such discussion of the matter mentioned above, drew my attention that it was a question of privilege and the Chairman should take notice of it. A discussion by the honourable members and a very long discussion by Dr. Ishwari Prasad showed that the whole matter was being discussed from Parliamentary discussion point of

[श्री चेयरमैन]

view and not as a matter coming within the boundaries of a question of privilege. The Parliamentary practice in the House of Commons as well as in India is that any objectionable words spoken in view of the House should be "immediately objected to and the Chair's attention should be drawn that a breach of privilege has been committed". As the Chair's attention was not drawn in this manner saying that it was a breach of privilege my opinion is that the question cannot be raised after the proceedings of the day are over. So far as I know almost every member in this House in his speech about the Thekedari Abolition Bill referred to the words used by Sri Banwari Lal as well as the words used by the Hon'ble Minister and all the members who spoke on that date either supported or spoke against the words used by both the members.

So, it appears that the House itself did not treat either words spoken by Sri Banwari Lal or the words spoken by the Hon'ble Minister as anything beyond Parliamentary discussion. It seems therefore that the reference to yesterday's proceedings is too late. I do not wish that both the honourable Sri Banwari Lal and the Hon'ble Minister be called upon to answer any question about the breach of privilege because Sri Banwari Lal spoke first and Hon'ble Minister, Sri Charan Singh, objected to the same and therefore in my view if the question of breach of privilege is raised now at this stage in this House then it will be necessary for me to refer the question of breach of privilege to a Committee or the House against both the members. I do not think that such a procedure will in any way benefit this House and therefore I rule that the matter be dropped here at this stage.

प्रस्ताव कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिए जांय।

*श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो स्टेट्यूट्स हैं उनके संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम, जैसा कि वे सरकार द्वारा बनाये गये हैं, दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के पास भेज दिये जायें जो अपनी आख्या यथा संभव शीघ्र दे दें।

श्री चेयरमैन—यह प्रस्ताव जो आप का है वह अपूर्ण है। इसमें आप यदि चाहें तो कोई तिथि बता दें अगर दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या आप देना चाहते हैं तो अभी दे दें।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—मेम्बर्स के नाम बाद में दे दिये जायेंगे।

श्री चेयरमैन—आप ने दोनों सदनों की समिति का प्रस्ताव रखा है इसलिये दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या भी आप को बता देना चाहिये था इसलिये यह अपूर्ण है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—१६ मेम्बर्स असेम्बली के और ८ कौंसिल के हों। इस तरह से २४ मेम्बर्स हो जाते हैं और तिथि १५ दिसम्बर आख्या देने की रख दें। माननीय अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यह जो गोरखपुर विश्वविद्यालय का परिनियम है, असल में देखा जाय तो जो गोरखपुर विश्वविद्यालय का ऐक्ट है उसका जो डिटेल आया है उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ है और होना भी चाहिये, इसलिये कि गोरखपुर विश्वविद्यालय एक नया विश्वविद्यालय है। उस समय जो ऐक्ट बनाया गया था उसमें केवल रूप रेखा और सिद्धान्त, और सिद्धान्तों के आधार पर वह ऐक्ट बनाया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय संचालित करने के लिये यह आवश्यक था कि इसके सम्बन्ध

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

में डिटेल दिया जाय और परिनियम बनायें जायें। इनके सम्बन्ध में हमारे भवन के कई माननीय सदस्यों ने कुछ संशोधन भी दिये। मेरा निवेदन यह है जहां तक माननीय सदस्यों के सुझाव हैं, इसमें संदेह नहीं है कि उनमें से बहुत से बहुत उचित हैं और ठीक हैं और बहुत से मुनासिब हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि अगर इन परिनियमों और आर्डिनेन्सेज को देखा जाय तो उसमें से और भी ऐसे रह जाते हैं जिनके सम्बन्ध में कुछ सुधारों की आवश्यकता है और इस वजह से यह आवश्यक है कि इन परिनियमों को दोनों भवनों की प्रवर समिति में रखा जाय, वह इनके ऊपर अध्ययन करें। इनके सम्बन्ध में जो हमारे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है वह चैप्टर २, ३, ४, और ७ में दिये हैं और चैप्टर १२ में भी दिया है। और इसके अतिरिक्त जो चैप्टर्स रह जाते हैं जिनके अन्दर कुछ सुझावों की आवश्यकता है, वह एक तो चैप्टर ५ है वह ऐसा है कि चैप्टर के अन्दर एक कमेटी आफ़ रेफ़रेंस का निर्माण किया गया है। किसी भी विश्वविद्यालय की कमेटी आफ़ रेफ़रेंस जो होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है और वह कमेटी अगर ठीक बन गई तो विश्वविद्यालय का काम बहुत अच्छे ढंग से होता है। जहाँ तक कमेटी आफ़ रेफ़रेंस है इसके सम्बन्ध में किसी भी सदस्य ने कोई सुझाव नहीं दिया है। मेरे दिमाग़ में भी कई सुझाव आये थे लेकिन अगर उनको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा, इसीलिये मैंने उनको नहीं दिया है।

इसके साथ ही साथ इसके अन्दर जो चैप्टर्स १० से लेकर १३ तक हैं उसमें अप्वाइंटमेंट आफ़ टीचर्स की भी बात आती है। इसके सम्बन्ध में भी किसी सदस्य ने कोई सुझाव नहीं दिया है। तो यह भी चैप्टर ऐसा है जिसके अन्दर काफ़ी सुझाव और संशोधन की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ जो संशोधन परिनियमों में आये हैं उसमें भी अगर देखा जाय तो बहुत डिफ़रेंस आफ़ ओपीनियन पाई जाती है। मिसाल के तौर पर इन परिनियमों का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि यूनिवर्सिटी के कोर्ट, सीनेट का निर्माण कैसे हो। दूसरा अहम हिस्सा यह है कि यूनिवर्सिटी के अन्दर जो वोटर्स हैं, जो ग्रेजुएट कांस्टीटुएन्सी है उसके अन्दर कौन सा प्रोसीजर रखा जाय और उसके रूल्स कैसे बनाये जाय।

यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि परिनियमों के अन्दर रखा गया है और जिसके सम्बन्ध में माननीय मेम्बरों ने अपना संशोधन रखा है। जहां तक ग्रेजुएट एलक्टोरेट का सवाल है उनमें आपस में बहुत मतभेद है। बहुत से लोगों का विचार है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट्स गोरखपुर विश्वविद्यालय के एलक्टोरेट बन सकते हैं। बहुत से लोगों का विचार है कि चाहे किसी भी विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट हुये हों, लेकिन अगर वे गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत इलाके में रहते हैं तो उनको वहां के विश्वविद्यालय का मेम्बर होना चाहिये। इस प्रकार का विभिन्न सुझाव माननीय मेम्बरों ने दिया है। सही बात क्या होनी चाहिये यह मसला बहुत गौर करने के लायक है। अतः इस मसले पर डिटेल में काम होना चाहिये और इस पर उसी समय विचार हो सकता है जब इस भवन के मेम्बर जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं और उस भवन के मेम्बर जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं, वे मिलकर के बैठें और माननीय शिक्षा मन्त्री भी बैठें और उनके सामने वे अपना सुझाव दें। उस मीटिंग में कौन सुझाव अच्छा है और कौन नहीं है, उनको देखकर अच्छे सुझावों को माना जाय। परिनियम और आर्डिनेन्स ऐसे हैं कि वह आवश्यकता के मुताबिक उसी समय बनाये जा सकते हैं। एक्ट पास करने में दिक्कत होती है लेकिन परिनियम और आर्डिनेन्स किसी भी वक्त बन सकता है। बजाय इसके कि उन परिनियमों और आर्डिनेन्स के अन्दर जो बातें दी गई हैं उनके सम्बन्ध में अपना सुझाव पेश करूं, मेरा सुझाव है कि उन परिनियमों के अन्दर बहुत कुछ संशोधन और सुझाव की आवश्यकता है और यह काम तभी हो सकता है जब दोनों भवनों की एक

प्रवर समिति हो और वह प्रवर समिति माननीय शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में सुझाव दे ताकि गोरखपुर विश्वविद्यालय सुचारुरूप से चल सके।

श्री मदन मोहन—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र आज़ाद साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय एक नये प्रकार का विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश में है क्योंकि उस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पढ़ाई का काम होता है और परीक्षा का भी काम होता है जो और विद्यालयों में नहीं है, इसलिये इसके परिनियम और ऐक्ट विशेष महत्व रखते हैं। विधेयक के अन्दर बहुत सी बातें अपूर्ण छोड़ दी गई थीं और उनकी पूर्ति इन परिनियमों द्वारा होनी थी। यह परिनियम जो बनाये गये हैं करीब-करीब उसी ढंग के हैं जिस प्रकार के परिनियम दूसरे विश्वविद्यालयों के लिये बनाये गये थे।

उन परिनियमों के कारण उन विश्वविद्यालयों की कार्यविधि में कुछ विषमतायें पैदा हुईं। इन परिनियमों में उन विषमताओं का कोई ध्यान नहीं रखा गया। अगर इस प्रकार की प्रवर समिति बनेगी तो इन परिनियमों में संशोधन हो सकेगा और वे बातें रोकी जा सकेंगी जिनके कारण दूसरे विश्वविद्यालयों में दिक्कतें पैदा हुईं और सदन का समय भी बच जायगा। अगर यह कहा जाय कि इसमें देर हो जायगी तो देर से कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होगी। जो परिनियम हैं वे तो फोर्स में आ गये हैं। शुरू में ही लिखा है।

"In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 40 of the Gorakhpur University Act, 1956 (U. P. Act no. XX of 1956), the Governor is pleased to make the first Statutes of the Gorakhpur University, annexed hereto, and to direct that they shall come into force at once."

इसका मतलब मैं समझता हूँ कि ये स्टेट्यूट्स चालू हो गये हैं अगर कुछ और इनमें तब्दीली हो जायेंगी तो बाद में वे इनमें शामिल की जा सकती है। इसकी वजह से कोई काम रुकेगा नहीं। इन शब्दों के साथ में अपने मित्र के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मन्त्री जी को इस प्रस्ताव के मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री कमलापति त्रिपाठी (शिक्षा, गृह तथा सूचना मन्त्री)—मान्यवर, वैसे तो इस प्रस्ताव के स्वीकार कर लेने में कोई बड़ी आपत्ति न होती और न कोई ऐसी बड़ी भारी बात थी, लेकिन मैं समझता ऐसा हूँ कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐक्ट तो अभी बन चुका है, स्टेट्यूट्स भी जब बने वे इस सदन की टेबिल पर रख दिये गये और उनके लिये अच्छा खासा समय दिया गया और जिन आदरणीय सदस्यों को उनके सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव देने थे और जिन्हें दिलचस्पी थी, उन्होंने इस विषय में सुझाव दिये और उनके संशोधन भी इसमें आ गये हैं। यह बात सही है कि स्टेट्यूट्स किसी यूनिवर्सिटी के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जो अधिनियम होता है उससे भी वे अधिक महत्वपूर्ण इसलिये हो जाते हैं क्योंकि अधिनियम को किस तरह से चलाया जाय यह स्टेट्यूट्स पर निर्भर रहता है। एक बात और है, सौभाग्य से हमारे प्रदेश में कतिपय यूनिवर्सिटीज़ हैं। कोई ऐफ़िलिएटिंग है, कोई टीचिंग है और उसके साथ-साथ उसमें फिक्स्ड ऐफिलिएशन है। बहुत से स्टेट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ के ऐक्ट्स में मौजूद हैं। अभी हाल में गोरखपुर विश्वविद्यालय बिल पर विचार करते हुए बहुत तफसील के साथ इसके सम्बन्ध में हमने विचार किया और जो संशोधन आये हैं उनमें कतिपय ऐसे हैं जो मुझे बहुत ठीक लगते, हैं संभवतः वे स्वीकार करने योग्य हैं, लेकिन उनमें कतिपय ऐसे भी हैं जिन पर अगर विचार किया जाय तो अनुपयुक्त होंगे। मुझे भरोसा है कि जब हम अपने विचार आपके सामने रखेंगे तो आदरणीय सदस्य हमारे विचारों से सहमत होंगे। कोई ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इससे अच्छा खासा विलम्ब हो जायगा। लोअर हाउस मीट करे, यहां के मेम्बर भी आयें वहां के मेम्बर भी आयें, फिर इस पर बहस हो, यह इतना

उलझा हुआ, इतनी परेशानी वाला विषय नहीं है। इसमें काफी समय लग जायगा। मैं अपने मित्र से और आदरणीय मदन मोहन जी से प्रार्थना करूँगा कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लें ताकि शीघ्र ही जितने लोगों को दिलचस्पी है इसमें वे अपने विचार व्यक्त कर सकें। इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूँ।

*डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बार इस सदन में यह कहा था कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी ऐक्ट को पास हुये बहुत समय हो गया है लेकिन अभी तक उस के अन्तर्गत परिनियम नहीं बनाये गये हैं और परिनियमों के न होने के कारण वहां पर कार्य संचालन में बड़ी भारी बाधा हो रही है। मुझे बड़ा ही हर्ष है कि वे परिनियम बन गये हैं और अब हम को उन पर बहस करने का मौका भी मिल गया है। आप को यह तो मालूम है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी को बने हुये दो वर्ष हो गये हैं और अभी तक उस का काम वाइस चान्सलर द्वारा ही चल रहा है। वहाँ पर वाइस चान्सलर की सहायता के लिये एक एड हाक कमेटी बना दी गयी है जो कि काम कर रही है। लेकिन अभी तक वहाँ पर न तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल बनी है और न ही वहाँ पर सीनेट स्थापित हुई है जिस से काम में बड़ी कठिनाई पैदा हो रही है। हमारे माननीय मन्त्री जी ने इस बात की पूर्ण चेष्टा की है कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं उन के परिनियमों में एक प्रकार की समकक्षता आ जाय और उसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने ये परिनियम भी बनाये हैं। बहुत से परिनियम तो ऐसे हैं जो कि इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों के परिनियमों की तरह हैं और उन में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने की आवश्यकता है। यह भी सही है जैसा कि आजाद जी ने कहा कि बहुत से ऐसे परिनियम हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। परन्तु मैं समझता हूँ कि ऐसे परिनियम अधिक नहीं हैं जिन में विचार करने की आवश्यकता हो। बहुत से परिनियम तो ऐसे हैं जिन को हम बिना बहस के ही स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी परिनियम हैं जैसा कि एकाउन्टस आफिसर के सम्बन्ध में है। वह परिनियम मेरा विचार है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के परिनियमों में से लिया गया है। लेकिन आप को पता होगा कि इलाहाबाद में एक विशेष प्रकार का एकाउन्ट्स आफिसर है। मेरा अपना विचार यह है कि इस प्रकार का एकाउन्टस आफिसर गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये उपयुक्त नहीं होगा। इसी तरह से आनरेरी डिग्रीज का परिनियम है। वह भी इलाहाबाद की तरह रखा गया है लेकिन वह संतोषजनक नहीं है और इस में संशोधन लाने की आवश्यकता है। इस लिये आज़ाद जी का कहना ठीक है कि बहुत से परिनियम ऐसे हैं जिन में संशोधन करने आवश्यक हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे परिनियम अधिक नहीं हैं जिन में महत्वपूर्ण संशोधन करने की आवश्यकता हो। जो परिनियम हमारे सामने हैं वे ऐसे हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं। जो परिनियम उपयुक्त नहीं हैं, उचित नहीं हैं और जिन में शाब्दिक संशोधन करने की आवश्यकता है, उन्हें हम यहाँ पर बतला सकते हैं। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे। जहां पर कोई कठिनाई होगी, वे संशोधन करने में हमारे साथ होंगे। मैं माननीय मन्त्री जी की बात को स्वीकार करता हूँ कि अगर परिनियमों को डिसकस कर लिया जाय तो ठीक है। यूनिवर्सिटी को स्थापित हुये आज दो वर्ष हो गये हैं। अगर ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में ये परिनियम भेजे जायेंगे तो पहले यह प्रस्ताव लोअर हाउस में जायेगा और फिर ज्वाइन्ट सलेक्ट में जायेंगे जहाँ इन पर बहस होगी। इस तरह से काफी समय लगेगा। वहाँ पर प्रोफेसर और असिस्टेन्ट प्रोफेसरों की नियुक्तियाँ हो रहीं हैं और इस काम को वहाँ पर वाइस चान्सलर एड हाक कमेटी की सलाह से कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इन परिनियमों को हमें शीघ्र से शीघ्र स्वीकार कर देना चाहिए ताकि

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[डाक्टर इश्वरी प्रसाद]

यूनिवर्सिटी का काम सुचारुरूप से चल सके। मैं माननीय मन्त्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। अगर मंत्री जी इस बात को मुनासिब समझें तो ऐसा कर सकते हैं कि आज इसको न कर के अगर हम लोगों के साथ परामर्श कर लें, इनफार्मेली, तो ज्यादा उचित होगा। हम अपनी बात को आपके सामने रख देंगे कि इसमें क्या-क्या कठिनाइयाँ पेश हो सकती हैं, और प्रताप चन्द्रजी और मदन मोहन जी भी अपने सुझाव रख सकते हैं, और मन्त्रीजी उन पर फिर से विचार कर लें। मैं समझता हूँ कि आप हम लोगों को एक घंटे का समय दे दीजिये ताकि हम आपके सामने अपने सुझावों को रख सकें। लोअर हाउस की जहाँतक बात है तो वहां पर जो सज्जन हैं वे इससे अनभिज्ञ हैं, साधारण विषयों में तो वे अपनी राय दे सकते हैं लेकिन शिक्षा के विषय में उनको इतनी जानकारी नहीं है।

श्री चेयरमैन--माननीय सदस्य का ऐसा कहना उचित न होगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--यहां पर शिक्षा के विशेषज्ञ बैठे हुये हैं।

श्री चेयरमैन--यह तो सही है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लेकिन यह बात कहना कि लोअर हाउस के सदस्यों को इस विषय का ज्ञान नहीं है, यह डेरोगेटरी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्रीमन्, डाक्टर साहब के जो शिक्षा मंत्री हैं वे भी लोअर हाउस के ही सदस्य हैं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--यह भी विशेषता है कि शिक्षा मन्त्री जी ने यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं पायी है। मैं समझता हूँ कि प्रताप चन्द्र जी और मदन मोहन जी दोनों सज्जन मेरी इस बात को स्वीकार कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि उसके बाद उनको यहाँ पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री एम० जे० मकर्जी (नाम निर्देशित)--अध्यक्ष महोदय, इस वक्त तो अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। डाक्टर साहब ने जैसा समझाया है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी को स्थापित हुये दो वर्ष के करीब हो गये हैं लेकिन अभीतक उसका काम ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जितनी ही जल्दी हम उनको सुविधायें दें, उतना ही अच्छा होगा। जो कुछ भी शिकायतें डाक्टर साहब ने या अन्य दोस्तों ने की है, जिसकी वजह से वे चाहते हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये, वह तो जरूर है लेकिन वह इतनी आवश्यक नहीं है कि हम उनके लिये इस प्रकार की एक सेलेक्ट बनावें। जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है और अन्य सज्जनों ने भी कहा है कि जो कुछ भी यहाँ पर कहा जायेगा उस को शिक्षा मन्त्री जी सुनेंगे और यदि मान्य होंगी तो उन सब को वह यहाँ पर लाने की कोशिश भी करेंगे। फिर जिस तरह से डाक्टर साहब ने भी कहा है कि कुछ सज्जनों को ले करके शिक्षा मंत्री जी उन शिकायतों को सुन लें और इनफार्मेली उन पर डिसकशन हो जाय, तो यह भी एक अच्छी सलाह डाक्टर साहब की ओर से आयी है। लिहाजा मेरी राय यह है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में न भेजा जाय, बल्कि हम यहीं हर बहस मुबाहिसा करके इसको पास कर लें।

* **श्री गुरू नारायण कुंवर** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे मित्र आज़ाद जी ने रखा है मैं उसका विरोध करताहूँ। मैं यह नहीं समझा कि आप इसके लिये सेलेक्ट कमेटी क्यों बनाना चाहते हैं। तात्पर्य तो यह है कि अगर इन-फार्मली डिसकशन इस पर हो जाय तो ज्यादा उचित होगा। सभी लोग मिल करके शिक्षा मन्त्री जी से बातचीत कर लें और अपने सुझाव उनके समक्ष प्रस्तुत करें और मैं समझता हूँ कि हाउस में ही उन सब बातों पर गौर किया जा सकता है। स्टेट्यूट्स के सम्बन्ध में जो और मित्रों ने भी अपने-अपने सुझाव दिये हैं या आगे जो भी सुझाव सदन के समक्ष

आयेंगे उन पर सदन में ही विचार किया जा सकता है। अगर सेलेक्ट कमेटी में इसको भेजेंगे तो मैं समझता हूँ कि सेलेक्ट कमेटी से जो रिपोर्ट आवेगी वह फिर इस सदन में आयेगी और फिर उस पर डिस्कशन होगा, इसलिये यह ज्यादा उचित होगा कि जो संशोधन इसमें आये हैं, उन पर यहीं विचार कर लिया जाय।

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, कुंवर साहब ने अभी सदन के सामने आजाद साहब के संशोधन का विरोध किया है। उन्होंने यह दलील पेश की है कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी सदन के सामने आएगी, तो यह कोई नयी बात नहीं है, एक चीज जो सेलेक्ट कमेटी के सामने जाती है वह फिर सदन के सामने तो आती ही है, तो फिर ऐसी जल्दी क्यों कर रहे हैं कि इसको अभी ही पास कर लिया जाय।

मैंने भी स्टेट्यूट के कुछ हिस्सों को देखा है। एक तो उनकी भाषा भी बड़ी क्लिष्ट है। मैं कुंवर साहब को बता दूं, जो कि अंग्रेजी के मास्टर हैं, कि बाज बाज जगह में ऐसे शब्द दिये हुये हैं जिनका मतलब ही समझ में नहीं आता है अथवा उन शब्दों से वाक्य के कई मतलब निकाले जा सकते हैं।

श्रीमान्, मंत्री जी अंग्रेजी में तो लिखवा देते हैं, लेकिन कोई होशियार आदमी से नहीं लिखवाते हैं। इसके पेज ६ में लिखा हुआ है......

"no relation of any member of the Executive Council or any Officer of the University shall be eligible for appointment.

रिलेशन तो बहुत से हो सकते हैं, किसी खास रिलेशन के बारे में नही लिखा है।

एक आवाज़—रिलेशन के बारे में तो नीचे लिखा हुआ है।

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—मैं क्षमा चाहता हूँ इसमें आगे लिखा हुआ है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—क्षमा करने की बात तो अलग रही, मैं तो कहता हूँ कि आप को सारी चीजें पढ़ने से ताल्लुक ही नहीं रहता है

(कुछ सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

श्री चेयरमैन—Order! Order

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—श्रीमान्, यह परिनियम बहुत लम्बे चौड़े हैं। कानून हमेशा ऐसा होना चाहिए जो छोटा हो। आप पेज ६ को देखिये। इसमें लिखा हुआ है :—

"A registered Graduate whose name has been borne on the Register for one year or more on the 30th day of June immediately proceeding the date of notification for the election shall be entitled at the election.

इसका नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा, यह साफ होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि इस में कुछ कमी है, इसलिये इस मामले को सेलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिये। मिनिस्टर साहब वहाँ से इसको जल्दी ही तय करा सकते हैं। मै परिनियमों को किसी तरह से विरोध नहीं करता हूँ, वे बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि इस को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाये जिससे इनमें आवश्यक सुधार हो जावे वहाँ पर जो अच्छे-अच्छे प्रोफेसर हैं उनकी राय से तथा मिनिस्टर साहब की राय से सब मामले तय कर लिये जायें। आगरा यूनिवर्सिटी के परिनियमों को भी मैंने देखा है, उस में रोज अमेन्डमेन्ट होते हैं। जिस वक्त वे बनाये गये थे तो न तो वहाँ की सिनेट से पूछा गया था और न एक्जीक्यूटिव कौंसिल से ही पूछा गया था। मैं समझता हूँ कि यही हाल यहां पर भी होगा। मिनिस्टर साहब को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये और इसको ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिये। अगर ऐसा किया जायेगा तो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी होगी और काम ठीक तरह से हो सकेगा।

श्री वीरेन्द्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, दो विचार धारायें इसके सम्बन्ध में प्रकट की गई। एक तो यह कि इन स्टेट्यूट्स को ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय और दूसरी विचारधारा यह है कि इन पर आज ही विचार

श्री वीरेन्द्र स्वरूप

हो जाय और जो संशोधन या सुझाव इस सम्बन्ध में प्रकट किये जायें, उन पर आज ही फैसला कर लिया जाय। मेरे विचार में इसे ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके पहले मैंने आगरा यूनीवर्सिटी के स्टेट्यूट्स भी पढ़े हैं और मैं समझता हूँ तथा दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो ड्राफ्ट स्टेट्यूट्स आगरा यूनीवार्सिटी के बने, उनसे कहीं इम्प्रूव्ड तरीके से गोरखपुर यूनीवर्सिटी के स्टेट्यूट्स बने हैं। लेकिन इस के बावजूद भी इसमें कमियाँ हैं जिनकी ओर सरकार के प्रति ध्यान दिलाने की आवश्यकता है। यहाँ बहस के दौरान में ही, जैसा कि हमारे मित्र डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने कहा कि इन्फारमल अमेंडमेंट्स स्वीकार किया जा सकते हैं, तो यदि इस बात को स्वीकार कर लिया जाय, तो मेरी राय यही है, कि इसको तब ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में जो भी संशोधन यहाँ बहस के दौरान में किये जायें, उन्हीं को स्वीकार कर लिया जाय तो अच्छा है।

श्री मदन मोहन लाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में यह अर्ज करना है कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेजने या न भेजने की बात पर यहाँ काफी बहस हो चुकी है, इसलिये अब इस बहस को समाप्त किया जाय।

श्री हृदय नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को करने के पक्ष व विपक्ष में जो बातें यहाँ कहीं गई तो उनके सम्बन्ध में मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि किसी भी यूनीवर्सिटी के स्टेट्यूट्स के लिये यहाँ पर ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी नहीं बनी। इतने दिनों का जो लेजिस्लेचर का इतिहास है, उसमें इस काम के लिये कोई भी ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी नहीं बनाई गई। दूसरी बात यह है कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में रिफेर करने से बहुत विम्लब हो जाता है। अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय का यह दूसरा वर्ष चल रहा है। वहाँ पर सब काम एडहाक कमेटी ही चला रही है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल का काम भी एडहाक कमेटी ही कर रही है। अगर हम इसे ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को रिफेर करते हैं, तो इसमें काफी विलम्ब हो जायेगा। इसे वहाँ भेजने के पक्ष में यह बात कही जा सकती है कि वहाँ पर बहुत सी कमियों के ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब माननीय मंत्री जी और सरकार हमारी बातों को यहाँ पर सुनने के लिये तैयार हैं और उनको मानने के लिये भी तैयार हैं, तो फिर इसे ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में रिफेर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात और है जिसको मैं आप से खुलासा जानना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर संशोधन के लिये कोई प्रस्ताव हो, यदि पूर्णतया माननीय मंत्री जी उसको स्वीकार करने के लिये तैयार न हों और उसमें से आधा ही मानने के लिये तैयार हों और उस आधे के लिये संशोधन का कोई प्रस्ताव पहले से नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। ऐसी स्थिति में यदि संशोधन नहीं लिया जाता, तब तो मैं इस विचार का हूँ कि इसे ज्वाइन्ट सेलेक्टकमेटी में भेज दिया जाय। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हमारे इस तरह के संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाता है, तब तो मैं समझता हूँ कि इसे ज्वाइन्टसेलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यता नहीं है।

श्री चेयरमैन—मैं हृदय नारायण सिंह जी को बतलाना चाहता हूँ कि अगर कोई संशोधन पर संशोधन होगा तो मैं उस के लिये बिना पूर्व सूचना के प्रस्तुत किये जाने की इजाजत दे दूँगा। जिस वक्त किसी संशोधन पर बहस होगी और यह सवाल होगा कि कोई और संशोधन पेश किया जाय, तो मैं उस वक्त सदन की अनुमति के लिये उसको रखूंगा कि वह लिया जाय या न लिया जाय।

श्री हृदय नारायण सिंह—तब मैं निश्चित रूप से इस राय का हूँ कि इसे ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में रिफेर करने की कोई जरूरत नहीं है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, आगरा यूनीवर्सिटी विधेयक के सम्बन्ध में आप ने मुझे अनुमति दी थी और तब मैंने संशोधन मूव किया था जो कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया था।

श्री हरि कृष्ण अवस्थी—श्रीमन्, मैं समझता हूं कि एक तरफ हमको थोड़ी सी शिकायत और असंतोष यह है कि सेलेक्शन कमेटियाँ नहीं बन सकीं, एडहाक कमेटी अप्वाइन्टमेन्ट कर रही है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, और देर लगा दी जाय। मैं समझता हूं कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं है और अगर कोई परिवर्तन संशोधन की आवश्यकता महसूस होगी तो आठ-नौ महीने के बाद यूनीवर्सिटी को खुद अधिकार होगा, वह बदल लेंगे और इस समय जनरल विवाद इस पर हमें जो कुछ करना है वह कर लें और उसको जल्द से जल्द यूनीवर्सिटी भेज दें जिससे शीघ्रातिशीघ्र वहां का कार्य चलने लगे।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के भाषण और मेम्बरों के भाषण के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि सदस्यों की भी यही राय है कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में न भेज कर इसे जल्दी कर दिया जाय तो अच्छा है।

शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि वह अलग-अलग सुनने को तैयार हैं और जो उपयुक्त सुधार होंगे उन्हें मान लेंगे। तो बेहतर यही है कि यहीं बहस हो जाय।

श्री चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह प्रस्ताव वापस ले लिया जाय।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस हुआ।)

सदन का कार्यक्रम

श्री चेयरमैन—श्री मदन मोहन जी ने कुछ अमेन्डमेन्ट्स मेरे पास भेजे हैं जो कि आज ही १० बजकर २५ मिनट पर यहां आये हैं। मंत्री जी के भी पास नकल दे दी गई है। माननीय मंत्री जी को यदि कोई उज्र हो तो कहें।

श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़—मैं यह जानना चाहूंगा कि यदि कोई संशोधन यहाँ पास हो गया तो फिर असेम्बली में जायगा या नहीं। यदि जायगा तो फिर भी देर लगेगी।

श्री चेयरमैन—नियम यह है कि जो यहां संशोधन पास होगा उसका मेसेज असेम्बली के पास भेज दिया जायगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—तरीका यह है कि आपके यहां पहले डिसकशन हो रहा है इसलिए असेम्बली में जायगा और उसके बाद लोअर हाउस में भी अमेन्डमेन्ट होगा, तो फिर वापस आयेगा। सेलेक्ट कमेटी होने के बाद भी उस प्रोसीजर में कोई रुकावट थोड़े ही पड़ती है। अगर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई और उसके बाद आपने अमेन्डमेन्ट कर दिया तो फिर जायेगा। यह आवागमन तो यहाँ लगा ही हुआ है, इससे कोई मुक्ति नहीं है।

श्री मदन मोहन जी के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह मुझे अभी मिले हैं, ९ बजे। और मैंने इनको देखा भी नहीं है जिस तरह से अमेन्डमेंट दिये हुये हैं, कहीं किसी का रिफरेन्स है, कहीं किसी का कि फलाँ क्लाज की फलां लाइन को डिलीट कर दिया जाय, फलाँ क्लाज में फलाँ लाइन रख दी जाय।

मुनासिब तो यह होता कि टाइम से यह अमेन्डमेन्ट आये होते। परिनियम तो बहुत पहले रख दिया गया था, १४ दिन तक रखा रहा।

श्री प्रताप चन्द आजाद—१४ दिन तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१४ दिन या १० दिन।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी एक घंटे का टाइम हाउस में मीट करने का हमको मिलेगा। इसमें जो सज्जन बात करना चाहें कर लें। मैं जो स्वीकार कर सकूँगा, कर लूँगा।

डाक्टर प्यारे लाल श्रीवास्तव (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)

Sir, may I enquire one thing? Would it be possible for the Minister for Education to give inofrmal time to some of us to discuss this outside the House and save sometime of this House. This afternoon may be devoted to informal discussion, Sir, and to-morrow it may be taken up formally here in the House.

श्री चेयरमैन—चूँकि सदस्यों की राय है कि कुछ अनौपचारिक बातचीत कर लें, इसलिए यदि सदन की अनुमति हो तो मैं ३ बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दूँ और २ घंटे का समय दे दूँ।

श्री वीरेन्द्र स्वरूप—

अध्यक्ष महोदय, इनफारमल डिसकशन हो जाय। कल फारमल हो जाएगा।

डाक्टर प्यारेलाल श्रीवास्तव

It may be taken up to-morrow formally in this House. This afternoon we may devote for informal discussion.

श्री चेयरमैन—कल का समय नहीं मिल सकता क्योंकि कल नान-आफिशियल डे है। परसों २१ तारीख को रख सकते हैं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—परसों आगरा यूनीवर्सिटी की मीटिंग है और कनवोकेशन है, वहां कुछ लोगों को जाना है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा हो सकता है कि कल का नान-आफिशियल डे किसी और दिन ले लिया जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अगर हाउस एग्री करे तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री चेयरमैन—बात ऐसी है कि कल सिंचाई मंत्री जी ने मुझ से यह कहा था कि वह नहीं आ सकते इसलिये उनके विषय के लिये २१ तारीख रख ली गई। अब २१ तारीख का समय नहीं दिया जा सकता।

आप आज ही ३ बजे या ४ बजे आरम्भ कर दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरी यह प्रार्थना है कि कल इस को ले लिया जाय और असरकारी दिवस किसी दूसरे दिन दे दिया जाय। सब सदस्यों की अनुमति हो तो ऐसा हो सकता है, आपकी आज्ञा से ऐसा हो सकता है।

श्री चेयरमैन—यदि सदस्यों की आम राय हो तो मैं कल असरकारी दिवस स्थगित कर सकता हूं और इसको लिया जा सकता है

श्री वीरेन्द्र स्वरूप—मेरा यह प्रस्ताव है कि कल असरकारी दिवस स्थगित कर दिया जाय और इसको ले लिया जाय।

श्री पीताम्बर दास—मैं यह सुझाव दूंगा कि असरकारी दिवस २४ को रखा जाय और फिर उसके बाद कारपोरेशन बिल लिया जाय।

श्री चेयरमैन—असरकारी दिवस कौन से दिन दिया जाय इसके ऊपर मैं अभी निर्णय नहीं कर सकता हूँ। पहले मुझे कार्य क्रम को देखना होगा। इस पर कल निर्णय किया जायगा कि कौन सा असरकारी दिवस होगा। मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ कि कल इसको लिया जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसको आपकी आज्ञा से २,३ घन्टे में आज निश्चय कर लिया जायगा और इस पर जो बहस होनी होगी, हो जायेगी। इसलिये कल को यह जल्दी ही निपटा दिया जायगा।

श्री हृदय नारायण सिंह—मेरे कई संशोधन हैं। मैं समझता था कि इस पर कल और आज बहस हो जायगी, इसलिये मैंने कल एक साहब को समय दे दिया था। वहां एक फंक्शन है और मुझे उसमें जाना है।

श्री चेयरमैन—मैं आपको इजाजत देता हूँ, आप जा सकते हैं। आपके जो संशोधन हैं उसके लिये किसी दूसरे को अधिकार दे दीजिये, मैं अनुमति दे दूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं यह समझता हूँ कि जब हम आज हाउस का समय लेंगे तो फिर कोई बात बाकी न रह जायगी। आज आप जिस बात को प्रेस करेंगे उसको फिर कल न प्रेस किया जायगा। जो बात आज हम आपकी मान लेंगे उसको कल न पेश किया जायगा।

श्री चेयरमैन—अब हम उठते हैं और कल ११ बजे तक के लिये यह सदन स्थगित किया जाता है।

सदन की बैठक १ बजे कर ५ मिनट पर दिनांक २०-११.१९५८ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

लखनऊ :
दिनांक कार्तिक २८, शक संवत् १८८०
(१९ नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

परमात्मा शरण पचौरी
सचिव
विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर पृष्ठ १४३ पर)

List of Gazetted posts along with their qualifications and grades of pay as on 1-9-1958.

1.	Town and Village Planner Grade : 750-50-1500—1 Post.	A qualified engineer or twon planner with minimum total experience of 15 years and at least 10 years in town planning.
2.	Architect Planner Grade : 500-50-1000 EB-50-1200-1 Post.	A degree in architecture or Associate of Royal Institute of British Architects or Associate of Indian Institute of Architects and a degree or diploma in town Planning from a foreign University with a minimum practical experience of 3 years after obtaining above qualifications.
3.	Senior Architect Grade : 500-50-1000 EB-50-1200-1 Post (lying vacant).	Associate of Royal Institute of British or Indian Architects or Masters Degree in Architecture with a minimum experience of 5 years.
4.	Executive Engineer (Town Planning) Grade : 500-50-1000-EB-50-1200-2 Posts.	Diploma in Town Planning from any one of the recognised institutions or corporate membership of the Town Planning Institute of England with at least one years practical experience on housing and town planning schemes or ten years practical experience in design and layout of Town Planning Schemes.
5.	Assistant Engineer (T. P.) Grade : 250-25-300-EB-30-700-EB-50-850 with a starting salary of Rs. 300/- p. m.-2 Posts.	Associate membership of Institute of Town Planners (India) or Diploma in Town Planning from Kharagpur or equivalent.
6.	Assistant Engineer (Architecture) Grade: 250-25-300-EB-30-700 EB-50-850 with a starting salary of Rs. 300/- p. .m -2 Posts.	Five years diploma from Bombay School of Arts or Intermediate in Architecture from Delhi Polytechnic or equivalent with a minimum experience of 3 years.
7.	Assistant Engineer (Technical) Grade : 250-25-300-EB-30-700-EB-50-850 with a starting salary of Rs. 300/-p. m. -1 Post.	One of the following qualifications (a) Diploma in Civil Engineering from Thomason College of Civil Engineering Roorkee University-Roorkee. (b) Degree in Civil Engineering from Roorkee. (c) An engineering degree from any one of the recognised universitties. (d) Associate membership of Institution of Engineers (India). (e) Passed Sections A and B of the Associate membership of the Institute of Civil Engineerng London).

(f) *Have* passed the Associateship examination of the City and Guides Institute (Imperi College of Science and technology South Kensington) in Civil Engineering.

And must have atleast one years experience in structural design, estimating, preparing bills of quantities and supervision of building works.

8. Assistant Engineer (Economic and Social Surveys) Grade : 250--25-300-EB 30-700-EB -50-850 with a starting salary of Rs. 300/- p. m. 1 Post,	M. A. in Statistics or Economics with additional qualifications in Sociology with a three years practical experience in Statistical Research or Social Surveys. Research work carried on on the Social and Economic conditions of cities and villages will be an additional qualification for the post.

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ५० का उत्तर पृष्ठ १४३ पर)

List of non-gazetted posts together with their grades of pay and qualifications as on 1-9-58

No.	Description of post.	No. of posts.	Scale of pay.	Qualifications.
1.	Statistical Assistant	3	200-10-250	M. A. in Eco. with Statistics as a special paper. Experience in housing and other surveys.
2.	Survey Assistant	6	120-6-210-10-250 with EB at 162-210.	Passed the examination conducting by Ad. Hoc Board of Engineering Education. University of Roorkee. 2 Graduate in Economics or Statistics.
3.	Overseer	1	,,	Must have overseers diploma recognised by All India Technical Education Board for the overseers.
4.	Computor	I	120-8-200-EB-10-300	Same as above with the diploma recognised for Computors.
5	H. Draftsman	6	150-10-250	Must have passed 5 years draftsman's course from Govt. School of Arts & Crafts or any other equivalant qualifications.
6.	Draftsman	5	80-5-90-EB-5-120	Must have obtained draftsman certificate granted dy Roorkee University or equivalent.
7.	Tracer	2	50-2-60-EB-80	High School with drawing, with a practical experience of 2 years.
8.	Photographer	I	200-10-300	Qualifications similar to those approved by the Information Deptt.

9.	Blue-Printer	1	50-2-60-EB-2-80	Passed High School examination with science and a minimum practical experience of one year.
10	Head Clerk	1	100-8-140-10-170	M. A. in Lit. and experience in office work.
11.	Senior Clerk	3	80-5-100-6-130	Graduate of a recognised University.
12.	L. D. Assistant	1	60-3-90-4-110	Passed Intermediate Examination.
13.	Jr. Clerk	1	,,	,,
14.	Typist	2	,,	Passed Intermediate Examination with experience in typing
15.	Stenographer	2	75-4-95 EB-5-150	Graduate with knowledge of typing and shorthand.
16.	Daftari	1	31-1-37	Able to read & write and have knowledge of Book-binding.
17.	B. Printer	1	,,	2 Years experience of ferro printing work in some recognised Govt. Office. Knowledge of English & Hindi essential.
18	Peons Orderly	11	27-½-32	Able to read and write Hindi.

नत्थी (ग)

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पृष्ठ १५२ पर।

	जिला	तहसील	राजकीय चिकित्सालय		योग
			आयु०	यूनानी	
१.	झांसी	१ सदर झांसी	१		
		२ महरानी	१		
		३ ललित पुर	२		
		४ मेरानी पुर	४		
		५ मौठ	२		
		६ गरोथा	१		११
२.	जालौन	१ जालौन	३		
		२ उरई	४		
		३ काल्पी	१	२	
		४ कौच	०		१०
३.	बांदा	१ बांदा	२	१	
		२ ववेरू	२		
		३ नरेनी	२		
		४ करवी	१		
		५ मऊ	१		९
४.	हमीरपुर	१ हमीरपुर	२		
		२ राठ	३		
		३ महोबा	२	१	
		४ वरखारी	३		
		५ मौदहा	२	१	१४
५.	इलाहाबाद	१ बैल	१	१	
		२ सौरो		१	
		३ फूलपुर	२		
		४ मेजा	१		
		५ करछना	१		
		६ हन्डिया	२		९
६.	कानपुर	१ डेरा पुर	१	१	
		२ कान पुर	१		
		३ अकबर पुर	२	१	
		४ घातम पुर	१		
		५ पोखरवा	१		
		६ विल्हौर	२		१०
७.	फतेहपुर	१ खुजहा	३	१	
		२ फतेहपुर	३	७	

(२)

जिला	तहसील	राजकीय चिकित्सालय		योग
		आयु०	यूनानी	
८. इटावा	१ इटावा	३	१	
	२ बिधाना	३		
	३ औरैया	१		
	४ मरयून	०	०	८
९. फर्रुखाबाद	१ फर्रुखाबाद		२	
	२ कायमगंज	२		
	३ छिबरामऊ	३		
	४ कन्नौज	२	१	१०

पी० एस० यू० पी०—८८ एल० सी०—१९५९—८३५

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

गुरुवार २९, कार्तिक शक संवत् १८८०
(२० नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक, कौंसिल हाल विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (८१)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुर रऊफ, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अब्दुस्सलाम शाह, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
इशहाक सम्भली, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
ए० जे० फ़रीदी, डाक्टर
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुद्सिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल), श्रीमती
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केशव दत्त, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
कृष्णदेव प्रसाद गौड़, श्री
गिरधारी लाल, श्री
चन्द्र मोहन सुखिया, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री
जगदीश प्रसाद द्विवेदी, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जय बहादुर सिंह, श्री
ज्योति प्रसाद उपाध्याय, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नवल किशोर गुरुदेव, श्री
नवाब सिंह, श्री
निजामुद्दीन, श्री
नौरंग सिंह, श्री
पीताम्बर दास, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
पृथ्वी नाथ, श्र
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बनवारी लाल, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
मदन मोहन, श्री

मदन मोहन लाल, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रमती
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम गुलाम, श्री
रामधारी पान्डे, श्री,
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नाथ, श्री
राम नारायण पाण्डे, श्री
राम लखन, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लक्ष्मी नारायण दीक्षित, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर राव, श्री
शकुन्तला श्रीवास्तव, श्रीमती
शफीक अहमद खां श्री
श्याम बिहारी विरागी, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिव नारायण, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शुगन चन्द्र, श्री
सक्टू मल, श्री
सरदार बलवन्त सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरि कृष्ण अवस्थी, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री

निम्नलिखित मन्त्री, व उपमन्त्री, जो कि विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे—

श्री हुकुम सिंह विसेन (स्वास्थ्य, विद्युत, सहायता व पुनर्वास मन्त्री)।
श्री मोहन लाल गौतम (कृषि तथा सहकारी मन्त्री)।
श्री जगमोहन सिंह नेगी (बृहत् उद्योग उप मन्त्री)।
श्री कमलापति त्रिपाठी (गृह, शिक्षा व सूचना मन्त्री)।
श्री बल्देव सिंह आर्य न्याय उप मन्त्री

———

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१--२--(स्थगित)।

जिला अलीगढ़ में भवन आवंटन समिति

*३--श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में भवन आवंटन समिति का निर्माण हुआ है ?

(क) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी (खाद्य व रसद राज्य मंत्री)- जी हां !

(क) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) अलीगढ़ भवन आवंटन समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :--

अध्यक्ष--जिलाधीश, अलीगढ़।

(१) चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड।

(२) प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल, अलीगढ़।

(३) श्री सुरेन्द्र कुमार साकेत।

(४) श्री ए० जे० वाई० ख्वाजा, एम० जी०।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस कमेटी का निर्माण कब हुआ था ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी--यों तो यह कमेटियां पहले पहल सन् ४६ में बनी थीं लेकिन फिर सन् ५८ में बनायी गयी हैं और दो आदमियों के बजाय इसमें तीन आदमी रक्खे गये हैं। यह दो आदमी के बजाय तीन आदमी पहले सन् ५३ में रखे गये थे और फिर उसी के मुताबिक सन् ५८ में भी तीन आदमी रखे गये हैं।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस कमेटी के निर्माण का क्या तरीका है ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी--मैंने आप से अर्ज कर दिया है कि इसके लिये सरकार ने जो पहले नियम बनाये थे, वे सन् ४६ में बनाये थे, जिनके अनुसार ही इन कमेटियों का निर्माण किया जाता है। जो तरीका उस समय रखा गया था, करीब करीब वही अब भी है, सिर्फ दो के बजाय अब तीन आदमी रखे गये हैं।

श्रीमती सावित्री श्याम (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इसके मेम्बरों की मेम्बरशिप की क्या अवधि होती है ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी--सम्भवतः इनका टर्म दो साल का होता है। अगर माननीय सदस्या ठीक समय जानना चाहें, तो इसका नोटिस दें।

मऊनाथभंजन का पुल

*४—श्री पीताम्बर दास—(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) क्या मऊनाथ भंजन (जिला आजमगढ़) में टोंस नदी का जो पुल है, वह टूट गया है ?

श्री कुंवर महावीर सिंह (सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री)—जी हां।

*५—श्री पीताम्बर दास—क्या सरकार उसी स्थान पर नया पुल बनाने का निर्णय कर चुकी है ?

श्री कुँवर महावीर सिंह—जी नहीं। नया पुल रेलवे पुल से १४०० फीट डाउन स्ट्रीम स्थान पर बनाया जायेगा।

श्री पीताम्बर दास—यह पुल उसी स्थान पर क्यों नहीं बनाया जा सकता है ?

श्री कुंवर महावीर सिंह—कन्सट्रक्सन के लिहाज से और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की आज्ञानुसार यह पुल वहां पर नहीं बनाया जा सकता है।

श्री पीताम्बर दास—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पुराने स्थान में पुल बनाने में और नये स्थान पर पुल बनाने की लागत में कितना अन्तर है ?

श्री कुंवर महावीर सिंह—यह पुल ३००, ४०० वर्ष पुराना था, इस लिये उस के कागजात तो मौजूद हैं नहीं, अतः यह बतलाना मुश्किल है।

श्री पीताम्बर दास—मेरा मतलब यह था कि अगर यह पुल उसी पुराने स्थान पर बनाया जाता और जो उसकी लागत आती तथा स्थान बदलने से जो लागत अब आयेगी, उसका आप अन्तर बतला सकते हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—(स्वास्थ्य, विद्युत, सहायता व पुनर्वास मंत्री) अमूमन जो पुरानी जगह होती है, उस पर नया पुल नहीं बनाया जाता है, क्योंकि पिलर्स को सिंक करने में ज्यादा कास्ट पड़ती है, इस लिये पुराने स्थान पर ही नया पुल नहीं बनाया जा सकता।

*६—श्री पीताम्बर दास—यदि किसी अन्य स्थान पर बनाना निश्चित हुआ है तो उसके बनाने तथा उसके इधर-उधर नई सड़क निर्माण करने में कितने खर्चे की मंजूरी हुई है ?

श्री कुंवर महावीर सिंह—पुल तथा ऐप्रोच रोड्स के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा १२, ४८, ८०० रु० की लागत का आगणन स्वीकृत किया जा चुका है।

*७—११—(हस्तान्तरित)।

आटा की मिलों का स्टाक

*१२—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी आटे की मिलों का स्टाक सरकार द्वारा अब (१-६-५८) तक चेक (check) हुआ है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—राज्य सरकार ने १-६-१६५८ तक पाँच आटे की मिलों का गेहूँ का स्टाक चैक किया है।

*१३—श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—(१) (क) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त स्टाक मिलों के पास रहा या सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया ?

(ख) यदि जब्त कर लिया गया, तो उसकी कुल तादाद कितनी है ?

(२) क्या सरकार उन मिलों की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिनका स्टाक १-६-५८ तक जब्त किया गया है ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी—

(क) एसेन्शल कमोडिटीज़ ऐक्ट (Essential Commodities Act), की धारा ३ (२) (एक) के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मिलों को यह आदेश दिया गया कि वे अपने गेहूँ के स्टाक का एक निर्दिष्ट भाग सरकार के अफसरों को बेंचे ।

(ख) सरकार को बेंचे गये गेहूँ की कुल तादाद २२, ७४० मन हैं ।

(२) जैसा कि बताया जा चुका है किसी भी मिल का स्टाक जब्त नहीं किया गया है । उन मिलों का जिनको कि यह आदेश दिया गया था कि वे अपने गेहूँ का स्टाक एक ऐसे भाव पर बेंचे जो कि विज्ञप्ति की तिथि से तीन महीने पूर्व, किसी क्षेत्र में व्यापक औसत बाजार दर के अनुसार निर्धारित किया जायेगा, ब्योरा इस प्रकार है :

मिल का नाम	गेहूँ का स्टाक जिसके बेचने का आदेश दिया गया	गेहूँ का स्टाक जो मिला
१. श्री बंक्टेश्वर फ्लावर मिल लखनऊ ।	५,००० मन	५,००० मन
२. मेसर्ज गैंजेस फ्लावर मिल्स, कानपुर	६,००० मन	६,००० मन
३. मेसर्ज आगरा फ्लावर मिल, आगरा	५,००० मन	५,००० मन
४. मेसर्ज चित्तरमल रामदयाल फ्लावर मिल, आगरा	२,००० मन	२,००० मन
५. श्री अन्नपूर्णा राइस एन्ड फ्लावर मिल, वाराणसी	२,००० मन	१,७४० मन
जोड़	२३,००० मन	२२,७४० मन

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो गेहूँ २२,७४० मन बेचा गया, यह किस भाव से बेचा गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैंने आपको बता दिया कि इसकी विज्ञप्ति की तिथि से तीन महीने पूर्व, किसी क्षेत्र में व्यापक औसत बाजार दर के अनुसार यह बेचा गया ।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद्—मैं अध्यक्ष महोदय, डेफिनिट कीमत चाहता हूँ कि किस कीमत पर सरकार ने इसको खरीदा है और किस कीमत पर बेचा है ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी—अलग अलग जगह का अलग अलग होगा, इसलिये इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। तभी अलग अलग जगह का अलग अलग बताया जा सकता है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद्—क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किस भाव में खरीदा गया था और किस भाव में बेचा गया था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैंने अर्ज किया कि इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री महफूज अहमद किदवई (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या मन्त्री जी बता सकेंगे कि जिन्होंने इस गेहूँ को खरीदा होगा, उनको कितना फायदा हुआ होगा ?

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया)

(प्रश्न संख्या *१४-१५ का उत्तर प्रश्न सं० ७७ के उत्तर के बाद पढ़ा गया।)

*१६--२१ (स्थगित)।

हाथरस में गल्ले की लूट

*२२—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तारीख २२ अगस्त, १९५८ को हाथरस में गल्ले की लूट हुई ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी—२२ अगस्त १९५८ को प्रातःकाल ८-९ बजे के बीच गधों पर लदे हुये गल्ले को लूटने का प्रयत्न किया गया, परन्तु शोर मच जाने के कारण लूट न हो सकी। इस घटना की रिपोर्ट थाने में नहीं की गई।

*२३—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तारीख २३ अगस्त, १९५८ को हाथरस में पुनः कितने स्थानों पर गल्ला लूटा गया और कहाँ-कहाँ ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी—२३ अगस्त १९५८ को निम्नलिखित ६ स्थानों में गल्ले की लूट हुई।

१. ओड़पुरा गांव व चुङ्गी की चौकी के पास सड़क पर।
२. नजहीआई बाजार हाथरस में रघुबीर की दूकान पर।
३. हरीआई अस्पताल के पास सड़क पर।
४. गजरौली गांव के पास।
५. दुकसान गांव के पास।
६. लाडपुर गांव के पास।

*२४—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त दोनों घटनाओं के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी—२२ अगस्त, १९५८ को पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं हुई। २३ अगस्त, १९५८ की घटनाओं के विषय में उसी दिन ११६ गिरफ्तारियां हुईं और २५ मन गल्ला भी बरामद हुआ।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही चल रही है या कि उनको छोड़ दिया गया है ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका व्योरा इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लूट हुई है, वह अन्दाजन कितना मन गल्ला था ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी—इसका ठीक विवरण मेरे पास नहीं है, जो बरामद हुआ है, वह आपके सामने इस प्रश्न के उत्तर में दे दिया गया है।

*२५—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—क्या यह सही है कि पुलिस के कोई कड़ी कार्यवाही न करने के कारण ही दूसरे दिन और अधिक लूट हुई ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी—२२ अगस्त, १९५८ की घटना की थाने में कोई रिपोर्ट न होने के कारण उस दिन पुलिस द्वारा कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की जा सकी। दूसरे दिन जो कार्यवाही की गई, उसका उल्लेख प्रश्न २४ के उत्तर में किया गया है।

श्री राम कुमार शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो गल्ला लूटा गया था, वह किस किस्म का था।

श्री जग मोहन सिंह नेगी—यह जानने के लिये कि क्या गल्ला होगा नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री चेयरमैन—आप यह पूछना चाहते हैं कि गेहूँ था, या चना था या जुआर था।

श्री जग मोहन सिंह नेगी—जहाँ तक अनुमान है, गेहूँ ही होगा। लेकिन हो सकता है कि कोई और अनाज भी हो।

श्री गिरधारी लाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—जब सरकार को यह मालूम हो गया कि लूट हुई तो फिर रिपोर्ट न होने पर भी उस ने उसकी जांच क्यों नहीं करायी। क्या इतनी ही जानकारी सरकार के लिये पर्याप्त नहीं है।

श्री जग मोहन सिंह नेगी—ऐसी कोई लूट नहीं हुई है जिस के लिये यह कहा जाय कि डाका पड़ा है। लूट की रिपोर्ट जब थाने में दर्ज हुई तो उस पर फौरन कार्यवाही की गयी।

श्री महमूद असलम खां (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—लूट किस किस्म की हुई ?

(कोई जवाब नहीं दियागया)

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो लूट की घटना हुई है यह कोई कागनिजीबिल अफेन्स नहीं है। जब सरकार को यह मालूम हो गया था कि लूट हुई तो रिपोर्ट न आने पर भी पुलिस ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री चेयरमैन—उत्तर में कहा गया है कि ११६ गिरफ्तारियाँ हुई हैं।

श्री प्रेम चन्द शर्मा—श्रीमान, मेरा प्रश्न यह है कि यदि पहली वाली घटना पर कोई कार्यवाही हुई होती तो दूसरी वाली घटना न घटती। इसका उत्तर नहीं मिला है।

श्री चेयरमैन—तर्क का उत्तर नहीं दिया जाता है।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा - श्रीमान, मेरा प्रश्न सीधा है कि पहली वाली घटना पर पुलिस ने क्यों कार्यवाही नहीं की ?

(इसका कोई उत्तर नही दिया गया)

श्री महफूज अहमद किदवई—इसके अन्दर क्या किसी पोलिटिकल पार्टी का भी हाथ था ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी—यह बात स्पष्ट है कि इसके बाद ही आन्दोलन शुरू हो गया। मेरा अनुमान है कि इसके अन्दर कोई पोलिटिकल पार्टी अवश्य होगी। मैं डेफिनिट नहीं कह सकता हूँ।

श्री राम कुमार शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ११६ आदमी पकड़े गये हैं, इन में कोई राजनैतिक दल से भी सम्बन्ध रखता था या नहीं ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी दल का कोई प्रश्न नही होता है। जो कसूर करता है उस को सजा दी जाती है, वह चाहे किसी भी पार्टी का हो।

*२६—श्री प्रेम चन्द शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाथरस में में गेहूं और दूसरे गल्ले का ३० अगस्त, १९५८ को क्या भाव था ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी—हाथरस में गेहूँ तथा दूसरे गल्ले का दिनांक ३०-८-५८ को निम्नलिखित भाव था :

	प्रति मन
गेहूँ (दड़ा)	रु० २२.५०
गेहूँ (फार्म)	” २३.५०
गेहूँ (लाल)	” २२.२५
चना	” १६.००
जौ	” १६.२५
मटर	” १५.६२
चावल	” ३०.२५

*२७—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—(क) क्या यह ठीक है कि हाथरस की आबादी के अनुपात में वहां सस्ते गल्ले की दूकानें कम हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार वहाँ अधिक दूकानें खुलवाने का निर्णय कर रही है ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी—(क) तथा (ख) हाथरस में पहिले जो ४ सस्ते गल्ले की दूकानें थीं वह आबादी के अनुपात से नहीं बल्कि गल्ले की उपलब्धता के आधार पर खोली गई थीं। अब दूकानों की संख्या ४ से बढ़ाकर ६ करदी गई हैं।

*२८—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—(क) क्या सरकार के पास शिकायतें आई हैं कि हाथरस में गल्ले की पर्चियाँ बांटने की व्यवस्था के प्रति असंतोष है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस व्यवस्था में कोई सुधार करने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी—(क) गल्ले की पर्चियों के वितरण के प्रति असंतोष-सूचक शिकायतें अवश्य प्राप्त हुई हैं। किन्तु समस्त शिकायतें जो प्राप्त हुई हैं, यथार्थ प्रतीत नहीं होतीं।

(ख) फिर भी स्थानीय नगरपालिका के सहयोग से १५० रु० मासिक से कम आय वाले परिवारों को पारिवारिक परिचय पत्र (Family identity cards) हाथरस शहर में दीपावली के पूर्व बांटे जा चुके हैं।

*२९—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि गल्ला लूटे जाने के कारण हाथरस का बाजार बन्द हो गया और इसी डर से गाँवों से भी गल्ला आना बन्द हो गया ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी—गल्ले की लूट का समाचार सुनकर दुकानदार भयभीत अवश्य हुये, किन्तु पुलिस द्वारा तुरन्त स्थिति पर काबू कर लेने तथा गिरफ्तारियाँ कर लेने से दूकानदारों का भय दूर होने लगा और इन्होंने कुछ घंटों के बाद ही अपनी बन्द की हुई दुकानों को खोलना आरम्भ कर दिया। ३-४ दिन तक गाँव से गल्ले का आना बन्द रहा। इसके बाद गल्ला आने लगा। गल्ले का आना कम इस कारण भी रहा कि रास्तों में बरसाती पानी भरा था अब रास्ते धीरे-धीरे सूखते जा रहे हैं।

*३०—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले दो महीने के अन्दर हाथरस से कितना गल्ला रेल और मोटर ठेलों द्वारा बाहर गया ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी—हाथरस से जुलाई व अगस्त में निम्नलिखित गल्ला रेल तथा मोटर ठेलों द्वारा बाहर गया।

(मनों में)

अनाज	रेल द्वारा	सड़क द्वारा
गेहूँ	७५०	१०,०००
चना	३,५४०	३,०००
जौ	२५०	१,०००
बाजारा	७,४६०	३००

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--क्या सरकार इस नगर में और दूकानें बढ़ाने का इरादा रखती है ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी--जैसा मैंने कहा यह बात परिस्थिति पर निर्भर करती है। दूकानें तो असंख्य बढ़ाई जा सकती हैं, परन्तु जब सामान या गल्ला उतना ही होता है, तो उससे कोई लाभ नहीं है। इस बात को देखते हुये कि आवश्यकता क्या और सामान कितना उपलब्ध होता है, उसी के अनुसार दुकानें खोली जाती हैं।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इसमें जो फीगर्स दी गई हैं कि १०, २० हजार मन गल्ला बाहर भेजा गया है, तो जब वहां पर गल्ले की इतनी कमी थी, तो गवर्नमेंट ने वहाँ से इतना गल्ला क्यों बाहर जाने दिया ?

(इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सकटू मल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) --जिस अनुपात से हाथरस में ९ दूकानें खोली गई हैं जब कि पहले ४ दूकानें थीं और अब ५ दूकानें और बढ़ा दी गई हैं, तो क्या सारे स्टेट में इसी तरह से दूकानें बढ़ी हैं ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी--यह बात नहीं है।

श्री मदन मोहन लाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) --क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि जो १५० रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों को गेहूँ दिया जाता है, तो क्या कुछ जगह ऐसा भी है कि ५० रुपये से कम या १०० रुपये से कम वालों को ही यह गेहूँ दिया जाय या सभी जगह १५० रुपये मासिक की बात है ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी--यह नियम तो १५० रुपये का है।

(श्री चेयरमैन द्वारा अगले प्रश्न के लिये श्री बन्शीधर शुक्ल का नाम पुकारा जाना)

श्री चेयरमैन--माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना है कि जहाँ वे रोज बैठते हों, उसी स्थान पर बैठें, इससे मुझे नाम पुकारने में सुविधा होती है। मैं आप की जगह देख रहा था और समझ रहा था कि आप गैर हाजिर हैं और मैं अगला प्रश्न पुकारने वाला था।

श्री पीताम्बर दास--दिक्कत यह है कि हाउस में किस का क्या स्थान हो, यह आसानी से निश्चित नहीं हो पाता है क्योंकि इस पर किसी का कन्ट्रोल हो नहीं सकता।

श्री चेयर मैन--इस बात की सुविधा के लिये मैंने विभिन्न दलों के नेताओं की जगहें निश्चित कर दी थी और उसके बाद यह कह दिया था कि वे अपने अपने स्थानों के साथ साथ अपनी पार्टी के सदस्यों के स्थान भी नियुक्त कर दें।

श्री पीताम्बर दास--आप ने सदन में पार्टीज का स्थान निश्चित किया है, मगर पार्टी में मेम्बरों के क्या क्या स्थान हों, वह निश्चित होना आसान नहीं है।

श्री चेयरमैन--यह पार्टी के नेता का काम है कि अपने यहाँ के सदस्यों की सीनियारिटी और जूनियारिटी पर विचार करके उनके स्थान निश्चित करे। यह मेरा कार्य नहीं है।

श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--पार्टीज बदलती रहती है, इसलिये स्थान भी बदलते रहते हैं।

मजदूर केन्द्रों में सस्ते गल्लें की दूकानें

*३१--श्री वंशीधर शुक्ल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--(क) क्या खाद्य मन्त्री बतलावेंगे कि राज्य के अन्तर्गत समस्त कारखानों के मजदूर केन्द्रों या बस्तियों में सस्ते गल्ले की दूकानें खोल दी गई हैं या नहीं ?

(ख) यदि नहीं, तो कब तक इन समस्त मजदूर क्षेत्रों में उक्त दूकानें सरकार खोल रही है ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी--(क) सस्ते गल्ले की दूकानों के खोलने के संबन्ध में सरकार की यह नीति नहीं रही है कि विशेषकर कारखानों के मजदूर केन्द्रों या बस्तियों में ही दूकानें खोली जायें। जहां भी दूकानें खोली गई हैं, वहाँ साधारण जनता और कारखाने के मजदूर भी गल्ला पाते हैं यदि उनकी मासिक आय १५० रुपये से अधिक नहीं है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

श्री वंशीधर शुक्ल—जहाँ तक सम्भव हो मजदूर और गरीब बस्तियों के निकट यह दूकानें खोली जायें, क्या ऐसा आदेश देने का सरकार विचार कर रही है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—विचार तो पहले ही से ऐसा है कि जहाँ पर १५० रु० से कम पाने वाले व्यक्ति अधिक रहते हैं, वहाँ ऐसी दूकानें खोली जायें, मगर यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि केवल ऐसे ही स्थानों पर खोली जायें।

श्री शिव नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि देहातोंकी की सस्ते गल्ले दूकानों पर गेहूँ देना क्यों बन्द कर दिया गया है।

श्री जग मोहन सिंह नेगी—आज तो मिल रहा है।

श्री शिव नारायण—गेहूँ नहीं मिल रहा है।

श्री वंशीधर शुक्ल—क्या सरकार को ज्ञात है कि सीतापुर जिले में मजदूरों और गरीबों की बस्तियों का खयाल करते हुए दूकाने खोली गई हैं।

श्री चेयरमैन--कोई और सप्लीमेन्टरी कीजिये।

श्री राजा राम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार को मालूम है कि जो गल्ले के कार्ड बांटे गए हैं, उनके अनुसार गल्ला नहीं दिया जा रहा है, कम दिया जा रहा है।

श्री जग मोहन सिंह नेगी—अगर ऐसी कोई शिकायत आयेगी तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार को मालूम

है कि दूकानों पर बेचने के लिए जो जुआर दी जा रही है उसको न दूकान वाले लेने को तैयार हैं और न लोग खरीदने को तैयार हैं।

श्री जग मोहन सिंह नेगी—ऐसा मालूम होता है कि फसल अच्छी हो गई है, किसानों के पास अच्छा गल्ला आ गया है, वह नहीं लेते हैं।

श्री राम कुमार शास्त्री—क्या सरकार को मालूम है कि बस्ती जिले में १३ हजार की आबादी का एक कस्बा बांसी है उसमें दूकाने खुली हैं लेकिन गल्ला नहीं है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ऐसी बात तो नहीं है, अगर कोई कमी होगी तो जल्द पूरी हो जायेगी।

श्री एम० जे० मुकर्जी (नाम निर्देशित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मेरठ जिले में जई गांव है, जहां पर लड़कियों का स्कूल है, वहां पर कम से कम २।४ आबादी है, पर कोई भी दूकान नहीं है जहां पर गल्ला मिल सके।

श्री जग मोहन सिंह नेगी—हर गांव का मेरे पास विवरण भी नहीं है और न यह सम्भव ही है। और आज कल की रिपोर्ट तो यह है कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों में काफी अच्छी फसल हुई है और किसान इस वक्त गल्ला उठा ही नहीं रहे हैं।

श्री वंशीधर शुक्ल—क्या मजदूरों के पास से सरकार के पास ऐसे रिप्रजेन्टेशन आये हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो मजदूर बस्तियों के निकट दूकाने खोली जायें।

श्री जग मोहन सिंह नेगी—जिनके ऐसे प्रार्थना पत्र आते हैं, और अगर मांग उचित होती है तो पूरी की जाती है।

श्री नवल किशोर गुरुदेव (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार को मालूम है कि मऊ जिला-झांसी में २६ हजार की आबादी है वहाँ केवल एक ही दूकान है, और दूकानें सरकार खोलने की कृपा करेगी।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री एम० जे० मुकर्जी—जहाँ पर स्कूल हैं, क्या वहाँ सरकार खास सहूलियत करने को तैयार है।

श्री जग मोहन सिंह नेगी—अभी तो ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हुई।

श्री नवल किशोर गुरुदेव—मऊ, जिला झांसी में २६००० की आबादी है, वहाँ पर एक ही दूकान है, क्या और दूकानें सरकार खोलने के लिए विचार कर रही है।

श्री चेयरमैन—वह प्रश्न तो मैंने नामन्जूर कर दिया, आप दूसरा पूछना चाहते हों, तो पूछिए। जब मैं अगला प्रश्न ले लेता हूँ तो इसका मतलब यह है कि वह प्रश्न मूल प्रश्न के उत्तर से नहीं उत्पन्न होता। आप कोई दूसरा प्रश्न हो तो कर सकते हैं।

श्री नवल किशोर गुरुदेव--क्या सरकार को मालूम है कि मऊ जिला झांसी में २६००० की आबादी है और वहाँ केवल एक ही दूकान है।

श्री जग मोहन सिंह नेगी--इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री अब्दुर रऊफ (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार इस बात पर रोशनी डालेगी कि २५० मजदूरों के इलाके में एक दूकान और कई हजार मजदूरों के इलाके में एक भी दूकान नहीं, जिसकी मिसाल बहेड़ी और क्लटरबकगंज है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जहां पर छात्रावास है वहां पर कुछ व्यवस्था गल्ले के देने की की गई है।

श्री जग मोहन सिंह नेगी--नहीं, इसमें कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर कि गल्ला दिया जाता है, गेहूँ भी दिया जाता है।

श्री अजय कुमार बसु (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--अच्छी फस्ल की रिपोर्ट के लिये सरकार ने कैसे निर्णय किया है।

श्री जग मोहन सिंह नेगी--फस्ल अच्छी हुई है यह इस बात से भी मालूम होता है कि धान चार सेर या साढ़े चार सेर का मिल रहा है।

लखनऊ में सॉफ्ट कोल की दूकानें

*३२--शंकर राव (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--(क) क्या खाद्य मन्त्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में ६ साफ्ट कोल की दूकानें अभी हाल में खोली गई हैं?

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर खोली गई हैं?

श्री जग मोहन सिंह नेगी--(क) जी हाँ।

(ख) यह दुकानें निम्नलिखित स्थानों पर खोली गई हैं:

(१) अकबरी गेट, अब्दुल अजीज रोड पर।
(२) मछली मुहाल जम्बूर खाना।
(३) महानगर।
(४) आयरन ब्रिज, डालीगंज।
(५) मेडिकल कालेज के पास।
(६) ठाकुरगंज।
(७) लखनऊ सिटी स्टेशन के पास।
(८) लकड़ी मन्डी, डालीगंज स्टेशन के पास।
(९) राजेन्द्रनगर (न्यू बशीरतगंज)।

*३३--श्री शंकर राव--क्या खाद्य मन्त्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में किस उद्देश्य से उपर्युक्त नयी साफ्ट कोल की दुकानें खोली गई हैं?

श्री जग मोहन सिंह नेगी--लखनऊ में कोयले की कमी को देखते हुये केन्द्रीय सरकार ने हमारे अनुरोध पर ५० वैगन अस्थायी (ad-hoc) प्रति माह साफ्ट कोक जुलाई से अक्टूबर, १९५८ के लिये बंटन किया। इसके वितरण के लिये ६ अस्थायी डिपो होल्डर भिन्न-भिन्न मोहल्लों में जनता की सुविधा के लिये नियुक्त किये गये

श्री शंकर राव--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो नई दुकानें कोयले की खुली हैं इनमें सात दूकाने हसनगंज में यानी एक ही वार्ड में खुली हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो इसलिये खोली गई हैं कि सारे शहर के हर स्थान पर मिल जायं

श्री शंकर राव--मेरा प्रश्न यह था कि हसनगंज के मुहल्ले में यानी एक ही वार्ड के एरिया में सात दुकानें खोली गई हैं तो कोई इसी जगह कोयले की कमी थी सारे शहर में कमी नहीं थी।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैंने तो अर्ज किया कि सारे शहर में कमी थी और कोशिश इस बात की की गई कि विभिन्न स्थानों पर यह दूकानें खोली जायँ।

श्री चेयरमैन--उनका प्रश्न यह है कि एक ही स्थान पर सात दुकानें क्यों खोली गई।

श्री जग मोहन सिंह नेगी--मुझे तो लिस्ट के देखने से ऐसा नहीं मालूम होता है।

श्री गिरधारी लाल--प्रदेश के कई शहरों में कोयले की कमी हैं तो क्या उन शहरों में भी सरकार दूकाने बढ़ाने का विचार कर रही है।

श्री चेयरमैन--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिव नारायण--यह जो सात कोयले की दूकाने एक ही वार्ड में खुली हुई हैं क्या वह शहर के विभिन्न स्थानों पर खोली जायेगी।

श्री जग मोहन सिंह नेगी--एक मुहल्ले में तो नहीं हैं, लेकिन अगर कोई सुझाव देगा, तो इस पर विचार किया जायेगा।

श्री शंकर राव--जो दूकानें एलाट की गई हैं और जो कोटा सरकार ने दिया है उसमें कितने परसेन्ट दूकानदारों ने उठा लिया है।

श्री जग मोहन सिंह नेगी--इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

*३४-४५--(स्थगित)।

अभियुक्तों का पाकिस्तान भाग जाना

*४६—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने अभियुक्त जिन पर न्यायालय में मुकदमें चल रहे थे, सन् १६५२ से अब तक (अगस्त १६५८) पाकिस्तान भाग गये ?

(ख) क्या सरकार उपरोक्त भागने वालों की संख्या जिलेवार इस सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य (न्याय-उप मन्त्री)--(क) प्रश्न का उत्तर देने के लिये सामग्री एकत्रित करने में जितना समय तथा श्रम लगेगा एवं व्यय होगा उतना उससे लाभ नहीं होगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*४७—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इनमें कितने ऐसे अभियुक्त थे जिन पर दिवानी और कितनों पर फौजदारी न्यायालयों में मुकदमें चल रहे थे।

श्री बलदेव सिंह आर्य—प्रश्न नहीं उठता।

*४८—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(क) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अभियुक्तों में से कितने अभियुक्तों के जामिनों से जमानत का रुपया वसूल किया गया !

(ख) कितने जामिनों को अन्य सजायें दी गईं।

श्री बलदेव सिंह आर्य—(क) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चेयरमैन—मन्त्री जी को मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न का केवल इतना ही उत्तर होना चाहिये कि प्रश्न के उत्तर को एकत्रित करने में सरकार को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा जितना कि सरकार खर्च करना उचित नहीं समझती यहाँ तक ठीक है। यह कहना कि लाभ नहीं होगा यह तो निर्णय करना हाउस के लिये है या चेयर के लिये है।

श्री हुकुम सिंह विसेन—नोटेड।

श्री बलदेव सिंह आर्य—आगे के लिये ऐसा हो जायेगा।

श्री चेयरमैन—मैंने यह कहा कि पार्लियामेन्टी रूल यह है कि गवर्नमेन्ट यह नहीं कह सकती है कि इसके ऊपर कोई लाभ नहीं होगा। हो सकता है कि एक लाख रुपया भी एक प्रश्न के लिये लग जाय और देश की उन्नित या उसके लाभ को देखते हुये एक लाख खर्च करना लाभदायक हो।

श्री मोहन लाल गौतम (कृषि तथा सहकारिता मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, उसमें दिक्कत यह होगी अधिक खर्च के माने क्या होंगे। अगर अधिक खर्च से उसके मुकाबिले में लाभ ज्यादा हो, तो खर्च होगा और खर्च करना चाहिये। अगर १ लाख रुपया खर्च हो और हाउस यह समझे कि १० लाख का फायदा होगा, तो गवर्नमेन्ट को खर्च करना चाहिये। हम हाउस की बात को पूरा करेंगे। इसलिये गवर्नमेन्ट की राय है कि इतना खर्च होगा और इतना फायदा होगा। हाउस की राय तो माननी होगी। गवर्नमेन्ट अपनी राय कमप्रेटिव करेगी। कोई खर्चा ज्यादा हो सकता है। जब तक उसके फायदे और नुकसान को जज न किया जायेगा गवर्नमेन्ट की तरफ से तो कैसे होगा। बहुत से सवाल इस प्रकार के पार्लियामेन्ट में हुये है।

अगर आपकी आज्ञा यही है, हमको कोई दिक्कत होगी नहीं। पहले गवर्नमेन्ट खर्च को कनफर्म करेगी उसके बाद अगर हाउस कहेगा कि इस इत्तला दिया जाय तो दे दी जायेगी क्योंकि आखिर हाउस के मातहत गवर्नमेन्ट है।

श्री चेयरमैन—पार्लियामेन्ट रूल ऐसा है और श्रीमान वल्लभ भाई पटेल और श्रीमान मावलंकर जी की रूलिंग इस बात की है कि जिस समय कोई क्वेश्चन चेयर एडमिट कर देती है उस समय उसका मतलब यह निकलता है कि उसके ऊपर चाहे जितना खर्च हो जाय गवर्नमेन्ट को करना चाहिये। चेयर डिसाईड करती कि यह उपयोगी है या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इससे बेहतर तो यह बात है कि पहले जब क्वेश्चन टेबिल किये जायं और उसपर हमने यह भेज दिया कि इसमें ज्यादा खर्च लग रहा है तो इस तरह से दूसरी साईड भी सुनने का मौका मिलेगा।

श्री चेयरमैन—यह आप के ऊपर रहेगा।

श्री जग मोहन सिंह नेगी—इसमें चेयर को कोई दिक्कत और परेशानी न होगी।

श्री चेयरमैन—इस तरह से क्वेश्चन शीघ्र हो जायेगा और चेयर मुनासिब समझेगी तो उनका कैन्सिल कर देगी। लेकिन उत्तर के दिन जब गवर्नमेन्ट मौजूद है तो उसका मतलब यह है कि इसका उत्तर जरूर देना था।

श्री मोहन लाल गौतम—जैसा कि अध्यक्ष महोदय, आप ने फरमाया जब आपने उसको एडमिट कर दिया सवाल तब यह होगा कि उसके खर्च और लाभ को चेयर ने देख लिया और तब उसको एडमिट किया, इसलिये गवर्नमेन्ट को उसकी सूचना इक्कठी करनी चाहिये। तब गवर्वमेन्ट के लिये कोई मौका ही नहीं रहेगा, उसको तो करना ही चाहिये क्योंकि एडमिट हो गया है और प्रेसीडेन्ट साहब की रूलिंग है। अब प्रश्न यह है कि इसमें खर्च ज्यादा है और उस खर्च की ओर आपका ध्यान नहीं गया है उन सारी डिटेल्स में।

श्री चेयरमैन—जो माननीय खाद्य मंत्रीजी ने प्रोसीजर बताया है, वह लाभकारी है।

श्री मोहन लाल गौतम—मैं अलग बात कह रहा हूँ। आप की रूलिंग हाउस के लिये है। हम तो बाध्य हो जाते हैं, चाहे जितना खर्च हो।

श्री चेयरमैन—रूलिंग में मैं हमेशा इस बातका ख्याल रखता हूँ, और मेरा दिमाग हमेशा खुला हुआ है। मैं रूलिंग को देश हित के लिये चेंज कर सकता हूँ। मेरे सामने रूलिंग कोई चीज नहीं है। मेरे सामने तो जन हित है। जो मेरी रूलिंग है वह इस समय तो यह है कि जब प्रश्न ऐडमिट हो जाता है उसके माने यह है कि चेयर ने सारी बातें ऐक्सेप्ट कर लिया है और गवर्नमेन्ट को उत्तर देना है। हाउस और चेयर यह समझती है कि अब उत्तर दिया जायगा। अब उत्तर देने के समय अगर सरकार यह कहती है कि यह लाभकर नही है तो यह उचित नहीं है। सरकार को केवल यह बतला देना है कि इसमें खर्च अधिक है।

Admission means that administratively, financially and constitutionally the question has been admitted. If the Government wants to say anything they can write a personal letter to me.

श्री मोहन लाल गौतम—अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं आपसे चैम्बर में बातें कर लूंगा।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो खर्चे की बात है तो क्या सरकार के पास यहाँ पर हेडक्वार्टर में कोई आंकड़े मौजूद नहीं है जिनकी बिना पर यह बताया जा सके कि कितने मुलजिम पाकिस्तान भाग गये।

श्री हुकुम सिंह विसेन—बड़ा मुश्किल है कहना। ७ वर्ष का पीरियड बीत चुका है ५१ जिलों का हाल है। हर क्रिमिनल कोर्ट से यह ताल्लुक रखता है। यह सब आंकड़े यहाँ पर मौजूद नहीं है।

श्री इसहाक संभली (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, अभी जो मिनिस्टर साहब ने सजेस्ट किया कि चूँ कि सवालों पर ज्यादा खर्च आयेगा तो इसके लिये पहिले यह देख लिया जाय कि इनमें कितना रुपया लग जायगा तो अभी भी इनके जवाब आने में ६, ६ महीने तक लग जाते हैं, फिर तो और भी अधिक समय लग जायगा।

श्री चेयरमैन—आपने प्वाईंट को नहीं समझा है। इस समय सिर्फ खर्च के बारे में बात हो रही है।

श्री महमूद असलम खाँ—क्या सरकार मेहरबानी करके उन क्रिमिनल्स की तादाद बतला सकती है जो पाकिस्तान के अलावा और दूसरे मुल्कों में जैसे कि नैपाल वगैरह है भाग गये हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

*४६–७३—(स्थगित)

(प्रश्न संख्या *७४-७५ का उत्तर प्रश्न सं० १५ के उत्तर के बाद पढ़ा गया।)

रबी स्थायी आन्दोलन के लिए खाद

*७६—श्री रामेश्वर सिंह—क्या कृषि मन्त्री जी बतलायेंगे कि "रबी आन्दोलन" को सफल बनाने के लिये प्रत्येक जिले में रसायनिक खादों का वितरण किन-किन संस्थाओं द्वारा हो रहा है ।

श्री मोहन लाल गौतम—प्रत्येक जिले में सहकारी तथा गन्ना समिति संघ एवं राज कृषि बीज भंडार द्वारा इन खादों का वितरण हो पहा है ।

*७७—श्री रामेश्वर सिंह—क्या राष्ट्रीय खंड विकास अधिकारियों को इन खादों के वितरण का अधिकार है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हाँ ।

श्री रामेश्वर सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक जिले में कहाँ कहाँ पर खादें किस किस प्रमाण में वितरित की गई ।

श्री चेयरमैन—यह बहुत बड़ा सवाल है । आप फिर से प्रश्न करें ।

श्री रामेश्वर सिंह—क्या माननीय मंत्रीं जी बतलायेंगे कि गोरखपुर और देवरिया जिले में कितनी खाद वितरित हुई है ?

श्री मोहन लाल गौतम—हमारे पास आँकड़ा नहीं है । इस समय किन-किन संस्थाओं के द्वारा खाद का वितरण हो रहा है यह सवाल है । किस किस्म की खाद और कितनी कीमत की खाद का आँकड़ा इस समय हमारे पास नहीं है ।

श्री राम कुमार शास्त्री—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो प्रत्येक जिले में खाद दी गई थी उसका पूरा-पूरा वितरण हो चुका है या बाकी है ?

श्री मोहन लाल गौतम—अभी बाकी है ।

श्रीमती सावित्री श्याम—क्या यह सत्य है कि जिले में बी० डी० ओ० के रहते हुये भी माल विभाग के कर्मचारियों की वजह से खाद वितरण में रुकावट होती है ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह सवाल इतना वेग है कि जब वह सवाल सामने आयेगा तो मैं उसको देख सकता हूं ।

श्री नवल किशोर गुरुदेव—क्या यह हिदायत दी गई है कि जो बीज लेगा उसको खाद अवश्य लेनी होगी ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह हिदायत नहीं दी गई कि जबतक वह खाद नहीं लेगा बीज नहीं दिया जायेगा ।

श्री शिव नारायण—क्या यह सही है कि सरकार ने कई लाख रुपया कई तकावी का जिलों में बिना सूद के किसानों को दिया है ?

श्री मोहन लाल गौतम--तकावी दी गई है और बिना सूद के दी गई है यह जानकारी मुझे ननहीं है ।

श्री महफूज अहमद किदवई--क्या खाद के साथ खली भी दी जाती है ?

श्री मोहन लाल गौतम--कई तरह की खादों में एक तरह की खाद खली भी है।

श्री बनवारी लाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या मंत्री महोदय के पास एक ऐसी शिकायत आई है कि वहाँ की जनता को बीज के साथ खाद लेना ही पड़ा ?

श्री मोहन लाल गौतम--कुछ साथियों ने इस तरह की बात मुझसे कही तो मैंने कहा था कि जबरदस्ती खाद बीज के साथ न दी जाये। हम खाद का ज्यादा प्रचार करना चाहते हैं क्योंकि इक्सपर्ट की राय है कि हमारे खेत भूखे हैं इसलिये हमें उनको खुराक देनी चाहिये इसलिये हम ज्यादा से ज्यादा खाद इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती जबतक खाद नहीं लेंगे हम बीज नहीं देंगे ऐसा नहीं होगा।

श्री नवल किशोर गुरुदेव--बीज के साथ खाद मिलाकर देने के लिये हिदायत दी गई तो बीज में खाद मिलाकर जो बीज खेत में डाला गया तो वह बीज खेत में जमा नहीं इसलिये उसका जो नुकसान किसानों का हुआ है, उसको देने के लिये सरकार कोई विचार कर रही है ?

(प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नौरंग सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में हर पंचायत सेक्रेटरी को ७ बोरा खाद बेचने के लिये मजबूर किया गया है। ऐसा भी सुना गया है कि यह भी आदेश है कि अगर वह वह नही बचेगा तो वह अलग कर दिया जायगा।

श्री मोहन लाल गौतम--गोंडा जिले की भाषा गोंडा वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं। सरकार की ओर से ऐसी कोई हिदायत नही है।

श्री रामेश्वर सिंह--क्या भाषा जिलेवार बदला करती है।

श्री राम कुमार शास्त्री--क्या यह बात सही है कि खरीफ आंदोलन के मुकाबिले रबी का आंदोलन तीव्र गति से चल रहा है और सफलतापूर्वक चल रहा है।

श्री मोहन लाल गौतम--खरीफ आंदोलन तो पहले शुरू हुआ और उसमें कई फायदे हुए। एक तो किसानों का ध्यान उधर गया और दूसरा फायदा यह हुआ कि जो डिपार्टमेंट की अलग अलग दीवारें थी उनमें कोआर्डिनेशन ज्यादा अच्छा हो गया और जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। खरीफ से रबी का आंदोलन ज्यादा कामयाब हुआ। अब अगले आंदोलन की योजना चल रही है। एक बार रबी, फिर खरीफ, फिर रबी, इस तरह से आंदोलन चलाने का इरादा है।

श्री अब्दुर रऊफ--यह आंदोलन शहरी इलाकों में हुआ या देहाती इलाकों में हुआ है।

नैनीताल में कृषि विश्वविद्यालय

*१४—श्री हृदय नारायण सिंह--(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या वह प्रदेश में नैनीताल के पास कोई कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है ?

(ख) यदि हां, तो कहां, कब तक और किस रूप में ?

श्री मोहन लाल गौतम--(क) जी हां।

(ख) तराई स्टेट फार्म नैनीताल पर एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने और उसको जुलाई, सन् १९६० से चालू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

*१५--श्री हृदय नारायण सिंह--उक्त विश्वविद्यालय पर इस वर्ष कितना सरकार का व्यय होगा और आगामी पांच वर्षों में कितना आवर्तक तथा कितना अनावर्तक व्यय किया जायगा ?

श्री मोहन लाल गौतम--उस विश्वविद्यालय पर इस वर्ष २२.४५ लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। आगामी पांच वर्षों के व्यय का विस्तृत अनुमान देना इस समय कठिन है।

श्री मदन मोहन (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस रुपये का कुछ हिस्सा केन्द्र से आने वाला है, या प्रदेशीय सरकार ही देगी ?

श्री मोहन लाल गौतम--इसमें बहुत ज्यादा तो केन्द्र से आने वाला है। केन्द्र से भी दो तरह का रुपया है। एक तो इन्डियन रिसर्च कौंसिल की और दूसरा टी० सी० एम० का है। पहले एक करोड़ ८० लाख की बातचीत थी। एक करोड़ का वायदा तो हो चुका है और ८० लाख की बात चल रही है।

श्री हृदय नारायण सिंह—कृषि विश्वविद्यालय की योजना केन्द्रीय सरकार की है या प्रान्तीय सरकार की है ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह प्रदेशीय सरकार का है। मैं निवेदन करूँ कि इस सेशन में ही आप लोगों के घर जाने से हम इस बात की कोशिश करेंगे कि यह आप लोगों के सामने आ जाय।

श्री मदन मोहन—मैंने पूछा था कि २२.४५ लाख में कितना केन्द्र से आने वाला है ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह तो बिल्डिंग के लिये मन्जूर हुआ है। ७५ फीसदी तो सब्सीडी होगी और २५ फीसदी लोन होगा। यह रुपया पूरा केन्द्र से मिलेगा।

श्री हृदय नारायण सिंह—जब कि लेजिस्लेचर में कोई विधेयक या अधिनियम

कृषि विश्वविद्यालय के लिये नही बनाया गया तो क्या सरकार के लिये ठीक है कि काम प्रारम्भ कर दिया और अभी तक विधयक नही बना।

श्री मुहम्मद महमूद असलम खाँ—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि कोई ऐसी स्कीम है कि यहां पर बिल्डिंग बनाने के सिलसिले में कीमती बागात को सरकार ने कटवाया है ?

श्री मोहन लाल गौतम—ऐसी गलती करने का इरादा नही है कि कीमती बागात को कटवाया जाय। लेकिन अगर प्लान में कुछ बागात बड़ें होंगे तो उनको काटने में मुझे तो कोई एतराज नहीं है क्योंकि इस काम को बने अभी थोड़ा ही समय हुआ है।

जिला मेरठ में पक्की सड़कें

*७४—श्री महाराज सिंह भारतीय (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महीउद्दीनपुर चीनी मिल, जिला मेरठ से खरखोदे तक बनायी जाने वाली पक्की सड़क को मेरठगढ़ मुक्तेश्वर वाली पक्की सड़क में मिलाने की कोई योजना है ?

श्री कुँवर महावीर सिंह—जी नही।

*७५—श्री महाराज सिंह भारतीय—यदि हां, तो ग्राम कौल के पास काली नदी पर उक्त सड़क का पुल शीघ्र बनाने की भी सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री कुँवर महावीर सिंह—जी नही।

अतारांकित प्रश्न

१-२—श्री प्रताप चन्द्र आजाद १—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा किस-किस जिले में कितनी-कितनी सस्ते गल्ले की दूकाने अब तक (१-६-५८) खोली गई है ?

२—क्या सरकार उपर्युक्त दूकानों की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—(१ व २) इस समय तक स्वीकृत सस्ते गल्ले की दुकानों की जिलेवार सूची* सदन की मेज पर रख दी गई है।

३—(स्थगित)।

---

* देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ ४१ पर।

* प्रश्न संख्या ७४-७५ श्री शफीक अहमद खाँ तातरी द्वारा पूछे गए।

श्री महाराज सिंह भारतीय, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश की रिहाई की सूचना

श्री चेयरमैन—मुझे एक सूचना देनी है कि एडिशनल सिटी मैजिस्ट्रेट मेरठ ने मेरे नाम पर एक तार भेजा है जो इस प्रकार है :—

"Sri Maharaj Singh Bharti, MLC released on bail on 18-11-58 in case No. 683/11 under section 7 GLA Act ps Civil Lines, Meerut."

सन् १९५८ ई० का उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९५८ ई० के उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक पर, श्री राज्यपाल की अनुमति ६ नवम्बर, १९५८, को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का १९५८ का ३७ वां अधिनियम बना।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम

श्री चेयरमैन—अब गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों पर वाद विवाद जारी रहेगा।

श्री मदन मोहन—श्रीमान् जी, मैं प्रथम संशोधन को मूव नहीं करना चाहता हूँ।

श्री हृदय नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम पर जो संशोधन हैं तथा ६ हैं उनको मैं मूव नहीं करना चाहता हूँ।

श्री मदन मोहन—श्रीमान् जी, मैं संशोधन संख्या ३, ४, और ५ को मूव नहीं करना चाहता हूँ।

श्री हृदय नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या ७ को कुछ संशोधन रूप में रखना चाहता हूँ तो क्या इसके लिये आप की इजाजत है।

श्री चेयरमैन—जी हाँ।

श्री हृदय नारायण सिंह—इस में मैंने रखा है :—

Three teachers of Affiliated Colleges teaching the subjects assigned to the Faculty of Arts, three teachers teaching the subjects assigned to the Faculty of Science, and one teacher teaching the subjects assigned to each of the other Faculties. Teachers of the Colleges shall fill these seats by rotation in order of seniority.

जो वर्तमान स्टेट्यूट है उस में मैं यह से संशोधन रखना चाहता हूँ कि जहाँ पर ३ है वहाँ पर ४ रखना चाहता हूँ और जहाँ पर ६ है उसकी जगह पर २ रखना चाहता हूँ।

श्री चैयरमैन—क्या आप ने इसका नोटिस सरकार को दे दिया है ?

श्री हृदय नारायण सिंह—जी हाँ।

श्री कमलापति त्रिपाठी (शिक्षा मंत्री)—मैं इसको स्वीकार करता हूँ।

श्री हृदय नारायण सिंह—यह जो चैप्टर ३ के स्टेट्यूट ३ का सब क्लाज ४ है, उसमें मैं इस प्रकार से संशोधन चाहता हूँ।

"Four teachers of Affiliated Colleges teaching the subjects assigned to the Faculty of Arts, four teachers teaching the subjects assigned to the Faculty of Science and two teachers teaching the subjects assigned to each of the other faculties."

श्री मदन मोहन—श्रीमान् जी मैं इसमें संशोधन पेश करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि हृदय नारायण सिंह जी शायद इसको भूल गये हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—इसको मैं आगे पेश कर रहा हूँ।

Teachers of the Colleges shall fill these seats by rotation in order of seniority in such a way that not more than one teacher from one college is selected provided further that not more than one teacher of a subject shall be eligible at one time.

श्री कमलापति त्रिपाठी—और आपकी आज्ञा हो तो मैं अमेंडेड फार्म में इसको पढ़ देता हूँ।

डाक्टर प्यारे लाल श्रीवास्तव (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—मेरे पास अमेंडेड फार्म में है, मैं इनको पढ़े देता हूँ।

"Four teachers of Affiliated Colleges teaching the subjects assigned to the Faculty of Arts, fout teachers teaching the subject assigned to the Faculty of Science and two teachers teaching the subjects assigned to each of the other faculties. Teachers of the colleges shall fill these seats by rotation in order of seniority.

Provided that not more than one teacher of the same subject and also not more than one teacher belonging to the same college shall be eligible to become member of the Board at one time.

Provided further that a teacher by-passed on account of the first proviso will continue to remain eligible for becoming a member of the Board in the next turn.

श्री मदन मोहन—श्रीमानजी, जो इसका पिछला हिस्सा है, मैं समझता हूँ कि वह बिल्कुल अनावश्यक है, यह कठिनाई पैदा कर देगा। कल जो बातचीत हुई थी, तो उस समय यह तय हुआ था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री कमला पति त्रिपाठी—इसको डिलिट कर देंगे एक ही प्राविजो तक रहेगा।

श्री मदन मोहन--जी हाँ।

श्री चेयरमैन--मैं अमेंडेड फार्म में इसको सदन के समक्ष रख देता हूँ, उसक आप ठीक करलें।

"Four teachers of the affiliated colleges teaching the subjects assigned to the Faculty of Arts, four teachers teaching the subjects assigned to the Faculty of Science, and two teachers teaching the subjects assigned to each of the other Faculties.

Teachers of the Colleges shall fill these seats by rotation in order of seniority, provided that not more than one teacher of the same college shall become eligible at one time."

श्री चेयरमैन--मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब यह है कि एक सबजेक्ट का एक से अधिक टीचर न हो?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हाँ, इसका यही मतलब है कि एक विषय का एक से अधिक टीचर न हो और एक कालेज का भी एक ही टीचर हो। ऐसा न होने पाये कि एक ही कालेज के दो टीचर हो जायें और दूसरों को मौका न मिले।

श्री चेयरमैन--

Why not preseribe the number of teachers?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जैसी कि कल बातचीत हुई थी उसी के अनुसार यह किया गया है। वह इस प्रकार है :--

Provided that not more than one teacher of the same subject and also not more than one teacher belonging to the same college shall be eligible to become members of the court at one time.

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि :--

For sub-clause (4) of clause 3 in Chapter III substitute the following:—

Four teachers of affiliated colleges teaching the subjects assigned to the Faculty of Arts, four teachers teaching the subjects assigned to the Faculty of Science, and two teachers teaching the subjects assigned to each of the other Faculties. Teachers of the Colleges shall fill their seats by rotation in order of seniority.

Provided that not more than one teacher of the same subject and also not more than one teacher belonging to the same college shall be eligible to become members of the Court at one time.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण सिंह—मेरा जो पहला संशोधन था, वह इस प्रकार था :—

In line 2 of statute no. 5, substitute the words "one representative of each Management" for the words "three representatives of Management" and delete the words "starting with the Colleges having the longest standing "occurring in line 4."

लेकिन अब जो इसका संशोधित रूप होगा उसमें तीन रिप्रेजेन्टेटिव की जगह पर चार हो जायेंगे।

श्री चेयरमैन—अब आप अमेंडेड फार्म को पढ़ दें।

श्री हृदय नारायण सिंह—अब जो मेरा संशोधन होगा वह इस प्रकार से होगा :

Under item (XI), class III, sub-section (1) of section (17) four representatives of Management of Affiliated Colleges (not necessarily being a member of the Management) shall be members of the Court, starting with the colleges having the longest standing."

श्री चेयरमैन—यह मेम्बर शब्द बहुवचन में हो जायेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अगर ऐसा ही कर दिया जाय कि :—

"In statute 5, for the word "three" the word "four" shall be substituted."

तो कैसा रहेगा।

श्री हृदय नारायण सिंह—यह ठीक है।

श्री चेयरमैन—इसमें थोड़ी सी भाषा की दिक्कत है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो आप सुधार लेंगे।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—इसमें "नाट नेसेसरिली" भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि यह डेफिनिट नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह ठीक है क्योंकि इस तरह से कोई आउट साइड का मेम्बर भेजना चाहें, तो वह भी भेजा जा सकता है।

श्री चेयरमैन—तो यहाँ पर 'मेम्बर' की जगह "मेम्बर्स" होना चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हाँ।

श्री चेयरमैन—अब प्रश्न यह है कि :—

In statute no. 5 the word "four" shall be substituted for the word "three" in the second line and the word "members" shall be substituted for the words" "a member" in the third line.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर प्यारे लाल श्रीवास्तव—

May I have your permission to move the amendment in place of Sri Viragi. The following amendment for clause 6 (1) in place of the one notified by Sri Viragi : –

"The number of representatives of registered graduates to be members of the court shall not at any time exceed 25."

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हाँ, मान्यवर मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री चेयरमैन—अब प्रश्न यह है कि :

The following shall be substituted for statute 6 (1) :...

"6 (1) The number of Representatives of Registered Graduates to be members of the Court shall not at any time exceed 25."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० प्यारे लाल—

In statute 6 (2), the following shall be substituted:

"(2) Every person who,

(a) graduated from a college now within the jurisdiction of the Gorakhpur University,

(b) is a graduate of any University incorporated by Law and who is a resident of the area within the territorial jurisdiction of the Gorakhpur University,

Is entitled to get himself enrolled as a registered graduate of the Gorakhpur University till a period of three years from the date of enforcement of the Gorakhpur University Act, 1956.

Provided that no person who becomes a graduate from any other University established by Law after the enforcement of the Gorakhpur University Act, 1956, shall be entitled to be a registered graduate of this University."

श्री चेयरमैन—अब प्रश्न यह है कि जो स्टेटयूट ६ (२) है उस की जगह पर निम्नलिखित कर दिया जाये :—

"6 (2) Every person who :—

(a) graduated from a college now within the jurisdiction of the Gorakhpur University,

(b) is a graduate of any University incorporated by Law and who is a resident of the area within the territorial jurisdiction of the Gorakhpur University ;

Is entitled to get himself enrolled as a registered graduate of the Gorakhpur University till a period of three years from the date of enforcement of the Gorakhpur University Act, 1956.

Provined that no person who becomes a graduate from any other University established by law after the enforcement of the Gorakhpur University Act, 1956, shall be entitled to be a registered graduate of this University."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डा० प्यारेलाल श्रीवास्तव—

I have to move another amendment. After snb-clause 2 and before sub-clause 3 of section 6, the following shall be added as sub-clause 2 (A) :—

2 (A) : "From 1959 and onwards graduates of Gorakhpur University of 3 years standing and upwards shall be eligible to get themselves enrolled as registered graduates of the University."

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ ।

श्री चैयरमैन—यह नया संशोधन है । प्रश्न यह है कि Statute 6 (2) के पश्चात् निम्नलिखित (2-A) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"2-(A)—From 1959 and onwards graduate of Gorakhpur University or 3 years standing and upwards shall be eligible to get themselves enrolled as registered graduate of the University."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हृदय नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं क्रम संख्या ११ पर अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहता ।

डाक्टर प्यार लाल श्रीवास्तव—

Sir I move that :—

Add the following as a proviso to sub-statute 8 (c) :—

"Provided that this restriction regarding date shall not apply to the first election of donors to the Court to be held on the publication of these Statutes."

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे मंजूर है ।

श्री चेयरमैन—आखीर में The publicaton के पहले जो on आया है, उसकी जगह पर after होना चाहिये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी, बिल्कुल ठीक है ।

श्री चैयरमैन--अब प्रश्न यह है कि :

Add the following as a proviso to sub-statute No. 8 (c):-

"(c) Provided that this restriction regarding date shall not apply to the first elections of donors to the Court to be held after the publication of these statutes."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण सिंह--मैं क्रम संख्या १३ को प्रस्तुत नहीं करता हूँ।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्रम संख्या १४ को इस प्रकार से संशोधित रूप में पेश करना चाहता हूँ :

In item (vi) of clause (a) of statute no. 1 of Chapter VI, the word "six" shall be substituted for the word "four" occuring in the begginning of the item.

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री चेयरमैन--अब प्रश्न यह है कि :

In item (vi) of clause (a) of statute no. 1 of Chapter VI, the word "six" shall be substituted for the word "four" occuring in the beginning of the item.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हृदय नारायण सिंह--मैं Chapter VII के Stalate No 1 में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूँ :--

Add the following new sub-statute no. (5) aftere sub-statute no. (4).

"(5) Faculty of Agriculture."

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं समझता हूँ कि जो प्रस्ताव है, वह ऐसा है जिसमें कोई विरोध नहीं हो सकता है। लेकिन कोई फैकल्टी किसी युनीवरसिटी में अगर जारी की जाय, तो उसके पठन पाठन का भी प्रबन्ध हो जाना चाहिये। केवल स्टेच्यूट में फैकल्टी को रख देने से अगर प्रबन्ध न किया जाय, तो उससे लाभ न होगा और बहुत निराशा होगी। आगे इसमें इसमें इन्जिनियरिंग भी लिखी हुई है, आप ने सिर्फ एग्रीकलचर ही मव किया है। आगे वाले अमेन्डमेन्ट में एग्रीकलचर और इन्जिनियरिंग दोनों है।

मेरी सहानुभूति बहुत है और मैं समझता हूँ कि इस फैकल्टी को मंजूर कर लेना चाहिये और स्टेच्युटस में। लेकिन जैसा कि कल बात हुई थी और मैंने कहा भी था कि कदाचित अच्छा यह हो कि यह यूनीवरसिटी के ऊपर छोड़ दिया जाय। इस बात का प्रबन्ध किया जा रहा है कि इन्जीनियरिंग की फैकल्टी को व्यापक रूप से चलाया जाय। सरकार

इसमें सचेष्ट है और गोरखपुर यूनीवरसिटी को सवासो एकड़ का एक फार्म खरीद कर दिया भी गया है। मेरा इस समय विचार यह है कि स्टेच्यूट मन्जूर हो जाने के बाद यूनीवरसिटी के हाथ में चले जायेंगे और यूनीवरसिटी को अधिकार हो कि वह अपने रुपये पैसे की हालत का देखकर जब चाहे इसको कर ले। वैसे सरकार की पूरी सहानुभूति है ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि आप इसको इस समय न लायें तो उचित होगा।

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं तो यहाँ पर कर दूँगा, लेकिन जब लोवर हाउस में इस पर जोर पड़ेगा।

श्री चेयरमैन—वहाँ का जिक्र न करें।

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं अपना संशोधन विदड्रा करता हूँ।

श्री चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री श्याम बिहारी विरागी (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—मन्त्री जी के इतना कहने के बाद में अब क्रम संख्या १६ को प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ।

श्री हृदय नारायण सिंह

Sir, I move that .—

In item (iii) of sub-statute (1) of statute 3 in Chapter VII, the word "three" shall be substituted for the word "two" occuring in the beginning of the item.

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हाँ, मुझे स्वीकार है।

श्री चेयरमैन—अब प्रश्न यह है कि :

In item (iii) of sub-statute (1) of statute 3 in Chapter VII, the word "three" shall be substituted for the word "two" occurring in the beginning of the item.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं निम्नलिखित संशोधन रखता हूँ—

In item (v) of Sub-statute (1) of statute 3 of chapter VII, the word "three" for the word "two" shall be substituted occuring at the begining of the item.

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि :—

In item (v) of Sub-Statute (1) of statute 3 of chapter VII the word "three" for the word "two" shall be substituted occuring in the beginning of the item.

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण सिंह--सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूँ —

In item (v) of sub-statute (2) of statute 3 of Chapter 7, substitute the word "three" for the word "two" occuring at the beginning of the item.

श्री कमला पति त्रिपाठी--मैं इसको मन्जूर करता हूँ।

श्री चेयरमैन

The question is that :--

In item (v) of sub-statute (2) of statute 3 of Chapter VII, substitute the word "three" for the word "two" occuring at the beginning of the item.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमान जी, मैं चाहता था कि आइटम ५ में चेप्टर ७ के उप परिनियम २ में निम्नलिखित प्राविजो और जोड़ दिया जाता :

"Provided that one of them shall be a teacher teaching for the subjects of Agriculture.

यहाँ पर ऐग्रीकल्चर कालेज भी आते हैं। मैं एक रिप्रेजेन्टेटिव ऐग्रीकल्चर कालेज का भी रखना चाहता था।

श्री चेयरमैन--माननीय मन्त्री जी इसको स्वयं ही पेश कर दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

In Chapter VII, after the item (v) of sub-statute (2) of statute 3, the following proviso may be added :--

"Provided that one of them shall be a teacher teaching for the subjects of Agriculture."

श्री चेयरमैन—अब प्रश्न यह है कि :

In chapter VII, after the item (v) of sub-statute (2) of Statute 3, the following shall be added :—

"Provided that one of them shall be a teacher teaching for the subjects of Agriculture.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं क्रम संख्या १९, २० तथा २१ प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ।

श्री श्याम बिहारी विरागी—मैं क्रम संख्या २२ प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

श्री मदन मोहन—मैं भी क्रम संख्या २३ तथा २४ प्रस्तुत नहीं करता हूँ।

श्री मदन मोहन—मैं क्रम संख्या २५ में अपना संशोधन निम्न प्रकार से रखना चाहता हूँ।

In statute no. 1 of Chapter VIII, delete the first proviso and the word "further" in the second proviso.

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

श्री चेयरमैन—अब प्रश्न यह है कि :

In statute no. 1 of Chapter VIII, delete the first proviso and the word "further" in the second proviso.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(क्रम संख्या २६ से ३१ तक प्रस्तुत नहीं किये गये)

श्री हृदय नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं चेप्टर १४ के परिनियम ६ के आइटम (ई) (२) में निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूँ —

Substitute the following for item (e) (2) of statute 9 :—

"Two teachers one of whom shall be a head of the department and the other a lecturer, by rotation, for one year, in order of seniority."

श्री चेयरमैन—जो एजेन्डा में है वही मेम्बर महोदय पेश कर रहे हैं या वापस ले रहे हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं वापस नहीं ले रहा हूँ। बल्कि इसमें मैं यह रख रहा हूँ कि —

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर मैं श्री हृदय नारायण सिंह जी की बात को समझ नहीं सका। अब तो लेक्चरार नहीं रहा। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरार शब्द निकाल दिया गया है। मैं समझता हूँ कि टू टीचर्स वन आफ हूम शैल बी हेड आफ दि डिपार्टमेंट की जगह पर दो हेड आफ दि डिपार्टमेंट रखे जायेंगे।

डाक्टर प्यारेलाल श्रीवास्तव

I think, the language of the amendment should be like this.

"Two teachers one of whom shall be a head of the department and the other a teacher other than the head of the department, by rotation, in order of seniority among themselves, for a period of one year.

श्री चेयरमैन

Now the question is that—

"One teacher who is the Head of the Department shall represent the teachers for one year by rotation in order of seniority as Head of the Department."

श्री चेयरमैन

For these to be substituted what I am reading......

"Two teachers, one of whom shall be the head of the department and the other a teacher other than the head of the department......"

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं ऐसा समझता हूँ कि इसको स्पष्ट कर देने में क्या हर्ज है। वन आफ हूम शैल बी ए हैड आफ दी डिपार्टमेंट ऐन्ड दी अदर अगर अदर को स्पष्ट कर देंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा। एक हैड आफ दी डिपार्टमेंट होगा और दूसरा टीचर होगा।

डाक्टर प्यारेलाल श्रीवास्तव

Now the language is--

"Two teachers, one of whom shall be the Head of the Department and the other a teacher other than a Head of the Department by rotation in order of seniority amongst themselves for a period of one year."

I think this is quite correct.

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे संशोधन स्वीकार है।

श्री चेयरमैन--अब प्रश्न यह है कि :

For part (2) of item (e) of statute 9, in Chapter XIV the following shall be substituted :--

"(2) for the representation of the teachers on the managing Committee :

Two teachers, one of whom shall be a Head of the Department and the other a teacher other than the Head of Department by rotation in order of seniority among themselves for a period of one year.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण सिंह--मैं क्रम संख्या ३८ तथा ३९ प्रस्तुत नहीं करता हूँ।

श्री हृदय नारायण सिंह—चैप्टर १४ के स्टेच्यूट २४ में मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ :

In item (e) of sub-statute (4) substitute the word "two" for the word "five" occuring in the last line of the item.

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुझे स्वीकार है।

श्री चेयरमैन—अब प्रश्न यह है कि।

In item (e) of sub-statute (4) of statute 24 of Chapter 14, substitute the word "two" for the word "five" occuring in the last line of the item.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मदन मोहन—मैं क्रम संख्या ४१ पर अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ।

श्री मदन मोहन—क्रम संख्या ४२ पर जो मेरा संशोधन है वह इस प्रकार है।

"Delete sub-statutes nos. (iii) and (iv) of statute no. 1"

मैं यह चाहता हूँ कि सब स्टेच्यूट ३ डिलीट कर दिया जाय। सब स्टेच्यूट ४ को फिर लेंगे।

श्री चेयरमैन—तो सब स्टेच्यूट ३ डिलीट कर दिया जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हाँ, सब स्टेच्यूट ३ डिलीट कर दिया जाय।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि चैप्टर १६ का स्टेच्यूट नम्बर १ का सब स्टेच्यूट नम्बर ३ डिलीट कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन मोहन—Chapter १६ के Statute 1 में सब स्टेच्यूट ४ के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि यह निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाय। भाषा इस प्रकार होगी।

A period of leave without pay shall not count as a period of service unless it is declared by the Executive Council to have been granted on academic or medical grounds.

श्री चन्द्र मोहन सुखिया (नाम निर्देशित)—यह जो शब्द इस में ग्रान्टेड इस्तेमाल किया गया है उसकी जगह पर स्पेन्ट होना चाहिए।

श्री मदन मोहन—यह जो शाब्दिक बात है, वह दूसरी चीज है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने उसको छुट्टी दे दी, तो जब वह लौट कर आयेगा, तब ही उसकी सीनियरिटी की बात होगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसमें स्पेन्ट लिखा हुआ है, इससे आप का कोई नुकसान नहीं होता है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल तो बाद में ही विचार करेगी और उस पर फैसला करेगी। अगर उसकी छुट्टी एकेडेमिक और मेडिकल बेसिस पर है, तो उसी तरह से विचार किया जायगा।

श्री मदन मोहन—श्रीमान् जी, छुट्टी देते समय तो कुछ वातावरण हो सकता है, लेकिन सीनियरिटी का फैसला करते समय दूसरा वातावरण हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ग्रान्टेड ही होना चाहिए।

श्री हरि कृष्ण अवस्थी (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—श्रीमान् जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उदाहरण के लिए एक हाइपोथिटिकल केस आप के सामने रखना चाहता हूँ कि एक आदमी डेपुटेशन पर गया और फिर उसने यह सोचा कि मैं तो अब अपनी ही यूनिवर्सिटी को जाना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर मेरी सीनियरिटी खत्म हो जायगी। लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले वह बीमार पड़ गया और

श्री हरि कृष्ण अवस्थी

अस्पताल में चला गया। अब वह आकर कहता है कि मैं इतने समय तक अस्पताल में रहा हूँ उस को आप मेडिकल लीव कर दीजिए। लेकिन उससे यह कहा जायगा कि आप तो डेपुटेशन पर थे।

श्री चेयरमैन

So far as Chair is concerned......

"Spent on medical grounds" is bad. You can spend your time in studies but you cannot spend your time on medical grounds. How can you spend your time on medical grounds?

श्री हरि कृष्ण अवस्थी—तो फिर spent की जगह पर availed कर दिया जाय।

श्री चेयरमैन

Sri Madan Mohanji's objection is quite correct because "spent" can be interpreted in many ways. You can spend your leave on exhibition but you cannot spend your leave on medical grounds.

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—अध्यक्ष महोदय शब्द 'granted' से मेरे ख्याल में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—मेरी प्रार्थना तो यह है कि छुट्टी शिक्षक एफिलिएटेड कालेज के मैनेजमेंट से लेगा, और एक्जीक्यूटिव कौंसिल में उसके आने का कोई मतलब नहीं है, तो यह कब होगा?

श्री मदन मोहन—यह तो यूनिवर्सिटी के लिये है।

श्री चेयरमैन—अब प्रश्न यह है कि चैप्टर १६ में परिनियम १ के उप परिनियम ४ में शब्द 'Spent in study or research with its approval' के स्थान पर शब्द 'granted on academic or on medical grounds' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन मोहन—श्रीमान जी मैं प्रस्ताव करता हूँ कि चैप्टर १७ का परिनियम ३ निकाल दिया जाय।

यह भी उसी तरह से है जैसे कि चैप्टर १६ का परिनियम ३ के लिये मैंने कहा है। मैं समझता हूँ कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे यह संशोधन मंजूर है।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि चैप्टर १७ का परिनियम ३ निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

Add the following as sub-statute no. (iii) after sub-statute no. (ii) of statute 6 in Chapter XVII.

"(iii) One year for a lower research Degree and two years for a higher research Degree shall be added to the total length of service as teacher."

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मुझे यह संशोधन मन्जूर है।

श्री चेयरमैन--अब प्रश्न यह है कि :

Add the following as sub-statute no. (iii) after sub-statute no. (ii) of statute 6 in Chapter XVII.

"(iii) One year for a lower research Degree and two years for a higher research Degree shall be added to the total length of service as teacher."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं क्रम संख्या ४५ पर अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कितने ही अमेंडमेंट ऐसे हैं जिनको कि मुझे सदन के सामने रखना है। आपने कल यह आदेश दिया था कि अगर किसी संशोधन का इन टाइम नोटिस भी होगा, तो मैं उसको अलाउ कर दूँगा। तो कुछ संशोधन चेप्टर १८ में पृष्ठ ३८ पर आनरेरी डिग्री के सम्बन्ध में हैं। इस वक्त जो स्टेट्यूट है हमारे सामने उसको मैं समझता हूँ कि बदलना अवश्यक है। स्टेट्यूट १ में यह है कि :

"The Executive Council shall have power to confer honorary degrees and other academic distinctions on the recommendations of the Academic Council."

मैं यह चाहता हूँ कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल के बजाय यूनिवर्सिटी रख दिया जाय।

इस तरह से जो मैं स्टेट्यूट १, चेप्टर १८ में संशोधन चाहता हूँ वह यह है कि "एक्जीक्यूटिव कौंसिल" के बजाय यूनिवर्सिटी हो जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री चेयरमैन—अब प्रश्न यह है कि चेप्टर १८ के स्टेट्यूट १ में एक्जीक्यूटिव कौंसिल के स्थान पर 'यूनिवर्सिटी' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—मैं चैप्टर १८ के परिनियम २ में निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूँ :

Substitute the following for statutes 1 and 2.

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद

A proposal for conferment of honorary degrees may be made by any member of the court or the Academic Council which shall be placed before a committee consisting of the Vice-Chancellor and deans of the Faculties, three representatives of the court, who are not teachers of the University and three representatives of the Academic Council who are teachers of the University.

इसके बाद दूसरा हिस्सा इस प्रकार होगा :—

If accepted by the Committee, the proposal shall be placed before the meeting of the Academic Council. If the Academic Council approves of it by not less than two-thirds of the majority of the members present at the meeting, it shall go before the Executive Council and if acceped by the Executive Council it shall be submitted to the Chancellor for confirmation.

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका जो दूसरा हिस्सा है, उसके अनुसार एक कमेटी बनेगी, उसका रिप्रेजेन्टेटिव रिकमेन्ड करेगा, वह एकेडेमिक कौंसिल में जायगा, उसके बाद एक्जीक्यूटिव कौंसिल में जायेगा और फिर चान्सलर की मन्जूरी होगी। इस में है

For clause 1 and 2 the following shall be substituted :—

"The University shall have power to confer honorary degrees and other academic distinctions on the recommendations of the Academic Council." But this is not going to be...

अगर आप ऊपर रखते हैं तो।

The University shall have power to confer honorary degrees and the other two lines would be deleted and then...

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—अध्यक्ष महोदय यह ठीक है, क्योंकि एकेडेमिक कौंसिल नीचे आ गया है। पहले और दूसरे प्रपोजल में यही रख दिया जाय।

श्री चेयरमैन—

First of all the Statute has to confer on the University a power to confer degrees.

श्री कमलापति त्रिपाठी—

That power is already there in the Act.

श्री चेयरमैन

When you make a Statute it should be self-sufficient.

Then 2 is this–A proposal for conferment of honorary degrees may be made by any member of the Court or the Academic Council which shall be placed before a Committee consisting of Vice-Chancellor, Deans of the Faculties, 3 re-

presentatives of the Court who are not teachers of the University and 3 representatives of the Academic Council who are teachers of the University. If accepted by the Committee the proposal shall be placed before the Academic Council. If the Academic Council approves of it by not less than two-thirds of the majority of the members present at the meeting, it shall go before the Executive Council and if accepted by the Executive Council, it shall be submitted to the Chancellor for confirmation.

The thing is so complicated that I would suggest that it shoud be redrafted because if accepted by the Committee, 3 representatives of the Academic Council were put. Now if accepted by the Committee, the proposal shall be placed before a meeting of the Academic Council. If you say like this "which should pass that proposal by two-thirds of the majority," because if accepted by the Committee, then the Academic Council approved of it.

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—श्रीमन् इस का अर्थ यह है……

श्री चेयरमैन—मैं अर्थ तो समझ गया। लेकिन इस स्टेच्यूट को एक ही सेन्टेन्स में रखना ठीक नहीं है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—इसमें क्या दिक्कत है।

It shall be placed before a Committee consisting of the Vice-Chancellor, Deans of the Faculties, 3 representatives of the Court, who are not teachers of the Uuiversity and 3 representatives of the Academic Council who are teachers of the University.

That is right.

श्री चेयरमैन—The thing is defective.

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—

What change do you suggest?

श्री चेयरमैन—

Then you put the words like this :-
"which shall pass the same by the two-thirds majority".

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—

It may refuse to pass it.

The Committee may make certain of the recommendations......

In any case the proposal has to be passed by a two-thirds majority.

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर स्टेट्यूट्स की ऐसी ही भाषा इलाहाबाद यूनीवर्सिटी में भी है। इस में आइडिया यह है एक कमेटी ने किसी की रिकमेन्डेशन्स कर दी, तो एकेडेमिक कौंसिल उसे दो तिहाई मेजारिटी से एप्रूव करे तभी वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने जायेगी।

अगर दो तिहाई मेजारिटी नहीं मिलती तो प्रपोजल बिल बी ड्राप्ड, और इसमें शेल पास अगर कर देंगे तो इसके माने यह होंगे कि इक्जीक्यटिव कौंसिल के लिए जरूरी होगा कि दो तिहाई मेजारिटी से पास करें।

It may not pass it. It may say that we shall not consider the proposal.

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—

It is for the Academic Council to decide.

श्री चेयरमैन—माननीय मन्त्री को स्वीकार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, मुझे मन्जूर है।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि Chapter XVIII में Statute No. 1 व 2 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"1. A proposal for conferment of Honorary Degrees may be made by any member of the Court or the Academic Council. It shall be placed before a Committee consisting of the Vice-Chancellor, Deans of the Faculties, three representatives of the Court who are not teachers of the University and three representatives of the Academic Council who are teachers of the University. If accepted by the Committee, the proposal shall be placed before a meeting of the Academic Council. If the Aeademic Council appoves of it by not less than two-thirds majority of the members present at the meeting, it shall go before the Executive Councii and, if accepted by the Executive Council, it shall be snbmitted to the Chancellor for confirmation."

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--एक संशोधन और है। Appendix 'A' Part 2, नियम १६ (iii) में--

"The elector shall enclose the voting paper......

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि duly sealed with wax कर दिया जाय, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें कहीं नहीं लिखा है कि sealed with wax। रजिस्ट्रार ने बहुत से Voting papers reject कर दिए थे। अतः संशोधित रूप में इस प्रकार पढ़ा जायेगा :—

The elector shall enclose the voting paper duly filled in but without his name or signature in a smaller cover, and then enclose it in the larger cover along with the certificate of identify duly signed and attested and send the same duly sealed with wax either by registered post or deliver it personally to the Registrar.

श्री चेयरमैन--यह statute 19 है। 17 गलत है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—17 लिख गया है, गलत है। 19 होना चाहिए।

श्री चेयरमैन--

In item (iii) or clause 19 of Appendix "A", Part II, the words "with wax" shall be added between the words "duly sealed" and "either"

श्री कमलापति त्रिपाठी--अब तो यह सारे स्टेट्यूट स्वीकार हो गए।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—स्टेट्यूट पास हो गए और बड़े हर्ष की बात है कि इस सुविधा के साथ पास हो गए। कल मन्त्री जी ने बड़ी उदारता, सहिष्णुता और विचार-शीलता से काम किया और मैं समझता हूँ कि कम से कम ५ घन्टे विचार विमर्ष में लगे। इस समय मैं मन्त्री जी का धन्यवाद किए बिना नहीं रह सकता। जो लोग यूनिवर्सिटी से सम्बन्ध रखते हैं, वह मन्त्री जी के बड़े आभारी होंगे। आपके सामने जो मसविदा रखा गया, वह सर्वसम्मति से रखा गया था। सब ने अपनी सम्मति प्रकट की थी और सब को मन्त्री जी ने सुना। मन्त्री जी की प्रतिभा को देख कर मुझे आश्चर्य हुआ। आपने यूनिवर्सिटी के स्टेच्यूट्स को भलीभांति समझा यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है। यूनीवर्सिटी के संचालन में इससे बहुत सुविधा होगी यूनीवर्सिटी को बने हुये दो वर्ष हो गये और बिना इनके बने हुये काम नहीं चल रहा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि कल आपने यह अनुमति सदन को दे दी कि जो लोग इसमें इन्टरेस्टेड है, वे बैठ कर इस पर विचार कर लें, ताकि यह काम सहूलियत और जल्दी से हो जाय और आपकी आज्ञा से मैं उन सदस्यों के प्रति भी कृतज्ञता प्रगट करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय लगा कर इसको उदारतापूर्वक देखा और जिस विषय के लिये मैंने कहा कि यह अभी छोड़ दिया जाय बावजूद उन बातों को दृढ़तापूर्वक मानते हुये भी, उन्होंने हमारे अनुरोध और आग्रह को स्वीकार किया।

इतना मैं और निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रोसीजर जो हुआ है, यह एक ऐसी विधि अपनाई है, जो साधारणतया अपनाई नहीं जाती। जितने नये अमेन्डमेन्टस आये, हम लेते गये और हर मसले पर विचार किया। यह मिसाल तो अच्छी ही हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह कोई प्रीसीडेन्स न हो जाय कि जब कोई मसला शिक्षा विभाग का आवे, तो यही बात की जाय। जो रूल्स रेगुलेशन्स अमेन्डमेन्टस को भेजने के लिये रखे

गये हैं, उनकी तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। कल लगातार ५, ६ घन्टे की मेहनत के पश्चात ही यह काम हो सका, नहीं तो यह नामुमकिन होता। आपने इस मसले पर अनुमति दी, इसके लिये मैं बहुत कृतज्ञ हूं और उन सदस्यों के प्रति भी आभारी हूँ, जिन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखाई।

श्री चेयरमैन--मैंने इसको प्रीसीडेन्स नहीं रखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब जब किसी बात के लिये पूरा सदन सहमत हो जाय, तो मैं सदन के हाथ में हूँ और चूँकि कल सारे सदन की ओर से कहा गया और प्रार्थना की गई कि रूल्स कुछ रिलेक्स कर दिए जायं, इसलिए मैंने इसकी अनुमति दी। इसको प्रीसीडेंस न समझा जाय, केवल एक्सेप्शन रखा जाय।

सदन का कार्य-क्रम

अब कल ११ बजे तक के लिए सदन स्थगित किया जाता है।

सदन की बैठक १ बजकर १० मिनट पर दूसरे दिन शुक्रवार, २१ नवम्बर, १६५८ को दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

लखनऊ :
२६ कार्तिक, शक संवत् १८८०,
(२० नवम्बर, १६५८)

परमात्मा शरण पचौरी
सचिव,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १, २ का उत्तर पृष्ठ २१ पर !)

सूची

१५ नवम्बर, १६५८ तक स्वीकृत सस्ते गल्ले की दुकानों की जिलेवार सूची

जिले का नाम	स्वीकृत दुकानों की संख्या	जिले का नाम	स्वीकृत दुकानों की संख्या
१	२	१	२
१—अल्मोड़ा ...	१५३	२७—रामपुर ...	१७
२—गढ़वाल ...	१३७	२८—फर्रुखाबाद ...	२७
३—टेहरी गढ़वाल ...	१४२	२६—मेरठ ...	८६
४—देहरादून ...	५६	३०—सहारनपुर ...	६६
५—नैनीताल ...	३६	३१—झांसी ...	३६
६—आजमगढ़ ...	२३८	३२—मथुरा ...	५२
७—बलिया ...	१६६	३३—मुरादाबाद ...	५२
८—बस्ती ...	२४५	३४—सीतापुर ...	१३
६—देवरिया ...	२५६	३५—उन्नाव ...	१५
१०—गाजीपुर ...	१७५	३६—मुजफ्फरनगर ...	४१
११—गोरखपुर ...	२२३	३७—बदायूं ...	१४
१२—जौनपुर ...	२३२	३८—अलीगढ़ ...	५३
१३—वाराणसी ...	२३७	३६—बुलन्दशहर ...	३६
१४—गोंडा ...	६५	४०—हरदोई ...	७
१५—बहराईच ...	१२	४१—शाहजहांपुर ...	१५
१६—मिर्जापुर ...	१५५	४२—इटावा ...	३०
१७—फैजाबाद ...	५४	४३—मैनपुरी ...	२६
१८—प्रतापगढ़ ...	३३	४४—बिजनौर ...	१६
१६—सुल्तानपुर ...	४०	४५—पीलीभीत ...	७
२०—बांदा ...	४७	४६—लखीमपुर-खीरी ...	५
२१—फतेहपुर ...	३२	४७—रायबरेली ...	७
२२—इलाहाबाद ...	१४५	४८—बाराबकी ...	१३
२३—कानपुर ...	१२०	४६—ऐटा ...	२८
२४—लखनऊ ...	१२४	५०—हमीरपुर ...	४
२५—आगरा ...	१२३	५१—जालौन ...	४
२६—बरेली ...	३४		
		योग ...	३,६६५

पी० एस० यू० पी—८६ एल० सी—८३५ पुस्तक १६५६

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

शुक्रवार, कार्तिक ३०, शक संवत् १८८०
(२१, नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (७९)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुर रऊफ, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अब्दुस्सलाम शाह, श्री
इशहाक सम्भली, श्री
उमा नाथ बली, श्री
उमा शंकर सिंह, श्री
ए० जे० फ़रीदी, डाक्टर
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुद्सिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल), श्रीमती
कुंवर गुरु नारायण, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
केशव दत्त, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
कृष्ण देव प्रसाद गौड़, श्री
गिरधारी लाल, श्री
चन्द्र मोहन सुखिया, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चौधरी शिव नाथ सिंह, श्री
जगदीश चन्द्र दीक्षित, श्री
जगदीश प्रसाद द्विवेदी, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद उपाध्याय, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेलू राम, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नवल किशोर गुरुदेव, श्री
नवाब सिंह यादव, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पीताम्बर दास, श्री
पुष्कर नाथ भट्ट, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
पृथ्वी नाथ, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बनवारी लाल, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
मदन मोहन, श्री
मदन मोहन लाल, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती

महाराज सिंह भारती, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम गुलाम, श्री
रामधारी पान्डे, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नाथ, श्री
राम नारायण पाण्डे, श्री
राम लखन, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण दीक्षित, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
शंकर राव, श्री
शकुन्तला श्रीवास्तव, श्रीमती
शफीक अहमद खां तातारी, श्री
श्याम बिहारी विरागी, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिव नारायण, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शुगन चन्द, श्री
सक्टू मल, श्री
सरदार बलवन्त सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
हरि कृष्ण अवस्थी, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री

निम्नलिखित मन्त्री, जो कि विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे—

श्री हुकुम सिंह विसेन (स्वास्थ्य, सहायता व पुनर्वास, तथा न्याय मन्त्री)।

श्री चरण सिंह (राजस्व, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री)

श्री कमलापति त्रिपाठी (गृह, शिक्षा, सूचना तथा हरिजन सहायक मन्त्री)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में छात्रों द्वारा आत्म हत्याएँ, लापता होना तथा हत्यायें

*१—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५६ से मार्च, १९५८ तक प्रदेश के कितने छात्रों ने आत्महत्या की, कितने लापता हुये और कितनों की हत्यायें की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी, (गृह, शिक्षा, सूचना तथा हरिजन सहायक मन्त्री)—इस अवधि में २५ छात्रों ने आत्म हत्या की, १० लापता हुये तथा ७ की हत्यायें की गयी।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो १० छात्र लापता हैं ये किन किन संस्थाओं से लापता हुये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—संस्थाओं की तफसील मेरे पास नहीं है। नोटिस मिलने पर मंगायी जायेगी।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि ये लापता होने वाले छात्रों में से सब के सब लापता हो गये हैं या कुछ का पता लग गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो लापता हैं वे तो लापता हो गये हैं। अगर उनका पता होता तो लापताओं में उनके नाम नहीं आते।

श्री हृदय नारायण सिंह—(अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) जिन छात्रों ने आत्म हत्या की है उसके सामान्यतः क्या कारण थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आत्म हत्या करने वालों से कारण पूछना तो कठिन है। यों तो कुछ का यह पता चला है कि कुछ ने परीक्षा में फेल होने के कारण आत्म हत्या की है। दो, तीन, चार ने स्नेह सम्बन्ध अथवा प्रेम सम्बन्ध के कारण भी आत्म हत्या की है। कुछ ऐसे भी है जिन की आत्म हत्या का कारण पता नहीं लग सका है। कदाचित घर में उनका झगड़ा हुआ हो इसलिये उन्होंने आत्म हत्या कर ली हो। बड़ा लम्बा चौड़ा इसका विवरण है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो उस को स्वयं देख सकते हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि जो ७ हत्यायें की गयी हैं क्या ये छात्रों द्वारा की गयी हैं या अन्य व्यक्तियों द्वारा की गयी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक तो छात्र द्वारा भी हुई है। कुछ पुराने रंजिश के कारण की गयी है, कुछ गाँव में झगड़ा होने के कारण की गयी हैं लेकिन ज्यादातर झगड़े के कारण ही की गयी हैं।

श्री शिव नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—ये जो ७ हत्यायें की गयी हैं ये किन किन जिलों में की गयी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसमें बस्ती, देवरिया, बलिया, झाँसी, बनारस, बुलन्द-शहर, जौनपुर, रामपुर, बरेली, आगरा, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, फतेहपुर, नैनीताल आदि कई जिले हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—अभी दूसरे प्रश्न पर कोई सप्लीमेन्टरी प्रश्न नहीं हुये हैं, इसलिये मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

श्री चेयरमैन—आज अधिक सवाल है, इसलिये अगला प्रश्न लिया जाय।

*२—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या सरकार यह भी बताने को कृपा करेगी कि जनवरी, १९५६ से मार्च, १९५८ तक कितने अध्यापकों पर छात्रों द्वारा आक्रमण किये गये और कितने अध्यापकों की हत्यायें की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस अवधि में २३ अध्यापकों पर छात्रों द्वारा आक्रमण किये गये और १ अध्यापक की हत्या की गयी।

नकल कराने वाले अध्यापकों को दण्ड

*३—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५६ से मार्च, १९५८ तक कितने अध्यापकों को परीक्षाओं में नकल कराने के कारण हाई स्कूल बोर्ड, विश्वविद्यालयों या सरकार की ओर से दंड दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में कोई अध्यापक परीक्षा-र्थियों को नकल कराते हुये नहीं पाया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में परी-क्षार्थियों को अनुचित सहायता देने, नकल करते हुए परीक्षार्थियों को न पकड़ने तथा निरीक्षण कार्य में असावधानी के कारण जनवरी १९५६ से मार्च १९५८ तक २०० अध्यापकों को एक निश्चित अवधि के लिये परिषद् के समस्त पारिश्रमिक कार्यों से वंचित कर दिया गया।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो उनके खिलाफ ऐक्शन लिया गया है कि उनको एक निश्चित अवधि के लिये परिषद् के समस्त पारिश्रमिक कार्यों से वंचित कर दिया गया है तो इसके अलावा कोई और ऐक्शन नहीं लिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह कार्यवाही तो माध्यमिक शिक्षा परिषद् करता है और बस यही ऐक्शन लिया गया, इतनी ही सूचना है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह अवधि कम से कम और अधिक से अधिक क्या थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् ५७—५८—५९, ५७—५८, ५७—६०, ५७—५९, ५७—६१ तक इसी प्रकार है यानी अधिकतम ५ वर्ष की अवधि है।

श्री राम कुमार शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि अध्यापकों ने विद्यार्थियों को नकल करते हुये नहीं पकड़ा है तो इसका क्या कारण था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कारण बताना तो कठिन है, क्योंकि उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण भय भी होता है बहुधा।

श्री राम कुमार शास्त्री—तो क्या यह सही है कि यह भय अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है ?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—(अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार ने उस भय को दूर करने के लिये कोई कदम उठाया है जिसके कारण कि अध्यापक अपने इस कर्तव्य से विमुख रह जाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका मुख्य कदम तो अध्यापकों को स्वयं ही उठाना चाहिये कि वह अपने छात्रों में अनुशासन, अपने प्रति प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न करें। बहरहाल अभी मैं उत्तर दे रहा हूँ कि सरकार के सामने भी यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री कृष्ण देव प्रसाद गौड़—(नाम निर्देशित)—जब माननीय मन्त्री जी को यह पता है कि परीक्षाओं में इस प्रकार की दुर्घटनायें होती हैं, तो परीक्षा की व्यवस्था उठा क्यों नहीं दी जाती ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस प्रकार की जब गलत बातें होती हैं तो कहाँ तक व्यवस्था उठायी जाय। कुछ दिन बाद यदि यह प्रस्ताव भी आ जाय कि विवाह की व्यवस्था उठा दी जाय तो यह कहाँ तक उचित होगा।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन अध्यापकों ने परीक्षाओं में अनुचित सहायता देने का काम किया है उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है, क्योंकि वह अध्यापक सरकारी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अध्यापक सरकारी नहीं हैं, वह मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थायें हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही माध्यमिक शिक्षा परिषद् ही करता है, सरकार नहीं करती है।

श्रीमती सावित्री श्याम—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि अध्यापकों और इनविजिलेटरों की सुरक्षा करने का प्रयास करना क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कर्तव्य अवश्य है और जहाँ तक इसकी सूचना मिलती है, उनकी सुरक्षा की भी जाती है। अब भय मानकर अगर कोई काम न करे तो उसका क्या किया जाय, फिर भी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि इसके लिये सरकार क्या करे।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार—निरीक्षक जो हैं वे सरकारी विद्यालयों के भी होते हैं और बाहर के भी होते हैं, तो जो निरीक्षक सरकारी विद्यालयों के होते हैं उनके खिलाफ अगर कोई इस प्रकार के चार्जेज होते हैं तो क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जहाँ तक इस सूची का सम्बन्ध है जो कि मेरे पास है, तो इसमें सरकारी कालेज या स्कूल का कोई नहीं है। यदि कोई सरकारी विद्यालयों का होता तो विभागीय नियमानुसार सरकार उनके प्रति कार्यवाही करती और करेगी।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी इस सूचना से अवगत हैं कि किन विभागों ने या प्रवर समिति के सदस्यों ने नकल कराने में सहयोग दिया है और वे कहाँ तक उत्तरदायी हैं ?

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

जौनपुर की एक शिक्षा संस्था को रख रखाव अनुदान न दिया जाना

*४—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या जौनपुर में ऐसी कोई संस्था है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या ६०० के निकट है, जिसका परीक्षा फल जिले में प्रायः सर्वोत्तम होता है, जिसने मान्यता की सभी शर्तें पूरी कर डाली हैं और जिसको मान्यता मिले चार साल हो गये पर जिसको अभी maintenance grant नहीं मिली है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हाँ ।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या इस वर्ष जो अनुदान स्वीकृत हुआ है, उसमें यह संस्था रखी गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी अनुदान स्वीकृत का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस संस्था को अवश्य ही लिया जायगा ।

डिस्ट्रिक्ट तथा म्युनिसिपल बोर्डों के स्कूल किराये की इमारतों में

*५—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय जनवरी १९५८ में, डिस्ट्रिक्ट तथा म्युनिसिपिल बोर्डों के कितने जूनियर, बेसिक या प्राइमरी स्कूल किराये की इमारतों में चल रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड	म्युनिसिपल बोर्ड
रु० १,३००	रु० १,५३३

*६—श्री हृदय नारायण सिंह—उनके लिये कितना वार्षिक किराया देना पड़ता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ६७,२०० और म्युनिसिपल बोर्ड ६,१७,५२३

*७—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों तथा म्युनिसिपिल बोर्डों के कितने जूनियर, बेसिक तथा प्राइमरी स्कूल इस समय (जनवरी, १९५८) बिना भवन के चल रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ५,५६९ और म्युनिसिपल बोर्ड २१

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी को यह सूचना है कि ऐसी अवस्था होते हुये भी कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपनी जूनियर हाई स्कूल की इमारतों को दूसरों को किराये पर दे देते हैं और खुद दूसरी किराये की इमारत में अपनी संस्था को चलाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सम्भवतः ऐसा होता होगा । मेरे पास तो कोई शिकायत नही आई है । अगर कोई शिकायत आयगी तो उसकी जाँच करायी जायेगी । यह तो अनुचित है कि अपनी इमारत को किराये पर दे दे और खुद दूसरी किराये की इमारत में संस्था को चलायें ?

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या इसके लिए कोई प्रबन्ध हो रहा है कि सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड अपनी ही इमारतों में संस्थाओं को चलायें ?

श्री चेयरमैन—इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री हृदय नारायण सिंह—श्रीमान, इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसके लिए कोई कार्यवाही कर रही है कि यह संस्थायें अपनी ही इमारतों में चले ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार की ओर से जो सम्भव हो सकता है वह करती है । सरकार अनुदान दे देती है । यह काम तो स्थानीय बोर्ड का है कि वह देखे कि वे लोग अपनी संस्थाओं को अपनी ही इमारत में चलाते हैं या नहीं । सरकार के पास सारी इमारतों को बनाने के लिए रुपया देना तो सम्भव नहीं है ।

श्रीमती सावित्री श्याम—क्या माननीय मन्त्री जी को यह विदित है कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड की इमारतें बहुत ही गिरी हुई हालत में है, तो उनको ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चेयरमैन—यह प्रश्न तो इससे नहीं उठता है ।

श्रीमती सावित्री श्याम—चूँकि यह सवाल उन संस्थाओं की बिल्डिंग से ही सम्बन्ध रखता है, इसलिए मेरी राय में यह ठीक प्रश्न है ?

श्री चेयरमैन—यदि माननीय मन्त्री जी चाहें, तो उत्तर दे दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी इमारतें हो सकती हैं, लेकिन उनको बनाने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड पर हैं, उनको ही इन्हें बनाना चाहिए और जितना सम्भव होता है, सरकार उनको सहायता देती ही है ।

गैर सरकारी पाठशालाओं के अध्यापकों को चिकित्सा की सुविधा ।

*८—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की मुफ्त चिकित्सा के लिए अभी तक (१०-२-५८) कोई प्रबन्ध हुआ है या नहीं ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या ?

९—श्री कमलापति त्रिपाठी—(क) जी नहीं । (ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मदन मोहन (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—क्या यह आशा की जा सकती है कि जल्दी ही इस विषय में सरकार की ओर से कोई आदेश जारी होंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हाँ, यह प्रश्न विचारार्थ है और विचाराधीन है और इस बात की चेष्टा की जा रही है कि यह जल्दी किया जा सके ।

श्री मदन मोहन—क्या माननीय मन्त्री जी इसके लिए कुछ समय निर्धारित कर सकेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—समय तो निर्धारित करना कठिन है । यह प्रश्न चिकित्सा विभाग तथा शिक्षा विभाग के विचाराधीन है । इसमें खर्च बढ़ाने की तथा स्टाक बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार हो रहा है और इस प्रकार की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है कि इसमें क्या किया जा सकता है ।

अरबी, फारसी मदरसों के इंस्पेक्टरों की जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर नियुक्ति

-श्री हृदय नारायण सिंह—क्या ऐसा नियम है कि अरबी, फारसी, मदरसों ग्रा सहायक इंस्पेक्टरों की नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर हो

मलापति त्रिपाठी—जी हाँ। प्रसंगवश यह बता देना उचित होगा कि अरबी रसों का केवल एक ही इन्स्पेक्टर है जिसका पद नाम "इन्सपेक्टर आफ अरे- है।

-श्री हृदय नारायण सिंह—ऐसी कितनी नियुक्तियाँ पिछले दस वर्षों में

मलापति त्रिपाठी—जिला विद्यालय निरीक्षकों के कुछ पद यू० पी० ई० वेतन क्रम) तथा कुछ यू० पी० ई० एस० (सीनियर स्केल) में हैं। चूँकि अरेबिक मदरसाज का पद भी यू० पी० ई० एस० जूनियर स्केल में है अतः स्केल के जिला विद्यालय निरीक्षक के पद के लिए ही उसकी पदोन्नति का है। इस सम्बन्ध में जूनियर स्कूल के अन्य अधिकारियों के साथ इन्सपेक्टर मदरसाज भी साधारण नियमानुसार विचार का अधिकारी होता है और चुने में पदोन्नति हो सकता है।

ार उप मुस्लिम विद्यालय निरीक्षक एस० इ० एस० (गजटेड) कैडर के और वे उस कैडर के अन्य उप विद्यालय निरीक्षकों के साथ ही यू० पी० र स्कूल) में चुने जाने के लिए विचार किये जाते हैं।

ोनों उपर्युक्त पदोन्नतियाँ क्रमशः यू० पी० ई० एस० (जूनियर) तथा एस० ेड) कैडरों से होता है अतः इन्स्पेक्टर आफ अरेबिक मदरसाज तथा उप निरीक्षकों के विशिष्ट रूप से नियुक्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या उपर्युक्त नियम संस्कृत पाठशाला के ायक इन्सपेक्टरों के लिए भी लागू होता है?

लापति त्रिपाठी—जी हाँ।

ी हृदय नारायण सिंह—(क) यदि हाँ, तो पिछले दस वर्षों में कितनी हैं?

नहीं, तो क्यों?

ापति त्रिपाठी—(क) जैसा प्रश्न १० के उत्तर में कहा गया है यहाँ भी यह

नहीं उठता है।

मैन—श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव जी का टेलीफोन आया है कि उनके दिये जायें, इसलिए प्रश्न संख्या १३ से १६ तक स्थगित किये जाते हैं?

—(सदस्य की इच्छानुसार स्थगित किए गए)

(प्रश्न संख्या १७-१८ के उत्तर प्रश्न संख्या ८०-८१ के पश्चात् देखिए)

दो थानेदारों के विरुद्ध शिकायतें

*१६—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन थानेदारों के विषय में जांच सम्पन्न हो गई या नहीं जिनके सम्बन्ध में २८ फरवरी, १९५८, को मेरे प्रश्न नं० ७१ के भाग (ग) में गृह मन्त्री ने यह उत्तर दिया था कि ऐसे दो थानेदारों ने जनता के लोगों पर मुकदमा चलाये जाने के लिए सरकार से आज्ञा प्राप्त नहीं की है उनके इस कारण के विषय में जांच हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हाँ । दोनों थानेदारों से पूछ-ताछ की गई और उनका कहना है कि उन्होंने जनता के लोगों पर मुकदमा चलाने से पहले गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कंडक्ट रूल्स के नियम ६५ के अन्तर्गत अनुमति इसलिये प्राप्त नहीं की क्योंकि उक्त नियम के अनुसार केवल अधिकारीय कार्य (official act) के विषय में अपने को निर्दोष सिद्ध करने के हेतु मुकदमा चलाने के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, जबकि उन्होंने अपने असार्वजनिक कार्य (private act) के सम्बन्ध में जनता के लोगों पर मुकदमें चलाये थे ।

*२०—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—यदि हाँ, तो क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त जांच के आधार पर उन थानेदारों को क्या सजायें मिली हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि गवर्नमेंट को जो उत्तर दिया गया है वह ठीक है अर्थात् थानेदारों द्वारा जो सरकार को यह उत्तर दिया गया है कि उन्होंने जो मुकदमे चलाये हैं, वे आफिसियल ऐक्ट में नहीं बल्कि प्राइवेट कैपेसिटी के अनुसार चलाए हैं, तो क्या यह बात ठीक है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह कहना तो कठिन है, यह प्रश्न हमारे न्याय विभाग के विचाराधीन है । जो जवाब उन्होंने दिया, वह कानूनी तौर से ठीक है या नहीं, यह बात न्याय विभाग से पूछी गई है, और उनके परामर्श के अनुसार ही इस पर कार्यवाही की जायेगी ।

माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के वेतन

*२१—श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—क्या सरकार यह अलग-अलग बताने की कृपा करेगी कि मान्यता प्राप्त और सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कितने इन्टर कक्षाओं को पढ़ाने वाले, कितने हाई स्कूल और कितने कक्षा ६ से ८ तक पढ़ाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो १९५१ के बाद अपनी नियुक्ति की तिथि से आज जो वेतन उन्हें शिक्षा विभागीय अनिवार्य वेतन-क्रम सम्बन्धी आदेश के अनुसार मिलना चाहिए, उससे कम पा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी गई सूचना को एकत्रित करने पर व्यय और परिश्रम उसके उद्योग तुल्य न होगा ।

*२२—श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ के सत्र में जो मँहगाई की फीस मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वसूल की गई, वह कुल कितनी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी गई सूचना को एकत्रित करने पर व्यय और परिश्रम उसके उद्योग तुल्य न होगा।

*२३—श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९५७ से दिसम्बर, १९५७ तक कुल मँहगाई की फीस मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालयों में कितनी वसूल हुई और कितनी अध्यापकों की मँहगाई के भत्ते के रूप में दी गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी गई सूचना एकत्रित करने पर व्यय और परिश्रम उसके उद्योग तुल्य न होगा।

श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—क्या शिक्षा मंत्री जी को विदित है कि प्रश्न संख्या २२ तथा २३ के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा सूचना एकत्रित की गई?

श्री कमला पति त्रिपाठी—यदि सूचना एकत्रित की गई होती तो कोई कारण नहीं था कि मैं आपकी सेवा में उस सूचना को समर्पित न करता।

श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—मेरे पास प्रमाण है कि सूचना एकत्र की गई है, मैं आपको दिखला सकता हूँ।

श्री चेयरमैन—आप माननीय मंत्री जी को अलग से भेज दें, बात-चीत करलें।

श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—क्या १०१२ अध्यापक, जिनकी नियुक्ति एक साल बाद स्थाई हो जानी चाहिए, उनकी सेवाओं को स्थायित्व लाने के लिए कोई आदेश भेजा गया है?

श्री कमला पति त्रिपाठी—अस्थाई अध्यापकों के बारे में यह बतलाया गया है कि कुछ अनक्वालीफ़ाईड हैं और कुछ स्थाई अध्यापकों के छुट्टी पर चले जाने के कारण काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका प्रावेशन का पीरियड बढ़ा दिया गया है क्योंकि उनका काम संतोषजनक नहीं है। वह पूर्ति होने पर स्थाई होंगे।

श्री मदन मोहन—क्या मन्त्री जी को मालूम है कि बहुत से अन्ट्रेन्ड टीचर्स रखे जाते हैं जिसकी वजह से ट्रेन्ड टीचर्स को जगह नहीं मिलती?

श्री चेयरमैन—यह तो आप ने प्रश्न नहीं किया; कारण बता दिया।

श्री मदन मोहन—क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है ट्रेन्ड टीचर्स को जगह नहीं मिलती क्योंकि अन्ट्रेन्ड टीचर्स रख लिए जाया करते हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा होता है तो विभाग के नियम के प्रतिकूल होता है। जब कभी ऐसा होता है और शिकायत आती है तो जांच पड़ताल होती है। जिसके परिणाम-स्वरूप कभी-कभी उनकी ग्रान्ट भी बन्द कर दी जाती है।

श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—क्या शिक्षा मन्त्री जी यह आदेश प्रसारित करेंगे कि ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति यदि हो गई है तो शीघ्र ही उनको सेवा से अलग कर दिया जाये और ट्रेन्ड अध्यापकों को रखा जाये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सेवा से अलग करने का काम तो वहाँ की मैनेजिंग कमेटी का है। किसी सरकारी संस्था में कोई अन्ट्रेन्ड अध्यापक रखा नहीं जाता। जो सहायता प्राप्त निजी सहायता संस्थायें हैं उनमें सम्भव है कि ऐसा होता हो। यदि कहीं से शिकायत आती

है तो मैनेजिंग कमेटी को लिखा जाता है कि आप नियमानुसार काम नहीं कर रहे हैं, यदि सुधारेंगे नहीं तो आप के प्रति नियमानुकूल कार्यवाही की जायेगी। बरखास्त करने का अधिकार इन अध्यापकों को सरकार को तो है नहीं।

श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या जनाब मिनिस्टर साहब को यह बात मालूम है कि इन्स्टीट्यूशनों में मैथेमेटिक्स और साइन्स के ट्रेन्ड अध्यापक नहीं हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी, यह बात सही है, और खासकर बालिका विद्यालयों में बहुत कमी है।

माध्यमिक विद्यालयों में अस्थायी नियुक्तियाँ

*२४—श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि :

(क) १९५७-५८ में गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति पिछले सत्र में अस्थायी रूप से हुई थी, और

(ख) कितने अस्थायी नियुक्ति में उसी संस्था में २ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(क) २४०४ अध्यापक। (ख) १०१२ अध्यापक।

*२५—श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—क्या सरकार जिलावार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने माध्यमिक विद्यालयो में पढ़ाने वाले व्यक्तियों की शिकायतें जो कि जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास न्याय याचनार्थ आई ६ माह से अधिक समय व्यतीत होने पर भी १ अप्रैल, १९५८, तक तै न की जा सकीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिले के नाम	अध्यापकों के अनिर्णीत मामलों की संख्या जिनका निर्णय १-४-५८ को ६ माह होने पर भी नहीं हो सका।
१—देहरादून	कोई नहीं।
२—सहारनपुर	कोई नहीं।
३—मुजफ्फर नगर	१२
४—मेरठ	४
५—बुलन्द शहर	कोई नहीं।
६—आगरा	कोई नहीं।
७—अलीगढ़	कोई नहीं।
८—मथुरा	कोई नहीं।
९—मैनपुरी	२
१०—एटा	कोई नहीं।
११—बरेली	३
१२—बिजनौर	५

ज़िले का नाम	अध्यापकों के अनिर्णित मामलों की संख्या जिनका निर्णय १-४-५८ को ६ माह होने पर भी नहीं हो सका।
१३—बदायूं	१
१४—मुरादाबाद	कोई नहीं।
१५—रामपुर	कोई नहीं।
१६—शाहजहाँपुर	कोई नहीं।
१७—पीली भीत	कोई नहीं।
१८—नैनीताल	कोई नहीं।
१९—गढ़वाल	कोई नहीं।
२०—अल्मोड़ा	कोई नहीं।
२१—टेहरी	कोई नहीं।
२२—फरूखाबाद	२
२३—इटावा	२
२४—कानपुर	कोई नहीं।
२५—फतेहपुर	२
२६—इलाहाबाद	६
२७—झाँसी	४
२८—जालौन	२
२९—हमीरपुर	३
३०—बाँदा	कोई नहीं।
३१—वाराणसी	१
३२—मिर्जापुर	१
३३—जौनपुर	२८
३४—गाजीपुर	२
३५—बलिया	६
३३—गोरखपुर	४
३७—देवरिया	५
३८—बस्ती	१
३९—आजमगढ़	४
४०—फैजाबाद	२
४१—गोंडा	२
४२—बहराइच	कोई नहीं।
४३—लखनऊ	५
४४—उन्नाव	कोई नहीं।
४५—रायबरेली	कोई नहीं।

जिले के नाम	अध्यापकों के अनिर्णित मामलों की संख्या जिनका निर्णय १-४-५८ को ६ माह होने पर भी नहीं हो सका ।
४६—सीतापुर	५
४७—हरदोई	कोई नहीं ।
४८—लखीमपुर खीरी	कोई नहीं ।
४९—सुलतानपुर	२
५०—प्रतापगढ़	५
५१—बाराबंकी	कोई नहीं ।

*२६—श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने माध्यमिक शिक्षकों के मामले आर्बीट्रेशन बोर्ड में तीन मास से अधिक समय हो जाने पर भी अभी (१-४-५८) तक निर्णीत नहीं हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—केवल १५ ।

माध्यमिक अध्यापकों को अन्वीक्षण कार्यों के लिए दैनिक भत्ता

*२७—श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—क्या सरकार को यह विदित है कि रूरल एरिया तथा टाउन एरिया से हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षाओं में माध्यमिक अध्यापकों को बिना मार्गव्यय व दैनिक भत्ता की व्यवस्था किए आठ-दस या अधिक मील जाकर अन्वीक्षण कार्य करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक विवश करते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

*२८—श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—क्या यह ठीक है कि इस वर्ष कन्नौज के एस० एन० इन्टर कालेज व एस० बी० एस० इन्टर कालेज के अध्यापकों को जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद ने उनके विरोध करने पर भी उन्हें १० मील जाकर तिरवा के डी० एन० इन्टर कालेज में अन्वीक्षण कार्य करने पर विवश किया जब कि उक्त कालेजों के छात्रों का परीक्षा केन्द्र भी तिरवा का डी० एन० इन्टर कालेज न था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी है कि शिकायत की गई है । सरकार ने किस तरह से यह मालूम किया कि ऐसी शिकायत नहीं की गई । क्या वहां के प्रिंसिपल से पूछा गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी शिकायत यदि कोई है तो माननीय सदस्य मुझे बता दें मैं और जानकारी कर लूँगा ।

अन्वीक्षण कार्य के साथ साथ अध्यापन कार्य

*२९—श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—क्या सरकार जिलावार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कितने माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों से इस वर्ष हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट परीक्षा के दिनों में अन्वीक्षण कार्य के साथ-साथ ११ बजे से २-३० बजे दिन के बीच कक्षायें भी पढ़वाई गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुल १३२ विद्यालयों में ।

*३०—श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—क्या यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ की कानपुर शाखा के प्रतिनिधि मन्डल के अनुरोध करने पर पहले जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर ने अपना पहला आदेश यह निकाल दिया कि ११ बजे से २-३० बजे दिन के बीच हाई स्कूल तथा इन्टर की परीक्षा के दिनों में कक्षायें न लगाई जावें, जैसा कि लखनऊ में किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हाँ।

*३१—श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—क्या यह भी ठीक है कि कानपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपना वह पहला आदेश दूसरा आदेश देकर कुछ बदल दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हाँ।

*३२—श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—क्या यह भी सच है कि फिर इस सम्बन्ध में एक तीसरा आदेश भी निकाला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हाँ।

श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—जब केवल १३२ विद्यालयों में जहाँ बोर्ड की परीक्षायें होती हैं वहाँ ११ और २½ बजे की बीच कक्षायें पढ़वाई जाती हैं उन अध्यापकों से जो अन्वीक्षण का कार्य भी करते हैं तो क्या सरकार ने कोई आदेश निकाला है जिससे कि इन थोड़े से विद्यालयों में भी कक्षायें न पढ़वाई जाय क्योंकि अध्यापक सुबह से आते हैं और शाम तक उनको रहना पड़ता है ?

श्री चेयरमैन—बड़ा लम्बा प्रश्न हो गया। यदि मन्त्री जी कुछ कहना चाहें तो कहें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस विषय में मेरी तो सहानुभूति प्रश्नकर्ता के साथ है किन्तु यह काम हमारा नहीं कि सरकार यह नियम लागू करे कि जहां जहाँ परीक्षा के केन्द्र हो वहां वहां कक्षायें न पढ़वाई जांय, उस समय में जब कि बोर्ड की परीक्षायें हो रही हों। मैं इस प्रकार का आदेश देना भी उचित नहीं समझता। बहुत से प्रधान अध्यापक कहते हैं कि बोर्ड की परीक्षायें एक महीने तक चलती रहती है और वे यह आदेश देते हैं कि बीच के समय में कक्षायें पढ़वाई जाय। हमारे लिए यह आदेश देना कठिन है कि ऐसे अध्यापकों का जो निरीक्षण कार्य करते हैं वे कक्षायें न पढ़ावें। हमारे लिए यह व्यवस्था करना उचित नहीं है।

(प्रश्न संख्या ३३–४४ के उत्तर प्रश्न संख्या १८ के पश्चात् देखिए।)

पुलिस द्वारा अश्रुगैस, लाठी प्रहार तथा गोली चलाने का प्रयोग :

*४५—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५५–५६, १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में कितनी बार पुलिस को अश्रुगैस, लाठी प्रहार तथा फायरिंग का प्रयोग करना पड़ा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त वर्षों में पुलिस द्वारा प्रयोग किये गये अश्रुगैस, लाठी प्रहार व फायरिंग की संख्या निम्नांकित है :—

सन्	अश्रुगैस	लाठी प्रहार	फायरिंग
१९५५--५६	—	२	२
१९५६--५७	१	२	३
१९५७--५८	२	३	७
योग	३	७	१२

श्री हृदय नारायण सिंह—यह जो फायरिंग की संख्या ७ और अश्रुगैस की २ है तो क्या फायरिंग के स्थान पर अश्रुगैस का प्रयोग नहीं किया जा सकता था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अश्रुगैस का प्रयोग करना हर जगह कठिन है, एक तो उसके लिए स्थान चाहिए दूसरे इक्वीपमेन्ट होना चाहिए। बहुत से स्थानों पर ऐसा हुआ कि देहात में जब कोई गिरफ्तारी करने के लिए गये तो लोगों ने छीनने का प्रयत्न किया। देहातों में अश्रुगैस ले जाना मुमकिन नहीं इसलिए फायरिंग की गई। वैसे सरकार की यह नीति है कि जहां कहीं सम्भव हो फायरिंग एवायड की जाय और दूसरे ही प्रयोगों से शान्ति स्थापित करने की कोशिश की जाय।

*४३--५४—(स्थगित)।

वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विद्यालयों को खोलना।

*५५—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) क्या सरकार ने कुछ संस्कृत विद्यालय या महाविद्यालय जो वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होंगे खोलने का निश्चय किया है ?

(ख) यदि हाँ, तो कितने और कहाँ-कहाँ पर ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(क) अभी कोई निर्णय नही लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*५६—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) इनका क्या उद्देश्य होगा ?

(ख) इनमें किन-किन परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार किया जायेगा और किन विषयों का अध्ययन होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(क) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*५७—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) इन विद्यालयों में अध्यापकों का वेतन-क्रम क्या होगा, और

(ख) इन्हें सरकार से प्रथम वर्ष में कितना आवर्तक या अनावर्तक अनुदान मिलेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(क) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डिग्री कालेज बलिया के अध्यापकों को प्रिविलेज लीव का हक

*५८—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या यह ठीक है कि सरकार के शिक्षा विभाग

द्वारा संचालित डिग्री कालेज, बलिया में काम करने वाले लेक्चरर्स को दस दिन की प्रिविलेज लीव जो डिग्री कालेज के प्राध्यापकों को मिलती है, नहीं प्राप्य है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्राप्य है ।

*५९—श्री हृदय नारायण सिंह—इस समय उपर्युक्त व्यवस्था का उस कालेज के कितने अध्यापकों पर प्रभाव पड़ रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता ।

*६०—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) क्या उपर्युक्त महाविद्यालय में कुछ प्राध्यापकों को यह सुविधा प्राप्य है ?

(ख) यदि हाँ, तो किस वर्ग के अध्यापकों को ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(क) प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

*६१—श्री हृदय नारायण सिंह—इस भेद का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता । मान्यवर, ठाकुर साहब के ऐसे सवाल होते हैं जिनका प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो नियम है प्रीविलेज लीव का वह सभी अध्यापकों के लिए कब से लागू किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे कालेजों में २८ प्राध्यापक हैं उनमें से ८ परिक्षण काल में हैं और इसकी अविध एक वर्ष की होती है, एक वर्ष बाद उन पर भी लागू हो जायेगा ।

सुभाष नेशनल कॉलेज, उन्नाव के अध्यापकों का बाकी वेतन

*६२—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या यह ठीक है कि सुभाष नेशनल कालेज, उन्नाव, के अध्यापकों का वेतन ५-५, ६-६ महीने बकाया पड़ा रहता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

*६३—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या यह ठीक है कि इस समय (३१-३-५८) भी इस कालेज के अध्यापकों का वेतन ५ महीने का बाकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, ३१-३-५८ तक तीन माह का वेतन बाकी था ।

*६४—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या यह भी ठीक है कि इस कालेज के maintenance fund में गत पांच वर्षों में घाटा होते-होते इस समय ५०,००० रु० के घाटे का योग पहुँच गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी, हाँ ।

*६५—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) क्या शिक्षा मन्त्री से इस संस्था के अध्यापकों का कोई डेपुटेशन शुक्रवार, २१ फरवरी, सन् १९५८, को मिला था ?

(ख) यदि हाँ, तो उसने क्या निवेदन किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(क) जी, हाँ।

(ख) कालेज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष अनुदान की प्रार्थना की गई थी।

*६६—श्री हृदय नारायण सिंह—उपर्युक्त घाटे की पूर्ति के लिए सरकार ने इस संस्था को कितना विशेष अनुदान १६५७-५८ में दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुछ नहीं।

*६७—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या डेपुटेशन की यह भी प्रार्थना थी कि वहाँ बिना स्थायी कोष जमा कराये कामर्स विभाग खोलने की अनुमति दी जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

*६८—श्री हृदय नारायण सिंह—यदि हाँ, तो सरकार ने क्या आगरा विश्वविद्यालय से इस प्रकार की संस्तुति करने का निर्णय किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता।

श्री देव सुमन हायर सेकेण्डरी स्कूल, टिहरी।

*६९—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि चम्पा, टेहरी, में कोई श्री देव सुमन हायर सेकेन्डरी स्कूल है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी, हाँ। इस नाम का स्कूल है।

*७०—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) क्या इसे सरकार ने अपने प्रबन्ध में ले लिया है ?

(ख) यदि हाँ, तो कब से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(क) जी हाँ।

(ख) १—७—५५ से।

*७१—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) क्या वहां कार्य करने वाले सभी अध्यापक सरकारी सेवा में ले लिये गये हैं ?

(ख) यदि नहीं, तो कितने और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(क) जी हाँ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो नये अध्यापक लिये गये हैं उनके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से सिफारिश है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह विषय जरा लम्बा है। आप कहें, थोड़ा से पढ़ दूँ। यहां जो प्रधान अध्यापक थे वह जन सेवा आयोग की अनुमति प्राप्त करने के बाद शासकीय सेवा में विलीन किये गये और बाकी कतिपय ऐसे हैं जो शासकीय सेवा में लिये गये हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछा गया कि किन किन लोगों को लिया गया, यह सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

*७२—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) वहाँ के प्रधानाध्यापक की क्या योग्यता और अनुभव हैं ?

(ख) क्या उसकी नियुक्ति जनसेवा आयोग द्वारा स्वीकृत है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

(क) प्रधानाध्यापक की योग्यता :— १. एम० ए० आनर्स
२. बी० ए० आनर्स
३. एल० टी०

अनुभव : १. राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर ६—७—१९२१ से ८—२—५१ तक।
२. राजकीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर ९—२—५१ से २६—११—५६ तक।

(ख) जी नहीं। केवल एक वर्ष के लिए रक्खे गये हैं। यदि दूसरे वर्ष इन्हीं को रखने की आवश्यकता हुई तो जन सेवा आयोग द्वारा स्वीकृति ले ली जायेगी।

श्री महमूद असलम खां (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—इसमें लिखा है कि प्रधान अध्यापक की योग्यता एम० एम० आनर्स है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह मिस-प्रिन्ट है या कोई डिग्री है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बी० ए० आनर्स से ताल्लुक होगा।

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—(स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—क्यों सरकार ने इसे अपने हक में ले लिया। इन प्राइवेट संस्थाओं को लेने का कारण क्या था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी— सम्भवतः यह टेहरी गढ़वाल राज्य के स्कूल था। और भी पहाड़ी इलाके के दो एक स्कूल लिये गये हैं क्योंकि वहाँ के लोगों के लिये स्कूल चलाना कठिन हो जाता है।

*७३—(हटा दिया गया)।

*७४-७९—(स्थगित)।

परीक्षा-निरीक्षकों पर आक्रमण से बचाव के उपाय।

*८०—**श्री हृदय नारायण सिंह**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उसने निरीक्षकों पर अपने कर्त्तव्य पालन के सिलसिले में हमला होने से बचाने के लिये क्या प्रबन्ध किये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रतिवर्ष परीक्षा काल में निरीक्षकों तथा केन्द्राध्यक्षों पर आक्रमण से बचाव का प्रबन्ध करने के आदेश जिलाधीशों को दिये जाते हैं। कुछ अन्य उपाय भी शासन के विचाराधीन हैं और आशा की जाती है कि उन्हें कार्यान्वित करने पर और अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

*८१—**श्री हृदय नारायण सिंह**—क्या सरकार इन्टरमीडियेट बोर्ड की १९५६ तथा १९५७ की परीक्षाओं में निरीक्षकों अथवा सुपरिन्टेंडेंटों पर जो हमले हुये थे उसकी संख्या बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१९५६—१० घटनायें।
१९५७—१ घटना।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या यह अध्यापकों की तरफ से और उनके ऐसोसिएशन की तरफ से कोई ऐसी माँग की गई है कि उनको मैजिस्टिरियल पावर दी जाय या उनको पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर किया जाय, जिससे कि उनकी रक्षा का प्रबन्ध हो सके?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अध्यापकों की तरफ से माँग की गई है या नहीं, यह तो मुझे ठीक से नहीं मालूम लेकिन हमने स्वयं माँग की है कि ऐसा करने के लिये विचार किया जाय।

श्री महमूद अस्लम खाँ—क्या गवर्नमेंट के विचार में ऐसी कोई स्कीम है जिससे कि लड़कों को मारल एजूकेशन दी जाय, जिससे कि वह इस तरह की हरकतें न करें?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता हूँ कि एजूकेशन का बड़ा हिस्सा मारल बिल्डिंग का है; फिर भी मारल एजूकेशन देने की बात सरकार के विचाराधीन है और सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—क्या सरकार में यह बात विचाराधीन है कि स्कूलों और कालेजों में शिक्षा शुरू होने के पहिले भगवान की थोड़ी सी प्रार्थना कर ली जाया करे। क्या यह प्रार्थना सेक्युलर स्टेट होने के कारण रोक दी गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मना तो कहीं भी नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि अधिकतर स्कूलों में किसी न किसी प्रकार से प्रार्थना तो होती ही है। सेक्युलरइज्म से प्रार्थना का कोई बड़ा विरोध नहीं है।

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—क्या स्कूलों में और कालेजों में लड़कों को धार्मिक शिक्षा देने का विचार है?

श्री चेयरमैन—यह प्रश्न इससे नहीं उठता है।

ऐंग्लो बंगाली इण्टरमीडिएट कालेज, इलाहाबाद के अध्यापकों की वेतन-वृद्धि की तिथि का हटाया जाना।

*१७—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) *(अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि ऐंग्लो-बंगाली इन्टरमीडियेट कालेज, इलाहाबाद, में मेन्डेटरी स्केल्स में कार्य करने वाले अध्यापकों की वार्षिक वेतन-वृद्धि देने की तिथि जुलाई से हटाकर मार्च मास में कर दी गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी, हां।

*१८—श्री कन्हैया लाल गुप्त (*अनुपस्थित)—(क) यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेन्डेटरी स्केल के लागू होने के समय से अब तक (१५—४—५८) अध्यापकों की वेतन-वृद्धि का कितना द्रव्य नहीं दिया गया है?

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(क) १,६४८ रु०।

---

*प्रश्न १७—१८ तथा ३३—४४ श्री हृदय नारायण सिंह ने पूछे।

(ख) आदेश दिये जा चुके हैं कि जिन अध्यापकों को वेतन वृद्धि न मिलने से आर्थिक हानि पहुँची है शीघ्र दी जाय।

इसके अतिरिक्त यह भी आदेश दिया गया है कि अध्यापकों को वेतन वृद्धि जुलाई के महीने में ही दिया करें।

श्री हृदय नारायण सिंह्—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कब आदेश दिये गये और आदेश का पालन हुआ है या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किस तारीख को आदेश भेजा गया, यह तारीख मेरे पास नहीं है। जो आदेश दिया गया है उसका पालन किया गया होगा। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसका पता लगा लूं।

श्री हृदय नारायण सिंह्—आप पता लगा लें तो अच्छा होगा।

ब्राह्मण इण्टर कालेज, मुजफ्फरनगर को पिछले छः सालों में दिया जाने वाला सीमेन्ट, कोयला तथा टीन की चादरें।

*३३—श्री कन्हैया लाल गुप्त (*अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि ब्राह्मण इन्टरमीडियेट कालेज (वर्तमान नाम एम० एम० इन्टरमीडियेट कालेज), मुजफ्फरनगर को पिछले छः वर्षों में कितनी-कितनी मात्रा में सीमेंट, कोयला तथा जी० आई० शीट्स दिये गये?

***33. Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*Absent)—Will the Government state the quantity of cement, coal and G. I. sheets given to Brahman Inter-mediate College (now named as M. M. Intermediate College), Muzaffarnagar during the last six years ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पिछले छः वर्षों में कुछ नहीं दिया गया।*

*३४—श्री कन्हैया लाल गुप्त (*अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि सीमेंट इत्यादि की मात्रा जो कि इमारत बनवाने के लिये ली गई थी उस काम के लिये उस कालेज में कभी नहीं इस्तेमाल की गई?

***34. Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*Absent)—Is it a fact that this quantity of cement, etc. taken for building purpose was never utilised as such in the college ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता।

*३५—श्री कन्हैया लाल गुप्त (*अनुपस्थित)—यदि नहीं, तो क्यों?

***35. Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*Absent)—If not, why ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता।

*३६—श्री कन्हैया लाल गुप्त (*अनुपस्थित)—क्या सरकार द्वारा उन वस्तुओं के अनुचित रूप में व्यवहार करने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई?

***36. Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*Absent)—Was any action taken by the Government against those responsible for misuse of the commodities ?

---

*(प्रश्न ३३—४४ के उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिये गये)

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता।

ब्राह्मण इन्टर कालेज, मुजफ्फरनगर में खराब इन्तजाम की शिकायतें

*३७—श्री कन्हैया लाल गुप्त (*अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर ने कुछ समय पूर्व उपर्युक्त स्कूल में एक शिक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो कि बिक्री-कर के वकील के रूप में भी काम कर रहे थे, जांच की थी ?

*37. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*Absent)—Is it a fact that an enquiry was made by the District Inspector of Schools, Muzaffarnagar, some time back with regard to the appointment of a teacher in the above institution who was also working as Sales Tax Lawyer ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हाँ।

*३८—श्री कन्हैया लाल गुप्त (*अनुपस्थित)—यदि हां, तो उस जांच का क्या फल निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

*38. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*Absent)—If so, what were the findings of that enquiry and what action was taken thereon ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई सबूत नहीं मिला। विद्यालय में १९५५ के पूर्व पत्रादि उपलब्ध नहीं हैं।

*३९—श्री कन्हैया लाल गुप्त (*अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस संस्था की कार्यकारिणी के विरुद्ध धन के दुरुपयोग करने की शिकायतें थीं और यह भी आक्षेप थे कि इस संस्था की सेवा में कुछ फर्जी व्यक्ति दिखाये गये थे ?

*39. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*Absent)—Is the Government aware that there have been complaints of misappropriation of funds against the management of this institution and also to the effect that some fictitious persons have been shown in the service of the institution ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हाँ।

*४०—श्री कन्हैया लाल गुप्त (*अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस संस्था में अनुचित फीस भी वसूल की जाती है ?

*40. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*Absent)—Is the Government aware that unauthorised fees are also charged in the institution ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हाँ।

४१* —श्री कन्हैया लाल गुप्त (*अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस संस्था में बहुत से फन्ड है जैसे इमारत फन्ड और कैपिटल फन्ड जिनके लिये विद्यार्थियों से रुपया जमा कराया जाता है ?

*41. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*Absent)—Is the Government aware that there are number of funds, such as building funds and capital funds, in this institution, for which collections are made from the students ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हाँ।

*४२—श्री कन्हैया लाल गुप्त (*अनुपस्थित)—यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्यकारिणी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

*42. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*Absent)—If so, what action has the Government taken against the management in this behalf?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कालेज के लेखे का आडिट कराया जा चुका है तथा उस पर अग्रिम विभागीय कार्यवाही की जा रही है। संस्था का अनुदान भी स्थगित कर दिया गया है तथा उसे जिला विद्यालय निरीक्षक निकालकर अध्यापकों के वेतन वितरण में व्यय कर रहे हैं।

*४३—श्री कुन्हैया लाल गुप्त (*अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि मई या जून १९५७ में किसी समय इस संस्था के विरुद्ध सरकार, मुजफ्फरनगर के जिलाधीश तथा शिक्षा विभाग के पास शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

*43. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Is it a fact that the Government, District Magistrate, Muzaffarnagar and the Education Department have received a cemplaint some time in the month of May or June, 1957, against this institution?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हाँ।

*४४—श्री कन्हैया लाल गुप्त (*अनुपस्थित)—यदि हां, तो वे शिकायतें किस प्रकार की थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

*44. **Sri Kenhaiya Lal Gupta** (*Absent)—If so, What were the nature of these complaints and what action was taken on them?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ये शिकायतें भूतपूर्व प्रबंधक के विरुद्ध कालेज में गबन सम्बन्धी तथा उनके द्वारा किये गये अवैधानिक कार्यों की है। शिकायतों के विषय में जिला विद्यालय निरीक्षक ने जाँच की और फिर स्पेशल आडिट कराया गया। अब प्रबन्धक से स्पेशल आडिट की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण माँगा जा रहा हैं।

श्री चेयरमैन—अब प्रश्न समाप्त हुये।

मंत्रियों द्वारा प्रश्नों के इस प्रकार के उत्तर कि सूचना को एकत्रित करने पर व्यय और परिश्रम उसके उद्योग तुल्य न होगा, पर स्पष्टीकरण

श्री चेयरमैन—Before I proceed with the business of the House fixed for today, I have to say one thing. Yesterday one question was answered by the Hon'ble Minister for Justice. The answer was like this, that the labour and the expenditure involved in collecting infermation for the answer is not commensurate with the utility of the answer given. Yesterday I said that it was for the Chair to decide whether the labour and expenditure was commensurate with the utility of the answer or not. I have further looked into the question and I have gone deeply into the matter. I deem it my duty that because there was a conflict between my opinion that I gave yesterday and the opinions that were given long ago in the Lok Sabha and also in the old Central Legislative Assembly, I must clarify the position

here. I think that I should read to you a certain portion from a file in which it is written like this. The first thing was this that there was a question which was put in the Lok Sabha. The office noted that the expenditure and lobour involved was not commensurate with the utitity of the answer. The Secretary, Lok Sabha, agreed with it. Then the Hon'ble Speaker (Sri G. V. Mavlankar), however, admitted the question and noted as follows :—

"The idea of the questioner seems to be to get information on the question of use and economy in coal. Let it be left to Government to say how far the expenditure of time and labour is commensurate with the result. Ordinarily we should not make this a ground for disallowing a question. We can hardly judge this issue. The executive know the situation best."

So this was noted on the administrative side. It was not a ruling given in the Parliament.

Then there was another question.

"In replying to a question, Government stated that the expense and labour involved in collection of the information required was such that it would not be justified or commensurate with the results to be achieved, whereupon a Member asked if, after a question had been admitted, it was open to the Government to give such an answer. But the President ruled :

"With regard to the point of order raised, I think it is quite within the competence of the Government to say that the labour involved in the collecting certain information is such that it would not be justified by or commensurate with the result. The Chair can have no knowledge and cannot estimate the amount of labour involved in answering the qnestion."

And added:

"There may be some obvious eases in which the Chair can interfere and suggest to the Honourable Member* (now Minister) on behalf of the Government to try and answer the question, but ordinarily it must be left to the Government."

I thought it best that I should go into this matter. I have studied the point and I feel that my opinion that I gave yesterday should be modified in the light of that.

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक

श्री चेयरमैन—अब हम सन् १९५७ ई० के उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, खंड प्रति खंड विचार करेंगे ।

[श्री चेयरमैन]

खंड प्रति खंड विचार शुरू होता है इसलिए अब मैं प्रश्न आपके सामने उपस्थित करता हूँ।

खण्ड २

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :—

(१) "कलेक्टर" के अन्तर्गत परगने का इंचार्ज प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant collector of the Ist class in charge of Sub-division) है तथा अन्य कोई प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर भी है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के सब या किसी कार्य के सम्पादन का अधिकार दे; परिभाषा

(२) "डिक्री" का वही अर्थ है जो "डिक्री (decree)" को कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दिया गया है, ऐक्ट ५, १९०८

(३) "सरकारी आस्थान" का तात्पर्य किसी ऐसी भूमि से है जो उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के स्वामित्व में हो ;

(४) "भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये किसी के अधिकार या अध्यासन में (held or occupied) हो ;

(५) "पट्टा" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से सरकारी आस्थान के सम्बन्ध में किए गए ठेके अथवा पट्टे से है ;

(६) "पट्टेदार" का तात्पर्य पट्टे के अधीन ठेकेदार अथवा पट्टेदार से है, उसे चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो तथा इसके अन्तर्गत उसके दायाधिकारी और अभिहस्तांकिती (heirs and assigns) भी है ;

(७) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ है जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में "लीगल रिप्रेजेंटेटिव (legalrepre sentative)" को दिया गया है ; ऐक्ट ५, १९०८

(८) "नियत (prescribed)" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(९) "पूर्व कृषि वर्ष (previous agricultural year)" का तात्पर्य उस कृषि वर्ष से है, जो उस कृषि वर्ष से ठीक पहले हो जिसमें अवसान (determination) का दिनांक पड़ता हो ;

(१०) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(११) शब्द और पद "अबवाब", "मौरूसी अधिकार", "मौरूसी काश्तकार" "लगान", "काश्तकार", तथा "सायर" के वही अर्थ है जो यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में क्रमशः शब्द और पद 'Cess', "hereditary rights", "hereditary tenant", "rent", "tenant" और "Sayar" को दिये गये हैं। यू० पी० ऐक्ट १७, १९३९

खण्ड ३

पट्टों का अवसान (Determintion)

३—किसी विधि, संविदा अथवा अन्य लेख्य (Law contract or other document) में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार के लिए यह वैध होगा कि वह सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके किसी ऐसे दिनांक से, जिसे निर्दिष्ट किया जायगा (जिसे आगे चल कर "अवसान का दिनांक" कहा गया है), किसी पट्टे का अवसान कर दे।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड संख्या २ व ३ इस विधेयक के भाग बने रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड ४

पट्टों के अवसान का परिणाम

४—जब कभी धारा ३ के अधीन और अनुसार किसी पट्टे का अवसान किया जाय, तो निम्नलिखित परिणाम होंगे, यथा—

(क) उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था यहाँ आगे चलकर की गई है, पट्टे के अन्तर्गत पट्टेदार के सभी अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे (मानो पट्टे की अवधि उसी समय समाप्त हो गई हो);

(ख) यदि पट्टे की शर्तों के अधीन या अनुसार किसी पट्टेदार ने पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि को निजी जोत में ले लिया हो, तो पट्टेदार ऐसी भूमि का मौरूसी काश्तकार हो जायगा और उसे अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रवृत्त (applicable) मौरूसी दर से आकलित लगान के बराबर लगान देना पड़ेगा ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पट्टेदार के पास ऐसी कुल भूमि का क्षेत्रफल ३० एकड़ से अधिक हो, तो पट्टेदार केवल ३० एकड़ क्षेत्र का मौरूसी काश्तकार हो जायगा और अधिक क्षेत्र जो पट्टेदार अथवा कलेक्टर के प्रार्थनापत्र पर परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा ३० एकड़ क्षेत्र से पृथक तथा परिच्छिन्न किया जायगा, रिक्त (vacant) भूमि हो जायगा तथा उसे रिक्त भूमि समझा जायगा तथा पट्टेदार को ऐसे अधिक क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा ;

(ग) पट्टेदार अवसान के दिनांक से पूर्व काल के लिए पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि के बारे में लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों के वसूल करने का अधिकारी बना रहेगा ;

(घ) ऐसी किसी भूमि के सम्बन्ध में अवसान के दिनांक के पश्चात् किसी भी काल के लिए देय सभी लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियाँ जो उक्त अवसान के न होने पर पट्टेदार को देय होतीं, राज्य सरकार को देय होंगी और उक्त अवसान के पूर्व अथवा पश्चात् उक्त धनराशि की अन्यथा की गई कोई भी अदायगी उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उसका दायित्व हो,

[श्री चेयरमैन]

वैध भुगतान न होगी यद्यपि ऐसे व्यक्ति के पट्टेदार से उसे वसूल करने के अधिकार पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ङ) यदि उक्त प्रकार से अवसान प्राप्त (determined) पट्टे से भिन्न, अवसान के दिनांक से पूर्व निष्पन्न किसी अनुबन्ध अथवा संविदा (agreement or contract) के अधीन उक्त दिनांक के पश्चात् के किसी भी काल के लिए कोई लगान, अबवाब या अन्य धनराशियाँ पट्टेदार को दी गई हों अथवा उसने अभिसंधित (compounded) या वसूल की हों तो वे उस अनुबन्ध अथवा संविदा के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा पट्टेदार से वसूल की जा सकती है और वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुए इस अधिनियम के अधीन पट्टेदार को देय प्रतिकर की धनराशि से काटकर वसूल की जा सकती है ;

(च) अवसान के दिनांक से पूर्व काल के लिए पट्टेदार द्वारा देय लगान-अबवाब, तकावी या अन्य देय धनराशियों की सभी बकाया पट्टेदार से वसूल की जाती रहेगी और वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुये इस अधिनियम के अधीन पट्टेदार को देय प्रतिकर की धनराशि से काटकर वसूल की जा सकती है ;

(छ) अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रभावी पट्टेदारी के अधिकार के प्रत्येक बंधक (mortgage), शिकमी पट्टा (sub-lease) अथवा अन्य हस्तांतरण (transfer) का अवसान हो जायगा और ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ की उपधारा (२) के उपलन्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त प्रतिकर के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानों पट्टे के अन्तर्गत भूमि किसी ऐसे अधिनियम के अधीन हस्तगत की गई थी जिसमें अनैच्छिक हस्तगतीकरण (compulsory acquisition) की व्यवस्था हो ; ऐक्ट ४, १८८२

(ज) पट्टे के अन्तर्गत किसी भी भूमि पर स्थित सभी इमारतें, जिन पर पट्टेदार का अधिकार हो पट्टे की अवशिष्ट अवधि के लिए, नियत की जाने वाली शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन उसी के अधिकार से रहेंगी और उक्त अवधि के समाप्त होने पर, यदि पट्टे में भिन्न अभिप्राय व्यक्त न हों, (और ऐसी दशा में वह अभिप्राय ही प्रभावशाली रहेगा) राज्य में निहित हो जायगी ।

*श्री प्रताप चन्द्र आजाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खंड ४ के प्राविज़ों में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं ।

खंड ४ के उपखंड (ख) के प्रतिबन्ध में शब्द ३० एकड़ के स्थान पर शब्द १२½ एकड़ रख दिये जायँ ।

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली दफा जब माननीय माल मंत्री जी ने जमींदारी अवालीशन......

श्री चेयरमैन—आपके एजेन्डा में छपने से रह गया है। इसकी पहले नोटिस आ गयी थी। गलती हो गई है छपने में।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—ज़मींदारी अवालीशन का संशोधन विधेयक पेश किया था तब उन्होंने इस सिद्धान्त को माना और इस पर जोर दिया कि हमारे प्रदेश की स्थिति और हमारे प्रदेश की जो जमीन है उसको देखते हुए यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार के सिद्धान्त बनायें कि प्रत्येक फैमिली के पास साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न रहे। माल मंत्री थी ने जब इस सम्बन्ध में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डाला था तो प्रकाश डालते हुए उन्होंने दो बातें कहीं थीं। एक तो यह कि कुछ लोगों ने कहा कि ३० एकड़ का प्रतिबन्ध न होना चाहिए बल्कि जो उससे ज्यादा भूमि हो उस पर रहना चाहिए। बल्कि इससे ज्यादा जितनी भूमि है वह रहनी चाहिए। सम्बन्ध में माननीय माल मंत्री जी ने प्रकाश डाला और कहा कि हम इस सिद्धान्त को खत्म कर चुके हैं और साढ़े बारह एकड़ आगे के लिये तय कर चुके हैं। जहाँ तक आगे का सवाल है तो यह विधेयक भी आगे लागू होगा। यह कोई पिछली तारीख से तो लागू होने नहीं जा रहा है। यह तो जिस तारीख को सरकारी गजट में प्रकाशित होगा उसी दिन से लागू होगा। तो दो प्रकार की चीजें हमारे प्रदेश में रहें कि कुछ के पास ३० एकड़ रहे और कुछ के पास साढ़े बारह एकड़ रहे तो समझता हूँ कि यह दोनों प्रकार के सिद्धान्त एक दूसरे के कन्ट्राडिक्टरी होंगे। जहाँ तक साढ़े बारह एकड़ का सम्बन्ध है उसके लिये माननीय मंत्री जी ने कहा है और उसको सभी ने माना है। मैं कहता हूँ कि जब इस तरह से पहले माननीय मंत्री जी विधेयक लाये थे तो सारे प्रदेश में उनकी तारीफ की गयी थी। अब आगे के लिये जो विधेयक लागू होने जा रहा है उसमें भी यह प्रतिबन्ध होना चाहिए कि ठेकेदार अपने पास साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकता है और जो उनकी बाकी जमीन होगी वह गाँव समाज को दी जायेगी और वे जिस तरह उस जमीन को बांटते रहे हैं उसी तरह से इस जमीन को भी बांट दें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को पेश करता हूँ।

श्री बनवारी लाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—मैं श्री प्रताप चन्द्र आजाद के संशोधन का समर्थन करता हूँ। मेरी भी यही राय है जो आजाद जी ने अभी-अभी कही और मैं उससे सहमत हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कभी कहा था किसी ऐक्ट के सिलसिले में कि वे सीलिंग के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। लेकिन चूँकि कुछ बाधायें ऐसी उत्पन्न होती हैं जिसके कारण वह चीज सूबे में प्रैक्टिकेब्लि नहीं हो रही है। जहाँ तक इस विधेयक की बात है, हम समझते हैं कि कोई ऐसी दिक्कत इस में नहीं पड़ सकती है। क्योंकि जब हम एक सीलिंग निर्धारित करने जा रहें हैं तो फिर बजाय ३० एकड़ के हम साढ़े बारह एकड़ क्यों न करें। सभी लोगों को मालूम ही है कि जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जो बड़े-बड़े जमींदार या काश्तकार थे, उन्मूलन में अधिक समय लगने के कारण उन लोगों ने बड़े-बड़े फार्म बना कर काफी लम्बी चौड़ी जमीन अपने हाथ में कर ली। अभी कल ही, श्रीमान्, मुझे लखीमपुर के एक एम० एल० ए० साहब ने बतलाया कि वहाँ पर एक

[श्री बनवारी लाल]

फार्म १२,००० एकड़ का है। पता नहीं कि वह सही है या नहीं लेकिन जब एक विधान सभा के सदस्य ने बतलाया है तो वह सही होगा। इस तरह से हम एक कदम आगे उठा रहे हैं तो यह हमारे हाथ में है कि हम इस वक्त कोई भी मियाद निर्धारित कर दें। जैसा जमींदारी विनाश विधेयक के संशोधन के सिलसिले में साढ़े बारह एकड़ की सीलिंग निश्चित की गयी है तो एक राज्य में एक ही नीति क्यों न बरती जाय। इस लिये जरूरत है कि जब हम यह समझते हैं कि बड़े-बड़े लोगों ने बहुत सी जमीन अपने नाम में और अपने रिश्तेदारों के नाम में करवा रखी है और उससे नाजायज फायदा उठा रहे हैं तो इस हालत में जब ठेकेदारी भी जमींदारी की तरह से खत्म हो रही है और इसका उन लोगों को जमींदारी विनाश के समय से ही पता लग गया है कि ठेकेदारी भी बच नहीं सकती है तो उन्होंने भी बहुत सी तरकीबें कर ली होगी। वे उस जमीन को इस तरह से दिखलायेंगे कि वह दूसरों के नाम में है लेकिन वह उनके अपने ही कब्जे में होगी। इसलिये जहाँ यह ठेकेदारी का कार्य जो कुछ भी उन्होंने अबतक किया है उससे उन्होंने कहीं ज्यादा फायदा उठा लिया होगा, इस लिहाज से भी यह जरूरी है कि जितना भी उन्हें मिलना चाहिये था, उससे कहीं ज्यादा उनको मिल चुका है। फिर कोई वजह नहीं है कि साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा का प्राविजन उनके लिये रखा जाय। मेरे ख्याल में यह बड़ा इनोसेन्ट संशोधन है और मैं भी प्रताप चन्द्र जी की तरह आशा करूँगा कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेवें।

श्री जगदीश प्रसाद द्विवेदी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश बिल में जो संशोधन श्री प्रतापचन्द्र जी ने पेश किया है उसका विरोध करने के लिये मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने उस दिन अर्ज किया था, जब कि लैंड रिफार्म्स अमेंडिंग बिल हम लोगों के सामने पेश हुआ था, तो उसमें साढ़े १२ एकड़ की जो हद रखी गयी थी, वह इस बात के लिये रखी गयी थी कि आयन्दा लोग साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन न खरीद पावेंगे या जो आयन्दा जमीन खरीदेंगे वह उस जमीन को मिला करके जो कि उस वक्त उनके पास होगी, साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा न होगी।

हमने अभी तक यह तय नहीं किया है कि जिन लोगों के पास जमीनें हैं, जो कि वह जोत रहे हैं और जो उनकी काश्त में है उसमें जो ज़मीन कि ३० एकड़ से ऊपर हो, तो वह उनसे चली जायेगी, अभी ऐसा कोई निश्चय यहाँ नहीं हुआ है, जो भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक अभी कुछ महीने ही हुये हम लोगों के सामसे यहाँ पर पेश हुआ था तो उसके सिलसिले में भी इस तरह की कोई चीज किसी प्रकार से यहाँ पास नहीं की गयी थी। यह जो ३० एकड़ इस वक्त ठेकेदारों के लिये रखा गया है, वह उस जमीन के लिये रखा गया है जो कि इस वक्त उनके निज़ी जोत में है। तो जब हमने साढ़े १२ एकड़ का जो निश्चय किया है वह आयन्दा एक परिवार द्वारा ही खरीदी जाने वाली जमीन के लिए किया है तो उस जमीन के लिये जो कि उस वक्त उनके जोत में है, यह हद लगाना उचित नहीं है, हमने भूमि व्यवस्था ऐक्ट में अभी कोई ऐसा प्राविजन नहीं रखा कि जिन लोगों के पास इस वक्त जमीनें हैं वह

साढ़े १२ एकड़ या ३० एकड़ या उससे ज्यादा न हो, तो मेरी समझ में यह तर्क नहीं आता कि इस बिल में ठेकेदारों की निजी जोत के लिये हम साढ़े १२ एकड़ की हद क्यों कायम कर दें।

*श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हमारे मित्र आजाद साहब ने साढ़े १२ एकड़ की जो हद है, उसका संशोधन आज प्रस्तुत कर दिया। जिस समय ठेकेदारी अबालिशन बिल पर विचार हो रहा था तो मैंने अपने विचार से उस समय यह मांग की थी कि जब कि हम एक प्रकार से सीलिंग की ओर जा रहे हैं और फिक्स कर रहे हैं तो कोई कारण नहीं हम इस समय साढ़े १२ एकड़ न कर दें और ३० एकड़ की हद को ही रखें। अभी हमारे माननीय मित्र जगदीश प्रसाद जी बोल रहे थे तो उन्होंने यह कहा कि यह तो आगे के लिये है, जो आज लोगों के पास जमीनें हैं उनके लिये नहीं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि एक निर्धारित नीति है और निर्धारित नीति को हमने अपना लिया है कि अब हम जमीन को बराबर करके उसको कायम कर देंगे, एक ऐसी लिमिट इसके लिये रख देंगे जिससे कि एक परिवार का पालन पोषण हो सके तो आज जो कानून बन रहा है उसमें फ्यूचर की बात को आज भी लिया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों के पास जमीनें हैं, वह एक्सेस लैंड होगी तो उसका वितरण होगा। अगर साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन है तो कोई कारण नहीं कि जब हम फ्यूचर के लिये इस नीति को स्वीकार कर रहे हैं तो क्यों न उसको आज ही से अपना लें। मैंने पहले भी कहा था कि यह थोड़ा सा लिबरल लेजिस्लेशन है जो कि माननीय मंत्री जी ने बना दिया है लेकिन फिर भी जो निश्चित पालिसी हमने कायम कर ली है; उस पालिसी के आधार पर जो भी हमारा दृष्टिकोण है, उसके आधार पर ही हमको जाना चाहिये। लार्ज होल्डिंग टेक्स बिल बन गया और उसमें स्पष्ट रूप से यह बात कही गयी कि जो जमीन ली जा रही है, उसी अनुपात से मुआविजा भी दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ-ही-साथ में यह भी मुनासिब समझता हूँ कि इस मौके पर सरकार इसको मंजूर कर ले, क्योंकि यह जो संशोधन प्रताप चन्द्र जी का है, यह सरकार और माननीय मंत्री जी की पालिसी के अनुकूल ही है। मैं समझता हूँ कि इसको मंजूर कर लेना चाहिये।

*श्री राम कुमार शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सूबे में हर तरफ से यह मांग है कि जमीन ऐसे लोगों को दी जाये जिनके पास जमीन नहीं है। जो लोग भूमिहीन हैं उनके पास जमीन पहुँचनी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान है। जिन लोगों की जमींदारी अबालिशन का काफी तजुर्बा है और उससे रगोरेशे से वाकीफ हैं, वे लोग ऐसी सेल्फ कंट्रीडिक्टरी बात कहते हैं। इससे पहले माननीय माल मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि जमींदारी अबालिशन और ठेकेदारी अबालिशन में जमीन आसमान का फर्क है। ठेकेदारी अबालिशन में बहुत ही कम तादात में जमीन खाली होने वाली है और यह भी कहा था कि यह जो ३० एकड़ मान रहे हैं इसमें बहुत सा हिस्सा उसर और बंजर है। सरकार का यह उद्देश्य है कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं हैं, उनके पास धीरे धीरे

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

जमीन जाए। दूसरे मुल्कों में लोग जमीन जबरदस्ती करके छीन लेते हैं। यहाँ पर यह काम बहुत ही माईल्ड वे में किया जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि सरकार जो कुछ भी कर रही है वह ठीक ही है। ऐसे भी ठेकेदारों की जोत में काश्तकार हैं जिन्होंने उस जमीन को सब-लेट किया है। इसलिए ३० एकड़ और साढे १२ एकड़ में जमीन आसमान का अन्तर है। ऊसर और जंगल की जो जमीन हैं, इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखना मुनासिब नहीं है। लिहाजा जो अमेंडमेंट पेश गया है, उसकी मैं सख्त मुखालिफत करता हूँ।

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक आश्चर्य मुझे कुंवेर गुरु नारायण जी के वक्तव्य पर हुआ। कुंवर साहब इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं और वे बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के मेम्बर हैं तथा विरोधी दल में रहते हुये उन्होंने इस तरह के सिद्धान्त का विरोध भी किया है। लेकिन जब से वे रूलिंग पार्टी में चले गये हैं, वे बहुत अल्ट्रा रिफारमिस्ट हो गये हैं। मैं नहीं समझता कि मैं आजाद जी के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआं हूँ, लेकिन मेरी राय में इसे ठीक तरह से सदन के सामने नहीं रखा गया है। जमींदारी अबालिशन ऐन्ड लैन्ड रिफार्म ऐक्ट में सरकार ने यह बात तय कर दी थी और सदन ने उसे यूनानिमसली पास भी कर दिया था कि इसमें जो काश्तकार खुद काश्त कर रहे हों, उनकी काश्त को नहीं छीना जायेगा। मैं नहीं समझता और मुझे मालूम भी नहीं है अगर सरकार ने वह बात किन्हीं खास आदमियों के फायदे के लिए बनाई हो। मेरी राय में तो उस काश्त और इस ठेकेदारों की काश्त में कोई अन्तर नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जम हम ने जमींदारी अबालिशन ऐन्ड लैन्ड रिफार्म ऐक्ट बनाकर यह तय किया था कि उन काश्तकारों की जमीन नहीं ली जायेगी जिनके पास अपनी जमीन थी, चाहे वह सौ बीघा, दो सौ बीघा, पाँच सौ बीघा या १ हजार बीघा ही क्यों न हो, तो फिर मैं नहीं समझता कि इन ठेकेदारों ने कौन से पाप किये हैं कि उनके पास जो जमीन खुद काश्त में है, वह उनको क्यों नहीं दे दी जाती। सरकार का सिद्धान्त एक होना चाहिए। यदि सरकार ने पहले वह सिद्धान्त अपनाया था, तो अब ठेकेदारों के समय भी यही सिद्धान्त अपनाना चाहिए। इन दोनों में कोई विषमता नहीं होनी चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूँगा कि आप इनको भी आजादी दे दीजिये और इनको फ्री छोड़ दीजिये। इस सम्बन्ध में मैं एक संशोधन पेश करूँगा कि इसमें यह जो प्राविजो है, इसको बिल्कुल हटा दिया जाय। यह जो प्राविजो ४ (बी) है, इसको हटा दिया जाय और इनको हैरेडेटरी टेनेन्ट्स कर दिया जाय।

श्री चेयरमैन—इस संशोधन के लिए आपने नोटिस नहीं दिया ?

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—यह तो अमेंडमेंट में अमेंडमेंट है। मैं आशा करता हूँ कि मन्त्री जी इसको स्वीकार लेंगे।

*श्री हृदय नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रताप चन्द्र आजाद जी के संशोधन का विरोध करना चाहता हूँ। सवाल यह बहुत बड़ा नहीं है, केवल ६ हजार एकड़ जमीन का है जिसके बारे में माननीय मन्त्री जी ने बतलाया।

---

*सदस्य ने अपना शुद्ध नहीं किया।

श्री चरण सिंह—(राजस्व, सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री)—ज्यादा से ज्यादा साढे तीन सौ एकड़ है, ३० एकड़ तो हम कर ही रहे हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—इसका सम्बन्ध ६ हजार से है और प्रताप चन्द्र आजाद जी चाहते हैं कि यह जमीन ३० एकड़ से कम कर दी जाय। यह जो लैन्ड पर सीलिंग का सवाल है, यह सदन के सामने है। इसमें दो मत हैं और दोनों में बड़ी विषमता है। मद्रास के फाइनेंस मिनिस्टर ने लैन्ड रिफार्म पर जो वाक्य कहा है, वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने यह कहा है पूरा मैं सुना देना चाहता हूँ।

Fixation of ceilings of Land holdings.

"Sri C. Subramanium, Finance Minister, Madras, proposed on October 30th, 1958, in the Legislative Assembly, while speaking on a non-official resolution recommending fixation of ceilings of land holdings that it was futile to have a doctrainaire approach to the question and even dangerous to fix ceiling of land holdings before having before them a concrete scheme as to how to utilise and cultivate the excess land without bringing down food production, if not increasing it."

यह एक सवाल सभी प्रदेशों में करीब करीब सामने हैं। दिल्ली से एक रूरल वायस नाम का पत्र निकलता है उसने भी इसके विरुद्ध आवाज उठाई हैं। उसने कोटेशन्स दिये हैं और बतलाया है कि जैसे इजिप्ट है, ईस्ट जर्मनी है, वियतनाम है जहाँ पर लैन्ड पर सीलिंग है वहाँ पर २५० एकड़ है। हमने वैसे तो उनको छूट दे दी है लेकिन फ्रेश लैन्ड एक्वायर करने की इजाजत उनको मिलनी चाहिए। जो लैन्ड इस समय कल्टीवेशन में नहीं है उसका एक्वायर करने की छूट रहनी चाहिए। अभी माननीय मन्त्री जी ने पिछले दिनों बतलाया था कि कितनी जमीन है जो वाटर लाग है, कितनी ऊसर है और बन्जर है। इसको एक्वायर करके अगर हम लैन्ड लेस लेबरर्स को दें तो ज्यादा अच्छा होगा। इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन जो करते हैं उनसे हम जमीन ले लेते हैं और ऐसे लोगों का देते हैं जो पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा ख्याल है और बहुत से लोगों का ऐसा खयाल है कि जो फूड प्रोडक्शन कम हो रहा है उसका यह भी एक कारण है कि ऐसे लोगों को जमीन दी जा रही है जिनके पास साधन नहीं है और जिनके पास साधन हैं उनसे ली जा रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मानीय मन्त्री जी ने लिखा है वही होना चाहिए और प्रताप चन्द्र जी का प्रस्ताव समर्थन के योग्य नहीं है।

*श्री सकटू मल—(स्थानीय सस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यहाँ पर संशोधन हमारे मित्र आजाद साहब ने उपस्थित किया है, मैं समझता हूँ कि वह मुनासिब नहीं है। जिस वक्त मैंने बिल को पढ़ा तो मैं यह समझता था कि शायद इसके द्वारा ऐसा परिवर्तन आ जाये जैसा कि जिनकी जमींदारी विनाश हुई है उनके साथ कोई इस तरह की बात नहीं की गई कि उनकी सीलिंग कर दी गई हो तो फिर क्यों ठेकेदारों के साथ ही ऐसी

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री सकटू मल]

बात की जाये। पर इस संशोधन के द्वारा बजाय ३० एकड़ के साढे बारह एकड़ करने का प्रस्ताव कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि जिनकी जमींदारी का विनाश हुआ है हम अब तक उन पर कोई सीलिंग नहीं लगाना चाहते, मैं समझता हूँ कि यही बरताव यहाँ पर भी होना चाहिए। मुझे बतलाया गया है कि पट्टेदारों का भी ३० एकड़ है। यदि ऐसा है तब तो यह भी उसी सिद्धान्त के अनुसार हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे मित्र अपने संशोधन पर दुबारा विचार करलें और इसे वापस ले लें।

श्री रामेश्वर सिंह—(अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा छोटा सा विषय है लेकिन इसके ऊपर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं इसलिए मैं भी समझता हूँ कि अपनी छोटी सी राय जाहिर करूँ। मेरे कुछ माननीय मित्रों ने यह कहा कि बड़ी जोतें हमेशा लाभकर होती हैं तो यह एक भ्रम है, सचमुच इसमें कुछ प्रेक्टिकल डिफीकल्टीज हैं। मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है और माननीय मन्त्री जी ने भी अपनी जो पुस्तिका लिखी है उसमें कहा है कि बड़ी जोतें अलाभकर होती जा रही है। बड़े बड़े जो काश्तकार हैं उनके पास न तो उचित पूँजी है और न यह क्षमता है कि इतनी बड़ी जोतों को देख सकें। इसलिए यह बड़ी जोतें अलाभकर होती जा रही हैं और इस कारण हमारी खाद्य समस्या और जटिल होती जा रही है। माननीय प्रताप चन्द्र आजाद ने जो विचार व्यक्त किये हैं कि साढ़े १२ एकड़ रखा जाय इसमें कोई विशेष हानि नहीं प्रतीत होती है और जो उसूल आपने साढ़े १२ एकड़ का रखा है उससे सामंजस्य भी हो जाता है। यह कहना कि इससे उत्पादन कम हो जायगा यह एक भ्रम की चीज है। इन शब्दों के साथ में आजाद साहब के संशोधन का समर्थन करता हूँ।

***श्री चरण सिंह**—मान्यवर, यह मैंने गालिबन १८ तारीख को जब कि इस विधेयक के वसूल पर बहस हुई तो मैंने अपनी राय इस विषय पर जाहिर की थी और कुछ दलीलें भी दी थीं और मेरा ख्याल यह था कि अब जो संशोधन एजेन्डा पर लाये गये हैं वे पेश न किये जायेंगे लेकिन हमारे आजाद साहब ने एक संशोधन रख ही दिया। उन्होंने जो दलील दी है वह एक भ्रम भर आधारित है। उन्होंने कहा कि यदि साढ़े १२ एकड़ का सुझाव मान लिया जाय तो भविष्य के लिए भी ठीक होगा और अब के लिए भी ठीक है। लेकिन यह बात कुछ ठीक नहीं है। हमारीं जो भूमि सुधार नीति है उसमें हमारा वसूल यह रहा है कि जिसके पास आज जो जमीन है वह उसके पास रहे चाहे वह किसी हैसियत का हो, चाहे वह जमींदार हो, चाहे वह काश्तकार हो। हमने उसके पास उतनी जमीन छोड़ दी चाहे वह दखलकार हो या ट्रेसपासर भी रहा हो। जो ट्रेसपासर रहा यदि उसके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन रही तो भी हमने उसे नहीं लिया। यह हमारा सिद्धान्त जमींदारी विनाश एन्ड लैन्ड रिफार्म ऐक्ट का है और यह जो साढ़े १२ एकड़ की बात है वह फ्यूचर एक्वीजिशन के लिए है। यह नहीं कि जो मौजूद नयी जमीन है वह साढ़े १२ एकड़ तक कट डाउन कर ली जायगी। ऐसी बात नहीं है। यह सिद्धान्त आगे के लिए है, यह फ्यूचर एक्वीजिशन की बात है।

---

*मन्त्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

यहाँ ठेकेदारों के जो जेरकाश्त जमीन है अगर वह ३० एकड़ से ज्यादा है तो वह ले ली जायेगी।

माननीय ज्योति प्रसाद जी ने एक बात कही, ठीक कही सिद्धान्त यह है कि ठेकेदार से ३० एकड़ से ज्यादा क्यों ली जाय। यह कुछ हद तक सही है, लेकिन एक बात कहना है कि हमने एक सिद्धान्त अपनाया है कि हर एक के पास जितनी जमीन है वह उसके पास रहे। सेक्सन १३ जमींदारी अवालिशन ऐन्ड लैन्ड रिफार्म ऐक्ट में ठेकेदारों के पास ३० एकड़ रखी है, उसके बाद इस उसूल को अपनाया। तब तक हमने ट्रेसपासर्स को कोई राईट्स नहीं दिये थे सिर्फ यह था कि ५ साल तक उनको कोई बेदखल नहीं कर सकता है। उसके बाद जब ऐक्ट में प्रेसीडेन्ट की असेन्ट आई २४ जनवरी, १९५० में उस वक्त तक उसूल यही था कि जिसके पास जितनी जमीन है वह उसके पास रहे। उसमें हमने यह किया कि ठेकेदारों के पास ३० एकड़ से ज्यादा न रहे और बाद में यह किया गया कि जिसके पास जितनी जमीन है वह उसके पास रहे। जो बात माननीय ज्योति प्रसाद जी कहते हैं वह ठीक कहते हैं लेकिन जब एक बात हो चुकी है तो अब जो ठेकेदार गवर्नमेंन्ट के हैं उनके पास ३० एकड़ छोड़ देना मुनासिब होगा।

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—ट्रेसपासर्स से ठेकेदार की पोजीशन ज्यादा आनेस्ट है।

श्री चरण सिंह—आनेस्ट कहना तो बड़ा मुश्किल है। अब अगर किसी के पास २८ एकड़ जमीन है और ३ एकड़ उसके पास ट्रेसपासर्स की है तो तीन एकड़ तो आनेस्ट नहीं है। इसलिए हमने यह लिखा है कि ३० एकड़ रहना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि जमीन ९१०० एकड़ है और वह सब ठेकेदारों के पास नहीं हैं उनके काश्तकारों के पास भी होगी और उसमें से कुछ अनकल्टीवेटेड होगी। किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा होगी इस वक्त हमारे पास आंकड़े है नहीं। अगर हमने साढ़े बारह एकड़ जमीन की बात रखी तो कुल २० जरब साढ़े बारह यानी २५० एकड़ का झगड़ा होगा क्योंकि २० ठेकेदार हैं। इसलिए ३० एकड़ से कम करना मुनासिब न होगा। हमने हर एडल्ट के लिए साढ़े बारह की जमीन लेने के लिए आगे के लिए रखा है अगर किसी ठेकेदार के तीन लड़के हैं तो उसके पास ५० एकड़ जमीन चली जायेगी। इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि ३० एकड़ की बात न रखी जाय। इन शब्दों के साथ में प्रताप चन्द्र आजाद के अमेन्डमेन्ट का विरोध करता हूँ।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ३० एकड़ एक फैमली के लिए रखी गई है?

श्री चरण सिंह—जी, हाँ।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

श्री चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय।
(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खन्ड संख्या ४ में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाय:—

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

उपखन्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखन्ड (खख) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(खख) पट्टेदार के अधिक भूमि से बेदखल हो जाने के बाद जो कि खन्ड ४ के उपबन्धों के अधीन उसके अधिकार में थी, अधिक भूमि भूदान समिति को भूमि रहित श्रमिकों में वितरित करने के लिए उस भूमि के असली काबिज की अनुपस्थिति में जो कि पट्टेदार के अधिकार में थी, दे दी जायेगी।"

श्रीमान्, यह जो मेरा संशोधन है उससे केवल तात्पर्य यह है कि मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी जमीन बचे चाहे वह कितना ही कम क्यों न हो वह लैंड लैस लेबरर्स को दे दी जानी चाहिए, इससे अधिक फायदा होगा। मौजूदा कानून के अनुसार यह सब जमीन ग्राम सभा को चली जायगी। माननीय मन्त्री जी ने बतलाया था कि ग्राम सभा को अधिकार होगा कि वह चाहे तो उसको पब्लिक परपज़ के लिए इस्तेमाल करे या लैन्डलैस को दे दे। लेकिन इसमें जरा डेफनिटनेस है। इससे वह जरूर ही लेन्डलेस के पास जायगी। इसीलिए मैंने इसका पेश किया है।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आया कि इसमें क्या ज्यादा डेफनिटनेस हो सकती है। यह भी एक इस ऐक्ट की धारा बन जायगी। वैसे तो धारा १९८ में साफ लिखा हुआ है कि जो जमीन गाँव सभा के पास होगी उसको सबसे पहिले तो वह एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को दे सकती है और उसके बाद हक होगा लैन्डलेस लोगों का। गांव समाज तो भूदान का सबसे अच्छा काम कर रही हैं। यह जो भूदान निकला था वह तो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स के लिए था जैसे हमारे माननीय ज्योति प्रसाद जी हैं और माननीय कुंवर साहब हैं। उनको समझाने के लिए था कि जो जमीन आपके पास ज्यादा है उसमें से दान में दे दीजिये। पुराने जमींदारों ने जो भी उनके पास बंजर और बेकार सी जमीन थी वह आचार्य बिनोबा भावे के नाम करके स्वर्ग में जाने के लिए परमिट बनवा लिया। उसमें बहुत खराब जमीन है। इसमें ३ लाख के ऊपर करीब ४ लाख एकड़ है। इसमें से करीब ९४ हजार एकड़ जमीन तकसीम हुई है। इस तकसीम हुई जमीन में से खाली ४६ हजार एकड़ पर हल चले हैं। तो यह जो गांव समाज है यह भूमि हीन लोगों में जमीन बाँटने के लिए सबसे अच्छी मशीनरी है। इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूँ।

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं इसका विदड्रा करता हूँ।

श्री चेयर मैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री चेयरमैन—अब प्रश्न यह है कि खंड ४ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५ और ६

५—पहली अप्रैल, १९५५ को या उसके पश्चात् पट्टेदार द्वारा देय लगान अथवा देय लगान उसकी ओर से पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध

में किये गये किसी अनुबन्ध अथवा संविदा के, या की गई किसी बात अथवा किसी ऐसी बात के जिसके किये जाने की अनुज्ञा दी गई हो, होते हुये भी, उक्त भूमि के लिए देय लगान—

(क) अवसान के दिनांक पर वह धनराशि समझा जायगा जो पहली अप्रैल, १६५५ को उसके निमित्त देय लगान के बराबर हो और किसी न्यायालय की डिग्री अथवा आज्ञा से दी गई किसी छूट अथवा कमी से भिन्न किसी छूट अथवा कमी को तब तक नहीं माना जायगा जब तक कि राज्य सरकार उसे पुष्ट न कर दें, और

(ख) अवसान के दिनांक के पश्चात् भविष्य में वह धनराशि होगी जो खन्ड (क) के अधीन तदर्थ देय माने गये लगान के बराबर हो, किन्तु इससे उस पर प्रवृत्त किसी भी विधि के अनुसार भविष्य में उसमें बढ़ती अथवा कमी करने में बाधा न होगी।

कलेक्टर पट्टे की भूमि को अधिकार में लेगा

६—धारा ३ के अधीन पट्टे का अवसान होने पर कलेक्टर या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिये यह वैध होगा कि—

(क) वह पट्टे के अन्तर्गत भूमि पर कब्जा कर ले और उसे अपने अवधान (charge) में ले ले और ऐसी कार्यवाही करे या करवाये और ऐसा बल प्रयोग करे या करवाये जो कलेक्टर अथवा उक्त प्रकार से नियुक्त अधिकारी की राय में इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(ख) वह उस पट्टे के अन्तर्गत, जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो गया हो किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में दाखिल हों और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उसका परिमाप (survey) या माप करे ;

(ग) किसी व्यक्ति से उस प्राधिकारी (authority) के समक्ष, जिसे निर्दिष्ट किया जाय, पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पुस्तकें, लेखे अथवा अन्य लेख्य प्रस्तुत करायें और उक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसी अन्य सूचना दिलवाये, जो निर्दिष्ट की गई हो या मांगी गई हो और

(घ) यदि आदेशानुसार पुस्तकें लेखे तथा अन्य लेख्य प्रस्तुत न किये जाय, तो वह किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में प्रवेश करके उक्त पुस्तकों, लेखों और अन्य लेख्यों को अपने अधिकार में लेकर कब्जे (seize) में कर ले।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ५ और ६ इस विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

पट्टेदार को पट्टे के अवसान के

७—(१) उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (२) में की गई है, किसी पट्टेदार को, जिसके पट्टे का अवसान धारा ३

[श्री चेयरमैन]

उपलक्ष्य में प्रति- के अधीन हो गया हो, ऐसे अवसान द्वारा उत्पन्न क्षति या हानि के कर पाने का लिये किसी भी प्रतिकर के लिये दावा करने अथवा उसके पाने का अधिकार होगा अधिकार न होगा।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट पट्टेदार को ऐसा प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उसे ऐसा प्रतिकर दिया जायगा जिसकी व्यवस्था यहां पर आगे चल कर की गई है।

श्री कुँवर गुरु नारायण—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ७ में निम्नलिखित संशोधन किया जाय :—

"खंड ७ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय।"

श्रीमान् जी, यह खंड इस संबन्ध में है कि जो ठेकेदार होगा उसका अगर किसी किस्म का डैमेज हुआ है या लास हुआ है उसकी प्रापर्टी का ड्यूरिंग ऐसेसमेंट टाइम तो वह उसको क्लेम नहीं कर सकता है। मैं समझता हूँ कि यह न्यायसंगत बात नहीं होगी। अच्छा यह होगा कि अगर कोई डैमेज हुआ है तो इसको हटा देने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इससे न्याय हो सकता है।

श्री चरण सिंह—जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में हमने कोई ऐसी धारा नहीं रखी है। वहां पर हमने जमींदारों के राइट्स एक्वायर किये तो हम उनको मुवाविजा दे रहे हैं। यहाँ पर इनका अधिकार जो है उसको डिटरमिन कर रहे हैं। ठेके में क्या-क्या शर्तें लिखी है, यह मालूम नहीं है। इसका मुवाविजा हम दे रहे हैं और इसके अलावा वे कोई डैमेज क्लेम करने लगे तो यह ठीक नहीं होगा। प्रिकाशनरी स्टेप के तौर पर हमने यह रखा और ऐसा कानून बनाते हैं तो हमेशा एहतियात बरता जाता है कि कोई गड़बड़ी पैदा न हो।

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—मेरी समझ में यह नहीं आया है कि इस अँधेरे का कानून किस लिये बनाया जा रहा है। इस बिल में यह जिक्र नहीं है कि किस जिले में यह जमीन है और किस किस्म की जमीन है और किसने ठेके पर दी है। आया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया या राजा महाराजाओं ने दिया है। इसमें क्या चीज़ है? मेरी राय में मन्त्री जी को सब चीज़ों को उजाला में कर देना चाहिये जिससे हमको मालूम हो जाता और हम उसके मुताबिक इस भवन में बहस करते। मैं मंत्री जी से मिलना चाहता था लेकिन नहीं मिल सका यह जानने के लिये कि यह पट्टों की किस तरह की जमीन है।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार—पहले बतलाया था।

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—मुझे मालूम नहीं था। माफ कीजिये यह बिलकुल अँधेरे में है। आबजेक्ट्स और रीजन्स हैं।

"The existence of thekedars in Government Estates in nine districts of Uttar Pradesh makes it difficult to introduce the scheme of land reforms enunciated in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act......"

जमीन की क्वालिटी को बताइये। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता था कि जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के अन्दर ठेकेदारों का क्या जिक्र है ? जमींदारी एबालीशन और ठेकेदारी अबालीशन में क्या सम्बन्ध है ? ऐसा कानून होगा तो इसके लिये दो तीन डिप्टी कलेक्टर मुकर्रर होंगे और वह कम्पेनसेशन का रोल बनायेंगे इसलिये मेरा विचार है कि सादा कानून बन जाता और ठेकेदारों पर लगान लगा देते और उनको हेरेडेटरी हक दे देते जो जिस जमीन को जो जोतता है वह उसका मालिक हो जाता। जैसा आपने जमींदारी एबालीशन में किया है वैसे ही सब को काश्तकार बना देते लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम्पेनसेशन अफसर नियुक्त किये जायेंगे और उनको मोटर दी जायेगी। आपको ऐसा कम्प्लीकेटेड कानून नहीं बनाना चाहिये। It should be simple, it should be brief, it should be to the point and it should be intelligible even to the commonest man on the street. लेकिन हमारी सरकार (उत्तर प्रदेश की सरकार) कानून मुश्किल से मुश्किल बनाती है जिसके शब्द निहायत शुबहातलब होते हैं और जिनका मतलब समझ में नहीं आता है। वकील लोग जमींदारी अबालीशन कानून में चक्कर खा रहे हैं। मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूँगा कि कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास करायें कि जो लेजिस्लेशन का ड्राफ्ट बने उनके लिए अच्छे और चतुर आदमी बुलाये जाँय और ड्राफ्ट को ऐसी भाषा में बनाना चाहिए जो आसानी से समझ में आ सके। ड्राफ्ट बनाना किसी वकील का काम नहीं है। ड्राफ्ट बनाने का काम मुंसिफ और जज इत्यादि का भी नहीं है। यह एक विजुअल आर्ट है।

श्री एम० जे० मुकर्जी (नाम निर्देशित)—यह अमेंडमेंट पर बहस हो रही है या थर्ड रीडिंग है।

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—आपको क्यों तकलीफ हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूँगा कि कुँवर साहब हमारे नेता होने के बजाय उधर पहुँच गये हैं लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करूँगा कि हम उनके संशोधन से सहमत हैं और चाहते हैं कि सब क्लाज़ नंबर १ को क्लाज़ नम्बर ७ से हटा दिया जाय। इसका कारण वही है जो श्रीमान्, जी से मैंने अर्ज किया। यह क्लाज़ जो है बेमतलब है।

"Except as provided in sub-section (2), no lessees whose lease has been determined under section 3, shall be entitled to claim or be paid any compensation for loss or damage caused by such determination."

क्या लास या डैमेज उनके लिए होगा इसके लिए कोर्ट में स्पैकुलेशन होगा। कौन सा लास या डैमेज आता है मन्त्री जी को। इस सब सेक्सन १ में लास या डैमेज किस बात का है इस बात को साफ कर देना चाहिए। फर्ज कीजिये किसी ठेकेदार ने किसी जमीन में १० हजार रुपया लगा दिया है और उसको जरखेज़ बना दिया है। आप उसको लास या डैमेज नहीं देंगे। मेरी राय में इससे ज्यादा बुरी बात कोई नहीं होगी। कोई इस प्रकार का रूल हो तो ठीक है लेकिन हमारे तो नान वाइलेंट मेथड हैं या और कौन सा शब्द इस्तेमाल करूँ सत्य के मानने वाले हैं उनके लिए ऐसा करना ठीक नहीं जँचता। सरकार को सबके साथ इंसाफ

[श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय]

करना है। मेरी राय में ठेकेदारों के साथ इस प्रकार का अन्याय होना, इस तरह का उनके लिये कानून बना, देना उचित नहीं है। हालाँकि मैं ठेकेदार नहीं हूँ लेकिन यह कह देना कि कोई लास या डैमेज नहीं होगा यह उचित नहीं है। मैं प्रार्थना करूँगा कि मंत्री जी इस संशोधन को मंजूर करें। कुँवर साहब, इसको वापस मत करिये।

श्री **कुँवर गुरु नारायण**—जो संशोधन रखा गया है मैं समझता हूँ कि वह अपने स्थान पर उचित है। ईक्विटी और जस्टिस डिमांड करती है कि अगर किसी प्रकार का लास या डैमेज हो डिटरमिनेशन के सम्बन्ध में तो उसको क्लेम करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बहरहाल कोई कारण नहीं है कि इस चीज़ को न रखा जाता। अब प्रश्न उठता है कि बहुत थोड़े से ठेकेदार हैं लास या डैमेज क्या होगा ख्याल किया जाता है कि कुछ न हो। लेकिन जब यह रखा गया तो इस बात का अंदाज कर लिया गया कि लास या डैमेज होगा। तभी यह क्लाज़ रखा गया। बहरहाल, मैं प्रेस नहीं करता और मैं ज्योति प्रसाद जी का बड़ा कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इसको सपोर्ट किया लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस तरफ ध्यान रखा जायगा और मैं संशोधन वापस लेता हूँ।

श्री **चेयरमैन**—क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री **बनवारी लाल**—मैं खंड ७ पर बोलना चाहता हूँ।

श्री **चेयरमैन**—जिस समय संशोधन पर बहस हो रही थी उस समय आप बोल सकते थे लेकिन अब तो वह वापस हो गया है।

श्री **बनवारी लाल**—संशोधन पर वोट हो चुका है और वह खत्म भी हो चुका है लेकिन मैं पूरे खंड पर बोलना चाहता हूँ।

श्री **चेयरमैन**—जिस क्लाज पर कोई संशोधन नहीं होता है उस पर बहस नहीं होती है। जो संशोधन वापस हो गया है उस पर अब बहस नहीं हो सकती है।

श्री **ज्योति प्रसाद उपाध्याय**—आप यह प्रश्न रखेंगे कि यह खण्ड बिल का भाग बन गया है।

श्री **चेयरमैन**—जब कोई बिल विचार के लिये सामने आता है तो जिस क्लाज़ पर संशोधन होते हैं उन्हीं पर बिचार होता है। यदि आप कोई नियम बतला दें कि जिस क्लाज़ पर अमेंडमेंट न हो उस पर भी बहस हो सकती है तो मैं उसको देखूँगा। मेरा विचार यह है कि जिन क्लाजेज पर अमेंडमेंट हैं उन्हीं पर आप बोल सकते हैं। बनवारी लाल जी उस समय बोल सकते थे जब संशोधन पर बहस हो रही थी। लेकिन अब तो वह वापस हो गया है इस लिये अब नहीं बोल सकते हैं। जब थर्ड रीडिंग होगी तो उस समय आप बोल सकते हैं।

अब प्रश्न यह है कि खन्ड ७ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८-१५

प्रतिकर का विवरण

८—धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के लिये कलेक्टर प्रतिकर का विवरण तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे —

(क) पट्टेदार अथवा पट्टेदारों के नाम और धारा ९ और १० का उपबन्धों के अनुसार आकलित उनकी कच्ची और पक्की निकासी (gross income and net income);

(ख) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पूर्व कृषि वर्ष में पट्टेदार द्वारा देय लगान;

(ग) धारा ४ के खंड (च) में अभिदिष्ट लगान, अबवाब तथा अन्य देय धन-राशियों की बकाया जो पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में उसके द्वारा राज्य सरकार को देय हो, और

(घ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किए जाय।

कच्ची निकासी

९—धारा ८ के प्रयोजनों के निर्मित पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पट्टेदार की कच्ची निकासी (gross income) में निम्नलिखित होंगे :—

(क) भूमि के उपयोग और अध्यासन (use and occupation) के सम्बन्ध में काश्तकार अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा अथवा उनकी ओर से अवसान के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर देय निम्नलिखित लगान जिसके अन्तर्गत अबवाब तथा अन्य देय धनराशियाँ भी हैं—

(१) नकद लगान ;

(२) यदि लगान जिन्स में देय हो अथवा अंशतः नकदी में और अंशतः जिन्स में देय हो तो उसमें प्रवृत्त होने वाली विधि के उपबन्धों के अनुसार आकलित लगान ; और

(३) यदि लगान देय हो किन्तु अवधारित (determined) न किया गया हो, तो मौरूसी दर से अवधारित लगान ;

(ख) पट्टेदार की निजी काश्त के अन्तर्गत भूमि के लिए मौरूसी दर से आकलित लगान की धनराशि, और

(ग) सायर, जिसकी धनराशि—

(१) यदि पट्टा दस वर्ष तक या उससे अधिक समय तक रहा हो तो, अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दस वर्ष की अवधि की समस्त आय के जोड़ के दशमांश के बराबर होगी ; और

(२) यदि पट्टा दस वर्ष से कम रहा हो, तो ऐसी अवधि के आर्थिक औसत के बराबर होगी।

पक्की निकासी

१०—धारा ८ के प्रयोजनों के लिए उस पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में, जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो गया हो, पट्टेदार की पक्की निकासी (net income) कच्ची निकासी से निम्नलिखित की कटौती करके आकलित की जायगी :

[श्री चेयरमैन]

(१) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में लगान, अबवाब अथवा अन्य देय के रूप में पट्टेदार द्वारा पूर्व कृषि वर्ष में देय धनराशि ;

(२) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पूर्व कृषि वर्ष के लिए पट्टेदार द्वारा दिए गए अथवा दिए जाने वाले जोत कर की, यदि कोई हो, धनराशि और

(३) प्रबन्ध का खर्च तथा लगान का न वसूल होने वाला बकाया जो धारा ६ के उपबन्धों के अनुसार आकलित कच्ची निकासी और पट्टेदार द्वरा देय लगान के अन्तर का २५ प्रतिशत समझा जायगा ।

देय प्रतिकर की धनराशि

११—पट्टेदार को प्रतिकर के रूप में देय धनराशि निम्नलिखित सूत्र (formula) के अनुसार अवधारित की जायगी :

"प० नि० × अ० अ०" = प्रतिकर

"प० नि०" का तात्पर्य धारा १० के अधीन अवधारित पक्की निकासी से है, और

"अ० अ०" का तात्पर्य पट्टे की अवशिष्ट अवधि से है जो उस कृषि वर्ष के आरम्भ से पूरे-पूरे वर्षों में आकलित की जायगी जिसमें अवसान कार्यान्वित हुआ हो, और वर्ष के अंश छोड़ दिये जायेंगे ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अ० अ० किसी भी दशा में पांच से अधिक न होगी ।

और यह भी प्रतिबन्ध है कि जब किसी पट्टे में प्रदत्त मूल अवधि (term originally granted) इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व समाप्त हो गई हो और पट्टेदार—

(क) वर्ष-प्रति-वर्ष भूमि को अपने अधिकार में रखता रहे तो अ० अ० एक के बराबर होगी ; और

(ख) उस पट्टे के अधीन या अनुसार किस नई अवधि के लिए भूमि को अपने पास रखे तो अ० अ० ऐसी अवधि के बचे हुये पूरे-पूरे वर्षों के बराबर होगी, किन्तु अधिक से अधिक पाच होगी ।

विवरण का प्रारम्भिक प्रकाशन

१२—धारा ८ के अधीन तैयार किया गया प्रतिकर का विवरण नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति संबन्धित पट्टेदार के पास भी भेजी जायगी ।

डिस्ट्रिक्ट जज को अभिदेश

१३—(१) कोई भी स्वत्व रखने वाला व्यक्ति (person interested) अथवा राज्य सरकार ऐसे विवरण के सम्बन्ध में प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर नियत रीति से आपत्ति कर सकते हैं और कलेक्टर ऐसी आपत्ति को निर्णय के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभिदिष्ट करेगा ।

(२) ऐसे अभिदेश के सम्बन्ध में कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जज को निम्नलिखित सूचना भेजेगा :—

(क) उन व्यक्तियों के नाम जिनके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह उस पट्टे में स्वत्व रखते हैं,

(ख) धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि, और

(ग) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किए जायँ।

(३) कलेक्टर ऐसे अभिदेश के साथ विचाराधीन पट्टे की प्रति भी भेजेगा (forward)।

डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अभिदेश का निस्तारण

१४—(१) डिस्ट्रिक्ट जज नियत रीति से ऐसी आपत्ति का निस्तारण करेगा और वह धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि को पुष्ट (confirm) कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है अथवा उसे बढ़ा-घटा सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जाँच का क्षेत्र (scope) आपत्ति द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के स्वत्व पर विचार करने तक ही सीमित रहेगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय एक डिक्री होगा।

विवरण का अंतिम प्रकाशन

१५—(१) धारा १२ के अधीन प्रकाशित प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत न होने पर अथवा यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होकर अंतिम रूप सी निस्तारित हो चुकी हो तो विवरण तदनुसार संशोधित, परिवर्तित अथवा परिष्कृत (amended, altered, or modified) कर दिये जाने पर कलेक्टर उस विवरण पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी मोहर लगायेगा।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किया और मोहर लगाया हुआ विवरण अंतिम होगा।

(३) अंतिम विवरण की एक प्रति सम्बन्धित पट्टेदार को बिना मूल्य दी जायगी।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ८,६,१०,११,१२,१३,१४ और १५ विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—१६

प्रतिकर का भुगतान

१६—(१) धारा १५ में अभिदिष्ट अंतिम प्रतिकर के विवरण में उल्लिखित प्रतिकर नकदी में दिया जायगा।

(२) प्रतिकर उस पट्टेदार को दिया जायगा जिसका नाम अंतिम प्रतिकर विवरण में दर्ज हो और यदि प्रतिकर दिए जाने से पहले पट्टेदार की मृत्यु हो जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधियों (legal representatives) को दिया जायगा।

(३) धारा १५ में अभिदिष्ट अंतिम प्रतिकर के विवरण में उल्लिखित प्रतिकर पर राज्य सरकार ढाई प्रतिशत के हिसाब से पट्टे के अवसान होने के दिनांक से भुगतान के दिनांक कत ब्याज देगी।

श्री कुँवर गुरु नारायण—मैं खंड १६ में निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूँ :—

उपखंड (१) की द्वितीय पंक्ति में शव्द "नकदी में" और शब्द "दिया जायगा" के मध्य में निम्नलिखित शब्द रख दिए जाँय :

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

"खंड ३ के अधीन पट्टे का अवसान होने के ६ महीने के अन्दर"

श्रीमान्, मैंने इसमें सिर्फ टाइम निर्धारित करने की बात रखी है। जैसा कि सभी को मालूम है कि मुआविजा कोई ज्यादा तो है नहीं फिर भी यह उचित होगा कि कोई कम से कम मियाद रख दी जाय तो जिनको मुआविजा मिलना होगा वह मिल जायेगा।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यह अमेंडमेंट बिल्कुल ही गैर जरूरी है। हमने अपने बिल में ही रखा है कि जब समय समाप्त हो जायेगा तो ढाई परसेन्ट के हिसाब से उनको सूद देना होगा। जब हमको सूद देना पड़ेगा तो देर क्यों करेंगे। इस संशोधन से यह मालूम होता है कि गवर्नमेंट शायद लोगों को रुपया नहीं देना चाहती है। हमने करोड़ों रुपया जमींदारों को नकद और बान्डस में दिया है। हो सकता है कि किसी को हमें समय के बाद भी देना पड़े और उसके लिए यह कारण हो सकता है कि माना ठेकेदार मर गया और उसके बच्चे नाबालिग हैं तो जब तक सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल जायेगा तब तक किसी को मुजाविजा नहीं मिल सकता है। यह भी हो सकता है कि वह सक्सेशन सर्टिफिकेट समय पर न आये तो इसमें दिक्कत हो सकती है। हमने अपने यहाँ रखा है कि ६ महीने के अन्दर इलेक्सन पेटीशन की सुनवाई हो जाय लेकिन उसका क्या असर हुआ है वह सभी को मालूम है तो उसका क्या एफेक्ट होगा, दो-दो साल हो गये इसलिए इस का प्राविजन रखना या टाइम लिमिट रखना उचित नहीं होगा। अगर मान लिया जाय कि ६ महीने में न दिया जा सका, तब क्या होगा? तो यह जैसा है वैसा ही रहना चाहिए।

श्री कुँवर गुरु नारायण—श्रीमान्, मेरी निगाह से तो बहुत जरूरी है लेकिन मंत्री जी की निगाह से गैर जरूरी है और फिर मंत्री जी से प्रभावित हैं ज्योति प्रसाद जी और उनकी भी राय है कि यह उचित नहीं है लिहाजा मैं इसको वापस लेता हूँ।

श्री चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड १६ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—१७ तथा १८

१७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर की अदायगी से, उस व्यक्ति के प्रति जिसका इस सम्बन्ध में साधिकार दावा (rightful claim) हो, सभी दायित्व से राज्य सरकार की पूर्ण मुक्ति हो जायगी, किन्तु यह अदायगी, उक्त प्रतिकर के सम्बन्ध में किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के उस अधिकार पर, जिसका वह उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे उक्त प्रकार की अदायगी की गई हो, विधि के सम्यक्विधिक क्रम से (by due process of law) अधिकारी हो, विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी।

राज्य सरकार की दायित्व से मुक्ति

१८—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से नियम बना सकती है। नियम बनाने का अधिकार

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकेगी :—

(क) धारा ४ के खंड (ख) में अभिदिष्ट तथा पट्टेदार की निजी जोत में लाई हुई भूमि का निर्धारण तथा उसकी व्यवस्था ;

(ख) धारा ४ के खंड (घ), (ङ) और (च) में वर्णित लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों को आकलित करने की रीति ;

(ग) धारा ६ के अधीन भूमियों को अधिकार में लिये जाने से सम्बद्ध विषय ;

(घ) आकार और रीति जिसके अनुसार धारा ८ के अधीन प्रतिकर विवरण तैयार किया जायगा ;

(ङ) रीति जिसके अनुसार कलेक्टर धारा १३ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज को आपत्तियाँ अभिदिष्ट करेगा ;

(च) उन क्षेत्रों में जहाँ ऐसी दरें पहले से अवधारित न हो, मौरूसी दरों के अवधारण में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्त ;

(छ) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन उन दशाओं में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए जायँ जिनके विषय में इस सम्बन्ध में यहाँ पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नही की गई है ;

(ज) इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्धों का इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों और कार्यवाहियों पर उन दशाओं में लागू होना जिनके विषय में इस सम्बन्ध में यहाँ पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई हो ; ऐक्ट ९, १९०८

(झ) इस अधिनियम के अधीन अधिकार-क्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ञ) किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहाँ से किसी दूसरे प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहाँ कार्यवाहियों का संक्रमण ;

(ट) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों तथा अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उन दशाओं में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जिनके लिए यहाँ पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई हो; और

(ठ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों अथवा नियत किये जा सकते हों।

(३) उपधारा (१) तथा (२) के अधीन प्राप्त अधिकारों के अधीन निर्मित नियम राज्य विधान-मंडल के समक्ष यथासंभव शीघ्र रखे जायेंगे।

श्री चेयर मैन—प्रश्न यह है कि खण्ड १७ तथा १८ विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[श्री चेयरमैन]

प्रस्तावना तथा खंड १

यह इष्टकर है कि सरकारी आस्थानों में भूमि सुधारों के प्रचलन की सुविधा के हेतु वहाँ ठेकेदारी की प्रणाली के विनाश की तथा तत्सबन्धी अन्य विषयों की व्यवस्था की जाय ;

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५८ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार उत्तर प्रदेश के उन जिलों में होगा जो समय-समय पर विज्ञापित किये जाय ।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना तथा खण्ड एक विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चरण सिंह—मान्यवर, में प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

क्योंकि एक संशोधन माननीय ज्योति प्रसाद की स्पीच के बाद ही वापस हो गया तो उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उनकी बात का जबाब दे सकूं । उन्होंने आम बातें कही थी तो मैं आप की इजाजत से दो मिनट में उनकी बातों का जबाब दे देना चाहता हूँ । उन्होंने कहा कि कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि कहाँ कहाँ पर यह स्टेटस हैं और फिर उन्होंने फरमाया कि स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स में ९ जिलों का जिक्र किया हुआ है तब फिर उन्होंने कहा कि जिलों नाम होना चाहिए, फिर जिलों के बाद तहसीलों का नाम होता, परगना होता और फिर एक एक गाँव का नाम होता । मैं उसके लिये यही कहना चाहता हूँ कि कानूनों में इस तरह से नहीं हुआ करता है । इसमें खंड एक का उपखंड (२) है जिसमें लिखा हुआ है कि "it extends to such District of Uttar Pradesh as may be notified from time to time. तो जो नोटिफिकेशन होगा, उसमें जगह भी होंगी, जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट इस्टेटस होंगी उन जगहों का नाम होगा ।

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—इसी में लिख देते तो उसमें क्या हर्ज था ?

श्री चरण सिंह—फिर उसमें आपको शिकायत होती कि सिम्पल नहीं रहा बहुत बढ़ा कर दिया है तो आप न तो सीधे जायेंगे और न उल्टे ।

दूसरी बात यह है कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि यह अधिनियम उत्तर प्रदेश

सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम कहलायेगा। तो जब साफ लिखा हुआ है कि वह जमीन वह नहीं है कि जो प्राईवेट लोगों की हो या जमींदारी अबालिशन तथा भूमि सुधार विधेयक के बाद कुछ जमीन्दारों की हो, वह तो जमीन्दारी अबालिशन के साथ ही खत्म हो गई है। यह तो गवर्नमेंट स्टेट्स हैं।

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—क्या नैनीताल में भी है।

श्री चरण सिंह—जी हाँ। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप उसको अप्लाइ कर सकते हैं। लेकिन पहले इस विधेयक को केवल ६ जिलों तक ही एक्सटेन्ड किया जायेगा, जिसका रकबा कि ६,१०० एकड़ ही है।

दूसरी बात उन्होंने कही कि साहब रोशनी ही कुछ डाल देते तो रोशनी तो बदस्तूर डाली जाती है लेकिन रोशनी रिसीव करने के लिये कम से कम आँखें चाहिये, वरना तो रोशनी बेकार जायेगी। बीन बजाते रहें और अगर बीन न समझे तो क्या होगा, मजा बेकार जाता रहेगा।

श्री इसहाक सम्भली—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—अगर सच्ची बात कही जाय तो उसका असर पड़ता है।

श्री चरण सिंह—अच्छी बात है।

चौथी बात यह कही गई कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में ठेकेदारी अबालिशन का जिक्र नहीं किया गया। यह बात सही नहीं है। इस बात का जिक्र उसमें किया गया है। उपाध्याय जी शायद प्रैक्टिस करते हैं। अगर उन्होंने पढ़ा होता तो उनको मालूम हो जाता कि उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि मुआविजा की कोई जरूरत नहीं थी। एक दफा बना दी जाती कि जिसके पास जमीन है वही उस पर काबिज रहेगा। मुआविजा देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुआविजा न दिया जाता तो माननीय ज्योति प्रसाद जी ऐसे वकील हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर देते। यह भी कहा गया कि यह कानून पेचीदा है। मेरा ख्याल है कि यह कानून बिल्कुल पेचीदा नहीं है। हां, यह हो सकता है कि इससे वकीलों को कुछ तकलीफ हो।

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—मिनिस्टर तो आराम में हैं।

श्री चरण सिंह—मुकदमेबाजी दिन पर दिन घटती जा रही है, इससे यह साबित होता है कि कानून पेचीदा नहीं है। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के बाद मुकदमेबाजी घटी है बढ़ती नहीं है। हाँ, ५५ लाख अधिवासियों को नोटिस गया उससे कुछ काम जरूर बढ़ गया है वरना कोई बात नहीं है।

इसके अलावा, श्रीमान्, यह भी कहा गया कि कानून बनाने के लिये ड्राफ्ट मैन अच्छा नहीं है। जहाँ तक जमींदारी अबालिशन ऐक्ट का सम्बन्ध है, कोई भी धारा अभी तक हाई कोर्ट से इन्वेलिड नहीं हुई है। तो इससे साबित होता है कि ड्राफ्ट मैन अच्छा है। कुछ लोगों को सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ कहना होता है, चाहे वह सही हो वा गलत हो, उनको कहने से वास्ता होता हैं। इसमें डैमेज का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिये यह एतराज भी ठीक नहीं है।

[श्री चरण सिंह]

हमारे मित्र श्री बनवारी लाल जी जो उरई से आये हैं, उन्होंने इस बात का एतराज किया कि १२ सौ एकड़ का एक फार्म लखीमपुर में है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा फार्म नहीं है जो १२ सौ एकड़ का हो। हमारे सूबे में एक फार्म ५ सौ एकड़ का जरूर है। मैंने एक मौके पर इसके आकड़े पेश किये थे। तीन साल पहले एक हजार एकड़ के ९४ फार्म थे, जो अब सिर्फ ३४ रह गये हैं और उम्मीद है कि आगे साल वह शायद ११ ही रह जायेंगे।

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—मेरठ में सबसे ज्यादा हैं।

श्री चरण सिंह—यह ख्याल गलत है। रुहेलखंड में सबसे ज्यादा हैं। कुछ तराई में भी हैं। वहाँ पर हमने लोगों को बसाया था और लोगों को बुलाबुला कर जमीन दी थी। मेरठ में तो मीडियम साइज के फार्म हैं। मेरे जिले में एक साहब के पास बड़ा फार्म है, वे उसे बेचना चाहते हैं, माननीय ज्योति प्रसाद जी उसे खरीद सकते हैं। इस तरह की जमीन का सर्किल रेट भी बहुत कम है। चार, पाँच रुपये के सर्किल रेट के माने यह है कि २ हजार रुपये लार्ज होल्डिंग्स टैक्स के जरिये से होता है। अगर इस तरह से १२ हजार एकड़ का फार्म है, तो उसपर ३ लाख से कम का टैक्स नहीं लग सकता है। गवर्नमेंट सीलिंग फिक्स करे सरप्लस लैंड पर, लेकिन ऐसी लैन्ड है ही कितनी और उसे क्या समझ कर वह बाँटे, इसलिये उत्तर प्रदेश के लिये तो यह चीज नहीं की जा सकती से और में कभी भी इस राय का नहीं रहूँगा कि जहाँ इस तरह से थोड़ी जमीन है और उसके लेने वाले ज्यादा हो, वहाँ यह चीज की जाय। हम लार्ज होल्डिंग्स टैक्स से आमदनी कर रहे हैं। इस तरह से जो जमीन रखेगा वह ज्यादा से ज्यादा दो सौ, तीन सौ एकड़ तक रख सकता है, बाकी तो वह बेच देगा। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूँ कि यह बिल पारित हो जायेगा।

श्री बनवारी लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट की है और बहुत सी बातों को स्पष्ट करने की चेष्टा भी की।

श्री चरण सिंह—कुछ स्पष्ट भी हुआ या में केवल चेष्टा में ही लगा रहा।

श्री बनवारी लाल—अगर माननीय मंत्री जी क्लाज ४ के प्राविजो में जो शब्द "फार" है, उसको देखें। इसमें है :—

"Provided that where the total area of such land held by the lessee exceeds 30 acres, for the lesses shall be.........."

मैंने इसको बहुत समझने की कोशिश की, लेकिन यह मेरी समझ नहीं आया। अगर यह रिडेन्डेन्ट है, तब तो यह खत्म हो जायेगा।

श्री चरण सिंह—मैं इसके बारे में ठीक कह नहीं सकता हूँ, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, को अधिकार होगा कि वे इसे ठीक कर देंगे।

श्री बनवारी लाल—उसके बाद (सी) में है "Continue to be entitled."

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—यह तो बड़ी क्लिष्ट भाषा है।

श्री बनवारी लाल—इससे लिमिटेसन के मामले में दिक्कत हो सकती है।

श्री चेयरमैन—यहाँ पर हिन्दी भाषा का बिल है, यह तो उसका ट्रान्सलेशन है। ट्रान्सलेशन तो उस वक्त भी ठीक किया जा सकता है जब कि संशोधन के साथ यह पास हो जायेगा और उस वक्त का जो ट्रान्सलेशन होगा, कान्स्टीट्यूशन के मातहत गवर्नर उसका authorised text प्रकाशित करेगा। यदि विधेयक की भाषा के ऊपर आप को कोई आपत्ति तो आप अभी इस पर न कहें क्योंकि अभी हम यह चीज पास नहीं कर रहे हैं। जब यह प्रश्न उपस्थित किया जायेगा कि यह विधेयक पारित किया जाय, तब यह ट्रान्सलेशन पास नहीं होगा।

श्री बनवारी लाल—मैंने इसलिये यह बात निवेदन की क्योंकि अंग्रेजी भाषा में जो विधेयक है, वह तब भी ज्यादा क्लियर है। इसमें जब कि दिक्कतें हैं, तो हिन्दी में और भी दिक्कतें होंगी।

श्री चरण सिंह—ट्रान्सलेशन के वक्त इन बातों पर ध्यान रखा जायेगा।

श्री बनवारी लाल—अब श्रीमान्, जी एक जनरल बात है कि इस प्राविन्स में जहाँ तक कृषि सम्बन्धी कानूनों का ताल्लुक है कई कानून बने और बनते चले जा रहे हैं। खुद एक बहुत बड़ा कानून जिसे क्रान्तिकारी कानून कहा जा सकता है, ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था सुधार कानून बना। उसके बाद छोटे मोटे कानून जैसे तराई भावर, जानसार भावर, और रामपुर ठेकेदारी के कानून बने और फिर यह मौजूदा कानून आया। हो सकता है कि अभी और कानून बने। मन्त्री महोदय ने यह फरमाया था कि इसमें अभी रूल्स भी बनने हैं।

सदन का कार्यक्रम

श्री चेयरमैन—एक बज रहा है, इसके बाद भी हम इस पर विचार जारी रखना चाहते हैं या अभी समाप्त कर देना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह—दोपहर बाद मुझको ज़रूरी काम से जाना है इस लिए बैठ जायें तो बेहतर होगा।

श्री चेयरमैन—एक गवर्नमेन्ट स्टेट ड्यूटी का भी संकल्प है वह दो बजे के बाद चलेगा।

श्री चरण सिंह—मैं यह अर्ज़ कर रहा हूँ, पर्सनल बात है, दोपहर के बाद मुझे एक ज़रूरी काम है इसलिए अगर सदन स्वीकार करे तो इसे अभी खत्म कर दें। फिर मैं न आ सकूंगा, किसी साहब का मेरी नुमाइन्दगी करनी होगी।

श्री चेयरमैन—अच्छा तो हम लोग बैठेंगे, बनवारी लाल जी, आप ५ मिनट में खत्म कर लीजिए।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक

श्री बनवारी लाल—मैं पहले तो यह प्रार्थना करूँगा कि जितने कानून बन चुके हैं और आगे भी बनने को हैं उन सब को एक लाइन की कोशिश की जाये।

श्री चरण सिंह—सन् १९६१ में ऐसा होगा।

[श्री बनवारी लाल]

श्री बनवारी लाल—मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि सन् १९६१ में ऐसा होगा। इस कानून का मैं स्वागत करता हूँ। यद्यपि मेरा अपना ख्याल है कि यह बहुत देर में आया है। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। फिर भी इसमें कुछ उसूल निहित हैं। उनके सम्बन्ध में मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। पहले तो खंड एक के क्लाज़ेज दो और तीन हैं।

"It extends to such districts of Uttar Pradesh as may be notified from time to time."

और दूसरा "It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different areas of the State."।

मेरा नम्र निवेदन इस सिलसिले में यह है कि जो भी नोटिफ़िकेशन हो और जब भी डेट निश्चित की जाये, वह जिन-जिन जिलों में लागू होना है एक डेट में कर में कर दिए जायें।

श्री चरण सिंह—ऐसा ही होगा।

श्री बनवारी लाल—यद्यपि इस शब्दावली में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी माननीय मन्त्री जी ने फरमाया कि ऐसा ही होगा यह भी बड़े खुशी की बात है। जब उन्होंने इतना फ़रमा दिया तो इस सम्बन्ध में जो-जो आपत्तियां हो सकती थीं उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में कुछ कम्पेनसेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता था। हम लोगों का मुआवज़े के सम्बन्ध में निश्चित मत है, मेरा स्वयं का भी निश्चित मत है, यद्यपि मैं जानता हूँ कि माननीय मंत्री जी का दूसरा मत है। जहाँ तक किसी भी ज़ायदाद, ज़मींदारी को एक्वायर करने की बात होती है......

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—अमेन्डमेन्ट आपने मूव नहीं किया।

श्री चरण सिंह—मैं प्वाईन्ट आफ आर्डर रेज़ करता हूँ इस वक्त इस बिल के प्रिन्सपल्स पर बहस नहीं हो सकती। इस वक्त अगर कोई अमेन्डमेन्ट होता तो उस पर आप बात कर सकते थे।

श्री बनवारी लाल—अमेन्डमेट तो सब खत्म हो चुके।

श्री चेयरमैन—प्वाईन्ट आफ आर्डर यह उठाया गया है कि जिस वक्त बिल इन-ट्रोड्यूस हो जाता है, पहली रीडिंग विचार करने की शुरू होती है उस वक्त सिद्धान्त पर बहस होती है और जब फर्स्ट रीडिंग पास हो जाती है तो यह माना जाता है कि उसका सिद्धान्त मंजूर कर लिया गया। सेकेन्ड रीडिंग का मतलब यह होता है कि संशोधनों पर बहस हो। थर्ड रीडिंग के समय यह समझा जाता है कि सिद्धान्त भी मंजूर कर लिया गया और संशोधनों पर भी विचार हो चुका। अब इस मंजूरी के साथ कोई चीज़ ऐसी सरकार को बतलाई जाय जिसकी वज़ह से ऐक्ट के द्वारा सरकार को चाहिये कि सुविधा दे। इन प्रिन्सपुल्स को मानते हुये और इन धाराओं को मानते हुये थर्ड रीडिंग में इतनी ही बात आती है। बेसिक प्रिन्सपुल, कम-पेनसेशन दिया जाय या नहीं, यह प्रिन्सपुल तो मान लिया गया।

सेकेन्ड रीडिंग में अगर आप चाहते तो कम्पेनसेशन पर अमेन्डमेन्ट देते और उस पर वोटिंग ले ली जाती लेकिन आप ने पेश नहीं किया। जब यह खंड पेश किया गया और हाउस ने उसे पास कर दिया और उसके बाद जब यह पारित होने जा रहा है तो फिर अमेन्डमेन्ट पर आप कुछ नहीं कह सकते हैं। आप ने एक बात और भी कही कि ६ जिलों में एक दम लागू कर दिया जाय। क्योंकि प्रिन्सपुल मान लिया गया है इसलिये यह ठीक है। आप का यह कहना बिल्कुल वैधानिक है।

श्री बनवारी लाल—असल में यह बात हुई कि जब क्लाज़ ७ का सब क्लाज़ २ पेश था तो उस पर मैं बोलना चाहता था। उस समय, श्रीमान्, ने थर्ड रीडिंग के लिये कहा। अब मैं थर्ड रीडिंग पर बोल रहा था।

श्री चेयरमैन—आप ने कहा कि हम कम्पेनसेशन नहीं देना चाहते तो आप का आबजेक्ट पूरा हो गया। वह चीज़ प्रोसीडिंग में चली गई कि बनवारी लाल साहब का यह सिद्धान्त है कि किसी प्रापर्टी के लिये कम्पेनसेशन न देना चाहिये। अब आगे जो आप कहना चाहें वह कहें।

श्री बनवारी लाल—इसके सम्बन्ध में कहना चाहता था लेकिन अब नहीं कहूँगा और आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री चरण सिंह—एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो from time to time हम नोटिस जारी करेंगे इसके नाफिज़ होने के लिये यह लफ्ज एहतियातन रखे गये हैं। मान लिया जाय कि किसी वज़ह से कोई तफसील किसी जिले से न आई तो उस वक्त के लिये यह लफ्ज़ रखे गये हैं। वैसे तो एक नोटीफिकेशन सब जगह के लिये कर दिया जाता है। लेकिन यह इस तरह की जो बातें हैं वह ड्राफ्टिंग में होती है उसमें इन बातों का लिहाज़ रखा जाता है।

श्री चेयरमैन—अब प्रश्न यह है कि सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का कार्य-क्रम

श्री चेयरमैन—अब एक आईटेम और रह गया है यदि सदन की राय हो और उसके ऊपर कोई बहस न होने की हो तो उसको भी ले लिया जाय।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार—मुझे एक बात निवेदन करना है। इसके अन्दर जिसकी आप ने चर्चा की है वह ऐक्ट नहीं मिला है।

श्री चेयरमैन—इसीलिये तो मैं पूछ रहा था कि अगर सदन के सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं तो इसको स्थगित करके टाईम दूंगा और अगर यह समझा जाय की कोई बहस नहीं होनी है तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूँ कि वह इसे उपस्थित करे।

इस पर कोई बहस का सवाल नहीं यह तो गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया को एथाराईज़ करना है।

[श्री हृदय नारायण सिंह]

श्री हृदय नारायण सिंह—जब तक हमको ऐक्ट नहीं मिलता है तब तक हम कैसे कहें कि हमको पास करना है या नहीं।

श्री चेयरमैन—अब इस आइटेम पर बहस होगी। ढाई बजे तक के लिये सदन स्थगित किया जाता है।

(१ बज कर १० मिनट पर सदन की बैठक स्थगित हो गई और २ बज कर ३० मिनट श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

प्रस्ताव कि राज्यों के लिए विधि बनाने हेतु स्टेट ड्यूटी ऐक्ट १९५३ में संशोधन करने का संसद् को अधिकार दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह विसेन (स्वास्थ्य, सहायता व पुनर्वास तथा न्याय मन्त्री)—Sir, the resolution which stands against the name of the Hon'ble Chief Minister, I want to move it with your permission, as I have been authorised to do so. It runs as follows :—

"Whereas in pursuance of a resolution passed by this Council in March, 1952, estate duty in respect of agricultural land is now regulated in the State of Uttar Pradesh by the Estate Duty Act, 1952 (34 of 1953) passed by Parliament ;

And whereas, the Estates Duty Act, 1953 (34 of 1953) has been amended by Act 17 of 1954, Act 4! of 1954, Act 36 of 1957 and Act 33 of 1958 passed by Parliament;

And whereas, it appears to this Council to be desirable that the matters specified in the amending Acts aforesaid in so far as they relate to estate duty in respect of Agricultural land should be regulated in the State by Parliament by law;

Now therefore this Council hereby resolves in pursuance of article 252 of the Constitution that the matters aforesaid in so far as they are matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the State may be regulated in the State by Parliament by law and for this purpose the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) may be amended accordingly."

In this connection, Sir, I need not emphasise that the principle of levying estate duty on agricultural land was accepted by this Hon'ble House and the Assembly also of this State. Both the houses of this Legislature accepted this principle as is indicated by the fact that a resolution to that effect, as required by article 252 of the Indian Constitution, was adopted by these two Houses. With your permission, I want to read that. But before I read article 252, I want

to point out that in List II, Schedule VII of the Constitution, at no. 48 there is an entry that shows that to levy this duty on the agricultural land is within the exclusive jurisdiction of the Uttar Pradesh Government. But as it is absolutely necessary and it was also desired that this is an all-India question and a uniform law should have been enacted for that, such law can be enacted only by the Parliament and not by the State. In case the various States enacted such legislation, it is quite possible that uniformity may be lacking. Therefore, with this object in view, under article 252 the Parliament is authorised by way of a resolution by both the Houses of Legislature to enact an enactment in order to regulate the imposition of a levy as estate duty on agricultural land. Then, in that case, this house by a resolution can authorise the Parliament. With your permission, Sir, I would like to read article 252:—

"252. (1) If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 249 and 250 should be regulated in such States by Parliament by law, and if resolutions to that effect are passed by all the Houses of Legislatures of those States, it shall be lawful for Parliament to pass an Act for regulating that matter accordingly, and any Act so passed shall apply to such States and to any other State by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the House or, where there are two Houses, by each of the Houses of the Legislature of that State.

(2) Any Act so passed by Parliament may be amended or repealed by an Act of Parliament passed or adopted in like manner but shall not, as respects any State to which it applies, be amended or repealed by an Act of the Legislature of that State."

So, Sir, you will find that on a resolution being adopted as required by article 252, the Parliament is authorised to pass a legislation like that on a sabject of which it has got no authority. That resolution was passed and the Parliament acted on that and they enacted in 1953 this Estate Duty Act. Subsequent experience showed that certain amendments were necessary and desirable in public Interest and as enumerated in the resolution itself, several amending Acts were passed and the principal Act was amended. Now it is in order to authorise the Parliament in respect of those amendments that this resolution has been brought before this house and again it will be brought before the Lower House when it comes into session.

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

So the resolution is very simple and very clear and I do not think that in view of the fact that this House hasalready agreed with the resolution about the imposition of estate duty on agricultural land, there would be any objection so far as the accep- tance of this resolution is concerned. With these few words, I com- mend that this house will accept it.

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार—उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि आर्टिकिल २५२ के अन्दर इस तरह से विधान किया गया है कि अगर कोई ऐसा है जो पूर्णतः स्टेट।का है, राज्यों का है और उस सम्बन्ध में राज्य चाहें कि एक कोई आम नीति और राज्यों में बरती जाय तो इसके लिये प्रस्ताव पास करके पार्लियामेन्ट को कह सकते हैं कि वह ऐसा नियम बनावे जो सब राज्यों में एक तरह से लागू हो सके। हमने ऐसा प्रस्ताव सन् ५२ के मार्च में यहाँ से पास किया। उसके अन्दर कुछ अमेंडमेंट हुए। अब यह प्रस्ताव जा यहां आया है इसके द्वारा उन अमेंडमेंट्स को यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। किन्तु इससे पहले हम स्वीकार करें हम जब निर्वाचन क्षेत्रों में जायेंगे तो क्या कहेंगे कि क्या अमेंडमेंट्स थे। मैंने आपसे पहले यह कहा था कि इस्टेट ड्यूटी ऐक्ट जो है उसमें क्या अमेंडमेंट्स हुए हमें यह पता लग जाय। वे यहाँ पर आने चाहिए थे। यह तो ऐसी चीज़ है कि जिस बिल का पास करना है उसकी स्वीकृत देनी है उसके बारे में मालूम तो हो कि उसमें क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। मेरा कहना था कि दो दिन की सूचना मिल जाती ताकि देख लेते और वे यहाँ आते किन्तु ऐसा नहीं है। अगर यह जरूरी है तो कम-से-कम हमें यह बता दिया जाय कि क्या अमेंडमेंट्स हैं जो हमसे पास कराना चाहते हैं। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है हमें पता तो चल जाय ताकि उसके सम्बन्ध में जो आलोचना मुनासिब हो कर सकें। मैं चाहूँगा कि इस समय यदि आपके द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था हो जाय ताकि हमें पता चल जाय ताकि हमें पता चल जाय कि जिस बिल के अन्दर पार्लियामेंट ने दो तीन अमेंडट्स किये हैं वे क्या हैं। आप देखेंगे कि ५४ में दो अमेंडमेंट्स हुए, ५७ में हुआ और फिर ५८ में हुआ इस तरह से अमेंडमेंट्स हुए हैं। इनका।स्टेट पर क्या असर होगा यह पता लग जाय तो अच्छा हो। हो सकता है कि मामूली हों लेकिन हमें पता लग जाय तो हम स्वीकार करें।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (नाम निर्देशित)—Mr. Deputy Chairman, the Hon'ble the Minister by supporting the resolution has very amply clarified the need for it. Of course, there are many questions about this resolution on which explanations should have been given in the House and the Members should have been informed. On the face of it, these objections seem to carry weight, but, Mr. Deputy Chairman, excuse me when I say that we, the legislators, are supposed to know what is transpiring in the House of the people and in the Council of States and what measures are being adopted by the Parliament to fulfil the targets fixed for the Plan and also to find resources and

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित]

finances for their implementation. Personally I feel that the question is very clear that the occasion for moving this resolution before the House would not have at all arisen had that been on the concurrent list of the Constitution. The subject to which that legislation pertains happens to be on the State list and that is why this resolution has been sponsored by Government. So it is a formal affair. Being a formal affair, we need not take much public time in discussing it here. Moreover when the Members of Parliament who are directly elected by the people representing far bigger constituencies than most of us have in their wisdom decided to adopt that law, we feel and I personally appeal to you and through you to all the Members that we should co-operate with the Government in making that law applicable to this State. Thank you, Sir.

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विद्यालंकार जी ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। क्योंकि इस कोरे लम्बे प्रस्ताव से जो माननीय मन्त्री जी ने हमारे सामने रखा है यह समझ में नहीं आता है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से समाज पर क्या असर पड़ेगा। न तो माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में बतलाया कि पार्लियामेंट ने इस ऐक्ट में क्या किया है। मेरी समझ में तो यह बात अभी तक नहीं आई है कि एग्रीकल्चरल लैंड पर क्यों स्टेट ड्यूटी लगाई गई है। एग्रीकल्चरिस्ट की क्या आमदनी होती है और क्या उसकी आमदनी बढ़ी है यह हमारी समझ में नहीं आया है। एग्रीकल्चरिस्ट को तो आप ने समाप्त कर दिया है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूँगा कि जैसा अभी विद्यालंकार जी ने कहा है वह हमें यह तो बतला दें कि क्या क्या तब्दीलियाँ की जा रही हैं और उनको हमारे सामने रख दें।

श्री हुकुम सिंह विसेन—After the Estate Duty Act was passed in 1953, certain minor amendments have been carried out by Act 17 of 1954, Act 41 of 1954 and Act 36 of 1957. Act 17 of 1954 introduced sub-section (3) to section 3 of the principal Act by way of clarification and made a minor change in clauses (f) and (g) of sub-section (3) of section 83 of the Act. Act 41 of 1954 extended the principal Act to Jammu Kashmir and Act 36 of 1957 (Repealing and amending Act of 1957) merely corrected a printing error.

Experience of working of the Act for the last four years showed that the existing provisions of the Act required tightening up in certain directions. An Amending Bill was accordingly drafted and introduced in Parliament in February 1958 with the following main objects :—

(1) Lowering the present exemption limit in case of property other than an interest in the property of a joint family governed by

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

the Mitakshara, Marumakkattayam or Aliyasantana law from Rs. 1 Lakh to Rs. 50,000;

(2) Changing the basis on which the rate of duty is charged in the case of coparcenary interest of a deceased who was governed by the Mitakshara, Marumakkattayam or Aliyasantana law;

(3) Reducing the allowance for probate duty from 100 per cent. to 50 per cent. of the duty;

(4) Making certain changes in the assessment and appellate procedures so as to bring them in line with the other direct taxation Acts.

There are two different sets of procedure to be adopted for the levy of this duty. The same officer is doing the job of imposition of estate duty and the other job. Therefore, it was thought proper to lay down a common procedure for both the purposes and that amendment has been made. So I think these are points and if my friend had cared to refer to the Act because notice of the resolution had been given and it is on the agenda, if they had taken care to read the acts——they are available in the library, and it would have taken only two minutes—they would have come to know what the detailed amendments are. So for as the principles underlying the amendments are concerned I think I have stated them before the House and the members have been informed. There is nothing very serious. In one case I may also point out, Sir, that there is a Schedule which has been revised. The old Schedule was that in the case of property which consists of an interest of the Joint family property of a Hindu famliy governed by the Mitakshara etc., upto Rs. 50,000/- it was exempted. Now it has been changed. There was another part II in that very Schedule which applied in the case of property of any other kind excepting the joint family property. In that case upto 1 lakh there was an exemption limit. Now this List has been revised by the Amending Act of 1958. Now there are only two parts. In the case of any property which passed or is deemed to have been passed on the death of a deceased there is no differentiation between the joint family property and the other property. They have already been amalgamated under one head. So the exemption limit has been fixed at Rs. 50,000. So far as the joint family property is concerned there has been no change in the exemption limit. So far as property other than the joint family property is concerned it has been cut down to Rs. 50,000/- from Rs. 1 lakh. That seems to be a

material change. At one place the procedure of levying the duty has been simplified. Efforts have been made to simplify it. In the case of property other than the joint family property the exemption limit has been cut down to Rs. 50,000/- from Rs. 1 lakh. These are the main amendments and if my friend wants further elucidation, he should consult the Act.

श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय—मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह टैक्स किस पर लगेगा।

श्री हुकुम सिंह विसेन—Those who are liable to pay, upto Rs. 50,000/- it is exempted.

श्री बनवारी लाल—मैं नेता सदन की विचारधारा से सहमत हूँ। मैं यह समझता हूँ कि यद्यपि पूर्ण चन्द्र जी विद्यालंकार की आपत्ति उचित थी लेकिन जैसा कि नेता सदन ने अभी फरमाया, असल में हम लोगों का भी कसूर है। हम लोग हमेशा इसी उम्मीद में रहते हैं कि हम को हर चीज यहाँ पर मिलेगी। मैं भी इसी आशा में था कि इसकी कापी वगैरह मिलेगी। लेकिन जहाँ तक ऐक्ट की बात है चूँकि यह बिल्कुल इनोसेन्ट मालूम पड़ता है, कोई आपत्तिजनक नहीं है, वह शहरी एरिया और देहाती एरिया में एक सा लागू होने का अटेम्प्ट है और चूँकि संविधान की कुछ धारायें ऐसी हैं कि जो बाधा जनक हैं पार्लियामेंट को अधिकार सौंपने में, इसलिये यह अधिकार दिया जा रहा है। अब इसको रेश्नालाइज किया गया है और जैसा कि नेता सदन ने बताया है कि इसमें एक लाख से ५० हजार की एक्जेम्पशन लिमिट की गई है, यह ठीक है और इसमें इनकम टैक्स ऐक्ट को और स्टेट ड्यूटी ऐक्ट को करीब करीब एक ही सिद्धान्त पर लाने की कोशिश हो रही है और चूँकि मेरे ख्याल में हर सूबे के बारे में पार्लियामेंट में कानून नहीं बन सकता था जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर उसको अधिकार न दे। इसलिये मैं इसमें कोई नुकसान नहीं समझता हूँ और मैं इसकी ताईद करता हूँ कि इसको पास कर दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री डिप्टी चेयरमैन—The question is—"Whereas in pursuance of a resolution passed by this Council in March, 1952, estate duty in respect of agricultural land is now regulated in the State of Uttar Pradesh by the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) passed by Parliament;

And Whereas, the Estate Duty Act. 1953 (34 of 1953) has been amended by Act 17 of 1954, Act 41 of 1954, Act 36 of 1957 and Act 33 of 1958 passed by Parliament;

And Whereas, it appears to this Council to be desirable that the matters specified in the amending Acts aforesaid in so far as they relate to estate duty in respect of agricultural land should be regulated in the State by Parliament by law;

[श्री डिप्टी चेयरमैन]

Now therefore this Council hereby resolves in pursuance of article 252 of the Constitution that the matters aforesaid in so far as they are matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the State may be regulated in the State by Parliament by law and for this purpose the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) may be amended accordingly."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सदन का कार्य-क्रम

श्री डिप्टी चेयरमैन—अगला कार्यक्रम इस तरह से है। २४ तारीख को नान आफिसियल डे होगा और उस दिन रेज्योलूशन्स लिये जायेंगे। २५ तारीख को प्रदेशीय शिक्षा-दल विधेयक लिया जायेगा। २६ तारीख को छुट्टी है। २७ को फिर नान-आफिसियल डे होगा और उस दिन बिल्स लिये जायेंगे। २८ तारीख से कारपोरेशन बिल होगा।

अब सदन की बैठक २४ तारीख को ११ से बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक २ बजकर ५६ मिनट पर, दिनांक २४ नवम्बर, १९५८, को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

दिनांक लखनऊ :
३०, कार्तिक, शक संवत् १८८०
(२१ नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

परमात्मा शरण पचौरी
सचिव,
विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

सोमवार, अग्रहायण ३, शक संवत् १८८०

(२४ नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (७३)

अब्दुस्सलाम शाह, श्री
अलगू राय शास्त्री, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
इसहाक सम्भली, श्री
उमानाथ वली, श्री
उमा शंकर सिंह, श्री
ए० जे० फ़रीदी, डाक्टर
एम० जे० मुकर्जी, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुद्सिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल), श्रीमती
कुंवर गुरु नारायण, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
केशव दत्त, श्री
कृपा शंकर हजेला, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
कृष्णदेव प्रसाद गौड़, श्री
गिरधारी लाल, श्री
चन्द्र मोहन सुखिया, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चौधरी शिव नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेलू राम, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नवल किशोर गुरुदेव, श्री
नवाब सिंह यादव, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
नौरंग सिंह, श्री
पीताम्बर दास, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बनवारी लाल, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
मदन मोहन, श्री
मदन मोहन लाल, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नाथ, श्री
राम नारायण पाण्डे, श्री
राम लखन, श्री

राम सूरत सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लक्ष्मीं नारायण दीक्षित, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
ब्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
शंकर राव, श्री
शकुन्तला श्रीवास्तव, श्रीमती
शफीक अहमद खां तातरी, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री
शिव नारायण, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
शिवराजवती नहरू, श्रीमती
शुगन चन्द, श्री
सक्टू मल, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हरि कृष्ण अवस्थी, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री

निम्नलिखित मन्त्री, राज्य मन्त्री व उपमन्त्री, जो कि विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे

श्री हुकुम सिंह विसेन (स्वास्थ्य, न्याय सहायता व पुनर्वास मंत्री)।

श्री चरण सिंह (राजस्व, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री)

डाक्टर सीता राम (आबकारी, व परिवहन राज्य मंत्री)।

श्री सुल्तान आलम खां (नियोजन उप-मन्त्री)

श्री बलदेव सिंह आर्य (स्वास्थ्य, सहायता व पुनर्वास उप-मन्त्री)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (श्रम उप-मन्त्री)

पी० एस० यू० पी० एल० ६६ एल० सी०—२१-८-५८—२००।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

दूसरे प्रदेशों में स्थित राज्य सरकार के कार्यालय

*१—**श्री प्रेम चन्द्र शर्मा** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेशीय सरकार के कुछ दफ्तर दूसरे प्रदेशों में भी हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य (स्वास्थ्य, सहायता व पुनर्वास उपमंत्री)—

(क) जी हाँ।

(ख) सूचना *तालिका में दी गई है।

*२—**श्री प्रेम चन्द्र शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त दफ्तरों में से प्रत्येक का पिछले तीन वर्षों का वार्षिक व्यय क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—*सूचना-तालिका में दी गई है।

*३—**श्री प्रेम चन्द्र शर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि उनमें से प्रत्येक में कितना-कितना स्टाक इस समय (३१-३-५८) है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—*सूचना-तालिका में दी गई है।

*४—**श्री प्रेम चन्द्र शर्मा**—यह दफ्तर कब खोले गये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—*सूचना-तालिका में दी गई है।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बम्बई में जो सेल्स टैक्स का दफ्तर है उसके पास क्या काम रह गया है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन (स्वास्थ्य, न्याय, सहायता व पुनर्वास मंत्री)—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—यह बतलाया गया है कि मुख्य अभियंता, रिहन्द (विद्युत्) द्वारा नियुक्त लिआजा आफिसर, कलकत्ता में रहता है तो उसका वहां पर क्या कार्य है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—वहाँ पर बहुत बड़ा काम है। वहाँ पर मशीनरी आती है और वह आफिसर इम्पोर्ट तथा कस्टम के काम को करता है।

*५-६—(हस्तान्तरित)।

---

*देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ ८२-९१ पर भरिये।

*७-११—(स्थगित)।

उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडेमी की स्थापना

***१२—श्री हृदय नारायण सिंह**—क्या यह सच है कि प्रादेशिक सरकार ने कोई ललित कला एकेडेमी प्रदेश में स्थापित करने का निश्चय किया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हाँ।

***१३—श्री हृदय नारायण सिंह**—(क) यदि हाँ, तो इसका क्या उद्देश्य होगा ?

(ख) इसमें कितने अधिकारी किस वेतनक्रम में रखे जायेंगे ?

(ग) इसका मुख्य भवन कहाँ होगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—(क) एकेडेमी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

(१) केवल ललित कलाओं जैसे चित्रकला तथा मूर्तिकला को बढ़ावा देना।

(२) आधुनिक एवं मध्यकालीन चित्रकला के लिये एक चित्रशाला की स्थापना करना।

(३) आधुनिक मूर्तिकला के लिए एक कक्ष की स्थापना करना।

(४) मूर्तिकला तथा चित्रकला की प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

(५) ऐसे भाषणों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना जो ललित कलाओं के क्षेत्र में जाते हैं।

(६) आधुनिक चित्रों के पुनरावर्तन तथा विक्रय का प्रबन्ध करना जैसा कि यू० एस० एस० को भारत कला भवन, वाराणसी तथा ललित कला भवन, दिल्ली द्वारा किया गया है।

(ख) एकेडेमी में निम्नलिखित अधिकारी होंगे :

(१) सचिव (एक) वेतन क्रम २५०-८५० रु०। प्रारम्भिक वेतन ५०० रु० तक दिया जा सकता है।

(२) संग्रहालयाध्यक्ष (एक) वेतन क्रम-२००-४५० रु०। प्रारम्भिक वेतन ३०० रु० तक दिया जा सकता है।

(ग) अभी निश्चित नहीं है।

***१४—श्री हृदय नारायण सिंह**—क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि इस पर प्रथम तथा द्वितीय वर्षों में कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—प्रथम वर्ष अर्थात् १९५९-६० में २८,४०० रु० रेवेन्यू तथा २०,००० रु० कैपिटल तथा द्वितीय वर्ष (१९६०-६१) में १,८०,००० रु०) कैपिटल तथा १८,३०० रु० रेवेन्यू में खर्च होने का अनुमान है।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत अभी नियुक्तियां हुई हैं या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री हृदय नारायण सिंह—जब केन्द्र में एक ललित कला एकेडेमी स्थापित है तो क्या उसके अन्तर्गत यह कार्य नहीं हो सकता है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—हाँ, ख्याल ऐसा है कि नहीं हो सकता है ।

श्रीमती सावित्री श्याम (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस अधिकारी की एकेडेमिक क्वालीफिकेशन क्या होगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—यह सूचना इस वक्त मेरे सामने नहीं है इसलिये नोटिस की आवश्यकता है ।

उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना

*१५—**श्री हृदय नारायण सिंह**—क्या यह सही है कि प्रादेशिक सरकार ने प्रादेशिक स्तर पर कोई पुरातत्व विभाग की स्थापना तथा अधिकारियों की नियुक्ति का निश्चय किया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हाँ ।

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता था कि जब एक आल इन्डिया आर्कोलाजिकल विभाग है तो फिर इसको स्थापित करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—वह तफसील तो नहीं बतला सकता लेकिन जरूरत महसूस हुई, इसलिये स्थापित किया गया है ।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या इसकी पूरी योजना बना ली गयी है और क्या व्यय होगा वह निश्चय हो चुका है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हाँ, बन गयी है लेकिन कितना खर्चा होगा वह मैं इस वक्त नहीं बतला सकता ।

पी० सी० एस० का एमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट

*१६—**श्री हृदय नारायण सिंह**—११ अगस्त, १९५८ के मेरे प्रश्न संख्या ६९ के सम्बन्ध में पी० सी० एस० के Emergency recruitment के लिये जो योग्यता, उम्र इत्यादि के नियम सरकार ने बताये थे क्या उनकी एक प्रतिलिपि मुख्य मंत्री सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—सदन की मेज पर एक प्रतिलिपि* रख दी गई है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकेंगे कि अभी केवल योजना ही बनायी गयी है या इसके अलावा विभाग भी खोल दिया गया है और नियुक्तियाँ भी कर दी गयी हैं?

श्री हुकुम सिंह विसेन—अभी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—उसकी शाखाओं को कहाँ-कहाँ पर स्थापित करने का विचार है, क्या यह बताना सरकार के लिए सम्भव होगा?

श्री हुकुम सिंह विसेन—यह अभी कब्ल अज वक्त है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—सरकार ने जो अपना एक इन्डोलाजी का डिपार्टमेंट खोला हुआ है, क्या यह विभाग उसके अतिरिक्त है या उससे सम्बन्धित है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—मालूम तो अलग होता है लेकिन मैं इस वक्त डैफिनेटली नहीं बता सकता।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस योजना की छोटी-मोटी रूप-रेखा बताने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुम सिंह विसेन—वह इस वक्त मेरे पास नहीं है।

*१७-१९—(स्थगित)

ग्राम सेवकों की नियुक्तियाँ

*२०—**श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा ग्राम सेवकों की नियुक्ति उनके निवास-स्थान से कितनी दूर की जाय, इस सम्बन्ध में कोई नियम निर्धारित किये गये हैं?

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं?

श्री सुल्तान आलम खाँ (नियोजन उपमंत्री)—(क) जी नहीं, इस सम्बन्ध में कोई नियम निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि भविष्य में इस प्रकार का कोई नियम बनाने का सरकार का विचार है?

श्री सुल्तान आलम खाँ—कोई नियम बनाने का इस वक्त सरकार का इरादा नहीं है लेकिन डिपार्टमेंट की यह पालिसी है कि जो विलेज लेबल वर्कर जिस जिले का रहने वाला है, उस जिले में उसकी पोस्टिंग न की जाय लेकिन आम तौर पर कोशिश की जाती है कि उनकी पोस्टिंग उसी कमिश्नरी में की जाय सिवाय हिल डिस्ट्रिक्ट में एसी पालिसी नहीं चलती, इसलिए कि वहां की हालत ऐसी है कि वहाँ लम्बे-लम्बे फासले

---

*देखिये नत्थी 'ख' पृष्ठ ९२ पर।

हैं जिसकी वजह से यह मुनासिब नहीं समझा जा सका । लेकिन आम पालिसी यही है जिसके मातहत डिपार्टमेंट काम करता है ।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बहुत से विलेज लेवल वर्कर ऐसे हैं जो अपने डिवीजन से बहुत दूरी पर नियुक्त हुये हैं ?

श्री सुल्तान आलम खाँ—जी हाँ, ऐसे केसेज हो सकते हैं और उसकी वजह यह हो सकती है कि उस डिवीजन के अन्दर कोई जगह खाली नहीं होगी या उसी डिवीजन के रहने वाले लोग होंगे जिनकी वजह से बाहर के एक और आदमी की गुंजाइश वहाँ नहीं होगी लेकिन अमूमन यह किया जाता है कि जिस वक्त पोस्टिंग का मौका हो, जिस डिवीजन का वह बाशिन्दा रहने वाला है, उसी डिवीजन में अपने जिले के अलावा दूसरे किसी जिले में भेजा जाता है ।

श्री नवल किशोर गुरुदेव (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५-५६ के जो ग्राम सेवक हैं, वे अभी बहुत कुछ बेकार हैं ?

श्री चेयरमैन—यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या यह बात सत्य नहीं है कि सरकार का ऐसा ही एक जनरल आर्डर है कि इतने वेतन पाने वाले को इतनी दूर से ज्यादा दूरी पर अपने निवास-स्थान से न भेजा जाय ?

श्री चेयरमैन—यह प्रश्न नहीं उठता ।

*२१--२२—(स्थगित) ।

जिला आजमगढ़ में बाढ़ से हुई क्षति

***२३—श्री जय बहादुर सिंह** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—(अनुपस्थित) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष बाढ़ से जिला आजमगढ़ के भिन्न-भिन्न तहसीलों में कितनी-कितनी क्षति हुई है ?

श्री चरण सिंह (राजस्व, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री)—इस वर्ष बाढ़ से आजमगढ़ जिले की विभिन्न तहसीलों में जो क्षति हुई है उसका विवरण निम्नांकित है :—

तहसील का नाम	अनुमानित क्षति रूपयों में
१—फूलपुर	१,७०,०००
२—मुहम्मदाबाद	९५,०००
३—सदर	१,७८,३६०
४—घोसी	७,९०,०००
५—सगड़ी	३,३८,८८०
६—लालगंज	(बाढ़ से कोई क्षति नहीं हुई)

*२४--३४—(स्थगित) ।

संचालक चकबन्दी के अधिकार

*३५—**श्री हृदय नारायण सिंह**—क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश तथा उप-संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश को यह अधिकार दिया गया है कि वे सहायक चकबन्दी अफसरों को नौकरी से बर्खास्त कर दें ?

श्री चरण सिंह—संचालक चकबन्दी उत्तर प्रदेश को सहायक चकबन्दी अफसरों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, अतएव उनको ऐसे अफसरों को नौकरी से बर्खास्त करने का भी अधिकार है । उप-संचालक चकबन्दी को यह अधिकार नहीं दिया गया है ।

*३६—**श्री हृदय नारायण सिंह**—यदि हाँ, तो उन्होंने इस अधिकार का प्रयोग (सहायक चकबन्दी अफसरों को निकालने में) प्रारम्भ से अब तक (१५-८-५८) कितनी बार किया है ?

श्री चरण सिंह—प्रारम्भ से १५-८-५८ तक ३ सहायक चकबन्दी अधिकारियों की सेवायें संचालक चकबन्दी द्वारा इस अधिकार का प्रयोग करके समाप्त की गईं ।

*३७—**श्री हृदय नारायण सिंह**—यह अधिकार सरकार ने संचालक तथा उप-संचालक चकबन्दी को कब और किस कारण दिया है ?

*३८—**श्री चरण सिंह**—सरकार ने नियन्त्रण की सुविधा को दृष्टि में रखकर यह अधिकार संचालक चकबन्दी को १९ अगस्त, १९५४ को प्रदान किया ।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग में कितने चकबन्दी या सहायक चकबन्दी अफसर स्थायी हैं ?

श्री चरण सिंह—चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के समस्त पद अस्थायी हैं । परन्तु इन पदों पर कुछ स्थायी सरकारी कर्मचारी भी कार्य कर रहे हैं ।

श्री हृदय नारायण सिंह—यह जो अस्थायी सरकारी कर्मचारी कार्य से अलग किये गये हैं, यह इसी विभाग के हैं या दूसरे विभाग से लिये गये थे ?

श्री चरण सिंह—कानूनगो, नायब तहसीलदार वगैरह तो रेवन्यू डिपार्टमेन्ट के हैं । कुछ कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट से भी लिये गये हैं । इनमें एक-दो को छोड़ कर बाकी सब वापस कर दिये गये हैं ।

श्री हृदय नारायण सिंह—जब कार्य करने वाले अधिकारियों को हटाया जाता है तो यह जो सहायक चकबन्दी अधिकारी होते हैं, इनको अपने डिफेन्स में कुछ कहने का मौका दिया जाता है या नहीं ?

श्री चरण सिंह—अगर बर्खास्त किये जाते हैं तो मौका दिया जाता है और अगर उनकी सर्विस टर्मिनेट की जाती है, तो सरकार समझती है कि उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है और उनको नोटिस दे दिया जाता है।

श्री राम कुमार शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि सहायक चकबन्दी आफिसर जो बर्खास्त किये जाते हैं, उनकी अपील मिनिस्टर साहब सुनते हैं या और दूसरी जगह जाती है ?

श्री चरण सिंह—जो बर्खास्त किये जाते हैं, उनके बारे में मैं ठीक नहीं कह सकता हूँ कि कौन अपील सुनता है। लेकिन शायद मेरा ख्याल है कि बोर्ड आफ रेवन्यू सुनता है। जिनको सरकार टर्मिनेट करती है, उनकी अपील का सवाल ही नहीं उठता है।

श्री शफीक अहमद खां तातारी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—प्रश्न संख्या ३३ में यह जवाब दिया गया है कि ३ सहायक चकबन्दी अधिकारी अलग किये गये हैं, तो वह किस कारण से अलग किये गये हैं ?

श्री चरण सिंह—जो लोग बर्खास्त किये जाते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज जरूर होता है। कोई गलती करते हैं, या कोई बेईमानी की होगी।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतालायेंगे कि जो सर्विस टर्मिनेट की जाती है और जो लोग बर्खास्त किये जाते हैं, उनके क्या कारण होते हैं और टर्मिनलनेशन और डिसमिसल में क्या अन्तर है ?

श्री चेयरमैन—यह तो आप गवर्नमेन्ट्स रूल्स में पढ़ सकते हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—यहाँ पर जो रूल्स हैं, वैसे किसी भी विभाग में नहीं हैं। इसीलिये मैं यह जानना चाहता हूँ कि शायद माननीय मंत्री जी इस पर कुछ बतला सकें ?

श्री चेयरमैन—यह तो मामूली सी बात है कि जब किसी की मुलाजिमत को टर्मिनेट किया जाता है तो उसका मतलब यह होता है कि उसकी सेवा की जरूरत नहीं है, और उसको नोटिस दे दिया जाता है।

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ ?

श्री चेयरमैन—जब किसी को बर्खास्त किया जाता है तो उस पर कुछ चार्ज लगाये जाते हैं और जब किसी की सर्विस टर्मिनेट की जाती है तो उसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर अब काम नहीं है। यह एक साधारण सी बात है। अगर आप चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी खड़े हो जायं तो माननीय मंत्री जी खड़े होकर जवाब दे दें।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया है। इस विभाग के कोई विशेष नियम नहीं हैं।

[श्री चरण सिंह]

सर्विस टर्मिनेट करने के लिये वही रूल हैं जो गवर्नमेंट सरवेन्ट्स कन्डक्ट रूल में है और जो बर्खास्त किये जाते हैं उनके लिये भी वही रूल है। जो टेम्पोरेरी अधिकारी होगा, उसको गवर्नमेन्ट एक महीने की नोटिस देकर एक महीने की तनख्वाह देगी और सर्विस से अलग कर सकती है। वजह बतलाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। एफिशिएन्सी बढ़ जाय इस दृष्टिकोण को रख कर हमारी सर्विसेज मे यह बात रखी गयी है। इस तरह से उसका डिसमिसल तो हुआ नहीं और वह आगे भी जहाँ चाहे वहाँ नौकरी कर सकता है। चूंकि विभाग को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिये बिना कोई वजह बतलाये हुये उसको अलग किया जा सकता है। अगर उनको बर्खास्त करना है तो उन पर चार्जेज लगाये जायेंगे। अगर परमानेन्ट को अलग करना होता है तो उस पर भी चार्जेज लगाये जाते है लेकिन उसको अपील करने का मौका होता है परन्तु टेम्पोरेरी के लिये यह बात नहीं है। इस तरह से जिनकी सर्विसेज टर्मिनेट की गयी है उनकी संख्या २१४ है। चूंकि आपके सवाल में लफ्ज बर्खास्त था, इसलिये मैंने यह बात कही। मैंने शब्दों का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया है।

*३९--४२—(स्थगित)।

उत्तर देश में टेक्निकल शिक्षा-संस्थायें

***४३ श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**—(क) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन-कौन सी technical शिक्षा संस्थायें उत्तर प्रदेश में वर्तमान पंचवर्षीय योजना में खोली जा रही है ?

(ख) क्या सरकार उपरोक्त संस्थाओं के खोलने के स्थान जिलेवार बताने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (श्रम उप-मंत्री)—(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेकनालाजी नाम से एक टेकनिकल संस्था खोली जा रही है।

(ख) उपरोक्त संस्था कानपुर में खोली जायगी।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि वह इंस्टीट्यूट क्यों खोला जा रहा है और इसमें कौन-कौन सी शिक्षाये दी जायेंगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—पोलिटेकनिक इंस्टीट्यूट में करीब-करीब सभी किस्म के ट्रेड्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें इन्सट्रक्टर्स और स्टूडेन्ट्स को मेकेनिकल ट्रेनिंग दी जायेगी।

श्री हृदय नारायण सिंह—यह जो संस्था खोली जा रही है, तो जो विभाग पोलिटेकनिक इंस्टीट्यूट का है, यह उसी के नाम से रहेगी या यह संस्था स्वतंत्र होगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा— केन्द्रीय सरकार की जो योजना है, उसके अनुसार उन्होंने देश को चार भागों में विभाजित कर दिया है और इन चारों भागों में इंस्टीट्यूट खोले जायेंगे, तो उसमें हमारे प्रदेश में जो इंस्टीट्यूशन आता है, वह एफीसियेन्सी और मोडराइजेशन के अन्तर्गत का भाग है और इसलिए यह संस्था इंडिपेन्डेन्ट होगी।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस संस्था के कब तक खुल जाने की आशा है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—अभी तो जमीन लेने की बात चल रही है। फिर दिसम्बर में गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की तरफ से एक टीम आयेगी और दूसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने से पहले पहले यह इंस्टीट्यूट खुल जायेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त— क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस इंस्टीट्यूशन में पोलिटेकनिक क्लासेज के अलावा डिग्री क्लासेज के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग के कोर्सेज भी होंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा— इसके लिए तो अलग इंस्टीट्यूशन्स खोले जायेंगे।

श्री कन्हैया लाल गुप्त— क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कहाँ और कब तक ?

श्री चेयरमैन—यह प्रश्न नहीं उठता है।

*४४–४८—(स्थगित)।

उत्तर प्रदेश में नियोजन शिविर

*४९ **श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद** —(क) क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जुलाई तथा अगस्त, १९५८ में कितने नियोजन शिविर इस प्रदेश में हुए ?

(ख) क्या उन शिविरों में किसी गैर-सरकारी सदस्य को निमंत्रित नहीं किया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां—(क) जुलाई तथा अगस्त. १९५८ में कोई नियोजन शिविर नहीं हुआ परन्तु रबी आन्दोलन के सम्बन्ध में अगस्त में मंडल स्तर पर १० "सेमिनार" हुए तथा ग्राम सेवक क्षेत्रों में २,००० शिविर चलाये गये।

(ख) मंडल स्तर के सेमिनारो में किसी गैर-सरकारी सदस्य को निमंत्रित नहीं किया गया। ग्राम सेवक क्षेत्रीय शिविरों में सम्बन्धित कृपकों को रबी आन्दोलन का कार्यक्रम समझाने के लिए निमंत्रित किया गया था।

*५०—**श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**—(क) क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उपरोक्त शिविरों में कितने शिविर ऐसे थे जिनमें केवल सरकारी कर्मचारी ही सम्मिलित थे ?

(ख) कितने व्यक्तियों को इन शिविरों में बुलाया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां—(क) मंडल स्तर के १० "सेमिनार"।

(ख) लगभग २०० व्यक्तियों को ।

*५१ **श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इन शिविरों को करने का सरकार का क्या उद्देश्य था ?

श्री सुल्तान आलम खां—यह शिविर रबी आन्दोलन की रूपरेखा व लक्ष्य निर्धारित करने तथा कृषकों को रबी आन्दोलन का कार्यक्रम व उपयोगिता समझाने व व्यावहारिक ज्ञान कराने के हेतु किये गये थे ।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये जो नियोजन शिविर लगाये गये, इनमें गैर-सरकारी मेम्बरों को क्यों नहीं इनवाइट किया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां—मंडल के स्तर पर जो सेमिनार किए गए उनमें वर्किंगकग प्लान तैयार किए गये थे इसलिए यह जरूरत नहीं समझी गई कि वहाँ नाना फिशल्स बुलाये जायें । सरकारी अफ़सर, कमिश्नर, ज़ोनल आफ़िसर्स, प्लानिंग आफ़िसर्स, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, इन सब को बुलाया गया था। असल काम गाँव के अन्दर था । उसमें सब लोगों को इकट्ठा किया गया था और पूरी स्कीम एक्स्प्लेन की गई थी ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—यह जो दस मंडलीय सेमिनार किये गए, उनमें जिन विषयों पर सेमिनार किए गए और जिन विषयों पर डिसकशन्स हुए, यदि मेम्बर चाहें तो क्या उन विषयों की सूचना माननीय मंत्री जी देने की कृपा करेंगे ।

श्री सुल्तान आलम खां—माननीय मेम्बर यदि इसकी नोटिस देंगे तो उस पर ग़ौर किया जायेगा और मुनासिब जवाब दिया जायेगा ।

श्री शफीक अहमद खां तातारी—जो दो हजार सेमिनारें किए गए इनमें कितना रुपया खर्च हुआ, क्या मंत्री जी बतला सकते हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—रुपया तो काफी खर्च हुआ होगा लेकिन सही तादाद मालूम करने के लिए नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—यह जो दो हजार शिविर हुए इनमें गाँव पञ्चायत के मेम्बरों के अलावा क्या और भी काश्तकार बुलाए गए ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी हाँ इसमें बहुत से लोगों को बुलाया गया और इस बात की कोशिश की गई कि इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा गाँव वालों तक पहुँचाया जाये ।

श्री शफीक अहमद खां तातारी—यह दो हजार शिविर किन-किन जिलों में चलाए गए ।

श्री मुल्तान आलम खां—सही जानकारी के लिए तो नोटिस की आवश्यकता होगी, लेकिन सभी जिलों में चलाए गए ।

अमेठी तहसील में दाखिल-खारिज के मामले

***५२—श्री कुंवर रणञ्जय सिंह** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित) —क्या माल मंत्री कृपा कर के बतलायेंगे कि सुल्तानपुर जिला की अमेठी तहसील में कितने मामले ऐसे हैं जिनमें दाखिल-खारिज का आदेश हो जाने पर भी अभी तक (३१-८-५८) अमल दरामद नहीं हुआ है ?

श्री चरण सिंह—सुल्तानपुर जिले की अमेठी तहसील में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है ।

***५३—श्री कुंवर रणञ्जय सिंह** (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि उक्त अमेठी तहसील में दाखिल-खारिज के ऐसे मुकदमे कितने हैं जिनमें कोई आपत्ति नहीं की गई है । फिर भी तीन मास से अधिक से इस समय (३१-८-५८) विचाराधीन हैं ?

श्री चरण सिह—३१-८ १९५८ को दाखिल खारिज के आपत्ति रहित ३ वाद ऐसे थे जो कि तीन माह से अधिक पुराने थे । उनका निर्णय सितम्बर, १९५८ में हो गया है ।

*५४—(स्थगित) ।

***५५—श्री कुंवर रणञ्जय सिंह** (अनुपस्थित)—राजस्व मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ को श्री रणंजय सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या ७६ पर निम्नलिखित पूरक प्रश्न का पुनरीक्षणत उत्तर दें :

"क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अमीनों और लेखपालों के स्थानान्तरण के लिए कोई अवधि निर्धारित की गई है ?"

श्री चरण सिंह—कुर्क अमीनों को छोड़कर, शेष अमीनों और लेखपालों के स्थानान्तरण के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है । कुर्क अमीन, जो क्लेक्टरेट के स्थायी संवर्ग के कर्मचारी होते हैं, केवल पाँच वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जिसके पश्चात् उनका पद-परिवर्तन आवश्यक हो जाता है ।

(*तारांकित प्रश्न संख्या ५६ से ६४ तक तारांकित प्रश्न संख्या ६८ के बाद पूछे गये ।)

महाराजा बनारस की भूमि

आदि संख्या *६५—**श्री राम नन्दन सिंह** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या यह सच है
१८ कि वाराणसी जिले की तहसील चकिया के ३० गाँवों में महाराजा बनारस की भूमि नहीं
ता० आती है ?
२२-९-५८

श्री चरण सिंह—जी नहीं। चकिया तहसील के ३० गाँवों में महाराजा बनारस के बाग हैं।

आदि संख्या *६६—**श्री राम नन्दन सिंह**—क्या यह ठीक है कि १२-९-५७ के एक
१९ प्रार्थना-पत्र द्वारा सरकार के माल विभाग से माँग की गई है कि तहसील चकिया के
ता० ३० गाँवों में महाराजा बनारस की बाग भूमि के बदले में दूसरी भूमि महाराजा को
२२-९-५८ देकर उसे तत्सम्बन्धी गाँव सभाओं को दे दिया जावे ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ।

आदि संख्या *६७—**श्री राम नन्दन सिंह**—क्या यह भी सच है कि माल विभाग
२० ने उस प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर परगनाधीश चकिया द्वारा महाराजा की स्वीकृति भी
ता० प्राप्त कर ली है ?
२२-९-५८

यदि हाँ, तो क्या उक्त भूमि गाँव समाजों को दे दी गई है और उनका ब्योरा क्या है ?

श्री चरण सिंह—महाराजा बनारस तहसील चकिया के ३० गाँवों में अपने बागों की भूमि बैराठा जंगल मे उतने ही क्षेत्रफल की भूमि से बदलने को तैयार हैं परन्तु अभी सरकार ने इस मामले में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता है।

आदि संख्या *६८—**श्री राम नन्दन सिंह**—यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही
२१ की जा रही है ?
ता०
२२-९-५८

श्री चरण सिंह—जो जमीन महाराजा को बदले में दी जानी है वह बन विभाग की है। बन विभाग ने अभी तक अपनी भूमि देने के बारे में निश्चय नहीं किया है।

श्री राम नन्दन सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि इन बागों पर, कागज में केवल महाराजा का कब्जा है जबकि वह वास्तव में गांव सभाओं के प्रयोग में आ रही है ?

श्री चरण सिंह--गवर्नमेन्ट को इतना मालूम है कि रेवन्यू कागजात के मुताबिक वह महाराज की निजी सम्पत्ति है पर गाँव के कुछ लोग उन पर अपना अधिकार बतलाते हैं, यह बात भी सही है । लेकिन कानूनन वह महाराज की है ।

श्री राम नन्दन सिंह--जैसा कि अभी जंगल की जमीन से इन बागों को बदलने के लिये बताया गया, क्या सरकार जल्द बदलने की कार्रवाई करेगी ?

श्री चरण सिंह--अब जंगल में बात फँसी हुई है ।

श्री शफीक अहमद तातारी-- या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बागात किन गाँवों में हैं और कितना रकवा इनका है ।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हृदय नारायण सिंह--बागों का टोटल क्षेत्रफल क्या है ?

श्री चरण सिंह--३० गावों में उनकी जमीन है । जिस में २८ में बाग हैं और दो में मन्दिर हैं । मन्दिर तो वह बदलना चाहते नहीं और न उसका सवाल उठता है । २८ गाँवों में ६१ बीघा ३ बिस्वा और कुछ धुर जमीन है ।

श्री शिव नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार को पता है कि बाग किसानों ने लगा रखे थे लेकिन जमीन राजा साहब के नाम दर्ज है ?

श्री चेयरमैन--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शफीक अहमद खां तातारी--सब बागों में पेड़ लगे हुए हैं या कुछ बाग ऐसे भी हैं जिनमें पेड़ नहीं लगे हैं ।

श्री चरण सिंह--हमारे कागजों में बाग का जिक्र है । हो सकता है कि कुछ में पेड़ कट गये हों और टेकनिकली बाग न कहे जा सकते हों ।

श्री राम नन्दन सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि उन बागों में अधिकाँशतः सार्वजनिक सभायें जैसे पंचायत घर, ग्राम सभायें इत्यादि बनी हुई हैं ।

श्री चेयरमैन--यह प्रश्न नहीं उठता ।

संभाली स्प्रिट मिल, जिला मेरठ

*५६--**श्री महाराज सिंह भारती** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) आदि संख्या
(अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संभाली स्प्रिट मिल, जिला १
मेरठ में मकानात बनाने के लिए जो भूमि एक्वायर की गई थी उसमें एक्वायर भूमि के ता०
प्रार्थना-पत्र के साथ मिल मालिक ने कोई मकानात के नक्शों का ब्लू प्रिन्ट भी दिया २२-९-५८
था ?

डाक्टर सीता राम (आबकारी व परिवहन राज्य मंत्री)--जी नहीं ।

---

*प्रश्न सं० ५६ से ६४ तक श्री शफीक अहमद खाँ तातारी द्वारा पूछे गये ।

आदि संख्या २ ता० २२-९-५८

*५७—**श्री महाराज सिंह भारती** (अनुपस्थित*)—क्या उक्त व्यक्ति के पास इस भूमि के अतिरिक्त और भूमि भी थी ?

डाक्टर सीता राम—जी हाँ ।

आदि संख्या ३ ता० २२-९-५८

*५८—**श्री महाराज सिंह भारती** (अनुपस्थित*)—मुआविजें म उसे कितना रुपया प्रति एकड़ दिया गया ?

डाक्टर सीता राम—मुआविजे में लगभग ७१ रुपये ८ आने (५० नये पैसे) प्रति एकड़ दिया गया ।

श्री शफीक अहमद खां तातारी—यह जो जमीन एक्वायर की गई है वह कितनी जमीन थी ?

डाक्टर सीता राम—८४·८३ एकड़ थी ।

श्री शफीक अहमद खां तातारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने मकान बनाने की स्कीम थी ?

डाक्टर सीता राम—कितने मकान बनाने की स्कीम थी इसकी तो मुझको इत्तिला नहीं फैक्टरी, के अन्दर जितनी जमीन होगी सब में मकान बनेंगे।

श्री शफीक अहमद खां तातारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ७० रु० आठ आने प्रति एकड़ का मावजा दिया गया है यह कितनी जमीन का दिया गया है ?

डाक्टर सीता राम—जितनी जमीन एक्वायर की गई होगी उस सब का दिया गया।

श्री शफीक अहमद खां तातारी—यह चार किसानों के पास जो जमीन थी उसके बदले में क्या उनको और जमीन दी गई है ?

श्री चेयरमैन—यह प्रश्न नहीं उठता ।

सेन्ट्रल डिस्टिलरी, कंकर खेड़ा, जिला मेरठ

आदि संख्या ४ ता० २२-९-५८

*५९—**श्री महाराज सिंह भारती** (अनुपस्थित*)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेन्ट्रल डिस्टिलरी कंकर खेड़ा, जिला मेरठ द्वारा कर्मचारियों के मकानात बनाने के लिये अब तक एक्वायर की गई भूमि का क्षेत्रफल कितना है ?

डाक्टर सीता राम—ऐसी भूमि का क्षेत्रफल १४ बीघा ३ बिस्वा है ।

९०—श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—उक्त भूमि में कितने चालू कुयें रहट थे तथा कितने किसानों के पास इसके अतिरिक्त और भूमि नहीं थी ? आदि सं० ५ ता० २२-९-५८

डाक्टर सीता राम—उक्त भूमि पर चार चालू कुएं तथा चार रहट थे और चार किसानों के पास इसके अतिरिक्त भूमि नहीं थी ।

९१—श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—मुकदमा लड़ने के कारण सरकार के खर्च की डिग्री किसानों पर कितने रुपये की हुई और जमीन से मिलने वाला मुआविजा कितना था ? आदि संख्या ६ ता० २२-९-५८

डाक्टर सीता राम—किसानों पर ३,६९४·६९ रुपये की डिग्री हुई तथा मुआविजा कुल ९७१९ रुपये ७ आने मिला ।

मुजफ्फरनगर से मंगलौर तक बसें

९२—श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतिदिन रोडवेज की कितनी बसें मुजफ्फरनगर से मंगलौर चलाई जाती हैं ? आदि संख्या ७ ता० २२-९-५८

डाक्टर सीता राम—प्रतिदिन रोडवेज की २० बसें मुजफ्फरनगर से मंगलौर ठहरती हुई रुड़की आती हैं और इतनी ही बसें मंगलौर होती हुई मुजफ्फरनगर जाती हैं।

९३—श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि रुड़की से आने वाली बसों में जगह न मिलने के कारण यात्री मंगलौर से मुजफ्फरनगर के लिये रुड़की जाकर बैठते हैं ? आदि संख्या ८ ता० २२-९-५८

डाक्टर सीता राम—जी नहीं ।

९४—श्री महाराज सिंह भारती (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि मंगलौर बस स्टेशन पर पीने के पानी का ठीक प्रबन्ध नहीं है ? आदि संख्या ९ ता० २२-९-५८

डाक्टर सीता राम—जी नहीं ।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—मंगलौर का महत्व जब से वहाँ म्युनिसिपल बोर्ड हुआ है बहुत अधिक बढ़ गया है। क्या सरकार कोई बस मंगलौर से मुजफ्फरनगर तक चालू करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीता राम—मुजफ्फरनगर से मंगलौर होते हुये रुड़की को बस चलती है । इसलिये किसी दूसरी बस को चलाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार—जब से मंगलौर में म्युनिसिपल बोर्ड हुआ है तब

[श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार]

से उसका महत्व बढ़ गया है। वहाँ के लोगों को इतनी दिक्कत है कि लोग रुड़की आकर स्थान लेते हैं। इस नई स्थिति में क्या सरकार वहाँ से बस चलाने का विचार कर रही है?

श्री चेयरमैन—इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

सियाना और बुगरासी के बीच बस सर्विस

आदि संख्या ९ ता० ९-९-५८। ***६९ श्री महमूद अस्लम खाँ** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)— क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या यह ठीक है कि बुलन्दशहर-सियानागढ़ मार्ग पर बस सर्विस हाल ही में सियाना और बुगरासी के बीच बन्द कर दी गई है?

Original No. 9 Dated 21-9-58. ***69 Sri Mahmood Aslam Khan.** (Local Authorities Constituency) Will the Government be pleased to state if it is a fact that Bus service on the Bulandshahr-Siana Garh route has been recently suspended between Siana and Bugrasi?

डाक्टर सीता राम—जी हां। Yes, Sir.

आदि संख्या १० ता० १९-९-५८ ***७० श्री महमूद अस्लम खाँ**—क्या यह आर० टी० ओ० की आज्ञानुसार बन्द की गई है?

Original No. 9, Dated 29-9-58. ***70 Sri Mahmood Aslam Khan.** Has it been stopped with the permission of the R. T. O.?

डाक्टर सीता राम—जी नहीं। No, Sir.

श्री महमूद अस्लम खाँ—क्या सरकार बताने की मेहरबानी करेगी कि यह बस सर्विस जो जारी हुई है क्या कोई आदेश आर० टी० ओ० ने दिया। बिला एग्जीक्युटिव इन्जीनियर पी० डब्लू० डी० की रेकमेन्डेशन के कि यह सड़क मोटरएबिल थी या नहीं?

डाक्टर सीता राम—इसकी इत्तिला नहीं है कि ऐसा लेटर आर० टी० ओ० ने लिखा है या नहीं। जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है आर० टी० ओ० ने सेप्टेम्बर, १९५८ में यह आदेश जारी किया था कि उन आपरेटर्स को चाहिये कि उस रूट पर अपनी बसेस चलायें। उन लोगों ने बन्द कर दिया था क्योंकि सड़क खराब थी। अब आशा है कि बसेस चलना शुरू हो गई हैं।

श्री महमूद अस्लम खाँ—इसके मुताल्लिक मुझे गुजारिश यह करना है जैसा कि कायदा था कि जवाब पहुँचाये जाते थे।

श्री चेयरमैन—आप सवाल पूछ चुके। आपका नाम पुकार दिया गया है और

माननीय मंत्री जी को कह दिया गया है वह इसका उत्तर देंगे। अब जो कुछ आपको कहना है वह बाद में कहें।

श्री महमूद अस्लम खाँ—गुजारिश यह है कि सपलीमेन्ट्रीज पेश करने के लिये आज तक जवाबात पेश्तर भेज दिये जाते थे। अब नई बात....

श्री चेयरमैन—आपकी मेज पर जवाबात हैं या नहीं ?

श्री महमूद अस्लम खाँ—वह हैं।

श्री चेयरमैन—आप पूछें।

श्री महमूद अस्लम खाँ—पहले कायदा यह था.......

श्री चेयरमैन—कायदे का सवाल नहीं है। आपकी मेज पर जवाबात रखे हुए हैं। आप देर से आये। यदि आप ११ बजे आ जाते तो आधे घंटे में सवालात और जवाबात को पढ़ लेते और सपलीमेन्ट्रीज कर लेते। अब आप नई बात पेश करना चाहते हैं। यह कोई असर नहीं रखता है, आपकी टेबिल पर जवाब हैं और आप देर में आये हैं।

श्री चरण सिंह—जी हाँ, और जी नहीं, के सवाल हैं।

श्री चेयरमैन—आप सवाल करें।

श्री महमूद अस्लम खाँ—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि वाकई सड़क खराब थी ?

श्री चेयरमैन—कोई और सवाल आप करें।

श्री महमूद अस्लम खाँ—मेरी इत्तला यह है कि सड़क खराब नहीं थी। दफ्तर में कुछ गोलमाल होता रहता है।

श्री चेयरमैन—आप यह सवाल करें कि सड़क खराब नहीं थी तो मोटर क्यों बन्द की गई ?

आपके सवालों में कानूनी जामा होना चाहिये।

आप कोई इत्तला देते हैं सदन उसको ले लेता है और उस पर आगे सवाल की ज रत नहीं है। पहले आप अपने सवाल को कानूनी जामा पहनायें।

श्री महमूद अस्लम खाँ—मैं सरकार से यह मालूम करना चाहता हूँ कि यह मोटर चलना किस वजह से बन्द हुई ?

डाक्टर सीता राम—सवाल दोहरा दें।

श्री चेयरमैन—मोटर क्यों बन्द हुई ?

डाक्टर सीता राम—जहाँ तक इत्तला है सड़क ठीक नहीं थी।

श्री महमूद अस्लम खाँ—क्या इन्जीनियर ने आर० टी० ओ० को कोई खत लिखा था जिसमें सर्टिफाई किया गया हो कि सड़क खराब थी ?

डाक्टर सीता राम—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री महमूद अस्लम खाँ—एक सवाल पूछना चाहता हूँ ।

श्री चेयरमैन--पूछ लीजिये ।

श्री महमूद अस्लम खाँ—यह पब्लिक की सुविधा का प्रश्न है इसलिये सवाल करने की जरूरत है ।

२२ सितम्बर को आर० टी० ओ० की डिवीजनल ट्रान्सपोर्ट की मीटिंग होती है । उसमें मोटर चलाने का आदेश दिया है । क्या यह मोटर चलने लगी हैं ?

डाक्टर सीता राम--मैं बतला चुका हूँ सितम्बर में आर० टी० ओ० का आर्डर हुआ है कि बसेस वहाँ चलाई जायं और इसी ख्याल से आर० टी० ओ० तथा अन्य आफिसर्स उसको कार्यरूप में परिणत करने के लिये उसकी देखरेख कर रहे हैं ।

श्री महमूद अस्लम खाँ—मेरा सवाल यह था कि २२ सितम्बर से हुक्म के बमूजिब यह मोटरें चलने लगीं या नहीं ?

श्री चेयरमैन—इसके लिये आप नया नोटिस दें ।

श्री महमूद अस्लम खाँ--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि जो मोटर चलाने के आदेश दिये गये उनका पालन हुआ या नहीं ?

(इसका उत्तर नहीं दिया गया ।)

*७१---(हस्तान्तरित) ।

सरदार इण्डस्ट्रीज, हापुड़, जिला मेरठ

-ादि संख्या १७ ता० १९-९-५८ ***७२ श्री महाराज सिंह भारती** (अनुपस्थित*)—क्या यह ठीक है कि सरदार इंडस्ट्रीज, हापुड़, जिला मेरठ सिलाई की मशीन के स्टैन्ड बनता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—जी हाँ ।

श्री शफीक अहमद खाँ तातारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतलयेंगे कि इसमें सरकार भी इमदाद देती है या नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--सरकार आर्थिक रूप में कोई इमदाद नहीं देती हैं लेकिन जो कोटे की जरूरत होती है वह सरकार देती है ।

ादि संख्या २८ ता० ९-९-५८ ***७३ श्री अब्दुर रऊफ** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित*)—क्या सरकार कृपा कर बतायेंगी कि जिला पीलीभीत में १ अगस्त, १९५८ तक कितने मैजिस्ट्रेट्स तथा अन्य सरकारी आफिसर, जिनका तबादला पहले इस जिले से एक या दो साल पहले किया गया था, फिर वापिस बुला लिये गये ?

---

* प्रश्न संख्या ७२ श्री शफ़ीक अहमद खां तातारी द्वारा पूछा गया ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रक्खी जायेगी।

***७४—श्री अब्दुर रऊफ** (अनुपस्थित*)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन अधिकारियों के जिला पीलीभीत से जाने और फिर वहीं पर वापस चले आने से सरकार को कितना रुपया भत्ते (T. A.) का खर्च करना पड़ा ? आदि संख्या २९ ता० २९-९-५८

श्री बलदेव सिंह आर्य—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रक्खी जायेगी।

***७५—श्री अब्दुर रऊफ** (अनुपस्थित*)—क्या सरकार कृपाकर बताएगी कि सरकार को जिला पीलीभीत निवासियों द्वारा हाल ही में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि ऐसे अधिकारी जो वहाँ फिर वापिस भेज दिए गए हैं वो वहाँ की स्थानीय पार्टी बन्दी में पड़े हुए हैं ? आदि संख्या ३० ता० २९-९-५८

श्री बलदेव सिंह आर्य—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रक्खी जाएगी।

श्री इसहाक सम्भली—(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने दिन इस सूचना को एकत्रित करने के लिये आवश्यक होंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—अनावश्यक विलंब नहीं होगा।

विकास खण्ड, घाटमपुर

***७६—श्री शंकर राव**—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित*)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि विकास खंड, घाटमपुर, जिला कानपुर के स्थानापन्न बी० डी० ओ० के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ? आदि संख्या ३७ ता० २९-९-५८

श्री सुल्तान आलम खां—जी हाँ।

श्री शफीक अहमद खां तातारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह दरख्वास्तें जिलाधीश के पास कब भेजी गईं ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

***७७—श्री शंकर राव**—(अनुपस्थित*)—यदि हाँ, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ? आदि संख्या ३८ ता० २९-९-५८

---

*प्रश्न संख्या ७३-७५ श्री इसहाक सम्भली (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) द्वारा पूछे गये।

श्री सुल्तान आलम खां--यह प्रार्थना-पत्र जिलाधीश कानपुर के पास आवश्यक जाँच के लिए भेजे गए हैं।

आदि संख्या ३९ ता० २९-९-५८। ***७८--श्री शङ्कर राव** (अनुपस्थित*)--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि घाटमपुर विकास खड, जिला कानपुर क्षेत्र के अस्पताल सुधार के निमित्त जो ७,००० रुपये का बजट में प्रविधान था वह अस्पतालों के उपयोग मे लाया गया है?

श्री सुल्तान आलम खां--जी नहीं।

आदि संख्या ४० ता० २९-९-५८। ***७९--श्री शङ्कर राव** (अनुपस्थित*)---क्या सरकार को मालूम है कि उक्त विकास क्षेत्र के एक व्यक्ति ने महिला अस्पताल बनाने के निमित्त १०,००० रुपये देने का वचन दिया था?

श्री सुल्तान आलम खां--जी हां।

आदि संख्या ४१ ता० २९-९-५८ ***८०--श्री शङ्कर राव** (अनुपस्थित*) क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि उक्त विकास खंड की एक जीप जोकि बी० डी० ओ० के पास थी किसी स्थान से टकरा कर उसके पुर्जे नष्ट हो गये हैं?

श्री सुल्तान आलम खां--जी नहीं। जीप नहीं टकराई।

आदि संख्या ४२ ता० २९-९-५८। ***८१--श्री शङ्कर राव** (अनुपस्थित*) यदि हां तो किस कारण?

श्री सुल्तान आलम खां--प्रश्न ही नहीं उठता।

आदि संख्या ४३ ता० २९-९-५८। ***८२--श्री शङ्कर राव** (अनुपस्थित*) क्या सरकार यह बतलायेगी कि उक्त जीप की मरम्मत एक प्राइवेट फर्म द्वारा बिना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की आज्ञा लिये करवाई गई और इसमें कितना रुपया खर्च हुआ?

श्री सुल्तान आलम खां--जीप की मरम्मत ट्रांसपोर्ट विभाग के टेक्निकल इन्सपेक्टर के निरीक्षण करने के बाद सरकार द्वारा अप्रूव्ड (Approved) गरेज से कराई गई थी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की स्वीकृति हेतु पत्र भेज दिया गया था किन्तु खरीफ अभियान के कारण जीप की मरम्मत स्वीकृति की प्रत्याशा में करवा ली गई। मरम्मत पर १,६२८ रु० ९१ नये पै० खर्च हुए।

श्री शफीक अहमद खां तातारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो १,६२८ रु० जीप की मरम्मत में खर्च हुआ वह किस तरह की मरम्मत थी। आया वह ट्यूब टायर वगैरह का खर्च था और किसी दूसरी तरह का?

---

*प्रश्न संख्या ७९-८४ श्री शफीक अहमद खां तातारी द्वारा पूछे गए।

श्री सुल्तान आलम खां—यह मरम्मत इसलिए कराई गई थी कि रबी ड्राइव के लिए इसकी जरूरत थी। यह मरम्मत कोई ऐसी मरम्मत नहीं थी कि जीप टकरा गई हो इसलिए मरम्मत करवाई गई हो। यह कहीं भी शिकायत नहीं है कि जीप टकराई थी।

***८३—श्री शङ्कर राव** (अनुपस्थित*) क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि उक्त विकास खंड के लिए चालू वर्ष में कितनी धनराशि पेट्रोल में व्यय करने की स्वीकृति दी गई थी ? आदि संख्या ४४ ता० २६-६-५८

श्री सुल्तान आलम खां—चालू वर्ष (१९५८-५९) में पेट्रोल सर्विसिंग तथा जीप की छोटी मोटी मरम्मत के लिए २,१०० रु० की धनराशि स्वीकृति की गई है।

श्री शफीक अहमद खां तातारी—२,१०० रुपया जो मरम्मत के बारे में मंजूर हुआ है उसमें से कितना रुपया मरम्मत पर खर्च हुआ है।

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री हरिकृष्ण अवस्थी (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १,६२८ रुपये का जो एप्रूवल दिया गया जीप की मरम्मत करने के लिए तो उस दिन तक कितने मील जीप चल चुकी थी ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

***८४—श्री शंकर राव**—क्या सरकार बतलायेगी कि उक्त विकास खंड में अब तक (१-६-५८) कितना रुपया पेट्रोल पर व्यय हो चुका है ? आदि संख्या ४५ ता० २६-६-५८

श्री सुल्तान आलम खाँ—चालू वित्तीय वर्ष में १ अप्रैल से १ सितम्बर, १९५८ तक पेट्रोल पर १,२८६ रुपये ४७ नये पैसे व्यय हुए।

श्री शफीक अहमद खाँ तातारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पेट्रोल जो बहुत काफी रुपये का मंजूर हुआ है, इसके अतिरिक्त भी कुछ खर्च हुआ है ?

श्री सुल्तान आलम खाँ—१,२८६ रुपये ४७ नये पैसे पेट्रोल पर खर्च हुआ है जिसमें से ९५७ रुपये ३२ नया पैसा पिछले एरीयर्स का था।

श्री शफीक अहमद खाँ तातारी—यह रकम जो बतलाई है इसके अतिरिक्त १,६०० रुपये का पेट्रोल वहाँ के बी० डी० ओ० ने प्राइवेट कम्पनी से लेकर खर्च किया है। क्या यह सरकार को मालूम है ?

श्री सुल्तान आलम खाँ—अगर माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो मैं जरूर इसकी इनक्वायरी कराऊंगा।

श्री शफीक अहमद खाँ तातारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या

[शफीक अहमद खां तातारी]

सरकार के पास कोई ऐसी नोटिस आई है जिस कम्पनी के यहाँ से पेट्रोल लिखा गया था। क्या उसके मालिक की दरख्वास्त सरकार के पास आई है ?

श्री सुल्तान आलम खाँ—मुझे इसकी इत्तिला नही है।

श्री चेयरमैन—अब प्रश्न समाप्त हुये ।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधनों की विज्ञप्ति

श्री चरण सिंह—मैं माल विभाग की विज्ञप्ति संख्या २७४४-आर-एस(१) क-५१७-डी-५६, दिनांक १ अगस्त, १९५८, जिसके द्वारा सन् १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में संशोधन किये गय हैं, को मेज पर रखता हूँ ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स नियमावली, सन् १९४० ई० में किये गये संशोधनों की विज्ञप्ति

डाक्टर सीता राम—मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम०बी० आर० ए० एम० १६-४१४० (टी० एम ३०,४८००-टी) ५८, दिनांक २४ सितम्बर, १९५८, जिसके द्वारा १९४० ई० को उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स नियमावली में संशोधन किये गये, को सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया और कार्य सञ्चालन नियमावली में संशोधन की अनुज्ञा

श्री कन्हैया लाल गुप्त—Sir, with your permission, I beg to move that leave may be granted to incorporate the following amendment in the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Uttar Pradesh Legislative Council :—

"After chaper X the following may be added as a new Chapter X-B—

"CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

1. A member may, with the previous permission of thc Chairman, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date.

2. There shall be no debate on such statement at the time it is made.

3. Not more than one such matter shall be raised at the same meeting. A member desiring to do so, will send intimation of his intention to the Chairman stating briefly the subject to which he wishes to call attention.

4. In the event of more than one matter being presented for the same day, priority shall be given to the matter which, in the opinion of the Chairman, is more urgent and important.

5. The proposed matter shall be raised after the questions and before the list of business is entered upon by the House and at no other time during the sitting of the House."

श्री चेयरमैन—क्या माननीय सदस्य को अनुज्ञा दी जाय ?

(सदन ने अनुज्ञा दे दी) ।

संकल्प कि द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद और बरेली में मेडिकल कालेज की स्थापना की जाय ।

श्रीमती सावित्री श्याम—अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यह प्रस्ताव उपस्थित किया था कि बरेली और इलाहाबाद में मेडिकल कालेज की स्थापना हो । मेरे प्रस्ताव की मंशा है कि इन जगहों में इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि वहां मेडिकल कालेज खोले जायं । इसका एक पुराना इतिहास है और इसके कारण हैं । ४० वर्ष हुए जबकि उत्तर प्रदश में केवल लखनऊ में एक मेडिकल कालेज था और आगरे में एक मेडिकल स्कूल था । लखनऊ का मेडिकल कालेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ऐफिलिएटड था लेकिन कुछ दिनों बाद वह लखनऊ यनिवर्सिटी से ऐफिलिएटड कर दिया गया । लेकिन इसका नतीजा हुआ कि इलाहाबाद में माँग उठी कि वहाँ पर एक मेडिकल कालेज हो । सी० वाई० चिन्तामणि जो लीडर के एडीटर थे, सन् १९२० के लीडर के File से ज्ञात होता है कि उन्होंने इस मांग को कितना बढ़ाया था, कोई भी दूसरी मांग नहीं थी । उसके लिए एक योजना बनी । लैंड एक्वायर किया गया । उसके लिए प्राविन्शियल बजट में एक लाख रुपया का प्रावीजन भी किया गया । लेकिन बाद में इस पर एक कन्ट्रोवर्सी पैदा हो गई कि वहां पर एक मेडिकल कालेज बने या मैडिकल स्कूल बने । इस कन्ट्रोवर्सी में यह प्रश्न समाप्त हो गया । लेकिन इस सूबे की जनता और सरकार के दिमाग में यह बात रही कि एक मेडिकल कालेज की स्थापना अवश्य होनी चाहिए । सरकार ने कमेटी बनाई । जिसके एक सदस्य

[श्रीमती सावित्री श्याम]

मेजर रनजीत सिंह, आई० एम० एस० थे। उन्होंने बड़े-बड़े नगरों में दौरा किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेडिकल स्कूल के लिये बरेली स्थान सबसे उपयुक्त है। वहां पर आर्थिक स्थिति के विचार से अस्पताल के विचार से उन्होंने यह निश्चय किया कि वहाँ पर एक मेडिकल स्कूल की स्थापना हो। उसके लिये जमीन भी ली गई। धन भी उसके लिए इकट्ठा किया गया। उस समय पंडित जगत नारायण स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने एक लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जब उन्होंने इस सम्बन्ध में डिमांड पेश की उस समय बजट के भाषण में उन्होंने कहा :

"Government has recognised the need for a school and investigations as to the acquiring of land at Bareilly are being carried out."

तब यह निश्चित सा हो गया कि बरेली में एक मेडिकल स्कूल की स्थापना होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश रुपये के अभाव से यह चीज कार्यान्वित न हुई। दुर्भाग्यवश सब कुछ होने पर भी न इलाहाबाद में मेडिकल कालेज की स्थापना हो सकी और न बरेली में। उस समय से कितना परिवर्तन हो गया। कानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हुई और मेडिकल कालेज का एक्सटेंशन हुआ। आगरे में भी मेडिकल कालेज बन गया। लेकिन डाक्टरों की कमी पूरी नहीं हुई है। मैंने कम्युनिटी प्रोजेक्ट मूल्यांकन समिति की सदस्या होने के नाते मैदानों तथा पहाड़ी इलाके का काफी दौरा किया है और वहाँ पर यह देखा है कि डिसपेन्सरीज बनी हुई हैं लेकिन उनमें डाक्टर नहीं हैं। दवा तो वहाँ पर थोड़ी-बहुत है लेकिन डाक्टर नहीं हैं और छोटा-मोटा एक कम्पाउन्डर की मर्ज़ी पर काम हो रहा है। स्त्रियों के डाक्टरों को तो मैंने शहरों में भी कमी देखी है। मैं यह महसूस करती हूँ कि आज डाक्टरों की नितांत आवश्यकता है। हर साल पी० एम० टी० में हजारों विद्यार्थी बैठते हैं लेकिन लिमिटेड सीट्स होने के कारण बहुत ही कम आ सकते हैं। इसलिए हमारे सूबे में दो मेडिकल कालेज अवश्य स्थापित किये जायं और कहाँ पर किए जायं वह मैं बतला चुकी हूँ कि बरेली और इलाहाबाद में स्थापित किए जायं। खेर कमेटी ने भी इस ओर ध्यान दिया था और उन्होंने यह कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश को डाक्टरो की आवश्यकता पूरी हो तो इसके लिए हमारे प्रदेश में और मेडिकल कालेज स्थापित होने चाहिए। खेर कमेटी की यह रिपोर्ट है—

"At present there are only two Medical Colleges in the Province which turn out every year about 125 medical graduates. This output is just about adequate to make up the annual wastage through death, retirement or incapacity. If the growing needs of the Province are to be fully met, if regular supply of trained personnel for staffing the existing and proposed medical institutions is to be assured ; and if

private practitioners in adequate numbers for catering to the needs of a population which already exceeds 60 million are to be provided for, then it is obvious that there should be at least six additional Medical Colleges in the Province."

इस तरह से बराबर इस बात की मांग रही है कि नये मेडिकल कालेजों की यहाँ पर स्थापना की जाय । दो वर्ष पूर्व विधान सभा में हमारे उस समय के स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस प्रकार का उत्तर दिया था कि इलाहाबाद में तो एक मेडिकल कालेज स्थापित होने की शीघ्र सम्भावना है लेकिन फिर भी यह चीज समाप्त-सी हो रही है । हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि हर एक के स्वास्थ्य सुधार के लिए एक वेलफेयर राज्य की जिम्मेदारी है । जो उत्पन्न हुआ है उसे दवाइयों के अभाव में या दूसरे साधनों के अभाव में नहीं मरना चाहिए । इसलिए मैं कहती हूँ कि दूसरी पंच वर्षीय योजना में काफी स्कोप है कि दूसरे मेडिकल कालेज स्थापित किये जायँ ।

मैं यह अच्छी तरह महसूस करती हूँ कि एक मेडिकल कालेज को स्थापित करने में कितने धन की आवश्यकता होगी और कितने इनडोर बेड्स की आवश्यकता होगी । लेकिन फिर भी साधन जुटाने की जरूरत है । जहाँ तक बरेली का सवाल है वहाँ पर मेडिकल कालेज की नितान्त आवश्यकता है । बरेली में पूरे रुहेलखंड और कुमायूं डिवीजनों के लिए एक बड़े मेडिकल कालेज की इसलिए भी आवश्यकता है ताकि वह वहाँ के १ करोड़ जनता की सेवा कर सकेगा । डाक्टर बी० सी० राय कमेटी ने तो यहाँ तक कहा है कि ५० लाख आबादी वाले क्षेत्र के लिए एक मेडिकल कालेज की आवश्यकता है । बरेली में अगर मेडिकल कालेज खुल जाय तो वह अपने प्रदेश के एक बटे छः हिस्से की पापुलेशन की सेवा कर सकेगा । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बरेली में मेडिकल कालेज की अति आवश्यकता है । वहाँ पर सबसे पहले सरकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता है। वहां पर पहले से ही एक मेंटल अस्पताल और मिशन, दो प्रसिद्ध अस्पताल हैं । एक आई० बी० आर० आई० का अस्पताल है और एक रेलवे का अस्पताल मौजूद है । फिर मुरादाबाद में भी एक बड़ा भारी कोढ़ियों का अस्पताल है । इसी तरह से नैनीताल में रामजे अस्पताल और भुवाली का सेनिटोरियम उपस्थित है ।

तो जहाँ पर इतने अस्पतालों की भरमार है, उनके साथ में छोटे-छोटे और भी अस्पताल हैं तो मैं समझती हूँ कि इसकी जो भी आवश्यकता है, उस क्षेत्र में पूरी की जा सकती है । जहाँ तक मेरा ख्याल है मौर कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि एक विद्यार्थी के लिये पांच जनरल बेड्स की जरूरत है और उतने ही स्पेशल डिजीजेज की सीटों की आवश्यकता है । हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कि दोनों प्रकार की बीमारियाँ होती हैं और काफी तादाद में होती हैं, इस तरह से इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि रुहेलखंड के क्षेत्र में मेडिकल कालेज की स्थापना हो ।

अभी जो इन्डियन medical कौंसिल डेलिगेशन रशा में गया, जिस समय कि श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रिणी थी, उस समय यह डेलिगेशन वहाँ गया

[श्रीमती सावित्री श्याम]

और वहाँ उसने-बड़े बड़े medical Colleges देखे । वहाँ पर हर इन्स्टीट्यूशन के अन्दर ६५ से ७० प्रतिशत लेडी डाक्टर्स हैं जब कि हमारे प्रदेश में ५, ७ परसेन्ट के बीच में ही लेडी डाक्टर नजर आती हैं जिसकी वजह से आज हम लेडी डाक्टरों की कमी को महसूस करते हैं क्योंकि आज हम देखते हैं कि कितनी ही हमारी मातायें और बहिनें बिना मेडिकल सहायता के ही इस संसार से चल बसती हैं । जो लेडी डाक्टर हमारे मेडिकल कालेजों से निकलती भी हैं तो वे शहरों में ही अधिकतर रहती हैं और शहरों में ही उनके लिए अट्रेक्शन बना रहता है । इसलिये मेरा यह सुझाव और निवेदन है कि इस ओर माननीय मंत्री जी ध्यान दें और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी के ही प्रशासन काल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कमी की पूर्ति होगी । इससे जनता की बहुत बड़ी सेवा होगी और यह रुहेलखंड और कुमायूं डिवीजन के लोगों का सौभाग्य होगा अगर इस क्षेत्र में मेडिकल कालेज की स्थापना हो जाय । यह उनके लिये बहुत बड़ी ईश्वरीय देन होगी । इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ कि बरेली में वहां की आबोहवा के विचार से, वहां की मिशनरी स्प्रिट की भावना के विचार से, वहां के लोगों की माली हालत के विचार से और वहां पर और भी अनेक सुविधाओं के विचार से बरेली डिस्ट्रिक्ट और रुहेलखंड तथा कुमायूं डिवीजन में सभी प्रकार का सहयोग मिल सकेगा । यह बहुत पुरानी मांग थी जोकि आज से ४० वर्ष पहले आनी चाहिये थी और जिसके लिए एक लम्बा इतिहास भी चलता रहा, जिसके बारे में बराबर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और बराबर ही जो मांग निराशा में परिणत होती रही है उसके लिये मैं फिर आज अपने शब्दों में माननीय मंत्री जी से मांग प्रस्तुत करती हूँ कि वे इस ओर ध्यान दें । इससे उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी कमी है लेडी डाक्टर्स की, वह कमी पूरी हो जाएगी । इन शब्दों के साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना करती हू कि यह जो मेरा प्रस्ताव है वह बहुत ही आवश्यक प्रस्ताव है और उसको वे अपना समर्थन प्रदान करें । मैं इसको अपनी बहुत ही जिनूइन मांग समझती हूँ और जिस कमी को हम आज महसूस कर रहे हैं, वह इससे दूर होगी । यह जरूरी नहीं है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर ही हो । प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से भी प्रार्थना कर सकती है । मौर कमेटी ने स्पष्ट लिखा है कि जिस चीज को प्रदेश न कर सके, उसको पूरा कराने के लिये वह केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना कर सकती है । राज्य सरकार अपनी मांग केन्द्रीय सरकार के पास रख सकती है । लेकिन किसी ऐसी चीज की मांग ही न करना, या उसके लिए कोई प्रयास न करना कोई न्यायसंगत बात नहीं हैं । अतः मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से इस प्रस्ताव की मांग करती हूँ और एक बहुत पुरानी मांग को दोहराते हुए आशा करती हूँ कि मेरी बात को स्वीकार किया जाएगा ।

श्री हृदय नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सावित्री श्याम जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसका जोरदार समर्थन करता हूँ ।

श्री चेयरमैन—आप बैठ जायं, पहले श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

***श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसके शब्द इस प्रकार से हैं:

संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:

"तथा इस हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुदान की प्रार्थना करें।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि यह प्रस्ताव बहुत ही उचित और समय की मांग के अनुसार है।

मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस भवन में कोई मतभेद नहीं हो सकता हैं। माननीय मंत्री जी की राय में भी कोई मतभेद नहीं हो सकता है।

श्री हुकुम सिंह विसेन—आप अपनी बात को कहिए, मेरी बात को न कहिए।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—जहाँ तक इसके रिसोर्सेज का सम्बन्ध है वह तो हमें अवश्य ही देखना पड़ेगा। हमारे प्रदेश में जितने भी मेडिकल कालेज हैं और जितने भी अस्पताल हैं, उन पर जितना खर्च होता है, उसके लिए सरकार को बहुत कठिनाई पड़ती हैं। पिछली पंचवर्षीय जो योजना थी, उसके बारे में मुझे यह मालूम हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई बड़ी योजना बनाई थी, अस्पतालों के सम्बन्ध में। अस्पतालों में आपरेशन थेटर को एयर कंडिशन करने के लिए यह योजना बनायी थी। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने अनुदान देने का वादा किया था। लेकिन उसने जो ५० या ४० परसेन्ट देने का वादा किया था वह नहीं दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह योजना अधूरी रह गयी और जो कार्य हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार करना चाहती थी वह नहीं कर सकी। इस कारण समारी सरकार जो अस्पताल या मेडिकल कालेज खोलना चाहती थी वह नहीं खोल सकी। जहाँ तक बरेली और इलाहाबाद में मेडिकल कालेज खोलने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि बरेली सब से ज्यादा डिजर्व करता है। इसका कारण यह है कि इसके अन्दर तीन डिवीजन हैं, एक मेरठ, दूसरा कुमायूं और तीसरा रुहेलखंड। इन तीनों डिवीजनों को अगर देखा जाए तो आपको माननीय अध्यक्ष महोदय मालूम होगा कि इनकी दो करोड़ की आबादी है। यह एक काफी बड़ा प्रदेश है और इसकी आबादी को देखते हुए एक मेडिकल कालेज की बहुत जरूरत है। श्रीमती सावित्री श्याम ने अभी कहा कि इस प्रकार की एक योजना बनायी गई थी और इस बात की काफी कोशिश की गई कि इस योजना को अमली जामा पहना दिया जाए, लेकिन ऐसा न हो सका। यहाँ पर जो यह तीन डिवीजन हैं, इनमें कोई भी मेडिकल कालेज नहीं है। इलाहाबाद डिवीजन में तो कानपुर में मेडिकल कालेज खोल दिया गया है, लखनऊ में भी मेडिकल कालेज है। माननीय अध्यक्ष महोदय, झांसी में आपके द्वारा संचालित किया हुआ एक आयुर्वेदिक कालेज है, लेकिन यहाँ पर कोई आयुर्वेदिक कालेज नहीं है बनारस मे भी आयुर्वेदिक कालेज है। इस प्रकार से ये तीन ही डिवीजन्स ऐसे हैं जो कि बिना किसी चिकित्सा के प्रबन्ध के रह जाते हैं और जिनके अन्दर न तो आयुर्वेदिक कालेज है और न मैडिक्ल कालेज है।

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह विसेन—मैन्टल हास्पिटल तो है ।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—जी हां । लेकिन और कोई कालेज नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जो तीन डिवीजन्स रह जाते हैं, वह इसको डिजर्व करते हैं ! इसके साथ ही साथ इस डिजर्विंग केस में एक बात और है और वह यह जैसा कि श्रीमती सावित्री श्याम जी ने बतलाया कि बरेली एक ऐसा स्थान है जो कि जलवायु के लिहाज से बहुत ही अच्छा और उपयुक्त स्थान समझा जाता है । यह नैनीताल के करीब भी है, और पहाड़ के इलाके इससे करीब पड़ते हैं । इसके साथ ही साथ यहां पर एक आई० बी० आर० आई० इंस्टीट्यूट भी है जो कि वर्ल्ड में दूसरे या तीसरे नम्बर का है और एशिया में सबसे पहले नम्बर का है । अध्यक्ष महोदय, और इस तरह से बरेली में एक मेडिकल कालेज खुल जाता है, तो वहाँ बड़ी आसानी हो जाती है और विद्यार्थी वहां रिसर्च भी कर सकते हैं । जो आई० बी० आर० आई० संस्था है, इसके अन्दर बाहर से तथा दूसरे प्रदेशों से छात्र आते रहते हैं । इस तरह से भी यह एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है और एशिया भर में इसकी मिसाल नहीं मिलती है । मैं समझता हूं कि इस बात को देखते हुये बरेली निहायत ही उपयुक्त स्थान है और यहाँ पर मेडिकल कालेज खोला जा सकता है । बरेली, मेरठ और कुमायूँ के लोग या तो मेडिकल कालेज में पढ़ने के लिये आगरा जायें या लखनऊ जायें क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा कालेज उनके करीब नहीं है जहां कि वे छात्र जा सकें ।

जहाँ तक मेन्टल अस्पताल का सम्बन्ध है, उसके लिये भी कुछ अर्ज कर दूं । यह मेन्टल हास्पिटल भी बरेली में इसलिये खोला गया क्योंकि बरेली की आबोहवा इस प्रदेश में सबसे ज्यादा अच्छी है और उपयुक्त है । इसीलिये बाहर के लोग भी यहाँ पर भेजे जाते हैं क्योंकि इससे अच्छा स्थान उनको और कहीं नहीं मिल पाता है जहाँ पर कि वे मेन्टल हास्पिटल में ऐसे मरीजों को रख सकें । बरेली को इसीलिये इस काम के लिये छाँटा गया ताकि लोग इसका फेवर कर लकें और इस प्रकार के लोग वहां रखे जा सकें । इसी प्रकार से यहां पर आई० बी० आर० आई० इंस्टीट्यूट भी खोला गया है और मैं समझता हूं कि यदि वहाँ पर मेडिकल कालेज भी खुल जायं तो बहुत ही अच्छा हो । इन शब्दों के साथ में श्रीमती सावित्री श्याम के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री हृदय नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो श्रीमती सावित्री श्याम का प्रस्ताव है, वह सर्वथा स्वागत के योग्य है । इस बात को सरकार ने स्वीकार किया है कि यह वेलफेयर स्टेट है और इसमें जो चिकित्सा की सुविधा है, यह पर्याप्त होनी चाहिये । अभी मैं बैठकर यह अन्दाजा लगा रहा था कि प्रत्येक जिले में क्वालिफाइड डाक्टरों की संख्या क्या है । जौनपुर में करीब १४ लाख की आबादी है। सरकारी अस्पतालों में तथा प्राइवेट डाक्टरों की संख्या मिलाकर कुल १४ होगी । इस तरह से एक डाक्टर एक लाख आदमियों के लिये आता है और यह संख्या बड़ी अपर्याप्त है। यह तो मेरा रफ कैलकुलेशन है । जो टी० बी० बेड्स की संख्या है और जो सरकार

द्वारा इसमें संख्या प्रस्तुत की गई है, उनके अनुसार दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में यू० पी० में इनकी संख्या बहुत ही हीन है। यह प्रस्ताव इससे सम्बन्ध नहीं रखता, लेकिन एक तस्वीर प्रस्तुत हो जाती है कि यू० पी० में मेडिकल एड उचित नहीं है। केवल उड़ीसा को छोड़कर दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में यू० पी० में जनसंख्या के हिसाब से टी० बी० बेड्स की संख्या बहुत ही हीन है। उड़ीसा को छोड़कर यू० पी० से ज्यादा टी० बी० बेड्स की संख्या हर प्रदेश में है। यू० पी० में संख्या है वन् फार ४२२१०, बिहार में वन् फार ३७३३६, केवल बाम्बे में है वन् फार ३६४१।

श्री हुकुम सिंह विसेन--यू० पी० में टी० बी० मरीजों की तादाद बतलाइए।

श्री हृदय नारायण सिंह--मरीजों की तादाद मैंने नहीं बतलाई। यह मैंने बेड की व्यवस्था बताई। अगर मरीजों की दृष्टि से तुलना की जाये तो मैं समझता हूं कि यू० पी० को प्रायरिटी का स्थान मिलेगा।

श्री हुकुम सिंह विसेन--ऐसा नहीं है।

श्री हृदय नारायण सिंह--कुछ भी हो यू० पी० में सबसे खराब व्यवस्था है। यह जरूर गौर करने के योग्य है कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में यहां पर मरीजों की क्या संख्या है। लेकिन मान लीजिए कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में यहां अवस्था कुछ अच्छी है। जितने बेड्स का यहां पर प्रबन्ध है। वह संतोषजनक नहीं।

मैं यह कह रहा था कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि पर्याप्त संख्या में डाक्टर्स पैदा करे जो मरीजों का समुचित इलाज कर सकें। अभी एक सज्जन ब्रिटेन से आये थे उन्होंने कहा कि वहां प्रत्येक क्षेत्र के लिए डाक्टर बटे हुए हैं। हर क्षेत्र के डाक्टर का यह कर्तव्य होता है कि जब उसके क्षेत्र में कोई बीमार पड़े तो वहाँ जाये और उसकी चिकित्सा करे। वहां पर फ्री मेडिकल एड है। उन्होंने बताया कि चाहे कितनी भी कीमती दवा हो केवल एक शिलिंग देना पड़ता है। एक शिलिंग देने से एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और दवा मिल जाती है। यह संतोषजनक स्थिति है। ब्रिटेन बड़ा सम्पत्तिशाली देश है। मैं उससे अपने देश की तुलना नहीं करना चाहता लेकिन वह आदर्श तो हमको सामने रखना ही चाहिए। हमारे प्रदेश में जो अवस्था है वह संतोषजनक नहीं है, काफी डाक्टर नहीं मिलते।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सरकार ने एलोपैथिक डाक्टर पैदा करने की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए भी कालेज खोले हैं। सरकार कुछ कार्य इस क्षेत्र में कर रही है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो जमाने की माँग है, हमारे देश की मांग है वह यह है कि एलोपथिक डाक्टर्स अधिक से अधिक पैदा किए जायें। होम्योपैथिक डाक्टरों का भी मैं कायल हूं। मैं समझता हूं कि वर्ल्ड की मेडिकल साइंस के लिए इन पद्धतियों का एक खास कन्ट्रीब्यूशन है।

लेकिन मैं इसके के विपक्ष में हूँ, जो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक का इन्टेग्रेटेड कोर्स, मिला जुला चल रहा है। यह नहीं होना चाहिए। मैं आयुर्वेद को जरूर इनकरेज करना चाहता हूँ लेकिन मिले जुले कोर्स की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। मेरी दृष्टि में

[श्री हृदय नारायण सिंह]

इस शिक्षा प्रणाली से निकला हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सर्जरी और मेडिकल ट्रीटमेंन्ट में भी कमाल हासिल हो । मैं समझता हूँ कि इसका प्रयोग अब बंद नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर सरकार गौर कर ले कि हमको किस सिस्टम पर जाने की जरूरत है। इस समय जो स्वीकृत प्रणाली है संसार में उसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। एलोपैथिक प्रणाली संसार के सभी देशों में प्रचलित है । इस पर नित्यप्रति अनुसंधान हो रहे हैं । इसलिए हमको भी अपने देश में इसको प्रोत्साहन देना चाहिए । ऐसा करने से देश की जनता को लाभ होगा । सावित्री श्याम का जो सुझाव है वह एलोपैथी सिस्टम का है । मेरा आग्रह यह नहीं है कि वह बरेली या इलाहाबाद में ही खुले, कहीं पर भी वह खोला जा सकता है ।

श्री हुकुम सिंह विसेन—जौनपुर में खोला जाय ?

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं तो यह नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि कहीं पर भी खोला जाय ।

शायद माननीय मंत्री जी यह कहें कि प्रस्ताव तो स्वागत के योग्य है लेकिन पैसे की कमी है । सरकार के पास पैसा हैं लेकिन वह कैसे खर्च किया जाय, यह समस्या है। अनेक संस्थाओं को पैसा दिया जाता है कि तुम इसको खर्च कर डालो । साल के अन्त में मार्च की २९,३० तारीख को रुपया निकाला जाता है और उसे खर्च कर देना पड़ता है। इस प्रकार के जो खर्चे हैं जिनको जबरदस्ती खर्च करना पड़ता है, वह नाहक खर्च किया जाता है, इसमें थोड़ी-सी कमी की जा सकती हैं।

श्री हुकुम सिंह विसेन—कितना बचेगा, कुछ अन्दाज हम भी लगावें ।

श्री हृदय नारायण सिंह—५० लाख रुपया बच जायगा ।

श्री हुकुम सिंह विसेन—कानपुर में कितना खर्च हुआ ?

श्री हृदय नारायण सिंह—यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन कहा जाता है कि एक मेडिकल कालिज के लिये एक करोड़ रुपया खर्च होता है । डा० देशमुख ने कहा था एक बार कि १९० विश्वविद्यालय और स्थापित हो सकते हैं । मेरे ख्याल में कुछ तो प्रदेश की ओर से दिया जा सकता है अगर हम यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के पास प्रापर्ली पहुंचें तो हमको उनसे भी कुछ मेडिकल कालिज के लिये मिल सकता है ।

मैं यह बता देना चाहता हूँ कि डिग्री कालिजेज को भी रुपया दिया जाता है और इस प्रदेश में कई कालिजेज हैं जिनको एक-एक लाख रुपया इस कमीशन ने दिया है । मेडिकल कालिज तो एक बहुत बड़ी चीज है । इसके लिये व्यवस्था हो सकती है और धन वहाँ से प्राप्त हो सकता है । मेरा यह कहना है कि सभी दृष्टियों से सरकार को इसमें कुछ न कुछ करना चाहिये । इस सिलसिले में और जो भी कमीशन बने हैं उन सब ने ऐसी ही राय जाहिर की है । मैं इन सारी दृष्टियों से यह आवश्यक समझता हूँ कि सावित्री श्याम के संकल्प का समर्थन किया जाय और सरकार से प्रार्थना की जाय कि वह इसको मान ले ।

***श्री निजामुद्दीन** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय चेयरमैन महोदय, जो प्रस्ताव सावित्री श्याम ने इस हाउस के सामने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। जैसा कि श्रीमती सावित्री श्याम ने अभी हाउस को बतलाया कि बरेली पुराना इतिहास है और सन् १६२० से मांग रही कि बरेली और इलाहाबाद में मेडिकल कालेज खोले जायं और वक्तन-फवक्तन यह मांग चलती रही और इसके लिए साधन भी मोहइया किये गये, जमीन खरीदी गई, लेकिन चूंकि वह अंग्रेजों का जमाना था और किसी न किसी तरह से वह आवाज दबा दी गई और जनता की मांग पूरी नहीं हुई।

स्वतंत्रता के बाद हम यह समझते थे कि हमारी गवर्नमेंट आई है और जो हमारी मांग चली आ रही है वह जरूर पूरी होगी और हमेशा बजट के वक्त इलाहाबाद में मेडिकल कालेज खोला जाय इसकी डिमांड जोरों के साथ पेश की जाती है और हमें उम्मीद भी नज़र आई कि शायद इलाहाबाद में मेडिकल कालेज खुल जाय। यह जरूर है कि फाईनेन्शल डिफीकल्टीज हमारे सामने हैं मगर इसके साथ-साथ जनता की मांग भी है। यहाँ यह भी बताया गया है कि डाक्टरों की तादाद कम है और सेकन्ड फाइव इयर प्लान में इसको पूरा होना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि वक्त का तकाजा है कि मेडिकल कालेज इलाहाबाद और बरेली में खुलें।

श्री हुकुम सिंह विसेन—पहले कहाँ खुले ?

श्री निजामुद्दीन—पहले इलाहाबाद में खुले।

जहाँ तक इस बात का ख्याल है कि फाईनेन्शल डिफीकल्टी है तो जो संशोधन माननीय आजाद साहब ने पेश किया है वह जरूर सहूलियत पैदा कर देता है। अगर रुपये की कमी है तो हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मांग सकती है।

श्री हुकुम सिंह विसेन—नहीं मिलेगा।

श्री निजामुद्दीन—यह हम लोगों की बदकिस्मती होगी। आप माँगें तो।

श्री हुकुम सिंह विसेन—माँग चुके हैं।

श्री निजामुद्दीन—सन् १६४७-४८ से बराबर बजट के वक्त यह डिमान्ड रही कि इलाहाबाद में मेडिकल कालेज खुले, वह डिमान्ड बराबर कायम है। मैं माननीय मंत्री साहब से यह इस्तदुआ और निवेदन करना चाहता हूँ कि यह काम करने से उनका नाम होगा।

इलाहाबाद को डिप्राइव किया गया है, वहाँ से बहुत से आफिसेज हटा लिये गये हैं। अब उसकी शान को कायम रखने के लिए, यह कदम जरूरी है। आप देखें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकले हुए सभी लोग आज रूल कर रहे हैं और बड़े-बड़े लोगों को इलाहाबाद यूनीवर्सिटी ने पैदा किया है।

श्री हुकुम सिंह विसेन—जब तक गंगा-जमुना हैं उसकी शान कम न होगी।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

श्री निजामुद्दीन—यह ठीक है। मगर कम से कम आपका कर्त्तव्य है कि उसकी शान को बढ़ायें।

इसलिए मैं समझता हूँ कि जो पुरानी डिमान्ड है उसको माननीय मंत्री जी पूरा करें, यही मेरी उनसे इस्तदुआ है और इससे उनकी शान बढ़ेगी और नाम रहेगा।

इन लफ्जों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

डाक्टर ए० जे० फरीदी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—Mr. Chairman, with your permission I would like to say a few words on the resolution that has just been moved by Smt. Savitri Shyam. The Hon'ble Minister for Health has often complained that I have not spoken anything about Medical and Health Departmant.

श्री हुकुम सिंह विसेन—Only once and not so often.

डाक्टर ए० जे० फरीदी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—But today is an opportunity when I can speak about my views regarding medical education. I shall confine myself to the resolution. Sir, the resolution that has been moved has two aspects. Firstly, opening of Medical Colleges and secondly where they should be opened. Regarding the first point that I have just mentioned about starting Medical Colleges, I suppose it is presumed that Medical Colleges will be opened to produce more doctors, more nurses, more compounders, more technicians, more Laboratory Assistants and all the paraphernalia for providing better health facilities to the residents of the place wherever it is opened. There cannot be any two opinions that U. P. needs more Medical Colleges. Punjab has three Medical Colleges with half the population. Bengal has four Medical Colleges with half the population and Bombay has seven Medical Colleges with a population of about 5 crores. So there cannot be any two opinions regarding having more doctors. Regarding the proportion, the ratio of population to doctors in India, is the lowest, *i. e.* comparative figures which I can mention, the proportion in villages is one doctor to 30,000 inhabitants in India, while in other countries, in England for instance it is 1: 1200. in Scandinavian countries it is 1: 700. I have quoted

these figures once and I suppose they are on record with the Government. The principle behind opening Medical Colleges is to produce more doctors and it is hoped they will be of a good standard and better quality. We just do not want to produce doctors. We should see that they are upto the standard. The functioning of a Medical College is not only to produce more doctors of scientific medicine but to provide medical aid also, to the needy, expert medical aid and medical research. Now Sir, it is no use of having the name and keep on opening medical colleges when we cannot provide facilities for teaching or research or medical attention in those institutions. We have three Medical Colleges in U. P. These are Lucknow, Agra and Kanpur. Let us review their functioning and see whether they are upto the mark or not. I do not want to deprive the Government of the credit that is really due. There has been improvement in these institutions as far as buildings are concerned, as far as beds are concerned and as far as equipment is concerned. Government has done a little and we thank the Hon'ble Minister for all the facilities that he has provided. Our object is to see whether the product that comes out of these colleges is of the requisite standard or not, whether these Colleges are ideal institutions, and how can they be improved. If we are going to open some more institutions whether they will not lapse into the same condition as are prevalent in these institutions. As far as the quality of doctors that have been produced during the last 10 years is concerned, Sir, we have got proof that the standard has deteriorated. Ask the public, ask the patients, ask the inmates and fortunately for the Medical Department dead do not tell tales. What is going on exactly ? We as doctors advise our patients to go and have themselves admitted in Hospitals because there are certain diseases which cannot be treated at home. Reply these patients get on often such that if I mention them here it would be regarded as contempt of the house and derogatory.

[डाक्टर ए० जे० फरीदी]

There are a few members over here in this house who will tell from personal experience, the kind of medical attention that they have received needed for their near and dear ones.

श्री हुकुम सिंह विसेन—Where ?

डाक्टर ए० जे० फरीदी—Well, I think that if an opportunity is given the Hon'ble Member sitting opposite will give the whole story.

श्री हुकुम सिंह विसेन—I wanted to know the name of the institution where........?

डाक्टर ए० जे० फरीदी—Sir, the name of the doctor, the institution and other details can be supplied to you. We have got everyhing in room No. 73A and I will tell you the details if required and my hon'ble friend.

श्री हुकुम सिंह विसेन I wanted to hear the name of the institution where indifference has been shown ?

डाक्टर ए० जे० फरीदी—Lucknow Medical College.

श्री हुकुम सिंह विसेन—All right.

डाक्टर ए० जे० फरीदी—I receive reports every day. Fortunately I happen to be on the Board of Management of that institution and every complaint that I receive I forward for enquiry. Every day we discuss it in the Hospital Board meeting and if you remember, Sir, the Hon'ble Health Minister also must be remembering that I brought certain instances of gross negligence and nepotism on the floor of this House. Truth is bitter no doubt and such things which affect directly the Department are difficult to to digest, I would request the Hon'ble Minister for Health to give me an opportunity to speak and he will be given an opportunity to be heard. Sir, it is true that Government is not directly responsible for all that goes on inside Medical Colleges but to say that Government has no responsibility, is also not true. My complaint is that either the Government interferes too much or does not interfere at all in

the affairs of these colleges. By too much I mean such petty things as the appointment of junior staff, and such other things as admission of patients to hospitals....

श्री निजामुद्दीन— आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर ।

इस वक्त सवाल हमारे सामने यह है कि दो मेडिकल कालेज खोले जायें, एक बरेली में और दूसरा इलाहाबाद में । हमारे सामने यह मसला नहीं है कि क्या खराबी हो रही है मेडिकल कालेजों में । हमारे सामने यह सवाल है कि मेडिकल कालेज बरेली और इलाहाबाद में एक एक खोले जायें । मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूँ । मैं डाक्टर साहब की इज्जत करता हूँ लेकिन मेरी समझ में यह मामला इस वक्त नहीं होना चाहिये । जितने मेडिकल कालेज हैं और उनमें जो ट्रीटमेंट हो रहा है वह खराब है और वह किसी तरीके से काबिले तारीफ नहीं है इस रेजोलूशन में इसका जिक्र नहीं होना चाहिये और यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है ।

श्री चेयरमैन—There is no point of order in this. The Hon'ble Member wishes to argue that in these three Colleges sufficient attention is not being paid on account of the fact that either the finances are not sufficient or the medical attendance, *i. e.* the doctors and nurses, they are not sufficient. I think he is building up that idea and I think there is no point of order and Dr. Faridi may go on.

डाक्टर ए० जे० फरीदी—Thank you, Sir. Exactly as you said, my idea was that the principle underlying this resolution is provision of better medical aid to the inhabitants. Sir, I was telling you that there is either too much interference by the Government or no interference at all. I can give you examples where Government officials or Ministers have written to doctors concerned for admission of patients to hospital. This deteriorates the standard of treatment. If an undeserving patient gets admission into the hospital a deserving one is kept out, a gross injustice is being done. One cause of deterioration in the Medical College is politics. Doctors pay more attention to what they do for or how they attend to the Hon'ble Ministers and Officers of the State. Their salvation, their posting and their future depends not on the type of work they do, the type of operation, but how they

[डाक्टर ए० जे० फरीदी]

serve their masters. That is of common occurrence. As an example in the Silver Jubilee Health School, where nurses and Health Visitors are trained, there has been a lot of confusion for the last few months. Government has intervened but the main culprits are still there. There is politics among the doctors, nurses, sister tutors and sister nurses. I do not think there is any point in opening similar new ones. Improvement of existing institutions will not cost money. But by only a method of better administration. In Kanpur Medical College a tug of war is going on. It has just been started. The money that is granted to one department is grabbed of another at the cost of the rest. Whosoever can get upto the Ministry first or has a better approach, gets the lion's share and other departments are deprived of their share of money, which is legitimately due. Undoubtedly the responsibility of running the College is of the teachers and the staff. I would like to ask as to how many Professors and Teachers have been reprimanded, explanations have been asked or they have been chastised for neglect of duty. Are all of them super-fine persons and every one of them have always performed their duties honestly and there has been no mismanagement and deaths due to mismanagement. The facts prove otherwise. I would like to know how many teachers have been punished, what has been done to those teachers who attend to their private practice during hospital hours? Notices are issued that during hospital hours senior Teachers and Professors must not leave the institutions. I would like to know what action has been taken and against how many. Madam Savitri Shyam's resolution, I agree that there should be more institutions. Regarding money—the financial aspect–I would like to read out from the address that was delivered at Allahabad by the President of the Indian Medical Association:

"U. P. Government's expenditure on health per capita of population was one of the lowest in India; the District

Hospitals and particularly the dispensaries were very poorly stocked with life saving medicines and operative equipments and they therefore would not serve the poor public properly."

This is the statement of Dr. S. S. Misra who is the President of the Indian Medical Association delivered at the inauguration of the last Indian Medical Association at Allahabad. To say that it will cost a lot of money and due to financial reasons this thing cannot be done, I would not agree. Money can be found for so many other things and if Government is serious and naturally if Government wants to open new institutions and to say that it is due to lack of finances it is not right and I do not agree. Now the next point comes as to where should it be opened. Sir, I am not very much interested if it is at Bareilly or whether it is at Allahabad or at Aligarh or whether it is at Banaras. If a Medical College is opened anywhere those needy people will have to travel in any case 50 miles or 100 miles, that does not make any difference. People from Bareilly may say that Bareilly would be a suitable place, or the Hon'ble gentlemen may say that Allahabad is the most suitable place, my gallant friend may say 'no' it should be somewhere in Bahraich.

श्री हुकुम सिंह विसेन—No Sir, I know my district.

डाक्टर ए० जे० फरीदी—I think the two places where preference should be given is Aligarh and Banaras because for there are scientific research institutes and they have a University and departments of Physics, Chemistry, Botany, and Zoology. Research is an integrated thing and the latter facilities will not be available in Bareilly. But if Government decides to open it at Bareilly or Allahabad I would be most happy. And if Banaras is given the choice it will be good. Aligarh has already got the equipment, building is already there. It is just a question of few technical difficulties, as I am told, and the sooner we start a Medical College over there the better and the sooner we look into the working

[डाक्टर ए० जे फरीदी]

of existing institutions, the better it will be for the sick and poor of this State.

श्री हुकुम सिंह विसेन—Do you support or oppose it?

डाक्टर ए० जे० फरीदी—I support it.

*__श्री कन्हैया लाल गुप्त__—अध्यक्ष महोदय, माननीय सावित्री जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। वह बहुत ही सुन्दर प्रस्ताव है और यदि उसको यह सदन और सरकार स्वीकार कर सके तो निश्चय ही उससे हित होगा। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, जब एक नये मेडिकल कालेज या दो मेडिकल कालेजों को खोलने का प्रश्न आता है तो इस दिशा में जो हमारे यहाँ मेडिकल कालेज हैं और जिस प्रकार से वे कार्य कर रहे हैं उस बात को दृष्टिगत करते हुए यह जरूर सरकार से कहूँगा कि अच्छा होगा कि इस तरफ जो कुछ भी किया जाय वह बहुत ही सोच-समझ कर किया जाय और योजना के अनुसार किया जाय तो ज्यादा उचित होगा। डाक्टर फरीदी साहब ने अभी-अभी बतलाया है और शायद इस सदन में उसका जिक्र पहले भी आ चुका है कि हमारे प्रदेश में जहाँ तक स्वास्थ्य शिक्षा का सम्बन्ध है वह दूसरे प्रदेशों से काफी पिछड़ा हुआ है और काफी आवश्यकता इस बात की है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अपना खर्च बढ़ायें और लोगों को और ज्यादा सुविधायें दे सकें। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मेरा अपना ख्याल यह है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ कालेज चल रहे हैं उनको देखते हुए जो पैसा हम उन पर खर्च कर रहे हैं वह ठीक प्रकार से खर्च नहीं हो रहा है, इसमें भी हम नियोजन के अनुसार चलें तो काफी तरक्की हो जायेगी। इन तीनों संस्थाओं के अतिरिक्त यदि हम एक या दो संस्थायें और बढ़ायें तो हमें अच्छी तरह से विचार करके इस कदम को उठाना चाहिए। हमें थोड़ा यह विचार करना होगा कि हम एक कालेज खोलते हैं तो उस पर कितना खर्च होता है। अभी पिछले ही वर्ष कानपुर में एक मेडिकल कालेज हमारे प्रदेश में खुला है। मैं नहीं जानता कि कितना वहां पर आवर्त्तक खर्चा हुआ है। लेकिन शुरू में २० लाख रुपये का बिल्डिंग्स के लिये प्लान बनाया गया था परन्तु मैं नहीं जानता कि उनमें कितना खर्चा लगा है। शायद ५० लाख से कम क्या लगा होगा। आवर्त्तक खर्चा जितना मुझे मालूम हो सका, वह यह है कि करीब साढ़े ८ लाख रुपये का वार्षिक खर्च वेतन का है या और दूसरा खर्चा है जो कि मेडिकल कालेज में होता है। साढ़े तीन लाख का अनुदान पिछले बजट में कानपुर के नये मेडिकल कालेज के लिए वार्षिक स्वीकार किया गया था और लखनऊ के मेडिकल कालेज के वेतन वगैरह में कितना वार्षिक खर्चा होता है, इसका अनुमान मेरे पास नहीं है। बहरहाल मेरा मतलब यह है कि मेडिकल कालेज खोलना अपने आप में काफी बड़ी बात होती है, उसमें काफी मदें आवर्त्तक और अनावर्त्तक खर्चे की ऐसी होती हैं कि उन सब के ऊपर विचार कर के ही इस काम को हमें करना है। मैं कोई प्रस्ताव का विरोध नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं तो श्रीमती सावित्री जी के इस प्रकार के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूँ, इसमें अनुचित बात कुछ नहीं है

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

लेकिन मेरा कहना है कि कोई भी चीज जो शुरू की जाय उसके लिए पहले जितनी सामग्री आवश्यक होती है, उसको जुटा लिया जाय और तभी इस ओर कदम बढ़ाया जाय तो वह ठीक रहता है । बिना सोचे हुए किसी भी चीज को यदि हाथ में ले लेते हैं तो बाद में जाकर कठिनाई होती है ।

अब एक बात मुझे जो इस सिलसिले में कहनी है कि मुझे श्रीमती सावित्री जी के व्याख्यान को सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और वह इसलिए कि मेरा ख्याल था कि जितना भी उन्होंने लेडीज डाक्टर्स के बारे में कहा, मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा उनको कहना चाहिए था । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करते हुए और सदन से क्षमा प्रार्थना करते हुये यह निवेदन करूँ कि मेरा व्यक्तिगत संबन्ध दो संस्थाओं से है जिनमें से एक तो २०० बेड्स का है और दूसरा २५ बेड्स का है । एक टी० बी० का है और दूसरा जनरल डाईस का है । तो जो दूसरी संस्था २५ बेड वाली है मैं अर्ज करूँ कि आज तीन साल से हम कोशिश कर रहे हैं इस बात के लिये कि हमें ठीक प्रकार की लेडी डाक्टर वहाँ के लिये मिल सके और बड़ी तलाश करके एक लेडी डाक्टर मिल पाई है । अब हम उसको अधिकार देना चाहते हैं क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए इम्दाद की है और हम चाहते हैं कि तीन लेडी डाक्टर वहाँ पर होने चाहिये । एक तो वहाँ पर है और बाकी दो के लिये हम लगातार दो साल तक कोशिश करते रहे, यहाँ डाइरेक्टर के मार्फत, और दूसरे प्रदेशों के डाइरेक्टर्स के मार्फत और मेडिकल इन्स्टीट्यूशन की मार्फत लेकिन कोई भी लेडी डाक्टर्स वे नहीं भेज सके हैं। अब बड़े मुश्किलों से दूसरे प्रदेशों से हमें दो डाक्टर्स मिल पायी हैं और वह भी बड़ी तलाश करने के बाद मिली हैं। इसलिये मैं तो यह कहता हूँ कि लेडी डाक्टर्स की इतनी कमी है कि मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि मेडिकल कालेज आप खोलें तो वह प्योरली लेडीज के लिए हो तभी यह कमी पूरी हो सकती है । आज जो हालत है वह यह है कि लखनऊ में इस समय डेढ़ सौ विद्यार्थी लिये जाते हैं, जिनमें २५ लेडीज को लिया जाता है, कानपुर में सौ लिये जाते हैं और उनमें से २५ लेडीज ली जाती हैं, आगरे में ७५ की संख्या है तो वहाँ पर १५ ही ली जाती हैं तो इस तरह से करीब ढाई सौ मेल स्टूडेन्ट्स लिये जाते हैं तो लेडीज कुल अनुपात में ७५ ही ली जाती हैं। मैं समझता हूँ कि यह तादाद जो लेडीज के लिए रखी गई है, बहुत कम है जिसके कारण आज लेडी डाक्टर्स की बहुत भारी कमी हमारे सामने प्रस्तुत हो गयी है । मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं सावित्री जी के प्रस्ताव में यदि संशोधन रखूं तो वह यह है कि जो पहला कालेज खोला जाय वह प्योरली लेडीज के लिए हो या फिर इस तरह से हो कि जिस तरह से इस समय लड़कों की संख्या लड़कियों के मुकाबले में ली जाती है, इसके बिल्कुल रिवर्स में लेडीज का प्रोपोर्शन उतना हो जितना कि आजकल लड़कों का प्रोपोर्सन है, और इस हिसाब से लड़कियों को सीटें मिलें, तब जा कर के लड़कियाँ इस पोजीशन में पहुँच जायेंगी कि जो कमी आज लेडी डाक्टर्स की हमारे यहाँ पर महसूस की जाती है, उसको किसी न किसी तरह से पूरा किया जा सकेगा । मैं इस बात के लिये बहुत जोर देता हूँ कि एक मेडिकल कालेज लेडीज के लिए खोलना चाहिये, या आज कल जो कालेज हैं, उनमें लेडीज की संख्या बढ़ा दी जाये ।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक जगह का प्रश्न है, जैसा कि डाक्टर फरीदी साहब ने कहा कि वे इस बात में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, किसी जगह पर भी खोला जाये, चाहे इलाहाबाद हो, बरेली हो या बहराइच हो। लेकिन मेरी यह राय है कि मेडिकल कालेज ऐसी जगह पर खोलना चाहिये जहां पर उसकी वास्तव में आवश्यकता है। अगर एक मेडिक्ल कालेज बहराइच में खोला जाये तो कोई हर्ज की बात नहीं है।

श्री हुकुम सिंह विसेन--बहराइच तो बहुत छोटा सा जिला है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--मेरा ख्याल है कि बहराइच की ही तरह एक जगह गोरखपुर ऐसा स्थान है, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक मेडिकल कालेज जरूर खुलना चाहिये। डाक्टर फरीदी साहब का कहना है कि बनारस में एक मेडिकल कालेज होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि यह भी स्थान ठीक है और यहां पर एक ऐसा इन्स्टीट्यूशन होना चाहिए। मैं एक वेस्ट का आदमी हूँ, लेकिन यह चाहता हूँ कि ईस्ट में एक मेडिकल कालेज जरूर होना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जो काफी महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को काफी महसूस करता हूँ कि हमारे यहां जो जनरल एजूकेशन की व्यवस्था है, उसमें स्पेशलाइजेशन की बहुत कमी है। मैंने अपने डाक्टर मित्रों से भी इस बारे में काफी बातचीत की है, उन्होंने भी मेरी बात का समर्थन किया है। डाक्टर भाटिया साहब दुर्भाग्य से यहां पर नहीं हैं, लेकिन डाक्टर फरीदी साहब यहां पर मौजूद हैं, उनसे मैं कहूँगा कि अगर मेरी बात गलत है तो वे उसको ठीक कर दें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी यह दरख्वास्त करूंगा कि वे इस बात पर कुछ प्रकाश डालें। अगर आप दूसरे प्रदेशों को देखें जसे बम्बई, मद्रास, पंजाब और बंगाल हैं, यहां पर जो मेडिकल इन्स्टीट्यूशन की पोजीशन है वह हमारे प्रदेश से कहीं अच्छी है और अगर स्पेशलाइजेशन की दृष्टि से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मैंने पिछड़ा हुआ शब्द क्यों इस्तेमाल किया है इसको डाक्टर फरीदी साहब अच्छी तरह से जानते होंगे। इसके बारे में मुझे भी कुछ नजदीक से देखने का मौका मिला है और उसी की बिना पर मैंने यह बात कही है। आज आप देखें तो मालूम हो कि मेडिकल साइन्स बहुत ही एडवान्स होती जा रही है। शरीर के हर हिस्से के स्पेशलिस्ट हैं। आरथोपैडिरी, फोरोटिक सर्जरी तथा हार्ट सर्जरी को आप देखें तो मालूम होगा कि यह बहुत आगे बढ़ गयी है। इसमें काफी रिसर्च भी हो गया है। लेकिन मुझे यह बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब किसी चीज के स्पेशलाइजेशन का सवाल उठता है तो उसके लिए हमें दूसरे प्रान्त में जाना पड़ता है, जैसे बम्बई, मद्रास हैं। जहां तक टी० बी० की लाइन का सम्बन्ध है, उसके बारे में मेरी कभी कभी यह इच्छा होती है कि मैं सदन को उसके बारे में बहुत ही विस्तार से बतलाऊँ। उसके सम्बन्ध में मैंने एक नोट स्वास्थ्य मंत्री जी को भेजा था, लेकिन उन्होंने उस पर उतना गौर नहीं किया जितना करना चाहिये था। उसमें मैंने अपने उचित सुझाव दे दिये। बहरहाल, आज टी० बी० का ट्रीटमेंट भी

बहुत एडवान्स हो गया है, लेकिन हमारे प्रदेश के अन्दर थरमोलोजी सर्जरी की कोई यूनिट नहीं है। इस प्रदेश में ऐसे लोग मिलने ही नहीं जो कि इसको जानते हों। इसीलिये हमारे यहां के पेशेन्ट्स या तो वैलोर जायें या बम्बई और कलकत्ता जायें क्योंकि उनके पास और दूसरा रास्ता नहीं है। आज यहाँ पर प्लासटरी के केसेज तो होने लगे हैं, लेकिन जहां तक गवर्नमेंट के ३५० बेड्स हैं, उनमें अब भी यह नहीं है। हमारे यहाँ जहां तक मैं जानता हूँ रिसेक्शन जैसा चीज भी नहीं हो रही है।

डाक्टर ए० जे फरीदी—हो रही है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—As compared to the number of cases, the number of Doctors that you have and those who are capable of doing is very very small........

यदि रिसेक्शन की जरूरत पड़े, तो हम इस चीज को बहुत नहीं कर रहे हैं जब कि काफी तादाद में हमारे यहां इसकी जरूरत है और जब यहां इसका प्राविजन नहीं हो पाता, है, तभी यहां के मरीजों को बम्बई तथा वैलोर जाना पड़ता है और उनका इस तरह से दो-तीन हजार रुपया खर्च हो जाता है। हमारे यहां ब्लड के एक्सपर्ट नहीं हैं, उसके लिये आप कलकत्ता जायें। हमारे यहां स्पेशलाइजेशन की बहुत कमी है और जो है भी, वह भी बहुत धीरे-धीरे चल रहा है। इस लिए हम किस तरह से उन प्रदेशों से मुकाबिला करें जब कि हम दूसरे प्रदेशों से काफी पिछड़े हुये हैं। अगर हम नये ईस्टीट्यूशन्स खोलते जायें, यहां पर जनरल डाक्टरों की संख्या बढ़ाते जायें, तो यह हमारी आवश्यकताओं की उस हद तक पूर्ति करने वाली चीज नहीं है जिस हद तक हमें आज के मेडिकल साइन्स की जरूरत है। मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां हम नये मेडिकल कालेज की डिमान्ड करते हैं, वहां हमें रिसर्च और स्पेशलाइजेशन पर भी ज्यादा रुपया खर्च करना चाहिये और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय; एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है। मैं यह बात जानता हूँ कि किसी रोगी के इलाज के लिये सिर्फ डाक्टर की ही जरूरत नहीं रहती बल्कि उसे नर्सिंग की भी जरूरत रहती है। हमारे प्रदेश के अन्दर नर्सिंग की ट्रेनिंग की हालत बहुत ही खराब है। मैं नहीं जानता कि इन तीन कालेजों में से हर साल कितनी नर्सेज ट्रेनिंग पाकर निकलती हैं। लेकिन नर्सेज की ट्रेनिंग का इन्तजाम सिर्फ लखनऊ में ही है, आगरा और कानपुर में नहीं है। आपको डाक्टर्स तो बहुत मिल जायेंगे, लेकिन नर्सेज नहीं मिल पाती हैं। आप यदि एक डाक्टर के लिये एडवरटाइज करते हैं, तो यदि उसमें ग्रेड आदि ठीक है, तो आपको उस जगह के लिए २५ अर्जियाँ मिल जायेंगी, लेकिन नर्सेज में नहीं मिल पायेंगी चाहे आपको उन्हें अच्छा ग्रेड भी देना पड़ जाये। वे चार, छः महीने काम करके फिर चली जाती हैं। खास तौर से जो हमारे यहां आई हास्पिटल हैं या टी० बी० हास्पिटल हैं, उनमें स्पेशली ट्रेन्ड नर्सेज नहीं मिल पाती हैं। वैसे तो आपको डाक्टर्स भी काफी मिल जाते हैं लेकिन किसी एक सबजक्ट में एक्सपर्ट नहीं मिल पाते हैं। सरकार इन इंस्टीट्यूशन्स को बढ़ाने की बात न सोचे बल्कि स्पेशलाइजेशन की तरफ ध्यान दे। रेडियोलाजी

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

और पैथालाजी की ट्रेनिंग की यहां पर उचित व्यवस्था नहीं है और कम्पाउन्डर्स की ट्रेनिंग के लिये भी यहां पर काफी अच्छी व्यवस्था नहीं है । इन सब बातों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये । मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जिसकी तरफ डाक्टर फरीदी साहब ने आपका ध्यान आकर्षित किया था। हम न डाक्टरों की तादाद बढ़ाने का ख्याल करें, न मेडिकल कालेजों की तादाद बढ़ाने का ख्याल करें, लेकिन जो भी तादाद इस समय है, उनके अन्दर यह जरूरी है कि ह्यूमेनिटेरियन टच भी रहे । यह ह्यूमेनिटेरियन टच जो है इसकी बड़ी कमी है ।

लखनऊ मेडिकल कालेज का इन्स्टेन्स कह दे रहे थे । उस समय माननीय स्वास्थ्य मन्त्री यह जिज्ञासा कर रहे थे कि कौनसा इन्स्टीट्यूशन ? कानपुर मेडिकल कालेज की बात में छोड़े देता हूं क्योंकि वह अभी नई संस्था है । लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं उनसे यह क्वेश्चन करूं कि "कौन सा इन्स्टीट्यूशन नहीं" । जितनी हैं सभी की कैफियत यही है । आगरे की कैफियत यही है । ए० डी० एम० प्लानिंग ने मुझे बताया कि वह गवर्नमेन्ट के एक बड़े सीनियर अफसर को लेकर गए और वहां पूरी कोशिश करने के बाद भी वह अटेन्शन नहीं ला सके ऐन्ड दि पेशेन्ट डाइड । तो जब बड़े ऊंचे-ऊँचे अफसरों की भी ठीक चिकित्सा नहीं हो सकती....

श्री चेयरमैन—अब १ बज चुका है, आप २ बजे से बोलें ।

अब हम उठते हैं । २ बजे तक के लिए सदन स्थगित किया जाता है ।

[सदन की बैठक १ बजकर २ मिनट पर जलपान के लिये स्थगित हो गई और २ बजकर २ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।]

श्री कन्हैया लाल गुप्त—श्रीमान्, मैं अपने निवेदन में इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जहां पर इतने मेडिकल इन्स्टीट्यूशन की संख्या बढ़ाने की बात सोचें, हम उस बात की तरफ भी ध्यान दें, मैं किसी एक अधिकारी का या व्यक्ति को दोष बिना दिये हुये साधारण हित की बात कहता हूं कि हम उस बात की तरफ ध्यान दें जिसके तरफ डा० फरीदी ने अभी इशारा किया है और जिसकी तरफ समय-समय पर इस हाउस में इशारा किया गया है ।

हम और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, मैं सरकार को या स्वास्थ्य मंत्री को केवल उसके लिये दोषी ठहराने की प्रथा को अख्तियार न करके कहता हूं कि जो हमारे मेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, वह व्यक्तियों के प्रति, सफरिंग पीपुल्स के प्रति, वह भावना नहीं रखते हैं जो होनी चाहिये । तो इस बात को भी लाने की बड़ी आवश्यकता है । मुझे यह बात मालूम है कि हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री इस बात से बेखबर नहीं है और थोड़ा घपला मचा था जब उन्होंने थोड़ा सख्त कदम उठाया था । मैं नहीं जानता हूं कि किस हद तक सुधार हुआ है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि मेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर जो बुनियादी तौर पर इस तरह की कमियां है, उनको दूर करने के लिये एक निश्चित कदम उठाने की आवश्यकता है । यह बात देख कर किस

हिन्दोस्तानी की गर्दन शर्म से न झुक जायगी कि सात समुद्र पार से अमेरीकन, इटालियन्स या दूसरे विदेशी हमारे यहाँ मिशनरी की शक्ल में आवें या किसी भी शक्ल में आवें और यहाँ आकर के अपने मेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स कायम करें और हमारे देश के गरीब रोगियों की सेवा करें और हमारे जो अपने इन्स्टीट्यूशन्स हमारे ही देशवासियों द्वारा संचालित होते हैं, उनमें उन रोगियों की अवहेलना हो और पैसे का राज हो।

हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि हम मेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स की तादाद बढ़ा कर उन लोगों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं जिनका पैसा ही देवता है। इस प्रोफेशन के अन्दर जो हमारे सदस्य हैं उनके बारे में ऐसी बात सुननी पड़ती है जिनमें ऐसे लोगों की तादाद है जिनका देवता पैसा है, यह अफसोस की बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से एक अमेरिकन मेडिकल मैन महिला की कहानी कहूँगा जो मुझे हाल ही में सुनने को मिली है। एक बड़े सम्पन्न परिवार की महिला है, वह अपनी जेनरल एजूकेशन समाप्त करके भारत में आई और यहाँ देहातों में घूमी और यह अनुभव किया कि यहाँ रूरल एरियाज में मेडिकल सर्विस की सख्त जरूरत है। वह यहां से वापस गई। अपनी जेनरल तथा प्रोफेशनल की एजूकेशन ८ वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद यहां आई और उसने अपना लाईफ़ मिशन मेडिकल सर्विस का अपनाया और २० साल से सर्विस कर रही है और हमारे वह लड़के जिनको यहां के बाबू लोग छूना भी पसन्द न करेंगे, उनको गोद में लेकर और उनके घरों में जाकर वह ट्रीट करती है, उसने हमारे गाँव में जाकर अस्पताल खोले हैं। तो मेरा कहना यह है कि हमारे अवहेलना से देखे जाने वाले वर्ग के साथ ७ समुद्रपार वाले इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। लोग कहते हैं कि अपना धर्म प्रचार करते हैं, तो हमारा भी धर्म है। क्या हमारे मेडिकल मैनों का धर्म नहीं है। हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स क्या बिना धर्म के हैं और बेधर्मी हैं। बहरहाल, जो हमारा धर्म है वह आज मेडिकल कालेजों से निकल चुका है, जो हमारे धर्म की सच्ची भावना है, वह नहीं है। यह एक बुनियादी चीज है जिसके बिना कोई भी संस्था अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती है।

मेरी अर्ज यह है कि मेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स को बढ़ाने की बात तो आप सोचें, लेकिन उनके अन्दर जो बुनियादी चीज है, उसको भी लाने का प्रयत्न करें।

आज हम जानते हैं कि रूरल एरियाज़ में लोग मेडिकल क्यौर के बिना मर जाते हैं और हमारे यहां जो मेडिकल ग्रेजुयेट्स निकलते हैं, वह रूरल एरियाज में जाना नहीं चाहते हैं, वहाँ उनको बिजली नहीं मिल सकती है, अखबार नहीं मिलता है और सिनेमा नहीं मिलता है, इसलिये वह जाना नहीं चाहते हैं और यहां बेकार बैठे रहते हैं। इस काम को पूरा करने की जरूरत है। इसको हमें देखना है। किसी एक व्यक्ति का इसमें दोष नहीं है। मैं यह समझता हूँ कि सारे सेट अप में इसमें खराबी है। इसको दूर करना है। इसमें खाली मेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स बढ़ाने से हमारा काम नहीं चलेगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि वह कहाँ पर खोले जायं। मैं यह नहीं कहता कि वह दो खोले जायं। मेरा वश चले तो मैं तो कहूंगा कि दो की जगह ४ खोले जायं। लेकिन जो भी खोले जायं वह अच्छी

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

तरह से पैसे की व्यवस्था करके खोले जायं, वह चाहे ईस्ट में खोले जायं या वेस्ट में खोले जायं। लेकिन उसमें स्पेशलाइजेशन का ख्याल जरूर रखना चाहिये जिसके लिये मैं कह चुका हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपने निवेदन को समाप्त करता हूं।

***श्री इसहाक संभली**--सदर मोहतरम, मिसेज सावित्री श्याम का यह रेजोल्यूशन जो इस वक्त हाउस के सामने है मैं उसकी पूरे जोर के साथ ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह रेजोल्यूशन इतना जरूरी और इतना अहम है कि सूबे की मौजूदा हालत को देखते हुये तो इसकी जरूरत ही नहीं पेश आनी चाहिये थी, गवर्नमेंट को खुद इसके लिये अब से बहुत पहिले ही कदम उठाना चाहिये था। गवर्नमेंट को खुद चाहिये था कि वह मेडिकल कालेजेज खोलने के लिये कदम बढ़ाती।

अभी हमारे दोस्त हृदय नारायण साहब ने कहा कि हमारे सूबे में एक लाख आदमियों के ऊपर औसतन एक डाक्टर आता है। मैं आपके जरिये से यह बतला देना चाहता हूं कि ऐसी भी जगहें और कस्बे हैं जहां डेढ़ लाख इन्सानों के ऊपर भी एक डाक्टर नहीं है। जिला मुरादाबाद में सम्भल में ७३ हजार की आबादी है और उस तहसील की आबादी २ लाख ५८ हजार है। लेकिन उस कस्बे और उस तहसील में कोई भी सरकारी जनाना अस्पताल नहीं है। वहाँ के जिलाधीश ने, लोगों ने और मैंने भी चन्दा इकट्ठा करके इस बात की कोशिश की कि एक लेडी हास्पिटल वहाँ पर खुलवाया जाय, लेकिन हम लोगों की कोशिशों के बावजूद भी अभी कम से कम ३ साल लग जायेंगे। इस तीन साल के अर्से का आप अन्दाजा लगाइये और यह देखिये कि उस ७३ हजार की आबादी में कम से कम ३८ हजार लेडीज की आबादी है और पूरे तहसील में उसमें १ लाख से ऊपर लेडीज की आबादी है, इन पर क्या गुजरती होगी। लेकिन यह कमी क्यों है। क्योंकि डाक्टरों की कमी है।

मैं अपने मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर साहब की तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता हूँ कि जब से उन्होंने इस पोर्टफोलियो को सम्भाला है उस वक्त से सरकारी डाक्टरों और अस्पतालों की हालत में चेंज हुआ है और इसके लिये वह मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। शायद वह सम्भल की हालत न जानते हों। मैंने एक बार उनसे कहा तो जरूर था लेकिन मेरी भी यह कमी है कि मैंने अभी तक उनको लिख कर नहीं दिया है। वहां यह हालत इसलिये है क्योंकि डाक्टरों की कमी है और खास तौर पर लेडी डाक्टरों की।

मैं इस बहस में जाने के लिये तैयार नहीं हूँ कि वह इलाहाबाद में बने या बरेली में बने, ईस्ट में बने या वेस्ट में बने। आगरे में जो कि वेस्ट में है, एक मेडिकल कालेज है, लेकिन हमारा सूबा इतना बड़ा है कि आगरे में मेडिकल कालेज होने से वह कमी को दूर नहीं कर सकता है। हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि लखनऊ में चूंकि मेडिकल कालेज है इसलिये सारे ईस्ट की प्राब्लेम डाक्टरों के बारे

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

में हल हो गई। जरूरत इस बात की है कि और मेडिकल कालेजेज इस सूबे में खोले जायं।

यह सवाल उठ सकता है कि हमारे पास रुपया नहीं है, इसलिये मैं प्रताप चन्द्र आजाद साहब के अमेंडमेंट की भी ताईद करता हूँ। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस रेजोल्यूशन का पास हो जाना ही काफी नहीं है। मैं इसके लिये मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस पर जल्द से जल्द अमल दरामद करने की कोशिश करें।

अलीगढ़ अस्पताल के बारे में, अलीगढ़ मेडिकल कालेज के बारे में, मैं कहानी वर्षों से सुनता आ रहा हूँ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेडिकल कालेज कायम होने वाला है एक बार नहीं अनेक बार यह सुना है और अनेक बार यह पढ़ा है, लेकिन आजतक मैं देख रहा हूँ कि अलीगढ़ में मेडिकल कालेज कायम नहीं हुआ। सेन्टर जितना मदद कर सकता था, उतना उसने किया, लेकिन हमारी स्टेट से जो मदद मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली, इस वजह से यह रुका हुआ है। मैं नहीं जानता कि यह इत्तिला कहाँ तक सही है। गालिबन अगर अलीगढ़ में मेडिकल कालेज कायम हुआ होता, तो यहाँ ज्यादा परेशानी पेश करने की जरूरत न होती। परेशानी उठाने के बावजूद भी मेडिकल कालेज अलीगढ़ में नहीं कायम किया गया। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर भी गवर्नमेन्ट इस स्कीम को जल्द-से-जल्द पूरा करे और अलीगढ़ में मेडिकल कालेज कायम किया जाय। साथ ही साथ जो यह रेजूलेशन है कि दो जगह पर मेडिकल कालेज कायम किया जाय, इसकी मैं ताईद करता हूँ कि यहाँ मेडिकल कालेज कायम किया जाय।

श्री हुकुम सिंह विसेन—क्या तीन जगह पर खोला जाय।

श्री इसहाक सम्भली—मैं रेजोल्यूशन की ताईद करता हूँ।

यह सही है कि पैसे का भी अहम सवाल है क्योंकि बगैर पैसे के कैसे काम होगा, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अगर हमारी सरकार इस चीज़ के ऊपर तवज्जह देगी और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट पर ज्यादा जोर देगी कि हमारे सूबे में मेडिकल कालेज खुलें, तो यह काम हो सकता है, लेकिन हमारे सूबे में जो पैसा आता है उसका खर्च करना भी मुश्किल हो जाता है। वह रुपया जो आता है वह ३० या ३१ मार्च को खर्च किया जाता है। क्या हमारे लिये यह ज़रूरी नहीं है कि हम सेन्टर पर ज्यादा जोर डालें कि वह ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कालेज हमारे यहाँ पर कायम करे।

मैं इस रेजूलेशन की ताईद करते हुये यह कहूँगा कि श्री कन्हैया लाल जी ने ठीक ही कहा है कि स्पेशलाइजेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाय और गरीब जनता को परेशानी से बचाने के लिये प्रयत्न किया जाय ताकि अगर कैन्सर का रोग है, तो उसको पटना जाना न पड़े तथा हज़ारों रुपया खर्च करना न पड़े। इसका नतीजा यह होता है कि गरीबी के कारण न वह बाहर जा सकता है और न उनका यहाँ पर इलाज ही होता है, इसलिये वे तड़प-तड़प कर मर जाते हैं।

हमारे हेल्थ डिपार्टमेन्ट में हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब के आ जाने के बाद जो बेहतरी हुई है उसको वे और आगे बढ़ायेंगे और जैसा मने अर्ज किया कि यह हैरत की बात है कि हमारी

[श्री इसहाक सम्भली]

पूरी तहसील में एक भी जनाना अस्पताल नहीं है। कम से कम मैं यह कहूँ तो बेजा नहीं होगा और मुझ जैसे आदमी के लिये यह दुःख की बात है। उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब इस रेजोल्यूशन को मंजूर फरमायेंगे ताकि हमारे सूबे की जनता मेडिकल कालेज से फायदा उठा सके।

आज तो हालत यह है कि यहाँ पर यूनानी कालेज की जरूरत है, लेकिन हमने देखा कि लखनऊ में जो स्टेट की तरफ से एड यूनानी तिब्बया कालेज को मिल रहा था वह खतम किया गया है। जिस तरह का मेडिकल कालेज कानपुर में कायम हुआ है उसी तरह से सरकार अपने पुराने वादे को भी पूरा करें और दोनों जगहों पर मेडिकल कालेज कायम करने के लिये हर तरह की कोशिश करे। इन चन्द लफ़्जों के साथ मैं इस रेजोल्यूशन की ताईद करता हूँ।

श्री मदन मोहन (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय माननीय सावित्री श्याम जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है मैं उसकी भावना का स्वागत करता हूँ और उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। हमारे सूबे की शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें कितनी पिछड़ी हुई हैं इसके ऊपर बहुत से वक्ता प्रकाश डाल चुके हैं। इसके ऊपर और प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सूबे की खूबी यह है कि यह बड़ा सूबा है लेकिन जहां तक जन-सुविधाओं का सम्बन्ध है यह बहुत कुछ पिछड़ा हुआ है। चाहे शिक्षा के आंकड़ों को देखें चाहे चिकित्सा सम्बन्धी आंकड़ों को देखें सभी में ऐसा दिखाई पड़ेगा कि चाहे जन संख्या की दृष्टि से हमारा सूबा कितना ही बड़ा क्यों न हो लेकिन सुविधाओं की दृष्टि से लगभग सभी सूबों से पीछे है। इसलिये हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जिस प्रकार हो सुविधायें बढ़ावें। इस समय हमारे सूबे में केवल तीन मेडिकल कालेज हैं। यह एक असंतोष की बात है। वह कालेज कैसा हो, उसमें स्त्रियों का कोई विशेष स्थान हो या न हो यह बात सोचने की है। जहां तक स्त्रियों के लिये मेडिकल शिक्षा का सम्बन्ध है जितनी भी अधिक सुविधायें हमारी बहिनों को दी जा सकें उतना ही हितकर होगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उनके लिये अलग कालेज खोला जाय। दिल्ली के अन्दर लेडी हार्डिन्ज मेडिकल कालेज अभी कुछ दिन पहले तक केवल स्त्रियों के लिए था। लेकिन उसे भी अब सभी के लिये कर दिया गया है। केवल स्त्रियों के लिये इस प्रकार के किसी कालेज का प्रबन्ध करना कठिन होता है। उसके लिये अध्यापक और सुविधायें जुटाना मुश्किल होता है। इसलिये केवल स्त्रियों के लिये कालेज चलाना असंभव होता है। हां जो मेडिकल कालेज हों उसमें ऐसे नियम बनें कि स्त्रियां अधिक दाखिल हो सकें यह बात हो सकती है। दूसरी यह है कि जो स्त्रियों की तादाद इन कालेजों में आती है जब वे यहां से निकलती हैं तो अगर उसके आंकड़े उठाकर देखें तो उसमें बहुत से वेस्टेज होता है। कालेज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, बाद में शादी हुई, उसके बाद उसकी शिक्षा से प्रदेश को कोई विशेष लाभ नहीं होता। केवल ३० या ३५ फीसदी स्त्रियां जो शिक्षा प्राप्त करती हैं उनसे तो जनहित की दृष्टि से फायदा होता है। शेष उनकी शिक्षा से जन-साधारण को कोई लाभ नहीं होता इसलिए केवल स्त्रियों के लिए अलग सुविधायें प्रदान करना उचित नहीं होगा। एक बात और कही गई कि हमारे वर्तमान कालेजों में स्पेशलाइजेशन नहीं है। जहां पर नये कालेज खोलने की

बात की जाती है वहां पर यह भी कहा जाता है कि पुराने कालेजज का ईक्विपमैंट अच्छा होना चाहिये, हमारे जो बहुत से अस्पताल हैं उनके अन्दर सुविधायें अवश्य बढ़ें लेकिन साथ ही साथ यह भी बात सोचने की है कि जहां सुविधाओं के बढ़ाने का सवाल आता है वहां पर बहुत ज्यादा ऐफिसिएंशी पर ध्यान देना कठिन हो जाता है। जहां हम एक ओर सुविधाओं को अधिक बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी ओर उत्तम ढंग की शिक्षा देना चाहते हैं और स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो दोनों बात साथ-साथ करना बहुत कठिन होगा। अगर दोनों चीजें हो सकें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर स्पेशलाइजेशन के अभाव के कारण चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी फैलाव को रोका जावे तो यह बात न्यायसंगत नहीं होगी।

साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि एक बात की ओर ध्यान देना जरूरी है। अगर आंकड़े उठाकर देखे जायें तो हमारे देशवासियों की एक लाख संख्या के ऊपर एक डाक्टर है। लेकिन यह भी वास्तविकता है हमारे चिकित्सा अफसर गांवों में जाना नहीं चाहते हैं। शहरों के अन्दर चाहे उन्हें कुछ भी नहीं मिले वे दूकान में खाली बैठकर चाहे मक्खियां ही क्यों न मार रहे हों लेकिन गांवों के अन्दर नहीं जाते हैं। वे इसलिये नहीं जाते हैं कि उनको वहां पर कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। एक तो हमारी आवश्यकता यह है कि जो अधिक मेडिकल ग्रेजुएट हों और दूसरी आवश्यकता यह है कि उनका उपयोग हो। उनका उपयोग इस बात पर निर्भर है कि गाँवों के अन्दर उनको ऐसी सुविधायें प्राप्त हों ताकि वे अपना कार्य कर सकें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो डाक्टरों का ओवरप्रोडक्शन होगा। उनको काम मिलेगा नहीं, केवल बेकारी बढ़ेगी। मेडिकल कालेज खोलना भी जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि मेडिकल कालेजों से जो निकले उनको काम करने के लिये सुविधायें हों ताकि वे अपना जीविकोपार्जन अच्छी तरह से कर सकें। मैं समझता हूँ कि इस बात का हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान रखेंगे।

अब प्रश्न यह आता है कि कालेज कहां पर हो। श्रीमती सावित्री जी ने बड़े जोरो के साथ बरेली के लिये वकालत की। हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने इलाहाबाद की वकालत की और बड़ी बड़ी कमेटियों का हवाला दिया। चिन्तामणि जी और पंडित जगत नारायण जी के जमाने में क्या-क्या कहा गया है वह बतलाया। मेरा कहना यह है कि इसके सम्बन्ध में हम को इसमें निष्पक्ष दृष्टि से काम लेना चाहिये। एक जमाना ऐसा था कि अगर किसी शहर के अन्दर कोई विशेष व्यक्ति होता था तो उस शहर की मान्यता को बढ़ाने के लिये वहां पर यूनिवर्सिटी या कालेज खोल दिये जाते थे। पुरानी रियासतों के जो राजा होते थे वे जिस शहर में रहते थे उस शहर को मान्यता दी जाती थी। लेकिन अब तो प्रजातंत्र का युग है। इसमें हमको यह देखना होगा कि जो हम सुविधायें दें उनका ज्यादा से ज्यादा फैलाव हो। आप अपने प्रान्त का नक्शा देखें और उसमें यह देखें कि कौन से स्थान हैं जिनके आसपास कालेज हैं और कौन ऐसे हैं जिनके आसपास कुछ भी नहीं है। जिन जगहों पर सुविधायें नहीं हैं वहां पर पहले कालेज खोलना चाहिए। पुरानी रिपोर्ट्स को आप छोड़ दीजिये कि उनमें बरेली और इलाहाबाद के लिये क्या कहा गया है। अगर आप उस नक्शे को देखें तो इस प्रान्त में बड़े २ क्षेत्र आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर इस प्रकार की

[श्री मदन मोहन]

सुविधायें दूर तक नहीं हैं । जहाँ पर पढ़ाई-लिखाई और आबोहवा की दृष्टि से मेडिकल कालेज होना चाहिए था वहाँ पर नहीं हैं । गोरखपुर जिसका जिक्र हमारे एक मित्र ने किया है कम से कम आबादी की दृष्टि से हमारे यहाँ सबसे बड़ा क्षेत्र है । करीब ९० लाख इस डिवीजन की आबादी हैं और वहाँ पर कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं है । वहाँ पर चिकित्सा सम्बन्धी कोई भी सुविधा नहीं हैं क्योंकि वहां पर कोई मेडिकल कालेज नहीं है। मैं तो यह समझता हूँ कि यह कोई न्यायसंगत बात नहीं है । अगर गोरखपुर के अन्दर कोई बड़ा अस्पताल नहीं है तो इस बात की कोई दलील नहीं है कि वहां पर कालेज नहीं होना चाहिए । गोरखपुर का क्षेत्र ऐसा है कि वहां पर एक मेडिकल कालेज जरूर होना चाहिए ।

इसी प्रकार अभी कहा गया कि अगर बरेली में मेडिकल कालेज होगा तो मेरठ के लोगों को भी वहां पर जाने की सुविधा होगी तथा कुमायूं के लोगों को भी सुविधा होगी। वास्तविकता तो यह है कि मेरठ की आबहवा तो इतनी अच्छी है कि वहां वालों को आगरा या बरेली जाने की आवश्यकता ही नहीं। गोरखपुर के बाद जो दूसरा क्षेत्र बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है वह मेरठ का है। उसकी आबादी का लिहाज रखते हुए और इस बात को देखते हुए कि उस क्षेत्र में सबसे अधिक शिक्षा संस्थायें हैं और सबसे अधिक विद्यार्थी भी उस शिक्षा से लाभ उठाने वाले हैं। वहां एक मेडिकल कालिज बहुत आवश्यक है। बरेली के लिये यह सुविधा बतलायी गई कि वहां पर एक वेटेरिनरी अस्पताल है । वह तो जानवरों के लिये हैं, आदमियों के लिये नहीं है । समझ नहीं पड़ता है कि इस तरह की दलील क्यों दी जाती है।

जहाँ तक मेन्टल अस्पताल का सवाल है तो बरेली में उसकी आवश्यकता हो सकती है, कुछ क्षेत्र हैं जहां पर मेन्टल अस्पतालों की विशेष सुविधा देने की जरूरत है । लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मेरठ का क्षेत्र ऐसा है कि वहां मेंटल बीमारी देखने को भी नहीं मिलती, वहाँ के विद्यार्थियों को मेंटल हास्पिटल वाले स्थानों की ओर जाने को मजबूर करना न्यायसंगत बात नहीं है । मैं जहाँ प्रस्ताव की भावना का हार्दिक समर्थन करता हूँ, वहाँ मुझे यह अवश्य कहना है कि हम कोई जगह निश्चित न करें । जहाँ तक जगह का सम्बन्ध है तो इसको हम स्वास्थ्य मंत्री जी और सरकार के ऊपर छोड़ दें कि वह कौनसी जगह को उपयुक्त समझते हैं और कौनसी जगह को उपयुक्त नहीं समझते हैं। वह स्वयं देखें कि कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर पढ़ने-लिखने की सुविधायें और दूसरी सुविधायें आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। आपने बरेली की बात कही तो बरेली के आसपास कहीं पर बोटोनिकल या ज्योलाजिकल रिसोर्सेज इतने नही हैं जितने कि मेरठ के क्षेत्र में प्राप्त हो सकती हैं। आबोहवा के लिहाज से भी बरेली की निस्बत मेरठ की आबोहवा कहीं ज्यादा अच्छी है । इसलिए इन सब बातों को छोड़ कर के हम केवल यह निश्चय करें कि हमारे प्रदेश में दो मेडिकल कालेज और होने चाहिए। हमारा प्रस्ताव तो केवल यही होना चाहिए कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार दो मेडिकल कालेज खोलने का और प्रयत्न करे और वह उन जगहों में खोले जहाँ पर कि वह उपयुक्त समझती हो, जहाँ पर कि उसकी तमाम आवश्यकतायें और सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं । उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुझे संशोधन पेश करने की अनुमति आप

। आप मुझे संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देंगे, नही तो मैं

यही संशोधन पेश करता कि बरेली और इलाहाबाद का जिक्र न करके प्रस्ताव में केवल यही शब्द रखे जाते कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार दो मेडिकल कालेज स्टेट के अन्दर खोले। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

***श्री राम कुमार शास्त्री**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक महोदया ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उससे मुझे पूर्ण सहानुभूति है। वास्तव में जैसा कि उन्होंने बयान किया कि अपने दौरे के सिलसिले में जो उन्हें अनुभव किया कि सूबे में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर कि हास्पिटल में कम्पाउन्डर से ही काम चलाया जा रहा है क्योंकि डाक्टरों की बड़ी भारी कमी है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ती जा रही है त्यों-त्यों जो आबादी में बढ़ती होती है उसी के अनुपात से अस्पतालों की संख्या भी बढ़नी चाहिए।

अभी सदन में डाक्टर फरीदी साहब ने जो कि एक्सपर्ट हैं, हम लोगों की तो एक लेमेन की हैसियत है, उनका विचार यह है कि हास्पिटल या मेडिकल कालेज बढ़ाये जायें लेकिन पहले हमको यह देखना है कि सूबे में जो हमारे तीन मेडिकल कालेज हैं उनकी क्या गति है। ठीक है, अपना-अपना अनुभव है लेकिन मैं तो एक पेशेन्ट की हैसियत से इस बात को देखता हूँ और वह अपने तजुर्बे की हैसियत से यहाँ पर बयान कर देना चाहता हूँ। बहुत-सी जगहों के लिए ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक्सपर्ट नहीं हैं जैसा कि हमारे भाई कन्हैया लाल जी गुप्त ने कहा कि एक्सपर्ट की इतनी कमी है कि इतना बड़ा भारी सूबा होते हुए भी हमको कभी-कभी कलकत्ता, बम्बई और दूसरी जगहों की राहों का इन्तजार करना पड़ता है कि वहाँ जाकर के हमको राहत मिले लेकिन आखिरकार इतने बड़े सूबे की जनता की सेवा-सुश्रूषा इस सूबे के डाक्टरों से होती है। हमारे यहाँ भी डाक्टर ऐसे हैं जिसको हम और आप आये दिन अनुभव करते हैं, दिल्ली जाकर देखिए, इसी लखनऊ के बलरामपुर हास्पिटल के एक्सपर्ट और इस सूबे के डाक्टर सूबे के और इस मुल्क के अच्छी से अच्छी हस्तियों की सेवा करते हैं, इसको तो हमको छिपाना नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि चिराग के नीचे अंधेरा मालूम होता है। अगर आनुपातिक दृष्टि से तुलना की जाय तो यह हो सकता है कि कमी है, लेकिन मैं तो यह कहता हूँ कि अगर हम बम्बई में रहें या अगर हम कलकत्ता में रहें, तो वहाँ रह कर भी हमें उनके दोष और गुणों का ज्ञान होगा। हमारे यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट काफी अच्छी सेवा करता है, उसके लिए हमें उसे धन्यवाद देना चाहिये। हमारे सूबे की आबादी बढ़ती जा रही है, इसके कारण आज इस बात की आवश्यकता है कि मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़ायी जाये। हमारे यहाँ के जो मेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनकी खामियां तो बतलायी गई हैं, लेकिन जो उसकी खूबियाँ हैं, उनको नजर अन्दाज कर दिया गया है। मैं बलरामपुर अस्पताल में काफी अर्से तक रहा हूँ। मैंने वहाँ पर देखा है कि वहाँ के डाक्टर मरीजों की किस प्रकार से सेवा करते हैं। हमको उनकी खूबियों को नजर अन्दाज नहीं करना चाहिए। वहाँ पर काफी अच्छे डाक्टर हैं और वे लोग जनता की काफी अच्छी सेवा करत हैं।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री राम कुमार शास्त्री]

लखनऊ में नवाब भी बसते हैं, वे भी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ की सेवा की तारीफ करते हैं ।

हमारी बहन श्रीमती सावित्री श्याम ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, उसका उद्देश्य काफी अच्छा है । हम सब यह जानते हैं कि आज हमारे प्रदेश को मेडिकल कालिजों की जरूरत है । हमारी सरकार की यह योजना है कि पांच मील के अन्दर गांवों में अस्पताल खुल जायें । हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहाँ के ही रहने वाले हैं । वे खुद इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि आज हमारे प्रदेश में मेडिकल कालेजों की आवश्यकता है । इतना सब कुछ जानते हुये भी कुछ ऐसी रुकावटें हैं जिसके कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं । हम लोग इस सदन के सदस्य हैं और हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम सरकार के सामने ऐसी उचित मांगों को रखें । अगर वे मांगें आज पूरी नहीं हो सकती हैं तो शायद कल पूरी हो जायें । हमको इस प्रकार के प्रस्तावों को लाकर इस सदन में विचार जरूर करना चाहिए ।

हमारे कुछ साथियों ने यहाँ पर दूसरे मुल्कों की भी मिसालें दीं । डाक्टर फरीदी साहब ने कहा कि इंग्लैंड में एक डाक्टर १२ सौ व्यक्तियों पर है और हमारे यहाँ ३० हजार पर हैं । आज अपने देश का मुकाबिला दूसरे देशों से करना कहां तक ठीक है । ढाई सौ वर्ष तक हमारे ऊपर दूसरे लोगों ने शासन किया है और हम उनके पैरों के नीचे कुचले गये हैं और दबाये गये हैं । हमारा हर अंग दब गया है । हमारे जितने भी साधन वे वे ७ समुद्र पार चल गये हैं । तो ऐसी हालत में हमारा दूसरे मुल्कों से मुकाबिला करना कहाँ तक उचित है । अपने देश का अमेरिका और इंग्लैंड से मुकाबिला करना ठीक नहीं है । हमारा देश अभी कुछ दिन हुये हैं कि आजाद हुआ है । लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि यह आदर्श हमारे सामने जरूर होना चाहिए । हर एक व्यक्ति को मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए । लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी होना चाहिए कि जितनी हमारी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिये । Cut your coat according to your cloth. लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कभी चादर में पेवन्द लगाना पड़ जाये तो कोई हर्ज की बात नहीं है ।

हमारी बहन ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, उसका उद्देश्य काफी अच्छा है और उस पर माननीय मंत्री जी तथा सरकार को गौर करना चाहिये । हम देखते हैं कि जो गांवों में रहने वाले होते हैं, वे अधिक से अधिक शहरों में आ रहे हैं । जो गांव के रहने वाले हैं और शहरों में रहते हैं, उनको दशहरा, दीवाली और होली में ही अपने घर जाने का अवसर मिल पाता है और उन्हीं अवसरों पर वे अपने घर में परिवार के लोगों से मिल पाते हैं । गांव से जो लोग शहरों में आ जाते हैं, उनमें से यहाँ कोई कुलीगिरी कर रहा है और कोई तालीम पा रहा है । जो उस घर में निकम्मा समझा जाता है, वही खेतीबारी का काम करता है । सवाल यह है कि हम यहाँ से लोगों को गांवों में किस तरह से भेजें । हमारे मित्र मदन मोहन जी का कहना है कि आप गांवों में तमाम सुविधायें दे दीजिये, तो लोग वहाँ जाने लगेंगे । लेकिन शहर का जैसा वातावरण गांव के अनुकूल नहीं हो सकता है । शहरों की तरह गांवों में सभी इक्विपमेन्ट तो नहीं पहुँचाये जा

सकते हैं। अभी सभी गांवों में इलेक्ट्रिसिटी का पहुँचना असम्भव है। लेकिन हम लोगों में एक सेवा का भाव होना चाहिये जिससे कि हम अपने यहाँ की जन-संख्या को देखकर थोड़ी-सी सुविधाओं में ही कार्य करने में तत्पर हो सकें। लेकिन जब शिक्षा संस्थाओं में इस तरह की प्रवृत्ति होगी और इस तरह की मनोवृत्ति होगी, तभी यह सम्भव हो सकता है। रूस की मिसाल का जिक्र कभी-कभी यहाँ पर किया जाता है। लेकिन जब तक वह सेल्फ सफीसियेन्ट मुल्क नहीं हुआ था, वे लोग फाइन क्लाथ का कपड़ा नहीं पहनते थे, वे कोर्स कपड़ा पहनते थे। वे उत्तम भोजन पर नहीं निर्भर रहते थे, बल्कि सूखी रोटी ही खाते रहे क्योंकि उनको अपने देश को स्वावलम्बी बनाना था। इस तरह की बातों को अभी से रख कर हम अपने यहाँ कल्याण नहीं कर सकते हैं, दवा-दारू और खाद्यान्नों में उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम बाबू बनना चाहते हैं और मेडिकल कालेज में पढ़कर लक्जूरियस जिन्दगी व्यतीत करना चाहते हैं, तो इस तरह से कभी काम नहीं चल सकता है। तो आज जो दिक्कत हो रही है कि गांवों में डाक्टर्स नहीं मिल पाते हैं, कम्पा-उन्डर्स नहीं मिल पाते हैं, उसका कारण यह है शहरों से वहाँ डाक्टर जाना नहीं चाहते हैं। मुझे मेडिकल कालेज के खोलने में आपत्ति नहीं है। आप इलाहाबाद, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, बलिया और बस्ती में भी खोलें तो अच्छा ही है। हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो काम कर रहे हैं, उसका अर्थ यह है कि जो अनडेवलेप्ड एरिया हैं, वहाँ डेवलेपमेंट का काम करें। हमारे यहाँ डेवलेपमेंट का वायुमंडल चल रहा है। हमें अनडेवलेप्ड एरिया में जाने की कोशिश करनी चाहिये। बदकिस्मती यह है कि हम पूर्वी जिलों के रहने वाले हैं। अगर प्रस्तावक महोदया की कृपा होती, तो वे लिखतीं कि इस एरिया में भी एक मेडिकल कालेज खुले। जो दूसरे मुल्कों से इस बात की तुलना की जाती है, वह उचित नहीं है। वैसे मैं समझता हूँ कि बरेली में भी खुल जाय और मेरठ व इलाहाबाद में खुल जाय तो अच्छा ही है। मुझे किसी भाई की इस बात से आपत्ति नहीं है। जितने भी स्थान हैं, उन सब के लिये मैं माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब से करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि शनैः-शनैः अपनी दिक्कतों को बतलाते हुये इन सब बातों का जवाब दें और आवश्यकतानुसार धीरे-धीरे, आज नहीं तो कल, एक साल में, दो साल में हमारे प्रदेश में जो प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही है, उनमें वे जितनी सुविधायें गांवों में दे सकें, उनको दें और कोई भी गांव ऐसा बाकी न रहे जहाँ पर कि नेशनल एक्सटेन्शन ब्लाक न रहे और इस आवश्यकता से एक मेडिकल कालेज बरेली में भी होना चाहिये। बरेली में अगर पुरानी तवारीख है, जगत नारायण के ज़माने की, तो ठीक है, उस ज़माने में आगरे में मेडिकल कालेज नहीं था, अब मेडिकल कालेज आगरा में हो गया है।

मुझे तो कोई गुरेज़ नहीं है, मैं हृदय से समर्थन करता हूँ, आपने हमें एक अवसर दिया सरकार से प्रार्थना करने का। इस विषय का जितना महत्व होना चाहिए उतना महत्व है और मैं हृदय से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकार इस प्रस्ताव पर ग़ौर करेगी।

श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मै यह सोचता था कि बोलने की आवश्यकता क्या है। प्रस्ताव साधारण है। मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री जी भी इससे सहमत होंगे।

श्री हुकुम सिंह विसेन—मुझे बोलने का मौका तो मिले।

श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव—मेडिकल कालेज खोले जायें इस सम्बन्ध में, दो मत हो ही नहीं सकते। बरेली में, इलाहाबाद में, और जैसा कि शास्त्री जी ने कहा और जगह भी मेडिकल कालेज खोले जायें लेकिन यह उतने ही खोले जा सकते हैं जितना कि हमारी आर्थिक अवस्था हमको इजाजत देगी। मुझे तो दुःख यह सुनकर हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे मित्र डाक्टर फरीदी साहब चाहते हैं कि पहले मेडिकल कालेजेज़ की खराबियाँ दूर हो लें तब मेडिकल कालेजेज़ खोलें जायें। यह मेरी समझ में नहीं आया कि यह कहकर वह इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे या विरोध। हिसाब की कापियाँ देखने का अवसर मिलता है, जवाब सही है लेकिन स्टेप्स का कुछ पता नहीं है, मुझे तो वही नक्शा देखने में आया। जवाब तो सही है लेकिन स्टेप्स विरोध के थे। लाजिक में हमने एक Fallacy of Simple Enumeration पढ़ा था कि दो-चार उदाहरणों से एक गलत नतीजा निकाल लेना। ठीक उसी प्रकार डाक्टर साहब ने दो-चार खराबियाँ तो बतला दीं और हजारों अच्छाइयों का जिक्र नहीं किया। खराबियाँ दूर करने के लिए सभी का प्रयास होना चाहिए। मैं समझता हूँ डाक्टर फ़रीदी साहब भी जानते हैं कि कानपुर और दूसरी जगहें भी जहाँ कहीं भी शिकायत हुई है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्टेप्स लिए हैं। ऐसी खराबियाँ जहाँ भी दिखाई देंगी, हमारे सहृदय स्वास्थ्य मन्त्री स्टेप्स लेंगे ही। लेकिन अगर दो-चार खराबियाँ हो गईं, दो-चार आदमी मर गए, या दो-चार आदमियों के साथ असावधानी हो गई इसलिए मेडिकल कालेजेज़ आगे न खोले जायें जब तक सब खराबियाँ न सुधरें, यह बात समझ में नहीं आती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी स्टेज पर भी मनुष्य की जो दुर्बलतायें हैं वह कायम रहेंगी तो इसका आशय यह हुआ कि मेडिकल कालेज कभी खुलें ही नहीं। जब सारी खराबियाँ दूर हो लें फिर प्रसार हो। मैं समझता हूँ यह चीज़ गलत है। मेडिकल कालिजेज खुलने चाहियें क्योंकि उनका काम केवल यही नहीं कि कालिज नाम होने के कारण केवल डाक्टर्स ही ट्रेन नहीं करते हैं बल्कि इसके अलावा दो और उद्देश्य हैं। एक तो यह कि डाक्टर्स के सामने आदर्श रखना और डाक्टर्स के लिये रिफ्रेशर्स कार्य का प्रबन्ध करना। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूँगा कि जो हमारे डाक्टर्स हैं उनके लिये भी कभी-कभी रिफ्रेशर्स कौर्स का प्रबन्ध कर दिया जाय और उनको कुछ लेक्चर्स दिये जायँ जिससे उनकी नालेज पुरानी न हो जाय। मेडिकल कालेजेज की बहुत आवश्यकता है लेकिन आर्थिक संकट भी हमारे प्रदेश के सामने हैं। जैसे-जैसे यह आर्थिक संकट दूर होता जाय हमारे यहाँ और मेडिकल कालेजेज खोले जायं। अब रह गया कि बरेली में खोला जाय या इलाहाबाद में खोला जाय या कहीं और खोला जाय। कानपुर में मेडिकल कालेज पहले ही से खुला है इसलिये निष्पक्ष होकर कह सकता हूँ कि बरेली में तो अवश्य ही खुलना चाहिये वहाँ मेन्टल हास्पिटल के होते हुये भी सुधार की बहुत आवश्यकता है इसलिये बरेली

जरूर खुलना चाहिये। गोरखपुर में भी अवश्य खुलना चाहिये, इलाहाबाद का स्थान ऐसा है कि उसका विरोध कैसे कोई कर सकता है, बहुत बड़ी जगह है, जब सरकार के पास रुपया हो तब इलाहाबाद का भी नम्बर आवे लेकिन बरेली में बहुत आवश्यकता है। रह गया अलीगढ़ का। वह आगरे के पास है। जब पैसा हो तो वहाँ भी खोला जाय, इसी तरह से मेरठ में भी खोला जाय लेकिन बरेली-गोरखपुर बहुत आवश्यक हैं। इसके बाद और भी जगह जैसे-जैसे रुपया होता जाय दूसरे स्थानों में भी खोले जायँ।

यह मेडिकल बजट की स्पीच नहीं है लेकिन फिर भी मदन मोहन जी ने इस प्रश्न को उठाया कि ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर्स नहीं जाते हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूँगा कि जो डाक्टर्स देहाती क्षेत्र में काम करते हैं उनका वेतन कुछ और अधिक हो और मैं समझता हूँ कि डाक्टर फरीदी साहब भी इससे सहमत होंगे क्योंकि जो डाक्टर्स देहाती क्षेत्र में काम करते हैं उनकी आमदनी इतनी नहीं होती और उनको वह एमिनिटीज भी नहीं मिलती जो शहर के डाक्टर्स को मिलती है। कुछ न कुछ अट्रैक्शन उनको होना चाहिये।

एक विशेष बात की ओर मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान दिलाना चाहता हूँ और वह यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर्स को ५ मील तक कोई टी० ए० नहीं मिलता है। नतीजा यह होता है कि इपीडेमिक्स के समय देहाती क्षेत्रों के डाक्टर्स नहीं जाना चाहते। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूँगा जिससे वह ५ मील के अन्दर भी ग्रामीण क्षेत्र के डाक्टरों को T. A. दिया जाय जिससे वह प्रत्येक गाँव में जाकर चिकित्सा का प्रबन्ध करें।

श्री हुकुम सिंह विसेन--अब तो १० मील है।

श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव--यह तो और भी खराब है, अब तक तो ५ मील की शिकायत थी। अगर आप चाहते हैं कि देहाती क्षेत्रों में डाक्टर्स जायँ तो उनके जाने का प्रबन्ध होना चाहिये जिससे वह गाँवों में जा सकें। अभी तक तो ५ मील की ही शिकायत है अब १० मील की बात है। तो मेरा कहना यही है कि उनको आने जाने की सुविधा मिलनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री हुकुम सिंह विसेन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो परेशानी मेरे मित्र श्री शिव कुमार लाल को थी जिसका उन्होंने अभी इजहार किया, वही परेशानी मुझे भी है। हमारे दोस्त डाक्टर फरीदी ने कहा कि मैं इस रिज्युलूशन की ताईद करता हूँ लेकिन जो उनके आरगूमेन्ट्स थे वह बिल्कुल विपरीत थे। जो शिव कुमार जी ने कहा उनसे भी नहीं मिलते थे। आप का कहना यह था, आपसे मेरा मतलब लीडर आफ दि अपोजीशन से है कि जब तक मौजूदा मेडिकल कालेजों का स्टेन्डर्ड ठीक न हो जाय, उनकी खराबी दूर न हो जाय, नये मेडिकल कालेज नहीं खुलने चाहिये। इस तर्क के होते हुये मैं नहीं समझता कि उन्होंने किस तरह से अनुमोदन किया। हमारे डाक्टर साहब के कहने के मुताबिक हमारा मेडिकल कालेज लखनऊ, कानपुर और आगरा में रद्दी है। इसी

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

लखनऊ मेडिकल कालेज के पैदा शुदा हमारे डाक्टर साहब भी है, स्टेन्डर्ड के बारे में म कहने की जुर्रत नहीं कर सकता, उसके माने क्या हुये, आप समझ लें, मैं कहना नहीं चाहता।

डाक्टर ए० जे० फरीदी--पहले स्टेन्डर्ड ऊंचा था।

श्री हुकुम सिंह विसेन--यह बात नहीं कही गई थी, यह कहा गया कि उसका स्टेन्डर्ड नीचा है पहले और अब की बात नही कही गई थी। लेट अस नाट डिफर आन फैक्ट्स। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि कह देना आसान है, इलजामात लगा देना आसान है। हमारे इसी मेडिकल कालेज से कितने-कितने काबिल आदमी निकले है। वीरभान भाटिया ऐसे काबिल डाक्टर मौजूद है और आप कहते है कि स्टैन्डर्ड लो है। मै कैसे समझू। मै एक्सपर्ट नही। मै कैसे राय दे सकता हूँ, लेकिन लिफाफा देख कर के मै भी उसमे क्या लिखा है अन्दाजा कर सकता हूँ, मजमून भाँप लेता हूं लिफाफा देख कर। मैं तो यह कहता हूँ कि मेडिकल कालेज ठीक है, लेकिन मै यह नहीं कहता कि वे बिल्कुल खराबियों से मुबर्रा है। जैसा कि हमारे दोस्त राम कुमार जी ने कहा कि सैकड़ो वर्ष की गुलामी के बाद हमे जो चीजे मिली है वह बहुत तहस-नहस अवस्था मे मिली है, उनके सुधार करने में हमको और आपको वक्त लगेगा। इतनी जल्दी सब सुधार कर देना मै समझता हूँ कि आसान नहीं है, और अगर डाक्टर साहब भी इधर बैठे तो वह भी नहीं कर सकते हैं, मुमकिन नहीं है। टाइम लगेगा। मै डाक्टर साहब से इत्तिफाक कतई नहीं करता कि मेडिकल कालेज खोलना बन्द कर दीजिये उस वक्त तक जब तक उनका सुधार न हो जाय। खुशकिस्मती से यह विचार मदन मोहन जी और शिव कुमार लाल जी के भी नही है। इस तरह से अकेले फरीदी साहब रह जाते है। आप उनकी तरफ देख लीजिये, उनसे फिजिकली कमपेयर कर लीजिये, आपकी तरफ वेट नही है। लिहाजा मै मजबूर हूँ कि आपकी राय से इत्तिफाक न करूं।

हाँ, इसमें दो राय नही हो सकती है और मै माननीय सदस्यों की राय से सहमत हूँ कि हमारे प्रदेश मे और मेडिकल कालेजेज खुलने चाहिये। आपके भी यही विचार है और आपकी सरकार के भी यही विचार हैं और जब सरकार का विचार है तो मेरा भी विचार है। इसमे दो राय हो नही सकती है। कब खुले, कैसे खुले, कहाँ खुले, इस पर हमको और आपको विचार करना है। जरूरत इस बात की है कि जितने भी खोले जा सकें उतने खोले जायं क्योंकि यहाँ का इतना बड़ा क्षेत्र है और इतनी बड़ी आबादी है। हमको ऐसे डाक्टरों को पैदा करना है जो गांवों और देहातों मे जा सकें, उनको वहाँ जाने से कोई हिचक न हो और अगर उनके पैन्ट्स की क्रीज टूट जाय तो उनको परेशानी न हो। लेकिन इस बारे मे हमारी दिक्कतें क्या है, यह मै आगे बतलाऊंगा।

जब मै स्पीच सुन रहा था तो मुझको कुछ ऐसा मालूम हो रहा था कि यह बजट पर स्पीचेज हो रही हैं। मै परेशान रहा। पहिले तो मैंने इरादा कर लिया था कि उन बातों का जवाब तब दूंगा जब कि बजट आयेगा, अभी महज मैडिकल कालेज खोलने की दिक्कतों पर ही जवाब दूं, लेकिन अब कुछ कह देना लाजमी हो गया।

हमारे कन्हैया लाल जी ने स्पेशलाइजेशन के बारे में कहा कि गवर्नमेंट की उसकी तरफ तवज्जह नहीं है। मैं नहीं समझा कि कैसे उन्होंने यह ख्याल कायम कर लिया। किसी साहब ने कहा था, शायद आपने ही कहा था कि नर्सेज और कम्पाउंडर्स की ट्रेनिंग का इन्तजाम नहीं है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--मेरे यह अल्फाज नहीं थे। मैंने कहा था कि कमी है।

श्री हुकुम सिंह विसेन--यह तो मैं भी कहता हूँ कि डाक्टरों की कमी है, नर्सेज की कमी है, कम्पाउंडर्स की कमी है। लेकिन यह कमी कैसे पूरी हो। इसको पूरा करने के लिये क्या सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर सरकार ने कदम न उठाया होता तो यह कहा जा सकता था कि हमारी सरकार ने इसकी तरफ कोई तवज्जह नहीं दी है। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ कि कहाँ-कहाँ पर हमारे कम्पाउन्डर्स और नर्सेज को ट्रेनिंग देने का इन्तजाम किया जा रहा है। लेकिन यह लोग एक दिन में ट्रेंड नहीं होते हैं। उसमें टाइम लगता है। अभी वह देहातों में जाना नहीं चाहते हैं। देहातों में तो कमी है लेकिन शहरों और कस्बों में वह पर्याप्त मात्रा में है। नर्सेज की ट्रेनिंग सरोजिनी नायडू हास्पिटल, आगरा; लेडी लायल हास्पिटल, आगरा; बलरामपुर हास्पिटल, लखनऊ; उर्शला हार्समैन हास्पिटल, कानपुर; लाजपत राय हास्पिटल, कानपुर; मोती लाल नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद; डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, मेरठ; डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, बरेली; डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, गोरखपुर; इस तरह से यह १० जगहें नर्सेज की ट्रेनिंग के लिये हैं। मैं तादाद तो नहीं बतला सकता हूँ लेकिन यह कह सकता हूँ कि १० या २० तो जरूर हर जगह पर ट्रेंड हो रहे होंगे। काफी तादाद है।

अब रहा कम्पाउंडर्स की ट्रेनिंग के लिये, आप देखिये इनके लिये आगरा में इंतजाम है, उर्शला हास्पिटल, कानपुर; डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, अलीगढ़; गोरखपुर; नैनीताल; पी० एल० शर्मा हास्पिटल, मेरठ; डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, सहारनपुर; बनारस; मोतीलाल नेहरू हास्पिटल, इलाहाबाद; डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, झांसी; बलरामपुर हास्पिटल, झांसी; बलरामपुर हास्पिटल, लखनऊ। इस तरह से १२ जगहों में कंपाउंडरों की ट्रेनिंग होती है। डी० ए० वी० कालेज, कानपुर में भी ट्रेनिंग देने का प्रबंध हो रहा है। इस तरह से मैं यह कहने जा रहा था कि कमी जरूर है, लेकिन सरकार इस कमी को दूर करने के लिये क़दम उठा रही है। लेकिन हम छूमंतर तो नहीं कर सकते हैं कि एक दिन में जितनों की जरूरत है सबको ट्रेंड कर दें। हमारे कन्हैया लाल जी कर सकते हैं क्योंकि वह मथुरा-वृन्दावन के रहनेवाले हैं जो कि तीर्थ स्थान हैं। लिहाज़ा कमी तो हम पूरी कर रहे हैं। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि सरकार प्रयत्नशील है, उदासीन नहीं है।

एक बात और कही गई, शायद स्पेशलाइजेशन के बारे में कि स्पेशलाइजेशन का इन्तजाम हो। कानपुर में रेडियोलाजी और टेस्ट यूनिट का इन्तजाम है और भी दूसरे किस्म का इन्तजाम है। पैथालोजी में ट्रेनिंग होती है तथा डेन्टल की भी ट्रेनिंग होती है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--सिर्फ कानपुर में है।

श्री हुकुम सिंह विसेन—थ्रेट ऐन्ड सी।

जहां तक लखनऊ का सम्बन्ध है, डाक्टर फरीदी उसको बतला सकते हैं, लेकिन वे हमारी मदद कभी नहीं करते हैं। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की ट्रेनिंग होती है, नोज तथा थ्रेट का भी अलग-अलग ट्रेनिंग होती है। पेथालोजी, थ्रेट तथा आईज की भी ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे डिपार्टमेन्ट से स्पेशलाइज होते हैं। श्री कन्हैया लाल गुप्त जी कहते हैं कि कहीं पर भी इन्तजाम नहीं है। पहले आप जाकर देखिये तब अपना स्टेटमेन्ट सदन में दीजिये।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—On a point of explanation, Sir.

श्री हुकुम सिंह विसेन—आप बाद में कह दीजियेगा। It is not a point of order. If the Chair orders me, I will sit down.

श्री डिप्टी चेयरमैन—आप उसको बाद में कह दीजियेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—But this is a personal clarification. Am I not entitled to it?

श्री हुकुम सिंह विसेन—He is making a reference speech.

श्री डिप्टी चेयरमैन—आप सुन लीजिये।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—माननीय मंत्री महोदय हमारी बात को बिल्कुल तोड़-मरोड़ कर कह रहे हैं। हमने कहा था कि स्पेशलाइजेशन का जो मौका यहाँ पर है, वह कम है। मुझे मालूम है जो चीजें उन्होने कही हैं और जब मुझे मौका मिलेगा, मैं उसको अर्ज करूँगा।

श्री हुकुम सिंह विसेन—In this case you will not get any right of reply. जहाँ तक मैंने सुना था निहायत अदब से कहता हूँ। मैं तोड़-मरोड़ नहीं सीखा हूँ, अतः मैंने सीधे-सीधे कहा। किसी चीज को बिना जाने इस तरह से नहीं कहा जाता है। About a thing which was said, I have got a right of reply certainly.

लखनऊ मेडिकल कालेज की बात मैंने बतलाई और अब सरोजिनी नायडू कालेज की बात बतलाता हूँ। वहाँ पर भी आईज की ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ भी स्पेशलाइजेशन के ऊपर तवज्जह दी जाती है। यह कहना कि इस तरफ सरकार की तवज्जह कम है, यह गलत है और वाक्यात से दूर है। कमी तो सभी चीजों की है। हमें तो मंगल-मंगल ८ दिन हुए हैं जब हमने आज़ादी पाई है। मसले हमारे सामने बहुत बड़े हैं। आप भी ऐडमिट करते हैं और हम भी ऐडमिट करते हैं। क्षेत्र विस्तृत है, कमी तो दिखाई पड़ेगी। कमी तो तब नहीं दिखाई पड़ेगी जब हम डेवलप कर लेंगे।

श्री वीरेन्द्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—We are in the midest of plan.

श्री हुकुम सिंह विसेन—आप नाराज़ क्यों होते हैं। I have got many supporters on that. Don't think I have not got supporters on that. मैं यह कह रहा था कि यह कमी है। लेकिन प्रश्न यह है कि हम प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं।

इस तरह से मैं दो-एक बातें मूवर आफ़ दि रिजोल्यूशन के लिये कहना चाहता हूँ। हमको बरेली से भी हमदर्दी है, इलाहाबाद से भी हमदर्दी है, गोरखपुर मेरठ और अलीगढ़ से भी हमदर्दी है।

एक आवाज़—बस्ती रह गया।

श्री हुकुम सिंह विसेन—बस्ती नहीं आता।

एक आवाज़—बहराइच भी रह गया।

श्री हुकुम सिंह विसेन—बहराइच का भी सवाल नहीं आता। हम लोग कन्टैन्टेड हैं। कुछ हम लोगों की दिक्कतें होती हैं। कहीं फारेन एक्सचेन्ज की दिक्कत होती है। मेडिकल कालेज जब खुलेगा तो तखमीना एक स्टूडेंट पर १० बेड होने चाहिए। अगर १०० स्टूडेंट्स हों तो १,००० बेड होने चाहिए। १,००० बेड के लिये कितना बड़ा अस्पताल होना चाहिए। वार्ड भी बहुत होने चाहिए। अस्पताल भी होना चाहिए। तो कम से कम ३५, ४० या ५० लाख रुपया होना चाहिए। कुछ यूनिट मेडिकल कालेज में लगें, तभी तो कालेज चल सकता है। कालेज खोल दें, मरीजो के रहने का साधन न हो, तो कालेज नहीं चलेगा। कालेज तब चलेगा जब उसके लिये साधन हों। १,००० बेड का अस्पताल बनना चाहिए। सन् १९४८ में यह सवाल उठा था इलाहाबाद के लिये, तब ये सब दिक्कतें सामने आईं, तो उस वक्त यह तय हुआ था कि वहाँ एक अस्पताल की व्यवस्था कर ली जाय तब कालेज की व्यवस्था की जाय। उसी सिलसिले में मलाका में एक अस्पताल बन रहा है। मैं ठीक नहीं बता सकता।

श्री राम कुमार शास्त्री—जेल को तोड़कर अस्पताल बनने वाला था।

श्री हुकुम सिंह विसेन—हां, ९-१० दिन के लिये वहां जेल जाते हों। ऐसी व्यवस्था थी। जब तक कोई अस्पताल नहीं बनता, कालेज नहीं चल सकता। जब सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान बनने लगा, तो यह बात सोची गई और इसकी जरूरत महसूस किया। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि मेडिकल कालेज का खोलना सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में कानपुर में मंजूर हुआ। सीलिंग फिक्स हुई। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से बातें हुईं और कानपुर में मेडिकल कालेज बनकर तैयार हुआ। क्वार्टर्स तैयार हैं, स्टाफ के लिए और उसमें स्पेशलाइज करने की भी सब चीजें तैयार हैं। इसमें करोड़ों रुपये खर्च हुआ है। शुरू-शुरू में तो सीलिंग दो करोड़ के लगभग रखी गई थी और उसमें यह था कि केन्द्रीय सरकार से रेकरिंग और नान-रेकरिंग में कुछ परसेन्टेज मिलगा। यह ख्याल था कि वे इस सब को देंगे। कोई एतराज उस समय उनकी तरफ से नहीं था तो हमने यह सीलिंग मान ली। हमको अब यह इत्तिला आई है कि ८० लाख रुपये से ज्यादा सीलिंग नहीं होनी चाहिए। अब हमको

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

८० लाख रुपये का रेकरिंग और नान-रेकरिंग का परसेन्टेज मिलेगा। हमारे सामने यह सवाल है कि बकिया रुपया कहाँ से ढूंढ़ कर लायें। खर्चा हो चुका है। पहले तो कोई एतर ज नहीं था तो अब हमारे सामने यह दिक्कत आ गयी है। अब आप यह बतलाइये कि इस दिक्कत को हल करें या बरेली और इलाहाबाद वाली बात को हल करें। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी जरूरत है लेकिन हल कैसे निकलेगा। बिना पैसे के हल नहीं निकलेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तो कोई गुन्जाइश नहीं है। एक कानपुर में था वह बन गया है। उसी की दशा देख लीजिये कि आई हैव टु मेक दि बोथ एन्ड्स मीट। अब आपका प्रस्ताव यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यहां पर मेडिकल कालेज बन जायं तो कैसे बन सकते हैं। मेरा दिल चाहता है लेकिन पैसे न होने के कारण कुछ नहीं कर सकता हूँ।

श्री मदन मोहन लाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—आप थर्ड प्लान में रख दीजिये। इस तरह का संशोधन हो जायेगा।

श्री हुकुम सिंह विसेन—मैन परपोजेज ऐन्ड गाड डिसपोजेज। कौन जानता है कि कब क्या होगा। डेथ इज सरटेन बट नो वन नोज ह्वेन इट विल कम। जब तीसरा प्लान बनेगा तो उस समय प्रस्ताव आ जाय और उस पर-विचार होगा। लेकिन इस स्टेज पर मुझे मन्जूर करने में दिक्कत है।

श्रीमती सावित्री श्याम—लकिन उस समय सभी अपने-अपने प्रस्ताव लायेंगे।

श्री हुकुम सिंह विसेन—आप सब सलाह कर लीजियेगा। जब तक एख्तलाफ राय रहेगी मैं सेफ रहूँगा। यह मेरी दिक्कत है। मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता। तीन नहीं पांच और छः कालेज खोले जायं। भगवान की दया से हमारे यहां आबादी भी खूब बढ़ रही है। जैसी हमारी माली हालत अच्छी होती जायेगी वैसे ही मेडिकल कालेज भी ज्यादा होते जायेंगे। फैमली प्लानिंग तो हमारे यहां होगा नहीं और न डाक्टर लोग इसको करेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस समय श्रीमती जी अपना प्रस्ताव वापस ले लें और हमको कोई आकवर्ड पोजीशन में न डालें। यह हमारी लाचारी है।

श्रीमती सावित्री श्याम—इस प्रस्ताव को सब का समर्थन प्राप्त है।

श्री हुकुम सिंह विसेन—इफ ऐन्ड बट के साथ समर्थन हुआ है

वाकई मदन मोहन जी ने मेरा ध्यान कई बातों की तरफ दिखाया है। मैं वकील हूँ और समझता हूँ कि कितना सपोर्ट है। माननीय सदस्य भी एम० ए०, एल-एल बी० हैं। हमारी जो परेशानी है उसको आप दूर कर दीजिये। मैं यह समझता हूँ कि वहां पर मेडिकल कालेज होना चाहिए। मैं किसी के मोटिव को एट्रीब्यूट नहीं करता हूँ। जैसा सम्भली साहब ने कहा कि उनके यहां पर जनाना अस्पताल की बड़ी दिक्कत है। मैं खुद हमदर्दी रखता हूँ, लेकिन करूं कैसे। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि आप अपना प्रयास करें, जब आप एक हद तक सफल हो जायेंगे, मैं भी आपके साथ होऊंगा। जब जरूरत है तो होना चाहिए। स्त्रियों के लिए कम से कम बहुत बड़ा अभाव है यह हम भी स्वीकार करते हैं और मैं तो यहां तक कहता हूँ कि जितनी मुसीबत लेडीज को उठानी पड़ती है, उतनी मरदों को नहीं

उठानी पड़ती है, यह मेरा दावा है और इसमें कोई दो राय भी नहीं हो सकती है। यह भी मैं मानता हूँ कि उसकी उपेक्षा अभी तक बहुत हुई है, लेकिन अब उसकी ओर ध्यान जरूर होगा। हमारा तो हर साल का प्रोग्राम है कि जहां-जहां जरूरत होती है, हर पाँच-छः जिलों में एक अस्पताल खोलते हैं। अब अगर ५१ जिलों में एकदम से हो जाय तो यह नहीं हो सकता है और करना भी मुश्किल है लेकिन हर साल ५, ६ जिलों को हम लेते हैं और हर साल इसी तरह से अगर करते रहेंगे तो चन्द सालों में हम इसको पूरा भी कर लेंगे।

एक बात और कही गई कि डाक्टरों का नैतिक स्तर नीचा है और उनमें ह्यूमेनिटेरियन स्प्रिट पैदा की जाय तो ऐसा इसके लिए कोर्स से काम नहीं चलता है। मैं समझता हूँ कि मदन मोहन जी प्रिन्सिपल रह चुके हैं और मेरा ख्याल है कि अब भी हैं, लेकिन इस बात से मदन मोहन जी भी सहमत होंगे कि केवल लेक्चर से काम नहीं चलता है।

श्री मदन मोहन—सारी चीजों के लिए यही सिद्धान्त लागू होता है।

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हां, सभी में यह बात है। अगर यह स्प्रिट हम में और आप में आ जाय और हम अपनी थिंकिंग के प्रोसेस को बदल दें, जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी अक्सर कहा करते हैं, तो हमारा आपका काम सीधा हो जाय। लेक्चर तो हम और आप सभी करते हैं लेकिन खुद उस चीज को फ़ालो नहीं करते हैं। अगर हम जैसा लेक्चर करते हैं, उसके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करने लगें तो उसका असर अपने आप ही लोगों पर पड़ता है। अगर मैं आपको त्याग करने के लिये कहूँ लेकिन खुद ऐश करूं तो उसका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। तजुर्बे से तो ऐसा ही मालूम होता है फिर अगर हर विभाग इस तरफ़ अपना रुझान कर ले तो वह अपने आप ही ऐसोलेट हो जायेगा और उसमें भी अपने आप ही इस तरह की स्प्रिट आ जायगी। लेकिन उसके लिये एक्जाम्पुल की जरूरत है तभी असर पड़ता है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि मेडिकल कालेज की तरफ इसके लिये ध्यान ही न दिया जाय, वह भी इन्सान हैं, नौजवान पढ़े-लिखे लड़के वहां पर भी होते हैं, उनमें भी वह भावना पैदा हो जायेगी, अभी तो गुलामी के जमाने से निकले हैं, उनमें सेवा भाव की गुंजाइश कहां हो सकती है। हम में अब भावना आयी है कि अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने कर्त्तव्यों को समझें। पहले कौंसिल, असेम्बली में इस तरह की ह्यूमेनिटेरियन की बातें नहीं हुआ करती थीं, मैं तो बहुत पुराना आदमी हूँ, सन् १९२२ से यहां पर रह रहा हूँ, लेकिन अब वह जमाना आ गया है कि वक्तन-फ़वक्तन हम ऐसी बातों को दोहरा दिया करते हैं।

मेरे कुछ मित्रों ने मेरी तारीफ की कि मैंने इसमें सुधार किया तो मैंने सुधारा क्या, मैंने तो अपनी ड्यूटी अदा करने की कोशिश की है अगर सुधर जायेगा तो बाइ प्रोडक्ट है लेकिन असल बात तो यह है कि हम अपनी ड्यूटी अदा करें।

अगर बड़ी-बड़ी इमारत बना दें तो केवल उससे काम नहीं चलता वह तो डाक्टरों की सहृदयता से ही मसला पूरा हो सकता है। अगर हमने इमारत बना दी लेकिन डाक्टर ऐसा मिल गया कि मरीजों को देखते-देखते ही उसका पारा गरम हो गया तो फिर मरीज का और भी मर्ज बढ़ जायेगा। डाक्टर को तो पेशेन्ट होना चाहिये, शान्त होना चाहिये, उसमें हमदर्दी की भावना होनी चाहिये। मैं यह कहता हूँ कि यह सब बातें बहुत कुछ डाक्टरों पर

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

ही निर्भर हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज जो यहाँ पर डिबेट हुई है और जो सुझाव दिये गये हैं, उनसे सबक लेंगे और इस देश के नागरिक होने के नाते गरीब जनता और बीमारों की सेवा करेंगे। हम यह जानते हैं कि डाक्टर किसी को मरने से नहीं रोक सकता है। अगर ऐसा कर सकता तो उसके घर में बैठने की जगह ही नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी आखीरी वक्त तक वह सेवा करता रहता है। डाक्टर का कर्तव्य है वह मरीजों की सेवा करे। मैं समझता हूं कि हमारे सूबे के सभी डाक्टरों को हमेशा इस बात की चेष्टा करनी चाहिये कि वे जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सकें।

कन्हैया लाल जी ने आगरे के बारे में कहा, अगर वे मेरे पास भेजते तो मैं उस पर जरूर गौर करता, लेकिन उन्होंने बगैर किसी जाँच-पड़ताल के ही अपनी राय कायम कर ली। उन्होंने मुझे इस बात का मौका ही नहीं दिया कि मैं कुछ उसके बारे में इन्क्वायरी करता। शायद आपने ऐसा नहीं किया था।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—नहीं दिया था।

श्री हुकुम सिंह विसेन—आपने बगैर किसी इन्क्वायरी के राय कायम कर ली और कौंसिल के अन्दर कह दिया।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लेबिल तक इन्क्वायरी की थी।

श्री हुकुम सिंह विसेन—When there is fresh milk in the market, then what is the use of purchasing it here. मुमकिन है कि आप की यह राय गलत हो। बगैर तहकीकात किये हुये आपको यह बात इस माननीय सदन में नहीं कहनी चाहिये थी।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—I do not know any officer.

श्री हुकुम सिंह विसेन—But you named the Medical College, Agra an institution which is greater than the man himself. मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मेरे पास शिकायत आती तो मैं जरूर उसकी इन्क्वायरी करता और साबित हो जाने पर सजा देता। यह कह देना तो आसान है कि डाक्टर ने ऐसी दवा दे दी कि मरीज मर गया, लेकिन इसको साबित करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं श्रीमती जी से यह आशा करता हूँ कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगी। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आये, तो उस वक्त आप फिर एक प्रस्ताव इसी तरह का पेश कर दीजियेगा।

श्रीमती सावित्री श्याम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस प्रस्ताव के वादविवाद में हिस्सा लिया है, धन्यवाद देती हूँ। मैं समझती हूँ कि चाहे उनका किसी भी बात में अन्तर रहा हो, लेकिन सभी ने इसके उद्देश्य का समर्थन किया है और जो इस प्रस्ताव की भावना थी उसका स्वागत किया है। इस प्रस्ताव की यही मंशा थी कि सरकार मेडिकल सुविधाओं की ओर अधिक ध्यान दे। आज हम देखते हैं कि देहातों में अस्पताल तो खुले हुये हैं, उनमें दवा भी होती है और भी सुविधायें हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्तियों को उससे सुविधा मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती है।

माननीय कन्हैया लाल जी ने महिलाओं की तरफ इशारा किया। मुझे महिलाओं के बारे में बहुत कुछ कहना चाहिये था। लेकिन उनकी ओर से यह बात उठाई गई। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस विषय को एलोबरेट करके इसमें मेरी मदद की। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज महिला लेडी डाक्टरों की बहुत कमी है। गाँवों में तो ये क्या नजर आयेंगी, लेकिन शहरों के अस्पतालों में भी जहाँ उनकी पोस्ट क्रियेट की गई है, वहाँ पर भी वह पोस्ट खाली पड़ी रहती है। भवाली सेनीटेरियम में मैंने देखा। मैं तीन साल तक वहाँ की सदस्या रही हूं और मैं जानती हूँ कि वहाँ पर एक लेडी डाक्टर की पोस्ट दो वर्ष से खाली है। यहाँ पर स्त्रियाँ काफी संख्या में सेनिटेरियम में आती हैं और वहाँ पर आसपास के भी व्यक्ति इलाज कराने के लिये आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई लेडी डाक्टर नहीं है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करूँगी कि इस सम्बन्ध में वे जो भी उचित प्रबन्ध कर सकें, वह अवश्य करें।

मैं उनकी परेशानियाँ समझती हूँ और कम से कम उनकी इस बात की तारीफ करती हूँ कि जब से उन्होंने इस विभाग के पोर्टफोलियो को लिया है, तब से काफी सुधार हो गया है। उन्होंने जगह-जगह पर सरपराइज विजिट कर के उत्तर प्रदेश के सरकारी डाक्टरों में एक तरफ से भय उत्पन्न कर दिया है ताकि वे अपनी ड्यूटी का ठीक तरह से अन्जाम दे सकें। लेकिन मैं इस बात की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि शहर में सरकारी अस्पताल में जहाँ भी लडी डाक्टर की पोस्ट खाली हो, वहाँ वे उसकी नियुक्ति अवश्य करने की व्यवस्था करें। पहले तो बहुत ही कम लड़कियाँ डाक्टरी पास करके निकलती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वे पास करके निकल भी जाती हैं तो यह जरूरी नहीं है कि वे सरकारी नौकरी करें। तो इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि कोई भी विद्यार्थी चाहे वह लड़का हो या लड़की, डाक्टरी पास करने के बाद जब वह निकलता है, तो उनको ५ साल की कम्पलसरी सर्विस करनी चाहिए जिससे कि उनकी सेवा का इस प्रदेश को भी लाभ हो सके। डाक्टरी पढ़ने में काफी खर्च होता है। लेकिन अकसर होता यह है कि लड़कियाँ जब डाक्टरी पास कर लेती हैं, तो बहुतों की शादी हो जाती है और वे अपना प्रोफेसन छोड़ देती हैं और बहुत सी लड़कियाँ प्राइवेट प्रेक्टिस करने लगती हैं। इस तरह से इस प्रदेश को उनकी सेवाओं का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है।

इस प्रस्ताव को पेश करने से एक लाभ यह भी हुआ कि बहुत सी बातें जिनको मैं पहिले से नहीं जानती थी, उनको माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारे सामने रखा और इस तरह से मुझे माननीय सदस्यों द्वारा तथा मंत्री जी द्वारा बहुत ही लाभ हुआ। माननीय मंत्री जी ने यह भी बतलाया कि बहुत सी जगहों में आज नर्सेज और कम्पाउन्डर्स की ट्रेनिंग होती है। मैंने दो-तीन दिन गये बरेली अस्पताल में देखा जिस समय सुबह मरीजों की भीड़ लगी रहती है और वे अपने इलाज के लिये अस्पताल आते हैं, उसी वक्त असिस्टेंट सिविल सर्जन नर्सेज को पढ़ाते रहते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा नम्र निवेदन है कि जिन जगहों में नर्सेज तथा कम्पाउन्डर्स की ट्रेनिंग का इन्तजाम हो, वहाँ पर

[श्रीमती सावित्री श्याम]

इस तरह का इन्तजाम ऐसे समय पर होना चाहिये जिससे कि मरीजों को अपने को दिखलाने का अवसर मिल सके और उन्हें उस समय अपने इलाज के लिये उचित दवाई मिल सके। क्योंकि इस तरह से एक तरफ तो मरीजों की भीड़ लगी रहती है और दूसरी तरफ डाक्टर पढ़ाते रहते हैं, तो इससे बड़ा असन्तोष होता है और मरीजों की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। कम से कम इस प्रकार का प्रबन्ध हो कि जिन अस्पतालों में इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही हो, वहाँ पर समय का कुछ इस तरह से हेर-फेर कर देना चाहिये जिससे कि सुबह ७ बजे से ११ बजे तक टीचिंग का प्रबन्ध न होने पाये और उसके लिये कोई दूसरा समय निश्चित कर देना चाहिये।

लेकिन जहाँ तक प्रिन्सिपल की बात है कि हमारे यहाँ और मेडिकल कालेजों की स्थापना की जाय, तो मैं यह महसूस करती हूँ कि इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने हाउस के सामने इस तरह का प्रस्ताव रखा था। इसके लिये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनी परेशानियाँ बतलाईं। यह उनके लिये नामुमकिन है कि वे मेरे इस प्रस्ताव को बिल्कुल ठुकरा देते क्योंकि वे एक अच्छे वकील हैं। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, इसलिये उन्होंने बड़े अच्छे तरह से इस बात को यह कहकर काट दिया कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस बात की गुन्जाइश नहीं। खैर, कम से कम इस भावना की उन्होंने तारीफ की, इसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं और जब तक तीसरी योजना आयेगी और जमाना जैसा रंग बदलेगा, उसके अनुसार जैसी भी आवश्यकता होगी और सूबे की नीड्स होगी वह सामने आयेगी। इस वक्त एक जेनुइन नीड सभी लोग महसूस करते हैं कि डाक्टर्स और नर्सेज की बहुत कमी है, वह इस समय पूरी नहीं हो सकती। लेकिन मेरे लिये माननीय मंत्री जी का एक शब्द भी बड़े माने रखता है, उनकी परेशानी मैं महसूस करती हूँ और इसको वापस लेती हूँ। लकिन इसको वापस लेते हुये मुझे तकलीफ होती है। डाक्टर फरीदी और माननीय कन्हैया लाल जी ने कुछ दबे शब्दों में मुखालिफत की है, लेकिन इसकी आत्मा को उन्होंने जरूर सराहा है। इसके लिये मैं सदन को धन्यवाद देती हूँ।

श्री डिप्टी चेयरमैन—क्या हाउस की अनुमति है कि प्रस्ताव वापस लिया जाये।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया)।

डाक्टर भाटिया का संकल्प अगले गैर-सरकारी दिन के लिये स्थगित करने की प्रार्थना

श्री डिप्टी चेयरमैन—डाक्टर भाटिया का प्रस्ताव है, लेकिन उनका लेटर आ गया है जो इस प्रकार है—

"I am writing to say due to an urgent case outside the station, I shall feel most grateful, if you would kindly suggest to the House to postpone, the discussion of my Resolution to the next non-official day."

श्री डिप्टी चेयरमैन— क्या सदन की अनुमति है कि डाक्टर भाटिया का संकल्प अगले गैर-सरकारी दिन के लिये स्थगित किया जाय ?

(सदन की अनुमति से यह संकल्प स्थगित किया गया।)

श्री डिप्टी चेयरमैन— इसके बाद श्री बंशीधर शुक्ल का प्रस्ताव है।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा— वह भी मौजूद नहीं हैं।

संकल्प कि वृद्धावस्था में सरकार द्वारा पेन्शन की व्यवस्था की जाय

***श्री तेलू राम** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अपना प्रस्ताव हाउस के सामने पेश करता हूँ।

"यह सदन सरकार से अनुरोध करता है कि वह वृद्धावस्था के लिये पेन्शन (old age pension) के अन्तर्गत इस नियम को निर्धारित करे जिसके अनुसार :—

(क) ६० वर्ष से अधिक आयु वाली समस्त असहाय महिलाओं को उनकी प्रार्थना पर अनिवार्य रूप से पेन्शन दी जावे, तथा

(ख) वृद्ध मनुष्यों में हरिजन और हरिजनों में भी बाल्मीकियों को प्राथमिकता दी जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है वह ऐसा निर्दोष है जिसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती।। सरकार इस बात का दावा करती है कि वह समाजवादी सरकार है और बुड्ढे लोगों को पेन्शन देनें का क़दम, ऐसे बुड्ढे लोगों को पेन्शन देने का क़दम, जो कि बिना सहारे के हैं, सरकार का एक बड़ा उत्तम क़दम कहा जा सकता है। लेकिन यह उत्तम क़दम होते हुए भी, इसका जितना अधिक से अधिक प्रयोग हो सके, उतना ही समाजवादी व्यवस्था की ओर जाने का एक सबूत होगा। मैं समझता हूँ मेरा प्रस्ताव सरकार की इस नीति को सफल रूप में लागू करने के लिए है। मैंने इसमें दो माँगें की हैं कि स्त्रियों को ओल्ड एज पेन्शन देने की मियाद ६० वर्ष की होनी चाहिए और उसका कारण स्पष्ट है। यदि हम औसत आयु देखें तो स्त्रियों की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु से कम है। बहुत आँकड़े देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। उनकी चिन्ता, उनका बोझ पुरुषों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है, इसलिये मेरा कहना है कि उनकी उम्र की मियाद ७० के बजाय ६० वर्ष कर दी जाय। यह प्रस्ताव मैंने साल भर पहले भेजा था और उस समय ओल्ड एज पेन्शन के लिये नियम बन रहे थे। मैं चाहता था कि उस समय मैं यह प्रार्थना करूँ और सरकार इसको माने। ओल्ड एज पेन्शन का सही तब इस्तेमाल होगा जब स्त्रियों की आयु ७० के बजाय ६० वर्ष रख दी जायगी। ६० वर्ष से ७० वर्ष तक बहुत कम औरतें चलती हैं। मेरी इस बात को कि ६० वर्ष की आयु में पेन्शन दी जाय, यदि सरकार ने मान लिया, तो निःसहाय स्त्रियों को इससे बहुत सुविधा हो जायगी। इस तरह की व्यवस्था करने से स्त्रियों को लाभ पहुँच सकता है। इसलिये मैं सरकार से यह प्रार्थना करूँगा कि स्त्रियों की आयु ७० वर्ष की जगह ६० वर्ष कर दी जाय।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री तेलू राम]

प्रस्ताव के दूसरे खंड में मैंने यह रखा है कि वृद्ध मनुष्यों में हरिजन और हरिजनों में भी बाल्मीकियों को प्राथमिकता दी जाय। हरिजन और बाल्मीकी समाज का वह पिछड़ा वर्ग है जिसकी आर्थिक अवस्था बहुत कमजोर है। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग कहेंगे कि वह भेद नीति नहीं होनी चाहिये, लेकिन यह भेद नीति का प्रश्न नहीं। प्रश्न तो किसी चीज के औचित्य और अनौचित्य का है। सरकार ने हरिजनों के लिये रिजर्वेशन रखा और यह उचित भी है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको कुछ विशेष सहारा देकर आगे लाने का प्रबन्ध किया जाय। नौकरी में उनके लिये यह प्रबन्ध है, लेकिन आज चूँकि आर्थिक सहायता देने का प्रश्न है, इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि जब बाल्मीकी शारीरिक शक्ति से कमजोर हो जाते हैं, तो उनके पास ऐसा कोई धन नहीं होता है जिससे वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इसीलिये मैंने सरकार से प्रार्थना की है कि हरिजनों को और हरिजनों में विशेषकर बालमीकियों को यह सहायता दी जाय। जहाँ तक भंगी के काम का ताल्लुक है, महात्मा गाँधी ने इसकी इम्पारटेन्स समझी। वे सन्त महात्मा थे। हमारे देश का यह आध्यात्मिक गुण रहा है कि जब ऐसी दशा हुई तो कोई न कोई सन्त महात्मा उत्पन्न हो गया। महात्मा गाँधी ने बाल्मीकियों को वह दर्जा दिया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। बाल्मीकियों की सेवा आज समाज में सब से ऊँची सेवा कही जाती है। इसलिये उसका दर्जा मां से भी ज्यादा बड़ा है। माँ केवल अपने बच्चे का ही पाखाना उठाती है या और रिश्तेदार का उठा लेती है, लेकिन यह भाई सब का पाखाना उठाते हैं और उनका भी उठाते हैं जिनकी ओर कोई देख भी नहीं सकता है। इस तबके की ओर ध्यान सबसे पहले गान्धी जी ने दिया, इसलिये उनके लिये मेरी विशेष प्रार्थना यह है कि बाल्मीकियों को आप इस तरह से मदद करें और उनको ओल्ड ऐज् पेन्शन दें। बजट में सरकार चाहे जो रखे। लेकिन मैं इस तबके की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के इस समाजवादी व्यवस्था में भी हमारा जो आर्थिक ढाँचा है वह पूँजीवाद का साया है। जरूरत की चीजें जरूरत वाले को नहीं मिलती हैं बल्कि पैसे वाले को मिलती हैं। मैं और चीजों की ओर इशारा नहीं करता हूँ। परन्तु इतना कहना चाहता हूँ कि ओल्ड एज् पेन्शन उनको दी जाय। सरकार ने इस बात को रिअलाईज् किया है कि जो असहाय हैं वह भूखों न मरें। तो ऐसी हालत में बाल्मीकि भाई प्रिफरेन्स से मुस्तहक़ हैं। बहरहाल, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज की व्यवस्था में जिसके पास पैसा है उसको सब चीजें मिलती हैं और जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलती हैं और हमको यह देखना है कि ज़रूरत वाले को जरूरत की चीजें मिलें। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। मैं महसूस करता हूँ कि कुछ दिनों तक भाग्य और भगवान का भरोसा कह करके काम चला, लेकिन आज के विज्ञान के युग में जब कि सभी देश उन्नति कर रहे हैं भाग्य और भगवान से काम नहीं चल सकता। इसलिये मैं इस दूसरी बात को बड़ा महत्व देता हूँ और वह बड़ी आवश्यक है बशर्ते कोई बात अनडिज़ायरएबिल पैदा न हो और शान्ति कायम रहे। अभी आज के अखबार में एक भाषण आपने पढ़ा होगा जिसमें कहा गया है कि बाल्मीकि भाईयो तुम अपना पेशा छोड़ दो। मगर मजबूरी यह है कि पेशा छोड़ने से पहले रोटी चाहिये। यह कोई पसन्द थोड़े ही करता है कि वह

पाखाना उठाने का पेशा करे लेकिन उसका आल्टरनेट ही नहीं है इसलिये वह इसे करते हैं। अब यह बात दूसरी है कि मैं उनकी राय से इत्तिफ़ाक़ नहीं करता हूँ कि इस तरह की बातें हों। जो सबके अधिकार हैं वह साधारण जनता से हमेशा के लिये छीने नहीं जा सकते हैं। यह विज्ञान का युग है। अब हम भगवान और भाग्य के सहारे बैठे नहीं रह सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा यह प्रस्ताव सरकार की नीति का किसी प्रकार से विरोध नहीं करता है बल्कि उसका तो अनुमोदन ही करता है। दोनों बातें मेरी जो हैं वह मैं समझता हूँ जायज़ हैं। आज पुरुषों के मुकाबिले में स्त्रियों को सुविधा कम मिलती है। हरिजनों को प्रिफ़रेंस देना भी सरकार की नीति है। इन शब्दों के साथ मैं यह आशा करता हूँ कि सदन मेरी बातों का और मेरे प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—माननीय उपाध्याय महोदय, मैं श्री तेलू राम जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में यह संशोधन करता चाहता हूँ।

"संकल्प में से अंतिम पैरा (ख) निकाल दिया जाय।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रस्ताव का संबंध है मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। उन तमाम महिलाओं को जोकि असहाय रह जाती हैं उनको ६० वर्ष के ऊपर सहायता मिलनी चाहिये। जैसा कि माननीय सदन के सदस्यों को ज्ञात है कि अब भी सरकार की ओर से ७० वर्ष के ऊपर असहाय स्त्रियों और पुरुषों को सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। इस प्रस्ताव के द्वारा यह माँग की गई है कि स्त्रियों के संबन्ध में ७० की वजाय ६० कर दी जाय। मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों पहिले मुझको यह ज्ञात हुआ था कि स्त्रियों की आयु पुरुषों से अधिक होती है। लेकिन प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि नहीं, कम होती है।

दूसरी जो खास बात है जो इस संशोधन के संबन्ध में हैं, मैंने यह संशोधन इसलिये रख दिया है कि अगर इसका पहिला भाग स्वीकार हो जाता है, तो दूसरे भाग की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। जब इसमें ६० से ऊपर सब महिलाओं का जिक्र आ गया. अनिवार्य रूप से सबका आ गया तब हरिजनों और बाल्मीकियों का प्रश्न ही नहीं रह जाता है। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह भाग अनावश्यक है। इसीलिये मैंने इसको रखा है। माननीय प्रस्तावक महोदय शायद इस भ्रम में हैं कि मैं उनके प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूँ। बाल्मीकियों को प्राथमिकता दी जाय, मैं इस विचारधारा का विरोधी हूँ। इस प्रकार की विचारधारा हमेशा जातीयता की भावना उत्पन्न करती है। मैं देखता हूँ और जैसा कहा गया है कि बाल्मीकियों को वह अवसर नहीं प्रदान किया जाता है जो और लोगों को मिलता है। हमारे प्रजातंत्र में सबको समान अवसर प्राप्त है। हरिजन लोगों को, सबके समान होते हुये भी, विशेष सुविधा दी जाती है और इस तरह आप लोगों को अधिक सुविधा मिलती है। यह कहना कि कुछ लोगों को सुविधायें मिलती हैं और बाल्मीकियों को नहीं मिलती, यह गलत है और ऐसा नहीं होता है। ६० वर्ष की जो महिलायें हैं और जिनका कोई सहारा नहीं है, सब जरूरत-मन्द हैं। उन सबको पेन्शन मिलनी चाहिये। अभी एक बात यहाँ पर कही गई मैं उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। माननीय प्रस्तावक महोदय ने श्री जगजीवन राम के भाषण

[श्री प्रेम चन्द्र शर्मा]

का हवाला दिया और मैंने भी उसको पढ़ा है। ऐसा विद्वान और ऐसी ऊँची जगह पर रहने वाला व्यक्ति कैसे इतनी गैर जिम्मेदारी की बात कर सकता है कि अपने प्रजेन्ट काम से रिवोल्ट कर दो, इस तरह से समाज को विशृंखल करना है। इसमें उन्होंने भावुकता से काम लिया होगा। जबतक आप यहाँ के रहने वाले लोगों के लिये वैज्ञानिक सुविधायें प्रदान नहीं कर देंगे तब तक ऐसा करना ठीक नहीं है।

श्री डिप्टी चेयरमैन—किसी के स्टेटमेन्ट को यहाँ पर क्रिटिसाइज न करें। उन्होंने बाई दि वे कह दिया।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—भावना से जो चीजें होती हैं उस पर ध्यान देना चाहिये। साथ ही यह भी नहीं सोचा गया कि इस पेशे को तिलांजलि देने के बाद करोड़ों हरिजनों को सरकार कैसे खपायेगी। आजकल अक्सर यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कह दी जाती ह जिससे समाज में उथल-पुथल पैदा हो जाता है, समाज में भेद-भाव पैदा हो जाता है और इससे समाज का कोई हित नहीं होता है। इसलिये मैं अधिक न कहते हुये मूवर महोदय से प्रार्थना करूँगा कि आपका जो प्रस्ताव है उसमें से अन्तिम पैरा (ख) निकाल दिया जाय। इससे जो भावना पृथकता की है वह दूर हो जायेगी। इसके साथ मैं अपने संशोधन को रखना चाहता हूँ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे भाई साहब लाये हैं उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रस्ताव जो है यह हमारी सरकार के दया और प्रेम की भावना का दुरुपयोग करवाना चाहता है। पहले सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि जिन स्त्रियों की उम्र हमारे देश में ७० वर्ष है उनको सरकार पेन्शन देगी। माँगने को तो सभी जातियों के लोग पेन्शन माँग सकते हैं, यह तो नहीं है कि बालमीकि की स्त्री को मौका न मिले, तो फिर इसमें विशेषता की क्या बात है ? समाजवाद के माने यह तो नहीं है कि सब लोग एक से हो जायें। समाजवाद के माने हैं कि सब लोगों को समान अवसर मिले अपने को बढ़ाने का, अपना उत्थान करने का। इसके यह माने नहीं हैं कि कोई जाति पिछड़ी है तो विशेषकर सब सहायता उन्हीं को दी जाय और दूसरों को कुछ न मिले। जबकि हरिजनों के लिये हर तरह की शिक्षा, पढ़ाई की सारी सुविधायें सरकार दे रही है, तो फिर बार-बार यह कहना कि हम पिछड़े हैं, हमारा ज्यादा ख्याल किया जाय, यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने कहा कि यदि हमारी उन्नति नहीं होती तो काम करना छोड़ दो, मैं समझती हूँ कि उनके यहाँ भी उनके घरों में फ्लश होगा जबकि हमारे हिन्दुस्तान की उन्नति होगी, घर-घर में फ्लश लगेगा, तब इस बात की जरूरत ही न रह जायगी। तब यह पेशा हमारे देश से खत्म हो जायगा, खाली झाड़ू लगाने का काम रह जायगा। शायद उसके लिये भी कोई वैज्ञानिक मशीन निकल आये, तब उस वक्त यह परेशानी होगी कि सारा काम मशीन कर रही है, वे बेकार हो जायेंगे। मैं इन चन्द शब्दों के साथ-साथ यह कहती हूँ कि जो ६० वर्ष की उम्र है वह कोई अधिक नहीं है।

वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि स्त्रियाँ अधिक जीवित रहती हैं। अगर ६० वर्ष की उम्र में स्त्रियां पेन्शन लेने की मुस्तहक होंगी, तो मैं भी पेन्शन लेने की मुस्तहक हो गई हूँ। खास तौर से जोकि मजदूर पेशा औरतें हैं, उनको काम करने की ज्यादा आदत होती है। ६० वर्ष की उम्र में ऐसा नहीं होता है कि वे बिलकुल बेकार हों और काम न कर सकें। हम हरेएक को शरणार्थी बनाना चाहते हैं। यह स्वावलम्बी बनने का तरीका नहीं है। हमारा तो उद्देश्य है कि हमारा देश स्वावलम्बी बने। सब कुछ सरकार करे, इसका क्या मतलब है ? अगर हर स्त्री को सरकार पेन्शन दे दे तो सरकार को टैक्स लगाना पड़ेगा, फिर उसके लिये हाय तोबा मचेगी। तो इन सारी चीजों को सोचना चाहिए। हमें अपने देश की सेवा करनी है। हमें अपनी सेवा करनी है। अपने नागरिकों की सेवा करनी है। हमें यह भावना लोगों में पैदा करनी चाहिए, न कि यह भावना लोगों में पैदा करें कि हर चीज में सरकार हमारी मदद करे। हमें ऐसी भावना लोगों में पैदा करनी चाहिए कि लोग स्वयं अपनी कोई ऐसी संस्था बना लें जैसा कि दूसरे देशों में होता है कि रिच पीपुल दान देकर या धर्म खाते के नाम पर एक ऐसी संस्था बना लेते हैं जिससे असहाय स्त्रियों को या लावारिस स्त्रियों को, जो काम नहीं कर सकती हैं, वहाँ से सहारा मिले, उनकी परवरिश हो। इसमें हमारे देश की भी शान होगी। वहाँ हमारे देश की शान होगी, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी भी शान होगी तथा हमारे देश का मान बढ़ेगा। हां, हमारे देश के बहुत से लोग समाज सेवा कर रहे हैं और उन्होंने समाज के लिये अपना धन देकर काफी संस्थायें बना दी हैं जोकि सरकार से मदद न लेकर खुद बखुद चल रही हैं और जो देश के निराश्रय लोग हैं उनकी सहायता कर रहे हैं। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को आवश्यक नहीं समझती हूँ।

श्री शिव नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव तेलू राम जी ने उपस्थित किया है मैं उस प्रस्ताव की भावना का कद्र करते हुये अपने मित्र को यह सचेत कर देना चाहता हूँ कि वी आर लिविंग इन ए ग्लास रूम। ग्लास रूम अपनी शक्ल तो देखता है लेकिन उसको और नहीं दिखाई देता है। मैं साफ कहना चाहता हूँ और अपने प्रदेश की सरकार की तारीफ करना चाहता हूँ कि उसने सर्वप्रथम अपने प्रदेश में एक समाज कल्याण विभाग खोल कर अपना नाम ऊंचा किया है। हमारे यहाँ ही सर्वप्रथम समाज कल्याण मंत्रालय स्थापित किया गया है और एक मंत्री भी नियुक्त किये गए ह। आज हम इस ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं अपने मित्र को यह सचेत करना चाहता हूँ कि वे भावुकता में आकर ऐसा प्रस्ताव लाये हैं और मैं इस बात के लिए शर्मा जी की बात का समर्थन करता हूँ। मैं उस समाज को यहाँ पर रेप्रिजेन्ट करता हूँ। अगर आप उसको यह समझते हैं कि वह दलित है तो ऐसी बात नहीं है और वह इतना दलित नहीं है जितना आप समझते हैं। आप उनके बच्चों को शिक्षा दीजिए। उनको आप भिखमंगा न बनाइए। जो हमारे विद्यार्थियों को रुपया मिल रहा है वह कम है लेकिन जितना सरकार दे रही है वह अपने ताकत के अनुसार ही दे रही है। मान्यवर, हिन्दुस्तान और इंगलैंड दोनों देशों में इस समय डेमोक्रेटिव सरकारें चल रही हैं और इन देशों में अच्छी तरह से डेमोक्रेसी काम कर रही है। लेकिन इंगलैंड के

[श्री शिव नारायण]

आदमी स्ट्रांग हैं और हम इण्डियन वीक हैं। इंगलैंड में हर एक चीज समाज कर रहा है। अगर सोसाइटी अपने को कमजोर समझती है और सरकार का भरोसा चाहती है तो वह एक अभिशाप है और कहता हूँ कि इतिहास का विद्यार्थी इसको अच्छी तरह से समझ लें कि यह एक खतरे की घंटी है। हम को चाहिए कि हर एक आदमी बलवान बने, शक्तिशाली बने और चरित्रवान बने। मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। हमारे गुरु कन्हैया लाल जी कहा करते थे कि साढ़े पाँच फीट लम्बा इन्सान हो तो वह अपने कन्धे पर बन्दूक रख कर देश की रक्षा कर सकता है। आज हम को साढ़े पाँच फीट लम्बे आदमी चाहिए जोकि अपने माँ-बाप की बुढ़ापे में सेवा कर सकें। यही हमारे देश का आदर्श रहा है। आज हमारी मातायें भी कह रही हैं कि इस प्रकार का प्रस्ताव क्यों लाया गया है। पेन्शन के लिए तो सरकार ने भी नियम बना रखा है कि ७० वर्ष से अधिक जिनकी आयु है और कोई बाल-बच्चे सहारे के लिए नहीं हैं, उनके लिए सरकार ने भी अपना खजाना खोल रखा है। माननीय तेलू राम जी भी अपने यहाँ की लिस्ट दें। शर्मा जी ने जो यह कहा है कि इससे एक क्लास वार शुरू हो जायेगी तो वह ठीक है। हरिजनों में भी बाल्मीकियों को ही क्यों आपने रखा है। मैं कहता हूँ कि यह तो ब्लफ है। हम सावधान हों। मैं उन्हें यह सचेत करना चाहता हूँ कि अब यह झगड़ा चलने का नहीं है। आज इस देश में वर्गहीन समाज की स्थापना करने का संकल्प काँग्रेस की आइडालाजी ने रखा है। सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना करने का ध्येय हमारे सामने है। मान्यवर, आज जरूरी है कि दिल की सफाई हो, खाली बातें करने से काम चलने वाला अब नहीं है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ भला। सेवा का मैदान बड़ा विस्तृत है, मान्यवर, हमारे सूबे में सोशल वेलफेयर विभाग कायम हुआ है। उसके मिनिस्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े नौजवान हैं, बड़े योग्य व्यक्ति हैं, हम उनसे आशा करते हैं कि वे इस तरह के भेदभाव को मिटाने का पूरा निश्चय करेंगे।

रेजोल्यूशन ऐसा होना चाहिये जोकि गवर्नमेंन्ट के दिमाग से अगर कोई चीज मिस हो गई है तो जिस चीज की ओर सरकार का ध्यान न हो उस ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिये ही प्रस्ताव लाये जाते हैं, जैसा कि पहले वाला रेजोल्यूशन आया है, उसमें नयी-नयी चीजों को इन्ट्रोड्यूस करने का सुझाव दिया गया है और सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि सरकार उस ओर ध्यान दे। मान्यवर, मैं अपने मित्र को सचेत कर देना चाहता हूँ कि आज समाज में विषमता पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। यह खतरे की घंटी है। मान्यवर, आज समाज में मेल कराने की आवश्यकता है, आवाज उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि फारेन कन्ट्री से लोग आते हैं और क्या-क्या कह जाते हैं, मेरे मित्र ने एक बड़े आदमी का नाम लिया, जब स्टेज पर आते हैं मान्यवर तो वह भूल जाते हैं कि मुझे क्या कहना चाहिए। सेल्फ कन्ट्रोल आज हमको सीखना चाहिये। मान्यवर, यह बताना कि मशीनें यहाँ पर इन्ट्रोड्यूस होने वाली हैं। इन मशीनों ने तो हमको नपुन्सक बना दिया है। मान्यवर, हम उसके भरोसे बैठे रहते हैं एक घंटा उस काम के लिये खुद नहीं बैठ सकते हैं। मैंने मई के महीने में खेतों में काम किया है मान्यवर, रेतीले मैदानों में काम किया तो मैं उनसे प्रार्थना करना

चाहता हूँ कि आप देश की मदद कीजिये। आप दानियों से कहिये कि वे दान दें। यहाँ पर दानियों की कमी नहीं है मान्यवर, हमारे भारत में कर्ण जैसे दानी व्यक्तियों की मिसाल हैं जिन्होंने देश के लिये सर्वस्व दे दिया। मैं फारेन कन्ट्रीज से लौटा हूँ मान्यवर, कैसे वहाँ पर गरीब से गरीब आदमी काम करते हैं। आज हमारी भावना यह होनी चाहिये कि किसान को कैसे फायदा पहुँचे, इसकी जरूरत होनी चाहिये। एक बड़े आदमी ने मुझ से कहा कि जमीनदारी तो आपने खत्म कर दी है अब जो पूंजीपति लोग हैं उनकी ओर ध्यान होना चाहिए। तो मेरा कहना तो यह है कि यह बटवारा होना चाहिये मान्यवर, तभी हमारे देश में राम राज्य की स्थापना हो सकेगी। यह नहीं कि हृदय नारायण सिंह जी यह समझें कि मैं तो ठाकुर हूँ या मैं यह समझूं कि मैं तो दबा हुआ हूँ। हमको सबको बराबर करना हैं। मैं जानता हूँ कि इस देश में राजा हरिश्चन्द्र जैसे व्यक्तियों ने अपने को जब डोम के घर बेचा है, तो उस समय सभी लोग धन धान्य से परिपूर्ण थे। मनु भगवान की डिवीजन आफ वर्क की बात को मैं नहीं कह सकता कि वहाँ पर कितने लोगों में इस तरह की भावना है। आज तो मान्यवर, एक आदमी जो प्रोफेसर ह, चाहता है कि खेती भी करूं, कोई दूकान भी लगाऊं, तो इस तरह से देश का भला नहीं होने वाला है। जो बात शर्मा जी ने कही है वह सही है। इस तरह की भावना रोग पैदा करने वाली है। उनका कहना है कि हमको ऐसा रास्ता अपनाना चाहिये जिससे समाज को सही सलाह मिल सके। हम जो बाहर नारा लगाते हैं उसको हमें पूरा करना चाहिये। हमारे भारत ने एक बहुत बड़ा आदमी पैदा किया है जो सारे संसार का नेता है और सारा संसार उसके पीछे चलने को तैयार है। हमको पंचशील की तरफ जाना चाहिये। हमको सत्य के ऊपर अटल रहना चाहिये।

श्री हृदय नारायण सिंह—पंचशील क्या है ?

श्री शिव नारायण—आप हमारा इम्तिहान ले रहे हैं ?

श्री डिप्टी चेयरमैन—आपको बोलते हुये १५ मिनट हो गये हैं। आप एक मिनट और बोल सकते हैं।

श्री शिव नारायण—यह जो प्रस्ताव है, इसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन इस प्रस्ताव में जो बात कही गयी है, वह सरकार ने कर रखा है। इसलिये मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। शर्मा जी का जो अमेन्डमेन्ट है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रस्ताव वापस ले लिया जायेगा।

* **श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—जनाब वाला, हमारे हाउस की यह परम्परा है कि रेज्योलूशन पेश किये जाते हैं और फिर वापस ले लिय जाते हैं। मुझे डर है कि कहीं यही हाल इसका भी न हो। यहाँ पर जो ख्यालात जाहिर किये गये हैं, उनमें से कुछ की मैं ताईद करता हूं। यहाँ पर औरतों के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं इसको नहीं समझ पाया हूं कि औरतों की उम्र ज्यादा होती है। मुझे अभी तक तो इस बात का तजुर्बा नहीं हुआ। आजकल हमारे सेन्ट्रल के मिनिस्टर श्री जगजीवन राम साहब यह नारा लगाते हैं कि मेहतरों से काम मत लो। अपने आप अपने घर

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

को साफ करो। यह सोचने की बात है कि यह कहाँ तक सही है। हमको किसी चीज को प्रेक्टिकल तरीके से देखना चाहिये। उसके बाद ही उस पर किसी किस्म की राय कायम करनी चाहिये।

इस रेज्योलूशन से जो हमारी अमली बात काँग्रेस के सामने है और जो हमारी आने वाली जिन्दगी चल रही है, उसमें यह पूरा हो जाता है। वह उनको जरूर मिलेगा और मैं अपने आनरेबुल मेम्बर को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अभी इस रेज्योलूशन के सम्बन्ध में बड़े ऊंचे ख्याल जाहिर किये। इस तजुर्बे की बिना पर जो हमें मिलेगा या आज तक मिला है, वह ठीक है। लेकिन इसमें वह उसूल जो गाँधी जी ने उठाया था और इस गवर्नमेंट ने तथा काँग्रेस ने उसे झंडे के नीचे रह कर पूरा करना अपना फर्ज समझा था, वह पूरा नहीं होता है। यह वह तबका है जिसके लिये इस गवर्नमेंट ने काफी काम किया है। यहाँ पर डिप्टी मिनिस्टर साहब मौजूद हैं और वे भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। यह कहना कि काँग्रेस गवर्नमेन्ट ने उनके लिये कुछ नहीं किया, तो मैं इसकी मुखालिफत में हूँ। यह गवर्नमेंट तो हमेशा इनके लिये करती रही। जहाँ तक रेज्योलूशन के पास करने का सम्बन्ध है, उसमें मेरी राय है कि आप गुफ्तगू कर लीजिये और इसमें यह बात नहीं होनी चाहिये कि यह तबका ऐसा है कि इनकी जिन्दगी बर्तन माँजने से खराब हो जायेगी। यह रेज्योलूशन तो बाद में वापस होगा ही, इसलिये इसे तो वापस ले लिया जाय, लेकिन इसके पीछे जो भावना है गवर्नमेंट उस पर ख्याल करे। गवर्नमेंट को चाहिये कि वह ऐसी भावनाओं को क्रियेट करे जिससे हमारे किसी भी तबके में इस तरह की बात न आने पावे कि वे अपना काम करने से ही मुंह मोड़ें। इस तरह से तो जितने मेहनत करने वाले तबके हमारे यहाँ हैं, उनमें काम करने के लिये एक गलत रुझान पैदा हो सकती है। वे काम न करें, स्ट्राइक करते रहें, तो यह किसी तरह से भी ठीक नहीं है। आज हमारे भंगी सफ़ाई का काम न करें, धोबी कपड़े न धोयें, कहार बर्तन न साफ करें और प्रेस के मजदूर काम करना छोड़ दें तो इस तरह से देश का लाभ नहीं हो सकता है। अगर एक हफ्ते भी इस तरह से सभी काम बन्द हो जाते हैं, तो इससे हमारे देश को जितना नुकसान होता है। इस तरह से सड़कों में कूड़ा भर जायेगा और नालियाँ गन्दी ही पड़ी रहेंगी। इस तरह का रुझान पैदा हो जाना ही बहुत गलत बात है। काम करने से कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन काम न करने से फिजा खराब हो जाती है और जिस तरह की बात श्री जगजीवन राम जी कहते हैं, और जो ख्यालात जाहिर करते हैं उससे तो लोग निकम्मे हो जायंगे। इस तरह से लोगों में गलत भावनायें पैदा करना ठीक नहीं है। आप इस तरह की बात एवान के सामने लाये हैं, तो इसे आपको बाद में वापस करना पड़ेगा, इसलिये मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि आप इस प्रस्ताव को वापस ले लें और इसमें आसान तरीके से गुफ्तगू करके इसे तय कर लें, तो यह ज्यादा अच्छा होगा।

श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री तेलू राम जी के संकल्प का जो पहला हिस्सा है, कि ६० वर्ष की आयु की स्त्रियों को पेन्शन दी जाय, उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूँ। मैंने यहाँ पर कई भाषण सुने और जहाँ तक तेलू राम जी के संकल्प का सम्बन्ध है कि स्त्रियों को

पेन्शन दी जाय, उस सम्बन्ध में यहाँ पर कोई भाषण नहीं हुये । पेन्शन कोई दया की चीज नहीं है । सरकार का यह पहला कर्त्तव्य होता है कि वह वृद्ध लोगों को पेंशन देकर उनकी आजीविका की समस्या हल करे और स्त्रियों के सम्बन्ध में तो लोगों का यह गलत ख्याल है कि सिर्फ मजदूर वर्ग की स्त्रियों को पेन्शन की आवश्यकता है । मैं एक मध्यम श्रेणी की स्त्री हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उच्च वर्ग की स्त्रियों को भी पेन्शन की आवश्यकता पड़ जाती है । हमारे यहाँ शिक्षित स्त्रियों की संख्या कोई बहुत अधिक नहीं है । अब भी जो शिक्षा है वह दाल में नमक के बराबर है और जो पहले ज़माने में सम्भ्रान्त घरों की स्त्रियाँ होती थीं वह तो घरों के बाहर भी नहीं निकलती थीं । आजकल की पढ़ी-लिखी लड़कियाँ तो घरों से बाहर निकलती हैं । इसलिये इनकी पेंशन का, जब यह बुड्ढी होंगी, कोई प्रश्न नहीं उठेगा । पर आजकल की वृद्धा स्त्रियाँ जो असहाय हैं या दुर्भाग्य से जिनके परिवार में कोई पालन-पोषण करने वाला नहीं हैं उनकी जीविका का बहुत बड़ा प्रश्न है । इसलिये मैं कहती हूँ कि तेलूराम जी हमारे बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस संकल्प को यहाँ पर रखा है, हालांकि यह मैं जानती हूँ, जैसे और संकल्प वापस ले लिये जाते हैं उसी तरह से यह संकल्प भी वापस हो जायेगा । लेकिन मैं पुनः कहूँगी कि आज सम्भ्रान्त घरानों की वृद्धा स्त्रियों के लिये बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित हो गया है क्योंकि वह घर से निकल कर न तो किसी के यहाँ चौका बर्तन कर सकती हैं और न खाना बना सकती हैं । ६० वर्ष की आयु होने पर स्त्रियाँ बहुत ही असमर्थ हो जाती हैं । यह दूसरी चीज है कि आयु किसकी ज्यादा होती है । यह विवादास्पद चीज है । लेकिन जो स्त्रियों की सही स्थिति है वह यह है कि बेचारी अगर बुढ़ापे में बीमार पड़ जाती हैं तो दवा-इलाज भी नहीं हो पाती, कोई नजदीक का रिश्तेदार भी उनकी परवरिश के लिए तैयार नही होता।

जब लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का दावा हमारी सरकार करती है कि वह असहाय स्त्रियों के लिए ६० वर्ष की आयु से ही पेंशन के लिए प्रबन्ध करे। मैं स्त्रियों के पेन्शन के इस प्रस्ताव का जो समर्थन कर रही हूँ इसमें दया का कोई प्रश्न नहीं है। हमारी बहन शिवराजवती जी ने जो यह बात कही है कि कुछ पूंजीपति इस काम को क्यों न करें, सरकार क्यों करे, इसमें तो दया की भावना आ जाती है। लेकिन सरकार जब करती है तो उसमें किसी प्रकार की दया की भावना नहीं रहती, यह तो स्त्रियों का उस पर क्लेम है । वैसे मैं इस बात की कायल हूँ कि हर एक स्त्री व पुरुष को कार्य करना चाहिए अगर शरीर में शक्ति और योग्यता है । क्योंकि किसी पर आश्रित होना बड़े दुर्भाग्य की बात है ।

७० साल से अधिक के स्त्री-पुरुषों के लिए जो पेंशन रखी गई है उसके बारे में भी थोड़ा-बहुत अनुभव मुझे हुआ है। पेंशन की योजना अवश्य है लेकिन साधारण स्त्री-पुरुष बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनको भटकना पड़ता है । जिनकी सिफ़ारिश है, ऊंची पहुंच है, उन्हीं को पेंशन मिलती है । इसमें मैं चाहती हूँ सुधार हो । जब तक सुधार नहीं होता तब तक कागज़ी कार्रवाई से कोई लाभ नहीं होता ।

[श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव]

प्रस्ताव का जो (ख) भाग है हरिजनों से सम्बन्धित, उसके सम्बन्ध में बड़ी गर्मा गरम बातें हुई हैं। मैंने भी यह सोचा था कि इसका विरोध करूँ लेकिन मैं उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहती। हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सवर्ण, अछूत का कोई प्रश्न यहाँ उठता नहीं। जो असहाय हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए चाहे वह ब्राह्मण हो या बाल्मीकी हों। हमारे यहाँ जातिवाद का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यह खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। जिस तरह से हिन्दू-मुसलमान के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान बन गया वैसा ही खतरा पैदा हो गया है। पहले मद्रास में अछूतों को बुरी निगाह से देखा जाता था, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं थी। अगर अछूत आगे बढ़ रहे हैं तो यह खुशी की बात है। हमारी सरकार को चाहिए कि वह उनको हर एक क्षेत्र में मौका दे, कुछ प्रावीडेन्ट फंड की व्यवस्था हरिजनों के लिए करे। पेंशन देना तो ठीक है लेकिन यह कि बाल्मीकियों के ही लिए दी जाय यह मैं ठीक नहीं समझती हूँ। हमें जातिवाद का नारा समाप्त करना है। हम भारतीय हैं और भारत के नागरिक हैं यह भावना लेकर चलना है और जो अधिकार हों वह लें और अगर असमर्थ हों तो हमारा क्लेम भी है कि हम उनको सरकार से लें। इन शब्दों के साथ मैं संकल्प के प्रथम खंड का समर्थन करती हूँ और दूसरे खंड का विरोध करती हूँ।

श्रीमती सावित्री श्याम—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री तेलू राम ने जो प्रस्ताव रखा है मैं समझती हूँ कि कोई बहुत तीव्र भावना उनके हृदय में रही होगी जिसने उन्हें महिलाओं की और बाल्मीकी भाइयों की भलाई के लिये ऐसा प्रस्ताव लाने पर विवश किया लेकिन म उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हूँ। मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिये यह एक कलंक है। मैं नहीं समझती हूँ कि शकुन्तला बहन ने इसका समर्थन कैसे किया कि ६० वर्ष की महिलाओं को पेन्शन मिलनी चाहिये। जो महिलायें मिडिल क्लासेज् की हैं या जो गाँवों में रहती हैं वह अच्छी खासी हृष्ट-पुष्ट हैं और वह अपने कार्य को चलाती हैं। यू० पी० की महिलाओं के लिये यह एक कलंक की बात है कि वह सरकार से इस तरह की गिड़गिड़ाहट की बात करें। दूसरे देशों में इस तरह के लेजिस्लेशन बन रहे हैं कि पेन्शन दी जाय, हेल्थ का प्रबन्ध किया जाय, एजूकेशन का प्रबन्ध किया जाय। तो इसी तरह से यह कोई दया की बात नहीं है कि हमको यह दिया जाय या यह पेन्शन दी जाय। जहाँ पर ओल्ड एज पेन्शन की व्यवस्था है वहाँ कन्ट्रीब्युटरी फन्ड भी स्थापित करें। उनके लिये एक कम्पलशन होना चाहिये जो प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ और शिक्षा के काम में लाया जा सके।

सरकार ने ओल्ड एज पेन्शन के लिये जो प्रगतिशील कदम उठाया है वह तो ठीक है लेकिन इस सिस्टम में गल्तियाँ हैं वह दूर होनी चाहिये। जो पुरानी प्रणाली है वही मैं अब भी पाती हूँ। चाहिये तो यह था कि जैसे इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में अपना नाम जाकर दर्ज कराते हैं उसी तरह से इस बात के लिये भी एक मशीनरी बनती और लोग अपना हवाला देते, मगर ऐसा नहीं होता है। ओल्ड एज पेन्शन तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की मरज़ी पर रहता है। गाँवों में इसके लिये रिश्वतें ली जाती हैं तो एक तरफ से काम हम अच्छा करते

हैं और दूसरी तरफ करप्शन पैदा करते हैं। यह ठीक है कि ७० साल वालों के लिये पेन्शन की व्यवस्था की गई है, इसमें किसी प्रकार के क्लासीफिकेशन स्त्री और पुरुष के बीच में करने की बात नहीं है और न महिलाओं के लिये विशेषाधिकार की आवश्यकता है।

मैं श्री शिव नारायण जी को बधाई देती हूँ कि बैकवर्ड क्लास के सदस्य होते हुये उन्होंने अपने आप को अच्छी तरह से रखा। जहां तक बैकवर्ड क्लास के लिये प्रीविलेजेज देने की बात है, यदि इस तरह से दिये जाते रहे, तो वह उन्नति नहीं कर सकते हैं। उन्नति तभी कर सकते हैं जब उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट का माद्दा पैदा होगा। इस तरह के प्रीविलेजेज् उनके अन्दर से आत्मसम्मान को गिरा रहे हैं। नौकरी में रिजर्वेशन, ऐलेक्शन में रिजर्वेशन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकते हैं. यह ठीक है संविधान में उनको सुविधा दी गई है।

श्री डिप्टी चेयरमैन—आपका ५ मिनट का टाइम खत्म हो गया है।

श्रीमती सावित्री श्याम—वन मिनट मोर।

सुविधायें मिलते-मिलते १० वर्ष बीत गये पर वह आत्मनिर्भर नहीं हो पाये। अभी पी० सी० एस० का रिजल्ट निकला उसमें १९५ के बाद ३०५ नम्बर लिया गया सिर्फ इसलिये कि उसने क्वालीफाई किया था। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर एक कमी महसूस होती है। आज तो सबको समान अवसर प्राप्त हैं, वह अपनी उन्नति करे। इसलिये मैं इस भावना की कदर करते हुये भी इस प्रस्ताव का मुखालिफत करती हूँ।

***श्री बनवारी लाल**—(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रस्तावक महोदय के प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करता हूँ और अक्षरशः उन्होंने अपने प्रस्ताव के बारे में जो बातें बताईं, उसका भी समर्थन करता हूँ और दोनों खंडों का भी मैं समर्थन करता हूँ।

ऐसा लग रहा कि इस प्रस्ताव के संबंध में कुछ गलतफ़हमी है। यह एक सीधा सादा प्रस्ताव है। जैसा कि उन्होंने बताया कि मैंने उस वक्त यह प्रस्ताव पेश किया था जब पेन्शन की स्कीम सरकार ने कार्यान्वित नहीं की थी। इसमें शक नहीं कि इस प्रस्ताव में सरकार की बुराई या आलोचना का संबंध नहीं है बल्कि एक माने में हमारी सरकार प्रशंसा के योग्य है और शायद सारे देश में यह पहला सूबा है जिसने ओल्ड एज् पेन्शन देने की बात सोची और इसे कार्यान्वित किया। तेलू राम जी की मंशा यह है कि जो कायदे कानून ओल्ड एज् पेन्शन के देने के हैं, उसमें इस तरह से एडजेस्टमेन्ट किया जाय। वह चाहते हैं कि ७० वर्ष की अवस्था पर जो असहाय हैं, जिनका कोई नजदीकी रिश्तेदार नहीं है जो देखभाल कर सके, यह पेन्शन उनको मिलनी चाहिये। यह प्रायरटी की बात है जो तेलू राम जी ने रखी। सरकार ने ७० वर्ष की अवस्था वालों के लिये पेन्शन निर्धारित की है। तेलू राम जी चाहते हैं कि पुरुषों के लिये ७० वर्ष ही रहे, लेकिन महिलाओं के लिये ६० वर्ष कर दी जाय। इसमें कोई भीख माँगने या सरकार पर निर्भर होने की बात नहीं है। ओल्ड ऐज पेन्शन की योजना सरकार ने स्वीकार ही कर ली है। हमारे और आपके

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया

[श्री बनवारी लाल]

समाज ने इसे स्वीकार कर लिया है, दूसरे देशों की बात जाने दीजिये। ऐसी हालत में यदि कोई निराश्रित स्त्री है और वह ६० वर्ष की है तो उसको पेन्शन मिलनी चाहिये।

उसके अलावा ऐसा लगता है कि इस प्रस्ताव के बारे में कुछ ग़लतफ़हमी हो गई है। यह समझा जा रहा है कि कोई भी दरख्वास्त आ जायेगी और उसे पेन्शन मिल जायगी। आखिरकार इसके लिये एक फंड अलाट होता होगा और उसके मुताबिक अधिक ज़रूरतमंद लोगों को पेन्शन मिलती होगी। अगर वह सब को मिल सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब सबको नहीं मिल सकती है तो प्रायरिटी होगी। अगर सबको देते हैं तो बहुत अच्छा है। तब तो मैं श्री तेलू राम जी से कहूँगा कि वह इस प्रस्ताव को ही वापस ले लें। इसमें उन्होंने दो तरीके से प्रायरिटी दी है। उनका कहना है कि महिलाओं को जो ६० से ऊपर हैं पेन्शन मिलनी चाहिये। यह कोई हीन भावना से उन्होंने नहीं कहा है। We are simply paying a tribute to the motherhood. अगर उन्होंने यह कहा है कि स्त्रियों को इसमें प्रायरिटी दी जाय, तो वह किसी हीन भावना से कहा हो ऐसी बात नहीं है न उनको भिखारिणी बनाने के ख्याल से ही ऐसा कहा है। वह स्त्रियों और मर्दों में कोई फ़र्क़ भी नहीं करना चाहते हैं। मदरहुड की जो भावना है, उससे प्रेरित होकर ही उन्होंने यह बात कही है। इसी नाते से यह प्रस्ताव आया है। यही बात हरिजनों के बारे में भी लागू होती है। मेरा ख्याल ऐसा है कि यहाँ पर भी तेलूराम जी हरिजनों को किसी तरह से हेय दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, न उनको वैसा बनाना ही चाहते हैं। उनकी मंशा केवल यही थी कि हरिजनों का जो इतना मतभेद रहा है और वह सप्रेस्ड रहे हैं, उनके लिये हमको कुछ ऋण चुकाना चाहिये। हरिजनों में भी बाल्मीकी जो हैं उनकी हालत सबसे खराब है। तो इसमें यही कहा गया है कि पहले बाल्मीकी को दो फिर और लोगों को।

जहाँ तक जग जीवन राम जी की बात है।

श्री डिप्टी चेयरमैन—आप श्री जग जीवन राम जी की बात को यहाँ नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं।

श्री बनवारी लाल—मैं उनकी बात को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, उसका समर्थन कर रहा हूँ। बड़े लोगों ने, महात्मा गाँधी वग़ैरह ने भी इस बात की कोशिश की कि मेहतरों के दिमाग़ से हीन भावना निकल जाय और लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन उनको यह लग रहा है कि शायद यह जो मेहतरों का काम है वह ऐसा है कि इसी के कारण हम लोग समाज में अच्छी जगह नहीं पा रहे हैं। इसीलिये शायद उन्होंने कहा है कि अगर समाज इस पेशे के कारण उनको बराबरी का स्थान नहीं देता है, तो वह उनको छोड़ दें। मैं भी जब हरिजनों में काम करने जाता हूँ, तो मैं समझता हूं कि कोई उनकी विचार धारा को नहीं बदल सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव की दोनों बातों का समर्थन करता हूँ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—मान्यवर, मैं और शायद आप भी इस माननीय सदन के आभारी हैं कि इस प्रस्ताव के द्वारा हमारा ध्यान वृद्धावस्था पेन्शन योजना की ओर आकृष्ट किया, साथ ही प्रस्ताव पर बोलते समय पेंशन से लेकर पंचशील तक की

बातें सुनने को मिली । श्रीमान् मुझे तो जो कुछ कहना है वह मैं केवल पेंशन के बारे में ही कहूँगा । अभी श्री बनवारी लाल जी से यह सुनने को मिला कि यह प्रस्ताव माननीय तेलू राम जी ने तभी भेजा था जबकि वृद्धावस्था की पेंशन योजना भी चालू नहीं हुई थी। मुझे अभी-अभी आपके कार्यालय की कृपा से वह भी मालूम हुआ है कि श्री तेलू राम जी का प्रस्ताव ६-६-१९५७ को आया था और ऐडमिट हो गया था ।

मैं आपके द्वारा श्री बनवारी लाल जी से भ्रम को दूर करना चाहता हूँ क्योंकि वृद्धावस्था की पेन्शन की जो योजना है इसका ऐलान माननीय वित्त मंत्री ने १९५७-५८ को वित्त वर्ष की बजट योजना में किया था कि हम इसके लिए २५ लाख रुपया रख रहे हैं और इसको हम इस पर खर्च करेंगे और बुड्ढों को पेन्शन देंगे जिनकी उम्र ७० वर्ष की होगी । मुझे आशा है कि उनका भ्रम दूर हो जायेगा । मान्यवर, मैं उस सिलसिले में नहीं जाता कि उन्होंने कब यह कार्य शुरू किया था पर मुझे इस बात से चिढ़ नहीं है कि उन्होंने भी इस पर काफी ध्यान दिया । किसी योजना के सम्बन्ध में कोई दूसरी राय आये तो अच्छा है । प्रजातंत्र का आधार है कि हर चीज के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न राय सामने आती रहे इसलिये मैं सरकार की ओर से श्री तेलू राम जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना विचार इस सदन के सम्मुख उपस्थित किया ।

मैं एक-दो बातें इस योजना के सम्बन्ध में आपके द्वारा सदन की सेवा में उपस्थित करना चाहता हूँ । पहला यह है कि पेन्शन की जो योजना है उसके सम्बन्ध में हमारा यह एलान है कि ७० वर्ष से अधिक के जो लोग हैं और जिस उम्र के लोग उस परिभाषा में आते हैं, डेस्टीच्यूट्स् की, जो परिभाषा हमने रखी है, उसके अनुसार उनकी तादाद चाहे एक हजार हो चाहे एक लाख हो, कितने भी हों, हम सबको पेन्शन देने के लिये वचनबद्ध हैं । २५ लाख रुपया लगे या इससे भी अधिक लगे, सरकार इस फंड को लायेगी और किसी को अपने दफ्तर से वापस नहीं करेगी यह कहकर कि हमारे बजट में पैसा नहीं है । इस विचार की वजह से कोई और बात माननीय सदस्य सोचते हों तो आशा है कि माननीय सदस्य उस बात को अपने दिमाग से निकाल देंगे ।

इस योजना के सम्बन्ध में एक दूसरी बात कही गई, लेकिन माननीय सदस्या जिन्होंने यह बात कही थी इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं हैं । मैं चाहता था कि वे यहाँ पर होतीं और मेरी बातों को सुनतीं तो उनको हमारी बात से फायदा होता पर जो सज्जन यहाँ पर उपस्थित हैं वे मेरी बात को उन तक पहुँचा देने की कृपा करें । वृद्धावस्था की पेन्शन बटने का जो सिलसिला है, उसमें कुछ खामी है कि हमने इस काम में रेवेन्यू स्टाफ को शामिल किया है ऐसी भावना श्रीमती शकुन्तला जी ने प्रकट की थी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सारी स्कीम के पीछे एक बड़ा भारी तत्व यह है कि हम यह अवसर गाँव-गाँव तक पहुँचाना चाहते हैं । यह शहरों के लिये योजना नहीं है, कबाल टाउन के लिये योजना नहीं है बल्कि दूर-दूर गाँवों में बसने वाले लोगों के लिए भी यह योजना है । ७० वर्ष के बुड्ढे इम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज के दफ्तर के सामने आयें, और जिलाधीश के सामने आयें और तब पेन्सन पायें तो यह उनके लिये मुश्किल होगा इसलिए हमने इस योजना का फ़ार्म गाँव के

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

सभापतियों तक को भेज रखा है जिनसे उनका सम्पर्क नित्य होता है। घर बैठे योजना के अन्तर्गत पेन्शन देने के लिये हमने मौका दिया है। दूर बसे लोगों को आज की स्थिति में इस योजना से लाभ पहुँचाने के लिये पंचायतों को हमने यह काम दे दिया है। रेवेन्यू की एजेन्सी को छोड़कर किसी दूसरी एजेन्सी से यह काम कराना अच्छा नहीं होगा क्योंकि कोई दूसरी एजेन्सी इस तरह से दूर-दूर गाँवों में फैली हुई नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव—इस योजना के अन्तर्गत पेन्शन कितनी जल्दी मिल जाती है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—जितनी भी जल्दी हो सकती है अर्जी पर इन्क्वायरी हो जाती है।

मैं आपको बताऊं सन् १९५७-५८ के बजट में हमने इस योजना को स्वीकार किया था। जिस समय हमने इसको स्वीकार किया था हमारे सामने इसके सम्बन्ध में कोई आँकड़े नहीं थे। हमने २५ लाख रुपया रख लिया। जल्दी करने की बात का सबूत यह है कि १९५७-५८ के अन्तर्गत हमने २,१०४ महिलाओं को और १,९८९ पुरुषों को पेन्शन पहुँचा दी।

एक आवाज—इसमें कितनी पेन्शन मिलती है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—१५ रुपये पेन्शन मिलती है।

योजना के सम्बन्ध में अगर कुछ गलत धारणायें हों तो वे दूर होनी चाहिए। जब यह योजना बनी तब हमारे पास सन् १९५१ के सेंसस के फीगर्स थे। फीगर्स से मुताबिक जब सेंसस हुआ था तब ७० साल से ऊपर के १२.६ लोग थे। सन् १९५१ से १९५७ तक १५.६३ हो गये होंगे। अब वे १६.३३ हो गये होंगे। तो अगर हम सब आदमियों को पेन्शन देना चाहें तो हमको डाई करोड़ रुपया साल चाहिए। हमारे पास रुपया नही हैं। समाज भी इस खर्च को वहन नहीं कर सकता और अभी कुछ न कुछ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जिन्दा है। कुछ जरूर टूट रहा है लेकिन फिर भी वह बुड्ढों के लिये एक तरह का सोशल इंश्योरेन्स है। उससे कुछ न कुछ वृद्धों को सहारा मिल जाता है। अगर हम इस तरह के लोगों को निकाल दें तो जो बच जाते हैं तो उनको देने के लिय हम कटिबद्ध हैं। यह पूछा गया कि औरतें ज्यादा हैं या आदमी ज्यादा हैं। जिनको हम पेन्शन दे रहे हैं उनमें २,१०४ महिलायें हैं और १,९८९ पुरुष हैं। अगर हम इस योजना को ६० साल तक लोगों के लिये कर देते हैं तो न तो इसका खर्च सरकार बर्दाश्त कर सकती है और न जनता ही इसका खर्च वहन कर सकती है। आज हम इस खर्च के बढ़ाने की बात नहीं कर सकते। हमने डाक्टर सम्पूर्णानन्द ऐसा मुख्य मन्त्री पाया जबकि नेशनल डेवलेपमेन्ट कौंसिल में भी इसके विषय में बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिर भी इस योजना को समाज के उस कमजोर तबके को सहारा देने की प्रवृत्ति से उन्होंने इसको चलाया। आज हमारा हित इसी में है कि हम इस योजना को ठीक ढंग से कार्यान्वित करते रहें।

इस योजना के सम्बन्ध में रिश्वत की बात की गई। आम तौर से सरकार के हर काम में शिकायत तो रहती ही है। ठीक है। शिकायत तो इंग्लैंड में नहीं होती। कहते हैं

इंग्लैंड वाले कोई गलती नहीं करते क्योंकि वे काम नहीं करते। हम लोग काम करते हैं गलती भी करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भवन में कोई बात कहें तो इस बात पर विचार करें कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वे भी तो हम ही लोगों में से हैं। इस देश के ही लोग कुछ इस भवन में बैठे हैं और कुछ फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो शिकायतें की जायं वह तथ्य के साथ हों। अगर वह मुझे दिया जाय तो मैं उसकी जाँच करूंगा।

इस अवसर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसी सेक्रेटेरियट के एक बड़े आफिसर ने मुझसे कहा कि आप ही के लखनऊ में दो मुसलमान महिलायें हैं जिनको पेन्शन मिलनी चाहिये लेकिन नहीं मिल रही है। मैंने उनसे कहा कि इनके फार्म मिलते हैं आप फार्म भरवा कर दे दीजिये। मैंने यह भी कहा कि अगर फार्म न मिल रहे हों तो वह भी दिलवा सकता हूँ। बहरहाल, उन्होंने एक बुढ़िया जो कि ७० वर्ष की थी उसका फार्म भरवा कर दिया और उस बुढ़िया का ३५ वर्ष का एक लड़का जीवित था। अब आप देखिये कि उस बुढ़िया को कानूनन पेन्शन नहीं मिल सकती है लेकिन लोग तो यही समझते हैं कि शायद पेन्शन इस लिये नहीं मिल रही है कि कुछ लगता होगा। इस तरह की बातों से लोग बहक जाते हैं और इसी तरह की बातों से माननीय सदस्यों को भी सुनकर कष्ट होता होगा लेकिन असलियत कुछ दूसरी ही रहती है। मैं यह नहीं कहता कि पेन्शन मिलने में रिश्वत नहीं चलती है।

माननीय तेलू राम जी के प्रस्ताव का जो खंड (ख) है वह तो अपने आप इस तरह से समाप्त हो जाता है। मैं यह कहता हूँ कि जो उम्र यह भवन और सरकार निश्चय करेगी उसको हम पेन्शन देंगे। इसमें जाति-पाँति का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो भी डेस्टी-च्यूट होगा उसको पेन्शन मिलेगी। चाहे किसी भी कौम का आदमी निसहारा हो सब के लिये उस हद तक जिस हद तक नियम इजाजत देते होंगे हम सहायता देने के लिए तैयार हैं।

मैं समझता हूँ कि जो दूसरा हिस्सा है वह तो इस तरह से खत्म हो जाता है लेकिन जो पहला हिस्सा है तो हम सब को पेन्शन देना चाहते है लेकिन कहाँ से दें। ७० वर्ष तक के जितने डेस्टीच्यूट लोग हैं हम हर एक को १५ रुपये माहवार देते हैं। यदि हम हर एक ७० वर्ष के आदमी और स्त्री को १५ रुपये देने लग जायं तो इसके लिये हमें साल भर में ढाई करोड़ रुपये चाहिये और पूरे पाँच साल के लिये १२ करोड़ रुपये चाहिए। आप ही बतलाइये यह रुपया हम कहाँ से लायेंगे। हमारा हृदय बड़ा है, हमारी मंशा बड़ी हैं लेकिन हमारे साधन सीमित हैं। हम साधनों के अन्तर्गत ही सेवा करना चाहते हैं इसलिए ज्यादा उम्र निश्चित करना इस समय असम्भव है। मैं आशा करता हूँ कि हमारी इस तस्वीर को मद्देनजर रखते हुए, हमारी दिक्कतों को सामने रखते हुये, यह प्रस्ताव अभी असामयिक है, कब्ल अज़ वक्त है और माननीय सदस्य इसको वापस ले लें और जब समय आयेगा तो उस पर विचार होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आशा करता हू कि जिन माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव को यहाँ पर प्रस्तुत किया है वे इसे वापस ले लेंगे।

श्री तेलू राम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा यह कहा गया कि यह प्रस्ताव सन् १९५७ में रखा गया था तो यह ठीक है और उस समय यह अमाउन्ट बजट में अवश्य रखा

[श्री तेलू राम]

गया था। यह मैंने उसी समय रखा था। माननीय उपमंत्री जी ने कहा कि वे इस समय केवल ७० वर्ष से अधिक आयु वाले डेस्टीच्यूट लोगों को ही पेन्शन दे पा रहे हैं तो वह ठीक है। मैं भी उनसे सहमत हूँ कि ऐसा होना चाहिये ।

जहां तक स्त्रियों का सम्बन्ध है कि ६० वर्ष से अधिक आयु वाली असहाय महिलाओं को सहायता दी जाय, तो मैं माननीय मन्त्री जी की भावना की कद्र करता हूं और तारीफ की बात यह है कि इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वयं महिलाओं ने ही स्वीकार नहीं किया है। श्रीमती शकुन्तला जी ने मेरी भावना को ठीक समझा है। मुझे अफसोस तो यह हुआ कि बहिनों की ओर से इस प्रस्ताव का विशेष समर्थन नहीं किया गया।

यहाँ पर वर्ग भेद की बात कही गयी है, मैं उसका क्या जवाब दूं, वर्ग भेद तो सबसे बड़ा पाप है। मैं समझता हूं कि मैं अपने कार्य से या अपने भाषण में कभी वर्ग भेद की बात नहीं करता, उससे नफरत ही करता हूं, लेकिन मैं वर्ग परिवर्तन में विश्वास करता हूं। वर्ग परिवर्तन की बात ऐसी है कि इसमें अगर इस बात को रखें कि आंख खोलें तो भंगी है और अगर आंख बन्द कर दो तो भंगी नहीं रह गया। मैं अपने मित्र प्रेम चन्द्र जी की भावना पर कोई शंका नहीं करता, उन्होंने जिस रूप में इसको समझा ठीक ही समझा, लेकिन मैंने प्रिफरेन्स की बात को केवल इसलिये रखा कि उनको पहले मिल जाय, इसकी व्यवस्था थी।

जहां तक बहिनों का प्रश्न है तो वह माननीय मन्त्री जी द्वारा दिये गये आँकड़ों से सिद्ध हो गया है कि उनकी संख्या पुरुषों से अधिक है, लेकिन मेरी मंशा इसको रखने से यही था कि जब पुरुष की अवस्था ७० साल में परिपक्व होती है तो स्त्रियों की ६० वर्ष में होती है। यह तो एक कुदरती व्यवस्था है कि लड़की १६ साल में परिपूर्ण हो जाती है और पुरुष २४-२५ साल में परिपूर्ण हो पाता है, तो वैसे ही जब ८-१० साल का अन्तर है तो पेन्शन की अवस्था में भी अन्तर होना चाहिये। यह मेरा आशय था। अब मन्त्री जी के आंकड़ों के बाद इसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। फिर उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी को यह पेन्शन मिल रही है, तो फिर मेरा प्रस्ताव तो स्वयं ही स्वीकार हो गया। मैं अपने उन दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरी भावना को सही रूप में समझा। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री डिप्टी चेयरमैन क्या सदन की अनुमति है कि यह संकल्प वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया)।

सदन का कार्यक्रम

श्री डिप्टी चेयरमैन—अब कल के लिये जो कार्यक्रम है वह यह है कि सैनिक शिक्षा दल विधेयक पर विचार होगा।

कौंसिल अब कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ५ बजे, दूसरे दिन, दिनांक २५ नवम्बर, १९५८ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।)

लखनऊ:
[दिनांक ३, अग्रहायण शाक संवत् १८८०,
(२४ नवम्बर, सन् १९५८ ई० ।)]

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

नत्थी

नत्थी 'क'

देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १, २, ३ व ४ का उत्तर पृष्ठ ३ पर।

[जिसका जिक्र तारांकित प्रश्न संख्या १ (ख) से ४ तक के उत्तर में किया गया है]

दूसरे प्रदेशों में स्थित उत्तर-प्रदेश सरकार के दफ्तरों के बारे में सूचना।

क्रम-संख्या	दफ्तर का नाम और स्थान [प्रश्न संख्या १ (ख)]	दफ्तर का वार्षिक व्यय (प्रश्न संख्या २)			दफ्तर का स्टाफ ३१-३-५८ को (प्रश्न संख्या ३)	दफ्तर के खुलने का दिनांक (प्रश्न संख्या ४)
		१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८		
१	२	३	४	५	६	७
		रु०	रु०	रु०		
१	लिग्राजा ग्राफिसर (ग्राइरन ग्रौर स्टील), उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यालय, कलकत्ता।	४०,७३०	४३,४८२	४५,४५४	१—लिग्राजा ग्राफिसर १ २—हेड ग्रसिस्टेंट १ ३—हेड क्लर्क १ ४—ग्रसिस्टेंट्स ११ ५—टाइपिस्ट १ ६—स्टेनोग्राफर १ ७—सीमेंट इंस्पेक्टर १ ८—चपरासी ३ ९—ग्रर्दली १ कुल··२१	२१ जनवरी, १९४८
२	सैल्स टैक्स कैम्प ग्राफिस, बम्बई।	..	२,६३०	३,६५१	चौकीदार	१ ग्रक्टूबर, १९५६

क्रम संख्या	दफ्तर का नाम और स्थान [प्रश्न संख्या १ (ख)]	दफ्तर का वार्षिक व्यय (प्र० सं० २) १९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	दफ्तर का स्टाफ ३१-३-५८ को (प्रश्न संख्या ३)	दफ्तर के खुलने का दिनांक (प्रश्न संख्या ४)
१	२	३	४	५	६	७
		रु०	रु०	रु०		
३	एक्सपोर्ट ट्रेड डेवलपमेंट आफिसर का दफ्तर, नई दिल्ली।	११,११६	१०,१०२	११,४३४	१—एक्सपोर्ट ट्रेड डेवलपमेंट आफिसर १	फरवरी, १२ १९५५
					२—क्लर्क १	
					३—चपरासी, आदि ३	
					कुल...५	
४	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज आगरा क्षेत्र के अधीन दफ्तर, धौलपुर।	२,३२५	२,१३४	२,१८९	१—सहायक बुकिंग क्लर्क १	फरवरी, १ १९४९
					२—सहायक ट्राफिक इंस्पेक्टर १	
					३—चौकीदार १	
					कुल...३	
५	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवज, आगरा क्षेत्र के अधीन दफ्तर, दिल्ली।	७,४३९	७,५८७	६,६३७	१—जूनियर स्टेशन इन्चार्ज १	३१ मार्च, १९४९
					२—सहायक ट्राफिक इन्सपेक्टर १	
					३—सहायक बुकिंग क्लर्क १	
					४—सहायक मैकेनिक १	
					५—फिटर १	
					६—क्लीनर १	
					७—मजदूर १	
					कुल...७	

क्रम संख्या	दफ्तर का नाम और स्थान [प्रश्न संख्या १ (ख)]	दफ्तर का वार्षिक व्यय (प्र० स० २)			दफ्तर का स्टाफ ३१-३-५८ को (प्रश्न संख्या ३)	दफ्तर के खुलने का दिनांक (प्रश्न संख्या ४)
		१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८		
१	२	३	४	५	६	७
		रु०	रु०	रु०		
६	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज, मेरठ क्षेत्र के अधीन दफ्तर, दिल्ली, नई दिल्ली तथा शहादरा।	७६,२५८	८१,२४५	८०,३४०	१–सीनियर स्टेशन इन्चार्ज २ २–जूनियर स्टेशन इन्चार्ज २ ३–असिस्टेंट ट्रैफिक इन्सपेक्टर २ ४–सहायक कैशियर २ ५–जनरल क्लर्क १ ६–जूनियर क्लर्क ९ ७–बुकिंग क्लर्क २० ८–सहायक बुकिंग क्लर्क १ ९–मैकेनिक २ १०–सहायक मैकेनिक ३ ११–फिटर २ १२–ड्राइवर ६ १३–क्लीनर कंडक्टर ६ १४–क्लीनर १४ १५–चौकीदार आदि १२ कुल…८४	फरवरी, १९४८
७	मुख्य अभियंता, रिहन्द (विद्युत्) द्वारा नियुक्त लिआजा आफिसर, कलकत्ता।	..	..	१,७०६	केवल लिआजा आफिसर	२ नवम्बर, १९५७

क्रम संख्या	दफ्तर का नाम और स्थान [प्रश्न संख्या १ (ख)]	दफ्तर का वार्षिक व्यय (प्र० सं० २) १९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	दफ्तर का स्टाफ ३१-३-५८ को (प्रश्न संख्या ३)		दफ्तर के खुलने का दिनांक (प्रश्न संख्या ४)
१	२	३	४	५	६		७
		रु०	रु०	रु०			
८	अपर डिवीजन आगरा केनाल, मथुरा के सहायक अभियंता, प्रथम सब-डिवीजन का कार्यालय, ओखला (दिल्ली राज्य)	९३,५६२	८९,००३	१,०८,४०९	कुल ५७ कर्मचारी		सन् १८६९
९	तारघर, नवगाँव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। (सिंचाई विभाग)	१,४५६	१,३९९	१,४८९	१—तार बाबू	१	सन् १९१०-११ ई०
					२—तार चपरासी	१	
					कुल	२	
१०	तारघर, पहाड़ी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। (सिंचाई विभाग)	१,४५६	१,३९९	१,४८९	एक तार बाबू		सन् १९१०-११ ई०
११	भाँडेर, जिला भिंड मध्य प्रदेश में दो जिलेदारी कार्यालय	८,०००	८,०००	८,०००	१—जिलेदार	२	सन् १९५४
					२—कैम्प पतरौल	२	
					३—जिलेदारी चपरासी	२	
					४—जिलेदारी हरकारे	२	
					कुल	८	

क्रम संख्या	दफ्तर का नाम और स्थान [प्रश्न संख्या १ (ख)]	दफ्तर का वार्षिक व्यय (प्र० सं० २) १९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	दफ्तर का स्टाफ ३१-३-५८ का (प्रश्न संख्या ३)	दफ्तर के खुलने की तारीख (प्रश्न संख्या ४)
१	२	३	४	५	६	७
		रु०	रु०	रु०		
१२	जिलेदारी कार्यालय, इन्दरगढ़, जिला दतिया, मध्य प्रदेश।	४,०००	४,०००	४,०००	१—जिलेदार १ २—कैम्प पतरौल १ ३—जिलेदारी चपरासी १ ४—जिलेदारी हरकारा १ कुल ..४	सन् १९५४
१३	तारघर, बरियारपुर, मध्य प्रदेश (सिंचाई विभाग)	१,०७०	१,०७०	१,०७०	एक तार बाबू	सन् १९०७
१४	तारघर, गंगाऔ, मध्य प्रदेश (सिंचाई विभाग)	१,०७०	१,०७०	१,०७०	एक तार बाबू	सन् १९१५
१५	टेलीफून कार्यालय, रंगवा मध्य प्रदेश। (सिंचाई विभाग)	..	..	४००	एक टेलीफून मुंशी	१अप्रैल,१९५७

टिप्पणियां

१—सेल्स टैक्स से सम्बन्धित दफ्तरों (तालिका की क्रम-संख्या १) के विषय में स्थिति यह है कि अक्तूबर, १९५६ में कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली तथा पंजाब के ex-U. P. काम की देखभाल के लिए सेल्स टैक्स अधिकारियों के तीन कैम्प आफिस कायम किये गये। इन तीनों अधिकारियों के मुख्य कार्यालय क्रमशः इलाहाबाद, कानपुर और मेरठ में

हैं। केवल बम्बई में एक इमारत किराये पर ली गई है जिसकी देखभाल के लिये एक चौकीदार वहाँ रहता है। प्रश्नों के उत्तर में केवल इस इमारत के खर्च और चौकीदार के वेतन सम्बन्धी सूचना का ही समावेश किया गया है और क्यों कि बाकी अधिकारी और कर्मचारी उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्दर ही कार्य करते हैं इसलिए उनसे सम्बन्धित सूचना इसमें सम्मिलित नहीं की गई है। फिर भी इन तीनों कार्यालयों के विषय में पूर्ण सूचना नीचे तालिका में दी गई है :—

कार्यालय का नाम तथा मुख्य कार्यालय का स्थान	कार्यालय पर वार्षिक व्यय १९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	कार्यालय का स्टाफ (३१-३-५८ को)	कार्यालय खुलने का दिनांक
१	२	३	४	५	६
	रु०	रु०	रु०		
१ सेल्स टैक्स कैम्प आफिस (कलकत्ता); इलाहाबाद	..	११,७४०	२१,६२२	सेल्स टैक्स अधिकारी १ क्लर्क ५ चपरासी आदि ३ कुल ..९	अक्तूबर, १९५६
२ सेल्स टैक्स कैम्प आफिसर (बम्बई), कानपुर।	..	१८,०४५	२४,१६१	सेल्स टैक्स अधिकारी १ क्लर्क ५ चपरासी आदि ४ कुल...१०	अक्तूबर, १९५६
३ सेल्स टैक्स कैम्प आफिस (दिल्ली तथा पंजाब), मेरठ।	...	११,५७१	१७,५६२	सेल्स टैक्स अधिकारी १ क्लर्क ५ चपरासी, आदि ३ कुल ..९	

२—उक्त पदों को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

३—उद्योग विभाग से सम्बन्धित नई दिल्ली स्थित एक्सपोर्ट ट्रेड डेवलपमेंट आफिसर के दफ्तर के लिए प्रश्नों के उत्तर में संलग्न तालिका की क्रम-संख्या ३ के सामने

स्तम्भ संख्या (६) में बताए गए स्टाफ के अलावा एक स्टेनोग्राफर और एक असिस्टेंट का पद और भी स्वीकृत है जो ३१-३-५८ को रिक्त थे।

४—उक्त कार्यालय के अलाव, उद्योग विभाग के अधीन अन्य प्रदेशों में स्थित हैंडीक्राफ्ट्स की कुछ दूकानें भी है, परन्तु चूंकि दूकानों की गणना दफ्तरों में नहीं की जा सकती इसलिए इनसे सम्बन्धित सूचना प्रश्नों के उत्तर में सम्मिलित नहीं की गई है। फिर भी यह सूचना नीचे दी गई तालिका में संकलित है :—

दूकान का स्थान	दूकान पर वार्षिक व्यय			दूकान का स्टाफ (३१-३-५८ को)		दूकान खुलने का दिनांक
	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८			
१	२			३		४
	रु०	रु०	रु०			
१ नई दिल्ली	२४,०६८	३१,७३३	२८,८५५	१—असिस्टेंट मैनेजर	१	९ जनवरी, १९५४
				२—सेल्समैन	२	
				३—लेजर क्लर्क	१	
				४—सेल्स अटेन्डेन्ट	२	
				५—चपरासी आदि	२	
				कुल	८	
२ नागपुर	..	१६,२६५	१८,४२१	१—सुपरिन्टेंडेंट	१	९ जनवरी, १९५६ ई०
				२—सेल्समैन	२	
				३—लेजर क्लर्क	१	
				४—सेल्स अटेंडेंट	२	
				५—चौकीदार	१	
				कुल	७	
३ कलकत्ता	..	२४,२७४	२४,३८८	१—सुपरिन्टेंडेंट	१	२२ मार्च, १९५७
				२—सेल्समैन	३	
				३—लेजर क्लर्क	१	
				४—सेल्स अटेंडेंट	२	
				५—चपरासी आदि	२	
				कुल	९	

दूकान का स्थान	दूकान पर वार्षिक व्यय 1955-56	1956-57	1957-58	दूकान का स्टाफ (31 3 58 को)		दुकान खुलने का दिनांक
1	2	3	4	5		6
	रु०	रु०	रु०			
4 हैदराबाद	..	..	25,937	1–सुपरिन्टेंडेंट	1	7 सितम्बर, 1957
				2–सेल्स मैन	3	
				3–चेजर क्लर्क	1	
				4–सेल्स अटेंडेंट	2	
				5–चपरासी आदि	2	
				कुल..	9	
5 भोपाल	..	..	7,228	1–सुपरिन्टेंडेंट	1	26 अप्रैल, 1958। (यद्यपि इस दूकान का उद्‌घाटन 26 अप्रैल, 1958। को हुआ, तथापि उसका स्टाफ पहले ही नियुक्त हो गया था। इस कारण 1957-58 वित्तीय वर्ष में भी इस मद में व्यय किया गया।
				2–सेल्समेन	2	
				3–सेल्स अटेंडेंट	1	
				4–चपरासी आदि	2	
				कुल..	6	

५—पशुपालन विभाग के अधीन सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़, की दो दूकानें दिल्ली और रांची में हैं, परन्तु चूँकि यह भी 'दफ्तर' नहीं है इसलिये इनके सम्बन्धित सूचना का समावेश प्रश्नों के उत्तर में नहीं किया गया है। फिर भी तत्सम्बन्धी सूचना नीचे दी गई है :—

दूकान का स्थान	दूकान पर वार्षिक व्यय			दूकान का स्टाफ (३१-३-५८ को)		दूकान खुलने का दिनाँक
	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८			
१	२	३	४	५		६
	रु०	रु०	रु०			
१ दिल्ली	९,९४०	१३,९८४	१२,५२८	१—सेल्स मेन	१	दिसम्बर, १९५२
				२—क्लर्क	१	
				३—डेलीवरी मैन	२	
				कुल	४	
२ रांची	६,८८७	७,७३५	८,६६८	१—मैनेजर	१	नवम्बर १९४८
				२—डेलीवरी मैन	२	
				कुल	३	

६—प्रश्नोत्तर से संलग्न तालिका की क्रम-संख्या ७ पर दिया गया मुख्य अभिन्यता, रिहन्द (विद्युत्) द्वारा कलकत्ते में नियुक्त लिआर्जा आफिसर का पद २ नवम्बर, १९५७ से आरम्भ हुआ था और ३१ अगस्त, १९५८ को समाप्त कर दिया गया। इनका कार्य यह देखना था कि योजना के लिये आवश्यक सामग्री बराबर प्राप्त होती रहे। यह पद Work charged establishment के अन्तर्गत था।

७—अपर डिवीजन कैनाल, मथुरा के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता, प्रथम सब डिवीजन का कार्यालय (तालिका की क्रम-संख्या ८) ओखला में स्थित है जो देहली प्रान्त में है। यह कार्यालय लगभग सन् १८६९ में स्थापित किया गया था जबकि ओखला हेड वर्क्स और आगरा नहर का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था। इस कार्यालय का पिछले तीन वर्षों के वार्षिक व्यय में सहायक अभियन्ता के कार्यालय के समस्त कर्मचारियों का

तथा पतरौल, अमीन और जिलेदारों का व्यय शामिल है। इस समय इस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या ५७ है क्योंकि इस सब डिवीजन का अधिकार-क्षेत्र कम कर दिया है और इसका कुछ भाग तृतीय सब-डिवीजन में १-१ १९५८ में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

८—सन् १९३० में धासन कैनाल डिवीज़न नौगांव के टूट जाने के कारण सिंचाई विभाग की इमारतें बेच दी गई थीं। नौगांव का तारघर (तालिका की क्रम संख्या ९) उसी इमारत में है लेकिन इसका १२० रु० वार्षिक किराया मध्य प्रदेश सरकार को दिया जाता है।

९—पहाड़ी तारघर (तालिका की क्रम संख्या १०) पहाड़ी बांध के नज़दीक सरकारी इमारत में है।

१०—भांडेर नहर मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है इसलिए जिलेदारी कार्यालयों (तालिका की क्रम संख्या ११) के हेड आफिस मध्य प्रदेश में स्थापित किये गये थे, २ जिलेदारी कार्यालय भांडेर जिला भिंड, ग्वालियर में और तीसरा इन्द्रगढ़, जिला दतिया में है। यह तीनों कार्यालय किराये की इमारतों में है।

नत्थी 'ख'

(देखिये नत्थी 'ख' तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पृष्ठ ६ पर।)

यू० पी० सिविल (इक्जीक्यूटिव) सर्विस में आकस्मिक नियुक्ति योजना के अन्तर्गत जुलाई ४,५ तथा ६,१९५७ को ३६ पदों की भर्ती के निमित्त जो प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुई थी उसके लिये योग्यता, उम्र इत्यादि के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम निर्धारित किए गए थे :—

योग्यता: अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के निवासी हों तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के कम से कम द्वितीय श्रेणी में Graduate अथवा Post Graduate हों।

उम्र: अभ्यर्थी की आयु तिथि १ जनवरी, १९५७ को २५ वर्ष से कम और ४० वर्ष से अधिक न होनी चाहिए अर्थात् उनकी जन्म-तिथि २ जनवरी, १९१७ के पूर्व तथा १ जनवरी, १९३२ के पश्चात् न होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा परिगणित जातियों के लए ५ वर्ष अधिक होगी और आज़ादी की लड़ाई के सैनिक (Fighters of Freedom) के लिए ४ वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी। शरणार्थियो को भी इस अधिकतम आयु सीमा से योग्यतानुसार छूट दी जा सकती है। गत महायुद्ध में कार्य किए हुए अभ्यर्थियों की आयु गणना करते समय ३ सितम्बर, १९३९ तथा १ अप्रेल, १९४६ के बीच की स्वीकृत युद्धसेवा (Recognised War Service) की अवधि घटा दी जावेगी। राजकीय कर्मचारी भी यदि वे निर्धारित योग्यताएं रखते हैं तो अपना आवेदन-पत्र अपने अध्यक्ष के द्वारा भेज सकते हैं।

परीक्षा के विषय: 1. General English. 2. Essay in English. 3. General Hindi. 4. Essay in Hindi. 5. General Knowledge. यह विषय सबके लिए आवश्यक होंग।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

मंगलवार, ४ अग्रहायण, शक संवत् १८८०
(२५ नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (७७)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अब्दुस्सलाम शाह, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
इशहाक सम्भली, श्री
उमानाथ बली, श्री
उमा शंकर सिंह, श्री
ए० जे० फ़रीदी, डाक्टर
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुदसिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल), श्रीमती
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कुंवर रणंजय सिंह, श्री
केदारनाथ खेतान, श्री
केशव दत्त, श्री
कृपा शंकर हजेला, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
कृष्णदेव प्रसाद गौड़, श्री
गिरधारी लाल, श्री
चन्द्र मोहन सुखिया, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चौधरी शिव नाथ सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद द्विवेदी, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेलू राम, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नवल किशोर गुरुदेव, श्री
नवाब सिंह यादव, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
नौरंग सिंह, श्री
पीताम्बर दास, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
पृथ्वी नाथ, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री

बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बनवारी लाल, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
मदन मोहन, श्री
मदन मोहन लाल, श्री
महफ़ूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लाम खां, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामधारी पान्डे, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लखन, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण दीक्षित, श्री
लालता प्रसाद सोनकर; श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
शंकर राव, श्री
शकुन्तला श्रीवास्तव, श्रीमती
शफ़ीक अहमद खां, श्री
श्याम बिहारी विरागी, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री
शिव नारायण, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
शिवराजमती नेहरू, श्रीमती
शुगन चन्द्र, श्री
सक्टू मल, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरि कृष्ण अवस्थी, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री

निम्नलिखित मन्त्री, व उपमन्त्री, जो कि विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे :—

श्री कमलापति त्रिपाठी (गृह, शिक्षा व सूचना मन्त्री)
श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (श्रम उपमन्त्री)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१--९--(हस्तांतरित)।

*१०-१३--(हस्तान्तरित)।

सरकारी तथा असरकारी उद्योगों में हड़तालें

*१४--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) क्या श्रम मंत्री बतलायेंगे कि १९५७ तथा १९५८ में इस प्रदेश में कितनी सरकारी तथा गैर-सरकारी (Industries) अथवा मिलों में हड़तालें हुई ?

श्री कुँवर महावीर सिंह--(सार्वजनिक निर्माण उप मन्त्री)

१९५७ तथा १९५८ में निम्नलिखित हड़तालें हुई :

सन्	प्रदेशीय सरकारी Industries तथा मिलों में	गैर सरकारी Industries तथा मिलों में
१९५७	१	१०२
१९५८ ३१-१०-५८ तक	१	६८

उपर्युक्त सूचना केवल प्रदेशीय (State) सरकारी मिलों से ही सम्बन्धित है।

श्री गिरधारी लाल--(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) यहां पर जो सूचना दी गई है, उसमें यह कहा गया है कि सन् १९५७ में गैर सरकारी इन्डस्ट्रीज तथा मिलों में १०२ और सन् १९५८ में ६८ हड़तालें हुई हैं तो ये किस चीज की इन्डस्ट्रीज हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना--(श्रम उप मन्त्री) मान्यवर, इसमें एक एसट्रिक नहीं लगा है जिसके कारण यह गलती हो गयी है। इस समय प्रदेश में दो तरह के उद्योग चल रहे हैं। एक तो प्रदेशीय सरकार के हैं और दूसरे केन्द्रीय सरकार के हैं। निजी क्षेत्र में जो उद्योग चलते हैं वे तेल, प्रेस, चमड़ा, कपड़ा, चीनी, दियासलाई, आयुर्वेदिक, इञ्जीनियरिंग इत्यादि हैं।

*१५ **श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या श्रम मन्त्री बतलायेंगे कि उपर्युक्त हड़तालों में कितने श्रमिक सम्मिलित हुये ?

श्री कुँवर महावीर सिंह—उपर्युक्त हड़तालों में निम्नलिखित श्रमिक सम्मिलित हुए :

सन्	प्रदेशीय सरकारी मिलों में श्रमिक सम्मिलित हुए	गैर सरकारी श्रमिक सम्मिलित हुए
१९५७	३९६	२६,६६३
१९५८ ३१-१०-५८ तक	१,११०	११,२०७

*१६ **श्री प्रताप चन्द आजाद**—(क) क्या श्रम मंत्री बतलायेंगे कि उपर्युक्त हड़तालों के फलस्वरूप कितने श्रमिक किन-किन व्यवसायों से निकाले तथा गये ।

(ख) मजदूरों के कितने रुपये वेतन के काटे गये ?

श्री कुँवर महावीर सिंह

(क) निम्नलिखित व्यवसायों से उसके सामने दिए गए श्रमिक निकाले गये ।

सन्	व्यवसायों का नाम	निकाले गये श्रमिक की संख्या
१९५७	मिसलेनियस	२६
,,	तेल मिल	१३
,,	प्रेस	७
,,	चमड़ा	६
,,	कपड़ा	३४
,,	चीनी	२१३
१९५८	दियासलाई	१७
३१-१०-५८ तक	आयुर्वेदिक	१६
,,	कपड़ा	५०
,,	इंजीनियरिंग	४
,,	मिसलेनियस	३४
योग		४२६

मिल मजदूरों के वेतन के लगभग ३,३८,१७२.३१ नये पैसे की हानि हुई।

श्री शफीक अहमद खाँ तातारी—विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र यह जो मजदूर निकाले गये हैं, यह किन कारणों से निकाले गये हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—हड़ताल के सम्बन्ध में जब कोई निकाला जाता है, तो ऐसा तब होता है, उस समय होता है जब कि कोई आदमी गैर कानूनी हड़ताल करे या किसी हड़ताल के जमाने में गैर कानूनी बातें करे या कानून की अवहेलना करे जिसके कारण कि उस पर लाँछन लगाकर उसको सजा मिल सकती है।

श्री गिरधारी लाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रश्न के उत्तर में केवल सरकारी मिलों की बाबत आंकड़े दिये गये हैं लेकिन प्रश्न कर्ता महोदय ने जो गैर सरकारी मिलों के बारे में पूछा है उसके आँकड़े क्यों नहीं दिये गये हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—मान्यवर, मैं शायद बात को साफ नहीं कर सका। इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों के बारे में सूचना दी हुई है और यह वह मिलें हैं जो कि प्रदेशीय सरकार के द्वारा या सरकारी क्षेत्र में चलायी जा रही हैं। जो केन्द्रीय सरकार के द्वारा चलायी जाने वाली मिलें हैं, उनके बारे में सूचना नहीं है। इसलिये मैं मननीय सदस्य से आपके द्वारा निवेदन करना चाहूँगा कि जो सूचना माँगी गयी है, वह पूरी तारह से दे दी गयी है। यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार के कारखानों के बारे में सूचना मैं नहीं दे पाया।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि यह ४२६ मजदूर जो निकाले गये हैं, उनमें से कुछ मजदूरों के प्रार्थना पत्र अभी सरकार के पास चल रहे हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—एकदम यह बताना कठिन है कि किस-किस का मामला चल रहा है, प्रश्न ४२६ आदमियों से सम्बन्धित है लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ जब कभी मजदूर निकाले जाते हैं, उनके मामले चलते भी हैं और उनका फैसला भी हो जाता है। यह मुझे याद नहीं है कि किसका मामला रह गया है और किसका मामला फैसला हो चुका है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो हड़तालें हुई हैं, इनमें मिल से बाहर के लोगों का भी हाथ था :

श्री चेयरमैन—यह प्रश्न नहीं उठता है।

*१७—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या श्रम मन्त्री बतलायेंगे कि उपर्युक्त हड़तालों में कितनी उत्पत्ति की क्षति हुई ?

श्री कुँवर महावीर सिंह—उपर्युक्त हड़तालों में १,२७,८३,३२२.१२ नये पैसों तथा १०,७७५ मन चीनी की उत्पत्ति की क्षति हुई।

*१८—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या श्रम मन्त्री जी बतलायेंगे कि उपर्युक्त हड़तालों के फलस्वरूप कितनी Industries बन्द हो गईं ?

श्री कुँवर महावीर सिंह—उपर्युक्त हड़तालों के फलस्वरूप ६ व्यवसाय (Industries) बन्द हुये।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद्—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि ये जो ६ व्यवसाय बन्द हुये हैं वे कौन से थे और कहाँ-कहाँ पर थे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—मान्यवर, इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन जो व्यवसाय बन्द हुये हैं वे मिसलीनियस किस्म के और छोटे-मोटे थे।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद्—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि ये व्यवसाय स्वयं मिल मालिकों ने बन्द किये हैं या सरकार के आदेश से बन्द किये गये हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—मान्यवर, सरकार की कोशिश किसी भी कारखाने को बन्द करने की नहीं होती। सरकार तो कोई ऐसा आदेश नहीं देगी जिससे कोई कारखाना बन्द हो। सरकार तो कारखानों को चलाना चाहती है। आर्थिक या अन्य संकटों के कारण ही ये कारखाने बन्द हुये हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद्—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि वे जो व्यवसाय बन्द हुये हैं उनको पुनः संचालन करने के लिये सरकार कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—उद्योग बन्द होते रहते हैं और खुलते रहते हैं। ये जो ६ उद्योग बन्द हुये हैं वे कहाँ पर बन्द हुये हैं। इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि वे चलें।

सपरेशन आँफ इम्मारल ट्रैफिक एक्ट

*१९—**श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल)**—(स्थनीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक ऐक्ट, जो कि प्रदेश भर में लागू हो गया है की धाराओं को लागू करने के लिये क्या कदम उठा गये हैं ?

*19. **Smt. Kudsia Begam (Begam Aijaz Rasul)**—(Local Authorities Constituency) Will the Government be pleased to state the steps that are being taken by the Uttar Pradesh Government in enforcing the provisions of the Suppression of Immoral Traffic Act that has come into force all over the State ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—पंद्रह डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट्स आफ पुलिस को इस ऐक्ट के अधीन स्पैशल पुलिस आफिसर घोषित कर दिया गया है तथा तेरह प्रोटेक्टिव होम्स बना दिये गये हैं।

Sri Hemvati Nandan Bahuguna—So far 15 Deputy Superintendents of Police have been declared as Special Police Officers under this Act and thirteen Protective Homes have been established.

श्रीमती कुदसिया बेगम, (**बेगम ऐजाज रसूल**)—जो १३ होम्स का जिक्र किया गया है तो क्या मैं दरियाफ्त कर सकती हूँ कि किस-किस जगह पर यह होम्स खोले गये हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—अलीगढ़, फैजाबाद, गाजीपुर, हल्दवानी, टेहरी गढ़वाल, इलाहाबाद, देहरादून, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, सीतापुर, वाराणसी तथा कोटद्वार।

*२०—**श्रीमती कुदसिया बेगम**—(बेगम ऐजाज रसूल) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्य नगरों के व्यभिचार गृहों की सूची तैयार की है ?

*20. Smt. **Kudsia Begam** (Begam Aijaz Rasul) Did the Government make lists of brothels in principal cities of Uttar Pradesh ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—जी, नहीं।

Sri Hemvati Nandan Bahuguna—No.

*२१ – **श्रीमती कुदसिया बेगम** (बेगम ऐजाज़ रसूल)—यदि हाँ, तो उसमें से कितने इस समय चालू हैं ?

*21. **Smt. Kudsia Begam** (Begam Aijaz Rasul, If so, how many of them are still open ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—प्रश्न नहीं उठता।

Smt. Hemvati Nandan Bahuguma—The question does not arise.

*२२—**श्रीमती कुदसिया बेगम** (बेगम ऐजाज़ रसूल)—(क) क्या सरकार ने ऐक्ट के लागू होने के कारण बन्द हुये व्यभिचार गृहों की स्त्रियों के पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

(ख) क्या कोई योजना बनायी गई है और उसके क्या विवरण हैं ?

*22. **Smt. Kudsia Begam**—(Begam Aizaz Rasul) (*a*) What are the steps taken by the Gevernment in rehabilitating the inmates of the brothels that have been closed as a result of the enforcement of the Act.

(*b*) Has any scheme been made and what are its details ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—(क) ऐसी स्त्रियों को प्रोटेक्टिव होम्स में रखने का प्रबन्ध किया जायगा, जहाँ उन्हें हस्तकला सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ख) इस सम्बन्ध में योजना बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

Sri Hemvati Nandan Bahuguna—(*a*) Arrangements will be made to keep such women in the aforesaid Protective Homes where craft centred training will be imparted to them.

(*b*) The question is under consideration.

श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम ऐजाज़ रसूल) —इस प्रश्न के जवाब से यह मालूम हुआ है कि अभी यह चालू नहीं हुये हैं, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इन होम्स को चलाने का सरकार का कब इरादा है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—मान्यवर यह होम्स तो खोले जा चुके हैं। अब इन होम्स में जितना पूरा इन्तजाम होना चाहिये, ट्रेनिङ्ग वगैरह का, इस सब के सम्बन्ध में योजना बन रही है। होम्स खोला जाना, उसका स्टाफ़ हो जाना, और उन लोगों को जो दुख में हैं, परेशानी में हैं या मामूली व्यभिचार में फंस गयी हैं, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था तो हो चुकी है।

*२३—**श्रीमती कुदसिया बेगम** (बेगम ऐजाज़ रसूल)—इस समय (१-८-५८) ऐसे कितने गृह हैं जो कि पतित स्त्रियों को सहायता देते हैं तथा पुनर्वास करते हैं ?

*23. **Smt. Kudsia Begam** (Begam Aizaz Rasul)—How many Homes are there at present (1-8-58) that provide relief and rohabilitation to fallen women ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—प्रश्न १९ के उत्तर में बताया गया है कि ऐसी सब १३ संस्थायें खोली गयी है।

Sri Hemvati Nandan Bahuguna—In reply to Question no. 19 it has already been stated that there are 13 such institutions.

*२४—**श्रीमती कुदसिया बेगम** (बेगम ऐजाज़ रसूल)—क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे और अधिक गृह खोलने का है ?

*24. **Smt. Kudsia Begam** (Begam Aizaz Rasul) Do the Government propose to open more homes in the State in the near future ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—इस पर विचार किया जायेगा।

Sri Hemvati Nandan Bahuguna—The question will be considered,

श्रीमती सावित्री श्याम—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) क्या माननीय मंत्री को यह उम्मीद है कि जो प्रश्न के उत्तर में अभी उन्होंने कहा कि अभी यह स्कीम चालू नहीं की गयी है। तो बरेली शहर में इस तरह के होम्स में जो महिलायें हैं क्या उनकी भी ट्रेनिंग अभी शुरू नहीं हुई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—मान्यवर, मेरी ही बात माननीय सदस्याभने कही है। मैंने यही निवेदन किया था। भाषा की त्रुटि हो गयी हो तो दूसरी बात है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। जिनके सम्बन्ध में यह योजना बनायी गयी है, तो जो वहाँ पर महिलायें हैं, उनको प्रशिक्षण करके फिर से बसाने की कोशिश की जाती है। उनके मकान का, खाने का, पहनने का इन्तजाम किया जाता है, ताकि वे ठीक तरह से वहाँ पर रह सकें और १३ जिलों में जो होम्स चालू हो चुके हैं मैंने उसमें अभी बरेली का नाम भी लिया था।

श्रीमती तारा अग्रवाल—(नाम निर्देशित) क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि जहां पर मेडिकेटेड होम्स हैं, वहां पर स्टाफ तो पूरा रख लिया गया है, लेकिन महिलायें नहीं हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—स्टाफ में महिलायें भी मौजूद हैं। बदकिस्मती से माननीय सदस्या तथा दूसरी महिलायें जो सामाजिक कार्य करती हैं, उन्होंने पूरी मदद नहीं की है ताकि इस तरह की बहनों को वहां पर लाया जा सके।

श्रीमती सावित्री श्याम—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रत्येक होम का कितना खर्च है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—१५ हजार रुपया सालाना।

श्री पृथ्वी नाथ—(विधान सभा निर्वाचित क्षेत्र) क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन १३ होम्स में कितनी महिलाएँ हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—मान्यवर, अभी बिसमिल्ला हुई है, गिनती नहीं की है।

श्रीमती तारा अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी ने महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसमें कार्य करने के लिये निमंत्रण दिया था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—जाब्ते से निमंत्रण न देने की माफी। आज मान्यवर, आप के द्वारा मैं जाब्ते से निमंत्रण दे रहा हूँ।

श्री राजा राम शास्त्री—(विधान सभा निर्वाचित क्षेत्र) प्रश्न संख्या २० के उत्तर में कहा गया है कि जी नहीं। तो क्या सरकार उस सूची को तैयार करने का इरादा रखती है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—जी हाँ, सरकार सूची तैयार करने का इरादा मुकम्मल रखती है। सूची अभी तैयार नहीं हुई है, इसलिये उत्तर दिया गया है कि जी नहीं।

श्रीमती तारा अग्रवाल—क्या सरकार इस तरह की योजना बना रही है कि जहाँ पर खर्च अधिक है और महिलायें कम हैं, और जहाँ पर खर्च कम है और महिलाये अधिक हैं, तो उसके लिये कोई व्यवस्था करने जा रही है कि आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर खर्च हो।

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री सकट्ठू मल—(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो पतित स्त्रियाँ हैं उनकी गणना करने की कोशिश की गयी है और इनमें डान्सिंग गर्ल कितनी हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्रीमती सावित्री श्याम—क्या माननीय मन्त्री जी को विदित है कि एक दो,

होम्स ऐसे हैं जहाँ पर केवल एक ही दो स्त्रियाँ हैं और खर्चा चार सौ पाँच सौ महीना है तो क्या यह सरकार के लिये उचित है ?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री शफीक अहमद खां तातारी--यह संस्थायें कहाँ खोली गयी हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—नाम बतला दिये गये हैं।

श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल)—क्या मैं यह दरियाफ्त कर सकती हूँ कि यह जो १३ होम्स खोले गये हैं उनमें कोई ऐसा भी है जहाँ कि अभी कोई औरत नहीं आई है ?

(इसका उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री महमूद अस्मल खां—(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) १३ होम्स जो हैं उनमें कितने इनमेट्स रखे जा सकते हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—यह आशा की जाती है कि ५० तक रखे जायेंगे। हमारे पास बजट में प्राविजन भी इतना ही है। लेकिन जैसा पहले मैंने निवेदन किया है कि जब सरकार स्कीम बना रही है तो यदि इस तरह की गिरी हुई औरतें ५० से भी अधिक आ जायेंगी तो हम उन सब के लिये भी व्यवस्था करने की आशा रखते हैं। तादाद से काम में कोई रुकावट नहीं पड़ेगी।

श्रीमती कुदसिया बेगम—(बेगम ऐजाज़ रसूल) मैंने दरियाफ़्त किया था कि इन १३ होम्स में कोई ऐसा भी होम है जहाँ कि कोई औरत नहीं है और वह खाली पड़ा हुआ हैं ?

श्री चेयरमैन—उन्होंने उत्तर दे दिया है कि १३ होम्स जो खोले जा चुके हैं उनमें स्टाफ आदि रख दिया गया है। क्योंकि स्टफ तो पहले रखना पड़ता है, स्त्रियाँ तो बाद में आती है।

श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल)—स्टाफ तो सभी जगह रखा गया है, लेकिन इन १३ होम्स में कोई ऐसा भी है, जहाँ कि अभी तक कोई इनमेट नहीं आया है ?

(इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्रीमती सावित्री श्याम—इन होम्स में महिलाओं को पति और पिता से छुड़ा कर जबरदस्ती भी लाया गया है।

श्री चेयरमैन—I have not allowed that question.

श्री महमूद अस्लम खां—इस काम के लिए जो १५ डी० एस० पी० मुकर्रर किये गये हैं, उनकी क्या ड्यूटी होगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—इम्मारेल ट्रैफिक सप्रेशन ऐक्ट के सम्बन्ध में पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है जिन में ऐसी स्त्रियों को पकड़ने का अधिकार उन आफिसरों को दिया गया है, जो कि पतित कार्य करते हैं। ऐसे सरकारी आफिसर ही उनको पकड़ सकते हैं, जिनको सरकार ने मनोनीति किया है। इस प्रकार के अड्डो में जो बहिनें हैं, तो

इस कानून के अन्तर्गत इन महिलाओं को वापस लाकर इन होम्स में रखने की व्यवस्था की गई है और इनकी जिम्मेदारी सिर्फ उन सरकारी अधिकारियों की होगी, जिनको कि सरकार ने इस कार्य के लिये मनोनीत किया है। ये डी० एस० पी० सरकार द्वारा इस कार्य के लिये मनोनीत किये गये हैं।

श्री मदन मोहन (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो १३ जगहों में होम्स खोले गये हैं, तो क्या दूसरी जगहों की स्त्रियाँ भी इन में आ सकेंगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—जी हाँ, जरूर।

श्री राजा राम शास्त्री—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो १५ डी० एस० पी० रखे गये हैं उनमें कोई महिला अधिकारी भी है या केवल पुरुष ही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—मेरे ख्याल में तो नहीं है। माननीय होम मिनिस्टर साहब से पूछता हूं कि कोई महिला भी है। लेकिन वे कह रहे है कि कोई महिला नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—(गृह शिक्षा, व सूचना मंत्री) जहां तक मुझे पता है इसमें कोई डी० एस० पी० महिला नहीं है।

श्री महमूद अस्लम खां—क्या इन डी० एस० पी० ने काम करना शुरू कर दिया है और कितनी तादात में महिलाएँ यहाँ पहुँचा दी है ?

(इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राजा राम शास्त्री—क्या गवर्नमेंट का ऐसा इरादा है कि इस काम में महिलाओं का भी सहयोग लिया जाय ताकि वे पुरुषों की सहायता कर सके !

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—सहायता लेने की बात मैंने पहले ही निवेदन की थी। लेकिन जहाँ तक डी० एस० पी० महिला आफिसर रखने की बात है, मैं समझता हूँ कि इस तरह की महिलाएँ पुलिस में नहीं हैं और यह मेरी अपनी राय है कि जो यह काम चल रहा है और जिनके हाथों में यह अधिकार दिये गये हैं, वे ही लोग इसे निभा सकते हैं। यह मुश्किल काम है क्योंकि ये अड्डे बड़े खतरनाक होते हैं और यदि हम महिला को यहाँ भेजेंगे भी, तो उसके साथ हमें पुरुष को उसकी रक्षा के लिए जरूर भेजना पड़ेगा। यह बड़ा खूंखार काम है।

श्रीमती तारा अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि बरेली होम में जो दो बालिकाएं रखी गई हैं, इन के पिता बराबर पत्र व्यवहार कर रहें हैं कि इन बालिकाओं को वापस कर दिया जाय ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—मुझे अफसोस है कि मुझे ऐसी सूचना जब मैं बरेली गया था और उस होम में भी गया था किसी ने नहीं दी। लेकिन यदि यह बात सही है तो मैं खुशी से उन माहिलाओं को वापस कर सकता हूँ बशर्तेकि उनके पिता स्वयं उनको व्यभिचार के अड्डे में रखने में शामिल न हों।

श्रीमती कुद्सिया बेगम (बेगम ऐजाज़ रसूल) जनाबवाला मैं इसकी वर्किङ्ग के मुताल्लिक एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इन होम्स में जो औरतें आएँगी, क्या वह सिर्फ उसी वक्त लाई जायेंगी जब यह रिपोर्ट की जायेगी कि उन औरतों को ले जाया जाये या बग़ैर किसी रिपोर्ट के, जो इग्जिस्टिंग ब्राथल्स हैं, उनमें से औरतों को लाया जायेगा। किस तरह से इसकी वर्किंग होगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले दिन कहा था सेन्ट्रल पार्लियामेंट का एक स्टेच्यूट है जिसके मुताबिक इम्मारल ट्रैफिक सप्रेशन करने का अधिकार हम को दिया गया। इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुये हम इन ब्राथल्स से स्त्रियों और बालिकाओं को अपने प्रोटेक्टिव होम्स में ला सकते हैं। कम्पलसरी ऐसा कुछ नहीं है कि हर ब्राथल से हम ला सकते हैं। कुछ खास किस्म की कन्डीशन्स हैं जिनके मुताबिक ही हम ला सकते हैं। मसलन् एक से ज्यादा औरतें रहती हों। अगर ब्राथल में सिर्फ एक स्त्री इस पेशे को करती है तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं। यदि नाबालिग़ है तो हम उसे रोक सकते हैं। अगर कोई आदमी या औरत व्यभिचार का अड्डा चलाती है और उसके अन्दर मुनाफ़ा की प्रवृत्ति है तो उसे हम रोक सकते हैं। लेकिन यदि कोई सामाजिक कार्यकर्ता किसी स्त्री या बालिका को इन अंधेरी राहों से निकाल कर वापस लाता है तो उसके लिए भी जगह मौजूद है। दोनों ही चीजें हैं। एक सूरत तो यह कि जिन्हें हम पकड़ते हैं और एक वह कि कोई इन में से निकल कर अपने जीवन को सुधारना चाहें, तो हम उसको दावत करते हैं कि आप यहाँ ठहरिए। उसके जीवन को हम सुधारने की कोशिश करते हैं।

*२५—४१ —(स्थगित)।

*४२—४४—(हस्तान्तरित)।

*४५—४६—(स्थगित)।

श्री चेयरमैन—अब प्रश्न समाप्त हुए।

सन् १९५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक

श्री कमला पति त्रिपाठी—मान्यवर मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९५७ ई० के प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

श्रीमन् इस सम्बन्ध में किसी बड़े व्याख्यान की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। यह बिल पहले विधान सभा से विधान परिषद् में आया और इस पर विचार विनियम हुआ। बाद में संयुक्त प्रवर समिति बनी, जिस में विधान सभा और विधान परिषद् के भी सस्दय थे और संयुक्त प्रवर समिति को यह बिल भेज दिया गया। संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट पर विधान सभा ने विचार भी कर लिया। और विधान सभा ने जैसा

पारित किया है वह बिल आज परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत है। मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि इस पर विचार किया जाये।

श्री कृष्ण देव प्रसाद गौड़ (नाम निर्देशित)—श्रीमान सभापति महोदय, हमारे शिक्षा विद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा किसी न किसी रूप में दी जाती रही है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अब ऐसा विधेयक लाया गया है, जिससे यह शिक्षा अनिवार्य हो जायेगी। पी० ई० सी० शिक्षा भी इन्टरमीडियट स्कूलों में दी जाती रही है; किन्तु अनेक कारणों से यद्यपि वह कागज पर कम्पलसरी थी किन्तु बहुत विद्यार्थी उसमें सम्मिलित नहीं थे। एक कठिनाई और उपस्थित होती रही है कि अनेक विद्यालयों में नेशनल कैडेटकोर और आक्जिलियरी कैडेट कोर, दोनों प्रकार की संयुक्त शिक्षा दी जा रही है। इसका क्या रूप होगा, इस पर भी मन्त्री महोदय कृपया प्रकाश डालेंगे। एन० सी० सी० के विद्यार्थियों के लिये जलपान तथा वर्दी मिलती रही है। तीसरी कठिनाई यह रही है कि उनके लिये जलपान आदि का प्रबन्ध नहीं था, सरकार की ओर से परिश्रम के बाद जलपान या भोजन की व्यवस्था न हो, तो विद्यार्थी रस कम लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि शिक्षा विभाग और इसके अधिकारी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि विद्यार्थियों के लिये लंच या जलपान की व्यवस्था की जाय।

एक बात और है कि जब यह व्यवस्था रहेगी तो प्रदेश में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी। हम आशा करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को यूनीफ़ार्म आदि मिलेगी। अब तक बहुत से विद्यार्थियों को यूनीफ़ार्म आदि नहीं मिलती रही है। यह कहना यहाँ पर अनुचित न होगा कि इससे विद्यार्थियों को विनय और मर्यादा में बहुत कुछ लाभ हुआ है; जिन विद्यार्थियों ने एन० सी० सी० और पी० ई० सी० में भाग लिया है, उनका अनुशासन और विद्यार्थियों से बहुत अच्छा रहा है। इस बात को मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। अब यह निर्णय किया जा रहा है कि यह कम्पलसरी होगा, इसलिये हम आशा करते हैं कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों का अनुशासन पहले से ज्यादा अच्छा होगा और बहुत सी शिकायतें जो आती रहती हैं वह कम हो जायेंगी।

मैं आशा करता हूँ कि जो पहले खामियों रह गई थीं वह सब इसके कम्पलसरी हो जाने के बाद शिक्षा मन्त्री तथा शिक्षा विभाग द्वारा दूर की जा सकेंगी और इससे विद्यार्थी पूरी तरह से लाभ उठा सकेंगे।

हमारे यहां और भी आरगेनिजेशन्स इस तरह के काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि अब वह कम कर दिये जायेंगे और इसी के साथ जो समाज सेवा का विभाग मिला दिया गया है तथा दूसरे जो कार्यक्रम हैं, उनके कम हो जाने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में अधिक बाधा न होगी एन० सी०सी० केन्द्र का है और पी० ई० सी० इंटरमीजियेट के विद्यार्थियों के लिये रहेगा। अब तक जो १० वीं कक्षा पास करके आते थे, उनमें कोई एन० सी० सी० ले लेता है और कोई पी० ई० सी०। अब पी० ई० सी० के कम्पलसरी हो जाने के पश्चात् सभी इसमें आयेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस पर पूरी तरह से विचार किया जायगा और जब यह विधेयक कार्य रूप में परिणित किया जायगा, तो उन कठिनाइयों को दूर

[श्री कृष्ण देव प्रसाद गौड़]

किया जायगा जो आवेंगी। मैं पी० ई० सी० को कम्पलसरी करने के लिये शिक्षा मन्त्री को बधाई देता हूँ।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) माननीय अध्यक्ष महोदय जो प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक इस सदन के सम्मुख माननीय शिक्षा मन्त्री ने प्रस्तुत किया है उसकें सम्बध में अपने मैं प्रचार रखता हूँ।

श्री कमलापति त्रिपाठी On a point of order, Sir, एक स्पष्टीकरण चाहता था। इस बिल पर जनरल डिस्कशन पहले हो चुका है। और तब उसके बाद ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में रेफर हुआ। जहां तक मुझे स्मरण है यह पहले सदन में आ चुका है और इस पर विचार भी हो चुका है। उसके बाद ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया और वहां से रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट पर विधान सभा में पहले विचार किया गया और वहां से इस रूप में सदन के समक्ष विचारार्थ उपस्थित है। व्यवस्था का प्रश्न था कि क्या सारे बिल पर फिर से जेनरल डिसकशन में किये गये प्रश्नों को उठाया जा सकता है या केवल सेलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है जिसको विधान सभा ने स्वीकार करके इस रूप में भेजा है उतने ही पर विवाद होगा, जैसी आप की आज्ञा होगी वैसा किया जाय।

श्री चेयरमैन—साधारणतः जब कोई बिल ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को पेश किया जाता है तो सिद्धान्त वगैरह पर बहस हो जाती है। यदि ऐसा है कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटीं में जाने के समय आम बहस हो गई है और उसके बाद विधान सभा ने कुछ परिवर्तन किये हैं अर्थात् इस तरह से ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी ने जो मूल विधेयक पहले आया था, उसमें कुछ परिवर्तन किये हैं इस प्रकार के दोनों परिवर्तनों पर इस समय बहस होनी चाहिये। यह सभी सदस्यों को स्पष्ट हो गया होगा। ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में जिस समय एक विधेयक पेश हुआ और ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में चला गया, उसमें ज्वाईन्ट सेलेक्ट कमेटी ने कुछ परिवर्तन कर दिये, और उसके बाद वह विधान सभा में गया और विधान सभा ने भी कुछ परिवर्तन कर दिये इस प्रकार के परिवर्तन जो हो गये हैं, उनके सम्बन्ध में इस समय सदस्य कह सकते हैं।

श्री कुँवर गुरु नारायण—श्रीमन्, जो यह विधेयक प्रस्तुत है मैं इसके सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता था कि सन् १९४७-४८ से इस प्रकार के विधेयक लाये गये हैं, जिनसे हमारी जो स्टूडेन्ट्स कम्युनिटी है उसमें डिसिप्लिन की मात्रा अधिक बढ़े और उनमें सामाजिक कार्य करने की क्षमता हो। मैं समझता हूँ और जहाँ तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसमें एक मौलिक बात के ऊपर ही लोगों को विचार करना चाहिये। वह यह एक डिबेटेबिल प्वाईन्ट है कि कम्पलसरीली भी किसी कार्य को कराने में हम प्रगति कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि मैंने यह देखा कि जहाँ किसी भी प्रकार का कम्पलसन होता है तो उत्साह उतना कार्य करने का नहीं आता है। बहुत सी ऐसी मिशनरीज़ हैं जैसे रामकिशन

मिशन हैं या इस प्रकार की और एजेन्सीज़ होती हैं और जिस कार्य को वह उठाती हैं तो स्वाभाविक रूप से नवयुवक स्टूडेन्ट्स कम्युनिटी उस कार्य को करने के लिये स्वयं बढ़ते हैं और अच्छी प्रकार से कार्य करते हैं। यह डिबेटेबिल प्वाइन्ट है क्योंकि यह आपका एक्सपेरीमेंट है जो सरकार करने जा रही है। इसने यह लिखा है कि कन्स्ट्रक्टिव वर्क के लिये और उनके साथ-साथ कुछ सैनिक शिक्षा भी प्रदेश के छात्रों को दी जाय। अभी तक कन्स्ट्रक्टिव वर्क और सैनिक शिक्षा की बात पूरे छात्रों से नहीं आती थी, अब जब यह विधेयक लाया गया है इसमें सारी स्टूडेन्ट्स कम्युनिटी आ जायेगी और सारे के सारे छात्र इससे फायदा उठा सकेंगे।

जब सरकार का यह दृष्टिकोण है तो मैं इस समय यह सुझाव रखना चाहता हूँ कि मैं तो यह चाहूँगा कि यह जो डिग्री है छात्रों के पास करने के लिये, उनके लिये यह ज़रूरी कंडीशन रख दी जाय कि वह कुछ न कुछ सोशल सर्विस ज़रूर दिखलावें। जैसे उनके लिये और सब्जेक्ट्स में पास होना ज़रूरी होता है वैसे ही इसके लिये भी यह ज़रूरी होना चाहिये कि वह कुछ सामाजिक सेवा करके दिखलायें और जब वह कुछ करें, तभी उनको डिग्री दी जाय। जब वह इस प्रकार से कुछ काम कर लेगा, तभी मैं समझता हूँ कि कुछ उससे वह फायदा उठा सकेगा। इसके साथ-साथ जहाँ तक स्टेट ऐडवाइजरी कमेटी का ताल्लुक है वह तो ठीक ही है। उसको साथ ही साथ ऐडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार दिये गये हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो लोकल इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनकी जब तक लोकल तरीके के ऊपर कोई न कोई जब तक कमेटी न होगी और लोकल इंस्टीट्यूशन्स का कोई न कोई हेड रेप्रजेन्टेटिव न होंगे तो जरा उसमें मुश्किल पड़ेगी। जो कार्य किये जाँय क्षात्रों के ज़रिये से उनमें अगर लोकल थोड़ा सा इन्तजाम नहीं होगा तो उसमें कुछ बाधाएँ पड़ सकती हैं। इसमें अगर क्षात्र कार्य करते हैं तो उस कार्य को निर्धारित करने का अधिकार किसको होगा, यह मैं नहीं समझा। मैं समझता हूँ कि इन्स्टीट्यूशन्स के हेड्स इस प्रकार के कार्यों को सेलेक्ट करेगा, इस प्रकार की कोई सफाई इसमें होनी चाहिये। अब जहाँ तक इस विधेयक का ताल्लुक है, उसमें तो मैं भी इसकी सराहना करता हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो श्रम-दान है या सामाजिक सेवा का कार्य है उसके लिये यदि कंपलशन न होता तो ज्यादा अच्छा होता। जब तक किसी में स्वयं प्रेरणा नहीं होती है तब तक उसमें कार्य अच्छा नहीं होता है। सन् १९४७, १९४८ से यह विधेयक लागू हुआ है। तब से स्टूडेन्ट कम्युनिटी में अनुशासन हीनता बढ़ी ही है, कम नहीं हुई। लेकिन हमको इस प्रकार की अनुशासन हीनता को खत्म करना है। श्रमदान में भी हम देखते हैं कि जिस प्रकार से लोगों को करना चाहिए उस प्रकार से नहीं करते हैं। फिर भी वह है। जहाँ तक इस विधेयक का ताल्लुक है गवर्नमेंट एक नया इक्सपेरीमेंट करने जा रही है तो हमको सबको उसमें सहयोग देना चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि इससे कुछ न कुछ तो क्षात्रों का सुधार अवश्य होगा लेकिन कक्षा पास करने के लिए और डिग्री लेने के लिए ऐसी कंडीशन लगा देना चाहिये कि उनके लिये सामाजिक सेवा ज़रूर फिक्स कर देना चाहिये। तभी शायद हम इसमें अधिक कामयाब हो सकते हैं। यही सब मैं कहना चाहता था। इन शब्दों के साथ मैं इसका स्वागत करता हूँ।

श्री मदन मोहन—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिस भावना को लेकर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका स्वागत तो होना ही चाहिये। परन्तु कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जिनकी ओर माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना मैं बहुत आवश्यक समझता हूँ। वह बातें ऐसी हैं, जिनसे इसके कार्यान्वित होने में कठिनाई होने की संभावना है। अभी-अभी माननीय गुरु नारायण जी ने एक बात की ओर संकेत किया कि इस प्रकार की शिक्षा अनिवार्य करने से लोगों में उत्साह कम हो सकता है। जहाँ तक मुझ को याद पड़ता है उत्तर प्रदेश में सन् १९४७ से समाज सेवा प्रशिक्षण और १९४८ ई० में अनिवार्य सैनिक शिक्षा की योजना चालू की गई थी। किसी भी अनिवार्य प्रणाली को विद्यार्थियों में लागू करने में काफी कठिनाई होती है। खास तौर से जब साधन सीमित होते हैं।

मुझे अनुभव है और सन् १९५२ में मैंने भी कोशिश की, इसके लाभ को देखते हुये, कि हमारे विद्यार्थी इस चीज में अच्छी तरह से भाग लें। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे विद्यार्थी मेरा कहना भी मानते रहे हैं। मैंने अपने विद्यार्थियों को प्रभावित करके इस शिक्षा के लिए तैयार किया, लेकिन थोड़े दिन के बाद मुझे मालूम हुआ कि यह सब प्रयत्न बेकार हुआ, जब इस प्रकार की शिक्षा आप लागू करने जा रहे हैं और जितने विद्यार्थियों पर यह शिक्षा लागू होगी, तो उनके लिये इन्स्ट्रक्टर का भी प्रबन्ध होना चाहिये। करीब करीब ५० विद्यार्थियों पर एक इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता होती है लेकिन देखने में आया कि २०० लड़कों के लिये भी एक इंस्ट्रक्टर मुश्किल से मिलता है। शाम के वक्त जब वे विद्यार्थी मैदान में आते थे तो उनके लिये इन्स्ट्रक्टर का कोई प्रबन्ध नहीं होता था। जब विद्यार्थियों को किसी चीज मे ऐसा लगता है कि यह केवल दिखावा है तो उनका सहयोग लेने में कठिनाई पड़ जाती है। आशा है सरकार इस ओर ध्यान देगी और विद्यार्थियों के अनुपात में इन्स्ट्रक्टर देगी। कहा जाता है कि कुछ टीचर्स जो स्कूल के इस स्कीम में लिए जावेंगे उनसे इन्स्ट्रक्टर का काम लिया जायेगा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एन० सी० सी० की जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में जो टीचर्स जाते हैं तो उनको फौजी ट्रेनिङ्ग तीन, छ और आठ महीने की दी जाती है लेकिन उसके बाद भी वे इस योग्य साबित नहीं होते कि वे विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दे सकें। अगर यह सोचा जायेगा कि हमारे जो शिक्षक हैं, उनको ट्रेनिंग देकर विद्यार्थी को पी० ई० सी० को ट्रेनिंग उनके द्वारा दी जायेगी तो यह बिल्कुल गलतफहमी है। लाजिमी यह है कि जिन विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा के लिये लिया जाय, उनके लिये पूरी संख्या में सुयोग्य इंस्ट्रक्टर रखे जाँय जहां तक मैं जानता हूँ अध्यापकगण इसमें बहुत सहायता नहीं दे सकते हैं। हां, यह आवश्यक है कि वे उस मैदान के ऊपर मौजूद रहें और वे इसमें दिल्चस्पी लें और उनका जो आउट आफ पाकेट इक्सपेन्सेज है वह उनको मिले पड़े। इस प्रकार का पहले कोई प्रबन्ध नहीं था इसलिये यह काम भली प्रकार से नहीं हो पाया। दूसरी बात जो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता था वह सोशल सर्विसेज की बात है। कम्पलसरी सोशल सर्विसेज का मुझे बहुत तजुर्बा है। मेरे कालिज एल० टी० क्लास चलता था वहां पर जिस प्रकार से सोशल सर्विस का क्लास चलता था, उससे तो सोशल सर्विस न होना ही अच्छा है। केवल इम्तिहान के अन्दर नम्बर लाना है और पास करना जरूरी है तो इसके

लिये अगर अगर सोशल सर्विस रखी जाती है तो यह ठीक नहीं है। इसके अलावा कम्पल्सरी सोशल सर्विस किस ढंग की होगी, इसमें भी मुझे शंका है। मुझे बहुत सन्देह है कि सरकार के पास इतने साधन हैं कि वह अपने सब विद्यार्थियों को ठीक तरह से सैनिक शिक्षा दे। इसमें मुनासिब यह होगा कि इस चीज को धीरे-धीरे ले चलें और जैसे-जैसे साधन बढ़े, वैसे-वैसे इस योजना को आगे बढ़ाते चलें। जब अपने पास समुचित साधन नहीं होगा तो विद्यार्थी के दिमाग में यह चीज आयेगी कि यह खिलवाड़ है और जब इसी तरह का ख्याल हो जाता है तो शिक्षा में कोई वास्तविकता नहीं रहती है। अभी-अभी मेरे मित्र श्री गौड़ जी ने कहा कि इसका ऐन० सी० सी० से समझौता होना चाहिए। हाई स्कूल तक तो एन० सी० सी० रहे इंटरमीडिएट क्लासेज में पी०ई० सी०। लेकिन एन०सी० सी० की शिक्षा पी०ई०सी० के मुकाबिले में कहीं बेहतर है। सब बच्चों को एन०सी०सी० की शिक्षा दी जा सके तो इसकी आवश्यकता ही न पड़ेगी। ऐन० सी० सी० की शिक्षा 'बच्चों' का वंचित रखकर पी० ई० सी० की शिक्षा चलाना चाहते हैं यह उचित नहीं है। हाई स्कूल तक ऐन० सी० सी० चलायेंगे तो आगे चलकर डिग्री क्लासेज में क्या होगा। जो हाई स्कूल पास ऐन० सी० सी० में जाना चाहेंगे, उनका ऐन० सी० सी० में आने की इजाजत नही होगी। इस विधेयक में एक और त्रुटि है। हर विद्यार्थी के लिये यह प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। कोई ऐन० सी० सी० में जाना चाहे तो नहीं जा सकता। इसमें कोई लुकना रह गया है। मैं यह निवेदन करता हूँ कि यह जो ऐन० सी० सी० की ट्रेनिंग है वह जितने लोगों का भी दी जा सके उतना ही उसका फैलाने का प्रयत्न करना चाहिए। पी० ई० सी० की ट्रेनिंग उसका मुकाबिल नहीं कर सकती। हमारे पास इसलिये उपयुक्त साधन नहीं हो सकते। जहां तक यूनिफार्म्स वाली बात है या नन्ड टीचर्स का सवाल है न सरकार के पास इतने ट्रेन्ड टीचर्स होंगे और युनिफार्मस ही होंगे। इसमें कठिनाई होगी। मैं समझता हूँ कि सब चीजों की ओर ध्यान देने से सरकार को मालूम पड़ेगा कि यह योजना वास्तविक नहीं बनाई जा सकती। मैं फिर मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसको अनिवार्य न रखें और इसको आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ायें। इसको कम्पल्सरी करने से इसका ह्रास हो जायगा। जिससे बच्चों के ऊपर अच्छा असर न पढ़ेगा। आशा है इन चीजों की ओर ध्यान दिया जावेगा।

श्री शिव नारायण—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) यह जो बिल हमारे सामने है मैं शिक्षा मन्त्री जी को उसके लिये बधाई देता हूँ। कारण क्या है। कारण यह है कि आज संसार में प्रत्येक देश कितना अग्रसर हो रहा है। हमारे सामने नेशनल डिफेंस का प्रश्न है। स्कूल ही टनिंग ग्राउंड है जहां बच्चों को यह शिक्षा दी जा सकती है। हमारा देश गरीब है। हम अलग मिलीटरी ननिंग नहीं दे सकते। देश की रक्षा के लिये हमें अपने बच्चों को तैयार करना है। भारत का भविष्य निर्माण करने के लिये इसकी आवश्यकता है। यह चीज ११ नर्ष से आहिस्ता-आहिस्ता चलती रही और हम रेंगते रहे लेकित कोई विशेष तरक्की नहीं हुई। जो भी लड़के हों उनके अंदर यह भावना होनी चाहिए कि हमें ड्रिल करना है सही माने में मार्चिंग करना है।

[श्री शिव नारायण]

बहुत कुछ सीखना है, बन्दूक चलाना सीखना है। मान्यवर, इस तरह से काम नहीं चलेगा जिस तरह से आजकल चल रहा है। हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको बनाने के लिये यह शिक्षा नितांत आवश्यक है। मान्यवर, आज विद्यार्थियों में इनडिसिप्लिन क्यों है? इनडिसिप्लिन इसलिये है कि विद्यार्थियों के पास काम नहीं है। पहले तो उनको बड़ी-बड़ी एक्सरसाइजें करनी पड़ती थीं तब उनको शिक्षित समझा जाता था। उस समय उनको राजनैतिक पर बहस करने का समय नहीं मिलता था। आज तो उनके पास व्यर्थ समय रहता है जिसमें वे इस तरह की बातें किया करते हैं। आज यह होता है कि जो समय बेकार का उनके पास होता है उसमें वे सिनेमा देखा करते हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि यह शिक्षा आवश्यक कम्पलसरी होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी खाना खाने के बाद इत्मीनान से सो सकें।

मान्यवर, मुझे भी अवसर मिला है और लड़कों को फिजीकल शिक्षा दी है। मुझे तो इस बात का काफी शौक है। मैं तो कहता हूँ कि हर एक इन्सान को यह काम करना चाहिए।

श्री चेयरमैन—यदि माननीय सदस्य इस विधेयक के सम्बन्ध में भी कुछ कहें तो ठीक रहेगा।

श्री शिव नारायण—मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को यह ट्रेनिंग अवश्य मिलनी चाहिए। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूँ कि इस बिल में दिया हुआ है कि इस तरह की ट्रेनिंग से उनका कैरेक्टर बनेगा, डिसिप्लिन होगा और सोशल सर्विस करेगें। ये तमाम चीजें तो इसमें आ गयी हैं। किसी भी आदमी में डिसिप्लिन तभी हो सकती है जब उसको मिलीटरी ट्रेनिंग दी जाय। दुनिया में आज जितना डिसिप्लिन मिलीटरी में है उतना और कहीं नहीं है। यह ट्रेनिंग जरूर दी जाय क्योंकि यह अत्यन्त सुन्दर है। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूँ कि मेरे बगल में बैठे हुये बुजुर्ग कह रहे हैं कि इसी तरह से तो मिलीटरी डिक्टेटरशिप होता है। मान्यवर, ट्रेनिंग देना हमारा फर्ज है ताकि हम अपने देश की रक्षा कर सकें। हमारे साधन सीमित हैं लेकिन इस बहाने हम इसको बन्द नहीं कर सकते हैं और यह कहना तो बेकार है कि किसके पास निष्कर है और किसके पास नहीं है। हमें तो अपने को बचाने की जरूरत है। हमारे बुजुर्ग का कहना भी ठीक है लेकिन हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में हमारे प्रत्येक नागरिक का विश्वास है। भारतवर्ष डेमोक्रेसी में अन्य देशों का अगुवा का काम कर रहा है और इस बात का श्रेय पंडित जवाहर लाल नेहरू को है। डेमोक्रेसी हमारे यहाँ रहेगी, फलेगी और फूलेगी। हमारे बच्चे इस लायक बनें कि वे अपने देश की रक्षा के लिये समय आने पर अपने कन्धे पर बन्दूक उठा कर चल सकें। मेरी ये बातें यहाँ की प्रासीडिंग्स में मौजूद रहेंगी। चूँकि यह ट्रेनिङ्ग देना आवश्यक है इस लिये मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री पीताम्बर दास—(स्थानीय संस्थयें निर्वाचन क्षेत्र) माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक का जो इस समय सदन में उपस्थित है, हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं इसकी

अपने प्रदेश के लिए विशेष आवश्यकता समझता हूँ और इसका हमारे जीवन में एक महत्व भी है। हम ने जब अपनी इच्छा प्रकट की है तो वह इन शब्दों के साथ की है :

संगच्छध्वं संवध्वं संवो मनांसि जानताम्।

हम सब एक साथ चलना सीखें; हम सब एक स्वर से बोलना सीखें और हम सब एक साथ विचार करना सीखें। यह मानी हुई बात है कि हमारे जीवन में और विशेष रूप से विद्यार्थियों में एक उद्दण्डता और उच्छृंखलता सा आ गया है जिसके लिये अनुशासन की आवश्यकता है। और अपने शिक्षालयों में जो यह कमी महसूस हो रही थी, बहुत दिनों के बाद उसे पूरा करने का यह प्रयत्न माननीय मंत्री जी ने दिया है। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सैनिक शिक्षा को इस विध्येक के द्वारा अनिवार्य करने का प्रयत्न किया गया है और जब हम सैनिक शिक्षा को अनिवार्य करते हैं तो उसकी अपनी कुछ उलझनें भी हैं। उनमें से जो एक बहुत बड़ी उलझन है उस की ओर माननीय मदन मोहन जी ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। अनिवार्यता में एक और दूसरी उलझन आती है, जिस को मैं आपके द्वारा, सदन के सामने रखना चाहता हूँ। और वह यह है कि इस प्रकार की जो अनिवार्य शिक्षा होनी है उससे बच्चों के माता पिता के सामने एक कठिनाई आती है। विशेष रूप से स्वतंत्रता आ जाने के बाद, जो हमारी पढ़ाई का सलेबस है, या जो किताबें हैं, उनकी संख्या इस बीच में इतनी काफी बढ़ गयी है कि उनको बच्चे एक बोझ को तरह से उठा कर स्कूलों में ले जाते हैं तो माँ, बापों को बड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि हम लोग भी जब स्कूल और कालेजों में पढ़ते थे तो इतनी किताबें कभी नहीं ले जाते थे। फिर जो एक्सट्रा केरीकूलर एक्टीविटीज हैं, वह इतनी बढ़ जाती है स्कूलों और कालेजों में कि उनमें बहुत सारा समय बच्चों का निकल जाता है। अपने देश में तो ऐसे बच्चे बहुत से हैं कि जिनको घर का भी काम करना पड़ता है। मैं बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूँ कि जहाँ बच्चा स्कूल से आने के बाद जाकर साग सब्जी न लाये, या आटा खरीद कर न लाये तो सारा परिवार शायद शाम को भोजन भी न पा सके। इसलिए शाम का जो समय है वह उनको खाली मिलना ही चाहिये। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो स्कूल और कालेजों में गाँवों से आते हैं। पाँच-पाँच-छः-छः मील की दूरी पर उनके गाँव होते है और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो ८,८ और १०,१० मील की दूरी के गाँवों से साइकिल पर स्कूलों और कालेजों में चल कर आते हैं। जब वह सुबेरे दस बजे आते हैं तो थोड़ा सा खाकर आते हैं और स्कूल से छुट्टी पाकर शाम को जब जाते हैं तब वह भोजन करते है। अगर हम सैनिक शिक्षा कोअनिवार्य कर देते हैं और उसकी ट्रेनिङ्ग शाम को हुई तो बहुत से विद्यार्थी जो दूर से बिन भोजन किये ही चले आते है उनके लिये कठिनाई हो जायगी। इसलिये मैं यह समझता हूँ किजैसा और सारा कोर्स पढ़ाई का जो अनिवार्य है, वह उस काल में पूरा किया जाता है जिसको कि हम "वकिंग आवर्स कहते हैं किसी एक इन्स्टीट्शन में। इसलिये यह भी एक कोर्स है जो कि उन्हें उन्हीं (working hours) में पूरा किया जा सके ऐसी कोई व्यवस्था इस विध्येक में होनी चापिये। अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चों के माता पिता की ओर से इस योजना में सहयोग मिलने वाला नहीं है। वे अपने बच्चों को बचाएंगे इससे।

[श्री पीताम्बर दास]

दूसरी बात इसमें यह है जिसके बारे में माननीय मदन मोहन जी ने भी संकेत किया था कि एन० सी० सी० में जो लड़के ट्रेनिंग पा रहे हैं उनके लिये भी यह सब अनिवार्य होगी। मैं इसे ठीक नहीं समझता।

श्री कमला पति त्रिपाठी—आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सूचना बता दूं, कि पी० ई० सी० में दर्जा ११, १२ के बच्चों को लिया जाता है ए० सी० सी० की शिक्षा ७वीं और ८वीं में चलती है, ९वीं और दसवीं में एन० सी० सी० कीं शिक्षा होती है और जो शिक्षा एन० सी० सी० की ११, १२ में होती हैं उसको तो आपने छोड दिया है।

श्री पीताम्बर दास—अध्यक्ष महोदय, मेरा बच्चा इन्टरमीडिएट का स्टूडेंट है और एन० सी० सी० में जाता है। एन० सी० सी० में फर्स्ट इयर और सेकेन्ड इयर के लड़के जो सैनिक शिक्षा पा रहे हैं वह तो मैं मान सकता हूँ कि वह अनिवार्य नहीं है। लेकिन फर्स्ट इयर और सेकेन्ड ईयर में जो बच्चे होंगे वे एन०सी०सी० में नहीं लिए जाते हैं, क्या ऐसी बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि फर्स्ट ईयर और सेकेन्ड इयर के लड़के एन० सी० सी० में जाना चाहें तो उनके लिए कोई मना ही नहीं है यह मानी हुई बात है। और जो सैनिक शिक्षा इस विधेयक के मातहत दी जायगी वह प्रारम्भ में तो एन० सी० सी० की ट्रेनिङ्ग से किसी भी हालत में अच्छी नहीं होगी। यह दूसरी बात है कि कुछ दिनों के बाद इसमें एफिशिएसी आ जाय और यह उससे अच्छी हो जाय। और जब आगे मुकाबला किया जाय कभी तो यह उससे अच्छी साबित हो जाय लेकिन अभी नहीं हो सकती। इसलिए जो छात्र एन० सी० सी० की ट्रेनिङ्ग लेते हों उनके लिये इस बिध्येक में अपवाद होना चाहिए था या इस सैनिक शिक्षा की अनिवार्यता से।

एक और बात की ओर मैं आपके जरिये से माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वे इस पर गौर करे। जिस समय इस विधेयक का निर्माण हुआ होगा, उस समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि जो इसमें बहुत से अंग्रेजो के टर्म्स लिखे हुये हैं तो वे हिन्दी में लिखे जाने चाहिये थे। आज कल हिन्दी के शव्दों का बहुत अच्छा भंडार सामने आ रहा है। कभी-कभी तो काफी सुन्दर शव्द देखने में आते हैं। मैं समझता हूँ कि इस काम के लिये सरकार के पास काफी अच्छी एजेन्सी हैं। सरकार के पास सुविधा है और काफी साधन भी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए था अगर सारे अंग्रेजी के टर्मस हिन्दी में हो जाते तो काफी सुन्दर होता। इस मामले में मैं सरकार की नियत को खराब नहीं समता हूँ। मैं समझता हूँ कि शायद यह चोंज सरकार से नजरान्दाज हो गयी है। और मैं आशा करता हूँ कि सरकार जल्दी ही ये शव्द बदल लेगी मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

श्री वीरेन्द्र स्वरूप—(स्नातक निर्वाचन क्षेत्र) मान्यवर, जिस समय माननीय मन्त्री जी ने इस विधेयक को इस सदन के सामने प्रस्तुत किया तो मैं यह सोच रहा था कि यह एक ऐसा विधेयक है जो सोशल सर्विस और मिलिटरी ट्रेनिङ्ग की ओर एक अनिवार्य कदम उठायेगा। इस विधेयक का इस सदन में सबने स्वागत किया है। स्वागत करते हुये भी

कुछ माननीय सदस्यों ने अपने सन्देह प्रकट किये हैं। कुछ परेशानियां हैं, कुछ कठिनाइयां हैं जिनको आपके सामने रखा है। मैं समझता हूँ कि जो योजना हमारे सामने रखी गयी है वह योजना यह है कि कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग हमारे बाल और बालिकाओं के लिये हो। इसके बारे में दो मत नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद भी इसके बारे में सन्देह प्रकट किये गये हैं। वह सन्देह यह है, एक तो स्टाफ इन्स्ट्रेक्टर काफी नहीं हैं, वर्दी पूरी तरह से नहीं मिल सकती है और शायद जलपान का भी प्रबन्ध नहीं हो सकता है। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह संदेह ऐसे नहीं हैं कि जिन पर इस विधेयक पर जब विचार किया जाये तो सन्देह प्रकट किया जाये। जब हमारी सरकार इतना बड़ा कदम उठा रही है, तो वह इस ओर पूरा ध्यान भी देगी। सरकार का यह काफी गम्भीर कदम है और उसने बहुत सोच समझ कर इस कदम को उठाया है। सरकार कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग सारे बाल और बालिकाओं के लिये करने जा रही है। श्री मदन मोहन जी ने जो सन्देह प्रकट किया है, उसको मैं धारा ९ के जरिये से दूर कर देना चाहता हूँ :—
Clasue 3 of the Bill.

The State Government may, for the purposes of the Act from time to time appoint—

(c) one or more Commandants, Sahayak Commandants,। Quarter Masters and Staff Instructors.

इसके बाद पूरी तरह से यह योजना जो बनेगी, वह रूल्स के जरिये से बनेगी। रूल्स के लिये इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि १४ दिन के बाद वे सदन के सामने रक्खे जायेंगे और सदन उनपर विचार करेगा और इस तरह से जो मोडिफिकेसन्स होंगे, वे रूल्स में कर दिये जावेंगे। लेकिन मैं यह अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि दो, तीन बातों की ओर इस अवसर पर सरकार को ध्यान दिला दूं ताकि रूल्स बनाते वक्त सरकार उन बातों पर विचार कर सके।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस बिल के स्टेटमेन्ट आफ आबजेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स की तरफ दिलाना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया है कि सन् १९४७ में समाज सेवा प्रशिक्षण और १९४८ में कम्पलसरी सैनिक शिक्षा की स्कीम लागू की गई थी। आज इस स्कीम को लागू किये हुये दस वर्ष हो गये, लेकिन उस समय से जो इसमें स्टाफ, अधिकारी तथा इस्टेब्लिशमेन्ट था। वह अभी तक भी टेम्पोरेरी है। दस वर्ष तक जो स्कीम चली और उसमें स्टाफ, आफिसर तथा दूसरे सर्वेन्ट्स फार्य करते रहे, उनकी सिक्योरिटी अभी तक नहीं हो पाई और वे अभी तक परमानेन्ट नहीं हुये हैं। इस तरह से जो स्कीम कम्पलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग के नाम से रखी गई है, उसमें हम उतने सफल नहीं हो सकते हैं क्योंकि जो अधिकारी तथा स्टाफ इसमें दस वर्ष से लगातार कार्य कर रहे हैं और इस स्कीम का संचालन कर रहे हैं, वे आज भी टेम्पोरेरी हैं, मेरी प्रार्थना है कि इन सबको जल्द से जल्द परमानेन्ट किया जाय। जब रूल्स बनाये जॉय तो इस बात का ख्याल रखा जाय।

दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ एन० सी० सी० के मिलिट्री रूल्स होते हैं, इनको दृष्टि में रखकर ही पी० ई० सी० के लिए भी रूल्स बनाये जाँय जिससे कि विद्यार्थियों

[श्री वीरेन्द्र स्वरूप]

में भी वैसा ही डिस्पिलिन हो सके जैसा कि हमारे यहाँ के एन० सी० सी० का डिस्पिलिन है। मैं हृदय से इस बिल का स्वागत करता हूँ और माननीय शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक महान् कदम इस देश के शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ के बालक और बालिकाओं के केरेक्टर तथा डिस्पिलिन को ध्यान में रखते हुये उठाया है और यह अपने ढङ्ग का एक निराला ही कदम है।

श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव—(अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक ऐसा है जिसको सभी ओर से समर्थन प्राप्त होना चाहिये। इस पर अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु माननीय मदन मोहन जी ने जो प्रिन्सिपल की बात रखी है, उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिससे यह साबित होता है कि शिक्षक इस विधेयक का स्वागत नहीं करते। मैं एक प्रधान अध्यापक होने के नाते यह समझता हूँ कि यह विधेयक बहुत ही अच्छा है। जिस चीज का भी पहले श्रीगणेश होता है, उसमें त्रुटियाँ भी होती ही हैं। मैं यह मानता हूँ कि जिस प्रकार से एन० सी० सी० का प्रबन्ध है, वैसा प्रबन्ध भी पी० ई० सी० का नहीं है। हो भी कैसे सकता है ? एन० सी० सी० मिलिट्री लाइन पर चलाई जा रही है और इसका संघठन पुराना है। इसका प्रबन्ध भी बहुत दिनों से सुचारुरूप से चल रहा है जब कि हमारे यहाँ अभी पी०ई०सी० का काम शुरू किया गया है। हम एन०सी०सी० को तरह अभी नहीं चल सकते है, लेकिन आशा है कि धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे और सभी बातें बाद में ठीक हो जायेंगी। सभी प्रधान अध्यापक इस बात से सहमत होंगे कि हमारे यहाँ विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा दी जाय। जहाँ इस तरह से सैनिक शिक्षा दी जायेगी लड़कों का डिस्पिलिन अच्छा हो जायेगा। जिस तरह से एन० सी० सी० का डिस्पिलिन अच्छा है, ईश्वर से प्रार्थना है कि हम लोग, सरकार तथा सभी मिलकर इस तरह से कार्य करें कि हमारे यहाँ पी० ई० सी० का भी उसी तरह से प्रबन्ध हो सके जैसा कि एन० सी० सी० का है। मदन मोहन जी ने एक बात कही कि पी० ई० सी० कम्पलसरी हो रहा है, लेकिन बिल में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह मालूम हो कि यह कम्पलसरी हो रहा है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि अभी हेड क्वार्टर में शुरू होगी। इसके साथ ही साथ क्लाज फोर में यह लिखा हुआ है कि कुछ इग्जम्शन्स दिए जायेंगे। इग्जम्शन्स फिजिकल इन्फर्मिटी के लिए, हेल्थ के लिए, ऐन्ड अदर ग्राउन्ड्स के लिये दिये जायेंगे

एक आवाज—आयु के लिए भी है।

श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव—आयु के लिये तो है ही लेकिन ऐन्ड अदर ग्राउन्ड्स में तो सभी बातें आ जाती हैं। यह कैसे हो सकता है कि प्रधानाध्यापक एन० सी० सी० और पी०ई०सी० दोनों ज्वायन करने के लिये बाध्य करे। पी०ई०सी० धीरे-धीरे बढ़ेगा और जहाँ एग्जम्शन्स देने की जरूरत होगी वहाँ प्रधान अध्यापक देंगे, इसकी गुन्जाइश है।

मैं एक विनय माननीय शिक्षा मन्त्री से करना चाहता हूँ। जब रूल्स बनने लगें तो इसका ध्यान रखा जाये कि पी० ई० सी० जितना एन० सी० सी० के करीब लाया जा सकता हो, न सिर्फ यूनिफार्म में बल्कि जो उनकी शासन प्रणाली हैं उसमें भी जिस प्रकार

से एन० सी० सी० चलाई जाती है उसी प्रकार से चलाई जाये। माननीय वीरेन्द्रस्वरूप जी ने बहुत पर्टीनेन्ट बात कही, मुझे तो नहीं मालूम था कि यह डिपार्टमेन्ट या इसके अधिकारी परमानेन्ट नहीं हैं। माननीय शिक्षा मंत्री से करबद्ध प्रार्थना है कि जब तक कोई स्थाई नहीं होता है तब तक उनका चित्त नहीं लगता न उनसे लगन ही होती है। मैं प्रार्थना करूंगा कि जो पी० ई० सी० के अधिकारी वर्ग हैं वह स्थाई कर दिये जायें और उनके नियम जहां तक हो सके एन० सी० सी० के अनुसार ही बनाये जायें। इन शब्दों केसाथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री बद्री प्रसाद कक्कड़—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) माननीय चेयरमैन साहब, मैंने इस बिल को अभी पढ़ा है। पढ़ने के बाद मेरे दिल में हकीकी ख्याल पैदा हुआ कि माननीय मिनिस्टर साहब धन्यवाद के पात्र हैं और धन्यवाद उनको देना चाहिए। इस सिलसिले में मुझे एक शायर का शेर याद आया.

यकीं मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातहे आलम।
जैहादे जिन्दगी में यह हैं मरदों की समशीरें॥

अगर हकीकी जज्बये मोहब्बत इन्सान के दिल में पैदा हो जाये, गवर्नमेन्ट के दिल में पैदा हो जाये तो यकीनन् वह मन्शा जो दिल में ठाने हुए हैं जो जज्बात से वास्ता हुआ है, उसका असर होगा,

इश्क हो रास्त करामत न हो क्या माने
हस्ब इर्शाद ही सब बात न हो क्या माने

मैंने खुद देखा कि जो बच्चे बिगड़े हुए बहके हुए और गुमराह थे उन्होंने वर्दी पहनी और मैदान में आकर खड़े हुए तो उन में एक डिसिप्लिन कूट-कूट कर भर दी गई और मैंने देखा कि वह खुद तो सुधरे ही, औरों को भी सुधार दिया। मैंने देखा जिस जगह ऐसी बात हो और उसका ऐसा असर हो तो उसका मद्दाह होना चाहिए और उसके लिए गवर्नन्ट को इनकरेज करना। वाकई सबसे बड़ी न्यामत, सबसे बड़ी चीज तनदुरुस्ती है।

Exercise is the better principle of......(inaudible).

Better to maintain for health and body than to pay the Doctor for the (inaudible).

अगर यह चीज सही है तो दरअस्ल बच्चों के लिये वरजिश करना जरूरी है। वरजिश किसको कहते हैं? इकसरसाइज उसको कहते हैं जिस मशक्त से ईसान दिल के में कमजोरी न पैदा हो लेकिन जब यह बिल मैं देखता हूं तो मुझे दुख होता है। जनाबमन आपने शहर को मुतवरिक चीज समझा। क्या देहात के बच्चे आपके नहीं हैं···

एक आवाज

वह आगे होंगे।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

श्री बद्री प्रसाद कक्कड़—वह आगे होंगे तो आपकी तारीफ की जायगी, अभी तो नहीं की जा सकती है। लिहाजा खामियों के लिये आपकी निगाह उधर खींची जाती है। रसकिन ने कहा हैं कि अगर मिनिस्टर्स पैदा होते हैं तो देहातों में पैदा होते हैं, अगर कमान्डर्स पैदा होते हैं तो देहातों में पैदा होते हैं लिहाजा यह चीज देहात में होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज आपने जो कही है वह यह यह कि लड़कियों को दी जायगी। अभी तक मेरे जिले में तो ऐसा कुछ नहीं हैं, हो सकता है कहीं पर कुछ छुटपुट हो, कुछ पी० टी० कराई जाती हो। दूसरे जिलों में यह चीज हो तो हो। एक प्रोवर्ब है चाई जीन में The frame of the body of the Mother must be strong. The son will give (inaudible)......but I say that in a country and in the nation where all are (inaudible) the body and the frame of the body of all the mothers should be very strong.

अगर मैं गल्त नहीं कहता था यहाँ की माताओं के लिये यह लाजिमी है कि वे मजबूत हों और उनमें डिस्पलिन की जरूरत है। लगजिश नहीं होना चाहिये वरना चाहे जो स्टेट हो, चाहे जो गवर्नमेंट हो, चाहे जो सभा हो वह स्टेट, वह गवर्नमेंट, वह सभा पावरफुल नहीं हो सकती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे और जो हमारे उपाध्याय जी ने कहा है कि कभी-कभी यह देखा जाता है कि एक आदमी ५० लड़कों लिए काफी नहीं है तो मुझे जनसंघ की बात याद आती है।

(Inaudible) man's eyes are the spectacles to read the heart.

कहता है कि इन्सान कीं आँखों में वह असर पैदा किया गया है कि जाजाय कि कुंवर साहब की निगाह बदली हुई है या बिगड़ी हुई है।

श्री कुंवर गुरू नारायण—आप बुजुर्ग है।

श्री बद्री प्रसाद कक्कड़—बुजुर्ग तो, इही अल्लाह मियाँ ने बना दिया है। जैसे पी० टी० या पी० सी० ई० होती है जिस वक्त वहाँ कमान्डर खड़ा होता है वह हर एक की हरकतो का तेखता है और खुश होता है। वहाँ कोई स्कूल नहीं है जहाँ क्लास लिया जाय। टेढ़े मेढ़े पैर न रखे, ठोक से खड़े वह हों, कन्ट्रोल कर सकता है। स्टेट इस प्रवोजन पर ध्यान रखे और जितनी खामियाँ हों उनको पूरा करे। इन शव्दों के साथ मैं फिर मुबारक बाद देता हूँ।

***श्री इन्द्र सिंह नयाल**—(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक है मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस विधेयक द्वारा हमारे स्कूलों में वह व्यवस्था की जायेगी जिसके द्वारा बच्चों में डिसिप्लिन पैदा हो और एक प्रकार का दल कायम किया जा सकेगा। इस विधेयक का मंशा यह कतई नहीं है कि इसके द्वारा ऐसी शिक्षा प्रदान हो जिससे हमको मिलिटरी के कामों में सहायता मिले और न यह प्रयोजन है कि श्रमदान लेकर काम

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

द्वारा करायें । इसका मकसद यह है कि एक दल ऐसा कायम हो जिसमें डिसिप्लिन द्वारा सब कार्य हों और उसके साथ साथ मिलिटरी की शिक्षा, ड्रिल आदि तथा सोशल सर्विस करने का चाव पैदा हो ।

श्री नन. इस प्रकार के विधेयक में यह चीज जरूरी हो जाती है, जब हम किसी औरगेनाइजेशन को जिसके द्वारा डिसिप्लिन की शिक्षा देने जा रहे हैं कायम करें तो उसमें एक आफिसर रहे और दूसरी बात यह हो कि डिसिप्लिन्ड काम कराने के लिये यदि कोई डिसिप्लिन न माने तो उसको सजा देने की भी व्यवस्था रहे । आर्मी ऐक्ट या पुलिस ऐक्ट को आप देखें उसमें डिसिप्लिन की बात आती है तो कानून के अन्दर एक आफिसर भी वहाँ होता है और यदि उसके नियमों की कोई अवहेलना करता है तो सजा की भी व्यवस्था की गई है । एन० सी० सी० और पी० ई० सी० में ऐसी व्यवस्था नहीं थी । अब जब हम कमपलसरी करने जा रहे हैं तो एक आफिसर भी होना चाहिये और उन्हीं विद्यार्थियों में से यदि कोई कमान्डर, कारपोरल बन जाय तो उसकी आज्ञा को यदि कोई न माने तो किसी प्रकार की सजा भी निर्धारित की जाय ।

अब इस बिल की जो विशेष महत्ता है वह यह है कि इसमें दफ़ा ११ कायम की गई है जिसमें यह लिखा है कि किसी भी रूल की अवहेलना करने पर कोई है विद्यार्थी जो कि इस दल का सदस्य होगा उसको सजा दी जा सकेगी जो कि नियमों के द्वारा सरकार निर्धारित करेगी । किस प्रकार से वह सजा दी जायेगी इसके लिये भी नियम बनाये जायँगे । वह सजा भी इस प्रकार की हो सकती है कि काम करने के लिये कहा जाय या खड़ा रहने के लिये कहा जाय या कुछ देर के लिये बन्द कर दिया जाय । इसमें यही एक ऐसी चीज है जो कि इसमें जान डालती है । इस विधेयक के द्वारा ऐसा फोर्म बनाया जा रहा है जिसके द्वारा विद्यार्थियों का संगठन हो उनमें अनुशासन आये और उनके जो लीडर हो जो कि विद्यार्थी ही होंगे उनकी वह आज्ञा पालन करना सीखें । इस प्रकार से विद्यार्थियों में अपने ही लीडरों की आज्ञा पालन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी । उनकी आज्ञा का कोई सवाल नहीं उठा सकेगा । जैसे फौज के सिपाहियों में और पुलिस के सिपाहियों में कोई भी अपने अफसरों की आज्ञा पर सवाल नहीं उठा सकता है उसी प्रकार से यह विद्यार्थी भी अपने लीडरों की आज्ञा पर सवाल नहीं उठा सकेंगें । अगर कोई सिपाही आज्ञा पर सवाल उठतां है तो वह आज्ञा की अवहेलना समझी जाती है । इसी प्रकार से विद्यार्थियों में भी अगर कोई सवाल उठाया है तो वह अनुशासन हीनता समझी जायेगी । और इसके लिये जो सजा निर्धारित की जायगी वह भी दी जा सकेगी । यह डिसिप्लिन के लिए बहुत आवश्यक है । डिसिप्लिन कायम रखने के लिये पनिशमेंट बहुत आवश्यक है । इस विधेयक के जरिये से सारे विद्यार्थियों का संगठन किया जा सकता है । उनमें अपने लीडरों की आज्ञा पालन करने की क्षमता आयेगी । वह अच्छे लीडर भी बन सकेंगे और अच्छे फालोअर भी बन सकेंगे । वह लीडर भी यह समझ सकेंगे कि किस प्रकार से हमको काम लेना है और किस प्रकार से उनसे कवायद करवाना है । सोशल सर्विस किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से करवाना है । जिस प्रकार से एक सिपाही को अपने लीडर की आज्ञा पालन करना आवश्यक होता है

[श्री इन्द्र सिंह नयाल]

उसी प्रकार से इनको भी अपने लीडर की आज्ञा पालन करना आवश्यक होगा। इससे उनके अन्दर सामाजिक सेवा का भाव पैदा होगा डिसिपिलन पैदा होगी और साथ ही कुछ मिलिट्री की भी कुछ बाते उनमें आ जायेंगी। इसलिये इस विधेयक का स्वागत करना बहुत आवश्यक है। दूसरे इसमें जो यह कहा गया है कि यह देहातों के लिये लागू नहीं है। तो यह बात मेरी समझ मे नहीं आई। जब यह विधेयक लागू होगा तो देहातों में क्यों नहीं लागू होगा। देहातों में लागू होगा। इसमे एक छूट रखी गई है। हर एक इंस्टीट्यूशन के लिये यह लाजमी नहीं है कि वह इस स्कीम के अन्दर आये। जो इंस्टीट्यूशन इसके बाहर रहना चाहते हैं वह दफा ३ के मातहत बाहर रह सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि हरएक इंस्टीट्यूशन को इसके अन्दर आना ही पडेगा। न यही है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन इसके अन्दर नहीं आयेगा तो उसकी रेकगनीशन छिन जायेगी। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि इसमें यह कहा गया है कि आपके पास इतने इंस्ट्रक्टर्स नहीं हैं बन्दूक नहीं हैं तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक डिसिप्लिन्ड समाज बनाने के लिये यह जरूरी नहीं है कि बन्दूके हों तभी वह हो सकता है।

लेकिन यह ऐसा नहीं है कि बन्दूक होने से यह डिसिप्लिन कायम रखे। यह भी कहा गया कि इससे शिक्षा में हानि होगी तो यह नहीं होगा। किसी भी वक्त हफ्ते में एक वक्त और महीने में दो वक्त सोशल सर्विस का काम हो सकता है। इसमें एक चीज थी जिसको माननीय सदस्य ने कहा कि यन० सी० सी२ का क्या होगा ? दफा १४ दिया हुआ है और अगर इसको मैं सही समझ रहा हूँ तो यन० सी० सी० और पी० ई० सी० इसमें आ जाता है। दफा १४ इस प्रकार है—

"(1) Any rule made or order, or direction given prior to the commencement of this Act, by the State Government or any other authority under the scheme of Social Service Training, or Compulsory Military Education or the amalgamated scheme of Military Education and Social Service Training, shall continue in force as if it has been prescribed, made, issued or given under this Act...."

तो इसके माने यह है कि जहाँ पर यन० सी० सी और पी० ई० सी चल रही है उनके नियमों को अगर आप देखें तो मालूम हो जायगा। दफा ११ के जन्दर उसको सजा दी जा सकती है। अफसर दफा ९ के अन्दर समझे जायेंगे लेकिन यह हमारी समझ में नहीं आता कि दो जगह पर सदस्य बनने की क्या आवश्यकता है। वे सब इसके सदस्य समझे जायेंगे। रूल्स के अन्दर जो बनाया हुआ है अफसर उसके अन्दर बनाये हुए समझे जायेंगे। दफा १४ जो है उसके क्या माने हैं ?

श्री मदन मोहन—एन० सी० सी० सेन्टरल गवर्नमेंट की स्कीम है। वह इसमें ायगी।

श्री इन्द्र सिंह नयाल—जब तक आप कमान्डर को आज्ञा का उलंघन करने वाले को सजा देने का अधिकार नहीं देंगे तब तक यह शिक्षा सफल नहीं हो सकती है। इसलिये यह ऐक्ट बनाया गया है कि इस फोर्स के द्वारा डिसिप्लिन कायम हो सके। इस तरह से जो भी उनका अफसर होगा उनका कहना वे करेंगे।

He is not in a position to question why ?

वाई करने का सवाल उनके पास नहीं होगा। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ।

***श्री कन्हैया लाल गुप्त**—(अध्यापक निर्वाचन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सन्मुख है वह हर प्रकार से स्वागत के योग्य है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। पूर्व व्यक्तियों ने जो कहा है उससे भी इस बात की पुष्टि होती है। मैं सोचता हूँ कि बहुत ही थोड़े विधेयक ऐसे होंगे जो इतने स्वागत के योग्य हैं। जब यह विधेयक सदन में उपस्थित हुआ था तो उसकी प्रति हमारे सामने है जो शुरू में हमारे सामने रखी गई थी। इसमें बहुत कमी थी और बहुत सी ऐसी बातें थीं जो बहुत ज्यादा विवादास्पद थीं और विरोध करने के योग्य थीं। परन्तु जिस शकल में आज यह यहाँ आया है उस शकल में यह पहले से बहुत कुछ सुधरा हुआ है। शायद अब इसमें विरोधी या विवादास्पद बातें थोड़ी है और उनका ओर कम करना शायद कठिन होगा। ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ने जिस शकल में इसको पास किया था उसके बाद विधान सभा ने इसमें बड़े सुन्दर परिवर्तन किए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस विधेयक के उददेश्य का ताल्लुक है इसके मुताल्लिक कोई दो राय नहीं हो सकती। मनोवैज्ञानिक लोग जानते हैं और करीब-करीब सभी लोग जानते हैं कि येडालेसेंस की जो स्थिति होती है मैं ठीक शब्द नहीं जानता हूँ येडालेसेंस के लिए ही किशोर अवस्था बड़ी खतरनाक होती है जहाँ वह बहुत जबरदस्त पाटेन्शियलटी रखती है वहाँ वह उतनी ही खतरनाक भी होती है। उस अवस्था में हर बच्चे के अन्दर एक सरप्लस इनर्जी होती है। यदि उस सरप्लस इनर्जी का ठीक इस्तेमाल न किया जाय तो उसका गलत तरीके से स्तेमाल होता है और उसके स्तेमाल के ऊपर ही आगे का उसके भविष्य का निर्माण होता है। तो यह बात बड़ी आवश्यक है कि उस सरप्लस इनर्जी के ठीक-ठीक प्रकार से स्तेमाल होने पर ध्यान दिया जाय और दूसरी बात यह है कि मनुष्य के जीवन के निर्माण में विशेषकर किशोर अवस्था में रिद्म शब्दका बड़ा सिगनीफिकेन्स है। रिदम का बड़ा मूल्य है। मिलीटरी ट्रेनिंग उस रिदम का स्तेमाल करके सरप्लस इनर्जी को ठीक स्थिति में लाकर उसके जीवन का निर्माण करती है। मुझे रिदम का हिन्दी शब्द नहीं याद आता।

श्री चेयरमैन—रद्म (rtythm) को ताल कहते हैं।

श्रीकन्हैया लाल गुप्त—हाँ ताल अथवा लयकह सकते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ इस शब्द के लिये। ताल की बड़ी भारी कीमत निर्धारित की है। सरप्लस इनर्जी और रिद्म इन

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

दो चीजों का लेकर आज यहां यह बिल लाया गया है। यह पर प्रकार से यह स्वागत करने के योग्य है। कुछ बातें कहीं गई। उनके बारे में मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा। पहली बात तो यह है कि ऐसा ख्याल किया गया कि सरकार शायद एक नया कदम ले रही है। में अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसा कि आब्जेक्ट्स ऐंड रीज़न्स में कहा गया है सन् ५५ से यह स्कीम चल रही है। बहुत कुछ प्रदेश के जिला के हेडक्वार्टर्स में यह स्कीम चल रही है। मैं सोचता हूँ कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो यह विधेयक पेश किया है उनका उद्देश्य केवल इसका रेगुलराइज़ या लीगलाइज़ करना है। इस क्लाज़ मैं खा शुरू में फर्स्ट का थर्ड सब सेक्शन है उसको अगर आप पढ़े तो बहुत कुछ भ्रम का निराकरण हो जाता है। इसको डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में लागू किया है और साथ ही यह भी किया हैं कि उन इंस्टीट्यूशंस में यह बिल लागू होगा जो कि नोटिफाई किये जाऐंगे। यह डिस्ट्रिक्ट हेडख्वार्टर में लागू होगा तो इक्साफेक्टा इसका मतलब है कि जितने भी इंटरमीडिएट कालेज़ हैं उनमें यह लागू हो जायगा। दूसरे क्षेत्रों में, इसका लागू तब किया जायगा, जब कि नोटिफ़िकेशन होगा। बन्दूक वर्दी या और जितने भी साधन हैं उनको जैसे-जैसे जुटाते जाएंगे उस हिसाब से संस्थाओं को नोटिफाई करते जाएंगे और इसको आगे बढ़ाते जायेगें मैं तो ऐसा ही इसको समझ पाया हूं और समझता हूँ कि मंशा वास्तव में यही है। इस तरह से जो एतराज हैं कि हम इसको एकाएक लागू करते हैं तो बहुत बड़ा बोझ अपने ऊपर ले रहें हैं, हम अपने साधनों से आगे बढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वैसा नहीं है। इसके खिलाफ इसमें प्राविजन है।

एक बात माननीय कुंवर साहब ने कही थी और वह यह थी कि कम्पलसन नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का कायल हूँ कि कम्पलसन हमेशा अच्छा नहीं रहता है लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ तक स्टूडेन्टस का ताल्लुक है और जहाँ तक एक ऐसी ट्रेनिंग का ताल्लुका है जिसमें हमें कोई गलत बात नहीं दिखाई देती है जिसमें किसी प्रकार कि गलती की सम्भावना नहीं है, फिर उसको कम्पलसरी किया जाय तो कोई गलत बात नहीं है। यह तो मनुष्य का स्वभाव है कि अगर कोई अच्छी चीज़ है और उसको कम्पलसरी करें तो वह बात अच्छी लगने लगेंगी। अगर हम भगवान का स्मरण ही कम्पलसरी कर दे कर तो कुछ दिनों में वह भी लोगों को अपने आप अच्छी लगने लगेंगी। अगर इस तरह से इसको भी कम्पलसरी किया जाता है तो वह स्वागत के योग्य है।

एक बात एन० सी० सी० के सम्बन्ध में कही गयी है। माननीय इन्द्र सिंह जी ने अभी कहा है कि इस में जो क्लाज १४ हैं उसमें एन० सी० सी० इसके मातहत आ जाती है। मैं समझता हूँ कि वे किसी गलतहमी में हैं। एन० सी० सी० का प्राविधान है वह सेन्ट्रल के ऐक्ट में है और वह हमारे कब्जे में नहीं है बल्कि वह तो इससे बाहर है। उसके मातहत एक शिक्षा चल रही है जिसमें हाई स्कूल के विद्यार्थी भी शामिल हो सकते हैं और उसके ऊपर के विद्यार्थी भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन एन० सी० सी० के एक केडिट के लिए इतना कर्च किया जाता है, कि वह स्कीम व्यापक पैमाने में प्रदेशीय स्तर पर नहीं लागू की जा सकती है। शायद ९ लाख रुपये

सालान हमारे प्रदेश में इसके लिये खर्च किये जाते हैं और करीब १३ लाख रुपये पी० ई० सी० की स्कीम पर खर्च किया जाता है। एन० सी० सी० में जो केडेट हैं उनकी संख्या हजारों में है लेकिन पी० ई० सी० में तो १३ लाख रुपये में बहुत ज्यादा तादाद में कवर करने की कोशिश करते हैं। एन० सी० सी० की ट्रेनिंग तो बहुत ही इन्टेन्सिव है और पी० ई० सी० के द्वारा यह चाहते है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हों और अपने यहाँ डिसिप्लिन तथा फिजीक को ठीक करने की चेष्टा करें। यह एक कम खर्च की स्कीम है और इनटेन्सिव नहीं हो सकती है। यह स्कीम हर प्रकार के विद्यार्थियों को अपने में शामिल करने की कोशिश करती है। यह इसकी खूबी एन० सी० सी० के मुकाबिले में है।

यह बात भी ठीक है जैसा कि प्रिन्सपल मदन मोहन जी ने कहा कि एन० सी० सी० का इसके साथ समझौता होना चाहिए। कहीं-कहीं पर डुप्लीकेशन है जो कि नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसकी व्यवस्था हो सकती है। जिनको एन० सी० सी० से ट्रेनिंग मिलती है उनको पी० ई० सी० से मुक्त किया जा सकता है। बिल में इस प्रकार का प्राविजन भी है और वह किया जा सकता है। श्री मदन मोहन जी पूछ रहे हैं कि वह कहाँ है तो मैं कहता हूँ कि नियमों में इस तरह से प्राविजन किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो क्लाज ४ है उसमें लिखा हुआ है कि ?—

"It is provided that any student may on grounds of health, physi cal infirmity or other ground........."

इसमें जो प्रावीजन किया गया है उसमें यह आ सकता कि जो विद्यार्थी एन० सी० सी० में है वे निकाले जा सकते हैं। इसके साफ लिखा हुआ हैं कि as may be prescri bed में उस क्लाज को पढ़ देता हूँ :—

Provided that any student may on grounds of health, paysical infirmity or other ground as may be prescribed. N. C. C. may be one of those things which is prescribed.

तो एन० सी० सी० may be among one of thes conditions और यह इन्टेंशन है भी...

श्री कमला पति त्रिपाठी—आज भी ऐसा है कि यदि कहीं इन्टरमीडिएट कालेज और डिग्री कालेज साथ साथ हैं तो वहाँ इन्टर के लड़कों को भी इसमें ले लिया जाया है, अगर एन० सी० सी० में हों तो उनके पी० ई० सी० में आने की जरूरत नहीं है, आगे रूल्स में इसको साफ कर दिया जायेगा।

श्री मदन मोहन—यह जो है Provided that any studendent may on grounds, on health physical infirmity or other ground. तो as may be prescribed जो है यह किसको क्वालिफाई करता है। मेरा ख्याल है कि कौमा हट जाना चाहिये।

श्री कमला पति त्रिपाठी--उसको साफ कर देंगे। कौमा हटा दिया जायेगा।

श्री चेयरमैन--यदि कामा हटा दिया जायेगा तो फिजिकल इनफर्मिटी आफ हेल्थ, उसके भी रूल्स बन जायेंगे।

श्री मदन मोहन--उसमें तो डाक्टर वगैरह का सर्टिफिकेट होगा, वह सर्टिफाइ करेगा कि वह काबिल है या नाकाबिल है।

श्री चेयरमैन--वह भी तो एक रूल ही है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--कामा के मुतालिक तो कठिनाई हो सकती है लेकिन मन्शा जो है उसके मुतालिक कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारा काम चल जाता है। तो यह एन० सी० सी० के सम्बन्ध में मैंने अर्ज किया।

एक बात अध्यक्ष महोदय, मैं और कहना चाहता हूँ और वह है क्लाज ६ के बारे में। उसमें यह प्राविजन किया गया है कि यदि सरकार चाहें तो गर्ल्स की भी वह एक यूनिट बना सकती है। पहले तो इसके सम्बन्ध में कम्पलशन था जिसके ऊपर मैंने अपना नोट आफ डिसेन्ट भी दिया था। बहरहाल जिस शकल में वह इस वक्त है, उस शकल में वह ज्यादा एतराज तलब नहीं है जितना कि पहले था फिर भी मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, पता नहीं मुझसे कहाँतक इस सदन के सदस्य एकमत होंगे, शायद यह बात हो कि मेरी व्यक्तिगत बात हो।

श्री चेयरमैन--माननीय सदस्य बता दें कि मूल विधेयक में कम्पलशन था यह उसमें किस जगह पर लिखा हुआ है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मुझे ढूढना पड़ेगा। पहले ऐसा था कि बच्चों के लिए जिस तरह से कम्पलसरी था तो बहुत कुछ उसी तरह से लड़कियों के लिये भी उसमें कम्पलशन था।

श्री चेयरमैन--वही तो मैं चाहता हूँ कि कहाँ था। अगर नहीं मालूम होता तो आगे चलिए।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मुझे पहले ऐक्ट का स्मरण नहीं हो रहा है। देख कर बता भी सकता हूँ लेकिन उसमें देर लगेगी। बहरहाल मैं यह कह रहा था कि शायद यप मेरी व्यक्तिगत बातें हों। अध्यक्ष महोदय, मुझे फेयर सेक्स से थोड़ा डर लगता है क्योंकि फेयर सेक्स हमारी शक्ति का परिचायक है और मेरा अपना ख्याल है कि माननीय मंत्री जी भी शक्ति से डरते ही हैं, तो मेरा कहना यह है...।

श्री चेयरमैन--"Fair sex" is wroug use which you are making. You may be afraid of the sex but not of fair sex.

श्री कन्हैया लाल गुप्त--I bow down to your amendment, I accept it gladly तो मेरी अर्ज यह है कि यदि हम स्त्रियों को मिलिटरी एजूकेशन देने लगें, जो कि लड़कों के लिये इसमें सोच रहे हैं तो शायद उससे हमारा कुल मिलाकर

बहुत हित नहीं होगा। बात कहाँतक ठीक है, मैं शायद पुराने ख्यालात का व्यक्ति हूँ और हो सकता है कि दूसरे लोग मेरी इस राय से इतिफाक न करते हों लेकिन मेरा ख्याल है हमें स्त्रियों को घर के काम काज के अलावा दूसरी दूसरी तरफ भी शिक्षा देने की आवश्यकता है, जिनकी तरफ कि हम में अभी बहुत कमियाँ हैं। अभी बहुत सी कमियां हमें दूर करनी है और यदि हम मिलिटरी एजूकेशन देने की बात को थोड़े दिनों के लिये और स्थगित करके रखें तो शायद कुछ बुराई नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि लड़कियों की संस्थाओं को इससे दूर रखा जाय तो अच्छा होगा। हांलाकि मैं यह जानता हूँ कि यह विधेयक अभी फौरन सरकार लागू नहीं करने जा रही है, लेकिन मन्त्री जी ने यह अधिकार अपने हाथ में ले लिया है कि जब जरूरत समझें तो वे इसे लागू कर सकते हैं। यही बातें मुझे आप की आज्ञा से सदन के सामन पेश करनी थीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात खासतौर से इस विधेयक से लाभ उठाकर सरकार से कहना चाहता हूँ। मैं जो निवेदन करने जा रहा हूँ उसका उद्देश्य ठीक वही है जो सरकार इस बिधेयक के द्वारा पूरा करना चाहती है। हमारे प्रदेश की संस्थाओं में स्काउटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको बालचर भी कहते हैं। हमारे प्रदेश में स्काउटिंग की स्थिति अभी तक पिछड़ी हुई है मैं समझता हूँ कि इसके अन्दर जो निहित शक्ति है वह बहुत ही बड़ी है। आज हमारे प्रदेश में स्काउटिंग पर केवल ५५ हजार रुपया ही खर्च हो रहा है, जब कि मिलिटरी ट्रेनिंग पर १३ लाख रुपया खर्च हो रहा है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, १३ लाख के बजाय अगर २३ लाख खर्च किया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं स्काउटिंग की तरफ सरकार का ध्यान खासतौर से दिलाना चाहता हूँ। सरकार ने इसकी अवहेलना की है। सरकार को इससे अधिक रुपया इसपर खर्च करना चाहिए। इसके अन्दर बहुत बड़ी शक्ति निहित है। सरकार को इस तरफ भी अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। मैं इस बिल का स्वागत करते हुए एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जो एन० सी० सी० के रूल्स हैं, वह मिलिटरी की तरह से होते हैं और अगर जरूरत हुई तो उन लोगों को लड़ाई पर भी भेजा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि पी० ई० सी० के रूल्स वैसे नहीं होने चाहिए। एन० सी० सी० तो अपना एक सैनिक स्थान रखता है और वहाँ उसके भीतर यह बात महत्वपूर्ण है। अगर आप यही बात यहां भी रखना चाहते हैं और रूल्स में इस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो इसमें मिलिटरी के पनिशमेंट की बात भी आ जाती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसके लिए वैसे ही रूल्स रखना, यह बड़ी गलत बात होगी। पहले एन० सी० सी० रूल्स जो बनाए गये थे उसमें पनिशमेंट के लिए व्यवस्था थीं। इस बिल में यह बात इस तरह से की जा सकती है कि उसे ५० रुपया फाइन किया जा सकता है और ७ दिन के लिए जेल भी भेजा सकता है। एन० सी० सी० की इस प्रकार की चीजें हमारे यहाँ के कोर में ठीक नहीं बैठेंगी। रूल्स तो सदन के सामने विचार करने के लिये पेश ही किये जायेगे और जब यह चीज हमारे सामने आयेगी, तभी हमें मौका मिलेगा कि हम उस पर कुछ कहें। रूल्स बनाते वक्त यदि शिक्षकों को उसमें स्थान दिया जा

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

सके, तो यह ज्यादा अच्छा होगा। मुझे आशा है कि सरकार मेरी इस बात पर ध्यान देगी।

एक बात पीताम्बर दास जी ने कही कि इस विधेयक में हिन्दी के टर्म्स नहीं रखे गए हैं। लेकिन मेरा कहना है कि इस में काफी हिन्दी के टर्म्स रखने की कोशिश की गई है और ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में इस बात पर काफी विचार किया गया। जो शब्द अंग्रेजी में रखे गये हैं, वे इसीलिये रखे गये क्योंकि उनका इक्वीविलेन्ट आसानी से हिन्दी में नहीं मिल पाया। आगे भी यदि सम्भव होगा, तो इसमें सुधार किये जा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ।

*श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक जो माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। वास्तव में इस विधेयक का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण, अनुशासन और समाज सेवा की भावना उत्पन्न हो और मिलिट्री शिक्षण के द्वारा इन बातों की पूर्ति की जाय और लड़कों को सैनिक शिक्षा दी जाय। जहाँ तक उसके उद्देश्य का ताल्लुक है, मेरा विश्वास है कि इस सदन के सभी सदस्य इससे सहमत हैं। बाकी इस सम्बन्ध में जो व्याख्यान हुये, उन से भी पता चलता है कि कोई भी सदस्य इस के विरोध में नहीं है। थोड़ी बहुत आलोचना की गई और वह आलोचना न होकर एक संकेत इस बात की ओर किया गया कि इस बिल में इन चीजों की कमियाँ दिखलाई देती है जिन की पूर्ति होनी चाहिये।

मैं सिर्फ एक बात की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस में जो परामर्श समिति बनाई गई है उस में शिक्षा मंत्री जी से लेकर शिक्षा के अधिकारी, उपकुलपति, प्रधान अध्यापक तथा अध्यापक आदि सभी रखे गये हैं। मैं ऐसा ख्याल करता हूँ कि इस में आप दो सदस्य विद्यार्थियों के भी रख दें, तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। यह बात मैं इसलिये कहता हूँ कि जब आप रूल्स बनायेंगे और उसको लागू करेंगे, तो उसके मातहत शिक्षा देने में आप दंड की व्यवस्था भी करेंगे, मैं तो यह चाहता हूँ कि बजाय इसके कि आप इस ढंग से कोई दंड की व्यवस्था करें जिस से कि बाद में विद्यार्थियों में असन्तोष पैदा हो, तो यही बेहतर होगा कि विद्यार्थियों की मनोवृत्ति और राय का आपको पहले पता चल जाय जिससे कि बाद में इस में कोई परेशानी की बात न उठे। वे लोग भी परामर्श समिति में आ जायेंगे, तो मेरे ख्याल में इस से लाभ ही होगा। जब आप उनसे परामर्श लेकर दंड की व्यवस्था रखेंगे, तब कोई ऐसा बात नहीं होगी जिससे कि विद्यार्थी वर्ग में असन्तोष हो और बाद में इस से यह बात भी नहीं होगी कि बीच में विद्यार्थी कोई चीज खड़ी कर दें। आजकल जिस तरह का वातावरण है, चाहे वह प्रिन्सिपल्स हों या प्रधान अध्यापक हों या माननीय सदस्य हों, सभी में एक तरह की राजनैतिक वृत्ति पैदा हो गई है और विद्यार्थियों में भी आज यह बात आ गई। आज जिस तरह से विद्यार्थियों में वातावरण पैदा हो गया, उससे इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं बाद में वे कोई ऐसा बात न करें जिससे कि वे अनुभव करें

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

कि उनके साथ काफी सख्ती की जा रही है और जो उनके लिये दंड की व्यवस्था की गई है, वह उचित नहीं है।

श्री चेयरमैन आपने अमेन्डमेन्ट इस बारे में पेश नहीं किया और तब भी आप इस पर विशेषतः विस्तार पूर्वक बहस करते हैं। तो आप कोई रूल बतलायें...

श्री राजा राम शास्त्री मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जो इस में कमी है, हो सकता है वह माननीय मंत्री जी को बतलाई जाये और वह उसे दूर करदें।

श्री चेयरमैन आप मुझे कोई कोई रूल ऐसा बतलाये कि जब आपने किसी खंड पर अमेन्डमेन्ट की सूचना नहीं दी और उस पर विस्तार पूर्वक विचार प्रकट कर रहे हैं तो माननीय मन्त्री महोदय को किस प्रकार कोई अवसर है, कि नियमो के मुताबिक, आपकी बात मन्जूर करें।

श्री राजा राम शास्त्री मैं कोई अमेन्डमेन्ट पेश न करके एक शंका रख रहा हूँ और इस वजह से रख रहा हूँ।......

श्री चेयरमैन—मैं जो पूछता हूं वह कृपा करके आप बतलाइए। जो कौंसिल बैठी हुई है वह उन बातों पर विचार कर रही है जिन से उसका सुधार होता है। कौंसिल के दो ही कार्य हैं। जो बात असेम्बली द्वारा पास की गई है उसकी पुष्टि कर दी जाये। सुधार का रास्ता यह है कि सदस्यगण, उनको संशोधनों के द्वारा मन्त्री महोदय के सामने या सदन के सामने रखें। यदि सदन की इच्छा होगी तो मन्त्री महोदय हमेशा आपके साथ में है। आपने विद्यार्थियों के प्रश्न को छोड़ कर, जो आपने बात कहना चाही कि इससे कहीं ऐसी बुराई न हो जाये, वह आपने प्रारम्भ करदी। मैं चाहता हूँ कि नियमों के अन्दर ही यदि सदस्य बात चीत करें तो अधिक अच्छा हो। इतना आप का कहना मैं समझता हूँ असंगत है, इस लिये मैं इस की इजाजत नहीं देता।

श्री राजाराम शास्त्री—चूंकि जनरल बहस हो रही थी, इसलिए बजाय इसके कि मैं इसे पर्टीकुलराइज करता मैं इसको छोड़े देता हूँ।

श्री चेयरमैन—एक बात समझने की है। यदि ओरिजिनल बिल इस हाउस में आता और उस समय आप यह बात कहते तो उसका अर्थ यह होता है कि जो संयुक्त कमेटी बनी उन पर विचार करे और नई धाराओं को पेश करे। अब इस बिल की यह स्टेज हो गई। पहले असेम्बली में पेश हुआ, ज्वाइन्ट सैलेक्ट कमेटी के समय इस हाउस ने इस पर विचार किया, उसके अनुसार एक बिल प्रस्तुत हुआ। अब बिल यहाँ पर आया है। इसे अगर आप फिर से अमेन्ड करना चाहते है तो आप को संशोधन देना चाहिए।

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

अब हम उठेंगे और आपका व्याख्यान दो बजे के बाद जारी रहेगा।

अब सदन की बैठक दो बजे तक स्थगित की जाती है।

(१ बजकर २ मिनट पर परिषद् की बैठक अवकाश के लिये स्थगित हो गई और २ बजे श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सामने पेश किया गया है मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वह काफी सोच विचार करके किया गया है ओर जिस तरह के खतरे सदन के सामने पेश किये गये हैं मैं समझता हूँ, उनको दूर किया जा सकता है। जैसे कि कहा गया कि चूंकि यह शिक्षा अनिवार्य कर दी जायगी और उसकी अनिवार्यता की जो बुराइयां है उनसे भय मालूम होता है मैं ऐसा समझता हूँ कि बिल के अन्दर जहाँ अनिवार्यता की बात है वहाँ इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो ऐसी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते तो उनको मुक्त किया जा सकता है। तो मुझे उम्मींद है कि जब यह उपयोग में लाया जायगा तो जो भय दिखाये गए हैं मैं समझता हूँ कि उनका निराकरण किया जायगा।

अभी तो केन्द्र में इस तरह की व्यवस्था की गई है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि गवर्नमेंट के सामने ऐसा आदर्श है कि धीरे - धीरे ऐसी शिक्षा को वह प्रत्येक बालक और बालिका का दे सके चाहें वह देहात का हो या शहर का हो। मैं भी इसको उचित समझता हूँ। पहले इसका उपयोग केन्द्रों में शुरू किया जायगा और जैसे जैसे सफलता मिलती जायगी उसके क्षेत्र में विस्तार किया जायगा। इसमें कोई भय नहीं प्रतीत होता है।

एक बात की तरफ मैं और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें समाज सेवा और क्यायद दो चीजें हैं। मेरा कहना यह है कि अगर समाज सेवा की जो भावना है इस पर अधिक जोर दिया गया और समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर जिस समय विद्यार्थी सैनिक शिक्षा ग्रहण तो उससे अत्यन्त लाभ की आशा है।

लेकिन समाज की सेवा की भावना पर कम जोर हो और सेनिक शिक्षा पर अधिक जोर हो यह चीजे़ आगे चल कर नुकसान कर सकती है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि समाज सेवा की भावना पैदा हो, इस बात की ओर अधिक ध्यान की आवश्यकता है। मैं यह महसूस करता हूँ केवल यही प्रदेश नहीं समाचारपत्रों से ज्ञात हुआ है कि केन्द्र की सरकार भी महसूस करती है कि प्रत्येक कालेज मे समाज सेवा, श्रम में क्षात्र व क्षात्राओं का ध्यान आकर्षित किया जाय। माननीय सदस्य मानेगें कि इस प्रकार की शिक्षा का ऊद्देश्य अपना प्रभाव करेगा और उसका अनुशासन पर भी प्रभाव होगा। मैं समझता हूँ कि इस देश में भी और दुनियां के हर देश में देखिये आज यह चीज महसूस की जाती है कि जो शिक्षा दी जाय उसमें समाज सेवा तथा अनुसाशन की भावना आये। अगर हम यह भावना पैदा करेगें तो भविष्य में जो नागरिक बनेगें वह देश के स्तम्भ होंगें। इस दृष्टिकोण मे विचार करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि यह बिल ऐसा है जिसका हर प्रकार से समर्थन होना चाहिये। सिर्फ इस बात का ख्याल रखा जाय बहुत दफा ऐसा हौता है कि आज चीजें इस ढंगसे पेश की जाती हैं जिसका महत्व वह नहीं समझ पाते हैं जिनपर वह लागू की जाती हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब यह बिल पास किया जाय तो मंत्री जी इस बात की पूरी कोशिश करेगे कि प्रत्येक कालेज के विद्यार्थिवों के अन्दर इस विधेयक के आदर्शों के संबंध में अधिक प्रचार किया जाय और उनके जो सुझाव हों उनकी कदर की जाय और विद्यार्थी महसूस कर सकें कि उनका हित है, समाज और राष्ट्र के हित में है और

यह कदम हमारी गवर्नमेन्ट ने इस ओर उठाये हैं और इसमें विद्यार्थियों का सहयोग करना चाहिये अगर यह चीज हो जायगी तो कोई वजह नहीं कि विद्यार्थी इसका समर्थन न करे। हमारे देश का दुर्भाग्य अवश्य है कि अच्छे से अच्छा आदर्श का कानून हमारे सामने आता है लेकिन जो उत्साह, ज्ञान होना चाहिये वह हमारे अन्दर कम दिखाई पड़ता है। मैं समझता हूँ कि इन पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जाय। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार से विद्यार्थियों में अनुशासन आयेगा और समाज सेवा की भावना पैदा होगी जो राष्ट्र निर्माण के लिये निहायत जरूरी है।

एक बात और है, हो सकता है कि उसका विरोध हो लेकिन मैं चाहता हूँ वैसे तो स्त्री और पुरुष बराबर हैं लेकिन जब छात्राओं के लिये सैनिक शिक्षा की बात आती है तो जो चीजें पुरुषों के लिये उपयोगी समझी जाती है वह महिलाओं के लिये भी हैं लेकिन माननीय मंत्री जी इन सैनिक शिक्षा के बारे में मैं महसूस करता हूं कि जैसे पुरुषों को दी जाती है वैसे अगर महिलाओं को दी गई तो वह बात अवश्य है कि महिलाओं के सामने जीवन की और भी समस्यायें हैं उसी के अनुसार उनकी शिक्षा होनी चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं कि उनको आप बजाय मिलिटरी ड्रेस पहना कर तोप बन्दूक उनके हाथ में दें, उनका सिर्फ ड्रिल तर रखे, यह बात तो समझ में आती है जिसके कारण उनका स्वास्थ्य ठीक होगा लेकिन हथियार का प्रयोग, वह डर लगता है। बिला हथियार के यह हालत हो रही है। अगर हथियार आ गया तो मुनासिब बात न होगी, मेरा ख्याल यह है।

मैं यह नहीं कहता हूँ कि यह हथियार ही चलाने लगेंगी। लेकिन मेरा विश्वास यह है कि हजारों वर्षों से स्त्रियाँ पुरुषों पर बगैर हथियारों के शासन करती आ रही हैं तो अगर इनके हाथों में हथियार दे दिये गये तो गजब ही हो जायगा। इनको ईश्वर ने कुछ गुण ही ऐसे दे रखे हैं। वह उन्हीं गुणों के बदौलत शासन करती रही हैं। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ कि इनको कवायद भी न कराई जाय उनको आवश्यक कवायद कराई जाय लेकिन मिलिट्राइजेशन से इनका कोई लाभ नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

*श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझको मौका दिया है कि मैं इस बिल के ऊपर अपने विचार रख सकूं। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूँ। यह समाज के लिये बहुत हितकर है। इससे हमारे देश का बड़ा फायदा होगा। इसमें जो यह लिखा हुआ है सैनिक शिक्षा अनिवार्य की जायगी तो इससे बच्चों में डिस्प्लिन आयेगी उनमें नियम पैदा होगा और उनमें अच्छा चरित्र पैदा होगा। यह सब बातें बहुत अच्छी हैं। लेकिन जहाँ यह कहा गया है कि स्त्रियों को इसमें न रखना चाहिये तो मैं इसके लिये मंत्री जी की खास तौर पर आभारी हूँ कि उन्होंने इसमें स्त्रियों की अवहेलना नहीं किया है। उन्होंने बालिकाओं को वही स्थान दिया है जो लड़कों को दिया है। अभी कन्हैया लाल जी ने

---

*सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

कहा कि मैं तो पुराने ख्याल का हूँ और पुराना हूँ लेकिन वह देखने में तो वह पुराने नहीं लगते हैं। आज सब चीजें दुनिया में बदल रही हैं तब भी वह सब चीजों को पुराना ही रखना चाहते हैं। मैं यह भी बतला देना चाहती हूँ कि हमारे भारतवर्ष में तो यह स्त्रियां के लिये सैनिक शिक्षा तो बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है। पुराने समय से यहां पर स्त्रियों को सैनिक शिक्षा दी जाती रही है और बुन्देल खंड में तो अभी तक दी जाती रही है। झांसी में इसी तरह का एक दल अब भी है जिसको कि रानी लक्ष्मीबाई दल कहते हैं। वहाँ पर अब भी स्त्रियों को इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। मैं समझती हूँ कि औरतों के बारे में औरतों को ही बोलने का अधिकार होना चाहिये पुरुषों को नहीं। स्त्रियाँ अपनी बात कह लेगी। पुरुष तो यही चाहते हैं कि स्त्रियाँ नौकरों की तरह से उनकी सेवा करती रहें। जब वह आयें तो उनको पंखा हांकें। उनके इन्तजार में बैठी रहें। आज औरतो में बीमारी इसी कारण से अधिक है कि उनको स्वच्छ हवा नहीं मिलती है। इसी कारण से उनको फेफड़ों की बीमारी अधिक होती है। उनको पर्दों में रखा जाता है। पर्दों में रह-रह कर वह रोगी हो गई हैं जब हमको इस तरह से निकम्मा बना दिया जायगा तो हमारे बच्चे कैसे तन्दुरुस्त पैदा हो सकते हैं। healthy mind in healthy body जब तक हमको स्वच्छ और तन्दुरुस्त नहीं रखा जायगा तब तक हमारा माइन्ड कैसे स्वच्छ रह सकता है। हमारे आचार और विचार कैसे अच्छे रह सकते हैं। यदि हमको भी उसी प्रकार से सैनिक शिक्षा दी जायगी तो हमारे दिल और दिमाग मजबूत होंगे हमारे बच्चे भी वैसे ही तन्दुरुस्त निकलेंगे। जब तक लड़कों के साथ-साथ हमको भी बराबरी में न लाया जायगा तब तक समाज की गाड़ी का एक पहिया रोगी और कमजोर रहेगा और समाज की गाड़ी ठीक से नहीं चल पायेगी। हाँ एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि यह जो इसका नाम रखा गया है, प्रदेशीय शिक्षा दल, इससे कुछ पता नहीं चलता है। प्रदेशीय सैनिक शिक्षा दल या व्यायाम शिक्षा दल रखा जाता तो इसका भाव प्रकट हो जाता लेकिन इसका नाम प्रदेशीय दल रखा गया है। इससे मालूम नहीं होता है कि इसका मतलब यह है। लड़कों को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, स्त्री और पुरुषों को हम तन्दुरुस्त बनायेंगे और इसके लिये हम उनको व्यायाम करायेंगे लेकिन जो शब्द यहाँ पर रखा गया है उससे यह बात साफ मालूम नहीं होती है। इस बिल के अन्दर बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि यह बिल जो है इसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि जो बिल है उसको ज्यों का त्यों मन्जूर करना है। मैं इसका हृदय से समर्थन करती हूँ।

*श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल) जनाब डिप्टी चैयरमैन साहब, मालूम तो कुछ ऐसा ही होता है कि मर्द बहुत आजाद हैं और इसमें कोई शक नहीं कि मर्द बहुत आज़ाद हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि औरतो को पर्दे के अन्दर रखा गया है हर चीज में। उसमें कुछ हमारी भी कमजोरी है। इसमें कोई शक नहीं कि मर्दों ने कुछ

*सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

ऐसा बना लिया है कि औरतों का जो हक्क है उसको देने की उनको जरूरत नहीं। बहर हाल सबसे पहले मैं अर्ज करना चाहती हूँ कि इस वक्त जो हमारे सामने प्रदेशीय शिक्षा दल बिल है उसका मैं दिल से खैर मकदम करती हूँ। मैं वजीरेतालीम की खिदमत में दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि उन्होंने यह स्कीम जो सात या आठ वर्षों से हमारे सूबे में मुख्तलिफ़ तरीके से चल रही थी उसको एक सही रूप देकर इस बिल के जरिये से बहुत सी चीजों को कम्पल्सरी बनाया है और इस उसूल के आधार पर रखा है कि हमारे प्रदेश के समने उसमें किसी की कोई दो राय नहीं हो सकती है। सुबह से हमने इस बिल के सिलसिले में जो तकरीरें सुनी उसको सुनकर मुझे खुशी हुई कि सब लोगों ने इसका दिल से स्वागत किया है। जो कुछ कहा जा चुका है। इस सिलसिले में मेरा ख्याल नहीं है कि मैं कोई नई बात इस सिलसिला में कह सकूँगी। जो भी बात आई है उससे वजीर साहब को अन्दाजा लग जायेगा कि वे एक ऐसी चीज़ ला रहे हैं जिसकी जरूरत इस सब की और यहाँ की जनता को थी। जनाब वाला जैसा स्टेटमेन्ट आफ आबजेक्ट एण्ड रीजन्स में लिखा गया है उसमें दो हिस्से हैं। उसमें से एक सन् ४७ और ४८ से हमारे सूबे में मुख्तालिफ सूरतों में चलाया जा रहा है। हमारे भी बच्चे जो स्कूल और कालेजों में पढ़ रहे तो ज्यादातर इन स्कीमों मातहात इसमें काफी हिस्सा लिये। इसको मैं एक मां की हैसियत से कह सकती हूँ और एक लेजिस्लेटर की हैसियत से भी कह सकती हूँ कि यह ज़्यादा जरूरी चीज़ है। जो हमारे बच्चों में ख्वाहिस की उमंग और उसूल बैठाया जायेगा उसको पूरा करने के लिये तवज्जह देंगे और यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।

जैसा कि बहुत से माननीय मेम्बरान ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि इसके जरिये से दिमाग में लीडरशिप का माद्दा पैदा होता है और लीडर बनाने का इसमें इंतजाम किया गया है और लीडर का फौलो करने का भी इसमें इंतजाम किया गया है। इस चीज़ को समझें। हमें सब लीडर्स ही नहीं चाहिए बल्कि हम चाहते हैं कि बच्चों में डिसिप्लिन पैदा हो उनमें लीडर को फालो करने का माद्दा हो। कोई भी चीज़ हो उस चीज़ को चलाने के लिये उस पर पाबंद होने का माद्दा होना बहुत जरूरी है। खासकर आजकल की दुनियाँ में हमारे मुल्क की जरूरियात को मद्दे नज़र रखते हुए यह जरूरी है कि हम इस चीज़ पर गौर करें और सही तरीके से ऐसे रास्ते निकालें जिनके जरिये से बच्चे अच्छे शहरी बनने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने अर्ज किया इसके दो पहलू हैं। एक तो यह कि इसमें सोशल सरविस का इंतजाम किया गया है। गाँवों में जाकर मुहल्लों में जाकर खिदमत का माद्दा अपने दिमागों में पैदा करें और दूसरी चीज़ यह है कि उनको मिलीटरी ट्रेनिंग मिले। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क की जरूरियात को मद्दे नज़र रखते हुए यह चीज़ बहुत अहम है कि हमारे बच्चों को थोड़ा-बहुत बंदूक चलाना एक डिसिप्लिन से कवायद करना और तमाम चीजें जो कि मिलीटरी डिसिप्लिन के मातहत होती है उनके दिमाग में पैदा हों। सिर्फ दो मेम्बर साहबान ने इस चीज़ के मुताल्लिक अपना ख्याल जाहिर किया कि इसका कम्पल्सरी नहीं होना चाहिए। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं इस ख्याल के

[श्रीमती कुद्सिया बेगम (बेगम एजाज रसूल)]

मुआफिक नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसी आर्गेनाइजेशनल स्कीम जो कि बच्चों के लिये बहुत ज्यादा जरूरी है वह कम्पल्सरी की जाय। हमारे आजकल के तालीम के जो स्कूल हैं उनमें जितनी खराबियाँ है इस वक्त मैं उनमें न जाते हुए यह अर्ज करूंगी कि हमारे बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं उस तालीम में इस तरह की स्कीम बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिये बहुत जरूरी है। इसका कम्पलसरी होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में हरगिज़ जमहूरियत के उसूलों को किसी और के मुकाबिले में जमहूरियत के उसूलों को मानने या उनकी ताअ़ीम करने में किसी से कम नहीं हूँ। जमहूरियत के बगैर दुनियाँ का काम नहीं चल सकता। लेकिन हमारे मुल्क में वह जमहूरियत इतने हद तक ले जाई जा रही है कि वह कारामद साबित न होकर एक पाये का बंधन बनकर रह जाती है ऐसा मालूम होता है। जो चीज़े जरूरी होती है जिनकी इम्पार्टेन्स होती है उन चीजों को लोगों की राय के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए उसको कम्पलसरी होना चाहिए।

और इन चीजों में आज इस बिल को भी शामिल करती हूँ और समझती हूँ कि बच्चों को स्कूलों को और वहां के कारकून को हरगिज इस तरह से मौका नहीं देना चाहिए कि उन के लिये छोड़ा जाय कि वे अपने स्कूल में लागू करें या न करें। इस लिये मैं मिनिस्टर साहब को मुबारक बाद देती हूँ कि इस बिल के जरिये से इस तरह का जो एक कोर है उस को कम्पलसरी कर दिया गया है क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है। हम आज उको दुनिया में देख रहे हैं कि जितने भी बढ़े हुये मुल्क हैं, जो तरक्की याफता मुल्क हैं उन में बच्चों के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है और कितना ज्यादा उन के लिये सोचा जा रहा है। यह हम समझते हैं कि यह चीज हमारे मुल्क के लिये बहुत ही ज्याद अहमियत रखती है ताकि हमारे बच्चों में वे सभी बातें पैदा हों, उन के दिमाग मे कौम की खिदमत, आपस में रहन सहन और आपस में मेल जोल का मादा-पैदा हो। इस तरह से एक मिलीटरी ट्रेनिंग उन के लिये हो। क्योंकि इस समय जो हमारे मुल्क को हालत है उस में हर एक का ध्यान इस तरफ होना चाहिए।

अब मैं इस तरफ आती हूँ कि क्यों लड़कियों के लिये यह कम्पलसी नहीं किया गया है। जिस समय यह बिल ज्वाइन्ट सलेक्ट कमेटी को भेजा गया था उस समय में इस सदन को मेम्बर नहीं थी। मुझे इस बात की खुशी है कि इसके उसूल को वहाँ पर कन्जूर किया गया है। मैं समझती हूँ कि उस समय यह था कि इसको कम्पलसरीली लड़कियों पर भी लागू किया जाय इसलिए जब यह ज्वाइन्ट सलेक्ट कमेटी में गया तो यह क्लाज निकाल दिया गया। अब जो क्लाज़ ६ रखा गया उसमें यह है कि जहाँ तक मुमकिन हो और जहाँ पर कहा जाय वहाँ पर लड़कियों की यूनिट भी कांस्टीट्यूट कर सकते हैं। जनाबवाला, मैं समझती हूँ कि बहुत ही जरूरी है कि इस तरह से बिल में लड़कियी के लिए कम्पलसीरी करना मुश्किल है। इस वजह से मैं नहीं कहती कि लड़कियाँ इस तरह की ट्रेनिंग को न हासिल करें। मैं तो समझती हूँ कि लड़कियाँ भी इस तरह की तालीम हासिल करेंगी और थोड़ी बहुत मिलीट्री ट्रेनिंग और बन्दूक चलाने की ट्रेनिंग उनको भी दी जाय ताकि

डिसिप्लिन उन में भी कायम हो। एक जरूरी चीज है जिस में लड़के और लड़कियों का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जानती हूँ कि इसको रखने में दिक्कत हो सकती है इसमें लड़कियों का कोर बनने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं समझती हूँ कि यह जो क्लाज ६ रखा गया है वह जरूरी है। लेकिन मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वह आगे चलकर अपने एजूकेशन डिपार्टमेन्ट को हिदायत देंगे कि जहाँ तक मुमकिन हो सके इस चीज को बढ़ाने की कोशिश करें। जहाँ लड़कियों के इरादे में यह लागू हो सके वहाँ तक लागू किया जाय। मेरे इस कहने में दो तीन वजूहात हैं। मैं कन्हैया लाल जी के ख्यालात से कुछ हद तक इत्तिफाक करती हूँ। उसमें कोई दो राय नहीं है कि लड़कियों और और औरतों का सब से पहला फर्ज अपने घर की देखभाल, अपने बच्चों और अपने शौहर की खिदमत करना है। इसमें कोई शक नहीं कि यह सबसे पहला उसूल औरतों के लिए रखा गया है लेकिन इसी के साथ यह भी नहीं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ औरतें इस तरह की ट्रेनिंग से महरूम रह जांय और जो दिमागी डिसिप्लिन उनमें पैदा किया जा सकता है वह न किया जाय। उनमें भी एक दिमागी डिसिप्लिन पैदा करने की जरूरत है ताकि वे भी अपने को किसी तरीके से कम न समझें। कम का मतलब मेरा यह नहीं है कि जो कुछ मर्द करते हैं वह हम भी करें, हालांकि आजकल के जमाने में सभी चीजों में औरतें भी बराबर का हिस्सा ले रही हैं। यह भी मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकती हूँ कि आज औरतों में किसी तरह से कमी नहीं है और वे किसी भी काम को जिम्मेदारी के साथ निभा सकती हैं और निभा रही हैं। यह भी मैं कहती हूँ कि अगर औरतों को पीछे डाला जाय तो यह दुनिया की गलती है। मैं यह अर्ज करना चाहती हूँ कि जब मैं टर्की गयी थी तो वहाँ पर अंकारा में मैंने देखा कि अत्तातुर्क ने जो बहुत ही बड़ी सड़क बनायी है उसके सिरे पर एक बड़ा ही शानदार स्टेट्यू बनाया है जिसको सिर्फ औरतों को दिखलाया गया है कि किस तरीके से उन्होंने जंगे आजादी में हिस्सा लिया है। वहाँ पर औरतें अगर लड़ाई में काम नहीं कर सकीं तो मजदूर औरतें अपने सिर पर गोला बारूद लेकर मीलों तक चलती थीं, जहाँ पर लड़ाई हो रही थी। औरतें वहाँ पर यह समझती थीं कि हम किसी तरीके से जंगे आजादी में तो हिस्सा नहीं ले सकती हैं, हालांकि वे हर तरह से हिस्सा ले रही थीं, हवाई जहाज चला रही थीं, लेकिन वे समझती थीं कि हम इस तरीके से काम नहीं कर सकती हैं। या जंगे आजादी में हिस्सा नहीं ले सकती हैं तो वह भारी भारी एम्युनीशन के कगालों को अपने कंधों पर उठा कर मीलों दूर तक ले गयी अपने सिपाहियों की और फौज की मदद के लिये और इन औरतों ने किस तरह से अपने मुल्क के लिये काम किया, उसकी यादगार में उन्होंने उनके स्टेट्यूज बनाकर यह दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से इन औरतों ने इसमें काम किया।

इसी तरह से जापान में भी होता है। वहाँ की औरतें हिन्दुस्तानी औरतों की तरह से घरेलू काम काज में लगी रहती हैं, हालांकि यहाँ से कुछ एडवान्स होता है, वहाँ पर एक विमेन्स डे कहलाता है जिसमें कि जापान की तमाम औरतें साल में एक दफा, जो भी उनके फरायज होते हैं, जो भी उनके काम हैं उनको हर तरह से अन्जाम देती हैं। वह यह

[श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल)]

दिखाती हैं कि हमने यह सब कुछ करते हुये भी अपना औरतपना नहीं छोड़ा है और जो हमारे फरायज और जिम्मेदारी हैं उनके अलावा हम हर काम में मुल्क की भलाई के लिये शिरकत करती हैं। हमें नहीं भुला देना चाहिये कि जंगे आजादी की जब १९१६ में बाढ़ उठी तो महात्मा गाँधी जी ने सबसे पहले लोगों के दिमागों में पहली चीज डाली वह यह कि औरतें भी उसमें शामिल हों और उन्होंने हर तरह से मर्दों का साथ दिया, वे भी जेलों में गयी, प्रोसेशनों में उन्होंने हिस्सा लिया तो यह सब करके महात्मा गाँधी ने सिर्फ यह दिखाने की कोशिश की थी कि औरतों का वही रुतबा है जो मर्दों का है और जिस-जिस तरह से औरतों ने आजादी के लिये काम किया, जिससे तरह-तरह से इदारों में काम किया अगर उसको किसी माने में कम समझा जाय तो यह गलत बात होगी। औरतों को किसी तरह से भी कम नहीं समझना चाहिये। उनके दिलों में भी वही उमङ्ग हैं जो मर्दों के हैं। इसलिये ११ वीं और १२ वीं दरजे में पढ़ने वाली जो लड़कियाँ हैं उनके दिलों में इस तरह की बात नहीं पैदा होनी चाहिये कि किसी लेजिस्लेशन के जरिये से या किसी तरह भी हमको लड़कों के बराबर नहीं समझा जाता है। उनको फख्र होगा कि उनको भी मिलिटरी ऐजूकेशन मिल सकेगी। सेन्टर में जो एन० सी० सी० की पेश बन्दी की गयी है उसमें एक पूरी कोर लड़कियों की है और हर दफा जब कि वजीरे आजम उसको देखते हैं तो अपने दिल से उसकी तारीफ भी करते हैं। इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने वजीर साहब से दरख्वास्त करें कि वह अपने ऐजूकेशन डिपार्टमेंट को हिदायत करें बावजूद इस बात के कि बिल में इसको हम कम्पलसरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियाँ उसमें शामिल हों। उनके इदारे जो वह हैं ऐसा इन्तजाम करें कि लड़कियाँ उसमें हिस्सा ले करके अपने मुल्क के डिफेन्स में मददगार हो सकें। आपको मालूम होगा कि किसी वक्त भी अगर मुल्क को कोई खतरे का सामना करना पड़े तो हमारी लड़कियों को मालूम होना चाहिये कि बन्दूक किस तरह से चलाई जाती है, या बन्दूक चलाने का इन्तजाम किस तरह से कर सकती हैं और किस तरह से अपने मुल्क के लिये वे अपनी खिदमात को पेश कर सकती हैं।

मैं जनाब का ज्यादा वक्त नहीं लूँगी लेकिन मैं सिर्फ यह अर्ज करूँगी कि एक दो मेम्बर साहबान ने कहा कि देहाती रुकबात में यह लागू नहीं होगा। मैं समझती हूँ कि इस बिल में इस तरह का कोई तफरका नहीं रखा गया है। यह शहरी रुकबात में भी लागू होगा और देहाती रुकबात में भी। जहाँ-जहाँ देहातों में इन्टरमीडिएट कालेज है वहाँ यह लागू होगा। जैसे हमारे संडीला में इन्टरमीडिएट कालेज है तो वहाँ भी और हर इलाके में लागू होगा। हमें ज्यादा खुशी है कि यह बिल लाया जा रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह चीज अच्छी तरह से चल सकेगी, उसको बनाने के लिये जो हमारी सरकार या हमारे वजीर साहब के ख्यालात हैं वह जरूर ऐसे हैं कि जो हमारी आशायें अब तक लगी हुई हैं, वह उनसे पूरी होंगी।

आज का आपने अखबार देखा होगा, उसमें हमारे वजीर आजम साहब ने कहा है कि

यह एजूकेशन डिग्री कालेजों के लिये भी कम्पलसरी की जाये। मैं समझती हूँ के जो कदम हमारे वजीर साहब ने उठाया है वह बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से इस को इन्टरमीडिएट कालेजों के लिये कम्पलसरी किया है उसी तरह से इसको युनिवर्सिटी के लिये रखे तो अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का खैरमकदम करती हूं।

*श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री कन्हैया लाल जी ने कहा कि यह बिल निर्विवाद है, मैं इसको ऐसा नहीं समझता हूँ और मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूँ। यह बिल जिस रूप से यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में तो मैं बहुत आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी प्रदेशीय ने एक आरकोलाजिकल डिपार्टमेन्ट और फाइन आर्ट डिपार्टमेन्ट खोला है और अब इस विधेयक के जरिये से मिलिटरी एजूकेशन की स्थापना करने जा रही है। एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो केन्द्रीय सरकार की योजना होती है, तो मेरी ऐसी राय है कि उसी के बराबर प्रदेशीय सरकार भी कुछ न करना चाहती है। हमारे प्रदेश में पी० ई० सी० काफी दिनों से स्थापित है, अब हमारी सरकार यह चाहती है कि इसको वैधानिक रूप दे दिया जाय। जो नेशनल केडेट कौर स्कीम है, उस पर बहुत अधिक पैसा खर्च हो रहा है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब कोई लाभप्रद योजना होती है तो सरकार यह कह देती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन केन्द्रीय सरकार के बराबर अपनी योजना को चलाती है और उसमें अधिक पैसा खर्च करती है। उसके लिये कहां से पैसा मिल जाता है, यह नहीं मालूम होता है।

श्री कमलापति त्रिपाठी मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूँ। क्या बिल के बेसिक प्रिंसिपल्स पर प्रश्न उठाया जा सकता है। इस पर सेलेक्ट कमेटी की राय आ चुकी है। वहां पर इसके मुख्य सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। इसके जो फंडामेन्टल प्रिंसिपल हैं, उन का विरोध नहीं किया जा सकता है। यह इन आर्डर नहीं है।

श्री डिप्टी चेयरमैन इसका सिद्धान्त तो तय हो चुका है। असेम्बली में जो संशोधन हुये हैं, उन पर आप बहस कर सकते हैं। जिस सिद्धान्त को एक दफा मान लिया गया है, उस पर आप बहस नहीं कर सकते हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह माननीय उपाध्यय महोदय, मैं उस पर अपने विचार तो प्रकट कर सकता हू।

श्री कमलापति त्रिपाठी आप की रूलिंग के बाद इस तरह का बहस करना कहां तक मुनासिब है।

श्री हृदय नारायण सिंह क्या मैं केवल इसका स्वागत ही कर सकता हूँ।

श्री डिप्टी चेयरमैन आप उसका स्वागत कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते सकते हैं, लेकिन उसके सिद्धान्तों का विरोध नहीं कर सकते हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह मैं यह सुझाव तो दे सकता हूं कि जो केन्द्रीय

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हृदय नारायण सिंह]

सरकार की योजना है, उससे लाभ उठाया जाय। हमारे प्रदेश की आबादी बहुत बढ़ रही है ! यहाँ पर एन० सी० सी० के अन्तर्गत जो यूनिट हैं, उनकी तादाद बहुत ही कम है। अगर दूसरे प्रदेश के मुकाबिले में उसकी तुलना की जाय तो उसकी तादाद बहुत ही कम है। और शायद ऐसा अनुमान है कि अगर हम इसे पूरे प्रदेश में चालू करते हैं, तो करीब ९० लाख रुपये खर्च होते हैं। तो हम इसे सारे प्रदेश में अभी चालू न करें। हम ऐसा कर सकते हैं कि जो एन० सी० सी० की योजना है उससे भी लाभ उठाते रहें और इस योजना से भी लाभ उठाते रहें।

श्री शिव नारायण—On a point of order, Sir,
We are not discussing N. C. C. here, Sir.
यह एन० सी० सी० के बारे में बिल नहीं है।

श्री डिप्टी चेयरमैन—आप इसके लिये कह सकते हैं।

श्री शिव नारायण—लेकिन १-२ सेन्टेन्स ही कह सकते हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—अभी हमारे यहाँ पन्त जी और नेहरू जी की सरकार है, मैं इस पर भी आऊँगा।

यह जो विधेयक है, मैं इसमें एक चीज स्वागत के योग्य समझता हूँ कि सैनिक शिक्षा के साथ ही साथ इसमें समाज सेवा का भी समावेश किया गया है ! मुख्य रूप से इसमें तीन बातें हैं, समाज सेवा, सैनिक शिक्षा तथा चरित्र निर्माण या चरित्र विकास। जहाँ तक चरित्र विकास का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि मिल्ट्री ट्रेनिंग से कोई चरित्र विकास नहीं होता है। चरित्र विकास के लिये और बातें हो सकती हैं और इस सम्बन्ध में मैं डिटेल में नहीं जानना चाहता हूँ क्योंकि माननीय मंत्री जी फिर इसके लिये क्वेश्चन कर देंगे। हमें अब भी मौका था कि हम चरित्र विकास की ओर तथा समाज सेवा की ओर ज्यादा जोर दें। जहाँ तक सैनिक शिक्षा की आवश्यकता का सवाल है, मैं इसके बात से बिल्कुल इन्कार नहीं करता हूँ। मैं यह भी समझता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को यह मालूम होना चाहिये कि उन्हें कैसे चलना चाहिये, कैसे मूव करना चाहिये और कैसे कदम से कदम मिला कर चलना चाहिये। अगर उन्हें यह सब बातें नहीं आती हैं, तो इनको बतलाने की बहुत आवश्यकता है। लड़ाई के बारे में कहा जा सकता है।

The best preventive of war is preparedness for it.

लड़ाई के लिये यदि हम तैयार रहें, तो लड़ाई होती नहीं है ! मैं इस दृष्टि से इसका स्वागत कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि यह विधेयक जो बनाया जा रहा है ठीक है। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि दूसरे प्रदेशों में इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। वैसे उत्तर प्रदेश हर बात में लीडरशिप करता रहा है। बहुत से इन्टेलेक्चुअल मामलों में तथा दूसरे मामलों में यह दूसरे प्रदेशों से आगे ही रहा है। शायद इस काम के लिये भी यह दूसरे प्रदेशों का अगुवा रहे। लेकिन मैं यह कह रहा था कि हमें ऐसे काम करने चाहिये जिससे कि हम प्रायरिटी देकर काम कर सकें और इस तरह से इसमें बहुत सा रुपया व्यय न

किया जाय। हम आज एक तरह से फाइनेन्शियल क्राइसेस की हालत से गुजर रहे हैं,तो ऐसी हालत में अगर अधिक व्यय न किया जाय तो अच्छा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप पी० ई० सी को रखने के पक्ष में हैं या तोड़ देने के पक्ष में हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं बातें बहुत पर्टीनेन्ट कह रहा हूँ !

श्री कमला पति त्रिपाठी—लेकिन यह इर्रीलवेन्ट हैं ! पर्टीनेन्सी के साथ-साथ रेलिवेन्सी भी होनी चाहिए।

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं ऐसे सुझाव देना चाहता हूँ कि अब चूँकि यह विधेयक बन गया है और खास तौर से माननीय मन्त्री जी ने चूँकि इसको रखा है इस लिए मैं इसका विरोध बहुत बैसे शब्दों में नहीं करना चाहता लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जो हमारी स्कीम्स केन्द्र के द्वारा चलाई जा रही है उनसे भी हमें लाभ उठाना चाहिए और इस काम को भी चलाना चाहिए। सरकार ने इसको प्रेस्टिज का क्वयश्चन बना लिया है इसलिए यह हमारे सामने रखा गया है। एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ, जैसे कि इन्टरमीडिएट के लिए यह व्यवस्था रखी गई है उसी तरह से डिग्री कालेज के लिए भी, कहा गया था, कि यह माँग की गई थी कि एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग के इन्स्ट्रक्टर की पोस्ट वहाँ के लिए सैंक्शन कर दी जाये। आज एक माननीय सदस्य ने कहा पं० जवाहर लाल नेहरू का यह सुझाव है कि वहाँ पर भी इस प्रकार शिक्षा होनी चाहिए। अब शायद माननीय मन्त्री जी कुछ व्यवस्था करें। वहाँ पर इसकी बड़ी आवश्यकता है और जहाँ पर आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए भी कोई न कोई प्रबन्ध होगा हो। जैसा कि कन्हैया लाल जी ने कहा इस बार और जैसा मैंने पहले कहा था कि कुछ ऐसे आर्गनाइजेशन्स हैं जो वालेन्टरी रूप में चल रहे हैं, उनको भी मौका हमको देना चाहिए चरित्र निर्माण या समाज सेवा की भावना उनके द्वारा भी अच्छी तरह से आ सकती है। और जो सैनिक शिक्षण हैं टेन्थ क्लास के लिए यह कम्पलसरी नहीं है, केवल ११, १२ के लिए है। ११, १२ के बाहर की जो शिक्षा है, उनमें जो वालन्टरी संस्थायें हैं जैसे भारत स्काउट्स ऐन्ड गाइड्स असोशिएशन, इनको अधिक प्रश्रय देने की आवश्यकता है और इन संस्थाओं को सहायता देने की आवश्यकता है। मैं तो समझता हूँ कि यदि हम ठीक से भारत स्काउट्स एन्ड गाइड्स असोसिएशन के कार्य को फैलादें तो यह चारित्र निर्माण और सैनिक प्रशिक्षण का जितना भी है कार्य पूरा हो सकता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैं ज्यादा स्वागत करता अगर मन्त्री जी ने ट्रेनिंग आफ मेनर्स को अनिवार्य कर दिया होता। अगर प्राइमरी से लेकर आगे तक शिष्टाचार की शिक्षा प्रत्येक संस्था में दी जाये, उसके ऊपर भी अंक दिए जाया करें तो ज्यादा अच्छा हो। केवल मिलिटरी ट्रेनिंग से ही मैं नहीं समझता कि किसी विद्यार्थी में विनयानुशासन आ जायेगा। डिसिपलिन बहुत चीज है। ऐसा देखा जाता है कि जिनको मिलिटरी ट्रेनिंग प्राप्त होती है उनमें अफ़सरों की आज्ञा की ओबीडियंस की भावना तो

[श्री हृदय नारायण सिंह]

They are not to question why ?
Their's is not to reason why ?
Their's is but to do and die ?

बहुत ज्यादा रहती है। यह तो कूट-कूट कर भर दिया जाता है लेकिन जो विनयानुशासन की बात है वह नहीं पाई जाती। कभी आदर्शों का संघर्ष होता है कभी स्वार्थ बाधक होता है। इन बातों को भी अगर दृष्टि में रखा जाये तो अच्छा होगा।

जो एक कमेटी बनाई गई है उसमें कुछ स्थान निश्चित कर दिए गए हैं। कुछ स्थान अभी रिक्त हैं। दो स्थान सरकार नामजद करेगी। मेरा यह सुझाव है कि दो नामजदगियों के द्वारा भारत स्काउट्स ऐन्ड गाइड्स असोशिएशन के एक दो व्यक्ति लिए जायें क्योंकि उसके द्वारा भी चरित्र निर्माण और सेवा की भावना विद्यार्थियों मे बढ़ाई जा रही है मैंने जैसा कहा कि मुझे खुशी है कि इस सैनिक ट्रेनिंग के साथ साथ जो समाज की सेवा है उसे आधार बनाया गया है। मुझे आशा है कि चूंकि ऐसी व्यवस्था दे दी गई है इसलिए विद्यार्थियों का कल्याण तथा जन साधारण का भी कल्याण होगा। यह शब्द मुझे इस विधेयक पर कहना है।

श्री पीताम्बर दास—मैं एक व्यवस्था की बात आप से पूछना चाहता हूँ। मैं यह मालुम करना चाहता था कि यह बिल जो हमारे सामने आया है जिस पर पहले बहस हुई और फिर यह ज्वाइंट सैलेक्ट कमेटी को रिफर हुआ जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी और अब इस समय हमारे सामने पेश है। और माननीय मंत्री जी का प्रस्ताव है कि इस पर विचार किया जाय। और अब जब भाषण चल रहे हैं और जब हम इसके मूलभूत आधार की मुखालिफत करते हैं तो एतराज होता है कि वह हो नहीं सकती। कई बार यह प्रश्न उठाया गया है। अब अगर इसकी मूलभूत भावना का विरोध नहीं किया जायगा तो इस पर विचार हो जाने के बाद जब आप पूछेंगे कि जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों वे हाँ कहें जो इसके विपक्ष में हों वह ना कहें और जब हम ना का भी आधिकर रखते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम नहीं के लिए दलील भी दे सकते हैं। जब ऐसा है तो फिर मूलमूत भावना पर क्यों नहीं बोला जा सकता और सारी बहस पर क्यों प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। यह कहाँ तक न्यायसंगत है।

श्री डिप्टी चेयरमैन—यह तो सुबह डिसाइड हो चुका है कि जब कोई बिल पेश हो और उसके प्रिंसिपुल को मानकर जाइंट सेलेक्ट कमेटी को सुपर्द कर दिया जाय उसके बाद जब वहाँ से रिपोर्ट आयेगी तो उसके संशोधनों पर विचार किया जा सकता है। यह फैसला किया जा चुका है इसलिए कोई नई बात नहीं हो सकती है। आप इसके उसूल पर बहस नहीं कर सकते हैं।

श्री पीताम्बर दास—तभी तो मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि फिर तो फर्स्ट रीडिंग का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है इसकी आवश्यकता क्या रही।

श्री डिप्टी चेयरमैन—जो संशोधन हुए हैं उसी पर आप बहस कर सकते हैं।

श्री पीताम्बर दास—तो क्या सदन का यह अधिकार नहीं है कि वह कहे कि इस पर विचार न किया जाय।

श्री डिप्टी चेयरमैन—राइट आफ वोटिंग दूसरी चीज है और राइट आफ डिस-कशन दूसरी चीज है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूँ कि सदस्य का यह अधिकार है कि पूरे बिल को न पास होने दें और उसका यह भी अधिकार है कि अपना संशोधन पेश कर के संशोधित कर दे। जब यह प्रश्न उठाया जाय कि पी० ई० सी० को रखने की आवश्यकता नहीं है या इस तरह के किसी कानून के बनने की आवश्यकता नहीं है तो फिर आप उन सिद्धान्तों को उठा लेते हैं जिन पर आपने बहस कर ली है और सिद्धांतों को मानकर सेलेक्ट कमेटी को रिफ़र किया। सेलेक्ट कमेटी को रिफ़र तब ही किया गया है जब सिद्धान्तों को मान लिया गया है। आपने सिद्धान्तों को मान कर उसको परिवर्धित या परिवर्तित करने के विचार से सेलेक्ट कमेटी भेजा। सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आजाने के बाद आप उन चीजों को उठावें तो हाउस ने जो इतना समय दिया वह बेकार हो जाता है मैं समझता हूँ कि यह सेलेक्ट कमेटी को तभी रिफ़र किया गया जब इसके मूलभूत सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया गया।

तो पुनः चैलेंज करके कह सकते हैं कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानते और जिस रूप में बिल आया है वह मान्य नहीं है। यह कह सकते हैं कि संशोधन कर दिया जाय लेकिन जैसा कि हृदय नारायण जी ने कहा कि जिन आदर्शों पर आधारित है उससे असहमत हूँ। यो उसपर मैंने यह प्रश्न उठाया कि जिन आदर्शों पर आधारित है यदि उस प्रश्न को छेड़ा गया तो पहले जो समय इस सदन का इस विधेयक पर लगा है उसका अपव्यय हो जायेगा। नियम क्या है वह आपके रूल पर निर्भर है।

श्री पीताम्बर दास—इसका मतलब यह हुआ कि जो बात कही जाती है उसका विरोध आन ए प्वाइन्ट आफ़ रिलीविन्स हो सकता है पाइंट आफ़ आर्डर नहीं।

श्री हृदय नारायण सिंह—आन ए प्वाइन्ट आफ़ एक्सप्लेनेशन मैं तो पूर्व पक्ष की बात रख रहा था कन्हैया लाल जी ने कहा कि यह निर्विवाद है मैंने केवल शुरू किया था कि निर्विवाद नहीं है, इसके सिद्धान्त में भी मतभेद हो सकता है। उसके बाद मैं अपने पक्ष की बात साबित करता लेकिन मैं बीच में रोका गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात अगर कोई कहना चाहता है तो उसके लिए एक भूमि तैयार करता है। उस तरह से एक सज्जन ने ऐसा कहा कि निर्विवाद है और मैंने कहा कि जो सिद्धान्त है उसमें भी विवाद हो सकता है। मेरा क्या मत है मैंने नहीं कहा। मैं अपनी बात पर आता।

श्रीमती सावित्री श्याम—माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव इस सदन में उपस्थित किया है मैं उसका स्वागत करती हूँ। मैं समझती हूँ कि इस सदन के सभी मान-नीय सदस्यों ने इसको स्वीकार किया है। जो शिक्षा हमारे प्रदेश में सन् १९४७ से चल रही है उसको वैधानिक रूप दे दिया गया है यह नई बात नहीं है, जो किया गया है।

[श्रीमती सावित्री श्याम]

सेलेक्ट कमेटी में जाने से पहले जो कमियाँ नजर आती थीं वह अब काफ़ी इमप्रूव हो गई हैं। पहले इसमें महिलाओं के लिए स्थान नहीं था कि उनको भी मिलिटरी ट्रेनिंग दी जा सके इसका आयोजन कर दिया गया है। वैसे तो हम समानता के आधार पर चलते हैं और समानता की माँग भी करते हैं लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए भी अवसर होना चाहिए वह भी लक्ष्मी बाई की तरह वीराङ्गना कहलाएँ। इतना और कहना चाहती हूँ कि मैं कमपलशन की बात को अच्छा नहीं समझती चाहे वह लड़कों के लिए हो या लड़कियों के लिए हो हर एक को फन्डामेंटल राईट है कि किसी बात में वह साथ दे या न दे। संविधान में यह भी अधिकार दिया गया है कि सब बराबर है। बराबर के माने यह है फिजीकली और मेंटली हर बात में बराबर हों और बराबर ही काम लिया जाय। बराबर के माने हैं इक्वेल अपारचुनटीज दी जाय। इस बिल में इक्वेल अपारचुनटी दी गई है इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी की आभारी हूँ। जहाँ तक इस बात का प्रावीजन है हेल्थ प्वाईन्ट आफ़ व्यू से ठीक है। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी किसी खास स्पोर्ट में दिलचस्पी रखता है तो उसको भी एग्जेम्पट किया जाय। मेरे सामने की बात है। मैं एक माँ हूँ मेरे भी बच्चे हैं। एक बच्चे को फुटबाल का शौक है लेकिन जब पी० ई० सी० कमपलसरी थी तो उसमें उसको हिस्सा लेना आवश्य पड़ता था। मेरा कहना है कि एक स्पार्टमेन का भी स्थान होता है। वह भी ऊपर जा करके देश के बनाने में ख्याति पैदा करने में, बहुत ऊँचा स्थान रखता है। लेकिन चूंकि एक छोटी उम्र का बच्चा जो कि लड़का है या लड़की है एक कंपलसरी ट्रेनिंग में अपने आपको लगा देता है और खेल के लिए समय नहीं निकाल पाता है तो वह भी उसके लिये एक बड़ी भारी अवहेलना होगी और यह बहुत बड़ी कमी रह जायेगी। इससे यह होगा कि जिस तरफ़ वह अपने आपको डेवलप करना चाहता है उससे वह वंचित रह जायगा। अतः मेरा निवेदन यह है कि इसके लिये भी कुछ गुंजाइश रखी जाय। वैसे तो जब यहाँ पर कोई बिल या विधेयक आता है तो वह इस ख्याल से आता है कि यहाँ से डिटो हो कर चला जाता है लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इसमें छोटे मोटे टुकड़े जोड़ दिये जायँ तो अधिक अच्छा होगा। जो लड़के स्पोर्ट्स में अधिक दिलचस्पी रखते हैं। उनको भी इससे इक्ज़ेम्ट रखना चाहिये जैसे कि इसमें यह प्रावीज़न है कि अनहेल्दी और चोट वाले लड़के इससे इक्ज़म्प्ट किये गये हैं वैसे ही उनको भी इक्जेम्प्ट कर दिया जाना चाहिये। इसमें ऐडवाइजरी कमेटी और सेलेक्ट कमेटी का प्रावीजन रखा गया है। ऐडवाइज़री कमेटी का काम होगा कि इसका जो कांस्टीट्यूशन होगा उसको बनायेगी और इसका ऐडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगी। उसके शिक्षा मंत्री जी स्वयं चेयरमैन होंगे शिक्षा के और जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं वह भी इसके सदस्य होंगे। कुछ सदन के माननीय सदस्य भी होंगे। जब इतने बड़े-बड़े अधिकारी इसके सदस्य होंगे तब इसका नाम ऐडवाइज़री कमेटी क्यों रखा गया है जब इसमें इतने बड़े-बड़े अधिकारी हैं और शिक्षा मंत्री जी स्वयं इसके चेयरमैन हैं तब यह कमेटी किसको ऐडवाइज़ करेगी। यह कमेटी किसको सलाह देगी। मेरा तो ख्याल है कि इसके जो आदेश होते वह कम्पलसरी होने न कि यह केवक सलाह देकर रह जाते। वैसे तो इसके माने यही हैं कि यह कमेटी केवल सलाह देगी।

यह कंपल्सरी नहीं है कि इसके सलाहों को माना जाय या न माना जाय केवल एक रेकमेंडेट्री कमेटी है। जब इसमें इतने बड़े अधिकारी और स्वयं शिक्षा मंत्री भी हैं तो यह रेकमेंडेटरी न होना चाहिये बल्कि इसके आर्डर्स जरूर एक्जीक्यूट होना चाहिये। सेलेक्ट कमेटी ने हमारे सामने यह भी अवसर प्रदान किया है कि जब इसके रूल्स बन जायेंगे तब वह सदन के सामने विचारार्थ उपस्थित किये जायेंगे। यह बड़े हर्ष की बात है कि इस सदन के सामने देश हित की प्रत्येक बात लाई जाय। जहाँ तक इस विधेयक के उद्देश्य की बात है यह लड़कों और लड़कियों को फिजिकली तो हेल्दी बनादेगा लेकिन जहाँ चरित्र निर्माण की बात है इसकी तरफ इसमें कुछ इशारा नहीं मालूम होता है। मैं समझती हूँ कि जब रूल्स बनेंगे तब उसका भी कुछ न कुछ प्रावीजन किया जायगा और लेजिस्लेचर्स को मौका मिलेगा कि उस पर विचार करें। विद्यार्थियों को गाँवों में जा कर जो वहाँ पर अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षा देने का प्रबंध इसके जरिये से किया जायगा। जब वह लोग ऐसा करें तभी उनको कालेज से डिग्रियाँ प्राप्त होना चाहिये। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहती थी। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एन० सी० सी० भी तो चालू है इस प्रकार से यहाँ पर दो दो स्कीमें चल रही थीं। एक तो सेंटर गवर्नमेंट की और दूसरी प्राविन्शल गवर्नमेंट की तरफ से। दोनों में एक प्रकार की होड़ सी चल रही थी। मेरा ख्याल यह है कि अगर इन दोनों को मिला कर एक स्कीम बना दी जाय तो अधिक लाभकर होगा।

अभी यह हेड क्वार्टर पर ही चलेगा लेकिन मैं आशा करती हूँ कि कस्बों में स्कूल हैं उनमें जैसे जैसे धन सरकार के पास बढ़ेगा वैसे वैसे इस स्कीम को वह लागू करती जायेगी और हमारे नौजवानों के अन्दर, हमारी महिलाओं के अन्दर और बच्चों के अन्दर इस चीज़ का आभास होगा कि अपने को सुरक्षित रखने के लिये कुछ सीखें। हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि हमारे मुल्क के ऊपर कोई हमला करने वाला है इसलिये अपने यहाँ के लोगों को मिलिटरी शिक्षा दें बल्कि अभिप्राय यह है कि एक नागरिक को स्वस्थ नागरिक बनाने के लिये यह शिक्षा आवश्यक है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करती हूँ।

श्री कमला पति त्रिपाठी—मान्यवर इस बिल के ऊपर इस आदरणीय सदन में जिस प्रकार सहानुभूति के साथ विचार किया गया उसके लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ और अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मुझे खेद है कि आरम्भ में ही कुछ ऐसी भ्रान्ति हुई कि इस बिल के ऊपर पहले विचार हो चुका है और माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा ले लिया है इसलिये कुछ और कहने की आवश्यकता न समझा। बाद में मुझे ऐसा स्मरण आया कि जब यह बिल यहाँ पर प्रस्तुत था तो यह विधान परिषद् उसके बाद बनी तो उस समय का वाद विवाद और मत के अभिव्यक्ति का कदाचित उनको पता नहीं था अन्यथा शायद मैं इसको पहले कह देता तो बहुत से प्रश्नों का उत्तर यों ही मिल जाता लेकिन श्री कन्हैया लाल जी ने मेरे काम को हल्का कर दिया। उस वक्त वे थे जब इस पर विचार हो रहा था और कदाचित वे सलेक्ट कमेटी में भी थे। इस तरह बहुत से प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दे दिया। अधिकतर बातें ऐसी हैं जिनमें कोई विरोध नहीं है। श्री मदन मोहन जी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

ने जैसी बात कही और यह बिल जो कल्पना करता है उससे उनको कोई विरोध नहीं है। मैं बड़े आदर के साथ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ शिकायत के विचार से नहीं बल्कि यों ही नम्रता पूर्वक। अगर मदन मोहन जी ज़रा ध्यानपूर्वक इस बिल को देखे होते तो जो बातें उन्होंने कही हैं और जिस चीज़ की व्यवस्था इस बिल के द्वारा है तो वे ऐसा नहीं कहते। श्री हृदय नारायण जी के व्याख्यान को मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैं उनसे क्षमा माँगता हूँ कि मुझे आदत नहीं है कि मैं बीच में टोकूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सबकी बात सुनूँ लेकिन मुझे टोकना पड़ा, इसका मुझे दुख है और खेद है लेकिन इस कारण टोकना पड़ा कि ऐसा अनुभव किया कि टोकना आवश्यक है। उनके भाषण को सुनकर अधिकतर तो आश्चर्य हुआ और थोड़ा सा खेद भी हुआ। जहाँ तक इस बिल का सम्बन्ध है इसके पीछे एक इतिहास है और बहुत से हमारे माननीय सदस्य उस इतिहास से परिचित न होंगे। इस कारण मैं संक्षेप में उसका उल्लेख कर देना चाहता हूँ। सन् १९३७ में पहले पहल जब कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अधीन उस वक्त उत्तर प्रदेश में एजुकेशन डिपार्टमेंट के तत्कालीन शिक्षा मन्त्री ने जो उस समय डाक्टर सम्पूर्णानन्द थे। हमारे मुख्य मन्त्री अपने इंटरमीडिएट कालेज के विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा देने की स्कीम बनाई। उस समय हमारे देश में जो परदेशी हुकूमत थी उन्हें यह बात स्वीकृत न थी। उस समय तत्कालीन गवर्नर और तत्कालीन सरकार के विचारों में बड़ा अंतर था और किसी शिक्षा के क्षेत्र में सैनिक शिक्षा का समावेश हो सके यह कल्पना के बाहर की बात थी। बहुत से शिक्षा विभागों से सम्बन्ध रखने वाले हमारे मित्र और अध्यापक मौजूद हैं उन्हें कदाचित इसका ज्ञान होगा कि जब विद्यार्थियों को जूनियर हाई स्कूल के और प्राइमरी से कुछ ऊपर के बच्चों को कुछ ड्रिल की शिक्षा दी जाने लगी और कहीं एक दो जिला विद्यालय निरीक्षकों ने लकड़ी की बन्दूकें थमा दी तो उनको स्मरण होगा बहुत दिनों की बात नहीं है कि हमारे यहाँ बनारस में जिला विद्यालय निरीक्षक वांछू साहब थे तो उन्होंने जो एजुकेशन वीक होता था उसमें कहीं-कहीं स्कूलों में लकड़ी की बनी हुई बन्दूकें छोटी-छोटी सी चालू कर दी थीं। मैं समझता हूँ कि उनको बड़ी तम्बीह हुई और इस बात पर रुकावट लगा दी गई कि इस तरह की चीज न की जाय। लकड़ी की बन्दूकें बच्चों को न दी जाँय। जब नई सरकार बनी हमारी पापुलर गवर्नमेंट तो यह हुआ कि शिक्षा इत्यादि का सारा अधिकार विभागों का जनता के हाथ में आया स्कीम बनी और जैसा कि मैंने निवेदन किया उसका विरोध यहाँ भी हुआ। यहाँ सर्वोच्च अधिकारी विभागों के अधिकारी अक्सर ऐसे लोग थे जो विदेशी थे। विदेशी सरकार के अधिकारियों के नीचे उन्होंने इस पापुलर मिनिस्ट्री की स्कीम का विरोध किया। फिर भी वह स्कीम बनकर तैयार हुई और चालू होने वाली थीं लेकिन फिर ऐसा हुआ कि संयोगवश सन् १९३९ में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने रिजाइन किया और लड़ाई छिड़ गई और वह स्कीम रह गई। सन् १९४६ में जब गवर्नमेंट आई तो उस समय जो हमारे शिक्षा मन्त्री थे हमारे मुख्य मन्त्री उन्होंने आते ही उस स्कीम को टेकअप किया।

जब सन् १९४६ में कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय भी अंग्रेजों का राज्य

था। लेकिन जैसे ही वे हटे वो यह स्कीम टेकअप की गयी। यह तो मानी हुई बात थी कि उस समय इसका विरोध होना और हुआ ही। बहुत बहस मुबाहिसे के बाद जब सन् १९४७ में अंग्रेज भारतवर्ष से हट गये तो यह पी० ई० सी० की स्कीम टेकअप की गयी और इस तरह से यह चीज हमारे प्रदेश में लागू हुई है। जहाँ तक मैं जानता हूँ उस समय एन० सी० सी० का कोई प्रश्न ही नहीं था। उस समय यू० टी० सी० थी लेकिन वह दूसरे ढंग से चलती थी। तो एन० सी० सी० उस समय पैदा नहीं हुई थी और न इतनी व्यापक ही थी। यूनिवर्सिटीज में यू० टी० सी० थी लेकिन वह भी बहुत व्यापक नहीं थी और वह इन्टरमीडियट की कक्षाओं में भी रही हो, यह मुझे पता नहीं है।

श्री मदन मोहन—डिग्री कालेज में थी।

श्री कमला पति त्रिपाठी—तो बहुत बड़े बड़े कालेजों में रही होगी लेकिन बड़ा कड़ा सलेक्शन होता था और शायद इस विचार से करते थे कि आर्मी के लिये उनको इन्हीं में से सलेक्शन करना होता था। इस तरह से हर चीज नहीं मिल सकती है। उस समय क्या उसका उद्देश्य था और अब हमारा क्या उद्देश्य है इसमें काफी अन्तर है। पी०ई०सी० सचमुच में सन् १९४८ में चालू हुई है और हमारे प्रदेश के ११ जिलों में इन्टर की कक्षाओं में चालू की गयी थी। सन् १९५० में ६ जगहों में यह और लागू की गयी और जहाँ तक मुझे याद है सन् १९५० में केवल १६ या १७ जगहों पर यह लागू थी। तब से यह स्कीम बराबर चल रही है। मैं आप से यह निवेदन करूँ कि इस स्कीम के चालू होने के बाद अपने देश की भारत सरकार से इस विषय में कुछ विरोध मिला और विरोध यों मिला कि उन्होंने कहा कि सैनिक शिक्षा जो है यह एक सेन्ट्रल सबजेक्ट है और किसी भी प्रदेशीय सरकार को अपने स्कूलों तथा कालेजों को सैनिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं है तो तुम क्यों देते हो। इसका विरोध वहाँ से चला, जब एन० सी० सी० की योजना लागू होने की बात आयी तब से उन्होंने एक डेफिनिट रुख अख्तियार कर लिया कि पी० ई० सी० को छोड़ दें और एन० सी० सी० को चालू करें। हमारे यहाँ से यह कहा गया कि एन० सी० सी० और पी० ई० सी० में कोई राइवलरी नहीं हो सकती है। एन० सी० सी० इतनी व्यापक नहीं बन सकती है जितनी पी० ई० सी० बन सकती है। यह एन० सी० सी० को सप्लीमेंट करेगी। अगर यह हमारे यहाँ इन्टरमीडिएट की कक्षाओं में चलती है तो आप ऊपर की कक्षाओं में चालू कीजिये। हमने इसको अभी तक डिग्री कक्षाओं में चालू नहीं किया है। यह तो दो वर्ष तक प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग हो जायेगी। साथ ही साथ हमारी योजना हो सकती है कि हम इसका लम्बा चौड़ा प्रसार भी कर सकें। ऐसा ख्याल करना कि यह शिक्षा एक सैनिक शिक्षा है यह बात नहीं है। यह सही है कि यह सैनिक शिक्षा की तरह है। इसमें बहुत बड़े प्रबन्ध की आवश्यकता है और बड़ा खर्चा होता है। हम इसके साथ साथ और भी चीजें सीखना चाहते हैं, सैनिक शिक्षा तो उसका एक अंग है। हमारी इस तरह की योजना से केन्द्रीय सरकार घबड़ाये नहीं। वह अपनी एन० सी० सी० चलाये, यह सरकार तो उसका स्वागत करेगी ही।

डिग्री कालेजेज में और यूनिवर्सिटीज में एन० सी०सी० चली भी। अगर कोई ऐसा

[श्री कमला पति त्रिपाठी]

ख्याल करे कि एन०सी०सी० से उसकी कोई प्रतिद्वन्दिता है या जैसा कि ठाकुर साहब ने कहा कि उसके पैरेलल हम एक चीज खड़ी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह विचार प्रदेश के हित के विरुद्ध है। अकारण ही अगर ऐसे प्रश्नों को उठाना है तो यह उन के हाथों को मजबूत करना होगा जिन्होंने कि पी० ई० सी० की स्कीम को आरम्भ से ही, इस बिना पर कि यह सबजेक्ट ही सेन्टर का है, रोकने की कोशिश की है। एन० सी० सी० में आज १२ हजार लड़के हैं और १२८ रु० फी बच्चे के ऊपर खर्चा होता है। पी० ई० सी० में आज भी जब कि आपने अधिक विस्तार उसका नहीं किया, करीब ५६ हजार लड़के हैं और करीब २७ रुपये फी लड़का उसमें भी खर्च होता है।

श्री हृदय नारायण सिंह—२७ रुपये तो बहुत इनएडीकेट है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—इनएडिकेट है, तो हमारे टीचर्स की तनख्वाह भी इनएडिकेट है, इनएडिकेट तो हमारे स्कूल और कालेजों की संख्या भी है, हमारी पुलिस फोर्स भी इनएडिकेट है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें अभाव न हो। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अभव आज हर चीज में है फिर इस अभाव में उस काम में जो हम लाभ उठा रहे हैं, उसको देखने की बात है, अगर उसमें कमी है तो उस कमी को दूर करने में किसी को विरोध नहीं हो सकता है। पैसा अगर आपके पास हो तो फ़ी लड़का डेढ़ सौ रुपया भी हम कर सकते हैं। लेकिन यह विचार करना कि डेढ़ सौ रुपया चूंकि नहीं दे सकते हैं, इसलिये आगे नहीं बढ़ना है, यह दृष्टि तो मेरी समझ में एक भ्रान्ति है। इतना समझने में फर्क है। यह प्रश्न बराबर अब भी उठाया जाता है और उठाया करते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को पी० ई० सी० चलाने का अधिकार भी है? तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जो कि विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य हैं, उनकी ओर से तो कम से कम यह समर्थन प्राप्त होना ही चाहिये कि हम अपने यहां पर जो पद्धति चला रहे हैं, केवल इस बिना पर कि उसको अधिकार नहीं है, सेन्ट्रल सबजेक्ट है, उसका जो लाभ हम उठा रहे हैं, उसको खत्म हो जाने दें, यह कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी। हमारे यहां तो सैनिक शिक्षा भी नहीं है। हम यह तो स्वीकार करते हैं कि सीधी मिलिटरी ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, जैसा कि देहरादून का स्कूल है, यह एन० सी० सी० जैसा करती है, वैसा भी नहीं है। इसलिए कि इसमें शारीरिक शिक्षा और समाज सेवा यह सारी चीजें भी लगा रखी हैं जिसमें कि ड्रिल भी होती है, समाज सेवा की भी ट्रेनिङ्ग होती है। मैं यह दावा भी नहीं करता कि इतने से ही चरित्र का सुधार हो जायेगा। हमारे भाई ठाकुर हृदय नारायणसिंह जी ने कहा कि केवल इतने से ही चरित्र का सुधार जरूरी नहीं है, कौन नहीं जानता, कौन ऐसा कुंठित बुद्धि व्यक्ति होगा जो यह समझने लगे कि केवल लड़कों को बंदूक पकड़ा देने से, लेफ्ट राइट करा देने से वा अधिकारियों के अनुशासन को मानने के लिये शिक्षित कर दे से ही चरित्र का विकास हो जायेगा। चरित्र तो व्यापक शब्द है, चरित्र में बहुत कुछ होता है। मनुष्य का शरीर, उसका व्यक्तित्व जितना है, जितने उसके अंग और उपंग हैं और जितने भी पहलू हो सकते हैं उन सब का समुच्चय स्वरूप जो होता

है और उसके द्वारा जिस व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वह सब मिल जुल करके चरित्र होता है। चरित्र तो मनुष्य के हृदय से, मनुष्य के आदर्शों से होता है, मनुष्य के भीतरी आचरण से होता है, कैसे आप बैठते हैं, कैसे उठते हैं किस तरह से बातें हैं यह सब जो छोटी चीजें हैं, उनसे भी चरित्र का सम्बन्ध है बाह्य और आन्तरिक जो भी मनुष्य के कार्य होते हैं, उनसे चरित्र का सम्बन्ध होता है। लेकिन यह किसी ने भी दावा नहीं किया कि इस विधेयक के द्वारा चरित्र का निर्माण हो जायेगा। चरित्र का निर्माण तो संस्कारों से, परम्पराओं से होता है। चरित्र का निर्माण कुल से होता है, चरित्र का निर्माण माता पिता की गोद में होता है अपने देश के विश्वास के अनुसार तो चारित्र का निर्माण गर्भ से ही आरम्भ हो जाता है। फिर चरित्र का निर्माण पूर्व जन्म के जो कर्म संयोग होते हैं, उनसे होता है, तो चरित्र का निर्माण तो बहुत सी चीजों से होता है। अध्यापक चरित्र का निर्माण करते हैं। एक छोटी सी चीज यह भी है कि विद्यार्थियों को इसके द्वारा एक प्रकार की शिक्षा हम दे सकते हैं। हम इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं कि चरित्र का निर्माण हो। आपस में खेलते हैं, उसमें कोई हारता है और कोई जीतता है, तो आपस में कोई दुश्मनी नहीं हो जाती है। मनुष्य में एक स्पोर्टसमैन स्पीरिट होनी चाहिए। हम अब यह शिक्षा बच्चों को इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि कोई विदेश से लड़ाई होने वाली है। भगवान न करे कि कभी लड़ाई हो। हमारे पास फौजें काफी हैं, हमें इन बच्चों की जरूरत नहीं, है, लेकिन फिर भी हम सिखा देना चाहते हैं कि ताकि वे समझ सकें कि बन्दूक किस प्रकार से चलायी जाती है। यह तो आप जानते हैं कि अपने देश की रक्षा करना हमारा सब का धर्म है और जरूरत पड़ने पर हमको लड़ाई के मैदान में भी खड़े होने से नहीं घबड़ाना चाहिए। हम इसको आज अभी देहातों म नहीं कर पाये हैं। देहातों में आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास लाइसेन्स होता है, बन्दूक भी होती हैं, लेकिन वे उसका इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं। डाका पड़ता है तो वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब उनसे कहा जाता है तो कहते हैं कि हम तो बन्दूक का चलाना नहीं जानते हैं। ऐसी हालत में बच्चों को यह जानना चाहिए कि बन्दूक किस प्रकार से चलायी जाती है। यह तो सभी जानते हैं कि मुश्किल के समय किसी की सहायता करना बहुत बड़ा काम होता है। इससे लड़कों में साहस पैदा होगा, अपने में एक शक्ति का अनुमान करने लगेंगे। इस सैनिक शिक्षा से अपने में बल पैदा होगा, साहस होगा और अपने में विश्वास की भावना बढ़ेगी। ऐसी कौन सी पद्धति हम अपनाये जिससे मारल एजुकेशन बढ़े। प्राचीन समय में धर्म और मजहब की संस्थाओं में मारेल एजुकेशन सिखाया जाता था। लेकिन इस समय अगर हम किसी को गीता पढ़ाने लगेंगे तो यह कहा जायेगा कि यह तो धर्म की शिक्षा हो रही है। मनुष्य में एक तो धर्म का भय होता है, दूसरे राज्य का भय होता है और तीसरे परलोक का भय होता है। इसी से वह अपने चरित्र का निर्माण करता है। आज कल तो यह भय बहुत ही कम हो गये हैं। यह बात सही है कि जो हमारी भावनायें हैं उनको ऊपर उठाना है और बच्चों में एक अच्छी भावना पैदा करनी है। हमारी जो प्राचीन पद्धति है उसको हम बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं। हमको

[श्री कमला पति तिपाठी]

उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। आज नये वैल्यूज हमारे सामने आ रही हैं, पुरानी करीब करीब समाप्त हो रही हैं इसमें किसी को सन्देह नहीं होना चाहिए! यदि आप नये शिष्टाचार की तरह कार्य नहीं करते हैं, तो इसके माने हैं कि आप शून्यता में चल रहे हैं और मनुष्य के ऊपर इसका प्रभाव भी हो रहा है। 'भई वृष्टि चली फूटि कियारी'। यह तुलसीदास जी ने कहा है, मैं इसकी दूसरी लाइन नहीं कहूँगा। सारी नदी इस तरह से तोड़ती, फोड़ती आगे बढ़ जाती है। यह हमारी स्थिति है, तो हमें इसे समझने की जरूरत है। इसे आप चाहे मिलिट्री रिआरमामेन्ट कहिए या पुनर्जीवन कहिए। नये वैल्यूज हमारे यहाँ क्रियेट हो रही हैं और पुरानी समाप्त हो रही हैं, तो इन सबका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। आपने अपने एक स्टेज की कल्पना कर ली है। वह डेमाक्रेसी भी है और सेकुलेरिज्म भी है। उसमें सारे समाज का वातावरण भी है और दूसरी बातें भी हैं। तो आपको इन सबको सोचना है। आपने कहा कि आप आचार पर अधिक जोर दें, शिष्टाचार पर जोर दें, तो ये बातें बड़ी-बड़ी शिक्षा संस्थाओं में होनी चाहिए और वहां पर चलनी चाहिए और पहले से चल भी रही हैं। शिष्टाचार पर जोर देने की बात है। पहले आदर्श वहीं से चलता है, पितरजन तो उसके पीछे चलते हैं और फिर सारा संसार उनके पीछे चलता है। आपही लोग उन आदर्शों को देते हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—(अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) आप भी तो उसमें आ जाते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—हम भी तो आप ही के पढ़ाये हुये हैं। बिना पढ़े हुये हम नहीं निकले हैं।

इसी तरह से माता पिता का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, घर के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इन सब का प्रभाव बच्चों पर न पड़े यह असम्भव है। मुझे आप को बातों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस जगह पर ये बातें संगत नहीं हैं। मेरा यह दावा नहीं है कि यह बिल सारी चीजों को ठीक करने के लिये ही यहाँ लाया गया है। लेकिन बात उसकी अनिवार्यता समझ कर कही जाय। मैं समझता हूँ कि मदन मोहन जी ने बिल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा। आज यह बिल आया है, तो कोई नई बात नहीं है। इसमें सिर्फ दो बातें हैं एक बात यह है कि जहां यह ट्रेनिंग कम्पलसरी ट्रेनिंग के नाम से चल रही है, उसके लिये आजतक कोई विधि या विधान नहीं रहा। हम टीचर्स को भर्ती करते हैं, उनका क्या स्थान है, वे टेम्पोरेरी हैं या परमानेन्ट हैं या किस तरह से उन को रखा जाय, इन सारी चीजों के लिए भी हमारे पास कोई विधि विधान नहीं रहा। यह पहले से चलता आ रहा है और वैसे ही चल रहा है। परन्तु इसे रेगुलराइज करना है। यानी विधान विधानाधीन रहे, हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी है।

दूसरी चीज इसलिये आई कि हमें इसके विस्तार का कार्य करना है। यदि हम इसे बढ़ायेंगे तो हमें इसके लिए एक ऐजेन्सी बनानी पड़ेगी। अगर इस तरह से कोई विधान नहीं होता है तो हमारे पास बहु सी शिकायतें आ सकती हैं। कोई भी चीज जो सदन में पेश की गई है, उसमें आपको यह अधिकार मिला है कि आप उसे बढ़ा सकते हैं। यह

कम्पलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग जो पी० ई० सी० की है वह चलती रहे और आपको अधिकार मिलते रहें। सेलेक्ट कमेटी में इस पर विचार हुआ है। मैं इस बात को आपको बतला दूँ, मैं उसे छिपाना नहीं चाहता। जिस रूप में यह बिल पेश हुआ था, उसमें यह था कि शायद इस बिल में हमारा काम नहीं चलेगा। नहीं तो बहुत साधारण सा बिल था ऐसा विषय था जिस पर दो रायें नहीं थीं। सेलेक्ट कमेटी में इस विचार से भेजा था कि इसकी व्यवहारिकता में जो कठिनाइयां पड़ सकती हैं उन पर विचार किया जाये। बिल ऐसा बने जो व्यवहारिक हो। अनिवार्य कह देने से ऐसे कोई माने नहीं कि हम सभी में लागू कर दें।

श्री मदन मोहन—लेकिन एक में भी लागू करने के लिये आपके पास साधन नहीं हैं।

श्री कमला पति त्रिपाठी—हमारे पास नहीं हैं यह ठीक है लेकिन हमारा प्रयास यह है कि हम पदे-पदे लागू करें।

श्री मदन मोहन—जिस प्रकार से चल रहा है वह ठीक नहीं है।

श्री कमला पति त्रिपाठी—ऐसी एक दृष्टि होती है जिसमें कुछ ठीक दिखलाई ही नहीं पड़ता है। कुछ इस मत के होते हैं कि हम तब तक कोई नया काम न शुरू करें जब तक जो हो रहा है उसकी सारी त्रुटियाँ न समाप्त करलें। मैं इन दोनों ही दृष्टियों से कुछ मतभेद रखता हूँ। मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी तो इसे आप चालू कर देंगे बाकी के लिए अधिकार लेलेंगे और गजट के जरिए प्रकाशित होगा कि कहाँ कर सकते कहाँ नहीं। साधनों की बड़ी कमी हमारे पास है। आज साठ हजार लड़के हमारे पास हैं और तीस हजार बन्दूकें हैं। हर केडेट के लिए बन्दूक भी नहीं है। हमारे पास टीचर्स की भी कमी है। कोई स्टाफ़ हमारा चलता नहीं था कुछ थोड़ा सा रहा है, अब उनकी नियुक्तियों का प्रबन्ध करना पड़ेगा। आपके जितने हैं उन्हीं में नियुक्ति की जरूरत पड़ सकती है। टेम्परेरी के लिये यह बात चल रही है कि हम उन्हें परमानेन्ट कर सकते हैं। यह बिल पास हो जाये तो हम परमानेन्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास हैं, एक क्वार्टर मास्टर, एक मुख्य शिक्षक, ३४ शिक्षक हैं, हवलदार शिक्षक १७२, २५१, टीचर इन्स्ट्रक्टर्स हैं। हर जिले में हमारा यह काम मुख्य स्थानों में शुरू भी हो गया है। उनके लिए क्या स्थान हो, क्या पद हो यह सब सोचने की जरूरत पड़ेगी।

शिक्षा के क्षेत्र के लिए हमारे पास हर चीज के लिए साधन कम हैं हमारी युनिवर्सिटीज के लिए, अवस्थी जो बैठे हुए हैं, बहुत ही कम साधन हैं यद्यपि स्केल वग़ैरा ठीककर दिया गया है। तब इन चीजों को स्वीकार करते हुए जितना हम कर रहे हैं उसी को ठीक करलें फिर आगे बढ़ें यह बहुत उपयुक्त नहीं है। उसके लिए हम व्यवस्था करते चलें। अनिवार्य के यह माने नहीं कि कल से लागू हो जाये। इसका मतलब यह है कि पदे-पदे बढ़ाते चलेंगे। मैं यह नहीं समझता कि यह कोई ऐसा प्रश्न है जो कभी आँख से ओझल हो सकता है।

[श्री कमला पति त्रिपाठी]

एक बात हमारे पीताम्बर दास जी ने कही और वह यह कि हिन्दी शब्द इसमें आने चाहिए। मैं मान्यवर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं बड़ा भारी हिन्दी का समर्थक हूँ, बड़ा भक्त हूँ हिन्दी का, और इस बात का संतोष भी है कि मुझको हिन्दी की सेवा करने का कुछ अवसर भी मिलता रहा है और हिन्दी को जहाँ तक है हमारी जिन्दगी में वह उतरे इस चीज को भी हम मानते रहे हैं पर इन सब के बाद कुछ ऐसा भी मुझको लगता है कि हिन्दी की भक्ति कहीं हिन्दी का रोग न हो जाय। मैं समझता हूँ कि हिन्दी के भक्तों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए और वह इस विचार से मैं ऐसा मानता हूँ कि हिन्दी का दरवाजा खुला रहना चाहिए और ऐसे तमाम शब्दों को जो प्रचलित हैं जिन्हें साधारण किसान भी अपनी झोपड़ी में बैठे हुए बोलता है पर जो हिन्दी की व्युतपति न करे, संस्कृत के तद्भव और तत्सम न हों उनके लिए दरवाजा बनाने से हिन्दी को कंगाल नहीं बना देना है। मैं नहीं समझता कि क्वार्टर मास्टर का शब्द रखने से हिन्दी को क्या हानि हो रही है। हिन्दी में जो शब्द ऐसे हैं जैसे मजिस्ट्रेट, स्टेशन मास्टर, मिनिस्टर, यूनिवर्सिटी, डिग्री कालेज इनका प्रयोग करने से मैं नहीं समझता कि क्या हानि होती है मैं तो समझता हूँ कि इससे हिन्दी पुष्ट होती है और उसका शब्द भंडार बढ़ता है। हिन्दी में केवल अंग्रेजी भाषा के ही शब्द नहीं लेने चाहिए बल्कि और जो प्रादेशिक भाषायें हैं उनके भी जो प्रचलित शब्द हों उनको स्वीकार करना चाहिए। हिन्दी में बहुत से उर्दू के शब्द भी आते हैं जैसे सफीना, बकाया लगान, बेदखली, कुर्की। यदि इन शब्दों को हम हिन्दी में ले आवें तो इससे हिन्दी की शोभा बढ़ती है घटती नहीं।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूँ। यह तो ऐसा बिल है कि इसमें बहुत से शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमको एक ऐसा रंग लाना है जिसके लिए यह आवश्यक है कि वे शब्द रखे जायं। मान लिया प्रधान शब्द है तो प्रधान तो गाँव सभा का भी प्रधान होता है। यह सैनिक शब्द नहीं है, प्रधान शब्द से वह भावना नहीं उत्पन्न होती है। तो सेलेक्ट कमेटी ने इस पर विचार किया और बहुत से हिन्दी शब्द ले भी आये गए लेकिन बहुत से हमने जानबूझकर रखे ताकि वह भावना हो, वह स्टेटस हो वह ध्वनि आ सके जो दूसरे शब्दों को रखने से नहीं आ सकती है और गढ़ कर रखने से शायद वह असर न आ पावे जो असर उन शब्दों से आ जाता है। सैनिक शब्द तो सेना से ताल्लुक रखता है और कैडेट शब्द का प्रयोग बहुत से क्षेत्रों में होता है, सेना में तो होता ही है। आज तो इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है कि इन शब्दों को रखा जाय। केवल यह कहना कि इस विचार से रख लिया कि यह शब्द प्रचलित हैं यह भी बहुत उचित नहीं है बल्कि इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि उस असर को हम तभी ला सकते हैं जब उन शब्दों का प्रयोग किया जाय।

कन्हैया लाल और राजाराम जी ने कुछ ऐसे लोगों से यहाँ दो दो चोटें ले लीं कि जिनका आक्रमण और विरोध भी बहुत मधुर लगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि पहले जो बिल था कुछ हमारी बेगम एजाज रसूल ने कहा उसमें शायद कुछ रुकावट थी।

श्रीमती कुदसिया बेगम—(बेगम एजाज रसूल) आपने फरमाया था कि पहले बिल में यह था लड़कियों के लिए भी कम्पल्शन था।

श्री कमलापति त्रिपाठी—पहले बिल में बिल्कुल अलग कर दिया गया था। फिर सेलेक्ट कमेटी में यह बात की गई कि लड़कियों के बारे में कमपलशन तो न रखा जाय लेकिन परमिशन रहे। ओरिजनल बिल में जो बेन था वह हटा लिया गया।

एक बात और कही गई कि उनको सैनिक शिक्षा न दी जाय और राजाराम शास्त्री जी ने तो हथियार हाथ में देने में विरोध किया और उनको डर लगा। मैं ऐसा समझता हूँ और ऐसा स्वयं मानता हूँ कि स्त्रियों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए हर क्षेत्र में। यह भी नहीं मानता कि हथियार दे देने से कोई आपत्ति हो जायगी। उनको डर लग गया। मैं समझता हूँ कि स्त्रियों की बहुत कुछ शोभा उस समय नहीं रहती जब बन्दूक और छुरा दोनों हाथ में लिए खड़ी रहें। लेकिन उनको कोई सैनिक शिक्षा न दी जाय इस तर्क को ज्यादा समझ नहीं सका क्योंकि हर काम उन बेचारियों से लिया जाता है। अगर भंगी का काम होता है तो भंगिनें बहुत हैं और सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम तो करती ही हैं। फैक्ट्री की बात लीजिए उसमें मजदूरिनियों की तादाद बहुत ज्यादा है। और लड़ते भी हैं उनके लिए।

(एक आवाज) अब नहीं लड़ते हैं।)

लड़ते हैं लेकिन अक्ल छोड़कर नहीं लड़ते हैं। जैसे हमारे बहुत से मित्र लड़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि वहाँ फैक्ट्रीज में भी है। मैंने देखा है। बान्धों पर काम होता है मजदूरिनें मिट्टी और ईंटें उठाए हुए सर पर १०० फिट तक लेकर जाती हैं।

श्रीमती सावित्री श्याम—point of order उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि बेचारी शब्द अनपार्लियामेंट्री है मैं एतराज करती हूँ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अगर वह अनपार्लियामेंट्री है अगर आपकी व्यवस्था हो तो मैं वापस ले लूँ।

श्री डिप्टी चेयरमैन—वह अनपार्लियामेंट्री नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं प्रेम में बेचारी कह रहा हूँ। अगर इसमें आपको आपत्ति है तो फिर आपको, महिलाओं को, स्वतः अधिकार है ठुकरा देने का।

मैं मान्यवर, निवेदन कर रहा था कि सभी काम उनसे लिए जाते हैं। हर क्षेत्र में वह काम करती हैं। अध्यापकों का काम, स्कूल और कालेजों में उनके योग्य है ही लेकिन विचार करें कि बहुत सी देश में ऐसी महिलायें हैं जिनसे कठोर काम लिया जाता है। उस काम में लगाकर आप उनकी शोभा और सुन्दरता को भूल गए लेकिन जब हथियार देने की बात आई तो इसमें आपको बड़ा एतराज हुआ। मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे प्रदेश में इस बात की आवश्यकता है कि लड़कियों में और भी साहस आए। उनमें शक्ति इस तरह की उत्पन्न की जाय। मेरी स्वयं ऐसी कल्पना थी, कि महरानी लक्ष्मी बाई दल कायम किया जाय। मैं झाँसी गया था और मैं महरानी के किले के सामने उस समय १८५७ शताब्दी समारोह हो रहा था।

तो वहाँ मुझे जाने का अवसर मिला तो मुझको ऐसा आभास हुआ कि हम भी एक ऐसा ही लड़कियों का दल संगठित करें जिसमें उनको घोड़े पर चढ़ना, शास्त्र चलाना इत्यादि की शिक्षा दी जाय। दूसरे प्रदेशों में एन० सी० सी० के जरिये से तो लडकियों का अच्छा संगठन हुआ है। हमारे प्रदेश में तो उतना अच्छा नहीं कर पाये। केवल ६०८ लड़कियों को एक दो जगहों पर कुछ ट्रेनिंग देने की और संगठित करने का प्रयत्न किया गया है जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी है। और प्रदेशों में इसके लिये काफी प्रयत्न किया गया है। पी० ई० सी० के ज़रिये से हम कुछ कर सके इसके लिये यह ऐक्ट आपको परमिशन देता है। और मैं समझता हूँ कि इसके जरिये से हमको इजाज़त देना चाहिये। न देते तो गलती होती। मैं तो यह भी कहूँगा कि हम तो भगवान को भी परम शक्ति के रूप में देखते हैं। उसको हम महा शक्ति कहते हैं। हमारे देश में शस्त्र धारिणी महाशक्ति की उपासना भी बहुत होती है। तो फ़िर आप अपनी महिलाओं से यह कहें कि हम उनको ट्रेनिंग भी न देंगे। और क़ानून से भी इस ट्रेनिंग को रोकना चाहते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारी बहनें जिनको इसका विरोध करना पड़ा वह अच्छा ही किया। कुछ बातें इसमें नियमों के संबध में कही गई। संशोधन भी जो इसमें आयेंगे वह भी नियमों के संबध में होंगे। सेलेक्ट कमेटी ने भी कहा है कि उन नियमों को सदनों के सामने रखा जायगा। पुराना बिल जो था वह तो एक बड़ा लम्बा चौड़ा था और उसमें यह था कि किस प्रकार से सज़ा दी जाये जैसे कि एन० सी० सी० में है कि सात दिन की सज़ा दी जायगी। तो यह सोचा गया कि इसको नियम बद्ध करके तब फ़िर इसको सदन के सामने उपस्थित किया जाय। इसी सबको देखते हुये सारा क्लाज़ निकाल दिया गया। यह रखा गया कि इन सारी बातों के लिये नियम बनाये जायें और उन निममों को विधान मंडलों के सामने लाया जाय। वहाँ पर विचार होने के बाद तब लागू किये जाय। मैं समझता हूँ कि यह ठीक बात है। यह सारी बातें हम नियमों में साफ़ कर लेंगे। वह आपके सामने आयेंगे।

स्काउटिंग की बात कही गई। मैं बिलकुल ऐग्री करता हूँ कि स्काउटिंग के बारे में हमारे प्रयास बढ़ाये जाने चाहिये। उसकी उपेक्षा हुई है। राष्ट्रीय स्काउटिंग का जन्म हमारे प्रदेश में हुआ था। उसके ज़रिये से जो शिक्षा मिलती थी उसकी उपेक्षा की गई है। उसकी व्यापकता में ज़ोर लगाने की आवश्यकता है। आपकी ओर से उसके लिये जो सुझाव आये हैं वह सब सही हैं और उसकी ओर हमारी दृष्टि जानी चाहिये। सरकारी सहायता जो उसको मिलती है वह अधिक से अधिक होनी चाहिये। मैं इसके बारे में गौर भी कर रहा हूँ। यहाँ जो स्काउटिंग का संगठन है मैं शायद उसका अध्यक्ष भी हूँ। मैं अवश्य इसमें कुछ करने की चेष्टा करूंगा। और जो अपने विचार व्यक्त किये हैं वह सब सही हैं। उसके लिये क़दम उठाना चाहिये।

अब कोई विशेष बात बची नहीं है उत्तर देने के लिये इसलिये मैं अब मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ और वह यह है कि हमें जो एन० सी० सी० से लाभ उठाना है उसमें हम कोई काम बाकी नहीं रख रहे हैं। एन० सी० सी० की ट्रेनिंग ऐसी है कि छठवें, सातवें तथा नवें और दसवें दर्जे के लड़कों को भी दी जाती है।

श्री पीताम्बर दास—माननीय मंत्री जी को भ्रम है। पाँचवें और छठवें में नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—छठवें तथा सातवें में है और नवें तथा दसवें में भी है। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में है। जितने डिग्री कालेज हैं और इन्टरमीडिएट कालेजेज हैं उनमें भी ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ी कड़ाई के साथ सेलेक्सन करते हैं और यह बढ़िया ट्रेनिंग देने के लिये करते हैं ताकि हम उनको आर्मी में ले जा सकें। और कमीशन दे सकें। इसमें सलेक्सन बड़ा वाइड है। हम उसको कमपलसरी करने जा रहे हैं लेकिन ऐसे विद्यार्थियों को जो शरीर से कमजोर हैं उनको छोड़कर सबको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। जो क्षेत्र उन्होंने बना रखा है वह ऐसा बना रखा है कि डिग्री कालेज में रिक्रूटमेन्ट होता है। हम कइयों को ट्रेनिंग से मुक्त भी करते हैं। कुछ ऐसे गरीब हैं जो कालेज से लौटकर ट्यूशन करते हैं और इस तरह से अपना गुजारा करते हैं। अगर उनको उस चीज़ से बरी नहीं करेंगे तो उनकी पढ़ाई छूट जायेगी। किसी कालेज के टीम का खिलाड़ी है तो उसको भी इक्जेम्पट करना चाहिये। यह सब नियम में आ जायेगा। पाँच मील दूर से जो आता है और जो अस्वस्थ है, दुर्बल है और १४ वर्ष से कम अवस्था का है उसको हम इक्जेम्प्ट करते हैं।

इसमें और जितनी छूट देना हो हम ऐक्जेम्प्शन बढ़ाते चलें।

श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—अगर कोई गार्जियन चाहता हो तो ऐक्जेम्प्शन होना चाहिए।

श्री कमलापति त्रिपाठी—तो आजकल कम्पल्शन होते हुए भी ऐक्जैम्प्शन है। कम्पल्शन के बावजूद बहुत से लड़के आते नहीं हैं। बहुत से एन० सी० सी० में भी नहीं आते। एन० सी० सी० की ऐडवाइज़री कमेटी है। उस कमेटी में मैं भी हूँ। कमेटी की शिकायत यह रहती है कि कम्पल्शन होते हुए भी लड़के नहीं आते। लड़कों का नाम काट दिया जाय यह तो होता नहीं। कम्पल्शन के बावजूद भी नहीं आते। जो नहीं आ सकते उनके लिए छूट देना लाज़मी होगा। जितनी भी ऐसी कैटेगरीज़ होंगी हम उनको रखेंगे। अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो सुझाव दीजियेगा। मेरी समझ में और तो कोई बात नहीं रही।

श्रीमती सावित्री श्याम—ऐडवाइज़री कमेटी कैसी बनी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—असेम्बली और विधान सभा के सदस्यों को लेकर कमेटी बनती है। कमेटी का चेयरमैन मिनिस्टर होता है। सबकी ऐडवाइस मिल जाती है। जो भी उस विषय से दिलचस्पी रखते हैं वे बताते हैं कि किस जगह क्या होना चाहिए।

श्रीमती सावित्री श्याम—उसके रिकमंडेशनस मेंडेटरी क्यों नहीं होते ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंडेटरी नहीं हो सकते। ऐडवाइज़री कमेटी के माने यह नहीं होते कि जो उन्होंने कहा उसकी उपेक्षा की जाय। जितना भी हो सकता करने की कोशिश की जाती है। कौंसिल आफ मिनिस्टर के लिये कोई गुञ्जायश नहीं है। राज्यपाल महोदय के दस्तखत से हुक्म निकलता है और सारी कौंसिल के मिनिस्टर्स ऐडवाइज़र्स कहे जाते हैं। आप अपने को ऐसा कमजोर क्यों कहें।

[श्रीकमला पति त्रिपाठी]

मैं निवेदन कर रहा था कि एक बात रह गई। प्रायरिटी के बारे में ठाकुर हृदय नारायण सिंह जी ने कहा। उन्होंने कहा कि सारी पी० ई० सी० खत्म कर दी जाय। एन० सी० सी० से लाभ उठाया जाय। एन० सी० सी० की परिधि सीमित है। हमने इस चीज़ को चालू कर रखा है। हम आपका सहयोग चाहते हैं। जो चीज चल रही है हम उसको एक व्यापक रूप देना चाहते हैं। हम आपकी सहायता चाहते हैं। यह चीज १० वर्षों से चल रही है। इसको हम सहसा नहीं करने जा रहे हैं। जितने दिनों से कर रहे थे वह विधि विधान के साथ हो जाय यही इस बिल का उद्देश्य है।

दूसरा यह लक्ष्य रहा है कि जो सारी स्कीम चल रही है कि उसकी रूपरेखा हमारे सामने आ जाय। किस ढंग से हम चलें, वह आहिस्ता आहिस्ता चले लेकिन एक ढंग से चले, इस विचार से यह बिल आपके सामने लाया गया है। प्रायर्टी तो होती ही है।

(इस समय ४ बजे श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

एक बार मैं पुनः मान्यवर, आप की आज्ञा से इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बड़ी सहानुभूति के साथ इस बिल को देखा है। मुझे आशा है कि आज आपकी स्वीकृति के बाद शीघ्र ही यह अधिनियम बन जायेगा और फिर हम इस स्कीम को स्थायीत्व दे सकेंगे तथा जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको भी स्थायीत्व प्राप्त हो सकेगा। इससे जितना भी लाभ उठा सकते हैं वह हम उठायेंगे। फिर एक एडवाइजरी कमेटी बनेगी फिर इस प्रदेश के विद्यार्थियों को भी शिक्षित कर सकेंगे। इस विधेयक का ध्येय विद्यार्थियों में चरित्र गठन, समाज सेवा, साहस और आत्म विश्वास का प्रादुर्भाव पैदा करना है और यही इसका लक्ष्य है।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५७ ई० के प्रदेशीय शिक्षा-दल विधेयक, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

परिभाषाएँ २—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :—

(क) "सैनिक दल" (corps) का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन संघटित प्रदेशीय शिक्षा दल;

(ख) "प्रविष्ट" (enrolled) का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन सैनिक दल में प्रविष्ट;

(ग) "अधिकारी" (officer) का तात्पर्य है धारा ९ के अधीन नियुक्त अधिकारी;

(घ) "नियत" (prescribed) का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत;

(ङ) "संस्था" का तात्पर्य है राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अभिज्ञान शिक्षण संस्था जिसमें कक्षा ११ व १२ को शिक्षा दी जाती हो।

(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश की सरकार;

(छ) "कैडेट" से तात्पर्य है उस छात्र से जो इस अधिनियम के अधीन सैनिक दल में प्रविष्ट किया गया हो।

श्री पीताम्बर दास—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला संशोधन खंड २ पर है इसलिए आप पहले खंड १ को ले लीजिए।

श्री चेयरमैन—वह तो अन्त में आयेगा।

श्री पीताम्बर दास—धन्यवाद, मुझे ध्यान नहीं रहा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन का प्रस्ताव करता हूँ कि उपखंड (छ) में शब्द "केडेट" के स्थान पर शब्द "सैनिक (Cadet)" रख दिये जांय।

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को प्रस्तुत करते समय दो एक बातें कह देने की आवश्यकता प्रतीत होती है क्योंकि इस तरह के संशोधन आगे भी एक दो खंडों में आये हैं। वास्तव में मन्त्री जी ने ठीक कहा है कि हिन्दी भाषा से उनको अधिक प्रेम है और मैं इस बात को स्वीकार करने में संकोच नहीं करता हूँ कि हिन्दी में उनका ज्ञान मुझसे कहीं अत्यधिक है। हिन्दी भाषा पर जितना Control या कहिये अधिकार माननीय मंत्री जी को है उतना मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। हिन्दी भाषा के समर्थन का जहाँ तक प्रश्न है, यह बड़े ही हर्ष की बात है कि वे हिन्दी भाषा के समर्थकों में सर्वमान्य हैं और मैं तो केवल बदनाम ही हूँ कि मैं भी हिन्दी का समर्थक हूँ। लेकिन वास्तव में वे हिन्दी के बहुत बड़े समर्थक हैं। इसीलिए अंग्रेजी के शब्द देखकर मुझे दुःख हुआ। इस विधेयक में कई ऐसे शब्द आये हैं जिनके लिये ठीक उपयुक्त शब्द ढूँढ़ना कठिन था लेकिन वे मिल जरूर सकते हैं। हमारी हिन्दी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि अंग्रेजी और उर्दू के हैं और वे काफ़ी प्रचलित हो गये हैं। पर उन शब्दों को भी काफी स्थानों पर बदल दिया गया है। इसलिए आज यह दलील हमारे सामने ठीक नहीं मालूम पड़ रही। जब तमाम गाँव वाले समझते हैं कि इञ्जीनियर क्या होता है तब भी गवर्नमेंट ने उसका हिन्दी नाम अभियन्ता रख दिया है जिसको बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आज गाँव का आदमी अच्छी तरह से जानता है कि कमिश्नर क्या है लेकिन सरकार ने उसका नाम हिन्दी में 'आयुक्त' रख दिया है। इस तरह के एक नहीं अनेक हिन्दी शब्द सरकार ने चालू किये हैं जिनके 'पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द सारी जनता रोज मर्रा बोलती है और ठीक-ठीक समझती है।

दूसरी बात यह है कि मैंने ब्रेकट में अंग्रेजी प्रर्यायवाची शब्द दिये हैं और वह यह ध्यान रखकर दिये हैं कि उनसे किसी को यह शिकायत न होने पाये कि अंग्रेजी के शब्द हमसे हटते जा रहे हैं। अगर इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का यह कहना है कि हिन्दी के सख्त शब्द नहीं आने चाहिए तो मेरी तो तसल्ली हो जाती अगर हिन्दुस्तानी शब्द ही दे दिया जाता तो मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। कैडिट के लिए सैनिक के अलावा

[श्री पीताम्बर दास]

हिन्दी का क्लिष्ट शब्द भी हो सकता है जो कि माननीय मंत्री जी ढूंढ़ सकते हैं लेकिन मैंने साधारण शब्द इसीलिए रखा है कि सबकी समझ में आ जाय। इसी तरह से अन्य शब्दों के लिए और भी मैंने संशोधन दिये हैं, उनके लिये भी बराबर यही दलील देना और उनको दुहराना मैं समझता हूँ कि सदन का समय नष्ट करना होगा। ये शब्द मैंने......

श्री चेयरमैन—मैं माननीय सदस्य से क्या पूछ सकता हूँ कि किस डिक्शनरी से उन्होंने कैडेट के माने सैनिक लिए हैं।

श्री पीताम्बर दास—अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहने वाला था कि आगे भी मैंने जितने शब्द दिये हैं वह कोई शास्त्र को देख करके या अपने ज्ञान के आधार पर नहीं दिये हैं बल्कि मैंने हिन्दी अंग्रेजी की डिक्शनरी को देखा जबकि मेरी बुद्धि ने कोई काम नहीं किया। अगर आप चाहें तो मैं उसका नाम भी बता दूं प्रैक्टिकल डिक्शनरी है, जिसमें अंग्रेजी के शब्द हिन्दी अर्थ के साथ दिये हुये हैं। मुझे स्वयं भी इस शब्द से सन्तोष नहीं हुआ है फिर भी मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह रखा है कि अगर सरकार कष्ट करके इसके पर्यायवाची शब्द ज्ञात करने का प्रयत्न करे तो वह प्राप्त किये जा सकते हैं इस दृष्टि से ही मैंने यह सारे के सारे संशोधन रखे हैं। शब्द हिन्दी के होने चाहिए अंग्रेजी के स्थान पर फिर वे शब्द चाहे मेरे सुझाए हुए हों चाहे वे अपने रक्खें।

श्री चेयरमैन—क्या कायदे से कैडिट का अर्थ सैनिक और सैनिक का अर्थ कैडिट क्या यह समानार्थी हैं।

श्री पीताम्बर दास—अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ही कहा है कि इससे मुझे भी तसल्ली नहीं है केवल सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने इसको रखा है। सरकार दूसरा अच्छा शब्द ढूंढ़ ले।

श्री चेयरमैन—क्या ऐसा नहीं है कि उसका हिन्दी का कोई शब्द नहीं हो और माननीय मंत्री जी ने उसको इसीलिए अंग्रेजी में रख दिया हो।

श्री पीताम्बर दास—ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि इसी विधेयक के अन्दर बहुत से पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, जैसे आफिसर का अधिकारी, कोर का सैनिक दल। तो इस ख्याल से मैं समझता हूँ कि इसका भी पर्यायवाची शब्द हो सकता था अगर ढूढ़ा जाता।

श्री महमूद अस्लम खाँ—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं यह दरियाफ़्त करना चाहता हूँ कि जब लफ़्ज नये-नये लिये जा रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है कि इसको भी रहने दिया जाय।

श्री चेयरमैन—यह प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री पीताम्बर दास—तो अध्यक्ष महोदय, मैंने तो केवल सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि इनके लिये कोई पर्यायवाची शब्द हो तो ठीक है और इसी ख्याल से मैंने अपने सारे संशोधन दिये हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, पीताम्बर दास जी ने अभी एक बात कही और उससे बात स्पष्ट हो गयी। वह कहते हैं कि कैडिट का अर्थ जो है उसका भाव सैनिक

से नहीं पूरा होना और उनको भी सन्देह है लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये ही उन्होंने संशोधन रख दिया है, तो मैं उनका भी ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमने इस पर पूरा विचार किया है और विचार करके ही इस दृष्टि से कि यह अधिनियम बनने जा रहा है, उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग न हो जिससे कि भ्रान्ति पैदा हो या जो इस भाव को न व्यक्त कर पायें, ले आने के लिये यही अच्छा है कि जो शब्द प्रचलित हैं, वही चलायें। दूसरे उसको ले आने का अर्थ यह भी है कि यह शब्द सेना में प्रचलित है और हम इस अधिनियम में भी वही भाव ले आना चाहते थे। फिर दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि इसका प्रयाय रखा जाता लेकिन जब कोई प्रयाय है ही नहीं कोष में तो फिर यही अच्छा था। जब शब्द कोष आ जायेगा जिसको केन्द्र सरकार और हमारी सरकार बनवाने का प्रयत्न कर रही है अगर उसमें कोई प्रयाय ऐसा हो कि उसके अर्थ से कई शब्दों का प्रयोग होता हो, या उससे भाषा सम्पन्न मानी जाती हो अगर हमको कोई पर्यायवाचक शब्द हिन्दी में मिल जाते हैं, तो उस से हमारी भाषा सम्पन्न होती है। हम इस सिद्धान्त को मानते हैं कि चाहे वह अंग्रेजी हो, उर्दू हो, बंगला हो, फारसी हो या अरबी हो, उसके अगर ऐसे शब्द हैं जो हिन्दी में प्रयोग होते हैं और वे प्रचलित हैं और साधारण से साधारण आदमी उसको समझता है तो हम को उसे मानने में कोई एतराज नहीं है। अगर आज कमिश्नर का शब्द प्रचलित है तो उसके साथ साथ हम आयुक्त भी लिख देते हैं। इस प्रकार से अभियन्ता के साथ साथ इन्जीनियर का शब्द भी लिख देते हैं। पश्चिमी जिलों में इरीगेशन डिपार्टमेन्ट को मोहकमा नहरवाई कहते हैं। तो जिन शब्दों का अधिक प्रयोग होता है उनको मानने में हमको कोई भी एतराज नहीं है, इससे भाषा सम्पन्न होती है। अगर हम प्रविष्ट लिखते हैं तो साथ में अंग्रेजी मे इनरोल्ड भी लिख देते हैं। हमको शब्दों के अपनाने मे कोई एतराज़ नहीं है। श्रीमान, मैं आपके द्वारा श्री पीताम्बर दास जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे अपने इस संशोधन को वापस ले ले। उनका जो यह तात्पर्य था कि सरकार का ध्यान इस ओर दिलाये। तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि सरकार का ध्यान उस ओर है और जब कभी भी उसको इसके लिये कोई उपयुक्त शब्द मिल जायेगा वह जरूर ले आयेगी।

श्री पीताम्बर दास—श्रीमान, मेरा यही मतलब था कि सरकार का ध्यान इस ओर जाये। माननीय मंत्री जी ने यह कह दिया है कि वे इस ओर विचार कर रहे हैं और उन का भी ध्यान इस तरफ है। इन शब्दों के कारण मैं इस संशोधन को वापस लेता हूँ।

श्री चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय।

सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २ विधेयक का भाग बना रहे। प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

खंड—३

राज्य शिक्षा सैनिक दलों का का संघटन

३—(१) राज्य सरकार द्वारा सैनिक दल (corps) का आयोजन, संगठन तथा सम्पोषण होगा और इनका नाम प्रदेशीय शिक्षा दल होगा।

[श्री चेयरमैन]

(२) सैनिक दल में एक या एक से अधिक इकाइयाँ होंगी और किसी इकाई में ऐसी संस्था अथवा संस्थाओं के छात्र भरती किये जायेंगे जो नियत शर्तों को पूरा करती हो या हों और जिसका या जिनका नाम राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञापित करे।

(३) राज्य सरकार नियत रीति से इस प्रकार संगठित किसी भी इकाई (unit) को विघटत अथवा पुनस्संघटित कर सकती है।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि ३ इस विधेयक का भाग बना रहे। प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

खंड—४

प्रवेश (enrolment)

४—नियत शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुये धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन विज्ञापित प्रत्येक संस्था की कक्षा ११ तथा कक्षा १२ का प्रत्येक बालक (male) छात्र जो नियत आयु से कम का न हो, सैनिक दल मे प्रविष्ट किया जायगा,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नियत अधिकारी किसी भी विद्यार्थी को स्वास्थ, शारीरिक अक्षमता या अन्य किसी ऐसे आधार पर, जो नियत किया जाये, प्रवेश से मुक्त कर सकता है।

श्री पीताम्बर दास—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ४ में यह संशोधन पेश करना चाहता हूँ।

खंड ४ की पंक्ति ३ मे शब्द "नियत" के स्थान पर शब्द '१४ साल की' रख दिये जायं।

अभी थोड़ी देर हुई जिस समय माननीय मंत्री जी भाषण दे रहे थे तो उनके भाषण से ऐसा मालूम हुआ कि जो रूल्स बनने जा रहे हैं या बन गये हैं, उसमें उन का विचार स्वयं है कि १४ साल की अवस्था रखी जाये।

अध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति दें, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह और जानना चाहूँगा कि मैं जो बात सोच रहा हूँ वह ठीक है। अगर वह ठीक है, तो फिर इस के बाद मुझे इस संशोधन को प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, आप का तात्पर्य सिर्फ इस से है कि इसमें मिनिमम एज अर्थात् न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी जाय। तो आज भी वह बात है और आप इसके लिये खंड १५ के उपखंड २ तथा ३ को देखें। इस में भी हम इस विषय को रखेंगे और यह नियम बनाते समय हो जायेगा।

श्री पीताम्बर दास—जो निम्नतम आयु इस के लिये है, वह क्या फिर १४ वर्ष ही होगी। मैंने १४ वर्ष की आयु का संशोधन सिर्फ इस दृष्टि से किया है कि आज एन० सी० सी० के लिए भी इतनी ही आयु रखी जाती है जब कि उसमें सेलेक्शन होता है। आजकल के जमाने में इन्टरमीडियेट में भी १४ वर्ष से कम के लड़के आ जाते हैं जिन पर यह अनिवार्य नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—१४ वर्ष से कम तो हो ही नहीं सकती है, मुमकिन है

कि यह बढ़ जाय। जब नियम निर्धारित कर दिये जायेंगे, तो वे आप के सामने विचारार्थ आयेंगे। वैसे १४ वर्ष से कम आयु होगी नहीं।

श्री पीताम्बर दास—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संशोधन को आप की अनुमति से वापस लेना चाहता हूँ।

श्री चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय।

सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।

प्रश्न यह है कि खंड ४ विधेयक का भाग बना रहे।

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

खण्ड—५

५—प्रत्येक कैडेट कवायद (drill) करने के लिये तथा आयुध-प्रयोग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बाध्य होगा और ऐसी समाज-सेवा करेगा तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन एवं अन्य कृत्यों का निर्वहन (discharge) करेगा जो नियत किये जायं।

कृत्य (Functions)

श्री पीताम्बर दास—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को जो क्रम संख्या ३ में है, प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ५ के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें :

इस प्रकार की कवायद तथा प्रशिक्षण का कार्य संस्था की कार्य अवधि (working hours) में होंगे।

जैसा कि पहले निवेदन करते समय मैंने कहा था कि जो वालदेन हैं उन को इस बात से दिक्कत होती है अगर उन के लड़कों को कवायद का समय शाम को रख दिया जाय। इसी दृष्टि को सामने रखकर मैंने इस संशोधन को सामने रखने का साहस किया है।

श्री हृदय नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जो संशोधन श्री पीताम्बर दास जी ने प्रस्तुत किया है, वह समर्थन के योग्य नहीं है। वैसे ही आजकल विद्यार्थियों की जो पढ़ाई का समय मिलता है, वह बहुत कम होता है क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक तथा दूसरी चीजों की छुट्टियों की तादाद बहुत ज्यादा है। पढ़ाई का जो समय है, उसी में पीताम्बर दास जी चाहते हैं कि उन को सैनिक शिक्षा दी जाय, तो यह बात उचित नहीं है। यदि इस तरह से होगा, तो जो दो दिन या तीन इस कवायद के लिये मिलते हैं, उस में इस को रख देने से आधे दिन ही स्कूल चल पायेगा और इस से शिक्षा की बहुत क्षति होगी। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह संशोधन समर्थन के योग्य नहीं है।

श्री शिव नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पेश किया गया है, मैं उस का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं स्वयं एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग का मास्टर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि इसकी ट्रेनिंग दोपहर को नहीं हो सकती है। इस से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। सुबह ७ से ९ बजे तक इस के लिये ठीक समय है। हम दिन के समय लड़कों को फील्ड में कसरत नहीं करा सकते हैं। इस तरह से यदि वे मर जायेंगे, तो इस में किस की जिम्मेदारी होगी। यह पोलिटिक्स और वकालत की

[श्री शिव नारायण]

चीज नहीं है बल्कि फिजिक्ल ट्रेनिंग की चीज है और बच्चों के जीवन मरण का प्रश्न है। सुबह के समय ही मिलिट्री ट्रनिंग ठीक रहेगी, दोपहर को नहीं। और ५ बजे अगर लड़कों से काम लेते हैं दिन भर के थकेमांदे लड़के शाम को काम नहीं कर सकते। बेस्ट टाइम मार्निंग का होता है। तो मैं उन से निवेदन करूंगा कि इसकी गुन्जायश नही है, इसे वापस ले लें और यह बिल पास हो जाये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर यह खेद है मुझे कि प्रस्ताव स्वीकार करना सम्भव न होगा। कारण यह है कि जो इसकी ट्रेनिंग होती है सिर्फ सांयकाल होता है, छूट्टी के दिन प्रातःकाल हुआ करती है। और हफ्ते में जो दिन इसका निर्धारित रहत है, इसके जो इन्स्ट्रक्टर्स होते हैं, टीचर्स हमारे उनको एक पीरियड की छुट्टी भी दीजाती है ताकि वह तैयार होकर आजायें। और पढ़ाई लिखाई जिस समय होती रहती है उस समय इस को रखना ऐसी बात है कि न पढ़ाई हो सकेगी और न वही हो सकेगा। इस लिये जो व्यवस्था इस वक्त है उसी को चलने देना उचित होगा। ऐसा हो अनुभव भी हमारा वतलता है दोपहर में १०, ११ बजे लड़के खाकर आते हैं जाड़े में ही अक्सर कैम्प वग़ैरह का काम बढ़ता है। दस बजे से लड़के खाकर आयें और फिर एक बजे दो बजे से उनको लगाया जावे तो पढ़ाई लिखाई में भी बाधा होती है और टीचर्स की जो एक पीरियड की छुट्टी हो जाम है उस हालत में उनका तैयार होकर आना मुश्किल हो जायेगा।

श्री पीताम्बर दास—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं सदन की अनुमति चाहता हूँ इसे वापस लेने की।

श्री चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है माननीय सदस्य इस संशोधन को वापस लें। सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ५ विधेयक का भाग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—६

छात्राओ की इकाइयां बनाने का अधिकार

६—इस संबंध में नियत शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीनरहते हुये राज्य सरकार छात्राओं की इकाइयां भी संघटित कर सकतीं है।

श्री चेयरमैन—पीताम्बर दास जो ने खंड ६ के लिए लिखा है कि निकाल दियाजाये।

श्री पीताम्बर दास—अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा।

श्री चेयरमैन—सदन की अनुमति आप को लेनी पड़ेगी क्योंकि समय के बाहर आया।

श्री पीतम्बर दास—अध्यक्ष महोदय, सदन से अनुमति प्राप्त करने के लिए सदन को कन्विन्स करने के लिये मुझे कुछ कहने की भी क्या इजाजत होगी।

श्री चेयरमैन—ऐसा रूल नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं तो ऐसा समझता हूँ कि यह नया संशोधन करने की अनुमति मान्यवर नहीं मिलनी चाहिए। मुझे तो इस से विरोध है।

श्री हरि कृष्ण अवस्थी—दे दीजिये पंडित जी कुछ कह लेने दीजिए।

श्री कमलापति त्रिपाठी—सदन से परम्परा मत तोड़िए।

श्री चेयरमैन—श्री पीताम्बर दास जी को जानना चाहिये कि सदन का कोई भी सदस्य अनुमति न दे तो अनुमति नहीं मिल सकती।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ६ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खण्ड ७-८

उन्मुक्ति (discharge)

७—सैनिक दल में प्रविष्ट प्रत्येक कैडेट संस्था की, जिससे वह सम्बद्ध हो, उपस्थिति पंजी (roll) में उसका नाम न रहने पर सैनिक दल से उन्मुक्त कर दिया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी प्रविष्ट कैडेट, उन शर्तों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायं, किसी भी समय नियत अधिकारी द्वारा सैनिक दल से उन्मुक्त किया जा सकता है।

परामर्शदात्री समिति

८—राज्य सरकार प्रदेशीय शिक्षादल के संघटन व प्रशासन से संबंधित नीति के मामलों में परामर्श देने के लिये एक परामर्शदात्री समिति संघटित करेगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(१) शिक्षा मंत्री, जो समिति के अध्यक्ष होंगे,

(२) उपमंत्री, शिक्षा,

(३) शिक्षा सचिव,

(४) शिक्षा संचालक,

(५) उत्तर प्रदेश में स्थित किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति जो प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायगा,

(६) संस्थाओं के दो प्रधानाचार्य तथा दो अध्यापक जो प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे,

(७) विधान मंडल के तीन सदस्य जिनमें से दो विधान सभा द्वारा और एक विधान परिषद द्वारा चुने जायेंगे।

(८) राज्य सरकार के वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि,

(९) दो गैर-सरकारी सदस्य जो प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीति किये जायेंगे,

(१०) सैनिक शिक्षा निर्देशक जो समिति के सेक्रेटरी होंगे।

श्री पीताम्बर दास—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खंड ७ का संशोधन है उसे मैं प्रस्तुत करना नहीं चाहता।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ७ और ८ विधेयक के भाग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

[श्री चेयरमैन] **खण्ड---९-१५**

अधिकारियों की नियुक्ति

९—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त :

(क) एक सैनिक शिक्षा निर्देशक,

(ख) एक या एक से अधिक सैनिक शिक्षा सहायक निर्देशक

(ग) एक या एक से अधिक कमान्डेंट, सहायक कमान्डेंट, क्वार्टर मास्टर, तथा स्टाफ इन्स्ट्रक्टर तथा

(घ) अन्य अधिकारी तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारीवर्ग, जिनकी आवश्यकता हो,

समय-समय पर नियुक्त कर सकती है।

अधिकार और कर्त्तव्य

१०—(१) सैनिक शिक्षा निर्देशक तथा प्रत्येक सैनिक शिक्षा सहायक निर्देशक ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा तथा कमान्डेन्टों और अन्य अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा अधीक्षण (supervision and superintendence) संबंधी ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा, जो नियत किये जाँय।

(२) कोई भी कमान्डेन्ट तथा अन्य अधिकारी इस अधिनियम अथवा प्रदधीन निर्मित नियमावली द्वारा, या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग अथवा उस पर आरोपित कर्त्तव्य का पालन करेगा।

११—कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी नियम का उल्लंघन करता है ऐसे दंड का भागी होगा, जो नियत किया जाय।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों से रक्षा

१२—(१) इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी आज्ञा अथवा निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के निमित्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन (prosecution) या अन्य विधिक कार्यवाही न हो सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी आज्ञा अथवा निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के कारण हुई अथवा सम्भाव्य क्षति के कारण राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

अधिकारों का प्रतिनिधायन (delegation)

१३—इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कोई भी अथवा समस्त अधिकार, ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा और उन शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार इस संबंध में नियत करे, प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जा सकते हैं।

प्रकीर्ण

१४—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व राज्य सरकार द्वारा अथवा अन्य किसी अधिकारी द्वारा समाज सेवा प्रशिक्षण योजना, अनि-

वार्य सैनिक शिक्षा योजना अथवा सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण की संयुक्त योजनाओं के अधीन कोई निर्मित नियम, दी गयी कोई आज्ञा अथवा दिया गया कोई निर्देश उसी प्रकार प्रवृत्त बना रहेगा मानों वह इस अधिनियम के अधीन नियत, निर्मित, प्रचारित अथवा दिया गया हो तथा वह तदनुसार निरस्त, प्रत्यावर्तित, परिवर्तित अथवा संशोधित (repealed, revoked, varied or amended) किया जा सकता है।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व सैनिक शिक्षा तथा समाज-सेवा प्रशिक्षण की संयुक्त योजना के अधीन प्रविष्ट कोई व्यक्ति अथवा नियुक्त कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्रविष्ट अथवा नियुक्त बना रहेगा और प्रविष्ट अथवा नियुक्त किया गया समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में उल्लिखित समाज सेवा प्रशिक्षण योजना, अनिवार्य सैनिक शिक्षा योजना तथा सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण की संयुक्त योजना से तात्पर्य क्रमशः उसी नाम से इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा चलायी गयी योजना से है।

नियम बनाने का अधिकार

१५.—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है।

(२) विशेष रूप से, तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों अथवा किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकती है—

(१) वे शर्तें, जिनके अनुसार किसी संस्था में इस अधिनियम के अधीन इकाई (unit) संघटित की जा सकेगी;

(२) इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों की अथवा व्यक्तियों के वर्गों की अधिकारी आदि के रूप में नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तें,

(३) वह रीति, अवधि और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति सैनिक दल में प्रविष्ट किया जा सकेगा;

(४) इस अधिनियम द्वारा शासित किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग के निमित्त समाज-सेवा तथा सैनिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम (courses) तथा उनके पदादि;

[श्री चेयरमैन]

(५) सैनिक दल के सदस्यों में अनुशासन बनाये रखना ;

(६) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारियों के कर्त्तव्य, अधिकार तथा कृत्य;

(७) सैनिक दल के सदस्यों तथा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारियों को देय भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक;

(८) इस अधिनियम द्वारा शासित किसी व्यक्ति का हटाया जाना अथवा उन्मुक्ति (removal or discharge)

(९) इस अधिनियम के अधीन अपराधों तथा दंडों का निर्धारण तथा अपराधों के संबंध में दी गई आज्ञाओं को कार्यान्वित करने की रीति ;

(१०) वर्दी तथा पदों के बिल्ले (badges of ranks) जो विद्यार्थियों तथा अधिकारियों के लिये आवश्यक हों, तथा

(११) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जाने वाले हों अथवा नियत किये जांय ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम १४ दिन तक रक्खे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उनमें करे ।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ९, १०, ११, १२, १३, १४ और १५ विधेयक के भाग बने रहें ।

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना व खण्ड—१

यह इष्टकर है कि स्कूलों के विद्यार्थियों में चरित्र, अनुशासन, सौहार्द्र समाज-सेवा की भावना और नेतृत्व की क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिये समाज सेवा के साथ ही साथ सैनिक कवायद (Military drill) और आयुध-प्रयोग (use of arms) में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्ष-नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम प्रदेशीय शिक्षा दल अधिनियम, १९५८ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह टेहरी गढ़वाल को छोड़कर समस्त जिलों के मुख्य वासी नगरों में तथा टेहरी नगर में तुरन्त प्रचलित होगा। उत्तर प्रदेश के किसी अन्य क्षेत्र में यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ निश्चित करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकेंगे।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और खंड १ इस विधेयक का भाग बने।

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता कि प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक सन १९५७ ई० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है पारित किया जाय।

श्री पीताम्बर दास—मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री को पहले तो बधाई दे दूं उन सारी बातों के लिये जिनसे उन्होंने हम लोगों को अवगत कराया है बीच-बीच में, जब-जब भी उनका भाषण सदन में हुआ। अब यह विधेयक पास होने जा रहा है और इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिनको करने या न करने का अधिकार हम प्रादेशिक सरकार को इस विधेयक के द्वारा दे रहे हैं। कई बार तो अपने विचार प्रगट करने का मंशा यही होता है कि जिन बातों को लागू करने या न करने का अधिकार हम सरकार को दे रहे हैं उनको क्या बातें ध्यान में रखकर सरकार लागू करे व सुझाव सरकार को दिए जायं। इस विधेयक में दो एक महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जिनको लागू करने के समय सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसमें एक सिद्धांत की बात यह आ गई है कि यह विधेयक लड़कियों पिर भी लागू किया जाय या न किया जाय और यह अधिकार सरकार को दे दिया गया है प्रक वह चाहे तो इसके प्राविजन्स छात्राओं के लिए भी लागू कर सकती है। मैं एक बात कस्तुत कर देना चाहता हूँ। इन मामलों में जो इक्वलिटी (बराबरी) की भावना दलील में कही जाती है उस पर जरा विचार करना चाहिये। जहाँ बराबरी न हो और निचाई हो वहाँ तो बराबरी की माँग ठीक है। परन्तु हमारे देश की परिस्थिति और संस्कृति को देखकर यह धारणा लेकर चलना कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाय यह ठीक नहीं है। हमारा देश तो वह है जिसने नारी को पुरुषों से ऊँचा स्थान दिया है। बीच में कुछ गुलामी के कारण और कुछ दूसरे कारणों से इस विचार में विकृति आ गई। वह जो हमारा आदर्श था, जैसे-जैसे सुविधाएँ होती जांय हमें चाहिए कि हम उन्हीं आदर्शों को फिर से प्रस्थापित करें। हमने तो खुलकर कहा कि जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती वह नर्क के तुल्य है और जहाँ यह होता है वह घर स्वर्ग है हमने स्त्री को गृह लक्ष्मी भी कहा है। दूसरे देशों की नकल करके अपने यहाँ बराबरी की बात करना कुछ उचित नहीं मालूम होता है। अपने इस देश में एक बार जिस समय शङ्कर बहुत प्रसन्न हुये और उन्होंने पार्वती से कहा कि वरदान माँगो हम बहुत प्रसन्न हैं तो पार्वती ने कहा कि जब आपके जैसा पति मुझको प्राप्त है तो और वरदान की क्या जरूरत है।

[श्री पीताम्बर दास]

शङ्कर जी ने कहा कि "आज माँग लो।" पार्वती ने कहा कि महराज यह मेरा सौभाग्य है कि आप ऐसा पति मुझे इस जन्म में मिला यदि वरदान देना ही है तो दे दीजिये कि जन्म जन्मान्तर मे भी आप का ही ऐसा पति मिले। तो यह आदर्श इस देश का रहा है। जब कि पाश्चात्य देशों की यह सभ्यता नहीं है! आज भी भारतीय महिलायें जब अपनी बहू बेटियों को आर्शिवाद देती हैं तो यही कहती हैं कि सती सावित्री जैसी बनो। यह नहीं कहती कि पाश्चात्य सभ्यता में रंग जाओ। बाहर के देशों की बात लेकर कि वहाँ स्त्रियों को बन्दूक दी जाती है हाथ में इसलिये हमारे देश में भी ऐसा हो मेरी एक बहन का भाषण आज यहाँ पर हो रहा था। मैंने बड़े गौर से सुना। उन्होंने विदेशो की अनेकों मिसाले दीं। और उसके बाद दूसरी बहन का भी भाषण मैंने सुना। दोनों की पृष्ठभूमि में बड़ा अन्तर था और भिन्नता थी। यही मेरी बात का सबसे बड़ा समर्थन है कि इस देश की संस्कृति ऐसी है जो आज भी भारतीय महिलाओं के मन में गहरी घुसी हुई है। बरावरी का प्रश्न उठाकर उनको नीचे लाने की बात जब मैं अपनी बहनों से सुनता हूँ। और जब वह गौरव अनुभव करती हैं बराबरी में तो मुझे आश्चर्य होता है और दुख भी होता है कि वह मरदों का एहसान क्यों लेती हैं कि बरावरी का स्थान दो यह हमारा अधिकार है। अधिकार तो बड़ा था और अब माँग यह है कि हमको बराबरी के स्थान पर लाया जाय अर्थात पहले से नीचे।

दूसरी बात एक मैं और बता देना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में एक बात अधिकतर कही जाती है कि हमारे देश के अन्दर रानी झाँसी जैसी विराङ्गना हुई हैं, जो तलवार लेकर लड़ीं। और इससे पहले के इतिहास में और भी हुई हैं। मैं इसमे गौरव को बात नहीं समझता। मुझे दुख का अनुभव होता है कि इस देश में विरागनाओं को भी समराग्गण में आना पड़ता है। क्या यह गौरव की बात है! देश के नौयुवकों का लड़ना भिड़ना कर्त्तव्य था। उनके बजाय विराग्गनाओं को समराग्गण मे आना पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिये था। उनके अपना क्षेत्र है। जितनी कुशलता बढ़ायें उतना अच्छा है उस क्षेत्र में।

इन शब्दों के साथ में साथ मे पुनः माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस बिल मे जो अधिकार दिये गये हैं वे उनको लगू करते वक्त काफी सोच विचार करे और उसके लागू करें।

*श्री जगन्नाथ आचार्य (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) अध्यक्ष महोदय मेरा बिचार तो बोलने का नहीं था लेकिन माननीय पीताम्बर दास जी ने जो कहा कि बन्दूक लेना देश की सभ्यता के विपरीत है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह पुराणों का अच्छी तरह से अध्ययन करें। पुराण युग में वह देखेंगे कि आज जो कुछ पश्चात्य देशों मे हो रहा है वह यहां की नकल हो रही है। उन्होंने पार्वती जी का उदाहरण दिया और वह इस प्रसंग को भूल गये जब कि पार्वती जी ने कालिका का रूप धारण किया और

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

उस समय जो राक्षस उत्पन्न हो गया था उसको मारने के लिये खप्पर हाथ मे लिया और राक्षसों का नाश किया। उस समय शंकर कहां थे। भगवान जब राक्षसों से युद्ध करते करते थक गये। उस समय किसने खड्ग हाथ में लिया। युद्ध भूमि में कैकेयी का प्रसंग आता है। उस बात को जानने के लिये अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमारे यहां स्त्रियां हमेशा पुरुषों से आगे रही हैं और उन्होंने हमेशा सैनिक शिक्षा दी है यदि ऐसा न होता तो वाल्मीकि के आश्रम में लव कुश को जो सैनिक शिक्षा तथा धनुर्विद्या की शिक्षा मिली वह किससे मिली वह भी भगवती जानकी से ही। अगर यह बात न होती तो फिर उनको और उस समय के बालक बालिकाओं को किस प्रकार से शिक्षा मिलती।

यहां मैं समाप्ति कर रहा हूं चूंकि प्रश्न आ गया था। स्त्रियों को क्यों बन्दूक दी जाय इसका काफी जवाब हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने इसके जरिए से स्त्रियों को समान अधिकार दिया है।

श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं पीताम्बर दास जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। एक अंश से उनके भावों का समर्थन करता हूं। मैं उसके प्रमाण में यह कह सकता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में स्त्रियों के लिए अनिवार्य सैनिक शिक्षा कभी लागू नहीं रही है। जहाँ क्षत्राणियाँ थीं और जिनके यहाँ पर सैनिक का कार्य ही होता रहा है उनके यहाँ भी कभी लागू नहीं रहा। जो स्त्रियाँ या लड़कियाँ चाहें उनको तो दे दी जाय और जो स्त्रियाँ न चाहें या उनके अविभावक न चाहें उनके लिए यह कम्पलसरी न किया जाय मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री हृदय नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष जी, इस तृतीय वाचन के अवसर पर मैं समझता हूँ कि मुझे थोड़ा सा कहना आवश्यक हो रहा है। यह जो काम हमारे प्रदेश में चल रहा है उसको इस बिल के द्वारा वैधानिकता प्राप्त हो रही है। एक प्रकार की जो वैधता होती है ऐक्ट में वह लागू हो जायगी सारे प्रदेश में जहाँ तक कि सैनिक शिक्षा का प्रश्न है। हमने अपने भूतपूर्व चैयरमैन साहब से सुना था कि डेनमार्क में यह नियम है कि कोई कागज फाड़कर सड़क में नहीं फेंक सकता और अगर कोई फेंक देता है तो एक पुलिस कांस्टेबुल उसके ऊपर जुर्माना कर देता है। यदि वह व्यक्ति वहीं पर जुर्माना दे देता है तब तो छोड़ देता है वर्ना उसको कस्टडी में ले सकता है। इसी तरह से शिक्षा का स्तर होता है उसके लिए कम्पलशन आवश्यक होता है। जो अभी तक नहीं था वह अब हो रहा है। इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि यह बहुत लाभप्रद होगा। मैंने एक बात कही थी और मैं समझता हूँ कि उसके बारे में कुछ भ्रम सा हो गया है। मैंने यह कहा था कि सेंटर गवर्नमेंट से जो कुछ भी हमको मिल रहा है उससे हमको लाभ उठाना चाहिए। जहाँ पर सैंटर और हमारे प्रदेश का कोई वैसा प्रश्न आएगा वहाँ तो मैं हमेशा अपने प्रदेश का ही पक्ष करूँगा। उसी का समर्थन करूंगा। मैंने तो इसलिये यह कहा था कि सैंटर की जो स्कीम है उससे हमको अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। मंत्री जी ने भी उसको स्पष्ट कर दिया कि सैंटर से जो लाभ मिल सकता है वह उठाया जायगा। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक के द्वारा हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों का शारीरिक

[श्री हृदय नारायण सिंह]

विकास होगा और उनको चारित्रिक विकास का भी अवसर उनको मिलेगा । मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि कमेटी आफ कांस्टीट्यूशन जो है उसमें एक प्रतिनिधि स्काउट गाइड का और एक प्रतिनिधि हाई स्कूल ऐंड इन्टरमीडियेट बोर्ड का भी होना चाहिए। जो दो मेम्बर्स गवर्नमेंट की ओर से नामजद होने वाले हैं वहाँ पर अगर एक एक मेम्बर स्काउट गाइड और हाई स्कूल ऐंड इन्टरमीडियट बोर्ड से ले लिए जाँय तो अच्छा है क्योंकि ११ और १२ क्लास जहाँ पर कि यह शिक्षा होने वाली है वहाँ का भी प्रतिनिधि होना चाहिए कि कैसे वह शिक्षा दी जायगी । इस बारे में उनकी भी राय होना बहुत आवश्यक है । इस सम्बन्ध में जो काम हो शारीरिक विकास का और समाज सेवा का उसकी भी परीक्षा में सम्मिलित किया जाय। इस दृष्टिकोण से भी मैं समझता हूँ कि हाई स्कूल इन्टरमीडिएट बोर्ड का प्रतिनिधि वहाँ पर होना चाहिए। मुझे स्त्रियों और पुरुषों के वाद विवाद में नहीं पड़ना है । इसके लिये और भी बहुत से लोग हैं। मैं इन शब्दों के साथ इसका स्वागत करता हूँ ।

श्री महमूद असलम खाँ—जनाब चेयरमैन साहब, मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूँगा कि जो बहस मोहतरम खवातीन के फौजी ट्रेनिंग के सिलसिले में उठाई गई है और जिसमें यह कहा गया है कि कम्पलशन मुनासिब नहीं है लेकिन वहाँ तो कम्पलशन का सवाल पैदा नहीं होता है । गुजारिश यह है कि जब गैर मुमालिक में खवातीन जिन्दगी के बड़े शाबे में हिस्सा ले रही है तो यह यहाँ हिन्दुस्तान में जो पिछड़ा हुआ मुल्क है अगर यहाँ पर इस किस्म का कानून पास हो और उनको मौका दिया जाय तो यह रीऐकसनरी किस्म की बात होगी । मुझे सिर्फ इतना ही कहना था ।

श्री हरि कृष्ण अवस्थी—(अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) श्रीमान् एक बात श्री पीताम्बर दास जी ने कही वह यह है कि युवक समाज के लिये यह लज्जा की बात होगी यदि इस देश की महिलाओं को सैनिक क्षेत्र में उतरना पड़े । मैं उनके इस कथन से सहमत हूँ । मैं इस बात से सहमत हूँ कि स्त्रियों को इस क्षेत्र में न आना पड़े लेकिन उन स्त्रियों को भी इस योग्य न बनाया जाय कि वे अवसर पड़ने पर अपनी रक्षा न कर सकें । देश की रक्षा के लिये नौजवानों को ही सदा तैयार रहना चाहिये और होना भी यही चाहिये । हुआ भी यहीं कि समय पड़ने पर युवकों ने युद्ध क्षेत्र में पदार्पण किया । यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि कुछ औरतों ने युद्ध किया और कुछ ने काली का खप्पर दिखाया । परन्तु तो अपने समाज की स्त्रियों को ऐसा बना देना है कि वे स्वरक्षा में प्रवृत्त हो सकें । मेरा थोड़ा सा अनुभव भी है मैं जब अपने क्लास में उपस्थिति लेने लगता हूँ तो उसमें बालकों के साथ बालिकायें भी होती है । बालिकायें इतने धीरे से बोलती हैं कि उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है। आवाज को दबाकर बोलने की जो प्रवृत्ति आ गई है इससे वह यह जाहिर करना चाहती हैं कि वे बहुत सुकुमार हैं । वे यह सोचती हैं कि जितने धीरे से बोलेगी उतनी ही सुकुमारता आयेगी । मैं तो अक्सर क्लास में उन लड़कियों से कहता हूँ कि जिस तरह से घर पर अपने भाइयों से लड़ती हो उसी तरह से यहाँ भी बोलो ।

श्रीमती सावित्री श्याम—यह व्यर्थ की स्पीच है। इस समय तो स्त्रियों के ऊपर ऐसा वक्त नहीं है, यह नहीं चलनी चाहिये।

श्री चेयरमैन—इसके लिये मैं बैठाया गया हूं।

श्री हरि कृष्ण अवस्थी—जहां हमारे यहां स्त्रियां का कामिनी और प्रमदा के रूप का वर्णन है वहीं उनके चंडी रूप का भी वर्णन है। जब स्त्रियां के महत्व को समझेंगी तभी उनका स्वास्थ्य संवर्धन होगा। तभी जो आजकल कृत्रिम प्रसाधन के तत्व हैं उनको वे छोड़ देंगी। वे लिपस्टिक और पाउडर को छोड़ देंगी और स्वास्थ्य को सौन्दर्य का साधन समझकर अपने को स्वस्थ बना सकेंगी।

श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल)—जनाब वाला मेरा ख्याल नहीं था कि थर्ड रीडिंग पर लम्बी तकरीरें होंगी। मेरे ख्याल में सभी मेम्बरान ने अपने ख्यालात का इजहार इस बिल के सिलसिले में मंत्री जी के सामने कर दिया था इसलिये उम्मीद थी कि थर्ड रीडिंग जल्दी खत्म हो जायगी। लेकिन पीताम्बर साहब ने ऐसा मामला उठाया कि जिससे मेम्बर्स को ये बातें कहने का मौका मिला। मैं अफ़सोस के साथ कहती हूँ कि एक तरह से बदतमीजी के साथ बातें की गई। मुझे अफसोस यह है।

श्री चेयरमैन—"बदतमीजी" का वर्ड (with draw) करना चाहिए।

किसी वक्त जब कोई बात हो उसी वक्त खड़े हो जाना चाहिए था। आप "बद-तमीजी" का शब्द वापस ले लें।

श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल)—आपका जो हुक्म है मैं उसको मानने के लिये तैयार हूँ. यह चीज इन्सानी जजबात के खिलाफ़ है। इस तरह से औरतों पर हमला किया जाय मैं समझती हूँ कि उनको इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बातें अपनी मां और बहिनों के मुताल्लिक करते हैं।

श्री चेयरमैन—आपने वह लफ्ज तो वापस नहीं लिया।

श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल)—मैं आपके हुक्म की तामील कर रही हूं। मगर मैं समझती हूँ कि यह मौका नहीं था ये सब बातें कहने का।

श्री महमूद अस्लम खाँ—कोई शब्द ऐसा स्तेमाल नहीं किया गया जो अपमान जनक हो।

श्रीमती कुदसिया बेगम(बेगम ऐजाज़ रसूल)—अल्फाज़ का इस्तेमाल करना आप जानते हैं। कुछ अल्फाज़ कहना और अपने ख्यालात का इज़हार करना इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं अदब के साथ अर्ज़ करूंगी कि आप इस चीज को समझें। यहां इस हाउस में कुछ चंद भाई साहबान ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। उनके लिये यह हरगिज मुनासिब नहीं है। खास तौर से जा अवस्थी जी के अल्फाज हैं वे उनको नहीं कहने चाहिए थे। लखनऊ की तहज़ीब का थोड़ा बहुत असर रखते हुए उनका इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। जहां तक लेजिस्लेचर का ताल्लुक है मुझे सुनकर कुछ अफसोस हुआ। लखनऊ के रवायात तो ऐसे है कि अपने दुश्मन को भी कोई बुरा नहीं कहता।

[श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल)]

उस दिन जहाँ हमारे भाई राजाराम शास्त्री ने एक बात कही थी तो उसका मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ था क्योंकि कानपुर और लखनऊ की तहजीब में बहुत फर्क है। इस लिये अवस्थी जी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, जो कि यहाँ का सब से अच्छा विश्वविद्यालय है उनके मुँह से इस तरह की बातें सुन कर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है। मैं समझती हूँ कि औरतों के पाउडर और लिपिस्टिक के बारे में तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता है लेकिन मैं जानती हूँ कि मर्दों की दुनिया में क्या क्या होता है। औरतों की खूबसूरती और औरतों की नजाकत के बारे में तमाम हजारों वर्षों से शायरों ने अपनी किताबों और नज्मों में तारीफ की हैं। मर्दों के इस तरह कह देने से कोई असर नहीं होता है। खुदा वन्द करीम ने हम लोगों को बेइन्तहा नाजुक जिनह मर्दों के मुकाबिले में बनाया है और हर तरह से हम उन से अच्छे हैं। इसलिये, जनाब वाला, जब मर्द इस तरह की बातें करें तो उन्हें बहुत ही सोच समझ कर कहना चाहिए।

श्री चेयरमैन—आप की स्पीच बहुत हो चुकी है। अब आप तशरीफ रखें।

श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल)—हमारे बुजुर्ग पीताम्बर दास जी ने कहा था कि इस बिल के सम्बन्ध में हमारे यहाँ की महिलाओं में कुछ भेद था। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि इस बिल के मुताल्लिक जो कुछ मैंने कहा वही बहिन सावित्री जी ने कहा और वही बात शिवराजवती नेहरू जी ने कहा—हम सभी ने यह कहा था कि कानूनन हम लड़कियों को इस ट्रेनिंग से अलग नहीं कर सकते हैं। मैं तो अपने वजीर साहब को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इस में अब इस तरह का एक क्वालिफाइंग क्लाज रख दिया है। पिछले बिल में लड़कियों के बारे में किलयर नहीं था। उस में औरतों का कोई जिक्र नहीं किया गया था इसलिये उस के माने यह भी हो सकते थे कि वह औरतों के लिये लागू होता है और नहीं भी होता है। अब यह एक क्वालिफाइंड क्लाज रखा गया है। इस चीज की मैंने मुबारकबाद दी थी और मेरी बहिनों ने भी यहीं बात कही थी कि लड़कियों को डिबार न किया जाय। मैं इस चीज में नहीं जाऊँगी कि बन्दूकें नहीं चलानी चाहिए या चलानी चाहिए। मैं अपनी स्पीच एक शेर कह कर अब खत्म करती हूँ। यह शेर अकबर इलाहाबादी का है:

बेपरदा कल जो आयीं नजर चन्द बीबियां,
अकबर जमीं में गैरते कौमी से गड़ गया।
पूछा जो मैंने आप का परदा वह क्या हुआ,
कहने लगी कि अकल में मर्दों की पड़ गया।।

श्री हरि कृष्ण अवस्थी—श्रीमन, मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। बेगम साहिबा ने मेरा नाम लेकर कहा कि मैंने ऐसी बातें कही हैं। श्रीमान्, मैं नहीं जानता कि मेरी किस बात से उनको तकलीफ हुई है। उन्होंने लखनऊ के तहजीब और तमद्दुन की बात कही है। मैं समझता हूँ कि बेगम साहिब का अगर हरदोई से ताल्लुक नहीं होता तो वह ऐसी बात नहीं कहती। मैंने स्वास्थ्य की बात कही थी और यह कहा था कि स्वास्थ्य ही स्त्रियों का सबसे बड़ा सौन्दर्य होता है। अगर मैंने स्वास्थ्य की बात कही है तो इसमें

कौन सी कटाक्ष की बात थी। स्वास्थ्य का स्थान लिपिस्टिक और पाउडर नहीं ले सकते और न कृत्रिम प्रसाधन लावण्य और तारुण्य का स्थान ले सकते हैं। यह बात यदि हमारे समाज की स्त्रियां समझ लें तो सब ठीक हो जाये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूँ कि इस पर किसी बहुत बड़े भाषण की आवश्यकता नहीं है। यह ऐसा लगता है कि चूंकि प्रथम तथा द्वितीय वाचन के समय मर्दों ने गम्भीरता के साथ इस विधेयक पर विचार किया है। इसलिए वे कुछ थक गये थे अतः कुछ मजाक की बात हो गयी। इस वक्त अब उसका उत्तर देना ठीक नहीं है। लड़कियों को
हर प्रकार की शिक्षा देने के लिए
किसी तरह से रोक नहीं सकते हैं। यह
कोई सन्देह नहीं है कि इस प्रकार की
और बच्चियों मे हिम्मत और बहादुरी बढ़ाये
करने की तबियत उनमें पैदा की जाय। इससे फायदा ही फायदा की कमी को हमने अपने समाज में कर रखा था इसीलिए वे बेचारी अबला जाती थी लेकिन वे अबला नहीं हैं। के बोले माँ अबले तुमी, रिपुबल संघारिणी।

वे तो शक्ति की परिचायक मानी गयी हैं। रिपु दल का संघार करने वाली उसको कहा गया है। इसलिये उनको इस प्रकार की शिक्षा देने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये मैं इस आदरणीय सदन से आपकी आज्ञा से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को पारित करे।

श्री चेयरमैन—अब प्रश्न यह है कि सन् १९५७ ई० का प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चेयरमैन—अब हम लोग उठते हैं। यह सदन २७ तारीख को ११ बजे दिन के लिए स्थगित किया जाता है।

(सदन की बैठक ४ बजकर ५७ मिनट पर गुरुवार, दिनांक २७ नवम्बर, १९५८, को दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गयी।)

दिनांक : लखनऊ,
मंगलवार, ४ अग्रहायण, शक संवत् १८८०
(२५ नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

[गुरुवार अग्रहायण ६, शक संवत् १८८० (२७ नवम्बर, सन् १९५८ ई०)]

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक कौन्सिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे श्री चैयरमैन (श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (७८)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुर रऊफ, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अब्दुस्सलाम शाह, श्री
इशहाक सम्भली, श्री
उमानाथ बली, श्री
उमाशंकर सिंह, श्री
ए० जे० फरीदी, डाक्टर
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल), श्रीमती
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कुंवर रणंजय सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
केशव दत्त, श्री
कृपा शंकर हजेला, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
कृष्णदेव प्रसाद गौड़, श्री
गिरधारी लाल, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चौधरी शिव नाथ सिंह, श्री
जगदीश चन्द्र, दीक्षित, श्री
जगदीश प्रसाद द्विवेदी, श्री
जगन्नाथ आचार्य श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीप नारायण वर्मा श्री
नवल किशोर गुरुदेव, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पीताम्बर दास, श्री
पुष्कर नाथ भट्ट, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
पृथ्वी नाथ, श्री
प्यारे लाल गुप्त, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बनवारी लाल, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
मदन मोहन, श्री
मदन मोहन लाल, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राम कुमार शास्त्री श्री
रामधारी पान्डे, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नाथ, श्री
राम लखन, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण दीक्षित, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री

ब्रज लाल वर्मन श्री (हकीम)
शंकर राव, श्री
शकुन्तला श्रीवास्तव, श्रीमती
शफीक अहमद खां, तातारी श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिव नारायण श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
सक्टू मल, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरि कृष्ण अवस्थी, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री

निम्नलिखित मन्त्री, राज्य मन्त्री व उपमन्त्री, जो कि विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे

श्री सैयद अली जहीर (वित्त व वन मन्त्री)
श्री मोहन लाल गौतम (कृषि तथा सहकारी मन्त्री)
श्री कमलापति त्रिपाठी (गृह, शिक्षा व, सूचना व हरिजन सहायक मन्त्री)
श्री जगमोहन सिंह नेगी (खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री)
श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (समाज कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा राज्य मंत्री)
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (उद्योग तथा श्रम उपमन्त्री)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

* १–३ स्थगित

इलाहाबाद में सस्ते गल्ले की दूकानें

आ० सं० *५६ ता० २५-९-५८

*४—श्री अजय कुमार बसु (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या खाद्य तथा रसद मन्त्री इलाहाबाद में सस्ते गल्ले की खोली गई दुकानों की संख्या बतायेंगे और यह भी बतायेंगे कि वे किस-किस स्थान की माँग की पूर्ति करती हैं और उनके कौन व्यक्ति या सोसाइटी मालिक हैं ?

*56 25-9-58

***4—Sri Ajay Kumar Basu.** (Legislative Assembly Constituency) Will the Minister for Food and Civil supplies state the number of fair price shops opened at Allahabad stating the locality to which they cater and also the name of persons or society who own them ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी (खाद्य तथा रसद राज्य मन्त्री)—इलाहाबाद शहर में कुल ६० सस्ते गल्ले की दुकानें खुली हैं। इन दुकानों से सम्बन्धित विवरण मेरे पास पत्रावली में उपलब्ध हैं। यदि माननीय सदस्य देखना चाहें तो देख सकते हैं।

Sri Jagmohan Nagi The total number of Fair Price Shops functioning at Allahabad is 60, Other particulars relating to these shops are available with me and the honourable member may see if he so desires.

श्री अजय कुमार बसु—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो इलाहाबाद में दुकानों की संख्या है वह लखनऊ की दुकानों के आधे से भी कम हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या आप का मतलब यह है कि लखनऊ से कम है।

श्री अजय कुमार बसु—मेरा मतलब यह है कि लखनऊ की दुकानों के आधे से भी कम हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—हाँ, कुछ कम हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या आनरेबिल मिनिस्टर साहब यह बतलायेंगे कि जो दुकानें इलाहाबाद में हैं वे वहाँ की आबादी के लिहाज से कम हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह प्रश्न आबादी पर निर्धारित नहीं है बल्कि जहाँ की जितनी आवश्यकता है उसी के मुताबिक खोली गयी हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या माननीन मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि जिन इलाकों में दुकानें खोली गई हैं वे दुकानें उन इलाकों की जरूरत से कम हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह हो सकता है कि जरूरत के मुताबिक कम हों लेकिन जितना सम्भव है उतनी ही दुकानें खोली जा सकती हैं।

श्री अजय कुमार बसु—क्या इस के माने यह लगाये जायं कि इलाहाबाद में १५० रुपये से अधिक पे पाने वाले लखनऊ के बजाय ज्यादा हैं ?

श्री सैयद अली जहीर (वित्त तथा वन मन्त्री)——अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि सिर्फ कबाल टाउन्स में ही फेमली कार्डस बने हुऐ हैं और सरकार ने यह जिम्मेदारी ली है कि हर फेमली के कार्ड होल्डर को अनाज मिलेगा। इस हिसाब से जितनी दुकानों की जरूरत जिस कबाल टाउन में होती है उतनी दुकानें वहाँ पर खोली गयी हैं। अगर कहीं पर ज्यादा की जरूरत महसूस होगी तो वहाँ पर और दुकानें खोली जायेंगी। लेकिन कार्डस के हिसाब से जितनी जरूरत है उतनी दुकानों का प्रबन्ध किया गया है।

श्री शिव नाथ काटजू (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)——क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर रोशनी डालेंगे कि शुरू में जितनी दुकानें दी गयी थीं उस के बाद कुछ दुकानदारों के खिलाफ शिकायतें आयीं जिस के कारण सरकार ने कई दुकानों के लाइसेन्स मन्सूख कर दिये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——इस के लिये उत्तर दिया जा चुका है कि आप आकर मेरे आफिस में इस चीज को देख सकते हैं क्योंकि वह बहुत बड़ी लिस्ट है इसलिये यहाँ पर नहीं रखी जा सकी।

श्री बन्शी धर शुक्ल (स्थानीय सस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)——क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि शहरों में इस जरूरत को आंकने के लिये कौन कौन मोटी मोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——अभी जैसा उत्तर दिया जा चुका है कि यह गल्ला केवल कबाल टाउन्स में १५० रुपये से कम वेतन पाने वाले लोगों को ही मिलता है। दुकानें इसी आवश्यकता के अनुसार दी जाती हैं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)——क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि प्रत्येक दुकान के लिये जितना गल्ले का कोटा पहले बतलाया गया था उस कोटे के मुताबिक गल्ला उन दुकानों पर नहीं रखा जाता है जिसके कारण कार्ड होल्डर्स को गल्ला नहीं मिलता है ?

श्री सैयद अली जहीर——ऐसा तो नहीं है परन्तु कभी-कभी ऐसा होता है कि जो स्टाक हम लोगों को मिलना चाहिए उसके आने में देरी हो जाती है और इस देरी के कारण जिन दुकानों पर स्टाक पर्टीकुलर दिन में होना चाहिए वह नहीं होता है लेकिन यह कमी जल्दी से जल्दी पूरी की जाती है कहीं से स्टाक आ जाता है या गवर्नमेंट आफ इन्डिया से आ जाता है।

श्री महफूज अहमद किदवई (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)——क्या इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने गवर्नमेंट को लिखकर भेजा है कि वहां पर गल्ले की और दुकानों की मांग है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——जी नहीं, अभी तक तो नहीं लिखा है।

श्री शिव नाथ काटजू——क्या माननीय मंत्री जी के पास या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि दूकानें गलत आदमियों को दी गयी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——जी नहीं।

श्री पृथ्वी नाथ—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) क्या सरकार यह बतलायेगी कि नान कवाल टाऊन में क्या प्रिंसिपल है, जिसके मुताबिक सरकार तय करती है कि वहां कितनी आवश्यकता है ?

श्री सैयद अली जहीर—नान कवाल टाउन्स में भी यही होता है कि दूकानें वहाँ पर थोड़ी बहुत निर्ख होती है तो जितनी जरूरत समझी जाती है वहाँ के जिलाधीश लिखते हैं और उसके हिसाब से बातचीत करके वहाँ उतनी दूकानें खोली जाती हैं। अब उसमें कमी बेशी या कितना स्टाक होना चाहिये दूकानों में, वह वक्तनफवक्तन घटता बढ़ता रहता है।

श्री शिव नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देहातों में गेहूं देना क्यों बन्द कर दिया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस वक्त वहाँ मोटा अनाज नया आ चुका है जिसके कारण इसकी कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही है, इसलिये वहाँ से माँग नहीं है।

श्री मदन मोहन लाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कवाल टाउन्स हैं, उनमें एक आदमी को कितना राशन दिया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर—जहाँ तक मुझे याद है कि ४ छटाँक एडल्ट को दिया जाता है, ३ छटाँक औरत को और २ छटाँक बच्चों को, इसी हिसाब से है, वैसे मुझे ठीक तरह से याद नहीं है कि क्या रेशो है।

श्री अजय कुमार बसु—क्या सरकार की नालेज में यह बात है कि विभिन्न राजनैतिक दलों की ओर से और समाज सुधार संस्थाओं की ओर से यह माँग है कि दूकानें कम हैं और ज्यादा होनी चाहिये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अगर आप लिख कर दे देंगे तो मालूम किया जायगा।

(तारांकित प्रश्न संख्या ५–११ तक तारांकित प्रश्न संख्या ७७ के पश्चात् देखिए)

बरेली में कोल डिपो के मालिक

*१२—श्री अब्दुर रऊफ (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली नगर में किन-किन व्यक्तियों को वर्तमान कोल डिपू दिये गये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—बरेली नगर में निम्नलिखित व्यक्तियों को कोल डिपो दिये गये हैं :

श्री जगमोहन सिंह नेगी—बरेली नगर में निम्नलिखित व्यक्तियों को कोल डिपो दिये गये हैं :—

(१) श्री भोलानाथ,
(२) सर्वश्री कौर सिंह एन्ड सन्स,
(३) सर्वश्री पुरुषोत्तमदास आत्मप्रकाश,
(४) श्री मल्लिक राज,
(५) श्री जगतराम,
(६) श्री राम नरायन,
(७) श्री चमन लाल बसु,
(८) श्री मेंगामल भाटिया,
(९) श्री राम चन्द्र सेवक।

श्री अब्दुर रऊफ--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ९ आदमियों को कोल डिपो का परमिट दिया गया है, तो कितनी दरख्वास्तें इस सिलसिले में सप्लाई आफिसर द्वारा या सरकार के द्वारा हासिल हुई, वे सब रिजक्ट क्यों हुये और सिर्फ ९ को ही क्यों परमिट दिये गये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जो पहले से काम करते थे और अच्छी इन्टेग्रिटी के आदमी थे, उनको दिये गये।

श्री अब्दुर रऊफ--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि ९वें नम्बर वाले ने क्या कभी पहले कोयले का काम किया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसको तो मालूम करने की आवश्यकता होगी, तभी इत्तिला दी जायेगी।

श्री अब्दुर रऊफ--क्या सरकार वहाँ शहर की आवश्यकता को देखते हुये उसमें कुछ दूकानें इजाफा के मुताबिक विचार रखती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--शहर में तो काफी हैं। वहाँ पर ९ डिपो पहले से हैं और इसके बाद जिले में दो जगह आँवला और बहेड़ा में भी डिपो खोले गये हैं इस तरह से कुल ११ हुये।

श्री गिरधारी लाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दूकानों की सुरक्षा के लिये क्या ध्यान रखा गया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मंत्री जी बरेली में बहेड़ी और आँवला तहसील को छोड़ कर अन्य तहसीलों में कोल डिपो खोलने का विचार कर रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जो नई दूकानें खोली गयी हैं, तो जितना सामान मिल सकता है, उसी के मुतालिक उनको दिया जाता है और उसी पर वह निर्भर करता है।

श्री मदन मोहन लाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बरेली के टाउन एरिया में कोई ऐसी दुकाने हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैंने बतलाया कि ११ दुकाने हैं, जिनमें से ९ शहर के अन्दर हैं और २ बाहर हैं।

श्री अब्दुर रऊफ--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का इल्म है कि बरेली जिले में कमीबेश १२ टाउन एरिया हैं, जहाँ पर कोयले की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर जो दूकानें हैं, उनमें काफी कोयला नहीं आता है। वहाँ से कई दरख्वास्तें आयी हैं, लेकिन फिर भी उनको मंजूर नहीं किया गया है ?

श्री चेयरमैन--आपके तो दो तीन प्रश्न हो गये हैं।

श्री अब्दुर रऊफ--मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह दो दरख्वास्तें आयीं थीं इनको रिजेक्ट क्यों किया गया ?

श्री चेयरमैन--इसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है कि हमारे पास जितना सामान होता है, उसी पर यह निर्भर करता है कि कितना दिया जाय। ९ दूकानें शहर में हैं और २ देहात में हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि बरेली जिले में पहले १४ दूकानें थीं और अब ११ हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके बारे में तो मैंने पहले ही बतला दिया है कि ३३६ वैगन कोयला आता है और उसी के हिसाब से वह बांटा जाता है। अगर दूकानों की ज्यादा तादाद हो जायेगी तो कमीशन कम मिलेगा। जो तादाद मुनासिब है, वही रखी गयी है।

श्री शफीक अहमद खाँ तातारी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—यह जो ९ दूकानें शहर में और २ देहात में हैं, इन को कितना कोयला मिलता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—२.५ वैगन पर मन्थ मिलता है।

श्रीमती सावित्री श्याम (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन लोगों को वह कोयले का डिपो दिया गया है, वह पहले से यह काम करते थे या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

जिला सप्लाई आफिसर पीलीभीत द्वारा लोहा बेचने के लिए दिए लाइसेंस

*१३—श्री अब्दुर रऊफ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५५ से १९५८ (३१ अगस्त) तक जिला सप्लाई आफिसर, पीलीभीत द्वारा किन-किन लोगों को लोहा बेचने का लाइसेंस दिया गया ?

श्री जगमोहन नेगी—जिला सप्लाई आफिसर द्वारा किसी भी व्यक्ति को लोहा बेचने का लाइसेंस नहीं दिया जाता है।

*१४—श्री अब्दुर रऊफ—(क) क्या उपरोक्त लाइसेंस पाने वालों में से किसी सज्जन को लोहे के परमिट को गलत तौर पर इस्तेमाल करने पर सजा भी हुई है ?

(ख) यदि हाँ, तो उनको क्या सजा मिली है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—प्रश्न नहीं उठता।

(ख) यह प्रश्न भी नहीं उठता।

श्री अब्दुर रऊफ—सवाल यह है कि क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि १९५५ से १९५८ तक जिला सप्लाई आफिसर पीलीभीत द्वारा किन-किन लोगों को लोहा बेचने का लाइसेन्स दिया गया। तो इसके बारे में मैं यह पूछना चाहता हूं कि वहां के कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी को लाइसेन्स दिया गया और गलत तरीके से दिया गया जिस की वजह से वे सजायाफता भी हुये, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह बात सही है या गलत है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैं यह नहीं जानता हूं कि वे कौन हैं। वे किस पार्टी के सेक्रेटरी हैं और किससे सम्बन्ध रखते हैं, यह मैं नहीं जानता हूं। फैबरी केटर के विषय में कुछ गड़बड़ी की शिकायत थी, उसकी जाँच पुलिस के द्वारा की गयी और वह निर्दोष पाया गया, और वह फिर काम पर आ गया। जिसको लाइसेन्स दिया गया है वह कलकत्ता के आइरन स्टील कंट्रोलर से गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के जरिये दिया गया है।

श्री अब्दुर रऊफ—यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के जरिये से दिया गया है या बराहरास्त इसी सरकार से मिलता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारी सिफारिश पर मिलता है। जहां तक नाम का सवाल है, यह व्रजवासी लाल भूषण शरण है, तो यह कम्पनी का नाम है। वह निर्दोष पाया गया है और उस को फिर से काम दिया गया है।

श्री अब्दुर रऊफ—उस पर क्या इलजामात लगाये गये थे और बाद में किस वजह से वह निर्दोष साबित हो गया।

श्री चयरमैन—यह प्रश्न इस से नहीं उठता है।

चकिया (वाराणसी) के बनों में रखे गये गिरनार सिंहों पर व्यय

*१५—**श्री राम नन्दन सिंह** (विधान सभा निर्वाचित क्षेत्र)—क्या वन मंत्री कृपया यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चकिया (वाराणसी) के बनों में जो गिरनार सिंह रखे गये हैं उन पर अब तक (१५–९–५८) कुल कितना रुपया व्यय हो चुका है।

श्री सैयद अली जहीर—गिर सिंहों को लाने तथा रखने में और उनके लिए दस एकड़ में घेरा बनवाने में कुल मिलाकर १२,५९१ रु० व्यय हुए और सारे सैंक्चुअरी को बनवाने, पक्का करवाने और बाड़े की मरम्मत में १,३५,१०९ रु० व्यय हुए।

*१६—**श्री राम नन्दन सिंह**—क्या यह सच है कि उन सिंहों की देख-रेख डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, वाराणसी द्वारा न करा कर एक दूसरे अधिकारी द्वारा कराई जाती है और उसके लिये अलग से कर्मचारी रखे गये हैं?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। इस सैंक्चुअरी की देख भाल असिस्टेन्ट कन्सरवेटर आफ फारेस्ट्स के पद के एक वाइल्ड लाईफ वार्डेन करते हैं जो इस कार्य के अलावा दक्षिणी वृत में अपना पशु सुरक्षा कार्य भी करते हैं। फिर भी इस सैंक्चुअरी के लिये तीन गेम गार्ड नियुक्त हैं।

*१७—**श्री राम नन्दन सिंह**—यदि हां, तो कृपया बतलाया जावे कि उक्त फार्म के लिये कुल कितने कर्मचारी रखे गये हैं और उन पर प्रतिमास औसतन क्या खर्च पड़ता है?

श्री सैयद अली जहीर—तीन सैंक्चुअरी गार्ड नियुक्त हैं और उन पर प्रतिमास १५० रु० औसतन खर्च पड़ता है।

श्री राम नन्दन सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वहां पर डिवीजनल फारेस्ट आफिसर मौजूद रहते हैं, तो इन की देखरेख में इस को क्यों नहीं रखा गया है और दूर के रहने वाले आफिसर के ऊपर इसकी जिम्मेदारी क्यों छोड़ी गई है?

श्री सैयद अली जहीर—यह वाइल्ड लाइफ डिवीजन से सम्बन्ध रखता है और इसके मातहत ऐसे आफिसर को यह काम दिया गया है जो कि उनकी देख-रेख करता है और उसका ज्यादा सम्बन्ध जंगल से ही रहता है और वहीं उनकी देखभाल करता है।

श्री राम नन्दन सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि ये सिंह अपनी सैंक्चुअरी से बाहर चले गये हैं और यह भी खबर है कि वे मार डाले गये हैं?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक मुझे पता है वे अभी सैंक्चुअरी में ही हैं, और अगर बाहर चले भी जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वे मार नहीं डाले गये हैं।

श्री गिरधारी लाल—इसमें जो खर्च बतलाया गया है वह बाड़ा बनाने के बारे में है, लेकिन शेर के देखरेख में तथा उन सबको खिलाने, पिलाने में जो खर्च होता है, इस तरह से कुल कितना खर्च हुआ है?

श्री सैयद अली जहीर—ये पालतू तो हैं नहीं और इनको रोज खाने को भी नहीं मिलता है। वे इस तरह से जंगल में भी चले जाते हैं और यहां भी आ जाते हैं।

श्री रफीक अहमद खाँ तातारी—कुल कितने शेर हैं और कहां से यहां रखे गये थे?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ये सब गिर फारेस्ट से लाकर रखे गये हैं। कुल शेर तीन हैं, दो शेरनी हैं और एक शेर है।

श्री महफूज अहमद किदवई—क्या इनके ऊपर कुल दो लाख रुपये का सर्फा हुआ?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने बतलाया कि इन शेरों को लाने के बाद एक्चुअली इनके लिये १० एकड़ में एक छोटा सा घेरा बनवाया गया था और उसमें १२,५३१ रुपया सर्फा हुआ। यह जो पूरी सैंक्चुअरी बताई गई है, वह ३० मील के घेरे में है।

श्री शिव नाथ काटजू—क्या सरकार को यह पता है कि बबर शेर (लायन) बंगाल टाइगर के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता है, तो क्या इनकी हिफाजत के लिये सरकार ने कुछ किया है जिससे कि इनको खतरा न आने पाये?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें बबर शेर ने बंगाल टायगर को मार डाला था।

श्री हृदय नारायण सिंह अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र—यह जो जानवरों की मर्दुमशुमारी की गई है, यह कितने जानवरों पीछे है। इनकी तादाद बतलाई है या नहीं?

(इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राम नन्दन सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि वह शेर कभी कभी पास वाले गांवों के आदमियों के मवेशी भी खा जाते हैं?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री गिरधारी लाल—क्या यह सच नहीं है कि शेरों के खाने के लिए बहुत दिनों तक वहां भैंसे इत्यादि छोड़े जाते थे और उसका खर्च गवर्नमेन्ट से दिया जाता था।

श्री सैयद अली जहीर—वह शुरू में जब दस एकड़ के हलके में थे तब छोड़े गए थे और कुछ दिन तक उनके लिए इन्तजाम किया गया था लेकिन जब दस एकड़ का हलका हटा दिया गया उस वक्त से कोई इन्तजाम नहीं है।

श्री चेयरमैन—माननीय श्री हुकुम सिंह जी बीमार हैं इसलिए उनके प्रश्न स्थगित किए जाते हैं।

*१८—[स्थगित]

*१९—(हस्तान्तरित)।

चकिया (वाराणसी) के वनों में लकड़ी के नाजायज कटान के सम्बन्ध में मुअत्तल कर्मचारी।

*२०—श्री राम नन्दन सिंह—क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकिया (वाराणसी) के वनों में पिछले वर्ष लकड़ी के नाजायज कटान के सम्बन्ध में कितने कर्मचारी मुअत्तल हैं और आगे क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री सैयद अली जहीर—तीन कर्मचारी इस सिलसिले में मुअत्तल हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और उम्मेद है कि जल्द पूरी हो जायगी।

*२१—श्री राम नन्दन सिंह—क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन कर्मचारियों की जाँच सम्बन्धी फाइलें जो डिवीजनल फारेस्ट आफिसर बनारस की देख-रेख में थीं क्या गायब कर दी गई हैं?

श्री सैयद अली जहीर—कुछ फाइलें डिवीजनल फौरेस्ट आफिसर वाराणसी के दफ्तर से मई, १९५८ में गुम हो गई थी। लेकिन इनसे कोई कार्यवाही में रुकावट पैदा होने की आशा नहीं है।

श्री राम नन्दन सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि गायब होने के समय वह फाइलें किसके पास थीं?

श्री सैयद अली जहीर—गायब होने के समय दफ्तर में थीं।

श्री राम नन्दन सिंह—किस कर्मचारी के पास थी?

श्री चेयरमैन—क्या आप कोई और प्रश्न करना चाहते हैं?

श्री राम नन्दन सिंह—क्या फाइलें गुम हो जाने के कारण किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी रिपोर्ट पुलिस में की गई उन्होंने इन्क्वायरी की पर पता नहीं चल सका कि किसकी जिम्मेदारी थी। चूंकि रिपोर्ट की नकलें मौजूद थीं इसलिए कोई कार्यवाही में बाधा नहीं पहुँची।

श्री राम नन्दन सिंह—प्रश्न यह है कि वह किस अफसर के द्वारा गायब की गई, मैं यह जानना चाहता हूँ?

श्री चेयरमैन—उत्तर यह मिला कि पुलिस में रिपोर्ट की गई, उसकी जाँच हुई पर किसके द्वारा फाइल गायब हुई यह पता नहीं चला।

श्री शफीक अहमद खां तातारी—कुल कितनी फाइलें गायब हुई थीं। और कब हुईं?

श्री सैयद अली जहीर—जवाब में कुछ फाइलें लिखी हुई हैं। मुझे ठीक तादाद नहीं मालूम। गायब होने का जमाना मई सन् ५७ है।

श्री महफूज अहमद किदवई—यह फाइलें जब गायब हुई किस आफिशियल की कस्टडी में थीं।

(जवाब नहीं दिया गया)

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या गवर्नमेन्ट मेहरबानी करके बतलायेगी कि फाइलें गायब होने की रिपोर्ट किस अफसर ने पुलिस में की?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे खयाल में डी० एफ० ओ० जो होता है उसने रिपोर्ट की। डी० एफ० ओ० को शक है कि उमापति सिंह फारेस्टर जिम्मेदार है लेकिन यह बात साबित नहीं हो सकी।

श्री शफीक अहमद खां तातारी—अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी का जवाब साफ नहीं है। मैंने पूछा था कि कितनी फाइलें गायब हुईं। प्रश्न १६ में फाइलें शब्द लिखा हुआ है। कितनी फाइलें गायब हुई, इसका उत्तर स्पष्ट होना चाहिए।

श्री चेयरमैन—आपने जवाब शायद सुना नहीं।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—आगे से फाइलें गुम न हों इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाये?

श्री चेयरमैन—यह प्रश्न उठता नहीं है।

बरेली में सस्ते गल्ले की दूकानें दिए जाने का आधार

*२२—श्री अब्दुर रऊफ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली नगर में सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानें लोगों को इस वर्ष (१-३-५८) तक किस आधार पर दी गई हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सस्ते गल्ले की दूकानों का वितरण जिलाधीश के जिम्मे है जिन्होंने आमतौर पर दूकानें सहकारी समिति, पुराने राशनिंग तथा फेयर प्राइस शाप्स के दूकानदार, पुराने गल्ला विक्रेता आदि को दी हैं। केवल कुछ दुकानें नये उम्मीदवारों को दी हैं जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

श्री अब्दुर रऊफ—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि किन आधार पर दूकानें दी गई।

श्री चेयरमैन—पिछले प्रश्न में आधार बतलाये गए हैं। जो आपने पिछला प्रश्न किया उसके ऊपर आठ दस सप्लीमेन्ट्री प्रश्न भी हो चुके हैं।

श्री अब्दुर रऊफ—मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि बरेली नगर में जो दूकानें दी गई हैं वह किन आधार पर दी गई और उनका मेयार क्या है?

श्री चेयरमैन—प्रश्न २२ का जो उत्तर है उसमें लिखा हुआ है कि "पुरानी दूकानें" "पुरानी राशनिंग की दूकानें", आप उत्तर को कृपा करके पढ़ें।

श्री अब्दुर रऊफ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस आधार पर दूकानें दी गई। उत्तर में आधार नहीं लिखा हुआ है?

श्री चेयरमैन—उत्तर आप पढ़िये, इसमें कोआपरेटिव सोसाइटी लिखा हुआ है, क्या वह आधार नहीं है।

श्री अब्दुर रऊफ—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को दूकानें दी गई उनकी प्रतिष्ठा का क्या मियार रखा गया?

श्री चेयरमैन—जिलाधीश के आधीन यह चीज है। जिलाधीश सबकी दरख्वास्तें लेकर जिसको प्रतिष्ठित समझता है उसको देता है। यह उत्तर दिया जा चुका है।

श्री अब्दुर रऊफ—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी दरख्वास्तें मौसूल हुई?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री अब्दुर रऊफ क्या कुछ ऐसी भी दूकानें हैं जिनके लिये गवर्नमेंट ने कहा है कि फलाँ फलाँ आदमी को दी जाय?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ऐसी कोई बात नहीं है।

श्रीमती सावित्री श्याम—क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी दूकान दी गई हैं जिनका गल्ले से कभी कोई सम्बन्ध नहीं था?

श्री चेयरमैन—यदि माननीय सदस्या प्रश्न का उत्तर पढ़ें तो उनको इस प्रश्न का उत्तर उसमें मिलेगा।

श्री महमूद असलम खां (स्थानीय संस्थाय निर्वाचन क्षेत्र)—यह जो प्रतिष्ठित व्यक्ति लिखा हुआ है इसकी क्या स्टैन्डर्ड डिफनीशन है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अब्दुर रऊफ--जिन मुअजिज लोगों को दूकानें दी गई हैं क्या माननीय मंत्री जी उनके नाम फरमायेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

*२३--श्री अब्दुर रऊफ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १-९-५८ तक इस वर्ष कितनी दुकानें सहकारी समिति को दी गई हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--बरेली जिले में सहकारी समितियों को १-९-५८ तक दी गई दूकानों की संख्या ११ थी।

श्री अब्दुर रऊफ--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो दूकानें दी गई हैं यह कब दी गई हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री अब्दुर रऊफ--क्या यह सही है कि ८० गल्ले की दूकानें हैं जिनमें ११ सोसाइटी की हैं ?

(इसका उत्तर नहीं दिया गया।)

*२४-२६--(हस्तान्तरित)।

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का गल्ला दूसरी दुकानों पर पाये जाने के नियम

*२७--श्री हृदय नारायण सिंह--(क) क्या खाद्य मन्त्री बतलायेंगे कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का गल्ला दूसरी दुकानों पर पाया जाये तो इसके सम्बन्ध में कोई नियम बनाये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--(क) इस प्रकार के नियम बनाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के लैसेंसदारों का लाइसेंस शिकायतों के कारण रद्द किया जाना।

*२८--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या खाद्य मन्त्री बतलायेंगे कि प्रारम्भ से अब तक (२०-९-५८) किस-किस जिले में कितने-कितने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के लैसेंसदारों का लैसेंस शिकायतों के कारण रद्द कर दिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस सूचना के एकत्र करने में बहुत परिश्रम और समय लगने की सम्भावना है। किसी जिले विशेष की सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि सरकारी दूकानों का बहुत सा गल्ला गैर सरकारी दूकानों पर चला जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मेरे ख्याल से नहीं।

श्री हृदय नारायण सिंह--इस प्रकार के नियम बनाने का अधिकार किसको है केन्द्रीय सरकार को या प्रदेशीय सरकार को ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--दूसरी दूकानों पर जाने का तो प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि सरकार के पास इम्पोर्टेड गेहूँ है और वह एक खास किस्म का है। वह दूसरी दुकानों पर कैसे जायगा।

श्री शफीक अहमद खां नातारी—इसमें नियम बनाने का अधिकार किसको है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया से सम्बन्धित है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या सरकार की जानकारी में कोई ऐसा केस नहीं आया कि जिसमें सरकारी दूकानों में गल्ला हटाया गया हो या हटाने की कोशिश की गई हो?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अगर आता तो उसके ऊपर कार्यवाही होती।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी के उत्तर से समझा जाय कि सरकार की जानकारी में कोई ऐसा केस नहीं आया है कि सरकारी दूकानों से गल्ला हटाया गया है या दूसरी जगह बेचने की कोशिश की गई है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अगर आया होता तो सरकार की तरफ से जबरदस्त कार्य- वाही की जाती।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—गवर्नमेन्ट मेहरबानी करके बतायेगी कि सरकारी दूकानें जो इलाहाबाद में हैं उसका गल्ला मंडी में बिकवाने का इन्तजाम किया गया है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसकी इत्तिला हमारे पास नहीं है।

श्री हृदय नारायण सिंह —क्या किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं चल रही है और इस प्रकार की सूचना सरकार के पास कोई है नहीं तो फिर प्रश्न विचाराधीन क्यों है?

श्री जगमोहन सिंह—कोई सुझाव देता है तो उस पर विचार करना ही पड़ता है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या आनरेबिल मिननिस्तर साहब बतायेंगे कि जो दूकानें कायम हैं उनमें देख भाल करने के लिये एक एडवाईजरी कमेटी मुकर्रर करने का हुक्म डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सरकारी अफसर हैं वह देखभाल का काम करते ही हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—मैं कमेटी के मुताल्लिक पूछता हूं कि क्या ऐसा हुक्म जारी किया गया है कि इस तरह की कमेटी बनाई जाय?

श्री जगमोमोहन सिंह नेगी—वह कमेटी तो वितरण के लिये है इस काम से सम्बन्धित नहीं है।

*२९–३०—(स्थगित)।
*३१–३४—(हस्तान्तरित)।
*३५(स्थगित)।
*३६–३८—(हस्तान्तरित)।

(तारांकित प्रश्न संख्या ३९ तारांकित प्रश्न संख्या ११ के पश्चात् देखिए।)

अमिलिया से हुसैनाबाद गहरौली (जिला हमीरपुर) तक पक्की सड़क की योजना।

*४०—श्री नवल किशोर गुरुदेव (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अमिलिया से हुसेनाबाद गहरौली (जिला हमीरपुर) पक्की सड़क बनाने की योजना है? आदि सं० *१ ता० १८-९-५८

श्री कुंवर महाबीर सिंह (सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री)—जी नहीं। आदि सं० *२ ता० १८-९-५८

*४१—श्री नवल किशोर गुरुदेव—यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कुंवर महाबीर सिंह—प्रश्न नहीं उठता।

गुस्करा—मोदहा रोड और हमीरपुर—महोबा रोड रगौफ तक सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लिया जाना।

आदि सं० *३ ता० १८-९-७८ *४२—श्री नवल किशोर गुरुदेव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गुस्करा- मोदहारोड और हमीरपुर-महोबा रोड से लेकर रेलवे स्टेशन रगौफ तक सड़क P. W. D. ने जिला बोर्ड से ले ली है?

श्री कुंवर महाबीर सिंह—मौदहा बाजार से होकर जाने वाले ४ १।२ फर्लांग के टुकड़े को छोड़कर शेष सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जिला बोर्ड से ले ली है।

आदि सं० *४ ता० १८-९-५९ *४३—श्री नवल किशोर गुरुदेव—क्या उस सड़क का वह हिस्सा जो कि मोदहा बाजार से होकर जाता है वह P. W. D. नहीं बनवा रहा जब कि पूरी सड़क बनवाई जा रही है?

श्री कुंवर महावीर सिंह—कथित टुकड़े के निर्माण का प्रश्न अभी सरकार के विचारा- धीन है।

श्री नवल किशोर गुरुदेव—जो सड़क साढ़े चार फर्लांग बोर्ड से नहीं ली गई है और विचाराधीन है उस पर कब तक विचार हो सकेगा, इस पर माननीय मंत्री जी प्रकाश डालेंगे?

श्री कुंवर महाबीर सिंह—शीघ्र ही विचार हो जायेगा।

जिला हमीरपुर में छतेसर नदी पर पुल का निर्माण।

आदि सं० *५ ता० १८-९-५८ *४४—श्री नवलकिशोर गुरुदेव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर में छतेसर नदी का पुल क्यों नहीं बनवाया जा रहा है?

श्री कुंवर महाबीर सिंह—इस पुल का संशोधित आगणन सरकार ने अप्रैल १९५७ में स्वीकृत किया था। उसके पश्चात् पुल के डिजाइन में कुछ त्रुटियाँ प्रतीत हुईं जिनका निवारण करना आवश्यक था। अब इन सब त्रुटियों का निवारण हो चुका है। कार्य के टेन्डर आदि स्वीकृत हो चुके हैं और आशा है कि कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायगा।

आदि सं० *६ ता० १८-९-५८ *४५—श्री नवल किशोर गुरुदेव—क्या सरकार को पता है कि इस पुल के न होने से तहसील राठ का सम्बन्ध जिला हमीरपुर से चार महीने बरसात के दिनों कई बार टूट जाता है?

श्री कुंवर महाबीर सिंह—जी हाँ। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये इस पुल के निर्माण की योजना बनाई गई है।

*४६-४९—(स्थगित)।

(५० से ५२ तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के पश्चात् देखिए।)

जिला सहकारी संघों के भट्टों की ईंट सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा न खरीदा जाना।

आदि सं० *२७ ता० २५-९-५८ *५३—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या यह ठीक है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन्जीनियर जिला सहकारी संघ के भट्टों से ईंट नहीं खरीदते?

श्री कुंवर महावीर सिंह—यह ठीक नहीं है।

*५४—श्री हृदय नारायण सिंह—यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? आदि सं०

श्री कुंवर महावीर सिंह—प्रश्न ही नहीं उठता। *२८ ता०

*५५—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या इस प्रकार की शिकायतें सरकार को २५–९–५८
प्राप्त हुई हैं ?

श्री कुंवर महावीर सिंह —जी नहीं। आदि सं०

चकिया (वाराणसी) के वनों से अवैध ढंग से काटी गई लकड़ी के सम्बन्ध *२९ ता
में गिरफ्तारियां। २५-९ ५८

*५६—श्री राम नन्दन सिंह—क्या यह ठीक है कि अप्रैल, सन् १९५७ ई० में आदि सं०
कन्जरवेटर आफ फारेस्ट ने चकिया (वाराणसी) के वनों में हजारहा रुपयों की लकड़ी जो *५२ ता
अवैध ढंग से काटी गई थी, गिरफ्तार किया था ? ५२-९ ५८

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

*५७—श्री राम नन्दन सिंह—और यह भी ठीक है कि तत्सम्बन्धी कई कर्मचारी आदि सं०
मुअत्तल किये गये हैं ? और अन्ततः उन पर क्या दण्ड दिया गया ? *५३ ता०

श्री सैयद अली जहीर—एक डिप्टी रेंजर, दो फौरिस्टर और एक फौरिस्ट गार्ड २९-९-५८
मुअत्तल किये गये थे। फौरिस्ट गार्ड तो नौकरी से बरखास्त कर दिया गया और तीन अन्य कर्मचारियों पर कार्यवाही जल्द ही पूरी की जावेगी।

*५८—श्री राम नन्दन सिंह—क्या यह भी ठीक है कि उन कर्मचारियों से सम्बन्धी आदि सं० *५४ ता
उक्त अभियोगों की फाइलें कार्यालय से गायब हो गई हैं ? २५-९ ५८

श्री सैयद अली जहीर—हां, कुछ फाइलें गुम हो गई थीं।

*५९—श्री राम नन्दन सिंह—यदि हां, तो कृपया बतलाया जावे कि उक्त आदि सं०
मामलों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? *५५ ता०
२५–९–५८

श्री सैयद अली जहीर—फाइलों के गुम होने की सूचना पुलिस को दे दी गई थी मगर उनका कोई पता न चल सका। फाइलों के गुम होने से कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही में कोई रुकावट नहीं पैदा हुई क्योंकि कन्सरवेटर के पास कार्यवाही की एक और नकल मौजूद थी।

श्री राम नन्दन सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितने पेड़ कटे थे और उनकी क्या कीमत थी ?

श्री सैयद अली जहीर—कुल २३४ पेड़ थे। वैसे तो हर एक पेड़ की कीमत का अन्दाजा नहीं है लेकिन अगर हर पेड़ की औसत कीमत ५० रु० लगाई जाय तो १० हजार रुपये का नुकसान हुआ।

श्री राम कुमार शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—यह जो हजारों रुपये की लकड़ी काट ली गई तो उसको काटने वाला कौन था और किसने कटवाया ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो दरियाफ्त नहीं किया गया था। न इसकी सूचना मौजूद है। पूछा यह गया था कि वन कर्मचारी कौन थे। कितने थे उनके मुत्तलिक मालूमात हासिल करना था।

श्री मदन मोहन लाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो फाइलें गायब हो जाती हैं तो क्यों वह किसी आदमी की कस्टडी में नहीं रखी जाती हैं ?

श्री चेयरमैन---फाइलों के बारे में अब और कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता।

श्री राम नन्दन सिंह---यह जो असली फाइलें गायब हो गई हैं और उनकी जो नकलें हैं उनकी बिना पर जो कार्यवाही हो रही है तो क्या उससे कार्यवाही में कोई फर्क नहीं पड़ता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री शफीक अहमद खां तातारी---कुछ फाइलों से क्या मतलब है। क्या सब फाइलें गायब हुई हैं या कुछ गायब हुई हैं ?

श्री चेयरमैन---यह जो सप्लीमेंट्री क्वैश्चन्स हैं वह फाइल की बाबत न करें दरख्तों के कटने के ऊपर और नुकसान के ऊपर प्रश्न करें।

श्री राम नन्दन सिंह---क्या यह अरक्षित दशा में रहती हैं ?

श्री चेयरमैन---आप दरख्तों के ऊपर और उसके नुकसान के ऊपर पूछ सकते हैं।

श्री वंशीधर शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दरख्तों के कटने के कितने दिनों बाद इत्तिला मिली और किसने यह इत्तिला दी ?

श्री सैयद अली जहीर---जब कंजरवेटर वहाँ गये तो मालूम हुआ कि इतने दरख्त काटे जा चुके हैं।

श्री वशी धर शुक्ल---क्या कंजरवेटर साहब ने यह जानने की कोशिश नहीं की किसने यह दरख्त काट लिये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---वह तो रिपोर्ट में होगा। होता यह है कि ठेका दे दिया जाता है कि यह पेड़ काट लो। अब मान लीजिये एक ठेकेदार को एक हजार पेड़ काटने का ठेका दे दिया गया और वह एक हजार के बजाय १२३४ काट लेता है तो यह २३४ पेड़ वह अधिक काट लेता है।

श्री पृथ्वी नाथ---सरकार को जब यह मालूम हुआ कि इस प्रकार हुआ है तो उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री सैयद अली जहीर---जो कार्यवाही की गई वह तो हमने बतला दिया। उसमें से कई आफिसर्स मुअत्तिल कर दिये गये हैं। उनको शो काज नोटिस सर्व कर दिया गया है कि उनकी सर्विसेज क्यों न खत्म अर दी जायं।

श्री महमूद असलम खां---जो आफिसर्स मुअत्तिल किये गये थे क्या वह निर्दोष साबित हुये ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं। उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है और वह करीब-करीब खत्म हो रही है।

श्री वशी धर शुक्ल---क्या यह आम शिकायत नहीं है कि जंगलों के ठेके दार जितने उनको पेड़ काटना चाहिये उससे ज्यादा पेड़ काट लेते हैं ?

('कोई उत्त र नहीं दिया गया।)

श्री मदन मोहन लाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो हजारों रुपये का नुकसान हुआ है उस रुपये को वसूल करने के लिये कोई तरकीब की जा रही है?

श्री सैयद अली जहीर---यह सूचना हमारे पास नहीं है। जो कान्ट्रैक्टर इसका जिम्मेदार होगा उससे यह रुपया वसूल किया जायेगा लेकिन इसकी तफसील इस वक्त हमारे पास नहीं है।

काशी का जैन घाट का स्यादवाद विद्यालय भवन के साथ गिरना।

*६०—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या यह सच है कि काशी में गंगा के किनारे का जैन घाट वहां स्थित स्यादवाद विद्यालय भवन के साथ जल में जून के अन्तिम सप्ताह में गिर गया है? आदि सं० *३४ ता० २५-९-५८

श्री कुंवर महावीर सिंह—जैन घाट स्यादवाद महाविद्यालय भवन के केवल अग्र भाग के साथ जल में गिर गया है।

*६१—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार को यह सार्वजनिक निर्माण विभाग केअधिकारियों को इसकी आशंका पत्र तथा तार द्वारा बतलाई गई थी। आदि सं० *३५ ता० २५-९-५८

श्री कुंवर महावीर सिंह—जी हां।

*६२—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि स्यादवाद विद्यालय तथा घाट को अनुमानतः कितने रुपयों की क्षति पहुंची है? आदि सं० *३६ ता० २५-९-५८

श्री कुंवर महावीर सिंह—चूंकि भवन व्यक्तिगत है और उसका कोई रिकार्ड इत्यादि विभाग में नहीं है, अतः यह बताना संभव नहीं है।

*६३—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या उक्त ध्वस्त जैन घाट की मरम्मत के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से कुछ अनुदान प्राप्त हुआ है और उसकी क्या मात्रा है? आदि सं० *३७ ता० २५-९-५८

श्री कुंवर महावीर सिंह—केन्द्रीय सरकार से २ लाख रुपये की ऋण सहायता की स्वीकृति मिली है।

*६४—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अनुदान प्राप्त होने पर भी क्यों मरम्मत का काम शुरू करने में देर की गई? आदि सं० *३८ ता० २५-९-५८

श्री कुंवर महावीर सिंह—अनुदान प्राप्त होने के बाद शीघ्रता से टेन्डर्स आमंत्रित किये गये और उनके स्वीकृत होने पर काम शुरू कर दिया गया अतः देर करने का प्रश्न नहीं उठता।

*६५—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या इसके लिये सरकार ने किसी अधिकारी से जवाब- तलब किया है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई? आदि स० *३९ ता० २५-९-५८

श्री कुवर महावीर सिंह—कार्य प्रारम्भ करने में विलंब न होने के कारण जवाब तलब करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार ने जो विद्यालय के अधिकारी हैं उनसे पता नहीं लगाया कि क्यों क्षति हुई।

श्री कुंवर महाबीर सिंह—जी नहीं।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या उसके लिये उनको कुछ मुवाविजा देने का प्रश्न विचारा- धीन है?

श्री कुंवर महाबीर सिंह—यह व्यक्तिगत चीजें हैं इसलिये इसमें निर्माण विभाग की जिम्मेदारी नहीं है।

श्री हृदय नारायण सिंह—यह कब आशंका हुई कि घाट गिर जाने वाला है और काम कब शुरू हुआ?

श्री कुंवर महाबीर सिंह—वहां के विद्यालय की जो कमेटी है उसने ५७–५८ में चिट्ठी भेजकर बतलाया और १२–६–५८ को जब सरकारी स्वीकृति हो गई तब काम शुरू हुआ।

श्री हृदय नारायण सिंह--अनुदान की सूचना कब प्राप्त हुई?

श्री कुंवर महाबीर सिंह--मैंने बतलाया कि जैन घाट के लिये जब सरकारी आज्ञा प्राप्त हुई तब काम उस पर आरम्भ होगा।

श्री हृदय नारायण सिंह--मैं यह जानना चाहता था कि केन्द्रीय सरकार की जो तीन लाख रुपये की सहायता है उसकी सूचना कब प्राप्त हुई?

श्री कुंवर महाबीर सिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

काशी के घाटों का जीर्णोद्धार

आदि स० *४० ता० २५-९-५८

*६६--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि काशी के किन-किन घाटों की मरम्मत या जीर्णोद्धार इस समय (१०-८-५८) कराया जा रहा है?

श्री कुंवर महाबीर सिंह--

(१) गुलरिया घाट
(२) विजयानगरम घाट,
() दशाश्वमेध तथा शीतला घाट,
(४) त्रिपुरा भैरवी घाट, मीर घाट तथा मीरघाट व ललिता घाट के बीच का भाग,
(५) दुर्गा, ऐसा और बूंदी परकोटा घ.ट,
(६) आदिकेशव घाट,
(७) जैन घाट।

आदि स० *४१ ता० २५-९-५८

*६७--श्री हृदय नारायण सिंह--इनका अनुमानित व्यय क्या है और काम के कब पूरा होने की सम्भावना है?

श्री कुंवर महाबीर सिंह--पहले पांच घाटों का अनुमानित व्यय ५५.१ लाख रु० है, जैन घाट का अनुमानित व्यय ४. ३७ लाख रुपया है तथा आदि केशव घाट का अनुमानित व्यय २.४१ लाख रुपया है?

गुलरिया घाट, विजयानगरम घाट, त्रिपुरा भैरवी घाट, मीर घाट और मीर घाट तथा ललिता घाट के बीच के भाग का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। थोड़ी ईंट पिचिंग का कार्य शेष है जो जनवरी १९५९ तक समाप्त हो जायगा। शेष घाटों का कार्य जून १९५९ तक समाप्त हो जायगा, ऐसी आशा है।

आदि स० *४२ ता० २५-९-५८

*६८--श्री हृदय नारायण सिंह--जीर्णोधार या मरम्मत का काम किन-किन ठेकेदारों या विभागों द्वारा कराया जा रहा है?

श्री कुंवर महाबीर सिंह--यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न ठेकेदारों से कराया जा रहा है।

आदि स० *४३ ता० २५-९-५९

*६९--श्री हृदय उारायण सिंह--इनमें किस-किस ठेकेदार, कम्पनी या विभाग का काम समाप्त या समाप्त प्रायः है और किसके द्वारा लिया गया कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है?

श्री कुंवर महाबीर सिंह--आदिकेशव घाट का कार्य, जो वाराणसी सप्लायर्स, नन्दा एन्ड कम्पनी तथा सूरज प्रसाद साहू द्वारा अप्रैल १९५८ में आरम्भ किया गया था, प्रारम्भिक अवस्था में है। अन्य ठेकेदारों द्वारा दूसरे घाटों पर हो रहा काम या तो समाप्त प्राय है या जून १९५९ तक उसके समाप्त हो जाने की आशा है।

*३०—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या यह ठीक है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पहले पहल काशी के अनन्दमयी घाट पर कुयें धंसा कर घाट बनाने का कार्य प्रारम्भ हुआ? आदि सं० *४४ ता० २५-९-५८

श्री कुंवर महावीर सिंह—जी नहीं। इससे पूर्व हनुमान घाट पर कुएँ धंसा कर घाट बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया था।

*३१—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या यह ठीक है कि गत वर्ष या उससे पूर्व जो कुयें धंसाये गये थे और उनसे सरकार को कितनी क्षति हुई? आदि सं० *४५ ता० २५-९-५८

श्री कुंवर महावीर सिंह—जी नहीं। क्षति का प्रश्न नहीं उठता।

*३२—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या यह ठीक है कि इस वर्ष काशी में जो भारतीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की बैठक हुई थी उसने उत्तर प्रदेश सरकार को इस प्रकार घाट निर्माण प्रणाली को अनुपयुक्त बतलाया? आदि सं० *४६ ता० २५-९-५८

श्री कुंवर महावीर सिंह—जी नहीं।

३३—श्री हृदय नारायण सिंह—यदि हां, तो क्या इस प्रणाली को छोड़ कर कोई दूसरी प्रणाली अपनायी गई है? आदि सं० *४७ ता० २५-९-५८

श्री कुंवर महावीर—प्रश्न नहीं उठता।

*३४ श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दशाश्वमेध घाट पर जो घाट निर्माण का कार्य चल रहा है वह कितने दिनों से चल रहा है? आदि सं० *४८ ता० २५-९-५८

श्री कुंवर महावीर सिंह—२८ जनवरी सन् १९५५ से यह कार्य चल रहा है।

*३५—श्री हृदय नारायण सिंह—इस पर कितना व्यय हो चुका है? आदि सं० *४९ ता० २५-९-५८

श्री कुंवर महावीर सिंह—२.७९ लाख रु०।

*३६—श्री हृदय नारायण सिंह—अभी कितने दिनों में काम पूरा होने वाला है? आदि सं० *५० ता० २५-९-५८

श्री कुंवर महावीर सिंह—आशा है, जून सन् १९५९ तक पूर्ण हो जायगा।

*३७—श्री हृदय नारायण सिंह—उसपर और कितना व्यय होगा? आदि सं० *५१ ता० २५-९-५८

श्री कुंवर महावीर सिंह—२.५३ लाख रु० और व्यय होंगे।

श्री अब्दुर रऊफ—क्या सरकार को इल्म है कि नवंबर दिसंबर सन् १९५६ से जिसकी तामील या मरम्मत के बारे में विचार किया गया है वह कब से शुरू हुआ?

श्री कुंवर महावीर सिंह—किस विशेष घाट से सम्बन्ध है।

श्री अब्दुर रऊफ—प्रश्न ६७ में बताया गया है। यह काम कब से शुरू हुआ है। क्या यह सही है कि नवंबर या दिसंबर सन् ५६ से काम शुरू हुआ है?

श्री कुंवर महावीर सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गिरधारी लाल—क्या सरकार को मालूम है कि घाटों की मरम्मत के सिलसिले में जब आडिटर जांच करने गया तो आग लग गई और फाइलें जल गई?

श्री कुंवर महावीर सिंह—इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री अब्दुर रऊफ—इस किस्म का क्या कोई एलान हुआ था कि इतना रुपया सिर्फ करने वाले हैं मुख्य मंत्री जी

(इसका उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या मरम्मत के लिए कोई टेंडर इन्वाइट किये गये?

श्री कुंवर महाबीर सिंह--जी हां।

श्री राम कुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बनारस के घाटों का जिनका जीर्णोद्धार हुआ है कितने वर्षों बाद हुआ है।

श्री कुंवर महाबीर सिंह--अभी तक तो किसी सरकार ने किया नहीं। मैं समझता हूँ इसी ने आरंभ किया।

श्री राम कुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि समस्त घाटों में सुविख्यात घाट कौन सा है जिसमें सबसे अधिक रुपया लग रहा है।

श्री कुंवर महाबीर सिंह--बनारस के सभी घाट सुविख्यात हैं।

श्री चेयरमैन--आप देखें उत्तर में है कि कितना रुपया लगा है।

श्री राम कुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि दशाश्वमेध घाट ही सबसे प्रसिद्ध घाट है।

श्री कुंवर महाबीर सिंह--जी हां।

मेरठ जिले में सस्ते गल्ले की एजेन्सियाँ

५--श्री महाराज सिंह भारती--(अनुपस्थित) (क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले में सस्ते अनाज की केवल १ एजेन्सी मवाना की कोआपरेटिव सोसाइटी को दी गई और ४ साधारण व्यापारियों को दी गई?

(ख) इसका क्या कारण है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--(क) जी हां।

(ख) पिछली बार सन् १९५७ ई० में जब सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गई थीं तो २ दूकानें मवाना की कोआपरेटिव सोसाइटी को दी गई थीं। परन्तु बाद में अप्रैल सन् १९५८ में एक दूकान की कुछ अनियमितायें पाई जाने के कारण रद्द कर दी गई। इस बार दूकानें केवल उन्हीं को दी गई जिन्हें पिछली बार मिली थीं और जिनकी कोई शिकायत नहीं आई थी।

रैण्ट कण्ट्रोल एवं एविक्शन अधिकारी के अधिकारों के सम्बन्ध में हाईकोर्ट का निश्चय।

*६--श्री श्याम बिहारी विरागी (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)--क्या माननीन खाद्य मन्त्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने १९५२ में रेन्ट कन्ट्रोल ऐन्ड एविक्शन अफर के अधिकार (पावर) के विषय में निर्णय दिया था कि रेन्ट कन्ट्रोल अफसर की पावर ऐडमिनिस्ट्रेटिव या एक्जीक्यूटिव है उसकी पावर जुडीशल या क्वासी जुडीशल नहीं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां। परन्तु यह निर्णय केवल उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐंड एक्विशन ऐक्ट, १९४७ की धारा ३ पर ही आधारित है।

*७--श्री श्याम बिहारी विरागी (अनुपस्थित)--(क) क्या यह ठीक है कि लखनऊ के वर्तमान रेन्ट कन्ट्रोल अफसर शपथ द्वारा साक्ष्य (एवीडेन्स) लेते हैं?

(ख) यदि हां, तो क्यों?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--(क) जी हां।

(ख) चूंकि उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत कुछ आदेश प्रशासकीय या अधिशासी (Administrative or Executive) हैसियत (Capacity) से दिये जाते हैं और

*प्रश्न सं० ५ श्री शफीक अहमद खाँ तातारी ने पूछा।

*प्रश्न सं० ६--९ श्री वंशीधर शुक्ल ने पूछे।

कुछ न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक (Judicial or Quasi Judicial) हैसियत से। जब न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक हैसियत से काम होता है तब शपथ द्वारा साक्ष्य लेने का अधिकार है।

*८—श्री श्याम बिहारी विरागी (अनुपस्थित)—क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट, १९४७ के सेक्शन ३ के अन्तर्गत ऐसे कितने मामले हैं जो ६ महीने की अवधि से अधिक समय से लखनऊ के रेन्ट कन्ट्रोल अफसर के पास इस समय (२०-९-५८) अनिर्णीत पड़े हुए हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ऐसे ५५ मामले हैं।

*९—श्री श्याम बिहारी विरागी (अनुपस्थित)—(क) क्या कुछ मामले एक साल से अधिक समय से भी अनिर्णीत पड़े हुए हैं?

(ख) यदि हां, तो ऐसे किसी मामले के सम्बन्ध में लखनऊ के रेन्ट कन्ट्रोल ऐन्ड एविक्शन अफसर के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र माननीय मन्त्री महोदय को मिला है?

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—(क) जी हां। ऐसे १४ मामले हैं।

(ख) जी हां। ऐसी केवल एक शिकायत न्याय मंत्री के पास आयी थी।

(ग) उक्त शिकायत की जांच की जा रही है।

श्री वंशीधर शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जब कोई किसी तरीके का कोई बयान देता है तब भी शपथ लेते हैं?

श्री चेयरमैन—यह तो (ख) में उत्तर दिया जा चुका है कि जब न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक हैसियत से काम होता है तब शपथ द्वारा साक्ष्य लेने का अधिकार है।

श्री वंशीधर शुक्ल—इसलिये मेरा प्रश्न यह है कि आर्डिनरली जो एक स्टेटमेंट लिया जाता है वह भी शपथ से लिया जाता है?

श्री चेयरमैन—यह गलत बात नहीं है। बहुत से एविडेन्स में ओथ ली जाती है और अगर कोई झूठा एविडेन्स देता है तो उस पर मुकदमा चल सकता है। आप दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री वंशीधर शुक्ल—जब वह कोई स्टेटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपासिटी में लेता है,..

श्री चेयरमैन—कौन लेता है?

श्री वंशीधर शुक्ल—जब रेन्ट कन्ट्रोलर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपासिटी में स्टेटमेंट लेता है तो क्या तब भी ओथ लेने का अधिकार है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जब से हाई कोर्ट की रूलिंग हुई है तब से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री शफीक अहमद खां तातारी—जिनको एक साल से ज्यादा हो गया है उनकी जांच करने की कोशिश की गयी है या नहीं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—बराबर जांच होती है। इस में दो बातें हैं। एक तो यह है कि हफ्ते में कई केसेज होते हैं। दूसरी बात यह है कि पार्टियां खुद ही एडजोर्नमेंट मांगती हैं।

श्री वंशीधर शुक्ल—जिस शिकायत का जिक्र किया गया है वह कब उनके पास आई थी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस का ब्योरा तो नहीं है लेकिन जांच हो चुकी है। वह कोई ललिता देवी हैं और उन्हीं के मुताबिक वह मामला डिसपोज आफ हो चुका है।

श्री राम कुमार शास्त्री—ये वर्तमान आफिसर कब से यहां लखनऊ में काम कर रहे?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह केवल लखनऊ का सवाल नही है बल्कि एक आम सवाल है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री वंशी धर शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि शिकायतें क्या हुई थीं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—शिकायत यह थी कि बहुत दिनों से मुकदमा पड़ा हुआ है।

श्री वंशीधर शुक्ल—शिकायत का नतीजा क्या हुआ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—शिकायत यह थी कि मुकदमा का फैसला नहीं हुआ और बहुत दिन हो गये। अब जांच से यह पता चला है कि एक दफे तो उन्होंने ही खुद एडजोर्नमेंट के लिये दरख्वास्त दी थी और फिर उनके वकीलों ने भी दी थी।

It has now been disposed off and the permission prayed for has been accorded to her.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—अध्यक्ष महोदय, यहां उत्तर में कहा गया है कि ऐसे १४ मामले हैं। माननीय मंत्री जी केवल एक मामले के बारे में ही जवाब दे रहे हैं, बाकी १३ का क्या हाल है यह पता नहीं लगा?

श्री चेयरमैन—एक के बारे में ही प्रश्न किया गया होगा इसलिये एक के बारे में ही जवाब मिला।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—तो मैं अब प्रश्न करता हूँ कि जो बाकी १३ हैं उनकी क्या स्थिति है?

श्री चेयरमैन—आपने इसके बारे में नोटिस तो नहीं दिया।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—मैं बाकी जो १३ हैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ कि उनकी क्या स्थिति है?

जगमोहन सिंह नेगी—स्थिति यह है कि जितनी जल्दी हो सकेगा उनका फैसला हो जायेगा।

जिला सहकारी संघ देवरिया

*१०—श्री रामेश्वर सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी संघ देवरिया ने आय-व्यय निरीक्षण सम्बन्धी आपतियों को जो सन् १९५४ से चली आ रही हैं, दूर करने के लिये कोई प्रयास किया है?

श्री मोहनलाल गौतम (कृषि तथा सहकारिता मंत्री)—जिला सहकारिता संघ देवरिया की वर्ष १९५४.५५ तथा १९५५.५६ की स्पेशल आडिट रिपोर्ट की कम्पलायन्स हो चुकी है। इस वर्ष की आडिट रिपोर्टों की कम्पलायन्स हो रही है। इस कार्य को शीघ्र संपन्न करने के लिये दो व्यक्ति और नियुक्त कर दिये गये हैं। वर्ष १९५६-५७ की आडिट रिपोर्ट अभी संघ को प्राप्त नहीं हुई हैं।

*११—श्री रामेश्वर सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर यह भी सूचित करेगी कि उक्त सहकारी संघ के कितने संचालक नौ वर्षों से अधिक समय से अनवरत अपने पदों पर आसीन हैं?

श्री मोहन लाल गौतम—इस समय कोई ऐसा संचालक नहीं है जो नौ वर्षों से अनवरत अपने पद पर आसीन हो।

प्रश्न *१०-११ श्री हृदय नारायण सिंह ने पूछे।

ग्राम स्याल जिला मेरठ के नाले का पुल।

*३९—श्री महाराज सिंह भारती (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)— आदि सं०
(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम स्याल परगना व तहसील व जिला मेरठ के *३ ता०
पास से जो नाला गुजरता है, उस पर पुल बनाने की कोई योजना है? १९-९-५८

(ख) यदि हां, तो कब तक पुल बन जायगा?

श्री कुंवर महावीर सिंह (सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री)—

(क) ३० फीट चौड़ी वर्तमान पुलिया को रीमाडेल (Remodel) कर के ८० फीट चौड़ी करने की योजना है।

(ख) अभी ठीक नहीं कहा जा सकता।

सरजूफेरी, जिला गोंडा का ठेका।

*५०—श्री नौरंग सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)—क्या सरकार आदि सं०
बताने की कृपा करेगी कि सरजूफेरी, जिला गोंडा का ठेका सन् १९५३-५८ के लिये किसी *१५ ता०
ठेकेदार को दिया गया था? २५-९-५८

श्री कुंवर महावीर सिंह—जी हां।

*५१—श्री नौरंग सिंह (अनुपस्थित)—(क) क्या उपरोक्त फेरी के लिये ठेकेदारों आदि सं०
से टेन्डर मांगा गया था? *१६ ता०

(ख) यदि हां, तो सबसे अधिक टेन्डर देने वाले ठेकेदार को ही दिया गया अथवा नहीं? २५-९-५८

श्री कुंवर महावीर सिंह—(क) जी हां।

(ख) सबसे अधिक सप्रमाण (Valid) टेन्डर देने वाले ठेकेदार को ही ठेका दिया गया था। आदि सं०

*५२—श्री नौरंग सिंह—यदि नहीं, तो सरकार कारण बताने की कृपा करेगी? *१७ ता०
२५-९-५८

श्री कुंवर महावीर सिंह—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री इसहाक सम्भली (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या कोई टेन्डर इनवेलिड भी हुआ था?

श्री कुंवर महावीर सिंह—जी हां।

श्री इसहाक सम्भली—क्या सरकार यह बतलाने की मेहरबानी करेगी कि जो इनवैलिड हुआ, वह हायस्ट था या उससे कम था?

श्री कुंवर महावीर सिंह—हायस्ट था।

श्री इसहाक सम्भली—क्या यह बतलाने की मेहरबानी की जायेगी कि मेम्बर साहब ने माननीय मंत्री जी को इसके बारे में कोई शिकायत भी लिख कर भेजी थी और उसके बारे में कोई जांच की गयी।

श्री कुंवर महावीर सिंह—मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी।

दशासुमेध घाट के बारे में स्पष्टीकरण।

श्री राम कुमार शास्त्री—अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी एक सप्लीमेंटरी प्रश्न किया था और माननीय मंत्री जी दशासुमेध घाट को भ्रमवश शायद मणिकर्णिका घाट समझे, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। अगर यह चीज प्रोसीडिंग्स में चली गयी तो दशासुमेध घाट तो बड़ा पावन है, अगर यह चीज प्रोसीडिंग में न आये तो ठीक है क्योंकि इस तरह से

*प्रश्न ३९ श्री शफीक अहमद खाँ तातरी ने पूछा।

** प्रश्न ५०–५२ श्री इसहाक सम्भली ने पूछे।

दशासुमेध घाट मणिकर्णिका घाट में परिणित हो जायेगा, जिससे यह समझा जायेगा कि वहां पर मुर्दे जलाये जाते हैं।

श्री चेयरमैन--क्या दशासुमेध घाट के लिये माननीय मंत्री जी ने ऐसा कहा है?

श्री कुंवर महाबीर सिंह--मैंने तो कहा था कि मरने की दृष्टि से।

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्रीमन, मरने की दृष्टि से, यह जो स्टेटमेंट दिया गया है यह कोई गलत नहीं है योंकि सारी काशी ही मरने को दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दशासुमेध घाट पर अक्सर ऐसे लोग आ जाते हैं, जो मरणासन्न हों, मुर्दे वहां पर नहीं जलाये जाते हैं बल्कि मुर्दे तो मणिकर्णिका घाट औ हरिश्चन्द्र घाट में जलाये जाते हैं।

श्री चेयरमैन--इतना उत्तर जो है वह कम कर दिया जायेगा।

१-४--(स्थगित)।

सन् १९५८ ई० का वृद्धावस्था विवाह निषेध विधेयक।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९५८ ई० वृद्धावस्था विवाह निषेध विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५८ ई० वृद्धावस्था विवाह निषेध विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

एक आवाज--नहीं के पक्ष में अधिक हैं।

श्री चेयरमैन--यह एक परम्परा है कि यदि कोई Nonofficial सदस्य अपना बिल पेश करता है तो नहीं, नहीं कहा जाता है। इस परम्परा को अंग्रेजी में Courtesy कर्टिसी कहते हैं। यह बात अभी साफ नहीं हुई है इसलिये मैं इस प्रश्न को फिर से उपस्थित करता हूँ।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५८ ई० वृद्धावस्था विवाह निषेध विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ?)

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब वाला, जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है, इस को इजाजत नहीं देनी चाहिये।

श्री चेयरमैन--अगर आप कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर मूव करना चाहते हैं, तो उसे तरीके से करें।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--इसके इनट्रोडूस करने की इजाजत नहीं देनी चाहिये।

श्री चेयरमैन--अभी तो सिर्फ आज्ञा ही दी गयी है।

श्री एम० जे० मुकर्जी (नाम निर्देशित)--यह कानून गलत है, इसलिये इसकी आज्ञा नहीं देनी चाहिये।

सन् १९५८ ई० का वृद्धावस्था विवाह निषेध विधेयक

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--श्रीमान्, मैं आप की आज्ञा से सन् १९५८ ई० के वृद्धावस्था विवाह निषेध विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री चेयरमैन--जिस समय यह बिल सदन के सामने आयेगा, तो आप लोग इस पर बहस कर सकते हैं कि इस में क्या फाइनेन्शल इम्पलीकेशन्स हैं, इसलिये सरकार को इजाजत नहीं देनी चाहिये या यह काँस्टीट्यूशन के विरुद्ध हैं। इस समय इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--यदि कोई प्रश्न उपस्थित किया जाता है और कोई सदस्य नहीं कह देता है, तो उसके लिये वोटिंग की जाये और अगर एक निश्चित संख्या न हो तो उसको आज्ञा न दी जाय।

श्री चेयरमैन—जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अगर कोई नान आफिशल बिल पेश किया जाता है तो उसकी आज्ञा दे दी जाती है। नान आफिशल बिल्स बहुत मुश्किल से तो बैलट पर आते हैं और बहुत मुश्किल से वे सदन में आते हैं। इसलिये यह पार्लियामेन्टरी कर्टसी है कि उनको अनुज्ञा दी जाय।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—जो हुजूर ने इशारा फरमाया कि यह कर्टसी है, तो यह समझकर कि आप का इशारा है हमें बैठ जाना चाहिये और हम बैठ भी गये। लेकिन मेरा तो इतना ही कहना है कि यह बिल नहीं आना चाहिये।

श्री चेयरमैन—मैं आप का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग मेरे इशारे पर काम करने के लिये तैयार हैं।

प्रस्ताव कि परिषद् सन् १९५६ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियों के प्रकाशन (संरक्षण) विधेयक पर परिषद् की प्रवर समिति के प्रतिवेदन से सहमत है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह परिषद् सन् १९५६ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियों के प्रकाशन (संरक्षण) विधेयक पर परिषद् की प्रवर समिति के प्रतिवेदन, जो कि २३ सितम्बर, १९५८ के प्रदेशीय गजट में प्रकाशित किया गया है, से सहमत है।

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा हो, तो मैं कुछ कह दूं क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य उस समय नहीं थे जो कि आज इस सदन में आ गये हैं।

श्री चेयरमैन—और भी सदस्यों को इसके ऊपर कहने का अवसर है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमन् मैंने इस विधान परिषद् में एक विधेयक ९ अगस्त, सन् १९५६ की बैठक में रखा था। यह तब इन्ट्रोड्यूस हुआ था और इसके बाद इस सम्बन्ध में बैठक नहीं हुई। इस विधयक का तात्पर्य यह है कि हाउस के अन्दर हर मेम्बर की जो स्पीच है, वह प्रिविलेज्ड है, लेकिन उनका पब्लिकेशन जो प्रेस में होता है, वह प्रिविलेज्ड नहीं है? इसी आशय से यह विधेयक मैंने यहां रखा था कि जो सब्सटेन्टिव और करेक्ट रिपोर्ट है और उसका फैथफुल वर्जन है, अगर वह अखबारों में प्रकाशित हो, तो उसके ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती है। इसके लिये एक विधेयक सेन्ट्रल पार्लियामेंट ने भी पास किया था और स्टेट्स के सम्बन्ध में यह विचार किया गया था कि सभी स्टेट्स को यह राइट है कि वे अपने अपने स्टेट में इस प्रकार का विधेयक लायें और स्टेट्स में यह बात नहीं थी, इसलिये हमारी इस उत्तर प्रदेश की स्टेट की तरफ सबसे पहले इस प्रकार का विधेयक यहां सन् ५६ में मैंने रखा। उस समय सरकार ने कहा कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और प्रवर समिति ने इस उसूल को मंजूर कर लिया है कि ऐसा होना चाहिये। लेकिन कुछ कांस्टीट्यूशनल दिक्कतें हमारे सामने हैं और उन दिक्कतों की वजह से यह उचित समझा गया कि बजाय इसके कि यह प्रदेश अलग से इस प्रकार का बिल लाये जिससे बाद में दिक्कत पैदा हो, यह ज्यदा अच्छा होगा कि एक यूनीफारमिटी लाकर सेन्ट्रल पार्लियामेंट से इस प्रकार का विधयक पास हो। सभी सदस्यों को मेरी इस बात से सहमत होना चाहिये कि जब तक ऐसा न हो और इस प्रकार का उसूल न माना जाय, हम आगे इस सम्बन्ध में कार्यवाही न करें। जो कांस्टीट्यूशनल दिक्कतें होंगी, वे इस तरह से होंगी। मान लीजिए हमारे इस प्रदेश में एक वर्जन का यह विधेयक बन गया और यहां कोई वर्जन के जो अखबार या मैगजीन्स छपेंगे, वे दूसरे प्रदेशों में भी जायेंगे क्योंकि इस में कोई रुकावट नहीं है, तो इस तरह से यह एक झगड़े का विषय हो जाता है। इस प्रकार से अगर वहां का वर्जन यहां आये और हमारे यहां इस प्रकार का विधेयक है तो एक इन्टर स्टेट ट्रबुल यहां पर पैदा हो सकती है। अगर इस प्रकार पब्लिकेशन से सम्बन्धित बिल पार्लियामेंट

सदस्य ने अपने भाषण शुद्ध नहीं किये।

[कुंवर गुरु नारायण]

से आये तो ज्यादा अच्छा हो। जहां तक उसूल का ताल्लुक है वह हमने स्वीकार कर लिया है उस उसूल के मुताबिक प्रवर समिति बनी और उस उसूल को स्वीकार करके यह रखा कि चूंकि कान्स्टीट्यूशनली लागू करना डिफीकल्ट होगा इसलिए बजाय इसके कि स्टेट्स बनायें, एक यूनिफार्मिटी लाने के लिए सेन्टर जब बनायेगा तो वह स्वीकार किया जायेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--अध्यक्ष महोदय, शायद इस विषय पर सदन का मेरे द्वारा समय लिया जाना कुछ अनुपयुक्त प्रतीत हो, परन्तु कुंवर साहब ने जो कुछ भाषण अभी यहां पर दिया वह कुछ मुझे बहुत ठीक-ठीक समझ में नहीं अया, इसलिए मैं बाध्य हुआ कि कुछ निवेदन करूं।

यह जो रिपोर्ट सेलेक्ट कमेटी की तरफ से सदस्यों को दी गई है उसे मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है। और उसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद सेलेक्ट कमेटी ने खुद या कुंवर साहब जो कि इसके मेम्बर थे, ने अपनी राय बदल दी और इस बिल के साथ न्याय नहीं किया। मैं नहीं जानता कि कुंवर साहब की राय इस तरह से कैसे बदल गई। वह इस तरफ से उस तरफ चले गए, इसलिए कुछ साफ्ट कार्नर आ ही जाता है, शायद यह बात हो या जो कुछ भी हो......

श्री चेयरमैन--यह रिपोर्ट पूरी कमेटी की है, उनके बदलने का कोई सवाल नहीं उठता है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--उनके बदलने का सवाल यों है अध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान में कहा कि जो पब्लीकेशन होता है प्रोसीडिंग्स का वह ठीक-ठीक हो और इसी मकसद से पार्लियामेन्ट ने भी अपने यहां एक बिल उपस्थित किया था और पास किया, उस समय यह सुझाव दिया गया कि इस बिल के द्वारा स्टेट्स की भी प्रोसीडिंग्स ठीक की जा सके इसका प्राविधान हो जाये। लेकिन पार्लियामेन्ट में वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि हम अपनी प्रोसीडिंग्स की बाबत ऐसा नियम बनायें और स्टेट्स अपने इनेक्टमेन्ट्स या रूल्स अलग से बना लेंगी। यह बात पार्लियामेन्ट में विचार के बाद तय हुई। उसके बाद कुंवर साहब ने उसकी आवश्यकता और औचित्य का अनुभव करके यहां पर बिल उपस्थित किया। अब यहां पर जो बिल है वह यह है, अध्यक्ष महोदय :

"It was decided that though the Committee was in agreement with the principles of the Bill, it would not be advisable to proceed with the Bill further on account of some constitutional difficulties especially on account of difficulties about its enforcement in this State."

दूसरी स्टेट्स में इनैक्टमेन्ट के मुतल्लिक डिफीकल्टी हो सकती है। लेकिन उसकी वाँछनीयता जो अपने प्रदेश में है वह नष्ट नहीं होती है। कान्स्टीट्यूशनल डिफीकल्टी जो उन्होंने बतलाई उसे वह शायद साफ तौर से बतला नहीं पाये, लेकिन वह भी दूसरी स्टेट्स में है। हम जानते हैं कि हमारे यहां की कार्यवाही के रिपोर्टिंग के मुतल्लिक कितनी शिकायतें रहती है। इसकी वजह से मेम्बरों को कभी-कभी बड़ा नुक्सान उठाना पड़ता है। मैं तो समझता था कि बड़ा उचित विधेयक था जिसको कुंवर साहब ने पेश किया था और कमेटी को दिया गया था। मैं उस रिपोर्ट को पढ़कर यह समझा कि पहले तो सेलेक्ट कमेटी को सरकार ने ही कितना महत्व दिया, माननीय न्याय मंत्री उसमें पहली दफा उपस्थित नहीं हुए। कुंवर साहब भी नहीं उपस्थित हुए।

श्री चेयरमैन--माननीय सदस्य को यह मालूम है कि सेलेक्ट कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स वगैरह अन्दर होती हैं यानी यह कि किसने क्या कहा, इसका उल्लेख हाउस में नहीं हो सकता।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--यह रिपोर्ट में है, अध्यक्ष महोदय। जो रिपोर्ट हाउस के सामने है उसमें इस सबका उल्लेख है और हाउस में जो चीज उपस्थित की जाती है उस का उल्लेख, मैं समझता हूं, किया जा सकता है। रिपोर्ट में इस प्रकार है!

"The first meeting of the Select Committee was held on April 30,1957, to consider the Bill, but the meeting of the Select Committee was postponed due to the absence of Minister for Justice and the mover of the Bill, Sri Kunwar Guru Narain.

मेरी अर्ज यह है कि जो हाउस में मैटर है उसी पर कहता हूँ। अगर ऐसा नहीं था तो सामने यह बात नहीं आती थी मेरा कहना यह है कि मुझे इस सब रिपोर्ट को पढ़ने के बाद थोड़ी सी यह बात अनुभव हुई कि जिस बिल की वास्तव में उपयोगिता थी उसको कुंवर साहब ने और सरकार ने वह महत्व नहीं दिया जो उसको दिया जाना चाहिये। वह यहां पर जो उसके वापस लेने की बात कह रहे हैं उसका आधार मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या कुंवर साहब इस बात के कायल नहीं हैं कि उसकी उपयोगिता इस प्रदेश में भी नहीं है। इसको हम पास करके अपने सीमित दायरे में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमने इसको ड्राप करने के लिये तय कर लिया है तो फिर इसके उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी क्योंकि केन्द्रीय पार्लियामेन्ट तो पहले ही तय कर चुकी है कि स्टेट्स अपने अपने वहां इनएक्टमेंट करें। जब पार्लियामेंट ने यह तय कर लिया है कि इसके बारे में स्टेट्स इन-एक्टमेंट करें तो फिर क्यों इसको वापस लिया जाता है। इसका उत्तर यदि मुझे मिल जाय तो मैं इसका समर्थन करूंगा नहीं तो नहीं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ जब कन्हैया लाल ने कहा कि यह वांछनीय है या नहीं इस सम्बन्ध में मैंने अपनी राय बदल दी है मेरी राय उस समय भी थी और इस समय भी यही है कि इस प्रकार की चीज जरूर हो और यह मेरी ही राय नहीं बल्कि इसी राय के कारण सरकार ने ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में इसको डिसकशन के लिये भेजा था। यदि सरकार ने इसकी उपयोगिता को सही न समझा होता तो सेलेक्ट कमेटी में इसके जाने का प्रश्न ही न उठता। राय है और होना चाहिये लेकिन उसके इन्फोर्समेंट में डिफीकल्टीज हैं। मान लीजिये आज हम अपने इस प्रदेश में इस विधेयक को पास कर दें और उसमें एक प्रकार से सबस्टेनशियेटिव वर्जन लेजिस्लेशन का छपता है और दूसरे प्रदेशों में जाता है जैसा कि आमतौर पर होता है और वहां कोई बात होती है तो फिर क्या होगा? इसलिये इसके इन्फोर्समेन्ट में डिफीकल्टीज है और इसीलिये यह निश्चय हुआ कि हम बजाय इसको यहां करें और मुझे मालूम है कि और भी प्रदेशों में इस विधेयक को चर्चा है लेकिन वहां भी यही रुकावट होने के कारण यह ड्राप हो गया। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मैं सेलेक्ट कमेटी में नहीं आया और इसलिये कि मैंने इसकी अहमियत कम देखी ऐसी बात नहीं है। और भी जरूरी काम हो सकते हैं और होते ही हैं इसलिये न आने का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। चूंकि मैं यहां बैठ गया और इस कारण मैं नहीं गया यह उचित बात नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके इन्फोर्समेंट में डिफीकल्टीज होंगी। मैंने यह सेलेक्ट कमेटी में पर्टीकुलरली कहा था। विदड्रा करने का प्रश्न नहीं। इसके माने है कि वांछनीय है। मैंने इतना कह दिया था कि इनफोर्समेंट में कठिनाई होगी इसलिये इस बिल को प्रोसीड नहीं करना चाहता हुं।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि यह परिषद् सन् १९५६ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियों के प्रकाशन (संरक्षण) विधेयक पर परिषद् की प्रवर समिति के प्रतिवेदन, जो कि २७ सितम्बर, १९५८ के प्रदेशीय गजट में प्रकाशित किया गया है, से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५७ ई० का आगरा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक।

श्री चेयरमैन—सन् १९५७ ई० के आगरा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर विचार जारी था। उस समय माननीय श्री कैलाश प्रकाश जी बोल रहे थे चूंकि वह इस

[श्री चेयरमैन]

समय उपस्थित नहीं हो सकते हैं इसलिये अब विचार इस पर जारी रहेगा। जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वह कृपा करके खड़े हो जायं।

श्री कमलापति त्रिपाठी (शिक्षा, गृह, सूचना तथा हरिजन सहायक मंत्री)--मान्यवर, मैं समझता हूं कि श्री कैलाश प्रकाश जी उपमंत्री शिक्षा विभाग की हैसियत से उत्तर दे रहे थे।

श्री चेयरमैन--नहीं। ऐसा था कि वह इन्टरवीन कर रहे थे और पहली बार बोले थे। विचार जारी था। यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोलने दूंगा। नहीं तो माननीय मंत्री जी के पहले श्री हृदय नारायण सिंह जी से उत्तर देने के लिये कहूंगा। उसके बाद माननीय मंत्री जी जो कुछ कहना चाहें, वह कहें, ऐसा है। यदि इसमें कोई संदेह है तो माननीय मंत्री जी बता सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं तो केवल अनुमान के आधार पर कह रहा था जहां तक मुझे स्मरण है और सूचना मिली है कि यह बहस समाप्तप्राय थी और उपमंत्री शिक्षा महोदय उस सारी बहस का उत्तर दे रहे थे फिर उसके बाद जब दूसरी बार यह बिल आया तो उस वक्त दुर्भाग्य से मैं भी उपस्थित नहीं था और उपमंत्री शिक्षा विभाग भी उपस्थित नहीं थे और प्रस्तावक महोदय का अनुरोध था कि उस रोज विचार स्थगित कर दिया जाय। चूंकि हम दोनों ही उपस्थित नहीं थे इसलिये प्रस्तावक महोदय का अनुरोध था कि दूसरी बार यह ले लिया जाय और इस पर विचार स्थगित कर दिया गाया।

श्री चेयरमैन--मेरे पास यह नोट है कि ९ सदस्य पहले बोले। माननीय श्री कैलाश प्रकाश जी पहली बार इस पर बोले चूंकि अब उनकी स्पीच खत्म समझी जायेगी। इसलिये यदि कोई और सदस्य न बोलना चाहे तो मैं श्री हृदय नारायण सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसका उत्तर दे दें क्योंकि उन्होंने ही इसको शुरू किया था। उसके बाद माननीय मंत्री जी बोले। उसके बाद मैं क्वैश्चन पुट कर दूं।

श्री हृदय नाराणय सिंह--माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कह ले मुझे तो अन्तिम भाषण देने का अधिकार होना चाहिये। आज तक इस सदन की यह परम्परा रही है कि अन्तिम बार मूवर बोलता है अगर माननीय मंत्री जी कुछ कह लें तो मुझ भी अधिकार होगा कि मैं विदड्रा कर लूं।

श्री चेयरमैन--ऐसा नहीं है। ऐसी प्रथा है। जब बिल प्रस्तुत होता है विचार के लिये उसमें किसी स्टेज पर माननीय मंत्री जी स्वयं या उपमंत्री जी अपने विचार गवर्नमेन्ट की ओर से जाहिर करते हैं और उसके बाद विचार जारी रहता है। अंत में जो मूवर है उसको अधिकार है कि वह बोले। उसके बाद जो कुछ मंत्री जी को कहना होगा। वह कहें।

माननीय उपमंत्री जी के भाषण को मै उसका इंटरवेशन मानता हूं और जो कुछ उन्होंने कहा था उसको समझता हूं कि वह गवर्नमेंट की पालिसी को बतलाता है। इसलिए इस समय मैं माननीय मंत्री जी को नहीं बोलने के लिये कहूंगा। उपमंत्री जी ने गवर्नमेंट की पालिसी आपके सामने रख दी है। आपको विदड्रा करने का मौका आगे भी आयेगा।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या संकल्प के बारे में कुछ दूसरी प्रणाली होती है। क्या संकल्प में मूवर को अन्त में बोलने का अधिकार नहीं होता?

मंत्री ने अपने भाषण शुद्ध नहीं किए।

श्री चेयरमैन—रूल्स और रेगुलेशन्स को बार बार देखने की आवश्यकता होती है। Government has always the last word either on resolution or on bills or anywhere. Government has the last word. You have the right of reply. Government has the last word And then this question will be put. इसलिये जब मोशन सामने आता है उस समय गवर्नमेंट की तरफ से एक मेम्बर अपनी पालिसी बतला देता है कि गवर्नमेंट का उस मोशन की बाबत क्या रुख है। वह इस बात का इशारा होता है कि गवर्नमेंट इस बात को किस पहलू से समझेगी और उसका क्या दृष्टिकोण है। मोशन को वह स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं। इतना पहिले कह देना है। इसके बाद विचार जारी रहता है। इसके बाद मोशन का मूवर रिप्लाई दे देता है। इसके बाद गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि आप कहिये।

श्री हृदय नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन सब महानुभावों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के ऊपर अपने विचार प्रगट किये, चाहे उसका विरोध किया या स्वागत किया। मैं दो एक महानुभावों ने जो अपने विचार व्यक्त किये उनका थोड़ा सा उत्तर देना आवश्यक समझता हूं।

श्री चेयरमैन—आप अगर एक मिनट रुक जायं तो मैं इस संबंध में सदन का नियम पढ़ दूं ताकि साफ हो जाय। यह रूल इस प्रकार है:—

Rule 51 (3) A mender who has moved substentive motion or an amendment to a clause of a Bill may speak again by way of reply and, if the motion or the amendment is moved by a non-official member the Minister to whose department the motion relates or any other Minister shall have the right of speaking after the mover whether he was previously spoken in the debate or not.

यह बिल्कुल क्लियर है।

श्री हृदय नारायण सिंह—मैं कह रहा था कि यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने थोड़ी बातें कहीं जिनका उत्तर देना मैं आवश्यक समझता हूं। एक मेरे आदरणीय मित्र ने कहा कि इस विधेयक द्वारा विद्यार्थियों के शिक्षण स्तर ऊंचा करने की बात नहीं कहीं गई है। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि इसमें यह बात डाइरेक्टली नहीं कही गई लेकिन इसमें वह उद्देश्य है। माननीय डाक्टर संपूर्णानन्द ने प्रयाग में प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यापकों के सम्मुख बोलते हुये कहा था कि इस युग में प्रत्येक अध्यापक से त्याग की आशा करना संभव नहीं है। यह बात अस्वाभाविक है। इसके बाद में यह स्मरण दिलाना चाहता हूं यहाँ के माननीय सदस्यों को कि यूनिवर्सिटी में दो ग्रेड स्वीकार किये गये थे। उस समय भी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि इसका भी जो भाव है वह शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है। विश्वविद्यालय की शिक्षा सर्वोमुखी हो इस पर विचार करना है। जो मैंने संशोधन विधेयक रक्खा है उसका दूसरा उद्देश्य नहीं हो सकता है। जबतक अध्यापक अनेक परेशानियों में विक्षिप्त हैं तो वह अपना समय क्या लगा सकता है। बुभुक्षितम् किम् न करौति पापम्। जिसका जीवन निर्वाह करना ही दुर्गम हो गया है तो वह कैसे शिक्षा देने में अपना समय लगा सकता है और किस तरह से उससे समाज का कल्याण हो सकता है। एक माननीय मित्र ने कहा था कि विद्यार्थियों के गार्जियन के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो उनके बारे में भी वही बात लागू होती है। गार्जियन को भी तभी संतोष होगा जब हमारी शिक्षा सुचारु रूप से हो। विद्यार्थियों के लाभ के लिये यह दूरदर्शी उद्देश्य रखा और मैंने यह विधेयक इस सदन के सम्मुख उपस्थित करने का साहस किया है। हमारे एक मित्र जो इस समय उपस्थित नहीं हैं वे आगरा विश्वविद्यालय से अप्रसन्न दिखाई देते हैं। शायद उन्होंने दो तीन बार परीक्षा दी और उसमें वे असफल रहे। श्रीमान् जी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है लेकिन विश्व विद्यालय की परीक्षा में वह

[श्री हृदय नारायण सिंह]

असफल रहता है। शैली की प्रतिभा का मूल्यांकन विश्वविद्यालय ने नहीं किया था। वर्डस्वर्थ के बारे में विश्वविद्यालय की राय वैसी नहीं थी उनको विश्वविद्यालय छोड़कर बाहर जाना पड़ा। जिस सदस्य ने ऐसी बात कही है उनके बारे में वैसा ही हो सकता है। गोल्ड स्मिथ के बारे में उन्होंने जिक्र किया लेकिन बाद में वह कितना प्रतिभाशाली निकला। इसमें विश्वविद्यालय का बहुत दोष नहीं समझना चाहिये। आज जो आगरा विश्वविद्यालय है वह अनेक प्रकार के लिमिटेशन से सफर करता है इसलिये दूसरे विश्व विद्यालयों की बराबरी नहीं करता। इसमें विश्वविद्यालय का दोष नहीं है बल्कि वहाँ पर साधन नहीं है इसलिये साधन न होने का दोष है। अगर इस विश्वविद्यालय को दूसरे विश्व विद्यालय के समक्ष कर दें और उसी तरह से साधन सम्पन्न कर दें तो वह भी दूसरे विश्व विद्यालयों की तरह हो सकता है तथा बराबरी कर सकता है। एक माननीय मित्र ने कहा कि यह तो अध्यापकों के लिये भिक्षा माँगा जा रहा है लेकिन मेरे विचार से तो यह अध्यापकों के लिए भिक्षा मांगने का सवाल नहीं है। अध्यापक समाज का अत्यन्त एक आवश्यक अंग है। अगर उनको कर्णधार कहूं तो यह अन्योक्ति नहीं होगी। अध्यापक समाज का अत्यन्त एक आवश्यक अंग है इसलिये उनके बारे में सोचना एक विधायक की हैसियत से मेरा कर्तव्य हो जाता है हमारे जितने टीचर्स हैं, प्रायः सभी प्रकार के जो विधायक हैं वे सब प्रकार से इनलाइटेंड होते हैं और वे अपने विचारों को रखते हैं। इससे उनके विचार की संकीर्णता जाहिर नहीं होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से क्योंकि वे शायद उस समय उपस्थित नहीं थे। यहां पर श्री मदन मोहन जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो शिक्षा के ऊपर खर्च होता है और विश्व विद्यालयों के ऊपर खर्च होता है वह एक प्रकार का इनवेस्ट-मेन्ट है। उसको हम खर्च नहीं कहेंगे बल्कि इन्वेस्टमेंट कहेंगे। यदि इन ग्रेड्स को स्वीकार करने में सरकार का खर्च बढ़ता है तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए। एक बात सरकार ने विश्वविद्यालय के क्षेत्रों में की है। ३ विश्वविद्यालयों में दो ग्रेड सिस्टम लागू किया है लेकिन इससे जो आगरा विश्वविद्यालय के कालेज हैं उनके ग्रेड का अंतर बढ़ गया है। जब एक प्रकार की तुलना होती है तो उस तुलना में वे अपने आप को हीन पाते हैं यह बात स्मरण रखनी चाहिए। वे काम वही कर रहे हैं जो ये विश्वविद्यालय कर रहे हैं। कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कालेजेज हैं। कुछ महाविद्यालय हैं उनके बारे में सरकार सोच रही है कि उनको विश्वविद्यालय में परिणत किया जाय। मंत्री जी ने भी कहा कि वे इस पर सोच विचार कर रहें हैं। इनके अतिरिक्त भी जो छोटे हैं वे भी काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके निकले हुए विद्यार्थी आज हमारे प्रदेश में और तामाम प्रदेशों में बाहर ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं जो सेवा कार्य कर रहे हैं। जो हमारी संस्कृति है हमारा ज्ञान है उसके लिये वे प्रयत्नशील हैं। इस विश्वविद्यालय के जो महाविद्यालय हैं उनके लिये सरकार को कुछ जरूर करना चाहिए। जितना ही विलम्ब होता है उतना ही असंतोष बढ़ता है। मैं एक नगर में गया था। वहां पर जो महाविद्यालय था उसके अध्यापक कह रहे थे कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि मंत्री जी के सामने धरना देंगे और प्रार्थना करेंगे कि वे कुछ करें। अब ज्यादा असंतोष नहीं रहने देना चाहिए। असंतोष नहीं बढ़ना चाहिए। अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि चंद्रप्रभा सैंक्चुरी बनाई गई उसमें डेढ़ लाख रुपया खर्च हो गया। यह आम तौर से ख्याल है कि रुपये की कमी के कारण काम नहीं रुकता बल्कि जब संकल्प नहीं हो पाता तब रुकता है। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इसके लिये भी संकल्प करें। इस प्रश्न पर काफी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। मैं बहुत सी बातें कह चुका हूँ उनको दुहराना नहीं चाहता लेकिन उनके ऊपर क्या व्यय होगा मैंने पिछली इंट्रोडक्टरी स्पीच में बताया था कि विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो आँकड़े मांगे हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत अधिक खर्च नहीं होगा। मैंने ग्रेड सजैस्ट किया है। शायद यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने ४ ग्रेड सजेस्ट किये हैं जो बम्बई विश्व विद्यालय में स्वीकृत हो

चुके हैं। बहुत से प्रदेशों में उन ग्रेड्स पर अमल हो रहा है। डाक्टर राधाकृष्णन ने जो सजेशन दिया कि ४ से ३ कर देने में जो बहुत से ग्रेड्स का अंतर है वह कम हो जाता है। वीरेंद्र स्वरूप जी ने जो सुझाव रक्खा था उससे व्यय अधिक बढ़ जाता है। मैं इतना अधिक व्यय सरकार से करने के लिये नहीं कहता। मैं समझता हूं कि जो तीन ग्रेड हैं ३०० से ५००, ५०० से ८०० और ८०० से १२०० उनको स्वीकार कर लिया जाय और लागू किया जाय और मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को अध्यापकों से काफी सहानुभूति है। वह सहानुभूति इस प्रश्न पर कार्य रूप में परिवर्तित होगी बस मुझे इतना ही कहना है।

कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, यह जो विधेयक माननीय सदस्य ने उपस्थित किया है, मैं समझता हूं कि उस पर हमारे तत्कालीन उप मंत्री ने सरकार के दृष्टिकोण को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया था। मुझे तनिक भी यह कहने में संकोच नहीं है कि इस विधेयक के पीछे जो भावना है उसमें मेरी पूरी सहानुभूति है। आगरा विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय ही नहीं ऐसे ही जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनके सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों और आचार्यों के वेतन के सम्बन्ध में अनेक बार अपने विचार प्रकट कर चुका हूँ और यह पूरी तरह से स्वीकार कर चुका हूँ कि उनका वेतन क्रम ऐसा है जिसमें सुधार अपेक्षित है। आगरा विश्वविद्यालय के अध्यापकों के अनेक डेपुटेशन मुझसे मिल चुके हैं और ऐसे ही लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यापकों के प्रतिनिधि मंडल मुझे मिले और बराबर उन्होंने यही मांग की और बराबर मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि यह प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है और अत्यन्त सहानुभूति के साथ हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। सहानुभूति के साथ विचार कर रहे हैं। इस कारण कि उनकी मांग में जो औचित्य तथ्य है उसे मैं स्वीकार करता हूं। इस सदन में अनेक बार कह चुका हूं कि कोई अध्यापकों पर अहसान नहीं करूंगा। उनका वेतन क्रम सुधार करना प्रत्युत सुधार अपेक्षित है क्योंकि उस सुधार से हमारे प्रदेश और देश के वर्तमान तथा भविष्य तथा उस की सन्तान का उससे बड़ा भारी सम्बन्ध है। यदि वह किया जाय तो इस विचार से करना होगा कि हमारे प्रदेश के शिक्षा क्रम में एक प्राण आये और जिस तरफ हम चाहते हैं अपने सन्तान को ले जाना और जिस प्रकार से हम उसका निर्माण करना चाहते हैं उसमें हमें सहायता मिले। भविष्य और देश की रचना का इससे सम्बन्ध है। तो यह विचार अनेक बार व्यक्त कर चुका हूं और इस समय पुनः उसे दोहराना चाहता हूं। मुझे इसमें जो मांग की गयी है उससे पूरी सहानुभूति है और केवल सहानुभूति नहीं है और सहानुभूति तो मैं कहता हूं तो अवश्य जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे भय लगता है कि अध्यापक कहते हैं कि आप सहानुभूति सहानुभूति कहते हैं करते कुछ नहीं हैं तो ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी सारी शक्ति से चेष्टा कर रहा हूं और श्री हृदय नारायण सिंह जी ने जो संकल्प की बात कही है तो संकल्प क्रमह मानसम। ऐसा शास्त्रों का वाक्य है। जिस काम को करने का हमने निश्चय कर लिया है वह काम होता है। केवल जौ और तिल से ही संकल्प नहीं होता है। हमने वह संकल्प कर लिया है और हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे तथा उसकी चेष्टा कर रहे हैं। मैं आशावादी हूं और मुझे आशा है कि ऐसी एक अच्छी बात होती है जिससे हमारे प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में इस प्रकार के एक मौलिक प्रश्न में हमें सहायता मिल सकती है। मैं और सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और यथा संभव जो कुछ संभव हो सकेगा उस दिशा में करने में कुछ भी उठा नहीं रखेंगे।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि मैं आपकी आज्ञा से यह प्रार्थना श्री हृदय नारायण सिंह जी से साग्रह कर देना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस बिल को वापस ले लें। क्योंकि इस समय मुझे इस बिल को स्वीकार करने में बड़ी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

कठिनाई है, दो तीन कठिनाइयां इसमें मेरे सामने हैं। एक कठिनाई तो इस बात की कि किसी भी ऐक्ट में वेतन क्रम जो है वह निर्धारित नहीं किया जाता है। जहां तक मैं जानता हूँ टू ग्रेड सिस्टम इसी तरह का एक होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का और दूसरा होगा प्रोफेसर्स का, यह बात तो ऐक्ट में रखी गयी है, न कि यह कि वेतन क्रम क्या होगा। यह तो स्टैटयूट में निर्धारित करने की चीज है, ऐक्ट में निर्धारित करने की नहीं होती है। स्टेटयूट में निर्धारित होकर तब कालेजों से एग्रीमेंट होता है।

इस तरह के विधेयक लाने का एक भाव तो यह होता है कि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाय लेकिन सरकार की वह दृष्टि तो स्वतः ही आकृष्ट है। अतः ऐक्ट में इस चीज को ले आना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है। जो कोई भी स्केल शीघ्र से शीघ्र निर्धारित होगा वह स्टेटयूट के मैन्डेटरी स्केल में आयेगा, तदनुसार प्रोफेसर, लेक्चरर और टीचर्स का क्या वेतन क्रम होगा, वह निर्धारित किया जायेगा।

दूसरा एक कारण और है और वह यह कि अभी आगरा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को हमने स्वीकार किया है और मैं समझता हूं कि यह दो एक महीने पहले की ही बात है और शायद इतना भी नहीं हुआ होगा। तो अभी अभी आपने एक स्वरूप उसको प्रदान किया है। उस समय भी यह प्रश्न उठाया गया था कि जो संशोधक विधेयक लाया गया है उसमें स्केल आफ पे क्यों न रखा जाय और इसी पर कई प्रकार की व्याख्यायें की गयी और एफिलिएटेड कालेजेज के अध्यापकों के सम्बन्ध में दृष्टिकोण रखे गये कि उन्हें एक, स्केल दी जाय। इसके ऊपर भी आग्रह किया गया कि ऐक्ट में इसके लिये कोई प्रबन्ध किया जाय और उस चीज को मैंने सरकार की ओर से स्पष्ट भी किया था और उसके बाद जो संशोधन इत्यादि माननीय सदस्यों के थे, वे उन्होंने वापस ले लिये। क्योंकि उन्हें यह आश्वास्थ करने की मैंने चेष्टा की थी कि यह प्रश्न स्वयं ही सरकार के विचाराधीन है। तो अब इस विधेयक को आपने अधिनियम का स्वरूप दे दिया। अब पुनः उसमें एक संशोधन इसी प्रकार, का जिसको हम पहले भी विचार कर चुके हैं, फिर से ले आना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है।

तीसरी बात मैं इस सम्बन्ध में इतनी ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने केवल डिग्री कालेज के अध्यापकों का ही प्रश्न नहीं है, यदि केवल इतना ही होता तो कदाचित उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत मुझे न रही होती, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि समय समय पर यूनिवर्सिटी के प्रश्न को सामने रखते हुये जितना अध्यापकों का स्तर ऊपर से नीचे तक है, वह बार बार सरकार के सामने आया है और ठीक ही है कि जब इस प्रकार का विचार जारी है तो उसी लाइट में इस बात को सोचा गया। अब यह राय भी स्वयं अध्यापकों की ओर से सरकार को मिली है कि आप सामूहिक रूप से इस पर सोच विचार करें और अत्यन्त शीघ्र करें, फिर प्रारम्भिक पाठशालाओं के प्रश्न, माध्यमिक पाठशालाओं के प्रश्न और डिग्री कालेज का प्रश्न, सभी प्रश्नों पर स्पष्टता से विचार करके सरकार जो कुछ भी कर सकती है जो कुछ भीकरना चाहती है, उसको एक साथ फैसला करके उसको करना है। करना है तो करें और नहीं करना है तो न करें। आज फिर इस प्रकार से डिग्री कालेजों के अध्यापकों के प्रश्न को उठाने से यह सही है कि न तो सरकार की समस्या हल होती है और न अध्यापकों की ही समस्या हल होती है प्रत्युत उनमें स्वयं भी एक ऐसी भावना हो जाती है कि इसमें एक भेद भाव सा हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि मतभेद हो जाता है। हमने सारे प्रश्न को ले रखा है और हम शीघ्र ही इस पर निर्णय लेंगे। इससे अधिक इस समय इस सम्बन्ध में कहना मुनासिब नहीं है। इन सब बातों को देखते हुये इस विधेयक को इस समय प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसका विरोध नहीं करते हैं, हमें इस से सहानुभूति है। यदि आप इसको इस समय प्रेस करेंगे तो हम इसको मानने में असमर्थ हैं और इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जहां तक मुझे मालूम है कि इस

विषय पर माननीय सदस्य से बातचीत भी होती रहती है। उनको मालूम होना चाहिये कि सरकार इसको बहुत ही तेजी के साथ अपने हाथ में ले रही है और शीघ्र ही इस पर कोई निर्णय करने वाली है। मैं समझता हूं कि इससे अधिक इस पर कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करता चाहता हूं कि वे इसको वापस ले लें।

जहां तक औचित्य का प्रश्न है, सरकार उसको स्वयं स्वीकार कर चुकी है। विश्वविद्यालय की पढ़ाई में और डिग्री कालेज की पढ़ाई में थोड़ा सा अन्तर होता है। लेकिन इसके मतलब यह नहीं है कि वहां के अध्यापक योग्य नहीं होते हैं। बल्कि उसका कारण यह होता है कि विश्वविद्यालय में अधिक साधन होते हैं, वहां पर अधिक सुविधायें होती हैं, जिसके कारण वहां पर छात्र अधिक संख्या में जाते हैं। डिग्री कालेज में जो छात्र होते हैं, उनमें भी वही योग्यता होती है जो यूनिवर्सिटी के छात्रों में होती है। हम इस बात की बराबर कोशिश में हैं कि डिग्री कालेजों को अधिक सुविधा दी जाय वहां पर अधिक साधन जुटाये जायें। शुरू साल से यूनिवर्सिटी में भर्ती के लिये एक होड़ सी लग जाती है, जिसके कारण हमको संख्या मुकर्रर कर देनी पड़ती है कि पांच या ६ हजार से अधिक छात्र न लिये जायें। इन दिनों भर्ती में बहुत ही अधिक कठिनाई पड़ती है। यूनिवर्सिटी में अधिक साधन होने के कारण वहां छात्र पढ़ना अधिक पसन्द करता है। मैं यह समझता हूं कि यह बहुत ही जरूरी प्रश्न है और इस पर सरकार गौर कर रही है। उन्हें सम्मानित करना है और साथ ही साथ जो अध्यापक वहां पढ़ाते हैं उनको इस प्रकार की वृत्ति से दूर रखा जाय और इस प्रकार की वृत्ति वहां समाप्त होनी चाहिये। इस तरह से भी हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा कर सकेंगे। उनकी मांग औचित्य है, न्यायपूर्ण है, हम इस का स्वागत करते हैं, यह सभी के लिये हितकर बात होगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस प्रश्न के आधार पर जो मांग की गई है, वह ठीक है और मैं इस दिशा में सचेष्ट भी हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि अभी ऐसा अवसर है कि आप इस विषय को सरकार के ऊपर छोड़ दें और उसे ही यह करने दें। बिल लाने की बात तो आप बाद में भी कर सकते हैं। आप की आज्ञा से माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस विधेयक को इस समय वापस ले लें और जो संकल्प आप ने किया है, उस संकल्प को यथासम्भव, जितने शीघ्र हो सके हम सर्वथा स्वीकृत प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि सरकार की दृष्टि में यह बात स्वयं ही है।

श्री हृदय नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही हैं, उसके बाद मैं सोचता हूं कि मुझे इसे प्रेस नहीं करना चाहिये और इसलिये मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि श्री हृदय नारायण सिंह जी को अनुमति दी जाय कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

सन् १९५७ ई० का इलाहाबाद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक तथा सन् १९५७ ई० का लखनऊ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक।

श्री हृदय नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मेरा इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक है और इसके बाद हायर सेकेन्डरी (इन्टरमीडियेट) एजूकेशन (संशोधन) विधेयक है। मैं चाहता हूं कि पहले आखिरी वाले को ही ले लिया जाय। रिसेस के बाद माननीय मंत्री जी की इच्छा हो तो इन्टरमीडियेट वाला विधेयक ले लिया जाय।

श्री चेयरमैन—इन पहले दो विधेयकों को क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री हृदय नारायण सिंह--इन्हें किसी दूसरे दिन ले लेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक भी उसी आशय के हैं जिस आशय का आगरा विश्व-विद्यालय विधेयक था। जब माननीय सदस्य ने पहला विधेयक वापस ले लिया है, तो आप इनको इन दोनों विधेयकों को भी वापस लेने की आज्ञा दें दे। इसमें कोई वैसी बात नहीं है। इसमें केवल दो बातें हैं। एक डिस्पिलनरी क्लाज के बारे में है जो कि अब हो गया है और दूसरा टू ग्रेड सिस्टम के बारे में है इस सम्बन्ध में मैंने जो बात पहले कही है, वही इसके सम्बन्ध में भी हैं। सरकार के विचाराधीन ये सब बातें हैं। जिस प्रकार से माननीय सदस्य को आगरा विश्वविद्यालय के अध्यापकों के बारे में चिन्ता है, वैसे ही लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के बारे में भी होगी। इसलिये वे इन दोनों विधेयकों को भी वापस ले लें।

श्री चेयरमैन--श्री हृदय नारायण सिंह जी का क्या विचार है?

श्री हृदय नारायण सिंह--ठीक है, मैं इन दोनों विधेयकों को भी वापस लेता हूं। इन्टरमीडिएट वाला विधेयक रिसेस के बाद ले लिया जाय।

श्री चेयरमैन--क्या सदन की अनुमति है कि माननीय हृदय नारायण सिंह जी को सन् १९५७ ई० के इलाहाबाद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक तथा सन् १९५७ ई० के लखनऊ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को वापस दिया जाय।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--वह मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो वापस होने का सवाल नहीं है।

श्री चेयरमैन--यह बिल पहले इन्ट्रोडयूस किये जा चुके हैं, तो वापस किये जा सकते हैं। श्री हृदय नारायण सिंह जी ने कहा है कि इन बिलों को मैं वापस लेता हूं, तो क्या सदन की अनुमति है कि इस विधेयक को वापस लिया जाय।

पहले प्रश्न यह है कि क्या सदन की अनुमति है कि सन् १९५७ ई० के इलाहाबाद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।)

श्री चेयरमैन--इसी प्रकार से दूसरा बिल है। क्या सदन की अनुमति है कि सन् १९५७ ई० के लखनऊ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।)

प्रस्ताव कि सन् १९५७ ई० का हायर सेकेन्डरी (इन्टरमीडिएट) एजूकेशन (सशोधन) विधेयक एक प्रवर समिति के अधीन किया जाय।

श्री चेयरमैन--अब इसके बाद आइटम नम्बर ११ है। श्री हृदय नारायण सिंह जी इसको मूव कर दे। आप खड़े होकर कह दे। इसके बाद हम उठेंगें।

श्री हृदय नारायण सिंह--

I beg to move that the Higher Secondary (Intermediate) Education (Amendment) bill, 1957, be referred to a Select Committee consisting of the following nine members :

1. Sri Kanhaiya Lal Gupta
2. ,, Laxmi Narayan Dixit

3. Srimati Savitri Shyam
4. Sri Raja Ram Shastri
5. ,, Rameshwar Singh
6. ,, Kunwar Guru Narain
7. ,, Nirmal Chandra Chaturvedi
8. ,, Madan Mohan
9. ,, Pratap Chandra Azad

श्री चेयरमैन—इसमें सिर्फ एक कमी है। आप कोई कमेटी की रिपोर्ट की अवधि मुकर्रर करदें।

श्री हृदय नारायण सिंह—दो महीने के बाद सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट दे।

श्री चेयरमैन—दो महीन के अन्दर। अब हम उठते हैं और इस पर विचार जारी रहेगा। दो बजे तक के लिए सदन स्थगित किया जाता है।

(सदन की बैठक एक बजे अवकाश के लिए स्थगित हो गई और २ बजे से श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में आरंभ हुई।)

श्री हृदय नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं यह सरकार की मंशा के मुताबिक है। यह कई बार सरकार ने कहा है कि उसका इरादा एक कम्प्रेहेन्सिव लेजिस्लेशन इन्टरमीजियेट एजूकेशन बोर्ड के बारे में लाने का है। मैंने उसके पूर्व एक रेखा यहां प्रस्तुत की है और कई सवाल उत्पन्न किये हैं जिन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक है। जो अमेन्डिग बिल है उसके जो प्राविजन्स मुख्य मुख्य हैं उनको यहां पर वर्णन करना चाहता हूं। मैंने इसको इन्टरमीडियेट और थोड़ा सा हायर सेकेन्ड्री का भी रूप दिया है क्योंकि जो मैंने उसका नाम दिया है वह हायर सेकेन्ड्री के विकल्प प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि यह उसकी तरफ संकेत करता है। जिसकी तरफ सारे प्रदेश चल रहे हैं और किसी स्टेज पर यदि हमारे प्रदेश को इसे स्वीकार करना हुआ कि हमारे प्रदेश में जो सेकेन्ड्री ढांचा है तो इस विधेयक में विशेष परिवर्तन न करना होगा। जो रिप्रेजेन्टेशन मैंने रखा है उसमें यह है कि जो सेकेन्ड्री बोर्ड बनेगा उसमें मैंने निम्नलिखित प्रकार का प्रतिनिधित्व रखा है। मैं तो समझता हूं कि ऐक्स आफिशियो डाइरेक्टर आफ एजूकेशन नहीं होना चाहिये क्योंकि बोर्ड का काम बहुत बढ़ गया है। विद्यार्थियों की तादाद २ लाख से ऊपर पहुँच गई है और यह और भी बढ़ती जायँगी। इसके साथ साथ और समस्यायें भी बढ़ती जायँगी। शायद हाईकोर्ट में जितने रिट्स आते हैं उनमें सबसे अधिक संख्या इंटरमीजियेट बोर्ड के खिलाफ होती है। ऐसी दशा में डाइरेक्टर आफ एजूकेशन सारी चीज को नहीं देख सकता है। यह मेरा विचार है कि जब कि यह बोर्ड पुनः गठित हो तो उसमें जो बोर्ड का चेयरमैन हो वह एक होल टाइम आदमी हो। इस प्रकार की प्रथा राजस्थान में है। अजमेर में भी ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि यह आवश्यक हो गया है। बोर्ड के काम को देख कर और जो पेचीदगियाँ वहां पर है उनको देख कर एक होल टाइम आफिसर डाइरेक्टर आफ एजूकेशन से अलग हो।

अभी तक प्रिंसिपल और हेडमास्टर का भेद बना हुआ है सो कि डिजिगनेशन दोनों का प्रिंसिपल है लेकिन जो चुनाव होते हैं उसमें दो प्रतिनिधि हेड मास्टर्स से लिये जाते हैं और चार प्रिंसिपल से लिये जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रथा को बनायें रखने की जरूरत अब नहीं है और एक प्रिंसिपल कान्सटीटुयेन्सी बन जाय।

यह कुछ दिनों से मांग है सेकेन्ड्री टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से कि सहायक अध्यापकों को भी प्रतिनिधित्व बोर्ड में होना चाहिये। मैंने यह सुझाव दिया है कि कुछ सदस्य प्रतिनिधि

[श्री हृदय नारायण सिंह]

रूप म सहायक अध्यापकों की तरफ से होना चाहिये क्योंकि उनकी समस्याय भिन्न होती है और संख्या भी अधिक है इसलिए बोर्ड के कामों में एसोसियेट करना आवश्यक है। मैंने यह भी रखा कि सेकेन्ड्री टीचर्स एसोसियेशन का भी प्रतिनिधित्व बोर्ड में हो। अध्यापकों के अतिरिक्त एसोसियेशन का भी अस्तित्व है। इन्गलैन्ड और अमेरिका में एसोसियेशन का कार्य सिर्फ यही नहीं कि वेतन में वृद्धि कराना परन्तु इसके अतिरिक्त वह शिक्षा में उन्नति हो इसमें भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। इसलिये माध्यमिक शिक्षक संघ को भी हमने रखा है बोर्ड में रिप्रेजेन्टेशन मिले या न मिले शिक्षा पर व्यापक समस्यायों पर राय जाहिर करने का हक हो, यह उनका कर्तव्य है और इसलिये रिप्रेजेन्टेशन देना आवश्यक है। इस सिलसिले में मेरा एक सुझाव है।

मेम्बरशिप डिस्क्वालीफिकेशन के लिये रिमूवल के लिये, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था, उसमें सरकार को यह हक दिया गया कि यदि कोई सदस्य अनुचित कार्य करता है तो सरकार को हक होगा कि वह हटा दे, ऐसी अवस्था में मैं यह समझता हूं कि प्रीवेन्शन इज बेटर देन क्योर, इस तरह का नियम होना चाहिये कि सरकार को हटाने के लिये बाध्य न होना पड़े, तो ज्यादा अच्छा हो। इसलिये मैंने एक प्रीवेन्टिव क्लाज इसमें रखा है। एक यह है अगर कोई सदस्य ३ कान्सीक्यूटिव मीटिंग्स अटेन्ड नहीं करता है तो डिसक्वालीफाई हो जायेगा अगर बीमार है या आने में असमर्थ है तब तो दूसरी बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं खासतौर से विश्वविद्यालय में या अन्य ऐसी संस्थाओं में उनका नाम तो लिखा है पर वह अटेन्ड नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को बोर्ड में रहने का अधिकार न होना चाहिये। इसमें मैंने एक नियम मेम्बरशिप को स्टे करने के लिये रखा है और मैं उसको आवश्यक समझता हूं। कुछ ऐसे सदस्य हैं जो अपना प्रभुत्व स्थापित रखते हैं और बार बार वहीं चुन जाते हैं। चाहे वह शिक्षा संस्था के लिये कोई लाभ का काम करें या न करें। अगर नियम बन जाता है कि २ कनसीक्यूटिव टर्म्स के लिये मेम्बर होंगे और उसके बाद गैप हो जायेगा तो उचित होगा और ऐसी व्यवस्था लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हैं। शिक्षा किसी की मनोपली नहीं है, बुद्धि किसी की मनोपली नहीं है इसमें दूसरों को भी मौका मिलना चाहिये ताकि वह अपनी समस्याओं पर विचार कर सकें।

मैंने यह भी एक प्रावीजन इसमें किया है। मैं समझता हूं कि बोर्ड आजकल शिक्षा का काम करने का स्थान न रहकर केवल अपनी जेब भरने का स्थान रह गया है। मुख्य रूप से इसीलिये लोग वहाँ जाते हैं। अब कुछ नई रोशनी बोर्ड में आई है इससे थोड़ा सा इस दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस बात पर केन्द्रित रहते हैं। मेरा सुझाव यह है कि इस प्रकार का कोई भी बोर्ड का सदस्य काम न प्राप्त कर सके जिसके जरिये से कुछ कमाने की बात हो। जो बोर्ड के सदस्य हों वह न तो इक्जामिनर हो सकें, न हेड इक्जामिनर हो सकें, न टेबुलेटर हो सकें। किसी प्रकार की कमाई का काम वह न पा सकें। इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार से वह पैसा न प्राप्त कर सकें। वह वहाँ पर इस लिये जाते हैं कि देखें कि शिक्षा का काम किस प्रकार से चले। वह एजूकेशन का काम संभालने के लिये जाते हैं। इन्हीं बातों पर विचार करने के लिये जाते हैं। लेकिन जब उनका ध्येय दूसरा हो जाता है तो मैं उसको बुराई की जड़ समझता हूँ। यह मेरा विश्वास है कि इस प्रकार के नियमों को रखने की इसमें बहुत आवश्यकता है। इसमें एक और भी बुराई की जड़ है कि अपनी पुस्तकों को अपने नाम से या दूसरों के नाम से प्रेसक्राइब कराने से बुराई पैदा होती है। इसके लिये यह नियम होना चाहिये कि जब तक कोई व्यक्ति इस बोर्ड का सदस्य रहे तब तक न तो उसके नाम से कोई किताबें प्रेसक्राइव्ड होना चाहिये न उसके साझे के नाम वाली प्रेसक्राइव होना चाहिये जो कि ज्वायंट नाम से होती हैं। यदि किसी प्रकार का उसको लाभ होता है तो उस लाभ से उसको वंचित रखना चाहिये। यह

हेन्दी ट्रेडीशन है। आज हमारा समाज जिस प्रकार का है उसके लिये इस प्रकार के नियमों का बनाना बहुत आवश्यक है।

एक बात और भी है जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूँ और वह यह है कि अभी तक जो हायर सेकेंड्री स्कूल्स हैं या हाई स्कूल्स हैं जिनमें कि जनरल एजूकेशन दी जाती है वही बोर्ड के अन्तर्गत आते हैं। लेकिन जो टेकनिकल इंस्टीट्यूशन्स हैं, इंडस्ट्रियल विभाग के हैं, उनके बारे में न बोर्ड कोर्स प्रेसक्राइब करता है और न इक्जामिनेशन ही लेता है। वह उनका संचालन भी नहीं करता है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा बोर्ड ऐसा होना चाहिये जिससे कि इसके विभिन्न अंगों का संचालन हो। जो मल्टी परपजस्कूल्स हैं वह सब इसके अन्तर्गत आने चाहिए टेकनिकल स्कूल्स भी इसके अन्दर आने चाहिये। इसके लिये एक कमेटी या सब कमेटीज बनाना चाहिये। को कैरीकुलम एक्टविटीज वगैरह हैं ये सब इसके अन्तर्गत आने चाहिये। the battle of Waterloo was won on the plain fields of Eton

जीवन की जितनी भी को कैरीकुलम ऐक्टिविटीज हैं वह सब जीवन में आगे चलकर उपयोगी साबित होते हैं। मैं समझता हूँ कि बोर्ड के अन्तर्गत यह सब आ जाने चाहिये। कैरीकुलम की जो स्कीमस हैं जैसे डिबेट हैं गेम्स हैं या और जो इसी प्रकार की दूसरी चीजें हैं वह सब इसके अन्दर आ जाना चाहिये। ....

आज तो यह होता है कि इंस्पेक्सन होने के बाद जो रिपोर्ट आती है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उन संस्थाओं में कहीं कहीं पर गेम्स के फील्ड नहीं हैं तो इसके लिये उनको बाध्य करना चाहिये कि वे इसका प्रबन्ध करें। अभी बोर्ड के अन्दर जो शिक्षा प्रणाली है वह काफी पुरानी है और आउटडेटेड है और उसी शिक्षा प्रणाली की वजह से अनुशासनहीनता है और इसके लिये शिक्षा प्रणाली ही उत्तरदायी है। अगर कोई विद्यार्थी आजकल हाई स्कूल परीक्षा पास करना चाहे तो एक दो महीने सोल्वडक्वेस्चन (Solved questions) पढ़ लेता है और परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है इस तरह से अगर कोई विद्यार्थी एक या दो महीने में परीक्षा पास कर लेता है तो वह सालभर क्यों परिश्रम करे। यह हमारी शिक्षा प्रणाली का दोष है। इस शिक्षा प्रणाली में और भी दोष हैं लेकिन मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक सेकेन्ड्री एजूकेसन कौंसिल बनाई है॥ उसके अन्दर इस प्रश्न पर विचार हो रहा है कि हमारी दूषित शिक्षा प्रणाली में किस तरह से सुधार हो। बोर्ड में भी एक सब-कमेटी होनी चाहिये जो परीक्षा प्रणाली में सुधार करे। पाश्चात्य देशों में एक तरीका चल रहा है जिसके द्वारा विद्यार्थियों के सारे कार्यों की परीक्षा होती है और उसी से राय कायम होती है। उसमें विद्यार्थी होते हैं और अध्यापक भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि तीन घंटे में जो विद्यार्थी को आया उसको लिख दिया और उसी को देखकर विद्यार्थी को नम्बर दे दिया। इसमें अच्छा तो यह होता कि कई बार अध्यापक और विद्यार्थी बैठें और देखें कि विद्यार्थी ने विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में क्या प्रगति की है। इसके ऊपर राय कायम करके तब बतलाना चाहिये कि उस विद्यार्थी ने प्रगति की है कि नहीं। इस तरह से यह बतलाना चाहिये कि प्रोमोशन मिलना चाहिये कि नहीं। यह बोर्ड का एक प्रमुख काम होना चाहिये और इसके लिये लिये एक सब कमेटी होनी चाहिये। यही मेरा निश्चित मत है। जो रिकग्नीशन विड्रा करने का काम है उसके सम्बन्ध में यही कहना है कि अभी तक कहीं पर रिकग्नीशन विड्रा नहीं हुआ है। जो हम उन विद्यालयों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं वह भी दोषपूर्ण है इस कारण हम कोई राय कायम नहीं कर पाते। हमारा विश्वास है कि जिन संस्थाओं में ठीक से काम नहीं होता है उनका रिकग्नीशन विड्रा होना चाहिये और इसके लियहमें कठोर नियम बनाने चाहिये। हम शिक्षा का विस्तार चाहते हैं और हम चाहते हैं कि शिक्षा का जो

[श्री हृदय नारायण सिंह]

उद्देश्य है वह असफल न होने पाये। अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जायेगी तो शिक्षा संस्थाओं में काम अच्छा होगा। इस समय जो ऐक्ट है उसमें बोर्ड को अधिकार है कि वह कैन्डिडेट को ऐडमिट कर ले और ऐडमिट कैन्डिडेट की परीक्षा में कोई रिट आये तो वह भी ऐडमिट होगी।

विद्यार्थियों ने कहा कि बोर्ड को अधिकार नहीं है कि बोर्ड परीक्षा से रोके। मिनीमम क्वालिफिकेशन नहीं थी तो हाई कोर्ट ने रीजन दिया कि बोर्ड को अधिकार नहीं है। ऐडमिट करने का अधिकार है लेकिन डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूं कि इससे जो कठिनाई उत्पन्न होती है वह न होनी चाहिए।

फिर एक बहुत आवश्यक बात है अभी तक किसी विद्यार्थी ने ७५ फी सदी अपनी अटेंडेंस दिखलाई और परीक्षा की फीस दे दी तो उसको बैठने का अधिकार मिल गया। चाहे साल भर तक उसने कोई किताब न उठाई हो। लेकिन उसको बैठने का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो साल भर तक परिश्रम नहीं करता उसको परीक्षा में बैठने का क्या अधिकार है। जो प्रिंसिपिल्स हैं उनको भी अधिकार नहीं होता है कि जो परिश्रमपूर्वक काम नहीं करते उनको हटा दें हां शार्टेज की वजह से हटा सकते हैं तो उनको भी अधिकार नहीं होता। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने नियम बना दिया है कि जिस विद्यार्थी ने काम नहीं किया या काम संतोषजनक नहीं है तो उसको रोका जा सकता है। बोर्ड को भी यह अधिकार होना चाहिए। प्रधान अध्यापक को यह अधिकार होना चाहिए कि संतोषजनक कार्य न होने के कारण अथवा मिस कंडक्ट के कारण विद्यार्थी को रोक सके। मैंने इस बिल में इस बात का प्रावीजन किया है। मैं यह आवश्यक समझता हूं कि बोर्ड बहुत अनवील्डी हो गया है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। यहां पर विद्यार्थियों की तादाद बहुत अधिक है। करीब ढाई लाख या तीन लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है। एक केन्द्रीय बोर्ड के लिये कठिनाई होती है कि वह सारी परीक्षाओं का संचालन करे संस्थाओं का निरीक्षण करे और संचालन करे। मैं चाहता हूं कि बोर्ड को चार भागों में विभक्त कर दिया जाय। मैंने आगे चलकर कुछ सुझाव दिये हैं। चार कोई रीजन्स बना ले। ये केन्द्रीय बोर्ड के मातहत रहे। जो परीक्षा चलाने का सवाल है या मान्यता देने का सवाल है या शिक्षा संस्थायें कैसी चल रही हैं इसका सवाल है यह काम जो बोर्ड की सबडिनेट शाखाएँ हों उनके सुपुर्द होना चाहिए। मैंने इस प्रकार का प्राबीजन किया है।

मैनेजमेंट के खिलाफ ऐक्शन लेने का भी मैंने सुझाव रखा है। अभी जो इंटरमीडिएट अमेंडमेंट बिल पेश हुआ है उसमें भी कुछ हालतों में अगर संस्थाएँ ठीक से नहीं चल रही हैं तो डाइरेक्टर आफ एजूकेशन बोर्ड को रिकमंड कर सकता है कि उसका रिकाग्नीशन विदड्रा कर लिया जाय लेकिन ऐक्ट में इस प्रकार का नियम नहीं है। इसमें मैं समझता हूं कि एक क्लाज आवश्यक है और वह होना चाहिए।

मैंने निवेदन किया कि जो बोर्ड का चेयरमैन हो मेरा सुझाव है कि नान आफिशियल हो। जहां पर भी नान आफिशियल चेयरमैन हैं वे बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। डाइरेक्टर आफ एजूकेशन का कार्यक्षेत्र दूसरा है। जो बोर्ड का चेयरमैन होगा उसका कार्य क्षेत्र दूसरा होगा। किस प्रकार वह चुना जाय इसके बारे में मैंने सुझाव दिया है कि तीन आदमियों की एक कमेटी बने जिसका चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य चेयरमैन हो दूसरा बोर्ड का प्रतिनिधि हो और तीसरा सेकेन्डरी टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसीडेंट हो। ये तीन आदमी एक सूची बनायें और वह उसे चान्सलर के पास भेज दें और उस सूची में से जिस को चान्सलर चाहे उसको बोर्ड का चेयरमैन बना दे। तीन लाख विद्यार्थी जहां परीक्षा

में बैठने हों उस बोर्ड के चेयरमैन का सलेक्सन चान्सलर से कम पद के आदमी को नहीं करना चाहिए। यह जरूर सही है कि इन्टरमीडिएट बोर्ड का स्तर यूनिवर्सिटीज से कम होता है लेकिन यह भी देखने की बात है कि वहां पर कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं। इसलिये मेरा अपना सुझाव यह है कि तीन व्यक्ति एक सूची बनायें और चान्सलर उसमें से एक आदमी को मंजूर करे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—चान्सलर कौन होगा।

श्री हृदय नारायण सिंह—चान्सलर नहीं गवर्नर होना चाहिए। इस बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने का अधिकार गवर्नर को होना चाहिए। इस के लिये एक कमेटी का मैंने सुझाव दिया है।

मैंने इस विधेयक में कुछ कमेटियों का सुझाव भी दिया है जो कि इस वक्त नहीं हैं। एक तो ऐसी कमेटी हो जो यह देखे कि यूनिवर्सिटी और हायर सेकेन्डरी शिक्षा के कोर्स में किस तरह से जोड़ हो। दोनों का एक लिंक होना चाहिए। जो इन्टरमीडिएट बोर्ड है वह यूनिवर्सिटी के लिये विद्यार्थी तैयार करता है लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या कोर्स है और सेकेन्डरी एजूकेशन में क्या कोर्स है इन दोनों में क्या लिंक हो इसके लिये कोई कमेटी नहीं है। मैं कहता हूँ कि इसके लिये एक कमेटी होनी बहुत ही आवश्यक है। परीक्षा के बारे में भी एक कमेटी होनी चाहिए जो एक्सपेरीमेंट करे, एवोल्यूशन केप्रिन्सिपल को इन्टरड्यूस करे। जो रिकगनीशन कमेटी है, मैं नहीं जानता कि वह इन्सपेक्सन के काम को भी देखती है या नहीं। क्योंकि उसने संस्थाओं को मान्यता प्रदान की है इस लिये इस कमेटी को हक होना चाहिए कि वह तीन या पांच साल के बाद देखे कि जो शर्तें थीं, उनको उन संस्थाओं ने कहां तक माना है और वह संस्थायें कैसे चल रही हैं। जो इन्सपेक्टर्स का पेनल होता है वह रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट के ऊपर रिकगनीशन कमेटी को कार्यवाही करनी चाहिए। अधिकतर ऐसा होता है कि जो रिपोर्ट आती है वह ज्यों की त्यों रखी रहती है। कोई कार्यवाही उस पर नहीं होती है।

मैनेजमेंट कमेटी के बारे में भी मैंने सुझाव दिये हैं। जो अमेंडमेंट बिल अभी पास हुआ है उसमें यह सुझाव है कि सरकार एक पैटर्न आफ एडमिनिस्ट्रेशन बनायेगी। यह निश्चित हो चुका है कि एक प्रिन्सिपल और दो अध्यापक संस्थाओं के मैनेजमेंट में रहेंगे। लेकिन इसमें एक ओल्ड ब्वायज का प्रतिनिधि होना चाहिए। फिर गार्जियन भी काफी होते हैं उन का भी इस में समावेश होना चाहिए। जो ट्रस्टीज हैं उन के भी ९ सदस्य होने चाहिए और इस तरह से १५ सदस्य उस मैनेजमेंट कमेटी में होने चाहिए।

इसमें डिसक्वालीफिकेशन के लिये प्रतिबन्ध होना चाहिए। मैंने कल ही सुना है कि कई स्थानों पर इम्बेजलमेंट होता है लेकिन फिर भी वे व्यक्ति बने हुए हैं। जिस व्यक्ति के विरुद्ध इम्बेजलमेंट का चार्ज होता है उसे सदस्यता से फौरन हटा देना चाहिए। फिर जो पावर और ड्यूटीज हैं वे भी डिफाइन होनी चाहिए कि मैनेजमेंट के क्या पावर्स हैं। जो जमीन है वह मुहैया करना उस का काम है। इस तरह से बिल्डिंग और फरनीचर का इन्तजाम करना उसका फर्ज है। फिर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी उस का काम है। इस प्रकार की चीजों के मैनेजमेंट को समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जहां तक आर्गनाइजेशन आफ टीचिंग की बात है या इन्टरनल स्थिति की बात है तो इसमें मैनेजमेंट को कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि प्रबन्ध समिति की दो उप समितियां होनी चाहिए। एक तो सलेक्सन समिति होनी चाहिए जिस का विधान किया जा चुका है।

[श्री हृदय नारायण सिंह]

एक फाइनेन्स कमेटी भी होनी चाहिये जो कि फाइनेन्स मैटर्स को देखे। जब कि बजट आता है तो उसमें २० या २५ आदमियों की एक समिति बैठती है तो २०, २५ आदमी उस पर क्या विस्तारपूर्वक विचार कर सकते हैं या क्या अपनी राय जाहिर कर सकते हैं और क्या उसकी जांच कर सकते हैं इसलिये ५ आदमियों की एक फाइनेन्स कमेटी होनी चाहिये, जिसमें एक हेड आफ इन्स्टीट्यूशन होना चाहिए और मैनेजर भी उसमें होने चाहिए, वह देखे कि फाइनेन्स को कैसे इम्पूव किया जा सकता है, जो बिल्डिंग्स हैं उनकी तरक्की कैसे हो सकती है या और जमीन किस तरह से ले करके खेल के मैदान वगैरह संस्थाओं को दिये जा सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि सेलेक्शन कमेटी से फाइनेन्स कमेटी ज्यादा महत्व रखती है और मेरा ऐसा ख्याल है कि प्रिन्सिपल जो है उसका एप्वाइन्मेंट पब्लिक सर्विस कमीशन करे या कोई ऐसी ही दूसरी बाडी करे और उनको कालस टूआफिसर समझ लेना चाहिये। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरी इस राय से सभी अध्यापक सहमत होंगे कि जो प्रिन्सिपल की पोस्ट नान गर्नमेंट स्कलों में उनकी प्राविन्सालइज्ड कर दिया जाय। उनके बीच में आपस ट्रान्सफर भी हो और उनकी नियुक्ति पब्लिक सर्वि कमीशन के द्वारा हो। इस तरह से उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी मिल जायेगा और वे फिर प्रबन्ध समितियों की मर्जी पर नहीं रहेंगे। इस तरह से हो सकता है कि उनको कुछ प्रोटेक्शन भी मिल जायेगा क्योंकि अधिकतर तो प्रिन्सिपल प्रबन्ध समिति की मरसी पर रहते हैं और प्रबन्ध समिति की निरंकुशता के अधिकतर शिकार प्रिन्सिपल ही होते हैं। ऐसी हालत में यह पोस्ट प्राविन्सलाइज्ड कर दी जाय। इस तरह से फिर प्रिन्सिपल अपनी संस्था को अच्छी तरह से चलायेंगे और उनके काम में कोई इन्टरफियरेन्स नहीं रह जायेगा। इसमें मेरा ख्याल है कि जो अनुभवी अध्यापक विभागों में हैं उन्हीं को रखा जाय और मैंने इसमें ८० प्रतिशत का सुझाव रखा भी है। क्योंकि स्कूलों का जो काम होता है, अगर अनुभवी होता है तो काम अच्छी तरह से चलाता है तो ऐसी हालत में जो हेड आफ इन्सटीट्शन हैं, जो अनुभवी अध्यापक हैं उन्हीं में से चुने जायँ।

एक बात और भी है और वह यह कि नियम बनने चाहिए और मेरा विचार है कि जो ऐक्ट पास हो चुका है उसमें यह किया भी जायेगा कि मिनिमम और मेक्सिमम आवर आफ वर्किंग निश्चित करना चाहिये। इसके नियत न होने के कारण बहुत से स्थानों पर तो बड़ी धाँधली है। कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है कि अगर ८ घंटे वर्किंग आवर होते हैं तो कम से कम ७ घंटे एक अध्यापक को पढ़ाना पड़ता है। मैं काम करने से खुद भी हिचकता नहीं हूँ और दूसरों से भी आशा करता हूँ कि वह परिश्रम करे लेकिन बौद्धिक कार्य जो होता है, उसमें असम्भव सी बात होती है कि कोई आदमी खड़ा हो करके रोज ७,७ और ८,८ घंटे शिक्षा का कार्य चलाता रहे। बहुत से प्रिन्सिपल्स ऐसे हैं जो ७ घंटे बराबर पढ़ाते हैं या ८ घंटे बिना किसी प्रकार का विश्राम किये हुये पढ़ाई का काम करते रहते हैं तो शायद अधिकतर तो यह इसलिये होता है कि या तो पैसे का अभाव होता है या फिर प्रबन्ध समिति का यह विचार होता है कि इन अध्यापकों को अवकास नहीं मिलना चाहियेचाहिये। अध्यापक के लिये काम की एक लिमिट होनी चाहिये। एक बात मैं यह भी समझता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने ट्रेनिंग कर ली है और वह काम कर रहा है, तो उस को हटाना नहीं चाहिये। इसके साथ ही साथ यह भी नहीं समझना चाहिये। किसारे अध्यापक खराब हैं और वे अध्यापन के योग्य नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा समझना बहुत ही भारी गलती है। आप देखते हैं कि अगर किसी फैक्टरीमें ६०० मजदूर काम करते हैं तो वहां पर किसी भी मजदूर को हटाया नहीं जा सकता है। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, उन से मैं यह आप के जरिये से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी जगह पर १५ या १६ अध्यापक काम करते हैं तो उनमें से ८ या १० अध्यापकों को एक साथ हटा दिया जाता है और फिर उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं होता है। आज कहीं कहीं पर तो बहुत ही मन माने ढंग से काम होता है। अगर किसी भी

अध्यापक पर मिस कान्डक्ट के भी चार्जेज हैं तो उसको हटाने के लिये इन्सपेक्टर आफ स्कूल की इजाजत लेनी चाहिये। इन्स्पेक्टर आफ स्कूल को देखना चाहिये कि उस अध्यापक के ऊपर जो चार्जेज लगाये गये हैं वे सही हैं या गलत हैं।

मैंने डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन कौंसिल का भी इसमें प्राविजन रखा है। माननीय मंत्री जी ने पहले २० जिलों में यह एजूकेशन कौंसिल बनाना स्वीकार किया था, लेकिन बाद में उसकी संख्या कम कर दी गयी है और अब वह १० हो गयी है। यह कौंसिल अभी तक तो बनी नहीं है, लेकिन बनने की आशा है। अगर किसी अध्यापक के खिलाफ कोई चार्ज है तो पहले डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल देखे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन कौंसिल को यह अधिकार होना चाहिये कि वह देखे कि क्या मामला है और किस की गलती है। वास्तव में दोषी कौन है। अक्सर ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल जो होता है वह बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। लेकिन बाज बाज तो बहुत ही अच्छे होते हैं और अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं मैंने इसमें यह सुझाव दिया था कि दो अध्यापकों के प्रतिनिधि हों, दो मैनेजमेन्ट के हों और एक डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल हो। इन पांच आदमियों की एक डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन कौंसिल बनानी चाहिये। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि जो बातें मैंने कही हैं उन की ओर सरकार को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल किस प्रकार से काम करेगी इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

जो बिल मैंने पेश किया है, वह उस समय बनाया था, जब कि इस सम्बन्ध में कोई विधेयक पारित नहीं हुये थे। आज तो इस सम्बन्ध में विधेयक पारित हो चुके हैं। उस समय मैंने भी अथाराइज कंट्रोलर की चर्चा की थी। अगर सरकार यह समझती है कि काम खराब है तो वह अथाराइज कंट्रोलर मुकर्रर कर सकती है

आज यह जो विधेयक बनाया गया है और इस समय जो स्थिति है, उसे देखते हुए, मैं यह गवारा नहीं करता। उस में यह बात है कि अगर कोई खराबी है और डाइरेक्टर आफ एजूकेशन इन्सपेक्शन करता है, तो वह विथड्राअल आफ रिकगनिशन के लिये एक अथाराइज्ड कन्ट्रोलर नियुक्त करने के सम्बन्ध में सरकार से सिफारिश कर सकता है, लेकिन ऐसी जगह पर क्या होगा जहां पर कि दो प्रकार की प्रबन्धक समितियां हैं। एक समिति कहती है कि हमें इस संस्था के ऊपर अधिकार है और दूसरी समिति कहती है कि हम इस पर अधिकार रखते हैं। बाद में यह प्रश्न हाइ कोर्ट में रिफर किया जाता है, लेकिन इसके बीच का जो समय है, उसके लिये क्या होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि ऐसी हालत में जो बीच की अवस्था होती है, उस समय तक हाई कोर्ट की रूलिंग तो नहीं मिल पाती है, तो उस समय तक के लिये सरकार किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे और वही उस संस्था का तब तक संचालन करे। अगर कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, तो वहां पर पढ़ाई का प्रबन्ध खराब होता है और दूसरी सभी प्रकार की परेशानियां होती हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि संस्था कई दिनों तक बन्द रहती है? एक पार्टी एक तरफ से उसपर अपना ताला लगा देती है और दूसरी पार्टी अपना ताला लगा देती है। तो ऐसी हालत में स्टेट गवर्नमेंट को अथाराइज्ड कन्ट्रोलर नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिये।

एक बात और है जो मैंने आवश्यक समझी और जिस का इस बिल में मैंने समावेश किया है। जो रिम्यूनरेशन आदि की जगहें हैं, जैसे जो टेबुलेटर, एक्जामिनर आदि नियुक्त होते हैं, वह बिना किसी बात का लिहाज रखे हुए, अपने जान पहचान वाले लोगों को रख देते हैं और बिना अनुभव का विचार किये हुये उनकी नियुक्ति हो जाती है, यह किसी तरह से भी उचित नहीं है। जो अध्यापक २०, २५ तथा ३० साल का अनुभव रखता है, वह इस में नियुक्त नहीं हो पाता है। अभी थोड़े दिनों पहले हमारे सामने इस सम्बन्ध में एक सूची रखी गई थी, लेकिन उस

[श्री हृदय नारायण सिंह]

जो शिक्षक २५, ३० साल का अनुभव रखते हैं, वे नहीं नियुक्त हो सके हैं। इसके लिये एक आवजेक्टिव सिस्टम बना लिया जाय कि बिना किसी के सिफारिश के और बिना किसी के आवलिगेशन के इनकी नियुक्ति की जायेगी। अगर आप किसी को इस तरह का काम देते हैं, तो वह आप की कृतज्ञता का हकदार नहीं होता है, यह तो उस व्यक्ति का अधिकार है और वह उसे अवश्य मिलना चाहिये। मैंने इसके लिये सुझाव दिया है कि हमें एक आवजेक्टिव सिस्टम अपनाना चाहिये और जो बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन हैं, उन को भी मैंने इसी सम्बन्ध में पत्र लिखा है और जो बोर्ड के सक्रेटरी हैं, उन को भी लिखा है। तो इस प्रकार का विधान इस बिल में होना चाहिये कि एक लिस्ट के द्वारा उनकी नियुक्ति हो। इसमें कोई कठिनाई नहीं है और आगरा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, जो यहां पर रखा गया था, उस में भी है कि ए लिस्ट आफ कौंसिल होगी जिसमें आबजेक्टिव तरीके से जो परीक्षक हैं या पारिश्रमिक का काम करने के योग्य हैं उन्हीं की नियुक्ति उन पर होगी और ऐसा ही इस सम्बन्ध में होना भी चाहिये। इसमें बहुत सी झगड़े की बातें भी हो जाती हैं।

एक सवाल और है और वह यह कि लोकल बाडीज द्वारा हम जिन संस्थाओं को चला सकते हैं, उन सब के लिये कोई एक नियम नहीं है, न ग्रेड्स के बारे में और न दूसरी बातों में। कभी कभी ये सरकार के आदेश भी नहीं मानते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। आप उनको सेमी गवर्नमेंट मानते हैं, तो जो विभाग के नियम हैं या उनके अपने नियम हैं, उन नियमों की अवहेलना उन के द्वारा नहीं होनी चाहिये। एक बार यह भी सवाल आया था कि सारे प्रदेश में लोकल बाडीज द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा जो संस्थायें चलाई जा रही हैं वह व्यवस्था समाप्त कर दी जायें क्योंकि उससे अध्यापकों को काफी दिक्कतें हो गई थीं, लेकिन बाद में सरकार ने उसे वापस ले लिया। लेकिन कुछ न कुछ उनके लिए निश्चित नियम होने चाहिए, स्थाई प्रकार के नियम होने चाहिए और उनको बोर्ड्स की मर्जी पर नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर किसी जगह पर चेयरमैन किसी से असंतुष्ट हुआ तो वह मनमानी कर बैठता है। उसको गवर्न करने के लिए इस बिल में कुछ होना चाहिए।

यही थोड़ी सी बातें हैं जो मैंने इस विधेयक में मूल रूप से प्रस्तुत की हैं। और मैं इन शब्दों के साथ माननीय सदन से निवेदन करता हूँ कि इस बिल के ऊपर अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करें।

श्री मदन मोहन (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—श्री मान उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र हृदय नारायण सिंह जी ने जो विधेयक अभी उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ और जो परिश्रम और विचार उसमें उन्होंने लगाए हैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ अभी अभी पिछले दिनों जब एक विधेयक इस प्रकार का हमारे सामने आया था तो स्वयं शिक्षा मन्त्री जी ने इस बात को माना था कि वह बहुत रूप से अपूर्ण है और एक बहुत विस्तृत विधेयक लाने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय आप को यह भी याद होगा कि इस विधेयक में एक बहुत बड़ी संख्या में संशोधन मैंने और मेरे मित्रों ने लाने का प्रयत्न किया था। और चूंकि मन्त्री जी का यह मत था और हम लोग भी इस से सहमत थे, कि उस विधेयक को जल्दी पारित कर देना बहुत आवश्यक था इस लिए यह सभी संशोधन उसमें से वापस ले लिए गए थे। तो इस बात को बतलाने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं कि हमारी माध्यमिक शिक्षा की जो इस समय स्थिति है वह बहुत असंतोषजनक है, इसको सभी मानते हैं। जो अभी अभी विधेयक हमने पारित किया है उसके अन्दर एक विशेष बात यह है कि प्रबन्ध समितियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं और शिक्षकों को कुछ सिक्योरिटी आफ सर्विस देने का प्रयत्न किया गया है। मुझे विश्वास है कि जब उसके अन्तर्गत नियम बना कर लागू किए जायेंगे तो बहुत हद तक इस विषय में सफलता मिलेगी। लेकिन फिर भी मुझे

सन्देह है कि इनको सफलता मिल सकेगी। उदाहरणार्थ यदि कोई प्रबन्ध समिति इस प्रकार की बातें करे जो सरकार की राय से असंतोषजनक हों तो पहली सजा तो यह है कि उनको अनुदान बन्द कर दी जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सदन को बतलाना चाहता हूं और मन्त्री जी को निवेदन करता हूं कि अनुदान बन्द कर देने से प्रबन्ध समिति को कोई कष्ट नहीं पहुंचता इसका नतीजा यह होता है कि वहां अध्यापकों का वेतन बन्द कर दिया जाता है। दूसरी सजा मान्यता वापस लेने की है, मान्यता वापस लेना असम्भव बात है क्योंकि इसमें सैकड़ों विद्यार्थियों के जीवन का प्रश्न आ जाता है और इतना हल्ला गुल्ला होता है कि किसी संस्था की मान्यता वापिस नहीं ली जा सकती है। तीसरी बात एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोलर बनाने की रखी गई है। मैं समझता हूं इससे भी कोई विशेष सफलता मिलने वाली नहीं है। क्योंकि मन्त्री जी स्वयं इस बात को जानते हैं कि जो शिक्षा संस्थायें चलती हैं उनके अन्दर जिस तरह से का प्रबन्ध बहुत से ऐसे मदों के द्वारा होता है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोलर नहीं कर सकेगा। नतीजा यह होगा कि सरकार को इतना पैसा देना पड़ेगा जो शायद सरकार की सामर्थ्य के बाहर होगा।

साथ ही साथ एक बात और है, जहां प्रबन्ध समितियों में इस प्रकार की बातें होना सम्भव है वहां एक बात और भी है। यह भी हो सकता है कि कुछ अध्यापक भी इस प्रकार के हों जो प्रबन्ध समिति के लिए एक समस्या हों। और उस समस्या का हल एक यह ही हो सकता है जैसा कि सरकारी नौकरियों में होता है कि कोई आदमी यदि किसी जगह पर ठीक न बैठता हो तो उसे स्थानान्तरित कर देते हैं। ....

अभी अभी एक बात और भी देखने में आई टीचर्स और प्रबन्ध समिति के बीच में एक एग्रीमेंट आफ सर्विस जो होता है, उसके आधार पर जब किसी अध्यापक को अपनी नौकरी से अलग किया जाता है तो सम्बन्धित अध्यापक आर्बीट्रेशन बोर्ड के पास जा सकता है। ऐसे उदाहरण देखने में आ रहे हैं कि आर्बीट्रेशन बोड ने उसके हक में फैसला कर दिया। इसके बाद भी कुछ प्रबन्ध समितियों ने अदालत में दरख्वास्त लगाकर फैसला रुकवा दिया नतीजा यह है कि ऐसे ऐसे अध्यापक हैं कि जिनको १६, १६ महीने की तनख्वाह नहीं मिली है यद्यपि आठ महीने आर्बीट्रेशन बोर्ड का फैसला हुए हो गए, न तो उसका रिइन्स्टेट किया गया और न तनख्वाह मिली। अब बिचारा अध्यापक क्या कर सकता है, उसके पास न तो मुकदमा लड़नेके लिये पैसा भी नहीं होता है। वह थक हार बैठ जाता है और प्रबन्ध समितियां मनमानी करती हैं। इन सब बातों को देखते हुए यह बात माननीय है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध बड़ा असन्तोषजनक है। हृदय नारायण सिंह ने अभी माध्यमिक शिक्षा परिषद् की बात कही है। उनके कहने से मैं पूर्णतया सहमत हूं। माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो कान्सटीटीशन है, व बहुत असन्तोषजनक है। इसमें मेम्बर्स के पास इतना पैट्रानेज है कि उनको भीडिमारलइज करता है और अध्यापकों को भी करता है। आप कोई भी प्रतिबन्ध लगा दीजिये लेकिन इतने पैट्रानेज के रहते हुए सब बेकार हो तो अगर कोई तरीका इक्जामिनर्स और टेबुलटर्स का निष्पक्ष ढंग से नियुक्त करने का हो जाय तो यह समस्या हल हो सकती है। परन्तु यह एक बड़ा कठिन काम है। आगरा यूनीवर्सिटी की मिसाल इसमें लागू नहीं होती। वहां सारी यूनीवर्सिटी में १५०० अध्यापक हैं और बोर्ड के अंतर्गत ४०, ५० हजार अध्यापक हैं। जब वहां आगरा यूनीवर्सिटी में यह ही सीनियारटी लिस्ट बनाने में तरह तरह की कठिनाइयां आती हैं तो फिर इन ४०, ५० हजार से कोई सीनियारटी लिस्ट बनाना असंभव है। वर्तमान बोर्ड में कोई भी आब्जेक्टिव सिस्टम बनाना बड़ा मुश्किल है। अगर यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि बोर्ड के सदस्य स्वयं काम न लेंगे तो अपने लड़के के नाम ले लेंगे और अगर लड़के का प्रतिबन्ध लगा दिया जावे तो अपने दोस्त के नाम से ले लेगी। हम इसका जब तक विकेन्द्रीकरण न करेंगे तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता है। वर्तमान स्थिति में विद्यार्थियों के लिये भी बहुत परेशानी है। प्रतिवर्ष ढाई लाख परीक्षार्थियों में से २, ४ हजार ऐसे मिलेंगे जो नकल करने के शुबहा में पकड़े जाते हैं। हर

[श्री हृदय नारायण सिंह]

विद्यार्थी के केस का इक्जामिनेशन कमेटी को अलग अलग देखना आवश्यक है लेकिन यह हो नहीं पाता है। इस लिये होता है सामूहिक दंड, जो न्याय संत्रत नहीं है। इस प्रकार के दंड होते हैं। छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी गल्तियां करते हैं और इस प्रकार की सजायें मिलती है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि बोर्ड की बनावट ही ऐसी है। एक मिसाल दूं। एक लड़का इम्तिहान में गया। फिजिक्स का एक फारमूला उसको याद आ गया उसने उसको अपनी मेज पर लिखा और जब उसको कापी मिली तो उसने उसको कापी के पेज पर लिखा। जिस समय वह मेज से कापी पर लिख रहा था इन विजिलेटर महोदय की निगाह उस ओर गई और वह छोटा लड़का डर गया और उसने मेज पर से मिटाने की कोशिश की। उसको सजा देने के लिये एक पुराना रूल ढूंढ़ कर निकाला गया कि कोई लड़का पर्चा मिलने से पहले अपनी कापी पर कुछ नहीं लिख सकता और उस लड़के के लिये २ साल की सजा देने की तजवीज की जा रही थी। इस तरह से छोटी छोटी गल्तियों पर इस प्रकार से बारबेरस पनिशमेंट बोर्ड द्वारा दिये जाते हैं इसी लिए आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि सैकड़ों रिट्स बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट में आती है।

रिकाग्नीशन के टाईम पर, अगर आप को इस सदन के माननीय सदस्यों को जाने का इत्तिफाक हो तो वहां जाकर देखे कि वहां पर मैनेमेन्टस की भीड़ जमा रहती है और रिकाग्नीशन कमेटी के मेम्बर्स की वह लोग खुशामदें करते हैं। इस पेट्रोनेज को कम करने का एक ही तरीका है कि बोर्ड को विकेन्द्रीयकरण किया जाय। जबतक यह न होगा माध्यमिक शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता है।

अभी श्री हृदय नारायणजी ने एक बात कही कि रीजनल बोर्डस बनने चाहिये और वर्तमान बोर्ड ४ भागों में विभक्त होना चाहिये लेकिन वह सब एक बड़े बोर्ड के मातहत काम करे। यह बात सोचने की है। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि उनको मातहत रखा जाय। हमारी ५ करोड़ की आबादी है और उसमें ६ बोर्ड काम करे तो परेशानी क्या होगी। जहां तक शिक्षा के स्तर भिन्न होने की बात है तो इसके लिये जहां ५०० इग्जामिनर्स है वहां एक स्तर अब भी कहा है अगर दिल्ली, राजस्थान, बिहार से कोई बच्चा पास कर के आता है या अलीगढ़ बनारस से पास करके आता है तोउसके लिये आप स्तर की भिन्नता का प्रश्न नहीं उठाते ह। इस तरह से अगर आगरा, बनारस इलाहाबाद या मेरठ में बार्ड बने तो उससे क्या परेशानी होगी।

अभी श्री हृदय नारायण सिंह जी ने एक बात और कही उन्होंने एक प्रतिबन्ध लगाया कि जो विद्यार्थी साल भर काम न करे या कोई मिसकन्डक्ट का काम करे तो हसको इम्तिहान न देने दिया जाय। जहां तक विद्यार्थी के काम न करने का प्रश्न है मैं इसके प्रतिबन्ध के पक्ष में नहीं हूँ।

क्योंकि कोई विद्यार्थी अगर काम नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी अध्यापकों के ऊपर भी तो है। साल भर तो हम देखते नहीं हैं कि लड़के ने क्या काम किया है और क्या नही किया है। एक ऐसा वातावरण बन गया है कि हम विद्यार्थियों के रोजमर्रा के काम को देख ही नहीं पाते हैं और इम्ताहान के एक महीना लड़कों के अविभावकों को यह इत्तिला देकर कि इसने साल भर काम नहीं किया है फिर उसको इम्तहान में जाने से रोक लें तो यह कहां तक ठीक होगा। क्यों नहीं हम उनके माता पिता को समय-समय पर खबर देते रहें। जिस लड़के को अपने स्कूल में साल भर पढ़ने दियां, साल भर अपने स्कूल में रखे रहे उसके लिये हमको कोई हक नहीं है कि हम यह कह दे कि तुमको इम्तहान में नहीं बैठने दिया जायगा। यह अगर किया गया तो वही नतीजा होगा जो कि बहुत से उन स्कूलों का होता है जहां पर कि बोर्ड का नतीजा ८० या ९० फीसदी होता है लेकिन अगर उनके नवीं कक्षा के या फर्स्टईयर

के नतीजे देखें जायं तो वह २५ या ३० फीसदी होते हैं। जहां तक बोर्ड और इसके चेयरमैन का प्रश्न है मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसका जो चेयरमैन हो वह एक होल टाइम व्यक्ति होना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की जो बात है मैं उससे भी सहमत हूँ। जब इसके लिये पिछला विधेयक आया था तो मैंने कहा था कि जहां टीचर्स की सीक्योरिटी की बात सोची जा रही है एक डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बना दिया जाना चाहिये। अगर यह डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स बन जायेंगी तो टीचर्स को भी सक्योरिटी देने में भी सहायता मिलेगी मैं मानता हूँ कि हर एक जिले में दो एक संस्थायें ऐसी होती हैं जहां पर कि कुछ गड़बड़ी होती है लेकिन सभी संस्था ऐसी नहीं होती इसलिये डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स टीचर्स की समस्याओं को हल करने में बहुत कामयाब हो सकती हैं। यह डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स विकेन्द्रीकरण में भी सहायक होंगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस काम के करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है कि माध्यमिक शिक्षा का वह संतोष प्रबंध हो उस काम में उनको इस बिल से आसानी होगी। मैं यह मानता हूँ कि यह बिल भी और बिलों की तरह से पूर्ण नहीं है इसमें भी बहुत सी बातों की कमी है लेकिन इन सब बातों पर एक बार विचार विनिमय करने के लिये मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मित्र हृदय नारायण जी के जो सुझाव हैं वह बहुत अच्छे हैं। माननीय मंत्री जी को इन सुझाओं को मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि प्रस्तावित कमेटी में हृदयनारायण सिंह जी ने अपना नाम नहीं रखा है। उसमें उनका भी नाम होना बहुत आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री कृष्ण देव प्रसाद गौड़ (नाम निर्देशित)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सम्मुख हमारे माननीय मित्र ने उपस्थित किया है उसको मैंने ध्यान से पढ़ा है। उन्होंने अवश्य ही इंटरमीडिएट बोर्ड के स्तर में सुधार करने की कोशिश की है। मैं समझता था कि इससे पहिले कि इस प्रकार का कोई बिल यहां पर उपस्थित किया जाता इंटरमीडिएट एजूकेशन में सुधार करने के लिये, अच्छा यह होता कि एक कमेटी सरकार बनाती चाहे वह आफिशियल होती या नान आफिशियल होती या दोनों प्रकार की होती कि यह जो ३५ वर्ष तक बोर्ड रहा है उसके वर्किंग में कौन कौन से दोष आ गये हैं। परीक्षाओं के लेने में या शिक्षा के संचालन करने में। परीक्षाओं का जो स्तर गिरा है वह क्यों गिरा है, या वह बढ़ा है, अनुशासनहीनता विद्यार्थियों में क्यों बढ़ती जा रही है उसका कारण क्या है, तभी बोर्ड की स्थिति जस्टीफाई होती। इन बातों को ध्यान में रखकर कोई विधेयक उपस्थित किया गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। यदि माननीय सदस्य के विधेयक पर विचार किया जाय तो दो तीन बातें मुख्यतः आती हैं। मैं समझता हूँ कि यह जो परीक्षा है यही इन सारी बुराइयों की जड़ है। यह जो पैट्रनेज का सवाल इम्तिहान के समय में या रेकगनिशन के समय में आता है यह भी इसी कारण से है। अनुशासनहीनता जो आती है वह भी परीक्षाओं के कारण होती है।.... यहाँ तो बहुत भारी भरकम बोर्ड बन गया है और यह अपना ठीक कार्य नहीं करता तो केवल परीक्षा के कारण। जब आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी बनी थी तो उसने अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि वर्तमान ढंग की परीक्षाओं को हटा कर यदि आबजेक्टिव ढंग से परीक्षा ली जाय, एवोलूशनरी ढंग निकाला जाय तो बहुत कुछ बुराई बोर्ड की दूर हो सकती है लेकिन एवोलूशनरी ढंग निकालने में कठिनाई होती है लेकिन हमारे अध्यापक भी बहुत अनुभवी हैं उन्होंने कोई ढंग निकाला होता तो परीक्षाओं में जो बुराई होती है वह कम हो गई होती। आज यहां पर यह कहा जाता है कि विद्यार्थी एक महीने और दो महीने में परीक्षा पास कर लेते हैं नोट्स बाजार में बिकने लगते हैं कि इकानोमिक्स इन ऐन आवर। इस सिलसिले में कहा गया कि यह जो पुस्तकें निकल गई हैं इनको नहीं निकलना चाहिये। इससे जो बुराई पैदा हो गई है वह दूर हो गई होती माननीय सदस्य ने जो कहा उसके पक्ष में मैं नहीं हूँ कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार से रोका जाय। यदि उस विद्यार्थी की ७५ प्रतिशत उपस्थित है तो कहीं पर भी वह नहीं रोका

श्री कृष्ण देव प्रसाद गौड़

जाता है। विद्यार्थी को रोकने का कारण यह है कि अध्यापक में किसी बात की कमी है यदि वह अपनी कक्षा में उपस्थिति देता है, यदि वह लेक्चर्स को सुनता रहता है तो कोई कारण नहीं है कि वह रोक लिया जाय और वह फेल हो। एक और बात है जिस पर इस बिल में ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। युनिवर्सिटी के बाहर हमारी शिक्षा का एक और अंग है। प्राइमरी सेकेन्डरी स्कूल और इन्टरमीडिएट स्कूल से यूनिवर्सिटी शिक्षा का कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। इन्टरमीडएट बोर्ड पुस्तकों को निर्धारित करता है इस सिलसिले में यदि बोर्ड की कोई व्यवस्था है कि नया बोर्ड बने तो वह इस प्रकार होना चाहिये। प्रारम्भ से लेकर सेकेन्डरी स्टेज तक की पुस्तकों में और पढ़ाई में एक तारतम्य होना चाहिये। मुझे खेद है कि यह बात मान ली गई है कि बोर्ड के सब सदस्य ईमानदारी से परे हैं। वक्ताओं के भाषण से ऐसा प्रतीत होता है। कहा गया है कि वे ही परीक्षकों को नियुक्त करते हैं और अपने नाम से टेस्ट बुक तैयार करते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी युनिवर्सिटी में यह कहीं भी इस बात पर रोक नहीं है कि अध्यापक परीक्षक न हो। जो यूनिवर्सिटी के सेनेट के सदस्य हैं या कौंसिल के सदस्य हैं या एकडेमिक कौंसिल के सदस्य हैं वे परीक्षक न हों और पुस्तकों को न लिखें ऐसा नहीं होना चाहिये और ऐसा है भी नहीं। यदि कहीं किसी प्रकार की भूल हो गई हो तो उसको लेकर बुनियाद नहीं बना देनी चाहिये कि जितने सदस्य होंगे वे सब ऐसी ही बात करेंगे। जिससे हमारा नैतिक स्तर गिरेगा। यदि बोर्ड के सदस्य अध्यापक में से जाते हैं, प्रिन्सिपल में से जाते हैं और वे किताब न लिखेंगे, यदि वे परीक्षक नहीं होंगे तो कौन हो सकता है। उन्हीं में से कुछ परीक्षक बनते हैं, कुछ अध्यापक बनते हैं और पेपर सेटर भी उन्हीं में से आते हैं तो जैसा पहले कहा गया है मेरे ख्याल में उचित प्रतीत नहीं होता है।

प्रबन्धक समिति के संगठन के सम्बन्ध में इस बिल के सिलसिले में बहुत बातें, अनेक बार कही जा चुकी हैं इसलिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन यह तो मानी हुई बात है कि बहुत थोड़ी सी प्रबंध समितियों का कार्य अच्छा है किन्तु अधिकाँश ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में लोगों की बुरी धारणा है। जो अमेंडमेंट ऐक्ट पास हुआ है उसमें कुछ सुधार किया गया है। जो ओल्ड ब्वायज के बारे में कहा गया किस प्रकार उनका चुनाव होगा मैं नहीं जानता। ओल्ड ब्वायज के चुनाव ने वहाँ की स्थिति खराब कर दी है। मैं किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता किन्तु यदि यह ठीक है कि उनका प्रतिनिधि होना चाहिए तो यह भी ठीक है कि आजकल जिस प्रकार संस्थाओं के संगठन में राजनीति कार्य कर रही है उससे उसमें कोई लाभ नहीं होता है। पेरेन्ट्स का होना भी आवश्यक है उनके प्रतिनिधि का किस प्रकार चुनाव होगा इस बिल में इस सम्बन्ध में कुछ ठीक से नहीं बताया गया है। मैं यह कह रहा हूँ कि यह जो विधेयक है इसमें बहुत सी त्रुटिया हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि अगर इस बात को ध्यान में रखकर कि बोर्ड ने जो कार्य किया है उसमें क्या त्रुटियां हैं वे किस प्रकार हटाई जायँ यह समझकर अगर कोई विधेयक बानाया जाय तो वह अधिक लाभदायक होगा।

श्री कमला पति त्रिपाठी—मैं आपकी आज्ञा से इस विचार से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ कि कदाचित सरकार की दृष्टि अगर स्पष्ट हो जाय तो इसमें अधिक वाद-विवाद की आवश्यकता न रहे।

श्री हृदय नारायण सिंह—कुछ और माननीय सदस्यों के विचार भी सुन लीजिए।

श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय सदस्यों की अगर राय हो कि मैं इस विषय में कुछ न कहूँ और ५ बजे तक बहस चलती रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसा भी माननीय सदस्यों का विचार हो। मैंने यह बात इस ख्याल से कही कि यदि सरकार की दृष्टि स्पष्ट हो जाय तो अधिक वाद विवाद न हो। यह भी बात सही है कि जब हम अपनी दृष्टि स्पष्ट कर देंगे तो ऐसी स्पष्ट हो जायगी कि माननीय सदस्य इस बिल को स्वयं ही वापस ले लेंगे।

श्री हृदय नारायण सिंह—काफी लोग दिलचस्पी रखते हैं इंटरमीडिएट एजूकेशन बिल में आज बोलने के।

श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय, मैं वास्तव में कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस बिल को प्रस्तुत करके ऐसे विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि जो विषय सरकार के सम्मुख विचारार्थ कतिपय महीनों से पड़ा है और जिस पर हम गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए इतना निवेदन करना चाहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा लगा कि अभी कुछ इस तरह का बिल प्रस्तावित है। कोई केवल भावना पुष्टि करने की बात थी और उस विचार को लेकर यह बिल न आये तो दूसरी है बात नहीं तो इसके ले आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। माध्यमिक और सेकेन्डरी एजूकेशन के बारे में इस कौंसिल में अनेक बार बहस हो चुकी है और कभी कभी बहस से हमारे सदस्य जो अध्यापक नहीं हैं उन्हें इस बात की शिकायत हो जाती है कि कौंसिल तो बिल्कुल कौंसिल आफ एजूकेशन हो गयी है। सिवाय एजूकेशन के यहां पर कोई और बहस ही नहीं होती है, ऐसा उन का ख्याल हो जाता है। हमारे अध्यापकगण यहां पर अध्यापकों के प्रतिनिधि हो कर आये हैं लेकिन जब यहां पर आ गये हैं तो वे सारे प्रदेश के प्रतिनिधि हो कर आये हैं। लेकिन केवल वे शिक्षा के ही बारे में बातें करें तो अच्छा नहीं लगता है।

श्री हृदय नारायण सिंह—बहुत से दूसरे विभागों से सम्बन्धित संकल्प भी हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय हृदय नारायण सिंह जी के सवालों का जवाब भी यहां पर देना हूँ और उनकी अन्य बातों को अखबारों से भी पढ़ना हूँ—एक एक दिन में उनके ७० प्रश्नों का यहां पर उत्तर देना हूं। अध्यापक लोग यहां आये हैं वे पूजा के पात्र हैं लेकिन शिक्षा के अलावा भी जीवन के अन्य प्रश्न हैं। समाज और संगठन सम्बन्धी कई प्रश्न आज हमारे सामने हैं, इन को भी व अपनी बुद्धि का परिचय दें, कुछ संकल्प ला कर या कुछ योजनायें बना कर तो लोग कभी कभी इससे परेशान हो जाते हैं।

मैं यह नहीं समझ सका कि ध्यान आकृष्ट करने के सिवाय और कोई इरादा है तो वह क्या है और क्यों यह बिल अभी लाया गया है। यह अनेक बार कहा जा चुका है, और अभी महीने डेढ़ महीने पहले यहां पर एक बिल पर विचार कर रहे थे तो यह कहा गया था कि सरकार एक व्यापक बिल लाने वाली है और शीघ्र ही लाने वाली है। बजट के सम्बन्ध में भी जब वादविवाद हो रहा था तो उस समय भी यह बात कही गयी थी और जब एक बिल पर बहस हो रही थी तो उस समय भी कहा गया। जब वह बिल सलेक्ट कमेटी में गया तो उस समय भी इस पर विचार किया गया और फिर हाउस में जब यह बिल आया तो यहां पर संशोधनों पर विचार करते समय यह बात कही गयी। पचासों घंटे इस पर लगे और बारबार यह कहा गया कि इस बिल को हम पास कर लें और फिर एक व्यापक बिल इस सम्बन्ध में ले आने का सरकार का इरादा है। कभी यह नहीं कहा गया कि वह व्यापक बिल आने वाला नहीं है। यह भी कहा गया था कि वह जल्दी ही आने वाला है। हम इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं और उसकी रूप रेखा तैयार कर रहे हैं। फिर आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है कि इस विधेयक को प्रस्तुत किया जाय।

जहां तक सेकेन्डरी एजूकेशन का प्रश्न है वह बड़ा व्यापक है। आज उसने अखिल भारतीय ध्यान आकर्षित किया है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने भी इस के लिये एक कमीशन बैठाया था। उसने भी इस के लिये एक कौंसिल बना रखा है और एक गम्भीरता के साथ उस पर विचार हो रहा है। मैंने यहां तक देखा कि जब एजूकेशन मिनिस्टर की कान्फ्रेन्स आल इण्डिया लेबिल पर होती है या सेन्ट्रल एडवाइजरी कमेटी आफ एजूकेशन बोर्ड बैठती है तब वह सेकेन्डरी एजूकेशन के मामले को जिस को यह समझा जाता है कि पूर्णतः प्रदेशों की बात है, बड़ी गम्भीरता के साथ विचार किया जाता है। हमारे प्रदेश में तो इस पर कई बार विचार हो चुका है। हमारे गौड़ जी ने आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी का जिक्र किया है। यहां पर दो कमेटियां बैठायी गयी थीं। मुदालियर कमीशन भी इसके लिए बैठा है— आज सेकेन्डरी एजूकेशन के सम्बन्ध में उसको

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

प्रमाण माना जाता है। इस पर भी वहां पर वादविवाद हुआ है। समाचार पत्रों के स्तम्भों में भी और अध्यापकोंकी गोष्ठियों में भी इस पर विचार हो चुका है। यह स्पष्ट ही है कि सेकेन्डरी एजूकेशन हमारी बड़ी महत्व की है और जहां तक एजूकेशन का सम्बन्ध है उसकी एक बड़ी भारी कड़ी है जो आरम्भिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को जोड़ने वाली है, यह योजना ऐसी है जो कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक चलने वाली है, इसके बिना शिक्षा जीवित ही नहीं रह सकती है। इस का वही स्थान है जैसे किसी शरीर में हृदय का होता है। अगर हृदय शुद्ध नहीं है या किसी प्रकार से काम नहीं करता तो नीचे से भी बिगड़ जाता है, ऊपर से भी बिगड़ जाता है और सारा यन्त्र बिल्कुल नष्ट हो जाता है, इस दृष्टि से अगर देखा जाय तो बहुत महत्व यह रखती है इसमें कोई सन्देह नहीं। सन् १९२१ में सैडलाक कमीशन की रिपोर्ट के बाद यह बोर्ड बना और तब से यह बराबर काम कर रहा है। अब सन् ५९ आ रहा है करीब ३७ वर्ष से यह बोर्ड कार्य कर रहा है। उसके संशोधन के निमित सन् ५० में चेष्टा की गयी, उसके लिये कोई बिल इस सदन में लाया गया और फिर मेरे ख्याल में वह वापस भी हो गया। उसका बड़ा भारी विरोध यहां पर भी हुआ और बाहर भी हुआ और वह चीज रह गयी। फिर सन् ५३ में भी एक विधेयक इस भवन में आया और यहां पर मूव हुआ, वह भी सेलेक्ट कमेटी तक गया फिर उसके बाद ड्राप हो गया--अब ५७-५८ में आपने एक कदम उठाया और प्रसन्नता तो इस बात की है कि आप की सब की सहायता से जो विधेयक पास हुआ है उस पर यह पहला संशोधन विधेयक आया है, जिस पर आप सब ने विचार किया और बड़ा परिश्रम करके उसमें सहायता प्रदान की। हमारे इस सदन में ऐसे भी लोग हैं, जिनका व्यवस्था से सम्बन्ध है, उन्होंने भी और अध्यापकों ने भी और दूसरे लोगों ने जो कि इन्टरेस्टेड थे, इसको सहायता प्रदान की। एजूकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें सभी लोग दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि सभी के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और फिर आज का नागरिक, भले ही वह किसान हो, अपने बच्चे की पढ़ाई में अपनी कमाई का काफी अंश खर्च करता है, तो सभी ने विचार करके, सभी ने सहायता प्रदान करके इस विधेयक को अपने यहां से पारित किया और वह अधिनियम बन गया। उस समय के लिये यह मुझे पूरी तरह से अनुभूति है कि यह कहा गया था कि अपनी माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था के सम्बन्ध में हमें पूरी तरह से और गम्भीरता के साथ विचार करना है। मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है कि अब भी हमें उसको गम्भीरता पूर्वक विचार करना है और उसके कई कारण हैं। मैं उन कारणों में नहीं जाता, जिसमें कि भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाये जाते हैं और इसलिये नहीं जाता हूँ कि मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ कि इस सदन में बैठकर बोर्ड के सदस्यों के ऊपर आरोप लगाऊँ कि वह क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इसको न मैं अपने लिये उचित समझता और न दूसरों के लिये उचित समझता।

दूसरी बात यह है कि कदाचित आप कोई भी नयी व्यवस्था करें उसमें इस प्रकार के दोष नहीं आवेंगे, तो इसकी कोई गारन्टी हमारे पास नहीं है। यह दोषों का आना और दोषों का हटना व्यवस्था के ऊपर निर्भर नहीं करता है, मेरा ऐसा विश्वास है। यह निर्भर करता है मनुष्य के चरित्र के ऊपर, समाज के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, हमारे ऊपर जो संस्कार हैं, उन पर और जो हमारी परम्परायें हैं, उन पर। बोर्ड में कोई बेपढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो लोग उसमें हैं उनका शिक्षा के क्षेत्र से सम्बन्ध है। उसमें अध्यापकों के भी प्रतिनिधि हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय का भी एक आध प्रतिनिधि है, शिक्षा विभाग के लोग उसमें हैं और वह एक पूरी एजेन्सी है और वह सब अपने विचार से काम कर रहे हैं, कोई ऐसे लोग, जिनमें उचित, अनुचित का विवेक न हो, क्या गौरव है क्या अगौरव की बात है, उसे अज्ञात हो, ऐसे लोग उस बोर्ड में नहीं हैं। सभी पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले लोग हैं। और भी प्रतिनिधित्व रखने वाले लोग उसमें हैं, कोई वर्ग विशेष ऐसा नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व उसमें न हो। जो जमींदार आगरा एसोशिएसन और ब्रिटिश इण्डिया एसोशिएसन के लोग उसमें

रहते हैं, उनके लिए अगले कानून में यह किया गया है कि वे उसमें न रहें।...... उसमें वहां पर बहुत से लोगों ने पैसा दिया, दान दिया और उनकी उदारता के कारण ही वह संस्थायें चल भी रही हैं। उनके प्रतिनिधियों को भी आपने हटाया है। जिन लोगों का शिक्षा से सीधा सम्बन्ध है, उनको वहां पर रखा। काफी पढ़े लिखे लोग उस बोर्ड में हैं। श्री हृदयनारायण सिंह जी ने कहा कि वहां पर लोग अपनी जेब भरने के लिये जाते हैं। श्री मदन मोहन जी ने कहा कि वहां पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। मैं भी बहुत सी शिकायतें सुनता रहता हूं। लेकिन उन बातों को यहां पर कहना मुनासिब नहीं है क्योंकि जो बात मैं यहां पर कह दूंगा उसको बाहर चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। इस कारण मैं कुछ अधिक कहना उचित नहीं समझता हूं। मान लीजिये कि वहां पर कोई खराबी है तो केवल यहां पर कह देने से तो दूर नहीं जायेगी, जब तक हम उनको दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपका कहना है कि डिसेन्ट्रलाइजेशन से खराबी दूर हो जायेगी। तो यह एक सोचने की बात है। अगर एक खराबी बड़े स्तर पर है तो वह छोटे स्तर पर भी होगी। इस कार्य को रोकने के लिये हमको दूसरा ही उपाय करना होगा। जब हम कोई व्यवस्था बनाते हैं, तो यह सोचने की बात है कि व्यवस्था हमेशा मनुष्य से ही चलती है। व्यवस्था में कोई प्राण नहीं होता है। उसमें जो शक्ति होती है उसको चलाने वाला मनुष्य ही होता है। जिस प्रकार के संस्कारों द्वारा वह चलायी जायेगी, उसी तरह से वह चलेगी। यह बहुत कुछ मनुष्य पर ही निर्भर है। फिर भी यह सोचने की बात है कि सिद्धान्त की दृष्टि से हमारी शिक्षा का किस प्रकार से प्रसार हो रहा है। उस पर नियंत्रण एक बोर्ड द्वारा हो सकता है या क्षेत्रीय मंडल बोर्ड द्वारा हो सकता है। इस सिद्धान्त को देखना होगा। आज हमारी माध्यमिक शिक्षा का जो स्वरूप है वह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वहां पर छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। वहां पर ढाई या तीन लाख छात्रों की संख्या है और दो हजार संस्थायें हैं, हो सकता है कि साल या दो वर्ष में वह बढ़ कर पांच हजार तक पहुंच जाय। गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के एजूकेशन मिनिस्टर साहब का यह कहना है कि हम अगली तीसरी पंच वर्षीय योजना में शिक्षा का बहुत ही अधिक प्रसार कर रहे हैं और योजना कमीशन भी इस बात से बहुत कुछ सहमत है। संविधान में हम इस अधिकार को स्वीकार कर चुके हैं कि प्राइमरी शिक्षा हर एक को दी जाय। हमारे यहां शिक्षा का प्रसार दिन पर दिन अधिक हो रहा है, इसलिये सम्भव है कि एक बोर्ड से काम न चले और उसकी शाखायें खोलनी पड़ें। ऐसी हालत में डिसेन्ट्रलाइज करना कहां तक सम्भव हो सकेगा, इस पर भी विचार करना है। हम चाहते हैं कि दिन पर दिन शिक्षा का प्रसार अधिक से अधिक हो और हमारे देश में हर नागरिक शिक्षित हो। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको आपने इसी दृष्टि से विचार करना है और इसमें परीक्षक आदि का जहां तक सम्बन्ध है, यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है, बड़ा गम्भीर प्रश्न है और आपको इसे गम्भीरता के साथ ही विचार करना है। श्री मदन मोहन जी श्री हृदय नारायण सिंह जी का समर्थन करने के लिये उठे, लेकिन उनकी कतिपय बातों का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। बड़े विद्वान एक समान विचार व्यक्त नहीं करते हैं, जब कि इसके लिये कहावत है कि सभी बड़े एक समान सोचते हैं। लेकिन ये जो अपने अपने मन के अनुसार बातें कहते हैं, उसमें भिन्नता होती है। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि जब इस प्रकार का गम्भीर प्रश्न हमारे सामने है, तो हमें उतनी ही गम्भीरता के साथ इस पर विचार करना है। हमारे यहां एक व्यवस्था चल रही है। मैं क्रान्ति में विश्वास जरूर करता हूं मगर ऐसी क्रान्ति में विश्वास नहीं करता जो भविष्य में किसी तरह के कार्य का निर्माण न करे। हम एक व्यवस्था चला रहे हैं, तो उसमें बहुत से दोष हैं और बहुत सी भलाइयां भी हैं, तो इन सबके होते हुये जब इतने वर्षों से माध्यमिक शिक्षा का कार्य इस बोर्ड के द्वारा होता है और इसमें इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

होते हैं जब कि दुनियां के किसी भी एक संस्था द्वारा इतने परीक्षार्थी कहीं और सम्मिलित नहीं होते हैं, तो हमें इतनी जल्दी इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर देना चाहिये। मैं तो अपने देश की बात कहता हूँ कि कहीं भी इतनी बड़ी संस्था नहीं है जहां से इतने विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हों और मैं विदेशों के बारे में नहीं जानता हूं। जिस प्रकार से इसका संचालन होता है, उसमें कई त्रुटियां भी हो जाती हैं, कभी कभी पेपर भी आउट हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भी यह संस्था अपना कार्य करती है और इसकी व्यवस्था चलती रहती है, मैं तो इसे चमत्कार की बात ही देखता हूं। इस संस्था को अलग अलग कर देने से या इसका डिसेन्ट्रेलाइजेशन कर देने से ही काम नहीं चलेगा। माध्यमिक शिक्षा की एक एजेन्सी सरकार की चल रही है। इसकी एक्जीक्यूटिव भी है। इसमें बहुत से मेम्बर हैं। इसकी एक्जीक्यूटिव में सरकारी अधिकारी हैं जो कि वहां काम करते हैं। इसमें एक बोर्ड बना दिया गया है जिसमें कि सभी तरह के प्रतिनिधि आते हैं। इसका एक जगह सेन्ट्रेलाइजेशन होने से, एक जगह इसका संचालन कर देने से किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था में लाभ हो सकता है, यह एक ऐसी बात है जिसके लिये कि हमें गम्भीरता के साथ विचार करना है।

श्री हृदय नारयण सिंह जी ने बतलाया कि इसमें बहुत से दोष आ गये हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आपने जो बिल बनाया है, उसमें आपने मैनेजमेंट कमेटी का कोई स्वरूप नहीं बनाया है। आप ने कहा कि अगर अध्यापक निकाल दिया जाय, तो इन्सपेक्टर आफ स्कूल के यहां से इसका निश्चय किया जाना चाहिये, लेकिन यह तो पहले भी है कि बिना इन्सपेक्टर आफ स्कूल के एप्रूवल के उस अध्यापक का डिसमिसल नहीं हो सकता है। आपने कहा कि नान आफिसियल चेयरमैन होना चाहिये। कभी कभी मेरी दृष्टि में भी यह बात आती है कि नान आफिसियल चेयनमैन हो और इस सम्बन्ध में एक प्रयोग भी हुआ। आपने पश्चिमी बंगाल का नाम लिया था, तो वहां पर नान आफिशियल चेयरमैन का प्रयोग हुआ। वहां इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि नान आफिशियल चेयरमैन रखा गया, लेकिन जब यह प्रयोग सफल नहीं रहा, तो उन्होंने फिर आफिशियल चेयरमैन रख दिया। जब हम इस प्रकार का परिवर्तन करें, उसके सारे काँस्टीटयूशन को व उसके पर्सनल को हम परिवर्तित करना चाहते हैं, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कहां पर यह परिवर्तन होना चाहिये और कहां पर नहीं होना चाहिये, इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना है। आपने जो कहा कि एक्जामिनर्स रखे जाते हैं और इसमें अपने आदमियों को फेवर किया जाता है और अनुभव के आधार पर ये नहीं रखे जाते हैं, तो क्या इस तरह की व्यवस्था को हटा देने से और दूसरी व्यवस्था रख देने से यह दोष दूर हो जायेंगे ?। दूसरा बोर्ड बना देने से क्या ये दोष दूर हो जायेंगे ? अब इग्जामिनेशन्स को इससे अलग कर दें तो बोर्ड की आवश्यकता ही क्या है।

वह बड़ी भारी अफीलिएटिंग बाडी की तरह काम करता है। यह सबसे बड़ा काम उसका है। खाली टेक्स्टबुक्स का काम नहीं है। और यह कोई ऐसा आवश्यक काम भी नहीं है। विदेशों में, किसी स्कूल में कौन सी किताब हो, किस विषय में कौन सी किताब पढ़ाई जाये इसके चयन करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। आजतो आप यह कर देते हैं कि दस किताबों की एक लिस्ट दे दी और कह दिया कि इनमें से कोई किताब लेकर पढ़ा सकते हो। विदेशों में तो यह प्रणाली है कि आपको गणित पढ़ाना है तो आप जिस पुस्तक से चाहें पढ़ायें। यह सारा पैट्रनेज यों ही खत्म हो जाता है। हमारे यहां परक्षिा का क्रम है। जो विद्यार्थी बैठता है और उत्तीर्ण होता है उसे हम मान्यता देते हैं। एक क्राइटेरिया हमने रख दिया कि इस प्रकार की कसौटी से जो खरा उतरे वह उत्तीर्ण माना जाये। आप पाठ्य क्रम को सेन्ट्रलाइज करते हैं चलिए एक पैट्रनेज करने का मौका मिलता है। कौन कौन काम इनके जिम्मे रहें कौन न रहें इन प्रश्नों पर हमें विचार करना है। जब कोई निर्णय

आप लें सब बहुत सोच विचार कर के ताकि आप इसको रिप्लेस कर सकें किसी बेटर चीज से। जो चल रहा है उसको हम गिरा दें और उसके स्थान पर हम कोई उत्तम वस्तु न ला सकें तो हानि होने की बहुत बड़ी सम्भावना है। उसकी खराबियां और लाभ हमारे सामने हैं। परन्तु एक प्रयोग हुआ। उस प्रयोग पर उत्तर प्रदेश गर्व भी करता है। अपनी खराबियों के बाद भी पिछली एजूकेशन मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में इस विषय पर बाकायदा बहस हुई कि उत्तर प्रदेश में सेकेन्ड्री शिक्षा का पैटर्न एक ऐसा है जो सारे भारतवर्ष के पैटर्न में विशेषता रखता है इसको टच नहीं करना चाहिए थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स के नाम से। कक्षा आठ और ११ और १२ के बीच में हमने हाईस्कूल का पैटर्न रखा था। थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स के लिए ११ क्लास को तोड़ दिया जाये यह सब ऐसा था जो हमारे चलते हुए प्रयोग को डिस्टर्ब करता था। जब उनके सामने यह बातें आई तो उन्होंने स्वीकार किया कि यू० पी० की सेकेन्ड्री शिक्षा का पैटर्न एक विशिष्ट प्रकार का है जिसको हमें डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी यह थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स चलाना चाहें तो चलायें न चलाना चाहें तो न चलायें।

इसकी खराबियां भी हैं, जैसे प्राइमरी के बाद सीनियर प्राइमरी का कोआर्डिनेशन नहीं। जहां तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है पहले पुरानी पद्धति यह थी कि दर्जा तीन में बच्चा भर्ती करा दिया और १२ तक पढ़ता चला गया। हमने तो शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रबन्ध किया है कि हमारे जूनियर हाईस्कूल इतने खोले जायें जो दर्जा एक से लेकर आठ तक खुलें और खोले हैं हमने। मैं समझता हूं हमारी ऐसी पाठशालायें खुली हैं, दो, चार, पांच सौ खुली हैं जिनमें एक से लेकर आठ तक रखा गया है।

ऐसी सूरत में हमको बहुत गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा और इस दृष्टि से विचार करना पड़ेगा कि हमारे इसके दोष दूर हों और जो स्तर ऊंचा करने की चेष्टा हो रही है उसमें कौन सी पद्धति कौन सा स्वरूप हमें सहायक हो सकता है और जो स्वरूप बने वह आज के रूप से कुछ उत्तम आये। अगर हमने इसको गिराया और इसकी जगह पर उतनी ही मजबूती के साथ कोई दूसरी चीज प्रतिष्ठित न कर सके और अव्यवस्था, उछृंखलता और दूसरे प्रकार के दोष उत्पन्न हुए तो चलती हुई चीज को खराब कर देंगे।

तो यह प्रश्न भी है जिसके ऊपर आपको विचार करना ही होगा। ठाकुर साहब ने जो बिल पेश किया उससे यह लाभ हुआ कि बहुत सी दिशाओं में उन्होंने सुझाव दिये और जब आप विचार करने के लिये बैठें, यह सुझाव एक ऐसे व्यक्ति के हैं जिसने अपना सारा जीवन शिक्षा के लिये दे दिया तो इन पर गौर करें। इस बिल से यह लाभ हुआ और पुराना जो ऐक्ट है उस पर भी बहुत से संशोधन आये, उन पर भी विचार करना है पर इस पर भी विचार करना है। आज बहुत से सुझाव बाहर से भी आते रहते हैं उन सारी चीजों को लेकर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे सुझाव उठाये गये हैं जिनका दिन प्रति दिन शिक्षा विभाग को सामना करना पड़ता है, जो शिक्षा में रोज खड़े होते हैं। इन सब विषयों को लेकर उसके लिये बिल ले आने की आवश्यकता है और वही मैं समझता हूं एक उचित प्रकार होगा और ऐसा कोई व्यक्ति जिसको शिक्षा विभाग के संचालन का उत्तरदायित्व दे रखा है सिवाय इन सुझावों के दूसरे पथ को पकड़ नहीं सकता है। आप कहेंगे कि लावेंगे तो कैसे लावेंगे। मैं कहता हूं कि यह बिल है, एक कमेटी बना दें और फिर वह उस पर विचार करे। यह विचार हमारे सामने है कि क्या हम ऐसी कमेटी आफिशियली बना दें और ६ महीने या साल भर उसकी रिपोर्ट के लिये वेट करें या ऐसा अगर एक आधार ले आवें और जो शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले हैं, जिनको फील्ड का अनुभव है क्योंकि जो बैठ कर काम करते हैं उनको वह अनुभव नहीं होता है जो फील्ड में काम करते हैं, एक

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

शास्त्रीय दृष्टि होती है और जीवन के अनुभव की बात दूसरी होती है तो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो शिक्षा विशेषज्ञ हैं और अगर आप उनको शिक्षा विशेषज्ञ न कहें तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता तो वे हैं ही और उन सब कठिनाइयों से वे परिचित हैं, उन लोगों से विचार किया जाय। इस तरह से एक नान-आफिशियल कमेटी बनाई जाय और तब विचार किया जाय यह प्रश्न भी हमारे सामने है। सरकार पहले इस प्रकार का कोई बिल मूव कर दे और फिर उस पर विचार किया जाय और फिर उसके सारे स्वरूप को निखारने की कोशिश की जाय, यह प्रश्न हमारे सामने है। बहुत कुछ उस दिशा में हमने काम किया। पुराने बिल्स, नये सुझाव, हमारे डिपार्टमेंट ने जिस दिशा में काम किया है उनके सुझाव और यह सुझाव भी हमारे सामने हैं कि अन्य प्रदेशों में जैसे सेकेन्ड्री एजूकेशन चल रही है और गवर्नमेंट आफ इंडिया के सेकेन्ड्री एजूकेशन कमेटी के जो सुझाव हैं उनको सामने रख कर एक विधेयक प्रस्तुत हो। इन तमाम प्रश्नों पर वह गौर करे और फिर विचार हो, वह सेलेक्ट कमेटी के सामने जाय या जैसा कुछ हो और जहां तक एक शिल्पी की भांति उसको गढ़ सकें उसके गढ़ने की चेष्टा करें, तमाम उसके पहलुओं पर विचार करके अगर नया कदम उठ रहा है तो ऐसा कानून बनावे जैसे कि पुराना ऐक्ट है जिससे ३७ वर्ष से काम चल रहा है, संशोधन की भी आवश्यकता हुई परन्तु उसमें संशोधन करने का साहस न हुआ और उसमें सन् १९५८ में संशोधन हुआ। वह साहस विधान परिषद् ने सन् १९५८ में किया। अब कोई ऐसा बनावे जो १०, २० वर्ष इस व्यवस्था का संचालन कर सके। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत है। डिटेल्स की वह सारी बातें जो हमारे माननीय सदस्य ने कही कि डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन कौंसिल बना दी जाय या यह कर दिया या वह कर दिया जाय तो यह ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार हो चुका है। टीचर्स की सिक्योरिटी की बात आप ने रखी, वह आप कर चुके, मैनेजमेन्ट का क्या संगठन या स्वरूप हो इस पर विचार किया जा चुका है जब कि आप ने पहला बिल पास किया था। अब अथाराईज्ड कन्ट्रोलर कुछ नहीं कर सकता, आप ग्रान्ट नहीं बन्द कर सकते रिकाग्नीशन नहीं छीना जा सकता है, तो यह निषेधात्मक दृष्टि है कि यह भी नहीं कर सकते और यह भी नहीं हो सकता तो फिर हो क्या सकता है। यह प्राबलम जैसा कि मदन मोहन जी ने कहा कि ग्रान्ट नहीं बन्द कर सकते क्योंकि टीचर्स का नुकसान होता है, मैं जानता हूं कि होता है। जब सूचना आती है तो इन्सपेक्टर को भेजा जाता है कि ग्रान्ट खोल कर वेतन टीचर्स का उसमें से दे दो। रिकग्नीशन विदड्रा करना कठिन बात है। लेकिन होता है। अभी हमारे माननीय सदस्य हृदय नारायण जी ने कहा कि किसी का रिकग्नीशन बन्द नहीं हुआ, होता है लेकिन रेयर केसेस में। जैसा कि मदन मोहन जी ने स्वयं कहा कि विद्यार्थियों के जीवन से संबंध रखता है। अथाराईज्ड कन्ट्रोलर नहीं हो सकता है क्योंकि पैसे की कठिनाई होती है। यह भी नहीं हो सकता है और वह भी नहीं हो सकता है तो इस तरह से हर चीज के लिये कहने से काम नहीं होता है। यह प्रयोग है। यह भी कहा गया कि जहां जहां कमेटीज हैं वहां क्या होगा वहां भी अथाराईज्ड कन्ट्रोलर है आप फैसला कीजिये कौन सी रुकावट है। आप देखेंगे कि यह ऐसी चीजें हैं एक आध बात को छोड़ कर जैसे कि नानआफिशियल चेयरमैन होना चाहिये और आपने विचार कर लिया है।

मैं तो केवल आपकी आज्ञा से यह प्रार्थना कर रहा था कि यह सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके संबंध में पहले ही सरकार की ओर से कहा गया कि बिल लाने वाले हैं। हाउस में कोई बात कह दी गई कि ऐसा बिल आयगा तो वह आयेगा। मैंने जो कुछ कहा होगा वह किया भी होगा। कुंवर साहब बैठे हैं इनको लखनऊ यूनीवर्सिटी के बारे में संदेह हो गया था लेकिन वह आया।

श्री कुंवर गुरु नारायण---संदेह आप पर नहीं, सरकार पर था।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं ही गवर्नमेंट आपके सामने हूं।

यह कोई चलता खाता नहीं है यह तो फिक्स डिपाजिट है। जो कहते हैं वह करते हैं। एक चीज के लाने में विलम्ब तो होता है। यह कहा जाता है कि १० दिन में आ जाना चाहिये, क्यों नहीं लाये। हमारी दृष्टि में इसलिये नहीं लाये कि यह गम्भीर प्रश्न है और काफी सोच विचार कर इस तरह से लाना चाहिये कि जो हमारी कमियां हैं उनको हम दूर कर सकें और खामियों को पूरा कर सकें। ऐसा प्रबन्ध किया जाय। ऐसा न हो कि दोष को देख कर हम सारे भवन को ही ध्वस्त कर दें और उसके स्थान पर कोई सुन्दर और ठोस चीज न ला सकें। इस तरह से प्रदेश के शिक्षा और शैक्षिक जीवन की हम सेवा न कर सकेंगे, बल्कि हानि होगी। इस तरह से विचार कर रहे हैं। मैंने दो एक बार आप लोगों से और अपने अध्यापक बन्धुओं से कहा भी था कि हम यह सोच रहे हैं कि हमारी रूपरेखा बन जाय तो फिर हम बिल लायें। कुछ आधार होना चाहिये विचार करने के लिये। अगर रूपरेखा बन गई तो जो हमारा अध्यापक समुदाय है उनके सामने रखेंगे कि वह उस पर विचार करें और अपने सुझाव दें। उन सुझाओं को लेकर फिर हम बिल को यहां लायेंगे। उसको वैसे ही नहीं पास कर लिया जायगा। दोनों सदनों की प्रवर समिति के सम्मुख भी वह रखा जायगा। सार्वजनिक जीवन के मंचों पर भी उस पर विचार होगा। हमारे समाचार स्तंभ भी सोच समझ कर उस पर अपनी टिप्पणियां देंगे। जब इस प्रकार से उस पर विचार हो जायगा तभी हम कोई ऐसा बिल पास करने में समर्थ हो सकेंगे जो कि इससे अधिक उपयोगी, इससे अधिक उपयुक्त और इससे अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा। वह इससे अधिक हमारी समस्यायों को सुलझाने में योग्य होगा। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि मैं श्री हृदय नारायण सिंह जी से प्रार्थना करूं कि जैसे वह मेरा पहिले भी विश्वास करते रहे हैं उसी प्रकार इस समय भी विश्वास करके इसको इस समय वापस लेने की कृपा करेंगे हमको कुछ आपके सवालों से छुट्टी मिले तो इस प्रकार का बिल बनाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय इंटरमीडियट शिक्षा के संबंध में जो यह विधेयक है, उसके संबंध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। श्रीमान्, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस विधेयक के द्वारा कई ऐसी बातें हमारे सामने आई जिन पर कि हमको विचार करना चाहिये। माननीय मंत्री जी भी जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने भी इससे फायदा उठाने की बात कही। एक बात जो इस विधेयक में कही गई है वह यह है कि एक नान आफिशियल चेयरमन हो और उसका वेतन भी निर्धारित किया गया है। मैं भी अपनी जगह पर यह समझता हूं कि यह एक ऐसा सुझाव है कि इसके ऊपर विचार होना चाहिये यह एक प्रोग्रसिव स्टप होगा इंटरमीडिएट एजूकेशन के संबंध में। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इस विधेयक में है वह यह है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की ओर संकेत किया गया है। मैं डिस्ट्रिक्ट कौंसिलस के कांस्टीटयूशन की तरफ नहीं जाता लेकिन यह सही है कि जब हम पावर डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा हो कि हम इसको डिसेन्ट्रलाइजेशन आफिसर्स के जरिये से करें और उसको छोटे-छोटे आफिसर्स में करें। हम अगर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स में कर दें तो ज्यादा अच्छा हो। इसमें बहुत सी सुविधायें होंगी और बहुत सी हमारी समस्यायें हल हो जायेंगी। यह भी एक बहुत अच्छा सुझाव है और मैं समझता हूं कि इससे बहुत कुछ परेशानी दूर हो जायेगी। जहां तक इन्टरमीडिएट एजूकेशन का सम्बन्ध है मैं तो इस राय का हूं कि कभी भी कोई फूलप्रूफ अधिनियम नहीं बन सकता है। जो लोग शिक्षा संस्थाओं को चलाते हैं उन पर यह आश्रित है। जिन्होंने वर्षों से कार्य किया है उनका कान्स्टीटयूशन बहुत अच्छा रहा है। कुछ दोष अवश्य है और उन दोषों को आप कह लीजिये। उसमें पुस्तकों के पैट्रोनेज की जो बात कही गई और मैनेजमेन्ट के सम्बन्ध में जो बात कही गई तो कहीं पर भी जहां अच्छा से अच्छा विधेयक होगा वहां पर भी ये दोष रहेंगे। जो व्यक्ति संचालित करते हैं वे अच्छे नहीं होंगे तो वहां

[श्री कुंवर गुरु नारायण

पर कार्य अच्छा नहीं हो सकता है। जबतक हमारे समाज का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक यह अच्छा नहीं हो सकता है। एक प्रयोग सरकार ने किया और हमने एक विधेयक बनाया। मैं इसको पसन्द नहीं करता हूं कि हम जल्दी जल्दी एक कानून को चेन्ज करें और सरकार की तरफ से भी ऐसा ही सुझाव है। जो पिछला विधेयक हमारे सदन के सम्मुख आया था तो उससे मालूम हुआ कि सरकार एक कम्प्रेहेन्सिव बिल सदन के सामने लाने वाली है। कुछ अध्यापकों को सेलरी देन का सवाल आया तो लेजिस्लेशन लाया गया ताकि शिक्षक वर्ग में काफी संतोष हो जाय। उस वक्त यह कहा गया कि यह ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है कि इसके बाद कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी। इस आधार पर जब कम्प्रेहेन्सिव बिल आये तो हम उस पर विचार करेंगे। मैं अध्यापक भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी तरफ से ऐसी मांग आती है कि सरकार की तरफ से कमीशन बैठा दिया जाय और कमेटी बैठा दी जाय और वह अपनी रिपोर्ट दे। मैं समझता हूं कि हमको यह प्रवृत्ति बदलनी चाहिये। अगर किसी चीज के लिये हमको कोई कार्य करना है और अगर सरकार उस कार्य को नहीं करती है तो हम सरकार से उस चीज के लिय खुशामद न करें कि आप कमीशन बैठावें, बल्कि जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से और जिम्मेदार क्लास की हैसियत से इस कार्य को उठाकर प्रस्तुत करना चाहिये और अपना सुझाव तथा अपनी रिपोर्ट को सरकार के पास भेजना चाहिये और फिर गवर्नमेन्ट को मौका देना चाहिये कि गवर्नमेन्ट उस पर विचार करे। सेकेनडरी एजूकेशन एशोसिएशन है तो उसके अध्यापक भी एकत्रित होकर कंसालिडेटेड फार्म में माध्यमिक शिक्षक के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट को सालभर में या छ महीने में तैयार करके सरकार के पास भेजें लेकिन आज भी मैं देखता हूं कि माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में झगड़ा रहता है। मैनेजमेन्ट और अध्यापकों के बीच में असंतोष पाता हूं। यह बड़ी गलत चीज है। ये लोग एक ऐसे कार्य में लगे हैं जिससे राष्ट्र का मस्तक ऊंचा उठता है। अपने राष्ट्र को किस तरह से शिक्षा दें इस पर इनको विचार करना चाहिये। अगर ऐसा हो सके कि टीचर्स और मैनेजमेन्ट के लोग सभी लोग एक विस्तृत कान्फ्रेंस में बैठें और बैठकर हर दृष्टिकोण से माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में विचार करके अपनी रिपोर्ट दें तो बहुत सी जो आपस के एक दूसरे के प्रति झगड़े की बातें हैं वे दूर हो जायेंगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस मौके पर जो भी सुझाव इस विधेयक में आये उनके साथ ही साथ मैं यह चाहता हूं कि बजाय इसके कि अभी जब हृदय नारायण सिंह जी का विधेयक पेश हुआ तो मदन मोहन जी ने इसके प्रतिकूल अपने विचार प्रकट किये। यह सब चीज एक ही एसोसिएशन के जरिये से आती तो इसका ज्यादा महत्व होता। चूंकि माननीय मंत्री जी ने इस बात का आवश्वासन दिया है कि एक कम्प्रीहेंसिव बिल आने वाला है तो इस बीच में जो साल ६ महीने का अवसर प्राप्त होता है। अगर इस बीच में जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं वे बैठकर एक यूनिफार्मिटी के साथ अपने डिवीजन्स ले लें तो बहुत फायदा होगा। जिस भावना से प्रेरित हो कर हृदय नारायण जी ने विधेयक रखा है उसकी सराहना की जायगी। जब एक कम्प्रीहेंसिव बिल आने वाला है तो इसकी कोई अधिक आवश्यकता नहीं है। उनके सुझावों पर आगे विचार कर लेंगे।

(इस समय ४ बजे श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन पुनः ग्रहण किया।)

*श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—मैं शिक्षा मंत्री जी से सूचनार्थ एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री चेयरमैन—उन्होंने अपना भाषण दे दिया। जब वे बोल रहे थे तभी आपको पूछना चाहिए था। अब आप ऐसा करें कि बोलें आखिर में वे उत्तर दे देंगे।

श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री हृदय नारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता था लेकिन मुझे सूचना

मिल जाती कि शिक्षा मंत्री जी वह कम्प्रिहेन्सिव बिल ६ महीने में ले आयेंगे या साल भर में ले आयेंगे तो इस चीज को दृष्टि में रखकर इस प्रस्ताव को वापस लिया जा सकता है। यदि ६ महीने या ८ महीने का समय होता तो मैं समझता कि वह चीज आ रही है। इसने समय के लिये यह प्रस्ताव वापस ले लिया जाय। कुछ और बातें हैं जो मैं शिक्षा मंत्री जी के सामने और सदन के सामने रखना चाहता हूं। वास्तव में शिक्षा की समस्या एक बड़ी समस्या है और उस पर विचार करने के लिये एक समिति की आवश्यकता है चाहे वह प्राइमरी से लेकर युनिवर्सिटी शिक्षा तक एक साथ बैठकर विचार करें और उसके प्राइमरी अंग, माध्यमिक अंग और युनिवर्सिटी अंगों पर अपनी रिपोर्ट दे। यदि शिक्षा के स्तर को उठाना है, बच्चों के अंदर जो अनैतिकता बढ़ रही है उसको दूर करना है और शिक्षा उपयोगी बनाना है तो यह आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ११ वर्ष व्यतीत हो गये। हमारी पढ़ाई और शिक्षा का स्तर गिरने से शिक्षा की ऊंची व्यवस्था न होने से समाज चौपट होता हुआ दिखाई देता है। यह अध्यापकों के लिये बड़े दुख की बात है और देश के लिये और सारे समाज के लिये दुख की बात है और विचार करने की बात है इसलिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इस पर विचार करने के लिये जो समिति की स्थापना के लिये हृदय नारायण जी ने प्रस्ताव उपस्थित किया है उसको मान लिया जाय और विचार करने का मौका दिया जाय।

माध्यमिक शिक्षा शिक्षा की रीढ़ है लेकिन मंत्री जी ने कहा कि वह तो शिक्षा का हृदय है। मैं तो इस को रीढ़ ही मानता हूं। बात एक ही है लेकिन अवश्य मैं अब अनुभव करता हूं कि यह समय नष्ट न किया जाय और इस समिति के द्वारा इस पर विचार करने का मौका दिया जाय। इस समिति की रिपोर्ट यदि शिक्षा मंत्री जी आवश्यक समझें और आवश्यक समझना चाहिए, तो उस अपने कम्प्रेहेन्सिव बिल को लाने के समय विचार करें और उन बातों को जो कि माध्यमिक शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिये आवश्यक हैं उनको उसमें सम्मिलित कर लें। वास्तव में आज जो इन्टरमीडिएट विधेयक हमारी सरकार लायी है वह वास्तव में जो अध्यापकों के लिये सिक्योरिटी आफ सर्विस का प्रश्न है उसको हल करने में कुछ आगे बढ़ता मुझे विशेष नहीं दिखाई देता है। वास्तव में जो इसका आर्थिक पहलू है वह इतना जटिल है कि उसके बिना मैं समझता हूं कि शिक्षा की कोई सुव्यवस्था अच्छे रूप में नहीं हो सकती है। प्रायः देखा जाता है कि जिस काम को करने के लिये एक रुपया की आवश्यकता है उस कार्य को चार आने में ही करा लिया जायेगा तो वह चार आने भी बेकार जायेंगे। वास्तव में माध्यमिक शिक्षा के ३०० से ऊपर ही विद्यालय हैं जिनको कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है। यदि वहां पर अध्यापकों को अधिक वेतन पर हस्ताक्षर करना पड़ता है और उनको कम वेतन दिया जाता है तो मैनेजिंग कमेटी यह अनुचित काम करती है। अगर इस तरह की किसी की शिकायत की जाय तो आप अधिक से अधिक यह कर सकते हैं कि कोई अयराइज कन्ट्रोलर नियुक्त कर देंगे। लेकिन जो उसका आर्थिक पहलू है वह किस तरह से हल किया जायेगा। इस पहलू को तो सरकार को हल करना होगा। वास्तव में यह है कि जो समिति बैठेगी वह शिक्षा के साधनों को सम्पूर्ण रूप से विचार करेगी और चूंकि हमारे यहां पर डेमोक्रेसी है इसलिये कहीं से रुपया तो मिलने वाला नहीं है, जमींदारियां समाप्त हो गयी हैं, उद्योग धन्धे चलाने वाले पूंजीपतियों पर टैक्स ढेरों लग गये हैं उनसे भी रुपया मिलने वाला नहीं है तो इस कार्य के लिये सरकार को ही रुपया जुटाना होगा। हमारी दूसरी पंच वर्षीय योजना में कहा गया है कि शिक्षा के महत्व को देखते हुये यह बहुत ही आवश्यक है कि शिक्षा में सुधार किया जाय और आर्थिक कठिनाइयों के कारण इसको टाला न जाय। इसलिये कहा गया है कि शिक्षा के लिये एजूकेशन सेस लगाया जाय। यह सेस अवश्य लगाया जाय लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर न लगा कर जो उच्च वेतन पाते हैं और पूंजीपति वर्ग के लोग हैं उन पर लगाया जाय। इससे

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित]

जो अर्थ की बड़ी भारी कमी है वह किसी अंश में पूरी होगी और सरकार के हाथों को मजबूत करेगी। यदि सरकार ऐसी संस्थाओं से अपना हाथ अलग कर ले और कहे लीजिये आप इस संस्था को चलाइए तो कम से कम वह अपने अर्थ के दायित्व को ले सके। अन्यथा यह जो माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न है वह पूरा नहीं हो सकता है। मैंने भी एक शिक्षक के नाते इस पर विचार किया है और मैं यह समझता हूं कि यदि शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पर नियंत्रण हो। आदर्श कक्षा उसको समझा जाता है जिसमें २५ विद्यार्थी हों, लेकिन अगर २५ के स्थान पर ५० विद्यार्थी एक कक्षा में रहेंगे तो वह इस अनुपात से दो कक्षाओं के बराबर है। और उसमें शिक्षक को पढ़ाने के लिये भी ड्योढ़ा समय देना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में पाँच पीरियड पढ़ाना पड़ता है तो प्राइवेट स्कूलों में सात-सात और आठ-आठ पीरियड पढ़ाने पड़ते हैं एक अध्यापक को। टीचर की तनख्वाह दो तिहाई है और फिर इस मंहगाई के जमाने में भी उनको मंहगाई भत्ता कहीं तीन रुपये, कहीं पांच और कहीं ८ रुपया मिलता है, इस कारण अध्यापक मजबूर होता है दर दर जाकर ट्यूशन करने के लिये, ताकि वह किसी तरह से अपने बच्चों का उदर पोषण कर सके। जबतक इन अध्यापकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी शिक्षा का स्तर आपका कभी भी नहीं सुधर सकता है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के प्रति भी मेरी शिकायत है और वह यह है कि शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों के ऊपर विशेष देखभाल या किसी प्रकार का नियंत्रण रखने में असमर्थ रहता है।

अभी मदन मोहन जी ने एक टीचर का केस रखा कि १६ महीने हो गये, उस टीचर के पक्ष में आर्बिट्रेशन बोर्ड का फैसला हो गया, लेकिन चूंकि मैनेजमेंट के पास शक्ति है, उसके पास पैसा है, उसने हाई कोर्ट में अपील कर दी है, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह अध्यापक बेचारा बड़ा परेशान है, तो उसको त्राण कैसे मिले। इसी प्रकार से हमीरपुर जिले के एक अध्यापक का मामला है, इन्सपेक्टर ने अपना निर्णय दे दिया कि इसको रिएन्स्टेड कर देना चाहिये, लेकिन वह ६, ७ महीने से परेशान है। जब हम लोगों के सामने मामला आता है तो हम उसको लिख कर भेजते हैं, एक महीने के बाद उत्तर भेजते हैं कि पत्र मिला, विचार हो रहा है। ऐसी अवस्था में जब कि टीचर, संत्रस्त है, संतप्त है, त्रसित है विक्षुब्ध है। तो उसका परिणाम शिक्षा पर पड़ता है जिसके कारण नुकसान हमारे अपने बच्चों का होता है। इसलिये शिक्षा के ऊपर सम्पूर्ण रूप से शीघ्र से शीघ्र विचार करने की आवश्यकता है, इसमें समय गवाने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर दूसरे देशों की तरफ दृष्टिपात करें, जैसे कि चाइना की रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं जब कि चाइना हमारे ही साथ स्वतंत्र हुआ है कोई हमसे बहुत पहले नहीं स्वतंत्र हुआ है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--१९१२ में चाइना में रिपब्लिक हुआ।

श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित--मैं उस चाइना की बात नहीं बल्कि इस चाइना की बात कर रहा हूं जो कि अब बना है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसा क्यों नहीं कहते कि जब से तानाशाही वहां पर कायम हुई है।

श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित--शिक्षा के सम्बन्ध में तो मैं कम से कम उसको तानाशाही नहीं मानता हूं। जो यहां से कमीशन गया था उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि होल चाइना गोज टु स्कूल। बच्चे वहां पर किस हालत में जाते हैं। अगर आप जाकर देखें कि यहां के बच्चे किस तरह से रहते हैं। जरा आप चाहे प्राइमरी स्कूलों में चले जायं, माध्यमिक स्कूलों में जाकर देखिये, वहां बच्चों के चेहरों को देखिये, उनके कपड़ों को देखिये

कि किस तरह से फटे हाल वे रहते हैं तो आपको मालूम हो जायेगा कि आपका देश कहां है। यह शिक्षा जो यहां पर चल हो रही है वह दो प्रकार की है। एक तो उन लोगों के लिये है जो कि विशेष आर्थिक व्यवस्था वाले लोग हैं और दूसरे जनता जनार्दन के लिये है उनके बच्चों के लिये है, जिनकी सेवा करने का आप और हम दम भरते हैं। सरकार के लोग और दूसरे बड़े बड़े लोग जो कि अपने को जनता का सेवक कहते हैं, अपने बच्चों को लोरेटो और कनवेन्ट में भेजते हैं, वे अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं भेजते जहां पर जनता जनार्दन के बच्चे पढ़ते हैं। दूसरी तरफ जनता जनार्दन के बच्चे पढ़ते हैं और उनके माता पिता अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो उनके मां बापों से पूछ लीजिये और यदि बच्चों में अपने भाव व्यक्त करने की वाणी होती तो शायद वह स्वयं भी कह सकते। ऐसी हालत में इस पर विचार अवश्य और अविलम्ब होना चाहिये और जो प्रस्ताव श्री हृदय नारायण सिंह जी ने समिति बना करके उसके विचार के लिये रखने का रखा है, उसको मान लेने में मेरे ख्याल में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं हृदय नारायण सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मेरे ख्याल से सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि वह मौका कम से कम शिक्षा के लिये मिलना ही चाहिये।

श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो मेरे बोलने की बहुत ही कम आदत है लेकिन फिर भी जब शिक्षा का विषय आता है तो कुछ न कुछ मेरा बोलने का धर्म होता है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद तो बोलने की और भी कम आवश्यकता रह जाती है, लेकिन फिर भी मैं कुछ सुझाव देना जरूरी समझता हूं, क्योंकि मैं इन्टर बोर्ड का एक बहुत ही पुराना सदस्य हूं। मैं गन्दगियों में न जा कर कुछ बातें कह देना जरूरी समझता हूं। मैं सदन का अधिक समय नष्ट नहीं करूंगा। केवल दो चार बातें ही माननीय अध्यक्ष महोदय आप के द्वारा शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं। माननीय गौड़ जी का कहना ठीक है कि हमारे सामने सबसे मुख्य प्रश्न यह है कि परीक्षा को इतना महत्व दिया जाये या नहीं। परीक्षा को अधिक महत्व देने से बहुत सी ख़राबियां पैदा होती हैं। लेकिन फिर भी यह समझ में नहीं आता है कि परीक्षा को किस प्रकार से समाप्त किया जाय। हम लोग बहुत समय से परीक्षा में पले हुये हैं। यह कहा जाता है कि अगर परीक्षा नहीं होगी तो पढ़ाई ठीक से नहीं होगी। लड़के-शिक्षक और भी ज्यादा आजाद हो जायेंगे। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक न एक दिन हमको यह कदम उठाना ही पड़ेगा। इन्टर बोर्ड में भी एक प्रस्ताव पास किया गया है कि २० परसेन्ट नम्बर शिक्षक ही दिया करें। इस कदम को उठाने का बोर्ड ने प्रयत्न किया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने भी शिकायतें आती हैं कि मास कापिंग होती है। संस्थाओं पर यह जोर दिया जाता है कि अगर नतीजा अच्छा नहीं होगा तो ग्रान्ट कट बन्द कर दी जायेगी। रिकग्नीशन नहीं मिलेगा। अगर नतीजा खराब होता है तो लड़के नहीं आते हैं और इससे अध्यापकों को वेतन मिलने में कठिनाई होती है। हम लोग रात दिन इसमें लगे रहते हैं कि नतीजा अच्छा हो कुछ शिक्षक पढ़ा कर नतीजा अच्छा करते हैं और जिनमें पढ़ाने की कमजोरी है वह दूसरे उल्टे सीधे तरीके से नतीजा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—क्या ऐसी बात भी है?

श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव—ऐसी बात है या नहीं यह तो मैं ठीक से नहीं कह सकता हूं। एक्जामिनेशन कमेटी का सदस्य हूं, इसलिये इस प्रकार के बहुत से केस आते हैं। माननीय मंत्री जी के सामने भी आते होंगे। आज इस बात की जरूरत है कि परीक्षा का महत्व कुछ कम करना चाहिये। आज हर शिक्षक तथा और दूसरे लोग यही कहते हैं कि यह शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं है वह ठीक नहीं है। लेकिन कोई ठोस सुझाव नहीं दे पा

[श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव]

रहा है कि शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किया जाय। आज तक जो सुधार हुये हैं, वह कुछ अधिक सुधार नहीं कहे जा सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि सुधार कम हुये हैं और खराबियां अधिक हुई हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के इस सद उपदेश से सहमत हूँ कि हम को ऐसा कदम उठाना चाहिये जो गलत न हो। अंग्रेजी के लिये क्या हो और कौन सी किताब वहां रखी जाय, ऐसे काम नहीं चलता है। होना यह चाहिये कि ४.५ वर्ष तक किसी भी प्रणाली का ट्रायल हो, तभी उस रिफार्म को स्कूलों में इन्ट्रोडयूस किया जाय। माननीय गौड़ जी ने बात कही कि हमें पहले परीक्षा के सम्बन्ध में निश्चय करना पड़ेगा, तो मैं उन की इस बात से सहमत हूं। माननीय मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिये। वैसे मैं विदेशों में गया नहीं, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि परीक्षा के ऊपर इतना ज्यादा जोर देने से खराबी ही होगी। अब समय आ गया है कि इसमें सुधार किया जाय। किताबों में पैट्रोनेज है, एक्जामिनरशिप देने में पैट्रोनेज है, तो यह सभी जगह होता है। पहिले आठवीं कक्षा तक पुस्तकें इन्टर बोर्ड की करीक्यूलम कमेटी चुन ली थी, कहा गया कि वहां रुपया चलता है। फिर विभाग के अफसरों को यह काम दिया गया, तो वहां भी यहां खराबी बताई है, कॉग्रेस गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अधिकारी नियुक्त किया, तो वहां भी खराबी बताई गई, तो फिर क्या किया जाय। जहांतक किताबों का सम्बन्ध है, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि किताबें प्रिसक्राइब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप कोसेज प्रिसक्राइब कर दीजिये कि किताबें भिन्न भिन्न स्कूलें अपना चुन लें। यदि कोई किताब इस तरह से पैट्रोनाइज करके रख भी दी गई, तो उसके पढ़ने से लड़के भी खराब निकलेंगे और कुछ वर्ष बाद वह किताब कम्पटीशन में स्टैन्ड नहीं कर सकेगी। लेकिन मेरा कहना है कि आप किताबों को प्रिसक्राइब करना छोड़ दीजिये, कोंसिज ही प्रिसक्राइब कीजिये।, इस तरह से कम्पटीशन में जो किताबें मुनासिब होंगी, वे ही रह पायेंगी। एक्जामिनर्स के लिये कहा जाता है कि उनमें पेट्रोनाइज होता है, यह ठीक है, इसमें सन्देह नहीं है, लेकिन कोई माननीय सदस्य मुझ से कहें, तो मैं साधु नहीं हूं, मुझ पर भी असर पड़ता है। लेकिन ५ खजार एक्जामिनर्स हैं और ३५ सदस्य हैं, तो कहांतक पेट्रोनेज होगा। कहा गया कि एक्जामिनर्स के लिये सिनायरिटी, नहीं होती, जूनियर लोग परीक्षक हैं, हो जाते हैं। कोई भी परीक्षक नियम के विरुद्ध नहीं हो सकता है। रजिस्ट्रार परीक्षा विभाग में इस तरह से सीनियरिटी से परीक्षक नहीं होते हैं। इसके लिये सैकड़ों क्लर्क होने चाहिये जो सीनियारिटी और जूनियारिटी फिक्स करें। माननीय मंत्री जी सोचें कि इस के लिये कौन सा तरीका उचित है। मैं इन्टरमीडियेट बोर्ड का मेम्बर हूं यदि वहां खराबी है, तो आप सरकारी अधिकारी मुकर्रर कीजिये और उसके हाथ में परीक्षक बनाना सौंप दीजिये। यह प्रश्न नहीं है कि अमुक व्यक्ति खराब है, प्रश्न यह है कि पालिसी क्या है। किस पालिसी के अनुसार शिक्षा में सुधार होगा। पहले हमें इसके बारे में तय कर लेना है कि परीक्षा का क्या महत्व है, हमारे सामने शिक्षा का क्या उद्देश्य है, गवर्नमेंट को शिक्षा में किस विषय को कितना पढ़ाना है। अंग्रेजी और हिसाब को किस तरह से पढ़ाना है, इन सब बातों पर सोच विचार किया जाय, तभी कुछ सुधार हो सकता है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--सुधार में भी खराबी हैं।

श्री शिव कुमार लाल श्रीवास्तव--खराबियां भी हैं और सुधार भी हो सकते हैं। हमें तथा सदन को यह सोचना है कि किस तरह से सुधार हो।

कहा गया है कि बोर्ड का चेयरमैन नान आफिसियल हो। हमारे सामने नान आफिसियल चेयरमैन का अनुभव भी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में और म्युनिसिपल बोर्ड में नान आफिसियल चेयरमैन रहे, फिर भी इस तरह की शिकायतें हैं कि वह खराबी रही। अगर

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

इन्टरमीडिएट बोर्ड में नान आफिशियल चेयरमैन होगा, तो भी खराबी होगी। लेकिन यह जरूरी है कि होल टाइम चेयरमैन हो। अध्यक्ष महोदय, ड्यूल गवर्नमेंट में कहीं भी सफलता नहीं मिलती है। चेयरमैन पूरे समय के लिये होना चाहिये, लेकिन वह चेयरमैन बिल्कुल इन्डीपेन्डेन्ट न हो। डाइरेक्टर आफ एजूकेशन की देख-रेख में बोर्ड का चेयरमैन काम करे जिससे दोहरे प्रबन्ध के कारण अशान्ति न हो।

चूंकि एक कम्प्रीहेन्सिव बिल आने वाला है इसलिए सब दृष्टिकोण में नहीं रख रहा हूं। रीजनल बोर्ड हो या न हो, हमारे सामने एक अनुभव है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जूनियर हाईस्कूल का इम्तिहान एक केन्द्र से होता था, रजिस्ट्रार एक्जामिनेशन्स लेते थे, वह अब डिस्ट्रिक्ट में हो गया, डिसेन्ट्रलाइज हो गया। मैं समझता हूं कि जितने शिक्षक बन्धु यहां उपस्थित हैं और आप में से भी जिन का सम्बन्ध जूनियर हाई स्कूल से है, जानते होंगे कि इस से खराबी ही हुई है। कुछ अच्छाई नहीं हुई। हां, यह जरूर है कि रीजनल बोर्ड से थोड़े इक्जामिनेशन होंगे काम थोड़ा हो जायेगा। लेकिन पालिसी डिटर्मिन करने के लिए केन्द्रीय बोर्ड होना चाहिए।

मैं समझता हूं कि जब शिक्षा मंत्री जी से आश्वासन मिल गया है तो प्रस्तावक महोदय अपने विधेयक पर जोर न देकर वापस ले लेंगे।

*श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल) (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—जनाब चेयरमैन साहब, जिस खूबसूरती और सादगी के साथ अपने खयालात का इजहार शिक्षा मन्त्री जी ने इस एवान में किया और सरकार की पालिसी जो सेकेन्ड्री और इन्टरमीडियेट एजूकेशन के मुताल्लिक है उसके ऊपर रोशनी डाली तो मेरा खयाल था कि उसके बाद श्री हृदय नारायण सिंह जी को जरूर इस बात का इत्मीनान हो जायेगा कि सरकार का ध्यान इस तरफ बहुत ज्यादा है और जल्द ही एक ऐसा कानून लाया जायेगा जिससे जो कठिनाइयां इस एजूकेशन के सम्बन्ध में हैं वह दूर करने की कोशिश की जायेगी। इसमें कोई शक नहीं कि जो सेकेन्ड्री एजूकेशन है, हमारे सूबे में खास तौर से, यह कोई मामूली चीज नहीं है और कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बहुत आसान तरीके से हल हो जाये। जैसा कि कहा गया है इन्टरमीडिएट बोर्ड ३६ साल से चल रहा है और बार बार इसके मुताल्लिक यह खयाल पैदा हुआ है कि इसमें जरूर कुछ न कुछ तरमीमें होनी चाहिए ताकि हमारे सूबे की तालीम में कुछ सुधार किया जाये।

जनाबवाला, जब हमारे सूबे में सन् १९३७ ई० में सबसे पहले हुकूमत की बागडोर कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ली थी उस वक्त सबसे पहला काम हमारे सूबे के शिक्षा मन्त्री जी ने किया था कि उन्होंने इन सवालों पर गौर करने के लिए एक कमेटी बैठाई थी। शर्मा जी उस वक्त शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने बहुत गौरखौज के बाद इस चीज के लिए एक कमेटी बैठाई थी। उस कमेटी ने काफी दिनों तक इन बातों पर गौर किया, मैं भी उस कमेटी की मेम्बर रही और उसने बाद में यही तय किया कि सेकेन्ड्री एजूकेशन बोर्ड जो है इसमें तरमीम होना चाहिये लेकिन इसका रहना बहुत जरूरी है। मेरा भी ताल्लुक इन्टरमीजियेट बोर्ड से रहा है और मुझे उसकी वर्किंग भी मालूम है, कुछ इन्टरमीजियेट स्कूल्स हैं जिनसे मेरा ताल्लुक है इसलिये मैं जानती हूँ कि क्या क्या दुश्वारियां न सिर्फ गवर्नमेंट के सामने बल्कि स्कूलों के सामने भी आती रहती हैं। मैं ज्यादा वक्त न लूंगी क्योंकि इन तमाम बातों पर थोड़ा बहुत पहले जब एजूकेशन का मसला पेश हुआ था तो विचार हो चुका था लेकिन आज जिस खास मसले के ऊपर गौर किया जा रहा है उसमें मेरा यह कहना है कि यह ऐसा आसान सवाल नहीं कि यह समझा जाय कि इस छोटे से अमेन्डिंग बिल से वह तमाम खराबियां दूर हो जायेंगी जिनका जिक्र हृदय नारायण सिंह ने किया है। इतना अहम मसला इस छोटे से बिल से फैसल नहीं किया जा सकता है। मैं तो यह समझती हूँ कि जब तक गवर्नमेंट एक ऐसा कम्प्रेहेन्सिव बिल न लावे जिसके

[श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल)]

जरिये से यह तमाम खराबियां दूर हो सकें तब तक यह छोटे बिल बेकार हैं। इस तरह के छोटे छोटे बिल लाना गैर मुनासिब है और उनसे वह मसले हल नहीं हो सकते जो हम मेम्बरान के सामने है। कानून चाहे कोई बन जाय, कमेटी चाहे कोई बना दी जाय, कमीशन चाहे कोई मुकर्रर हो जाय या बोर्ड्स तबदील कर दिये जायँ लेकिन अस्ल चीज यह है कि न कोई सरकार और न कोई कानून या इंसान किसी के कैरेक्टर को बेहतर बना सकता है जब तक कि हम खुद अपनी जिम्मेदारियों को न समझें और अपने बच्चों के दिलों में वह तमाम उसूल न रखें जिन पर चल कर हम अपने मुल्क की खिदमत कर सकते जब तक हम खुद, हम खुद से मेरा मतलब है कि अध्यापक लोग और जिनका जिम्मा तालीम से है जब तक वह लोग अपनी जिम्मेदारी न महसूस करेंगे और वह जब तक अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते तब तक ख्वाह कोई सरकार हो, कोई कानून हो कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी कानून परफेक्ट नहीं बन सकता है। अभी एक मेम्बर साहब ने कहा कि पैट्रोनेज होता है और दूसरी खराबियां है तो यह सब खराबियां इस छोटे से बिल से दूर कभी भी नहीं की जा सकती है।

श्री चेयरमैन--हम लोगों को इसे आज खत्म करना है।

श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल)--मैं २ मिनट में खत्म कर दूंगी।

तो, जनाबवाला, मुझे यह अर्ज करना है कि यह सब चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत गौर-खौज की जरूरत है। हायर सेकेन्ड्री एजूकेशन मामूली सवाल नहीं है क्योंकि इसमें जितने इन्सटीट्यूशंस हैं वह सब गवर्नमेंट के चलाये हुए नहीं हैं। उसमें एडेड और प्राईवेट की ज्यादा तादाद है और उनकी भी कठिनाइयां हैं जिनकी ओर गवर्नमेंट को ख्याल रखना है। और मुल्कों में इंगलिस्तान और अमेरिका में जो इस तरह से इन्सटीट यूशंस हैं वह बिजिनेसमैन और बड़े बड़े लोगों के हैं और उन्हीं की राय से वह इन्सटीट्यूशन चलते हैं। कैरीकुलम और मैनेजमेंट में उन्हीं की राय चलती है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने फरमाया कि हमारे मुल्क में जो आर्थिक पालिसी चल रही है सोशलिस्टिक स्टेट बन रही है उसमें प्राईवेट लोगों के लिये गूंजाइश नहीं है कि वह इन इन्सटीतूयूशंस की कोई मदद कर सकें इसलिये जो प्राइवेट इन्सटीट्यूशंस हैं उनमें भी गवर्नमेंट को मदद करना है ताकि वह कायम रह सकें। इसलिये, जनाबवाला, मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो अन्डरटेकिंग शिक्षा मंत्री जी ने दी है कि वह ऐसा बिल लाने वाले हैं। जिससे तमाम कठिनाई दूर हो जायेगी और इसमें शक नही कि बोर्ड आज ३६ साल से काम कर रहा है बावजूद तमाम दिक्कतों के और खराबियों के उस चीज को उस वक्त तक नहीं बन्द करना चाहिये जब तक कोई बेहतर तसवीर हम न ले आयें। और मैं श्री हृदय नारायण सिंह जी से यही कहूँगी कि इस वक्त जो बिल उन्होंने रखा है वह विदड्रा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई न कोई बेहतर कदम उठाया जायेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय श्री हृदय नारायण सिंह जी ने आज सदन के सम्मुख उपस्थित किया है और उसके संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जो ने भाषण दिया तो वास्तव में जैसा कि श्रीशिवकुमार लाल जी ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं दरअसल अपने हृदय की बात कहता हूँ कि अध्यापकों के प्रतिनिधि और अध्यापक समुदाय माननीय कमलापति जी से जिस प्रकार हारा है, जितनी हार इनसे खाई उतनी शायद किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं। इसका कारण यह है कि जह भी वख बोलते हैं उनके जितने तर्क होते हैं इस संबंध में अंग्रेजी शब्द याद आ रहा है हिन्दी में नहीं जानता कि क्या है 'आल इन कमपासिंग', सारी बातें समेट कर के बोलते हैं, कोई भी छोड़ते नहीं हैं। दूसरे पक्ष की ओर से जो दलीले दी

जायेंगी उन्हें खोज खोज कर के उसका उत्तर पहले ही बात के अन्दर उपस्थित करते हैं। नतीजा होता है कि दूसरे पक्ष को कहने के लिये कुछ रह ही नहीं जाता है।

आज जो उन्होंने भाषण दिया है मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उनके औचित्य से कायल हुए बिना नहीं रह सकता। फिर भी कुछ बातें जो नजदीकी जानकारी में होती है मैंने आवश्यक समझा कि उन बातों का सदन के सम्मुख निवेदन करूँ। उन्होंने कहा कि यह जो एजूकेशन बिल माननीय हृदय नारायण सिंह जी ने उपस्थित किया है वह यदि प्रेरणा के रूप में उपस्थित किया गया है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। शायद इस सदन को याद होगा कि यह बिल जब पहले बनाया गया था उस समय इन्टरमीजियेट एजूकेशन बिल जो यहां पास किया गया है वह उपस्थित नहीं किया गया था। उस समय इस बिल के बनाने का उद्देश्य यह था कि सरकार अमेन्डिंग बिल के लाने में देर कर रही है या पीछे ढकेल रही है और सन् १९४९ से लेकर ५३ तक बराबर ढकेला गया। इस कहानी और इस अध्याय को लेकर मैं कह सकता हूँ कि इसका एक उत्प्रेरक देने की ही मंशा थी ऐसा मैं हृदय नारायण जी की तरफ से कह सकता हूँ। लेकिन केवल इतनी ही मंशा नहीं थी इससे अधिक जो मंशा थी वह यह कि कुछ ऐसी निश्चित दिशायें थीं जिनमें हम सोचते थे कि बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। मैं यह कहूँ कि कुछ ऐसे सुधारों की अत्यधिक आवश्यकता है कि उन्हीं को देखते हुए और उन बातों का समावेश करते हुए कुछ निश्चित सुझाव समावेश करते हुए श्री हृदय नारायण जी ने इसको उपस्थित किया था। मैं समझता हूँ कि शिक्षा जगत से जो लोग परिचित हैं, उसकी समस्याओं को जो लोग जानते हैं वह इससे पूर्णतया भले ही सहमत न हों, फिर भी बहुत सी बातें इसमें ऐसी हैं जिनको देखते हुए उनके प्रति उनको कृतज्ञता प्रगट करना चाहिये। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जहां उत्प्रेरक के रूप में इसकी उपयोगिता स्वीकार किया है वहां पर यह भी इशारा कर दिया कि अध्यापक वर्ग ओवर सैचुरेशन है। हो सकता है यही उनका अनुभव हो। हो सकता है कि ऐसा हो। अध्यक्ष महोदय, केवल इस बात के ऊपर यदि मैं अपना दृष्टिकोण उपस्थित कर सकूं तो यह कहूँगा कि यदि वह ऐसा कहते हैं तो सदन के सदस्यों से क्षमा मांगते हुये मैं यह कहना चाहता हूँ और वह इस लिये नहीं कि वह सदन का आदर करना नहीं जानते मगर यह दिखाई पड़ता है कि इतना विनाश हो रहा है कि अगर यह न रोका गया तो उसका परिणाम बुरा हो सकता है हो सकता है कि वह इससे सहमत न हों लेकिन यदि यह सही है तो वह सदन के सदस्यों से क्षमा मागेंगे। उन्होंने यह भी कहा वह अध्यापक वर्ग के प्रश्नों से परेशान रहते हैं तो मैं यह कहूगा कि हमारी यह मंशा नहीं है कि उनका अधिक परेशान किया जाय या उनका अधिक समय लिया जाय या उनका जो अधिकारी वर्ग है उसका अधिक समय नष्ट करें। परन्तु ऐसा करना पड़ रहा है। यदि इन प्रश्नों के कारण उनको ३०, या ४० बार खड़ा होना पड़ता है और मुझको खड़ा होना पड़ता है और मेरे नाम से ४० प्रश्न हैं और बार बार उनके कारण उठना पड़ता है और अध्यक्ष महोदय, आपको भी टोकना पड़ता है तो उसका कारण यह नहीं है कि हम ऐसा बेकार में करना चाहते हैं। और उनको परेशान करना चाहते हैं। उसका कारण यह है कि हम उसके लिये मजबूर हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस बात पर आता हूँ कि हम यह नहीं कहते हैं कि यह विधेयक अपूर्ण नहीं है। यह तो इस बिल को देखने से ही मालूम हो जाता है कि प्रस्तावक ने स्वयं ही इसको अपूर्ण माना है और इसीलिये इसको एक कमेटी के सामने रखने के लिये कहा गया है। वह कमेटी उस पर सुधार करेगी। लेकिन यह बात जरूर है कि कुछ निश्चित बातें ऐसी हैं जिन की ओर इस में इशारा किया गया है कि उनमें सुधार की नितान्त आवश्यकता है। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह बोर्ड एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, ३,००,००० विद्यार्थियों की परीक्षायें ले रहा है तो जब इतना बड़ा काम वह कर रहा है तो उसकी बड़ाई को हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ वह भी इस बात से मेरा ख्याल है कि इन्कार नहीं कर सकेंगे कि बोर्ड के अन्दर सुधार की आवश्यकता है। इस सरकार ने आज से नहीं पिछले दस वर्षों से अनुभव करती आई है। मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि बोर्ड के अन्दर कितने बड़े बड़े सदस्य हैं

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]
और कितने बड़े बड़े पदाधिकारी कार्य करते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं। इस सदन की प्रोसीडिंग्स को उठा लीजिए और सरकार के वर्जन को ले लीजिये बल्कि इस सरकार की तरफ से जो इस सदन में कहा गया है उसको ले लीजिये। सरकार की तरफ से कहा गया है कि छोटे मोटे नस्तर से काम नहीं चलेगा। इस बोर्ड में बहुत बड़े नस्तर की आवश्यकता है। फौरन यह नस्तर न लगाया गया तो यह सारे शिक्षा जगत को घेर लेगा। यह भी कहा गया है कि उसके सुधार के लिये अगर कोई बिल यहां पर लाया जाय तो वह बेमाने नहीं है। मंत्री महोदय ने भी इसको बेमाने नहीं बताया है। उन्होंने इसके प्रति कोई अन्तिम कदम नहीं उठाया है। मैं इस बात का कायल हूँ कि इस बिल में प्रस्तावक महोदय ने केवल दो बातों को ही पूर्णतः रखा है। एक तो यह है कि बोर्ड के अन्दर सुधार हो और दूसरे यह है कि आजकल जो मैनेजमेंट है और उसकी जो प्रबन्ध समितियां हैं उनके सुधार और मैनेजमेंट के सुधार के ऊपर जोर दिया गया है। उसके अनुरूप हमने भी एक बिल पास किया है और उसमें सब बातों को महसूस करते हुए उसमें कई नई बात रखी गई है। उस सिलसिले में यहां पर बातें हो चुकी हैं इसलिये मैं इसकी मेरिट और डिमेरिट पर समय नहीं लेना चाहता हूँ। बहरहाल, सरकार को इस बात के ऊपर बहुत सोचना है कि आया कम्प्रेहेन्सिव बिल को बनाने की अवधि तक इस बोर्ड को सुधारने की आवश्यकता है या नहीं या उस कम्प्रेहेन्सिव बिल के आने के पहले उस कार्य को सीमित दायरे के अन्दर कर डाले। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम कम्प्रेहेन्सिव बिल बना रहे हैं और उसकी रूप रेखा भी बताई। जिसको सुनकर सबको प्रसन्नता होगी। मंत्री जी ने कहा कि हम चारों तरफ से अध्ययन कर रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा का संचालन किस तरह से हो। उन्होंने कहा कि सेकेन्ड्री एजूकेशन के सिलसिले में जो कमीशन बना है उसका सुझाव ले रहा हूँ तथा अन्य प्रान्तों में भी जो शिक्षा सम्बन्धी सुधार हो रहे हैं उनको भी ले रहा हूँ। उन तमाम सुझावों को एक प्रकार से संचय करके उससे जो सुन्दर चीज बन सकती है उसका प्रारूप प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहा हूँ। यह तो बहुत ही सुन्दर है परन्तु अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कम्प्रेहेन्सिव बिल की जो योजना है जो बहुत ही स्वागत योग्य है उसमें काफी विलम्ब लगे। जिस गति से हम चलते हैं उसमें किसी को दोष नहीं देता बल्कि परिस्थितियों को कहता हूँ। जिस गति से हम आगे चलते हैं उसको देखकर मुझे डर है कि वह वर्षों पहले हमारे सामने नहीं आयेगा और आयेगा भी तो वह वर्षों तक ऐक्ट की शक्ल में पास नहीं होगा इसलिये इस बोर्ड के सम्बन्ध में जो बातें हैं उनको उस समय तक स्थगित करके रखा जाय, अच्छा नहीं है।

बहराल इसका कम्प्रीहेंसिब बिल के सम्बन्ध में दिया गया आश्वासन सुन्दर है। मैं भी जब कम्प्रीहैसिब बिल की बात आई है तो आपकी इजाजत से सरकार की सेवा में इस सदन के सदस्यों की सेवा में और शिक्षा जगत की सेवा में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि यह बात कई दफा कही गई है कि जो कम्प्रीहैसिव बिल की मांग की जाती है तो क्यों नहीं अध्यापक लोग एक ऐसा बिल बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। कुंवर साहब ने आज भी कहा और पहले भी कहा। मैं उनकी बातों का कायल हूँ और उनकी बातें उचित हैं लेकिन मैं कुँवर साहब की सेवा में निवेदन करूँगा कि थोड़ी सी वास्तविकता को सामने रखकर सोचें कि किसी कम्प्रीहैसिव लेजिस्लेशन के ड्रार्फ्टिंग में कितनी बातों की आवश्यकता रहती है कितनी वस्तुएँ उनके सामने होनी चाहिए।

श्रीश्री कुंवर गुरु नारायण--Not the bill but the issues that are put

श्री कन्हैया लाल गुप्त--So for as the issues are concerned.

श्री चेयरमैन--आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--यह जो बात कुंवर साहब ने कही तो पहली बात तो वापस लेता हूँ और जो उन्होंने पीछे कहा है उसका मैं १०० फीसदी कायल हूँ। अध्यापकों की तरफ से

इश्यूज जिसके ऊपर बिल आधारित है वह १०० फीसदी ठीक बात है। इश्यूज के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं और इंगलैंड का एजुकेशन बिल मिसाल के तौर पर सामने रखना चाहता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि कम्प्रेहेन्सिव बिल के अंदर न केवल सेकेन्डरी एजुकेशन हो बल्कि प्राइमरी एजुकेशन भी हो। प्राइमरी और सेकेन्डरी एजुकेशन दोनों को लेते हुए यह बिल बने तो ज्यादा उचित होगा। प्राइमरी एजुकेशन की जो स्थिति है उसके बारे में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। उसमें विभिन्न दिशाओं में सुधार की आवश्यकता है इसमें दो राय नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि बिल के अंदर ऐसी बातें आयेंगी कि जो शिक्षा हो उसके कान्टेन्ट्स क्या हों और कन्टेन्ट्स के अंदर करीकुलम आ जायगा टेक्स्टबुक्स आ जायेंगी। ये सब चीजें आनी चाहिए। उसके बाद अध्यापक का स्वरूप क्या हो उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी हो इस पर विचार करना होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अध्यापक के नाते नहीं बल्कि एक समाज के सदस्य के नाते यह बात सोचने की है कि अध्यापक जिस प्रकार आज शिक्षा के अंदर प्रवेश पा रहा है क्या वह वास्तव में वही व्यक्ति है जो उस क्षेत्र में कार्य करने के लिये उपयुक्त हो। किस प्रकार से ऐसे व्यक्ति पहुंच सकें यह बात सोचने की है। अभी मैं आपकी इजाजत से कहूं कि इस प्रदेश के अंदर डाक्टर के० एल० वर्मा का मर्डर हुआ। एक डिग्री कालेज के प्रिंसिपल को तीन चार विद्यार्थियों ने मार दिया। इसलिये मार दिया कि उन्होंने एक विद्यार्थी को नकल करते हुए पकड़ा। उस मर्डर ने सारे प्रदेश को हिला दिया। जिन विद्यार्थियों ने मर्डर किया उनमें से एक अध्यापक था। उस ने एक समस्या के अंतर्गत सी बड़ी समस्या खड़ी कर डाली है जिसका बयान नहीं कर सकता। यह भी सोचने की बात है कि कैसे व्यक्ति इस पेशे के अंदर प्रवेश पायें और ऐसे व्यक्तियों को किस प्रकार से रोका जा सके। प्रवेश पाने के बाद उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हो यह भी चीज सोचने की है।

प्रशिक्षण विद्यालय के बारे में कई बार जिक्र हो चुका है। ट्रेनिंग कालेजज के बारे में सरकार का ध्यान उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का होना चाहिये। तो यह बात मैंने कही अध्यापक के स्वरूप के बारे में फिर उनका वेतन क्या हो और फिर उनकी सेवा करने की शर्तें क्या हों इस पर विचार करना है। फिर प्रबन्ध के बारे में प्रश्न आता है। प्रबन्ध जो है वह लोकल बाडीज के हाथ में हो और किस हद तक हो और सरकार के साथ उसका किस प्रकार से साझा हो यह प्रश्न आता है। फिर प्रश्न आता है सुपरवीजन का जिसमें इंस्पैक्टर वगैरह और डिपार्टमेंट के लोग आते हैं।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकारविद्यार्थियों के बारे में कहें।

श्री कन्हैया लाल गुप्त ——मैं कहने जा रहा हू।

कहने का मतलब यह है कि शिक्षा की जो बहुत सी स्थितियां हैं उनमें हमें यह विचार करना है किा इतने पहलू होंगे जो कम्प्रेहेन्सिव बिल केअन्दर आयेंगे और इससे पहले जो सब से पहला प्रश्न आयेग वह यह आयेगा कि उस शिक्षा का स्वरूप क्या होगा जो हम विद्यार्थियों को देना चाहते हैं। उसके अन्दर केवल किताबी शिक्षा हो या उसके कुछ चरित्र या जिस्म के सम्बन्ध में शिक्षा हो और इससे ज्यादा प्रश्न यह होगा कि उसमें मारेल, स्प्रिचुअल और एथिकल शिक्षा का कन्टेन्द हो। शायद हमारे विद्यालंकार जो की यह अनुभूति है कि हम ने शिक्षकों के बारे में कुछ नहीं कहा था। मैंने तो पहले ही शिक्षा का कन्टेन्ट कहा था। मैंने एक शब्द के अन्दर इन बातों को अलग अलग नहीं कहा था। सरकार को इतनी बातों को लेकर और इतनी बातों का निर्णय करने में, फिर उन सभी बातों को लेना है जिनका जिक्र माननीय मंत्री महोदय ने किया है सेकेन्डरी कौंसिल के सुझावों, मुदालियर कमीशन के सुझावों, आचार्य नरेन्द्र देव कमेटीके सुझावों

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

तथा विभिन्न प्रदेश के विभिन्न कमेटियों के सुझावों से हम मदद ले सकते हैं। इंगलैंड के एजूकेशन बिल से तथा केरल के शिक्षा बिल से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर हमें एक कम्प्रेहेन्सिव बिल लाना है। इतनी बातों को लेकर ही हमारा एक कम्प्रेहेन्सिव बिल बनता है तो वह स्थायी वस्तु होगी जिसकी अनुभूति हम बहुत दिनों से करते आ रहें हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी जो कम्प्रेहेन्सिव बिल की बात करते हैं तो उनके सामने बहुत कुछ नक्शा वही होगा जिस का जिक्र मैंने यहां पर किया है। हमारे लिये तो यह ठीक होगा कि जिस प्रकार की वस्तु हम बनाना चाहते हैं उसमें देखें कि हम अपनी गति विधि जो समितियों के दायरे में आवश्यक हो गयो है उस को रखें या न रखें। मेरा ख्याल है कि इसको उस हद तक रोकना ठीक न होगा। बहरहाल इसमें दो मत हो सकते हैं। अगर सरकार कटिबद्ध है जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह बहुत शीघ्र ही उस बिल को लाने वाले हैं तो मैं माननीय हृदय नारायण सिंह जी से कहूँगा कि वे इस को वापस ले लें और उस कम्प्रेहेन्सिव बिल का इन्तजार करें। लेकिन मुझे यहां पर एक बात कहनी है कि वह तेजी जिस तेजी की आशा है, मैं बहुत दफे देख नहीं पाता हूँ। अभी मन्त्री जी कह सकते हैं कि क्या आप इस तरह से सोचते हैं कि बाढ़ की तरह वह पानी चढ़ता हुआ दिखाई दे। यदि हो रहा है और वह समझते हैं कि उस दिशा में गति हो रही है तो उन का एक मात्र कह देना हमारे लिये काफी है। अभी कम्प्रेहेन्सिव बिल के ऊपर माननीय मंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल के सुझाव मांगे हैं। इस तरह से और भी सुझाव मांगे होंगे। वह चल तो जरूर रहा है और इस में कोई शक भी नहीं है लेकिन अच्छा यह है और मैं उनकी सेवा में अर्ज करूँ कि वे एक कमेटी इसके लिये बनायें। जैसा उन्होंने सुझाव दिया था कि दो औप्सन उन्होंने रखे थे। जैसा लाउड थिंकिंग कहते हैं, वैसा कर रहा हूँ कि एक कमेटी बनाइये, वह हमारी चीजों पर विचार करें, वह वैसी चीजें उपस्थित करें या अपने विभागीय आफिसरों के सामने के सामने रखें। मेरा अपना ख्याल यह है कि जो कमेटी बनाने का ख्याल है वह ज्यादा तेजी से चीजों को ला सकेगा। दूसरी बात जो विभागीय अधिकारियों द्वारा बन कर आयेगी, अध्यक्ष महोदय, मुझे डर है और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं विभागीय अधिकारियों के प्रति काफी आदर रखता हूँ लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि उनके द्वारा वह वस्तु जिसकी हम आशा करते हैं, बन कर नहीं आयेगी। अगर बन के आयेगी, तो उस में सुधार क्या, मेरा ख्याल है कि उसको फिर दुबारा देखना पड़ेगा। मैं यह कहना चाह रहा था, अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने विभाग के अधिकारियों से भी व्यक्तिगत रूप में बात की कि अगर माननीय मंत्री जी १५ दिन का सेमिनार रखें जिसमें कि क्षेत्रीय लोग और माननीय मंत्री जी जिनको विशेषज्ञ समझते हों, वे लोग हों और नजदोकी इस विषय से जानकारी रखने वाले लोग हों जिनको इस तरफ कुछ टीस हो, तो वह विभागीय अधिकारीगण और विशेषज्ञ इसमें आये।

श्री चेयरमैन--यह आज ही खत्म करना है या आगे किये जारी रखा जाय?

श्री बंशी धर शुक्ल--अगर प्रस्तावक महोदय वापस ले रहे हों, तो फिर बोलने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री चेयरमैन--यह तो हाउस के ऊपर है और प्रस्तावक के ऊपर है कि वह वापस लेना चाहते हैं या नहीं। अगर वे वापस लेना चाहते हों, तो ५, १० मिनट में इसको वापस लिया जा सकता है।

श्री हृदय नारायण सिंह--अभी इसको आगे के लिये चलने दीजिये।

श्री [illegible] त्रिपाठी—माननीय, यदि इसमें अधिक लोग बोलने वाले हैं, तब तो आज यह नहीं हो सकता है। मैं तो सुझाव रख रहा था और इस विचार से, माननीय, मैं बीच में ही बोल रहा कि शायद इसमें बहुत अधिक विवाद न हो। परन्तु यदि और लोग बोलना चाहते हैं और अपने विचार जाहिर करना चाहते हैं, तो दूसरे दिन के लिये रखा जाय। आज बैठने में कोई फायदा नहीं होगा।

श्री चेयरमैन—अब हम उठते हैं। सदन कल ११ बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

सदन की बैठक ४ बजकर ५ मिनट पर दूसरे दिन दिनांक २८.११.१९५८ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

लखनऊ :
[६ अग्रहायण, शक संवत् १८८०
(२७ नवम्बर, सन् १९५८ ई०)]

[illegible]
सचिव,
विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—९३ एल० सी०—१९५९

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

शुक्रवार, ७ अग्रहायण, शक संवत् १८८० (२८ नवम्बर सन् १९५८ ई०)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (७७)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुर रऊफ, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अब्दुस्सलाम शाह, श्री
इसहाक सम्भली, श्री
उमानाथ बली, श्री
उमा शंकर सिंह, श्री
ए० जे० फ़रीदी, डाक्टर
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुदसिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल), श्रीमती
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कुंवर रणंजय सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
केशव दत्त, श्री
कृपा शंकर हजेला, श्री
गिरधारी लाल, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चौधरी शिव नाथ सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद द्विवेदी, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जय बहादुर सिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेलू राम, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नवल किशोर गुरुदेव, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पीताम्बर दास, श्री
पुष्कर नाथ भट्ट, श्री
पृथ्वी नाथ, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बनवारी लाल, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
मदन मोहन, श्री
मदन मोहन लाल, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
मोहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम गुलाम, श्री
रामधारी पान्डे, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नाथ, श्री
राम नारायण पाण्डे, श्री
राम लखन, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण दीक्षित, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
वीर भान भाटिया, डाक्टर
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
शंकर राव, श्री
शफीक अहमद खां तातारी, श्री

शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिव नारायण, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
सक्टू मल, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरि कृष्ण अवस्थी, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री

निम्नलिखित मन्त्री, राज्य मन्त्री व उपमन्त्री, जो कि विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, भी उपस्थित थे :—

श्री विचित्र नारायण शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) ।
श्री राम स्वरूप यादव (स्वायत्त शासन उप मंत्री) ।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

अध्यापकों का यात्रा तथा दैनिक भत्ता

*१—**श्री हृदय नारायण सिंह** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन सरकारी अध्यापकों को परीक्षा के निरीक्षण के लिए अपने स्थान से बाहर भेजा जाता है उनको यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाता है या नहीं ?

श्री राम स्वरूप यादव (स्वायत्त शासन उपमंत्री)—उन सभी बाह्य निरीक्षकों को जिन्हें उनके निवास स्थान से ५ मील की अधिक दूरी पर नियुक्त किया जाता है, यात्रा तथा दैनिक भत्ता दिया जाता है ।

*२—**श्री हृदय नारायण सिंह**—यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम स्वरूप यादव—प्रश्न नहीं उठता ।

*३—**श्री हृदय नारायण सिंह**—क्या ऐसा कोई नियम है जिसके कारण अध्यापकों को बाध्य होकर निरीक्षण का काम करना आवश्यक है ?

श्री राम स्वरूप यादव—जी नहीं ।

*४—**श्री हृदय नारायण सिंह**—यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नियम की प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम स्वरूप यादव—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या इस प्रकार के आदेश विभाग द्वारा जारी कर दिये गये ?

श्री राम स्वरूप यादव—यह आदेश पहले से ही है कि जो अध्यापक अपने विद्यार्थियों के साथ इम्तिहान दिलाने आता है उन को उन संस्थाओं से भत्ता मिलता है। बाकी के लिये आदेश हैं कि उन को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाय ।

श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार को यह मालूम है कि कन्नौज के एस० एन० इन्टर कालेज के अध्यापक तिरवा गये थे लेकिन उनको कोई भत्ता नहीं दिया गया ?

श्री चेयरमैन—यह तो इस उत्तर से नहीं निकलता है ।

श्री हृदय नारायण सिंह—चूंकि कई स्थानों पर इस प्रकार के आदेश नहीं पहुँचे हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार के आदेश फिर से देने की आवश्यकता समझते हैं ताकि सभी सूचित हो जांय और केन्द्र के सुपरिन्टेंडेन्ट को भी मालूम हो जाय ?

श्री राम स्वरूप यादव—यदि ऐसा है तो उन संस्थाओं को सूचित किया जायेगा जिन के पास इस प्रकार के आदेश नहीं पहुँचे हैं ।

परीक्षा से पहले प्रश्नपत्रों का ज्ञात होना

*५—**श्री हृदय नारायण सिंह**—क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष बोर्ड की किन परीक्षाओं (हाई स्कूल या इन्टर) के कौन-कौन विषयों के पर्चों के परीक्षा के पहले विद्यार्थियों को मालूम हो जाने की रिपोर्ट मिली है ?

श्री राम स्वरूप यादव--- हाई स्कूल परीक्षा के

१. गणित प्रथम

२. गणित द्वितीय

इंटरमीडिएट परीक्षा के

१. रसायन विज्ञान प्रथम

२. रसायन विज्ञान द्वितीय

*६---**श्री हृदय नारायण सिंह**---ये पर्चे कहाँ-कहाँ मालूम हो गये थे ?

श्री राम स्वरूप यादव---हाई स्कूल गणित के प्रश्नपत्र गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और फैजाबाद जिलों के कतिपय परीक्षा केन्द्रों में मालूम हो गये थे।

इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान के प्रश्नपत्र केवल राजकीय इंटरमीडिएट कालेज, इलाहाबाद के विद्यार्थियों को मालूम थे।

*७---**श्री हृदय नारायण सिंह**---इनके बारे में बोर्ड या सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम स्वरूप यादव---१. पुनः परीक्षा ली गई।

२. हाई स्कूल के पर्चों के मामले में सी० आई० डी० द्वारा जाँच की जा रही है। बलरामपुर डाकखाने के दो कर्मचारी निलंबित और गिरफ्तार किए गए हैं। इंटर परीक्षा के मामले में दोषी व्यक्ति को अनुशासकीय कार्रवाई के बाद सरकारी सेवा से समय के पूर्व रिटायर कर दिया गया है।

*८---**श्री हृदय नारायण सिंह**---पर्चों के प्रगट हो जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राम स्वरूप यादव---हाई स्कूल के पर्चों के मामले में अभी गोपनीय जाँच जारी है। इंटर के पर्चे में माडरेटर दोषी पाये गये।

*९---**श्री हृदय नारायण सिंह**---निम्नलिखित में से किसको सरकार तथा बोर्ड इसके लिये जिम्मेदार समझता है :

पर्चा बनाने वाले, माडरेटर, प्रेस जहाँ पर्चे छपे या बोर्ड के कर्मचारी ?

श्री राम स्वरूप यादव--हाई स्कूल के सम्बन्ध में जाँच हो रही है। इंटर परीक्षा में माडरेटर दोषी पाये गये।

श्री हृदय नारायण सिंह---यह जो इन्टर परीक्षा के मामले में दोषी व्यक्ति था और पूर्व रिटायर कर दिया गया है वह किसी पद पर आसीन था तथा क्या वह इन्टरमीडिएट के कन्फीडेन्शियल विभाग में काम करता था या किसी अन्य विभाग में काम करता था ?

श्री राम स्वरूप यादव---यह व्यक्ति राजकीय इंटरमीडिएट कालेज, इलाहाबाद में था। जाँच से मालूम हुआ कि यह उन की गलती नहीं थी बल्कि बेवकूफी थी। चूँकि उनकी एज काफी हो गयी थी इसलिये उन को रिटायर कर दिया गया।

श्री हृदय नारायण सिंह---क्या यही व्यक्ति माडरेटर था ?

श्री राम स्वरूप यादव---जी हाँ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) ---यह जो माडरेटर थे उन के खिलाफ कोई और एक्सन लेने की मंशा है या यह मामला यहाँ पर ही खत्म हो गया है ?

श्री राम स्वरूप यादव---जो रिटायर हो गये हैं उन के खिलाफ एक्सन लेने का प्रश्न नहीं है। बाकी जो हैं उन के खिलाफ जाँच के बाद कार्यवाही की जायेगी।

श्री कन्हैया लाल गुप्त---क्या यह मामला बोर्ड की परीक्षा समिति के सामने लाया गया था और यदि लाया गया था तो उसने विचार कर के क्या निर्णय दिया है ?

श्रीराम स्वरूप यादव---इस के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

छात्रावासों में शिक्षा कार्यालयों की स्थापना

*१०—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) इस समय (१५-४-५८) किन-किन सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रावासों में डिप्टी डाइरेक्टर, जिला विद्यालय निरीक्षक, या रीजनल इन्सपेक्ट्रेस के दफ्तर खुले हुये हैं, और

(ख) ये कब से वहां स्थित हैं ?

श्री राम स्वरूप यादव—(क) इस समय केवल राजकीय जुबिली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोरखपुर के छात्रावास में उप शिक्षा संचालक, गोरखपुर का कार्यालय स्थित है। शेष सभी कार्यालय किराये के अन्य भवनों में स्थित हैं।

(ख) उप शिक्षा संचालक गोरखपुर का कार्यालय १४ जुलाई, १९५८ से राजकीय जुबिली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोरखपुर में स्थित है।

*११—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) क्या शिक्षा विभाग इनके कार्यालयों के लिये कोई अलग प्रबन्ध कर रहा है ?

(ख) यदि हां, तो क्या और

(ग) कब तक प्रबन्ध हो जायगा ?

श्री राम स्वरूप यादव—(क) जी हां।

(ख) जिला अधिकारियों को उप शिक्षा संचालक गोरखपुर के कार्यालय एवं आवास गृह के लिये एक उपयुक्त भवन एलाट करने के लिये बराबर लिखा जा रहा है।

(ग) प्रयत्न जारी है। ज्योंही भवन उपलब्ध हो जायेगा, त्योंही छात्रावास खाली कर दिया जायगा।

प्रदेश में माण्टेसरी पाठशालायें

*१२—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय (१५-४-५८) कितने मांटेसरी स्कूल प्रदेश में चल रहे हैं ?

श्री राम स्वरूप यादव—११९।

*१३—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) इनमें से कितनों को सरकार आवर्तक अनुदान देती है ?

(ख) कुल कितना अनुदान १९५७-५८ में दिया गया है ?

श्री राम स्वरूप यादव—(क) १० स्कूलों को।

(ख) ५०,००० रु०।

१४—श्री हृदय नारायण सिंह—सन् १९५६-५७ में कितने मांटेसरी स्कूल चल रहे थे और कितनी सरकारी आवर्तक अनुदान प्राप्त कर रहे थे ?

श्री राम स्वरूप यादव—८७ स्कूल थे और ५ स्कूल को आवर्तक अनुदान दिया गया।

*१५—श्री हृदय नारायण सिंह—कुल कितना आवर्तक अनुदान इनको उक्त वर्ष में दिया गया ?

श्री राम स्वरूप यादव—२८,४८६ रु०।

*१६—श्री हृदय नारायण सिंह—मांटेसरी स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम स्वरूप यादव—मान्टेसरी स्कूलों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने आवर्तक अथवा अनावर्तक अनुदान देने का प्राविधान किया है।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ११९ जो मान्टेसरी स्कूल चल रही है, उनमें से कुछ लोकल बाडीज की तरफ से भी चल रही हैं ?

श्री राम स्वरूप यादव--श्रीमन्, सम्भव हो सकता है कि कुछ लोकल बाडीज की तरफ से भी चल रही हों क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है, इसमें से छाँटना मुश्किल होगा। अब चूँकि सरकार की तरफ से केवल तीन ही चल रही है बाकी व्यक्तिगत रूप से चल रही हैं तो हो सकता है कि कुछ लोकल बाडीज की तरफ से चल रही हों।

श्री मदन मोहन (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ नये स्कूलों को भी आवर्तक अनुदान देने की सरकार की योजना है ?

श्री राम स्वरूप यादव--सरकार का ऐसा विचार है कि इस द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हर वर्ष ५ नये स्कूलों को अनुदान दिया जायेगा तो इसके अनुसार इस साल भी पाँच नये स्कूलों को ले लिया जावेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मान्टेसरी स्कूलों के लिये कुल कितनी रकम रखी गयी है और जो अनुदान दिया जा रहा है वह उस रकम के अनुकूल ही दिया जा रहा है ?

श्री राम स्वरूप यादव--हर वर्ष के बजट में करीब एक लाख रुपये का प्राविधान होता है, उसी में से कुछ रिकरिंग ग्रान्ट दे दी जाती है और कुछ नान रिकरिंग ग्रान्ट दी जाती है।

श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित--क्या जिन मान्टेसरी स्कूलों को सरकार अनुदान देती है वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था है ?

श्री राम स्वरूप यादव--सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं किया गया है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--यह बात कहाँ तक ठीक है कि पाँच वर्षीय योजना में मान्टेसरी स्कूलों के लिये शुरू में १० लाख रुपया रखा गया था और सरकार ने पिछले वर्ष में बहुत ही कम रुपया उसकी अपेक्षा इन स्कूलों को दिया ?

श्री राम स्वरूप यादव--श्रीमन्, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी कि १० लाख रुपया रखा गया था।

श्री हृदय नारायण सिंह--यह जो सरकार के द्वारा मान्टेसरी स्कूल चलायी जा रही है, यह कहाँ कहाँ पर चलायी जा रही है ?

श्री राम स्वरूप यादव--राजकीय नार्मल स्कूल सीतापुर में प्री प्राइमरी कक्षा है, राजकीय नार्मल स्कूल झाँसी में और बदायूं में है।

*१७-२५--(स्थगित)।

होली के अवसर पर दंगे

*२६--**श्री हृदय नारायण सिंह**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गत होली के अवसर पर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर दंगे हुये ?

श्री राम स्वरूप यादव--गत होली के अवसर पर निम्नांकित स्थानों पर दंगे हुए :

१--सिविल लाइन, थाना कोतवाली, उन्नाव।

२--सिधौली, सीतापुर।

३--मुहल्ला शाहगंज, थाना कोतवाली, जौनपुर।

४--ग्राम सियरा, थाना भोगनीपुर, कानपुर।

५--सिटी नवाबगंज, थाना कोतवाली, बाराबंकी।

६--फतेहगढ़ टाउन, फतेहगढ़।

७--ग्राम कुकुरकट, थाना एरवा कटरा, इटावा।

८--ग्राम दूल्हापुर, मुरादाबाद।

९--नेहतौर टाउन, बिजनौर।

*२७--**श्री हृदय नारायण सिंह**--उपर्युक्त स्थानों पर दंगों के कारण क्या थे ?

श्री राम स्वरूप यादव—रंग, पत्थर तथा कीचड़ का फेंकना, अश्लील शब्दों का प्रयोग, मुस्लिम हस्तक्षेप तथा असमय होलिका जलाना आदि कारण थे।

[illegible]८—**श्री हृदय नारायण सिंह**—इनमें कितने लोगों को चोट पहुंची तथा कितनी धन की क्षति हुई ?

श्री राम स्वरूप यादव—३८ व्यक्तियों को चोट पहुंची तथा [illegible] (६०००) रु० की हानि हुई।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि कीचड़ फेंकने तथा अश्लील गालियों को रोका जावे तथा इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी करने का विचार है ?

श्री राम स्वरूप यादव—[illegible] इस सम्बन्ध में आदेश की [illegible] आवश्यकता है [illegible] तो सभी जानते हैं कि कीचड़ फेंकना तथा गाली देना बुरा काम है। समाज सुधारकों के द्वारा ही रोका जा सकता है, इस में सरकारी आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अब्दुर रऊफ (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—यह जो नम्बर [illegible] में [illegible] के बारे में लिखा है। इसके मुताल्लिक आफिशल रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम स्वरूप यादव—जब होली का जलूस [illegible] तहसील [illegible] के [illegible] से निकल रहा था, तो जलूस पर ईंटें तथा पत्थर फेंके गये। इस के बाद ५०, ६० व्यक्ति लाठी और भाले ले कर निकले और आक्रमण किया। इस सम्बन्ध में एक अपराध धारा ३९५ आई० पी० सी० के अन्तर्गत दर्ज किया गया। इस में कुछ लोगों को चोट भी आयी।

श्री अब्दुर रऊफ—जो आदमी इस सम्बन्ध में पकड़े गये हैं और जिन पर यह इल्जाम लगाया गया है, वे लोग वाकया होने के वक्त थानेदार साहब के पास होली की मुबारकबाद देने के लिये आये थे और वहाँ पर ही बैठे थे, और उन को इस इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। क्या यह सही है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शफीक अहमद खां तातारी—(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—नम्बर ४ में जो ग्राम सिथरा के बारे में लिखा है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वहाँ के बारे में क्या रिपोर्ट है ?

श्री राम स्वरूप यादव—होली के अवसर पर एक चमार के घर पर कुछ ब्राह्मणों के द्वारा अश्लील कबीर गाने पर दंगा हो गया। अपराधियों ने दंगा करके उस चमार के घर की सम्पत्ति को तहस नहस करके उस को हानि पहुँचायी। इस दंगे से किसी को चोट नहीं आयी। रिपोर्ट होने पर पुलिस ने मुकदमा कायम कर दिया है।

श्री वंशीधर शुक्ल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय दंड विधान में कोई स्पेशल ला इस सम्बन्ध में सरकार बनाने का विचार कर रही है ?

श्री चेयरमैन—आप इसको फिर से दोहरा दीजिये।

श्री वंशीधर शुक्ल—भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत क्या कोई स्पेशल ला इस सम्बन्ध में सरकार बनाने का विचार कर रही है ?

श्री चेयरमैन—माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है कि सामाजिक सुधार से ही यह हो सकेगा।

श्री गिरधारी लाल—(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—इस दंगे के सम्बन्ध में जिन लोगों पर मुकद्दमे चलाये गये हैं, उनका क्या नतीजा निकला है ?

श्री राम स्वरूप यादव—कुछ मुकद्दमे तो अभी विचाराधीन हैं और कुछ पर विचार हो चुका है। यह तो कई जगह का वाकिया है इसलिए सब के बारे में बताना मुश्किल है।

श्री पीताम्बर दास (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो लोग गिरफ्तार हुये हैं उनमें से क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे वाकये के वक्त थानेदार साहब के पास मौजूद थे।

श्री चेयरमैन--यह बात subjudice है।

श्री पीताम्बर दास--मैंने इसीलिये यह सवाल पूछा है कि उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे लोग थानेदार साहब के पास मौजूद थे, तो क्या यह सही है ?

श्री चेयरमैन--यह प्रश्न अलाउ नहीं किया जा सकता है।

श्री वंशीधर शुक्ल--सीतापुर में सिधौली के बारे में जो रिपोर्ट है क्या माननीय मंत्री जी उसको बताने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

राइफल, बन्दूक, पिस्तौल आदि के लाइसेंस

*२९--**श्री हृदय नारायण सिंह**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में प्रदेश में--

(क) कितनी संख्या में राइफल, बन्दूक, पिस्तौल तथा रिवाल्वर एकत्रित रूप में लाइसेंस दिये गये और

(ख) कितने लोगों के लाइसेंस रद्द किये गये ?

श्री राम स्वरूप यादव--मांगी गयी सूचना एकत्रित करने में जितना परिश्रम व धन व्यय होगा वह उत्तर की उपयोगिता से कहीं अधिक होगा।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या माननीय मंत्री जी के लिये यह बतलाना सम्भव होगा कि जो लाइसेंस रद्द किये जा रहे हैं, तो पहली बार जो इशू किये जा रहे हैं, उनकी संख्या कम है या ज्यादा है ?

श्री राम स्वरूप यादव--मैं जहाँ तक समझता हूँ रद्द किये जाने वालों की संख्या दिये जाने वालों की संख्या से कम ही होगी।

श्री शफीक अहमद खाँ तातारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर में कितने लाइसेंस रद्द किये गये ?

श्री चेयरमैन--अलग से इन्फारमेशन नहीं दी गई है।

पुलिस अधिकारियों से जवाब तलबी

*३०--**श्री हृदय नारायण सिंह**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में चोरी, डकैती तथा अन्य अपराधों की वृद्धि होती है तो क्या वह वहाँ के पुलिस अधिकारियों से कोई जवाब तलब करती है, उनको तनज्जुल करती है या उनका तबादला करती है ?

श्री राम स्वरूप यादव--यदि किसी जिले में चोरी, डकैती तथा अन्य अपराधों में वृद्धि पुलिस की असावधानी, शिथिलता या उसकी लापरवाही के कारण पाई जाती है तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अविलम्ब विभागीय कार्यवाही की जाती है और उनको उचित दण्ड दिया जाता है। यह दण्ड केवल जवाब तलबी, तनज्जुली या तबादिले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनको सेवा से मुक्त भी किया जा सकता है।

श्रीमती तारा अग्रवाल (नाम निर्देशित)--माननीय मंत्री जी ने जो "अविलम्ब" शब्द का प्रयोग किया है, तो इस में कितना पीरियड होता है, मैं यह जानना चाहती हूँ ?

(इसका कोई जवाब नहीं दिया गया।)

सहायता प्राप्त विद्यालयों के चपरासियों का वेतन-क्रम

*३१—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि चपरासियों के लिये जो सहायता प्राप्त स्कूलों तथा कालेजों में काम करते हैं, क्या वेतन-क्रम सरकार द्वारा निश्चित है ?

श्री राम स्वरूप यादव——सहायता प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के चपरासियों के लिये कोई अनिवार्य वेतन-क्रम सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है।

*३२—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) क्या उनके लिये प्राविडेंट फण्ड योजना सरकार द्वारा निर्धारित है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या उसे जारी करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री राम स्वरूप यादव—(क) जी नहीं।

(ख) जी हां, विषय विचाराधीन है।

श्री हृदय नारायण सिंह—यह कब से विचाराधीन है और कौन अधिकारी या कौन सी कमेटी इस सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

श्री राम स्वरूप यादव—यह किसी कमेटी के विचाराधीन नहीं है, सरकार के विचाराधीन है।

विधान मण्डल के सदस्यों को मकान का भत्ता

*३३—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या यह ठीक है कि जिन विधान मण्डल के सदस्यों को सरकार निवास-स्थान नहीं दे पाई है उनको मकान के किराये के तौर पर कुछ भत्ता देने का उसने निश्चय किया है ?

श्री राम स्वरूप यादव——जी हां।

*३४—श्री हृदय नारायण सिंह—यदि हां, तो कितना ?

श्री राम स्वरूप यादव—७५ रु० प्रति माह।

*३५—श्री हृदय नारायण सिंह—कब से यह निश्चय कार्य परिणत किया गया है ?

श्री राम स्वरूप यादव—जुलाई १९५८ से।

*३६—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या यह ठीक है कि जिन सदस्यों ने अकेले ही दो व्यक्तियों के रहने लायक कमरे में दखल कर लिया है उनसे कुछ रुपया अधिक जगह घेरने के लिये लिया जाने वाला है ?

श्री राम स्वरूप यादव—जी हां, लेकिन अब उक्त निर्णय में संशोधन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*३७—श्री हृदय नारायण सिंह—यदि हां, तो कब से ?

श्री राम स्वरूप यादव—प्रश्न नहीं उठता।

*३८—श्री हृदय नारायण सिंह—इस निश्चय के अनुसार विधायकों से १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में कितना धन इकट्ठा हुआ ?

श्री राम स्वरूप यादव—१,२०७ रु० ५० नया पैसा।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जुलाई १९५८ के पहले यह किस रेट से लिया जाता रहा ?

श्री राम स्वरूप यादव—कुछ सज्जन डबुल सीटेड कमरे को अकेले इस्तेमाल करते रहे, तो उन से १ रुपया २५ नये पैसे प्रति दिन के हिसाब से लिया गया।

श्री शिवनाथ काटजू (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि कई मेम्बरों के बार-बार दरख्वास्त दिये जाने पर भी कि उन को जगह दी जाय, कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी तक उन्हें कमरे नहीं मिले हैं ?

श्री राम स्वरूप यादव—यह सम्भव हो सकता है क्योंकि अभी तक कुछ विधायकों को कमरे नहीं दिये जा सके हैं, यह बात सही है और इस का कारण यह है कि हमारे यहाँ विधायकों की जो संख्या है, मंत्री और उपमंत्री को छोड़कर, वह ५०० से ज्यादा है और हमारे पास कुल ३५४ ही कमरे हैं, आशा है कि ९६ कमरे कुछ ही अरसे में तैयार हो जायेंगे और जो उन की दिक्कत है, वह इस तरह से हल हो जायेगी ?

श्री शिवनाथ काटजू—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि कब तक यह दिक्कत हल हो जायेगी ?

(इस का कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इनमें कुछ ऐसे भी कमरे हैं जिनमें कि एम० एल० एज० तो नहीं रहते हैं बल्कि दूसरे लोग ठहरे हुये हैं ?

श्री राम स्वरूप यादव—ऐसे १८ कमरे जरूर हैं जिन में उपमंत्री, सभासचिव और केयर टेकर रहते हैं, वह कमरे भी धीरे धीरे खाली हो जायेंगे, जैसे-जैसे उनके आवास भवन बन जायेंगे। केयर टेकर तो वहाँ रहेंगे ही क्योंकि उनके लिए दूसरा स्थान बन नहीं रहा है।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—मेरा मतलब डिप्टी मिनिस्टर, या पार्लमेन्ट्री सेक्रेटरी से नहीं है बल्कि उन लोगों से है जो न डिप्टी मिनिस्टर हैं और न पार्लमेन्ट्री सेक्रेटरी हैं और कमरों को अकुपाई किए हुए हैं।

श्री राम स्वरूप यादव—श्रीमन्, इस वक्त तो स्मरण नहीं पड़ता है। सम्भव है कोई सज्जन जो पहले एम० एल० ए० रहे हों वह खाली न कर रहे हों किसी वजह से। अगर कोई होंगे तो नाम बाद में मालूम कर लिया जायेगा और आवश्यक कार्रवाई की जायेगा।

श्रीमती सावित्री श्याम (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि ऐसे कितने डिप्टी मिनिस्टर या पार्लमेन्ट्री सेक्रेटरी हैं जो वहाँ ठहरे हुए हैं और उनके लिए अलग स्थान है।

श्री चेयरमैन—प्रश्न नहीं उठता।

श्री नवल किशोर गुरुदेव (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—जैसा कि एक प्रश्न है, मैं यह सूचना देना चाहता हूँ......

श्री चेयरमैन—सूचना मत दीजिए

श्री शफीक अहमद खाँ तातारी—कितने ऐसे एम० एल० ए० साहबान हैं जिन के पास दो कमरे हैं ?

श्री राम स्वरूप यादव—श्रीमन्, मेरी ऐसी सूचना नहीं है कि किसी के पास दो कमरे हैं।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि कुछ लोगों ने अपने नाम से कमरे लेकर ऐसे लोगों को दे दिया है जो एम० एल० ए० हैं न एम० एल० सी० हैं लेकिन बरसों से रह रहे हैं।

श्री राम स्वरूप यादव—वैसे तो नियम यह है कि अलावा एम० एल० ए० और एम० एल० सी० के और किसी को नहीं रहना चाहिए। नियम तो यहाँ तक बना दिए गए हैं कि एम० एल० ए० और एम० एल० सी० के जो मेहमान आयें उनके लिए भी सीमा बाँध दी गई है। लेकिन जानकारी कर ली जायेगी। अगर ऐसा है तो बहुत दुःख का विषय है।

श्री नवल किशोर गुरुदेव—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि एक कमरे में दो विधायक रहते हैं उनसे भी ३५ रु० काटा जाता है, और एक में एक रहता है उनसे भी ३५ रुपया काटा जाता है ?

उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—क्या यह वाकया है कि डबल सीटेड जो कमरे हैं दो [illegible] के रहने के लिए, उनमें, बावजूद इसके कि मेम्बरों को दिक्कत है, एक-एक मेम्बर को ही रहने दिया गया है ?

श्री चेयरमैन—यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हृदय नारायण सिंह—जो माननीय मन्त्री जी ने ३६ का उत्तर दिया है, उससे क्या यह समझा जाय कि जब प्रबन्ध हो जायेगा तो प्रत्येक सदस्य को एक कमरा दे दिया जायेगा ।

श्री राम स्वरूप यादव—जी हां, यही सरकार का निश्चय है कि प्रत्येक सदस्य को एक-एक कमरा दिया जायेगा । अभी इस वक्त १५६ कमरे हैं, ?६ कमरे बनने को हैं, इन ?६ कमरों के बन जाने के बाद ७४ सदस्यों के लिए स्थान की कमी रह जायेगी । इनमें से बहुत से सज्जन कमरे लेना नहीं चाहते हैं । कई तो लखनऊ के रहने वाले हैं, यहां उन्होंने कोठियां ले ली हैं ।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—क्या मोहतरम मिनिस्टर साहब बतलायेंगे कि आपने ऐसे रूल्स बनाये हैं कि जो डबल सीटेड रूम्स हैं उनमें दो आदमी रहें और सिंगिल सीटेड में एक आदमी रहे और इस वक्त डबल सीटेड में एक आदमी मौजूद है । अगर जगह की जाये तो औरों को भी मिल सकती है ?

श्री चेयरमैन—हर कमरा सिंगिल सीटेड है लेकिन जगह कम होने की वजह से दो रहते हैं ।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—ऐसे बहुत से कमरे हैं जो डबल सीटेड हैं लेकिन नाजायज तरीके से डबल सीटेड कमरे सिंगिल सीटेड बना दिए गए हैं । रूल्स में देखा जा सकता है हुजूर ।

श्री राम स्वरूप यादव—सरकार की नीति तो यह है कि हर एक विधायक को एक कमरा मिलना चाहिए । लेकिन कमरों की कमी की वजह से जो डबल सीटेड कमरे कहलाते हैं, जिन के सम्बन्ध में माननीय सदस्य कह रहे हैं वह कोने के कमरे सम्भवतः हैं, उनमें होटल है, और डिप्टी मिनिस्टर रह रहे हैं । उनको खाली करा लिया जायेगा । लेकिन मंशा सरकार का एक-एक को एक-एक कमरा देने का है ।

नोटर्स व ड्राफ्टर्स का वेतन-क्रम

*३९—**श्री हृदय नारायण सिंह**—क्या सरकार ११ फरवरी १९५३ की राजाज्ञा संख्या B-8192/XV—117-1949 जिसे Under Secretary to Government, Education Department ने निकाली थी, की प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम स्वरूप यादव—प्रस्तुत है ।*

*४०—**श्री हृदय नारायण सिंह**—क्या यह ठीक है कि उक्त राजाज्ञा में नोटर्स और ड्राफ्टर्स को ८०-११०-६-१३० रु० का वेतनक्रम १ जनवरी, १९५३ से निर्धारित किया गया ?

श्री राम स्वरूप यादव—वेतन-क्रम १ अप्रैल, १९४७ से दिया गया तथा इस वेतन-क्रम में मासिक वेतन १ जनवरी, १९५३ से देने की अनुमति दी गई ।

---

*देखिए नत्थी 'क' पृष्ठ ५७ पर ।

*४१—**श्री हृदय नारायण सिंह**—क्या उप-शिक्षा संचालकों के दफ्तरों में काम करने वाले नोटर्स, ड्राफ्टर्स को उक्त वेतनक्रम इस समय (१-४-५८) प्राप्त हो रहा है ?

श्री राम स्वरूप यादव—हाँ।

४२—**श्री हृदय नारायण सिंह**—यदि हाँ, तो उनकी इस समय (१-४-५८) क्या संख्या है ?

श्री राम स्वरूप यादव—४२।

*४३—**श्री हृदय नारायण सिंह**—क्या यह ठीक है कि १९५३ के पूर्व उन्हें उक्त वेतनक्रम देने के लिए रुपयों का प्रबन्ध बजट में किया गया था किन्तु उन्हें दिया नहीं गया ?

श्री राम स्वरूप यादव—बजट में कोई प्रबन्ध इस हेतु नहीं किया गया था।

श्री हृदय नारायण सिंह—प्रश्न ४० में उत्तर दिया गया है कि सन् १९४७ से तो वेतनक्रम दिया गया लेकिन अनुमति १९५३ में दी गई तो यह ६ वर्षों के विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री राम स्वरूप यादव—जिस समय पे कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो किसी गल्ती से केवल एक ही पोस्ट के बारे में तय किया गया था जब कि हमको करीब-करीब ४२ की आवश्यकता थी। उस गल्ती की वजह से हम सन् १९५३ तक किसी को भी फायदा नहीं दे सके। सन् १९५३ में सरकार की ओर से दोबारा आदेश हुआ और टाइम स्केल सन् १९४७ से दिया गया।

श्री हृदय नारायण सिंह—इससे क्या यह अर्थ समझा जाय कि जो वेतन मिलता रहा वह रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से मिलता रहा है।

श्री राम स्वरूप यादव—मैंने निवेदन किया कि रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से नहीं दिया जायगा। टाइम स्केल सन् १९४७ से दिया गया है।

जौनपुर में प्रधानाध्यापिका का निवास स्थान

*४४—**श्री हृदय नारायण सिंह**—क्या यह ठीक है कि जौनपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की प्रधानाध्यापिका के लिये जो निवास-स्थान बना था वह सिविल अस्पताल की लेडी डाक्टर को दे दिया गया है ?

श्री राम स्वरूप यादव—यह सही नहीं है कि उक्त स्कूल में प्रधानाध्यापिका के लिये कोई निवास-स्थान विभाग द्वारा बना था।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*४५—**श्री हृदय नारायण सिंह**—उपर्युक्त प्रबन्ध कब से चल रहा है और कब तक चलने की उम्मीद है ?

श्री राम स्वरूप यादव—प्रश्न नहीं उठता।

*४६—**श्री हृदय नारायण सिंह**—क्या यह ठीक है कि स्थानाभाव के कारण प्रधानाध्यापिका को छात्रावास के कुछ कमरों को लेकर उनमें रहना पड़ रहा है ?

श्री राम स्वरूप यादव—जी हाँ, प्रधानाध्यापिका विद्यालय भवन के भीतर ही कुछ कमरों में रहती हैं।

*४७—**श्री हृदय नारायण सिंह**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बहराइच, आगरा, फैजाबाद, झांसी, खीरी, ज्ञानपुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, गोरखपुर, बलिया, मथुरा, चरखारी, बांदा, सुल्तानपुर, गोंडा, पीलीभीत, बदायूँ, सहारनपुर, रुड़की, लैन्सडाउन, रुद्रपुर, तथा गाजीपुर के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के छात्रावासों में जो रिक्त स्थान हैं, उनका उपयोग कैसे हो रहा है ?

श्री राम स्वरूप यादव—सूची संलग्न है।*

लकड़बग्घों का आतंक

*४८—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि किन-किन जिलों में लकड़बग्घों के आतंक की सूचना गत तीन वर्षों में मिली है ?

श्री राम स्वरूप यादव—लकड़बग्घों के आतंक की सूचना गत तीन वर्षों में निम्नांकित जिलों में मिली है :—

कानपुर, इटावा, फतेहगढ़, फतेहपुर, बाराबंकी, लखनऊ, सुल्तानपुर, सीतापुर, अलीगढ़, मथुरा और उन्नाव।

*४९—श्री हृदय नारायण सिंह—इन से गत तीन वर्षों में कितनी जनहानि हुई है ?

श्री राम स्वरूप यादव—५२१ जन हानि हुई।

*५०—श्री हृदय नारायण सिंह—इन के आतंक को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उद्योग किये गये हैं और उनमें कहां तक सफलता मिली है ?

श्री राम स्वरूप यादव—पुलिस के सशस्त्र कान्स्टेबिल ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य तथा अच्छे शिकारी इनके आतंक को रोकने में सहायता करते हैं और उनको पारितोषिक देकर प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार बहुत से लकड़बग्घे मारे गए हैं और उनका आतंक भी कम हो गया है।

*५१—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) क्या इस से जनहानि को रोकने के लिये शिकारियों को बन्दूकों के लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो कितने ?

श्री राम स्वरूप यादव—(क) जी हाँ।
(ख) केवल एक।

श्री हृदय नारायण सिंह—यह जो माननीय मंत्री ने प्रश्न ४९ के उत्तर में ५२१ बतलाया यह मृत व्यक्तियों की संख्या है या उनके चोट वगैरा लगी।

श्री राम स्वरूप यादव—मैंने तो केवल जनहानि की संख्या बतलाई।

श्री चेयरमैन—जन हानि का अर्थ मृत्यु का है या चोट का ?

श्री राम स्वरूप यादव—श्रीमान जी, जन हानि का तो मृत्यु से ही तात्पर्य है।

श्री महमूद असलम खाँ (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या इस सिलसिले में कुछ लाइसेंस भी दिये गये ?

श्री राम स्वरूप यादव—मैंने निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में केवल एक लाइसेंस दिया गया।

श्री शफीक अहमद खाँ तातारी—यह जो ५२१ व्यक्ति हैं यह किन-किन जिलों में कितनी संख्या में हैं ?

श्री राम स्वरूप यादव—संख्या की लिस्ट तो मेरे पास है लेकिन वह बहुत लम्बी है। सबसे ज्यादा व्यक्ति २२८ व्यक्ति फतेहगढ़ के मारे गये।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—कुल कितने लकड़बग्घे मारे गये ?

श्री चेयरमैन—माननीय मंत्री जी को संख्या मालूम हो तो बता दें।

श्री राम स्वरूप यादव—संख्या तो नहीं मालूम लेकिन काफी मारे गये।

---

* देखिये नत्थी 'ख' पृष्ठ ५८ पर।

श्री जमीलुर्रहमान किदवई (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसमें रुपया कितना खर्च हुआ।

श्री राम स्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछा गया था कि कितने कैसे खर्च हुये लेकिन आम तौर से कोई खास रुपया खर्च नहीं हुआ।

श्री चेयरमैन—पारितोषिक का मालूम हो तो कह दीजिये।

श्री सकटू मल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो ५५१ की जनहानि हुई है, प्रत्येक वर्ष में कितनी कितनी हुई है ?

श्री राम स्वरूप यादव—फेहरिस्त मेरे पास है लम्बी है अगर पढ़ूँ तो सदन का उपयोग न होगा। अगर माननीय सदस्य इच्छुक हैं तो मेरे पास आकर देख लें।

सरकारी अधिकारियों की शिक्षा समितियां

*५२—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(क) क्या यह ठीक है कि सरकार द्वारा शिक्षा के सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों की कुछ समितियाँ हाल ही में स्थापित की गई हैं ?

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

श्री राम स्वरूप यादव—(क) जी हाँ।

(ख) दस।

*५३—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या सरकार उपर्युक्त कमेटियों के सदस्यों के नाम बताने की कृपा करेगी ?

श्री राम स्वरूप यादव—यह सूचना संलग्न है।[१]

*५४—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कमेटियों ने क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री राम स्वरूप यादव—छः कमेटियों ने अभी तक रिपोर्ट दी है जो विचाराधीन हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह कमेटियाँ कब स्थापित हुई ?

श्री राम स्वरूप यादव—यह कमेटी मई १९५८ में स्थापित हुई।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कौन सी कमेटियां ऐसी है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है ?

श्री राम स्वरूप यादव—इसके लिये तो श्रीमन्, नोटिस की आवश्यकता है लेकिन काफी कमेटियों ने अपनी पारशल रिपोर्ट दे दी है, कुछ ऐसी हैं जिनकी संख्या ठीक नहीं बता सकता जिन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो हायर सेकेन्ड्री स्कूलों के सम्बन्ध में कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट बोर्ड को जायेगी या सरकार स्वीकार करेगी ?

श्री राम स्वरूप यादव—श्रीमन्, विचार के लिये गवर्नमेन्ट में आयेगी लेकिन गवर्नमेन्ट परामर्श करके स्वीकार करेगी।

*५५-५७—(उत्तर दिया जा चुका)।

*५८-५९—(हस्तान्तरित)।

*६०-६२—(स्थगित)।

---

१ देखिये नत्थी 'ग' पृष्ठ ६० पर।

मऊ (आजमगढ़) में कत्ल, डाकेजनी व मारपीट की घटनायें

*६३—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ (आजमगढ़) में गत तीन वर्षों में कितने कत्ल, डाकेजनी या मारपीट के मामले की सूचना पुलिस को दी गई है ?

श्री राम स्वरूप यादव—गत तीन वर्षों में मऊ (आजमगढ़) में कुल ९ कत्ल, ४ डकैतियों व ५३ मारपीट की घटनाओं की सूचना पुलिस को दी गई।

*६४—श्री हृदय नारायण सिंह—इन में से कितने लोगों की जानें गई हैं ?

श्री राम स्वरूप यादव—कुल ११ व्यक्तियों की जानें गई हैं।

*६५—श्री हृदय नारायण सिंह—गत तीन वर्षों में वहां पर कितनी बार साम्प्रदायिक दंगे हुये और शान्ति भंग हुई ?

श्री राम स्वरूप यादव—उक्त वर्षों में वहां पर ५ बार साम्प्रदायिक दंगे हुये और शान्ति भंग हुई।

*६६—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या मई, १९५८ में भी कोई शान्ति भंग की घटना मऊ (आजमगढ़) में हुई है ?

श्री राम स्वरूप यादव—जी हां। एक घटना कस्बा मऊ में हुई।

*६७—श्री हृदय नारायण सिंह—यदि हां, तो क्या सरकार उस का संक्षिप्त विवरण देने की कृपा करेगी ?

श्री राम स्वरूप यादव—कस्बा मऊ में भरऊ-का-पुरा नामक मोहल्ले में मसजिद के सामने परती जमीन पर एक कुआं है जिससे मुहल्ले के हिन्दू पानी भरते थे। २५-५-५८ को २५-२६ मुसलमान सशस्त्र आये और कुंये को घेरने के लिये दीवार बनाने की नियत से जमीन खोदने लगे। मुहल्ले के कुछ सुनारों ने मना किया इस पर मुसलमानों ने हिन्दुओं पर आक्रमण किया, दोनों पक्षों पर पृथक मुकदमें कायम हुये, मुकदमें अदालत में विचाराधीन हैं।

*६८—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) क्या मऊ में शान्ति भंग को रोकने के लिये सरकारने कोई उपाय किये हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या ?

श्री राम स्वरूप यादव—(क) जी हां।

(ख) इसके लिये पीस कमेटी बनाई गई। पी० ए० सी० बुलाई गई।

श्री हृदय नारायण सिंह—यह जो मुकदमें चल रहे हैं उनके कोई सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है या जो फरीकैन हैं वह चला रहे हैं।

श्री राम स्वरूप यादव—सरकार की भी तरफ से चलाये जा रहे हैं और फरीकैन ने भी अपने अलग चलाये हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या पी० ए० सी० आज भी स्थित है या हटा ली गई है और कितने दिनों तक रखी गई है ?

श्री राम स्वरूप यादव—इस वक्त पी० ए०सी० नहीं है, आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री शिव नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार कितने लोगों पर मुकदमा चला रही है ?

श्री राम स्वरूप यादव—जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है २० व्यक्तियों का चालान किया गया है।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू—क्या सरकार बतायेगी कि कितने लोग मारे गये हैं और कितने हत्यारे पकड़े गये हैं ?

श्री चेयरमैन--२० पर मुकदमें चल रहे हैं, यह आप को बताया गया है।

श्री राम स्वरूप यादव--मैंने जो २० बतलाये हैं वह प्रश्न संख्या ६७ के संबंध में है। श्रीमती शिवराजवती नेहरू का प्रश्न दूसरा है।

इसमें ९ कत्ल हुये थे। और बाकी जो हत्यायें हुई हैं। इसके लिये कुछ पर मुकदमे चल रहे हैं कुछ छूट गये और कुछ ला पता हैं।

श्री गिरधारी लाल--जो लोग मारे गये हैं क्या उनको सरकार ने कुछ हर्जाना दिलाया है और पुलिस प्यूनिटिव टैक्स वहाँ के लोगों से वसूल किया गया है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मोहम्मद शाहिद फ़ाख़री--क्या मोहतरिम मिनिस्टर साहब मरने वालों के नाम बतलायेंगे ?

श्री राम स्वरूप यादव--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री राम कुमार शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या मिनिस्टर साहब कृपा करके बतलायेंगे कि जिस मोहल्ले के सुनार मारे गये हैं और वह कुयें में पानी नहीं भरने पाते थे तो क्या अब वह लोग आसानी से कुयें से पानी पा जाते हैं ?

श्री राम स्वरूप यादव--इस सम्बन्ध में १४५ दफा के मातहत फौजदारी का मुकदमा दायर कर दिया गया है लिहाजा यह बतलाना मुश्किल है कि वह लोग पानी पाते हैं या नहीं। १४५ के मातहत झगड़े की जगह पर पुलिस का अधिकार हो जाता है जिससे कि वहाँ पर आइन्दा झगड़ा न खड़ा हो।

श्री वंशीधर शुक्ल--माननीय मिनिस्टर साहब ने जो ९ कत्ल बतलाये हैं उसके लिये कितनों पर मुकदमा चल रहा है और कितनों पर फ़ाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शफ़ीक अहमद खाँ तातारी--प्रश्न ६५ से सम्बन्धित। यह जो ५ साम्प्रदायिक दंगे हुये हैं उनमें से एक का विवरण दिया गया है। और बाकी जो चार हुये हैं वह कहाँ-कहाँ पर हुये और उनमें कितने मुल्जिम पकड़े गये ?

श्री राम स्वरूप यादव--यह जो कत्ल हुये हैं यह सन् १९५५ के दंगे में हुये हैं। इस तरह से सन् १९५५ में एक दंगा हुआ। सन् १९५६ में तीन दंगे हुये और सन् १९५७ में एक दंगा हुआ।

प्रश्न पत्र का आउट होना

*६९--**श्री हृदय नारायण सिंह**--क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में अंग्रेजी का द्वितीय प्रश्न पत्र कुछ स्थानों पर ज्ञात (आउट) हो गया था ?

श्री राम स्वरूप यादव--कानपुर में हाई स्कूल अंग्रेजी द्वितीय प्रश्न पत्र के ज्ञात होने की चर्चा थी जो निराधार सिद्ध हुई।

*७०--**श्री हृदय नारायण सिंह**--यदि हाँ, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम स्वरूप यादव--प्रश्न नहीं उठता।

*७१--(हस्तान्तरित)।

*७२--(उत्तर दिया जा चुका)।

*७३-७७--(स्थगित)।

अतारांकित प्रश्न

माण्टेसरी पाठशालाओं को अनुदान

१—श्री हृदय नारायण सिंह—किन मांटेसरी स्कूलों को १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में भवन तथा साज-सज्जा के लिये अनुदान दिया गया और कितना-कितना ?

श्री कमलापति त्रिपाठी (अनुपस्थिस्थित) (गृह, शिक्षा व सूचना मंत्री) —सूची संलग्न है ।*

२—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या मांटेसरी स्कूलों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की शिशु-शिक्षा संस्थायें भी प्रदेश में हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

३—श्री हृदय नारायण सिंह—यदि हां, तो कौन-कौन प्रकार की और कितनी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—५७ नर्सरी एवं ३ किन्डरगारटन ।

राजनैतिक पेन्शन पाने वालों की संख्या

४—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय (१-४-५८) राजनैतिक पेंशन प्राप्त करने वालों की जिलेवार क्या संख्या है ?

५—उन पर प्रत्येक जिले में इस समय कितना व्यय हो रहा है ?

६—इस में से कितना रुपया महिलाओं को दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्नों के उत्तर में विभिन्न प्रकार की सूचना के संकलन में जो समय व श्रम लगेगा वह प्रश्नों की उपयोगिता को देखते हुए उचित न होगा ।

७-९—(उत्तर दिया जा चुका) ।

उन्नाव में चोरी, डकैती व आग लगने की घटनायें

१०—श्री हृदय नारायण सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में कितनी डकैतियां, चोरियां तथा आग लगने की घटनायें हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उन्नाव जिले में १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में कुल ४० डकैतियां, २०९९ चोरियां और ११० आग लगने की घटनाएं हुई ।

११—श्री हृदय नारायण सिंह—इन में कितने लोगों की जानें गई, कितने व्यक्ति आहत हुये और कितना माल चोरी, डकैती में गया तथा अग्निदाह में नष्ट हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इनमें २१ व्यक्तियों की जानें गईं, ७६ व्यक्ति आहत हुये और चोरी में ४,५७,४०६·९३ रु० का, डकैती में ४९,९७९.२५ रु० का तथा अग्नि दाह में २,१६,३४० रु० का माल नष्ट हुआ ।

१२—श्री हृदय नारायण सिंह—इस में कितने लोग पकड़े गये, कितनों को सजा या फांसी हुई, और कितना माल बरामद हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इनके सम्बन्ध में ११८० व्यक्ति पकड़े गये, जिनमें से ४०७ को सजा हुई लेकिन फांसी किसी को नहीं हुई । ४४,०४४ रु० का माल बरामद हुआ ।

---

* देखिये नत्थी 'घ' पृष्ठ ६४ पर ।

पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण

१३—**श्री हृदय नारायण सिंह**—सन् १९५६ तथा १९५७ में किन-किन जिलों में कितने पुलिस अधिकारियों का तबादला या तनज्जुली वहाँ पर बढ़ी हुई चोरी, डकैतियों या अराजकता के कारण हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५६ में आगरा, बदायूँ, रामपुर, बस्ती, देवरिया, बलिया और जी० आर० पी० 'डी' सेक्शन, इलाहाबाद में वहां पर बढ़ी हुई चोरी, डकैतियों तथा अराजकता के कारण कुल ६ पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ और १७ पुलिस अधिकारियों की तनज्जुली हुई । सन् १९५७ में आगरा, शाहजहाँपुर, बदायूँ, रामपुर, उन्नाव, देवरिया, बलिया और जी० आर० पी० 'डी' सेक्शन, इलाहाबाद में उपरोक्त कारणों से कुल ८ पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ और १६ पुलिस अधिकारियों की तनज्जुली हुई ।

कीरतपुर, जिला बिजनौर, में टाउन एरिया के मेहतरों द्वारा की गई हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री चेयरमैन—अब प्रश्न समाप्त हुए । श्री शफ़ीक अहमद साहब ने एक काम रोको प्रस्ताव मेरे पास भेजा है । मैं उसको सुनाये देता हूँ :—

टाउन एरिया कीरतपुर, जिला बिजनौर में टाउन एरिया के मेहतर अपनी मांगों के सम्बन्ध में हड़ताल पर हैं और ५६ से अधिक व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जा चुके हैं । अपनी मांगों के सम्बन्ध में शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलाने पर गिरफ्तारी, सरकारी अधिकारियों की उपेक्षा व असावधानी के कारण यह आन्दोलन जिले भर में फैल रहा है । फलस्वरूप जिले की जनता में क्षोभ एवं रोष का वातावरण व्याप्त है और परिस्थिति विषम हो गई है ।

अतः इस जनहित की दृष्टि से आवश्यक विषय पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है ।

तातारी साहब क्या संक्षेप में बतला सकते हैं कि यह क्या है । इसमें प्रश्न यह है कि जो रूल्स के मुताबिक अर्जेंसी होना चाहिये और पब्लिक इंपार्टेंस होनी चाहिये जिससे कि सदन का काम रोक कर उस पर विचार किया जाय ।

श्री शफीक अहमद खाँ तातारी—मान्यवर, मैंने अपने काम रोको प्रस्ताव में यह बतलाया है कि ५६ आदमी गिरफ्तार किये जा चुके हैं । और गिरफ्तारी हो सकती हैं । इससे हालत यह हो रही है कि जिले भर में तैयारी हो रही है कि दीगर जगहों पर भी इस तरह की हड़ताल कराई जावे इसलिये यह मामला गम्भीर है । आशा है आप इसके लिये आज्ञा देंगे ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री)—यह विषय तो नगरपालिका से सम्बन्ध रखता है । सरकार इसमें आती नहीं है लेकिन आने से पहले मुझे पता चला कि यहाँ पर इस किस्म का एक विषय उपस्थित है । मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मजिस्ट्रेट से पूछ लेता कि बीच में पड़ कर उसका फैसला करा दो । सरकार की इसमें जिम्मेवारी नहीं है । यह नियम के अनुकूल नहीं है ।

श्री शफीक अहमद खाँ तातारी—कल परसों के लिये समय दें दें तो अच्छा होगा ।

श्री चेयरमैन—काम रोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरी राय है कि यह विषय स्थानीय महत्व का है, प्रादेशिक महत्व का मालूम नहीं देता है । जहाँ तक पुलिस का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में कहा गया है कि सुरक्षा की व्यवस्था कायम रखने में पुलिस ने कोई सुस्ती नहीं की है । वहाँ पर स्थिति शान्तिपूर्ण है और वातावरण क्षुब्ध नहीं है इसलिये यह काम रोको प्रस्ताव मंजूर नहीं किया जाता है । माननीय मंत्री महोदय से मेरा कहना है कि दो तीन रोज में इस परिस्थिति के सम्बन्ध में कोई स्टेटमेन्ट दे दें तो अधिक अच्छा होगा ।

प्रश्नों के उत्तरों की वैधता के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मोहम्मद शाहिद फाख्री—मैं आप के द्वारा सरकार से अर्ज करना चाहता हूँ कि आनरेबुल मेम्बर जब सवालात करते हैं तो आनरेबुल मिनिस्टर जवाब देते हैं और उस जवाब में फरमाते हैं कि यह सवाल नहीं उठता। इसको तय करने का हक चेयर को है या मिनिस्टर को कि है यह सवाल उठता है कि बैठता है। क्या इसका फैसला मिनिस्टर साहब फरमा सकते हैं?

श्री चेयरमैन—इसमें ऐसा है कि एक प्रश्न किया गया कि अमुक स्थान पर झगड़ा हो गया और उसकी वजह से वहाँ की परिस्थिति खराब है। उसके जवाब में कहा गया कि हाँ तो फिर सवाल होगा कि कितनी गिरफ्तारी हुई। यदि मिनिस्टर उत्तर देते हैं पहले प्रश्न का कि नहीं, वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, वहाँ पर वातावरण खराब नहीं है, तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में यदि वे कह दें कि यह प्रश्न नहीं उठता तो यह बिल्कुल ठीक है।

आप मुझे कोई ऐसी बात बता दें कि जिसमें पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा हो "जी हाँ" और दूसरे प्रश्न के उत्तर में कह दिया हो कि प्रश्न नहीं उठता। प्रारम्भ में पहले मैंने कहा था कि यह प्रश्न नहीं उठता। इसका सम्बन्ध चेयर से है। वह रूलिंग दे सकता है लेकिन जैसे मैंने बतलाया कि जब पहले प्रश्न का उत्तर साफ हो जाता है कि वाकया नहीं हुआ तो प्रश्न साफ है कि दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्ताव कि स्थायी समितियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली जाय

श्री ताप चन्द्र आज़ाद—मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि २५ स्थायी समितियों में से कुछ स्थायी समितियों के उन स्थानों की पूर्ति कर ली जाय जो कि उन सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने के कारण ६ मई, १९५८ से रिक्त हो गये हैं।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि २५ स्थायी समितियों में से कुछ स्थायी समितियों के उन स्थानों की पूर्ति कर ली जाय जो कि उन सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने के कारण ६ मई, १९५८ से रिक्त हो गये हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चेयरमैन—इसके लिये और पहले १-१ स्थान के लिये ४ दिसम्बर का दिन के १२ बजे तक नामिनेशन के लिये निर्धारित करता हूँ और यदि आवश्यकता हुई तो निर्वाचन ५ दिसम्बर को २ बजे से ५ बजे तक होगा।

सदन का कार्य-क्रम

श्री चेयरमैन—प्रारंभ में अगर उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक के लिये समय निर्धारित हो जाय तो अच्छा हो क्योंकि बिल बड़ा है। इस पर विचार करने के लिये आप लोग कितने दिन चाहते हैं। अगर ३ दिन मंजूर हो तो दे दिये जायें।

श्री शफीक अहमद खाँ तातारी—५ दिन तो दे दें।

डाक्टर ए० जे० फरीदी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—जनाब वाला, मेरी राय में एकाध रोज देखा जाय कि हाउस का ट्रेन्ड कैसा है। यह बिल बहुत जरूरी है। इस सेशन का यह पहला बिल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले दो-एक रोज देख लें कि हाउस का कैसा ट्रेन्ड है।

श्री चेयरमैन—मेरी राय है कि प्रारम्भ में विचार करने के लिये ३ दिन रखे जायं। बाकी अमेंडमेंट्स वगैरः के लिये फिर समय दिया जा सकता है।

श्री शफीक अहमद खाँ तातारी—५ दिन तो अवश्य रखे जाय। बाद को अगर आवश्यकता हो तो समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री शिव नारायण—मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री चेयरमैन—पहले सुन तो लीजिये। इसमें ६०० खंड हैं। इसके ऊपर यदि सदस्य कहने लगें तो समय अधिक हो जाता है। मेरी राय थी कि ३ दिन इसलिये दिये जांय कि जितने भी २०, २५ या ३० सदस्य बोलने वाले हैं वे बोल लें। ५ दिन इसलिये रखे जायँ कि जो सदस्य किसी प्वाइंट पर बोलना चाहते हैं तो जब संशोधन पेश हो तब कह लें। इस तरह से सदन के प्रत्येक सदस्य को मौका मिल जायगा कि जो बात वह कहना चाहता है वह कह सके। यदि आप कहेंगे तो समय अवश्य बढ़ा देंगे परन्तु प्रारम्भ में ३ दिन ही रखे जाँय। जैसा कि डाक्टर फरीदी साहब ने कहा है कि यदि हाउस का ट्रेन्ड होगा तो ३ दिन से ५ दिन कर दिये जायंगे।

श्री कुवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—मैं अर्ज करना चाहता था कि यह बड़ा इम्पार्टेन्ट विधेयक है। मैं चाहता हूँ कि ४ दिन कर दिये जाँय। ४ दिन काफी होंगे जनरल डिस्कशन के लिये।

श्री चेयरमैन—मैं ५ के लिये सहमत हूँ आप तो ४ कह रहे हैं। डाक्टर फरीदी साहब ने जो बात कही कि पहले ट्रेन्ड देख लिया जाय तो उसके लिये प्रारम्भ में ३ दिन रखे जाँय फिर ४ या ५ कर दिये जायेंगे।

श्री पीताम्बर दास—बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी का जो प्रोग्राम है उसमें १० वर्किंग डेज इसके लिये अभी रखे गये हैं। यह बात दूसरी है कि यह बिल हमारे सामने २४ को आना चाहिए था और आज २८ को पेश हो रहा है। लेकिन कमेटी ने १० वर्किंग डेज दिये थे और उसमें यह भी था कि यदि आवश्यकता हुई तो १० दिन से आगे बढ़ा देंगे। यह लोअर हाउस से पास होकर आया है उस वक्त जब कि प्रतिपक्षी दल वहाँ उपस्थित नहीं थे। इस हाउस में इसलिये इस विधेयक पर अधिक गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। ज्वाइंट सिलैक्ट कमेटी में जाने से पहले इस पर बहस नहीं हो पाई थी।

श्री चेयरमैन—मैं तो सदन के हाथ में हूँ।

श्री पीताम्बर दास—अध्यक्ष महोदय, आप केवल मेरी बात कहने से मुझे रोक रहे हैं।

श्री शिव नारायण—Point of order, Sir, अननेससरी बात कर रहे हैं। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि इस समय सिर्फ सजेसन ही आप को दिये जा सकते हैं।

श्री चेयरमैन—There is no point of order.

श्री पीताम्बर दास—मैं सजेसन ही दे रहा हूँ और उसके लिये दलील दे रहा हूँ। १० दिन इसके लिये निर्धारित किये गये हैं। ५ दिन तो प्रथम वाचन के लिये निर्धारित किये जांय। अगले शुक्रवार तक इस को रखा जाय क्योंकि बीच में एक नान आफिशियल डे भी होगा। आज से लेकर अगले शुक्रवार तक इस पर जनरल डिसकसन समाप्त हो जायेगा और इससे अधिक समय जनरल डिसकसन पर लगेगा भी नहीं।

श्री मती शिवराजवती नेहरू—अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि जनरल डिसकसन में ज्यादा लोग बोलते हैं। जो आपने कहा कि केवल २०, २५ ही लोग बोलेंगे तो ऐसी बात नहीं है। इस का नतीजा तो यही होगा कि औरतों का नाम लिस्ट से काट दिया जायेगा।

श्री इसहाक सम्भली (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, क्या फैसला हुआ है?

श्री चेयरमैन—कोई फैसला नहीं हुआ है। यह तो आपके हाथ में है। मैं कोई निश्चय थोड़े ही कर रहा हूँ।

सन् १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक

श्री विचित्र नारायण शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९५७

ई० के उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय ।

सदन के सामने यह प्रस्ताव पेश करते हुये मुझे जहाँ बहुत खुशी है वहां इस बात को जाहिर करने के लिये भी मजबूर हूं कि इस विधेयक को लाने में जितनी देरी हुई है और इस वजह से जो गलतफहमियां हुई हैं और मेरा ख्याल है कि उन्हें बहुत नाजायज भी नहीं कहा जा सकता है, इसके लिये हम सब को दुख है । मैंने विधान सभा में भी यह कहा था कि हमें इसके लिये दुख है कि इतनी देरी हुई है । बहुत पहले कुछ कबाल टाउन्स में हम लोगों ने सिर्फ इसलिये एडमिनिस्ट्रेटर का शासन स्थापित किया था कि हम चाहते थे कि नगर निगम या कारपोरेशन बिल जल्दी आ जाय और वहां पर कारपोरेशन स्थापित कर दिये जांय । बहुत-से कारण हुये, उन में हमारी लापरवाही हुई है, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन दूसरे कामों की वजह से हम यह नहीं कर सके । इससे पहले यानी डेढ़ साल पहले यह सलेक्ट कमेटी से पास हो गया था फिर भी मौका नहीं मिल सका । मैं तो समझता हूं कि जहां तक सरकार की जिम्मेदारी ठहरायी जा सकती है कि क्यों देरी होती है कानून पास होने में वहां पर अगर हम अपने दिल को टटोलें तो शायद हम सभी लोग कुछ-न-कुछ दर्जे तक जिम्मेदार हैं । हम ज्यादा देर तक बैठने के लिये तैयार नहीं हैं, छुट्टियों के लिये भी हम ज्यादा इसरार करते हैं और मैं समझता हूं कि अगर हम ज्यादा बिजनेस लायक हों तो ज्यादा काम कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं । लेकिन वह तो माननीय सदस्यों के हाथ में है । वह चाहें तो नियम बदल सकते हैं और कुछ ज्यादा दिन बैठ सकते हैं । लेकिन मैं इसलिये इसके लिये आग्रह नहीं करूंगा क्योंकि वह इस समय मेरा विषय नहीं है लेकिन यह बात सही है कि इस असुविधा के कारण बहुत-से जरूरी कामों में देर होती है । इस नगर निगम के विधेयक को एक साल के बाद हम विधान सभा में ला सके, सेलेक्ट कमेटी से पास हो जाने के बाद । बात यह है कि आखिरी समय में यह शब्द बदला गया है, इसलिये वह शब्द जबान पर चढ़ा हुआ है, तो इस महापालिका विधेयक को हम कांफी देर से ला सके । यह शिकायत भी यहां हुई कि जिस समय यह यहां पास हुआ तो अपोजीशन के प्रायः सभी सदस्य गैर हाजिर थे, इसलिये यह बहुत जल्दी पास हो गया । मेरा ख्याल है कि चार-पाँच दिन पहले यह पास हुआ होगा, इतना तो मैं मान सकता हूँ लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इसकी वजह से इस विधेयक में कोई खास परिवर्तन हुआ है, तो इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। शुरू से, जिस समय से इसको प्रवर समिति को पेश किया गया, अगर माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति की रिपोर्ट पढ़ी होगी, थोड़ा-सा भी ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि किसी जगह भी इसको किसी पार्टी लाइन पर, पार्टी के बायस से, या किसी पक्ष को सबल बनाने और किसी को नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से इस पर किसी भी जगह, किसी हालत में विचार नहीं हुआ । हर वक्त हर स्टेज पर मेरिट्स को देखते हुये कि क्या ठीक है, शासन और प्रबन्ध के लिये क्या ठीक है, इस दृष्टि से विचार हुआ और कोई भी पूर्व विश्वासों के आग्रह को ले करके कहीं भी इसमें काम नहीं हुआ हमें अफसोस था कि बहुत-से हमारे मित्र उपस्थित न रह सके लेकिन कोशिश यह की गयी कि जो लोग वहां थे उन्होंने जो सुझाव दिये, उनको हम आखिरी-से-आखिरी स्टेज पर भी माना । उनको हमने स्वीकार किया बशर्ते कि वह हमारे सारे विधेयक के ढांचे को सूट करता हो और खूबसूरती के साथ में उसमें बैठता हो, उसकी शकल को बिगाड़ दे या उसकी शकल की तरतीब को बहुत खराब कर दे, ऐसे सुझावों को हम स्वीकार न कर सके । लेकिन जो इसमें ठीक तरह से बैठते थे, उनको स्वीकार करने में सरकार को कभी भी हिचक नहीं हुई । आज भी मेरी विनती वही है और सरकार का कोई पूर्व आग्रह नहीं है कि यह बात होनी ही चाहिये, लेकिन एक चीज इस माननीय सदन के सामने विचार के लिये रखना चाहता हूं और वह यह है कि काफी देर में इस विधेयक के पास होने की वजह से चुनाव नहीं हो रहे हैं । काफी शिकायतें, जायज और नाजायज दोनों इसके बारे में हैं कि प्रबन्ध बहुत गलतियों के बीच से होकर जा रहा है और जो प्रशासकों का शासन काल है इसको जल्द-से-जल्द खत्म किया जाय । हमारी कोशिश है और हम यह चाहते हैं कि किस तरह से यह ऐसा हो कि अगले साल के शुरू में ही चुनाव हो जाय और अगर चुनाव हो जायेंगे तो मार्च, अप्रैल से यह महापालिकायें अपना काम शुरू कर दें ।

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

इस सदन में ऐसी बातें कही जा सकती हैं कि जिसकी वजह से इस विधेयक में संशोधन करने की जरूरत महसूस की जा सके और सरकार भी यह महसूस करे कि वास्तव में यह संशोधन हो जाय तो विधेयक सुधर जायेगा, उसमें सुधार हो जायेगा। तो मेरा निवेदन यह है कि इस समय हम विचार तो अवश्य करें लेकिन यह आग्रह न करें कि इन संशोधनों को आज ही स्वीकार कर लें आप यह आग्रह न करें कि यहां पर संशोधनों को स्वीकार किया जाय। अगर हम कोई छोटा-सा भी संशोधन स्वीकार करते हैं, तो इस से चुनाव में बहुत देरी हो जायगी, जिससे काफी दिक्कत पड़ेगी। हम जो इस बिल के द्वारा पाँच बड़े शहरों को अधिकार देना चाहते हैं, उसमें देरी होगी। मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे विभाग ने स्वयं इस बात पर विचार किया है कि इसमें कुछ संशोधन होने चाहिये, इसमें कुछ कमी रह गयी है, जिसको दूर करना चाहिये। अगर हम उस गलती को दूर करेंगे तो उसमें कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन इन सब बातों पर विचार करने के बाद यह राय कायम हुई कि इस वक्त इस को ऐसे ही पास कर दिया जाय, बाद में एक संशोधक विधेयक ला कर इसमें कुछ संशोधन किये जायें। इस वक्त जो इस माननीय सदन से हम को सुझाव मिलेंगे, उन पर हम उस वक्त गौर करेंगे। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस वक्त इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा करने में काफी समय लग जायेगा और चुनाव वक्त से न हो सकेंगे।

जहाँ तक इस विधेयक की बात है, इस का आकार बहुत ही बड़ा है। उस को देख कर डरना नहीं चाहिये। देखने में सचमुच यह बहुत ही भयंकर-सा मालूम होता है। अखबारों में भी इस के बारे में काफी निकला है कि इतना बड़ा बिल इतनी जल्दी पास हो गया। मैं समझता हूँ कि इसमें इस वक्त कोई भी रद्दोबदल करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां दूसरी जगह पर भी कारपोरेशन ऐक्ट बने हुये हैं। हमने उसी के मुताबिक इसको भी बनाया है। कुछ शब्दावली में हेरफेर जरूर है। इसमें बहुत थोड़े से ऐसे विषय हैं, जिन पर विवाद हो सकता है। सफाई, नाली, पानी तथा मकानों के बारे में तफसील में कुछ हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन जनरल बातों पर कोई भी मतभेद नहीं हो सकता है। इसमें कुछ बातों के बारे में खानापुरी की गयी है, क्योंकि उन का लाना बहुत ही जरूरी है। हमारे देश में दो तरह के कारपोरेशन बने हुये हैं, एक तो बम्बई का है और दूसरा कलकत्ता का है। दोनों में थोड़ा-सा फर्क है। हम लोगों ने अपने यहाँ पर ज्यादा तर बम्बई के तरीके को आधार बना कर काम किया है और उसी के मुताबिक अपने इस बिल को भी बनाया है। और हमें वह ज्यादा एफीसियेन्ट मालूम हुआ। वहां सरमायेदार हैं या नहीं हैं, यह सवाल नहीं है, लेकिन वे लगातार उस शहर के लिये ऐसे काम करते आ रहे हैं जिससे कि वह काफी साफ है। यह बदकिस्मती बम्बई या वहां के सरमायेदारों की ऐसी है कि उस शहर की आमदनी ज्यादा है और वहां पर अमीर लोग रहते हैं और वहाँ पर काफी अच्छी तरह से इस का काम हो रहा है। हमारे देश के बड़े-बड़े नेता लोगों ने वहां पर काम किया और बम्बई शहर को सफाई की दृष्टि से, प्रबन्ध की दृष्टि से अच्छा बनाने की कोशिश की और उस में वे कामयाब भी हुये। उस की वर्किंग ही ऐसी है कि उसमें वे कामयाब हुये और इसीलिये हम ने उसी आधार पर यह विधेयक भी बनाया। लेकिन हमने उस की कुछ चीजें नहीं अपनाई है। जनरल स्ट्रेक्चर रखकर थोड़ा इधर-उधर हेर-फेर कर के हमने इसे बनाया है, लेकिन उसी लाइन पर लाने की कोशिश की है।

अभी यह कहा गया कि कितने दिन के अन्दर यह विधेयक पास हो। दिल्ली के अन्दर यह हम से बाद में शुरू किया गया, लेकिन हम से पहले वहाँ पास हो गया और पार्लियामेंट ने, जहाँ पर कि यहां से दुगुने और तिगुने सदस्य हैं, इस को १० दिन के अन्दर पास कर दिया। इसीलिये मैं कहता हूँ कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस को हम समझें कि हम कोई खतरनाक चीज जल्दी में पास कर जायेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। फिर भी इस में मतभेद के लिये जगह है।

इसमें सब से ज्यादा, जो हमने मेयर रखा है और जिसे इस में नगर प्रमुख कहा गया है, उस के विषय में क्रिटिसिज्म हुआ। आज तो यह सभी को विदित है कि अपने इस देश में ही नहीं

बल्कि दूसरे देशों में भी डेमोक्रेसी जितनी अच्छी तरह से चलनी चाहिये, उतनी अच्छी तरह से नहीं चल रही है। हमारे पड़ोसी जो देश हैं, वहां किस तरीके से डेमोक्रेसी का लोप हो गया। अपने देश में भी कितनी ही बार वह नजर में देखने में आये हैं जिनको हम किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक सिद्धान्त पर जस्टीफाई नहीं कर सकते हैं और उनको सही नहीं बतला सकते हैं। तो यह खतरा है। हम सिद्धान्तों को छोड़कर यदि स्वार्थ को अपनायेंगे, तो उसमें झगड़ा होना अनिवार्य है और डेमोक्रेसी को जो सब से ज्यादा खतरा है, वह यही है कि जिन लोगों पर डेमोक्रेसी को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी जाय, वे जन हित में काम न करें और केवल अपने ही हित में काम करें। जहां इस तरह की खींचातानी है, स्वार्थ है, वहां डेमोक्रेसी कभी सफल नहीं हो सकती है। इस डेमोक्रेसी में हमें जो सिद्धान्त मिलते हैं, जो सुविधायें मिलती हैं, जो मौके मिलते हैं, इन सब का लाभ व्यक्ति के लाभ के लिये, पार्टी के लाभ के लिये, दल के लाभ के लिये यदि उठाये जाते हैं, तो डेमोक्रेसी सफलता नहीं मिल सकती है। और इस का सब से बड़ा खतरा यही है। जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज हैं, वहां भी इस तरह की बातें दिखलाई देती हैं। अभी एक साल पहले हमारे यहां म्युनिसिपल बोर्ड्स के चुनाव हुये थे, लेकिन आज बहुत कम बोर्ड्स ऐसे हैं जहां पर कि झगड़े न हों। जहां लोग बहुमत से चुने गये और अपनी पार्टी को उन्होंने बहुमत में पाया, वहां भी उन्हें काम करने में कठिनाई हुई और बहुत सी जगहों में तो नो कान्फीडेन्स मोशन भी आ रहे हैं। आज से पहले आते, लेकिन चूंकि शर्त है, एक साल के पहले नहीं आ सकते इसलिए नहीं आये। जैसे ही एक साल खत्म हो रहा है वैसे ही नोटिसेज के ऊपर नोटिसेज आ रहे हैं या फिर कुछ लोग सुपरसेशन के लिए हमारे पास दौड़े चले आ रहे हैं। दुःख होता है यह सब देख कर। मुझे बहुत कुछ डेमाक्रेसी से प्रेम था, और विश्वास भी उसमें है.....

श्री शफीक अहमद खाँ तातरी—अब नहीं है।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—नहीं है, यह कहना तो सम्भव नहीं, इसलिए कि आज भी डेमाक्रेसी के अलावा दूसरा आल्टरनेटिव दिखलाई नहीं पड़ता। जो कुछ दोष हैं, उसके बावजूद भी सब से बेहतर है। इसलिए मैं कहूं कि विश्वास नहीं है,यह गलत है लेकिन काफी आशंकायें हैं काफी दर्द होता है देख कर, यह अगर मैं न कहूं तो शायद जो सच्चाई है मेरे सामने उसके प्रति मैं वफ़ादार न रहूंगा। बदकिस्मती से मुझे जो विभाग मिला है उसमें रहकर बहुत अन्दर से चीजों को देखने का मौका मिलता है। अगर इसमें न रहता तो शायद मेरे विचार, मेरी भावनायें उतनी ही स्वच्छ, उतनी ही सरल और उतनी ही इग्नोरेन्ट रहतीं जितनी बहुत से बाहर के भाइयों की हैं जो दूर से चीजों को देखते हैं और वस्तुस्थिति का जिन को पता नहीं है। तो यह कशमकश जो होती है, वह भी ज्यादातर पावर के लिए सुविधाओं के लिए झगड़ा होता है। उसे हम कुछ मिनि-माइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं यही हमारे सामने प्रश्न है। और हमने यह सोचा कि अगर लोगों के सामने यह आकर्षण न रहे तो कुछ लाभ होगा और इन्सान सही राय कायम कर सकता है। दिमागों में बहुत कम लोगों के कमी है। हिन्दुस्तान का औसत आदमी दुनिया के इन्सानों से कुछ कम अक्ल रखता है ऐसा मेरा विश्वास नहीं। मैं समझता हूं कि पढ़ा-लिखा कम होने के बावजूद भी हिन्दुस्तान का साधारण आदमी दूसरे देशों के साधारण आदमी से ज्यादा इन्टेलीजेंट और कामनसेंस रखने वाला है। इसका एक सबूत तो यह है कि देश में बिना किसी पहले एक्सपी-रियंस के एडल्ट फ्रेंचाइज किया गया और जितना शान्तिपूर्ण सन् १९५२ का चुनाव हुआ मेरा खयाल है कि इतिहास में बहुत ही कम ऐसे उदाहरण मिलेंगे। और अगर हम लोगों ने, जिन के हाथ में जनता की बागडोर है, उनकी राय को चलाने वाले हैं, उतनी ही अकलमन्दी के साथ काम लिये होते तो सन् १९५२ के बाद जो चुनाव हुए, उनमें जो फ़िज़ा होती वह कहीं ज्यादा बेतरह होती। यह सब होते हुए बाज भी मेरी राय, चूंकि मैं मिनिस्टर हूं, कुछ पक्षों से गलत हो सकती है। लेकिन मेरे सामने के दोस्त जिनकी कोई गरज नहीं है, वह शायद हमेशा सही राय देते हैं। सब से बड़ा कारण उनकी राय सही होने का यह है कि बाज उनके पास कोई पक्ष नहीं है जिसको वह सर्व करना चाहते हों। जिस जगह पक्ष आ जायेगा वहां उनसे भी गलती होगी इसमें मुझे कोई शक नहीं। कम-से-कम वह दोस्त तो हमारी गलती इसलिए निकालते हैं कि हमारे पास कुछ आग्रह हैं कुछ इन्टेरेस्ट हैं जिन को हम सेव करना चाहते हैं इसलिए हमारी राय गलत होती है।

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

इस विधेयक में हमने यह कोशिश की है कि जो मेम्बर हों उनको ज्यादातर पालिसी मेकिंग क्वयश्चन जो है, जिनके अन्दर बिना किसी पक्ष के, बिना किसी स्वार्थ के राय कायम करने का जो काम है, सौंपा जाये। और जहां उनका स्वार्थ है उससे उनको कुछ दर्जे तक अलग रखा जा सके तो यह महापालिकायें ज्यादा अच्छी तरह से चल सकेंगी......ऐसा विश्वास कर के यह हमने पहले रखा है। जहाँ तक नीति का सवाल है, बड़े-बड़े मसले हैं, कार्यक्रम का सवाल है उन सारी चीजों का एलेक्टेड मेम्बर्स करें लेकिन डिटेल्स का चलाने की जहाँ बात है, जैसे ठेके देना, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर कितना सीमेन्ट खर्च हो रहा है इन चीजों में अगर सदस्य लोग न हस्तक्षेप करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यही स्ट्रक्चर हमने रखा है और जितने हमारे सारे सदस्य हैं यहां तो २, ३, ४ पार्टीज के हैं लेकिन वहां और भी हो सकते हैं और फिर, यह सब अगर इन्टरफियर करें तो काम नहीं चल सकता है। एक यह ख्याल रखा गया है।

दूसरा ख्याल यह रखा गया है कि सरविसेज के एप्वाइन्टमेंट्स में भी कम-से-कम व्यक्तिगत शख्शियत को आने का मौका मिले। २०० रुपये के ऊपर जितने भी इन्तखाब हों वह पब्लिक सरविस कमीशन से हों, २०० के नीचे के जो हों उनका नगरप्रमुख और २, ३ आदमी हमारे जो नगर के मुख्य अधिकारी हैं, एकाउन्ट्स के हैं और जो डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं वह मिल कर करें और जो छोटे-छोटे हैं उनका डिपार्टमेंट्स के हेड्स पर छोड़ दिया जाय। इस तरह से कोशिश की गई है कि ज्यादा-से-ज्यादा निष्पक्ष भाव से काम चल सके। रोजमर्रा के कामों में सदस्यों को हस्तक्षेप करने का प्रलोभन न रहे तो शायद हम जो बना रहे हैं यह सक्सेजफुल होगा।

दूसरी चीज हमने यह रखी है, वह एक आध जगह से वैरियेशन रखती है, कि नगरप्रमुख का समय सिर्फ एक साल का रखा है। यह हम लोगों ने जान बूझ कर किया है। इसका कारण यह है कि मेयर की एक बड़ी प्रतिष्ठित पोजीशन मानी गई है। आदर में, सम्मान में वह शहर का सब से फर्स्ट सिटीजन कहलाता है। ऐसे व्यक्ति की मर्यादा का यह अच्छा नहीं मालूम होता है कि उसके बरखिलाफ नो कान्फीडेन्स का मोशन आवे और अगर नो कान्फीडेन्स का मोशन नहीं आता है तो फिर जो मेयर साहब हैं उन्हें रोजमर्रा की गलतियों से दूर रखना होगा। जब वह रोजमर्रा के काम में रहेंगे तो गलती होना सम्भव है और जब यह ख्याल हुआ तो यह हुआ कि उनका एक साल का टर्म रखा जाय! नगर प्रमुख का स्थान माननीय है और प्रतिष्ठित है। जो रोजमर्रा के काम हैं उसके लिये डिप्टी मेयर रहेगा। वह इक्जीक्यूटिव वगैरा का प्रधान रहेगा, पांच साल तक उसका कार्यकाल होगा और उसके बरखिलाफ नो कान्फीडेन्स का मोशन आ सकता है। यह थोड़ा इस वजह से करना पड़ा कि मेयर साहब के हाथ से काम ले लिया गया लेकिन जहाँ तक उनके हाथ से काम लिया गया उनके वास्ते यह भी हुआ कि उनके खिलाफ नो कान्फीडेंस का मोशन न आवे। एक बार वह चुने गये तो फिर बीच में उनके आदर की प्रतिष्ठा की खेंचातानी न हो और उनकी उपेक्षा न की जा सके इसलिये एक साल रखा गया है।

बाम्बे में भी यह पैटर्न है और बरसों तक यह रहा। उसका बड़ा एडवान्टेज यह है कि कुछ जगहों पर लोग प्रतिष्ठा चाहते हैं और कुछ जगह पर ताकत चाहते हैं तो इस तरह से दोनों व्यक्तियों को आप संतुष्ट कर सकते हैं, उनका स्वभाव और योग्यता को देखते हुये, इस तरह से विभाजन कर सकते हैं। बाम्बे के अन्दर बरसों तक डिप्टी मेयर के पद पर श्री पाटिल साहब रहे और बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने निभाया। मेयर की इच्छा न कर के डिप्टी मेयर ही कर के वह काम करते रहे। तो यह पैटर्न वहाँ का है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा सिर्फ एक चीज अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेन्ट का कन्ट्रोल हमने कम-से-कम रखने की कोशिश की है जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया था, इधर अनुभव कुछ कड़ुवा है और बराबर इशारा किया जाता है कि गवर्नमेन्ट इन्टरफियर करे। इतनी बातें कही जाती हैं कि फलाँ म्युनिसिपैलिटी में जो हैसियत कर लगाया जाता है वह एक पार्टी के लोगों पर लगाया जाता है और अपनी पार्टी वालों पर कम लगाया जाता है। जरा-जरा-सी बातों पर अभी एक एडजर्नमेन्ट मोशन आया था उसमें भी यह आशा की जाती थी कि गवर्नमेन्ट इन्टरफियर करे तो इस दृष्टि से मैंने यह कोशिश की है कि हम इन्टरफियर कम-से-कम करें, अनुभव इधर दूसरे आ रहे हैं, फिर भी कोशिश यह है कि

कम-से-कम इन्टरफियर करें। जहाँ ज्यादा खराब प्रबंध है वहाँ हम सिक्लेशन करा दें। विघटन करें और एलेक्शन करा दें। उसके बाद भी पोजीशन न सुधरे तो सिर्फ एक साल के लिये सुपरसेशन करें। इतने के बाद भी [illegible] होने पर विघटन करने के बाद और सुपरसेशन करने के बाद फिर असेम्बली और इस सदन की आज्ञा ले कर कोई कार्य किया जाय ताकि सरकार जो कुछ करे या किस तरह से अपना विचार रखती है, उसकी यह मुहर लग जाय। तो ज्यादा-से-ज्यादा जो हम कर सकते थे उदार बनाने की हमने कोशिश की। यह हम नहीं कर सके कि बिल्कुल कन्ट्रोल न रखें। ऋण लेने के सम्बन्ध में यह किया गया है। अगर कोई नगर महापालिका इतनी ऋणी है जो इसके लिये खतरनाक हो सकती है और ज्यादा ऋण लेना तो वहां सरकार की आज्ञा लेनी पड़ेगी। ऋण लेने वाली तो सभी नगरमहापालिका है। सिर्फ ऋण लेने से ही ऋणी है ऐसा नहीं समझा जायेगा। इसके लिये निर्णय किया जायेगा कि और ऋण लेना खतरनाक हो सकता है और वह सरकार [illegible] बिना सरकार की आज्ञा के और ऋण नहीं ले सकेगी। तो इस तरह से ऋण लेने के संबंध में सरकार का इन्टरफियरेन्स है कि मर्यादा के बाद जहां सरकार समझती है कि और ज्यादा ऋण लेना खतरनाक हो सकता है तो यह बन्धन लगाया गया है कि इस संबंध में वह आज्ञा लेगी। इस तरह से आप देखेंगे कि इसको अधिक-से-अधिक उदार और ज्यादा-से-ज्यादा मौका चुने हुये सदस्यों को अपने अपने नगर का प्रबन्ध करने का, इसकी पूरी कोशिश की गई है। दिक्कत यह न रहेगी कि सरकार ने अधिकार कम दिया है। आप देखेंगे कि काफी व्यापक अधिकार हैं और स्कोप बढ़ा दिये गये हैं। दिक्कत यह रहेगी कि पर्याप्त पैसा आता है या नहीं। सरकार ने थोड़ा-सा अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शन ले कर भी यह किया है कि इतने से कम कर न लगाया जाय, यह इसलिए है ताकि कुछ धन आ जाय जिसका उपयोग या सदुपयोग वह लोग कर सकें। तो एक कमी यह हो सकती है कि साधनों की कमी है और दूसरी कमी जिसका भय मुझ को ज्यादा है वह यह है कि वास्तव में जो माननीय सदस्य वहाँ पर चुन कर आयेंगे वह अपनी योग्यता की उपयोगिता जो है वह अपने नगर की सेवा में लगाते हैं या दलगत भावनाओं से प्रेरित हो कर लड़ाई झगड़ों में अपना समय खर्च करते हैं। सब से बड़ी दिक्कत यही है कि सद्भावनाओं की कमी है। इस कमी को हम कोई भी विधेयक बना कर या सरकारी आदेश निकाल कर पूरी नहीं कर सकते हैं। यह हमारे और आपके सब के सहयोग से, नेताओं के सहयोग से देश में ऐसा वातावरण पैदा कर सकते हैं कि हमारी शक्तियों का विधायक कामों में रचना के कामों में सदुपयोग हो। जो अवसर हमको मिल रहा है उससे हम लाभ उठा सकें। श्रीमान शुरू में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ और फिर माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनने के बाद मैं कुछ कहूँगा आशा है जो प्रस्ताव मैंने रखा है उस पर माननीय सदन अपनी सहमति देगा।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—जनाब चेयरमैन साहब, इस वक्त जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका बिल १९५७ जो कि हमारे आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने सदन के सामने रखा है उसके मुतलिक कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जनाबवाला यह बिल असेम्बली में अप्रैल सन् १९५७ में पेश हुआ था। जुलाई सन् १९५३ में यू० पी० लोकल बाडीज़ अप्वाइंटमेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन आर्डीनेन्स ईशू किया गया था। उसमें से ज़रा-सा मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ।

For the appointment of Administrators for civic affairs in KAVAL towns with a view to establishment of Corporation.

यह सन् १९५३ में सरकार ने लागू किया था और इसके साथ ही जुलाई में एक प्रेस नोट ईशू हुआ था, उसमें था

The draft of the necessary legislation on the subject is already in hand.

यह वाकया जुलाई सन् १९५३ corporation in these towns some time next year.

इस गवर्नमेंट से पाँच वर्ष ४ महीने हुये यह बात कही थी और आज यह बिल हमारे समने आया है। इस अर्से में जनाबवाला, यह डिपार्टमेंट कई मंत्रियों के हाथ में गया और कई मिनिस्टर

[डाक्टर ए० जे० फरीदी]
बदले लेकिन म्यूनिसिपैलिटी के ऐडमिनिस्ट्रेटर वही रहे। पहिले गौतम साहब थे, फिर अली जहीर साहब आये और अब जनाब मोहतरिम शर्मा साहब हमारे सामने हैं। लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेटर्स का रूल वही कायम रहा। हमारे कैंवाल टाउन्स के आगरे शहर की म्युनिसिपैलिटी का एलेक्शन सन् ३५ में हुआ था और आज सन् १९५८ है। २३ साल हो गये वहाँ पर एक नस्ल-की-नस्ल निकल गई और वहां के लोगों ने सिविक राइट्स (Civic rights) जाने ही नहीं। वहां के लोगों ने सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन देखा ही नहीं।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--तब हम लोग शासन में नहीं थे।

डाक्टर ए० जे० फरीद--जब आप आये उसी वक्त चुनाव होना चाहिये था। लखनऊ में सुपरसेशन सन् १९४८ में हुआ था। तब तो आप लोग थे। १० साल हो गये यहाँ के एलेक्शन हुये। और दूसरे कैंवाल टाउन्स में यह एलेक्शन्स १९४४ में हुये थे। हर पार्टी ने इसकी बुराई किया है। अभी काबिल मिनिस्टर साहब ने जम्हूरियत की तरफ हम लोगों की तवज्जह दिलाई है। अगर जम्हूरियत का किसी सरकार ने गला घोटा है तो वह यह सरकार है। इसकी बहुत-सी वजूहात बतलाई गई। यह कहा गया कि दूसरे कामों में मशगूल थे। एलेक्शन न होने के सब लोग जिम्मेदार हैं। मेम्बर देर तक बैठते नहीं हैं तो यह जुर्म हम लोगों पर नहीं होता है। यह बिल पहली मर्तबा हमारे सामने आया है इसलिये हम लोग इसके जिम्मेदार नहीं हैं। यह सरकार समझती थी कि कैंवालटाउन में रहने वाले इन्तजाम नहीं कर सकते। उनको इन्तजाम करने का शऊर नहीं है इसलिये सरकार की जनता के ऊपर भरोसा नहीं था। यह गवर्नमेंट अपने-आप को ज्यादा अक्लमन्द समझती है। बहरहाल गवर्नमेंट अपने-आपको कैंवाल्स टाउन के रहने वालों से अलग समझती रही वरना एलेक्शन कराती। इससे पहले एलेक्शन हुआ होता तो ज्यादा बेहतर था। यह बिल असेम्बली में कुछ हफ्तों के अन्दर पास हो गया और अगर सरकार चाहती तो इस हाउस से भी पास करा लेती लेकिन हम को इसके लिये मौका दिया गया कि हम अपनी राय इसमें जाहिर कर सकें। उस जमाने में हम लोग यहां पर नहीं थे लेकिन इससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और अपना कर्तव्य निभायेंगे। इस बिल में हर खामी पर, हर कमजोरी पर, हर गलती पर हम जनाब का ध्यान और सदन का ध्यान जरूर दिलायेंगे। इसको पास करने में हम हरगिज जल्दी नहीं करेंगे। जब गवर्नमेंट साढ़े पांच वर्ष में इसका ड्राफ्ट तैयार कर सकती है तो हम लोगों को भी वक्त मिलना चाहिये। माना कि हम लोग उतने अक्लमंद नहीं हैं जितना गवर्नमेंट है। एलेक्शन में अगर देर हो तो सरकार उसकी जिम्मेदार है हम अपने फर्ज से दर गुजर नहीं होंगे। मंत्री जी ने कहा कि यह बिल पार्लियामेन्ट में बहुत जल्दी पास हो गया। पार्लियामेन्ट में दिल्ली के रहने वाले कितने होंगे ? दिल्ली कारपोरेशन बिल पार्लियामेन्ट में पास हुआ मगर उसमें इन्टरेस्टेड लोग कितने थे। यहां तो इस सूबे की बात है इसलिये हम सब लोग इस पर बोलेंगे अगर देर लगे तो सरकार की बदकिस्मती कहिये, हमारी बदकिस्मती कहिये, कैंवाल्स टाउन के रहने वालों की बदकिस्मती कहिये। जब दस वर्ष इन्तजार हो सकता है तो चन्द हफ्ते और इन्तजार में कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर सरकार इस बात के लिये कोशिश करेगी और वाकई सिन्सीयर है तो हम उसके साथ हैं। हम से ज्यादा कोई इस वक्त कोई और ऐसा नहीं है जो चाहे कि एलेक्शन जल्द हो जाय अगर सरकार कहती है कि एलेक्शन जल्दी होना चाहिये तो हम भी कहते हैं कि जल्दी होना चाहिये। हम भी चाहते हैं कि एलेक्शन जल्दी हो जाय। हमारे बुजुर्ग ने कहा कि पार्टी लाइन पर यह बहस नहीं होनी चाहिये इससे मैं भी बिल्कुल इत्फाक करता हूँ जहां तक इस बिल का ताल्लुक है हम लोग पार्टी लाइन पर बहस नहीं करेंगे लेकिन जहां तक शहरी जिन्दगी का ताल्लुक है उस सिलसिले में यह कहना चाहता हूँ कि इसके अन्दर इस तरह से हिस्सा लेंगे गोया वे सब की भलाई के लिये काम करते हैं। उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक जो हमारे सामने है उसमें यह भी कहा गया कि यह बम्बई के मांडल पर बनाया गया है। भारत में १५ म्युनिसिपल कारपोरेशन हैं सब से पहले मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में कारपोरेशन कायम हुये और सब से आखिरी अप्रैल सन् १९५८ में दिल्ली में कारपोरेशन स्थापित हुआ। बम्बई कारपोरेशन ऐक्ट सन् १८८० में बना। इस बिल के बनाने वालों ने दूसरे कार्पोरेशन से फायदा उठाया है। जब हमरे सामने जीती जागती

मिसालें मौजूद हैं तो कोई वजह नहीं कि उसका फायदा न उठाया जाय। नकल राचें अकल क्लाज ४६५ में ब्रायेल्स वगैरह का जिक्र है। कोई स्कूल ब्रायेल्स के पास न हो न कोई बोर्डिंग हाउस हो तो यह वैसा का वैसा ही लिख दिया गया है लेकिन जहां कहीं इन्होंने जिद्दत की है वहां खराबियां हैं। पूना, बम्बई, हैदराबाद का जैसा है वैसे ही रख देने तो बमह में देर न लगती और हम लोग मान लेते। जहां-जहां सरकार ने इसमें हाथ डाला है उसमें खराबियां पैदा हो गई हैं। पहले तो नामेनक्लेचर सब बदल दिया। मेयर की जगह नगर प्रमुख डिप्टी मेयर की जगह उपनगर प्रमुख म्यूनिसिपल कमिश्नर की जगह मुख्य नगराधिकारी डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर की जगह उप मुख्य-नगराधिकारी और म्यूनिसिपल इंजीनियर की जगह नगर अभियंता ये शब्द रख दिये गये हैं। स्टैंडिंग कमेटी का नाम भी बदल कर एक्जीक्यूटिव कमेटी रख दिया गया है। इम्प्रूवमेंट कमेटी का नाम डिवलपमेंट कमेटी रख दिया गया है। हमारे यह २५ कारपोरेशंस हैं। हमारे यहां लाइब्रेरी में किताबें मौजूद हैं कोई भी शख्स अगर जानना चाहे तो वह जान सकता है कि उन अल्फाज के माने क्या हैं। मुल्क में यूनिफार्मिटी होनी चाहिए। अगर यूनिफार्मिटी हो तो साउथ इंडिया का आदमी जान सकता है कि उत्तर प्रदेश कारपोरेशन बिल में क्या है। एन्साइक्लोपीडिया में है—Throughout in England and Wales with uniform constitution and administration in all essential matters. जनाबवाला, मैं जानना चाहता हूँ कि अल्फाज के बदलने की वजह क्या है। आखिर नाम रखने का उसूल क्या है। अगर कहीं पुरानी किताबों में जिक्र है तो मैं मानने के लिये तैयार हूँ। मैंने इन अल्फाज को नहीं सुना। इसी सिलसिले में दो रोज हुए अभी सदन में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने एक बात कही थी जो अखबार में रिपोर्टेड है। मैं उसको आपके सामने पढ़ देता हूँ :—

Mr. Pitambar Das moved an amendment seeking to replace English words like 'cadet' etc., with Hindi words. The Minister for Education opposing the amendment said that he loved Hindi but he could not understand why absorption of words from English and Urdu should be opposed. New words, particularly that were already in vogue would enrich the language.

और यह बात हमारे दोस्त पीताम्बर दास को ऐसी पसंद आई कि उन्होंने अपना अमेंडमेंट वापस ले लिया। दो रोज हुए पंडित नेहरू ने रुड़की में बयान देते हुए कहा कि .....

We must retain by all means all the technical terms which are commonly understood by all technicians.

जनाबवाला, मैं एक बात जरूर अर्ज करूँगा और आप से दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के वास्ते इसको हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी की कन्ट्रोवर्सी में न ले जाया जाय। जो मैंने अपने मुल्क और सूबे के लिये बेहतर समझा है वही कहा है। इस वक्त यह बात यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। अगर हिन्दी के लफ़ज रहें तो ब्रेकेट के अन्दर अंग्रेजी या इन्टरनेशनल लफ्ज भी लिख दिये जाँय।

जनाबवाला, जो कारपोरेशन बिल अपने सामने है। इस को परखने के लिये यह जरूरी है कि हम जानें एक आइडियल कारपोरेशन क्या है ? कारपोरेशन के क्या माने हैं, यह बिल उन सभी बातों को पूरा करता है या नहीं। इस नुक्तेनजर से मैंने देखा तो कारपोरेशन की डेफिनीशन को बहुत ढूंढ़ने की कोशिश की। इसकी बहुत सी डेफिनीशन्स हैं। एक इनसाक्लोपीडिया आफ लोकल बाडीज है। उसमें लिखा है:—

Bodies politic or corporation established in towns to protect the interest of the inhabitants.

ऐसे शहरियों की हुकूमत जो जमायत जिन्दगी को रूह बख्से। शहरियों में खुद एतमादी पैदा कर दें। वे अपने रोजमर्रा की जिन्दगी के मामलों को हल करें। मिसाल के तौर पर जैसे पीने

[डाक्टर ए० जे० फरीदी]

का पानी, रोशनी, सड़कें, काम, आराम और तफ़री का इन्तजाम कर सकें। आम इन्तजाम करना कार्पोरेशन नहीं करती जिस तरह हमारी सरकार करती है, वाकई काम करना और आम जनता की खिदमत करना। एक और अच्छा-सा कोटेशन मुझे मिला है जो कि मैं यहाँ पर पेश कर देना चाहता हूँ :—

"Sense of responsibility can only grow by the exercise of the responsibility in an atmosphere of complete freedom."

इसी तरह की एक और मशहूर कोटेशन और है :—

"These local authorities supervise direct and control our lives, awake and asleep, at work and at play. They provide for all citizens a common minimum of health, education, relief for destitutes, roads, peace and security and beautify our environment."

इस नुक्तेनजर से अगर यह बिल देखा जाय तो इस में बहुत सी खामियाँ हैं। यह कार- पोरेशन जो बनने जा रहे हैं वे कौन-कौन सी हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं और गवनमेंट ने हमें कितनी आजादी दी है, कितनी पाबन्दियाँ लगायी हैं, इन को भी गौर से समझना है।

जनाबवाला, सन् १८५८ में जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर गदर के बाद कायम हुई तो उस समय इस का कोई सवाल ही नहीं उठता था कि म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और टाउन एरियाज कैसे होते हैं। सन् १८७८ में लाड मेयोर ने यहां पर डिसेन्ट्रालाइजेशन आफ फाईनेन्सेज की बात सोची तब से यह ख्याल पैदा हुआ है। इस तरह से सन् १८९८ में गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने एक रेज्योलूशन पास किया :—

"The object of Local Self-Government is to train the people in the managen ent of their own local affairs and that political education of this sort must, in the main, take precedent."

शहरियों को मौका दिया जाय कि वे अपने जमायत की भलाई के लिये कुछ सोच सकें अगर इलेक्सन ही न हों तो भला नागरिक क्या सीख सकते हैं ? इस नुक्ते नजर से इस बिल में कितने नुक्स हैं और इसमें क्या-क्या खामियाँ हैं। जनाबवाला, मेयर और कमिश्नर और मेम्बर तीन कार्पोरेशन के जरूरी रुक्न हैं। मेम्बरान कमेटियों के जरिये से काम करेंगे और इनका चुनाव हर पाँच वर्ष के बाद होगा। ५ वर्ष इतना लम्बा वक्त है कि मालूम नहीं क्यों इस सरकार ने इतना रखा। मद्रास और कलकत्ता कारपोरेशन में तीन वर्ष है, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, पूना और अहमदाबाद में चार वर्ष है, न मालूम क्यों यहाँ सरकार ने पाँच वर्ष का टाइम रखा है। हम लोगों ने जनाबवाला, इसके हर सिलसिले में अमेडमेंट भेजे हैं, भेज रहे हैं और इन दो दिनों के बाद और भेज देंगे। उस वक्त ज्यादा देर न लगे, जो कुछ भी मुझे कहना है, अभी कह दूं।

सेक्शन १२ में मेयर का जिक्र है। जबाववाला, हर वोटर मेयर बन सकता है, बहुत ठीक, हमें मंजूर है, मगर उसको एक ही साल के लिये रखा है। कई कारपोरेशन्स में ऐसा है, इसको मैं मानता हूँ लेकिन एक मेयर साहब ने यह कहा है कि ६ महीने उनको वेलकम खाते गुजर जाते हैं और ६ महीने फेयरवेल खाते गुजर जाते हैं इसके अलावा, कोई काम ही नहीं है। अच्छा है कि सरकार उसको कुछ काम दे दे, वरना जनता यही जानेगी कि मेयर का काम दावतें खाना, ऐसी दशा में जनता भी मेयर में कोई इन्टरेस्ट नहीं लेगी। मैं जानता हूँ, हम लोगों की आदतें खराब हो गयी हैं जनाबवाला, इस मुल्क में हरएक की कीमत लगती है, कदर कोई नहीं करता और अगर कोई कदर करता है तो वह उसी की करता है जिसके हाथ में कुछ पावर होती हैं। अगर पावर कुछ भी नहीं है तो उसकी कोई कदर भी नहीं की जाती है।

श्री मदन मोहन लाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—जब आपको कहीं मिलेगा तब कदर नहीं होगी ।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—आप मेरी बात को सुनते जाइये । मैं सभी बातें बयान करता हूं । बहुत-से लोग यह चाहेंगे कि वह डिप्टी मेयर हो रहें ताकि पूरा कारपोरेशन उनके हाथ में रह सके । मेयर जिसको बनना है वह चीफ सिटीजन, प्रिन्सिपल सिटीजन बन जाता है मगर उसको कुछ भी ताकत नहीं है उसके हाथ में कुव्वत नहीं है, सिवाय कारपोरेशन की मीटिंग्स को प्रिसाइड करने के और कोई काम उसका नहीं रहेगा मेयर बनने का जो मकसद है, वह हल नहीं होगा । सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट की बात जो है, हम इसकी ताईद करते हैं और उसको सेकेन्ड करते हैं । मेयर के खिलाफ नो कन्फिडेन्स मोशन नहीं आयेगा ठीक है । सिम्बल आफ दि सिटी, जो मेयर हुआ करता है वह इसी एतबार से बनाया जाता है कि वह पोलिटिकल झंझटों से अलग रहे अगर दो वर्ष मेयर का टाइम हो जाय तब भी मैं समझता हूं कि वह इन झंझटों में आने वाला नहीं है, और नो कन्फिडेन्स का मोशन हरगिज न किया जाय ।

इस विधेयक के हिसाब से जनाबवाला, मेयर एक्जीक्यूटिव की मीटिंग की सदारत नहीं कर सकता लेकिन बंगलोर कारपोरेशन में देखिये तो उसमें यह है :—

Mayor is *ex officio* member of all Standing Committees.

लेकिन हमारे यहां पर मेयर को बिल्कुल आरनेमेन्टल चीज बना दिया है ।

दूसरी बात यह है कि डिप्टी मेयर की ही सारी जिम्मेदारी है और उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होने की वजह से लोग उसे ही मेयर कहने लगेंगे । इनका समय पांच साल का रखा गया है । नो कन्फिडेन्स का मोशन उनके खिलाफ आ सकता है । बहरहाल मेयर जो कि चीफ सिटीजन आफ दि टाउन होता है, डिप्टी मेयर का हेड होता है, इस क्लाज से उसको लोग बहुत कमजोर समझने लगेंगे । डिप्टी सब तरह का होता है उसी तरह डिप्टी मेयर भी होना चाहिये । वह मुकामी सदर होगा । मेयर अगर कुछ अधिकार उसको डेलिगेट करता है वही उसके पास होने चाहिये । मेरे ख्याल में दुनिया में कोई जगह नहीं है जिसमें इस तरह की मिसाल मिलती हो कि डिप्टी मेयर को इतने ज्यादा अधिकार दे दिये जायं और मेयर को शुरू से ही कमजोर बना दिया जाय ।

मेम्बरों का जहां तक ताल्लुक है, वे आम चुनाव से होंगे, यह बात बिल्कुल ठीक है । इस में जो क्लाज २५ है, उस में एक मेडिकल बात आ गयी है जिस के बारे में मैं कह देना जरूरी समझता हूं । मैं आप के जरिये से आनरेबिल मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां पर मेम्बरों के डिस क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है, वहां पर यह लिखा है कि जिन मेम्बरों को कोई इन्फेक्सेस डिजीज या लेप्रेसी (Leprosy) होगी वह कार्पोरेशन इसके मेम्बर नहीं हो सकते हैं । एक जमाना था कि जब लोग इस तरह की बीमारियों से बहुत डरा करते थे, लेकिन अब वह जमाना नहीं है । अब हर चीज की दवा हो सकती है और हर बीमारी अच्छी हो सकती है । अब ख्यालात बदल गये हैं । आज लेप्रेसी अस्पतालों में लोग १०, १० वर्ष से काम कर रहे हैं लेकिन उन को किसी प्रकार की भी बीमारी नहीं हुई । इस बात को जाने दीजिये, यह तो एक टेक्निकल बात है । जिस को स्माल पाक्स या चीकेन पाक्स होगा वह तो खुद ही घर से नहीं निकलेगा ।

श्री कृपा शंकर हजेला (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—What about the moral lepers, Sir ? Will you defend them also ?

डाक्टर ए० जे० फरीदी—यह तो दूसरा प्रश्न है । यह तो साइन्टिफिक बात है, आप तो ख्यालातों में चले गये हैं । हमारे मित्र श्री पुष्कर नाथ जी म्युनिसिपल बोर्ड के बहुत ही पुराने मेम्बर हैं, वे जानते हैं कि वहां पर क्या-क्या बातें होती हैं । पहले ईद बकरीद या होली दिवाली ही मजहब दिखायी देता था, लोग नये कपड़े पहन कर खुशी मनाते थे और चहल-पहल रहती थी

[डाक्टर ए० जे० फरीदी]
लेकिन आज-कल इलेक्शन के जमाने में काफी चहल-पहल नजर आती है । बहुत दिनों पहले से उस की चर्चा होती है और काफी दिनों तक रहती है । इस के साथ-ही-साथ एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि वार्ड छोटे हों और हर वार्ड में एक ही मेम्बर खड़ा होना चाहिये । जनाबवाला, आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया कि म्युनिसिपैलिटी में बहुत ही ज्यादा गन्दगी है । पहले म्युनिसिपैलटी की मिसाल दी जाती थी कि क्या वहां पर काम करते हो । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर काफी खराबियां थी जिन को दूर करना चाहिये । सब लोग यह चाहते हैं कि इलेक्शन का सुपरविजन ठीक से हो ताकि किसी किस्म की गड़बड़ी न होने पाये । यह उनके मान की बात नहीं है । ये बेचारे तो ईमानदारी से कानून बनाते हैं और वे किताबों में छप जाते हैं । आप पेटीशन करें । यह तो बाद की बात है । जब तक हम मजहबी और जाति वगैरह के प्रोपेगन्डे रोकने का हल न सोचें और फौरन सजा न दी जाय, तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता है । मैंने पहले भी कई दफा अर्ज किया । सरकार से कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन और दूसरी जगहों में कहा है कि इन इलेक्शन्स का इन्तजाम डिस्ट्रिक्ट जजेज के ऊपर छोड़ देना चाहिये और ये ही लोग जाकर वहां मौके पर इन्सपेक्शन करें । इस में रिटर्निंग आफिसर और पोलिंग आफिसर से काम नहीं चलेगा । इस में मेरा यही सुझाव है । जब तक हमारे यहां इलेक्शन्स अच्छे नहीं होंगे, अच्छे लोग पोलिटिक्स में नहीं आ पायेंगे । इलेक्शन की खराबियों की वजह से अच्छे लोग नहीं आ पाते हैं ।

श्री कुँवर गुरु नारायण—पोलिटिकल पार्टीज को इस में बैन कर दिया जाय ।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—हम यह भी कर सकते हैं । लेकिन सभी पार्टीज के लिये बैन हो जाय और इससे हमारे यहाँ पोलिटिक्स भी सुधर जायेगी, हम इसे भी करने के लिये तैयार हैं ।

एक सदस्य—लेकिन सभी नहीं करेंगे ।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—यह कैसे हो सकता है । हम भी इतने सीधे आदमी हैं कि अपनी पार्टी उस में ले आये ।

श्री पुष्कर नाथ भट्ट (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—फूड कमेटी जो सभी पार्टीज़ की है वह तो ठीक से काम कर रही है ।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—वह जिन्दा है भी या नहीं । पता ही नहीं चलता । एक बार उस की मीटिंग हुई थी, उसके बाद मैं चिट्ठी भी लिख चुका हूँ और कई शिकायतें भी भेज दी गई हैं, लेकिन उस की मीटिंग नहीं हुई ।

कारपोरेशन में यह चीज बहुत ही ठीक है कि इस में स्टैंन्डिंग कमेटी या एक्जीक्यूटिव कमेटी है और डेवलेपमेंट कमेटी है । इस कमेटी के १२ मेम्बर रखे गये हैं । लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इलाहाबाद की पापुलेशन कम है और कानपुर की ज्यादा, तो कानपुर में ज्यादा मेम्बर होने चाहिये, लेकिन सभी जगह स्टेन्डिंग कमेटी में बराबर मेम्बर हैं । मेम्बरों के प्रपोजल के हिसाब से स्टेन्डिंग कमेटी बने । दूसरी बात यह है कि हर मेम्बर को इस बात का मौका दिया जाय कि वह कुछ-न-कुछ कार्पोरेशन की खिदमत कर सके । एक बात इस बिल में रखी गई है जिससे कुछ मेम्बर थोड़े दिनों तक रहेंगे और फिर दूसरे मेम्बर आ जायेंगे । यह ठीक है लेकिन दूसरे कारपोरेशन ऐक्ट्स में एजूकेशन कमेटी है, हेल्थ कमेटी है, पब्लिक वर्क्स कमेटी है और दूसरी कमेटियां हैं, लेकिन इस बिल में ये सब कमेटियां हटा दी गई हैं । इस तरह से जो पावर को सेन्ट्रलाइज किया गया है, वह ठीक नहीं है । कमेटियां ज्यादा होनी चाहिये ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—और कमेटियां बन सकती हैं ।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—तो इस में क्यों नहीं रख दिया ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जबरदस्ती नहीं की । यह तो आजादी की बात है ।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—यह तो एक बड़ा सवाल है। जहां सदारत का सवाल है, वहां तो आप ने हर जगह डिप्टी मेयर को रख दिया है। जहां पर मेयर चाहे डिप्टी मेयर को अथा राइज्ड कर दे, वहां पर डिप्टी मेयर सदारत करेगा। लेकिन होना यह चाहिये कि जितनी भी कमेटीज हैं, उन को यह राइट होना चाहिये कि वे अपना चेयरमैन खुद ही चुन लें।

एक चीज और इस बिल में गौर के काबिल है। सेक्शन ५८ कमिश्नर के बारे में है। पुराने जमाने में जैसे गवर्नर और वाइसराय हुआ करते थे, वैसे ही कमिश्नर को बनाया गया है। इन को आप किसी नाम से कहिये, गुमाश्ता कहिये, वलीअहद कहिये, नेता कहिये या मुख्तार कहिये। कोई रिपोर्ट कारपोरेशन मांगे और कमिश्नर न देना चाहें, तो वह उसे नहीं देंगे। लेकिन अगर सरकार मांगेगी, तो उसे जरूर देंगे। कारपोरेशन जो सुप्रिम एथारिटी कारपोरेशन है अगर कागज मांगे तो कमिश्नर साहब इस बिल के अनुसार इंकार कर सकते हैं लेकिन अगर सरकार मांगेगी तो जरूर दे देंगे। कमिश्नर साहब वलीअहद भी हो सकते हैं। जैसे कारपोरेशन सुपरसीड हुआ, वहां तो है सालिक, कमिश्नर साहब के अलावा और कोई इन्चार्ज हो ही नहीं सकता। कमिश्नर की तकर्रुरी सरकार करेगी। जनाब का ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ दिलाऊंगा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट की है। सन् १९५० में..........

श्री चेयरमैन—अब हम उठेंगे, आप अपनी तकरीर जारी रखेंगे। कौंसिल दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[विधान परिषद् की बैठक १ बजे अवकाश के लिए स्थगित हो गई और २ बजे श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई]।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं इससे पहले कमिश्नर की बाबत, म्यूनिसिपल कमिश्नर की बावत, अर्ज कर रहा था जब कि लंच की वजह से हम लोगों को जाना पड़ा। सेक्शन ५८ का जिक्र था और उसमें बताया गया कि क्या क्या पावर्स गवर्नमेंट ने इस बिल के मुताल्लिक कमिश्नर के रखी है। सरकार ही उसका मुकर्रर करेगी और यह भी अर्ज किया गया था कि उसको पावर और एथारिटी बहुत दे दी गई है। सेक्शन ८७ के मुताबिक उसकी मैकजिमम सैलरी मुख्य नगर अधिकारी की सैलरी स्टेट गवर्नमेंट ही बतायेगी। इस बिल के हिसाब से कारपोरेटर्स, कौंसिलर्स कमिश्नर के काम में दखलन्दाजी नहीं कर सकते हैं, उनको रोक नहीं सकते हैं लेकिन निकाल जरूर सकते हैं। अगर ५/८ मेजारिटी से पास कर दिया जाय तो वह निकाल दिया जायगा। बीच का इलाज नहीं। कोई भी इस बिल में ऐसी बात नहीं रखी गई जो दरमियानी बात हो या तो उसकी बात मानें और अगर खफा हों तो कमिश्नर साहब को निकाल दें। अगर आप मिसालें जानना चाहें कि कहां कहां क्या क्या मुख्य नगराधिकारी को ताकत दी गई है तो सेक्शन ११७ क्लाज सिक्स बी में लिखा है कि इन केस आफ इमरजेन्सी यह कमिश्नर साहब जो चाहें सो करें उसकी इत्तला बाद में कारपोरेशन और इक्जीक्युटिव को दें, मेयर का जिक्र नहीं है कि उसको भी इत्तिला दी जाय और मेयर को कान्फीडेन्स में लिया जाय। मैं मानता हूँ कि इमरजेन्सी होती हैं। और उस वक्त आफिसर्स को अपनी राय से काम करना जरूरी हो जाता है लेकिन उसकी इत्तला दी जाय इक्जीक्युटिव कमेटी को मेयर का कहीं जिक्र नहीं है। यह बात ठीक नहीं है।

सेक्शन १२२ जैसा मैंने अभी अर्ज किया था। अगर किसी रजिस्टर या कागज को वह नहीं दिखाना चाहे एग्जीक्युटिव कमेटी या मेम्बर को तो वह नहीं दिखा सकता है। दी मुख्य....
"The Mukhya Nagar Adhikari shall comply with every such requisition unless in his opinion immediate compliance therewith would be prejudicial to the interest of the Mahapalika or of the public...."

सेक्शन १२२ में लब्ज एग्जीक्युटिव लिखा है महापालिका का सदस्य कोई कागज देखना चाहता है वह नहीं दिया जा सकता है, इसमें टालने का मौका है। मेयर से पूछ कर के देंगे। जो

[डाक्टर ए० जे० फरीदी]

कारपोरेशन है उसको भी इनकार किया जा सकता है हमारे कमिश्नर साहब उसको भी इनकार कर सकते हैं। १२४ डी में एक मिसाल मिलती हैं :—

"The manner in which the executive powers shall be exercised by the Mukhya Nagar Adhikari;"

यह सब स्टेट गवर्नमेन्ट तै करेगी कि कमिश्नर क्या क्या काम करेगा। किस कार्पोरेशन में कितने मेम्बर होंगे यह अभी तक तय नहीं है।

सेक्शन १५८ में है जो बड़ा दिलचस्प है .....

"All moneys paid into a sinking fund shall, as soon as possible be invested by the Mahapalika in the name of the Mukhya Nagar Adhikari."

यानी रुपये पैसे भी उन्हीं के नाम से जमा होंगे मेयर से कोई ताल्लुक नहीं।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यहां मिनिस्टर के नाम से नहीं होता है।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—मैं समझता हूँ कि मेयर के दस्तखत होना चाहिये, तो ठीक होगा। वैसे तो मुख्य अधिकारी भी परमानेन्ट नहीं है उसका भी टर्म ३ साल का है। यह कहा जाय कि परमानेन्ट आदमी है इसलिये उसके नाम से रुपया जमा हो तो दूसरी बात है। महापालिका के नाम से हो। मेयर सिगनेचर कर दे, यही हो जाता। कमिश्नर को पावर न दी जाय।

अब जनाबवाला, यह सेक्शन १०६ के मुताल्लिक अभी मैंने आप से अर्ज किया था जो आजकल म्युनिसिपैल्टी का स्टाफ और आफिसर्स है उनकी बाबत क्या करना चाहिये। हमारे माननीय मंत्री जी ने बजा फरमाया कि रोजमर्रा के काम यही करते हैं, अच्छे आदमी है और उनको पालिटिक्स से अलग रखना चाहिये, उनको खींचा तानी से अलग रखना चाहिये। कारपोरेशन को खुदमुखतार बनाने के लिये जरूरी है कि अच्छे आदमी हों साथ-साथ यह भी जरूरी है कि गवर्नमेन्ट की बेजा मदाखिलत न हो। लेकिन कन्ट्रोल जरूर हो मैं इससे इत्तिफाक करता हूं। २ बातें मैंने कही कि मदाखिलत बेजा न हो और कन्ट्रोल भी रहे। इसका सलूशन यह है। लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के मुताल्लिक एक कमेटी अप्वाईन्ट हुई थी। खेर साहब उसके प्रेसीडेन्ट थे रिपोर्ट के पार्ट २ में उन्होंने यह बताया है कि एक लोकल सेल्फगवर्नमेंट बोर्ड बनाया जाय और मैं उससे इत्तिफाक करता हूँ, जो आफिसर्स को अप्वाईन्ट करे और हर वह काम जो इस बिल में स्टेट गवर्नमेंट के लिए लिखे हैं। वह सब काम लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट बोर्ड अंजाम दे। रिपोर्ट में है कि :—

"Public opinion is now emphatically against any control being exercised by government servants in the administration of local bodies as this has led to unwarranted interference by them in their internal affairs."

जनाबवाला यह जब १९४० में कहा जा सकता था तो आज कल म्युनिसिपल्टी में इसमें और भी ज्यादा मदाखिलत होती है। दूसरी बात दि

"The growing complexity of problems affecting local bodies has made it absolutely necessary that the control and guidance over them should be in the hands of a body composed of people having intimate exeperience of working and some trained experts. We have for this purpose suggested the creation of a local self-government board with an efficient inspectorate."

इस रिपोर्ट में और भी बहुत सी बातें रखी गई हैं:—

"The Local Self-Government Board should exercise all the powers at present prescribed for government."

यानी हर चैप्टर के बाद लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट कायदा बनाये। जो कायदा म्युनिसि-पैलिटी बनाती है तो बनने के बाद वह गवर्नमेंट के पास जाय। जहाँ तक इसमें इस तरह की मदाखलत का सवाल है इससे यह अंदेशा होता है कि गवर्नमेंट बहाना मिलने पर कारपोरेशन को अपने कंट्रोल में न ले ले। गवर्नमेंट बेजा मदाखिलत न करने लगे। मैं ज्यादा डिटेल में जाकर सदन का वक्त न लूंगा। इस सिलसिले में मैंने यह भी अर्ज किया था कि अप्वायंटमेंट और इस्टैब्लिशमेंट के लिये भी लोकल सेल्फ बोर्ड होना चाहिये जिससे कि वहाँ की सर्विसेज़ सीक्योर रहें। यह न हो कि पहिले तो मेम्बर खुश थे इसलिये एक हजार रुपये पर अप्वाइंटमेंट कर दिया और फिर किसी वजह से नाराज हो गये तो कह दिया कि हम तो आठ सौ रुपया ही दे सकते हैं। निकाल तो सकते नहीं यही कह दिया कि ज्यादा हम दे ही नहीं सकते हैं। कल म्युनिसिपैलिटियों में यह होता है इसका भी हल वैसे ही हो सकता है जैसे कि इस रिपोर्ट में रखा गया है कि दि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड अख्तियार ले ले। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी मुकर्रर किया जाय जो कि देखे कि नौकरों के साथ ठीक व्यवहार होता है या नहीं। उनके साथ इंसाफ होता है या नहीं। यह काम सरकार से हटा लेना चाहिये। और जो काम इस बिल के हिसाब से है वह लोकल सेल्फ बोर्ड के हाथ में होना चाहिये। जब हम डेमाक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं तो इससे अच्छा हम को मौका कहाँ मिलेगा। शहरी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं वहीं पर गवर्नमेंट को कम-से-कम मदाखिलत करना चाहिये। एक यह भी रखी गई है कि कोई बोर्ट जब कर्ज लेगी तो वह गवर्नमेंट के सेंकशन से लेगी। आज-कल सब म्युनिसिपैल्टियाँ मकरूज हैं। सेक्शन ११४ में ड्यूटीज आफ कारपोरेशन हैं। यह एक जरूरी क्लाज है। इसमें बहुत-सी बातें लिखी हैं जो कि अच्छी हैं। अगर उनके ऊपर सही तरीके पर अमल दरामद हो तो कारपोरेशन अच्छा हो सकता है। मैं दो बातों की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूँ। ११४ के सब क्लाज १० में। अस्पताल, डिसपेंसरीज का मेंटेनेन्स है। मेरे ख्याल में कारपोरेशन औनम्युनिसिपैल्टियों का यह काम नहीं होना चाहिये। आजजो गवर्नमेंट की ही डिसपेंसरीज चल रही हैं वहां पर कहीं अस्पताल में डाक्टर हैं तो दवा नहीं है और दवा है तो डाक्टर नहीं है। अस्पतालों का चलाना यह बहुत बड़ा काम है। इसके लिये बहुत खर्च की जरूरत पड़ती है। जब तक अच्छे अस्पताल न कायम किये जा सकें बेकार डिसपेंसरीज खोलने से कोई फायदा नहीं है। इससे तो अच्छा यही है कि प्रेवेन्टिव मेजर के ऊपर जोर दिया जाय और यही होना चाहिये क्योंकि कहा जाता है कि प्रेवेन्शन इज बेटर देन क्योर। आजकल इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि बीमारी न होने दिया जाय। डिस्पेन्सरी खोलने की इजाजत इनको न दी जाय क्योंकि यह काम सरकार का है और प्रोविन्सियल सरकार अपनी डिस्पेन-सरी खोले। म्युनिसिपल्टी से यह अख्तियार ले लेना चाहिये। यहाँ पर नजदीक में ही एक डिस्पे-न्सरी है लेकिन वहां पर क्या दवा मिलती है यह सब अच्छी तरह से जानते हैं। जहां तक एजुकेशन का सम्बन्ध है उसमें प्राइमरी स्कूल तक यह खोलें लेकिन बाकी एजुकेशन का काम प्राविन्शियल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिये। गवर्नमेंट अच्छे-अच्छे टीचर्स रखे और जनता को शिक्षा दे। म्युनिसिपल्टी के द्वारा जो टीचर्स एप्वाइन्ट होते हैं उनको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और देख रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेन्ट का जहां तक ताल्लुक है तो उसमें लेबोरेटरी भी होनी चाहिये क्योंकि लेबोरेटरी नहीं होगी तो पानी की जाँच नहीं हो सकती। दूध तथा मक्खन में जो एडल्ट्रेशन होता है उसको भी समझ नहीं पायेंगे इसलिये इसमें एक होल टाइम पैथालोजीस्ट होना जरूरी है अगर कोई ब्लड की जाँच कराना चाहें तो वह भी हो सकता है। इस तरह से जनता को टेस्ट की भी फेसेलिटी मिलेगी। जहाँ तक लेबोरेटरी का सम्बन्ध है वह भी कायम होनी चाहिये साथही–साथ विनेरल डिजीजेज के क्लीनिक का भी इन्तजाम होना चाहिये। लंडन में जनरल हास्पिटल में तो मैनेरल डिजीज के क्लिनिक का इन्तजाम नहीं है। एक गली में इसका इन्तजाम है जहाँ पर चुपके से लोग जाकर इलाज कराते हैं। इसका भी इन्तजाम होना चाहिये कि जिन लोगों को यह तकलीफ हो खामोसी से जाकर अपना इलाज करा लें ताकि उनका इनफेक्शन दूसरे को न लगने पाये। इसको कारपोरेशन कर सकती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि विनेरियल डिजीजेज (Veneral Deseases)को समाप्त करनेके लियेभी इन्तजाम होना जरूरी है। मेटरनिटी और चाइल्ड वेलफेयर का इसमें जिक नहीं है इसको भी इसमें होना चाहिये। यह भी कारपोरेशन

[डाक्टर ए० जे० फरीदी]
का काम है। मैंने जहाँ तक देख पाया यह इसमें नहीं लिखा गया है। मुमकिन है कि गलती से कहीं देखने से रह गया हो।

हेल्थ इन्श्योरेन्स स्कीम म्युनिसिपलटी चला सकती है और लखनऊ में भी यह स्कीम चलाई जाने वाली थी। यह स्कीम इलेक्शन से पहले शुरू की गई। सन् १९५६ की बात है इलेक्शन हो गया लेकिन स्कीम का असर क्या हुआ मालूम नहीं। २० हजार की दवाइयाँ आई वे म्यूनिसिपैलिटी में रखी हैं लेकिन उनका क्या हुआ यह नहीं मालूम। हम लोग सब बैठकर ऐसी स्कीम बनायें जिससे सब लोगों का फायदा हो। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बहुत जरूरी है। अगर लेबर इंश्योरेंस और अनइम्प्लायमेंट इंश्योरेंस का ध्यान रखें तो लाइफ का ऐडवान्समेंट होगा। इस ऐक्ट में जनाबवाला, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि कारपोरेशन का म्यूनिसिपैलिटी का या लोकल बाडी का एक काम यह है कि वह तफरीह का सामान मुहैया करे। जब आदमी बेकार हो तो वह कहाँ जाय। कारपोरेशन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसी मिसालें और मुल्कों में मिलती हैं। मेरा यह ओरीजिनल ख्याल नहीं है। मैंने देखा है कि जहाँ कारपोरेशन हैं वहाँ पीपिल्स पैलेसेज और चिल्ड्रैन्स पैलेसेज हैं। लंदन में पेखम हेल्थ सेंटर बहुत मशहूर जगह है। ऐसा हम लोग भी बना सकते हैं। इस तरह का प्रबन्ध कारपोरेशन में होना चाहिए। ड्यूटीज़ ऐंड पावर्स में पुलिस के बारे में थोड़ा-सा जिक्र है। लेकिन डिटेल नहीं बताये गये। सिविक गार्ड और पुलिस फोर्स को कारपोरेशन में रखना चाहिए। हमारे सूबे में १८६८ से १९०५ तक म्यूनिसिपल पुलिस थी। बाद में हटा दी गई। सिविक गार्ड्स और म्यूनिसिपल पुलिस के जो फंक्शंस हैं उनको मैंने पुरानी किताबों में देखा है। यह मेरा ओरीजिनल ख्याल नहीं है।

protecting public property preventing and suppression of public nuisance, traffic control, enforcing rules and regulations and the bye-laws.

उसका यह काम था। मेरे ख्याल में यह बहुत जरूरी है। कारपोरेशन को इस पर विचार करना चाहिए। अब जनाबवाला, आप सेक्शन १७२ चेप्टर ९ को देखें। इसमें महापालिका के टेक्सेशन का जिक्र है। हमारी सरकार ने जो टेक्सेशन जहाँ से पाया नकल कर दिया जैसे चाहे वह म्यूनिसिपल टैक्स हो टाउन एरिया टैक्स हो या रूरल एरिया टैक्स हो सब वैसे ही नकल कर दिया यहाँ तक कि टैक्स आन लेडिन कुलीज भी रखा गया है। कोई लकड़हारा लकड़ी का बोझ ले जा रहा हो तो उस पर म्यूनिसिपल टैक्स पड़ जायगा दही वाले पर टैक्स पड़ जायगा सब्जी वाले पर टैक्स पड़ जायगा। कोई सिर पर बोझ रखकर कमाई करता हो वह भी कारपोरेशन को टैक्स देगा। यह टैक्स न तो मैंने बंगलोर कारपोरेशन में देखा न पूना में देखा औरों में मुझे देखने का मौका नहीं मिला। बैटरमेंट टैक्स भी एक नया टैक्स है। मुझे मालूम है कि बगैर टैक्स के कारपोरेशन का काम नहीं चलता। हमारे मंत्री जी का कहना है कि जो हमारे मुअज्जिज मुखालिफीन हैं वे टैक्स कम कराया करते हैं। मैं आज यह शिकायत रफा करना चाहता हूँ। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ कि जिससे म्यूनिसिपल आमदनी बढ़े। मसलन मोटर रजिस्ट्रेशन फी में परसेंटेज मिलना चाहिए और पैट्रोल ड्यूटी का भी परसेंटेज म्यूनिसिपैलिटी को मिलना चाहिए। मोटर वैहिकिल म्यूनिसिपैलिटी की सड़क पर दौड़े और टैक्स ले गवर्नमेंट। इसका परसेन्टेज जरूर मिलना चाहिए। आप मोटरों पर टोल टैक्स लगा दीजिये। मोटरों पर चलने वाले रईस होते हैं और इसमें कोई एतराज की बात नहीं हो सकती। जो सख्स मोटर पर बैठ सकता है और कानपुर से लखनऊ मोटर कार में आ सकता है वह टोल टैक्स भी दे सकता है।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--अगर कुली पर सामान लाते हैं तो क्या तब भी टैक्स देना चाहिए या नहीं?

डाक्टर ए० जे० फरीदी--अगर एक कुली सिर पर सामान लाता है तो कौन-सा म्यूनिसिपैलिटी का नुक्सान हो जायेगा। आज कल बेचारे देहातों से छोटी मोटी चीजें शहरों में बेचने के लिए लाते हैं उनसे भी टैक्स लिया जाता है। जब वे अपने यहां से आते हैं तो मैं यह देखता हूँ कि वह म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में बैठे हुए हैं और टैक्स दे रहे हैं। यह हालत मैंने अपनी

आंखों से देखा है क्योंकि मैं भी हफ्ते में एक दिन के लिये शहर से बाहर जाता हूं और जब लौट कर आता हूं तो यह सूरत देखता हूं। वे बेचारे इस तरह से छोटी मोटी चीजें लाते हैं ताकि वे कुछ कमा सकें। अगर उनको कुछ भी मुनाफा नहीं हुआ तब भी टैक्स तो देना ही पड़ेगा।

जनाबवाला, मैं एक टैक्स और सजेस्ट करूंगा और वह है टैक्सेशन आन मनी लेंडिंग। जो रुपये से रुपया बनाते हैं उन से जरूर टैक्स लेना चाहिए। अगर आप अपने यहां सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो यह हरगिज नहीं होना चाहिए कि जो रुपये से रुपया बनाते हैं उन से टैक्स न लिया जाय। जो उन का टर्न ओवर ([illegible]) हो उस पर जरूर टैक्स लिया जाय। इस के लिये आप अलग से रूल्स बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने यहां पर सोशलिज्म कायम हो तो उसके लिये ऐसे कदम जरूर उठाये जाय और इस तरह के रूल जरूर इनफोर्स किये जाय।

इस बिल के अन्दर एक सेक्शन २४२ है। यह नये बिल्डिंग्स के सिलसिले में है। इसके मुताल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि आजकल जो भी सिविलाइज्ड मुल्क हैं, [illegible] स्कैन्डिनेवियन-जैसे मुल्क हैं वहां पर बिना एयर कन्डीशन किये हुये कोई मकान नहीं बना सकता है। अगर हम यह कर दें कि ५ हजार की लागत से ज्यादा का कोई भी मकान बनायें तो उसमें फ्लश ([illegible] ush) जरूर होना चाहिए और मैं अपने मोहतरिम बुजुर्ग से अर्ज करूंगा कि वे इस को लागू करें।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सेक्शन २४२ में आपकी क्या शिकायत है वह मैं समझा नहीं हूं।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—मेरा कहना यह था कि पब्लिक प्लेसेज में या प्राइवेट हाउस जो भी ५ हजार की लागत से ज्यादा के हों वहां पर फ्लश लैट्रिन जरूर हों ताकि यह जो कार्ट (Cart) सिस्टम है उस को हटायें और जो लोग ऐसे नीचे दर्जे के काम को करते हैं, उनको खत्म किया जाय।

अब मैं सेक्शन ४४६ को लेता हूं। जनाबवाला, मालूम नहीं किसने इसको बनाया है। इसमें लिखा हुआ है कि जो भीख मांगता है उस पर ५० रुपये तक फाइन हो सकता है। यह एक सोशल एविल है, इस को हम मेडिकल और साइन्टिफिक लाइन्स पर सोचें। इसमें लिखा हुआ है :—

"Liable on conviction to imprisonment which may extend to one month or to a fine which may extend to Rs. 50-".

आप उन पर फाइन करें, उनको सजा दें, उनको रिफार्म करने की कोशिश कीजिये, बेगर्स होम्स खोलिये, उनको काम दीजिये और उनकी इस आदत को छुड़ाइये। हमारे यहां प्रोफेशनल क्लास बेगर्स की है जैसे कि प्रोफेसर साहब ने फरमाया लेकिन उसको बन्द करना हमारा काम है। महज उनको फाइन कर देंगे, उनको सजा दे देंगे, यह इस बात को हल नहीं कर सकती।

४५४ सेक्शन में चैप्टर २७ में वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बाबत है पैदाइश और मौत की फिगर्स इतनी गलत होती हैं कि हमें उन पर भरोसा नहीं होता है। हम कोई काम उस वक्त तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमें अन्दाजा नहीं होता कि कितनी बड़ी प्राब्लम यह हमारी है। वाइटल स्टेटिस्टिक का करेक्ट होना, एक्जेक्ट होना और फौरन आना बहुत जरूरी है। इसको मैंने इस वजह से इस वक्त लिया है कि हैदराबाद कारपोरेशन जब मैं पढ़ रहा था तो उसके अन्दर फंक्शन में है, २७ फंक्शन्स हैं उनमें से एक यह है कि.... granting rewards for information which may tend to secure correct vital statistics.

मैंने सुना है कि बरमा में भी यही है। अगर कोई शख्स इत्तिला दे, अपना पैसा खर्च करे, अपना वक्त बरबाद करे, तो उसको इनाम मिलना चाहिये हम लोगों में जब तक एक सिविक

[डाक्टर ए० जे० फरीदी]

सेन्स नहीं पैदा होती है उस वक्त तक के लिये हम ठीक तरह से काम निकालें, एक कानून बनाना चाहिये जो भी हमारे पास इत्तिला आये वह वक्त से आये और सही आये।

अब जो लुब्बो लुवाब है इस बिल का सेक्शन्स ५३८ और ५३९ है। सेक्शन ५३८ तो डिजालिवग आफ कारपोरेशन है और ५३९ सुपरसीडिंग आफ कारपोरेशन है। इसके बारे में मैं फिर एक दफा आपका ध्यान खेर कमेटी की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि लोकल बॉडी किसी भी हालत में सुपरसीड नहीं होना चाहिये। कोई बहाना हो या न हो। अगर कोई म्युनिसिपल बोर्ड ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है तो आप उसको डजाल्व करके डिजाल्व करके दूसरा एलेक्शन करा दीजिये मगर सुपरसीड करना ख्याल से ही निकाल देना चाहिये। अगर यह लोगों को यकीन हो जाय कि डिजाल्व करके फिर से एलेक्शन होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। जिस आसानी से आजकल म्यूनिसिपैलिटीज सुपरसीड हो जाती हैं, यह डेमोक्रेटिकली ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में सुपरसीडिंग के क्लाज को निकाल देना चाहिये और उसकी जगह पर डिजालिवग की क्लाज रहे। उसमें भी पाबन्दी रहें। वह यह कि जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया कि इसके लिये लेजिस्लेचर की सैंक्शन जरूरी है। यह बात लेजिस्लेचर के सामने आये कि फलाना कारपोरेशन यह कर रहा है, उसको अपारचुनिटी दीजिये एक्सप्लेन करने की और उसके बाद डिजाल्व करने की बात सोचिये। सुपरसीड करने की बात किसी भी हालत में कमेटी ने नहीं रखी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गांव कमेटी, टाउन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तक का किसी का सुपरसेशन नहीं होना चाहिये। उनको सुपरसीड करने का हक किसी गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिये फिर यह तो कारपोरेशन का मामला है। इसको डिजाल्व भी तब किया जाय जब कि उसके लिये लेजिस्लेचर की परमिशन हो, नहीं तो डिजाल्व भी नहीं करना चाहिये।

यह एक रिपोर्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी ९३९, पार्ट वन, पेज ३५, पैरा ११३, सेपरेशन आफ पंचायत मस्ट नाट बी एलाउड अन्डर एनी सरकम्सटान्सेज। यह अन्डर एनी सरकम्सटान्सेज का लफज हर जगह पर इस्तेमाल किया गया है। मेरे ख्याल में हम इसे ऐग्री कर सकते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि उनको दुख है कि जम्हूरियत ठीक तरह से नहीं चलने पाती। तो बहुत जरूरी है कि उसका इलाज किया जाय। इससे क्या फायदा कि न मर्ज रहे और न मरीज ही। आपने सुपरसीड कर दिया तो फिर आपने इलाज ही क्या किया। यह कहना कि कोई म्युनिसिपैलिटी ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, उसको सुपरसीड कर दिया जाय, यह मर्ज का सही इलाज नहीं है...

जनाबवाला, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ कि आप ने मुझे इतना वक्त दिया।

श्री कुंवर महावीर सिंह (सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री)--आप और कह लीजिये।

डाक्टर ए० जे० फरीदी--अब आपकी बात सुन लूं, उसके बाद बहुत-से मौके आयेंगे, उस वक्त और कहूँगा। जनाबवाला, मैं एक दफा फिर यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों की तरफ से जितने भी अमेन्डमेन्ट्स आयेंगे, वे इस ख्याल से हर्गिज नहीं भेजे जायेंगे कि चूंकि यह कांग्रेस की सरकार है, बल्कि हम लोग तो इस ख्याल से भेजेंगे कि यह बिल अच्छे-से-अच्छा बन सके। आपने बम्बई का माडेल लिया है। हम यह चाहते हैं कि यह बिल उस से अच्छा बने। अगर हम थोड़ा-सा वक्त सर्फ करके मिल जुल कर बैठें तो इसमें ऐसे अमेन्डमेन्ट कर सकते हैं, जिससे बिल अच्छा बन सके। इन अल्फाजों के साथ मैं खतम करता हूँ।

***श्री इसहाक सम्भली**--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, कारपोरेशन बिल अगर्चे बहुत देरी में आया है, लेकिन फिर भी हम इसके लिये माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देते हैं। मैं यह जरूर अर्ज करूँगा कि लेजिस्लेशन जैसे अहम काम को, इस वक्त इलेक्शन का नाम ले कर और जल्दी की बात को कह कर हाउस को सरसरी तौर पर गौर करने के लिये आमादा करना

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

बहुत इन्साफ की बात नहीं है। जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, इन बातों को ले कर आप हम से यह अपील करें कि इस बिल पर सरसरी तौर पर गौर किया जाये और जल्द से-जल्द इस को खत्म कर दिया जाय। मैं इसके लिये मैं आपके जरिये से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि इससे पहले सरकार को बहुत मौका मिला था कि वह इस पर गौर कर लेती और जल्द इस को लाती। ११ साल से इस पर काम किया जा रहा है, जैसा कि अभी डाक्टर फरीदी साहब ने कहा कि सन् ५३ में कहा गया था कि हम इस की तैयारी कर रहे हैं। उसको आज पांच साल हो गये हैं, पता नहीं किस तरह की तैयारी हो रही थी। किस तरह की आलसी मनमेंट का यह शिकार बना हुआ था। मैं इस बात को फिर कहना चाहता हूँ कि सरकार ने इस बिल को लाने में बहुत देरी की है। अब सरकार यह कहती है कि हम को जल्दी ही इलेक्शन कराना है, इसलिये इसको जल्द पास कर दिया जाय, यह ठीक नहीं है। हमारे मंत्री जी इलेक्शन जल्द कराने की ख्वाहिश रखते हैं और इसलिये हम लोगों से भी यह मांग कर रहे हैं कि आप इस को जल्दी पास करा दें ताकि चुनाव जल्द हो जायें। जब कानून आप के हाथ में हो और उस में आप सुधार भी कर सकते हैं, उस वक्त इलेक्शन को टालना और बोर्ड के सुपरसीड करने की बात को कहना, मैं नहीं समझ सका हूँ कि इससे कहां तक डिमाक्रेसी की खिदमत होती है और कहां तक प्रजातंत्र की सेवा होती है।

हमारे वजीर साहब ने यह भी ख्वाहिश जाहिर की, कि इस का इलेक्शन मार्च सन् ५८ तक हो जाना चाहिये। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि यह कहां तक मुनासिब है। मंत्री जी की ख्वाहिश एक एलान होता है। वे चाहते हैं कि यह बिल यहां से जल्द-से-जल्द पास हो जाये। मैं समझता हूँ कि इस के रूल्स बनाने का जो प्रोसीजर है, वह २ या ३ माह में खत्म नहीं हो सकता है।

यह बिल पास करने के बाद कोई नियम ऐसा नहीं है कि जिस के जरिये आप यह आर्डर कर दें कि अब इलेक्शन हो जायें। इस तरह से मार्च में कभी भी इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें हौवा दिखला कर कहा जाता है कि इस बिल को पास कर दो क्योंकि हमें जल्दी इले-क्शन कराना है और इस समय इसकी खामियों पर पर्दा डाल दिया जाय। सदर साहब, जो कार-पोरेशन बिल आया है, इसमें कोई शक नहीं कि यह बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया गया और इस लेजिस्लेचर के सामने इतना लम्बा चौड़ा बिल लाकर रख दिया गया जब कि आज तक कोई भी बिल अपनी इस सरकार ने इससे पहले यू० पी० की लेजिस्लेचर के सामने नहीं रखा और पहले इतना बड़ा बिल कभी आया ही नहीं। इत्तिफाक है कि हमारी इस कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में फूड प्राब्लम पैदा हुआ जिस की वजह से दूसरी पार्टीज ने वाक आउट कर दिया और वहां पर इस बिल के बहस में वे हिस्सा नहीं ले सके, इसलिये असेम्बली में यह बिल जल्दी पास हो गया, लेकिन हम लोगों से भी इसी जल्दी की उम्मीद की जाती है। वही बात इस हाउस को भी करनी चाहिये, आपको हम से ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिये।

श्री राम कुमार शास्त्री—हम ऐसी उम्मीद नहीं रखते।

श्री इसहाक सम्भली—आप हम से गलत चीज की उम्मीद न रखें। आप का कहना है कि अगर यह बिल जल्दी पास होगा, तो जल्दी ही इलेक्शन होंगे और ५ बड़े शहरों में लोगों को अपनी गवर्नमेंट बनाने का और अपना शासन चलाने का मौका मिलेगा। मेरा कहना है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपनी जगह पर कोई कम इम्पारटेन्ट चीज नहीं है। इस के साथ ही साथ जब इतना बड़ा तजुर्बा हमारे सामने पहले पहल होने जा रहा है, तो मुझे ताज्जुब हुआ जब मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया कि इस में हम कुछ खराबियां जरूर महसूस करते हैं, लेकिन इसके लिये अभी हम एक और अमेंडिंग बिल लायेंगे, तब उन पर गौर कर लिया जायेगा। अभी इस बिल पर बहस नहीं हुई, क्लाजवाइज डिसकसन नहीं हुआ और मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि हम जल्दी ही इसका अमेंडिंग बिल ले आयेंगे। अभी पहले यह बिल की शक्ल में पास होगा, इस का तो सवाल ही नहीं, लेकिन इस के पहले ही हमें सुनाई दे रहा है कि अमेंडिंग बिल लाया जायेगा और उस वक्त इस की कमियां और खामियां दूर की जायेंगी। यह देखते हुये कि इस बिल में खामियां हैं और वे कमियां महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी मेम्बरों से कहा जाता है कि वे इस को जल्दी पास कर दें, इस तरह से हमारे गले दवा दिये जायें क्योंकि बाद में वे एक अमेन्डिंग बिल कारपोरेशन के लिये लाने वाले हैं, यह कितनी ताज्जुब की बात है। वे बाद में उस बिल को लाकर ही इसकी खामियां

[श्री इसहाक सम्भली]

दूर करेंगे, यह बात मिनिस्टर साहब ने कही। सदर साहब, गौर करने की चीज है कि हमारे यहां लेजिस्लेचर पर कितना रुपया खर्च होता है। मेम्बरों को जिस तरह से रुपया दिया जाता है और लेजिस्लेचर बुलाने में जो खर्च होता है, वह सब पब्लिक का रुपया खर्च होता है, इसमें काफी मेहनत होती है, लेकिन हम जो यहां कभी-कभी देखते हैं, उस से हमें दुख होता है। कभी-कभी हम इस हाउस में देखते हैं कि आधे दिन ही हम काम करके खत्म कर देते हैं। इस तरह से पब्लिक का पूरा रुपया तो खर्च हो जाता है, लेकिन हम उस को ठीक तरह से युटिलाइज नहीं कर पाते। यह शायद तवारीख में पहला मौका है जहां बिल लाने के साथ साथ यह तो कहा जाय कि इस में खामियां हैं और हम इन्हें महसूस भी करते हैं, लेकिन इस वक्त आप इसे जल्दी पास कर लीजिये, बाद में हम इस के लिये अमेंडिंग बिल लायेंगे, तभी इस की खामियां दूर की जा सकती हैं। जनाबवाला, मैं आप के जरिये से बड़े अदब से दरख्वास्त करूँगा कि आप इस चीज की निगरानी फरमायेंगे। यहां जो लेजिस्लेशन होता है उसमें सदर साहब आप की निगरानी और रहनुमाई हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है। इस तरह की चीज करना हमारे लिए ताज्जुब की बात जरूर है। सदर साहब इसमें कितनी खामियां हैं, मेरे बहुत-से साथी, मेरे बहुत-से दोस्त आयन्दा भी बतलायेंगे और हमारे बुजुर्ग डा० फरीदी साहब ने भी बतलाया है।

मैं यह गुजारिश करूँगा मिसाल के तौर पर। दफ़ा २५ है जिसमें कौंसिलर्स के लिए डिस्क्वालीफ़िकेशन्स बयान की गई हैं। इसमें यह लिखा है कि जिस को छः महीने की सजा हो जाये, कारपोरेशन का मेम्बर चुना जाने से पहले, गालिबन् ६ साल तक वह मेम्बरी के लिए खड़ा नहीं हो सकता। उसमें यह नहीं है कि पोलिटिकल रीजन्स की वजह से सजा हुई हो या किसी दूसरी वजह से। चूंकि कांग्रेस वालों ने तो यह समझ लिया है कि उनको तो अब जाना नहीं है चाहे पब्लिक मरे या खपे, चाहे गल्ला न होने की वजह से तड़पे, कुछ भी हो, उन बेचारों को तो अब आराम की कुर्सियों पर बैठना है, गद्दियों पर सोना है या घूमते फिरना है। यह तय है। हद यह है कि केरल में जहां कि कांग्रेस बड़े जोरशोर के साथ वहां की अवामी गवर्नमेन्ट के खिलाफ चिल्लाती है लेकिन आज तक वहां मौका नहीं आया जब कि अगर वहां कोई वाकई गलत चीज हो रही है तो अपने को जेलों के लिए आफर किया हो। लेकिन जाहिर बात है, अपोजीशन वाले पहले भी करते रहे हैं और फिर भी करेंगे, जो गलत चीज होगी उसके वास्ते आवाज उठायेंगे, भले एक दफा नहीं चार दफ़ा जेलों में भेजिए, एक डिस्क्वालीफ़िकेशन से नहीं ५० डिस्क्वालीफ़िकेशनस से दबाव डाला जाये। लेकिन सदर साहब दफ़ा २५ में जो चीज रखी गई है, जिस तरह से उसे आम कर दिया गया है, उसमें इसका कोई सवाल नहीं है कि पोलिटिकल रीजन्स से या किस तरह से सजा हुई है। अगर सजा हुई है, किसी वजह से भी हुई हो तो वह डिस्क्वालीफाई कर दिया जायेगा। यह नाइन्साफी नहीं है तो क्या है। अगर यह पहले कर दिया गया होता तो मेरा खयाल है कि आज यहां जितने बने हुए बैठे हैं उनमें से कोई यहां नजर न आता। जो डिस्क्वालीफ़िकेशन्स की दफ़ा अंग्रेज को लाने की हिम्मत नहीं हुई, वह प्रजातान्त्रिक कहलाने वाली सरकार, जिसके अधिक तर लोग जेल गए, और मैं समझता हूँ कि यह सरकार आज इसीलिए जिन्दा है कि उसके लोग जेल गए, आयद कर रही है।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह कान्स्टीट्यूशन में है, पीपुल्स रिप्रजेन्टेशन ऐक्ट में है।

श्री इसहाक सम्भली--वह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने किया है, मगर यहां तो आप बनाने जा रहे हैं। क्या दुश्वारी आप के वास्ते है अगर आप दो लफ़्ज बढ़ा देते हैं कि यह-यह सजायें अगर होंगी तो डिस्क्वालीफ़ाई समझा जायेगा। अगर इसको क्लैरीफ़ाई न किया जायेगा तो जनाब सदर जिस वक्त रिटर्निंग अफसर के सामने नामिनेशन पेपर जायेगा बड़े मजे से वहां पर बहस-मुबाहिसे होंगे और नहीं मालूम कितने लोगों के नामिनेशन पेपर्स इस वजह से रिजेक्ट हो जायेंगे कि उनको फुड एजीटेशन के सिलसिले में सजा मिल चुकी है, ताला बन्दी के सिलसिले में धर्ना दिया इस वजह से सजा हुई है। सदर साहब, इतने नाइन्साफ़ी की चीज है, कोई वजह

नहीं कि आप इसे पास कर दें । [illegible] हमारी सरकार को चाहिये और हमारे मेम्बरों को चाहिये कि वह इसके बारे में गौर करें ।

सदर साहब, [illegible] मेम्बरों की मुद्दत के बारे में कहा गया है । डाक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से [illegible] कहा है कि हमारी जब सरकार कोशिश तो कर रही है कि [illegible] की मुद्दत [illegible] बढ़ा दी जाय बड़े इत्मीनान से काम करने का मौका मिले लेकिन [illegible] है कि [illegible] हम देखते हैं कि [illegible] दो महीने से [illegible] देते हैं । दूर जाने की जरूरत नहीं [illegible] म्युनिसिपैलिटीज [illegible] हुये तो [illegible] छोड़ दी गई । इसके बाद [illegible] लोकल बाडीज [illegible] करवाया जाता है [illegible] कि ५ साल की [illegible] मुद्दत [illegible] तो इस बात पर भी बहुत गौर करने की जरूरत है । कोई वजह नहीं कि [illegible] समझें कि हम बहुत एडवान्स्ड हैं । [illegible] कार-पोरेशन्स हैं इसलिये हमको ज्यादा जरूरत है कि हम [illegible] । मेम्बरों की मुद्दत ५ साल की रखी गई और मेयर की एक साल की । इस तरह से ६ महीने तो [illegible] दावत खाते हुये और ६ महीने गुजरे स्वागत की दावत खाते हुये ।

एक आवाज—अच्छा तो है ।

श्री इस्हाक सम्भली—तो आप भी अपनी एक साल की कर दें । आप भी अपने एलेक्शन की मियाद एक साल कर दें और फिर दावत खाते रहिये । मेयर की मियाद तो एक साल की रख दी गई लेकिन मेम्बरों की ५ साल की रख दी गई । जब वक्त आवेगा तो मैं अर्ज करूँगा कि इसकी मियाद के बारे में बहुत कुछ सोचना होगा । जितनी मियाद मेम्बर्स की है उतनी ही मेयर की भी होनी चाहिये । हम म्युनिसिपैलिटीज और लोकल बाडीज में देखते हैं, मुझे खुशी है कि मिनिस्टर साहब ने इस बात को आज तसलीम भी किया है कि आये दिन वहां पार्टीबाजी का झगड़ा रहता है, कि नो कान्फीडेन्स मोशन रोज ही आया करते हैं, ज्यादातर कांग्रेसी चेयरमैनों के खिलाफ यह होते हैं । आज ही अखबार में मेरे शहर सम्भल में कांग्रेसी चेयरमैन के खिलाफ नो कान्फीडेन्स मोशन आया है । फिर साथ हम देखते हैं कि यही मतालबा किया जाता रहता है कि वह सुपरसीड कर दिया जाय, वह डिजाल्व कर दिया जाय । बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि वे अपना काम चलाने में डिसक्वालीफाई थे इसलिये सुपरसीड किये गये । मैं इस बारे में अर्ज करता लेकिन यह मौका नहीं है उस तफसील में जाने का लेकिन जो बोर्ड सुपरसीड हैं वहां आज क्या हालत है, छोटे मुलाजिमों के गले काटे गये हैं और बड़ों के लिये राहत दी गई है । टैक्सेज की भरमार कर दी गई है । वहां जब सवाल उठाये जाते हैं तो यह जवाब मिलता है कि चूंकि वह बोर्ड इस काबिल नहीं था कि अपना काम चला सके इसलिये सुपरसीड हो रहेगा । सुपरसेशन ऐसी सरकार से होना जो एक ही पार्टी की हो एक निहायत नाइंसाफ की चीज है । जहां पर सरकार एक पार्टी की हो, जहां लोग उस पार्टी को डिफीट दे कर के बोर्डों पर कब्जा किये हों उस जगह सुपरसेशन सरकार अपने हाथ में ले ले यह नामुनासिब नहीं तो क्या है ।

नायब सदर साहब, मैं एक दरख्वास्त करूँगा आप के जरिये से इस हाउस से कि जल्द-बाजी में आ कर के या महज जज्बाती अपील में आ करके इस बात का फैसला न करें जिसके लिये फिर पछताना पड़े और मिनिस्टर साहब को फिर से अमेन्डिंग बिल लाना पड़े । कम से कम यह बिल ऐसा बने कि एक टर्म कारपोरेशन का गुजार सके । ऐसा न होने पाये कि एक टर्म भी न पूरा हो सके यानी दिसम्बर में हम इस बिल को पास करें और अप्रैल में अमेन्डिंग बिल लाना पड़े । इसलिये मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में गौर किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर इसके बारे में कहा गया है कि समाज सुधार के लिये कार-पोरेशन बिल में बड़ी कोशिश की जायेगी । हमारे मंत्री जी ने कहा, हमको बड़ी खुशी हुई कि

[श्री इसहाक सम्भली]
उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि इसके जरिये से कौम की खिदमत करने की हर मुमकिन कोशिश की जायेगी। लेकिन सदर साहब, समाज को बेहतर बनाने की शक्ल में यह न हो कि भीख मांगने वालों पर पाबन्दी लगा दी जाय या अकेले वेश्याओं के मकानों पर पाबन्दी लगा दी जाय और वह आकर के मोहल्लों में बसे, जरूरत इस बात की है कि सरकार अपनी हालत को सुधारे। कोई ऐसा बिल लाने के साथ साथ सिर्फ कानून लाने पर काम नहीं चलता है बल्कि वह कदम उठाये जांय और अमलदरामद किये जांय कारपोरेशन के जरिये से कि लोगों की माली हालत सुधरे, लोगों को छोटे छोटे रोजगार मोहइया हों। दूसरी कारपोरेशंस भी अपने यहां इनडस्ट्रीज चला रही हैं। कोई अपने यहां ट्राम या सिटी बसेस का काम चलाती हैं। मेरा कहना है कि अगर आपने इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर किया कि हमारी कारपोरेशंस लोगों को रोजमर्रा की जिन्दगी में, रोजमर्रा की जिन्दगी से मेरा मतलब यह है कि आर्थिक जीवन में बेहतरी लाने की कोशिश करे, इसके लिए जरूरी होगा कि कारपोरेशन के लिये जहां तक मुमकिन हो सके पब्लिक से कर्जा ले और सरकार से अगर कर्जा मिल सकता है उससे वह लोगों की हालत सुधारने के लिये अपने यहां काटेज इनडस्ट्रीज को चलाये। इस प्रकार का प्राविजन रखा जा सकता था। सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है कि समाज सुधार के लिये भीख मांगने वालों पर पाबन्दी लगा दी जायेगी। मैं भी चाहता हूँ कि भीख मांगने वालों पर पाबन्दी लगा दी जाय लेकिन इस का ख्याल रखा जाय कि भीख मांगना बन्द करके वह कहीं रात के डकैत न हो जांय। इस बात का ख्याल रखा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी अकेला कानून बना लेने से या पास कर लेने से एक चीज को पकड़ लेने से कोई बुराई दूर नहीं हो सकती है। हमारे यहां अस्मतफरोसी, मुर्दा फरोसी या भीख मांगना खिलाफ कानून करार देने से काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बेरोजगारी है, जबरदस्त मुनाफाखोरी है और चूंकि मुनाफाखोर, सरमायादार को पुस्त पनाह है, सरमायादार सरकार की पालिसी से फायदा उठाकर के पैसा जमा करता है, चीजों के दाम बढ़ाता है, दाम बढ़ने से, परचेजिंग पावर कम होती है, और परचेजिंग पावर के कम होने से स्टाक जमा हो जाता है और स्टाक जमा हो जाने से कारखाने की पैदावार कम हो जाती है। उसके बाद मजदूरों की छटनी होती है और ज्यादा से ज्यादा बेकारी फैलती है और बेकारी के फैलने से बदइखलाकी फैलती है और भुखमरी फैलती है और चोरी डकैती भी बढ़ती है। यह कोई एक चीज नहीं है जिसके लिये एक कानून बना लिया जाय और सारी चीजें खत्म हो जांय। इसके लिये सारी जंजीर की कड़ियों को पकड़ना होगा। कारपोरेशन को इतना कह देना कि समाज सुधार के लिये कोशिश की जायेगी, यह काफी नहीं है। आपको चाहिये था कि इस कारपोरेशन के जरिये से यहां के लोगों की आर्थिक हालत को सुधारने की कोशिश करते। यहां की इक्तसादी हालत को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर यह चीजें आती हैं तो कारपोरेशन बिल जो दूसरे हमारे कारपोरेशन हैं उनकी सूरत अख्तियार कर सकेगा। यहां पर जो इस वक्त है वह बहुत बड़े सरमायादारों को देखकर बनाया गया है। बम्बई की तरह से यह बनाया जा रहा है। गरीब पटना की तरफ़ नहीं देखा जा रहा है ताकि उसी तरह से हल्के टैक्सेज लगते जैसे कि गरीब शहरों में लगाये जाते हैं। वैसे टैक्सेज देने में गरीब लोगों को आसानी होगी। बाद में यह कह दिया जायगा कि हमने तो इलाहाबाद, लखनऊ, कानपूर, आगरा में बहुत कम टैक्सेज लगाये हैं। बम्बई में बहुत टैक्सेज हैं। आज जो मिनिस्टर साहब ने फ़रमाया है कि हमने तो बम्बई की तरह का कारपोरेशन बनाया है उसी का नमूना सामने रखा है तो उससे तो यही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि उसी तरह के टैक्सेज यहां भी लगाये जायेंगे। यहां भी वैसे ही होगा जैसे कि नगरपालिकाओं में हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में किया गया और अन्देशा यह हो रहा है कि कहीं गवर्नमेंट इनको भी अपने हाथ में न ले ले। या वहां की जनता की कमर ही बड़े बड़े टैक्सेज लगाकर तोड़ दे। टैक्सेज लगाने की कोशिश है और जब पब्लिक पर बहुत ज्यादा टैक्सेज बढ़ जायेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिक उनके खिलाफ़ एजीटेशन न शुरू कर दे। तब गवर्नमेंट यह कह सकती है कि हमने तो यह बिल बम्बई की तरह से बनाया है और बम्बई में तो बहुत ज्यादा टैक्सेज हैं, यहाँ

पर जो हमने वहां के मुकाबिले में बहुत कम लगाया है। खुदा करे कि मेरा यह अंदेशा गलत साबित हो लेकिन जो मुझ को अन्देशा है वह मैंने बतला दिया है। इसलिये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार की जब भी निगाह जाती है तो वह ऐसे ही सरमायादार शहरों की तरफ जाती है या सरमायादार मुल्कों की तरफ जाती है। उसकी निगाह गरीब मुल्कों की तरफ या गरीब शहरों की तरफ नहीं जाती है जैसे कि हमारे इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, बनारस और कानपुर हैं। गवर्नमेंट उनकी तरफ देखने के लिये तैयार नहीं है। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसमें इतनी खामियां हैं कि उसकी तरफ मिनिस्टर साहब और मेम्बर साहबान को तवज्जह देना चाहिये। यह नहीं कि हमारे मिनिस्टर साहब इसको यहां पर ले आयें कि इसको सरसरी तौर पर पास कर दिया जाय। आज हम यह देख रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में कितनी खामियां हैं जिनके लिये कि रोज अमेंडमेंट बिल आते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हटा कर जिला अन्तरिम बोर्ड कर दिया और फिर जिला परिषद बन रहे हैं। इसी तरह के अमेंडमेंट बिल इसमें भी कहीं न लाने पड़ जांय। इसलिये हमको जब इसके लिये कानून बनाना है तो बहुत सोच समझ कर बनावें। हमको संजीदगी के साथ सोचना चाहिये कि यह बिल हमारे सूबे के काबिल है या नहीं है और आज जो हम इसको बेहतरी के लिये बना रहे हैं तो कहीं ऐसा न हो जाय, कि इससे और भी बदतरी हो जाय। हमको कम-से-कम ऐसा बनाना चाहिये कि हम और कारपोरेशनों से अगर अच्छा न बना सकें तो कम-से-कम उनके मुकाबिले के तो हों जिससे दूसरे कारपोरेशन्स के सामने हमको अपनी निगाहें न झुकानी पड़ें।

*श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—जनाब नायब सदर साहब, जनाबवाला आज जैसे ही यह बिल इस हाउस के सामने आया और इतनी मोटी किताब हमारे सामने आई, वह ऐक्ट की वकालतदारी जब हमारे सामने आई तो जनाबवाला, मेरे कल्ब में एक मिली जुली कैफियत पैदा हुई। एक अर्से से हम इलाहाबाद के शहरी और हमारे दूसरे साथी जो ५ बड़े बड़े शहरों के रहने वाले हैं एक अर्से से जम्हूरियत की जिन्दगी से मुस्तसना कर दिये गये थे और हमारी यह कोशिश थी, उसमें हम भी शामिल थे और हमारे अपोजीशन के पार्टी के लोग भी शामिल थे कि जल्द-से-जल्द म्युनिसिपैलिटीज के एलेक्शन हों और वहां से ऐडमिनिस्ट्रेटर्स हटाये जांय। आज शहरी जिन्दगी का वही नकशा हमारे सामने है। मैं इसके मुताल्लिक सोच रहा था कि मैं आनरेबुल मिनिस्टर साहब को दिल खोलकर के मुबारकबाद दूं या क्या करूं। एक तरफ तो यह सोच रहा था कि मुबारकबाद दूं लेकिन जल्दी में करने की ख्वाहिस ज्यादा रही। जैसे एक आदमी भूखा रहता है और हर वक्त खाने की ख्वाहिस करता रहता है लेकिन जब उसको खाना नहीं मिलता है तो उसकी भूख मर जाती है। जहां तक उनके सिफात का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक मुझे यही अर्ज करना है कि मिनिस्टर के अलावे जो सिफात होनी चाहिये वह उनमें हैं। हमारे पास चन्द हैसियतें ऐसी हैं जो बहुत ही काम की हैं। वाकई जिनकी इज्जत हमारे दिल की गहराई में है। वह मिनिस्टर जिसने अपने मुबारक हाथों से और चर्खा कातने वाले हाथोंमे यह मोटी किताब हमारे हाथों में दी वह मुबारकबाद के काबिल है।

श्री पीताम्बर दास—On a point of information. This Bill was drawn up under Syed Ali Zaheer's Ministership and not by the present Minister for Local-Self Government.

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—महीनों से जो इसको लिये हुये हैं वे इसके काबिल हैं और मुबारकबाद पाने के लायक हैं।

(इस समय ३ बजकर ६ मिनट पर श्रीमती सावित्री श्याम (अधिष्ठात्री) ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—मैंने जनाबे सदर साहबा को पहली बार देखा है इसलिये मैं आप को मुबारक बाद देता हूँ। मैं अर्ज कर रहा था तो श्री पीताम्बर दास ने मुझको बात की याद दिलाई। जिनके हाथ में हमने सल्तनत दे रखी है उन्होंने हमकोएक अजब फिजा

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी]
उन्होंने हमको अंग्रेजी फिजा में रखा है लेकिन उनकी भी इज्जत मेरे दिल में है लेकिन देखने से मालूम पड़ता है कि वे कल मिनिस्टर नहीं रह जायेंगे और ऐसी लोग उम्मीद करते हैं।

श्रीमती अधिष्ठात्री--Order please, this is too much,

श्री मोहम्मद फाखरी--कांग्रेस की आइडिआलोजी फिरकावाद के खिलाफ है। हम कांग्रेस सरकार और मिनिस्टर साहबानों की इज्जत करते हैं और करेंगे लेकिन साल-दो-साल का जो उनका सफात है वह हम लोगों को अंधेरे में रखा और हमें अपनी जिन्दगी से तसल्ली नहीं हुई। हमको जो उनकी तरफ से मदद मिली वह बेकार रही। उसने सारी चीजों को खतम कर दिया। या मुंतखिब दुनिया के हाथ में जायगा। ऐडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ हम लोगों ने आवाज बुलन्द की। जिस वक्त ख्याल आया हमारी गवर्नमेंट के दिमाग में कि कैबाल टाउंस की हैसियत में तब्दीली की जाय एक हैरत अंग्रेज तब्दीली पैदा करें तो उस वक्त हम सोच रहे थे कि बिल जब बनेगा तब तब्दीली आ जायगी लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि क्यों इतनी जल्दी की जा रही है। आखिर ५ साल से क्या मुसीबत थी। ५ वर्ष के बाद जब यह बिल रखा गया है तो हम शहरी जिन्दगी पर गौर करने के काबिल नहीं हैं। गैर नुमाइंदा रोशनी के अन्दर हम बैठे हैं। हमारे मुहतरिम बिरादरान जिनकी मैं खतरे के साथ इज्जत करता हूँ कहते हैं कि इसमें काफी देर हो गयी है इसमें हम कोशिश करें कि इसको जल्दी खत्म कर दें। गवर्नमेंट की यह चीज समझ में नहीं आई। जल्दी करने के लिये मालूम नहीं क्यों कहा जाता है। जब इलेक्शन का समय था तो मुहल्ले मुहल्ले जाकर घूमे हैं गोशे-गोशे के अन्दर घूमे हैं। यह कहा जाता है कि १० दिन के अन्दर इसको पास करो इलेक्शन करना है तो अब तक यह क्यों नहीं तब्दीली की गई। इनकी दफात पर गौर करना है इसके कानून की दफात पर गौर करना है इस तेज हवा में कुछ भी तय नहीं कर पायेंगे। इसमें बड़े-बड़े नाम आये हैं। शहर में कारपोरेशन किस तरह बनाना चाहिए। उसकी क्या हैसियत हो इसके सब पहलुओं पर सोचना है। जब तक कोई चीज नहीं बनी थी तो उस पर कोई गौर करने का सवाल ही नहीं था। अब कोई चीज बन गई है तो उस पर पूरी तौर से गौर करने का मौका मिलना चाहिए। तो मेरे कहने का मक्सद था कि आखिर इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। हमारा तजुर्बा यह भी रहा है म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में कि जब भी डाइरेक्ट इलेक्शन कराये चेयरमैन के उसमें तरह-तरह के झगड़े पैदा हुए। जब इसके मातहत झगड़े हुये तो उसकी दूसरी शक्ल सोचनी पड़ी। वहां पर रोज-बरोज नो कन्फीडेन्स के मोशन आने लगे। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस वालों ने दूसरों को चैन से बैठने दिया। लेकिन इस से ज्यादा तो अपोजीशन वालों ने दूसरी पार्टियों के चेयरमैनों को चैन से नहीं बैठने दिया। अगर हम आप पर यह इल्जाम लगायें कि आप के यहां इस तरह से हुआ है तो इस से ज्यादा क्या गुनाह हो सकता है। लेकिन आज हम हैरत के साथ देखते हैं कि जब आप की मन्सा बुरी रहती है तो मुझे अफसोस है यह कहने के लिये कि आप की तरफ से दूसरी ही बात कही जा रही है। जो चीज हमारे शहरों के लिये जरूरी है। उसमें हेल्थ का मामला है, एजूकेशन का मामला है तो इस तजुर्बे की बिना पर हमारे यहां कारपोरेशन बने या न बने और अगर बने तो किस तरह से बने इस पर वे रोशनी डालते, मुझे थोड़ी देर के लिये हैरत हो रही है कि वे दूसरी ही बातों पर चले गये हैं। वह यह समझते हैं कि एक यही मौका है जब कि अपनी बातों को चाहे वे गलत ही क्यों न हों यहां पर कहा जाय। उनको तो एक मौका मिला था कि वे इस मामले में सरकार के साथ कोआपरेट करते लेकिन उन को हर एक बात में मुखालिफत करनी है और वह करते हैं। लेकिन हकीकत में उनका दिल भी तनकी नहीं करना चाहता है। यहां पर भी और दूसरी जगह पर भी यह कहा करते हैं कि जब कारपोरेशन बिल आयेगा तो वे काफी देर करेंगे और इस तरह से हमारी पार्टी पर अपोजीशन वाले चार्ज लगाते हैं। उनका ख्याल है कि अगर हमने कारपोरेशन बना दिये और वहां पर इन्तखाब हुआ तो हमें उन शहरों की जिन्दगी से हाथ धोना पड़ेगा। अगर आप को इस तरह का कोई शक व शुभा है तो आप को एक मौका दिया गया है कि आप इस को जल्दी पास कर लीजिये। मैं तो कहता हूँ कि आप इस को देख लीजिये कौन इसमें कामयाब होता है। लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट से एक अपनी

तरफ से अर्ज करता हूं कि जनाब यह लोग बहुत कहते हैं तो इनको ही इन शहरों की जिम्मेदारी दे दी जाय और देखें कि फिर किस तरह से वहां का इन्तजाम चलाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर कोई काम नहीं होगा सिवाय इसके कि ये अपोजीशन के लोग आपस में लड़ाई लड़ते रहेंगे और उन का खुद ही खात्मा हो जायेगा।

श्री इसहाक सम्भली—आप के यहां क्या हो रहा है ?

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—इस के लिये हमारे यहां फारसी में एक बात कही गयी है कि अगर वे गाली ही दें तो कम से कम मिल-जुल कर दें। मेरा अपना ख्याल है कि जब कांग्रेस को गाली देने का मौका भी आयेगा तो हमारे सम्भली साहब, मौलाना रऊफ साहब, पीताम्बर दास जी और डाक्टर फरीदी साहब भी एक साथ शामिल हो कर देंगे। किसी मामले में चाहे हमें गाली ही देनी है अगर ये खाली गालियां ही दें तो मिल-जुल कर दें और इस तरह से मिल-जुल कर गाली देने में हम सब लोग गवर्नमेंट के साथ हैं। बुराई और भलाई किसी में नहीं होती है। अगर ये गाली भी दें तो जरा शानदार गाली दें। खुदा जिन्दा रखे इस गाली देने वालों को लेकिन जरा इनकी गालियों में तुनक तो हो और कोई भेदभाव न हो। यह उस तरह से न हो कि मैंने कहा कि हिन्दी को कबूल करो लेकिन आप कहें कि नहीं दूसरी जबान कबूल करो और अगर मैंने कहा कि फारसी की बात कहो तो वह कहें कि नहीं अरबी की बात कहो।

एक बहुत बड़ा हिस्सा अपोजीशन के लीडर की गुफ्तगू का हमने सुना और हम सुनते रहे। मुझे यह कहने में जरा भी गिल्ह नहीं है कि हम अपनी पार्टी के मुतालिक खुद ही आपके सामने कहना चाहते हैं कि हम सब बैठ कर लोगों के मुतालिक जिन चीजों का अनुभव कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे लेकिन बैठे ही रहे और जब मरने का वक्त करीब आया तब महसूस हो रहा है कि इसकी कोई जरूरत मालूम नहीं होती। महात्मा गांधी ने १९१९ में जो इब्तदाये जिन्दगी पैदा की, उसको हमने नहीं याद किया, हमारे बाप दादों ने नहीं मखसूस इल्म में नहीं रखा, हमारे मरने के बाद हमारे पोते शायद याद करेंगे। हिन्दी जबान अपनी जबान है तो उसको तरक्की देने की यह भी एक शकल है लेकिन जबान को तरक्की देने की एक और भी शकल है कि जबान मालामाल होती है उन लफ्जों से जिन के माने शाइस्ता होते हैं। हिन्दी को हमें अपनाना है, हिन्दी जबान अपनी है और इसको इस राज ने अपने राज्य की जबान बना लिया है तो हिन्दी को अगर हम सुन्दर बना लेते हैं तो हमारे देहात और शहर इससे फलेंगे फूलेंगे। हिन्दी और उरदू यह दोनों जबानों को हमें तराश कर लाना है जिससे कि टेक्निकल खूबसूरती लफ्जों में नुमाया हो जाय। पीताम्बरदास जी भी उसके कायल हैं। नगरपालिका का लफ्ज है नगर को या शहर को पालने वाले तो यह जबान की खसूसियत है। हिन्दी इतनी सुन्दर है कि मदारकी अचला के रहने वाले लोग इसको आजतक नहीं भूल सके। मैं जनाब से अर्ज करूं, अगर जनाब सेक्रेटरी साहब मुझे फुरसत दें तो मुहतरिमा की इजाजत से इस ऐवान के सामने एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं कि एक दिन असेम्बली में हम खड़े होते रहे तो हमें स्पीकर की मंजूरे नजर न हो सकी। यह तरजुमा ऐसा है कि हमने तुम्हारी आंखों में देखा, मगर तुम्हारी आंख मेरी ओर न फिरी। उसके लिये अरबी, फारसी के लफ्ज उन्होंने ढूंढ़े और लफ्ज मिल भी गये लेकिन वह ठीक नहीं बैठे तब हिन्दी में लफ्ज निकाले और उसका मजमून इस तरह से दिया गया कि हम तेरी तरफ देख रहे हैं आनरेबल स्पीकर लेकिन तुमने हमारे तरफ नहीं देखा, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, इतने तुम्हारे हैं, इतनों के तुम हो। देहाती भाषा में यह है कि हम तुम्हारी तरफ जिताते हैं लेकिन तुम हमारी तरफ नहीं जिताते हो। वह शेर इस तरह से है :—

हम चितवत, तुम चितवत नाही, ओ बालम चितचोर।
नयना दो हमारी ओर।

यह उसका पूरा तरजुमा है। इसके माने यह हैं कि जब हम इस हाउस में हैं तो हम सब आपकी प्रोटेक्ट में हैं, उसके लिये यह प्रोटेस्ट किया गया था। अब आप देखें कि हमारी बात तो यह थी कि अध्यक्ष महोदय, आप हमारी ओर नहीं देख पाते हैं जिससे कि हमको अपने हक बर-

[श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी]

दारी का मौका नहीं मिलता है तो उसका जवाब इस तरह से है कि हमारे तो एक ही अध्यक्ष, हम सौ तो करोर नैना दिये, तो करोर शब्द जो है यह कई जबानों में मिलता है। वहां पर उर्स हुआ तो मैं भी देख रहा था। कव्वालों ने गाना गाया, पहले फारसी में गाया गया, उस के बाद लोगों ने कहा कि हिन्दी में भी कुछ गाना गाओ तो हिन्दी में भी गाया गया। मैं भी हिन्दी को पसन्द करता हूँ और उस का हामी हूँ। जहां तक जबान का ताल्लुक है, मेरी शुरू की जबान उर्दू ही रही है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं हिन्दी का भी हामी हूँ। जहां तक जबान का ताल्लुक है, मैं लीडर आफ दी अपोजीशन का पूरा हामी हूँ। हिन्दी आज सरकारी जबान है, हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको मानते हैं और उस की कदर करते हैं। मैं नमाज पढ़ कर आया हूँ और बिलकुल सच कह रहा हूँ कि मेरे लिये हिन्दी और उर्दू दोनों ही प्यारी जबान है।

श्रीमती अधिष्ठात्री—माननीय सदस्य से मैं यह प्रार्थना करूँगी कि वे अपने आपको जबान तक ही कंफाइन्ड न करें।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—मोहतरिमा, चूंकि यह मामला यहां पर छेड़ा गया है, इसलिये मुझ को यह अर्ज करना पड़ा है। जनाब लीडर आफ दी अपोजीशन ने जो बात इस जबान के मुताल्लिक कही है, उस से मैं बिलकुल सहमत हूँ। मैं उनकी बात को मानता हूँ। मैंने उर्दू जबान को काफी पढ़ा है, उस में लोगों का मुकाबिला भी किया है। इस के साथ ही साथ हिन्दी का भी हामी हूँ। लेकिन जहां तक और एतराजात का ताल्लुक है, उन को भी मैंने देखा है, मौका आने पर मैं उन के बारे में भी कहूँगा। असेम्बली में जिस वक्त यह बिल आया तो आप लोग खुद ही वहां से चले गये। सरकार तो यह चाहती थी कि आप और हम मिल कर इस पर गौर करें, लेकिन उस वक्त आप को इलेक्शन की फिक्र थी और फूड प्राब्लम को लेकर आप वहां से चले गये। मैं समझता हूँ कि इस में सरकार का कोई दोष नहीं है, वह तो चाहती थी कि सब लोग मिल जुल कर काम करें। उस वक्त आप को जरा सा भी स्टेट का ख्याल होता तो आप ऐसा न करते। आप को चाहिये था कि आप स्टेट के साथ होते और उस के कामों में हाथ बटाते। आप को उस हाउस में भी इस पर गौर करने का मौका दिया गया लेकिन आप ने उस से फायदा नहीं उठाया। लेकिन आप इन दफ़ात पर गौर कर लेते तो अच्छा था। अगर यह बिल यहां से तरमीमी शक्ल में पास होता है, तो फिर असेम्बली जायेगा और वे अपनी तरमीम करेंगे। कहां से ऐसा मौका ढूंढ़ा था कि वहां अपोजीशन वाले नहीं रहे। आपने जिस दिमाग से काम किया था, हम ने भी उसी दिमाग से काम किया। एक चीज मैं और कह दूं, वह सभी मिनिस्टरों की बात है। खसूसियत आप इजाजत दें, तो मुझे वह चीज कहनी पड़ती है। हमारे विचित्र नारायण शर्मा जी तो कम से कम शुकून दिमाग के हैं और उन्होंने इसे सोचा है। लेकिन वे मानते हमारे एक चीज भी नहीं हैं। ये आज यहां पर सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के हाथ में बंध गये हैं, पहले बाहर थे, तो हमारे हाथ में थे। लेकिन सुनते सब की हैं। लेकिन जजबात तो उनके हैं जो कि यहां जमीन पर बैठे हैं, उन के कोई जजबात नहीं हैं जो कि कुर्सी पर हैं। उन्होंने जब इस बिल के बारे में दरख्वास्त की, तो मैंने सोचा। मैं आप से फिर अर्ज करूँगा कि आप इस बिल की अहमियत को बतलायें नहीं, हम इतने बड़े बिल को देखकर परेशान नहीं हैं। हम इस की मोटी जिल्द को देखकर परेशान नहीं हैं। हम इस बात को नहीं सोचते हैं। हम से बार बार जो अपील मिनिस्टर साहब ने की है, हमने इस मामले में जो उन की इस चीज को गौर कर के देखा, तो इस में दफा २५ है, जिसके बारे में हमारे मौलाना इसहाक सम्भली ने फरमाया कि इस का इस्तेमाल अभी न किया जाय। मैंने इसे पढ़ा है। मैं समझता हूँ कि उनका शुबहा अपनी जगह पर सही है। हो सकता है कि आगे कोई दूसरी गवर्नमेंट आये और ऐसा न हो जाय कि एक आदमी कितने ही मुकदमों में इस तरह से सजा पाये। अगर हो सके तो रूल बनाते वक्त इस बात पर गौर कर लिया जाय या आप इसे किसी तरह से इसी ऐक्ट की तस्वीर में ले आयें। कहीं ऐसा न हो, जैसा इस में लिखा है, कि हम लोग भी इसमें में ले लिये जायें, जो कि कांग्रेस के समय में पहले ही सजा काटकर आये हैं। कहीं हुजूर खुद इसमें न आ जायें। हाल ही की बात है कांग्रेस के ऊपर मुकदमा चला है। अगर इस की मंशा ठीक है, तब तो मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन पहले जो अखलाकियत के सिलसिले में

सज़ा काट चुके हैं, उनके लिये आप ऐसे न कर दें। इसके लिये आप ठीक कर के इसे इस चीज़ को देखना है। इस दफ़ा को आप अवक़ाफ़ी सिलसिले में इस्तेमाल न करें। इस दफ़ा के मुताल्लिक आप गौर से सोच लीजिये, ऐसा न हो कि अवक़ाफ़ी लोग भी इसमें आ जायें।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—ये लोग बच जायेंगे।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—अब मुझे इत्मिनान हो गया, अब कोई फ़िक्र नहीं है। यह दफ़ा मोहताज है, गौर करने के काबिल है। इस दफ़ा को आप नई शकल में रखें और नई शकल में इसे लायें।

एक बात और अर्ज़ करूँ इस मौके पर, मौलाना इसहाक़ सम्भली और डाक्टर साहब के बोलने के बाद मुझे यह हौसला हुआ कि देर हो जाये कोई फ़िक्र नहीं। [illegible] छः महीने और देर हो जाये कोई हर्ज नहीं। गवर्नमेन्ट की [illegible] है। [illegible] डाल कर इस को जल्दी [illegible] रहते हैं लेकिन कानून बनाने का जब वक्त आता है तो [illegible] दफ़ायें लगा देते हैं और अब इतनी जल्दी करते हैं कि कानून को [illegible] ले जा रहे हैं जिसकी वजह से हाई कोर्ट से आप के ऊपर कई स्ट्रक्चर्स पास हुए। [illegible] महीने का टाइम दीजिए, अगर आप टाइम दे दीजिएगा तो इनके बोलने [illegible] नहीं।

आवाज़ें—कई स्ट्रक्चर्स नहीं पास हुए।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—ज़मींदारी एबालीशन बिल जो आया, दफ़ा [illegible] के मुताल्लिक भी आया है, और दफ़ा १२४ ए के मुताल्लिक भी इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया है अगर्चे वह गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का है।

श्री मदन मोहन—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। मेम्बरान आपस में बात-चीत कर रहे हैं अगर वह आप से मुखातिब होकर बात करें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—आप भी इस तरह से बातचीत करते रहते हैं। मेरा मतलब यह नहीं कि स्टेट गवर्नमेन्ट पर स्ट्रक्चर पास हुआ। कानून पर स्ट्रक्चर पास हुआ। कानून बनाने में कभी गवर्नमेन्ट को जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इनकी रीति ही उलटी है, गवर्नमेन्ट की रस्म ही उलटी है। जब आप कानून लायेंगे तो गला दबाकर कहेंगे कि जल्द पास कर दो। हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं। जनाब सदर साहेबा, तजुर्बे के बाद मैं कह सकता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर रिजीम का जहां तक ताल्लुक है, सो फ़ार इलाहाबाद इज़ कन्सर्न्ड, एडमिनिस्ट्रेटर रिजीम में शहरी जिन्दगी में कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई। और अब जब कि एलेक्शन्स आ रहे हैं, कबाल टाउन्स में खास तरीके से और दूसरे म्यूनिस्पेलिटीज़ में भी, बड़े झगड़े चल रहे हैं। टैक्सेज़ बढ़ाये जा रहे हैं। हमको डर है, हमारे भाइयों की शहरी जिन्दगी बड़ी गरां हो रही है, शहरी जिन्दगी बड़ी तकलीफ़ देह है। मैं मोहतरमा बड़े अदब से आप की खिदमत में और आप के ज़रिए यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, भाखरा नंगल भी है, डाम्स भी हैं, और यह भी है, लाखों रुपया खर्च हो रहा है टैक्सेज़ दे रहे हैं लेकिन मैं आप को यकीन दिलाऊँ कि टैक्सेज़ देते-देते उस कपड़े का-सा हाल हो रहा है, खद्दर का एक कपड़ा है जो भीगा हुआ है, उसको निचोड़ कर हमने आप की मदद की, आपने निचोड़ा और निचोड़ कर उसमें एक कतरा भी नहीं छोड़ा, सब ले लिया। अब अगर ज्यादा निचोड़िएगा तो कपड़ा फट जायेगा। अब पानी की उम्मीद उसके अन्दर से न कीजिए। आप की ईमानदारी पर शक नहीं है बल्कि आप की मशीनरी के तरीके कार पर शक है। एडमिनिस्ट्रेटर रिजीम डाइरेक्ट आप के मातहत है। लेकिन जहां तक इलाहाबाद का सम्बन्ध है मैं आप से कह सकता हूँ न एक गली दुरुस्त हुई, न एक सड़क दुरुस्त हुई। म्यूनिस्पेलिटी के अन्दर आज काम का ढेर लगा हुआ है। टालू मिक्सचर पिलाया जा रहा है। जब कि डाइरेक्ट वह आपके मातहत हैं, आप उससे जवाब-तलब कर सकते हैं। मुख्तलिफ ज़मातों ने आप से शिकायत की मगर हुआ क्या, कुछ नहीं। तो मेरा कहना यह है कि आने वाले निकट भविष्य में हम कोई इसलाह की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम आनरेबुल मिनिस्टर साहब को यकीन दिलाते हैं कि अभी कारपोरेशन होने की वजह से काम ठीक होगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं है। तजुर्बा यह बताता है कि इस बीच कोई इसलाह नहीं हो सकी लेकिन जिस वक्त यह बिल इन्फोर्स होगा

[श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी]
इसमें कहा गया है एट वन्स इन्फोर्स होगा तो मैं इसके लिये अर्ज करूँगा कि कानपुर की हालत तो इलाहाबाद से ज्यादा बेहतर है लेकिन इलाहाबाद की हालत बदतर है, वहां कोई तिजारत नहीं, कोई इन्डस्ट्री नहीं....

एक आवाज--लखनऊ में भी नहीं है।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी--कम-से-कम लखनऊ में आप तो हैं, गवर्नमेंट तो है। इलाहाबाद में जिस वक्त से नान कोआपरेशन मूवमेन्ट शुरू हुआ तो हमने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी-बड़ी तहरीकें चलाई। उस वक्त से आज तक इलाहाबाद कुचलता ही गुजरा है और अब इलाहाबाद की माशती हालत, एक्तसादी हालत अच्छी नहीं। अगर हम ऐक्ट पास कर देते हैं तो इलाहाबाद की हालत और खराब होती है। हम कपड़े पहन कर आते हैं तो आप धोखा न खाइये कि हमारी हालत अच्छी है। कारपोरेशन के बनने के बाद वहां टैक्स लगेंगे और वहाँ की पब्लिक चीख उठेगी। आप टैक्स वसूल कर सकते हैं, डन्डे के जोर से, पुलिस-आपके पास है, ताकत आपके पास है, आपके पास सब कुछ मौजूद है, इलाहाबाद की गढ़ैया गढ़ैया से सोना निकल सकता है हम भूखे मर गये २९ रुपया मन गेहूँ मिला, बच्चों को रोटी नहीं खिला सके तो हालत आज इलाहाबाद की यह है। मैं फिर यकीन दिलाता हूँ कि सड़के नहीं बनेंगी, गलियाँ नहीं ठीक होंगी, रोशनी का इन्तजाम अच्छा नहीं होगा। इसके लिये अगर एक टर्म में तजुर्बा किया जायगा तो दूसरे में शायद कुछ अच्छा होगा। पब्लिक नाराज हो जायगी। इसलिये मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर प्रेस्टीज का सवाल न हो तो कम-से-कम ५ साल के लिये इसको मुल्तवी कर दीजिये। हमें टैक्स देने की सलाहियत हो जाय तब आप इसे लागू करें। कानून बना देने से किसी शहर की हालत सम्हलती नहीं है, अभी हमारी हालत नहीं सम्हली है। इस कारपोरेशन के बन जाने से हरगिज-हरगिज, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, बनारस की हालत सम्हलेगी नहीं, माली हालत खराब है और जब यह कारपोरेशन बन जायगा तो फिर नये टैक्स लगेंगे और हालत और भी खराब जायगी। इस वक्त तो आप एलेक्शन बैठ कर लड़ लेंगे लेकिन जब बाद में बैठेंगे और सोचेंगे तो आप लाजिमी टैक्स बढ़ायेंगे। जिन मकानों की हैसियत कल तक २० रुपया टैक्स देने की थी आज उनकी हालत १० रुपया भी नहीं रह गई है। इस पर ३० फीसदी और बढ़ा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब। कारपोरेशन होने पर और बढ़ जायेगा तो हमारे खिलाफ एक तूफान हो जायेगा और अपोजीशन चालाकी के साथ फायदा उठायेगा और शहरी फिजा को खराब करेंगे और फायदा उठायेंगे। इसलिये मैं दरखास्त करता हूँ कि इस वक्त इस बिल की क्या जरूरत है, पुरानी म्युनिसपैलटीज हैं उनको जिन्दा कीजिए और एलेक्शन कराइये। मैं तो कहता हूँ कि म्युनिसपैलटीज तालीम का इन्तजाम न करें, सेहत और सफाई का इन्तजाम करें। मोहतरमा, इलाहाबाद का यह बुरा हाल है कि अगर मैं आप को या मिनिस्टर साहब को अचानक ले जाऊं और गलियों में घुमाऊँ तो आप चल नहीं सकेंगे। अब एक बीड़ी की दस्तकारी इलाहाबाद को मिली है उससे कुछ रोटी चल रही है। इधर पांच साल से सफाई का कोई इन्तजाम नहीं हुआ। हमने एक तजुर्बा कर लिया अब आगे कैसे उम्मीद रखूं, अरबी का एक मसला है जिसको एक मर्तबा तजुर्बा हासिल कर लिया जाता है और दूसरे तजुर्बे में निजामत हासिल होगी। हिन्दी में है कि सांप के बिल में एक होशियार आदमी एक दफे डस जाता है तो दुबारा नहीं जाता है। मैंने आप के कन्ट्रोल में देखा। हमको कोई फायदा नहीं हुआ, हमारी जिन्दगी सुधरी नहीं। हम कैसे उम्मीद करें कि इस बिल के जरिये से कारपोरेशन से हमारी जिन्दगी संभल जायेगी।

एक बात और मुझे अर्ज करना है आप घबड़ा न जायें, यहाँ तशकिरा अकलियत का आ जायेगा। बदकिस्मती से वह मुसलमान क्यों न हो वह स्टेट के अन्दर तकरीबन १ करोड़ या ९० लाख से ज्यादा है। हमारा हिन्दुस्तान की आजादी के बाद एक मतालिबा था वह पूरा हुआ। जिसने २० वर्ष हमारी जिन्दगी में घुन लगा रखा था, वह था सेपरेट एलेक्शन जिसने हिन्दू मुसलमानों को एक-दूसरे के करीब नहीं आने दिया। जैसे आज पाकिस्तान हिन्दुस्तान से छुट गया है उसी तरह से हिन्दू, मुसलमान, इसाई एक-दूसरे से दूर हो गये थे। आजादी के बाद हम ज्वाइन्ट एले-

कट्रैक्ट करा सकें जिससे हमारी जिन्दगी को सुधारा। लेकिन अभी हमने अपने में [illegible] भाई के लिये रिजर्वेशन [illegible] जो सेपरेट एलेक्ट्रेट की तरफ [illegible] है, मंजूर किया है और उसका फलसफा यह समझा कि हमें [illegible] जिन्दगी का हक दे दिया है। [illegible] भी कहा जाता है, इन लोगों को [illegible] मालूम नहीं था कि वह चुने जा सकेंगे। उनको [illegible] हो [illegible] है। [illegible] मुल्क के अन्दर और, गान्धी जी ने इसको संभाला [illegible] वह तबका था जो अपने को [illegible] था, उन्होंने इन लोगों को [illegible] रखा था। मुझे [illegible] है इस्लाम की [illegible] में अरब के अन्दर भी एक तबका ऐसा था जो दूसरों को गुलाम बनाये हुये था। इसी तरह से हिन्दुस्तान के अन्दर भी ऐसा तबका था जो अपने को [illegible] कहता था और हरिजनों को [illegible] था। इस पर कांग्रेस ने एक तहरीक चलाई और वह [illegible] जी को कानून में लाने [illegible] सबसे ज्यादा [illegible] हिन्दू है या कोई मुसलमान है, [illegible] इसलिये कि वह हिन्दुस्तानी हैं इसलिये उनकी जिन्दगी बेहतर हो। इसके लिये उन्होंने बहुत कोशिश किया। उन्होंने हरिजनों के लिये [illegible] किया है कि उसमें उनको तरक्की हो सकती है। एक चीज जो [illegible] एलेक्ट्रेट जिसके लिये हम हमेशा कहते रहे हैं। लेकिन वह जो कि सेपरेट एलेक्ट्रेट के लिये [illegible] और इसी के जरिये से जो दंगे कराते रहे हैं लेकिन जब यहां पर आजादी आई तो [illegible] लगे कि मुसलमानों के लिये न तो रिजर्वेशन चाहिये और न सेपरेट एलेक्ट्रेट चाहिये। [illegible] के मारे ऐसा कह रहे थे क्योंकि उन्होंने बीज वैसे ही बो रक्खे थे। उन्होंने कहा कि सेपरेट एलेक्ट्रेट से और रिजर्वेशन से देश तबाह हो जायगा। हम मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं चाहिये। यह वह कह रहे थे जो पहिले महज सेपरेट एलेक्ट्रेट के कायल थे। उनके कन्धों से डर था। मुझ को डर नहीं है। हमने तो पहिले ही कहा था कि सेपरेट एलेक्ट्रेट से मुल्क को नुकसान होगा। तो जो ऐसा कहा करते थे उनकी तरफ से फिर कुछ इस तरह की हरकतें जारी हो गई हैं कि सेपरेट एलेक्ट्रेट होना चाहिये। यह हम नहीं कहते हैं जो पहिले कहा करते थे वही अब भी कहने लगे हैं। आज हालत यह है कि शहरों में एक-दो हल्कों से चाहे भले ही मुसलमान मुन्तखिब हो कर आजायें वर्ना कांस्टीटयूशन ऐसा है कि हम गरीब मुसलमान चुन कर आ नहीं सकते हैं। आज हम देखते हैं कि चाहे कोई पार्टी हो उसमें हम लोग जैसे दाल में नमक होते हैं वैसे ही पाये जाते हैं। मुलाजिमत में भी ऐसे ही हैं। पार्टियों पर एक आध नायब सेक्रेटरी या नायब सदर पाये जाते हैं। अगर इत्तफ़ाक से कोई जेनरल सेक्रेटरी हो भी जाता है तो उसका रहना कुछ दुश्वार-सा हो जाता है।

एक आवाज—शेर एक ही बहुत होता है।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—जी हां आप बजा फ़र्माते हैं। शेर एक ही बहुत होता है। मगर सेपरेट एलेक्ट्रेट की आवाज तो गीदड़ों की तरफ से ही आ रही है। मेरी समझ में यह आता है कि जैसे हरिजनों के लिये रिजर्वेशन आफ सीट्स रखा गया है मुलाजिमत में भी मुसलमानों के लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर वहां भी हरिजनों के लिये रिजर्वेशन हो जाता तो ठीक था। आज हालत यह है मोहतरमा, कि मैं जो सन् १९१९ से कांग्रेस में मारा-मारा घूमा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इलाहाबाद कांग्रेस का जेनरल सेक्रेटरी नहीं बन सकता हूँ। हालां कि मैं तब से बराबर कांग्रेस का मेम्बर हूँ। जो फिजा यहां पर पैदा कर रहे हैं अगर उसमें ग़ौर पैदा करें तो मैं आप से अपील करता हूँ कि इससे मुल्क का फायदा होगा। अगर हरिजन हैं तो उसमें से काबिल ढूंढ़ कर लाइये। आप कब तक रिजरवेशन आफ सीट्स को चलाते रहेंगे। इसको देखकर हमारे अन्दर भी खटक है। प्रजा पार्टी के अन्दर देखिये तो वही चीज और कांग्रेस के अन्दर देखिये तो वही चीज दिखलाई देती है। हमनने तो जन-संघियों से कहा कि तुम हमको अपने में मिला लो। मैं तो इस सूरत में अर्ज कर रहा हूँ कि हमको यह तजुर्बा है। कैबिनेट में हम लिये गये हैं तो नाम पर और एक अदद में हमारा आदमी भेजा गया है। जिस सूबे में देखिये वहां पर यही पाइयेगा। क्या हमारे पास काबिल आदमी नहीं थे? यह सबको मालूम है कि श्री रफी अहमद किदवई को होम मिनिस्टर रहना दुश्वार कर दिया गया। एक शख्स उनसे कहा कि आप अगर

[श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी]
सीट छोड़ देंगे तो अच्छा होगा। जिस शख्स को उन्होंने पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी बनाया उन्होंने यह कहा था। आखिर में उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी। एक सूबे के अन्दर एक चीफ मिनिस्टर अकलियत के आदमी को बना देते तो अच्छा होता।

एक आवाज—कश्मीर में कौन चीफ मिनिस्टर है ?

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—कश्मीर में वह खुद बना हुआ है। वहां पर एक हिन्दू को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिये था। जहां पर मुसलमान अक्सरियत में हों वहां पर हिन्दू चीफ मिनिस्टर हो। सलाहियत हमारी पार्टी के अन्दर है, जनाब के यहां पर नहीं है। इधर और उधर के लोगों से में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर वे लोग अपनी जायज बात को नहीं कह सकते हैं तो वे इसलिये डरते हैं कि कहीं आका न नाराज हो जायं। यह सही है कि जिसके दांत को तोड़ दिया गया है आज उसी का जहर उत्तर प्रदेश के अन्दर फैल रहा है। हमने भी पापड़ बेले हैं। हम कांग्रेस में थे और जब तक जिन्दा रहे अंग्रेजों से मुकाबला करते रहे। किसी भाई से हमारी जिन्दगी कम नहीं है। यहां पर तुम नहीं मानोगे तो खुदा जरूर मानेगा। जब अंग्रेज यहां से चला गया तो इस मुल्क के दो टुकड़े हो गये और दो टुकड़े होकर यह मुल्क आजाद हुआ, इस तरह से दिलों के टुकड़े हो गये। इन्सानियत के टुकड़े हो गये, लाखों घर इस तरह से उजड़ गये, इसके बाद आजादी मिली। आज आप कारपोरेशन बिल ला रहे हैं तो हमें ऐसी हालत में आप से अर्ज करना पड़ता है कि हम क्यों उस पुरानी फीलिंग को लेकर आयें। मैं तो चाहता हूँ कि रिजर्वेशन का लफ्ज मौजूदा डिक्शनरी से निकाल दिया जाय। उसको छोड़ दीजिये। जनाबवाला को याद होगा कि एक सीट के लिये कितने मेम्बर लड़ते थे। एक रिजर्वेशन की फिजा थी। लिहाजा हम उस तरीके से चलते रहे। आज मैं चाहता हूँ कि रिजर्वेशन हटा दिया जाय। आप लोगों में सलाहियत पैदा कीजिये। आपने दस बरस के अन्दर जो काम किया है उसमें लोगों में सलाहियत नहीं पैदा हुई। जब हम बंधे हुए तब के को पिसे हुए तबके को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। एक हज्जाम ने दिन में मेरी हजामत बनाई लेकिन रात में मेरे साथ नमाज पढ़ने गया। हम लोगों के अन्दर ऐसी फिजा पैदा करें कि लोग मुहब्बत के साथ रहें। जो तबका पिसा हुआ है अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो वह ऊपर नहीं उठ सकता।

एक आवाज—समझ नहीं पा रहे हैं।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—नहीं समझे तो हम से खुदा समझे। इतना समय तंग दायर के अन्दर लेते चले जा रहे हैं। अगर इसमें यहां कुछ तरमीम हो जाय तो यह वहां लौटकर जा सकता है। अगर इसमें तरमीम हुई और यह वहां गया तो वहां तक के लोगों को कुछ तस्कीन हो जायगी। किसी ने पूछा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से कि फूड ऐजिटेशन कैसे हुआ और क्यों खत्म हो गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वे नहीं बता सकते कि क्यों फूड ऐजिटेशन शुरू हुआ और क्यों खत्म हो गया। उन्होंने इस ऐजिटेशन के दौरान में पार्टी का बड़ा नुकसान किया। उनके ख्याल से कुछ कानून में कमी रह गई होगी। तो हम चाहते हैं कि यह फिर वहां जाय ताकि इसके ऊपर पूरी तरह से गौर हो सके। अप्रैल में आपने वायदा किया है आप कहिये कि हाउस की ऐसी ख्वाहिश थी।

श्री इसहाक सम्भली—हो नहीं सकता अप्रैल तक।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—हम अप्रैल की पहली तारीख तक करें। अगर नहीं हो सकता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। कम-से-कम हम कोशिश करें ताकि एक मुकम्मिल चीज बन जाय। वरना इतना है कि अगर में किसी दूसरी जगह पर होता तो कम-से-कम इस कारपोरेशन के टैक्स से तो बच जाता। अगर हम इस को मुल्तवी नहीं कर सकते हैं तो इसमें तरमीम की जाय। आनरेबिल मिनिस्टर आफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने फरमाया था और मैंने उस को बड़ी ही गौर से सुना कि वे तरमीमी बिल भी लाने वाले हैं। इस में कुछ खामियां हैं जिन को दूर करने के लिये वे जल्दी ही एक अमेंडिंग बिल लाने वाले हैं जिसके जरिये से वे खामियां दूर हो जायेंगी। इसपर हमारे आनरेबिल मेम्बर जिन की मैं बहुत ही इज्जत करता हूं, उन्होंने एतराज फ़रमाया।

[illegible]

श्री [illegible] —[illegible] करेंगे ।

(इस समय ४ बजे श्री डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया ।)

श्री मोहम्मद शाहिद फाख़री—जनाबवाला, मैंने यहां पर भी देखा है लेकिन इस [illegible] आउट से कोई फायदा नहीं हुआ है । यह [illegible] कामों को पूरा करने के लिये और [illegible] कर रहे हैं । [illegible] तो बेहतर होगा ।

जनाबवाला, मुझे अफ़सोस है कि यह कारपोरेशन का मसला बहुत [illegible] नहीं समझा जा रहा है लेकिन यह बड़ी हंसी खुशी के साथ चल रहा है और खुदा करे कि यह बिल इसी हंसी-खुशी के साथ पास हो जाय और यहां पर भी काम हंसी खुशी के साथ हो ।

अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं कानून का आदी नहीं हूँ । थोड़ा सा कानून पढ़ा हुआ हूँ । इस के क्लाज ६ में शायद मेम्बरों की तायदाद मुकर्रर नहीं की गयी है । यह तो कहीं पर देखा है कि उन की तायदाद ९० से ज्यादा न हो । मैं कहता हूँ कि जब आप ने इतना ज्यादा कागज इस बिल पर खर्च किया है तो एक जगह पर जरा मेम्बरों की तायदाद भी मुकर्रर कर देते तो कौन सा ज्यादा खर्चा होता । आप यह लिख देते कि लखनऊ में इतने, इलाहाबाद में इतने और आगरा में इतने मेम्बर होंगे । इस के लिये भी आप ने रेगुलेशन पर छोड़ दिया है । एक हैरत की बात यह है कि दफा ६ (ए) और (बी) में आपने एक अजीब चीज रखी है ।

जो दफा ७ है उसके मातहत जो दफात हैं उसमें कुछ अलफाज इस्तेमाल किये गये हैं, मेरा ख्याल है कि कानूनी एतबार से वह मौजूं नहीं है । उनकी वर्डिंग वही होनी चाहिये जो कि कानून की निगाह में जायज हों । मुझे कोई एतराज इसमें नहीं है कि इनको ही रखा जाय । आप रख लीजिये, हमको वह याद करने पड़ेंगे, घोटने पड़ेंगे, लेकिन आसानी उनसे हम को नहीं हो सकती डाक्टर साहब ने फरमाया था कि उनमें एकसानियत को बरता जाय । हमारे यहां गवर्नरों की कानफ्रेंस होती है, चीफ मिनिस्टरों की कानफ्रेंस होती है उनमें भी एकसानियत होती है । जो और कारपोरेशन बने हैं उनमें और इस बिल के पास होने के बाद, इसमें एकसानियत हो, एक किस्म का तरीकेकार हो, उस चीज को हमें इसमें लाना पड़ेगा । हम मद्रास कारपोरेशन के नुमाइन्दों को बुलायेंगे, बम्बई वालों को बुलायेंगे । कलकत्ता वगैरह सभी जगहों के नुमाइन्दों को बुला येंगे और उनके सामने इन अलफाज को रख कर गौर करेंगे । इसमें जो नया लफ्ज है विशिष्ट सदस्य, इसके माने मखसूस मेम्बर के है तो उनकी तादाद भी आपने एक तरीके से फिक्स कर दी; लेकिन दूसरे तरीके से उनकी तादाद को मुतायर नहीं की । इसमें है कि हर जगह कबाल टाउन्स में जहां-जहां यह बनेंगी, उसमें तादाद फिक्स कर दी कि ९० से ज्यादा नहीं बढ़ सकेंगे, यह कौन से कानूनी एतबार में है, मैं नहीं जानता लेकिन इसमें अगर आपने तादाद को ही रखा है तो अपने हरिजन भाइयों के लिये आपने कुछ नहीं रखा है । आपको खुल कर कोई बात कानून में रख देनी चाहिये थी जिससे इस एतबार से लोगों को तसकीन होता कि हम अपने कितने हरिजन भाइयों को वहां पर रख सकेंगे ।

मैं अब दो चीजें इस दफा के सिलसिले में आपके जरिये से इस ऐवान के सामने और जनाब वजीर साहब के सामने रख देना चाहता हूँ । एक तो इस दफा में बहुत से कठिन शब्द आ गये हैं । मैं तो इतना ही कह देना चाहता हूँ कि खुदा के लिये आप शब्दावली की लाज को रख लीजिये, वरना फिर जैसा अवस्थी जी ने कहा था कि उरदू कोई जबान नहीं है, कल को वह फिर यह न

[श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी]

कहने लगें कि हिन्दी कोई जबान ही नहीं है। यहां पर जो शब्द आपने मेम्बर के लिये, कारपोरेशन के लिये और मेयर के लिये रखे हैं, इसी तरह से और भी शब्द रखे गये हैं, उनको न रख करके इनको ऐसे ही रख दिया जाता तो एक यूनिफार्मिटी तो इसमें हो जाती और बात भी सब के दिमागों में आसानी से आ जाती। आप शायद यह ख्याल करेंगे कि मैं हमला तसव्वुर करना चाहता हूं लेकिन मैं हमला कर नहीं रहा हूँ। फिर जो विशिष्ट सदस्य हैं उनकी तादाद फिक्स की जाय। आप इलाहाबाद में फिक्स कर दीजिये, लखनऊ में फिक्स कर दीजिये, आगरे की बात को जाने दीजिये। आगरे के बारे में आप जाने। वहां की तादाद तो आप ही मुकर्रर कर सकते हैं। मैं तो बहुत दिनों से वहां पर गया नहीं हूँ। आप लखनऊ बनारस वगैरह में तादाद को मुकर्रर कीजिये। आप को चाहिये कि आप इस पर संजीदगी से गौर करें। इस में जो मखसूस मेम्बर के बारे में लिखा है, इस पर भी गौर करने की बात है। हम को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिस से हालत खराब हो जाये या कोई खतरनाक बात पैदा हो जाये। जबान के लिहाज से हम को नज्म और नस्र का भी ख्याल रखना है। हम को यह भी देखना है कि कहीं पर कोई गलती जबान की न रह जाये। हिन्दी एक बहुत भारी जबान है, वह दूसरी जबानों के साथ भी मिल जाती है और अपने में भी बहुत सी जबानों को मिला लेती है। आप को चाहिये कि इस में आप तादाद को मुकर्रर कर दें। मैं तो यह अर्ज करना चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब इस बिल को पास न करें और अगर वे इस को पास ही करना चाहते हैं तो उस के अन्दर इस चीज को जरूर कर देना चाहिये।

एक दिल दिलवर बहुत, दिल किस को किस को दीजिये।
जी में आता है कि काफिर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिये ।।

मैं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा वक्त आ गया है। वक्त से मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं इस दुनिया से ही जा रहा हूँ। मैं अभी बहुत दिनों तक जिन्दा रहूँगा। इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन के बारे में कहा जा सकता, जैसे सफाई, तालीम और हेल्थ वगैरः। इन सब बातों पर गौर किया जा सकता है।

कुछ पुलिस का जमघट कीजिये, आप कारपोरेशन में बड़ी जिम्मेदारी दीजिये। मैंने कोशिश की कि यह जल्दी पास हो। मगर आप टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के बाद कारपोरेशन के लिये तैयार न हों। हां, अगर गवर्नमेंट कहती है कि वह उस की दिक्कतों को व परेशानियों को फेस करने के लिये तैयार है, तब तो ठीक है। आप वादा कीजिये, तो मैं चाहूँगा कि कल ही कारपोरेशन बिल बनकर तैयार हो जाय। आपने जो इसमें महानगर, उपनगर अधिकारी रखे हैं और दूसरे ओहदों की बात रखी है, उन को आप तनख्वाह देंगे और दूसरे आराम देंगे। हमारे यहां म्युनिसिपैलिटीज भी किस वजह से बनी हुई हैं, क्योंकि हम रुपया खर्च करें, १६ लाख, २२ लाख, २४ लाख और ६० लाख सिर्फ तनख्वाहों में ही खर्च कर दें। कारपोरेशन जब बनेगा, तो क्या होगा, जो वह रुपया कमायेगा, उसके दो हिस्से होंगे। एक हिस्से से तो आफिसरों की तनख्वाह होगी और दूसरे हिस्से से शहर को सम्भाला जायेगा। मिनिस्टर साहब भी म्युनिसिपैलिटी में रह चुके हैं। आप ने देखा होगा कि वहां पर क्या होता है। इलाहाबाद के अन्दर जितना रुपया खर्च किया गया, जनाबवाला, मैं उस की तरफ आप का तवज्जह दिलाना चाहता हूँ। मैं आप को लखनऊ में भी वह चीज दिखला सकता हूँ। जितना रुपया यहां खर्च हुआ है, उस के मातहत १० फीसदी भी यहां की हालत दुरुस्त नहीं हुई। एक चीज मैं जरूर अर्ज करूँगा कि जब से म्युनिसिपैलिटीज में एडमिनिस्ट्रेटर हुये हैं, उन्होंने कई काम किये हैं, बच्चे जो पहले बहुत मरते थे, अब उतने हीं मरते हैं क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेसन लगाये हैं। हमारे मुल्क के सबसे बड़े आदमी पंडितजवाहरलाल नेहरू जी हैं, हम इसे मानते हैं, लेकिन वे भी बाहर से मशीनें मंगाने लगे। जब एतमाद होजाय, उनके हाथ में हुकूमत आ जाय, ५ साल वे काम कर लें, तब आप कहिये कि उन्होंने दुरुस्त किया या नहीं। आज जो टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के मेम्बर हैं, वे ही लोग कारपोरेशन के मेम्बर रहेंगे। अगर म्युनिसिपैलिटी का नाम कारपोरेशन रख दिया जाय, तो इस के अन्दर रिफार्म नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। जब तक आप के अन्दर

सिद्ध न हों, जो कि आजादी के वजूद थीं, तब तक निजाम नहीं हो सकता है। मैं आनरेबुल मिनिस्टर श्रीविचित्र नारायण शर्मा जी को खिदमत में यह अर्ज करना है कि आप इस पर सोचिये। आज हम अपनी परेशानी को भी नहीं जानते हैं, गवर्नमेंट भी दुःखी दुखी है और हम भी दुखी हैं। अब उन से जो डेवलपमेंट कमेटी बनाई जा रही है, वह क्यों बनाई जा रही है। आप चाहे जितनी भी कमेटीज बनाइये, जब तक आप अन्तिम निर्णय नहीं कर लेंगे, आखिरी फैसला नहीं कर लेंगे, यह सब बेकार है। इस में आप नाकामयाब हो रहेंगे। खुदा करे मेरी राय यहां पर गलत हो। मेरे खतरात गलत हों। मुझे डर यह है कि अगर कल यह नाफ़िज़ हुआ और ६ महीने के बाद आप को तरमीम लानी पड़ी तो उसमें क्या फायदा होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल कब पास हुआ था, आज तक तरमीमें आ रही हैं, जरूरत है। हुक्काम बदलते जा रहे हैं। इसमें अगर आप इस वक्त तरमीम नहीं करना चाहते तो इतना तो जरूर कीजिए कि इस पर गौर ख़ौज़ किया जा सके। इसको एनालिसेज कीजिए, और मालूम कीजिए कि क्या खामी है आप के कानून के अन्दर। आनरेबल मिनिस्टर साहब इलाहाबाद गए। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या कभी वह सड़कों पर गए, खद्दर भंडार में ऊपर जाकर बैठ गए, इससे आप क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं, आपने किसी गली के अन्दर जाने की तकलीफ गवारा की? फ़क़त कांग्रेस का दौर दौरा था, आप के कदमों से सड़कों पर बरकतें जाती थीं। आज आप के जो अदना मुलाज़िमान हैं, मैं १८ बरसों के अन्दर का हाल बतला रहा हूँ, इतनी सख्त बीमारियाँ फैली हैं इलाहाबादमें लेकिन गलियों के अन्दर आपके हुक्कामान को सफाई के ख्याल से मारा मारा फिरते नहीं देखा। और जिसे हेल्थ अफ़सर कहते हैं वह सिवा क्लर्की करने के दफ्तर में, इलाहाबाद की सड़कों पर कभी निकल कर नहीं आता। आप की जात से यकीनन् भलाई है, आप जितना भी करेंगे भलाई के लिए करेंगे, मगर हमें इत्मीनान दिलाइए, गवर्नमेंट बेन्चेज किसी दफ़ा की शक्ल से, कानून की शक्ल से हमें इत्मीनान दिलायें। अगर हो सके तो इसको मुल्तवी करके कैबिनेट में मशवरा कीजिए। हम आप का ट्रायल लेंगे। आप को बहुत बड़ी अदालत के सामने पकड़ कर ले जायेंगे, जो अव्वाम की अदालत है, हम और ऊंची अदालत में पकड़ कर ले जायेंगे, वह ज़मीर की अदालत है और वहां भी फैसला अगर नहीं हुआ तो खुदा के सामने अपील करेंगे। आप आज बतलाइये क्या ज़मानत है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद शहरों की हालत सुधर जायगी आप पहले बिल सुधारिये, इसे पहले संभालिये, तब इस बिल को यहां लाइये। एक शोबये जिन्दगी हमारी जिन्दगी का आप संभालिये, मैं दस शोबे नहीं कहता, हेल्थ को सुधारिये, तालीम भी जनाबवाला म्युनिसिपैल्टिटी से मुताल्लिक है।

मैंने बड़ी मसर्रत के साथ इसको देखा था। एक साहब ने यहां एतराज किया था कि अस्पताल इतने बड़े बना डाले लेकिन डाक्टर और दवायें भी हैं उनके अन्दर? बिल आपने बड़ा शानदार पेश कर दिया लेकिन असली सूरत क्या है? मैं गवर्नमेंट के ऐलानात को मानने के लिये तैयार नहीं रहता जो वक्तनफवक्तन टालने के लिये किये जाते हैं। लेकिन आप एक वक्त मुकर्रर कीजिये, यह कैबीनेट, गवर्नर, और यह हाउस जिससे पाबन्द हो, कि ६ बरस के अन्दर हम शहरों की हालत को संभाल लेंगे। हम इलाहाबाद से इलाहाबाद बना देंगे, फ़क़ीराबाद को इलाहाबाद बना देंगे। हम लखनऊ को सही मानें में कैपीटल बना देंगे। हम यहां ऐसी सड़कें बनायेंगे जिनके अन्दर आप अपना मुंह देख लें। हम वह तस्वीर देखना चाहते हैं जिससे आप ही आराम उठायेंगे। आप डरिये नहीं इस चीज से। कारपोरेशन के बाद अगर आप सड़कें चौड़ी करायेंगे, दरवाजे के बाद लोगों को पत्थर लगा देने की आदत है, उसे आप दूर करेंगे। इसे आप आज भी कर सकते हैं। बनारस में क्या हो रहा है? वहां की गलियों में शायद सूरज ही सदियों से नहीं पहुँचता। उसके बाद भी दूकानदार जब बैठता है तो एक तख्ता लगा देता है और तख्ते पर बैठता है तो दूसरा तख्ता लगा देता है और जब सख्ती की जा रही है तो धमकियाँ देता है कि अच्छा अब हम से वोट लेना।

श्री इसहाक सम्भली—जी हाँ।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—उनको उभाड़ने वाले वहां हैं, और उभारने वाले भी यहां हैं। आप यह न समझिये कि वहां ही हैं यहां पर भी बैठे हुये हैं। मेरी राय है कि इसमें कोआपरेशन करना चाहिये। मेरा कहना तो यह है कि आप कारपोरेशन बनने से पहले कम से कम यही इस्लाह करके दिखलावें। मियाद मुकर्रर कीजिये, वक्त तय करके उठिये, अगर आप तय करके

[श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी]
उठेंगे तो आप बहुत कुछ करके जायेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत मौका मुझे आज बोलने का मिलेगा मगर मैं देखता हूँ कि और बहुत से मेम्बरान बोलने को बैठे हुये हैं।

एक आवाज-- आप बोलते जाइये और कोई बोलने वाला नहीं है।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी--तो मुझे अर्ज करना है कि मजमुई तौर पर गौर कीजिये और रूल्स रेगुलेशन्स और दूसरे जो कवायद बने उस पर आप सोच लीजिये, दिमाग को साफ कर लीजिये, अपोजीशन की भी सलाह लीजिये। ऐसी चीज जो हमारे शहरों के लिये मुफीद हो वह जरूर कीजिये मगर एक तरीका और सोचें कि हम खर्च को कैसे कम कर सकते हैं। कारपोरेशन बिल बन रहा है इससे लोगों को एक फिक्र पैदा हो गई है। मेरा अपना अनुभव यह है और आपकी सेवा में मैं यह निवेदन करूँगा कि बिल पास हो जाने के बाद लाखों रुपये का खर्च बढ़ेगा। खर्च को और करटेल किया जा सकता है, इसको हम महदूद दायरे में ले जा सकते हैं और अगर इसका ख्याल किये बगैर आपने इसको पास कर दिया और आपका हुक्म होगा तो मैं सब से पहले हाँ करूँगा, हाथ उठाऊँगा, मगर सिर न उठाऊँगा, आपने अगर यह बात महसूस किया तो मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत बड़ा फायदा लोगों को पहुँचायेंगे। ऐसा न हो कि आप इस बिल को आज पास कर दें और फिर आपको एक अमेन्डिंग बिल लाना पड़े। हमारी जिन्दगी मौत के करीब आ गई है। आखिर में मैं आपको इस बिल के लाने के लिये मुबारकबाद दूंगा, इतना बड़ा बिल बनाया है इसके लिये मुबारकबाद है मगर इसके साथ आप से मेरी दरख्वास्त होगी जो बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है बिल्कुल सही है, एतराज के लिये नहीं था, अगर मैं न कहता तो सही बात आपके सामने न आती। और अगर आपने फिर भी इसको दूसरे तरीके पर लिया तो मैं मुकाबले के लिये भी तैयार हूँ। जनाबवाला, मेरा यही कहना है कि खर्च आप कम कर सकते हैं और इसी वक्त से इस काम को शुरू कर दें तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मैं आप से अर्ज करूँगा कि अगर आप यहां खामोश करा दें तो मैं बोलूं। यहां कई लेक्चर एक साथ हो रहे हैं ऐसा कारपोरेशन बिल आया है।

मैं अर्ज कर रहा था कि आप तालीम और पुलिस को न लीजिये आप सड़क और सफाई ही लें, और उसमें हैरत अंगेज तरक्की कर दें। आप बीसों सोबे खोलेंगे। आपने कानपुर में नई इमारतें बना दिया लेकिन आबादी की हालत नहीं सुधरी। नये तो बन गये लेकिन उनकी मरम्मत भी आप नहीं करा सकते। इलाहाबाद में ही देखिये बेल प्लान्ड स्कीम है। आप ने टैगोर टाउन बनाया लेकिन बरसात में क्या हुआ लोग घर से बाहर भी नहीं निकल सके और इस तरह से भागे जैसे रिफ्यूजी। मैं कहता हूँ कि आप खर्च को कम कीजिये। टैक्स न बढ़ाइये। अगर थोड़ा-साहैसियत टैक्स आप लगा दें तो बरदाश्त हो सकता है। मेरी तो दरखास्त भी मिनिस्टर साहब नहीं मानते हैं। आप को बताऊँ इस सिलसिले में मऊ में नोटीफाईड एरिया का एलेक्शन हुआ। पार्टियां लड़ीं। अब उन पर हैसियत टैक्स लगाया गया है। आप देखें जिन को पहले २० रुपया था उन पर अब २८० कर दिया गया है। जो लोग कांग्रेस के पोलिंग एजेन्ट चुनाव में थे जिनको २४ देना था उन पर १८० टैक्स लगाया गया है और जिसका ५ था उसको ५५ किया गया है। मैंने एक फेहरिस्त दी थी मिनिस्टर साहब को और उन लोगों से कहता हूँ कि जो लोग एतराज करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेसी फायदा उठाते हैं। वह जाकर देखें कि जिनके नाम एजेन्टी में हैं उन पर इतना टैक्स बढ़ाया गया है।

श्री डिप्टी चेयरमैन--यह कहां तक रेलेवेन्ट है।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी--यह रेलेवेन्ट है। हुजूरवाला, इजाजत दें तो मैं बताऊँ जिस वक्त कान्सटीट्युयेन्ट असेम्बली में कान्सटीट्युशन बन रहा था उस वक्त स्वीटजरलैंड, अमेरिका वगैरह का हवाला दिया जा रहा था। अगर आप हुक्म दें तो मैं कारपोरेशन के पास न आऊं और बैठ जाऊँ। मगर हकीकत है इसलिये अर्ज कर रहा हूँ कि यह गल्तियां हो रही हैं। और हुजूर के जरिये से हाउस से अर्ज करना चाहता हूँ कि आजमगढ़ लखनऊ से दूर नहीं है। यह जो नोटीफाईड एरिया की बीमारी है वह यहां भी आ सकती है। उससे हमको बचने की कोशिश करना

चाहिये । इसलिये मेरी दरख्वास्त यह है कि पहिले सिर्फ दो-तीन स्कीमें ही इसके सुपुर्द की जायं । पी. डब्लू. डी. को लेना ही पड़ेगा क्योंकि वह सड़कें वगैरह बनवाता है। हेल्थ ले ले। रोशनी का इन्तजाम ठीक हो जाना चाहिये । बिजली के लिये अगर कुछ और देना पड़े तो दें और ज्यादा पावर के यन्त्र लगावें । पानी की बहुत दिक्कत रहती है उसका इन्तजाम ठीक होना चाहिये । अभी कुछ ऐसी हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि लड़कों रहने के लिये जगह नहीं मिली । मैं एक यतीम खाने में रहता हूं । अनाथालय में । वहां पर पानी ऊपर नहीं आता है । मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैं तीन रोज से नहाया नहीं हूं । तीन बजे रात से पानी वहां पर आता है और उस वक्त वहां पर बच्चों को जगाया जाता है कि पानी आ गया है। यह आपका कैपिटल है और आपका इन्तजाम है । यह हालत आज ९ साल से है । वहां पर कौमी आवाज के एडीटर साहब बैठे हुये थे । उन्होंने अपने अखबार में जाने क्या-क्या लिखा है । उन्होंने लिखा था कि अंधेर नगरी हो रही है । यह एक कांग्रेसी ख्यालात का अखबार है । नरहीगंज की यह हालत है कि वहां पर कोठे में पानी ही नहीं चढ़ता है । आज मैं जब आने के लिये हुआ तो मैंने कहा कि पानी दे आओ तो जरा नहा लूं । तो वहां कहा गया कि इतना ही पानी है जो कि खाना पकाने के लिये है । लिहाजा मजबूरन मैंने तौलिया भिगो-भिगो कर अपना बदन पोंछा और यहां आया हूं । वहां पर रात दिन लोग पाइप खोले रहते हैं कि कब इनायत हो जाय ऐडमिनिस्ट्रेटर साहब की तो जनाब पानी आ जाय । तो मेरा कहना यह है कि खाली कारपोरेशन कारपोरेशन कहने से अगर इन्तजाम हो जाय तो कहिये मैं १०१ मर्तबा कारपोरेशन कारपोरेशन कह दूं लेकिन इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है । बहरहाल अब मैं माफी चाहूंगा कि अगर मैंने कोई ऐसी वैसी बात कही हो । बहुत-से लोगों ने मेरी तकरीर को निहायत खुशी के साथ सुना और बहुत-से लोग नाराजगी के साथ सुन रहे थे । यहां पर बहुत से संजीदा लोग भी बैठे हुये हैं जो इस पर गौर करेंगे कि किसी दीवाने ने कुछ बातें कही हैं उन पर भी कुछ गौर कर लिया जाय । मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि मेरी बात रद्दी की टोकरी में न डाल देंगे और अगर मैंने कोई गलत बात कही है तो उनको मेरे मुंह पर मार दें । मैं अगर आप में से कोई चाहे तो उनको चाहे यहां की हालत चाहे इलाहाबाद की हालत दिखला सकता हूं कि जो मैंने कहा है वह सही है या नहीं । इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं ।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—मेरी दरख्वास्त यह है कि अब महज १५ मिनट रह गये हैं इस कारपोरेशन बिल पर जो भी बोलना चाहेगा वह ज्यादा बोलने की कोशिश करेगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि आज कार्यवाई खत्म कर दी जाय और परसों से शुरू किया जाय । आज अगर कोई बोलेगा तो परसों फिर जब वह बोलेगा तो उसकी चेन टूट जायगी ।

***कुँवर रणञ्जय सिंह**—(स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा गला पड़ा हुआ है फिर भी चूंकि यह एक बहुत आवश्यक बिल है इसलिये मैं इस पर अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं ।

मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने एक विधेयक जिसकी हमें प्रतीक्षा थी वह आज हमारे सामने उपस्थित किया गया है । बहुत परिश्रम के साथ यह विधेयक बनाया गया है और मुझे आशा है कि जब यह अधिनियम बन जायेगा तो इसके द्वारा हमारे महानगरों को बहुत लाभ होगा । यह सही बात है कि हमारे प्रदेश के बड़े-बड़े नगरों को विशेष कर लखनऊ को बहुत लाभ होगा । लखनऊ नगर इस सूबे की राजधानी है लेकिन यहां पर कोई म्युनिसिपलटी और कारपोरेशन नहीं है । इस सम्बन्ध में हमारे माननीय मंत्री महोदय चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसका प्रबन्ध किया जाय तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को इसमें सहयोग देना चाहिये न कि हम इसमें विलम्ब करें ।

हमारे पुराने मित्र शाहिद फाखरी साहब ने जो यहां पर कहा तो इसके पहले मैं असेम्बली में उनके भाषण को सुना करता था लेकिन इतना लम्बा भाषण कभी सुनने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था । मुझे एक आवश्यक काम था लेकिन उनके भाषण को सुनना चाहता था और उनका

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

[कुंवर रणञ्जय सिंह]

भाषण सुनने के लायक था। जोश में आकर वे ऐसी ऐसी बातें कह गये जिसके ऊपर आपत्ति भी की गई कि यह अप्रासंगिक है। उन्होंने भाषा के सम्बन्ध में, सम्प्रदयिक प्रश्न पर और शासन पर अपना विचार जाहिर करते रहे और कहते रहे। यहां पर उनकी बातों पर आपत्ति कई बार की गई लेकिन फिर भी वे कहते चले गये। जहां तक मैं समझता हूँ मैं उनकी बातों को आपत्तिजनक समझता हूँ। उनकी बहुत-सी बातें आपत्तिजनक और परस्पर विरोधी रही हैं। उन्होंने कहा कि कारपोरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ऐडमिनिस्ट्रेसन चल रहा है वह गड़बड़ कर रहा है। इस तरह से वक्ता महोदय शिकायत करते रहे और अन्त में कहा कि कारपोरेशन से कोई लाभ नहीं होगा। इस पर विशेष वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं एक ओर वर्तमान शासन का खंडन करते रहे और दूसरी ओर कहते रहे कि कारपोरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर परस्पर विरोधी बातें कही गई और बहुत देर तक कही गई। इसमें शक नहीं कि यद्यपि मैंने बहुत ध्यान लगाकर सुना। उन्होंने कहा कि हिन्दी के बहुत शब्द क्लिष्ट होते हैं।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—Point of order, मैंने जो नहीं कहा है उसको ये यहां पर कह रहे हैं।

श्री डिप्टी चेयरमैन—इसमें प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठता।

श्री कुँवर रणञ्जय सिंह—उन्होंने कहा कि हिन्दी के ऐसे-ऐसे कड़े शब्द कहे जाते हैं जो समझ में नहीं आते। जिस तरह से हिन्दी के लिये वक्ता महोदय ने कहा उसी तरह से उनके भी बहुत से शब्द यहां पर रहे जो मेरी समझ में नहीं आये लेकिन मतलब उनका मैं समझता रहा।

श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी—क्या किसी मेम्बर को हक है कि वह दूसरे मेम्बर का नाम यहां पर ले।

श्री डिप्टी चेयरमैन—आप का नाम नहीं ले रहे हैं। मुझ को कहने का अधिकार है। आपने परसनल एक्सप्लेनेशन दे दिया कि आपने ऐसा नहीं किया।

श्री कुँवर रणञ्जय सिंह—उन्होंने कहा कि हिन्दी के बहुत-से ऐसे शब्द रखे जाते हैं जो बहुत कठिन होते हैं क्लिष्ट होते हैं। उन्होंने बहुत-से फारसी के शब्द प्रयोग किये जो मेरी समझ में नहीं आये।

(श्री शाहिद फाखरी सदन से उठकर चल दिये)

मुझे अफसोस है कि वे रुष्ट होकर यहां से जा रहे हैं। अभी उन्होंने जो बातें कहीं मैं समझता हूँ कि वे आपत्तिजनक थीं। आक्षेप-पर-आक्षेप लगाये गये। ऐसा भाव उत्पन्न करने की कोशिश की गई जो उचित नहीं था। सरकार ने ऐसा नहीं किया। वैसा नहीं किया। ये सब सरकार पर आक्षेप लगाना उचित नहीं है। किदवई साहब का भी नाम लिया गया। सभी जानते हैं कि कुछ अर्से तक तो उन्होंने होम मिनिस्टर के पद पर भी काम किया।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—Point of order जनाबवाला, कारपोरेशन पर बहस हो रही है या मेम्बरान के आपस की स्पीचेंज के ऊपर बहस हो रही है। आप तो अगर कोई इर्रेलेवेन्ट बात होती थी तो टोक देते थे।

श्री डिप्टी चेयरमैन—जो उन्होंने आर्गूमेंट दिया है उसका जवाब तो दिया ही जा सकता है। यह बिल के मुताल्लिक है और रेलेवेन्ट है।

श्री राजा राम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—डा० फरीदी का प्वाइन्ट आफ आर्डर गलत है किसी बात का जवाब तो दिया ही जा सकता है।

डाक्टर ए० जे० फरीदी—कोई शख्स अगर खामोशी से बैठकर सुनता रहे तो उस पर अगर इल्जाम लगाया जाय और अगर वह कुछ बोलना चाहे तो भी उस पर इल्जाम लगाया जाय। यह जो राजा राम जी ने कहा, आप इसको एक्सपंज कर दें।

श्री डिप्टी चेयरमैन—आपके खिलाफ़ कोई ऐलीगेशन नहीं किया गया।

श्री कुंवर रणंजय सिंह—इतनी लम्बी बातें हुईं। आक्षेप-पर-आक्षेप होते रहे। बहुत-सी-ऐसी बातें थीं, मैं समझता हूं जिनका कारपोरेशन से सीधा कोई संबंध नहीं था। जो बातें आपत्तिजनक थीं उन पर प्रकाश डालने का मुझ को मौका दिया, इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत सी बातें अप्रासंगिक रहीं जो सदन में कही गयीं। अगर वे बाहर जायेंगी, प्रोसीडिंग्स में छपेंगी तो ऐसे समय में कोई भी सदस्य जो कि यह समझता है कि ये बातें आपत्तिजनक हैं, चुप नहीं रह सकता। इसलिये मेरा भी कर्तव्य है कि कम से कम दो चार बातों पर प्रकाश डालूं। इस प्रकार से मैं कोई साम्प्रदायिक भावना का प्रचार नहीं करना चाहता हूं बल्कि मैं तो इस तरह की बातों को दूर करने के लिये ही कहना चाहता हूं। यहां पर कुछ ऐसी बातें कही गयी हैं जिन की कोई जरूरत नहीं थी। यहां पर यह कहा गया कि हमारे यहां भी ऊतरल अयूब जैसे आदमियों की आवश्यकता है तो इस प्रकार की बातें आपत्तिजनक हैं और उन्हें सदन में नहीं कहा जाना चाहिये था। उन्होंने यह बातें खुल्लमखुल्ला कही हैं। उन्होंने यहां पर इस तरह की बातें उठाई हैं जिनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं था। उन्होंने हिन्दी और उर्दू का प्रश्न इस तरह से उठाया कि जैसे इन दोनों में कोई झगड़ा हो। मैं तो कहता हूं कि हिन्दी और उर्दू कोई हिन्दू और मुसलमानों का झगड़ा नहीं है। हिन्दी हमारे राष्ट्र की भाषा है जो कि यहां पर रखी गयी है। अगर किसी को दुख होता है कि यहां पर हिन्दी क्यों रखी गयी है तो हमें इस प्रकार की बातों को सुन कर दुख होता है।

मैं आपको सूचनार्थ बतलाना चाहता हूं कि हमारी तहसील अमेठी में ही मलिक मुहम्मद जायसी की समाधि है और मैं भी वहां पर जाता हूं। हमने वहां पर उनकी यादगार में स्कूल भी चलाई है, यह सभी को विदित है कि उन्होंने हिन्दी की कितनी सेवा की है। अगर हमारे इस कारपोरेशन विधेयक में हिन्दी के शब्द आ जायं और उनपर हम विरोध करें तो यह उचित नहीं है। हिन्दी तो हमारे राष्ट्र की भाषा है जो कि अंग्रेजी के स्थान पर रखी जा रही है। अगर कोई हिन्दी के शब्द नहीं समझता है तो मुझे क्षमा किया जाय ऐसा कहने के लिये कि वे हिन्दी को सीखने का प्रयत्न नहीं करना चाहते हैं। वे उस अंग्रेजी भाषा को पसन्द करते हैं जिसमें बी यू टी, बट और पी यू टी, पुट होता है और आर आइ जी एच टी, राइट और डब्ल्यू आर आइ टी ई, राइट होता है। नागरी लिपि तो इतनी सुन्दर है कि उस पर तो किसी को आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। उस को हम सब सीख सकते हैं और अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अगर हम उसको क्लिष्ट समझते हैं तो इसमें भाषा का दोष नहीं है बल्कि सीखने वाले का दोष है। इस प्रकार से जो कारपोरेशन बिल बनाया गया है, वह बहुत अच्छा है और जितना शीघ्र यह अधिनियम बन सके, तो ठीक है। यहां पर शीघ्र ही चुनाव होना चाहिये ताकि बड़े बड़े नगरों का शासन ठीक चल सके।

मैं भी दो एक शब्दों पर एतराज करना चाहता हूं। यहां पर नगर महापालिका शब्द है। मेरे विचार से यह महानगर पालिका होना चाहिए। जो बड़े नगर की पालिका हो, वह महानगर पालिका होनी चाहिये। जब जमीन्दारी अबालिशन बिल बना था तो किसी ने अबालिशन का हिन्दी अनुवाद विनाश कर दिया। मैंने उसके दूसरे बिल पर यह एतराज किया था कि चूंकि विनाश का अर्थ डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिये वहां पर उन्मूलन शब्द होना चाहिये। यहां पर भी इस समय महापालिका ठीक है क्योंकि मैं किसी प्रकार का संशोधन देकर इसमें देर नहीं करना चाहता हूं। मैं भी श्रीमन, इन स्थायी संस्थाओं का प्रतिनिधि हूं इसलिये मेरी विशेष दिलचस्पी है। मेरे क्षेत्र में लखनऊ नगर महापालिका आती है, इसलिये मुझे तो विशेष रूप से विचार करना है। यह जो नगर महापालिका विधेयक है, यह शीघ्र से शीघ्र अधिनियम बन जाये इसके लिये मैं अपने मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वे कोई विलम्ब की बात न करें। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय की सच्चाई और ईमानदारी में कोई सन्देह नहीं हो सकता है। हमारे मंत्री महोदय ने यह अपील की है कि हमारे माननीय सदस्य इस विधेयक को शीघ्र अधिनियम बनाने में सहायता करें ताकि बड़े बड़े नगरों में शासन ठीक तरह से किया जा सके। मैं समझता हूं कि इन नगरों के शासन के सम्बन्ध में या इनमें जो गन्दगी है, उसके सम्बन्ध में वादविवाद हो सकता है लेकिन एक दूसरे ही प्रकार का लम्बा चौड़ा भाषण देना ठीक

[श्री कुंवर रणञ्जय सिंह]

नहीं था। मेरे मित्रों को यह मालूम हो रहा है कि मैं अपने पूर्व वक्ता की बातों का खंडन कर रहा हूँ और इसीलिये उन्होंने मुझे बीच में टोका भी है परन्तु ऐसी बात नहीं है।

श्री डिप्टी चेयरमैन--पांच बज गये हैं क्या आप अपना भाषण खत्म कर रहे हैं।

श्री कुंवर रणञ्जय सिंह--श्रीमन, अगर समय मिल जाय तो फिर बोलूंगा।

श्री डिप्टी चेयरमैन--आज की बैठक सोमवार पहली दिसम्बर, को ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है और श्री कुंवर रणञ्जय सिंह का भाषण जारी रहेगा।

(परिषद् की बैठक ५ बजे सोमवार, दिनांक १ दिसम्बर, १९५८, को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी)

लखनऊ,

शुक्रवार, ७ अग्रहायण, शक संवत् १८८०

(२८ नवम्बर, सन् १९५८ ई०)

परमात्मा शरण पचौरी,

सचिव,

विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पृष्ठ ११ पर)

Copy of G. O. no. B-8192 XV—117-1949, dated Lucknow, February 11. 1953, *from* SRI S. C. KAPOOR, B. Ed. (Edin.), *Under Secretary to Government. U. P.. Education (B) Department, to this office.*

I AM directed to refer to the correspondence ending with your un-official letter no. A(1) 144 XXIII-16(50), dated September 22, 1952, and to say that the Governor is pleased to sanction the allotment to the defunct offices of Divisional Inspectors of Schools in U. P. of 31 posts of noters and drafters in the scale of Rs. 80—5—100—6—130, instead of only I post in that scale, from April 1, 1947 to June 30, 1947.

2. The scale of Rs. 80—5—100—6—130 sanctioned above will be allowed to existing incunbents of the 40, posts of noters and drafters of the defunct Inspector's offices in the post 1931 scale of Rs. 40—2—60 which were converted into the scale of Rs. 60—3—90—4—110 with effect from April 1. 1947, *vide* proposition statement sanctioned in G. O. No. B-4383 XV—117-1949, dated May 31, 1949.

3. The pay of those out of the above 40, clerks who are still in service should be refixed with effect from 1st January, 1953, as if the revised 1947 scale of pay fixed for them was Rs. 80—5—100—6—130 and not Rs. 60—3—90—4—110. No arrears of pay will be allowed in any case; but if on refixation the pay of these clerks becomes higher than what they were drawing on 31st December, 1952, they would start drawing that higher pay from January 1, 1953.

No. B-8192(1) XV—117-1949

FINANCE DEPARTMENT

COPY forwarded for information to the Accountant General Uttar Pradesh, Allahabad, in reference to Government Endorsement no. B-4383/XV—117-1949, dated 31, 1947.

By order,

R. C. CHATERJI,

Assistant Secretary.

EDUCATION DEPARTMENT.

No. B-8192(2)/XV—117-1949

COPY forwarded for information to Finance (G-1) Department.

By order,

S. C. KAPOOR,

Under Secretary.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४७ का उत्तर पृष्ठ १३ पर)

१—बहराइच	इस समय कोई स्थान रिक्त नहीं है।
२—आगरा	कुल १८ कमरे में ९ कमरे गत वर्ष विद्यार्थियों के उपयोग में थे। अभी विद्यार्थियों का प्रवेश हो रहा है रिक्त स्थान के लिये निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। रिक्त कमरे संगीत कक्षा, विद्यालय का गोदाम, वाचनालय एवं मेडिकल स्टोर के उपयोग में भी आते हैं।
३—फैजाबाद	छात्रावासों में केवल एक या दो स्थान रिक्त रह जाते हैं तो उन कमरों में स्कूल के टूटे-फूटे सामान रख दिये जाते हैं।
४—झाँसी	दो रिक्त कमरों में विद्यालय का स्टोर है।
५—खीरी	रिक्त स्थान में स्टोर तथा विद्यालय की कोआपरेटिव दुकान है।
६—ज्ञानपुर (वाराणसी)	छात्रावास के ११ कमरों में डिग्री कालेज के छात्र रहते हैं। कोई स्थान रिक्त नहीं है।
७—नजीबाबाद (बिजनौर)	इस समय कोई स्थान रिक्त नहीं है।
८—मुरादाबाद	अब कोई स्थान रिक्त नहीं है।
९—शाहजहांपुर	रिक्त स्थान में प्रधानाचार्य रहते हैं।
१०—गोरखपुर	कुल १८ कमरों में ६ कमरे छात्रों के, १ दफ्तर, १ चिकित्सागृह, १ कामनरूम, ४ उप शिक्षा संचालक का आवास तथा ४ कमरे उनके कार्यालय के लिये उपयोग होते हैं।
११—बलिया	इस समय कोई स्थान रिक्त नहीं है।
१२—मथुरा	इस समय कोई स्थान रिक्त नहीं है।
१३—चरखारी (हमीरपुर)	इस समय कोई स्थान रिक्त नहीं है।
१४—बाँदा	यदि स्थान रिक्त रह जाता है उसका उपयोग विद्यालय के स्टोर में आता है।
१५—सुल्तानपुर	रिक्त कमरों में विद्यालय की सज्जा, क्रीड़ा का सामान तथा छात्रावास का स्टोर इत्यादि रहता है।
१६—गोंडा	५ रिक्त कमरों में विद्यालय के खेल का सामान, म्युजियम का सामान, स्काउटिंग का सामान तथा जल-पान का सामान रक्खा जाता है।
१७—पीलीभीत	कुल २१ कमरों में १६ कमरे छात्रों के लिये, ३ विद्यालय गोदाम, २ लाइब्रेरी इत्यादि के लिये प्रयोग होते हैं।
१८—बदायूं	छात्रावास के ६ कमरे तथा एक कामन रूम राजकीय शिक्षा विद्यालय बदायूं के छात्राध्यापकों के रहने के लिये दे दिये गये हैं और कोई स्थान रिक्त नहीं है।

१९—सहारनपुर	छात्रावास का रिक्त स्थान विद्यालय का क्रीड़ा का सामान, सज्जा, व्यायामशाला तथा स्टोर इत्यादि के काम आता है।
२०—रुड़की	छात्रावास के रिक्त कमरों में दो अध्यापकों को किराये पर रक्खा गया है।
२१—लैंसडाउन (पौड़ी)	इस समय कोई स्थान रिक्त नहीं है।
२२—रुद्रपुर	रिक्त स्थानों में विद्यालय के अध्यापकों को जिनके निवास हेतु क्वार्टर नहीं प्राप्य है, उचित किराये पर दिये गये हैं।
२३—गाजीपुर	छात्रावास में अध्यापिकायें निवास कर रही हैं।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५३ का उत्तर पृष्ठ १४ पर।)

भिन्न भिन्न कमेटियों के सदस्यों की सूची जिसका हवाला प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर में दिया गया है।

क्रम-सं०	नाम कमेटी	सदस्यों के नाम
१	गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल पेडागाजिकल इंस्टिट्यूट तथा ब्यूरो आफ साइकालोजी कमेटी।	(१) डा० इडविन हारपर, इविंग क्रिश्चियन कालेज, इलाहाबाद। (२) प्रोफेसर काली प्रसाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ। (३) श्री कुबेर नाथ शुक्ल, प्रोफेसर आफ एजूकेशन, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
२	नर्सरी ट्रेनिंग कालेज तथा गवर्नमेंट कालेज आफ होम सांइस कमेटी।	(१) श्रीमती सरोजनी वारशनी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी। (२) डा० श्रीमती राधा पन्त, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद। (३) श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, मेम्बर पब्लिक सर्विस कमीशन, इलाहाबाद। (४) कुमारी के० डी० खन्ना, डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, (वीमेन), इलाहाबाद।
३	गवर्नमेन्ट कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन कमेटी।	(१) श्री पी० एन० माथुर, आनरेरी सेक्रेटरी, स्टेट् स्पोर्ट्स कौंसिल, लखनऊ। (२) श्री एच० गारगोरी, डाइरेक्टर फिजिकल एजूकेशन, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ। (३) श्री काशीराम दुबे, अवकाश प्राप्त अधीक्षक, फिजिकल एजूकेशन, गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद, गणेशगंज, लखनऊ।
४	कन्सट्रक्टिव ट्रेनिंग और बेसिक ट्रेनिंग कालेज कमेटी।	(१) श्री आर० एन० गुप्ता, आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी (रूल्स), शिक्षा विभाग, लखनऊ। (२) श्री कुबेर नाथ शुक्ल, प्रोफेसर आफ एजूकेशन, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। (३) श्री एच० एन० राय, बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी, वाराणसी।

क्रम-सं०	नाम कमेटी	सदस्यों के नाम
५	प्रशिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता की जांच के लिये समिति।	(१) डा० सी० एम० भाटिया, डाइरेक्टर आफ ट्रेनिंग, शिक्षा संचालक कार्यालय, इलाहाबाद।
		(२) डा० सितावर सरन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सेन्ट्रल पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद।
		(३) श्री सी० एन० डंगल, प्रिंसिपल, गवर्नमेन्ट कन्सट्रक्टिव-कम-बेसिक ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ।
		(४) श्री बंसीधर श्रीवास्तव, प्रिंसिपल, गवर्नमेन्ट जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद।
		(५) श्रीमती पी० रस्तोगी, प्रिंसिपल, गवर्नमेन्ट एल० टी० ट्रेनिंग कालेज (वीमेन), इलाहाबाद।
		(६) श्री सी० पी० टंडन, प्रिंसिपल, जे० टी० सी० कालेज, फैजाबाद।
		(७) श्री के० एन० राजदा, प्रिंसिपल, क्वीन्स कालेज, वाराणसी।
६	सेकेन्डरी एजूकेशन कमेटी	(१) श्री आर० एस० जौहरी, डिप्टी डाइरेक्टर, शिक्षा (वित्त) शिक्षा संचालक कार्यालय, इलाहाबाद।
		(२) श्री के० एन० मालवीय, उप सचिव, शिक्षा विभाग, लखनऊ।
		(३) श्री डी० डी० त्रिवेदी, डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, आगरा।
		(४) श्री गुरमौज प्रकाश, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
		(५) डा० सितावर सरन, प्रिंसिपल, सेन्ट्रल पेडागाजिकल इंस्टीटयूट, इलाहाबाद।
		(६) श्री श्रीनिवास शर्मा, सेक्रेटरी बोर्ड आफ हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट एजूकेशन, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।

क्रम-सं०	नाम कमेटी	सदस्यों के नाम
		(७) डा० मोहन चन्द्र पन्त, अनु सचिव, शिक्षा विभाग, लखनऊ।
		(८) कु० कृष्ण दासी खन्ना, उप शिक्षा-संचालक, महिला शिक्षा, इलाहाबाद।
७	संस्कृत एजूकेशन कमेटी	(१) श्री ए० एन० झा, आई० सी० एस०, उपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
		(२) श्री कुबेर नाथ शुक्ल, रजिस्ट्रार, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
		(३) श्री राम नरेश मिश्रा, विशेषाधिकारी, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
		(४) श्री प्रकाश चन्द्र गौड़, निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, वाराणसी।
		(५) पं० सभापति उपाध्याय, प्रिंसिपल, बिरला कालेज, वाराणसी।
		(६) श्री दीनदयाल शास्त्री, एम०एल०ए०, पोस्ट आफिस गुरुकुल कांगड़ी, जिला सहारनपुर।
		(७) श्री गोपाल चन्द्र सिन्हा, सेक्रेटरी, हिन्दी कोष समिति, लखनऊ
		(८) श्री गोपाल शास्त्री, दर्शनकेशरी, ५९।३१, गार्डन कालोनी, सिगरा, वाराणसी।
८	स्कूलों के पाठ्य पुस्तकों में स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा गांधीवाद पाठों को सम्मिलित करने के लिये नियुक्ति समिति।	(१) डा० राम प्रसाद त्रिपाठी
		(२) श्री त्रिलोकी सिंह, एम० एल० ए०
		(३) श्री गोविन्द सहाय, एम० एल० ए०
		(४) आचार्य बीरबल सिंह, एम० पी० काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
		(५) श्री नेकराम शर्मा, एम० एल० ए०, अलीगढ़।
		(६) श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा, छोटी पियरी, कबीरचौरा, वाराणसी।
		(७) श्री सी० एन० चक, शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

क्रम-सं०	नाम कमेटी	सदस्यों के नाम
		(८) श्री भगवती शरण मिश्र, सूचना सचालक, लखनऊ।
		(९) श्री एस० एन० चतुर्वेदी, मैनेजर, डालीदरा इन्टर कालेज, होलीपुरा, आगरा।
		(१०) डा० मोहन चन्द्र पन्त, अनु सचिव, शिक्षा विभाग, लखनऊ।
९	प्राइमरी और सोशल एजूकेशन कमेटी	(१) श्री डी० एन० चतुर्वेदी, डी० डी० ई० (बी०)।
		(२) श्री के० एन० मालवीय, उप सचिव, शिक्षा विभाग, लखनऊ।
		(३) श्री बी० एन० सक्सेना, विशेषाधिकारी।
		(४) डा० मोहन चन्द्र पन्त, अनु सचिव, शिक्षा विभाग, लखनऊ।
		(५) श्री डी० डी० तिवारी, विशेषाधिकारी (प्राइमरी)।
		(६) डा० ब्रिज मोहन गुप्ता, विशेषाधिकारी (मार्केटिंग)।
		(७) श्री डी० पी० महेश्वरी, ई० ई० ओ०
		(८) कुमारी के० डी० खन्ना, डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, शिक्षा संचालक कार्यालय, इलाहाबाद
१०	डिग्री कालेजेज कमेटी	(१) श्री नजमुल हसन, डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन (एस०), इलाहाबाद।
		(२) डा० के० एन० श्रीवास्तव, प्रिंसिपल, डी० एस० बी० गवर्नमेंट डिग्री कालेज, नैनीताल।
		(३) श्री जे० एल० शर्मा, प्रिंसिपल, के० एन० गवर्नमेंट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं० १ का उत्तर पृ० १७ पर)

सूची "क"

उन मान्टेसरी स्कूलों का नाम जिनको वर्ष १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में भवन तथा साज-सज्जा के लिये अनुदान दिया गया है

१९५६-५७	रु०
किशोरीरमन मान्टेसरी स्कूल, मथुरा	१०,०००
योग ...	१०,०००
१९५७-५८	
(१) म्युनिसिपल मान्टेसरी स्कूल, चन्दौसी, मुरादाबाद	३,०००
(२) म्युनिसिपल मान्टेसरी स्कूल, साउथ मलाका, इलाहाबाद	४,०००
(३) सेंटर आफ क़ास्मिक एजूकेशन (मान्टेसरी बाल भवन, ६, मालवीय रोड, इलाहाबाद) ।	३,०००
(४) म्युनिसिपल मान्टेसरी (नर्सरी) स्कूल, हमीरपुर	१,५००
(५) बाल निकुंज मान्टेसरी स्कूल, स्वरूपनगर, कानपुर	१,०००
(६) बाल शिक्षा निकेतन मान्टेसरी स्कूल, जौनपुर	१,५००
(७) बलिया मान्टेसरी स्कूल, बलिया	२,०००
(८) आर० एस० एस० मान्टेसरी स्कूल, उन्नाव	२,०००
(९) थियोसिफिकल मान्टेसरी स्कूल, सीतापुर	४,०००
योग ...	२२,०००

पी० एस० यू० पी०–९४ एल० सी०—१९५९

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

की

कार्यवाहियों

की

अनुक्रमणिका

खंड ६१

'य'

'र'

स्थानीय प्रश्न

'ह'